

October to December 2021
E-Journal
Volume I, Issue XXXVI

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 6.780 (2020)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)



नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

Index/अनुक्रमणिका

01.	Index/ अनुक्रमणिका	02
02.	Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	08/09
03.	Referee Board	10
04.	Spokesperson	12
05.	Photochemical Smog (Dr. Malti Dubey (Rawat))	13
06.	Studies on 'Refractive Index' and 'Density' of Organo Phosphorus Pesticides in Water	15
	(Arvin Panwar, Umendra Kumar, Manisha)	
07.	Antimicrobial-Antifungal Activity & Phytoconstituents of Maidenhair Fern –A Review	18
	(Sabahat Anjum Qureshi)	
08.	Green Marketing: An Important Tool for Growth in Manufacturing Industries (Dr. Rupesh Pallav) ...	21
09.	Covid-19: Employment Crisis (Dr. Praveen Ojha)	24
10.	Ultrasonic Velocity Measurements of Organo Phosphorus Pesticides in Water	27
	(Arvin Panwar, Umendra Kumar, Manisha)	
11.	Correlative Analysis of Long Term Cosmic Ray Intensity Variation in Relation with Various	31
	Geomagnetic Indices and Solar Parameters (Uma Pandey, Mahendra Singh, Pankaj K. Shrivastava)	
12.	Role of ICT in Indian Higher Education System: Challenges and Opportunities Ahead	35
	(Dr. Vibha Nigam)	
13.	Artificial Intelligence and Higher Education : Incontext of India (Dr. Abha Saini)	38
14.	Impact of Transcendental Meditation on Anxiety Among Students	41
	(Mahesh Prasad, Dr. Laxmi Narayan Joshi)	
15.	Investigation Emotional and Social Intelligence Between High and Low Achiever	43
	Sports Participation Male Players of Bihar State (Soni Kumari, Dr. Yuvraj Srivastava)	
16.	Economic Offences in India and Need of Criminal Corporate Liability (Geet Krishn Vyas)	45
17.	Effect of Practicing Transcendental Meditation on Students' Stress	50
	(Mahesh Prasad, Dr. Laxmi Narayan Joshi)	
18.	गोदना की परम्परा (प्रो. नवरतन साव, डॉ. बसंत नाग)	52
19.	हिन्दी भाषा की उत्पत्ति (डॉ. राजू हमीरसिंह देसाई)	54
20.	1857 से पूर्व भारतीय रियासतों की स्थिति - एक अध्ययन (डॉ. शालिनी गुप्ता)	57
21.	भारतीय परिवार का सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश (नीता मौर्या)	61
22.	कबीर दास की सामाजिक चेतना (डॉ. सरोज बाला श्याम)	63
23.	गुना जिले के सहरिया जनजाति के जीविकोपार्जन का समाजशास्त्रीय अध्ययन (डॉ. विजय सिंह)	65
24.	जलसंरक्षण: आर्थिक विकास की अहम कड़ी (डॉ. असलम खॉन)	67
25.	पोषण से भरपूर भारतीय थाली: एक विश्लेषण सागर शहर के संदर्भ में (डॉ. आराधना श्रीवास)	70
26.	साहित्य और पर्यावरण की चिंताएं (डॉ. सविता वशिष्ठ)	73
27.	गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में राजनैतिक बोध (दमयंती मरांडी)	75
28.	कोविड-19 के संदर्भ में योग और शाकाहार जीवन का आधार (डॉ. रंजु गुप्ता)	78
29.	माडिया जनजाति की विलुप्त होती प्रथाओं का अध्ययन दंतेवाड़ा जिले के संदर्भ में	80
	(डॉ. किरण नुरुटी, पिकी शर्मा)	
30.	विदेशों में भारतीय कला का स्थान (डॉ. निशा गुप्ता)	83
31.	नक्सलियों के आत्मसमर्पण का कारण समर्पण के पश्चात की समस्याएं (डॉ. किरण नुरुटी, पूनम वासम)	85
32.	नेतृत्व की अवधारणा (डॉ. श्रीकान्त दुबे)	89
33.	सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व	91
	का तुलनात्मक अध्ययन (भोपाल शहर के विशेष संदर्भ में) (डॉ. अनामिका सरकार, सोनाली माटी)	
34.	शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों में शैक्षणिक अभियोग्यता का अध्ययन (रीवा जिला के विशेष	94
	संदर्भ में) (डॉ. आभा गोयल, साजदा बी)	
35.	भारत के आर्थिक विकास में महिला सहभागिता का अध्ययन (मध्यप्रदेश राज्य के विशेष संदर्भ में)	98
	(डॉ. मीना कीर)	

36.	भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास स्तंभ एवं प्रमुख चुनौतियां (डॉ. योगेश खण्डेलवाल)	100
37.	वृद्धजनों की समस्या एवं परिवर्तनशील स्थिति (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. आभा गोयल, संदीपा पाण्डेय)	102
38.	नई शिक्षा नीति के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की जागरूकता : एक अध्ययन (डॉ. नीलम सिंह, डॉ. रंजू गुप्ता)	106
39.	ग्रामीण विकास में दुग्ध सहकारी संस्थाओं का योगदान (डॉ. गौरव विद्यार्थी)	108
40.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों पर प्रभाव (बलवान सिंह राजपूत, डॉ. प्रभुदयाल ज्ञानानी)	110
41.	भाषा को समझने में साहित्य की भूमिका (डॉ. रोशनलाल अहिरवार)	112
42.	शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरावस्था के विद्यार्थियों में आक्रामकता के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. अनामिका सरकार, वंदना श्रीवास्तव)	114
43.	अनुपूरक आहार समय में प्रारंभ न करना कुपोषण के प्रमुख कारण का अध्ययन (डॉ. आभा गोयल, रेशमा सेन)	117
44.	कोरोना महामारी का पर्यटन उद्योग पर प्रभाव और चुनौतियाँ (रीमा शिन्दे, डॉ. प्रभुदयाल ज्ञानानी)	121
45.	सिंचाई से खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन - झुंझुनूं जिले के संदर्भ में (सुमन कुमार, डॉ. पूर्णिमा सिंह)	123
46.	मानवाधिकार : एक राष्ट्रवादी स्वप्न (हिमांशी पंजाबी)	127
47.	कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति का अध्ययन ग्वालियर जिले के वार्ड क्रमांक-21 के सन्दर्भ में (डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध)	129
48.	नागार्जुन और गोपिनाथ महान्ति के उपन्यास में सामाजिक चेतना एक तुलनात्मक अध्ययन (मनोज कुमार पटेल)	131
49.	कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन (डॉ. आलोक कुमार यादव)	134
50.	लोक संहित एक संक्षिप्त परिचय (डॉ. सुनीता यादव)	138
51.	मानव जीवन में अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों की भूमिका (डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध)	140
52.	नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना से मालवा का विकास (डॉ. के. आर. कुमेकर)	142
53.	परम कल्याणकारी हैं ईशोपनिषद् की शिक्षाएँ (डॉ. विनोद कुमार शर्मा)	144
54.	पश्चिमी निमाड़ का स्वतंत्रता का समर - भीमा नायक के संदर्भ में (डॉ. अनिल पाटीदार)	147
55.	स्त्री के संघर्षों में शिक्षा की भूमिका (डॉ. गौरव विद्यार्थी)	149
56.	कामकाजी महिलायें और उनकी दोहरी भूमिका (श्रीमती संगीता बामने)	151
57.	स्वाधीनता की वाणी - 'हिंदी' (डॉ. तृष्णा शुक्ला)	154
58.	नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 : एक विश्लेषणात्मक विवेचन (डॉ. प्रमोद पंडित)	158
59.	संवेगात्मक रूप से अशांत बालक हेतु उपचार और शैक्षिक प्रावधान (डॉ. वर्षा तिवारी)	161
60.	मध्यप्रदेश में दुग्ध सहकारिता का विकास एवं दुग्ध संघ की प्रगति का विवरण (डॉ. गौरव विद्यार्थी)	164
61.	महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज (डॉ. मनीषा आमटे)	166
62.	भारत की 200 वर्षों की गुलामी के लिए मीर जाफर का योगदान (प्लासी के युद्ध के संदर्भ में) (डॉ. आकाश ताहिर)	168
63.	भारत में खाद्य सुरक्षा (डॉ. सुषमा सैनी)	171
64.	भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका (डॉ. विनोद राय)	175
65.	भील जनजातीय समाज में वधू-मूल्य से जुड़ी परम्परा (डॉ. मनीषा आमटे)	177
66.	राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर - असम राज्य के विशेष संदर्भ में (डॉ. जयप्रकाश व्यास)	179
67.	थारु जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन (कामिनी राना)	182
68.	पशुपालन व्यवसाय नव उद्यमियों के लिए स्वरोजगार का एक बेहतर विकल्प : एक अध्ययन (सन्नी यादव, डॉ. केशव मणि शर्मा)	184
69.	बाल अपचारिता संविधिक एवं न्यायिक दृष्टिकोण (डॉ. ज़ाकिर ख़ॉन)	187
70.	साइबर आतंकवाद विशेष संदर्भ- डाटा हैकिंग एण्ड ब्लैकमेल कारण एवं निवारण (डॉ. अश्विन लोया)	190
71.	देश के आर्थिक विकास में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान - एक समीक्षात्मक अध्ययन (गोरधन जाटव, डॉ. केशव मणि शर्मा)	193

72.	Long Journey for Little Feet: Forcibly Displaced Young Migrants and Refugees 198 (Dr. Anukriti Mishra)	198
73.	A Study of Personal loan Product of State Bank of India (Amreen Khan, Dr. Bhoj Raj Nalwaya) 201	201
74.	Yoga: An Ancient Approach for Health and Well-Being (Sachin Verma) 203	203
75.	How to Make Consumers More Protective Through the Consumer Protection Act, 2019 206 (Dr. Ashish Rawal)	206
76.	Effects of Multimedia on teaching learning: A Review (Dr. Sapna Mishra) 209	209
77.	Bio-based Fiber Reinforced Polymer Composites: Ecofriendly Materials 212 (Dr. Avinash Dube, Dr. Kumud Dubey)	212
78.	Online Teaching-Learning:Challenges and Recommendations (Dr. Uma Shrivastava) 215	215
79.	Study of Road Rage in Udaipur City, Rajasthan (Dr. Sabiha Khan, Dr. Rashmi Singh) 219	219
80.	Analysis of Consumer Behavior and Marketing (Dr. Balmukund Baghel) 223	223
81.	A Fixed Point Theorems For Probabilistic Densifying Mappings in Menger Spaces 226 (Dr. D.K. Sagar)	226
82.	Advantages and Future of Digital Marketing (Dr. Balmukund Baghel) 228	228
83.	Problems and Prospects of Tourism in Himachal Pradesh (A Case Study of Chamba District) ... 231 (Dr. Satish Soni)	231
84.	Banking Frauds in India: An Analysis of Causes and Impact 238 (Dr. Nandini Sengupta, Navya Menon, Pranav Khandelwal)	238
85.	Rise of Taliban and the State of Refugees (Garima Singh Parihar) 243	243
86.	राष्ट्रीय चेतना में समाज की भूमिका (कवीन्द्र सिंह बोरा)..... 247	247
87.	महाविद्यालयों पुस्तकालयों में सूचना संसाधन और सेवाओं के प्रति उपयोगकर्ताओं की जागरूकता का 249 अध्ययन (श्रीमति पूजा करैया, डॉ.राकेश कुमार खरे)	249
88.	महिला सशक्तिकरण की प्रासंगिकता (भारत के सन्दर्भ में) (प्रो. ममता कनेश) 253	253
89.	छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद (डॉ. मंशाराम बघेल) 256	256
90.	केन्द्रीय संग्रहालय इंदौर की हिंगलाजगढ़ वीथिका में प्रदर्शित प्रमुख प्रतिमाओं का कलात्मक विवेचन 258 (राजेश कुमार डोडिया)	258
91.	Environmental Significance of TiO ₂ Photocatalysis (Dr. David Swami) 262	262
92.	इक्कीसवी सदी की कहानियों में दलित विमर्श (डॉ.उमेश कुमार चरपे) 264	264
93.	हिंदी साहित्य में सफलता के सूत्र (डॉ. श्याम पाल मौर्य) 267	267
94.	जनजातियों का उद्भव और विकास (डॉ. भूरेसिंह सोलंकी, विजय कुमार गोरे) 270	270
95.	Effect of Various Source of Nutrients and Organic Manures on Growth and Yield of Wheat 272 Irrigated with Different Saline Water(Ganganagar Tehsil, District Sri Ganganagar of Rajasthan) (Rajender Singh, Dr. Harish Kumar)	272
96.	Work Life Balance (Dr. Seema Parveen Khan) 276	276
97.	Molecular Monitoring of Antifolates Resistance Among <i>Plasmodium Falciparum</i> Field 278 Isolates from Tribal Areas of Balaghat District in Madhya Pradesh (Megha Kumre)	278
98.	नए भारत के सूत्रधार : अटल बिहारी वाजपेयी (चन्द्रशेखर उसरेठे, पूनम उसरेठे) 285	285
99.	भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता अधिकार एवं सीमाएं (डॉ. रितु उमाहिया) 289	289
100.	फ्लोराईड युक्त पेयजल का किशोरियों के शारीरिक विकास एवं सामाजिक समायोजन में संबंधों का अध्ययन 293 (डॉ. मंजु शर्मा, किरण चौहान)	293
101.	मुरैना जिले में स्थित पहाड़गढ़ का किला एवं शैलाश्रय का कलात्मक अध्ययन 297 (साहब सिंह, डॉ. शुक्ला ओझा)	297
102.	Challenges in Implementation of NEP-2020 in Context of Academician and Students 299 (Dr. Pritibala Bhargava)	299
103.	Feminine Portrayals in Some of the Novels of Shashi Deshpande (Dr. Vishal Sen) 305	305
104.	Ageneralisationon Lipschitz Function for Sharper Estimates of Functions and Compare 307 them by the Method of the Summability (Dalendra Kumar Bhatt)	307
105.	स्वतंत्रता संग्राम में भील क्रांतिकारियों का योगदान (डॉ. रणजीतसिंह मेवाड़े) 309	309
106.	मान सिंचाई परियोजना द्वारा कृषि विकास (राजेश मुजाल्दा) 311	311

107. DNA Damage and Repair (Madhubala Rathore)	313
108. ग्रामीण पर्यटन में चुनौतियाँ एवं समाधान, पातालकोट के विशेष संदर्भ में (श्रीमती अर्चना साने)	316
109. वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की दशा एवं दिशा (डॉ. अरुणा पाठक)	318
110. स्त्री विमर्श और अंतर्विरोध (डॉ. बबीता यादव)	321
111. पंचाट और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2021 की विकासवादी समीक्षा (डॉ. नरेन्द्र शर्मा)	323
112. कार्यकारी महिलाओं का पारिवारिक अर्थव्यवस्था में योगदान : एक अध्ययन (डॉ. प्रमिला वाधवा, मनोज कुशवाह)	325
113. आधुनिकता के सन्दर्भ में छात्र-छात्राओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन (डॉ. रत्ना त्रिवेदी, श्रीमती आभा सिंघल)	328
114. उपभोक्ता ऋण देने में बैंकों का वर्तमान प्रचलन (डॉ. संजय पंडित, प्रो. रुक्मणी यादव)	331
115. Environmental Sustainability and Balance Growth (Mrs. Prabhati Amrawanshi)	333
116. पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण से महिलाओं की दशा में आये बदलाव का अध्ययन (श्रीमती नीता ठाकुर) ..	337
117. A Study on Gender Equality Through Sustainable Development (Nisha)	340
118. सेज पर संस्कृत: धार्मिक चक्रव्यूह में फंसी नारी (निधी सिंह, डॉ. रामेश्वर पांडेय)	343
119. लखनऊ शहर के विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों का अध्ययन (मीता श्रीवास्तव, डॉ. मंजु दुबे)	345
120. सामाजिक सुरक्षा से ग्रामीण समृद्धि (जुमान चौहान)	348
121. बौद्ध राजनीतिक चिन्तन: एक अध्ययन (डॉ. प्रदीप कुमार चतुर्वेदी)	350
122. भारत में विभिन्न समुदायों के बीच तलाक संबंधी कानून की भिन्नता एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	353
(डॉ. राम सिंह पटेल)	
123. Scenario and Tourism Advancement in Nimar Area of Madhya Pradesh	358
(Rupesh Akhepuria, Dr. Sunil More)	
124. सा केवल काव्य हेतु: इतियायावरीय: (डॉ. एस.एस. गौतम)	362
125. कोरोना महामारी का प्रभाव - एक अवलोकन (भारत के संदर्भ में) (डॉ. ज्योति सिंह)	364
126. An Effective Approach towards Women Empowerment (Case Study of Samaan Society	368
of Indore) (Dr. Pushplata Mishra)	
127. उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम: समस्याएँ एवं सुझाव (डॉ. रुपचंद चौहान)	373
128. भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन की दृष्टि से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका	377
(डॉ. गुरमीत सिंह भाटिया)	
129. नगर विकास में विकास प्राधिकरण के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन- जबलपुर एवं इन्दौर जिले के विशेष	378
संदर्भ में (लोकेश कुमार पटले, डॉ. राजकुमार गौतम)	
130. उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. के उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपरांत उद्यम प्रारंभ ...	381
करने वालों द्वारा उद्यम प्रारंभ करने की प्रक्रिया का अध्ययन (डॉ. रुपचंद चौहान)	
131. उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचनीय इतिहास : एक अध्ययन (डॉ. रेहाना शेख)	385
132. Right to Information Act and Good Governance: A Review	387
(Deepak Sharma, Dr. Naval Singh Rajput)	
133. Impact of Indian Accounting Standards on Financials of Listed Companies of	392
Madhya Pradesh (CA. Manish Borad, Dr. Purushottam Gautam)	
134. स्वतंत्रता पूर्व भारत की संवैधानिक व्यवस्था (डॉ. विनीता भालसे, डॉ. गिरधारीलाल भालसे)	397
135. सिंगल यूज़ प्लास्टिक (अंचल रामटेके)	399
136. Relevance of Myths (Dr. Rajkumari Sudhir)	401
137. समावेशी शिक्षा के प्रति विशिष्ट विद्यालयी शिक्षकों एवं समान्य विद्यालयी शिक्षकों की अभिवृत्ति का	403
तुलनात्मक अध्ययन (अरविन्द कुमार)	
138. मध्यकालीन भारत में बाल शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक अध्ययन (सत्या सिंह)	406
139. मानसिक स्वास्थ्य और सोशल मीडिया (राकेश रंजन)	408
140. भारत में विधिक सहायता का अधिकार एवं प्रवर्तन - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. लोक नारायण मिश्रा)	411
141. A Study of the Effect of Emotional Maturity and Academic Achievement of Students	415
of Secondary Level (Dr. Sapna Mishra)	
142. Significance and Analytical Facts of Insurance, Banking, and Financial Services Industry	418
(Dr. Preeti Anand Udaipure)	

143. अब तक की गठबन्धन सरकार में विपक्ष की भूमिका : एक आंकलन (डॉ. रुबीना बानो)	424
144. An Analytical Study of Live in Realtionship in India (Dr. Anuradha Tiwari)	428
145. Comparative Study on Capacity Building Programmes for in-Service Teachers in DIETs	432
(Dr. Uma Shrivastava)	
146. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर बहुमाध्यम उपागम के प्रभाव का अध्ययन	436
(सीमा सिन्हा)	
147. महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन (शालिनी कुमारी)	439
148. भारतीय सिनेमा के गलियारों में आहत आदिवासी उद्धार (कैलाश भाभोर)	443
149. Influence of Types of Hospital, Educational Qualification and their Interaction on	449
Personality Factor Q ₁ (Conservative Vs Experimenting) of Nurses (Dr. Anjali Pandey)	
150. भारत में माल एवं सेवाकर की चुनौतियां (डॉ. सुरेश श्रावण पाटील)	452
151. 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि और घटनाओं का सर्वेक्षण (डॉ. मधुसूदन चौबे)	454
152. पर्यावरण प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु पर्यावरण संबंधी कानून का अध्ययन (डॉ. प्रतिमा बनर्जी)	457
153. ज्योतिष योग और आयुर्वेद : एक अंतर्सम्बन्ध (हितेश कुमार)	459
154. Gender Equality Through Women's Participation in Decision Making (Dr. Santosh Kumari)	462
155. A Critical Study on Border Trade and Informal Economy Between India and China	466
at Nathula Pass, Sikkim (Mr. Jaimine Vaishnav, Dr. Rekha Mali)	
156. नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के ऐच्छिक कार्य (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)	469
(पवन जोशी, डॉ. अशोक वर्मा)	
157. चन्देरी का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व (राजकुमार अहिरवार, डॉ. ममता राजावत)	471
158. Pollution Problem of River Mandakini and Its Remedies (Mr. Nityanand Mishra)	473
159. Employability Skills of College Students of Indore (Aayush Kumar Sadram)	477
160. पूर्व मध्ययुगीन मालवा के परमार एवं उनकी शाखायें तथा वंशावली	480
(गुलाबराव डोंगरे, डॉ. श्रीमती विजेता चौबे)	
161. A Historical Investigation of the Recovery of Non-Performing Assets held by Commercial	482
Banks in India during the Years 2001–2013 (Anju Pandia, Dr. Purushottam Gautam)	
162. हिंदी विज्ञान कहानियों में कल्पना एवं यथार्थ की भूमिका (सविता देवी कुशवाहा, डॉ. वंदना अग्निहोत्री)	488
163. वीर रस सम्राट कवि भूषण (डॉ. जयराम त्रिपाठी)	490
164. Health Effects and Coping Strategies Among Children of Alcohol Dependent Parents	492
(Dr. Ravi Dalawayi)	
165. Non-Fund Based Income In Indian Banking Sector: A Comparative Case Study	495
(Priyanka Pamecha, Dr. L.N. Sharma)	
166. Effect of Certain Plant Oils Against Larvae of Lesser Grain Borer	498
<i>Rhizopertha dominica</i> (Fab.) (Leena Shrivastava)	
167. Role of Information and Communication Technology (ICT) in The Biodiversity Conservation	501
(Dr. Jolly Garg, Anant Kumar Garg)	
168. वागड़ की संस्कृति और लोकाचार के संदर्भ में भीलों के मेले और हाट बाजार	504
(जयदीप सिंह राठौड़, डॉ. नरेन्द्र सिंह राणावत)	
169. Quality Management of Drugs in the Treatment of Cancer (Dr. Aashish khimesara)	507
170. Effect of Organic Manures and Bio Fertilizer on Growth and Total Forage Yield of Japanese	509
Mint (<i>Mentha arvensis</i> L.) (Jaibir Tomar)	
171. To Study the Effect of Organic Manures and Bio Fertilizer on Physiological, Yield And Quality ..	513
of Japanese Mint (<i>Mentha Arvensis</i> L.) (Jaibir Tomar)	
172. Human Rights in Emergency (Dr. Kiran Yadav)	519
173. First Information Report in India (Dr. Saptmuni Dwivedi)	520
174. आधुनिक जीवन दर्शन और जम्भ वाणी (उषा देवी)	522
175. On Cyclic Group Generated by Structure Equation $F^{2k+1} + F = 0$ (Lakhan Singh)	526
176. भारतीय किसानों की कृषि सम्बन्धित समस्याएं (डॉ. पंकज कुमार जायसवाल)	528
177. भारतीय संविधान एवं आपातकाल के प्रावधान : संविधान के अनुच्छेद 356 के संदर्भ में भारतीय राजनीतिक ...	532
व्यवस्था का एक आलोचनात्मक अध्ययन (डॉ. शारदा नैण, वीना पाहूजा)	

178. आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले में उद्यमिता विकास की समस्याओं का अध्ययन 534 (सोनिका सुर्यवंशी, मोरे ताराचन्द अम्बर)	534
179. राजस्थान विधानसभा चुनाव- 2013 के मतदान व्यवहार का प्रदेश अनुसार तुलनात्मक विश्लेषण 536 (डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी)	536
180. पी. वी. नरसिम्हा राव : एक प्रशासक के रूप में (मोहित कुमार नायक) 540	540
181. Concept and Scope of White Collar Crimes: A Study (Dr. Priyanka) 543	543
182. जनजातीय आन्दोलन - गुर्जर आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में (अनिता टॉक) 547	547
183. भारत में कपास की कृषि (डॉ. श्यो चन्द बाकोलिया, डॉ. बिन्दिया सोनी) 550	550
184. भारत में निजी क्षेत्र के बैंको की भूमिका (डॉ. प्रवीण पंड्या) 554	554
185. स्वस्थ मृदा से स्वस्थ भारत का विकल्प - जैविक कृषि(डॉ. पन्नालाल कटारा) 556	556
186. चुनाव प्रणाली - दोष और उपाय (भारत के संदर्भ में) (डॉ. मंजु मीणा) 560	560
187. The Effects of Microwave on Human Foods (Dr. Punita Chordia) 563	563
188. हंस गीता में योग परंपरा (उर्मिला मीना) 565	565
189. मगध का उत्कर्ष एवं विभिन्न वंशों का योगदान (हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के विशेष सन्दर्भ में) 568 (मुकेश चन्द)	568
190. Impact of Migration on Housing Conditions of Migrant Households : A Case Study 571 Of Dawoodi Bohras of Udaipur City (Dr.Shagufta Saify)	571
191. आधुनिक भारत में दलित अनुभव (डॉ. अंजली जयपाल) 576	576
192. Sustainable Finance: Tracing the Evolution and Forging the Future (Dr. Shweta Tiwari) 579	579
193. मुक्तिबोध का काव्य शिल्प : नवीनता का दृष्टिपात (डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी) 587	587
194. मुर्गी (कुक्कुट) पालन का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (आबिद हसन खान, कैशर परवीन) 589	589
195. आदिवासी व गैर आदिवासी एथलीट्स में प्रतिस्पर्धात्मक भावना (डॉ. भूपेन्द्र सिंह चौहान, वरुण सिंह देवड़ा) .. 594	594
196. Pregnancy and Physical Activity: Balancing Health, Fitness and Wellbeing (Dr. Mamta) 597	597
197. Higher Education in India: Issues and Challenges (Dr. Shikha Yadav) 600	600
198. हिंदी साहित्य : स्त्री- दलित सशक्तिकरण के द्वंदात्मक प्रतिबिंब (प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर) 602	602

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur	- Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar	- Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu	- Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi	- Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara	- Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav	- Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas	- Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey	- Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani	- HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam	- HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare	- Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare	- Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhyay	- Exam Controller, Govt. Kamalraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma	- Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav	- Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain	- Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse	- Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
18. Prof. Dr. Vandna Jain	- Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar	- Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi	- Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav	- HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre	- Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya	- Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel	- Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary	- Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra	- Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma	- Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam	- Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai	- Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare	- HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta	- Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad	- HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra	- HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar	- Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu	- Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson	- Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur	- Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit	- M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav	- Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat	- Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain	- O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi	- Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey	- Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel	- Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar	- Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra	- Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt	- Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma	- Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand	- HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani	- HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel	- HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey	- HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary	- Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan	- Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao	- Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava	- Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa	- Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain	- Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav	- Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya	- Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam	- Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta	- HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta	- Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey	- HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

Referee Board

Maths	-	(1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science	-	(1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
		(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statistics	-	(1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
***** Commerce *****		
Commerce	-	(1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4) Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
***** Management *****		
Management	-	(1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Administration	-	(1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
***** Law *****		
Law	-	(1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
		(3) Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
		(4) Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
***** Arts *****		
Economics	-	(1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

-
Hindi	-	(1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.) (2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) (3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.) (4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.) (5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.) (2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) (2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.) (2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) (2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.) (2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) (3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.) (2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
***** Home Science *****		
Diet/Nutrition Science	-	(1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.) (2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.) (3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development	-	(1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.) (2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) (2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
***** Education *****		
Education	-	(1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka) (2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.) (3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab) (4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana) (5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
***** Architecture *****		
Architecture	-	(1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
***** Physical Education *****		
Physical Education	-	(1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.) (2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.) (3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
***** Library Science *****		
Library Science	-	(1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)
-

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Guidance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gargade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone (M.P.)

Photochemical Smog

Dr. Malti Dubey (Rawat) *

*Associate Professor (Chemistry) Govt. Auto. P.G., Girls College of Excellence, Sagar (M.P.) INDIA

Abstract - A Photochemical smog is the chemical reaction of sunlight, nitrogen oxides and volatile organic compounds in the atmosphere, which leaves airborne particles called particular matter and ground level ozone. Smog is a problem in a continues to harm human health. Photochemical Smog is capable of inflicting irreversible damage on the lungs and heart. The severity of smog is often measured using automated optical instruments such as nephelometers. Photochemical smog depends on primary pollutants as well as the formation of secondary pollutants the developing smog is usually toxic to humans and can cause severe sickness, a shortened lif span or premature death. Everyone can do their part to reduce smog by changing a few behaviors, such as - drive less, Fuel up during the Cooler hours of the day night or early morning, Avoid products that release high levels of VOCs, Avoid gas – powered yard equipment, like lawn mowers. Reduction of ozone, aerosole and other secondary pollutants by controlling both HC and NO/subx/ would help control photochemical smog.

Keywords - Smog, Pollutants, Tropospheric Ozone, Volatile Organic Compounds (VOCs).

Introduction - Smoke fog or smog for short is a type of intense air pollution. The word “Smog” was coined in the early 20th and is concentration of the words smoke and to refer to smoky fog due to it opacity and odor. Photochemical Smog is a mixture of pollutants that are formed when nitrogen oxides and Volatile Organic Compounds (VOCs) react to sunlight, creating a brown haze above cities. It tends to occur more often in summer, because that is when we have the most sunlight.

A Photochemical smog is the Chemical reaction of sunlight, Nitrogen Oxides (NO_x) and Volatile Organic compounds (VOCs) in the atmosphere, which leaves airborne particles and ground level ozone.

Photochemical smog has a number of negative effects on the environment and human beings. The chemicals contained within it, when combined with hydrocarbons, form molecules which cause eye irritation. The atmospheric radicals interfere with the nitrogen-cycle by stopping ground level ozone from being eliminated.

Causes of Photochemical Smog: this type of air pollution is formed though the reaction of solar radiation with airborne pollutants like Nitrogen Oxides and Volatile Organic Compounds. These compounds which are called primary pollutants are often introduced into the atmosphere through automobile emissions and industrial process. Ultraviolet light can split nitrogen dioxide into nitric oxide and monoatomic oxygen. This monoatomic oxygen can then react with oxygen gas to form ozone. Products like ozone, aldehydes and Peroxyacetyl nitrates are called secondary pollutants. The mixture of these primary and secondary

pollutants forms photochemical smog.

Both the primary and secondary pollutants in photochemical smog are highly reactive. These oxidizing compounds have been linked to a variety of negative health outcomes, ozone, for example is known to irritate the lungs.

Main components of Photochemical smog: The Main components of Photochemical smog are:

1. Nitrogen Oxides
2. Volatile Organic Compounds (VOCs)
3. Tropospheric Ozone
4. PAN (Peroxy acetyl nitrate)
5. Aldehydes

Chemical reaction of Photochemical smog: The following substances are identified in Photochemical smog:

1. Nitrogen dioxide (NO₂) from Vehicle exhaust is Photo-lyzed by ultraviolet (UV) radiation from the sun and decomposes into nitrogen oxide (NO) and oxygen radical-

$$\text{NO} + h\nu \rightarrow \text{NO} + \text{O}^* \quad - (1)$$
2. The oxygen radical then reacts with an atmospheric oxygen molecule to create ozone (O₃)

$$\text{O}^* + \text{O}_2 \rightarrow \text{O}_3 \quad - (2)$$
3. Under normal conditions, O₃ reacts with NO, to produce NO₂ and an oxygen molecule

$$\text{O}_3 + \text{NO} \rightarrow \text{O}_2 + \text{NO}_2 \quad - (3)$$

This is a continual cycle that leads only to a temporary increase in net ozone production. To create photochemical smog on the scale observed in Los Angeles, the process must include Volatile Organic Compounds (VOCs)

4. VOCs react with hydroxide in the atmosphere to create water and a reactive VOC molecule



5. The reactive VOC can then bind with an oxygen molecule to create an oxidized VOC



6. The Oxidized VOC can now bind with the nitrogen oxide produced in the earlier set of equations to form nitrogen dioxide and a reactive VOC molecule



In the second set of equations, it is apparent that nitrogen oxide produced in equation 1 is oxidized in equation 6 without destruction of any ozone. This means that in the presence of VOCs equation 3 is essentially eliminated leading to a large and rapid buildup in the photochemical smog in the lower atmosphere.

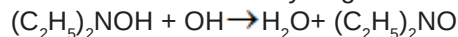
Health effects: Photochemical smog is capable of inflicting irreversible damage on the lungs and heart. Even short term exposure to photochemical smog tends to have ill effects on both the young and the elderly. It causes painful irritation of the respiratory system, reduced lung function and difficulty breathing. This is more evident while exercising or working outdoors. High levels of smog also trigger asthma attacks because the smog causes increased sensitivity to allergens, which are triggers for asthma.

Affected People: People with preexisting health problems are sensitive to Ozone. Children, the elderly and people with poor lung function carry a far greater risk of developing respiratory illness from photochemical smog than healthy adults.

Effects on Environment: Photochemical Smog has devastating effects on the environment. The collection of chemicals found in Photochemical smog causes problems for plants and animal life. Ground level Ozone also can interfere with the growth and productivity of trees.

Inhibition of Photochemical Smog: Photochemical smog is caused by a free-radical chain mechanism which converts NO to NO₂. The NO₂ further reacts to produce ozone, nitric acid and peroxy nitrates. This chain mechanism can be inhibited by suitable free radical scavengers. The chemistry and toxicology of one such free-radical scavenger diethylhydroxylamine has been effective, safe and practical for use in urban atmospheres to prevent photochemical formation.

Addition of only 3m torr of this compound to propylene – NO – O₂ mixture with a total pressure of 100 torr completely inhibits the oxidation of NO to NO₂ while addition of 2.5m torr results in 50% inhibition. Apparently inhibition results from radical abstraction of hydrogen



DEHA is a volatile liquid with mild odour. So far it has proved to be a non-toxic and non-mutagenic.

Control of Photochemical Pollutants: Control of photochemical smog is to minimize the release of oxides of nitrogen and hydrocarbons to the atmosphere. Today the techniques like incineration, absorption, adsorption and condensation are devised to control hydrocarbon emissions from stationary sources.

By choosing renewable energy it helps in the reduction of emissions, and trims down the presence of smog.

The best way to reduce smog is to take the lead in managing gaseous emissions from cars and industries.

The use of household products that have high levels of volatile organic compounds should be completely avoided.

Reduction in consumption means less production of material things and reduced use of resources and fossil fuels that lead to less air and smog pollution.

References:-

1. B. Everett, G. Boyle, S. Peak and J. Ramage, "in Penalties: assessing the Environmental and health impacts of Energy use" in Energy systems and sustainability, 2nd ed, Oxford, UK: Oxford, 2013, ch.13, PP. 543.
2. G. Tyler Miller, Jr and D. Hackett, "Photochemical and Industrial Smog" in Living in the Environment, 2nd ed. USA: Nelson, 2011, ch20, Sec3, PP. 465-471.
3. "Smog-causes" The Environment A Global challenge, Retrieved 25 Oct. 2013.
4. D.V. Bates, G.M. Bell, C.D. Burnham, et al. short term effects of ozone on the lung. Journal of Applied Physiology. 32. 176-181 (1976).
5. Godish, thad. Air Quality. 4th ed. Florida : CRC Press LLC, 2004.
6. E.T. Wilkens. Air pollution and the London Fog of 1952. Journal of the Royal sanitary institute 74.1-22 (1956).

Studies on 'Refractive Index' and 'Density' of Organo Phosphorus Pesticides in Water

Arvin Panwar* Umendra Kumar** Manisha***

*Department of Chemistry, S.D. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

**Department of Chemistry, Janta Vedic College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

***Department of Chemistry, D.A.V. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

Abstract - Density and Refractive index of organo phosphorus pesticides (Methamidophos, Acephate, Omethoate, Dichlorvos) in water have been determined at different temperatures (308 – 323 K). Refractive index and density data have been analysed using various equation and it has been concluded that solute-solvent interaction occurs in pesticide solution in water. The study of solute-solvent interaction in the present investigation is of great importance in biological chemistry, physical chemistry, environmental chemistry and geo-chemistry. It is used over a wide area means extremely in industries to make pesticides and pharmaceuticals and also used as an intermediate in the production of chemicals.

Introduction - Refractive index and density data has been used to study the solute-solvent interaction [1-5]. The present paper deals with the study of Refractive index and density of these pesticides in water in order to have better understanding of their solutions.

Experimental: The organo phosphorus pesticides (Methamidophos, Acephate, Omethoate, Dichlorvos) were obtained from Hindustan Insecticides Limited Gurgaon (Haryana), India. The conductivity water was prepared by distillation (alkaline KMnO_4).

Their purity was confirmed by melting point/boiling point measurements: Methamidophos (M.P-317.65K), Acephate (M.P-361.15-363.15K), Omethoate (M.P-380.15K) and Dichlorvos (B.P-507.15K). The refractive indices of liquids with and without organo phosphorus pesticide were measured by Abbe's refractometer at constant temperature ($35 \pm 0.05^\circ\text{C}$ with ordinary light. The accuracy was found to be ± 0.0002 .

The densities were measured by using dilatometer, made of pyrex glass having a reservoir volume of 15 cm^3 . The measuring section was constructed of precisely bored graduated capillary. The dilatometer was calibrated using conductivity water and the accuracy $\pm 0.0002 \text{ g cm}^{-3}$ of measurements was checked by using test solutions of known density.

Results And Discussion:

Refractive Index: The refractive index, n (Table 1) of pesticide solutions increases with increase in pesticide concentration. The plots of n versus C are linear (Fig. 1). The refractive index data have been analysed using Lorentz-Lorenz equation. The molar refraction of the solution $[R]$ of molecules which do not interact with each other, is

expressed by Lorentz-Lorenz equation :

$$[R] = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \cdot \frac{M_1 X_1 + M_2 X_2}{d}$$

Where n and d are the refractive index and density, respectively of the pesticides solutions. X_1 and X_2 are the mole fraction and M_1 and M_2 are the molecular weight of the solvent and the pesticide in the solution respectively. Molar refraction of the solution $[R]$ is also expressed by an equation:

$$[R] = X_1[R]_1 + X_2[R]_2$$

where $[R]_1$ and $[R]_2$ are the molar refraction of the solvent and pesticide respectively. The values of $[R]_2$ (Table 1) have been calculated using refractive index and are found to vary too much with pesticide concentration showing pesticide-solvent interaction. The value of $[R]_2$ decreases too much with increase in pesticide concentration which shows greater pesticide-solvent interaction. It is observed that the values of $[R]_2$ increases in molecular weight of pesticide.

Table 1 (see in last page)

Density: The density, ' d ' (g cm^{-3}) of pesticide solutions increase with increase in concentration and decrease with increase in temperature. The results have been explained in terms of Roots equation [6]. The d vs. C plots are linear. The extrapolated values of density, d_0 , are in close agreement with the experimental values of density of water at different temperatures. The densities increase with increase in molecular weight of pesticide.

The $(d - d_0)/C$ vs. $C^{1/2}$ (Fig. 2) are linear. The values of intercept, A , and slope, B , have been calculated from the intercepts and slopes of the linear plots. The value of constant, ' A ' (Table 2) decreases with increase in

temperature but increase with increase in molecular weight of pesticide. The constant, 'B' (Table, 2) decrease with increase in temperature due to thermal effects and also increases with increase in molecular weight of pesticides. The values of ϕ_v increases with increase in pesticide concentration and temperature. Various factors such as solvation of amphiphilic solutes, nature of ionic head groups and length of non-polar of amphiphilic molecules contribute to ϕ_v values and may affect the volume differently and to a different extent. The change in apparent volume is governed by all these factors. The plots of ϕ_v vs. $C^{1/2}$ (fig. 3) for these pesticides are linear. The limiting apparent molar volume's ϕ_v^0 and experimental slope S_v have been obtained from intercepts and slopes of linear plots. The temperature dependence of ϕ_v^0 (7) is given by $\phi_v^0 = a + bT + cT^2$, where 'T' is temperature expressed in Kelvin and a,b,c are constants. The values of ϕ_v^0 (Table 2) are positive and increase with increase in temperature and increase with increase in molecular weight of pesticide. The values of S_v (Table 2) decrease with increase in temperature and increase with increase in molecular weight of pesticides. Density, Viscosity and Ultrasonic velocity studies of aqueous sodium-propionate and the binary mixtures at different temperature have been measured [8, 9]. Study of solute-solvent interaction of monochlorophos pesticide have been measured with aqueous organic solvents [10].

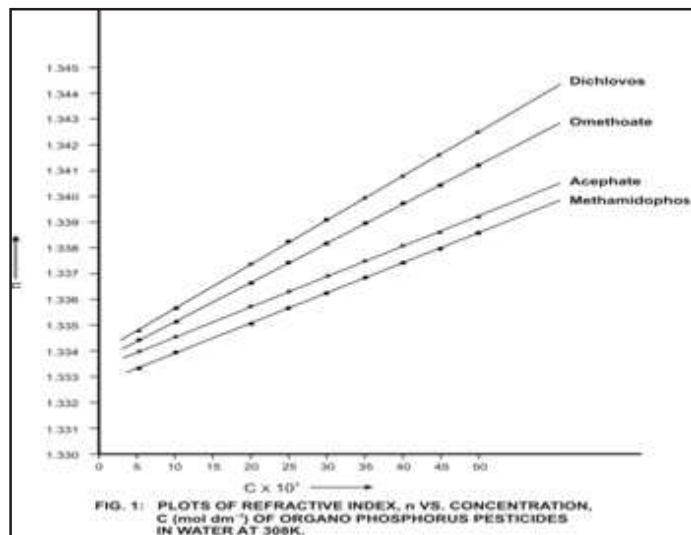
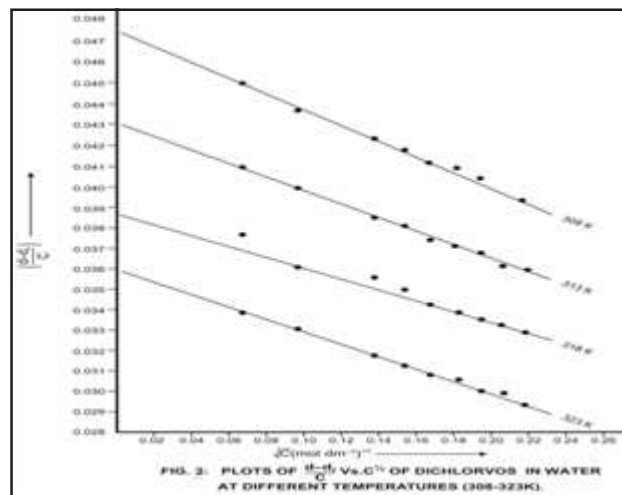
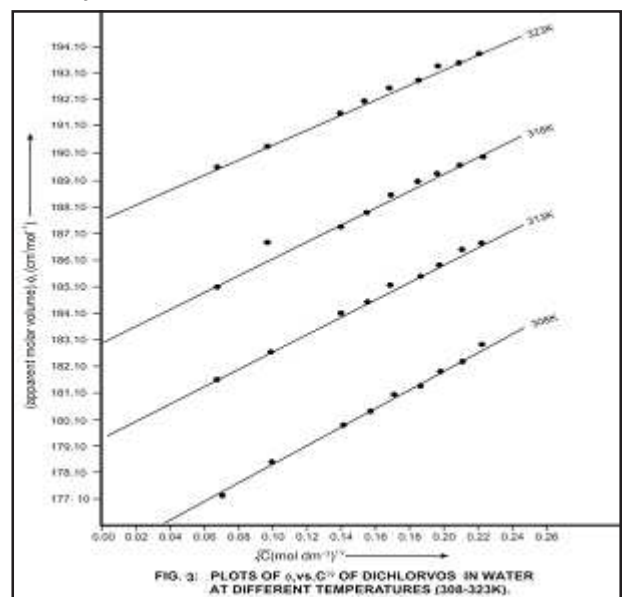


Table 2 (see in last page)



Acknowledgement: The authors would like to thank to Principal, D.A.V. (P.G.) College, Muzaffarnagar for his help and support and also to the college authorities for providing laboratory facilities.



References:-

1. Gopal, R., Agarwal, O.K. and Kumar, R., Z-Physid Chemic, M.f. 84, 141 (1973).
2. Blokhra, R.L. and Varins. P.C., J. Indian Chem. Soc., 54, 1129 (1971).
3. Varma, R.P., Bhatnagar, B.B. and Singll, A., Revue-Roumaine De Chemic, 33, 3, 305-311 (1980).
4. Kysilka, J.O. and Dahl, R.L., Eur. Pat. Appl. EP 116, 749, 29 Aug. (1984), U.S. Appl. 467, 943, 18 Feb. (1983).
5. Bose, A.N. and Dixit, V.K., Kolloid-Z, 162,116 (1959).

6. Root, W.C., J. Amer. Chem. Soc., (USA), 55, 850 (1933).
7. Kant, So and Kumar K. : J. Indian Chem. Soc. 85, 1098 (2008).
8. Patil, K.C. and Manusmare, Priyanka, Journal of Applicable chemistry, Vol. 8(3), PP 1385-1393, (2019).
9. Venkatalakshmi, V. Gowrisankar, M. Venkateswarlu, P. and Reddy, K.S., International Journal of Physics and Research, Vol. 3, PP 33-44, (2013).
10. Yadav, Reena, Chaudhary, H.S., Singh, Rahul, Pandita, Prarina, Asian Journal of Chemistry, Vol. 23(5), PP 2137-2140, (2011).

Table 1: Refractive indices of organo phosphorus pesticides in water at 308K

Conc. (mol dm ⁻³)	Methamidophos		Acephate		Omethoate		Dichlorvos	
	n	[R] ₂	n	[R] ₂	n	[R] ₂	n	[R] ₂
0.005	1.3334	126.2831	1.3340	193.5577	1.3344	247.9604	1.3348	292.1341
0.010	1.3340	137.4189	1.3346	160.0834	1.3352	202.4310	1.3357	236.1862
0.020	1.3351	115.3051	1.3358	126.6689	1.3366	164.4424	1.3374	186.5610
0.025	1.3357	113.2360	1.3363	122.2542	1.3374	158.6608	1.3384	176.6858
0.030	1.3362	108.1491	1.3370	119.5133	1.3382	151.3246	1.3392	170.2138
0.035	1.3369	107.6233	1.3375	117.4926	1.3390	146.0856	1.3400	165.5841
0.040	1.3374	104.5488	1.3382	116.1806	1.3398	147.6954	1.3408	162.2094
0.045	1.3380	104.4331	1.3386	112.3077	1.3404	144.0449	1.3416	159.5792
0.050	1.3386	102.7386	1.3392	111.6067	1.3412	143.3519	1.3425	150.9047

Table 2 : The values of A, B, ϕ_v^0 and S_v from density data of organo phosphorus pesticides in water at different temperature (308-323 K).

Temp (K)	A (Intercept)	-B (Slop)	ϕ_v^0 (Intercept)	+S _v (Slope)
METHAMIDOPHOS				
308	0.0302	0.0240	111.72	21.96
313	0.0274	0.0203	114.52	20.72
318	0.0246	0.0173	116.82	19.89
323	0.0228	0.0153	119.76	17.82
ACEPHATE				
308	0.0392	0.0312	145.02	28.51
313	0.0356	0.0263	148.66	26.89
318	0.0319	0.0225	151.65	25.82
323	0.0296	0.0198	155.46	23.13
OMETHOATE				
308	0.0431	0.0341	159.16	31.29
313	0.0391	0.0289	163.16	29.52
318	0.0351	0.0247	166.43	28.34
323	0.0325	0.0218	170.62	25.39
DICHLORVOS				
308	0.0474	0.0376	175.00	34.41
313	0.0430	0.0318	179.40	32.46
318	0.0386	0.0272	183.00	31.16
323	0.0358	0.0240	187.60	27.92

Antimicrobial-Antifungal Activity & Phytoconstituents of Maidenhair Fern - A Review

Sabahat Anjum Qureshi *

* Department of Chemistry, Government College, Chourai, Chhindwara (M.P.) INDIA

Abstract - Maidenhair fern is an important endangered species which belongs to pteridaceae family. Due to presence of a lot of secondary metabolites it exerts medicinal properties such as Antidiabetic, Antipyretic, Analgesic, Hypoglycemic, Antimicrobial, Antifungal, Anti-inflammatory, Antioxidant, Antilithiastic, Neuro-pharmacological activity, Hypocholesterolemic, Anti obesity, Anti thyroidal, Antispasmodic, Antiasthmatic, Anti-nociceptive, Antiproliferative and many other effects. The present review will highlight the antimicrobial properties and antimicrobial chemical constituents of Maidenhair fern.

Keywords- *Adiantum capillus veneris*., Antimicrobial and antifungal phytoconstituents, Chemical constituents.

Introduction - Plants have been used since ancient times for the treatment of common and serious diseases[1,2]. Different parts of different plants have different medicinal properties such as antifungal, antibacterial, antiviral, antitumor, anticarcinogenic, antidepressant, antioxidant and anti-inflammatory [1,3-8]. There are many plants whose medicinal properties have been studied extensively while various plants whose medicinal properties have not been studied much and studies are going on even today[1].

Maidenhair fern is the member of pteridaceae family[9]. It has long history of medicinal use. It is widely distributed plant all over the world[10]. It has been used as traditional medicine for treatment of various diseases in Iran[8]. It is also used as source of food materials. Its scientific name is *Adiantum capillus veneris*[10].

Common Names - It is commonly known as Hansraj, Pursha (Hindi), Hansaaraja (Ayurvedic), Maidenhair fern, Maria's fern, Our lady's hair (English), Frauenhaar (German), Adiantum (Russian), Baldi rikara (Turkish), Shaar-ul-jin, Kuzburat-el bir (Arabic), Dumtuli (Kashmiri), Hanspadi (Gujrati) and Barsioshan, Kazbaratul ber (Unani), and Avenca (Portuguese)[11-14].

Scientific classification - Kingdom: Plantae, Clade: Tracheophytes, Division: Pteridophyta, Class: Pteridopsida, Order: Pteridales, Family: Pteridaceae, Genus: *Adiantum*, Species: *Adiantum capillus veneris*. [11,13,15]

Climatic Conditions - The herb is commonly grown in warm tropical climates with high moisture content. It grows in shady and damp places. It is a woody herb blackish brown in colour. The plant has an aromatic fragrance. It has creeping rhizomes and double rowed, tender and glabrous fronds which can grow up to 50cm long[1,16].

Geographical Distribution - The native place of fern is

America but the plant is geographically distributed in various regions such as Asia (India, China, Iran, Japan, Malaysia, Afghanistan, Myanmar, Nepal and Sri Lanka), Southern Europe, Central to South America, Australia and Africa. In India fern is distributed in Western Ghats of Himalaya, Kashmir, Mussoorie, Punjab, Bihar, South India, Maharashtra and Manipur[16].

Traditional Uses - The plant was one of the most common species for medicinal use as well as for nutritive purposes. It can be used as single medicine individually or in multi herbal formulations for the treatment of various diseases[9-11].

Adiantum species has been used in treatment of cough, cold (as expectorant), hepatitis, cold fever, coryza, chest pain, piles, wounds, hydrophobia, headache, kidney dysfunction, antipyretic for children, pyrexia, liver and spleen tumors, cutaneous diseases, bronchial diseases and as purgative, stimulant, emollient, demulcent and as hair tonic, gastrointestinal disorders such as diarrhea, jaundice and abdominal cramps. It has been also used in removal of kidney stone and renal stone due to its diuretic nature. The fern is also beneficial in treatment of alcohol toxicity and in treatment of diabetes mellitus. It has been also used to regulate menstruation cycle and dysmenorrhea and as cardio tonic and cardiac stimulant. In addition to this the dried fronds were used to make tea and to garnish sweet dishes[9-11].

Medicinal Parts - The medicinal parts of plant are dried fronds, dried herbs with rhizomes and roots[11,17].

Biologically Active Compounds - *Adiantum capillus veneris* contains a lot of alkaloids and biologically active compounds such as flavonoids, triterpenes, aoleananes, phenyl propanoids, carbohydrates, carotenoids, and many

other chemicals of significant therapeutic properties[9,11]. Many terpenoids 21-hydroxy adiantone triterpenoid epoxide, Fern-9(11)-en-12-one, isoadiantone, isoglauconone, hdoxyhopane, isoadiantol, hydroxyadiantone, olean-12-en-3-one, olean-18-en-3-one, fern-9(11)-ene, fern-9(11)-en-28-o, pteron-14-en-7a-ol, 7-fernene were isolated from herb.

Four sulphate esters of hydroxycinnamic acid sugar derivatives were isolated from herb.

The leaves of herb was reported to contain flavonoids like rutin, quercetin, isoquercitrin, naringin, astragalin, populnin, kaempferol-3-sulphate[11].

Antimicrobial and Antifungal Phytoconstituents -

Previous studies have reported that methanolic extract of plant was allowed to analyse via Gas chromatography and Mass spectroscopy consequently different parts of *Adiantum capillus veneris* were reported to contain different antimicrobial compounds as 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol (Antibacterial), Acetic acid, 3,7,11,15-tetramethyl-hexadecyl ester (Antibacterial), Tetracontane (Antiviral (HIV), Antibacterial), Di-n-octyl phthalate (Antibacterial), Docosane (Antimicrobial, Antibacterial), 1,2-Benzene dicarboxylic acid, butyloctyl ester, phthalic acid, butyloctyl ester (Antimicrobial, Antifungal), Hexadecanoic acid, ethyl ester (Antibacterial, Antifungal) and 9-Octadecenoic acid (Antibacterial) [9].

Antimicrobial And Antifungal Activity - In vitro assessment of methanolic extract of plant by Hussein et al describes presence of antifungal phytoconstituents in maidenhair fern. Phytoconstituents present in methanolic extract were responsible for antifungal activity against fungi such as *Aspergillus niger*, *Aspergillus terreus*, *Aspergillus flavus* and many other[18].

In a research phenolic extract of plant gametophyte and sporophyte was assessed for antibacterial activity. The research describes more susceptible nature of Gram positive bacterial species such as *Bacillus subtilis* towards phenolic extract of plant [16,19].

In other research antibacterial activity of methanolic extract of maidenhair fern was evaluated by disc diffusion method. Methanolic extract of plant displayed antibacterial activity against *Vibrio cholerae*, *Staphylococcus aureus*, *Proteus vulgaris*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhi* and other multidrug resistant bacterial strains.[16,20].

In other research methanolic extract of leaves, stems and roots of different *Adiantum* species displayed potent antibacterial as well as antifungal properties[20].

In a research antibacterial activity of methanolic extract of aerial part of *Adiantum capillus veneris* has been proven against *Bacillus*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus*, *Proteus*, *Candida* and *Pseudomonas*[11,21].

Previous studies has proven antiviral activity of ethanolic extract of maidenhair fern rhizome against Vesicular stomatitis[11,22].

In other research broad antibacterial activity of

methanolic extract of *Adiantum capillus veneris* also proven against some strains of Gram positive bacteria such as *Staphylococcus aureus*, some Gram negative bacterial strains and against some fungal strains[11,23].

In a research antibacterial activity of aqueous and alcoholic extracts of leaves of *Adiantum capillus veneris* has been proven against bacterial strains such as *Agrobacterium tumefaciens*, *Escherichia coli*, *Salmonella arizonae*, *Staphylococcus aureus* etc[11,24].

Contradictions - No side effects of herb are known with designated dose. But some studies show that it can lowered blood sugar level therefore people with diabetes mellitus should avoid intake of herb. The intake of maidenhair fern is also not suggested during pregnancy due to its anti-implantation nature[11].

Conclusion - *Adiantum capillus veneris* is widely distributed herb with various bio active chemical constituents which are of therapeutic uses for a variety of diseases as well as for microbe infectious diseases. There is great scope for development of novel drugs from *Adiantum capillus veneris* for the treatment of human diseases due to its effective nature.

References :-

1. Falah Saleh Mohammed, Mustafa Sevindic, Celal Bal, Hasan Aakgul and zeliha Selamoglu (2019) Biological activities of *Adiantum capillus-veneris* collected from duhok province (Iraq) 28(2):128-142.
2. Devasagayam TPA, Tilak JC, Bloor KK, Sane KS, Ghaskadbi SS, Lele RD (2004). Review: Free radicals and antioxidants in human health. *Journal of the Association of Physicians of India* 52:794-804.
3. Talib W, Mahasneh A (2010). Antiproliferative activity of plant extracts used against cancer in traditional medicine. *Scientia Pharmaceutica* 78(1): 33-46.
4. Mostafa AA, Al-Askar AA, Almaary KS, Dawoud TM, Sholkamy EN, Bakri MM (2018). Antimicrobial activity of some plant extracts against bacterial strains causing food poisoning diseases. *Saudi Journal of Biological Sciences* 25(2): 361-36.
5. Tian Y, Puganen A, Alakomi HL, Uusitua A, Saarela M, Yang B (2018). Antioxidative and antibacterial activities of aqueous ethanol extracts of berries, leaves, and branches of berry plants. *Food Research International* 106: 291-303.
6. Kiran K, Saleem F, Awan S, Ahmad S, Malik A, Akhtar B, Raza M, Peerzada S, Sharif A (2018). Anti-inflammatory and anticancer activity of *Pteris caerulea* whole plant extracts. *Pakistan Veterinary Journal* 38(3): 225-230.
7. Oliveira MSD, Gontijo SM, Teixeira KIR, Takahashi JA, Millan RDS, Segura MEC (2018). Chemical composition and antifungal and anticancer activities of extracts and essential oils of *Schinus terebinthifolius* Raddi fruit. *Revista Fitos. Rio de Janeiro* 12(2): 135-146.

8. DehdalS, Hajimehdipoor H (2018). Medicinal properties of *Adiantum capillus veneris* Linn. In traditional medicine and modern phytotherapy: A review article. Iranian Journal of Public Health 47(2): 188.
9. Chhaya Singh, Neha Chauhan, Sushil KumarUpadhyay and Raj Singh (2020). Phytochemistry and Ethnopharmacological study of *Aadiantum capillus-veneris* L. (maidenhair fern). Plant Archives 20(2): 3391-3398.
10. Saqlain Haider, Syed Nazreen, Mohammad Mahboob Alam, Amit Gupta, Hinna Hamid, Mohammad Sarwar Alam (2011). Anti-inflammatory and anti-nociceptive activities of ethanolic extract and its various fractions from *Adientum capillus veneris* Linn. Journal of Ethnopharmacology 138: 741-747.
11. Ali Esmail Al-Sanfi (2015). The chemical constituents and pharmacological effects of *Adiantum capillus-veneris*- a review. Asian Journal of Pharmaceutical Science & Technology 5:106-111.
12. Tropical plants database, Avenca, (*Adiantum capillus veneris*), <http://www.rain-tree.com/avenca.htm#U1Ea71WSzNM>, 2013.
13. Ahmed A, Nasreen J, Abdul Wadud HI and Sayeda Hajra AB. Phytochemical and biological properties of *Adiantum capillus-veneris* Linn: An important drug of Unani system of medicine . ijcr, 4(21), 2012,71-75.
14. Kirtikar KR and Basu BD. Indian medicinal plants with illustration. 2nd ed . Dehradun, International Book Distributors, 11,2003,3747-3749.
15. Natural resource conservation service, USA Dept. of Agriculture, www.usda.gov/java/namesearch, 2012.
16. Sahar Dehdari, Homa Hajimehdipoor (2018). Medicinal Properties of *Adiantum capillus veneris* Linn. In Traditional Medicine and Modern Phytotherapy:A Review Article. Iran J Public Health 47(2): 188-197.
17. Al-Snafi AE. Encyclopedia of the constituents and pharmacological effects of Iraqi medicinal plants. Thi qar University, 2013.
18. Md Nazim, Dr.Mohd Aslam, Shahid Shah Chaudhary 2018. Hansraj (*Adiantum capillus veneris*) : A Review. Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 8(5-s):105-109.
19. Guha P, Mukhopadhyay R, Pal PK, Gupta K (2004). Antimicrobial activity of crude extracts and extracted phenols from gametophyte and sporophytic plant parts of *Adiantum capillus-veneris* L.Allelopath J, 1:57-66.
20. Medrar Hussain, Ahmad B, Rashid E et al (2004). In vitro antibacterial activity of methanol and water extracts of *Adiantum capillus-veneris* and tagetes patula against multidrug resistant bacterial strains. Pak J Bot, 46(1):363-68.
21. Mahmoud MJ Jawad AL, Hussain AM, Al-Omari M and Al-Naib A. In vitro antimicrobial activity of *Salsola rosmarinus* and *Adiantum capillus-veneris*. Int J of Crude Drug Research,27,1989,14-16.
22. Singh M, Singh N, Khare PB and Rawat AKS .Antimicrobial activity of some important adiantum species used traditionally in indigenous systems of medicine . J Ethnopharmacol ,115, 2008,327-329.
23. Husson GP, Vilagines R and Delaveau P. Research into the antiviral properties of some natural extracts. Ann Pharm Fr, 44, 1986, 41-48.
24. Pradeep P, Leena P and Bohra A. In vitro antibacterial activity of fronds (leaves) of some important pteridophytes. Journal of Microbiology and Antimicrobials, 2(2), 2010,19-22.

Green Marketing: An Important Tool for Growth in Manufacturing Industries

Dr. Rupesh Pallav *

*Assistant Professor, Higher Education (M.P.) INDIA

Abstract - In the new era marketing, there are lots of innovations and advanced technology has been used. Few time ago no one even think to make healthy environment along with their business professions. But today's manufacturers owe the strength to demonstrate the green innovations for the sustainable development which allows them to adapt the green marketing in an environmentally responsible way. The present paper is an attempt to analyze the factors affecting the Green Marketing in the recent marketing trend. For this purpose, the research had conducted with the use of both primary and secondary database. In primary source the data was collected by the researcher own observation at different Manufacturing Industries. And the Secondary data was collected with the help of comprehensive literature available in the form of secondary data i.e. Magazines, Journals, e-journals, Websites, Books, and Newspapers etc. has been taken. After conducting a deep review of collected data, findings are presented to understand the importance of green marketing in recent marketing trend. A self-developed questionnaire is used as an instrument to collect the information and response. The study reveals certain important factors and innovations, which can be adapted by the manufacturers in their operations to turn themselves green.

Keywords- Green Marketing, Manufacturing Industries.

Introduction - As far as healthy environment is concern green marketing plays an important and vital role to make the environment green. This paper is exploratory research on Green Marketing for Manufacturing Industries. Many big industries during their manufacturing of product doesn't follow the appropriate way to manage their waste material and throw them in the open areas which heavily effects the environment. Reason being, that manufacturing industry is not only a large player in the Indian economy but also in the environmental crisis so it cannot afford to ignore this environmental crisis. The modern environmental movement successfully aware the peoples to realizing that our rivers, lakes, air and land are getting polluted. Everyone knows that natural resources are very important for our daily life. So, make them secure is our first priority and the manufacturer must follow the appropriate way to dissolve their waste material instead to throwing in rivers or open areas.

Evolution: Green marketing was coming into existence in the late 1980s and 1990s after the proceedings of the first workshop on Ecological marketing held in Austin, Texas (US), in 1975. According to **Peattie (2001)**, the evolution of green marketing has three phases:

First phase was termed as "Ecological" green marketing, which focuses on the environment problems and provide remedies for environmental problems.

Second phase was "Environmental" green marketing and the focus shifted on clean technology.

Third phase was "Sustainable" green marketing. It came into prominence in the late 1990s and early 2000.

Recent Scenario of Manufacturing Industries in India -

The manufacturing industry of India is one of the largest sector in the Asia and if we talk about India itself it is the largest sector which contributes more for GDP and Indian Economy.

There are lots of manufacturing industries in India and their manufacturing of products creates lots of wastage. For which there should be proper channels to keep that wastage in such a way that can be reutilized in any of the work. Many manufacturing industries recycling their wastage due to which they never throw their wastage in the rivers and open areas. This is the best way to make the environment healthy. Now a days Government also ban the use of polyethene to promote the green marketing. Paper packs now use in large scale instead of polythene to maintain the green environment.

Research Objectives:

1. To analyse the importance of green marketing in manufacturing industries.
2. To identified the current scenario of manufacturing industries.

Review of Literature:

Dr. Shruti P Maheshwari (2014) examined in their study that the people are less aware about the global warming. Indian manufacturers have yet to find a market for green products. Consumers have low awareness because of the insufficient efforts made by the marketers. Overall, it is clear that the Indian market are responsible for the production of less environmental friendly products. This research founds that there is greater use of marketing brands to sell green products that are genuinely environmentally friendly.

Anirban Sarkar (2012) found in their study that manufacturers also have the responsibility to make their customers aware about the need and benefits of green environment. In green marketing, consumers are willing to pay more to maintain a cleaner and greener environment. Finally consumers and industrial marketer both have to maintain the greenery to make our country clean.

Jeevarathnam P. Govender et al (2016) described in their study that the respondents felt that green products were healthy and good for the environment. Global warming and pollution are some of the problems that have become an increasingly concerning issue internationally. Elements of the green marketing mix specifically green promotion, were found to raise awareness and encourage positive change in consumption behavior.

Ameet Sao (2014) examined that the global warming looming large, it is extremely important that green marketing becomes the norm rather than an exception. Recycling of paper, metals, plastics, etc. are very important to make our environmental safe. This should be done in a proper and systemized manner.

Dr. Rashad Yazdanifard (2014) found that green marketing and product development have been the best ways for making the environment healthy and clean. The industries believed that implementation of green marketing as a green supply chain, green packaging, green products design, and green promotion are beneficial to society and the environment. Go green is the best way to promote green marketing in the promotion.

Jain et al (2004) examined in their study that environmentalism has fast emerged as a worldwide phenomenon. Manufacturing firms too have risen to the occasion and have started responding to environmental challenges by practicing green marketing strategies. Green consumerism has played a catalytic role in ushering corporate environmentalism and making business firms green marketing oriented.

Roper (2001) indicated that all consumers believed that environmental protection and economic development can go hand in hand. But the actual behavior is crucial to market success and Consumer behavior toward green product purchasing has also been researched. This study has shown that approximately half of all US consumers select products based on some environmental criteria.

Research Methodology - Exploratory research has been

conducted with the both primary and secondary database. For the primary source, data is collected by the researcher own observations by doing survey at different manufacturing industries. And the Secondary data is collected with the help of comprehensive literature available in the form of secondary data i.e., Magazines, Journals, e-journals, Websites, Books, and Newspapers etc. has been taken. The Opinion and views of the Marketers, Professionals, and experts on the subject were also obtained through personal interactions and telephonic interview.

Analyses and Findings - To find the current scenario of industries I visit some manufacturing industries to see the production system and maintenance of waste material. During survey, I supposed to know that how the manufacturing industries disposed their waste material. After done a successful survey I also found that how much green marketing is important for the growth of manufacturing industries.

Implications of study

Implications for Marketers: The study can be used by the marketers to create an image of eco friendly organization.

Implications for Managers: They can use the study for making policies and systems of industrial operations towards environment safety.

Implications for society: This study make realize the society for their social responsibility towards environment.

Implications for academicians: They can use it for further research.

Suggestions of the study:

1. Say no to plastic-based products.
2. Use of natural resources for packaging the products: Use of leaves instead of plastic pieces, jute and cloth bags instead of plastic carrying bags.
3. In Agricultural industries, use bio-fertilizers instead of chemical fertilizers and minimum use of pesticides.
4. Manufacturer should recycle wastes material of factory instead of throwing them in river or open areas.
5. Strict provisions to protect forests, protection of the rivers, lakes and seas from pollutions.
6. Global restrictions on production and use of harmful weapons, atomic tests, etc.

Conclusion: Environment safety is now becoming the matter of concern for every manufacturing industry. In manufacturing industry which manufactures the product, it becomes more important to turn them as green. Concept of green marketing concerns with protection of ecological environment. Modern manufacturing industries has created a lot of problems. Growth in marketing activities resulted into rapid economic growth, mass production with the use of advanced technology, use of unhealthy means of production create many problems. Many manufacturing industries are flooded with useful as well as useless products. These all factors have threatened welfare of people and ecological balance as well. As far as giant

factories are concern, they have become the main source of different pollutions. Production, consumption and disposal of many products affect environment adversely. So it is very necessary to maintain the way of production and their wastage.

References:-

1. Dr. Maheshwari Shruti P. (2014) "Awareness of Green Marketing and Its Influence on Buying Behavior of Consumers: Special Reference to Madhya Pradesh, India" : AIMA Journal of Management & Research, February 2014, Volume 8 Issue 1/4, ISSN 0974 – 497 Copy right© 2014 AJMR-AIMA
2. Sarkar Anirban (2012) "Green Marketing and Sustainable Development Challenges and Opportunities" : International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, Vol.1 Issue 9, September 2012, ISSN 2277 3622
3. Jeevarathnam P. Govender and Tushya L. Govender (2016) "The influence of green marketing on consumer purchase behavior" JOURNAL "Environmental Economics (open-access)
4. Sao Ameet (2014) "Research Paper on Green Marketing" IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) Volume 16, Issue 5. Ver. I (May. 2014), PP 52-57 www.iosrjournals.org and Management (IOSR-JBM)
5. Dr. Yazdanifard Rashad (2014) "The Concept of Green Marketing and Green Product Development on Consumer Buying Approach" Global Journal of Commerce and Management Perspective G.J.C.M.P., Vol.3(2):33-38, ISSN: 2319 – 7285
6. Jain, Sanjay K (2004) "Green Marketing: An Attitudinal and Behavioral Analysis of Indian Consumers" Global Business Review, Vol. 5, No. 2, 187-205 (2004)
7. Roper (2001) "Green Gauge Report"
8. <https://www.thebalance.com/green-marketing-2948347>
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Green_marketing
10. <http://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/green-marketing.html>

Covid-19: Employment Crisis

Dr. Praveen Ojha *

*Professor & Head (Commerce) B.L.P. Govt P.G. College, Mhow (M.P.) INDIA

Introduction - The Covid-19 epidemic in India and the later countrywide lockdown from March 25 distorted the backdrop of the country's employment segment. Around 10.9 million jobs were lost in different sectors, 2020 was named the most awful-ever year for the job market in India. The pandemic in India has negatively impacted the employment statistics of India since early 2020. The first wave and its accompanying restraint procedure triggered large-scale job shortfalls, a sudden increase in inequality and poverty, and arise in imbalance and starvation. Especially susceptible groups were short of a humanitarian disaster. Due to the lockdown online grocery shopping and e-learning were rising but offline marketing was as malls were closed. This resulted in job loss of about 200,000 retail workers around departmental stores and fashion products between March and June 2020. The unemployment rate is 12.4%, urban 15.1% and rural 11.2% on 3rd June 2021.

What happened last year?

1. The harsh countrywide lockdown to control the infection had led to extensive devastation in 2020. The unemployment rate is growing up rapidly as many gig workers were declared unemployed due to the lockdown.
2. This had affected gig workers as well as white-collar businesses, particularly in sectors like aviation, travel, tourism, and hospitality. Though several firms had cut jobs, others decided to cut salary.
3. Household earnings dropped steeply because of jobs shortfalls this resulted in serious demand crisis. Even as various jobs have been rebuilt even than India's employment level is high.
4. If the recovery of loss of jobs is not taken care than loss to the recovering economy could be salvaging, as many company holders are following strict Covid-19 protocols instead of complete lockdowns.

How the pandemic has affected the employment crises in India - Various state governments have been obliged to hold lockdown around April this year in various ways and programs to deal with the oncoming pandemic. Nearly every commercial business, industrial groups, transport organizations, school colleges even government

agencies apart from emergency services were shut down. Mahesh Vyas, CEO of Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) said that income of 97% households have dropped as of the pandemic. The unemployment rate remains at 12.4%, urban 15.1% and rural 11.2% on 3rd June 2021. We stated that small cities and rural districts were not disturbed by pandemic. But through the 2nd wave, it has started affecting these areas resulting in unemployment situation. The manufacturing and engineering sectors are severely affected through the 2nd wave. The indicator of hiring has gone down from 132 to 60 in January-March 2021. While the automotive and FMCG segments in tier-2 cities have worked badly, the employment position in IT, Outsource, E-commerce, Pharma and Health Care areas in metro and tier-1 cities have begun presenting several developments. According to Sri Aditya Mishra, CEO, CIEL, companies have the intention to employ in tier 2-3 cities, but they are not capable of hiring due to lockdown. The difference between the purpose of hiring and the factual hiring in these sectors is 50%." The CMIE files reveal significant falls in the LFPRs and employment levels that led to gender bias, particularly in the unorganized areas. The reduced source of employment, males are more prone to take the openings in the labor market place."

The Covid had excessively affected women and young workers. 47% of ladies have lost their jobs through the lockdown. Comparison to men, only 7% lost their jobs. Even though after the lockdown, women's workforce participation rate (WPR) was virtually reestablished because the migration of women was opposed previously into employment. Yet, women's access into the market throughout these times has been described by less incomes as of men. Many women enrolled as casual wage workers (43%) although men enrolled into self-employment (54%). Because of the self-employment men got salary almost double of women, this implies an added unequal effect on women vis-a-vis men.

ILO's Policy Framework - In June 2019, the International Labor Organization (ILO) accepted the Centenary Declaration for the Future of Work with assistance from its

187 member Territories. The statement elements to follow relentlessly its ILO legal mandate for social justice by more improving its human centered attitude to the work future. It termed as placing workers' rights and wants, ambitions and rights of all citizens at the heart of economic, social, and environmental guidelines.

ILO's equitable response focus on four main areas:

1. Safeguarding employees in the workplace
2. Encouraging economic and labor challenge
3. Strengthening employment and wages
4. Using social conversation between government, workers, and employers to find results.

Affiliated to this policy strategy, ILO's India Country office expands its knowledge and assistance to constituents and associates regardless of the lockdown.

1. Start and Improve Your Business (SIYB) program of the ILO is directing the livelihood business of the states such as Kerala. Youth and women, mainly in rural regions, are given training to begin business using the tools.
2. Business Continuity Planning (BCP) help to lessen the threat of market interruptions and offered more than 30 MSMEs employed in the supply chain of e-retailers and corporate houses.
3. The ILO prepared Assistance to National Commission for Women (NCW) in the method of conscripting and announcing guidelines in respond to the crisis in a gender inequality. The guidelines have been combined with ministries and state governments for execution.
4. Ministry of Statistics and Program Implementation (MoSPI) has commenced a method of reforming the statistical method involving transitioning data collection to a Computer-Assisted Telephonic Interview (CATI). World Bank and ILO are offering technical assistance to MoSPI.

Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana (ABRY) - Under the ABRY, around 16.5 lakhs receivers listed themselves with the Scheme from October 1, 2020, and in this around 13.64 lakhs are new joiners with UAN (universal account number) produced on or after October 1, 2020, and around 2.86 lakhs are re-joiners who were condensed unemployed during this pandemic from March 1, 2020, to September 30, 2020, and rejoined from October 1, 2020, onwards. The specialists stated that the government aims to build 50 lakhs to 60 lakh jobs out of the ABRY in two years, but it needed close observing and well-planned execution to accomplish the required aim.

Covid-relief policy - Covid-relief policy wants to accelerate women's return into work on an urgent basis. It is not unfair to speculate that variants of lockdowns and mobility movement restriction are going to be part of the routine life. Women are severely restricted by the limited transportation options. Where companies are opening and work is restarting, there must be a collaborative attempt in harmonization with public agencies and organizations to

improve transport possibilities specifically for women. Apart from this it is important to focus on the gendered access to vaccinations that we are noticing from June 25, every 1,000 vaccinated men and only 856 vaccinated women.

Under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) - Under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY), Government of India has donated both 12 % of employer's share and 12 % employee's share underneath Employees Provident Fund (EPF), total of 24% of the wage from March to August 2020, for the formations having up to 100 employees with 90 % of such workers receiving less than Rs 15,000. Under this scheme, Rs 2,567.66 crore was credited in EPF accounts of 38.82 lakhs eligible workers.

Employee State Insurance Corporation (ESIC) - If a member of staff falls under the Employees State Insurance Corporation, he/she can gain unemployment allowances under the Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana for 2 years even if the firm closes down. The Employees State Insurance Corporation stated that if an employee dies to Covid-19 then the company will offer Rs 15,000 to their family members. If the worker is not capable to work due to infection, then ESIC will continue giving salary. It is also recommending other services involving free healthcare services to the workers and their family and partial salary. The state-run association said that workers or their families who are infected with the virus will be provided free medication in hospitals. "If the employee is treated in a private hospital, the entire sum of expenses will be refunded," ESIC assured. ESIC has 21 hospitals running in the country. In which 3,686 beds for covid patients are currently available. They have 229 ICU beds and 163 ventilators.

Is there recovery taking place? - Hiring has increased and appears favorable in the coming financial year. Small working has gotten mainstream recognition and several businesses will now be making a hybrid model to balance working from home and office. There is a rise in the gig economy across all segments. In 2021, EdTech startups, e-commerce programs, electric flexibility and healthcare companies are said to be leading the hiring list. A survey by ManpowerGroup stated that almost 65 % of managers informed that they will return to pre-Covid hiring levels within few months. The segments anticipated to operate the job market in the first quarter of 2021 include finance, insurance and real estate and the mining & construction sector. The number of job applicants even for segments that were most hit like retail, hospitality and travel has come along around 40%. The epidemic then again demonstrated the gender inequality crisis with more women losing careers as compared to men. Additionally, women were gentler to return to jobs, and this has headed to increase the gender inequality. A huge part of India's labor force goes to informal regions which was touched in terms of job losses. Companies such as Ola, Uber, Swiggy, Zomato, Flipkart and Amazon are amongst the

bigperformers offering gig positions. Great Learning Co-Founder Hari Krishnan Nair stated, "Even though the preliminary decline in the job market, there has been a massive leap in the country's hiring styles in the past. The pandemic digital shift generated a enormous requirement for skilled specialists in fields like Business Analytics, Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence, Cybersecurity, Digital Marketing, & Design Thinking. Segments like technology, BFSI, e-commerce, ed-tech, and logistics are employing fresh and top-rated tech genius for positions in developing technologies.

Conclusion - In summary, a thorough COVID-19 relief and recovery plan needs to be established that should consist of food and cash relief as well as workfare (such as employment guarantee) in addition to wage subsidies (women workers), special training plans and subsidized traineeships for freshers, and big investments in local infrastructure which enable women employees to enter the labor market. This will allow the Indian market to regain rapidly and effectively from this crisis. Nevertheless, measures should be carried to improve efficiency and productivity living requirements for sustainable

economic development by government and individuals.

References:-

1. Covid-19, Homeworking and the Law - The Essential Guide to Employment and GDPR- Forbes Solicitors
2. Dossier: Faces of the Pandemic : The Covid-19 Crisis in India- Marine Al Dahdah & Mathieu Ferry & Isabelle Guérin & Govindan Venkatasubramanian
3. Impact of covid-19, reforms, poor governance on labour rights in india' - Dr. k.r. shyamsundar
4. Impact of Covid-19 on Indian Economy: Compiled and edited book Paperback – 12 May 2021- Dr Rekha Jagannath Editor
5. Hindustan Times AUG 18, 2021
6. India today 12-Apr-2021
7. The times of India 09-Jun-2021
8. <https://www.statista.com/statistics/1111487/corona-virus-impact-on-unemployment-rate>
9. <http://smspup.ac.in>
10. <https://www.thehindubusinessline.com > article34628576>
11. <https://thewire.in > covid-19-india-impact-workers>
12. <https://www.oecd.org > employment > covid-19>

HIRING INDEX ACROSS SECTORS IN INDIA

Industry*	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20
IT-Software/Software Services	3,133	3,353	3,525	3089	1803	1472	1755	1749	1986	2375	2533	2779	3081
BPO/ITES/CRM/Transcription	2,120	2,279	2,259	2140	929	839	1244	1315	1527	1971	1878	1791	1819
Construction/Engineering/Cement	862	952	906	633	216	282	374	475	490	583	583	555	663
Auto/Auto Ancillary	1,151	1,276	1,330	915	265	327	580	661	771	994	985	820	1088
Banking/Financial Services/Broking	2,701	3,062	2,946	2465	993	858	1192	1378	1437	1910	1832	1772	2088
Oil and Gas/Power/Infrastructure/	712	820	830	543	334	249	300	347	313	408	386	332	431
Telcom/ISP	586	611	558	451	277	300	285	322	507	470	349	350	439
Insurance	1,147	1,552	1,306	936	633	476	637	659	795	1017	910	759	1100
Industrial Products/Heavy Machinery	1,127	1,133	1,099	772	272	351	546	695	773	1041	967	835	1036
Pharma/Biotech/Clinical Research	1,905	1,845	1,875	1448	1026	1125	1426	1316	1243	1794	1494	1477	1885
Hotels/Restaurants/Airlines/Travel	2,060	2,185	2,087	1047	221	207	430	407	417	616	818	738	826
FMCG/Foods/Beverage	1,832	2,001	2,118	1446	654	700	1103	1209	1227	1754	1591	1404	1701
Chemicals/PetroChemical/Plastic/	1,116	1,252	1,366	964	574	487	815	939	937	1439	1246	1018	1356
Education/Teaching/Training	3,945	4,630	4,608	3797	1785	1582	2711	2118	2312	3258	3234	2697	3279
IT-Hardware & Networking	1,125	1,179	1,231	1052	557	558	764	835	829	1354	1055	949	1050
Retailing	1,556	1,643	1,797	1135	399	308	545	532	813	935	1051	981	1084
Media/Dotcom/Entertainment	1,027	1,109	1,050	698	299	438	420	572	589	816	758	637	596
Medical/Healthcare/Hospital	5,186	5,448	5,938	4706	2133	4060	4499	4612	5279	5091	4866	5044	5736
Real Estate/Property	2,194	2,452	2,501	1640	420	594	947	1021	1364	1963	1983	1939	2068

Source: Naukri JobSpeak Index, December 2020.

Note: The Naukri JobSpeak is a monthly Index that calculates and records hiring activity based on the job listings on the Naukri website month on month. The job speak index includes jobs that might be for replacement hiring. July 2008 is taken to be the base with an index value of 1,000 and the subsequent monthly index is compared with the data for July 2008.

Ultrasonic Velocity Measurements of Organo Phosphorus Pesticides in Water

Arvin Panwar* Umendra Kumar** Manisha***

*Department of Chemistry, S.D. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

**Department of Chemistry, Janta Vedic College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

***Department of Chemistry, D.A.V. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

Abstract - Ultrasonic velocity of organo phosphorus pesticides in water has been measured at different temperature (308 - 323 K). Using these data adiabatic compressibility, apparent molar compressibility, molar sound velocity, molar sound compressibility, specific acoustic impedance, relative association constant, salvation number and apparent molar volume have been evaluated. The effect of temperature on these parameters has also been studied. The sign and magnitude of these properties are evident for the nature of interactions between component molecules.

Introduction - Ultrasonic velocity measurement is a powerful tool to study the ion-solvent interaction [1-5]. Therefore, in the present investigation, the study of Ultrasonic velocity along with density of pesticide solution at different temperature (308-323K) has been undertaken. Adiabatic compressibility (β), apparent molar compressibility (ϕ_κ), molar sound velocity (R), molar sound compressibility (W), specific acoustic impedance (Z), relative association constant (R_A), salvation number (Sn) and apparent molar volume (ϕ_v) will be calculated since they may give a clear insight in elucidating the pesticide-solvent interaction.

Experimental: The organophosphorus pesticides (Methamidophos, Acephate, Omethoate, Dichlorvos) were obtained from Hindustan Insecticides Limited Gurgaon (Haryana), India. Freshly prepared conductivity water was used.

The densities were measured by using dilatometer made of pyrex having a reservoir volume of 15 cm³. The measuring section was constructed of precisely bored graduated capillary. The pyrex dilatometer was calibrated using conductivity water and the accuracy ± 0.0002 g cm⁻³ of measurements was checked by using test solution of known density.

The Ultrasonic velocity of pesticide solutions were measured using a single crystal ultrasonic interferometer (Model No. F-81, Mittal Enterprises, New Delhi, India) working at a fixed frequency of 2 MHz. Water from a thermostat maintained at the desired temperature and controlled up to $\pm 0.05^\circ\text{C}$ was passed through the jacket of the cell before the measurement was made.

The measured velocities have an uncertainty of $\pm 0.047\%$ ms⁻¹.

Results And Discussion: Ultrasonic velocity, u (ms⁻¹) of organo phosphorus pesticides solution increase with

increase in concentration and also increase with increase in temperature (fig-1). Plot of u vs. C are linear. The ultrasonic velocity also increases with increase in molecular weight of organo phosphorus pesticides.

The adiabatic compressibility, β , of solution is determined by using the relation :

$$\beta = \frac{1}{u^2 d} \quad \dots(1)$$

where d is the density of pesticides solution.

The adiabatic compressibility, β (Table 1) decrease with increase in concentration, and temperature indicating the decrease in ion-solvent interaction.

The ultrasonic velocity, u is related with pesticide concentration, ' C ' as :

$$u = u_0 + GC \quad \dots(2)$$

where u_0 is the ultrasonic velocity, for zero pesticide concentration and ' G ' is Garnsey's constant [6]. The value of G are 3.08×10^2 , 3.50×10^2 , 3.77×10^2 and 4.00×10^2 respectively for methamidophos, acephate, omethoate, dichlorvos. There is no effect of temperature on the value of ' G '. The value of u_0 (zero pesticide conc.) for methamidophos 1.524×10^3 , 1.531×10^3 , 1.538×10^3 and 1.545×10^3 at 308K, 313K, 318K and 323K respectively are in agreement with the experimental values of ultrasonic velocity in water. This shows that there is less ion-solvent interaction in low concentrations.

The molar sound velocity, R and molar sound compressibility, W have been calculated from:

$$R = \frac{M}{d} u^{1/3} \quad \dots(3)$$

$$W = \frac{M}{d} \beta^{-1/7} \quad \dots(4)$$

where M is the average molecular weight of the solution calculated from the relation $M = X_1 M_1 + X_2 M_2$, where X_1 and X_2 are mole fractions of solute and solvent of molecular weights M_1 and M_2 .

The value of R and W increase with increase in pesticide concentration and also increase with increase in temperature.

The intermolecular free length, L_f has been calculated by using the expression :

$$L_f = \sqrt{\frac{\beta}{k}} \quad \dots(5)$$

where k is temperature dependent Jacobson constant [7]. L_f decrease with increase in concentration of pesticides and also with increase in temperature.

The relative association constant, R_A has been calculated from the relationship :

$$R_A = \frac{d}{d_0} \left(\frac{u_0}{u} \right)^{1/3} \quad \dots(6)$$

The relative association constant is influenced by either breaking up of solvent molecules or by the solvation of ions on adding pesticide. R_A decrease with increase in concentration, molecular weight of pesticide and but is also unaffected with increase in temperature.

The specific acoustic impedance [8] Z , calculated as $Z = u \cdot d$ increase with increase in pesticide concentration, temperature and molecular weight of pesticide. The increase in the value of Z with pesticide concentration can be explained on the basis of Lyophobic interaction between pesticide and solvent molecules which increase, the intermolecular distance leaving relatively wider gaps between molecules.

The solvation number [9], Sn has been calculated from the relationship :

$$Sn = \frac{n_1}{n_2} \left[1 - \frac{V\beta}{n_1 V_1^0 \beta^0} \right] \quad \dots(7)$$

Table 1 & 2 (see in last page)

where n_1 and n_2 are the mole fraction of solvent and solute and V_1^0 is the molar volume of solvent respectively.

Sn (Table-1) decrease with increase in pesticide concentration and also with increase in temperature.

The apparent molar compressibility, ϕ_k has been calculated from the relationship

$$\phi_k = \frac{1000[\beta d_0 - \beta_0 d^0]}{d d^0} + \frac{\beta M}{d} \quad \dots(8)$$

where M is the molecular weight of the pesticide.

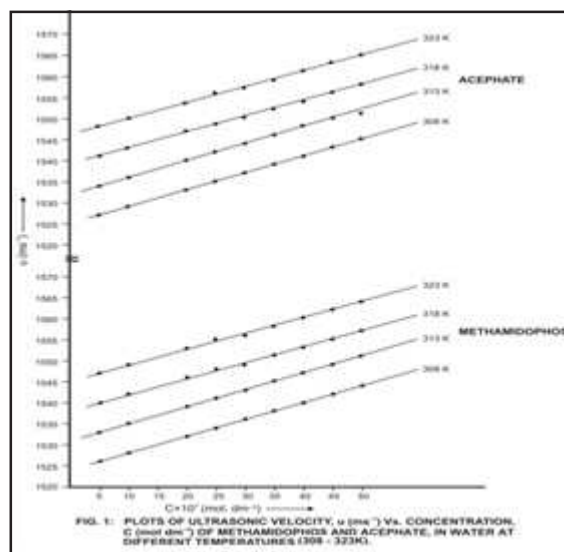
The values of ϕ_k decrease with increase in pesticide concentration and temperature but increase with increase in molecular weight of pesticide.

The ϕ_k is related with concentration, C by the relationship :

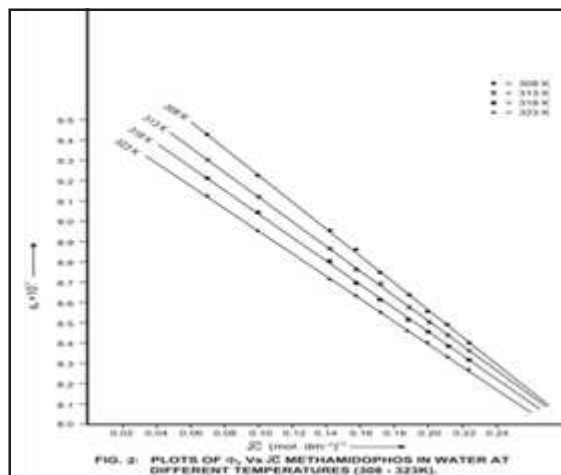
$$\phi_k = \phi_k^0 + S_k C^{1/2} \quad \dots(9)$$

where ϕ_k^0 is the limiting apparent molar compressibility and S_k is experimental slope.

The plots of ϕ_k against $C^{1/2}$ (fig-2) are linear. The decrease with increase in temperature but increase with increase in molecular weight of pesticide. The values of S_k increase with increase in temperature and molecular weight of pesticide. (Table-2).



The ultrasonic velocities and acoustic parameters of trifloxystrobin at various concentration in ethanol-water system have been also measured at 300K by using single crystal interferometer at a frequency of 3MHz [10]. By using velocity, density, viscosity and concentration data various acoustic parameters are calculated and the result are interpreted in terms of solvent-solute and solute-solute [10]. Measurement of ultrasonic velocity has been adequately employed in understanding the molecular interaction in pure binary liquid mixtures [11, 12, 13]. Ultrasonic velocity measurement data proves to be a very simple and convenient tool to determine various thermodynamic properties of pure liquid mixtures [14, 15]. Ultrasonic velocity is a unique tool for predicting and estimating various physico-chemical properties of pure liquid and pure binary liquid mixtures.



Acknowledgement : The authors would like to thank to Principal, D.A.V. (P.G.) College, Muzaffarnagar for his help and support and also to the college authorities for providing laboratory facilities.

References:-

1. Varma, R.P. and Kumar, S., Indian Journal of Pure and Applied Physics, Vol. 38, pp 96-100 (2000).
2. Varma, R.P., Bhatnagar, B.B. and (Miss) Singh, A., J. Indian Chem. Soc., LXIV, pp. 603-605 (1987).
3. Sharma, C., Gupta, S.P. and Pankaj, Acoustic lett., 10(A), (1986).
4. Kumar, A., Colloids and Surfaces, 34, 38 (1988-89).
5. Sams, P.J., Rassing, J.E. and Wyn, J.E., Chem BiolAppl. Relaxation Spect, 18, 163 (1975).
6. Garney, R., Boe, R.J., Mohoney, R. and Litovitz, T.A., J. Chem. Phys., 50, 5222 (1969).
7. Jacobson, B., Ada Chem. Scand, 6, 1485 (1952).
8. Elpimer, L.E., Ultrasound Pysico-Chemical and Biological effects consultants Bureau (1964).
9. Passynsky, A., Actaphysicochem (USSR) 8, 385(1938); J. Phys. Chem. (USSR) 11, 608 (1938).
10. Yadav, S.N., Kanth, Bimal, Afsah, S.A., Journal of Applied Chemistry, Vol. 12, pp. 16-18 (2019).
11. Ranjan, D., Harshavardhan, A., J. Energy chem. Eng, 1, p 2 (2014).
12. Oswal, S.L., Panidiyan, V., Krishnakumar, B., Vasantharani, P., Thermochim Acta, 27, P 507 (2010).
13. Rao, Rama, G.V, Sarma, Viswantha, A., Krishna, Sivarama, J., Rambabu, C., Indian J. Pure Applied Physics, 43, P 345 (2005).
14. Rahnam, M.V., Kavita, B.R., Reema, T. Sayed, Kumar, M.S.S., J. Mol. Liq 35, p-173 (2012).
15. Sahin, M., E. Aryan ci, J. Chem., Thermodyn, 177, P-43 (2011).

Table 2: Values of limiting compressibility (ϕ_k° , $\text{m}^2 \text{mol}^{-1}$) an experimental slope, S_k for organo-phosphorus pesticides in water at different temperature (308-323K).

Temperature (K)	$\phi_k^\circ \times 10^{11}$	$-S_k \times 10^{11}$
METHAMIDOPHOS		
308	9.86	5.72
313	9.72	5.84
318	9.61	5.92
323	9.50	6.04
ACEPHATE		
308	9.88	6.12
313	9.70	6.38
318	9.62	6.49
323	9.51	6.78
OMETHOATE		
308	13.12	8.82
313	12.98	8.94
318	12.86	9.16
323	12.80	9.28
DICHLORVOS		
308	14.42	10.48
313	14.23	10.53
318	14.05	10.62
323	13.90	10.86

Table 1: Ultrasonic velocity and acoustic parameters of organo phosphorus pesticides in water at 308K.

Concentration (mol dm ⁻³) (C)	Ultrasonic velocity (v) (ms ⁻¹)	Adiabatic compressibility $\beta \times 10^{10}$ (m ² N ⁻¹)	Apparant molar compressibility $\phi_K \times 10^{11}$	Molar sound velocity (R $\times 10$) m ² /mol (m/s) ^{1/3}	Molar sound compressibility (W $\times 10$) m ³ /mol (N/m ²) ^{1/3}	Association constant R _A	Specific acoustic impedence Z $\times 10^{-6}$ (Kg m ⁻² s ⁻²)	Solvation number (Sn)
METHAMIDOPHOS								
0.005	1526	4.286	9.423	2.088	3.948	9.9998	15.17	11085.55
0.010	1528	4.272	9.226	2.094	3.956	9.9973	15.20	5522.77
0.020	1532	4.264	8.952	2.096	3.963	9.9928	15.24	2761.38
0.025	1534	4.258	8.854	2.098	3.968	9.9897	15.26	2209.11
0.030	1536	4.245	8.742	2.105	3.972	9.9884	15.29	1838.34
0.035	1538	4.232	8.638	2.108	3.978	9.9865	15.31	1575.82
0.040	1540	4.224	8.552	2.111	3.982	9.9824	15.33	1380.66
0.045	1542	4.216	8.495	2.115	3.986	9.9812	15.36	1227.63
0.050	1544	4.205	8.403	2.118	3.992	9.9788	15.38	1104.51
ACEPHATE								
0.005	1527	4.283	9.475	2.086	3.946	9.9985	15.18	11085.21
0.010	1529	4.270	9.308	2.091	3.954	9.9971	15.21	5522.55
0.020	1533	4.262	9.056	2.093	3.961	9.9912	15.26	2761.28
0.025	1535	4.254	8.962	2.095	3.964	9.9888	15.28	2209.11
0.030	1537	4.241	8.876	2.102	3.970	9.9873	15.30	1840.85
0.035	1539	4.228	8.764	2.104	3.974	9.9856	15.33	1577.87
0.040	1541	4.221	8.702	2.109	3.978	9.9818	15.35	1380.63
0.045	1543	4.211	8.634	2.111	3.983	9.9809	15.37	1227.83
0.050	1545	4.198	8.568	2.115	3.989	9.9772	15.39	1104.51
OMETHOATE								
0.005	1528	4.278	12.724	2.082	3.944	9.9974	15.19	11085.18
0.010	1530	4.267	12.568	2.088	3.953	9.9968	15.22	5522.55
0.020	1534	4.259	12.367	2.091	3.959	9.9906	15.27	2761.29
0.025	1536	4.248	12.183	2.092	3.962	9.9879	15.30	2209.18
0.030	1538	4.239	11.924	2.099	3.968	9.9854	15.32	1840.85
0.035	1540	4.226	11.792	2.102	3.972	9.9842	15.35	1577.87
0.040	1542	4.214	11.628	2.104	3.976	9.9811	15.36	1380.63
0.045	1544	4.208	11.434	2.107	3.981	9.9802	15.39	1227.81
0.050	1546	4.189	11.376	2.112	3.984	9.9768	15.41	1104.51
DICHLORVOS								
0.005	1529	4.276	13.986	2.080	3.941	9.9968	15.20	11085.1
0.010	1531	4.262	13.769	2.084	3.947	9.9947	15.23	5522.55
0.020	1535	4.257	13.467	2.089	3.957	9.9892	15.28	2761.27
0.025	1537	4.243	13.362	2.090	3.960	9.9865	15.31	2209.12
0.030	1539	4.232	13.112	2.095	3.965	9.9843	15.33	1840.85
0.035	1541	4.220	12.864	2.099	3.970	9.9832	15.36	1577.87
0.040	1543	4.208	12.736	2.101	3.975	9.9806	15.39	1380.63
0.045	1545	4.194	12.523	2.103	3.979	9.9786	15.41	1227.83
0.050	1547	4.182	12.383	2.109	3.982	9.9734	15.44	1104.51

Correlative Analysis of Long Term Cosmic Ray Intensity Variation in Relation with Various Geomagnetic Indices and Solar Parameters

Uma Pandey* Mahendra Singh** Pankaj K. Shrivastava***

*Department Of Physics, Govt. College, Sanavad (M.P.) INDIA

** Department Of Physics, MVM, Bhopal (M.P.) INDIA

*** Department of Physics, Govt. Model Science College, Rewa (M.P.) INDIA

Abstract - In this paper we will study about the relation between Cosmic ray Intensity(CRI) variation with Geomagnetic Indices and Sunspot Number for solar cycle 22, 23 and 24. For this we have taken the data of cosmic ray intensity from various neutron Monitor stations. Long-term cosmic rays modulation of different cut off rigidity stations (Moscow cut off rigidity 2.39 Gv, Kiel cut-off rigidity 2.36 Gv) have been associated with different solar parameters such as Sunspot numbers (R_z), Solar flux (>2800 MHz), Solar index (A_p), Solar electro jet index (A_e), Interplanetary Magnetic field (B), Solar wind velocity (V) for the Solar cycles 22, 23 & ascending phase of cycle 24. A detail correlative study have been done by running cross correlation method. The cosmic ray intensity and geomagnetic parameters shows high and negative correlation among themselves.

Keywords- Cosmic –Rays; Solar Cycle; Solar activity, Sunspot number, Solar Wind velocity, Interplanetary Magnetic Field, Solar Flux, Solar Index, Solar electro jet index.

Introduction - The modulation of cosmic ray intensity mostly depend upon the sun, which is source of major disturbances in the terrestrial upper atmosphere through its radioactive & corpuscular emissions. Cosmic ray intensity as observed on the earth surface, exhibit an approximate 11 year variation anti-correlated with solar activity (Webb et al 2003). The cosmic ray intensity monitored at neutron monitor energies is found varying with an eleven year cycle (Shrivastava, et al 1993; Singh et al. 1999; Shrivastava et al 2003) better representative of solar activity.

Akasofu et. al.(1985) Shrivastava (1998) and Shrivastava et. al.(2001) have made detailed studies of the correlated long term variation by considering a number of parameters representing the solar activity index. The long-term variations of galactic cosmic rays have been compared with the behaviour of different solar activity indices and heliospheric parameters several times (Belov et al. 2002 and references therein). The intensity of galactic cosmic rays varies inversely with sunspot numbers, having their maximum intensity at the minimum of the 11-year sunspot cycle (Forbush 1954, 1958). Galactic cosmic rays (GCR) in the energy range from several hundred Mev to tens of Gev are subject to heliospheric modulation which changes their intensity & spectrum during 11-year solar cycle. Since the drift modulation processes are charge/polarity

dependent, the 22-year solar magnetic field cycle is visible in cosmic ray data, e.g. in the different shape of maxima of galactic cosmic ray intensity cycles. In this paper we have made an attempt to derive the correlation between various solar indices and geomagnetic indices with Cosmic Ray Intensity for solar cycle 22, 23 and 24. The solar cycle 22 have been started in the September 1986 and ended in the year 1996 (May). The solar cycle 23 lasted in 12.6 years, beginning in May 1996 and ending in December 2008. The maximum smoothed sunspot number monthly number of sunspots averaged over a twelve-month period) observed during the solar cycle 23 was 120.8, and the minimum was 1.7. There were a total of 805 days with no sunspots during this cycle.

Method Of Analysis - In this paper we will find the correlation between Cosmic ray intensity and solar parameter sunspot number and various Geomagnetic indices for solar cycle 22, 23 and 24 (incomplete). For this monthly mean values of sunspot number (R_z) are taken from the Solar Geophysical Data books. The pressure corrected monthly mean value of cosmic ray data of Kiel, (Cutoff Rigidity=2.36{GV}) neutron monitor station have been taken for analysis.

Results And Discussion - Solar activity rises and falls with a period of about 11 years. The number of sunspots indicates the level of solar activity. The emissions of matter

and electromagnetic fields from the sun increases during high solar activity, making it harder for Galactic Cosmic Ray to reach the earth. Cosmic ray intensity is lower when solar activity is high and vice versa. The long term modulation of cosmic ray intensity has been studied by several scholars in relation with sunspot number, and a high negative correlation is found between them.

The correlation of cosmic ray intensity and different interplanetary & solar parameters are given in table :

Cosmic rays stations & interplanetary / solar parameters	Correlation (r)
Kiel / B	$r = -0.79141$
Kiel / Ap	$r = -0.6595$
Kiel / V	$r = -0.39658$
Kiel / Ae	$r = -0.4884$
Kiel / B.V	$r = -0.77060$
Kiel / Rz	$r = -0.8693$
Kiel / Solar flux	$r = -0.8850$

Finally, on the basis of our investigations, we have drawn a number of conclusions.

- (I) Long-term profile of yearly sunspot number (Rz) with yearly cosmic ray intensity for the period 1986 to 2011 shows anti-correlation. Correlation coefficient between CRI (Kiel) and Rz is $r = -0.8693$. Thus Rz and CRI is negatively correlated with each other.
- (II) Long-term profile of cosmic ray intensity variation between geomagnetic indices Ap generally shows inverse correlation for the entire period of study (1986 to 2011). Correlation coefficient between cosmic ray intensity (Kiel) with Ap is $r = -0.6595$.
- (III) Long-term profile of cosmic ray intensity variation with solar wind velocity V(Km/sec) also shows inverse correlation for the entire period of study (1986 to 2011). Correlation coefficient between cosmic ray intensity (Kiel) with V is $r = -0.39658$.
- (IV) Long-term profile of cosmic ray intensity variation with solar electro-jet index (AE) also shows inverse correlation for the entire period of study (1986 to 2011). Correlation coefficient between cosmic ray intensity (Kiel) with AE is $r = -0.4884$.
- (V) Long-term profile of cosmic ray intensity variation with product of yearly solar wind velocity(V) and Interplanetary magnetic field (B) i.e. Geomagnetic electromagnetic ($B \cdot V$) also shows inverse correlation for the entire period of study (1986 to 2011). Correlation coefficient between cosmic ray intensity (Kiel) and $B \cdot V$ is $r = -0.77060$.
- (VIII) Long-term profile of cosmic ray intensity variation with yearly Interplanetary magnetic field (B) also shows inverse correlation for the entire period of study (1986 to 2011). Correlation coefficient between cosmic ray

intensity(Kiel) and B is $r = -0.79141$.

- (IX) Long-term profile of cosmic ray intensity variation with yearly Solar Flux also shows inverse correlation for the entire period of study (1986 to 2011).

Correlation coefficient between cosmic ray intensity(Kiel) and Solar Flux is $r = -0.8850$.

References:-

- Lockwood, J.A., 1960, J Geophysics. Res, 65, 19
- Webber W.R. and Lockwood JA., 1988, Journal of Geophysical research, 93, 8735
- Sharma, N.I., 29th International Cosmic ray Conference Pune, 2005, 00, 101-104
- Forbush, S.E. 1954, J. Geophys. Res., 59, 525
- Forbush, S.E. 1958, J. Geophys. Res., 63, 651
- Dorman I V & Dorman L I, 1967, J Geophys Res(USA), 72, 1513
- Jokipii, J.R., Thomas, B.T. 1981, Astrophys. J., 243, 1115
- Jokipii, J.R., Levy, E.H., Hubbard, W.B. 1977, Astrophys. J., 213, 861
- Nagashima K & Morishital, Proc of 16th ICRC, 1979, Tokyo, Japan., 3, 325
- Gupta Meera, Mishra, V.K., Mishra A.P. June 2006, Indian Journal of Radio and space Physics, 35, 167 [11] Solar Cycle 23 Wikipedia free encyclopedia

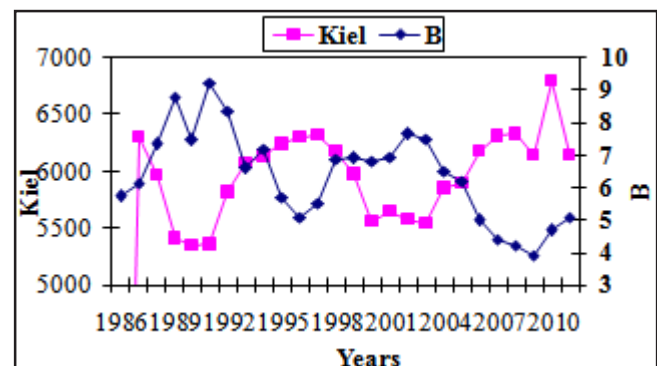


Fig 1.1:- Shows cross plot curve between yearly values of cosmic ray intensity (Kiel station) with interplanetary magnetic field B for the period 1986-2011.

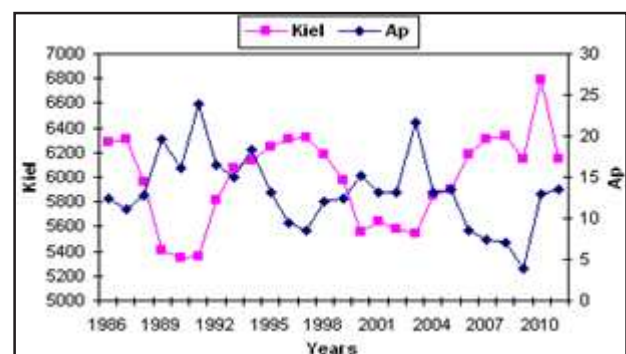


Fig 1.2 :- Shows cross plot curve between yearly values of cosmic ray intensity (Kiel station) with Ap for the period 1986-2011.

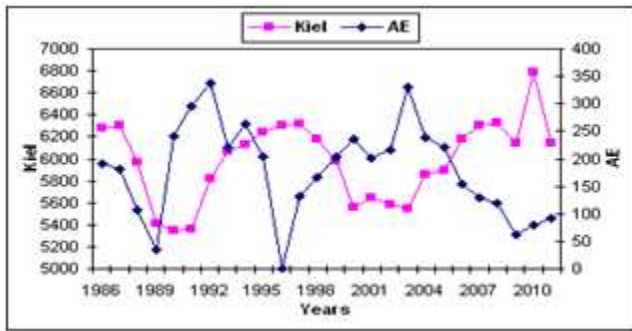


Fig 1.3:-Shows cross plot between yearly values of cosmic ray intensity (Kiel station) with solar electro-jet index (AE) for the period 1986-2011.

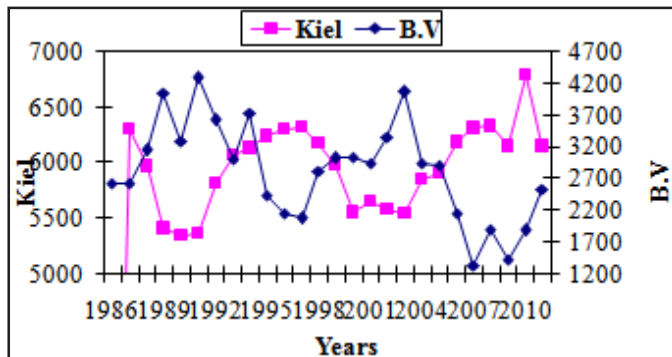


Fig 1.4:- Shows cross plot curve between yearly values of cosmic ray intensity (Kiel station) with B.V for the period 1986-2011.

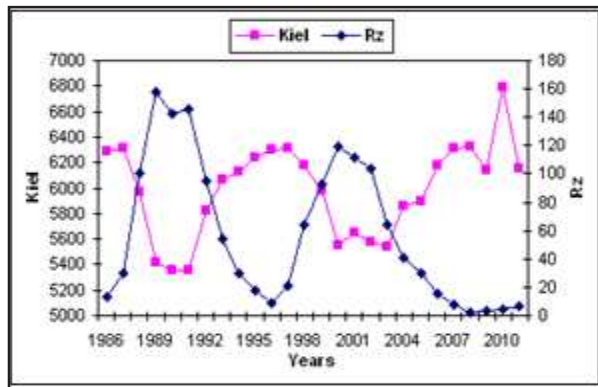


Fig 1.5:- Shows cross plot curve between yearly values of cosmic ray intensity (Kiel station) with Sunspot Number Rz for the period 1986-2011.

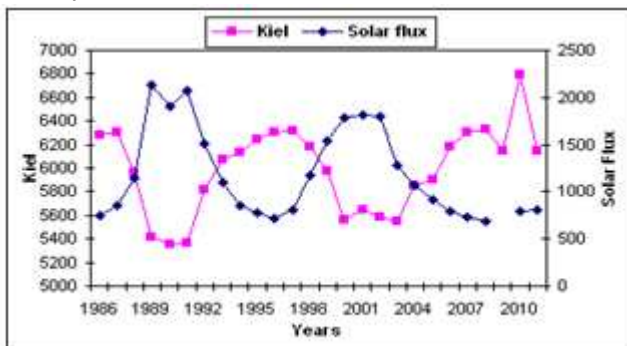


Fig 1.6:- Shows cross plot curve between yearly values of cosmic ray intensity (Kiel station) with Solar Flux for the period 1986-2011.

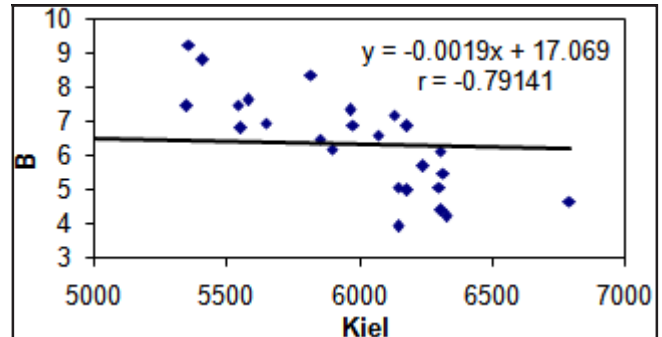


Fig 1.7:- Shows Correlation curve between yearly values of Inter planetary magnetic field (B) and Cosmic Ray Intensity (Kiel Neutron station) for the period 1986-2011.

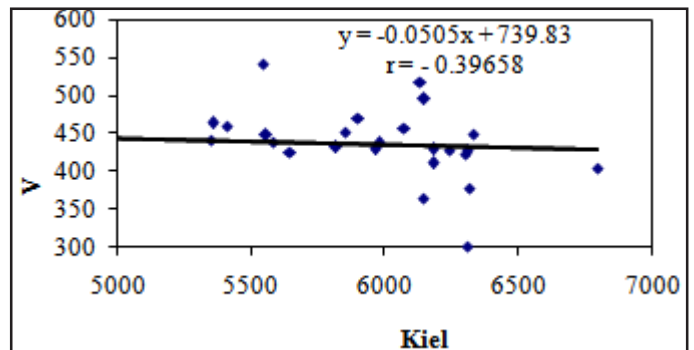


Fig 1.8 :-Shows Correlation curve between yearly values of Solar Wind Velocity (V) and Cosmic Ray Intensity (Kiel Neutron station) for the period 1986-2011.

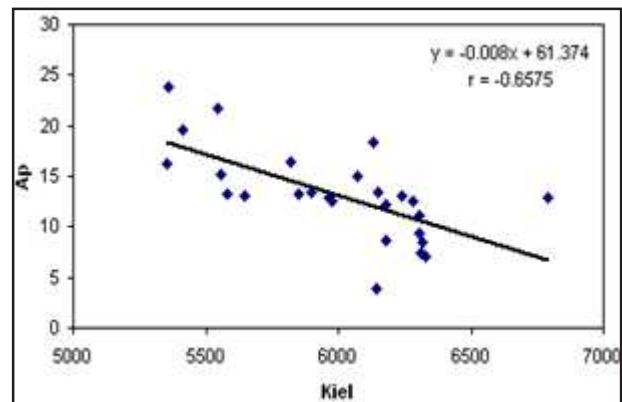


Fig 1.9 :- Shows Correlation curve between yearly values of Ap and Cosmic Ray Intensity (Kiel Neutron station) for the period 1986-2011.

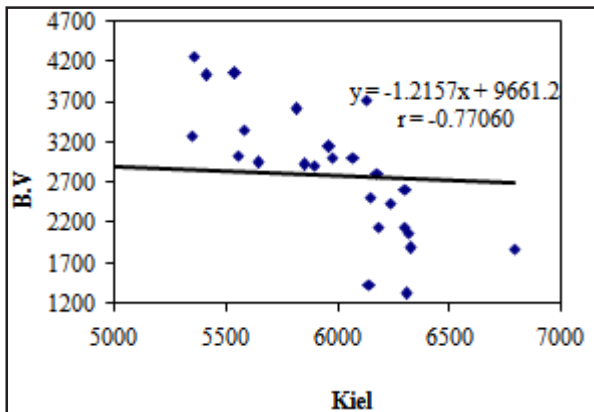


Fig:1.10 :- Shows Correlation curve between yearly values of B.V and Cosmic Ray Intensity(Kiel Neutron station) for the period 1986-2011.

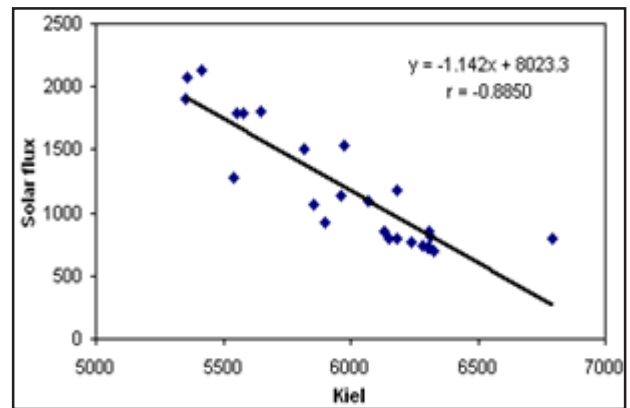


Fig:1.12:-Shows Correlation curve between yearly values of Solar Flux and Cosmic Ray Intensity(Kiel Neutron station) for the period 1986-2011.

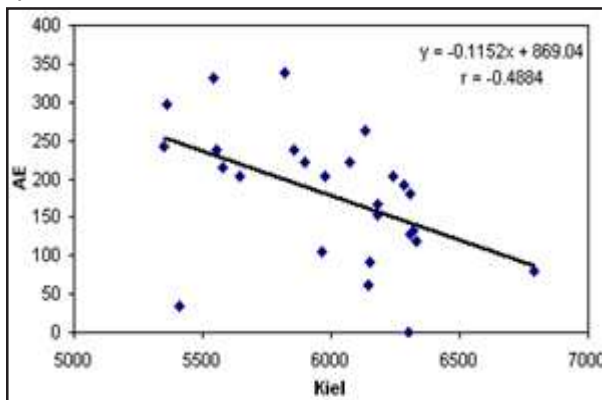


Fig:1.11:-Shows Correlation curve between yearly values of AE and Cosmic Ray Intensity(Kiel Neutron station) for the period 1986-2011.

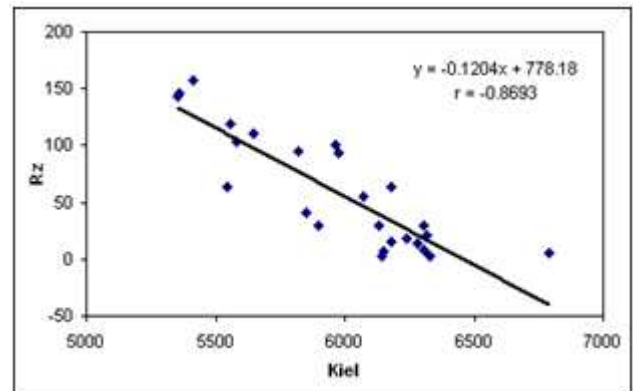


Fig:1.13:-Shows Correlation curve between yearly values of Sunspot number (Rz) and Cosmic Ray Intensity(Kiel Neutron station) for the period 1986-2011.

Role of ICT in Indian Higher Education System: Challenges and Opportunities Ahead

Dr. Vibha Nigam*

*Professor (Economics) Mahakaushal Arts and Commerce Autonomous College, Jabalpur (M.P.) INDIA

Abstract - This paper investigates the role of ICT in the higher education of India up until now and what scope it yields in the future. The scrutiny leads one to conclude that ICT has affected higher education and the related training in very diminutive ways till now. The event of COVID- 19 as a pandemic has now forced the government and education sector to focus on the underwhelming aspects of ICT. The major requirement is to focus on ICT as an engine of innovative developments rather than simply looking at its basic amenities. A nation like India whose potential is seen in its young population, education already faces several barriers in providing a substantial outlet. Thus, now more than ever ICT's exclusive aspects need to be discovered, adapted and implemented. The digital, economic and social divide in the economy prove to be holding this development back which demand critical revolutionary reforms rather than simple vague promises. With the world moving towards automation and becoming data based, ICT needs its growth if the higher education does not swear to be down the rumbles. A symbiotic relationship is in utter need between the ICT and higher education for the true potential to be unlocked.

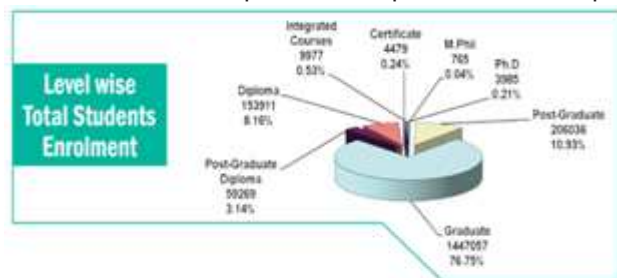
Keywords- UGC, potential, education and development.

Introduction - Education is perceived as a tool for financial prosperity and advancement of humanity by creating attractive jobs and investment opportunities. Through the years, India has developed its educational sector through leaps and bounds at least in number. The need for higher education and ICT has been rising in a circumstance conscious world which demands adaptation of new skills and knowledge at a great pace. Indian society for a long time has viewed education as a means of social and economic mobility. This can be understood from the fact that there 76.75% students who pursued graduation in the year 2017- 18 (See figure 1). Through the years this number sure has only moved higher. With the government taking initiation in approaching ICT through University Grants Commission (UGC), All India Council of Technical Education (AICTE) and National Informatics Center (NIC). Even when the task of including ICT in higher education has been taken rigorously across the globe; its delivery remains a rather nightmare. While the quantitative revolution seems to have excel in numbers; the qualitative aspect is dawned upon.

Figure 1 Source: UGC 2017-18

The contribution of ICT has occurred in India at a quick pace. It was elevated by the Eleventh Five Year Plan when the National Mission in Education was set up to use ICT for the training and education purposes better. The government of India now plans to use digitalization for making a low cost and low power consuming access device with sufficient bandwidth for educational purposes. While the success of ICT in higher education can be traced through the successful enrolment numbers of Indira Gandhi National Open University (IGNOU). The start of online certificate courses adds to the prowess of students who attempt at gaining different employable and marketing skills. An inter university facility has been set up by UGC in the form of Information and Library Network Center for sharing information among the educational and research-based institutions.

Development of ICT in the educational fields is multi-fold when one witnesses issues of equity, technology, effectiveness, teaching method, research and administration. As a method to counter staff shortages that is seen in institutions; methods like EDUSAT are developed as knowledge repository of various disciplines. The replacement of manual record keeping by electronic means not only makes it less haphazard but duly finishes off the work efficiently and much faster. With the increase in number of research enrolment task becomes better by saving time, money and effort for research studies. It provides an incentive to the research students work for a



quality-based work which they might have sacrificed for looking up the resource portals.

The ever changing and demanding global scenario has made it a requirement for the higher education to make decisions at a much quicker pace while not compromising on the efficiency. The task at hand of the administration has been increased. The COVID—19 compelled even the most traditional institutions to process, store and recover data electronically.

This process sure did not come with ultimate easement where the teachers previously accustomed to face-to-face interactions were now forced to move to online methods of teaching and evaluation. The issue did not only last on one end. If a stratum of society is left aloof we can find a substantial chunk suffering the cons of digital divide. Furthermore, even when certain teaching was imparted in these difficult times; the practice of online teaching and offline exam conduct is questionable and a matter of criticism. When education is seen as knowledge construction rather than knowledge accumulation; ICT is then seen as a tool of knowledge construction over a mere transmission method.

The universities are now witnessed not only as institutions imparting education but also serving the goals of social development, economic growth and reducing the inter- state education disparity. While these goals are not looked at directly they do work indirectly for which higher education has and is playing critical role. The triplex model of government- colleges- industries try to address gender, class, income inequality and looks for the marginalised section for developmental purposes (See Figure 2). A better access to several education, job and investment opportunities in the form of ICT helps individuals to escape unemployment and poverty.

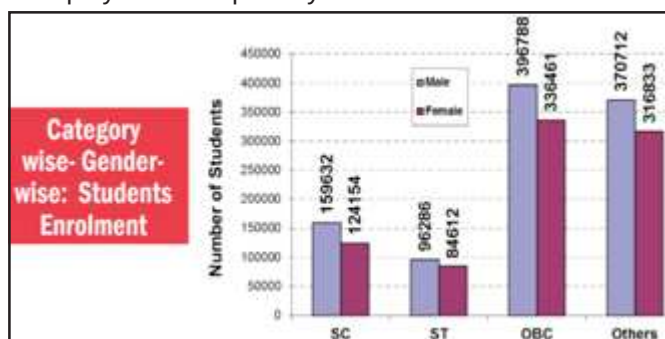


Figure 2 Source- UGC 2017-18

While the benefits of ICT when realised are immense; so are the challenges ahead. The presence of ICT in few of the top tier colleges cannot account for its lack in majority of institutions. Even when it is there in number the maintenance and updating of technology might be costly for various government run institution that presently lack even the basic amenities and sanitation. The ICT supported software, hardware, audio visuals and internet demand huge funds. Absence of these put the effectiveness and

efficiency of technology to rumbles. The stake holders alone cannot provide for these funds. Even when ICT led technology is available; the guarantee of high-speed internet to run it is questionable.

Another issue visible while counting the barriers to ICT implementation is the lack of will of political leaders. The idea of allocating funds in this direction seems unattractive to the leaders who often make the gaudy promises while campaigning. Later on, they themselves serve a mockery to Indian educational system where unattainable targets are proposed with no concrete plan of action in hand. The shift in political paradigm and change of political faces lead to change in frequent policy measures and priorities which are proposed by different governments. If an integrated decision were to be made by the ruling and opposition parties while keeping the future of the country in mind; ICT would have bloomed in the earlier stages itself. While implementation and adoption of English seems a viable method for effective use of ICT. It also leads to be problem for a greater majority who has been acquainted to minimal English as educational language. It cannot be expected from them to suddenly learn and adapt to a foreign language. This lack of developmentally appropriate software is harsher in case of rural India.

The benefits of the few ICT oriented policies introduced by the government are usually directed to only certain sector while being alienated from the rest. Main reason for this can be seen in the form of corruption and overlapping of responsibilities of various departments who seem to be wanting to free ride over other shoulders. The cycle of accusations seems to be unending. This serves as the cause behind the mysterious major funds disappearing in the process and coming out as meagre changes. At times, none made. While this might seem to be a dramatic suggestion, teaching staff at even higher education seems less accepting of the ICT methods against their age-old used methods. The role of themselves, their students, engaging in conceptual change regarding their established beliefs seem to be depended on teachers belief. Even when certain teachers have a positive attitude towards this approach, the skill set required for the same seem to be difficult to achieve for them given that it requires proper training being provided. Integration of technology in the curriculum seems to be difficult; far is the method that should be adopted for its comprehension by the students. The heavy workload was reported as primary reason why the teachers were found not being immersed in much research work. With such conditions prevailing, its hard-to-find time to train themselves for the ICT and incorporating it. While some are reluctant, others seem to find it hard to find the right amount of time to use technology for educational purposes.

Since the challenges have been reported by this article, it becomes more significant to present the opportunities offered by the ICT. To the students it provides an increased

access, flexibility of content and delivery with combination of work and delivery. Since it has a learner centric approach there are new opportunities which students can be benefitted from. Even for the workforce it is a method of achieving high quality, cost effective professional development in the workplace by upgrading their productivity and employee skills. It increases the portability of training too while sharing of costs of training time among the employees. Through ICT government can increase the capacity and cost effectiveness of education and training systems. To reach target groups within limited timeframe through conventional methods seems unplausible; which becomes affordable and attainable with ICT. It is not a replacement but a value addition done to the current system and practices revolving around learning. It can also be used to connect the educational institutions and curricula to emerging information and innovation networks.

This paper broadly discussed the current and future potential of ICT in India and higher education specifically. It is to be realised that knowledge imparting is a process in itself that can be channelled through different sources and is not to be succumbed to just the traditional methods of education. A network between business, government and colleges needs to be strengthened for the ICT to bloom in its true potential. Even in the 21st century we face the similar hindrances of reluctance and corruption which seem unending. But they need to be put in place at least through concrete judicial checks and balances and regular interventions. With the occurrence of COVID-19 the implementation and need of ICT in higher education have increased more than ever.

References:-

1. Sarkar, S. (2012). The role of information and communication technology (ICT) in higher education for the 21st century. *Science*, 1(1), 30-41.
2. Mondal, A., & Mete, J. (2012). ICT in higher education: opportunities and challenges. *Institutions*, 21(60), 4.
3. Toro, U., & Joshi, M. (2012). ICT in higher education: Review of literature from the period 2004-2011. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 3(1), 20-23.
4. Agrawal, A. K., & Mittal, G. K. (2018). The role of ICT in higher education for the 21st century: ICT as a change agent for education. *Multidisciplinary Higher Education, Research, Dynamics & Concepts: Opportunities & Challenges For Sustainable Development (ISBN 978-93-87662-12-4)*, 1(1), 76-83.
5. Bala, M. (2018). Use of ICT in higher education. *Multidisciplinary Higher Education, Research, Dynamics & Concepts: Opportunities & Challenges For Sustainable Development (ISBN 978-93-87662-12-4)*, 1(1), 368-376.
6. Krishnaveni, R., & Meenakumari, J. (2010). Usage of ICT for Information Administration in Higher education Institutions—A study. *International Journal of environmental science and development*, 1(3), 282-286.
7. Mukhopadhyay, M., & Parhar, M. (2014). ICT in Indian higher education administration and management. In *ICT in Education in Global Context* (pp. 263-283). Springer, Berlin, Heidelberg.
8. Suryawanshi, K., & Narkhede, S. (2015). Green ICT for sustainable development: A higher education perspective. *Procedia computer science*, 70, 701-707.

Artificial Intelligence and Higher Education : Incontext of India

Dr. Abha Saini*

*Associate Professor & H.O.D (Political Science) JKPPG College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

Introduction - Keywords- Technology, higher education and artificial intelligence.

Introduction - Artificial intelligence has changed the concept of higher education. Whereas we generally use chalk and duster in the classroom but changing scenarios we have entered the age of technology in higher education. In the covid 19 pandemic era, our colleges and universities are offering artificial intelligence technology such as Smart class texting, text messages, immersive classroom, Google meet, zoom platform etc. It provides students with a better learning experience from the comfort of their homes. It is a demand of time that through artificial intelligence we would connect with international universities and colleges in the field of Higher Education in changing global scenarios.

India is an emerging economy in the world. To compete in the global market and pursue sustainable socio-economic growth and development in July 2015, the government launched the Skill India Mission in line with Prime Minister Narendra Modi's vision of India as "the world's human resource capital." Artificial intelligence has assumed a pivotal role on this front, with the government think tank, NITI Aayog underlining India's emergence as an "AI Garage" as a strategy for leadership in Artificial intelligence. AI and data could contribute about US\$500 billion to India's GDP by 2025, with AI poised to add a further US\$957 billion to the country's GDP by 2035. India has the second largest education system. Through personalized learning adaptive tools, efficiently performing administrative tasks, customizing professional development courses it identified preparing a new generation to harness the globally.

Objectives- The objective of this paper is to create awareness about Artificial intelligence in higher education. It analyzes the uses, misuses and challenges of artificial intelligence in Indian higher education. It describes the relevance of artificial intelligence in higher education in the Current Indian scenario.

Review of Literature and Research Methodology- J. Siekmann (1989) describes the impact of artificial intelligence in education. Shivani Verma and Pradeep Tomar (2020) presents new dimensions of technology in the form of artificial intelligence. Jeremy Knox, Yuchen Wang, Michael

Gallagher (2019) explain Artificial Intelligence and inclusive education is for everyone learning everything. They also explain its emerging practice, challenges and its future.

Research methodology has been used in this study as Observation in the Primary data. Books, journals, different websites and Newspapers have been used in secondary data.

Artificial Intelligence- In higher education artificial intelligence has come to take a new innovation. Artificial intelligence was started in the beginning of 1950 but it has caught an eye nowadays.

Artificial intelligence is the capacity of machine technology that understands and explores the human data and behaviors to solve their problems and act accordingly. Artificial intelligence can be seen in three types. First is artificial narrow intelligence as machine learning which specializes in one area and solves one problem. Second is Artificial General Intelligence as machine intelligence which refers to a computer that solves human problems. Third is artificial super intelligence which indicates Machine consciousness that is much smarter than best human brains in every field.

Actually, it is a way of making a type of computer or software or robot which thinks like a human brain and works in a similar way. For example, Google has become one of the largest players for a range of online services by using machine learning. The main objective of artificial intelligence is to make computer and machine systems to take ready for perform intellectual task such as problem-solving task making, decision making and understanding human communication. Currently artificial intelligence is used in security and surveillance retail shopping, sports manufacturing and production films etc. The best examples of artificial intelligence in our daily life are smartphone, smart cars smart home devices.

Uses of Artificial Intelligence in Indian Higher Education

- AI revolution as a focus area for NITI Aayog. India's National Education Policy (NEP) 2020, released in July 2020, provides that all universities offer doctorate and masters programs in core areas such as machine learning and in multidisciplinary fields. The NEP also includes provisions

for setting up a National Educational Alliance for Technology “to enhance learning, assessment, planning and administration” at schools and higher education institutions.

In the field of Higher Education artificial intelligence provides knowledge acquisition technology and explores new fields. It increases the efficiency of teachers and students' interest. Artificial intelligence-based analysis is helpful in different research fields of Higher Education. Besides, it is capable of changing the needs of library process. In higher education artificial intelligence is used as plagiarism detecting software and app to check spelling, grammar and chat board.

Artificial intelligence technologies help students not only write essays but also draft resumes and active software news sentence structure. Artificial intelligence Power Tools help students to take mock interviews and give them insights into their own characteristics to help them prepare for it. Many artificial intelligence applications and tools also help students to answer academic questions and to teach them. It also helps the teachers for classes and grade assignments. It also works as immersion class for learning and virtual assistants. They can evaluate easily and score of their students and also evaluate their personality traits.

Many colleges use artificial intelligence tools to make admissions and financial aid decisions. They also use it for the possibilities of college employment. Every student has its unique personality so with the help of artificial intelligence tools he or she can adapt the level of knowledge, speed of learning and desired goals according to their personalized approach. These tools can analyze students' weakness and their previous learning history and offer courses accordingly. It also helps students to find answers to their questions without spending more time. Teachers also spend their time searching for research questions and answers and research problems. It gives opportunities to teachers and students for a personalized and better learning experience.

Disadvantage and Challenges of Artificial Intelligence and Higher Education in India- If a class is in traditional form, students can ask any question related to lecture and discuss with the teachers. Students learn more if they observe. Actually, human connection between teacher and students plays a very important role in quality education but education based on AI tools and apps has its own limitations which include mainly time and quality material.

In India many villages have no internet connection and somewhere strong internet connection which is an online course necessity and thus fail to catch up with their virtual classes. Their weak monitors or required technical equipment or software for the Artificial learning education process in India then it makes it hard.

Although students are more tech savvy and thus able to manage computers well, online courses require a lot of time and intensive work. For those students who do not know very well about computer and online learning, time management issues are very big for them. Students often

get bored with online training and digital education and this lack of engagements and motivation is one of the main challenges before artificial intelligence education.

Student and teachers should have some qualities to use for online learning process such as self-motivation, good organization and time management skills and they should also be familiar to computer and internet. Not only this but also, they have internet skills such as familiarity with web browsers, an email program and web-based interaction such as email, discussion and chat rooms etc. but in India mostly they do not know how to operate it. Ignorance towards MS-word, Excel, PowerPoint and such related programs are major hindrances in the way of artificial intelligence higher education in India. It also requires the deep technical expertise. There are a limited number of available resources to provide AI tools and apps for conduct an online examination and digital assessment in India. It is also very expensive.

One disadvantage and challenge is related to human health. If students and teachers work more on through online learning they come in frustration and tension. Most students and teachers have problems with eyes and backbone and hand pain. As technology progresses and e-learning benefits from the advancements being made, learners can now engage more actively with professors or other students using tools such as video conferencing, social media, and discussion forums amongst others. More use of ICT components creates the problem of isolation.

In artificial intelligence systems data privacy and security is the main challenge nowadays. Cybercrime is increasing. The individual whether it is teacher or student or institutions has online respect with the data privacy. Data protection in India is currently governed by the IT Act 2000. Due to changing nature of information make trouble, Online Personal data has been broken through hacking and phishing etc.

Conclusion- Higher-education reforms are underway in India to foster AI talent, for example, by widening the incorporation of AI as an academic discipline. NEP 2020 provides for the setting up of the National Research Foundation, which should help boost research in AI. A clear-cut action plan for rejuvenating higher-education institutions for the development of AI talent, whether in industry or academia, is necessary for systematic reforms. But AI is no easy path for either country or academia. institutional commitment to excellence, politically open environment and the motivation of individual researchers to unlock the potential of AI will, in the long run. Actually, Artificial intelligence is the new innovation in higher education. In the changing scenario the importance of artificial intelligence is due to low cost and present time relevance. Responsibility, privacy and data security is the most concerning subject in artificial intelligence systems. Artificial intelligence should be according to human and environmental needs then it will prove its relevance.

References:-

1. Jeremy Knox, Yuchen Wang, Michael Gallagher (2019), Artificial Intelligence and inclusive education, Springer, Singapore
2. J. Siekmann (1989), Lecture notes in artificial intelligence Springer-Verlag, New York.
3. Shivani Verma and Pradeep Tomar (2020), Impact of AI Technology on teaching learning and research in higher education, IGI global, New Delhi.
4. Yojana, Feb 2020,
5. <https://www.thehindu.com/education/how-artificial-intelligence-is-transforming-the-future-of-higher-education/article34734697.ece>, 05 JUNE 2021
6. <https://thejournal.com/articles/2021/06/23/7-benefits-of-ai-in-education.aspx>
7. <https://www.orfonline.org/research/crossroads-of-artificial-intelligence/>
8. <https://www.financialexpress.com/brandwagon/why-india-is-indifferent-to-the-data-privacy-issue/2193807/>

Impact of Transcendental Meditation on Anxiety Among Students

Mahesh Prasad* Dr. Laxmi Narayan Joshi**

*Research Scholar, Deptt. of Yogic Science, Uttarakhand Sanskrit University, Bahadrabad, Haridwar (Uttarakhand) INDIA

** Assistant Professor, Deptt. of Yogic Science, Uttarakhand Sanskrit University, Bahadrabad, Haridwar (Uttarakhand) INDIA

Abstract - Transcendental meditation is increasing in its popularity. People have now started using transcendental meditation on regular basis. It is also being observed in few schools but due to lack of awareness physical teachers and coaches are not giving due importance to provide the training of transcendental meditation. Whether this transcendental meditation is the all that significant in managing the anxiety of students; this research work was conducted in which experimentation was done on chosen students of Haridwar. Their anxiety level before and after transcendental meditation was measured and compared to assess the impact of transcendental meditation on students' anxiety.

Keywords- Transcendental meditation, anxiety and students.

Introduction - Transcendental meditation is the meditation practice developed by Shri Mahesh Yogi. He made meditation so simple that it could be practiced on chair at any point of time. It can be used by the persons working in offices or the students who spend a lot of time sitting on chair in school.

It has also been observed that anxiety is rising significantly among students due to multiple reasons which includes examination pressure, result oriented study, comparison and materialism. How this anxiety can be controlled among students is very important to be known. In a pursuit to find solution of the problem of anxiety among students an effort was made through this experimental research.

Transcendental meditation enables person to see within oneself and introspect in a clear manner to understand oneself in a better position. Clarity of thoughts develop, person start understanding one's own desire and external environment with clarity and understanding the reality. (Maharshi Mahesh Yogi, 1969)

Mindfulness evolves with transcendental meditation. Pure knowledge of conscience arises. Relaxed pathway of life is understood after practice of TM. (Alexander et al. 1990)

Anxiety is a disorder that is posing problem in developed nation like United States. 18% of its adult population is having higher anxiety. Efficiency reduces because of the disturbances caused by anxiety in behaviour, mood and functions of youth. It has devastating effect on the performance of youngsters. (Greenberg et al. 1999)

Meditation is an alternative mind body therapy. It

influences heart beat, blood pressure, reflections, skin glow, cognitive ability of person, perception towards oneself and others. It is a tool that can mould a person considerably. (Dilwar Hussain and Braj Bhushan, 2010)

Meditation develops mindfulness yet it is not being observed regularly by the youth because of laxity and casual approach. It is a pleasant activity yet it requires some discipline to be observed and that it can only be evolved under supervision of a trainer. (Dobkin P. L., Irving J. A. and Amar S., 2012)

Research Methodology: Effect of using transcendental meditation on the anxiety of students was measured. 40 students of senior secondary level were chosen from 10 schools of Central Board of Secondary Education. They tested on Hamilton Anxiety Scale. Before giving any training their score was measured and noted down. These students were provided with transcendental meditation training for half an hour for 30 days. Anxiety was reexamined with Hamilton Anxiety Scale.

Research Tools: Hamilton Anxiety Scale was used to measure the anxiety level of senior secondary level students. For that purpose 14 questions related to different aspects of anxiety were asked and the students were supposed to give answer on 5 point scale ranging from 0 to 4. Higher score on this scale reflects high level of anxiety and lower score reflects low level of anxiety. Points score could be 56 from 0 to 56.

Hypothesis for the study: There is no significant effect of transcendental meditation on anxiety of school students.

Research Analysis and Hypothesis Testing- Anxiety scores before and after transcendental meditation training

was compared as shown in table 1. It reflects that anxiety score of all the students reduced after transcendental meditation which shows the importance transcendental meditation. Out of 56 points the average anxiety before the transcendental meditation was 33.50 that is 59.82% and after transcendental meditation the average anxiety score has come down to 28.23 points that is 50.41%. Thus there was a reduction of 9.41% due to transcendental meditation.

Table 1: Anxiety before and after transcendental meditation

S.	Before	After
1	16	14
2	18	15
3	19	15
4	19	16
5	21	18
6	21	17
7	21	17
8	22	17
9	22	19
10	24	20
11	24	21
12	25	20
13	28	23
14	28	23
15	28	24
16	29	25
17	32	25
18	32	26
19	32	26
20	34	28
21	34	28
22	36	28
23	36	31
24	37	32
25	38	32
26	40	34
27	40	34
28	42	35
29	42	35
30	42	36
31	43	38
32	44	38
33	44	39
34	46	37
35	46	40
36	46	40

37	47	41
38	47	40
39	47	42
40	48	40
Average anxiety	33.50	28.23

Paired T test was done to assess the significance of transcendental meditation on anxiety. T value 21.49 is more than table value 1.96, implies that there is significant effect of transcendental meditation on anxiety of school students.

Table 2: Paired T test

Anxiety	Mean Score	N	Std. Deviation	t	Sig.
Before transcendental meditation	33.50	40	10.07	21.49	0.000
After transcendental meditation	28.23	40	8.93		

Conclusion and Suggestion: There is significant impact of transcendental meditation on anxiety; it reduced significantly after practicing transcendental meditation. There was significant reduction in anxiety level of students. Students have examination related anxiety, time related anxiety, dressing related anxiety and friendship related anxiety so it is advisable to incorporate transcendental meditation in the curriculum of physical education. It should be practiced half an hour for at least 3 days in a week.

References:-

1. Maharishi (1969). Maharishi Mahesh Yogi on the Bhagavad Gita. New York: Penguin.
2. Alexander C., Davies J, et al. (1990). Growth of higher stages of consciousness: Maharishi vedic psychology of human development. Higher stages of human development: *Perspectives on adult growth*, New York: Oxford University Press. (pp. 259–341).
3. Greenberg PE, Sisitsky T, Kessler RC, et al. (1999) The economic burden of anxiety disorders in the 1990's. *Journal Clinical Psychiatry*, vol. 60, pp-472–535.
4. Dilwar Hussain and Braj Bhushan (2010) Psychology of Meditation and Health: Present Status and Future Directions, *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, vol.10(3), pp. 439-451.
5. Dobkin P. L., Irving J. A., and Amar S. (2012) For whom may participation in a mindfulness-based stress reduction program be contraindicated? *Mindfulness*, vol. 3(1), pp-44–50.

Inverstigation Emotional and Social Intellingce Between High and Low Achiver Sports Participaton Male Playres of Bihar State

Soni Kumari* Dr. Yuvraj Srivastava**

*M.Phil Scholar, Dr. C V Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA

** Supervisor & Associate Professor, Dr. C V Raman University Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA

Abstract - In the present social intelligence of high and low achiever male sportsperson was compared 120 male sportsperson (age average 23.41 Y) who toll parts in state and national individuals and Group wise events as well as who came in sports persons. To fulfill the Individuals and Group wise sports were selected sampling low achiever male sportsperson method was used in the present study for selection of sports participants social intelligence of the selected subjects social intelligence scale presented by Chadha and Ganeshan (1986) was used. Variables that affects sports achievements of male participations.

Introduction - Social intelligence is the person's ability to understand and manage other people and to engage in adaptive social Interaction (Thomdike,1920) it is made of inter and personal intelligence ,Chadha and GANeshan (1986), Cratty(1981) states that "even a solitary work out may be accompanys by an unseen audience, a group of people residing psychologically and socially in the mind of the performer, audience the athlete knows stands ready to judge his/her performance at some future time harshly or with praise and kindness, Physical, psychological ,biological ,sociological and technical aspects are important aspects as far as performance enhancement and success in sports is concerned. In a highly competitive environment of modern sporting world , the psychological characteristics of a players is equally important for achieving success. It is believed that sports performance is dependent upon so many factors in which psychological preparations is one of the most important feature identified through various research which plays a major part in sporting success .

Research have been trying to identifying the factors that distinguish exceptional players from the ordinary performs and there have been numerous attempts to find out the traits and qualities that distinguish a champion from other players, but the findings on psychological , emotional and cognitive aspect of sports performance is far from complete especially interlinked aspects like social and emotional aspects. From the preceding descriptions it becomes amply declaration only the physical qualities like strength, endurance, and speed etc. are required to success in sports but the psychological attributes like personality,

adjustment values.

The following factors to be closely associated with athletic performance CO-Operation , competition ,conflict, cohesion, GROUP Morale ,social facilitation/inhibition, Leadership, Adjustment, Values – operation – Derives from Latin word cooperate , co means together , operate means to work. Thus co-operation means working together for the attainment of some goal. Derived from Latin word competitor which means seek together. Competitions stand for striving for certain thing objects which is in shortage. Conflict to willfully resist someone from doing achieving some objects or goal e.g. players deliberating blocking / tracking in football .Cohesion Derived from Latin word cohaesus which means to stick together working in close consent for the team/group goal. Group dynamically study of change that take place in group/team life. Group Morale Mental condition that enable the team players to act enthusiastically and courageously Facilitation /Inhibition Refers to the change in the performance due to the others. Leadership – It refers to the guidance provided in sports by the coach captain, Managers etc. for taking vital decision during normal routine and situations. Values – Refers to the attitude,beliefs and norms of the team players while performing their daily routine competing against others.

So one can say that the psychological area is an upcoming dimension of athematic enslavers which need due scientific attention. In these days of highly competitive world in all aspects of life whether it is sports or any other further contribute to excellence. It is aspects of life whether it is sports or any other field can further contribute to

excellence. It is more so in the country like India, where the athletes come from vast diversities in social and culture milieu. Hence, the researcher decided to compare social and emotional intelligence of male sportspersons in the light of their sports achievements i.e. high and low achievers male sportspersons.

Hypothesis- It was hypothesized that high achievers male sportsperson will show more magnitude of social intelligence as compared to low achievers male sportspersons.

Methodology- The following methodological steps were taken in order to conduct the present study.

Selection of Subjects- To conduct the study 120 male sports persons (60 Male and 60 Female) age average 23.43 years who took parts in state and national level participation in individuals and group events as well as who came in other sports participants events were chosen and grouped as high achievers male sportspersons. To fulfill the objectives of study 120 intercollege sportspersons who took part in state and national level participation in individual and group events as who came in sports participants these events were chosen and grouped as high achievers male sports participation. To fulfill the objective of study 120 intercollegiate male sportsman purposive method was used in the presented study for selection of male sportspersons of Bihar state.

Procedure- The selected high and low achiever male sportsperson for the present study were subject to the aforementioned tool in a laboratory like condition. Response obtained on statements of social intelligence scale was scored off as per guidelines given in manual, after scoring social intelligence score between high and low achiever male sportsperson was compared with the help of independent sample t-test result in table 1.

Result And Discussion- Investigation of social Intelligence between High and Low Achiever Male Sportsperson.

Statically Events reported in table, reveal non-significant difference in social intelligence of male sportsperson on the basis of their sports achievement calculation $t=0.15$ depicted in table indicate that social intelligence of high achiever male sportsperson (108.5) and low achievers sportsperson (108.68) not significantly with

each other. Results showed that there exist statically non-significant difference in social intelligence of male sports person on the basis their sports achievement that is expected because entire sample comprise of male sportsperson taking part in participation in sports.

Conclusion- On the basis of results and associated discussion it was included social Intelligence of male sport person cannot be predicted their high or low of sports persons achievement.

References:-

1. Chadda, N.K. and Usha Ganeshan (1986) Social Intelligence Scale National Psychological Corporation.
2. Costareli V and Stamou D (2009) Emotional Intelligence, Boy Image and Disorders Eating Attitude in Combat sport Athletes Journal of Exercise science & Fitness Vol. 7 Issue 2 pp 104-111.
3. Cratty B J (1973) Psychology in contemporary sports: Guidelines for coaches and athletes Englewood Cliff New Jersey Prentice Hall Inc and athletes Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall Inc.
4. Crombie D and Noakes A (2009) Emotional intelligence score predict team sport performance in a national cricket competition International Journal of sports science Volume : 4 Issue 2, Pages : 209-224.
5. Hassan M, Singh A K and Singh J (2015) Achievement motivation of Indian field hockey players at different levels of competition Journal of physical Education Research Volume 2, Issue 1 pp. 71-81.
6. Narimani M, Bashir S (2009) Comparison of attachment style and emotional intelligence between women and non-athletes women. Research journal of biological science 4(2) : 216-221.
7. Srivastava P, Venugopal R and Singh Y (2010). A study of personality Dimensions in sports performance journal of exercise science and physiotherapy Vol. 6 No 1 : 39-42.
8. Saini P and Shrivastava, Y (2017). A comparative study of social intelligence between high and low achievers male sportsperson, Journal of international journal of advance research (IJAR) Int J Adv Res. 5(5). 2009-2011.

Groups	High Achiever Male Sportsperson		Low Achiever Male Sportsperson		Mean Diff	't'
	Mean	S.D.	Mean	S.D.		
Social Intelligence	108.5	6.99	108.68	7.83	-0.83	0.15(NS)

NS Not Significant

Economic Offences in India and Need of Criminal Corporate Liability

Geet Krishn Vyas*

* Third-Year Law Student, NMIMS School of Law (Mh.) INDIA

Abstract - The understanding of the concept of “Economic Offences” is very crucial for establishing liability of a corporation or a company. As these offences do not happen in a vacuum; and affect the core of society and individuals living in it. These offences also show one major problem in India: The lack of mechanism and codes for punishing body corporates or companies which provide means to do such harm to prestige of the country, economy and most importantly the people. Corporate Criminal Liability is something which India, does not have, at least explicitly. The country has many separate provisions in other codes. The need for such provisions is clear when one studies the scope of some major corporate crimes committed in the country.

Keywords- Corporate Criminal Liability and Economic Offence.

Introduction - The challenge of punishing was best distilled by English Jurist, Edward First Baron Thurlow, ‘Did you ever expect a corporation to have a conscience, which has neither a soul to be damned nor a body which can be kicked’¹. And why not, the brain behind every operation of a company or body corporate enjoys relative security, anonymity to the direct victims of the crime. The disconnect which the perpetrators of economic offences lay beyond a veil of security from guilt and many times the consequences from their crimes. The need for Criminal Liability for Corporate Crimes is nothing new.

Corporation, as defined by Black’s Law Dictionary is ‘An entity defined by law to act as a distinct single person from its shareholders; and has rights to issue stocks and exist indefinitely.’² Still, the Corporation acts by the will of its shareholders, at least is it supposed to be. But what if the corporation doesn’t work accordingly to the will of the shareholder at the top, but it is working for personal gains of a few at the top brass.

Although financial offences are being done for many years like the bribes that were given during the Roman Republic to hush down legislations and make elections easier for an aspiring politician³; to arguably the very first wire fraud, The Blanc Twins and the chappe telegraph⁴. The Blanc twins were bankers and were held as one of the “brilliant financiers” of their age. They exploited the transmission of information between in Paris and Bordeaux in 1834. The information which took five days to be communicated between the two cities was only transmitted within a few hours. The brothers started embedding secret messages into the transmission, which were perceived by the operators as errors. However, the secret messages

were deciphered at the other end. Thus, these practises allowed the Blanc Twins to earn money through “very smart investments”. And when the government caught up with the twins, they were simply banned.

The understanding of the concept has evolved many times. However, it can be also stated that the understanding of the concept was changed due to different paradigms and jurists who tried to understand it. As one understanding of the concept refers to the reverse pierce of the corporate veil as an attempt by shareholders, or the corporation itself, to pierce the corporate veil existing between the corporation and its shareholders⁵. Although there’s nothing wrong with this understanding it constrains the scope and spirit of the concept by a lot. But this means that the owners and shareholders are to pierce the veil between them and the corporation.

Tools to determine Criminal Corporate Liability

1. The melding of personal identity with the Corporate: A unity of interest, ownership, and intention that separate personalities of the corporation and the individuals at the top of the chain of command melds together⁶. And the circumstance should be such that the existence of a separate entity of the corporate enables’ fraud. A basic example would be an individual’s questionable transfers of assets into an entity. The case of State v. Easton states that fraud is a necessary character for the application of this theory and that the defaulting shareholder should have utilized his or her significant control over the business to avoid personal responsibility or commit a fraud or crime⁷.

2. The doctrine of Attribution– The doctrine of attribution implies that the criminal intent of the “alters ego” of the company/body corporate, i.e., the person or group of people

that guide the business of the company, would be imputed to the corporation. *Mens rea* is attributed to the company based on the alter ego of the company. If a shareholder has significant control over the business, it is stated that the organization is his or her alter ego. The claim for alter ego is upheld by using the criteria of "control" and "extent of ownership," but it's important to remember that significant ownership, not total ownership, is required, as stated in *Trossman v. Philipsborn*⁸.

Analysis

Definition and understanding of Economic Offences.

There exists many a definition of Economic Offences, and these definitions include a broad spectrum of activities or non-activities included in such definitions. The definitions vary too much, one definition describes what all activities can be considered as economic offence/crime, which includes: Counterfeiting, fraud/forgery, undeclared employment and misuse of company assets⁹. The understanding used by Europol, rather than defining the phrase the Agency describes an itinerary of various types of frauds: benefits, EU subsidy, insurance, investment, loan and mortgage, mass-marketing, payment-order and procurement rigging¹⁰.

One widely accepted definition is the one used by The American Intelligence Agency Federal Bureau of Investigation Agency (FBI), has a larger explanation of White-Collar Crimes:

- I. Corporate Frauds: Falsification of financial information, Self-dealing by corporate insiders and Fraud involved in an otherwise legitimate hedge fund.
- II. Money Laundering.
- III. Securities and Commodities Fraud: Investment Fraud, Ponzi Schemes, Pyramid Schemes, Broker embezzlement and Market manipulation.

FBI's definition is considered a broader definition when compared to Europe's understanding. Many concepts like Ponzi Schemes and Pyramid Schemes, however at the same time the understanding is still fraud centric with a notable absence of social consequences of the same. These definitions although are very extensive, lack to include the sociological aspect and is highly fraud centric in its explanation. However, the India definition also include the social effect of such acts. In addition to that, an economic offence is described as¹¹:

1. The motive of the act is greed or avarice and not hate or lust.
2. The background of the crime is non-emotional; there's no relation between the victim and the preparators.
3. The Victim is either the state or section of the public and in cases, the victim(s) is/are a person or a few people, the underlying element of the act was to harm the society.
4. The mode of operation is a fraud.
5. The act is usually deliberate and wilful.
6. Two-fold protection of:

- a. Social Interest Presentation of:
 - i. Property, health or wealth of individual members, and national resources.
 - ii. And the general economic system as a whole from, exploitation or waste by groups or individuals.
- b. Augmentation of the wealth of the country by enforcing laws about taxes and duties, foreign exchange and commerce and industries and like.

While the 47th Law Commission Report defines what are Socio-Economic Offences, the types and categories of Socio-Economic Offence were described in the 29th Law Commission Report¹²:

1. Offences calculated to prevent and or obstruct a country's economic (health) status.
2. Tax Evasion
3. Misuse of power by public servants vested upon them by law for making contracts, disposal of public property, issuing of licences, permits and other entities of similar nature.
4. Delivery by commercial, individuals and industrials not following agreed specifications in fulfilment of a contract with public authorities.
5. Black Marketing, Hoarding and Profiteering.
6. Adulteration of drugs and foodstuffs.
7. Misappropriation and theft of public funds and property.
8. Trafficking in licences and permits.

An easy comparison between three different understanding makes it clear that one of them is also centred upon the fact that such crimes effect people. Acts like Black Marketing, Hoarding and Profiteering sure do effect finances, but a major effect is one people. As such acts directly increase the price of essential commodities. Similarly, Misappropriation and theft of public funds and property endangers the people who are directly affected due to actions of civil servants.

Thus, definition attained from the composite of Law Commission's 47th Report and Report of the Committee on Prevention of Corruption, accommodates the societal impact of economic offences, and has identified diverse nature of crimes. However, at the same time, the definition unlike the other definitions mentioned has many specific conditions, the explanation fails to demonstrate whether an act should be fulfilling all the conditions mentioned or some of them.

The Indian laws alluding to Criminal Corporate Liability.

1. Section 305 (1) of the Code of Criminal Procedure, describes the procedure when a registered society or a corporation is accused. Defines corporation as an incorporated company or any other body corporate; and also includes as a society under the Societies Registration Act.¹³
2. Section 21(1) of the Transplantation of Human Organs Act 1994.

Every person who was in charge, when an offence was committed or was responsible for the conduct of the

business of the company. Shall be deemed to be liable and punished accordingly, provided that nothing contained in this section will be used against a person who can prove that he did not know the offence. Or, he had exercised all due diligence to prevent commission.¹⁴

3. The concept of Corporate Criminal Liability can be seen to be recognised under the Companies Act 2013 under: -
-Section 53 (3)-Prohibition on issues of shares at a discount: Every officer complicit in fault shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to **six months**.¹⁵

- Section 57-Punishment for personation of Shareholder: If a person impersonates to be an owner of any security, share warrant, security or interest in the company to receive money as an owner can be imprisoned for **one to three years** or fine up to five lakh rupees.¹⁶

- Section 58 (6)- Refusal for registration and appeal against refusal: If a person refuses the order of Tribunal (prescribed by the Act), he can be imprisoned for **one to three years** or fine up to five lakh rupees.¹⁷

- Section 182(4)- Prohibitions and restrictions regarding Political Contributions: If a company refuses to comply with any sub-section of Section 182, the company and each officer involved in the default can be fined up to five times the amount contributed; and officers mentioned earlier can be imprisoned up to **six months**.¹⁸

- Section 187(4)- Investments of the Company to be held in own name: If a company refuses to comply with any sub-section of Section 184, the company can be charged a fine between Rupees Twenty-Five Thousand and up to Twenty-Five Lakh; and all officers involved in the default can be fined between Rupees Twenty-Five Thousand and up to One Lakh and imprisonment up to **six months**.¹⁹

- Section 447- Punishment for fraud: Any person involved in the fraud can be imprisoned for a term at least of **term six months of and may extend up to ten years**.²⁰

These provisions mentioned above are from various laws, and such provisions show that the legislature doesn't shy away from giving punishment for some white-collar crimes. So, why the law is hesitant to introduce the Criminal Liability? Section 447 of Companies Act has a term which may extend up to ten years.

Present Scenario

India and Criminal Corporate Liability - Although the Indian Legislature has been vastly reluctant to make laws explicit for Criminal Corporate Liability. The Indian courts have been hesitant to accept the concept that a company might be found responsible and punished since the two basic elements of *mens rea* and the ability to endure incarceration were not met. With the advent of Standard Chartered Bank v. Directorate of Enforcement²¹ in 2005, the Supreme Court implied that the corporation can be prosecuted and punished for an offense on behalf of its owners with penalties.

In the case of Iridium India Telecom Ltd. v. Motorola

Incorporation and Others²², the courts decided that the company would be held liable for the criminal intent of the persons who are the corporations' alter-ego. In India, this philosophy is still in its infancy, growing at a slower rate. However, one great shift in court's stance can be observed in Sunil Bharti Mittal v. CBI²³, the Supreme Court made a deviation from its existing canon of construction and held that an individual who has perpetrated the commission of an offense on behalf of a company can be made accused, along with the company.

It is to be noted that above three scenarios are just symptoms of the major problem, and that problem is the frequency and the scale of defaults in the country, these incidents are therefore not cherry-picked but are the best way to see the bigger picture. And unfortunately, it's not the case that there were no such cases in the contemporary times of writing the paper. Yes, Bank Scam and Punjab National Bank Scam were two cases occurred in 2018 and 2019.

An alarming statistic is that 2,750 companies out of 5,651 companies registered in the Bombay Stock Exchange have vanished (As of 2004). The implications of these numbers are very simple: every second company in the BSE has raised capital from investors and ran away.²⁴

Thus, knowingly or unknowingly shaking the trust of investors in an organisation with a rich history and legacy. And other companies in general. A graver situation is a fact that out of those 2750 companies as of 2014 only 229 companies were identified.²⁵

COMPARITIVE STUDY

Evolution of Criminal Corporate Liability in the United States of America.

The development of Criminal Corporate Liability came as a natural reaction to rapid changes brought into the world by Industrialisation in Europe and its reaching to the USA. However, the first major change to the American understanding came in the landmark case of 1909, New York Central & Hudson River Railroad v. the U.S.²⁶, The New York Central & The Hudson River Railroad was held criminally liable for the unlawful conduct of its agent for payments of rebates to American Sugar Refining Company for transportation of sugar shipment from New York to Detroit. The major issue raised was whether The New York Central & The Hudson River Railroad be criminally liable for the unlawful acts of its agent working within the scope of authority conferred by the former. The Court Determined that the corporation could be and would be held liable for the conduct of its agent, while the latter is working within the scope of the duties assigned by the corporation to acquire profits for the corporation.

Skilling v. the United States²⁷, Mr Skilling the former CEO of Enron Corp, was convicted by a Texas Federal District Court for conspiracy, insider trading, making false representations to auditors and securities fraud. Skilling filed an appeal alleging that he was prosecuted by the state under

'an invalid theory of law' and the jury was biased. It was held that the publicity and any prejudice in society did not hold Skilling from getting a fair trial. Court also noted that the same jury acquitted him of nine counts.

SWITZERLAND: A corporation will be made liable, for any criminal offences committed during its commercial activities; if the offence cannot be specifically allocated to a specific individual within the officer²⁸ (Also called as 'secondary liability')

A corporation can be made criminally liable if it fails to prevent the commission of specific acts, including corruption both public and private sectors; funding of terrorist activities and money laundering. ²⁹(Also called as 'primary liability')

FRANCE: Under the French Penal Code, Article 121-2, defines the concept of Criminal Liability. As the law requires three conditions to be fulfilled to impose criminal liability.

1. All Legal persons with the exception to the French State, are criminally liable for the acts committed on their behalf, by their organs or representatives.
2. The Criminal Liability of the act must lie with representatives or agents of the legal person.
3. The act committed must be for benefit to the Legal person, for criminal Liability to be imposed.³⁰

Suggestions - The need for Criminal Liability for Corporate Crimes is nothing new. In the 47th Law Commission Report, it was noted that "Corporate Crimes are an important type of white-collar crimes committed. And it is a challenge to punish the entity as it lacks a 'mind' guilty of criminal intent also it has no physical body to give physical punishment to." To a great extent, the commission echoed Edward Baron. However, the legislature and executive have blindsided such suggestions time after time, in favor of creating an environment that gives much more leeway for corporates to run their essential and shady functioning. It leaves the judiciary with the exceptional and unenviable burden of pulling up for Legislature as well. Indian Legal framework has time and time again shown that it is willing to change, for better helping the citizens of the country. It was once done in civil law, and thus, we got the law of Absolute Liability in the Oleum Gas Leak Case. If reforms are to be made in Criminal Law, those should be made immediately.

Conclusion- The understanding of Economic Offences has come a long way, western schools of understanding the phrase have restricted themselves only to the market loss and a major emphasis on fraud which may have caused this fraud. An evolved understanding of the phrase can be seen in the Indian school of understanding, where the social impact of the loss and disturbance caused by the incidents was kept in mind. However, with the change in markets and securities markets taking a prominent role, the instances of malicious agents trying to cheat the system have also increased, and the prominence of the securities markets has caused a major shock to the economy and the numerous smaller and large investors in a market.

The Indian Penal Code has a distinct soul which it shares with the English Laws, at least some parts of. It is after all expected, it was first introduced by The British Administration. And it is certain to say that the laws were drafted for British convenience and to organise the most 'gentlemanly' loot which one company or crown can commission of one country. As most of the companies during that era were either owned by the Crown or any small enterprise if owned by the natives, was only possible after getting favours from the British. So, it was highly profitable or justified for the British to draft laws favouring the industries; and to have no liability on such enterprises for better functioning of such enterprises.

References :-

1. John Poynder, Literary extracts, (1844) Vol. 1, page 268. URL: <https://archive.org/details/literaryextracts01poynuoft/page/268/mode/2up> accessed at 09:04 AM on 23rd February 2021.
2. Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary Ninth Edition, 391 (Bryan A. Garner) (2009)
3. Andrew Lintott, Electoral Bribery in the Roman Republic, The Journal of Roman Studies Vol. 80 (1990), page 15-16. URL: <https://ezproxy.svkm.ac.in:2152/10.2307/300277> accessed at 09:04 AM on 23rd February 2021.
4. The Original Flash Boys, Payden & Rygel: Point of View, Spring 2015. Page 2. URL: <https://www.payden.com/library/pov/Q12015c.pdf> accessed at 09:04 AM on 23rd February 2021.
5. Fletcher, W "Cyclopedia of The Law of Private Corporations" § 41.70 (Rev. Perm. Ed. 1983 & Supp. 1988)
6. Sea-Land Services, Incorporated V. Pepper Source & Ors, 993 F.2d 1309 (7th Cir. 1993).
7. State v. Easton, 69 Wn.2d 965 (1966)
8. Trossman v. Philipsborn, No. 95 CH 3430.
9. Economic Offences and Crimes, The National Institute of Statistics and Economic Studies, URL: <https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/c1114#:~:text=Economic%20and%20financial%20offences%20cover,as%20misuse%20of%20company%20assets> accessed at 09:04 AM on 23rd February 2021.
10. Current Threats, Economic Crime, Europol, URL: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime> accessed at 09:04 AM on 23rd February 2021.
11. Social and Economic Offences, page 4, The trial and punishment of Social and economic offences, Law Commission of India Forty-Seventh Report, Law Ministry of Government of India (1972).
12. Amendments to the Indian Penal Code, page(s) 53-54, Report of the Committee on Prevention of Corruption, (1964).
13. S 305(1), The Code of Criminal Procedure Code, 1974.

14. S. 21(1), the Transplantation of Human Organs Act, 1994.
15. S. 53(3), The Companies Act, 2013.
16. S. 57, Ibid.
17. S. 58(6), Ibid.
18. S. 184(4), Ibid.
19. S. 187(4), Ibid.
20. S. 447, Ibid.
21. Standard Chartered Bank v. Directorate of Enforcement, Appeal (civil) 1748 of 1999
22. Iridium India Telecom Ltd. v. Motorola Incorporation and Others, Criminal Appeal No.688 Of 2005
23. Sunil Bharti Mittal v. Central Bureau of Investigation ((2015) 4 SCC 609)
24. Dr. Minal H. Upadhyay, White-Collar Crime in India, International Journal of Research in Humanities and Social Sciences, Vol 2 Issue: 2 February 2014, Indian Scenario Page 5.
25. Ibid.
26. 212 U.S. 481
27. 561 US 358 (2010)
28. Article 102(1), The Swiss Criminal Code, 1942.
29. Ibid
30. Art. 121-2, French Penal Code, 1959.

Effect of Practicing Transcendental Meditation on Students' Stress

Mahesh Prasad* Dr. Laxmi Narayan Joshi**

*Research Scholar, Deptt. of Yogic Science, Uttarakhand Sanskrit University, Bahadrabad, Haridwar (Uttarakhand) INDIA

** Assistant Professor, Deptt. of Yogic Science, Uttarakhand Sanskrit University, Bahadrabad, Haridwar (Uttarakhand) INDIA

Abstract - Yoga is always considered as lifestyle which can add tranquility to the life and make it blissful. People recognize and appreciate the effects of yoga but due to some habits or laxity they do not practice yoga. Meditation is one such yoga that can be performed by all age groups without any strenuous training. It is so simple even the sick person can also observe meditation. To understand the novel concept of transcendental meditation and its effect on school students stress level this research was done. Stress was measured on selected students with the uses of self structured questionnaire.

Keywords- Yoga, transcendental meditation, stress, school students.

Introduction - Meditation means concentration or focus on a single thought and trying to detach oneself from the worldly thoughts that disturbs mind regularly. This is an effort to provide rest to the mind. Efforts are also made in the later stage to attain the status of thoughtlessness. Transcendental meditation is a form of meditation which suggests that meditation can be performed even sitting on the chair through the practice of deep breathing. It is not necessary that the person must sit squatted and chant the mantras.

Meditation word originated from the Latin word meditari. It means to engage in contemplation or reflection. It is contemplating on a single thought generally the spiritual one. (Manocha R, 2000)

Meditation is the process of attaining mental peace through the stage of thoughtlessness and mental silence. It simply develops self focus and self awareness and not getting affected by the surroundings and remains stable without getting deviated from the distractions or circumstances. (Cardoso et al., 2004)

Meditation is self regulatory or voluntary control method in which the focus is on self through which the ability to focus and remain vigilant develops. Meditation helps in relaxing the mind, reduces the tension and develops positive attitude. (Walsh R and Shapiro SL, 2006)

There are different approaches of observing meditation. There is Vedic approach, Buddhist approach and Chinese approaches of meditation. All are quite different but have a common goal of developing self control and balance of mind. It is the effort initiated by the person for ones upliftment and it can be learnt through practice. (Travis

and Shear J., 2010)

Meditation has multi outcomes. It is not certain and predictable for all the meditation practitioners. Intensity and the accuracy with which the meditation is done, is very important and the outcome of meditation hugely depends on it. It is really effective to do the meditation for reducing distress and enhancing well-being at large. (Goyal M., Singh S. and Sibinga et al., 2014)

Research Methodology: 40 school students who are having 10th and 12th board examination were selected purposefully from Haridwar and they were provided with practice of transcendental meditation for a month. Only the students who had score of above 75% in the previous examination were selected considering the fact that they will be serious about their studies and might be having some stress so it would be better to evaluate the effect of transcendental meditation on such selected students. A questionnaire was developed having 10 questions with five options to each as an answer 0 to 4 score was assigned to the options. As per the questionnaire the maximum stress score for the student could be 40 and the minimum could be zero. With the help of questionnaire stress score was measured before and after transcendental meditation practice of one month.

Hypothesis: There is no significant effect of practicing transcendental meditation on students' stress level.

Research Analysis and Hypothesis Testing: All the collected data through the questionnaire was tabulated as per the given table. We found that average stress of the board of examination appearing students before practicing transcendental meditation was 24.05 i.e. 60.13% and after

the transcendental meditation practice for a month their average stress level score come down to 19.50 i.e. 48.75%. This is really an appreciable reduction in the stress level.

Table 1: Stress before and after transcendental meditation

S.	Before	After
1	15	11
2	15	11
3	16	13
4	16	13
5	16	12
6	16	12
7	17	14
8	17	14
9	17	12
10	18	16
11	19	16
12	19	15
13	20	15
14	20	16
15	20	16
16	20	17
17	21	17
18	21	18
19	23	20
20	23	20
21	23	21
22	25	21
23	25	20
24	25	21
25	25	22
26	26	22
27	28	24
28	28	24
29	28	23
30	29	26
31	30	25
32	32	24
33	32	26
34	32	26
35	32	25
36	33	24
37	34	26
38	34	26
39	36	27
40	36	29

Average stress	24.05	19.5

As per paired T test the t value is 15.42 which is more than table value 1.96; reflecting that there is a significant effect of practicing transcendental meditation on students stress level. Stress level of students reduces significantly with the practice of transcendental meditation.

Table 2 Paired T test

Stress	Mean Score	N	Std. Deviation	t	Sig.
Before transcendental meditation	24.05	40	6.56	15.42	0.000
After transcendental meditation	19.50	40	5.30		

Conclusion and Suggestion: Research has revealed transcendental meditation is effective for the students especially for the students who are going to appear in board examination. They are more prone to stress related to the examination. After practice of transcendental meditation stress level not just maintained but reduced significantly with the practice of transcendental meditation so it is highly recommended to practice transcendental meditation. All the educational institutions must observe the transcendental meditation sessions for their students. It would certainly boost their mental health and they would certainly perform as per their potential not just in examination but in real life situations.

References:-

1. Manocha R (2000) Why meditation. *Australian Family Physician*, vol.29, pp-1135-8.
2. Cardoso R, De Souza E, Camano L, et al. (2004) Meditation in health: an operational definition. *Brain Research Protocols*, vol.14, pp-58-60.
3. Walsh R and Shapiro SL (2006) The meeting of meditative disciplines and Western psychology: a mutually enriching dialogue. *American Psychologist*, vol.61, pp. 227-39.
4. Travis FT and Shear J. (2010) Focused attention, open monitoring and automatic self-transcending: categories to organize meditations from Vedic, *Buddhist and Chinese traditions*. *Conscious Cogn*; vol.19, pp.1110–18.
5. Goyal M., Singh S. and Sibinga et al. (2014) Meditation programs for psychological stress and well-being: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Internal Medicine*, vol. 174(3) pp-357–368.

गोदना की परम्परा

प्रो. नवरतन साव* डॉ. बसंत नाग**

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) भा.प्र.देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) भा.प्र.देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के विभिन्न दौर में एक बात समान रूप से दृष्टव्य होता है, और वह है स्त्रियों में सौन्दर्य बोध की भावना। महिलाएं चाहे किसी भी दौर की हों या फिर किसी भी सामाजिक-आर्थिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हों, उनमें सजने-संवरने के प्रति मोह अवश्य होता है। इसी सजने-संवरने की कला का अप्रतिम नमूना गोदना है। एक ऐसी कला जिसकी लोकप्रियता प्राचीन काल से लेकर आज पर्यंत अनवरत जारी है, भले ही उसके स्वरूप में प्रगति के विविध सोपान अवश्य प्रदर्शित होते हों लेकिन उसकी प्रसिद्धि बरकरार है।

गोदना के विभिन्न स्वरूप आज फैशन के साथ कदम ताल करते अनेक रूपों में दिखाई देते हैं लेकिन इसके मूल स्वरूप के प्रति लोगों का मोह अभी भी भंग नहीं हुआ है। गोदना जिसे महिलाओं का स्थायी आभूषण माना जाता है, एक समय में इसे मुक्ति का द्वार भी माना जाता था। वर्तमान समय में यह फैशन के रूप में खिलाड़ियों के साथ-साथ माडल्स, अभिनेता-अभिनेत्री व समाज के युवा वर्ग में एक जुनून की हद तक लोकप्रिय है। यह कला न केवल सौन्दर्य वृद्धि का परिचायक है अपितु 'टोटम' की अभिव्यक्ति, संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निदानात्मक रोग निवारक जैसे एक्जूपंकचर, हार्मोनल संतुलन आदि के कारण भी समाज के सभी वर्गों में प्रचलित है।

प्रस्तावना – प्राचीन भारतीय ग्रामीण समाज में नारी की स्वाभाविक सौंदर्य वृद्धि की लालसा को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया गया है। महिलाओं की यह स्वाभाविक वृत्ति उनकी भौतिक सुविधाओं, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक चेतना एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहां की अधिकतम जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। प्राचीन काल में महिलाएं अपने सौंदर्य में अभिवृद्धि करने की उत्कृष्ट अभिवृत्ति ने 'जहां चाह-चहां राह' की प्युक्ति को चरितार्थ किया है। शरीर के विभिन्न अंगों में गोदना गुदवाना सोने-चांदी के आभूषणों को न पाने की असमर्थता, आध्यात्मिकता की भावना, शरीर की अलंकृत करने की इच्छा ने गोदना की परम्परा का प्रादुर्भाव किया।

गोदना की कला का उद्गम **पोलिने** को माना जाता है। सत्या गुप्ता ने इस संदर्भ में लिखा है कि प्राचीन समय में बिना गुदा शरीर महिलाओं के लिए लज्जा का विषय था। जिस समुदाय में सोने के गहने पहनने की परम्परा नहीं थी, वहां पर गोदने की परम्परा थी। टोना-टोटका के रूप में गोदना का प्रचलन बढ़ा। गोदना के कई नाम हैं। कहीं-कहीं पर 'गासो' कही जाती है। गोदना गोदवाने में प्राकृतिक चिन्हों, टोटम (गण चिन्ह) का प्रयोग किया जाता है। कहीं सूर्य, चंद्र, तारे, देवी देवताओं का रूपायन किया जाता है तो कहीं पर सूर्य, चंद्र को अराध्य देवों के रूप में भी दर्शाया जाता है। उनके प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित करने के लिए गोदना के रूप में रेखांकन किया जाता रहा है।

अतः आध्यात्मिक मान्यताओं से प्रेरित होकर अपने गण चिन्हों (टोटम) को शरीर में उकेरा जाता है। गुहा चित्रों के विशेषज्ञों की मान्यता है कि यह वस्तुतः सांकेतिक चित्रलिपि है, जिनके द्वारा विविध संदेशों को सम्प्रेषित किया जा सकता है। गोदना को स्थायी आभूषण भी माना जाता है। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। आभूषण और साज-

सज्जा के सभी लौकिक साधन व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात यहीं रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में गोदना अलग ही आभूषण है जो मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के साथ जाता है।

गोदना के विषय में बैरियर एल्विन ने अपनी कृति 'मिथ्स ऑफ इंडिया' में मिथक लिखा है कि एक बार भगवान शिव जी ने समस्त देवी-देवताओं को भोज पर आमंत्रित किया, जिनमें गौंड जाति के देवता भी सम्मिलित हुए। भोजन के पश्चात जब सभी देवता अपने-अपने घर जाने लगे तब गोड़ों के देवता भी अपनी पत्नी को लेने पहुंचे। परंतु देवियों की भीड़ में वे अपनी पत्नी को पहचान नहीं सके। भगवत् वे माता पार्वती के कंधे पर हाथ रख दिए और अपने साथ चलने को कहा। इस बात पर माता पार्वती नाराज हो गईं। उन्हें क्रोध में देखकर देवों के देव महादेव ने समझाने का प्रयास किया, परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ।

सच्चाई जानने पर उनका उपहास किया गया। तब उन्होंने सोचा कि वे ऐसा कोई उपाय अवश्य करेगी जिससे अगली बार इस प्रकार की भूल न हो। फलतः इस दुविधा को हमेशा के लिए खत्म करने का उपाय भी सोच लिया। इस तरह प्रत्येक जाति को पृथक पहचान दिलाने के लिये कुछ आकृतियां एवं रूपायन निर्धारित कर देवियों के अंगों पर रूपांकित किया गया। इसके द्वारा उन्हें पृथक-पृथक पहचान मिल गई। यही गोदना का प्रथम एवं मूल स्वरूप है।

गोदना के बारे में उदयशंकर भट्ट ने धर्म युग में लिखा है कि नागपुर के आस-पास गोदना लोकप्रिय है। ब्रज संस्कृति में भी गोदना का विशेष महत्व है। जिसका चित्रण लोकगीतों में भी मिलता है-

बन गये कृष्ण सिल्हार,

कि लीला खुदवाय ले ओ प्यारी॥

सत्येन्द्र कुश कृष्णा बैराही ने लिखा है कि कुमाऊं की लोककला,

संस्कृति और परम्पराओं में भी किसी नुकीले औजार या कांटे से विविध प्रकार की आकृतियां उभारी जाती थी। श्री पी.एन. चोपड़ा ने *सोसाइटी एंड कुल्जर डायरिंग* में गोदना का विवरण दिया है। वंदना अग्रवाल ने *रामायण* में नारी सौंदर्य में गोदना कला का उल्लेख किया है। उदयशंकर जी ने *बैगा बैसाखित* में गोदना का वर्णन किया है। बैरियर एल्विन ने *ट्राइब्स मिथ्स ऑफ उडिसा* में स्त्री पुरुष में अंतर करने का माध्यम गोदना को बतलाया है।

अतः स्पष्ट है कि गोदना की प्रथा प्राचीन काल से विद्यमान है। शिक्षा के विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में गोदना की प्रथा 'टैटू' के नाम से फैशन के रूप में आज भी विद्यमान है। युवा वर्गों में इसका क्रेज अधिक है। गोदना की परम्परा भारत में ही नहीं वरन् विदेशों में भी प्रचलित है। अफ्रीका व आस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में गोदना को साहस का प्रतीक माना जाता है। गोदना का संबंध स्वास्थ्य से भी है, जो लोग चलने-फिरने में असमर्थ होते हैं उनके जांघ के आस-पास सुई के द्वारा गोदना गोदा जाता है तो वह एक्यूंपंचर का काम करता है, जिससे कई बीमारियों से निजात पाया जा सकता है।

पहले बालोर का रस, बबूल के कांटे में डुबोकर गोदा जाता था। अब आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पूर्व में देवार, भाट एवं ओझा जाति की महिलाओं के द्वारा यह कार्य किया जाता था। छत्तीसगढ़ में **रामनामी समुदाय** जिनकी संख्या 5 लाख से अधिक है जो अपने चेहरे सहित पूरे शरीर में राम नाम का गोदना गुदवा लेते हैं। ऐसा वे भक्ति और राम नाम के प्रति आस्था के कारण करते हैं। गोदना किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम, स्वास्थ्य, आध्यत्मिकता तथा परम्परा का संवर्धन व संरक्षण का कार्य करती है। इसमें प्राचीन संस्कृति के हस्तांतरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का

समिश्रण के तत्व सन्निहित हैं।

गोदना जन-जन में व्याप्त एक ऐसी लोक-कला है जो पारम्परिक और आधुनिक संस्कृति को जोड़ती है। गोदना की कला संवहन की ऐसी कड़ी है जो धर्म व आस्था से तो जुड़ा ही है, साथ ही साथ आधुनिकीकरण एवं परिवर्तित स्वरूप में मित्रता, व्यक्तित्व एवं मनोभावों को प्रदर्शित करने के लिए युवा वर्ग गोदना कला को अपनाए हुए है। अतः हम कह सकते हैं कि गोदना न केवल सौंदर्य बोध का परिचायक है बल्कि आत्म-अवलोकन व पारलौकिक रहस्य से परिपूर्ण अनुभूति का परिचायक भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बैरियर एल्विन (1964) मिथ्स ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क।
2. लाला जगदलपुरी (1994) बस्तर: इतिहास एवं संस्कृति, प्रकाशक- मध्य प्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी। चतुर्थ संस्करण 2016, पृष्ठ 256 से 259।
3. उदय शंकर भट्ट (1991) गोदना की परंपरा, धर्मयुग।
4. अजय कुमार चतुर्वेदी (2019) छत्तीसगढ़ में गोदना प्रथा। <https://www.sahapedia.org/chatataisagadha-maen-gaodanaa-parathaa-social-role-tattooing-chhattisgarh>.
5. मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय (1991) आदिवासी लोककला, चौमासा, पृष्ठ 55, अंक 25.
6. आशारानी पटनायक (2020) परंपरागत गोदना प्रथा (अतीत से आज तक)। *अक्षरवार्ता इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल*

हिन्दी भाषा की उत्पत्ति

डॉ. राजू हमीरसिंह देसाई *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच।
काम जो आवै कामरी, का लै करी को कुआँचा।

- गोस्वामी तुलसीदास

किसी भी देश का साहित्य योग सापेक्ष होता है। अर्थात् उस युग में उस समाज की सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक प्रवृत्तियाँ, जैसी होती है वह उन्हीं को प्रतिबिम्बित करता है, साथ ही युग को प्रेरित करने, उसे विकसित होने की प्रेरणा भी देता है। हिन्दी साहित्य का तथा भाषा का भी अतीत इन्हीं परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करता है और विकास की गति को आगे बढ़ाता है। हिन्दी भाषा साहित्य के अभ्युदय का युग विक्रम की 10 वीं शताब्दी से माना जाता है। उस समय हिन्दी अपने पूर्व रूप अर्थात् अपभ्रंश, डिगल पिंगल आदि से मुक्त होकर अपना नवीन स्वरूप ग्रहण करने में लगी थी, तत्कालीन ग्रंथों तथा रासो ग्रंथों से इसकी पुष्टि होती है। उस युग में हमारा देश विदेशी आक्रमणों की चपेट में आ गया था और आक्रांता हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं पर भीषण प्रभाव डालने लगे थे जिससे एक नवीन युग धारा प्रवाहित होने लगी थी। हमारे हिन्दी शब्द और उसके साहित्य का विकास इन्हीं विविधाताओं के बीच जन्म ले रहा था। विदेशी आक्रांताओं की भाषा और साहित्य का प्रभाव भी उस युगीन साहित्य में स्वभावतः पड़ रहा था। ये विदेशी आक्रांता प्रायः अरबी और फारसी के ज्ञाता थे। इन भाषाओं में 'स' वर्ण का उच्चारण 'ह' की तरह होता था। इसलिए देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा से जुड़ी नदी सिंध को वह हिंद कहते थे। इसी आधार पर सिंध शब्द से हिंद बना और कालांतर में इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा भी हिन्दी की भाषा हिंद कही गई इस दृष्टि से हिन्दी शब्द का अर्थ हिंद में बोली जाने वाली सभी भाषाओं से होता है। यह भाषा अपने विकास की यात्रा में अनेक भाषाओं और स्थानीय बोलियों को ग्रहण करते हुए वर्तमान स्वरूप में हिन्दी कहलाई जिसके विकास का इतिहास एक दिलचस्प कहानी है। भाषा सुदूर अतीत में हिन्दी को भाषा के ही नाम से जाना जाता था जिसका प्रयोग बोलचाल की भाषा के लिए होता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसे भाषा का ही नाम दिया था। उपरोल्लेखित पद में भाषा नाम हिन्दी का ही द्योतक है। कबीरदास ने इस भाषा को बहते नीर के समान गतिशील माना है। 'संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर' हिन्दी की उत्पत्ति संस्कृत से और संस्कृत देवभाषा मानी गई है। हिन्दी अब भी अपनी मूल भाषा संस्कृत से प्रेरणा ग्रहण करती है। इसीलिए इसकी लिपि को भी देवनागरी लिपि कहा जाता है। संस्कृत भाषा देश भर में व्याप्त थी और सभी प्रदेश के लोग उसे अपने - अपने ढंग से लिखते बोलते

थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में ही हिन्दी को भाषा के नाम से अभिहित किया -

'स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा -
भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति'

रीतिकाल में कवि केशवदास ने ब्रज भाषा में अपना काव्य - सृजन किया जो हिंदी की ही एक बोली है -

'भाषा बोलि न जानही, जिनके कुल के दास।
तिन भाषा कविता करी, लघुमति केशवदास।'

शब्द कुंजी - हिन्दी अपने रूप अपभ्रंश - डिगल - पिंगल आदि से मुक्त होकर अपना नवीन स्वरूप ग्रहण करने लगी थी। 'स' वर्ण का उच्चारण 'ह' की तरह होता था। सिन्ध को हिंद कहते थे। और सिंध शब्द से हिंद बना हिंद के अन्य स्वरूप हिन्दुई या हिन्दवी बना। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं का सृजन इसी भाषा में किया और उसे हिन्दवी नाम दिया। कविवर जायसी, इंशाअल्ला खॉं ने भी अपनी रचनाओं में इसे 'हिन्दवी' कहा। हिंदुई या हिंदवी शब्द हिंदी के अर्थ में ही प्रयुक्त हो रहे थे। इसलिए हिन्दुई हिन्दवी शब्द से ही हिन्दी की उत्पत्ति मानी जाती है।

'स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा -
भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति'

-गोस्वामी तुलसीदास

गनीमत है कि, हिन्दी को पाणिनी कात्यायन या पतंजली नहीं मिले वरन् यह भी 'कूप जल' की तरह हो जाती। बहता नीर नहीं रहती। और यह बार-बार नित नयी चाल में नहीं ढल पाती। महा कवि भारतेन्दुजी ने कहा कि, 'हिन्दी नयी चाल' में ढल रही है। प्रसिद्ध संस्मरण लेखक एवं भाषाविद् कान्ति कुमार जैन लिखते हैं, हिन्दी पुनः नया रूप धारण करने जा रही है।

भाषा की पवित्रता या सुचिता को लेकर चिंता करने वाले लोग भाषा की उत्पत्ति एवं उसके विकास से अनभिज्ञ हैं, या अनदेखा करते हैं। हिन्दी की विकास यात्रा उपलब्धत 'स्त्रोतों के अनुसार' विरोस समाज की यात्रा के साथ शुरू होती है। यह समाज भारोपीय भाषा का मूल प्रयोक्ता रहा है। इनके मूल स्थान के बारे में विभिन्न मत प्रचलित हैं। प्रथम मत इनका मूल स्थान 'भारत' में ही मानता है, दूसरा एशिया में ही कहीं नहीं बाहर मानता है। तृतीय मत इन्हें एशिया के किसी संधि स्थल को मानता है। पर इतना सब स्वीकार करते हैं कि, दो शाखाएँ बनी एकस ईरान में और दूसरी भारत में, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में बसे उन्हें हदरद कहा गया। भारत में आर्यों द्वारा रचित ग्रन्थक ऋग्वेद में ईरान की भाषा अवेस्ताम के बहुत से शब्द मिलते हैं। जो इन

जातियों की नजदीकी या सम्पर्क का प्रमाण हैं। डॉ. वान ने भारोपीय परिवार के दो वर्ग बनाये सतम् वर्ग और केन्तुजम यहाँ सतम् अवेस्ताप भाषा का शब्द हैं। इसी वर्ग की एक शाखा भारत ईरानी हैं।

इसे हिन्दी ईरानी या आर्य भाषा भी कहते हैं। भारोपीय परिवार की यह शाखा बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस परिवार को प्राचीनतम प्रमाणिक साहित्य शुद्ध अर्थों में इसी शाखा में मिलता है। इतना ही नहीं ऋग्वेद के समान शुद्ध साहित्य संसार की किसी भी भाषा में कदाचित नहीं मिलता है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाएँ दो हजार ई.पू. तक लिखी जा चुकी थी, ऐसी कुछ विद्वानों की धारणा है, और 1500 ई.पू. तक तो इसका बहुत सा अंश लिखा जा चुका था। ईरानी में भी उस साहित्य की रचना हो रही थी, किंतु 323 ई.पू. में सिकंदर और 651 ई. में अरबी आक्रान्ताओं ने ईरानी के पुराने साहित्य को जला डाला। सातवीं सदी ई.पू. की इस पुस्तक की टिका या जेन्दस पलवी भाषा में लिखी गयी इसलिए इसे जेन्दावेस्ता भी कहते हैं। भारत और ईरान के लोग स्वयं को आर्य कहा करते थे। इसमें ईरानी (पारसी) जाति के यहाँ 'अवेस्ता' का वही महत्व था जो भारतीय जाति में वेद का। दोनों जातियाँ यज्ञ एवं देवताओं को मानने वाली थी, किंतु जरस्थुश्चर के बाद दोनों धार्मिक दृष्टि से अलग हो गए और फिर अवेस्ता एवं संस्कृत दूर-बहुत-दूर होती गयी।

भारत में प्रवेश करने वाले आर्यों के विभिन्न दलों की भाषाओं में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य थी, परंतु उनमें साहित्यिक भाषा का एक सर्वमान्य रूप विकसित हो गया था। इसी साहित्यिक भाषा में ऋग्वेद के सूक्तों की रचना हुई। वैदिक संस्कृत काव्य भाषा होने के कारण तत्कालीन बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न दिखाई देती है, जबकि इनके बाद लिखे गए हैं ब्राम्हीण एवं उपनिषद् आदि का जो गद्य है, वह बोलचाल की भाषा के अधिक नजदीक है। सात सौ ई.पू. के बाद संस्कृत का विकसित रूप मिलने लगता है। इसे सूक्तों में भी देखा जा सकता है। यह संस्कृत पाणिनीय संस्कृत के काफी पास पहुँच गयी है। यद्यपि उसमें पाणिनीय संस्कृत की एकरूपता नहीं है। इसी काल के अंत में लगभग पाँचवीं सदी में पाणिनी ने अपने व्याकरण में संस्कृत के उद्दिष्ट्य. में प्रयुक्त रूप के अपेक्षाकृत अधिक परिनिष्ठित एवं पण्डितों में मान्य रूप को नियमबद्ध किया, जो सदा सर्वदा के लिए लौकिक या क्लौसिकल संस्कृत का सर्वमान्य आदर्श बन गया। पाणिनी की रचना के बाद बोलचाल की भाषा पाली प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भाषाओं के रूप में आज तक विकास करती आयी है।

आधुनिक काल में भारततेंदु तक पहुंचकर यह निज भाषा या मातृभाषा बन गई। हरिश्चंद्र जी जब लिखते हैं-

‘निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल।’

तब वह हिंदी की ओर ही संकेत करते हैं हिन्दी के अन्य स्वरूप हिन्दुई या हिन्दवी - वर्तमान हिन्दी का नामकरण अपने पूर्व के कई स्वरूपों से निखर कर वर्तमान नाम और स्वरूप प्राप्त कर सकती है। जिस प्रकार सिंह शब्द से हिन्दी शब्द अपना नाम ग्रहण कर सका, ठीक वैसे ही हिंद से हिन्दी ने अपना नाम ग्रहण किया।

ग्रियर्सन जैसे कुछ विद्वानों का यह मानना है कि हिन्दी के विकास में एकमात्र भूमिका अंग्रेजों की रही चिंता का विषय है। ग्रियर्सन ने तो यहां तक कहा कि हिन्दुओं के पास कोई भाषा नहीं थी, जिससे वह गद्य में कुछ लिख पाते, ग्रियर्सन निश्चित ही विद्वान था। और भारतीय भाषाओं पर उसके

द्वारा किया गया कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवश्यकता है हिन्दी के शुद्ध रूप को बचाए रखने की, और उसकी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाए जाने की क्योंकि हिन्दी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है-

हिंद है हम वतन है। हिंदुस्ता हमारा॥

पाणिनीय व्याकरण ने संस्कृत को क्लासिक रूप दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत का एक स्थाई रूप बन गया, उसमें परिवर्तन की संभावना लग-भग खत्म हो गयी और एक लंबे समय बाद उसे 'कूप-जल' कहा जाने लगा। परंतु उस समय जो जन भाषा थी या बोलचाल की भाषा थी, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहे, इसी भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया, इसे ही प्राकृत कहा गया। प्राकृत के बारे में दो तरह की धारणाएँ हैं, 'डॉ. ग्रियर्सन' का मानना है, कि प्राकृत जन भाषा थी, जिसे पंडितों ने परिष्कृत कर वैदिक संस्कृत का रूप दिया। और बाद में लौकिक रूप दिया। नेमि साधु भी प्राकृत को पुरानी भाषा मानते हैं, जिसको संस्कारित करके संस्कृत बनायी गयी। वे काव्यालंकार में टीका लिखते हैं 'प्राकृत एक लज्जक जन्तुमा व्याकरणादिमिरनाहत संस्कारः सहजो वचन व्यापारः प्रकृतिः प्रकृति तत्र भवः सेव वा प्राकृतम्यया। जैसे जल सागर में प्रवेश करता है और सागर से ही निकलता है, उसी प्रकार सभी भाषाएँ प्राकृत में ही प्रवेश करती हैं, और प्राकृत से ही निकली हैं। दूसरी धारणा यह है कि प्राकृत का जन्म संस्कृत से हुआ है। 500 ई.पू. से 1000 ई.पू. तक बोली जाने वाली प्राकृत संस्कृत से उत्पन्न है।

वस्तुतः संस्कृत के पहले बोली जाने वाली जनभाषा प्राकृत थी, और जब संस्कृत के वैदिक और लौकिक रूप बने, उस समय की जनभाषा भी प्राकृत थी, और जिसे संस्कृत से उत्पन्न मध्यकालीन आर्य भाषा कहा जाता है, वह भी तत्कालीन जनभाषा प्राकृत ही थी, जिसके बाद में अपभ्रंश का विकास हुआ। जब संस्कृत नहीं थी, उस समय जनभाषा भी प्राकृत थी, और जब संस्कृत 'कूपजल' बन गयी तो, जो जनभाषा 'बहता नीर' थी वह भी प्राकृत थी। प्रायः बोलचाल की भाषाएँ ही परिष्कृत होकर साहित्यिक भाषा बनती हैं, और जब साहित्यिक भाषाएँ जनता से दूर होती हैं तो जनभाषा पुनर्नवा बनकर विकसित होने लगती है।

पाली शब्द की उत्पत्ति और उसके क्षेत्र के विवादों में न उलझ कर हमें यह स्वीकार करने में कोई असुविधा नहीं है कि पाली मध्यदेश की भाषा है और उसे शौरसेनी प्राकृत का पूर्ण रूप मान सकते हैं। पाली के प्रारंभिक प्रयोग भाषा के रूप में नहीं वरन् बुद्ध के वचनों के रूप में मिलते हैं। पाली शब्द का भाषा के रूप में प्रयोग आधुनिक काल में हुआ। अभिलेखी प्राकृत से आशय है, शिला लेखों पर लिखी प्राकृत इसलिए इसे शिला लेखी प्राकृत भी कहते हैं। इसमें अशोक एवं अन्य राजाओं द्वारा लिखवाये गये अभिलेख आते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण के आधार पर प्राकृत के बहुत सारे भेदों के उल्लेख मिलते हैं परंतु मुख्य रूप से पांच प्राकृत को ही स्वीकार किया जाता है।

1. शौरसेनी 2. पेशाची 3. महाराष्ट्र 4. अर्द्धमागधी एवं 5. मागधी प्राकृत में अधिकांश शब्द तद् भव है। इसमें इनमें उन शब्दों के भी तद् भव हैं जो आस्ट्रिक या द्रविड़ आदि से संस्कृत में लिए गए थे। साथ ही इस काल तक आते-आते आर्य भाषा में अनुकरण या अन्य आधारों पर बने बहुत से देशज शब्दों का भी विकास हो गया था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले व्यादि और पतंजलि द्वारा हुआ।

भरतमुनि ने भी विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया। किसी क्षेत्र विशेष

की भाषा अपभ्रंश नहीं थी, बल्कि जितनी प्राकृत थी उन सभी की उतनी ही अपभ्रंशों का विकास हुआ। इन अपभ्रंशों से जो आधुनिक भाषाएँ निकली वे इस प्रकार हैं – शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी/पैशाची अपभ्रंश से लहँदा पंजाबी/प्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी, महाराष्ट्री, अपभ्रंश से मराठी/अर्द्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिन्दी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी बंगाली उड़िया और असमिया। यह तो ठीक है कि उत्तर भारत में बोली जाने वाली आर्य भाषाएँ हिन्दी की बहिनें हैं। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होकर पाली फिर प्राकृत फिर क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अतः संस्कृतकालीन या कह सकते हैं कि संस्कृत पूर्व की बोलचाल की भाषा धारा प्रवाहित होते – होते हिन्दी का रूप धारण किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. कांति कुमार जैन : इक्कीसवीं शताब्दी की हिन्दी- साहित्यवाणी इलाहाबाद पृ. 7
2. डॉ. भोलानाथ तिवारी : भाषा विज्ञान किताब महल इलाहाबाद 2008 पृ. 131
3. डॉ. भागीरथ मिश्र : हिन्दी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास राधाकृष्णन नयी दिल्ली 7 : 2010 पृ. 11
4. डॉ. उदयनारायण तिवारी-हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास लोक भारती इलाहाबाद 2003 पृ. 25
5. डॉ. देवेन्द्र नाथ शर्मा : भाषा विज्ञान की भूमिका राधाकृष्णन नयी दिल्ली 2000 पृ. 111
6. डॉ. राजेश श्रीवास्तव : 'शम्बर' हिन्दी भाषा कैलाश पुस्तक सदन भोपाल/2014
7. डॉ. विभा शुक्ला डॉ. वीरेन्द्र मोहन : हिन्दी भाषा का इतिहास म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल/2015

1857 से पूर्व भारतीय रियासतों की स्थिति - एक अध्ययन

डॉ. शालिनी गुप्ता *

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) प्रभारी प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ - शासकीय गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय मुंगवाली, अशोकनगर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - 16 शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय देशों की व्यापारिक कंपनियों और उनके साथ ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत आना प्रारंभ कर दिया था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में उन्होंने अपने नीति कौशल से इस देश के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रभाव स्थापित कर लिया था। इन कंपनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और पुर्तगाली कंपनियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के राजा, महाराजाओं के आपसी मतभेदों का लाभ उठा कर भारत में एक विशाल भू-भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों ने भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। अंग्रेज कंपनी के कर्मचारियों की शोषण की नीति तथा अधिकारियों की साम्राज्य विस्तार की योजना ने भारतीय नरेश से लेकर जनसाधारण तक के मन में प्रतिरोध की भावना जागृत कर दी थी। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति ने आग में घी डालने का कार्य किया। अपहरण नीति का प्रभाव केवल भारतीय नरेशों के ऊपर ही नहीं पड़ा, बल्कि संपूर्ण भारत की जनता भी इस परिधि भी में आ गई थी। इस प्रकार भारत के प्रत्येक निवासी का मन अंग्रेजों के प्रति घृणा से भर गया। भारतीय नरेश अब उस प्रक्रिया पर विचार करने लगे कि, किस प्रकार अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा जाए। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। इस शोध पत्र के माध्यम से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए देसी रियासतों में होने वाले गतिविधियों तथा योजनाओं को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की मुख्यधारा से जोड़ने तथा एकीबद्ध करने का प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी - 1857 के पूर्व देसी रियासतों की स्थिति, घटनाएं, योजनाएं, कार्य प्रणाली।

प्रस्तावना - क्रांति का श्रीगणेश होने से पूर्व भारतीय रियासतों की स्थिति दो प्रकार की थी एक तो वे रियासतें थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ करना नहीं चाहती थी और दूसरी वे रियासतें थी जो इस थोपी गई राज्य सत्ता को समूल उखाड़ फेंकना चाहती थी। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व भारत में बड़ी-बड़ी नौ रियासतें थी- कश्मीर, निजाम, मैसूर, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, दिल्ली जयपुर तथा जोधपुर। इसके अतिरिक्त अवध, झांसी, कानपुर संतुल रियासतें थी, जिनमें क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। वैसे तो देशी रियासतें निष्प्राण थी, किंतु अंग्रेजों के व्यवहार से असंतुष्ट एवं विरोधी भाव लिए इन रियासतों का जनमानस उग्र रूप धारण कर चुका था। क्रांति के पूर्व भारतीय समझ चुके थे, कि जब तक इस विदेशी सत्ता को निर्मूल नहीं किया जाएगा, तब तक उसके प्राण स्वतंत्र रूप से श्वास नहीं ले पाएंगे। इस आदर्श को सामने रखकर क्रांतिकारियों ने इस महान कार्य का सिंहनाद कर दिया जिसमें इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि कितनी क्षति होगी। देश की स्वतंत्रता को ही परम ध्येय मानकर परम यह चिंगारी प्रज्वलित कर दी गई। यद्यपि यह पूर्ण रूप से गुप्त थी। अंग्रेजों के असहनीय एवं अमानवीय सरकार से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक था कि एक गुप्त संगठन गठित किया जाए, इसके लिए समस्त देसी नरेश एक सूत्र में आबद्ध हों। इस अवसर की उपलब्धि नाना साहब के पेंशन मामले की निरस्ती पर हुई। नाना साहब के वकील अजीमुल्ला खान जब इंग्लैंड की सरकार की अपहरण नीति का पोषक पाकर रिक्त हस्त रह गए, तो उन्हें दक्षिण भारत के रंगों- बापू एकमात्र आश्रय मिले, जिनके संग बैठकर अजीमुल्ला ने विचार-विमर्श किया। इस विचार विमर्श के पश्चात यूरोप के अन्य देशों का भ्रमण करते हुए भारत लौटे। इस भ्रमण में गैरीबाल्डी से भी मिले तथा उन्हें भारतीय स्थिति से अवगत कराया।

अब एक ओर रंगों जी बापू सतारा में बैठे हुए दक्षिण के नरेशों को और वहां के लोगों को तैयार कर रहे थे, तो दूसरी ओर अजीमुल्ला खान और नाना साहब बिठूर में बैठे हुए आगामी क्रांति के नक्शे को पूरा कर रहे थे। इस योजना का निर्माण बिठूर में बैठकर नाना साहब व अजीमुल्ला खां के मार्गदर्शन में हुआ। सर्वप्रथम सिंधिया राजमाता बैजाबाई से संपर्क स्थापित किया गया तत्पश्चात होलकर तथा जयपुर जोधपुर रीवा, बड़ौदा, हैदराबाद, कोल्हापुर सतारा इंदौर इत्यादि के राजाओं से पत्र व्यवहार किया। नाना साहब के पत्रों का उत्तर दीर्घकाल तक प्राप्त नहीं हुआ। लखनऊ के कुछ साहूकारों ने नाना साहब के विचारों से अपना साम्य प्रकट किया। पूर्वी प्रमुख मानसिंह, नाना साहब के इस विचार से सहमत हुए और उनके साथ संयुक्त हो गए। जब इस योजना को प्रतिपादित किया जा रहा था, अंग्रेजों ने अवध को अधीनस्थ कर लिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि अनेक लोग इस विचार की ओर आकृष्ट हुए। क्रांति करने की योजना करने वालों का मुख्य विचार यह था कि भारत के सभी हिंदू और मुसलमान सम्राट बहादुरशाह के झंडे के नीचे मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दें और फिर सम्राट के झंडे के नीचे ही अपने देश के सुशासन का नए रूप से प्रबंध करें। नाना साहब एवं मानसिंह ने सम्राट बहादुरशाह से पत्र व्यवहार किया और यह निश्चित किया कि मुसलमानों के लिए बादशाह और हिंदुओं के लिए दीवान गिरी दिल्ली सम्राट रहेंगे। इस व्यवस्था से हिंदू तथा मुसलमान दोनों को ही एक करने तथा इस महान राष्ट्रीय कार्य को संपन्न करना सरल हो गया। इसे संपन्न करने के लिए आवश्यक था कि वांछित धान एकत्रित हो सके, क्योंकि धान का अभाव सैनिकों को आकर्षित कर सकता था। पत्रों के उत्तर लंबी अवधि तक प्राप्त नहीं हुए थे। जम्मू के राजपूत गुलाब सिंह ने सर्वप्रथम उत्तर

भेजा, उन्होंने कहा कि वह जन, धन तथा शस्त्र से तैयार हैं। उन्होंने लखनऊ के एक साहूकार के द्वारा नाना साहब के पास धन भेजा इसके अतिरिक्त लखनऊ के अन्य साहूकारों ने भी इस कार्य के लिए धान भेजा। ऐसा प्रतीत है कि इस विशाल संगठन की नींव बिठूर में ही रखी गई थी। संगठन इतना विशाल होते हुए भी इतना संपूर्ण, सुंदर और सुव्यवस्थित था, कि उसे अंग्रेजों जैसी जागरूक कोम से बरसो इतनी अच्छी तरह गुप्त रखा गया कि, इस विषय में अनेक अंग्रेज इतिहास लेखकों तक ने क्रांति के प्रवर्तकों और संचालकों की योग्यता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। अधिकांश भारतीय नरेश जिनको कंपनी की ओर से कुछ सुविधाएं प्राप्त थी, वे मूक दर्शक बनकर इस राष्ट्रीय कार्य का अवलोकन कर रहे थे। इतना तो निश्चित था कि देसी राज्यों की शक्ति हीनता, राजवंशों की पंगुता एवं मुगल सम्राट की असहायता को देखते हुए कोई भी क्रांति केवल सेनानियों के विद्रोह से प्रारंभ हो सकती थी। इस विषय में आवश्यकता की भारतीय सैनिकों तथा सेना नायकों को इस महान कार्य में योग देने के लिए प्रेरित किया जाय। 1856 ई. से कुछ समय पहले नाना साहब ने बिठूर में बैठे हुए भारत भर में चारों ओर अपने गुप्त दूत और प्रचारक भेजने शुरू कर दिए थे। नाना साहब के विशेष दूत दिल्ली से लेकर मैसूर तक सब भारतीय नरेशों के पास पहुंचे और उनके गुप्त प्रचारक कंपनी की सारी देसी फौजों तथा जनता को अपनी ओर करने के लिए निकल पड़े थे। जो गुप्त पत्र नाना साहब ने इस समय भारतीय नरेश को लिखे, उनमें उन्होंने कहा, कि किस तरह अंग्रेज सरकार एक-एक करके देसी रियासतों को पराधीन करने में लगी हुई है। उत्तरी भारत इस प्रत्यन में अधिक सक्रिय रहा क्योंकि संपूर्ण विचार क्रांति का संचालन यह यहीं से हो रहा था।

इस संगठन को सहयोग देने का कार्य नाना साहब के अतिरिक्त मौलवी अहमद शाह ने भी किया जो प्रचार कार्य के प्रमुख व्यक्ति थे। प्रचार कार्य की व्यवस्था इतनी सुंदर वह गुप्त थी कि महीनों से नहीं बल्कि वर्षों से वे सारे देश के राजाओं से संपर्क कर राष्ट्रीय हितों की बात कर रहे थे। एक देशी दरबार से दूसरे देशी दरबार तक, विशाल महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, नाना साहब के दूत घूम चुके थे। इन पत्रों को होशियारी के साथ और शायद रहस्यमय शब्दों से भिन्न-भिन्न धर्मों के राजाओं और सरदारों को सलाह दी गई थी और उन्हें आमंत्रित किया गया था, कि आप आगामी युद्ध में भाग लेय इस योजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक था कि कोई ऐसा स्थान हो, जहां से संपूर्ण प्रभावित क्षेत्र पर दृष्टि रखी जा सके। दिल्ली ही एक ऐसा स्थान था, जहां से संपूर्ण उत्तर भारत में क्रांति की प्रगति का अवलोकन किया जा सकता था। इस कार्य के लिए एक वरिष्ठ सहयोगी की भी आवश्यकता थी। सम्राट बहादुरशाह उनकी बेगम जीनत महल और उनके सलाहकारों ने देश और नाना साहब का पूरा साथ देने का निश्चय कर लिया। बहादुर शाह ने भी ईरान के शाह से पत्र व्यवहार किया तथा दिल्ली नगर में गुप्त सभाएं करने तथा क्रांति को सफल बनाने के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिए। नाना साहब के वकील अजीमुल्लाह खा ने इंग्लैंड से लौटते समय रूस का भी भ्रमण किया था। भारतीय तत्कालीन स्थिति का विवेचन भी रूसी नेताओं से उन्होंने किया था। नाना साहब ने उक्त संबंध में रूस से संबंध स्थापित किया और जैसा सीताराम बाबा ने अपने बयान में स्वीकार किया कि नाना साहब ने गुलाब सिंह तथा रूस दोनों को ही लिखा एवं रूस से उत्तर भी प्राप्त हुआ। इस उत्तर में यह कहा गया कि, उसे सहयोग तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक वह दिल्ली पर अधिकार स्थापित नहीं कर लेता। यदि वह सफलता प्राप्त कर लेता है तो अंग्रेजों के कोलकाता से भगाने

में सहयोग दिया जाएगा। कंपनी सरकार का आक्रोश लखनऊ के नवाब पर भी प्रभावी रूप से प्रस्फुटित हुआ था और उसे नवाबी से निर्वासित होना पड़ा था। अपनी निर्वासिता का प्रतिशोध लेने के लिए नवाब वाजिद अली शाह उसका होशियार वजीर अली नकी खा, अवध के सब ताल्लुकेदारों और वहां की सारी प्रजा इस राष्ट्रीय क्रांति की सफलता पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने के लिए तैयार हो गई थी। इन देशी राज्यों के निर्वासित, पदच्युत एवं आर्थिक रूप से उत्पीड़ित नरेश किस क्रांति में अपना सहयोग प्रदान करने लगे थे। सभी वर्गों के लोगों को उनकी क्षमता एवं कार्य कुशलता के अनुसार कार्यों का वितरण किया गया। इनमें चौकीदार से लेकर सेनानायक, नरेश से फकीर तक में अपना कौशल दिखलाया। यह तो निश्चित था कि कंपनी सरकार के अधीनस्थ राज्यों के अतिरिक्त अन्य देशी राज्यों में भी सैनिक कंपनी सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित किए जाते थे, जिन्हें प्रशिक्षण अंग्रेज अधिकारी देते थे। इन सैनिकों के मन में देश प्रेम जागृत करना तथा उन्हें क्रांति की ओर अग्रसर करने के लिए साधान तथा फकीरों का सहयोग वांछित था। वजीर अलीनकी खान ने कलकत्ता में बैठकर मुसलमान फकीरों और हिंदू साधुओं के रूप में अपने गुप्त दूत उत्तर भारत की तमाम देशी फौजों में भेजने शुरू किए और उन फौजों के भारतीय अफसरों के साथ गुप्त पत्र व्यवहार प्रारंभ किया।

यह प्रचार सैनिकों तक बल्कि बैरकपुर से पेशावर तक और लखनऊ से सतारा तक हजारों राष्ट्रीय फकीर और सन्यासी घूम घूम कर एक-एक पलटन में स्वाधीनता के युद्ध का प्रचार करने लगे। संगठन को गुप्त रखने के लिए आवश्यक था, कि गांव में रहने वालों को अपने विश्वास में लिया जाय। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन था धार्मिक व्यक्तियों को धर्म प्रचार के माध्यम से जनसाधारण में भेजना तथा उनकी भावनाओं को जागृत कर मनोवांछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनमानस तैयार करना। इस हेतु भी साधु और फकीरों को इस कार्य के लिए आमंत्रित किया गया था, किंतु वास्तव में ये साधु धार्मिक रूप से क्रांति प्रचारक अधिक थे। इन्हें धार्मिक व्याख्यान देने का तथा उसमें अपना हेतु मिश्रित कर प्रकट करने का उत्तम अनुभव था। यही कारण था कि क्रांति का प्रचार गुप्त ढंग से होता रहा। इस रहस्य पूर्ण कार्य के लिए नियुक्त साधु, फकीर अपना कार्य जिस अनवरत ढंग से संपन्न कर रहे थे, यह आश्चर्यजनक एवं क्रांति नायकों की दूरदर्शिता थी जिसका आभास अंग्रेजों को यदि भारतीय देशद्रोही प्रकट न करते तो किसी भी प्रकार न होता और ना वे इस स्थिति का सामना कर पाते। क्रांति के प्रचारक इतने सजग और सक्रिय थे कि निर्धारित कार्य को निर्धारित समय में ही पूरा कर लेते थे। इन प्रचारकों को कार्य के अनुसार वाहन व्यवस्था थी। इन राजनीतिक फकीरों को प्रायः संतरी के लिए हाथी और सुरक्षा के लिए सशस्त्र सिपाही मिले हुए थे। यहां तक कि काशी, प्रयाग और हरिद्वार में अंग्रेजी राज के नाश के लिए खुली प्रार्थनाएं होने लगी तथा सहस्रों यात्री भावी क्रांति में भाग लेने का संकल्प लेने लगे। तमाशों, लावनियों, कठपुतलियों, नाटकों आदि से भी क्रांति के संचालकों ने पूरा लाभ उठाया। इन साधु सन्यासियों तथा फकीरों को योजनाबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा दी गई थी। उन्हें अपने केंद्रों से वांछित कार्य संपादित करना होता था। पहले केंद्रों की संख्या कम थी, परंतु धीरे-धीरे संगठन के केंद्रों की संख्या में वृद्धि होने लगी। इनमें भारतीयों को देश और धर्म के नाम पर बलिदान देने के लिए आमंत्रित किया जाता था। इस प्रकार की घोषणा 1857 ई. के प्रारंभ में मद्रास में भी लगी हुई पाई गई थी। स्थान-स्थान पर गुप्त सभाएं होने लगी थी जिनमें एक-एक

समय में दस दस सहरख व्यक्ति भाग लेते थे। पत्र व्यवहार के लिए गुप्त लिपियां तैयार की गई थी। योजना को कार्यान्वित करने एवं क्रांति की रूपरेखा का प्रचार व अन्य व्यवस्थाओं के अवलोकन के लिए एक संगठन या विशिष्ट निरीक्षण की आवश्यकता थी और इसी हेतु नाना साहब यह तथा अजीमुल्ला खान के द्वारा एक रहस्य पूर्ण एवं राजनीतिक उद्देश्य से पूर्ण एक तीर्थ यात्रा की योजना बनाई गई। देश में दो ही धर्म प्रचलित थे और दोनों ही धर्मों के प्रतिनिधियों का इस हेतु भ्रमण अनिवार्य था। नाना और उनके मुख्य मंत्रण विशेषज्ञ अजीमुल्लाह इस अभियान पर निकल पड़े। इस यात्रा का मुख्य ध्येय देशी राजाओं के जनमानस में क्रांति का उद्देश्य तथा अन्य राजाओं को इसमें सहयोग प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना था। जब इस यात्रा की पूर्ण रूपरेखा तैयार हो चुकी तो नाना साहब की तीर्थ यात्रा प्रारंभ हुई।

बिठूर से चलते समय नाना साहब के साथ बाला साहब तथा अजीमुल्ला खां तथा अन्य सेविका, सर्वेक्षक रक्षक आदि थे। सबसे पहले यह लोग दिल्ली पहुंचे। लाल किले के दीवानी खास में सम्राट बहादुरशाह, बेगम जीनत महल और दिल्ली के मुख्य नेताओं के साथ इन लोगों की गुप्त मंत्रणा हुई। इसके बाद नाना साहब अंबाला गए। अनेक स्थानों के चक्कर लगाने के बाद 18 अप्रैल को नाना और इनके साथी लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में नाना का बड़े समारोह के साथ जुलूस निकाला गया। नाना साहब जहां जाते थे वहां के अंग्रेज अधिकारी से मिलकर उन्हें तरह-तरह के बहाने करके अपनी ओर से निश्चित कर देने के प्रयत्न करते रहते थे। इसके बाद कालपी इत्यादि होते हुए नाना साहब अप्रैल के अंत में बिठूर वापस आ गए थे। इस यात्रा के साथ नाना साहब का वह उद्देश्य भी पूरा हो गया था, जिसके तहत अंग्रेजी सेनाओं में भारतीयों को इस योजना की जानकारी देना था। नाना जी की इस यात्रा में ही रविवार 31 मई 1857 का दिन समूचे भारत में एक साथ क्रांति करने के लिए नियत कर दिया गया था किंतु स्थिति की सूचना हर केंद्र के मुख्य मुख्य नेताओं को और हर पलटन के तीन तीन अफसरों को दी गई। दूसरे लोगों का कर्तव्य केवल अपने नेताओं की आज्ञा पर काम करना था। विविध नेताओं की पलटनों के बीच इस समय खूब पत्र व्यवहार हो रहा था। इस तरह के एक पत्र में जो अंग्रेजों के हाथ लग गया था, लिखा था 'भाइयों हम स्वयं विदेशियों की तलवार अपने शरीर में खोप रहे हैं, यदि हम खड़े हो जाए तो सफलता निश्चित है कोलकाता से पेशावर तक सारा मैदान हमारा होगा।' इस क्रांति को प्रसारित करने के लिए दो चिन्हों को तय किया गया था कमल और चपाती। जिनका अर्थ देखने वालों को ही समझ आता था। कमल का फूल उन पलटनों में जो इस संगठन में सम्मिलित थीं, घुमाया जाता था। किसी एक पलटन का सिपाही फूल लेकर दूसरी पलटन में जाता था। उस पलटन में हाथों-हाथ वह फूल सबके हाथों से निकलता था। जिसके हाथ में वह फूल सबसे अंत में आता था उसका कर्तव्य होता था कि वह अपने समीप वाली दूसरी पलटन तक उस फूल को पहुंचा दे। इसका गुप्त अर्थ यह लिया जाता था कि उस पलटन के सब सिपाही क्रांति में भाग लेने को तैयार हैं। इस तरह के सहरखों कमल पेशावर से बैरकपुर तक विभिन्न पलटनों के अंदर घुमाई गए। चपाती (रोटी) एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार के पास ले जाता था। उस चौकीदार का कर्तव्य होता था कि वह उस चपाती में से थोड़ी सी चपाती स्वयं खाकर अपने गांव के दूसरे लोगों को खिला दे। फिर आटे की उसी तरह की चपाती बनाकर वह अपने समीप के गांव तक पहुंचा दे। इसका अर्थ यह होता था कि उस गांव की जनता क्रांति में भाग लेने को तैयार है। कुछ ही महीनों में यह चपाती, भारत जैसे विशाल देश में एक सिरे

से दूसरे सिरे तक लाखों ग्रामों के अंदर पहुंच गई। निःसंदेह सिपाहियों के लिए कमल और जनता के लिए रोटी दोनों चिन्ह गंभीर और अर्थ सूचक थे। जनसाधारण को विश्वास दिलाने के लिए नाना साहब और बहादुर शाह की घोषणा ने भी समस्त उत्तर भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था। इससे पूर्व हिंदू मुस्लिम धर्मों का एकीकरण बहुत बड़ा गतिरोध था जो इस घोषणा से प्रायः समाप्त हो चुका था। सेना को सहायता देने के लिए देशवासियों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही तत्कालीन अंग्रेजी सरकार की 'फूट डालो राज करो' की नीति को भी प्रकट किया गया था। अंग्रेजों को समूल नष्ट करने तथा भारतीय जागरूकता का परिचय देने के लिए तत्पर रहने के लिए घोषणा में व्यवस्था की गई थी- 'प्रजा में जो भी सेना को सामग्री देने में व्यय करेगा, वह अधिकारियों से रसीद लेकर अपने पास रखे। इसके लिए, उसे बादशाह से दूनी कीमत मिलेगी। इस समय जो भी कारयरपन दिखाएगा और अंग्रेजों की धोखा देने वाली बातों में आएगा तथा उन पर विश्वास करेगा, उसका फल भोगेगा।' उक्त विवेचना के साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि हिंदू मुसलमान एक होकर इस क्रांति में भाग ले, क्रांति के नेताओं की आज्ञा का पालन करें स्वयं की व्यवस्था एवं सुरक्षा का ध्यान रखते हुए शांति एवं साधनों को व्यवस्थित रखने का प्रयत्न करते रहे। साथ ही कंपनी सरकार की इस योजना का भी संकेत दिया गया था कि प्रथम सेना को ध्वस्त किया जाए और फिर बड़े अनुशासन से संपूर्ण जनता को ईसाई बनाया जाये। वास्तव में गवर्नर जनरल का ही आदेश है, कि गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस सेना में वितरित किए जाएं। यदि व्यवधान उत्पन्न करें तो उन्हें तोप से उड़ा दिया जाए। क्रांति के लिए पांच मुख्य केंद्रों की व्यवस्था की गई। यह केंद्र दिल्ली, बिठूर, लखनऊ, कोलकाता और सतारा थे। निःसंदेह जिस शीघ्रता और वेग के साथ सारे भारत और विशेषकर उत्तर भारत में क्रांति का प्रचार किया गया, अत्यंत आश्चर्यजनक था। तारीफ यह है कि अंग्रेजों को अंत समय तक इस तैयारी का कुछ भी ज्ञान न हो सका। दिल्ली के दीवाने खास को राजधानी की गतिविधि का संचालन भार सौंपा गया था। मौलवी अहमद शाह ने लखनऊ तथा आगरा के बीच स्वातंत्र्य युद्ध के मोर्चे खड़े कर दिए थे। जगदीशपुर के नायक कुंवर सिंह ने अपने राज्य के नेतृत्व का उत्तरदायित्व ले लिया था और वे नाना साहब से संपर्क बनाकर युद्ध के लिए सामग्री एकत्रित कर रहे थे। समथ पटना नगर क्रांति का दुर्ग बन चुका था। पंडित, मौलवी, जमींदार, किसान, व्यापारी, वकील, विद्यार्थी आपसी मतभेद भुलाकर स्वदेश तथा स्वराज के लिए सब कुछ करने को उद्धत थे। दक्षिण भारत में क्रांति यद्यपि नगण्य प्रतीत होती थी। फिर भी अशांत भारतीय गुप्त मंत्रणाएं कर रहे थे तथा दक्षिण में कंपनी सरकार के अधीनस्थ भारतीय पैदल सेना तथा तोपखाने के सैनिकों को भारतीय होने की शपथ दिला रहे थे। उत्तर भारत में जिस प्रकार बिठूर का राज प्रसाद योजना बनाने में तथा नाना साहब व अजी मुल्लाह इस महान योजना को सफल बनाने में व्यस्त थे। ठीक उसी तरह अंग्रेजों के अधीनस्थ सतारा में भूतपूर्व नरेश तथा उनके महामंत्री रंगो बापूजी दक्षिण भारत में इस क्रांति के सूत्रधार थे। सतारा, कोल्हापुर तथा पूना परिक्षेत्र में रंगों बापूजी पूर्वी लोगों में अपना प्रभाव जमा कर इकैत गिरोह जैसी व्यवस्था कर रहे थे। इसका प्रभाव सतारा के आसपास अधिक था। निःसंदेह यह व्यवस्था गुप्त थी किंतु अंग्रेज अधिकारी संदेह की दृष्टि से रंगो बापूजी की हर गतिविधि देखने लगे थे। फिर भी रंगो बापूजी दृष्टि से ओझल होकर क्रांति का शंखनाद करते रहे। सेना को यह उद्घोष भलीभांति मनःस्थित किया गया था, कि हिंदू मुस्लिम संतानें देश की रक्षा

के लिए करवद्ध रहेंगी, केवल ईसाई वर्णसंकर ही इस महान कार्य से वंचित रहेंगे। कंपनी सरकार की सभी छावनी में यह गुप्त संदेश भेज दिया गया था कि क्रांति का दिन 31 मई 1857 आधारित है तथा संपूर्ण देश में यह क्रांति एक साथ प्रारंभ की जाएगी इस प्रकार क्रांति को निर्धारित किया गया। अतः विद्रोह का सूत्रपात देशी रियासतों में तूफान की तरह फैल चुका था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतवर्ष और स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, भंडारी, सुख संपत्ति राय, डिवशनरी पब्लिशिंग हाउस ब्रह्मपुरी अजमेर, पृष्ठ संख्या 284-289।
2. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम समवेत सुमन ग्रंथ माला, चौहान देवेन्द्र सिंह दाऊ, कछवाहाघार साहित्य सृजन समिति, 2008, पृष्ठ 12 संख्या
3. वार ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया, ए.डी. 1857, (खंड 2)।
4. पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स 30.12.1859।
5. कंसल्टेशन 355-356 दिनांक 30.4.1858 सीक्रेट।
6. पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स 2599, झापन क्रमांक 157 दिनांक 14.11.1858।
7. पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स दिनांक 31.12.1858 पत्र क्र.48 दिनांक 14.11.1858 तथा 221 दिनांक 20.12.1858।
8. कंसल्टेशन 36-38 दिनांक 11.02.1858 तथा 221 दिनांक 14.01.1859।
9. मध्यप्रदेश के रणबांकुरे, मिश्र डॉ सुरेश श्रीवास्तव, भगवानदास, स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल, 2004, 153-154।
10. राष्ट्रीय अभिलेखागार मिलिट्री प्रोसीडिंग्स दिनांक 08.03.1859 क्र.220 सप्लीमेंट्री।

भारतीय परिवार का सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश

नीता भौर्या *

* शोध छात्रा (समाजशास्त्र) श्री शिवा पी० जी० कॉलेज, तेरही कप्तानगंज, आजमगढ़ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश - 'किसी भी बालक में संस्कारों का बीजारोपण बाल्यावस्था में ही परिवार से होता है अतः पारिवारिक परिवेश एवं सामाजिकरण जैसा होगा, उसकी भावी पीढ़ी का स्वरूप एवं व्यवहार भी ठीक वैसा ही होगा। परिवेश जितना मूल्यपरक एवं आदर्शात्मक होगा बालक का सामाजिकरण उतना ही मूल्यपरक एवं आदर्श में होगा। अपेक्षित पारिवारिक परिवेश में बड़े सदस्यों के अनुकरणीय गुणों व पदों के अनुसार व्यवहार का ज्ञान, संबंध न्याय व समानता पर आधारित संबंध, पीढ़ियों के बीच अंतर का ज्ञान, अनुजों के उचित-अनुचित एवं आधार पर सम्यक मार्गदर्शन व शिक्षा तथा आध्यात्मिकता शामिल होते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र का अध्ययन पारिवारिक परिवेश पर आधारित है। जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से यह देखने का प्रयास किया गया है कि पारिवारिक परिवेश में आदर्शात्मक मूल्यों का विकास, किस प्रकार निर्धारित होता है।'

शब्द कुंजी - पारिवारिक वातावरण, सामाजिकरण, अनैतिक वातावरण, सामाजिक गुण, पारिवारिक एवं आत्म प्रत्यय, मूल्य आदि।

प्रस्तावना - मानव समाज के उद्भव के साथ ही परिवार अस्तित्व में आया और आज भी समाज के मौलिक एवं महत्वपूर्ण संस्था के रूप में अवस्थित है। इस सन्दर्भ में **श्यामा चरण दूबे (1993)** का मत है कि, 'मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। संस्कृति के सभी स्तरों में चाहें उन्हें उन्नत कहा जाय या निम्न किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनिवार्यतः पाया जाता है।' परिवार व्यवस्थित सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई है और **'समाज रूपी भवन के कोने का पत्थर'**। परिवार यौन-सन्तुष्टियों का नियमन करता है, सन्तान के जनन एवं पालन-पोषण की व्यवस्था करता है, यह भावनात्मक घनिष्ठता का मूर्तरूप है, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक-धार्मिक-शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इत्यादि। उक्त कार्य परिवार सर्वप्रथम व आत्मीयता से करता है, इसलिए यह समाज की मौलिक इकाई है। स्पष्ट है कि, परिवार मानव-जाति के आत्म-संरक्षण, वंशवर्धन एवं जातीय जीवन की निरंतरता (मनुष्य मरणशील है, किन्तु मानव जाति अमर है) बनाये रखने का प्रमुख साधन है। अपनी सन्तान के रूप में मानव सदैव जीवित रहता है। यदि यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि, मानव के पास जो कुछ सुन्दर है, वह परिवार द्वारा सुरक्षित रखने से ही है।

स्पष्ट है कि, परिवार महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह² होने के नाते व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत करता है। बालक का प्रारम्भिक सामाजिकरण परिवार में ही होता है। इसीलिए परिवार को प्राथमिक पाठशाला भी कहा जाता है। व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं के साथ-साथ उसके मानसिक विकास की प्रक्रिया में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। जिस देश में परिवार संगठित एवं व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं उस देश के नागरिक महान, चरित्रवान और कर्तव्यपरायण होते हैं। इसके विपरीत जिन देशों में परिवार विघटित हैं, उन देशों के व्यक्ति गैर-जिम्मेदार और लापरवाह होते हैं। किसी भी देश के परिवारों को देखकर यह अनुमान लगाया जा

सकता है कि उस देश के नागरिक कैसे हैं। ये सभी तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि परिवार का महत्व सभी संस्थाओं से अधिक है।

मेकाइवर और पेज³ (1980) के मतानुसार प्राथमिक समूहों में समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार समाज को अनेक रूपों में प्रभावित करता है। पारिवारिक परिवर्तन समस्त सामाजिक संगठनों में प्रतिध्वनित हो उठते हैं। मानव-समाज में असंख्य परिवर्तनों के मध्य भी अपनी निरन्तरता और स्थायित्व बनाये रखने की इसमें अपूर्व क्षमता है। इस उद्घरण से यह ज्ञात होता है कि परिवार कितनी महत्वपूर्ण तथा आवश्यक संस्था है।

प्रत्येक देश में परिवार का महत्व पृथक्-पृथक् है। भारतीय समाज में परिवार का जितना अधिक महत्व है, उतना पाश्चात्य देशों में नहीं। हमारे देश में परिवार अथवा गृहस्थ-जीवन धर्म का एक अंग है। परिवार की स्थापना करके व्यक्ति अनेक ऋणों से ऋण होने का प्रयास करता है। इसके विपरीत पाश्चात्य देशों में परिवार यौन-सन्तुष्टि का एक माध्यम है, जिसमें औपचारिकताओं और व्यक्तिवादी विचारधाराओं का महत्व अत्यधिक है। फिर भी परिवार का कम अथवा अधिक महत्व प्रत्येक देश व समाज में है।

लुण्डवर्ग⁴ (1939) के सम्बन्ध में लिखते हैं कि, 'सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत यदि पुनरोत्पादन की क्रिया रुक जाय, यदि बच्चों का पालन-पोषण न किया जाये और उन्हें अपने विचारों की अगामी पीढ़ी के लिए संचरित करना एवं एक-दूसरे से सहयोग करना न सिखाया जाये, तब सम्भवतः समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा।'

के०एम० पन्निकर⁵ (1955) परिवार के महत्व को बताते हुए लिखते हैं कि 'सैद्धान्तिक रूप से असमबद्ध होने पर भी वह दो संस्थाएँ जाति तथा संयुक्त परिवार व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से इतनी मिली हैं कि वे एक सामान्य संस्था बन गई हैं। हिन्दू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं संयुक्त परिवार है।'

वास्तव में परिवार एक ऐसा स्थल है, जहाँ व्यक्ति की मूलभूत

आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार जहाँ एक ओर व्यक्ति के अस्तित्व व जीवन की रक्षा करता है वहाँ दूसरी ओर विवाह के माध्यम से उसकी काम-वासना की भी पूर्ति करता है। यदि परिवार न हो तो व्यक्ति की उपर्युक्त दो महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्थायी रूप से नहीं हो सकती है। **परिवार एक समिति भी है और एक संस्था भी।** दोनों रूपों में इसके कार्य महत्वपूर्ण हैं। एक समिति के रूप में यह कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक मानव संगठित समूह है। एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित तथा स्थापित पद्धतियों, कार्य-प्रणालियों की एक सुगठित व्यवस्था है।

परिवार सार्वभौमिक संस्था है, किन्तु परिवार का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। भिन्न-भिन्न देशों व स्थानों पर परिवार पृथक्-पृथक् प्रकार के पाये जाते हैं। कहीं पर मातृ-सत्तात्मक परिवार है तो कहीं पर पितृ-सत्तात्मक, कहीं बहु-विवाह परिवार है तो कहीं बहु-पत्नी-विवाह परिवार है, कहीं आधुनिक परिवारों की अधिकता है तो कहीं संयुक्त परिवारों की। परिवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे चार-दीवारियों में ही पाए जाय। खाना-बदोशों का भी परिवार होता है और फुट-पाथ पर सोने वाले निर्धन, भीख मांगने वाले भिखारियों अथवा श्रमिकों का भी परिवार होता है। वे व्यक्ति जो सड़कों के किनारे टाट का मकान बनाकर अथवा किसी पेड़ की छाया में रहते हैं, उनका भी परिवार होता है। इस तरह परिवार के अनेक स्वरूप हैं।

संक्षेप में, मानव-समाज का इतिहास परिवार से है, क्योंकि मानव-जीवन के प्रारम्भ से ही परिवार उसके साथ है और किसी-न-किसी रूप में यह सांस्कृतिक विकास से सभी स्तरों पर पाया जाता है। इतना ही नहीं, **चार्ल्स कोले**^० ने भी परिवार को एक ऐसा प्राथमिक समूह माना है, जिसमें बच्चों के सामाजिक जीवन व आदर्शों का निर्माण होता है। इस रूप में परिवार व्यक्ति के सामाजीकरण का एक प्रमुख साधन भी है। साथ ही, परिवार ही समाज की प्रारम्भिक इकाई है। परिवार के बिना समाज की निरन्तरता सम्भव नहीं है, क्योंकि परिवार बच्चों को उत्पन्न करता है जो उन लोगों का रिक्त स्थान भर देते हैं, जोकि मर जाते हैं। इस प्रकार परिवार द्वारा मृत्यु और अमरत्व, दो विरोधी अवस्थाओं का सुन्दर समन्वय हुआ।

परिवार मानव समाज की **'मौलिक एवं सार्वभौम संस्था'** है और यह समय, स्थान एवं परिस्थिति विशेष के अनुरूप संरचित व संगठित है। इस दृष्टि से परिवार के किसी सामान्य व सर्वमान्य अर्थ को अभिव्यक्त करना सर्वथा सम्भव नहीं है। फिर भी अध्ययन की सुविधा हेतु परिवार को **सीमित एवं विस्तृत** अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है। परिवार के **सीमित अर्थ** को उन समाजों में अधिक स्पष्ट रूप में देखा जाता है, जहाँ **'व्यक्तिवादी'** धारा का प्रचलन है। ऐसे समाजों में परिवार का व्यक्ति से मात्र इतना ही सम्बन्ध होता है कि, यौन सम्बन्धों का नियमन, इससे जन्मे बच्चों को माता-पिता का नाम और इनके वयस्क होने तक लालन-पालन कर देना। इस अर्थ में

परिवार को सामान्यतया **पाश्चात्य एवं उत्तर आधुनिकता** वाले समाजों में स्वीकारा जाता है। **परिवार के विस्तृत अर्थ** को **भारत (जैसे- 'संयुक्त परिवार')** एवं इसके समरूप समाज में स्वीकृति प्रदान किया जाता है। **भारत में व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र परिचय नहीं होता, बल्कि वह परिवार, गोत्र, पिण्ड, वंश एवं जाति से जाना व पहचाना जाता है।** इस बारे में **दोषी एवं जैन**^७ का विचार है कि, भारतीय समाज की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई परिवार है। परिवार का निर्माण विवाह संस्था द्वारा होता है और जो भी दम्पति विवाह सूत्र में बँधते हैं, वे अपने आप ही नातेदारी व्यवस्था को बनाते हैं। **इरावती कर्वे (1990)** कहती हैं कि, नातेदारी का विस्तार ही जाति को बनाता है। उनके शब्दों में जाति व्यवस्था और कुछ न होकर नातेदारी का फैलाव मात्र है। भारतीय समाज में परिवार का महत्व दुनियाँ के अन्य समाजों की तुलना में कहीं अधिक वजनी है। हमारे यहाँ सभी सामाजिक क्रियाओं की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परम्परागत हिन्दू समाज में राज्य और जाति तथा वर्ग के लिये समूह महत्वपूर्ण होता है। अगर हम हिन्दी और प्रदेशिक भाषाओं को देखें तो बहुत स्पष्ट हो जायेगा कि इनके साहित्यिक मुहावरा है कि, यदि पिता साहूकार से कर्ज लेता है और किसी तरह चुका नहीं पाता और मर भी जाता है तो इस कर्ज की अदायगी परिवार के अन्य सदस्यों पर आ जाती है। जब परिवार का एक व्यक्ति बंधुआ बनता है, तब उसके बाद यदि कर्ज नहीं चुकता तो परिवार के दूसरे सदस्य बंधुआ बन जाते हैं। सब मिलकर भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई परिवार है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Dube, S.C. (1993): "Understanding Change", Vikas Publishing House, New Delhi, , p. 99.
2. Cooley, C.H.: "The Expression Face-to-face group whose social organization: Remains a keen analysis", Se especially ch-III and IV.
3. MacIver, R. M.: (1980) "Society", The MacMillan & Co., London, Page, C. H. p. 238.
4. Lundberg, G.A.: (1993) "Foundating of Sociology" (New York, 1939). pp. 163-173.
5. Panikkar, K.M.: (1955) "Hindu Society at Cross Roads," Asia Publishing House, Bombay, , p. 19.
6. Cooley, C.H.: "The Expression Face-to-face group whose social organization : Remains a keen analysis", Se especially ch-III and IV.
7. R.M. MacIver (1947) "The Web of Government and Society", (New York, 1947), Chapter VII,
8. Karve, Irawati: (1990), "Kinship Organisation in India", Munshi Ram Manohar Lal Publishers, Pvt. Ltd., New Delhi, p. 52.

कबीर दास की सामाजिक चेतना

डॉ. सरोज बाला श्याम *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय गणेश शंकर विद्यायर्थी महाविद्यालय, मुंगावली, जिला - अशोकनगर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - प्रस्तुत शोध में संत कबीर दास जी सामाजिक धार्मिक दुरावस्था के काल में हुये थे कबीर कालीन भारतीय समाज कई विरोधी विचार शारणियों, आग्रहों तथा उसके विरुद्ध संघर्षरत कई प्रकार की नई शक्तियों के कारण व्यापक उथल पुथल का था। जिनमें से उनकी अथाह विचारों से प्रेरित होकर उनके द्वारा कही गई पंक्तियों के माध्यम से कबीर के विचारों को प्रस्तुत किया जा रहा है। आज भी कबीर के द्वारा कही गई पंक्तियां जीवन के संदर्भ में प्रासंगिक हैं मनुष्य आज की व्यस्ततम जीवन शैली में नैतिकता से दूर होता जा रहा है तथा अपने जीवन को जटिल बनाता जा रहा है किन्तु वास्तव में देखा जाये तो जीवन एक सुनहरा सफर है जिसे बड़े ही सरल तरीके से कबीर ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से समझाया है यदि मानव कबीर की इन्हीं पंक्तियों को अपने जीवन में अपनाये तो जीवन का उलझने समाप्त हो सकता है।

प्रस्तावना - संत कबीर निर्गुण मत के अनुयायी कवि हैं। भक्ति काल में निर्गुण भक्तों में कबीर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारतभूमि जो अनेक रत्नों की खान रही है उन्हीं महान रत्नों में से एक थे संत कबीर। कबीर का अरबी भाषा में अर्थ है - महान वे भक्त और कवि बाद में थे, पहले समाज सुधारक थे। वे सिकन्दर लोदी के समकालीन थे। कबीर की भाषा सधुखड़ी थी तथा उसी भाषा में कबीर ने समाज में व्याप्त अनेक रुढ़ियों का खुलकर विरोध किया है। हिन्दी साहित्य में कबीर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। रामचन्द्र शुक्ल ने भी उनकी प्रतिभा मानते हुए लिखा है 'प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी।'¹

'पोथी पढ़ी - पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोया

ढाई आखर प्रेम का पढ़े, सो पंडित होय।'²

कबीर के अनुसार, जिसमें प्रेम, दया व करुणा भावना है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। बड़े-बड़े ज्ञानी भी प्रेम भावना के बिना मूर्ख के समान हैं।

'जाँति न पूछे साधा की पूछ लीजिए ज्ञान।

मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्याना।'³

कबीर ने गुरु को बहुत महत्व दिया है। उनकी अहम् प्रेरणा का मूल स्रोत उनके गुरु ही थे जिनकी कृपा से उन्होंने सभी संकीर्ण बन्धनों को तोड़ा, वे स्वतन्त्र - चिन्तक, उन्होंने बहुत-सी ज्ञानपूर्ण सच्चाईयों को सामान्य जन तक पहुँचाया, आत्म-ज्ञान प्राप्त करना, मूल सत्य से परिचित होना, इस सब कार्यों की प्रेरणा देने वाले उनके गुरु ही थे। वही इस मार्ग को बताने वाले थे।

'पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुख्या

वाकै एके रूप पर, वारं कोटि स्वरूपा।'⁴

कबीर जी नाथ योग से प्रभावित थे। इसी कारण उन्होंने नारी को माया स्वरूप माना है तथा साथ ही उन्होंने पतिव्रता नारी की भूरी-भूरी प्रशंसा भी की है।

पूत कपूत तो क्यों धन संचय

पूत सपूत तो क्यों धन संचय

कबीर जी धन सम्पत्ति जोड़ना भी उचित नहीं समझते थे। उन्होंने थोड़े में ही संतोष करने का उपदेश दिया है। कबीर जी ने आगे की पीढ़ी के लिए भी धन का संचय न करने का उपदेश दिया है - क्योंकि वे जानते थे कि अगर संतान अच्छी व संस्कारी है तो उसके लिए धन की जरूरत नहीं है। अगर संतान आलसी है तो वह सारे संचित धन को बेकार में व्यर्थ कर देगा। इसलिए कबीर ने कहा है -

'कबीर उद्यम अवगुण को नहीं, जो करि जाने कोया

उद्यम में आनन्द है, साँई सेती होया।'⁵

कबीरदास जी ने सुकर्म के साथ-साथ लोगों को उद्यम करने का भी उपदेश दिया है जिससे आर्थिक तंगी से निपटा जा सके और पेट भरने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें।

परिश्रम करने की शिक्षा देने का कबीर जी का मकसद गरीबों की गरीबी दूर करना तो था ही, साथ में देश व समाज की उन्नति करने से भी था। इसलिए कबीर कहते थे -

दुर्बल को न सताइये, जाकी मोटी हाया

मुई खाल की सांस सो, लोह भसम हो जाया।

उन्होंने जीवन को क्षण भंगुर बता कर, लोगों को भक्ति और मानव सेवा का फल प्राप्त करने व साथ ही मनुष्य को दुष्कर्म करने के प्रति भी सचेत किया है।

'पानी केरा बुदबुदा, अस मानुस की नात,

एक दिना छिप जाएगा, ज्यों तारा परभाता।'⁷

इसमें कबीर ने मनुष्य के शरीर को क्षण भंगुर कहा है कि जिस प्रकार पानी का बुलबुला क्षण में ही नष्ट हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य शरीर भी पल में नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए।

डॉ. पारसनाथ तिवारी लिखते हैं 'सच्ची बात यह है कि हिन्दी साहित्य में कबीर से बड़ा मानवतावादी कोई नहीं हुआ। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित समस्त अंधविश्वासों, रुढ़ियों तथा मिथ्या सिद्धान्तों द्वारा प्रचारित सामाजिक विषमताओं का मूलोच्छेद करने का बीड़ा उठाया और

निर्भयता पूर्वक पाखंडों पर प्रहार किया।⁸

उनकी सबसे बड़ी विशेषता एकत्व की भावना का समर्थन है। डॉ. रामजीलाल के अनुसार, 'कबीर ने सामाजिक विषमता को मिटाकर एकत्व की स्थापना का निश्चय किया। कबीर को प्रगतिशील कहने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पाँच सौ-छः सौ वर्ष पूर्व कही गई बात आज भी प्रासंगिक व सम-सामयिक है।' कबीर ने व्यक्ति व समाज को एक दूसरे का पूरक माना है। इस तरह से कबीर भक्त, योगी व दार्शनिक होने के साथ-साथ समाज सुधारक भी थे। कबीर ने समाज सुधार के लिए प्रबल प्रयत्न कर तात्कालीन समाज को अंधाकार से निकालने का भरसक प्रयास किया।

इस तरह से कबीर ने जीवन के सभी पहलुओं में झांका है। उनकी वाणियों में सम्पूर्ण जीव जगत के लिए कल्याण का मार्ग झलकता था जो आज भी समाज के लिए दर्पण का काम करता है। कबीरदास का जीवन, मानवीय गुणों से ओत-प्रोत था, वे सभी जीवों को समदृष्टि से देखते थे, किसी व्यक्ति विशेष की न तो कभी निन्दा करते थे और न ही स्तुति। वे उस व्यक्ति व समाज की बुराईयों की खुलकर निन्दा करते थे, जिनमें उनको आडम्बर, पाखण्ड व ढोंग नजर आता था, ऐसे में वो खुलकर बोलते थे -

अतः हम कह सकते हैं कि कबीर अपने समय एवं समाज के कटु आलोचक ही नहीं समाज को लेकर स्वपन दृष्टा भी थे उनके मन में भारतीय समाज का एक प्रारूप था जिस पर वे एक विजन के साथ काम कर रहे थे। 'वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे वे हिन्दू होकर भी हिन्दू नहीं थे साधू होकर भी योगी नहीं थे। वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे'।⁹

इस प्रकार कबीर का अपने समाज के प्रति दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं

व्यवस्थित था वो किसी प्रकार के वाह आडम्बर तथा शोषण के खिलाफ खड़े थे। इस संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा भी है कि 'कबीर ऐसे ही मिलन विन्दू पर खड़े थे जहाँ एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता था दूसरी ओर मुसलमान जहाँ एक ओर ज्ञान निकल जाता है दूसरी ओर अशिक्षा जहाँ एक ओर ज्ञान भक्ति मार्ग निकल जाता है दूसरी ओर योगमार्ग जहाँ एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है दूसरी ओर सगुण साधना उसी प्रसस्त चौराहे पर वे खड़े थे वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गये मार्गों के गुण दोष उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाते थे'।¹⁰

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० 66, कमल प्रकाशन
2. माता प्रसाद, कबीर ग्रन्थावली, पृ० 65
3. श्यामसुन्दर दास, कबीर ग्रन्थावली
4. माता प्रसाद, कबीर ग्रन्थावली
5. जयदेव सिंह, कबीर वाणी पीयूष, पृ० 133
6. श्यामसुन्दर दास, कबीर ग्रन्थावली
7. डॉ. पारसनाथ तिवारी, कबीर वाणी संग्रह, पृ० 179, छटा संस्करण 1978
8. डॉ. पारसनाथ तिवारी, कबीर वाणी संग्रह
9. डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य का उद्भव व विकास, पृ० 77
10. डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर, पृ० 77-78

गुना जिले के सहरिया जनजाति के जीविकोपार्जन का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. विजय सिंह *

*सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) शासकीय गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय, मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - गुना जिले के निर्धन लोगों में सहरिया जनजाति, ग्रामीण शिल्पकार, भूमिहीन श्रमिक एवं सीमांत कृषक आते हैं। ये लोग या तो संपत्तिहीन हैं अथवा अक्षम उत्पादक संपत्ति के स्वामी हैं। इनके पास अत्यंत सार्थक कौशल है, परन्तु पूरी अवधि का नियमित कार्य इन्हें उपलब्ध नहीं है अथवा न्यून पारिश्रमिक वाले कुछ कार्य ही उपलब्ध हैं। फिर भी योजनाओं के समान होने पर बढ़ता हुआ असंतोष इस तथ्य को लेकर रहा कि सहरिया जनजाति के लोगों की निर्धनता में साधारण कमी भी दिखायी नहीं पड़ी। उद्योग की ओर सहरिया जनजाति के नवप्रवृत्त लोगों की समृद्ध जीवन शैली और प्रदर्शनवादी उपभोग ने समृद्ध और अभावग्रस्तों के मध्य के विरोधाभास को बढ़ावा ही दिया।

प्रस्तावना - विकास की समरनीति पर आलोचनाओं की बाढ़-सी आ गयी। संसद और उसके बाहर भी हुए वाद-विवादों में एक ही स्वर मुखरित होता रहा कि धनी धनाढ्य और निर्धन और भी फटेहाल होते जा रहे हैं। हमें जिस प्रश्न का सामना करना है वह यही है कि गुना जिले के सहरिया जनजाति के लोगों की गरीबी को ओझल करने के लिए क्या किया जा सकता है, 'म.प्र. सरकार की परोपकारी वृत्ति की भूमिका में वृद्धि करके इस प्रश्न का समाधान नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि जो दान पर जीवित रहता है वह यह नहीं भूल सकता कि वह निर्धन है। पूर्ण रोजगार की नीति अपना कर ही इसका वास्तविक हल ढूँढ़ा जा सकता है।'

पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए हमें ऐसी रणनीति चाहिए जो उपर्युक्त दो खतरों के विरुद्ध सुरक्षा कवच के रूप में काम आ सके। साथ ही, अतिरिक्त संसाधनों की गतिशील की संभावनाओं पर भी हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। वैसे भी है, संसाधनों पर अब गैर आयोजना क्षेत्र के बढ़ने के बढावों के पैरों की आवाज सुनाई पड़ने लगी है। विकास की प्रक्रिया में अधिकाधिक सहरिया जनजाति के श्रमिकों को खपाना ही वह प्रमुख घटक है जिसे ध्यान में रखकर साधनों की आबंटन संरचना निर्धारित की जानी चाहिए, मात्र व्ययों में वृद्धि कर देना पर्याप्त नहीं होगा। 'सहरिया जनजाति के निर्धनों को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनके उत्पादनों को वे प्रेरित करें, इससे पहले उन्हें आय प्रदान करनी चाहिए जिससे वे उन वस्तुओं को खरीद सकें। जिला ग्वालियर के ग्रामीण अंचलों में अधिकाधिक रोजगार अवश्यमेव सृजित किये जाने चाहिये।'² रचनात्मक सहरिया जनजाति के श्रम-संघों के माध्यम से कृषि श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दिलाई जानी चाहिए। विद्युत उपकरणों जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण को प्रतिबंधित करना एक भूल होगी। ये अपने निर्माण की प्रक्रिया में तो विपुल रोजगार उत्पन्न करते ही हैं, रख-रखाव और सुधार में भी रोजगार प्रदान करते हैं।

भारतीय समाज एक अनुपम समाज है। जितना व्यवस्थित विभाजन और वर्गीकरण भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत हम पाते हैं वैसा

विश्व के अन्य किसी समाज में नहीं। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले जब अविकसित अवस्था में थे तब राजकीय समाज और संस्कृति विकास की चरम अवस्था में थी। प्रस्तुत अध्याय में हम राजकीय सामाजिक व्यवस्था के एक प्रमुख अंग सहरिया जनजाति के 'वर्ण व्यवस्था' का अध्ययन करते हैं। वर्णों को चार भागों में विभाजित किया गया है। ये चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र। यह वर्ण कर्मों पर आधारित रहे हैं। इन चारों वर्णों के लिए भिन्न-भिन्न कर्तव्यों का प्रावधान रखा गया है।

ब्राह्मण वर्ण के लिये कहा गया कि 'वे सात्विक जीवन का निर्वाह करेंगे, आचरण में पवित्रता रखेंगे, धर्म-सम्बन्धी ज्ञान अर्जित कर इसका प्रसार करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों का स्वयं संपादन करेंगे एवं अन्यो को सहयोग करेंगे, छात्रों को ज्ञान प्रदान करने का कार्य सम्पादित करेंगे।'³

क्षत्रियों का प्रावधान समाज को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से किया गया था। यह सुरक्षा जन और धन के सभी क्षेत्रों से सम्बंधित रही है। क्षत्रियों के लिए यह अनिवार्य था कि वे प्रजा की रक्षा करें, समुदाय में शांति व व्यवस्था बनाए रखें। बल एवं ज्ञान अर्जित करें, असहायों की रक्षा करें तथा दलितों को दान दें। गीता में क्षत्रियों के गुणों का इस प्रकार वर्णन किया गया है-

शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्॥

वैश्य वर्ण चार वर्णों में विशिष्ट स्थिति रखता है। इस वर्ण को समाज की उदर-पूर्ति सम्बंधी व्यवस्था का भार सौंपा गया। वैश्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे कृषि, व्यवसाय अथवा पशुपालन में रत हों ताकि समाज के सदस्यों का जीवन निर्वाह हो सके। मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है कि-

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च।

वाणिकपथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च॥

इस प्रकार मनुस्मृति के अनुसार 'वैश्यों को कृषि कार्य, पशुओं की रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, साहूकारी और कृषि करने से सम्बंधित कार्य सौंपे गये। शूद्र वर्ण समाज का चौथा एवं

अंतिम वर्ण है।¹⁴ शूद्रों को वर्णों की सेवार्त् रखने की दृष्टि से यह प्रावधान किया गया कि वे तीनों वर्णों की सेवा का काम सौंपा गया। आजादी के बाद किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में जातिगत भेदभाव तो कम हुए हैं, लेकिन इसके स्थान पर जातिवाद बढ़ गया है। सहरिया जनजाति अपनी जाति के प्रति वह संकुचित दृष्टिकोण और भावना है जिसमें व्यक्ति अपनी ही जाति को लाभ पहुँचाने और अन्यो के हितों की अनेदखी करता है। यह धारणा यूं तो सभी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिये है लेकिन सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। इससे एकता में तो बाधा पहुँच ही रही है, प्रजातंत्र को भी नुकसान हो रहा है।

‘गुना जिले के सहरिया जनजाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसने समाज और संस्कृति की रक्षा की है। वर्ण व्यवस्था के बाद यद्यपि जाति के समाज का खंडात्मक विभाजन किया किन्तु इसके द्वारा व्यवसायिक कुशलता और संस्कृति भी जन्मजात रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रही।’¹⁵ विदेशी शासनकाल में विदेशियों के अनेक प्रयत्नों के बावजूद जाति व्यवस्था स्वयं तो नहीं बदली बल्कि विदेशियों को ही इसमें समाहित होना पड़ा। हूण, शक, कुषाण, तो जाति व्यवस्था में विलीन ही हो गए। मुसलमान सेकड़ों की संख्या में जाति में परिवर्तित होकर अनेकानेक उपजातियों में बंटे हुए हैं। जिला ग्वालियर में बहुत सी सहरिया जनजाति के लोग भी, बहुत सी उपजातियों में भी वर्तमान में धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। जो जन समस्याओं के रूप में दृष्टिगोचर हैं।

स्मृति युग और मध्य युग की कुरीतियों ने जाति व्यवस्था का स्वरूप कलुषित कर दिया। जिससे यह व्यवस्था असमानताजन्य विघटनकारी, यहाँ तक कि छुआछूत की भावना पैदा करने वाली बन गई। ब्रिटिश भारत में ही इसके विरुद्ध आवाज उठाई गई। अनेक विधानों और समाज सुधारकों के प्रयासों के कारण, विशेष तौर से आजादी के बाद किए जाने वाले प्रयत्नों से, जाति-पाँति का भेदभाव तथा असमानता और छुआछूत में कुछ कमी तो आयी लेकिन जाति के स्थान पर जातिवाद बढ़ गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. चतुर्भुज मामोरिया एवं डॉ. एस.एम. जैन, यूनीफाइड भूगोल, बी.ए. – द्वितीय वर्ष, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा, संस्करण 1997, पृ. – 193
2. वही पृष्ठ-95।
3. डॉ. प्रमिला कुमार, म.प्र. एक भौगोलिक अध्ययन, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, 2003, पृ. 1।
4. डॉ. सविन्द्र सिंह, भौतिक भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन, गौरखपुर- 1998, पृ. – 83।
5. डॉ. चतुर्भुज मामोरिया एवं डॉ. एस.एम. जैन, यूनीफाइड भूगोल, बी.ए. – द्वितीय वर्ष, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा, संस्करण 1997, पृ. – 69-70।

जलसंरक्षण: आर्थिक विकास की अहम कड़ी

डॉ. असलम खॉन *

* सहा. प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत एक विकासशील देश है जो विकास की सीढ़ियों पर अपनी तकनीकों और उपलब्ध संसाधनों के सहयोग से विकसित देशों में शामिल होने की होड़ में विगत दशक से लेकर वर्तमान में भी प्रयासरत है। इन प्रयासों में विभिन्न तकनीकों को अपनाकर अपनी क्षमता अनुसार प्रयास इसकी प्रमुख विशेषता रही है। वर्तमान में मानव ने विकास दर को बढ़ाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाए हैं यथा औद्योगिक विकास, नगरीकरण, परमाणु ऊर्जा आदि लेकिन भविष्य में होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं से वह अनभिज्ञ रहा। जिस कारण पर्यावरण का संतुलन डगमगा रहा है। फलस्वरूप वायु प्रदूषण, जलप्रदूषण, भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि मानव जाति के समक्ष भस्मासुर जैसे मुंह बाए खड़ी हुई हैं, जो आर्थिक विकास के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य को भी निगलने के लिए तैयार है। मेरा आलेख जलसंरक्षण पर केंद्रित है, इसलिए इसका विप्लेषण उक्त विषय पर केंद्रित होगा।

जल संरक्षण वर्तमान में विश्व की चिंता का विषय है प्रकृति ने हमें बिना भेदभाव के हवा, पानी, वन, प्रकाश आदि दिया है लेकिन विकास की दौड़ में शामिल होने के कारण प्रकृति का नैसर्गिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जल संरक्षण के लिए हमें आज ही से सजग एवं सतर्क रहने की जरूरत है तब जाकर जल का संरक्षण हो पाना संभव हो सकेगा इसके लिए वर्षा जल का संग्रहण, संरक्षण तथा समुचित प्रबंधन आवश्यक है। यह तभी संभव है जब पूरा समाज जोहड़ों, तालाबों एवं झीलों को पुनर्जीवित कर, खेतों में सिंचाई के लिए पीवीसी पाइप द्वारा स्प्रिंकलर से सिंचाई हो, पक्की नालियों का निर्माण, बहाव वाले क्षेत्रों में पानी रोकने के लिए बांध बनाना, पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कानून, जल संरक्षण के लिए आम क्रांति, जन जागरण पानी रोको अभियान आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ उन पर अमल जरूरी हो और यह विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन के लिए लाजमी है।

शब्द कुंजी – भारत में जल संरक्षण, कारण, उपाय, भावी परिदृश्य।

प्रस्तावना – विश्व के मानचित्र पटल पर हम देखें तो हमारा भारत देश जनसंख्या की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार 1210569573 करोड़ जनसंख्या है ¹ जो चीन के बाद द्वितीय स्थान पर है। भारत के क्षेत्रफल 3287263 वर्ग किलोमीटर ² में उक्त जनसंख्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की दर रह रही है।³ उक्त क्षेत्रफल में लगभग 1.25 अरब जनसंख्या, देश में उपलब्ध संसाधनों पर दबाव डाल रही है। विकास की दौड़ में शामिल होने के लिए संसाधनों के विदोहन की होड़ लगी है, जो कहीं न कहीं चिंतनीय है। बढ़ती जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है। **नगरीकरण** के कारण शहरों में अनेक समस्याओं को पैदा होने के साथ-साथ पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं वर्तमान में विकराल रूप ले रही हैं।

वास्तव में जल संरक्षण का अर्थ पानी की बर्बादी रोकने एवं पानी को प्रदूषित होने से रोकना या बचाना है। जल संरक्षण वर्तमान परिवेश में एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है क्योंकि वर्षा का जल सालभर उपलब्ध नहीं रहता तथा पानी की कमी को दूर करने के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। शहरीकरण एवं औद्योगिक विकास के चलते यदि मानव को नहीं रोका गया तो भविष्य में बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन से जीवन जीना दूभर हो जाएगा। भारत में औद्योगिक प्रगति ने तो देश में अपनी दर बढ़ा ली है पर उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में छोड़कर उनको प्रदूषित किया है। गुजरात की अमला खेड़ी नदी प्रदूषण की दृष्टि से, प्रदूषण मानक

में 513.5 मानक से देश में प्रथम स्थान पर है, वहीं मध्य प्रदेश की खान नदी 71.5 प्रदूषण मानक पर देश में पांचवें स्थान पर है।⁴ यह अंदाजा लगाया गया है कि **वायु प्रदूषण में देस नौसों** की बढ़ती दर से जल चक्र प्रभावित होगा, जिससे जल विज्ञान से संबंधित आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, सतही एवं भूजल संसाधनों की उपलब्धता पर प्रभाव डालेगा। परिणामस्वरूप विकास के साथ-साथ पर्यावरण असंतुलन पैदा होने लगा और विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से वातावरण दूषित होने लगा। भारत में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से अनुमान लगाएं तो यह बात सामने आती है कि 2001 में प्रति व्यक्ति 1800 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था, जो 2050 में घटकर 1000 क्यूबिक मीटर पानी हो जाने की आशंका है। जो एक चिंता का विषय है।

भारत में औसत वार्षिक वर्षा तकरीबन 115 सेंटीमीटर होती है। विडंबना यह है कि क्षेत्रवार इसमें समानता नहीं है। जहां चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है तो दूसरी ओर राजस्थान सूखा रह जाता है। वर्षा का समान वितरण न होने पर जल संकट गहराता है। हमारी अब तक की तीनों राष्ट्रीय जल नीतियां 1987, 2002 एवं 2012 में पेयजल को सर्वोच्च वरीयता दिये जाने के बावजूद भी पीने के पानी की किल्लत कम नहीं हो पाई है।⁵

पानी की बचत जल संरक्षण का एक अहम बिंदु है। एक अध्ययन से पता चला है कि यदि मानव अपनी आदतों में बदलाव लाता है तो 80 प्रतिशत

से भी अधिक पानी की बचत एवं कुछ ही आदतों को बदलने पर 15 प्रतिशत जल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। बूंद-बूंद की बचत एक बड़ी बचत कहलाती है। सभी को क्षमता अनुसार पानी की बचत करनी चाहिए। वर्ष 2018 में नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट जारी की इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत वर्तमान समय में सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है और इससे भविष्य में लाखों लोगों का रोजगार खतरे में पड़ सकता है इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 75 प्रतिशत घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है।⁶ वर्तमान में 3000 से अधिक नगरों में से मुश्किल से 2000 में संगठित जलापूर्ति है।⁷ योजना आयोग के अनुसार भूमिगत जल का लगभग 80 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में उपयोग कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं इसके बढ़ते उपयोग की जिम्मेदार बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी है। आयोग ने सब्सिडी कम करने की सिफारिश भी की थी। विश्व बैंक के अनुसार भूमिगत जल का 92 प्रतिशत उपयोग और सतही जल का 89 प्रतिशत उपयोग कृषि में होता है, जबकि 5 प्रतिशत सतही जल का प्रयोग घरेलू क्षेत्र में होता है। आजादी के समय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 5000 क्यूबिक मीटर पानी की उपलब्धता थी। एक अनुमान है कि वर्ष 2025 में यह घटकर 1500 क्यूबिक मीटर पानी रह जाएगा। योजना आयोग के अनुसार देश का 29 प्रतिशत क्षेत्र पानी की भीषण समस्या से जूझ रहा है। इसके लिए कृषि क्षेत्र के अलावा औद्योगिक क्षेत्र भी जिम्मेदार है। विश्व बैंक के अनुसार जितना पानी एक गांव, एक माह में प्रयोग करता है, उतना पानी औद्योगिक इकाईयां एक दिन में प्रयोग कर लेती हैं। प्रश्न है कि हमारे देश में 2300 अरब घन मीटर पानी की उपलब्धता एवं **सदाबहित** गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के रहने के बावजूद भी जल संकट गहराता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वर्षा का 47 प्रतिशत जल बहकर समुद्र में मिल जाता है जो उपयोग में नहीं आता है।⁸ इस प्रकार जल संरक्षण की आवश्यकता स्वयं सिद्ध हो जाती है क्योंकि जल ही सब प्राणियों के जीवन का आधार है इसी कारण **जल संरक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है।**

1. जल का समुचित वितरण एवं उपयोग सुनिश्चित करना।
2. शुद्ध जल की निरंतर हो रही कमी को पूरा करना।
3. भावी पीढ़ियों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

जल के बर्बादी या अपव्यय के कारणों की चर्चा करें तो निम्न कारण प्रमुख कहे जा सकते हैं:-

1. नल में से प्रति सेकंड एक बूंद पानी टपकने से 1 माह में 760 लीटर पानी व्यर्थ ही बह जाता है।
2. बाल्टी की वजह सीधे नल से नहाने पर लगभग 50 से 90 लीटर पानी खर्च होता है।
3. हाथ धोकर नल ठीक प्रकार से बंद न करने पर प्रति मिनट 30 बूंद पानी तथा प्रतिवर्ष 46 हजार लीटर पानी व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है।
4. कृषि क्षेत्र में पाइप से बगीचे की सिंचाई से पानी की बर्बादी होती है।
5. पानी के प्रेशर से वाहन को धोने, पानी की धार में सब्जी एवं कपड़ा धोने से पानी की बर्बादी होती है। इसे सजगता से बचाया जा सकता है।
6. खेतों की सिंचाई नहरों से करने पर पानी की बर्बादी होती है।
7. आधुनिक टायलेट और यूरिनल में लोग पानी बर्बाद करते हैं।
8. सार्वजनिक नलों में टोंटी के खुले रहने पर पानी की बर्बादी होती है।

9. नहरों द्वारा सिंचाई करने पर पानी अधिक बर्बादी होती है। आदि।

जल संरक्षण के उपाय :

1. राष्ट्रीय विकास में जल के महत्व को देखते हुए **जल संरक्षण एवं जल है तो कल है** जैसे अभियान में जन जागरण की अधिक सहभागिता का निर्धारण हो।
2. गांव, कस्बों और नगरों में छोटे-बड़े तालाब बनाकर वर्षा का जल संरक्षण किया जा सकता है।
3. सभी प्रकार के शहरों, नगरों व गांवों के में घरों की नालियों के पानी को गड्ढों में संरक्षित कर उस पानी को पेड़ पौधों की सिंचाई में प्रयुक्त कर साफ पानी को बचाया जा सकता है।
4. प्रत्येक घर में वर्षा जल संरक्षण के लिए एक या दो टंकी बनाई जाएं और इन्हें मजबूत जाली या फिल्टर कपड़े से ढक दिया जाए तो हर घर में जल संरक्षित किया जा सकता है।
5. प्रायः देखा जाता है कि अधिकतर घरों, मुहल्लों, पार्कों, सार्वजनिक स्टेण्ड आदि स्थानों पर जल के नलों की **टोंटी** टूटी होती हैं या चोरी कर ली जाती हैं। इस कारण हजारों गैलन पानी बर्बाद हो जाता है। इस बर्बादी को रोकने के लिए नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद एवं ग्राम पंचायत आदि को टोंटियों की चोरी करने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही करना चाहिए।
6. वैज्ञानिक प्रयोगों की मदद से **खारे जल** को पीने योग्य बनाने का कदम भी तटीय क्षेत्रों में साराहनीय है। गुजरात के द्वारका आदि नगरों में प्रत्येक घर में पेयजल के साथ-साथ घरेलू कार्यों के लिए खारे जल के प्रयोग में वृद्धि करके साफ जल को संरक्षित किया जा रहा है।
7. गंगा और यमुना जैसी कई अनेक बड़ी नदियों की नियमित रूप से किसी ना किसी आंदोलन, अभियान के तौर पर साफ सफाई होना चाहिए ताकि इनके जल का प्रयोग शुद्ध जल के रूप में हो सके।
8. हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जागरूकता लानी चाहिए।
9. गंदे जल को सिंचाई में उपयोग करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है।
10. पर्यावरण के प्रति जागरूकता जरूरी है क्योंकि पर्यावरण संतुलन का सकारात्मक प्रभाव जल संरक्षण पर पड़ता है। अतः वृक्षारोपण संबंधी कार्यक्रम अतिआवश्यक हैं।
11. नदियों या जल स्रोतों में गंदा पानी **विसर्जित** न करें जिससे उसका प्रयोग घर के लिए हो सके।
12. जल संरक्षण विषय को शिक्षा के प्रत्येक स्तर में शामिल किए जाने की आवश्यकता है तब कहीं जाकर जल संरक्षण की आवश्यकता आम जनता तक पहुंच पायेगी।
13. जल संरक्षण के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकारों कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए।
14. जल संरक्षण हेतु **रेनवाटर हार्वेस्टिंग तकनीक** का सहारा लेना चाहिए। यह तकनीक पानी की कमी से निपटने का तरीका भर नहीं है, कई बार तो ऐसा देखने को आया है कि इस तकनीक के प्रयोग से इतना पानी एकत्रित हो जाता है कि कोई दूसरे प्रकार के पानी की आवश्यकता ही नहीं होती है, और यह पानी दूसरों को उधार भी दिया जा सकता है। इस प्रकार का उदाहरण हमें केरल में जिला पंचायत कार्यालयों में देखने को मिलता है।

15. रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का प्रयोग सरकारी भवनों में अनिवार्य करना भी जल संरक्षण के लिए अनूठी पहल होगी। जिसमें सफलता मिलने पर उसे आम नागरिकों के लिए ऐच्छिक तथा बाद में अनिवार्य किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप जल संरक्षण में मदद मिलेगी।
16. पानी का दुरुपयोग हर स्तर पर कानून के द्वारा प्रचार-प्रसार करके एवं इसको सभी शैक्षणिक स्तर में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम जैसे जल संरक्षण कार्यक्रम भी लागू करना चाहिए।
17. अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष एक तरफ तो पर्यावरण को नमी पहुंचाते हैं तो दूसरी ओर वर्षा करने में मदद करते हैं।
18. शहरों, नगरों एवं गांवों आदि सभी जगहों पर जल प्रवाह की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सभी जगहों से गंदे पानी का **निकास** अति आवश्यक है।
19. सभी मानव जाति को चाहिए कि भूमिगत जल का प्रयोग समय तथा उपलब्धता के आधार पर ही करना चाहिये, ताकि भविष्य में जरूरत होने पर इसका उपयोग हो सके।
20. सभी मानव जाति को चाहिए कि बर्बाद जल को गहरी जमीन में छोड़ दें ताकि यह बर्बाद जल अंदर जाकर भूजल स्तर में वृद्धि करे।
21. जल संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उसका संचय आवश्यक है।
22. जल संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उसका उचित संवहन तथा स्थानांतरण भी जरूरी है।
23. पुरुष वर्ग दाढ़ी बनाते समय यदि टोंटी बंद रखें तो बहुत जल बच सकता है।
24. रसोई में जल की बाल्टी या टब में अगर बर्तन साफ करें तो जल की बहुत बड़ी हानि रोकी जा सकती है।
25. छोटे गिलासों में पानी पीने एवं कम रिसाव वाले मटकों का उपयोग करने से पानी की बचत होती है।
26. घर की मां बहनों के लिए पर्याप्त कपड़े धोने पर ही वाशिंग मशीन का प्रयोग करना चाहिए।
27. सब्जियों को किसी बर्तन या टब में धोना चाहिए।
28. प्लैश टैंक में खराब पानी का उपयोग करके स्वच्छ पानी को बचाना चाहिये।
29. अपने-अपने वाहनों को बाल्टी में पानी लेकर धोना चाहिए।
30. यदि घरेलू प्रयोग से वर्ष किसी कारण बच जाती है तो उसे पौधों में या लान में डालना चाहिए।
31. टॉयलेट में लगी फ्लश की टंकी में प्लास्टिक की बोतल में रेत भरकर रख देने में हर बार 1 लीटर जल बचाने का कारगर उपाय उत्तराखंड जल संसाधन ने बताया है। इसे भी अमल में लाने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं सभी के लिए उपयोगी होगा।
32. सरकार एवं आम जन को चाहिए की जैसे हर घर में शौचालय निर्माण का कार्य **स्वच्छ भारत अभियान** के तहत चलाया जा रहा है वैसे ही हर घर में वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए टैंक बनाओं अभियान की शुरुआत आज ही से होना चाहिए। इसमें सरकार के साथ आम जनता का सहयोग अपेक्षित है।

जल संग्रहण एक सामूहिक उत्तरदायित्व - बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दृष्टि से जल संरक्षण को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। इसके लिए अभिरुचि के अनुसार जन जागरण अभियान चलाकर प्रयास करना अति आवश्यक है। समाज में सभी वर्गों के बच्चों, महिलाओं, पुरुषों आदि को जल संरक्षण के महत्व व आवश्यकता से विशेष तौर पर अवगत कराना चाहिए एवं समस्त शैक्षणिक स्तरों में जल संरक्षण का पाठ्यक्रम शामिल होने जैसी उपाय अपनाना चाहिए।

जल संरक्षण वर्तमान में विश्व की चिंता का विषय है प्रकृति ने हमें बिना भेदभाव के हवा, पानी, वन, प्रकाश आदि दिया है लेकिन विकास की दौड़ में शामिल होने के कारण प्रकृति का **नैसर्गिक संतुलन** बिगड़ता जा रहा है। जल संरक्षण के लिए हमें आज ही से सजग एवं सतर्क रहने की जरूरत है तब जाकर जल का संरक्षण हो पाना संभव हो पायेगा इसके लिए वर्षा जल का संग्रहण, संरक्षण तथा समुचित प्रबंधन आवश्यक है। यह तभी संभव है जब पूरा समाज **जोहड़ों**, तालाबों एवं झीलों को पुनर्जीवित कर, खेतों में सिंचाई के लिए **पीवीसी पाइप** द्वारा स्प्रिंकलर से सिंचाई हो, पक्की नालियों का निर्माण, बहाव वाले क्षेत्रों में पानी रोकने के लिए बांध बनाना, पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कानून, जल संरक्षण के लिए आम क्रांति, जन जागरण पानी रोको अभियान आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ उन पर अमल जरूरी है। इस प्रकार समाज के प्रत्येक वर्ग को सरकारी योजनाओं के साथ-साथ सामंजस्य बैठते हुए जल संरक्षण में अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए तब कहीं जाकर पानी को संरक्षित किया जा सकता है। शैक्षणिक मंचों एवं सामाजिक परिचर्चाओं में पानी संरक्षण विषय पर चर्चा के साथ-साथ समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों में इस पर डिबेट होना भी लाजमी है तब कहीं जाकर पानी को बचाया जा सकता है और यह कदम भविष्य में विकास के सपने साकार करने में मददगार सिद्ध होगा और हकीकत में तब जा कर मेरे आलेख की उपादेयता अधिक होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यादव ज्ञान चंद यादव, ज्ञान भारत 2017, ज्ञान प्रकाशन हाऊस दिल्ली पेज नं. 14
2. यादव ज्ञान चंद यादव, ज्ञान भारत 2017, ज्ञान प्रकाशन हाऊस दिल्ली पेज नं. 3
3. यादव ज्ञान चंद यादव, ज्ञान भारत 2017, ज्ञान प्रकाशन हाऊस दिल्ली पेज नं. 14
4. ओझा एस.के., पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 2015-16 बौद्धिक प्रकाशन इलाहाबाद पेज नंबर 159
5. अग्रवाल अनिल परीक्षा निबंध मंथन 2018-19 मंथन प्रकाशन इलाहाबाद पेज नंबर 284
6. समसामयिकी महासागर फरवरी 2020 अरिहंत पब्लिकेशन मेरठ पेज नंबर 11
7. शर्मा पीडी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 2017-18 रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ पेज नंबर 528
8. मिश्र डॉ. श्याम नारायण जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता वरिष्ठ हिंदी अधिकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स टी सीकर राजस्थान

पोषण से भरपूर भारतीय थाली: एक विश्लेषण सागर शहर के संदर्भ में

डॉ. आराधना श्रीवास *

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – हमारे शरीर के लिये आवश्यक पोषक तत्व हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन व खनिज लवण। यह सभी पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। जहाँ प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है वहीं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। अन्य सभी पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को सामान्य रखते हैं, आँखों की रोशनी, त्वचा, तापक्रम को सामान्य रखना, अम्ल एवं क्षार के संतुलन एवं कोमल अंगों की रक्षा का कार्य करते हैं। प्राचीन काल के ऋषि मुनि हमारे भारतीय सभ्यता के साइंटिस्ट थे। जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में अपना – अपना योगदान दिया। उसी तरह उन्होंने हमारी सभ्यता के भोजन में भी दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चटनी, अचार को मिलाकर संपूर्ण भारतीय थाली बनायी। जहाँ दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। वहीं चावल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। दाल में लाइसिन और ल्यूसिन नामक एमिनो एसिड पाया जाता है जो आपस में मिलने पर ही एक्टिव होते हैं। इसलिये हमारी संस्कृति में दाल के साथ चावल को महत्व दिया जाता है। रोटी में फाइबर पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। रोटी में घी लगाने से वसा की भी प्राप्ति हो जाती है। सब्जियों में खनिज लवण व विटामिन भरपूर मात्रा में रहते हैं। इसके साथ ही स्वाद को बढ़ाने के लिये चटनी में विटामिन 'सी' भरपूर होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाये रखने में मदद करता है। इसी प्रकार भारतीय थाली अपने आप में संपूर्ण पोषक तत्व वाली थाली मानी जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है।

प्रस्तावना – भोजन को हम रोज करते हैं। क्या आपने सोचा है, कि उससे हमारे शरीर को कौन-कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं। यदि खाने की बात करें, तो व्यक्ति खाने को खाने के स्वाद से जोड़ता है। भोजन से हमारे शरीर को कौन-कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं, इसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जो भोजन है, वह हमारे शरीर के लिये ईंधन का कार्य करता है। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिये पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को सुचारु रूप से चलाने के लिये भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि भोजन से ही हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा खनिज लवण, विटामिन जैसे सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है।

पूजा गनेरीवाल 2020 भारतीय भोजन बहुत ही पौष्टिक भोजन है। इसमें दाल, चावल, रोटी, दही, सलाद, आचार, पापड़ तथा मीठा होता है। हम सही तरीके से भारतीय भोजन लेंगे तो उसमें सम्पूर्ण अनाजों की रोटी आ जाती है। दालें जिसमें समुचित मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सब्जियों में विटामिन और खनिज लवण दही में प्रोबायोटिक होते हैं। इसलिये भारतीय भोजन बहुत ही पौष्टिक होता है। इसी तरह से जब हम सही तरीके से भारतीय भोजन लेंगे तो सारे पोषक तत्व हमारे शरीर में संतुलित आहार के रूप में प्राप्त हो जायेंगे।

तेजस्विनी 2020 इन्होंने अपने अनुसंधान में बताया है कि संतुलित आहार का सभी लोग पालन नहीं कर पाते हैं तो इसका शॉर्टकट निकाला जा सकता है। यदि किसी को बर्गर खाना है तो उसका ब्रेड गेंहूँ, रागी और ओट के आटे से बना होना चाहिये। उसमें जो आलू की सब्जी भरी जाये तो उसको एयर फ्राई किया जाना चाहिये। इससे उसका टेस्ट भी बना रहेगा तथा यह स्वास्थ्य के लिये भी लाभदायक होगा। इसलिये हमें स्मार्ट प्ले

करना होगा। जैसे यदि आप नूडल्स खाना चाहते हैं तो वह मैदे का नहीं बना होना चाहिये। वह ओट्स, रागी, गेंहूँ के आटे का बना हुआ होना चाहिये। स्वास्थ्य के लिये थोड़ा स्मार्ट प्ले करके आप अपने टेस्ट को बनाकर स्वस्थ रह सकते हैं। भारतीय भोजन तो हमारा वैसे भी उत्तम आहार है लेकिन जो लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं, स्वाद में बदलाव लाना चाहते हैं खाने में भारतीय थाली का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय थाली में जिस तरह की पौष्टिकता और स्वाद देखने को मिलेगा ऐसा अन्यत्र मुश्किल से देखने को मिलेगा। भारतीय थाली के अंदर रोटी, चावल, सब्जियाँ, दाल, सलाद, पापड़ आते हैं। भारतीय थाली में हमेशा रोटी और चावल रहते हैं। इन दोनों के बिना भारतीय थाली अधूरी मानी जाती है। रोटी और चावल कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। इन दोनों में फाइबर और विटामिन होते हैं, जो सेहत के लिये फायदेमंद हैं। दूसरी तरफ पास्ता, नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, ब्रेड आदि में पौष्टिकता हीन मैदा होती है। मैदा में कब्ज और मोटापे आदि को बढ़ाती है, साथ ही पाचन संस्थान को भी खराब करती है। तो एक स्मार्ट प्ले करके भी जीवन को खुश रखा जा सकता है।

संजीव कपूर 2020 इन्होंने बताया है कि यदि आप प्रोटीन युक्त थाली का सेवन करना चाहते हैं तो आप अपने भोजन में विभिन्न प्रकार की दालें, राजमा, पनीर, सोयाबीन जो अधिक प्रोटीन युक्त पदार्थ हैं ले सकते हैं। जैसे मूंग की दाल की यदि खिचड़ी बनाई जाये तो लोग कहते हैं कि बीमारों का खाना है, पर उसी मूंगदाल का यदि हलवा बना दिया जाये तो वह स्वाद में अच्छा बन जायेगा। उच्च प्रोटीन युक्त थाली के लिये सभी प्रकार की दालें जिसमें आप पाचन के लिये मूंगदाल, चने की दाल में लौकी डाल कर, पनीर की भुर्जी, रोटी, राजगीर में उबले आलू डालकर पराठा, रागी की रोटी,

दही आवश्यक है।

रश्मि श्रीवास्तव 2018 भारतीय थाली भारत की संस्कृति का प्राचीन अंग है। भारतीय खाने की बात करें तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि चटपटा, गरम, तीखा, वसायुक्त और मलाईदार खाना। भारतीय भोजन को स्वाद के मामले में अच्छा लेकिन स्वास्थ्य मामले में गलत समझा जाता है। ऐसा समझने वाले लोग भूल जाते हैं कि भारतीय भोजन में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्यवर्धक मसालों को डाला जाता है। इन मसालों की मदद से खाना बेहतरीन स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. बालक - बालिकाओं के द्वारा लिये जा रहे भोजन सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करना।
2. संतुलित भोजन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना।
3. बालक- बालिकाओं की भोजन सम्बन्धी पसन्दगी को ज्ञात करना।
4. बालक-बालिकाओं में भोजन के प्रति जागरूकता को ज्ञात करना।
5. फास्ट-फूड के प्रति रुचि से संबंधित जानकारी एकत्रित करना।

अध्ययन की उपकल्पना- बालक- बालिकाओं में पारम्परिक भोजन के प्रति जानकारी का अभाव पाया जाता है।

अध्ययन की विधि-प्रस्तुत अध्ययन सागर शहर के संदर्भ में किया गया। जिसमें चार शालाओं के 300 बालक - बालिकाओं को लिया गया। बालक- बालिकाओं की आयु 8 से 13 वर्ष थी। शोध के उद्देश्य व समकों की प्रकृति को ध्यान में रखकर आवश्यक सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के समकों के संकलन हेतु साक्षात्कार, अनुसूची व प्रश्नावली का प्रयोग किया गया तथा द्वितीयक समकों के संकलन हेतु विभिन्न अभिलेखों, पत्रों एवं शोध प्रबंध आदि अन्य संबंधित तथ्यों का संकलन किया गया। शोध के उद्देश्य तथा समकों की प्रकृति को ध्यान में रखकर आवश्यक सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया। बालक - बालिकाओं का चयन दैव निर्देशन विधि द्वारा किया गया।

व्याख्या एवं विश्लेषण

तालिका क्र. 1 : किस प्रकार का भोजन करना पसन्द

क्र.	किस प्रकार का भोजन करना पसन्द	बालक		बालिकाएँ	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	तला	89	59.33	100	66.67
2.	उबला	33	22	19	12.6
3.	अंकुरित	28	18.67	31	20.67
	कुल	150	100	150	100

तालिका क्र. 1 में बालक-बालिकाओं द्वारा किस प्रकार का भोजन करना पसन्द किया जाता है कि स्थिति को संकलित किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 150 बालकों में से 89(59.33 प्रतिशत) बालक तला भोजन, 33(22 प्रतिशत) बालक उबला भोजन व 28(18.67 प्रतिशत) बालक अंकुरित भोजन लेना पसन्द करते हैं। इसी प्रकार 150 बालिकाओं में से 100(66.67 प्रतिशत) बालिकाएँ तला भोजन, 19(12.6 प्रतिशत) बालिकाएँ उबला भोजन व 31(20.67 प्रतिशत) बालिकाओं द्वारा अंकुरित भोजन पसंद किया जाता है।

प्रस्तुत तालिका के विवरण से स्पष्ट होता है कि बालक व बालिकाओं द्वारा तला हुआ भोजन अधिक पसन्द किया जाता है।

तालिका क्र. 2 : बच्चे टिफिन में क्या ले जाते हैं

क्र.	बच्चे टिफिन में क्या ले जाते हैं	बालक		बालिकाएँ	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	फास्ट-फूड	89	59.33	81	54
2.	पारम्परिक भोजन	61	40.67	69	46
	कुल	150	100	150	100

तालिका क्र. 2 में दर्शाया गया है कि उत्तरदाताओं के बच्चे टिफिन में क्या ले जाते हैं समग्र रूप से 300 उत्तरदाताओं में 150 बालक व 150 बालिकाएँ हैं 150 बालकों में से 89(59.33 प्रतिशत) बालक टिफिन में फास्ट-फूड व 61(40.67 प्रतिशत) बालक टिफिन में पारम्परिक भोजन ले जाते हैं। इसी प्रकार 150 बालिकाओं में से 81(54 प्रतिशत) बालिकाओं द्वारा टिफिन में फास्ट-फूड व 69(46 प्रतिशत) बालिकाओं द्वारा टिफिन में पारम्परिक भोजन ले जाया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः बालक व बालिकाएँ अपने टिफिन में फास्ट-फूड का सेवन करते पाये गये।

विश्लेषण - एक संतुलित आहार का उपयोग करना सबसे अच्छा रहता है। जिसमें विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित हो जो स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये उपयुक्त मात्रा तथा अनुपात में हो। भारतीय भोजन में एक संतुलित आहार बनाने वाले सभी तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। पोषक तत्वों के साथ-साथ हमें पोषण पर नियंत्रण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य के लिये एवं अच्छा जीवन जीने के लिये इसमें आप अपनी थाली का विभाजन कर सकते हैं। जिसमें 50 प्रतिशत चावल व सब्जियाँ, 25 प्रतिशत दाल, दही, पनीर, 25 प्रतिशत सलाद को रख सकते हैं। यह सभी मिलकर पौष्टिक भोजन बनाता है। किसी भी अवस्था में हम पोषक तत्वों की मात्रा को शून्य नहीं कर सकते। हमारे शरीर के लिये घी भी बहुत आवश्यक है क्योंकि यह हमारे शरीर को शून्य नहीं कर सकते। हमारे शरीर के लिये घी भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे शरीर को, हड्डियों को लुब्रिकेंट करता है। आँखों के लिये, मस्तिष्क विकास के लिये उत्तम होता है। इस तरह से आप अपना पोषण उत्तम रख सकते हैं।

निष्कर्ष -प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष पाया गया कि बालक-बालिकाएँ अपने भोजन में तले भोज्य पदार्थों का सेवन अधिक करते पाये गये। बालक- बालिकाएँ अपने टिफिन में फास्ट फूड का सेवन करते पाये गये इससे यह ज्ञात होता है कि बालक-बालिकाओं को पारम्परिक भोजन या भारतीय थाली में कौन - कौन से पोषक तत्व पाये जाते हैं उनमें इसकी जानकारी का अभाव पाया गया। बालक-बालिकाओं को यह बताना आवश्यक है कि भारतीय थाली में शरीर की पौष्टिक जरूरतों के साथ ही वजन न बढ़ने देने की क्षमता भी है। शाकाहारी भोजन में सबसे पसंदीदा खाना भारतीय थाली सर्वप्रथम है। पावभाजी, छोले भटूरे, पिज्जा, बर्गर, डोसा, चीला रोज नहीं खा सकते हैं लेकिन भारतीय थाली हमेशा पसंद की जाती रही है। इससे पाचन संबंधी समस्या नहीं होती है। भारतीय थाली में मौजूद सभी भोजन स्वास्थ्य के लिये लाभदायक होते हैं। यह कई बीमारियों से बचा सकते हैं, जैसे हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। भारतीय रसोई में दिन में कम से कम एक बार दाल जरूर बनती है। कई लोग इसे खाने में नखरे भी दिखाते हैं, लेकिन जो भी दाल खाने में फायदे को जानते हैं, वे एक कटोरी दाल दिन में एक बार जरूर खाते हैं। दालों में भरपूर विटामिन खनिज

लवण होता है, जो शरीर को ना सिर्फ पोषण देता है बल्कि जीवनशैली से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है। दाल में ऐसे फाइबर पाये जाते हैं जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इस तरह रोज दाल खाना आपको दिल की बीमारियों से भी बचाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सब्जियां हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

सुझाव :

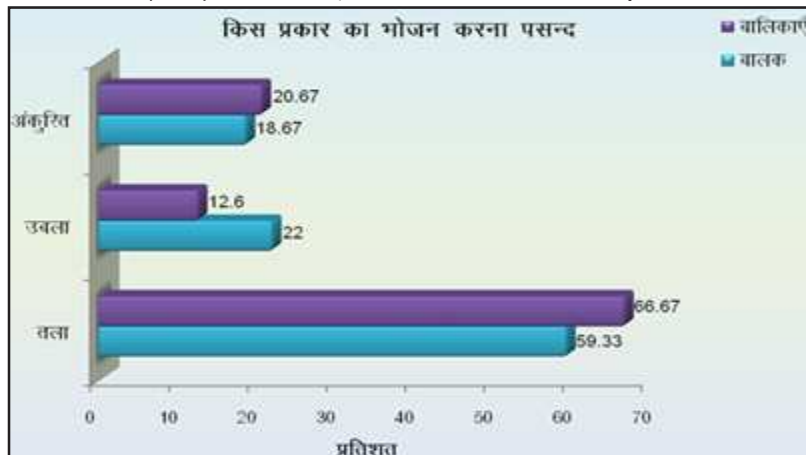
- हमें अपनी थाली में रोजाना पराठा ब्रेड, पूरी के सेवन से बचना चाहिये।
- आप लंच में मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले सकते हैं।
- हमारे भोजन में 1 दिन में चावल कम से कम एक कटोरी होना चाहिये।
- रात्री का भोजन हमेशा हल्का करना चाहिये।
- साबुत दालों के स्प्रउट्स की पौष्टिक चाट बनाकर उसका सेवन करना चाहिये।
- हमें मौसमी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिये।
- फल और सब्जियों को अपने भोजन में अधिक से अधिक शामिल करना चाहिये।
- स्वास्थ्य भोजन की थाली लोगों को मीठे पेय पदार्थों से दूर रहने के लिये बताती है।

- अभिभावकों को अपने बच्चों को भारतीय थाली के बारे में जानकारी देना चाहिये।
- परिवार में बालक-बालिकाओं को भारतीय थाली के महत्व को समझाना चाहिये।

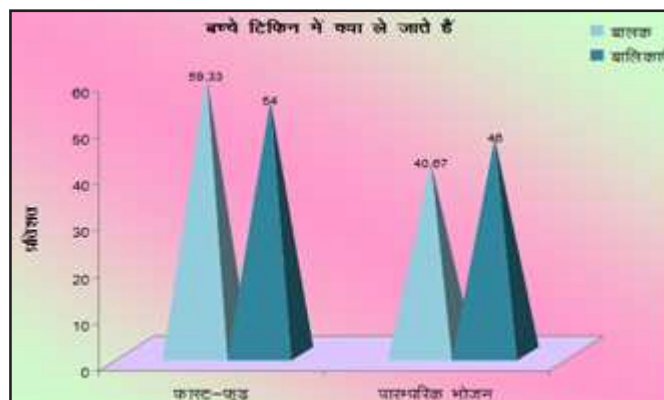
संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- आस्था अवस्थी 20 जुलाई 2018।
- डॉ. कुमार भरतपुर शरण, डॉ. रवि शंकर, एम. मनीष, मोहन गोरे एवं देवेन्द्र पाल गौर बेहतर भोजन उत्तम स्वास्थ्य।
- डॉ. श्री नंदन बंसल आहार एवं पोषण ए. आई. टी. वी. एस. पब्लिकेशन भारत।
- एडवांस इन फूड एंड न्यूट्रिशन रिसर्च जॉन किनसेल्ला एकेडमिक प्रेस 1990।
- टंबिका सतीजा हार्वर्ड टी एच स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ।
- डॉ. जोशी शुभांगी (2004), 'न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स', टाटा एम. ग्रू हिल, दिल्ली, पृ. 422-424।
- राय पारसनाथ (2008), अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, प्रकाशन आगरा, द्वादश संस्करण, पृ. 96।
- डॉ. पल्ला अरुणा (2003), 'आहार एवं पोषण', शिवा प्रकाशन, इन्दौर, पृ. 1-18।

ग्राफ क्र. 1 : किस प्रकार का भोजन करना पसंद



ग्राफ क्र.2 : बच्चे टिफिन में क्या ले जाते हैं।



साहित्य और पर्यावरण की चिंताएं

डॉ. सविता वशिष्ठ *

* सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत) जैन कन्या पाठशाला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – पर्यावरण शब्द अंग्रेजी के एक शब्द इनवायरमेंट का हिन्दी पर्यायवाची शब्द है। संस्कृत में पर्यावरण शब्द परि, आइ उपसर्ग पूर्वक वृन् (वृ) वरणे धातु से ल्युट् प्रत्यय होने पर बनता है। परि (चारों ओर) + आवरण (घेरा) पर्यावरण भाव यह हुआ कि चारों ओर से किसी को ढकता अथवा घेरता है, वही पर्यावरण है।

पर्यावरण के सम्बन्ध में समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धान किये गये हैं। हमारे वैदिक ऋषियों ने भी अपनी सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि के द्वारा हमारे पर्यावरण को समझा है तथा प्राणिमात्र के कल्याण हेतु अनेक युक्तियाँ भी बताई हैं।

यह देश जगद्गुरु माना जाता रहा है यहां के ऋषि मुनि जीवन के प्रत्येक पक्ष और प्रकृति की प्रत्येक सत्ता को आयन्त निकटता से जानने तथा पहचानने में सक्षम थे। उनका अपना स्वतन्त्र विज्ञान था, जिस विज्ञान के द्वारा वे मानव को 'जीवेम शरदः शतम्' के लिए सर्वदा योग्य बनाते थे।

भारतीय संस्कृति और साहित्य में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अनेक बातें मिलती हैं। हमारे पर्व प्रकृति संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देते हैं। वही प्रचीन साहित्य में वर्णित एक एक पर्व पर्यावरण संरक्षण व प्रकृति प्रेम की ओर संकेत करता है। चाहे वह रक्षाबन्धन हो या मकर संक्रान्ति या हरियाली तीज। उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक पर्व 'वट अमास्या' है। मतस्य पुराण में भी कहा गया है कि दस कुओं के बराबर एक बावड़ी के बराबर एक तालाब दस तालाबों के बराबर एक पुत्र है और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है।

प्राचीन वैदिक ऋषियों और विद्वानों ने उन समस्त पर्यावरणीय उपकारक तत्वों को देवतुल्य मानकर उनके महत्व को अभिव्यक्त तो किया ही है इसके साथ ही साथ मानवीय जीवन में उनके पर्यावरणीय महत्व को भी समीक्षा किया है। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जिन देवताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है उनमें सूर्य, वायु, वरुण (जल) और अग्नि देवताओं की रक्षा की कामना की गई है।

भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बताया गया है कि हमारा शरीर प्रकृतिक शक्तियों का ही पञ्चकीकरण रूप है। संस्कृत साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि को काव्य प्रेरणा कौच पक्षी के जोड़े को देखकर ही मिली। महाकवि कालिदास की सम्पूर्ण रचना संसार प्रकृति की गोद से ही जन्मा अभिज्ञानशाकुन्तलम् मेघदूतम् ऋतुसंहार जैसी रचनाओं ने प्रकृति को मानवीकरण के रूप दर्शाया गया है। (मूलतः जीवन के आधारभूत तत्व के रूप में प्रवृत्ति को समझने, उसके प्रति संवेदनशील बने रहने का सशक्त व्यापक भाव भारत के प्राचीन साहित्य और सांस्कृतिक स्रोतों से छनकर आकार ग्रहण करता है जहां प्रकृति का स्वरूप सहचरी से प्रारम्भ होकर चिन्तन

के केन्द्र में आकार साहित्य और प्रकृति के सम्बन्ध को विचारात्मक अवसर प्रदान करता है।)

महाकवि कालिदास का विश्वप्रसिद्ध नाटक 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करता है इसमें पर्यावरण संरक्षण का और प्रकृति प्रेम का सर्वाधिक सुन्दर वर्णन दिखायी देता है अभिज्ञान-शाकुन्तलम् के प्रथम अंक में ही कवि द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कि पर्यावरण रक्षण के लिए वृक्षों का सेचन नित्य कर्म में प्रमुख कर्म था। तभी तो आश्रम की कन्याएं अपने अपने प्रमाण के अनुरूप घड़ी से वृक्षों का सेचन कर रही हैं। 'राजा सतास्तपस्विकन्य काः स्वप्रमाणानुरूपैः सेचनघटैः बालपदपेश्यो पयो दातुमित एवाभिवर्तन्ते' (1) आगे भी नायिका को आभूषण प्रिय होने पर वह वृक्षों से एक भी पत्ता नहीं तोड़ती है। जब तक वह आश्रम के वृक्षों का सेचन नहीं करती तब तक वह स्वयं भी जल नहीं पीती है। वृक्षों में फूल और फलों के उद्गम के समय वह उत्सव करती है। इस प्रकार का हृदय को द्रवित करने वाला प्रकृतिप्रेम कवि का पर्यावरण चेतना भाव को प्रस्फलित करता है। कण्व कहते हैं। कि

पातुं न प्रथमं व्यवस्पति जलं पुष्पाव्वपीतेषु या नाडडदन्ते प्रियमण्डनाडपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आये वः कुसुमप्रसूतिसमये धस्या भवत्युत्सवः। (2) सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् पर्यावरण संरक्षण में यज्ञ की महत्ता भी कम नहीं है। अतः कालिदास की रचनाओं में प्रायः सर्वत्र यज्ञ का वर्णन मिल ही जाता है यथा-सायन्तने सवनकर्मणि संप्रवृत्ते, वेदी हुताशनवर्ती परितः पयस्ता। (3)

पर्यावरण को युद्ध और सन्तुलित करने के लिए वन्य जीव और पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है उनका संरक्षण भी परमावश्यक है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक में द्विप, सिंह, गो, मृग आदि संरक्षण अहिंसा और पर्यावरण का सन्देश दिया है तभी तो शिकार करते हुए राजा दुष्यन्त को तपस्वी रोकते हुए कहते हैं- भो भो राजन्। आश्रम मृगोदयं न हन्तव्यः। (4)

कालिदास की रचनाओं में केवल शकुन्तला ही केवल मृगों और प्रवृत्ति से प्रेम करती है अपितु रघुवंशम् महाकाव्य में राजा दिलीप भी सिंह पर आक्रमण नहीं करता है। कुमार सम्भवम् महाकाव्य में भी पार्वती वृक्षों के प्रति पुत्रादिवत् प्रेमभाव रखती है। यहां कवि द्वारा वृक्षारोपण ठतयादि के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का सन्देश देते हैं।

वृक्षों और वनस्पतियों का हमारे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में बड़ा सहयोग है यह किसी से छिपा नहीं है। वृक्ष और वनस्पति पर्यावरण समाधान में मुख्य कारक होते हैं। प्रणियों की जीवन यात्रा में इन वृक्षों का बड़ा योगदान

है। उनके द्वारा प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन (प्राणवायु) से प्रा प्राणियों के जीवन की रक्षा होती है। समस्त प्राणियों पर इन वृक्षों का कितना ऋण है इसका वर्णन वाणी के द्वारा सम्भव नहीं है। वेदों के अनुसार मित्र और वरुण देवता हैं- शं नो देवीरभिष्टयडडपो भवन्तु पीतया। शं योरभि स्रवन्तु नः। (5)

पर्यावरणीय तत्वों में जल का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। वह तो हाईड्रोजन तथा आक्सीजन नाम की दो गैसों का मिश्रण का प्रतिफल है। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान भी मित्र और वरुण इन दो तत्वों को श्रृष्टि का कारक मनाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ को ही प्रमुख साधन बताया गया है। यज्ञ का वर्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है मानव जीवन की रक्षा जल से की जा सकती है। वैदिक ऋषियों में जल के **जीवन दायी** महत्व को जानकर पर्जन्य को सूक्ष्म तथा वर्षा कारक अन्य प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर उनका गुणगान किया है। यज्ञाग्नि की प्रशंसा करते हुए शतपथ ब्राह्मण से कहा गया है कि यज्ञ की अग्नि वृष्टि कराती है- अग्ने धूमो जायते घूमाभ्रमभाद वृष्टिः।

वर्तमान समय में बढ़ता भू-प्रदूषण चिन्ता का विषय है यह ज्वलन्त प्रश्न सम्पूर्ण प्रबुद्ध वर्ग के समक्ष उपस्थित है यदि भू-प्रदूषण की यही दिशा रही तो पृथ्वी पर रहने वाला प्राणियों तथा वनस्पतियों का सम्पूर्ण विनाश अवश्यभावी है इस भू-प्रदूषण को नष्ट करने के लिए भू के प्रति श्रद्धाभाव प्रकट किया गया है, तथा पर्यावरण के महत्वपूर्ण कारक तथा वर्षा आदि के प्रमुख कारण वृक्षों के प्रति भी आदर भाव प्रकट किया है। वेदों में पृथ्वी को माता कहकर उसे पूज्य माना गया है। प्रत्येक धार्मिक कार्य के अनुष्ठान में पृथ्वी की पूजा का विधान है। यज्ञों में विविध प्रकार मके रेशनाशक पदार्थों हवनीप सामग्री की आहुति से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी के रोगाणुओं को नष्ट करती है। अतः भू-प्रदूषण की रक्षा हेतु यज्ञानुष्ठान की आवश्यकता है।

यज्ञ जहाँ प्रदूषित ध्वनि दोषों के निवारणार्थ सक्षम है, वही मानसिक विकृतियाँ भी यज्ञ के द्वारा शान्त की जा सकती है। यज्ञ से वृक्षों-वनस्पतियों की भी वृद्धि होती है। वेदों में इस सन्दर्भ में विविध मंत्र प्राप्त होते हैं। यज्ञ द्वारा जल तथा औषधियों में वृद्धि हाती है-

सुमितिया नऽआपऽऔषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै
सन्तु। यो ऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः॥ (6)

वास्तव में आज पर्यावरणीय संवेदना की महती आवश्यकता है जो वैदिक साहित्य में उपलब्ध है वेदों में अनेक नदियों, प्राकृतिक तत्वों का समवेश यू ही नहीं है उसके पीछे कारण पर्यावरण संरक्षण ही है। अनेक हिन्दी कवियों द्वारा भी वस्तुओं का आधार बनाकर बारहभासा आदि गीतों, रचनाओं को लिखा है। आज हमें महान साहित्यकार तुलसी जी के 'क्षिति जल, पावक, गगन, समीरा' के पंचतत्त्व को समझना होगा। भारतीय संस्कृति और साहित्य में अग्नि, नदियाँ, वृक्ष, सूर्य पशु-पक्षी, आदि अनेक, प्राकृतिक तत्वों को पूजनीय माना है। भारतीय संस्कृति और साहित्य प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ी है। भारतीय पर्व आदि सभी प्रकृति से जुड़े हैं। चाहे वह बैसाखी हो या बसंत पंचमी। पर्यावरण यहाँ जीवन की रीढ़ माना जाता है। भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग प्रकृति के आलम्बन को प्रदर्शित करता है- आदिकवि वाल्मीकि के काव्य प्रेरणा कौन पक्षी के विरह असस्था से प्राप्त हुई। इस सम्पूर्ण संसार में रामायण के प्रणेता आदि कवि

वाल्मीकि को कौन नहीं जानता। इस महाकाव्य में वेदानुकूल समाजानुकूल-परिवारानुकूल पर्यावरणानुकूल तत्वों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सजीवचित्रण उपलब्ध होता है।

वाल्मीकि रामायण में पर्यावरण चिन्तन में विश्व व्यापी समस्या का समाधान है न कि केवल चिन्तन यहाँ बताया गया है। कि जल-वायु-तेज-विहग-मृग मधु-सरीसृप आदि जैविक तत्व एवं वन औषधि लताओं आदि से मुक्त आवरण का समवाय ही पर्यावरण कहा जाता है। इनमें पर्यावरण तत्वों में जलतत्व की पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण निवारणार्थ महती आवश्यकता है। क्योंकि 'जलमेव जीवनम्' जल में ही प्राणवायु (ऑक्सीजन) रोग नाशक शक्ति और शुद्धि की सामर्थ्य होती है। इसीलिए जल ही जीवन है कहा जाता है। जैसे कि 'आप एवं संसर्जदो वासु बीजमवासृजत' (7) अर्थात् सर्वप्रथम जल उत्पन्न हुआ उसके पश्चात सृष्टि का सृजन हुआ। जल में जीवन शक्ति विद्यमान है, जल से ही संसार में वातावरण शुद्ध होता है।

या आपो दिव्य उत वा स्रवन्ति खनित्रिया उतवा याः स्वयं जाः।
समुद्धार्थायाः शुचपः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु। (8)

अथर्ववेद में कहा गया है-शुद्ध न आपस्तन्वे क्षरन्तु (9) यो न सेदुरप्रिये तं नि दध्मः। पवित्रेण प्रथिवि मोत्पुनामि जिस प्रकार वेदों में जल की महिमा का वर्णन है उसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन यही चिन्तम प्रप्ता होता है। यथा-अकर्ममिदं तीर्थ भारद्वाज निशामय। रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। (10) इस पद्य में जल की तुलना सत्पुरुषों के साथ की गयी है। जल ही सभी मनुष्य की मानसिक और शारीरिक शुद्धि करता है। वाल्मीकि सामायण में अनेक प्रकार के जल का वर्णन है। वहाँ पर नदी, निर्झर सरोवर, सागर इत्यादि का बहुतायत वर्णन प्राप्त होता है। रामायण कालिक पर्यावरण को देखकर यही प्रतीत होता है कि उस समय जल प्रचुर मात्रा में व्याप्त था। जल ही जीवन है इस वेद वाक्य को सार्थक करने के लिए गंगा नदी के तट पर वेद ध्वनि, यज्ञ, आदि के अधन के लिए शिष्य गुरुओं के पास शिक्षा ग्रहण करते थे। भारतीय संस्कृति व चिन्तन में पर्यावरण का वह महत्व है जो मानवीय शरीर में आत्मा का होता है। प्रकृति ने ही भारतीय संस्कृति और साहित्य को नया आयाम दिया है अनादिकाल से पर्यावरण संरक्षण साहित्य में चिन्तन का केन्द्र रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अभि० शाकु० 1-48 श्लोक
2. अभि० शाकु० 4-9 श्लोक
3. अभि० शाकु० 3-23 श्लोक
4. अभि० शाकु० 1 अंक
5. यजुर्वेद - 36/12
6. यजुर्वेद - 36/23
7. यजुर्वेद - 1/8
8. ऋग्वेद - 7/49/2
9. अथर्ववेद - 12/1/30
10. वाल्मीकि रामायण-2/5
11. यजुर्वेद
12. वामनपुराण - 14/26

गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में राजनैतिक बोध

दमयंती मरांडी *

* शोधार्थी, गंगाधर मेहेर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर (ओड़ीशा) भारत

प्रस्तावना – राजनीति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। राजनैतिक चेतना के फलस्वरूप भारतीय जनजीवन में राजनीति सामान्य चर्चा का विषय बन गई है। अब प्रत्येक जागरूक नागरिक अपने आपको किसी-न-किसी राजनैतिक दल से संपृक्त अनुभव करता है। स्वाधीनता के पश्चात भारतीय राजनैतिक चेतना विविध रूपों एवं स्तरों में प्रकट हुई है। राष्ट्र के साथ साथ व्यक्ति चेतना का विकास भी हुआ है तथा वह अपने अधिकारों के प्रति जागृत दृष्टिगत है। जनतांत्रिक व्यवस्था पद्धति में राज्य का व्यक्ति से सीधा संपर्क हो गया है। फलतः व्यक्ति स्वयं को राजनीति का अंग अनुभव करने लगा है।

समाजशास्त्र के अनुसार – राजनैतिक आधारों पर कुछ राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के संगठित साधनों को राजनैतिक संस्था कहते हैं। 'सामाजिक जीवन को संगठित रूप में बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में एक प्रभुसत्ता सम्पन्न ऐसी शक्ति हो जो कि नियंत्रणात्मक व कल्याणकारी दोनों ही प्रकार के कार्यों को कर सके, इसी शक्ति व कार्यों के संदर्भ में जो संस्थाएं विकसित होती हैं; उन्हीं को राजनैतिक संस्थाएं कहते हैं'¹

आधुनिक युग में राजनैतिक संस्थाओं में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। आज की राजनीति स्वार्थ प्रेरित हो गई है तथा राजनेता स्वार्थी हो गए हैं। देश के नेतागण पद, शक्ति और दौलत बटोरने में हर समय बेचौने रहते हैं। उनके लिए जनसेवा अथवा ईमानदारी जैसे शब्द जनता को मूर्ख बनाकर उनके वोट प्राप्त करने के साधन मात्र हैं। सत्ता व विपक्ष दोनों की राजनीति का सम्बन्ध जन-कल्याण न होकर सरकारी कुर्सी हथियाना हो गया है। आज के राजनैतिक परिदृश्य की सबसे बड़ी विसंगति राजनैतिक व्यवस्था का भ्रष्ट होना है। आज रिश्वतखोरी, अवसरवादिता, भाई-भतीजावाद भ्रष्टाचार ने राजनैतिक वातावरण को पूर्णतः प्रदूषित कर रखा है। भ्रष्टाचार की सीमा इतनी अधिक बढ़ गई है कि दया, त्याग, सेवा एवं उदारता इत्यादि मान्यताओं का कोई मूल्य नहीं रहा गया है।

शासन एवं व्यवस्था की अनैतिकता, भ्रष्टाचार आदि के कारण भारतीय जनमानस का मोहभंग हो गया है। अवसरवादी लोगों में प्रशासन में घुसकर चोर-बाजारी व घूस का साम्राज्य स्थापित कर दिया है। अतः अनैतिक दंग से रुपया इकट्ठा करना, विषय विलास की वस्तुओं को एकत्रित करना ही आज के नेताओं का जीवन दर्शन है। आज की भ्रष्ट राजनैतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई का कथन पठनीय है 'वास्तव में यह दौर राजनीति में मूल्यों की गिरावट का था। इतना झूठ, फरेब, छल

पहले कभी नहीं देखा था। दगाबाजी संस्कृति हो गई थी। श्रद्धा सब कहीं से टूट गयी, आत्मपवित्रता के दंभ के इस राजनैतिक दौर में देश के सामाजिक जीवन में सब कुछ टूट सा गया। भ्रष्ट राजनैतिक दौर के संस्कृत ने अपना असर सब कहीं चला। किसी दल का बहुत अधिक सीटें जीतना और सरकार बना लेना लोकतंत्र की कोई गारंटी नहीं है। लोकतांत्रिक स्फिरिट गिरावट पर है'² स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय जनता का एक ही उद्देश्य था – स्वतंत्रता प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होना। लेकिन दूसरों की गुलामी से मुक्त होकर आज हम स्वयं की गुलामी की जंजीरों में फंस गए हैं। आजादी पश्चात भी इस जनतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश में जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है।

राज्य तथा उसके अंग में राजनैतिक संस्थाओं का सम्बन्ध राज्य से है। एक राज्य में जनता और सरकार दोनों ही होते हैं। वर्तमान युग में सामाजिक जीवन का रूप निरंतर जटिल होता जा रहा है। इस स्थिति में केवल परिवार, पड़ोस तथा अन्य प्राथमिक समूह ही व्यक्ति और समूह के व्यवहारों को नियंत्रित रखने में अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। आज एक ऐसे शक्तिशाली अभिकरण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है जो अपनी व्यापक शक्ति के द्वारा एक निश्चित भू-भाग में रहने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन पर नियंत्रण रख सके। मैकाइवर के अनुसार, 'राज्य एक ऐसी समिति क्षेत्र है जो कानून और शासनाधिकार द्वारा कार्य करती है और जिसे एक निश्चित भू-भाग के अंदर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं'³

राज्य का निर्माण चार प्रमुख तत्वों से होता है – जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार तथा प्रभुसत्ता। सरकार राज्य की एक संस्था है जिसके माध्यम से शासन कार्य संचालित होता है। इसी आधार पर सरकार का दूसरा नाम 'शासनतंत्र' भी है। 'सरकार समाज को व्यवस्थित करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है जो अनेक नियमों के द्वारा व्यक्तियों को कार्य करने का निर्देश देती है। सरकार का कार्य कानून का निर्माण करना, कानूनों को प्रभावपूर्ण बनाना और उनकी व्याख्या करके व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना है'⁴ आज की राजनीति में नेता का प्रजातांत्रिक नेतृत्व कहीं भी दिखाई नहीं देता। नेता अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा करने की अपेक्षा अपने हितों को पूरा करने; सत्ता प्राप्त करने के लिए विभिन्न हथकंडों को अपनाने में व्यस्त है। आज की राजनीति की बागडोर स्वार्थी एवं दोहरे व्यक्तित्व वाले नेताओं के हाथ में है। नेताओं के विघटित चरित्र स्वार्थ की सीमाओं में आबद्ध हो चुके हैं। आज की राजनीति में सत्तालोलुप नेताओं का

साम्राज्य है। नेताओं के स्वार्थवश आज राजनैतिक अवमूल्यन का दौर सुरू हुआ है। गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में तत्कालीन स्वार्थी राजनैतिक नेताओं का चित्रण मिलता है।

गोविन्द मिश्र ने 'पाँच आँगनों वाला घर' उपन्यास में अंग्रेजी शासन से लेकर स्वातंत्र्योत्तर भारत की स्थिति का चित्रण किया है। इसमें पिछले सौ-डेढ़-सौ वर्षों के आदर्शों और राजनैतिक मूल्यों के परिवर्तन को दर्शाया है। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजनीतिज्ञ स्वतंत्रता-पूर्व जिन मूल्यों के प्रति आस्थावान थे; आज उन्हीं मूल्यों का उन्होंने त्याग किया है। आज के नेता भूल बैठे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशभक्तों ने कितने दुःख झेले तथा कितनी बलिदान दी थी। लेखक के शब्दों में 'ताज्जुब की बात यह थी कि देश और स्वतंत्रता की बड़ी दबड़ी बातें करने वाले नेताओं के लिए एकाएक गद्दी इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि उसे हासिल करने के लिए हजारों - लाखों लोगों का मारा काटा जाना भी कुछ नहीं था?'¹⁵ प्रस्तुत उपन्यास में राजनैतिक वातावरण की कूटनीति, षडयंत्रों का भी उल्लेख मिलता है। राजनीति में स्वार्थपूर्ति के लिए नेता लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। आज की भ्रष्ट व्यवस्था में छल-कपट, पद-लोलुपता, आचरणहीनता के दर्शन होते हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति एक-दूसरे की जड़े काटने में लगा है। हर नेता अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ने में लगा है।

आज की राजनीति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हुए लेखक कहता है कि, 'अच्छा कोई आगे आया तो उसे गिराने की कोशिशों फौरन शुरू हो जाती हैं, और तो निर्वाचित पार्टी की सरकार बनी नहीं कि एक पक्ष तत्काल खड़ा हो जाता है कि दूसरा कुछ हो न हो सरकार को काम नहीं करने देता है। जो आज सत्ता में है वह पार्टी भी विपक्ष में आते ही वही नकारात्मक भूमिका शुरू कर देती है।' ¹⁶ इस प्रकार प्रत्येक पार्टी के नेता विरोधी दल को नीचा दिखाने के लिए क्रियाशील दिखाई देती है।

आज के युग का हर नेता जनसेवा का ढोंग करता है। वह अपनी लोकप्रियता के लिए किराए की भीड़ इकट्ठी करके उससे जय-जयकार बुलाता है तथा दिखावा करता है कि जनता उसे कुर्सी पर बने रहने के लिए प्रेरित करती है। आज की राजनीति त्याग व सेवा भाव की नहीं अपितु राजनैतिक ताकत बटोरने के लिए है। आज के राजनीतिज्ञों के पास न कोई सिद्धांत है तथा न ही किसी पार्टी में आस्था है। वे उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं; जो उनकी जीत सुनिश्चित कर सके। लोकतंत्र के रक्षक ये नेता नैतिक-अनैतिक हथकण्डों के माध्यम से कुर्सी प्राप्ति की प्रबल इच्छा रखते हैं। सत्ताधारी एवं राजनीतिज्ञ व्यक्तिगत स्वार्थ, आपसी कलहों, ईर्ष्या, द्वेष में इतने लिप्त हो गए हैं कि वे जनता के हित और कल्याण को भूल गए हैं। आज सभी राजनैतिक दल प्रायः भ्रष्ट और आदर्शहीन हैं। भारत की राजनैतिक पार्टियों में जितना आपसी मतभेद और संघर्ष है उतना शायद कहीं नहीं है। सभी पार्टियाँ सत्ता हथियाने की चालों में लगी रहती हैं। स्वातंत्र्योत्तर राजनैतिक परिवेश को उपन्यासकार ने बड़े सजीव व व्यंग्यपूर्ण ढंग से 'फूल', 'इमरते और बंदर' उपन्यास में चित्रित किया है। लेखक के शब्दों में 'अपने देश की भी क्या कुंडली है - बेचारा हमेशा लूटा जाता रहा - महमूद गजनवी से लेकर अंग्रेजों और अब नेताओं - अफसरों तक थोड़ा पहले अंग्रेज थे; अब हमारे अपने काले अंग्रेज हैं। शब्द किसी कदर घिस गए - जब नेता कहे वह देश की सेवा करना चाहता है तो मानो यह है कि देश को लूटकर घर भरना चाहता है।' ¹⁷ उपन्यास में प्रधानमंत्री के स्थान पर उनका बेटा रतन कुमार दोनों हाथों से धान बटोरना दिखाई देता है जबकि प्रधानमंत्री स्वयं को बहुत

बड़ा देश सेवक समझते हैं। राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। आज की भ्रष्ट राजनीति से शैक्षणिक संस्थाएँ भी अछूती नहीं हैं। आज का युवा मानस सही दिशा और सही मार्गदर्शन के अभाव में दिग्भ्रमित होकर रह गया है। शिक्षा वैसे भी बेरोजगारी को दूर करने में असमर्थ रही है; इस पर राजनीति की गंदी नीतियों ने उभरती हुई युवा प्रतिमाओं को कुंठित कर दिया है; जिसका परिणाम तोड़-फोड़, हड़तालें, जुलूस और हत्याएँ होती हैं। इनसे केवल युवा वर्ग ही नहीं, सम्पूर्ण राष्ट्र प्रभावित होता है। 'लाल-पीली जमीन' उपन्यास में प्राध्यापकों के प्रति दुर्व्यवहार का कारण छात्रों को मिलने वाला राजनैतिक संरक्षण ही है। बोस साहब जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का संरक्षण उन्हें निर्मय बना देता है तथा वे शिक्षकों की हत्या करने से भी नहीं घबराते। शिवमंगल खुले आम पेपरों में नकल करते हुए प्राध्यापकों द्वारा पकड़ा जाता है किन्तु वह उनके रोकने से रुकता नहीं। मास्टर कौशल उसकी शिकायत प्रिंसीपल कंठी से कर देते हैं। जब प्रिंसीपल उसे नई कापी पर दुबारा से पेपर हल करने को कहते हैं तो वह उन्हें चाकू मारकर भाग जाता है। ऐसी स्थिति में बोस साहब उसे संरक्षण देते हैं तथा उसे अपने घर में छिपाते हैं। बोस साहब कुटल राजनीतिज्ञ हैं। वे राजनीति के दावपेचों को भली-भांति जानते हैं तथा सत्ता में रहने के लिए हथकण्डों को अपनाने में व्यस्त दिखाई देते हैं। वे निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए गुंडागर्दी, जातीयता इत्यादि का सहारा लेते हैं।

आज राजनीति में झूठ, अनैतिкиय और भ्रष्टाचार ही मूलमंत्र हैं जिनके सहारे राजनीति चलती है। यदि भूले भटके कोई सच्चा और ईमानदार व्यक्ति इस क्षेत्र में आ जाता है तो उसे खदेड़ने के लिए बाकी लोग एकजुट होकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। 'हुजूर दरबार' में खरे साहब सच्चे गांधीवादी तथा चरित्र सम्पन्न देश भक्त हैं। स्वतंत्रता के पश्चात वे अपने साथियों को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जनता के बीच जनसेवा के लिए प्रेरित करते हैं परन्तु उनके साथी उन्हें बेवकूफ व मूर्ख समझते हैं। वे अकेले ही समाज-सेवा के कार्य में जुट जाते हैं तो उनकी हत्या करवा दी जाती है। खरे की हत्या एक सम्पूर्ण विचारधारा की हत्या है; जहाँ ईमानदारी और निष्ठा दम तोड़ देती है तथा सत्ता - लिप्सा, बेईमानी का आरम्भ होता है। वस्तुतः आज की राजनीति में अनैतिकता का स्वर प्रबल है। राष्ट्रीय नेताओं के आदर्श बदलते हुए दिखाई देते हैं। राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए हत्याएँ राजनीति का विशिष्ट अंग बन गई हैं। आज गांधीवादी आदर्शों व मूल्यों का स्थान रिश्वतखोरी, विलासिता हेराफेरी ढोंग ने ले लिया है। लेखक देश की राजनीति में व्याप्त घोर अव्यवस्था से चिंतित दिखाई देता है। पुलिस विभाग की नैतिकता तथा चरित्र से राज्य व्यवस्था की नैतिकता और चरित्र का मूल्यांकन किया जा सकता है। पुलिस का सम्बन्ध सीधा जनता से होता है। आम जनता को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पुलिस के साथ टक्कर लेनी पड़ती है। लेकिन भ्रष्टाचार का बोलवाला होने से इन नियमों का कड़ाई से पालन नहीं होता तथा पुलिस आज अपराधियों को नहीं; निरीह प्राणियों को अधिक सताती है। वह असली अपराधी को न पकड़कर बेकसूर लोगों पर अत्याचार करती है।

गोविन्द मिश्र ने अपने उपन्यासों में पुलिस तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के अफसरों, कर्मचारियों के कारनामों का वर्णन किया है। प्रशासन व्यवस्था में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति का लक्षण अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। इसके लिए चाहें उसे कोई भी भ्रष्टाचार, रिश्वत, चापलूसी इत्यादि का मार्ग अपनाना पड़े। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में छोटे-सी-छोटे पद पर

आसीन व्यक्ति भी रिश्तों के बिना कोई कार्य नहीं करता ।

निष्कर्षत - कहा जा सकता है कि आज की राजनीति अवमूल्यित राजनीति है । देश के बहुमुखी राजनैतिक पतन न नैतिकता के सभी मानदण्डों को ध्वस्त कर दिया है । देश ने शासन व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिए जिस लोकतांत्रिक पद्धति को स्वीकार किया था ; वह ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट और स्वार्थमुखी बनकर रह गई है ।

आज के नेताओं ने राष्ट्रीय विकास के लक्षण को भुला दिया है तथा निजी सुख - सुविधाओं के संग्रह को ही राष्ट्रीय जीवन का अंग मान लिया है । आज चुनावों में जनसाधारण के वोट को अपने पक्ष में लेने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है । आधुनिक युग में राजनीति के क्षेत्र में रिश्तोंखोरी, घूसखोरी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्तियों का दबदबा है ।

अतः राजनैतिक विघटन होना स्वाभाविक है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. उपन्यासकार प्रेमचन्द्र : समाजशास्त्रीय अध्ययन - राजकुमारी गुगलानी, पृ-27
2. आठवे दशक की कहानियाँ में चित्रित बदलते सामाजिक प्रतिमान - उद्धत विधु शर्मा ,पृ-240
3. समाजशास्त्र - गोपाल कृष्ण अग्रवाल ,पृ-388
4. समाजशास्त्र - गोपाल कृष्ण अग्रवाल ,पृ-388
5. पाँच आँगनों वाला घर - गोविन्द मिश्र ,पृ -81
6. पाँच आँगनों वाला घर - गोविन्द मिश्र ,पृ -272
7. फूल इमारते और बंदर - गोविन्द मिश्र ,पृ 301

कोविड- 19 के संदर्भ में योग और शाकाहार जीवन का आधार

डॉ. रंजु गुप्ता *

*प्राध्यापक, नेहरू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगरा – मालवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना -



सूक्ष्मता चान्वेक्षते योगेन परमात्मनः मनु स्मृति 6/15
(सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर योग द्वारा परमात्मा को देखने का प्रयास करना चाहिए) - मनुस्मृति 6.115

योग शब्द संस्कृत के 'युज' धातु से बना है। युज धातु के दो अर्थ होते हैं - जुड़ना तथा समाधि। व्युत्पत्ति के आधार पर योग शब्द के संयोग व समाधि के दो अर्थ होते हैं तथा दार्शनिकों ने इन दोनों अर्थों में इसका प्रयोग किया दोनों अर्थों में प्रयुक्त योग का उद्देश्य एक है। मोक्ष की प्राप्ति वह चाहे आत्मा-परमात्मा के मिलन से हो या स्वयं के साक्षात्कार से दोनों की अंतिम परिणति मोक्ष है।

धार्मिक चेतना के तीन पहलु होते हैं- ज्ञान, भक्ति तथा कर्म। योग इन तीनों से संबंधित होकर क्रमशः ज्ञान योग, भक्ति योग, व कर्म योग, का रूप ले लेता है। ये तीनों मार्ग हैं जिनमें किसी पर चलकर जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

योग का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, वेदों, गीता, महाभारत में विस्तार से किया गया है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण व वायु पुराण आदि में भी योग की विस्तृत चर्चा की गई है। इस प्रकार योग की एक लंबी परंपरा रही है। जिसे शीर्ष पर पहुंचाने का काम महर्षि पतंजली ने किया। उन्होंने योग से संबंधित बिखरे सूत्रों को संकलित कर व्यवस्थित करते हुए योग को सत्यक स्वरूप दिया।

योग केवल शरीर को ही स्वस्थ नहीं बल्कि वह मानसिक बीमारियों को भी दूर करता है। आज इस असीम महत्वाकांक्षा की दौड़ में जहां सब कुछ अतिशीघ्र पा लेने की होड़ मची हुई है, निरंतर सक्रिय व गतिशील होने के कारण व्यक्ति के जीवन से आराम व फुरसत के क्षण खत्म हो गए हैं। इस कारण वह कई तरह की बेचैनियों व तनाव का शिकार हो गया है। इस भागदौड़ से मिलने वाली असफलता, पारिवारिक विघटन, अकेले रहने की यातना

आदि के कारण कई प्रकार की विकृतिया पैदा हो जाती हैं। ये तनाव व विकृतियों के अधिक बढ़ जाने के कारण व्यक्ति पागल हो जाता है अथवा आत्माहत्या कर लेता है। पागलपन व आत्माहत्या की बढ़ती दर इसका सबूत है। वर्तमान परिस्थितियों में बढ़ता तनाव, महत्वाकांक्षा की अंधी दौड़, पारिवारिक विघटन, बढ़ती बिमारियों को दूर करने के लिए योग व शाकाहार को अपनाना होगा।

योग का महत्व - योग जीवन, स्व शिक्षा व चरित्र को नियंत्रित करती है। यह हमारे ध्यान विचारों व भावनाओं के उचित प्रयोग व नियंत्रण में सहायक है। योग हमारी दिनचर्या व हमारी शिक्षा प्रणाली तथा हमारे जीवन की संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए। योग का उद्देश्य मूलतः प्रकृति से होता है और हमें पृथ्वी तथा समूचे ब्रह्माण्ड में सौहार्द से रहने की शिक्षा देता है।

योग स्वाभाविक रूप से पारिस्थितिकीय प्रयोजन और पारिस्थितिकीय जागरूकता, पर्यावरण के प्रति चिंता, पृथ्वी व दूसरी सभी रचनाओं, छोटे-बड़ों के सम्मान को बढ़ावा देता है। यह हमें एक दृष्टिकोण देता है कि हम दुनिया के संघर्षरत देशों व समुदायों में बंटे हुए नहीं बल्कि पूर्णता के साथ एक हैं।

योग के विभिन्न पहलू - योग की एक लंबी परंपरा रही है। जिसे शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य महर्षि पतंजली ने किया है। उन्होंने योग संबंधी बिखरे सूत्रों को सम्यक् रूप दिया है। पतंजली के प्रयास से योग इतना प्रभावशाली होकर लोगों के भीतर गहराई तक पहुंच गया है। उनकी वजह से यह इस हद तक पल्लवित हुआ कि उन्हें योग का प्रणेता माना जाने लगा। वे योग के 'प्रयाय' बन गये। पतंजली ने अपने ग्रंथ 'योग-सूत्र' में समाधिपाद, साव्यनापाद, विभूतिपाद व केवलयापाद में चार अध्याय बताये हैं। योग का 'चित्त वृत्ति का निरोध' कहते हुए कैवल्य (मौक्ष) को इसका लक्ष्य बताया है और इसकी प्राप्ति के लिये योग के आठों अंगों के अभ्यास से जब चित्त का निरोध हो जाता है तो सभी प्रकार के अज्ञात दूर हो जाते हैं और ज्ञान का उदय हो जाता है।

योग शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। योग में मानवता को एक जूट किया है। योग का शाब्दिक अर्थ ही है - जोड़ना चाहे किसी भी देश, जाति, धर्म, संप्रदाय के व्यक्ति हो योग सभी में सुस्वास्थ्य एवं सकारात्मक सोच विकसित करता है। योग के निर्माण से विश्व निर्माण का प्रतीक है तथा मानव चेतना का विज्ञान भी। तनाव, अशांति व तृष्णाओं से मुक्ति एवं शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्म परिष्कार के लिए योग

ही हर व्यक्ति कि लिए सबल साधन के रूप में आत्मसात् किया जा रहा है। पतंजली ने योग को सम्पूर्णता को आठ भागों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, एवं समाधि के रूप में परिभाषित किया है। योग के प्रथम सोपान यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य का विधान है जब कि दूसरे सोपान नियम के अंतर्गत शौच, संतोष तथा स्वाध्याय व ईश्वर प्राप्ति ध्यान का उल्लेख किया गया है।

योग से आश्चर्यजनक लाभ का परिष्कार का होना, उनकी व्यापकता व भव्यता को निरंतर बढ़ा रहा है। गीता में वर्णित योग की परिभाषा 'योगा कर्मसु कौशलम्' के अनुसार योग प्रत्येक क्षेत्र के कार्यों में कुशलता का परिचालक है। वहीं गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को योग के उपदेश देते हुए कहते हैं। के यमसमत्व योग उच्चतेय अर्थात् ऊँच-नीच, मेरा-पराया, हानि-लाभ तथा यश-अपयश से उपर समत्व भाव से जीना योग है।

शाकाहार - शाकाहार सिर्फ आहार नहीं है, एक सुविकसित चिंतन जीवन पद्धति है यह एक परिपूर्ण जीवनशैली है, जो सदियों के अनुभवों के बाद अस्तित्व में आयी है। इस जीवन पद्धति के सात नियंत्रक तत्व हैं। अहिंसा, करुणा, मानवीयता, सह-अस्तित्व, प्रकृति से मेत्री, स्वास्थ्य/स्वच्छता व स्वधीनता हमारे शरीर की प्रथम आवश्यकता शाकाहार है। एक पुरानी कहावत है कि जैसा अन्न, वैसा मन। अन्न का संबंध मन से है। यह वैज्ञानिक सत्य है। विटामिन ए की कमी से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। विटामिन बी की कमी से व्यक्ति भयभीत रहता है, अधिकतर रक्त चाप बढ़ जाता है। अल्कोहल का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से मानसिक असंतुलन पैदा कर देता है। वर्तमान समय मनुष्य एक त्रादसी से गुजर रहा है। कोविड-19 के उपर कई शोध कार्य हो चुके हैं। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच एक अध्ययन हुआ की शाकाहारी आहार लेने वाले अन्य पोषण युक्त भोजन लेने वालों की तुलना में 9 प्रतिशत ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। जो संक्रमित हुए भी उनमें गंभीर होने का जोखिम 41 प्रतिशत तक कम पाया गया। दुनिया भर के छः देशों में हाल ही में यह शोध किया गया। शोध के अनुसार शाकाहारी आहार लेने वाले 73 प्रतिभागियों में कोरोना होने के कम जोखिम पाए गये। यह अध्ययन मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल ने किया। शाकाहारी आहार फाइटोकेमिकल, एंटीऑक्सिडेंट व एंटी इन्फ्लेमेटरी खाद्य पदार्थों से भरपूर होता है। जो शरीर में संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। एक कलरफुल डाइट शरीर को पाषण देने में मदद करती है। (पत्रिका 11-09-2021 पे.16)

शाकाहार के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शाकाहार ही सर्वोत्तम आहार है।

प्रकृति ही मनुष्य शाकाहारी है लेकिन बहुत से लोग मांसाहार का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार से प्रकृति का विरोध है। यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो शाकाहार जितना सुपाच्य है मांसाहार उतना सुपाच्य नहीं है। शाकाहार चुनने के लिए कुछ वैज्ञानिक तर्क इस प्रकार हैं -

1. शरीर को स्वस्थ और उसकी मरम्मत के लिए चार आवश्यक तत्व हैं - प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन या वासा, खनिज।
2. जैव खनिज की मुख्य पूर्ति सब्जियों से होती है।
3. शाकाहार खून में क्षारीयता का संचय करता है, जो कार्बन डाई ऑक्साइड के अवशेष को समाप्त करने के लिए जरूरी है।
4. सब्जियाँ विटामिन के विशेष स्रोत हैं। विटामिन युक्त सब्जियाँ व फलों को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए।

5. शाकाहार में एंटीस्कौरब्यूरिक तत्व होते हैं जो बिमारियों से लड़ते हैं।
6. शाकाहारीयों में संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा स्तर उँचा होने के कारण चोट जल्दी ठीक होती है।
7. मांसाहार खाने से जमा हुआ यूरिक एसिड शरीर के यूरिक एसिड पर अतिरिक्त दबाव डालता है जिससे इसका निष्कासन कठिन हो जाता है। यह सब मिलकर बीमारियों के लिए आदर्श स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं।
8. शाकाहारियों में कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्याएँ कम होती हैं।
9. शाकाहारियों में कैंसर की संभावनाओं का स्तर 40 प्रतिशत कम होता है।

हमारा शरीर मूलतः शाकाहार के अनुसार ही रचा गया है। शाकाहार बनना उस नदी में कदम रखने जैसा है, जो व्यक्ति को निर्वाण की तरफ ले जाता है:- 'गौतम बुद्ध'।

शाकाहार वास्तव में एक वैज्ञानिक धारणा है। उसके कई अर्थ हैं, जिसमें पहला जीवन में हिंसा नहीं की जानी चाहिए। दूसरा भोजन में केवल वे वस्तुएं शामिल हो जो शरीर को सात्विक रखे, अर्थात् हमारे मन में हमारे शरीर के द्वारा हिंसा का भाव उदय न हो। इस युग में महात्मा गांधी शाकाहार के सबसे बड़े समर्थक हुए हैं, ब्रिटेन के उपन्यासकार समाजकारी व चिंतक बर्नार्ड रॉ, अमिताभ बच्चन, शाहिद कपूर, रिचर्ड गेर आदि प्रसिद्ध व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी हैं।

लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या गतिज ऊर्जा के सामान्य नियम से यह जाना जा सकता है कि उत्पादन अर्थात् वनस्पति में शत प्रतिशत ऊर्जा होती है जो पहले शाकाहारी के पोषण स्तर पर 90 प्रतिशत तक रह जाती है और उसके बाद हर स्तर पर घटने हुए मांसाहारी तक वहीं ऊर्जा 1 प्रतिशत तक रह जाती है अर्थात् पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के नियम से भी यह तय है कि शाकाहार सर्वाधिक ऊर्जावान आहार है।

वर्तमान समय व लंबे जीवन और निरोगी काया की चाह इंसान की सदैव से रही है। भारतीय दर्शन में 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जीने की बात कल्पना मात्र नहीं थी। एक अच्छा व स्वस्थ जीवन जीने के अनेक तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं। शाकाहार व योग हमारे जीवन का आधार होना चाहिए।

यदि हम असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ना चाहते हैं, हताश-निराश-उदास मानव जीवन में एक नई ज्योति, उमंग लाना चाहते हैं, तो हमें बिना संदेह प्रकट किए पूर्ण निष्ठा के साथ सदाचार-सद्विचार से परिपूर्ण आयु, आरोग्यवर्द्धक खान-पान, आचार-विचार, संचय-साधना, भाषा-भाव, सभ्यता व संस्कृति को अपनाना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शाकाहार 100 तथ्य - डॉ. नेमिचंद
2. आहा जिंदगी - नवम्बर 2005
3. आहा जिंदगी - आयुर्वेद विशेषांक 2002
4. आहा जिंदगी - अगस्त 2013
5. रोजगार समाचार - 16-22 जून 2018
6. मधुरिमा - 20 जून 2018
7. पर्यावरण - मेधातिथि जोशी
8. पत्रिका - 11/09/2021

माडिया जनजाति की विलुप्त होती प्रथाओं का अध्ययन दंतेवाड़ा जिले के सन्दर्भ में

डॉ. किरण नुरुटी* पिकी शर्मा**

* प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोंडागांव (छ.ग.) भारत

** शोधार्थी (समाजशास्त्र) शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित बस्तर के दुर्गम पहाड़ों पर आज भी कई जगह से कुछ सालों पहले तक अपनी अक्षुण्ण संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी किन्तु बढ़ते नगरीकरण, संस्कृतिकरण तथा आधुनिकीकरण के चलते ये अपनी स्वतन्त्र पहचान खोते जा रहे हैं।

बस्तर में पाई जाने वाली जनजातियों में एक प्रमुख जनजाति गोंड है इनकी कई उपजातियां हैं, तथा ये अपनी पहचान गोंड से नहीं बल्कि कोयतोर शब्द से बताते हैं। जैसे दंतेवाड़ा के गोंड स्वयं को दण्डामी माडिया कोयतोर तथा नारायणपुर के गोंड स्वयं को मुरिया कोयतोर कहते हैं। गोंडों में सबसे अधिक प्रचलित गोत्र नेताम, मरकाम, टेकाम, तथा मरावी हैं। ये गोत्र गोंडों की उपजातियों में भी पाए जाते हैं।

बस्तर में कई गोंड आदिवासी हिन्दी देवी-देवताओं को मानते हैं किन्तु वे अपने कुल देवी-देवताओं या पूर्वजों की आत्माओं की आराधना नहीं छोड़ते। किसी भी शुभ काम करने के पहले वे उनकी आराधना, पूजा, बलि द्वारा करते हैं इनके प्रमुख देवी-देवताओं में ठाकुर देव (बूढ़ा देव) खैर माता, दूल्हा देव एवं सूरज देव हैं।

माडिया जनजाति का सामान्य परिचय – बस्तर के दक्षिण में निवासरत दण्डामी माडिया स्वभाव से ही सरल मेहनतकश तथा स्वाभिमानि होते हैं। सीमित आवश्यकताओं के साथ ये अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत करते हैं। किन्तु बाहरी प्रभावों के कारण वर्तमान समय में इनके जीवन में सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं के बीच कई तरह की चुनौतियाँ आ खड़ी हुई हैं और शायद इसीलिए स्वतंत्रता के 73 सालों बाद भी बस्तर और बस्तर के बाहर अपनी जीवन शैली के लिए दण्डामी माडिया लोगों में जिज्ञासा तथा रहस्य के भरे हुए हैं। किन्तु जैसे ही हम इन्हें पास से जानने की कोशिश करें या इनकी जीवन शैली को समझते हैं तो हम पाएंगे कि ये स्वभाव से मस्त होते हैं और अपने सामाजिक जीवन में किसी बाहरी हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते।

माडिया बस्तर के दक्षिणी छोर पर पाया जाने वाला वह आदिवासी समुदाय है जो अपने उत्सवों पर जंगली गंवर (भैंसा) का सींग लगाते हैं। जिसके कारण ही इनका नाम गौर सिंह माडिया पड़ा। ये स्वयं को कोयतोर (बन्दर या वनमानुष) मानते हैं तथा बंदरों को अपना पूर्वज बताते हैं।

चूँकि ये पूर्व से ही पहाड़ों पर रहते थे अतः ये माडिया कहलाये क्योंकि गोंड भाषा में माडिया शब्द मांड से निकला है जिसका अर्थ पहाड़ होता है। ये अपनी गाँव की सीमा पर ग्राम देवता का स्थान बनाते हैं। आज भी इनके घर

प्रायः घास-फूस व लकड़ियों से झोपड़ीनुमा ही बनाए जाते हैं। गाँवों में आज भी गायंता व पटेल का प्रमुख स्थान होता है बात यदि संस्कृतिक परम्पराओं की कि जाये तो आज भी ये अपने सारे कार्यों को करने के पूर्व कुल देवता व प्रकृति की पूजा अर्चना करते हैं।

पूर्व में सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराओं का हस्तान्तर का कार्य गोदूल जैसी सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जाता था। पर वर्तमान में यह कार्य परिवार के सदस्यों तथा स्कूलों द्वारा किया जाता है।

सर्वप्रथम ग्रिकसन ने माडिया लोगों का बाईसन हार्न माडिया तथा हिल माडिया में उपभेद किया। अबुझमाड पर्वत पर बसी हिल माडिया तथा इन्द्रावती नदी के दक्षिणी तट पर बसी बाईसन हार्न माडिया। (1)

पूर्व में युवक-युवतियां गोदूल में जाकर अनुभवी सदस्यों से अपने भावी-जीवन की परम्पराओं व उनके महत्व को सीखते थे किन्तु परिवर्तन के इस दौर में अब इन सामाजिक संस्थाओं का स्थान सरकारी पाठशालाओं में ले लिया है जो सैद्धान्तिक ज्ञान तो देती हैं पर पारंपरिक ज्ञान कहीं पीछे छूट गया है जिसके कारण आधुनिक संस्कृति की छाप इन पर अधिक दिखाई देने लगी है।

बढ़ते औद्योगिकीकरण तथा नगरीय सभ्यता व संस्कृति के प्रचार-प्रसार के कारण यह अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं।

माडिया जनजाति की प्रथाएँ – किसी समाज में प्रथा से आशय है उस समाज के पूर्वजों के कार्य करने के वे पारंपरिक तरीके, जिनके पीछे उनके वर्षों का अनुभव जुड़ा हुआ होता है।

जब हमारे पूर्वजों के इन अनुभवों को अगली पीढ़ी के सदस्यों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वही अनुभव रूढ़ी का रूप ले लेता है और एक ओर पीढ़ी के बाद यही अनुभव प्रथा का रूप ले लेता है। पूर्वजों द्वारा प्रथाओं के कड़ाई से पालन के पीछे यही उद्देश्य होता है कि उनकी अगली पीढ़ी को संघर्षों का सामना न करना पड़े तथा वे अपने पूर्वजों के अनुभवों का लाभ उठा सकें।

प्रत्येक समाज की प्रथाएँ उस समाज की सांस्कृतिक विरासत होती हैं जिनका पालन व सुरक्षा उनके सदस्यों का प्रथम कर्तव्य होता है। यदि किसी बदलाववादी परिवर्तन के कारण प्रथाएँ टूटती हैं या विलुप्त होती हैं तो ये उस समाज के अस्तित्व के समाप्त होने का प्रथम सूचक है। माडिया समाज बस्तर का एक अति संगठित जनजातीय समूह है। जो आज भी अपनी सामाजिक

प्रथाओं के प्रति आसक्त है। वर्तमान समय में जब जनजातीय समाज विकास के दौर से गुजर रहा है तब ये प्रथाएँ ही हैं जो इनके अस्तित्व को बचाएँ हुये हैं शोध क्षेत्र में जाने पर ये पता लगा कि विकास के नाम पर आधुनिक समाज के संपर्क तथा हस्तक्षेप ने इनके आंतरिक जीवन में उथल-पुथल मचा दी है जिसके कारण कुछ प्रथाएँ अपना मूल स्वरूप खोती जा रही हैं।

चूँकि सामाजिक प्रथाओं में पूर्व पीढ़ी के लोगों का अनुभव तथा विश्वास दोनों ही समाहित होता है जिससे वे किसी भी काल में समाज की प्रगति में सहायक होती हैं पर जैसे ही व्यक्ति की आवश्यकताएँ बदलती हैं इन प्रथाओं का महत्त्व कम हो जाता है।

जन्म सम्बन्धी प्रथाएँ – प्रत्येक समाज तथा संस्कृति में बच्चे के जन्म से जुड़े कई संस्कार किए जाते हैं जिनमें नामकरण संस्कार का अपना महत्त्व है। नामकरण संस्कार वह प्रथा है जिसमें बच्चे को एक नाम या पहचान दी जाती है।

अलग-अलग समाजों में नामकरण के अलग-अलग आधार होते हैं। यह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। आदिम समाजों में अधिकांशतः पूर्वजों, दिनों, महीनों, पेड़-पौधों व कई बार ऋतुओं के आधार पर भी नाम रखे जाते हैं। आदिवासी समाज में नामकरण मुख्य कार्य गुनिया तथा वड्डे द्वारा संपन्न किया जाता है। वे अपने ज्ञान के आधार पर बच्चे का नामकरण करते हैं। ढण्डामी माडिया में नाम कारण संस्कार को तेल देने के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बच्चे के माता पिता अपने रिश्तेदार के साथ पूरे गाँव के लोगों को आमंत्रित करते हैं मेहमानों की आवश्यकता हेतु गृह स्वामी कई प्रकार के पेय पदार्थ जैसे- लांदा, महुआ, सल्फी तैयार करके रखता है इसके साथ ही भोजन में सूअर, मुर्गी, गाय, बकरी इत्यादी तथा शाकाहारी लोगो हेतु दाल और चावल भी परोसता है नामकरण संस्कार बच्चे के माता-पिता अपनी सुविधा के अनुसार दो छः या जब वे आर्थिक दृष्टि के सक्षम हो उस दिन कर देते हैं। माता-पिता द्वारा सभी अतिथियों को तेल दिया जाता है जिसे वे अपने शरीर के मनचाहे हिस्से पर लगते हैं। साथ ही उन्हें एक पीतल या एलुमिनियम कि अंगूठी भी दी जाती है। जिसे वे खुशी-खुशी पहनते हैं।

विवाह सम्बन्धी प्रथाएँ – जनजातियों में विवाह पद्धति बहुत ही आकर्षक तथा सरल ढंग से संपन्न होती है जिसमें एक ओर जहाँ गोत्र के बाहर विवाह अनिवार्य होता है वहीं दूसरी ओर कन्या मृत्यु भी अनिवार्य है जो समाज में स्त्रियों कि उच्च प्रस्थिति व भूमिका को दर्शाता है प्रकृति की गोद में विभिन्न परम्पराओं व मान्यताओं के साथ विवाह पद्धति पूर्ण होती है तथा आज भी ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों में विवाह को प्राथमिकता दी जाती है।

यदि तार्किक ढंग से देखा जाये तो यह प्रथा इस तर्क पर आधारित है कि जब विवाह संबंध ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों में तय होता है तो ऐसे संबंध अधिक स्थाई तथा प्रेमपूर्ण होते हैं। क्योंकि दोनों ही परिवार एक-दूसरे से पूर्णतः पूर्व परिचित तथा सम्बन्धी होते हैं। ऐसे में विवाह पश्चात संघर्ष कि स्थिति नहीं के बराबर होती है। इस क्षेत्र में आज भी लमसेना विवाह, जबरन विवाह, नौसा पेसी (वशीकरण) तथा चूड़ी पहनाना जैसी विवाह पद्धतियाँ देखने को मिलती हैं।

मृत्यु सम्बन्धी प्रथाएँ – मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है। प्रत्येक जीव जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु पूर्व निश्चित है। प्रत्येक समाज में मृत्यु संस्कार वह पवित्र संस्कार है जिसके अंतर्गत मृतक कि आत्मा की शांति हेतु कई प्रकार के पूजा-पाठ व दान-धर्म की क्रियाएँ पण्डितों द्वारा करवाई जाती है। किन्तु ढण्डामी समाज में सम्पूर्ण मृतक क्रियाएँ आना गुंडा द्वारा ही

संपन्न करवाई जाती है।

ढण्डामी समाज में मृत्यु संस्कार को शोक का लेकिन मृत्यु पश्चात शुभ संस्कार माना जाता है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर्म करता है तो उत्तम तरीके से किया गया उसका मृत्यु संस्कार उसे उसके पाप कर्मों से मुक्ति दे देगा।

ढण्डामी समाज में जब किसी की मृत्यु होती है तो गाँव के महारा को बुलाया जाता है महारा शीघ्र ही मृतक के घर पहुँच कर ऊँचे स्थान पर खड़े होकर ढोल बजाता है जिससे गाँव के लोगो को तथा आस-पास के क्षेत्र में यह पता लग जाता है कि किसी की मृत्यु हो गई है। और सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं।

आनागुंडा की मुख्य भूमिका – ढण्डामी समाज में आना गुंडा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक गोत्र का या प्रत्येक गाँव का एक आनागुंडा होता है। जो सम्पूर्ण मृत्यु संस्कारों को संपन्न करता है यदि गाँव में आनागुंडा नहीं है तो दूसरे गाँव के आनागुंडा को खबर भेज कर बुलवाया जाता है। एक उत्तरदाता द्वारा यह भी बताया गया कि एक आनागुंडा के गाँव से बाहर होने के कारण उसकी प्रतीक्षा में दो-तीन दिन तक शव को ज्यों का त्यों रखा गया।

ढण्डामी समाज में मृत्यु पश्चात मृतक स्तंभ बनाने की भी प्रथा है कई बार तो लोग अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपनी पसंद का पत्थर ढूँढ लेते हैं और उसपर आकृति भी बनवा लेते हैं। शव दाह के तीसरे दिन गाँव वाले तथा रिश्तेदार मृतक की याद में मृतक स्तंभ की स्थापना करते हैं।

मृत्यु के पश्चात शव का दाह किया जाएगा या दफनाया जाएगा यह मृत्यु के कारण पर निर्भर करता है। जैसे- गर्भवती स्त्री, छोटा बच्चा, गुनिया, किसी जानवर द्वारा खाए जाने पर, साँप के काटने पर यदि कोई व्यक्ति मरता है तो उसे दफनाया जाता है। विशेषकर छोटे बच्चे को घर के पीछे या आस-पास लगे महुए के पेड़ के नीचे ही दफनाया जाता है। मान्यता है की महुए का पेड़ जैसे-जैसे फलता-फूलता है उतनी ही बालक की आत्मा तृप्त होती है और जब महुआ फलता है तो बच्चा दुबारा उसी घर में जन्म लेता है।

आर्थिक प्रथाएँ – ढण्डामी समाज में सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाएँ प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं किसी भी आर्थिक क्रिया को करने से पूर्व ये सभी प्रकृति तथा अपने कुल देवता की सामूहिक पूजा करते हैं। तथा कार्य पूर्ण होने पर सामूहिक शिकार करके ईश्वर को धन्यवाद स्वरूप बलि के रूप में अर्पित भी करते हैं। खेती से जुड़े कार्यों को कुछ प्रथाओं से जोड़ा गया है जैसे- धन बोने से लेकर नई फसल के आने तथा उसे उपयोग करने से पहले सामूहिक रूप से गायंता द्वारा पूजा-पाठ व कुल देवता की अर्चना अनिवार्य होती है।

माडिया जनजाति की विलुप्त होती प्रथाएँ – इतिहास साक्षी है जब-जब दो सभ्यताएँ व संस्कृति एक दूसरे के संपर्क में आयी तब-तब दोनों के सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों में कई परिवर्तन हुए इस स्थिति में दोनों ने अपने कई संस्कृतिक तत्वों आदान-प्रदान किया तो कई बार कई प्रथाएँ धीरे-धीरे विलुप्त भी होती गई जो संस्कृति ज्यादा उन्नत थी उसने दूसरी पर अपना स्थाई प्रभाव छोड़ा। परिवर्तन के इस दौर में ढण्डामी माडिया समाज भी नगरीकरण तथा आधुनिकीकरण के प्रभाव से अछूता नहीं रह पाया है। आधुनिक संस्कृति का प्रभाव उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। समय के साथ उनकी कई प्रथाएँ अपना मूल स्वरूप खोती जा रही हैं।

(अ) धार्मिक प्रथाएँ – वर्तमान में हम कुआकोंडा शोध क्षेत्र में पारंपरिक

धर्म के साथ ईसाई तथा हिंदू धर्म का मिला-जुला रूप देखते हैं। और युवा पीढ़ी पारंपरिक धर्म की अपेक्षा इन धर्मों के मानदंडों को स्वीकार कर रही है। अधिकांश घरों में हिंदू देवी-देवताओं की फोटो देखी जा सकती है। तथा अब उनके नाम करण, विवाह तथा कई अन्य संस्कार इन्हीं धर्मों के अनुरूप होते देखे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पारंपरिक धर्म धीरे-धीरे विलुप्त होने की कगार पर है।

(ब) वैवाहिक प्रथाएँ – बढ़ते नगरीय संपर्क के कारण माडिया जनजातीय समाज में पारंपरिक विवाहों की अपेक्षा अन्तर्जातीय विवाहों का प्रचलन भी बढ़ा है। क्योंकि पूर्व की तुलना में सामाजिक दण्ड प्रक्रिया शिथिल हो गई है। सामाजिक बहिष्कार की जगह केवल सामाजिक भोज तथा आर्थिक दण्ड देकर पुनः समाज में मिला लिया जाता है। जिससे युवाओं में परम्पराओं के प्रति भय कम हो गया है।

(स) वस्त्र परंपरा – प्रत्येक समाज के वस्त्र तथा आभूषण उस समाज की संस्कृति के परिचायक माने जाते हैं। और इन्हीं मानदंडों पर आधारित आदिम संस्कृति पूरे विश्व पटल पर अपने पारंपरिक पोषक व आभूषणों के लिए विख्यात है। किन्तु वर्तमान आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनके पारंपरिक पोषक व आभूषण विलुप्त होते जा रहे हैं। और आज ये पारंपरिक व आधुनिक पोशाकों के मिले जुले रूप में देखने को मिलते हैं।

‘डाउन टू अर्थ’ में सतना जिले के मवासी आदिवासियों की ऐसी स्थिति दिखाई दी जिसमें सामने आया की कभी जड़ीबूटियों पर महारथ रखने वाला समाज धीरे-धीरे उस ज्ञान से दूर होता गया। नई पीढ़ी के लोग मजदूरी और पलायन की वजह से जड़ीबूटियों को पहचानना नहीं सीख रहे और यह ज्ञान बुजुर्गों के साथ ही खत्म हो गया। (2)

प्रथाओं के विलुप्त होने के कारण – प्रथाओं के विलुप्त होने के कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानवीय भी कई बार जातियाँ सामाजिक सस्तरण में अपना स्थान उच्च बनाने हेतु भी अपने सांस्कृतिक परम्पराओं को छोड़ कर प्रभावित जाति की परंपरा को अपना लेती हैं।

1. शोध क्षेत्र में प्रथाओं के विलुप्त होने का प्रमुख कारण नगरीकरण पाया गया जिसके चलते लोग रोजगार हेतु नगरीय क्षेत्रों में जाते हैं। नगरीय सभ्यता के संपर्क में आकार ही वर्तमान पीढ़ी अपनी परम्पराओं से दूर होती जा रही है।
2. दूसरा प्रमुख कारण आधुनिकीकरण पाया गया इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण से लोगों का अर्थ टी.वी., मोबाइल, मिडिया, विकास कार्य जैसे- सड़क निर्माण इत्यादि। जिसके कारण गाँव के युवा वर्ग में तेजी से बदलाव आया। ये बदलाव उनके खान-पान, साज-श्रृंगार तथा हिन्दी भाषा के ज्ञान के रूप में देखा जा सकता है। अनपढ़ होते हुए भी उनके मोबाइल

संचालन की क्षमता अद्भुत है।

3. शिक्षा योजना – शोध क्षेत्र में चल रही शिक्षा योजनाओं के प्रभाव से उन लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आयी है। तथा कई पारंपरिक प्रथाएँ जो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती थीं वे धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। जैसे पहले प्रसव के पश्चात माँ को एक माह तक सब्जियाँ ना देने की प्रथा थी जिसके कारण कई बच्चे कुपोषित रह जाते थे। पूर्व काल में प्रथम माहवारी आने पर जंगल में छुपना अनिवार्य होता था। किन्तु वर्तमान में शिक्षित बालिकाओं द्वारा इस प्रथा का पालन न कर झोपड़ी में ही छुपने का विकल्प अपनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जागरूकता अभियान द्वारा भोजन में इमली के सर्वाधिक प्रयोग को हानिकारक बताया जाने पर गर्भवती महिलाये इमली का सेवन छोड़ने लगी हैं।

4. दण्ड प्रक्रिया का शिथिल होना – दण्ड प्रक्रिया का शिथिल होना भी विवाह प्रथाओं तथा धार्मिक प्रथाओं की विलुप्ति का बड़ा कारण है।

प्रथाओं के विलुप्त होने के परिणाम:

1. अस्तित्व की पहचान बनाए रखने हेतु मानसिक संघर्ष।
2. धार्मिक परम्पराओं का हास (परसंस्कृतिकारण)।
3. सामाजिक संगठन में बिखराव।
4. नवीन पीढ़ी में प्रथाओं के प्रति अनभिज्ञता।

निष्कर्ष – उपरोक्त जानकारी के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं की आधुनिक समाज से संपर्क से कारण आदिम समुदाय कई मानसिक संघर्षों का सामना कर रहा है। एक तरफ अधिकांश उत्तरदाता अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने जाने के भय से परेशान हैं क्योंकि युवा पीढ़ी शिक्षा तथा नगरीय संपर्क में आकार अपनी पारंपरिक प्रथाओं को बोझ मानती है। दूसरी तरफ कई लोग कुछ कारणवश (धन/अन्य सामग्री/ भावनात्मक पहलुओं के कारण) दूसरे धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। जिससे आदिम धर्म का नाश हो रहा है। साथ ही धार्मिक एकीकरण नहीं होने के कारण समाज में एकता की कमी आ रही है। दूसरी तरफ मिडिया के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण तथा सामाजिक दण्ड प्रक्रिया के शिथिल होने के कारण भी विवाह तथा धर्म प्रथाएँ भी धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। शिक्षा के बढ़ते प्रयासों व जागरूकता कार्यक्रमों के कारण लोग समस्याओं के प्रति तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो हो रहे हैं लेकिन धीरे-धीरे अपनी ही सामाजिक प्रथाओं से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, विजय प्रकाश 2009
2. Mishra, Manish Chandra, Tuesday, 22 oct, 2019 (w-w down to earth org-in)

विदेशों में भारतीय कला का स्थान

डॉ. निशा गुप्ता *

*एसोसिएट प्रोफेसर, जे0के0पी0 पी0जी0 कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – विभिन्न कालखण्डों की कला के इतिहास में 19वीं व 20वीं सदियों की आधुनिक कला का इतिहास सबसे अधिक व्यापक, उदोदक व मनोरंजक है और इसका प्रमुख कारण यह है कि अब कलाकार केवल सर्जक न रहकर स्वयं स्वतन्त्र रूप से विचार करके निर्मित करने वाला दार्शनिक बन गया। धर्मश्रद्धा विचलित होने से एवं राजा व अभिजात वर्ग का आश्रय समाप्त होने से कलाकार अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों पर व्यवसाय करने को विवश हुआ। आधुनिक कलाकारों ने एक तरफ दृष्टिकोण छोड़कर सौन्दर्यशास्त्र, अध्यात्मिक विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति, साहित्य, समाजवाद आदि विभिन्न विषयों पर विचार करके जो बहुरंगी सर्जन किया, कला के मूलतत्त्वों पर प्रकाश डाला व विभिन्न ललितकलाओं की समरूपता का परिचय कराया वह कला के इतिहास के अपूर्व है। रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर व अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी इसी प्रतिभा तथा साधना के बल से अपनी चित्रकला में स्वतन्त्र और बहुमुखी पद्धतियों को अपनाया तथा भारतीय चित्रकला को विदेशों में उसका उचित सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

शब्द कुंजी – शुभचिन्तक, मानदण्डों, शाश्वत, लोकप्रिय, अन्तर्राष्ट्रीय।

प्रस्तावना – ब्रिटिश शासनकाल में विदेशी विचारधाराओं से प्रभावित सामाजिक वातावरण में किसी भी भारतीय इतिहास व धर्म के प्रति वह श्रद्धा नहीं रही थी, न कलाकारों में वह साधनावृत्ति थी। भारतीय चित्रकला को निम्न दृष्टि से देखा जाता था तथा विदेशी कला को ही उच्च स्थान प्राप्त था। इस सबसे भारत की महान चित्र परम्परा को भारी आघात लगा। अतः भारतीय चित्रकला के शुभचिन्तक, विचारकों व कलाकारों के समुदाय को ऐसे समय पर इस परिस्थिति में कला-आन्दोलन की आवश्यकता प्रतीत हुई जो यूरोप या इंग्लैण्ड की विक्टोरियन चित्र परम्परा से हटकर महान भारतीय चित्र परम्परा से प्रेरणा ग्रहण कर सकें।

भारतीय कलाकारों के सामने उस समय की बड़ी कठिनाई थी, कला की स्थापना में साहित्य तथा पत्रकारिता आदि अन्य विधाओं के सहयोग का अभाव। नई कला शैलियों के विकास के लिए साहित्यकारों तथा पत्रकारों का जो सहयोग मिलना चाहिए था, वह उसे नहीं मिल पा रहा था। कला के सहज और स्वाभाविक विकास के लिए यह आवश्यक था कि साहित्य और पत्रकारिता के चिंतन-क्षेत्रों से उसे सहयोग मिलता। यही कारण रहा कि एक लम्बे समय तक आधुनिक भारतीय कला की समीक्षा पश्चिमी मानदण्डों के आधार पर की जाती रही।

अवनी बाबू ने स्पष्ट किया कि भारतीय कला ने सदैव सर्वव्यापी व शाश्वत तत्वों को अपने सम्मुख आदर्श के रूप में रखा जबकि पाश्चात्य यूरोपीय कला का रूप भौतिक एवं नश्वर सौन्दर्य से प्रभावित है। भारतीय कला में कलाकार को दार्शनिक एवं कवि का स्थान दिया है। इस कला की आत्मिकता व कल्पना-सौन्दर्य गोथिक कला में नहीं है एवं वह अधिक भावना प्रेरित है। अपने विचारों को प्रत्यक्षित करने के उद्देश्य से अवनीन्द्र ने अध्ययन पद्धति में परिवर्तन किया तथा प्राचीन ग्रीक एवं यूरोपीय कलाकारों की मूर्तियों की नकल करवाना बंद कर दिया।

इस नवीन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कलाकारों को ऐकेडमीवाद से

हटकर अपनी नूतन कृतियों को दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। लोक-साहित्य, लोककला, सरल भक्ति सम्प्रदाय, कृषकों तथा नाविकों के घरों की कला तथा गीतों कबीर, दादू तथा अन्य लोकप्रिय रहस्यवादी संतों की वाणी ने कलाकारों में सरल और सुलभ आकृतियों के निर्माण की चेतना को प्रोत्साहन दिया।

अवनीन्द्र नाथ ठाकुर ने एक प्रचारक तथा शिक्षक के रूप में भी कला की पुनर्जागृति में सेवा की। इन्होंने श्री हैवेल के साथ मिलकर एक विद्यार्थियों का दल बनाया जिसमें श्री नन्दलाल बसु, के० वेंकटप्पा शैलेन्द्रनाथ, डे, सुरेन्द्र गांगुली, असित कुमार हल्दार, समरेन्द्र नाथ गुप्त, हकीम मुहम्मद खान, वीरेश्वर सेन व देवी प्रसाद राय चौधरी आदि थे। इनके चित्रों का 'इण्डिया सोसायटी लन्दन' तथा 'इण्डियन सोसायटी ऑफ ओरियन्टल आर्ट' ने अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन किया तथा भारतीय कला का सम्मान बढ़ाया जिसको प्रारम्भ में अंग्रेजों ने बहुत हानि पहुँचायी थी।

श्री अवनीन्द्र नाथ ने परम्परागत तकनीक जानने के लिए चित्रकारों से सम्पर्क स्थापित किया। सर्वप्रथम इन्होंने ईश्वरी प्रसाद को पटना से कलकत्ता बुलाया जो कांगड़ा के वंशगत चित्रकार थे। अवनीन्द्र नाथ अपने शिष्यों के दल को अजन्ता बाघ आदि विभिन्न प्राचीन कला का अध्ययन कराकर चित्र तैयार कराये। इनके प्रयास से भारत में जगह-जगह स्कूल खोले गये, फिर भी जो कार्य पुनर्जागृति के लिए इस शैली तथा इन कलाकारों ने किया वह भारतीय चित्रकला के इतिहास में सदा अमर रहेगा।

इन कलाकारों ने ना केवल अपनी मौलिक शैली को जन्म दिया, बल्कि इन्होंने विदेशों की कला-शैलियों से भी सीखा। इन्होंने जापानी, चीनी, यूरोपीय कला को आत्मसात किया। इस सन्दर्भ में यह समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि बाहर की चित्र परम्पराओं की नकल एक बात है तथा वहाँ के प्रभावों को आत्मसात कर अपनी परम्पराओं को मुखरित करना दूसरी बात। भारतीय कला ने ईरानी, चीनी, यूनानी व यूरोपियन प्रभावों का विभिन्न

कार्यक्रमों में अपनी आवश्यकतानुसार ग्रहण किया है तथा उसी तरह दूसरे अनेक देशों पर अपना प्रभाव भी छोड़ा है, यह एक जीवन्त शैली की विशेषता होती है। अतः परम्परावादी होने का भी यह अर्थ नहीं है कि विदेशी प्रभावों से यदि हमारी परम्परा पुष्ट होती है तो भी उसे ग्रहण न किया जाये।

इन्होंने यूरोपियन प्रभाववाद व धनवाद को चुनने में पहले की। उन्होंने मुख्य आकारों को यथार्थ रूप में चित्रित करके पोषक ज्यामितीय आकारों से परिवेष्टित किया। गगनेन्द्रनाथ की कला भी इस विचार का समर्थन करती है कि रूपांकन के नये प्रयोग करने से पहले देश के सामाजिक जीवनदर्शन के प्रति एकनिष्ठ होकर निश्चित करना होगा कि उसकी अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त रूपांकनपद्धति क्या हो सकती है। कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल बुद्धिवादी अभिगम दृष्टि अपर्याप्त है। परम्परा के अध्ययन व आचरण से ही आवश्यक सर्जनशील संवेदन क्षमता व सौन्दर्यदृष्टि प्राप्त की जा सकती है। संक्षेप में, भारतीय कलाकारों को आवश्यक है कि वे परम्परा के अटूट अंग रहकर आधुनिक बने व यह सब विकास के स्वाभावित सिद्धान्तों के अनुसार हो।

रविन्द्र नाथ टैगोर ने अपनी यूरोप की यात्राओं के दौरान जब उन्होंने फ्रांस के शिल्पकारों, कलाकारों एवं समीक्षकों को अपने अभिनव चित्र दिखाये तो उन्होंने रविन्द्र नाथ को पेरिस में अपने चित्रों की प्रदर्शनी करने का सुझाव दिया। इस प्रदर्शन का आयोजन हॉलाकि कठिनाई से हुआ किन्तु बहुत सफल हुआ। रवि ठाकुर को पेरिस में प्रदर्शनी के हॉल के लिए डेढ़ साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

1930 में रविन्द्र नाथ के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस के गालेरी पिगाल में हुई जिसकी यूरोपीय कलाकारों व समीक्षकों ने बहुत प्रशंसा की व भारत में लोगो को आश्चर्य हुआ कि रविन्द्रनाथ न केवल महाकवि है बल्कि एक श्रेष्ठ चित्रकार भी है। उसी साल उनके कुछ चित्र लंदन, बर्लिन व न्यूयार्क में प्रदर्शित किये गये। 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में उनके चार चित्र सम्मिलित किये गये।

सन् 1942 में विश्व भारतीय पत्रिका ने उनकी कला पर एक विशेषांक निकाला, इसमें विदेशी समीक्षक मार्क्स जैटलेड ने लिखा, 'अवनीन्द्रनाथ की चित्रांकन प्रतिभा की प्रशंसा आज सम्पूर्ण यूरोप तथा अमेरीका में की जा रही है, वे भारत में एक ऐसे आंदोलन के प्रतिष्ठाता हैं, जो कला के क्षेत्र में अनुकरण का विरोधी है और देशी कला के सर्वोत्तम प्रयोग का हामी है।' आज कला जगत में यह सर्वविदित है कि भारत राजनीति में समन्वय का जो कार्य महात्मा गाँधी ने किया, वहीं कार्य कला में अवनीन्द्र ठाकुर ने सम्पन्न किया।

रविन्द्र नाथ टैगोर ने अवनीन्द्र नाथ और गगनेन्द्र नाथ ने भारत की कला को विदेशों में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। रविन्द्र नाथ ने अपनी बाबू के लिए ठीक ही कहा है, 'उन्होंने देश को आत्महीनता के पाप से बचाया है और उसे निराशा के गर्त से निकालकर यह सम्मानपूर्ण पद दिलाया है, जो आधिकारिक तौर पर उनका ही था।'

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. आर०ए० अग्रवाल : कला विलास, जत्तीवाडा स्ट्रीट, मेरठ-2
2. गेरोला, वाचस्पति : भारतीय चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास, इलाहाबाद 1972
3. डॉ० रीता प्रताप : भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2008
4. डॉ० प्रेमचन्द्र गोस्वामी : आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तम्भ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 1995
5. डॉ० गिराज किशोर अग्रवाल : कला और कलम, अशोक प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़
6. डॉ० अविनाश बहादुर शर्मा, अनिल वर्मा, संगीता वर्मा : भारतीय चित्रकला का इतिहास, प्रकाश बुक डिपो, बरेली 2009
7. लोकेश चन्द्र शर्मा : भारत की चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।

नक्सलियों के आत्मसमर्पण का कारण समर्पण के पश्चात की समस्याएं

डॉ. किरण नुरुटी* पूनम वासम**

* प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोंडागांव (छ.ग.) भारत
** शोधार्थी (समाजशास्त्र) शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – भारत में नक्सलवाद का उदय व्यवस्था के पुनर्निर्माण को लेकर विकसित हुई एक निश्चित उग्रपंथी विचार धारा की परिणति है। नक्सलवाद एक विचारधारा है जो मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष पर आधारित है, यह आंदोलन शोषितों का शोषक वर्ग के विरोध किया गया एक सशस्त्र आंदोलन है। पिछड़े, दलितों व उपेक्षित वर्गों को उनका हक दिलाने की बात करता है, नक्सलवाद देश के लगभग 22 राज्यों के 220 जिलों में फैल चुका है, इसमें मुख्य रूप से वो इलाकें रहे हैं जो विकास क्षेत्र में उपेक्षित रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 40% इलाका नक्सलियों के प्रभाव में है। **नक्सलवाद क्या है** – '24 मई 1967 की तारीख इतिहास में दर्ज है हो गई हो जब चारु मजूमदार ने नक्सलवादी में एक नई क्रांति का आह्वान किया उसे सर्वहारा, सांस्कृतिक क्रांति और सशस्त्र का नाम दिया गया। चारु मजूमदार का वहीं अह्वान के बाद में नक्सलवाद, माओवाद आदि नामकरणों के साथ सामने आया है।'

नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के एक छोटे स गांव से हुई, बंगाली भाषा में किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति हेतु 'बारी' शब्द का उपयोग किया जाता है इसीलिए इस आंदोलन का नाम नक्सलबाड़ी पड़ गया।

भारत में माओवाद को ही नक्सलवाद कहा जाता है यह राज्य सत्ता दखल की लड़ाई है, सृष्टि का मूल स्वभाव है प्रतिक्षण बदलते रहना मनुष्य का भी मूल स्वभाव है मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ नई व्यवस्था का निर्माण करना यह दोनों रास्ते से होकर किया जाता है सुधारवाद का रास्ते अथवा मौलिक परिवर्तन के रास्ते बदलती परिस्थितियों के दबाव में मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार संघर्ष के विभिन्न रास्ते अपनी बदलने के लिए अख्तियार करते हैं इन संघर्षों में नए समाज के निर्माण के सपने छिपे होते हैं।'

नक्सलवाद का उद्देश्य – नक्सलवाद की शुरुआत में यह आंदोलन पूरी तरह से बेबस, लाचार, शोषित, उपेक्षित वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए काम करता था। इस आंदोलन को उद्देश्यों देखकर बौद्धिक, राजनैतिक लोगों का भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग मिलने लगा। नक्सवादियों ने लोकतांत्रिक राजनीति का पूर्ण विरोध करते हुए जनक्रांति पर बल दिया, इस तरह नक्सलवाद ने आम जनों को अपने हक में रकने में कामयाबी हासिल कर लिया। नक्सलवाद मुख्य उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना करना तथा अन्याय एवं और समानता तथा शोषण के विरुद्ध सशस्त्र लड़ाई लड़ना है। समाज में आर्थिक असमानता, सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करना तथा समानता और न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना

करना नक्सलवाद का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है।

बस्तर में नक्सवाद का प्रभाव – एक समय ऐसा भी था जब बस्तर का नाम सुनते ही बस्तर का सौंदर्य किसी इर, भय के लोगों को अपनी और आकर्षित करता था। 1976, 77 में बस्तर में कही भी नक्सलवाद जैसी बात लोगों के मानस पटल में नहीं थी लेकिन 76 के बाद से अचानक की परिस्थितियां बदलने लगी, जो लोग बस्तर में पनाह मांगने आए थे, जो लोग पूंजीपतियों से डटकर लड़ रहे थे, जो लोग गरीब आदिवासियों के मसीहा बने फिरे रहे थे, अचानक वह लोग बस्तर की मिट्टी में हिंसा का बीज कैसे रोपने लगे। नक्सलवाद ने बस्तर में ऐसे समय में दस्तक दी जब आदिवासी गले तक शोषण में डूबा हुआ था। इससे निजात पाने का उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। महारज प्रवीरचंद्र भंजदेव के 1966 में गोली कांड में पुलिस के हाथों मारे जाने के बाद बस्तर के आदिवासी खुद को आहत महसूस कर रहे थे। ऐसा कोई नहीं था जो उनके दर्द को समझे और उनके लिए सरकार के आगे खड़ा हो जाए आदिवासी किसी मसीहा के इंतजार में थे जो उन्हें इस रंजो गम को छुटकारा दिलाए।'

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी बस्तर कहीं न कहीं उपेक्षा एवं पूंजी पतियों के एकाधिकार का क्षेत्र रहा है 1950 से 1970 तक बस्तर के इतिहास पर नजर डालें तो यह बात साफ तौर पर समझ आती है कि किस तरह के खौफनाक मौहोल का निर्माण हुआ है। बस्तर में नक्सली विस्तार की बात की जाए तो यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है कि बस्तर की भौगोलिक परिस्थितियां नक्सल गतिविधियों को विस्तारित कारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

बस्तर में युवाओं के नक्सली बनने का कारण:

1. **हथियार की ताकत** – नक्सलियों ने बस्तर में उस दौर में अपनी दस्तक दी थी जब आदिवासी पूरी तरह शोषण व अत्याचार का शिकार हो रहे थे, आदिवासियों को सुनने वाला कोई नहीं था, उनका दर्द समझने वाला भी कोई नहीं था, नक्सलियों ने हथियार के दम पर आदिवासियों को शासकीय अधिकारियों, पूंजीपतियों, ठेकेदारों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई आदिवासियों को लगने लगा था कि बिना हथियार उठाए उन्हें उनका हक नहीं मिल सकता इसीलिए उन्होंने बंदूक को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल किया।

2. **तात्कालिक आर्थिक लाभ के लिए** – बीहड़ क्षेत्रों में जहां भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता वहां नक्सली ग्रामीण को मिक्चर, बिस्कुट जैसी सामग्री

खाने को देते हैं बच्चों को लगता है कि यदि वे लोग इनके साथ जुड़ते हैं तो रोज नई-नई चीजें खाने को मिलेंगी नक्सलियों ने आदिवासियों को हमेशा अपनत्व दिया है, आदिवासियों के हर छोटे-बड़े। सुख-दुख के साथी रहे हैं। नक्सलियों की छोटी-छोटी मदद के बदले तात्कालिक आर्थिक लाभ आदिवासियों को नक्सलियों के करीब ले आता है।

3. बस्तर में फर्जी मुठभेड़- सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच आए दिन मुठभेड़ होती रहती है, बस्तर में काम रहे स्वयंसेवी संगठनों का मानना है कि यहाँ होने वाले मुठभेड़ में से 80% मुठभेड़ फर्जी होते हैं। 2017 में कुल 12 सौ सर्चिंग के ऑपरेशन सुरक्षाकर्मियों के द्वारा किए गए जिनमें 180 बार नक्सलियों के साथ की बात सुरक्षा दल स्वीकार करते हैं, 186 मुठभेड़ में 68 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि भी करते हैं, यह आंकड़ा मात्र बीजापुर जिले को है ऐसे कितने आंकड़े साल भर में घटित होते होंगे इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब इन 86 मौतों की अगर बात करें तो इनमें 937 से ऊपर मारे गए लोग ग्रामीण थे जिनमें 14 साल के बच्चों से लेकर कुछ उम्र दराज महिलाएं भी शामिल थी। सारकेगुड़ा में 17 ग्रामीणों को सुरक्षाकर्मियों ने उस वक्त गोलियों से भून दिया जब वे लोग एक साथ एकत्रित होकर बीज पंडुम मना रहे थे।

4. गरीबी अशिक्षा स्वास्थ्य व भ्रष्टाचार बस्तर में नक्सलवाद को बढ़ावा देना के लिए सबसे मुख्य कारण है गरीबी अशिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव विभिन्न क्षेत्रों में अब तक न तो साला भवन है और नहीं स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं जिसकी वजह से यहां निवासरत आदिवासियों का मुख्य धारा से कोई संपर्क नहीं हो पाता जिसका फायदा इन बीहड़ों में नक्सली ग्रामीण को बहला-फुसलाकर अपने पक्ष में करके उठाते हैं।

5. रोजगार व विस्थापन- बस्तर में बेहतर शिक्षा का अभाव है साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए यहां पर किसी तरह को कोई बेहतर रोजगार के लिए विमलप नहीं है, जबकि बस्तर अपने वनोपज एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध हैं। बस्तर के मूल निवासियों के लिए लघु उद्योग स्थापित कर रोजगार के विकल्प दिए जा सकते हैं बेरोजगारी एवं आर्थिक परेशानियों के चलते आदिवासियों को रोजगार की तलाश में विस्थापन का दर्द झेलना पड़ता है जिसका पूरा लाभ क्षेत्र में काम करने वाले नक्सली संगठन उठाते हैं।

नक्सलियों के आत्मसमर्पण का कारण - अपने जीवन का एक तिहाई से ज्यादा वक्त नक्सली संगठन के लिए काम करने के बाद मुख्यधारा में लौटने नक्सलियों का मानना है कि उन्होंने जो काम किया वहीं नहीं किया जाने, अनजाने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, अपने ही बच्चों का भविष्य अंधकार से भर दिया, अपने किए पर आत्म ग्लानि से भर उठने वाले इन आत्मसमर्पित नक्सलियों के सामने सबसे बड़ी बाधा एक मुख्य धारा में शामिल होकर सामान्य जीवन जीने की नक्सली संगठन का साथ छोड़ने वालों के मौत के घाट उतार देते हैं मुख्यधारा में लौटने की कोशिश नक्सलवाद के खिलाफ एक तरह से बगावत है।

छत्तीसगढ़ की मांडवी अनिता 15 साल की आयु में ही माओवादियों संगठन के प्रति आकर्षित होकर अपना घर-बार छोड़कर उनके साथ चली गईं। खुद आदिवासी होने कारण माओवादी उसे संकट मोचन व अपना हितेषी लगने लगे। उसे लगा कि सारी समस्याओं का समाधान उनके पास ही है वह उन्हें सिद्धांत वादी मानती थी लेकिन अगले 3 वर्षों में उसने जो कुछ देखा व अनुभव किया उससे नक्सलियों के प्रति उसका मोहभंग हो गया।

आत्मसमर्पित नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने के पीछे ढेर सारे तर्क दिए सबसे प्रमुख कारण परिवार व बच्चों को बताया।

1. परिवार के साथ रहना चाहते हैं- आत्मसमर्पित नक्सलियों कहना है वे लोग जंगल की जिंदगी जीते जीते थक गए हैं, अब वह सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं। अपने घर, अपने गांव अपने परिवार की बीच रहकर पारिवारिक सुख भोगना चाहते हैं, भाई, बहन, मां-बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर चैन से दो वक्त का खाना खाना चाहते हैं।

2. नसबंदी नहीं परिवार बढ़ाना चाहते हैं- प्रेम, शादी जैसे शब्द संगठन में वर्जित हैं, कमाड़ों का मानना है कि शादी प्यार व बच्चों के कारण संगठन का कारण सदस्यों का ध्यान भटकता है, महिलाएं मां बनने के बाद शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती हैं, संगठन में दुर्बलता के लिए कोई जगह नहीं, यदि शादी करनी ही है तो शादी से पहले पुरुषों को नसबंदी करवा दी जाती है ताकि वंश आगे ना बढ़ सके आत्मसमर्पित महिला नक्सली, मैनी कहती है कि जंगल का जीवन वह भी बिना शादी, बिना बच्चे, हम महिलाओं को जब नहीं सुहाया तो हम लोगों ने एक एक करके आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया, जंगल की उजड़ी जिंदगी से तो अच्छा है कि थाने के भीतर, कैद होकर रह अपने परिवार के साथ रहना हैं, परिवार बढ़ाने के लालसा ने कई महिलाओं के मन से संगठन की गतिविधियों के प्रति विरक्ति पैदा कर दी।

3. पगंडियों के नीचे बारूद बिछे हुए हैं- 2015 में कुटूरु के पास आईडी बम के चपेट में आकर कक्षा तीसरी पढ़ने वाली अनीता की दर्दनाक मौत हो गई इत तरह की घटनाओं में सबक लेते हुए आत्मसमर्पित नक्सलियों का कहना है कि पगंडियों के नीचे बारूद भरने का काम खामियाजा अपने लोगों को उठाना पड़ता है, ऐसी लड़ाई का क्या फायदा जिसमें अपनों की ही मौत होती जा रही है आखिर उनकी गलती है।

4. स्वयं से प्रेरित हुए- मायनी पसपुल का कहना है कि वे लोग जब प्राथमिक स्कूल में थे तभी से बाल संगम सदस्य के रूप में सक्रिय थे शुरू शुरू में जंगल में घूमना बंदूक उठाना, संगठन को छोटा, मोटा काम करना, सड़कों को खोदने तथा बैनर पोस्टर हाथ में लिखने जैसे कामों में खूब मजा आता था, पर जब सच में खून, खराबा, बम बारूद लार्शे खानाबदोश जीवन देखा तो मन हमेशा एक ही बात चलती थी कि कैसे यहां से छुटकारा मिलेगा और जब मौका मिला तो समर्पण कर दिया।

5. नक्सलियों की भी प्रेम कहानी होती है- नक्सली भी सामान्य लोगों की तरह होते हैं, विचारों की क्रांति अलग बात है पर दिलों की बात अलग होती है, प्रेम में इंसान क्या से क्या कर डालता है, पिछले साल सुकमा में एक जोड़े ने आत्मसमर्पण मात्र इसलिए किया कि वे दोनों शादी करके साथ में रहना चाहते हैं।

6. सामाजिक कार्यों में हिस्सा न ले पाने का मलाल- संगठन में आने के बाद नक्सलियों का सामाजिक जीवन पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो जाता है, गांव घर अपनी संस्कृति अपनी लोककला में रचा, बसा आदिवासी धीरे-धीरे अपनी संस्कृति से दूर होने लगता है, शादी, ब्याह पूजा-पाठ जैसे आयोजन में उन्हें समाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। धीरे-धीरे समाज के कार्यों में इनकी सहभागिता शून्य हो जाती है, जिसका मलाल इन्हें जीवनभर सलता है।

आत्मसमर्पण के पश्चात समस्याएं - माओवादी खूंखार होते हैं, कभी भी किसी की भी कहीं भी हत्या कर देते हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ते, इस तरह के कई आरोप नक्सलियों पर लगते हैं, नक्सलवाद की घटनाएं में मौत की खबरें

लोग पढ़ते रहते हैं। कभी भी किसी का भी अपहरण कर लेना, स्कूल भवनों को बम से उड़ाना देना, रोज खून खराबा की खबरों से लोगों के मन में नक्सलियों के प्रति वैसे भी व आक्रोश दोनों ही पैदा कर दिया। ऐसे में आत्मसर्पित नक्सलियों के प्रति समाज का रवैया कभी बदल सकता है यह सोचने वाली बात है, समर्पण के पश्चात कुछ एक नक्सली पुनः नक्सली संगठन की तरफ रुख कर लेते हैं इस तरह की घटनाओं ने भी लोगों के मन में उनके लिए संवेदनशीलता खत्म कर दी है। समर्पित नक्सलियों में से बहुत सारे लोग खुद में सामाजिक तौर तरीके के अनुरूप गुण विकसित करने में सफल हो जाते हैं, फिर भी उन पर लगा दाग धोना बहुत मुश्किल होता है, समर्पण के पश्चात पूर्व नक्सली होने का ठप्पा लगाकर ही वे लोग समाज के भीतर जीने के लिए विवश रहते हैं।

1. सामाजिक कार्यों में झिझक महसूस करना- 'नक्सलवाद को एक अपराध के रूप में स्वीकार किया जाता है रहा है और विभिन्न अपराध शास्त्रियों द्वारा अपराध को एक विधि और समाज विरोधी व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जाता है इस प्रकार नक्सलवाद को एक विधि विरोधी और समाज विरोधी व्यवहार का जा सकता है, कुछ समाज विज्ञान से जुड़े हुए विद्वान नक्सलवाद को विचारधाराओं के मतभेद के रूप में देखते हैं परन्तु विचारधाराओं के इस मतभेद में बस्तर के व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन को जन्म दिया जिसमें से अधिकांश परिवर्तन नकारात्मक ही रहे।'

ठसका सबसे बड़ा उदाहरण आत्मसमर्पण नक्सली हैं जो आत्मग्लानिक के बाद समर्पण कर सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं किन्तु सामाजिक कार्यों में समाज उन्हें पूरी तरह से अभी स्वीकार नहीं कर पाया जिसके चलते समर्पण के पश्चात सामान्य जीवन में वह लोग झिझक और शर्म महसूस करते हुए आत्मग्लानि के साथ जीवन भर को मजबूर हैं।

3. समर्पण के पश्चात सुरक्षा के अभाव में मारे जाने का भय है- आत्मसमर्पण करके सामान्य जीवन की इच्छा लिए इन नक्सलियों के लिए शासन की नीतियों में किसी तरह की कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था सामाजिक परिवेश में नहीं होने के कारण इन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है की संगठन छोड़ने के बाद नक्सली इन्हे कभी भी, कहीं भी मौत के घाट उतार सकते हैं 'सलवा जुद्ध 2005 शिविरों में रह रहे हैं इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोग घर लौटेंगे तो नक्सली हमारी हत्या कर देंगे, नक्सलियों ने उनके नाम और पहचान का विवरण देने वाले पर्चे बांटे इन में लिखा है कि उन को पकड़कर उनकी लाश के 70 टुकड़े करके 70 गाँवों में बांट देंगे' ⁶ नक्सलियों की इस तरह की नीति ने आत्मसमर्पित नक्सलियों की जीना भी दूभर कर रखा है।

4. परिवार को अब भी भुगतना पड़ता है खामियाजा- आदिवासियों का सारा जीवन जंगल से जुड़ा हुआ है उनकी सारी जरूरतें तो जंगल और उसके बनाए महौल के बीच पूरी हो जाती हैं, बर्तन वह कुम्हार से हफ्ते में लगने वाले गांव के बाजार से खरीद लेता हैं, अपने, कच्चे मकान वह खुद की बांस की चटाई पर मिट्टी -गोबर, थापकर बना लेते थे, इसके लिए जरूरत भर का बाँस उन्हें जंगल से मिल जाता, आदिवासी रोटी नहीं खाता, सो मोटा चावल, कोदो-कुटकी, सब्जी, मांस जंगली फल वगैरह और पकाने को जंगली बीजों के तेल तक उसके इर्द-गिर्द मिल जाते हैं। व्यापारियों ने उनकी जरूरत का भापकर अपना स्वार्थ साधा ¹⁷ तो वहीं जंगल का हितैषी बताने वाले नक्सलियों ने भोले भाले सीधे-सीधे गांव वाले को अपने हक में

कर लिया। अब यदि परिवार को कोई सदस्य नक्सली संगठन से मुंह मोड़ कर मुख्यधारा में वापस आता है तो उसे तथा उसके परिवार को जंगल की दुनिया और मुख्यधारा की दुनिया दोनों से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।

5. पुनर्वास की नीतियों के लाभ में देरी-आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सरकार देरी सुविधाएं समर्पण करने वाले नक्सलियों को देने लगी है जिनमें नगद राशि से लेकर नौकरी आवास व सुरक्षा व बीमा आदि सम्मिलित हैं, पुनर्वास नीति 2004 से प्रभावित होकर लौटने वाले नक्सलियों के समर्पण में तेजी आ गई है ज्यादा आत्मसमर्पित नक्सली सरकार की इस पुनर्वास नीति का लाभ लेना चाहते हैं नक्सली संगठन का हिस्सा बनने वाले अधिकांश नक्सली बाल संघम सदस्य के रूप में संगठन में जुड़ते हैं जब होश संभालते हैं तो उन्हें मुख्यधारा का जीवन अपनी ओर खींचता है किन्तु सरकार की पुनर्वास नीतियों से मिलने वाले लाभ में स्थानीय स्तर पर हो रही ढिलाई के चलते आत्मसमर्पित नक्सलियों को सामाजिक, आर्थिक, मानसिक के अलावा भी कई तरह की कठिनाई से होकर गुजरना पड़ता है।

6. मुख्यधारा में खुद को बनाए रखने की जदोजहद- समर्पण के पश्चात बड़ी समस्याएँ यह कि मुख्यधारा को समझना और खुद को उसके अनुरूप ढालना समर्पण के पश्चात ये लोग न तो गाँव के हो पाते हैं और न ही शहर के महौल में ढल पाते हैं गांव जाना इनके लिए चुनौती है क्योंकि 'सलवा जुद्ध के चलते माओवादी और ग्रामीण के बीच तकरार बढ़ी और 644 से अधिक गांव खाली हो गए तथा ग्रामीण रहवासियों को सलवा जुद्ध कैंप में शरण लेनी पड़ी 2500 सलवा जुद्ध आंदोलन की स्थापना के बाद 300 सुरक्षाकर्मी सहित सौ से अधिक लोगों की हत्या का आरोप माओवादियों पर लगा है' ¹⁸ ऐसे में समर्पण के बाद अपने घर जाना इनके लिए जान गवाना है।

9. समर्पित महिला नक्सलियों के साथ दुर्व्यवहार की संभावना- आत्मसमर्पित महिला ने बताया कि संगठन में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तो होता ही था लेकिन समर्पण के पश्चात उनके साथ यहां भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता कहीं उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि उनके साथ सामाजिक जीवन में किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो जाए, महिला होने के नाते शारीरिक शोषण का डर हमेशा बना हुआ होता है, सामज के इन महिलाओं को लेकर लोगों की सोच अभी भी बहुत संकीर्ण है।

विश्लेषण - बरसों से नक्सली संगठन के अनुशासन व उनके नियम धर्मों में बंधे जंगलों की खाफ छानता नक्सलियों को समाज इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता परन्तु आत्मसमर्पित नक्सली अब स्वयं को समाज में सम्मान के साथ जीने लायक बनाने में जुटे हुए हैं। आत्मा-समर्पित नक्सलियों ने कहा कि उन्हें जंगल का जीवन रास नहीं आ रहा था, हर घड़ी बेचैनी, भटकाव, भूख प्यास, पकड़े जाने या मुठभेड़ में मारे जाने का डर उन्हें जंगल में सुकून से जीने नहीं दे रहा था, यही वजह है कि उन्होंने सरकार का नीतियों के चलते आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। सरकार की पुनर्वास योजना 2004 नक्सलियों के जीवन में कई क्रांति लेकर आई, समर्पण के पश्चात सरकार नक्सलियों को उनके रहने, खाने, रोजगार एवं सुरक्षा का पूरा जिम्मा अपने पर उठाती है। बेहतर जीवन जीने की इच्छा परिवार अपने बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा देने की इच्छा और आत्मग्लानि उबरकर समाज हित में कुछ बेहतर करने की इच्छा लिए समर्पित नक्सली मुख्यधारा में लौटने

की कोशिश कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सक्सेना विवके, राजेश सुशील (2013) : “नक्सली आतंकवाद” प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 175
2. डॉ. राय विक्रमादित्य (2018) : “नक्सल आंदोलन सिद्धांत, व्यवहार और बदलता स्वरूप” हर्ष पब्लिकेशन दिल्ली, पृष्ठ संख्यां 46
3. देवी महाश्वेता, त्रिपाठी अरुण कुमार (2011) : “माओवादी या आदिवासी” वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 20
5. मिश्रा अनिल, अंसारी शोएब (2018) ‘ ‘दंडकारण्य’ आखर प्रकाशन जगदलपूर बस्तर, पृष्ठ 147, 148
6. सक्सेना विवके, राजेश सुशील (2013) : “नक्सली आतंकवाद” प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 141
7. देवी महाश्वेता, त्रिपाठी अरुण कुमार (2011) : “माओवादी या आदिवासी” वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 19
8. आशीष गायता 8 जुलाई 2015 पत्रिका

नेतृत्व की अवधारणा

डॉ. श्रीकान्त दुबे*

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय गृहविज्ञान स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – किसी भी प्रशासनिक एवं राजनीतिक संरचना के लिए नेतृत्व ना केवल आवश्यक है बल्कि यह एक असाधारण प्रतिभा है जो प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती है, जनसाधारण में बिरले व्यक्ति ही इस गुण से युक्त होते हैं। निर्णय लेना, निर्देशन करना, आज्ञा देना, विपरीत परिस्थितियों में सदैव आगे रहना आदि ये सब कला एवम् एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक हैं। नेतृत्व के बिना किसी भी संगठन के अस्तित्व को बनाए नहीं रखा जा सकता है। नेतृत्व ही वह गुण है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी कार्यकारी समूह को एक सूत्र में आबद्ध कर सकता है।

शोध सारांश – नेतृत्व किसी भी व्यक्ति का वह व्यवहारिक गुण है जिसके माध्यम से वह व्यक्तियों के विशाल समूह से वांछित कार्य सफलतापूर्वक एवम् बिना किसी दबाव व विरोध के करवाने की क्षमता रखता है। किसी भी प्रकार के संगठन की सफलता या असफलता के लिए नेतृत्व को जिम्मेदार माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व को मानव का एक नैसर्गिक गुण माना गया है। नेतृत्व किसी भी संगठन के स्वावलंबन के लिए एक अपरिहार्य शर्त है।

ऐतिहासिक स्वरूप – संसार का इतिहास ऐसे अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने प्रभावशाली नेतृत्व के माध्यम से बड़ी सफलता अर्जित की है। चीनी इतिहास में दृष्टांत है कि शासकों के उचित शासन की आवश्यकता और अधिनस्थों के अधिकार को उन शासकों को उखाड़ फेंकने के लिए दैवीय शक्ति की कमी दिखाई दी। अभिजात्य अवधारणाओं में नेपोलियन का उदाहरण महत्वपूर्ण है। रोमन विचारधारा में पैतृक नेतृत्व की विचारधारा हावी रही। 16 वीं सदी में मैकियावाली ने नेतृत्व की विचारधारा का विस्तार से वर्णन किया। कालांतर में अराजकतावादी विचारकों ने नेतृत्व की अवधारणा की पृथक व्याख्या की। पोपवादी सिद्धांत एवम् तत्पश्चात लोकतांत्रिक विचारधारा ने नेतृत्व के स्वरूप को पूर्णरूपेण परिवर्तित कर दिया।

नेतृत्व के सिद्धांत – नेतृत्व के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत अग्रानुसार हैं –

1) लक्षणमुलक सिद्धांत – इस सिद्धांत का प्रतिपादन शैल एवम् बर्नार्ड ने किया। यह सिद्धांत मानता है कि नेतृत्व में प्रभावी व्यक्तित्व, प्रेम, वैज्ञानिकता, कुशलता, विवेक, तीव्र स्मरण क्षमता, उत्तम कल्पना शक्ति, लगन, साहस, धैर्य आदि गुण होने आवश्यक हैं।

2) अकास्मिकता का सिद्धांत – इस के प्रणेता फीडलर ने माना है कि पदीय शक्ति, व्यवहारिक नेतृत्व, कार्य विशेषीकरण, प्रबंधन, मानवीयता जैसे गुणों का होना एक कुशल नेतृत्व की पहचान है।

3) सर्वोत्कृष्टता का सिद्धांत – चार्ल्स शबाब का मानना है कि नेतृत्व

प्रभावशाली होना चाहिए एवम् उसमें बुद्धि व चातुर्य के गुण भी होने चाहिए। मिलनसारिता, चैतन्यता, प्रेरक व्यक्तित्व, एकीकृत रखने की क्षमता एवम् गतिशीलता होना चाहिए।

4) परिस्थितिकारक सिद्धांत – कीथ डेविस का मानना है कि नेतृत्व परिस्थितिमुलक होता है। अर्थात् परिस्थितियां एक शक्तिशाली नेतृत्व का निर्माण करने में सहायक होती हैं, जैसे हिटलर, मुसोलिनी रूजवेल्ट, माओ आदि परिस्थिति के कारण शक्तिशाली नेतृत्व के रूप में उभरे थे।

5) विशेषता का सिद्धांत – स्टोगडिल का मानना है कि कोई नेतृत्व किसी स्थिति की उपज होता है तो आवश्यक नहीं है की वह हर स्थिति में एक प्रभावी नेतृत्व के रूप में पहचाना जाए, परिस्थितियां नेतृत्व में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।

6) मनोवैज्ञानिक सिद्धांत – जेम्स स्कॉलर ने विचार दिया कि नेतृत्व की अवधारणा सदैव परिवर्तित होती रहती है अर्थात् नेतृत्व कभी एक जैसा नहीं होता, उसमें बदलाव अवश्यंभावी है।

नेतृत्व की प्रकृति – विभिन्न विद्वानों ने नेतृत्व की प्रकृति का भिन्न भिन्न वर्गीकरण किया है। किसी ने पद, किसी ने कार्य एवम् किसी ने व्यक्तित्व के आधार पर नेतृत्व की प्रकृति की व्याख्या की है। ऐलेन कहता है की व्यक्ति नेतृत्व की विशेषता लिए हुए पैदा होता है किंतु उसे प्रबंधन सीखना पड़ता है। मिलेट का मानना है की नेतृत्व की सफलता या असफलता परिस्थितिजन्य होती है। एक अन्य विचारक फालेट का कहना है की सफल नेतृत्व कार्यात्मक गुणों से युक्त होता है। इस प्रकार नेतृत्व किसी पद के धारित करने पर प्रभावी होता है। नेतृत्व शक्ति की पहचान है तथा नेतृत्व के पास पद भी होता है एवम् व्यक्तित्व भी।

नेतृत्व की शक्ति के प्रकार – बर्ट्रम रेवेन एवं जॉन फ्रेंच ने नेतृत्व की शक्ति के पांच प्रकारों का उल्लेख किया है –

1) वैद्यता की शक्ति – इसके तहत शीर्ष नेतृत्व को उसके अनुयायी स्वीकार करते हैं एवम् उसके नियंत्रण में रहते हैं। सर्वोच्च पद पर बैठने वाले नेतृत्व की शक्ति भी सर्वाधिक होती है क्योंकि वह वैद्यता प्राप्त होती है।

2) विशेषज्ञता की शक्ति – यह शक्ति नेतृत्व के पास उसके ज्ञान, अनुभव एवम् उसके कौशल से उसे प्राप्त होती है और इसी आधार पर वह सभी से पृथक एवम् श्रेष्ठ होता है।

3) उद्धरण की शक्ति – यह शक्ति नेतृत्व के व्यक्तिगत आकर्षण पर आधारित होती है, उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है की उसके अनुयायी उसे अपना आदर्श मानते हैं।

4) पुरस्कृत करने की शक्ति- इस शक्ति का आधार नेतृत्व द्वारा अपने अनुयायियों को पुरस्कृत करने पर आधारित होता है अर्थात वह अपने अनुयायियों को पुरस्कार के माध्यम से अपने नेतृत्व को प्रभावी बनाता है।
नेतृत्व के कार्य-नेतृत्व के कार्यों को निम्नांकित अनुसार स्वीकार किया गया है-

1) निर्देशन- प्रभावी नेतृत्व का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य निर्देशन होता है, क्योंकि उसके निर्देश ही कार्य की निश्चितता एवम उद्देश्यों की पूर्णता के आधार है।

2) अनुशासन की स्थापना- नेतृत्व अनुशासन स्थापित करके ही अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर सकता है एवम संगठन को श्रेष्ठ बना सकता है।

3) उद्देश्य स्पष्ट करना-नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने कार्यों एवम् संस्थान के उद्देश्यों से अपने अनुयायियों को अवगत करावे, अन्यथा संस्थान को निश्चित मार्ग पर अग्रसर नहीं किया जा सकता है।

4) परामर्श प्रदान करना- संस्थान में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं उन्हें उनके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सलाह की जब भी आवश्यकता हो नेतृत्व को वह देना चाहिए।

5) सकारात्मकता की स्थापना- नेतृत्व के लिए आवश्यक है की वह संस्थान में किसी नकारात्मक सोच को हावी ना होने दे एवं सकारात्मकता बनाए रखे।

नेतृत्व की शैलियां- नेतृत्व की विभिन्न शैलियां प्रचलित रही हैं -

1) निरंकुश नेतृत्व- इसमें नेतृत्व के पास सर्वाधिकार होते हैं वह तानाशाह की तरह व्यवहार करता है। अनुयायियों में उसका भय रहता है एवम वह छोटी गलती की बड़ी सजा का निर्धारण भी कर सकता है। वह कर्मचारियों में भय के आधार पर नेतृत्व की स्थापना करता है। इस प्रकार का नेतृत्व कम संख्या में पाया जाता है।

2) लोकतांत्रिक नेतृत्व- निरंकुश नेतृत्व में जहां सत्ता केंद्रित होती है वहीं लोकतांत्रिक नेतृत्व में वह विकेंद्रित होती है, इसमें सलाह, मार्गदर्श, प्रेरणा, न्याय आदि गुणों का समावेश होता है, किंतु यह कभी कभी अकुशल नेतृत्व की श्रेणी भी मानी जाती है।

3) स्वतंत्र नेतृत्व- इसमें नेतृत्व अपने अधिनस्थों को ज्यादा महत्व देता है एवम उन पर निर्भर होता है। यहां नेतृत्व अपने अधिनस्थों की सलाह एवं सहयोग पर कार्य संपादित करता है।

नेतृत्व का महत्व- नेतृत्व के महत्व को निम्नांकित बिंदुओं में समझा जा

सकता है।

1) सामूहिक भावना का विकास- इसके अंतर्गत संगठन का मुखिया सहयोगियों को सामूहिक रूप से सफलता की और अग्रसर करने का प्रयत्न करता है, एवं सामूहिकता को ही सफलता का आधार मानता है।

2) प्रेरणा का निर्धारण- संगठन के साथियों को सदैव उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करते रहना नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होता है।

3) मनोबल में वृद्धि -यदि संगठन के मनोबल में कमी होगी तो कभी भी उद्देश्यों की और अग्रसर नहीं हुआ जा सकता, इसी भावना के साथ नेतृत्व अपने अधिनस्थों में सामूहिक भावना को महत्व देता है।

4) सुविधा की स्थापना- प्रबंधकों को आवश्यकतानुसार समस्त सुविधाओं की प्राप्ति हो इस हेतु नेतृत्व सदैव प्रत्यनशील रहता है। वह समन्वय की स्थापना के प्रयास भी करता है।

निष्कर्ष- यह निश्चित है की कुछ परिवर्तनों से नेतृत्व की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है एवम उसे प्रभावी बनाया जा सकता है। यह भी एक सच्चाई है की नेतृत्व के बिना कोई भी संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी भी संगठन का नेतृत्व करने के लिए विशेष प्रकार के चिन्हित गुणों का होना आवश्यक है। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नेतृत्व एक विशिष्ट माध्यम है जिसके लिए विशिष्ट गुणों से युक्त व्यक्ति का होना आवश्यक है। प्रभावी नेतृत्व ही किसी संगठन को एक सूत्र में बंध सकता है। नेतृत्व ही संगठन के स्वावलंबन का आधार है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पांडे, आशुतोष, कार्मिक प्रशासन, विश्व भारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली
2. स्टीफन, आर कवी, सिद्धांत आधारित नेतृत्व, मंजुल प्रकाशन, भोपाल
3. आर्य, पी के, नेतृत्व, प्रभात प्रकाशन, पटना
4. कुमार, विकास, पंचायत नेतृत्व का उदीयमान स्वरूप, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
5. जौली, जे पी एस, लीडरशिप की उड़ान, डायमंड बुक्स, दिल्ली
6. मेक्सवेल, जॉन सी, प्रभावशाली लीडरशिप के सूत्र, मंजुल प्रकाशन, भोपाल
7. प्रकाश, शंभू, कार्मिक प्रशासन, स्ट्रेड फॉरवर्ड, दिल्ली
8. माथुर, बी एल, कार्मिक प्रबंध, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
9. कटारिया, डा सुरेंद्र, कार्मिक प्रशासन, आर बी एस ए पब्लिशर, जयपुर
10. सिंह, डॉ. देवेन्द्र प्रताप नारायण, कार्मिक प्रबंध, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना

सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन (भोपाल शहर के विशेष संदर्भ में)

डॉ. अनामिका सरकार * सोनाली माटी **

* प्राचार्य, ए.एस.ई. महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा एक सामाजिक गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है। परिवार एवं विद्यालय दो मुख्य अभिकरण हैं जहाँ बालक का विकास होता है। बालक का अधिकतर समय विद्यालय में व्यतीत होता है जहाँ बालक का न केवल बौद्धिक अपितु शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास होता है। प्रत्येक विद्यालय का वातावरण भिन्न होता है। सह शिक्षा एवं एकल शिक्षा विद्यालयों के भिन्न वातावरण का गहरा प्रभाव छात्राओं पर पड़ता है। चूँकि सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों के परिवेश में अंतर होता है इस कारण छात्राओं के मध्य व्यक्तित्व में भी भिन्नता हो सकती है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन है। इसके लिए भोपाल शहर के 100 छात्राओं का चयन न्यायदर्श के लिये किया गया। प्रदत्तों का विश्लेषण मध्यमान, मानक त्रुटि, प्रमाणिक विचलन, प्रतिशत द्वारा किया गया। निष्कर्ष पाया गया कि सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व में सार्थक अंतर नहीं है।

शब्द कुंजी – सह शिक्षा, एकल शिक्षा, माध्यमिक स्तर, व्यक्तित्व।

प्रस्तावना – विद्यालय का अकादमिक वातावरण विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं सफलता का दर्पण होता है। विद्यालय के वातावरण का गहरा प्रभाव विद्यार्थियों के मनोविज्ञान पर पड़ता है। व्यक्तित्व बाह्य आवरण एवं आंतरिक तत्व दोनों का गतिशील सम्मिश्रण है जो कि पर्यावरण के प्रभाव से बराबर बदलता रहता है। जब बालक घर से बाहर निकलकर विद्यालय जाता है तो शिक्षक एवं साथी बालक के सामाजिक दायरे में आते हैं। प्रत्येक बालक का व्यक्तित्व कुछ निरालापन लिए होता है जैसा उसका व्यक्तित्व होगा वैसा ही उसका विकास होगा। विद्यालय के भिन्न वातावरण से छात्राओं का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों का वातावरण भी भिन्न होता है। विद्यालय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना होता है।

सह शिक्षा – सह शिक्षा से अभिप्राय है कि लड़के एवं लड़कियों दोनों एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ें। उन सभी संस्थाओं की शिक्षा प्रणाली को सह शिक्षा कहा जाता है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में भी लड़कों एवं लड़कियों को साथ-साथ शिक्षा दी जाती थी।

एकल शिक्षा – एकल शिक्षा से तात्पर्य है लड़के एवं लड़कियों के लिए एक ही पाठ्यक्रम हेतु अलग-अलग विद्यालय हो। वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार तो था परन्तु उनके लिए कोई अलग शिक्षण संस्थाएं नहीं थी। सर्वप्रथम बौद्ध काल में स्त्रियों हेतु पृथक संघ स्थापित किये गये थे।

माध्यमिक स्तर – प्रो. हुमायूँ कबीर के अनुसार 'माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा

की एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक व उच्च शिक्षा को दृढ़ता के साथ जोड़ता है। माध्यमिक शिक्षा देश की शिक्षा का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्तर है। यह वह स्तर है जो प्राथमिक व उच्च शिक्षा के मध्य एक पुल का कार्य करता है इस स्तर के छात्र किशोरावस्था के होते हैं। यही से छात्र जीवन की कला सीखते हैं।'

व्यक्तित्व

आलापोर्टे के अनुसार 'व्यक्तित्व, व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करती है।'

वैलेंटाईन के अनुसार, 'व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है।'

विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक संरचना, क्रियाओं, भावनाओं, सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। सबसे सरल वर्गीकरण जुंग ने सामाजिकता के आधार पर किया है उनके अनुसार समाज में दो तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पाये जाते हैं – अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी

अंतर्मुखी – यह लज्जाशील, आत्मकेंद्रित तथा असामाजिक होते हैं। ये केवल आंतरिक संसार में ही व्यस्त रहते हैं। दूसरों को खुश रखने का प्रयास नहीं करते हैं।

बहिर्मुखी – यह लोग सामाजिक, मिलनसार, संतुष्ट, प्रसन्नचित, चिन्ताओं से मुक्त होते हैं। ये व्यावहारिक जीवन में अत्यधिक निपुण होते हैं। वे आशावादी तथा अवसरवादी होते हैं।

उभयमुखी – कुछ व्यक्ति ना पूर्ण रूप से अंतर्मुखी होते हैं ना बहिर्मुखी। दोनों प्रकार के व्यक्तित्व का सम्मिश्रण होते हैं उन्हें उभयमुखी कहते हैं।

साहित्य का सर्वेक्षण – साहित्य सर्वेक्षण में शोधार्थी ने पाया कि सह शिक्षा विद्यालय एवं एकल शिक्षा विद्यालय के भिन्न वातावरण का प्रभाव छात्राओं के व्यक्तित्व पर पड़ता है। **चौहान, आर.एस.** (2004) ने सामंजस्य एवं अंतर्मुखी-बहिर्मुखी के संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सीखने की शैली का अध्ययन किया। परिणाम में देखा गया कि अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व की सीखने की शैली में सकारात्मक संबंध देखा गया। **अग्रवाल एवं स्वर्णकार** (2006) ने सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण का छात्राओं के आत्म विश्वास पर प्रभाव का अध्ययन किया। परिणामों में देखा गया कि एकल विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सह शिक्षा विद्यालय से उच्च होता है। शैक्षणिक वातावरण का प्रभाव आत्मविश्वास पर सार्थक रूप से पाया गया। अध्ययन हेतु माध्यमिक स्तर की छात्राओं को चुना है क्योंकि यही वह आयु होती है जब छात्राओं के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। **चौरसिया, उषा** (2010) ने सह शिक्षा विद्यालय एवं बालिका विद्यालयों से अध्ययनरत बालिकाओं के व्यक्तित्व का अध्ययन किया और परिणाम में देखा गया कि शासकीय सह शिक्षा विद्यालयों एवं पृथक बालिका विद्यालयों की बालिकाओं के व्यक्तित्व में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है परन्तु अशासकीय सह शिक्षा विद्यालयों एवं बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के व्यक्तित्व में सार्थक अंतर होता है। **बघेल, राजकुमार** (2014) ने विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों एवं व्यक्तित्व का उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। परिणाम देखा गया कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता है।

अध्ययन की आवश्यकता – विद्यालय का अकादमिक वातावरण विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं सफलता का दर्पण होती है सह शिक्षा एवं एकल शिक्षा विद्यालयों के परिवेश में भी अंतर होता है छात्राओं के व्यक्तित्व पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सह शिक्षा विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के साथ विद्याध्ययन करने से विद्यार्थी सबसे मैत्री पूर्ण व्यवहार करने वाले एवं व्यवहार कुशल हो सकते हैं। कष्टों एवं परेशानियों से घबराते नहीं हैं। उनमें स्वाभाविक गुणों का विकास होता है। उनके बीच आपसी समझ बढ़ती है। भविष्य में उच्च शिक्षा में कैरियर में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। वही नकारात्मक प्रभाव हो सकता है कि उनकी रुचि बाह्य जगत में अधिक हो। अनियंत्रित एवं असंवेदनशील हो सकते हैं।

वही दूसरी ओर एकल शिक्षा में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था होती है। एकल विद्यालय का वातावरण मुक्त होता है, जिससे विद्यार्थियों को विकास का स्वतंत्र अवसर प्राप्त होता है। एकल विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी अधिक आत्मविश्वासी होते हैं विद्यार्थियों का व्यक्तित्व आत्मचिंतनशील होता है। वह कर्तव्य परायण एवं लक्ष्य केन्द्रित होते हैं। समय का सदैव ध्यान रखने वाले एवं आज्ञाकारी होते हैं। वही दूसरी ओर देखा जाता है कि उनका व्यक्तित्व एकाकी हो जाता है, बाहरी जगत में उनकी कोई रुचि नहीं होती है, शीघ्र घबराने लगते हैं, लज्जावान होते हैं। इस प्रकार विद्यालयीन वातावरण (सह शिक्षा, एकल शिक्षा) को छात्राओं के व्यक्तित्व निर्धारण का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हुए शोधार्थी को इस विषय में शोध कार्य करने की आवश्यकता महसूस हुई।

अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तावित शोध हेतु निम्न उद्देश्यों का निर्धारण शोधार्थी

द्वारा किया गया है :

1. भोपाल शहर के सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व का अध्ययन करना।
2. भोपाल शहर के सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व की तुलना करना।

अध्ययन की परिकल्पना – सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

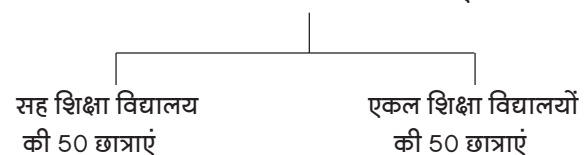
अध्ययन की परिसीमाये:

1. शोध केवल भोपाल शहर के माध्यमिक स्तर की छात्राओं तक सीमित है
2. शोध हेतु भोपाल शहर के सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की 100 छात्राओं को लिया गया है।

अध्ययन शोध प्राविधि – प्रस्तुत शोध हेतु वर्णात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

अध्ययन प्रतिदर्श – प्रस्तुत शोध में प्रतिदर्श भोपाल शहर के सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की 100 छात्राएं हैं।

माध्यमिक स्तर की 100 छात्राएं



अध्ययन उपकरण – आंकड़ों के संकलन हेतु डॉ. पी.एफ.अजीज एवं रेखा अग्निहोत्री द्वारा निर्मित अंतर्मुखिता- बहिर्मुखिता परीक्षण का प्रयोग किया है। जिसमें व्यक्तित्व से संबंधित 60 प्रश्न हैं।

सांख्यिकीय प्राविधियां – अध्ययन विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक विचलन, टी टेस्ट का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण – भोपाल शहर के सह शिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्राओं के व्यक्तित्व में सार्थक अंतर नहीं है। परिकल्पना का मूल्यांकन करने के लिये डॉ. पी.एफ.अजीज एवं रेखा अग्निहोत्री द्वारा निर्मित अंतर्मुखिता बहिर्मुखिता परीक्षण का प्रयोग किया। प्राप्त समंको पर टी.परीक्षण का प्रयोग किया गया। जिसको तालिका 01 में दर्शाया गया है।

तालिका 01 : माध्यमिक स्तर पर छात्राओं के व्यक्तित्व में अंतर की सार्थकता का प्रदर्शन

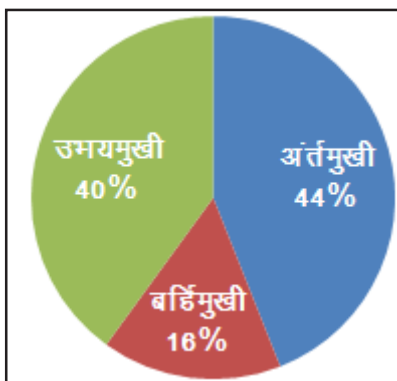
चर	सह शिक्षा विद्यालय की छात्राएं		एकल शिक्षा विद्यालय की छात्राएँ		df	टी अनुपात CR
	N = 50		N = 50			
	माध्य	मानक विचलन	माध्य	मानक विचलन		
व्यक्तित्व	9	37.55	8.46	31.15	98	1.66

उपरोक्त तालिका अनुसार माध्यमिक स्तर की सह शिक्षा विद्यालयों

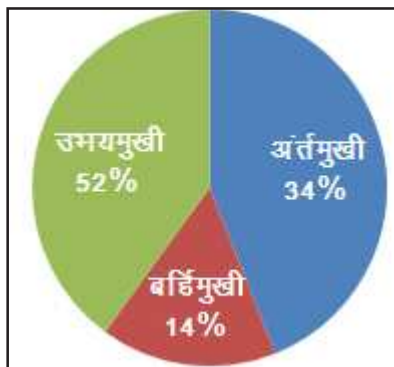
की छात्राओं के व्यक्तित्व मध्यमान 9 तथा एकल शिक्षा विद्यालयों की छात्राओं के व्यक्तित्व का मध्यमान 8.46 है। सह शिक्षा विद्यालयों का मध्यमान एकल शिक्षा विद्यालयों से अधिक है। उपरोक्त मध्यमान अंतर की सार्थकता को जानने के लिये प्राप्त किया गया है टी मूल्य 1.66 है। टी-मूल्य 1.66 सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः प्राप्त विश्लेषण के आधार पर शून्य उपरोक्त परिकल्पना अस्वीकृत नहीं की जा सकती है। अतः उपरोक्त शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

पाई चार्ट द्वारा अंतर्मुखिता, बहिर्मुखिता उभयमुखी का प्रदर्शन

सहशिक्षा विद्यालयों में अंतर्मुखी 44%, बहिर्मुखी 16% एवं उभयमुखी 40% पाये गये।



एकल शिक्षा विद्यालयों में अंतर्मुखी 34%, बहिर्मुखी 14% एवं उभयमुखी 52% पाये गये।



निष्कर्ष – भोपाल शहर के सहशिक्षा विद्यालयों एवं एकल शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक स्तर की छात्राओं के मध्यमानों के बीच सार्थक अंतर नहीं है। सह शिक्षा विद्यालयों के अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी का प्रतिशत एकल शिक्षा विद्यालयों से अधिक है। परन्तु उभयमुखी का प्रतिशत एकल शिक्षा विद्यालयों से अधिक है।

शैक्षिक उपयोगिता – प्रस्तुत शोध अध्ययन उन शोधकर्ताओं के लिये उपयोगी है जो विद्यालय वातावरण के प्रभाव का छात्राओं के व्यक्तित्व पर प्रभाव का अध्ययन देख रहे हैं। यह शोध निष्कर्ष विद्यालय प्रशासन, अध्यापक को विद्यालय वातावरण एवं व्यक्तित्व से संबंधित चिन्तन, प्रत्ययों के विकास में प्रेरणा देने में सहायक सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, डॉ. जी.एस. (1993) शिक्षा मनोविज्ञान, वाणी प्रकाशन, 4695.217, दरियागंज, दिल्ली 110002
2. चौहान, आर.एस. (2004), सामंजस्य एवं अंतर्मुखी बहिर्मुखी के संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सीखने की शैली का अध्ययन Indian Education Abstract, Vol.8, Jan 2008, NCERT, ISSN. 9072-5652
3. चौरसिया, उषा (2010), सह शिक्षा विद्यालय एवं पृथक बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के व्यक्तित्व का अध्ययन लघु शोध प्रबंध, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
4. डॉ. मंगल, बरौलिया, अग्रवाल, दुबे शैक्षिक अनुसंधान विधियां एवं सांख्यिकीय
5. मंगल, एस.के. (2010) शिक्षा मनोविज्ञान

शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों में शैक्षणिक अभियोग्यता का अध्ययन (रीवा जिला के विशेष संदर्भ में)

डॉ. आभा गोयल* साजदा बी**

* प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – रीवा जिला के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों में शैक्षणिक अभियोग्यता का अध्ययन करने के लिए शिक्षकों हेतु शैक्षणिक अभियोग्यता परीक्षण को रीवा जिला के प्रत्येक विकासखण्ड के शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है। शोध का उद्देश्य रीवा शहर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों के शैक्षणिक अभियोग्यता का अध्ययन करना है निष्कर्षतः शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में कोई सार्थक अन्तर पाया गया है। अर्थात् शहर के अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में बेहतर पाई गयी है।

आज का मानव शिक्षा को आर्थिक दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि आज की शिक्षा आर्थिक विकास की अगुवाई कर रही है। इस दृष्टि से 'इतिहास में प्रथमवार शिक्षा, मनुष्य को उस समाज के लिये तैयार कर रही है, जिसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ।' शिक्षा के लिए यह चुनौती पूर्णतः नवीन है, क्योंकि शिक्षा का अब तक का कार्य समकालीन समाज को उसी रूप में जीवित रखना और उसके सामाजिक संबंधों को बनाये रखना था। परंतु आज उसका लक्ष्य अपरिचित बच्चों को अपरिचित दुनिया के लिये शिक्षित करना है।

शब्द कुंजी – शिक्षक, शैक्षणिक अभियोग्यता, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय।

प्रस्तावना – किसी भी राष्ट्र की शिक्षा को वहाँ की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है तथा वह हमारी संतति के भविष्य का रक्षक होता है। शिक्षक विद्यालय तथा शिक्षण प्रक्रिया की वास्तविक रूप से गत्यात्मक शक्ति है। डॉ० राधाकृष्णन् (1948) ने कहा है- 'समाज में अध्यापक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक एवं तकनीकी कुशलताओं का हस्तांतरण करने का केन्द्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है।' यह सही है कि विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पाठ्य सहगामी क्रियायें निर्देशन कार्यक्रम आदि का छात्रों के अधिगम स्तर पर प्रभाव पड़ता है लेकिन जब तक इनमें अच्छे अध्यापकों द्वारा गति प्रदान नहीं की जायेगी तब तक ये सभी निरर्थक हैं। अतः अध्यापक ही वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली संततियों पर अपना प्रभाव डालती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, कि राष्ट्र एवं समाज की प्रगति अध्यापकों के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। 'माध्यमिक शिक्षा' आयोग के अनुसार अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक, उसके व्यक्तिगत गुण, शैक्षिक योग्यतायें व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उसकी शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति है। जो वह विद्यालय तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निःसन्देह रूप से उन अध्यापकों पर निर्भर करता है जो विद्यालय में कार्यरत होते हैं। शिक्षक बालक एवं समाज की चेतना का संवाहक ही नहीं वरन् उसका नियामक एवं दिशा-निर्देशक भी है, वह राष्ट्र का सजग प्रहरी है, वह सुशिक्षा एवं संस्कारों के माध्यम से समाज को सुसंस्कारित करके समग्र मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। अच्छी शिक्षा के माध्यम से ही देश का भविष्य सुरक्षित

रह सकता है। भावी पीढ़ी संस्कृति एवं सभ्यता के स्तम्भों पर ही खड़ी रहती है। हमारे देश व मानव प्रगति का भविष्य उन हजारों कर्णधारों पर निर्भर करता है। जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अर्थात् माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में देश व समाज की प्रगति करने की सामर्थ्य विकसित करना उन्हें शिक्षित करने वाले शिक्षकों का ही कार्य है। कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता किसी समाज की गुणवत्ता उस समाज में प्रदत्ता माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता द्वारा निर्धारित होती है। शिक्षा की गुणवत्ता विद्यालयी शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर होती है।

वर्तमान 21वीं शताब्दी के वैज्ञानिक व तकनीकी युग में शिक्षा जहाँ एक ओर विज्ञान एवं तकनीकी प्रणालियों का विकास करती है। वहीं दूसरी ओर लुप्त होते मानव मूल्य मानव संवेदनशीलता तथा मानव समाज में व्याप्त तनाव असहनशीलता, असहिष्णुता का निराकरण भी करती है। किसी भी व्यक्ति के लिये एक अच्छे या कुशल शिक्षण का विचार उसके पूर्व अनुभव, मूल्य, अभिवृत्ति तथा समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। शिक्षक जब कक्षा में छात्रों को पढ़ाता है तो उसके सम्मुख कुछ उद्देश्य व लक्ष्य होते हैं इन लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास वह निरन्तर करता रहता है जिस सीमा तक वह अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है उसकी कुशलता व प्रभावशीलता का परिचायक है। इसी सन्दर्भ में **हेनरी एडम्स** कहते हैं एक शिक्षक का प्रभाव दीर्घकालिक होता है वह कभी नहीं बता सकता कि उसका प्रभाव कहाँ समाप्त होता है।

शिक्षा राष्ट्र की प्रगति संस्कृति भावना एवं संस्कार का प्रतीक है। वर्तमान समय में किसी विद्यालय समाज व राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले

जाने के लिये वहाँ की शिक्षा का विकास आवश्यक है, जिससे शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि व सफलता को बढ़ाया जा सके। शैक्षिक उपलब्धि व सफलता में वृद्धि प्रभावशाली शिक्षण द्वारा ही संभव है। शिक्षक के सामान्य तथा कक्षागत क्रियाकलाप शिक्षक व्यवहार की ओर संकेत करते हैं और इन क्रिया कलापों पर शिक्षण प्रभावशीलता आधारित होती है। अर्थात् शिक्षक की सफलता उसके शिक्षण कार्य की प्रभावोत्पादकता एवं व्यवहार से आंकी जाती है। इस सफलता के सन्दर्भ में शिक्षक के प्रति अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिक्रियाएँ प्रदर्शित की जाती हैं। वह प्रतिक्रियाएँ शिक्षक की प्रभावशीलता को दर्शाती हैं। शिक्षक प्रभावशीलता एक व्यापक प्रत्यय है एक शिक्षक तभी प्रभावी शिक्षक बन सकता है जब शिक्षक की प्रभावशीलता में उसकी शिक्षा तथा सामान्य व तत्कालीन ज्ञान प्रेषित करने की योग्यता, शिक्षण कौशल, व्यवसाय से सम्बन्धित ज्ञान, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ज्ञान, कक्षा-कक्ष प्रबन्ध की योग्यता, समाज तथा विद्यालय के अन्य सदस्यों के साथ आपसी मेल मिलाप का स्वभाव, संवेगात्मक रूप से स्थिर, सलाह व निर्देशन की योग्यता, नैतिक रूप से कुशल एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व को समाहित किया जाता है।

सामाजिक सन्दर्भ में शिक्षक, विद्यार्थी में राष्ट्रीयता, सामाजिकता, विश्वबंधुत्व की भावना को जगाकर उसे सामाजिक दायित्वबोध से परिचित कराता है। किसी भी देश काल की शिक्षा पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का है। यह सम्पूर्ण विश्व अपने उन सभी शिक्षकों का ऋणी है जिन्होंने ज्ञान के आधार पर संसार के आध्यात्मिक एवं भौतिक स्वरूप का निर्माण किया है। श्रेष्ठ अध्यापकों के अभाव में सुयोग्य छात्रगण वांछित ज्ञानार्जन में सफल नहीं हो सकते हैं अच्छी से अच्छी पाठ्य-पुस्तक भी निपुण शिक्षकों की अनुपस्थिति में प्राणहीन हो जाती है। शिक्षा व्यवस्था चाहे जैसी हो शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है अर्थात् समस्त शिक्षा व्यवस्था उसके चहुँ ओर विचरण करती है। आज वर्तमान समाज व राष्ट्र परिवर्तन और विकास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। समाज की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, आदर्शों एवं मूल्यों को वास्तविक रूप देने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों को वहन करनी होती है क्योंकि शिक्षक का कार्य ज्ञान व संस्कृति के संरक्षण तथा हस्तांतरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक परिवर्तन भी लाना है।

इन सब क्रियाओं के प्रति विद्यालय के प्राचार्य, साथी समूह, स्वयं शिक्षक एवम् विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं को अमुक शिक्षक की शिक्षण प्रभावशीलता के रूप में प्रेक्षित किया जाता है। साथ ही शिक्षक की शिक्षण प्रभावशीलता को उसकी परिस्थितियाँ भी प्रभावित करती हैं अतः शिक्षा के लक्ष्यों के प्राप्त करने की शिक्षक की योग्यता ही शिक्षण क्षमता या प्रभावशीलता कहलाती है। इसका मापन शिक्षक की शैक्षिक योग्यता पूर्व अनुभव एवं शैक्षिक निष्पत्ति से किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जो शिक्षण शिक्षार्थियों को सुगमता से सीखने में सहायता करे उसे स्पष्ट हो तथा कक्षा में उस योजना के अनुसार शिक्षण किया जाय। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील हों और यह कार्य तब तक चलता रहे जब तक कि शिक्षार्थी भली प्रकार सीख न लें यह विशेषताएँ प्रभावशाली शिक्षण से सम्बन्धित हैं। अतः शिक्षण प्रभावशीलता उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का नाम है जिसमें शिक्षक अपनी अभिरूचि के साथ शिक्षण कार्य करता है। छात्रों की समस्त गतिविधियों में रूचि लेता है अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण व्यवसाय में सफलता का मुख्य आधार अभिरूचि है। किसी

शिक्षक में बुद्धि, मानसिक योग्यता कितनी ही क्यों न हो, रूचि के अभाव में सब व्यर्थ है। साधारण अर्थों में शिक्षण अभिरूचि, शिक्षण व्यवसाय में ध्यान देने, उसके प्रति आकर्षित होने और उससे सन्तोष लाभ करने की प्रकृति को कहा जाता है। शिक्षक के लिये शिक्षण अभिरूचि सक्रिय रूप से एक भावात्मक विन्यास है जो ध्यान को जगाता एवं स्थिर रखता है। इस प्रकार शिक्षण अभिरूचि शिक्षण की वह आन्तरिक शक्ति है जो उसे क्रिया की ओर आकृष्ट होने की प्रेरणा प्रदान करती है। शिक्षण अभिरूचि की विशिष्ट प्रवृत्ति के कारण ही शिक्षण क्रिया की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। अतः शिक्षण अभिरूचि का तात्पर्य उस मानसिक अवस्था से है जिसके कारण शिक्षक शिक्षण व्यवसाय पसन्द करता है और शिक्षण सम्बन्धी कार्यों को आत्म सन्तोष के साथ करके अपने कार्य की प्रभावशीलता को बढ़ा लेता है। यदि शिक्षक की शिक्षण कार्य में अभिरूचि नहीं है तो वह कार्य में सफल नहीं हो सकता।

उद्देश्य :-

1. रीवा जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता का अध्ययन करना।
2. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता के कारकों का अध्ययन करना।
4. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की कार्य संतुष्टि का अध्ययन करना।
5. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की शिक्षण दायित्वों का अध्ययन करना।
6. अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सतत्-व्यापक मूल्यांकन के उन्वयन हेतु सुझाव प्रेषित करना।

परिकल्पनाएँ :

1. रीवा जिले के शहरी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. रीवा जिले के ग्रामीण शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
4. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण दायित्वों में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
5. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कार्य संतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
6. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारिवारिक, सामाजिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध प्रविधि - किसी भी शोध कार्य को उद्देश्यहीन एवं ज्ञानरहित नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए कुछ निश्चित कारकों से प्रेरित होकर ही निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शोध-कार्य किया जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य अपरिहार्य है। वर्तमान युग में शोध या अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण, एवं सत्यापन अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है।

शोध कार्य में भारतीय समाज में पारिवारिक विघटन से सम्बन्धित

वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आंकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े पारिवारिक विघटन से संबंधित विभिन्न प्रकाशित-अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं।

अध्ययन क्षेत्र - प्रस्तुत अध्ययन रीवा जिले के संबंध में है जिसकी कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 2,365,106 है, जिसमें से पुरुष 1,225,100 एवं महिलाएँ 1,140,006 है एवं 1000 पुरुषों के अनुपात में 960 महिलाएँ हैं। शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुसूची व साक्षात्कार विधियों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किये गये जिसमें से शोधार्थी द्वारा 52 व्यक्तियों को लेकर के शोधकार्य पूरा किया अध्ययन के दौरान जो आंकड़े एकत्रित किये गये उनका परिचयात्मक विश्लेषण निम्नानुसार है।

आंकड़ों का वर्गीकरण और सारणीयन - अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों को प्राप्त करने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है।

न्यादर्श - शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के शिक्षक (54-54)

परीक्षण - शैक्षणिक सामान्य अभियोग्यता परीक्षण (शिक्षकों हेतु)

परिसीमन - रीवा जिला

विश्लेषण एवं व्याख्या - शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों के शैक्षणिक अभियोग्यता परीक्षण में अंतर सार्थकता

सारणी 1 (अगले पृष्ठ पर देखें)

व्याख्या - सारणी 1 से स्पष्ट है कि रीवा जिले के शासकीय शहरी विद्यालयों के शिक्षकों के प्राप्तांकों का माध्यमान 9.54 तथा अशासकीय शहरी विद्यालयों के शिक्षकों के प्राप्तांकों का माध्यमान 13.43 है।

आंकड़ों से स्पष्ट है कि उक्त दोनों विद्यालयों के शिक्षकों में अशासकीय शहरी विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता अच्छी है। प्रस्तुत गणना में क्रांतिक अनुपात का मान 3.82 प्राप्त हुआ है तथा स्वतंत्रता की कोटि 52 है। स्वतंत्रता की 52 के 0.005 विश्वास स्तर पर t - मान 2.01 तथा 0.01 विश्वास स्तर पर 2.68 है। दोनों ही विश्वास स्तर पर जो मान हैं उसके क्रांतिक अनुपात का मान 3.82 अधिक है। अतः सिद्ध होता है कि दोनों ही समूहों (शासकीय शहरी एवं अशासकीय शहरी विद्यालय के शिक्षकों) की शैक्षणिक अभियोग्यता में सार्थक अंतर है। अर्थात् जिस समूह का समान्तर माध्य (माध्यमान) अधिक है। उस समूह की शैक्षणिक अभियोग्यता बेहतर है।

अतः शोधार्थी की परिकल्पना क्रमांक - 1 'शहर के शासकीय विद्यालयों के एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।' अस्वीकृत अथवा निरसित होती है।

सारणी 2 (अगले पृष्ठ पर देखें)

व्याख्या - सारणी 2 से स्पष्ट है कि शासकीय ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षकों के प्राप्तांकों का माध्यमान 7.5 प्राप्त हुआ है जबकि अशासकीय ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षकों के प्राप्तांकों का माध्यमान 11.21 प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विद्यालयों के शासकीय शिक्षकों की तुलना में ग्रामीण विद्यालयों के अशासकीय शिक्षकों का प्रदर्शन अच्छा है। क्या कारण

है कि शासकीय विद्यालय के अधिकतर शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण कर इस व्यवसाय में आये हैं और इस व्यवसाय में आने के बाद विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं, फिर ऐसा निम्न स्तर का प्रदर्शन क्यों? इसका सीधा कारण यह है कि शासकीय शिक्षक, शैक्षिक व्यवसाय से जुड़ने के बाद अपने व्यवसाय पर ध्यान नहीं देते जबकि अशासकीय शिक्षक अपने को उस विद्यालय में कायम रखने के लिए अधिक मेहनत करते हैं और अधिक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त सारणी में विश्लेषणोपरांत क्रांतिक अनुपात का मान 3.34 प्राप्त हुआ है तथा स्वतंत्रता की कोटि 52 है। स्वतंत्रता की कोटि 52 के 0.05 स्तर पर t मान 2.01 तथा 0.01 विश्वास स्तर पर t मान 2.68 है। ये दोनों ही t मान गणना से प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान 3.34 से कम है। अतः स्पष्ट होता है कि दोनों समूहों के शैक्षणिक अभियोग्यता में सार्थक अंतर है।

अतः शोधार्थी की परिकल्पना क्रमांक - 2 'गांव के शासकीय विद्यालयों के अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।' अस्वीकृत अथवा निश्चित होती है।

निष्कर्ष :

1. शहरी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में सार्थक अंतर पाया गया है अर्थात् शहर के अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में बेहतर पाई गई है।
2. ग्रामीण शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में सार्थक अंतर दृष्टिगोचर हुआ है अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र के अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में बेहतर पायी गई है।

सुझाव :

1. शिक्षकों के अच्छा शिक्षक बनने के लिए शिक्षा विद्वानों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिक के विभिन्न सिद्धांत पढ़ने का सुझाव है।
2. शिक्षकों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्य शैक्षिक और भौतिक वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है।
3. शिक्षकों को विद्यालयों की अधोसंरचना को सुदृढ़ रूप प्रदान करने में विद्यालय प्रमुख का सहयोग करने की आवश्यकता है।
4. शासकीय शिक्षकों को कक्षा में जाने के पूर्व पाठ योजना तैयार करना चाहिए।
5. विद्यालयों के शासकीय शिक्षकों को शैक्षिक पेडागाजी का नियमित अध्ययन करना चाहिए।
6. विद्यालयों के शासकीय शिक्षकों को शिक्षण कौशल, शिक्षण, तकनीकी, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण के नये-नये उपागम से जुड़े रहना चाहिए और अपने कक्षा में उनका उपयोग करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भदौरिया, अखिलेश सिंह (2016) 'शिक्षा मनोविज्ञान' कल्पना पब्लिकेशन, चॉंद पोल बाजार, जयपुर ISBN978-93-85181-19-1
2. भदौरिया, अखिलेश सिंह (2015) 'मध्यप्रदेश के शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थ विभिन्न प्रकार के शिक्षक संवर्ग द्वारा पढ़ाये गये विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि का अध्ययन', अन्वेषणम, द जर्नल ऑफ एजुकेशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, Vol. IV, No. - 1 अगस्त 2015-2016 पेज 106-111

3. डॉ. श्रीवास्तव साध्वी (2012) 'आज की शिक्षा और मानवीय मूल्य' कैलास प्रकाशन, इलाहाबाद पृ. 35-37
4. चौबे सरयू प्रसाद (1993), 'हमारी शिक्षा समस्याएँ' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
5. त्यागी एस.डी. एवं पाठक डी.पी. (2008) भारतीय शिक्षा की सामाजिक समस्याएँ डॉ. रांगेय राघव मार्ग विनोद पुस्तक मंदिर आगरा पृ. 8।
6. Aftab, Maria and Khatoon, Tahira., 2012, "Demographic Differences and Occupational Stress of Secondary School Teachers", European Scientific J., 8 (5), pp. 159-175.
7. Ahmad, N., Raheem, A. and Jamal, S. (2003). Job satisfaction among school teachers. The Educational Review, 46(7), 123-126.
8. www.mpeducationportal.gov.in

सारणी 1: रीवा जिले के शहरी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में प्राप्तांकों के अंतर की सार्थकता

विद्यालय	शिक्षकों की संख्या (N)	पूर्णांक	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ)	मानक त्रुटि (σd)	क्रान्तिक अनुपात(Cr)	स्वतंत्रता की कोटि(N1-1)+(N2-1)
शासकीय शहरी विद्यालय	27	40	9.54	3.70	1.02	3.82	52
अशासकीय शहरी विद्यालय	17	40	13.43	3.85			

सारणी 2 : शासकीय ग्रामीण तथा अशासकीय ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक अभियोग्यता में प्राप्तांकों के अंतर की सार्थकता

विद्यालय प्रकार	शिक्षकों की संख्या (N)	पूर्णांक	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ)	मानक त्रुटि (σd)	क्रान्तिक अनुपात(Cr)	स्वतंत्रता की कोटि(N1-1)+(N2-1)
शासकीय ग्रामीण विद्यालय	27	40	7.5	3.00	1.11	3.84	52
अशासकीय ग्रामीण विद्यालय	27	40	11.21	4.85			

भारत के आर्थिक विकास में महिला सहभागिता का अध्ययन (मध्यप्रदेश राज्य के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मीना कीर *

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के संविधान में भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है। इसके बावजूद हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं उसे बराबरी का अधिकार कभी नहीं देतीं। देश में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने तथा महिलाओं के उत्थान के लिये केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अनेकों कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है किन्तु इन कार्यक्रमों व योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुंच सकने के कारण सभी महिलाओं को इनका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में कई सकारात्मक बदलाव आये हैं लेकिन अनेक स्थानों पर यह भी अनुभव किया जा रहा है कि आज भी महिला, पुरुष-प्रधान मानसिकता से पीड़ित है।

शब्द कुंजी – महिलाओं की स्थिति, सहभागिता के क्षेत्र, सहभागिता का प्रतिशत, आर्थिक कार्यक्रम, चुनौतियां एवं समाधान।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोधपत्र का प्रमुख उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास में देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की सहभागिता का विश्लेषण करना तथा उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को बल प्रदान करना है। महिला सहभागिता के इस विश्लेषण के आधार पर महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की नई संभावनाओं का सृजन किया जा सकेगा तथा महिलाओं के उत्थान के लिये क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रम एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त एवं वंचित महिलाओं तक पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही मध्यप्रदेश राज्य में महिला सहभागिता को आदर्श स्थिति तक पहुंचाने के लिये ठोस उपाय किये जा सकेंगे।

पृष्ठभूमि – भारत में सकल घरेलू उत्पाद की दर में महिलाओं की भागीदारी 17 प्रतिशत है जो चीन की सकल घरेलू उत्पाद की दर 40 प्रतिशत से बहुत ही कम है। वर्ष 2005 से वर्ष 2010 के बीच लगभग 20 मिलियन महिला कर्मचारी नौकरी से बाहर हो गईं, यह संख्या श्रीलंका की पूरी आबादी के बराबर है। वर्ष 2012 में भारत में 79 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में केवल 27 प्रतिशत महिलाओं के पास नौकरी थी या वे नौकरी की तलाश में थीं। भारत में स्थाई रूप से आर्थिक विकास तब और भी कठिन है जब देश की आबादी का आधा हिस्सा अर्थव्यवस्था में भाग ही नहीं लेता।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आय का प्रमुख आधार कृषि है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश महिलाएं खेतीहर मजदूर हैं और उनकी परिवार की

आय का प्रमुख आधार कृषि कार्य से प्राप्त खेतीहर मजदूरी है। विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक विकास में महिला श्रमिकों की भागीदारी में भारत का स्थान 131 देशों की सूची में 120 वां है और लिंग आधारित हिस्सा की दर भी यहाँ अधिक है।

मध्यप्रदेश में महिलाओं की स्थिति – मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या में 48.20 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 में 3,76,12,306 पुरुष तथा 3,50,14,503 महिलाएं हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 में से 5,25,57,404 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो कि कुल जनसंख्या का 72.37 प्रतिशत है। इस जनसंख्या में से 2,54,08,016 जनसंख्या महिलाओं की है, जो कि कुल ग्रामीण जनसंख्या का 48.34 प्रतिशत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 में से 2,00,69,405 जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जो कि कुल जनसंख्या का 27.63 प्रतिशत है। इस जनसंख्या में से 96,06,487 जनसंख्या महिलाओं की है, जो कि कुल शहरी जनसंख्या का 47.87 प्रतिशत है। आंकड़ों का अवलोकन स्पष्ट करता है कि मध्यप्रदेश की कुल महिला जनसंख्या में शहरी महिलाओं की संख्या 65.02 प्रतिशत तथा ग्रामीण महिलाओं की संख्या 34.98 प्रतिशत है।

भारत और मध्यप्रदेश में कार्यशील महिलाओं की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन – भारत और मध्यप्रदेश में कार्यशील महिलाओं की स्थिति में कुछ असमानता दिखाई देती है, जिसे विभिन्न आंकड़ों की सहायता से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं तथा मध्यप्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या के रूप में है, जिसमें से महिला कार्यशील जनसंख्या लगभग 26 प्रतिशत है, जबकि मध्यप्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 43.50 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या के रूप में है, जिसमें से महिला कार्यशील जनसंख्या 32.60 प्रतिशत है।

आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि देश की अपेक्षा मध्यप्रदेश में महिलाओं की कार्यशीलता अधिक है। मध्यप्रदेश में कुल कर्मियों की संख्या 3,15,74,133 है, जिनमें से 1,14,27,163 महिलाएं हैं। मध्यप्रदेश में कुल 98,44,439 काश्तकार हैं, जिनमें से 32,53,375 महिलाएं हैं। प्रदेश

में कुल खेतीहर मजदूरों की संख्या 1,21,92,267 है, जिसमें से 58,81,610 महिलाएं हैं।

भारत और मध्यप्रदेश में जनसंख्या की लगभग आधी संख्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यदि जनसंख्या के इस भाग का आर्थिक विकास के लिये उपयोग ही न किया जाये, तो देश के विकास की दर का कम रहना स्वाभाविक है।

सरकार द्वारा किये गये प्रयास – भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की सहभागिता एक महत्वपूर्ण कारक है, जो भविष्य की दिशा और दशा दोनों के लिये महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के प्रयासों से कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस दिशा में आगे आई हैं। विश्व बैंक ने भारत में कई ऐसी परियोजनाओं में निवेश किया है जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने हेतु क्रियान्वित की जा रही हैं। विश्व बैंक ने पिछले 15 वर्षों में भारत में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीब ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगभग 3 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। विश्व बैंक द्वारा निवेशित परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 45 मिलियन गरीब महिलाएं कौशल विकास, बाजार और व्यापार विकास सेवाओं से लाभान्वित हुई हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले तो भारत की विकास दर प्रतिवर्ष 1.5 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

निष्कर्ष – पिछली कुछ सदियों में महिलाओं की स्थिति ने कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीनकाल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिये जाने तक महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। वर्तमान में समाज की प्रगति के साथ-साथ महिलाओं के स्वर, उनके सम्मान व गरिमा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। समाज के

बदलते परिवेश ने जहाँ व्यक्ति को आधुनिकता की दौड़ में शामिल किया है वहीं महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन भी आये हैं।

भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिये जाने के बावजूद भी सामाजिक व्यवस्थाएं उसे समानता का अधिकार देने में पूर्ण सफल नहीं हो सकी हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं का यह व्यवहार भारतीय महिलाओं के लिये अपने आपको सक्षम सिद्ध करने में बाधक बन रहा है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र व लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी प्रदेश की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणामों का भी सम्पूर्ण देश में प्रचार-प्रसार हो रहा है, किन्तु इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से नहीं हो पाने के कारण सभी वर्ग की महिलाएं इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं ले पा रही हैं। वर्तमान परिवेश में आर्थिक विकास में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक सहमति और शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की भी आवश्यकता प्रतीत होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण/2019-20
2. वूमेन्स फोरम/2018-19
3. मध्यप्रदेश की महिला नीति 2015
4. मध्यप्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास संकेत 2018-19, 2019-20

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास स्तंभ एवं प्रमुख चुनौतियां

डॉ. योगेश खण्डेलवाल*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कुसुम महाविद्यालय, सिवनी-मालवा, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान समय में जब विश्व की अनेक विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता के वातावरण में रहकर गंभीर आर्थिक दुष्परिणामों से बचने का प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के साथ उभर कर सामने आया है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, किन्तु इस स्थिति को बनाये रखना भारत के लिये एक बड़ी चुनौती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन और विश्लेषण करना तथा समाधान के उपाय प्रस्तुत करना इस शोधपत्र का उद्देश्य है।

शब्द कुंजी – भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास स्तंभ, अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक प्रमुख कारक, चुनौतियां, कारण एवं समाधान।

(1) कृषि क्षेत्र की चुनौतियां – कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कृषि उत्पादन में गिरावट भारत के आर्थिक विकास की दर को निश्चित ही प्रभावित करती है। स्वतंत्रता के समय भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत थी, जो अब घटकर लगभग 14 प्रतिशत रह गई है। कृषि क्षेत्र भारत का सर्वाधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र है, जिस पर देश की लगभग 58 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर करती है। यदि कृषि क्षेत्र के विकास में गिरावट आती है, तो न केवल कृषि पर निर्भर देश के लगभग 14 करोड़ परिवार प्रभावित होते हैं, बल्कि मंहगाई बढ़ने से आम आदमी भी परेशान हो जाता है। चूंकि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोजगार के लिये कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अतः कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गिरावट रोजगार संकट को भी बढ़ावा देती है।

(2) असमान आय वितरण की चुनौती – इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप ऑक्सफैम आर्वर्स द्वारा विश्व में बढ़ रहे धन के असमान वितरण के सम्बंध में रिपोर्ट वर्क, नॉट वेल्थ नामक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत में कुल अर्जित धन का 73 प्रतिशत केवल 1 प्रतिशत अमीर लोगों के पास था, जबकि देश की लगभग आधी आबादी, जो कि निर्धन है, की आय में मात्र 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 3 करोड़ लोगों की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। यह स्थिति प्रदर्शित करती है कि भारत में आर्थिक विकास का लाभ बहुत ही कम लोगों को प्राप्त हुआ है।

(3) राजकोषीय संतुलन बनाये रखने की चुनौती – राजकोषीय घाटा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, क्योंकि इससे ब्याज दरों में वृद्धि के साथ-साथ मुद्रा-स्फाटि की दर अर्थात् मंहगाई में भी वृद्धि होती है। भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिये वित्तीय अनुशासन पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है। भारत के आर्थिक विशेषज्ञ भी वित्तीय अनुशासन का वातावरण निर्मित करते हुए राजकोषीय घाटा कम से कम रखने पर जोर देते

हैं। भारत में वित्तीय अनुशासन में कमी का परिणाम राजकोषीय घाटे में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है।

(4) विनिवेश क्रिया में तेजी लाने की चुनौती – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों में सरकार अपनी सहभागिता कम से कम 51 प्रतिशत रखकर उनका प्रबंध और नियंत्रण अपने पास रखती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों में जन मानस की भागीदारी सुनिश्चित करने और उसमें वृद्धि करने के लिये विनिवेश एक महत्वपूर्ण आवश्यक कदम हो सकता है। विनिवेश के माध्यम से सरकार के पास अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सकता है, जिसे सामाजिक योजनाओं और विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकता है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिये विनिवेश हेतु 56,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया था, जिसे बाद में संशोधित करते हुए 45,500 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस लक्ष्य की पूर्ति भी पुराने बजट की भांति नहीं हो सकी थी। ऐसे में सरकार को नीति आयोग के माध्यम से विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है।

(5) बैंकों में बढ़ते एनपीए की चुनौती – वर्तमान में भारत की बैंकिंग प्रणाली एक चुनौती भरे माहौल में कार्य कर रही है, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता तथा लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए का स्तर 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाना एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि किसी कार्य में संलग्न नहीं है। यदि इस राशि की वसूली हो जाती है, तो न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभदायकता में वृद्धि होगी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार, कारोबारियों को नीतिगत दर में कटौती का लाभ, आधारभूत संरचना का निर्माण, कृषि विकास, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और विकास में तेजी भी परिलक्षित हो सकेगी।

(6) काले धन की चुनौती – काला धन देश की अर्थव्यवस्था पर एक काला दाग है। देश में काले धन और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये तत्कालीन सरकारों द्वारा कई प्रयास किये गये हैं और किये भी जा रहे हैं। 27 मई 2014 को सरकार द्वारा काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दल के गठन के पश्चात्

70 हजार करोड़ रुपये के काले धन का पता लगाया जा चुका है, जिसमें भारतीयों द्वारा विदेश में जमा किये गये 16 हजार करोड़ रुपये भी शामिल हैं। वर्ष 2016 में एक हजार और पांच सौ रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण भी इसी दिशा में एक कारगर कदम है।

(7) रोजगार की चुनौतियां – भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में रोजगार सृजन की चुनौती एक बड़ी चुनौती है। भारत की जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है। देश में प्रतिवर्ष 13 से 15 लाख युवा कार्यशील जनसंख्या में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें रोजगार के उपयुक्त अवसरों की तलाश रहती है। चूंकि देश की लगभग आधी आबादी पूर्व से ही कृषि कार्य में संलग्न है, अतः कृषि क्षेत्र में और अधिक रोजगार का सृजन कर पाना संभव नहीं है। युवा आबादी को रोजगार प्रदान करने के लिये आवश्यक है कि गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उपायों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाये। गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु अनुकूल माहौल तथा समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

(8) श्रम सुधार की आवश्यकता – भारत में केन्द्र और राज्य दोनों ही स्तर पर श्रम कानूनों का आधिक्य है, जो औद्योगिक विकास में बाधक बना हुआ है। श्रम कानूनों की बाहुल्यता और कठोरता के कारण नवीन उद्योगों के स्थापन में भी अवरोध बना हुआ है। देश में अधिकाधिक रोजगार का सृजन करने के लिये कठोर श्रम कानूनों के आधिक्य को समाप्त करना आवश्यक है। यदि देश में श्रम सुधार पर ध्यान दिया जाये तथा छोटे व मध्यम उद्योगों को थोड़ी रियायत प्रदान की जाये, तो न केवल मानव संसाधन को उत्पादक सम्पत्ति बनाना संभव हो सकेगा, अपितु रोजगार सृजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति भी प्राप्त हो सकेगी।

(9) निजी निवेश को आकर्षित करने की चुनौती – निजी क्षेत्र का निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत जैसे विशाल लोक कल्याणकारी देश में केवल सरकारी निवेश के माध्यम से विकास को गति दे पाना संभव नहीं है। यदि वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, तो निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करना होगा। हालांकि सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास किये गये हैं, किन्तु विगत वर्षों में निजी निवेश की दर में गिरावट दर्ज की गई है। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार को प्रोत्साहन पैकेज के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहिये तथा पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने पर विचार करना चाहिये,

जिससे रुकी हुई परियोजनाओं पर दोबारा काम शुरू किया जा सके।

(10) कच्चे तेल के बढ़ते दामों को रोकने की चुनौती – कच्चा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख कारक है। भारत ने अपने विकास की जो नींव तैयार की है, वह कच्चे तेल की उपलब्धता पर आधारित है। भारत भारी विदेशी मुद्रा खर्च करके अपनी आवश्यकताओं का लगभग 80 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि होना प्रत्याशित है। इस स्थिति में देश में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि तथा विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत के समक्ष कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित कर पाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष – भारत में आर्थिक विकास की दर तीव्र होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग में कई चुनौतियां विद्यमान हैं। कृषि की समस्याएं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निराशाजनक स्थिति, रोजगार सृजन की समस्याएं और कई आर्थिक क्षेत्रों में निराशाजनक प्रदर्शन भारत की प्रमुख समस्याएं हैं, जिनका समाधान शीघ्रता से किया जाना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था, कृषि और रोजगार एक दूसरे से इस प्रकार संलग्न हैं कि एक में किया गया बदलाव दूसरे को प्रभावित करता है, अतः अर्थव्यवस्था के विकास के लिये सभी अंगों का संतुलित कार्य निष्पादन आवश्यक है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की गति बनाये रखने के लिये कार्य निष्पादन के प्रचलित तरीकों में बदलाव के साथ ही ऐसी व्यवस्था के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्र एस.के. एवं पुरी वी.के. हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई,
2. भारतीय अर्थव्यवस्था, दत्ता गौरव एवं महाजन अश्विन, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. नई दिल्ली,
3. नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
4. हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
5. वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार

वृद्धजनों की समस्या एवं परिवर्तनशील स्थिति (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. आभा गोयल* संदीपा पाण्डेय**

* प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र में समाज में वृद्धों की समस्याओं की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है, जिसमें रीवा जिला के कुछ क्षेत्रों को चुनकर समाज में वृद्धों की समस्याओं का अवलोकन किया गया है तथा 50 वृद्ध लोगों से साक्षात्कार के माध्यम से तथ्य एकत्रित किये गए हैं। भारत वर्ष में वृद्ध व्यक्तियों को आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। सामान्यतः इन व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं का समाधान भारतीय संयुक्त परिवार में होता रहा है; परन्तु औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप इस देश में संयुक्त परिवार का धीरे-धीरे विघटन हो रहा है तथा उसके स्थान पर एकल परिवार का वर्चस्व बढ़ रहा है। इसके साथ-साथ व्यक्तिवादी, भौतिकवादी एवं सुखवादी मूल्यों के बढ़ने के कारण वृद्धों की उपेक्षा की जाने लगी इसके अतिरिक्त कुछ वृद्ध निराश्रितता की समस्या से भी ग्रस्त होते जा रहे हैं। जिनमें आर्थिक समस्याओं स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय समस्याओं परिवारिक एवं भावनात्मक समस्याओं अवासीय समस्याओं इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। सर्वेक्षण में शोधार्थी द्वारा उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछा गया जिसमें वृद्धों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। प्राप्त तथ्यों को वर्गीकृत व विश्लेषित कर निष्कर्ष प्रस्तुत किये गए हैं।

शब्द कुंजी – वृद्ध, परिवर्तनशील स्थिति, स्वास्थ्य परीक्षण।

अवधारणात्मक विवेचन – वृद्धों की समस्या को समझने के लिए समसामयिक समाज में परिवार की भूमिका को समझना आवश्यक है। आज वृद्धों के प्रति वह नजरिया नहीं है जो पहले था विविध प्रकार के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि वृद्धों की देखरेख के लिए परिवार से बढ़कर कोई दूसरा संगठन नहीं है, परन्तु परिवर्तित परिस्थितियों में विविध प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक कारकों के परिणाम स्वरूप आज परिवार अपनी वह भूमिका प्रतिपादित नहीं कर पा रहा है, जिसकी अपेक्षा है। जहाँ तक वृद्धों के देखरेख का प्रश्न है, परिवार में वृद्धों का स्थान केन्द्रिय है इसके अन्तर्गत वृद्धों को सुचारु रूप से देखरेख करने के लिए बल दिया जाता है। परिवार के अन्तर्गत ही युवा वर्ग को वृद्धजनों की देखरेख का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। परन्तु विभिन्न प्रकार के प्रभाव के परिणामस्वरूप आज परिवारों से उनके अपेक्षित भूमिका की विशेष आशा नहीं रखी जा सकती है। इस प्रकार यदि परिवार का युवा वर्ग वृद्धों के खान-पान, मनोरंजन, अध्यात्मिकता के आधार पर बढ़ता रुझान आदि के बारे में सक्रिय नहीं रहता, ऐसी स्थिति में हम वृद्धों के मंगलमय दीर्घ जीवन की बहुत अधिक अपेक्षा नहीं कर सकते। बुजुर्ग हमारे समाज के दर्पण होते हैं जो हमारे समाज का मजबूत आधार होते हैं जो समाज की परम्पराओं के सम्वाहक होते हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियाँ इनके अनुभवों को बाँटती हैं किन्तु आज इनकी अनेक प्रकार की समस्याओं से सम्बन्धित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट (1) में भारत में वृद्धों की अनेक समस्याओं पर अनेक तथ्य दिए गए हैं। इसमें सर्वाधिक चिंतनीय महा दुर्व्यवहार का है **एल्डर एब्ज्यूज इन इंडिया, अब्लीयुएज ऑन कंट्री रिपोर्ट**

2002(2) में भारत में वृद्धों की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि अपमान, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना एवं अकेलेपन के कारण भारत के अधिकांश बुजुर्ग वृद्धावस्था को एक बीमारी मानने लगे हैं।

विश्व स्तर पर वृद्धों की बढ़ती समस्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 1999 को वृद्धों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित किया। हमारे देश ने भी सन् 2000 को राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य वृद्धावस्था जैसी निर्योग्यता की दशाओं में वृद्धजनों को लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपाय करेगा। वृद्धजनों के कल्याण के लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नीतियाँ एवं योजनाएँ तैयार करता है। इसी मंत्रालय के प्रयास से जनवरी 1991 के केन्द्र सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गयी। इस नीति में सरकारी संस्थाओं तथा गैर-सरकारी अभिकरणों के मध्य सहभागिता का ढांचा उपलब्ध कराया गया है। इस नीति के तहत सरकारी हस्तक्षेप के अनेक विषयों की पहचान की गयी है। इसमें प्रमुख हैं- वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार, आवास की उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध कल्याण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका, गैर सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय स्तर की अन्य संस्थाओं की भूमिका इत्यादि।

स्वास्थ्य संबंधी अनेकों कार्यक्रमों की बढ़ती वृद्धजनों में रहन-सहन उनके स्वास्थ्य एवं उनकी औसत आयु में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, किन्तु इतना ही काफी नहीं है। वृद्धों की बढ़ती संख्या, बदलती हुई परिवारिक

संरचना वृद्धजनों के जीवन को नई कठिनाइयों से युक्त करता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकारी प्रयासों पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में नए प्रयास करने की दरकार है। हालांकि यह भी सच है कि कोई भी सरकारी प्रयास तभी सार्थक होता है जब उसमें जनसाधारण की पर्याप्त भागीदारी होती है। वृद्धजनों की संख्या तो वास्तव में एक पारिवारिक समस्या है। घरेलू स्तर पर यदि इस समस्या के निवारण की पहल की जाय तो सरकारी प्रयास और भी अधिक प्रभावकारी भूमिका निभा सकेगा।

अध्ययन से संबंधित शोध कार्य:

1. बंदनारानी द्वारा 1988(1) में वृद्धजन संस्थाएं तथा प्रध्याक्षाएं: समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जनपद विजनौर का अध्ययन विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से पीड़ित वृद्धजनों की स्थिति से सम्बंधित है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि मात्र 22.29 प्रतिशत वृद्धों की सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों में सहभागिता है।
2. सुमनरानी सिन्हा ने 2007(2) में वृद्धजनों का समाजशास्त्रीय अध्ययन इलाहाबाद के सेवानिवृत्त की समस्याओं पर अपना शोध कार्य किया था। उनके अनुसार 18.34 प्रतिशत वृद्ध नौद कम आने के शिकार है तथा 16.66 प्रतिशत वृद्धजनों की स्मरण शक्ति कमजोर हो।
3. डॉ. अंजु शुक्ला का शोध कार्य वृद्धों की समस्याएं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन विलासपुर नगर के विशेष संदर्भ में है। (3) जिसमें उन्होंने पाया कि परिवार के सदस्यों द्वारा सम्मान में कमी तथा उपेक्षापूर्ण रवैया आदि उनकी प्रमुख समस्याएँ थी।
4. सर इरुदया राजन मार्च 2010(4) 'मोबाफिंग एजिंग एन्ड एम्प्लायमेंट इन इन्डिया' इन्होंने ने अपने अध्ययन में पाया कि भारत के वृद्धों की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। औसतन यह कहा जा सकता है कि 18 से 20 वर्ष में अधिकांश लोग 60 वर्ष से ऊपर के होंगे। जो कि 2051 में 298 लाख और 2101 में 500 सौ 5 लाख हो जाएगी। 2051 तक 20 प्रतिशत लोग वृद्ध होंगे। इनमें से 75 प्रतिशत ग्रामीण लोग होंगे। 2001 की रिपोर्ट के अनुसार 30.1 प्रतिशत वृद्ध बिना साथी के जी रहे हैं जिनमें 15 प्रतिशत वृद्ध विधुर पुरुष हैं तथा 50.1 प्रतिशत विधवा हैं।
5. प्रो. महेश शुक्ला (समाजशास्त्र किया) 'ग्रामीण वृद्धों की चुनौतियाँ' भारतीय समाज विज्ञान परिषद-ग्रामीण वृद्धों की समस्या से बढ़ रही है। (5) उपेक्षा तिरस्कार के सामाजिक के साथ आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएँ उन्हें बेचैन किये हुए हैं। शासन की बहुत सारी योजनाएँ हैं लेकिन अज्ञानता और असहायता के कारण से उनका लाभ नहीं पर रहे है।

शोध के उद्देश्य - शोध के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, क्योंकि उद्देश्य के बिना शोध दिशाहीन होता है। शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. वृद्ध लोगों की पारिवारिक एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना।
2. परिवार के सदस्यों और अन्य रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली देखभाल के संबंध में वृद्धों के विचारों को जानना।
3. वृद्ध लोगों की विभिन्न समस्याओं के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त

करना।

4. वृद्ध लोगों की जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
5. वृद्ध लोगों की बीमारियों एवं उनके उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
6. समाज में वृद्धों के देखभाल के प्रति लोगों में जागरूकता लाना।

उपकल्पना - शोधार्थी द्वारा बनाई गई उपकल्पना इस प्रकार है :

1. वृद्ध लोगों को पारिवारिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करने में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
2. परिवार के सदस्यों और अन्य रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली देखभाल के संबंध में वृद्धों के विचारों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
3. वृद्ध लोगों की विभिन्न समस्याओं के कारणों के बारे में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
4. वृद्ध लोगों की जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

अध्ययन पद्धति एवं उपकरण - प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समको पर आधारित है। प्राथमिक समकों के संकलन के लिए समय में से सविचार निदर्शन विधि द्वारा रीवा जिले के नगर पंचायत मऊगंज के वृद्धों की स्थिति के बारे में 'ग्रामीण समाज में वृद्धों की समस्याओं' के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए 50 सूचनादाताओं से साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, आदि पद्धतियों का प्रयोग किया गया तथा सूचनाएं संकलित की गई, संकलित सूचनाओं का वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला गया प्रस्तुत शोध में आवश्यकतानुसार इंटरनेट का भी सहारा लिया गया है।

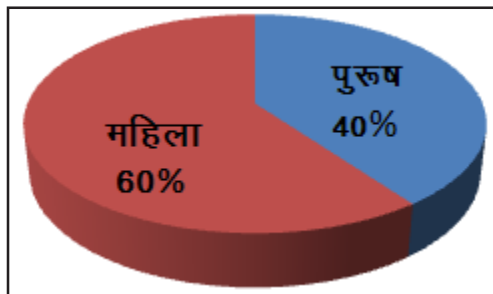
समाचार पत्र-पत्रिकाओं, लेखों, सरकारी रिकार्डों, तथा जनगणना आदि विभाग द्वारा भी द्वितीयक सामग्री संकलित की गई।

शोध क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण - प्रस्तुत शोध में 'वृद्धजनों की समस्या एवं परिवर्तनशील स्थिति' के बारे में अध्ययन किया गया है। जिला रीवा के जवा तहसील के संदर्भ में अध्ययन किया जो रीवा से 70 किलोमीटर दूर स्थित है जो एक नगर पंचायत है। जिसकी कुल जनसंख्या 26420 है, जिसमें से पुरुष 13589 एवं महिलाएँ 12831 है एवं 1000 पुरुषों के अनुपात में 940 महिलाएँ हैं। जवा नगर पंचायत जिला रीवा के 50 वृद्धजनों का चयन उद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण- प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों के संकलन के पश्चात् प्राप्त तथ्यों को समानता एवं भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत, सारणीयन कर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का विश्लेषण किया गया है। वृद्धजनों में महिला एवं पुरुष दोनों ही पाये जाते हैं।

सारणी क्र. 01 - सूचनादाताओं की लैंगित स्थिति को प्रदर्शित किया गया।

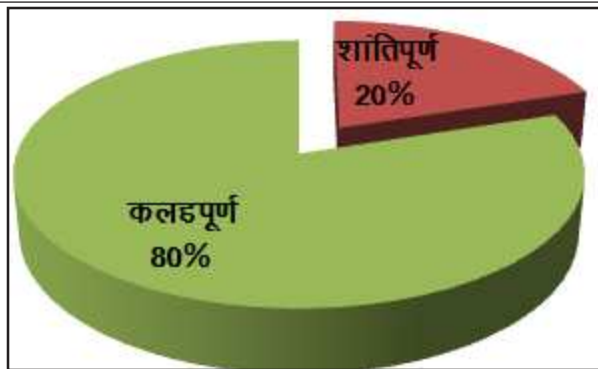
क्र.	लैंगित स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	पुरुष	20	40%
2	महिला	30	60%
	योग	50	100%



उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 60 प्रतिशत वृद्ध महिलाएँ हैं और 40 प्रतिशत वृद्ध पुरुष हैं।

सारणी क्र. - 02

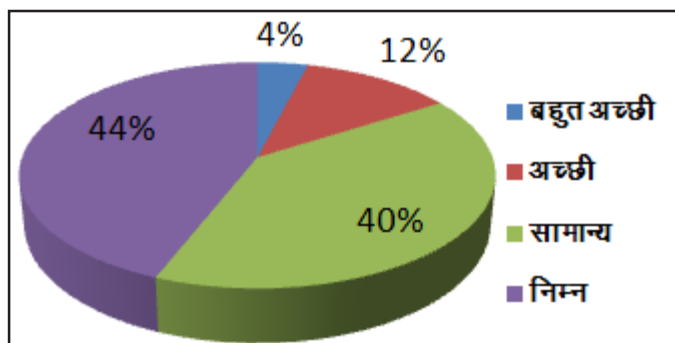
क्र.	परिवार के वातावरण की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	शांतिपूर्ण	10	20%
2	कलहपूर्ण	40	80%
	कुल	50	100%



उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में परिवार के वातावरण के स्थिति में शांतिपूर्ण 20 प्रतिशत है एवं कलहपूर्ण 80 प्रतिशत परिवार है।

सारणी क्र. - 03

क्र.	आर्थिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	बहुत अच्छी	2	4%
2	अच्छी	6	12%
3	सामान्य	20	40%
4	निम्न	22	44%
	योग	50	100%

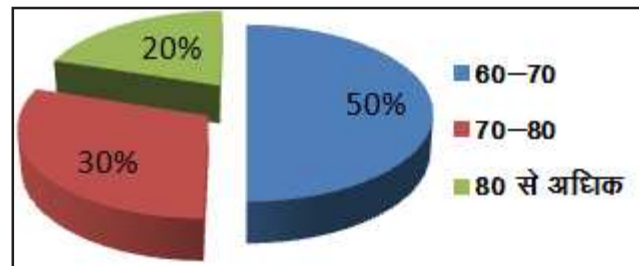


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी 4 प्रतिशत, अच्छी 12 प्रतिशत, सामान्य 40 प्रतिशत, निम्न 44 प्रतिशत

वृद्धों की स्थिति पायी गयी है।

सारणी क्र.04 : वृद्ध की आयु वर्ग की स्थिति

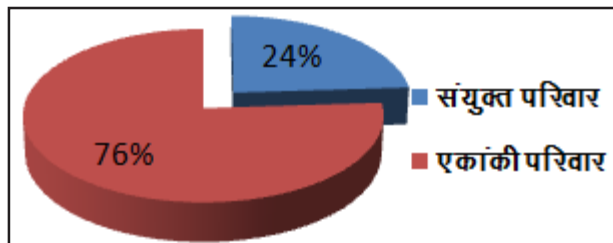
क्र.	आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1	60-70	25	50%
2	70-80	15	30%
3	80 से अधिक	10	20%
	योग	50	100%



उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में वृद्धों की आयु वर्ग की स्थिति से यह पता चलता है कि 60-70 वर्ष में 50 प्रतिशत, 70-80 में 30 प्रतिशत एवं 80 वर्ष से अधिक वृद्धों की 20 प्रतिशत है।

सारणी क्र.05 : परिवारिक स्थिति

क्र.	परिवार का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1.	संयुक्त परिवार	12	24%
2.	एकाकी परिवार	38	76%
	योग	50	100%



उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट हो रहा है। कि संयुक्त परिवार 24% एवं एकाकी परिवार 76% पाया गया जिससे सिद्ध होता है कि संयुक्त परिवार का महत्व कम होता जा रहा है तथा एकाकी परिवार का औसत बढ़ता जा रहा है। तथा आज लोग एकाकी जीवन जीना पसंद करने लगे हैं।

अस्वस्थता के कारणों का विवरण-

क्र.	बीमारी का कारण	संख्या	प्रतिशत
1	मानसिक दबाव	10	20
2	अधिक शारीरिक श्रम	10	20
3	उचित तथा भरपेट आहार का अभाव	12	24
4	परिजनों द्वारा उपेक्षा व देखभाल न होना	18	36
	योग	50	100%

परिवार में सामंजस्य न होने पर मानसिक दबाव को अपनी बीमारी का कारण बताया। आज पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण जैसी बहुआयामी प्रक्रियाओं ने संयुक्त परिवार की संरचना को छिन्न-भिन्न कर दिया है। फलस्वरूप परिवार तथा समाज के ढाँचे में वृद्धजन अवांछनीय हो गए हैं। वृद्धजनों का परिजनों द्वारा डांटना, धमकाना, गालियाँ देना, निंदा करना, उपहास करना, अपमान करना तथा मानसिक

पीड़ा देना आदि असम्मानजनक स्थितियों के आदि कारण है। हम जानते हैं कि भारत में रहन-सहन, खाने-पीने की स्थिति का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। इसके परिणामस्वरूप वृद्धावस्था में अधिकांश वृद्धों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है।

वृद्धावस्था की एक प्रमुख समस्या स्वास्थ्य संबंधी है हम जानते हैं कि भारत में रहन-सहन, खाने-पीने की स्थिति का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। इसके परिणामस्वरूप वृद्धावस्था में अधिकांश वृद्धों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है।

निष्कर्ष— वृद्धजनों का परिवार में अभियोजन स्वयं में एक जटिल समस्या है जिसे संकलित तथ्यों के आधार पर विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। संकलित तथ्यों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवार के अन्तर्गत वृद्धजन अभियोजित न होने की स्थिति में विविधा प्रकार के तनाव की स्थितियों का सृजन करते हैं जिससे वे स्वयं तो प्रभावित होते हैं, परिवार के सदस्य भी उससे प्रभावित होकर उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। परिवार के सदस्यों के व्यवहार एवं विचार के मूल्यांकन के संदर्भ में तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि परिवार के सदस्य वृद्धों के साथ अदृष्टा व्यवहार नहीं करते हैं और यदि करते भी हैं तो उसमें उनकी स्वार्थपूर्ण बेवसी होती है। यह सार्वभौमिक सत्य कि वृद्धजनों की देख-रेख करने वालों के संदर्भ में पुत्र एवं पुत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्यों के बीच तनाव एवं झगड़ा स्वार्थयुक्त आवश्यकताओं के कारण होता है। समुदाय और परिवार कल्याण सेवाएँ स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से वृद्ध लोगों के किसी आय का साधन एवं राज्य सरकारों द्वारा दी गई वृद्धावस्था पेंशन की सहायता निरंतर दी जाती रहनी चाहिए।

आज भारत में जहां वृद्धों की संख्या तेजी से बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण ने, बच्चों में माँ-बाप से जोड़े रखने वाले पुराने संस्कारों व रीतियों की बजाय आज का समाज अपना देखो, खाओ पियो की शैली अपना रहा है जो वृद्धों को दिन प्रतिदिन उपेक्षा का शिकार होने के लिए धकेल रहा है। लोगों में आज संस्कारों व स्थितियों में बदलाव तेजी के साथ हो रहा है। आज वृद्धों के सामने पारिवारिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो वृद्धों के लिये असाध्य बीमारियों का कारण बनती जा रही हैं, जिससे वे जीवित रहने की इच्छा नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए आज अनेक देशों में 'मृत्यु का अधिकार' की मांग की जाने लगी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पारिवारिक उपेक्षा एवं प्राताइना उनकी सबसे बड़ी समस्या है।

सुझाव :

1. समस्त वृद्धों को शासन द्वारा वृद्धापेक्षान दिलाए का प्रयास किया जाए।
2. वृद्धों के एकाकीपन दूर करने के लिए उनको मनोरंजन की व्यवस्था की जाए।
3. चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये शासन द्वारा स्थानीय क्षेत्र में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं चिकित्सकों की अनिवार्यता की जाए।
4. वृद्धों के स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं व्यक्तिगत समस्याओं को जानने के

लिए महीने में शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए।

5. ठण्ड के दिनों में लिए वृद्धों के लिए गरम कपड़ों एवं अलाव की व्यवस्था की जाए।
6. वृद्धों के साथ परिवार में अदृष्टा व्यवहार किया जाना चाहिए।
7. सरकारी योजनाओं का लाभ यथा समय दिया जाना चाहिये।
8. वृद्धों को चलित स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बंदनारानी द्वारा 1988 में बृहज्जन संस्थाएं तथा प्रध्याक्षाएं: समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जनपद विजनौर
2. सुमनरानी सिन्हा ने 2007 में वृद्धजनों का समाजशास्त्रीय अध्ययन इलाहाबाद के सेवानिवृत्त की समस्याओं पर
3. डॉ. अंजु शुक्ला का शोध कार्य वृद्धाओं की समस्याएं एक समाजशास्त्रीय अध्ययन विलासपुर नगर
4. सर इरुदया राजन मार्च 2010 'मोबाफिंग एजिंग एन्ड एम्प्लायमेंट इन इन्डिया'
5. प्रो. महेश शुक्ल वैज्ञानिक अंक 22 गौरव प्रकाशन 'ग्रामीण वृद्धों की चुनौतियाँ' भारतीय समाज विज्ञान परिषद
6. डॉ. मुकजी आर.के. (1995) सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध प्रकाशन: धीरज बुक्स 355, गाँधी मार्ग मेरठ, पृ. 101
7. मित्र, प्रताप नारायण : वृद्ध निबंध संकलित पाठ्य पुस्तक, साहित्य भारती, भाग-2
8. श्रीवास्तव, कृष्ण मोहन : पौराणिक मिथको में वृद्ध (आलेख) वैदिक नवस्वदेश अवकाश अंक 10 दिसम्बर 2005
9. सिद्दीकी सिराजुद्दीन : आपकी सेवा निवृत्ति उपलब्धि, प्रकाशन भारत पेंशनल समाज रीवा 1980
10. त्रिपाठी, विधि : सार्थक एवं आनन्दमय वृद्धावस्था के रहस्य भारतीय परिदृश्य में एक अध्ययन, कौटिल्य वर्ष 2 अंक षष्ठम्
11. चौरासिया, अनीता : ग्रामीण वृद्धों की समस्याएँ, चोरगड़ी जिला रीवा विशेष सन्दर्भ में विन्ध्ययन रिचर्स जर्नल 2015.
12. डॉ. मदन जी.आर. (1970) समाज कार्य प्रकाशक, विवेक प्रकाशक जवाहर नगर, दिल्ली, पृ. 45
13. डॉ. बघेल डी.एस. (1997) सामाजिक अनुसंधान, गायत्री पब्लिकेशन पृ. 15
14. डॉ. मुकजी आर. के. (1995) सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध प्रकाशक: धीरज धुक्स 355, गाँधी मार्ग मेरठ, पृ. 101
15. डॉ. अखिलेश एस. परिवार कल्याण गायत्री पब्लिकेशन रीवा (म.प्र.), पृ. 19 16. स्मारिका प्रान्तीय सम्मेलन : भारत पेंशनर समाज रीवा 1990-91
17. शर्मा के.एल. (1991) "A study of students stereo types towards aging" Indian Journal of Gerontology, 1 (1 d 2) पृ. 20-27।

नई शिक्षा नीति के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की जागरूकता : एक अध्ययन

डॉ. नीलम सिंह* डॉ. रंजू गुप्ता**

* प्राध्यापक, नेहरू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगरा – मालवा (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक, नेहरू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगरा – मालवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत में शिक्षा का इतिहास काफी प्राचीन है, जो हमें यह बताता है कि शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, शिक्षा से मानवीय गरिमा, स्वाभिमान, व्यवहार, भावनात्मक बदलाव आते हैं, शिक्षा मानव जीवन को सार्थक बनाती है, मानव जीवन पर्यन्त सीखता रहता है, ये शिक्षा से ही संभव है।

प्राचीन काल में शिक्षा गुरुओं के द्वारा बच्चों को प्रदान की जाती थी जिससे बच्चे गुरुकुल में जाकर शिक्षा अर्जित करते थे और अपने जीवन को सार्थक बनाते थे।

भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गाँधी जी के समय में आई, दूसरी 1986 में राजीव गाँधी जी के समय में इस शिक्षा नीति 1986 को 1992 में संशोधित किया गया इसके बाद राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 लायी गई है जो कि मोदी जी के समय में संभव हुआ, यह 34 वर्ष बाद आयी है।

शिक्षा प्रणाली को रोजगार परक, बहुउद्देशीय बनाया गया है। विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इसके अंतर्गत रोजगार मूलक महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है जो विद्यार्थियों को आगे रोजगार प्राप्त करा सके, नई शिक्षा नीति में समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

भारत में बदलती हुई शिक्षा प्रणाली को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के लिए कितनी उपयोगी है, क्योंकि भारत में शिक्षा प्रणाली में कितनी उपयोगी है। क्योंकि भारत में शिक्षा प्रणाली में कई बार सुधार किए गए हैं।

शिक्षा का महत्व – जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण साधन है यह हमें जीवन के कठिन कार्य करते समय चुनौतियों से सामना करने में सहायता करती है, शिक्षा स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से आवश्यक है। क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षित समाज का निर्माण पुरुष और महिला मिलकर ही कर सकते हैं।

शिक्षा मनुष्य के भीतर अच्छे विचारों का निर्माण करती है, मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। स्वस्थ समाज के निर्माण में सुरक्षित नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महात्मा गाँधी के अनुरूप शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।

शिक्षा ज्ञान प्रद है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, शिक्षा का महत्व युगो-युगो से चला आ रहा है पहले लोग महान पुरुष के

पास जाकर शिक्षाप्रद गुण अर्जित करते थे। गुरुओं के आश्रम में रहकर हर प्रकार की शिक्षा लेते थे फिर गुरुकुल भी बने, जहाँ वेद, पुराण का ज्ञान दिया जाता था।

शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमता का आँकलन कर सकता है जो बदले में एक मजबूत, एक जुट समाज को बनाने में बढ़ावा देती है। परिवार समुदाय और राज्य को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए मानव समाज के हर स्तर पर शिक्षा महत्वपूर्ण है। मानव के मस्तिष्क को बड़े स्तर पर विकसित करने का कार्य शिक्षा ही करती है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु होने तक जीवन पर्यन्त सीखता रहता है। सीखने-सिखाने की क्रिया शिक्षा के द्वारा ही संभव है। व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को विकसित करना, अच्छी आदत को विकसित करना शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, विवेक को विस्तृत किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति को समाज में सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य बनाया सके। शिक्षा के द्वारा ही किसी व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं और व्यक्तित्व का विकास करने की एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है जो व्यक्ति को जीवन का सही अर्थ समझाया जा सकता है। शिक्षा से ही उचित, अनुचित बताया जा सकता है।

शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण की आधार शिला है। शिक्षा का जीवन में गहरा संबंध है जीवन का आधार शिक्षा ही है किसी भी राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण आधार शिला शिक्षा पर ही आधारित होता है। उस राष्ट्र की शिक्षा पद्धति शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है। शैक्षिक पर्यावरण तथा नैतिक मूल्यों का विशेष महत्व है। यदि शिक्षा को रोजगार के अवसरों से जोड़कर देखा जाए तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्रणाली को रोजगारान्मुखी बनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के भविष्य को रोजगार परक महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित जानकारी को शामिल किया गया है, जिससे ग्रेजुएशन के उपरान्त विद्यार्थी को रोजगार प्राप्त हो सके उसे ध्यान में रखकर शिक्षा के महत्व को बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जैसे – चिकित्सा के क्षेत्र में स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके, आहार-पोषण, जैविक खेती व्यक्ति का विकास, बिक्री कौशल, कारपेन्टर वर्क, कम्प्यूटर के विषयों को सम्मिलित किया गया है, रोजगार के क्षेत्र में अधिक सफल हो ऐसे विषयों को महत्व दिया गया है।

नई शिक्षा नीति के उद्देश्य – इसका उद्देश्य बालकों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अतः बालकों के मन में श्रम के प्रति आदर,

रुचि उत्पन्न करना, हस्तकला के कार्य पर बल देना परम आवश्यक है। पाठ्यक्रम में विविध व्यवसायो को भी उचित स्थान मिलना चाहिए जो विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार उस व्यावसायिक विषय को चुन सके जिससे शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् रोजगार प्राप्त कर सके या स्वयं का व्यवसाय करने में सक्षम हो सके वही दूसरी ओर औद्योगिक प्रगति के कारण देश की आर्थिक दशा में भी सुधार हो सकेगा। आत्म संतुष्टि तथा राष्ट्रीय समृद्धि कार्य कुशलता द्वारा संभव है।

व्यक्तित्व का विकास नेतृत्व के लिए शिक्षा विद्यार्थी में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ-साथ चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, विद्यार्थी में कामनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता देश कर सकता एवं अखण्डता तथा अन्तराष्ट्रीय समाज को बढावा देना शिक्षा के माध्यम से ही सफल बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। जिसके तहत नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत लाने का उद्देश्य रखा गया है।

2020 की राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना, समान पाठ्यक्रम, समान अवसर, भाषाओं का विकास 2019 के मसौदे त्रिभाषा फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में 6 प्रतिशत G.D.P में खर्च किया जाएगा। इसमें पुरानी शिक्षा नीति 1986 के कमियों को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति 2020 को बनाया गया है जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों के भविष्य को रोजगार परक बनाया जा सके।

राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 को कृष्णा कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठन किया है।

शोध प्रविधि - 2020 की राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के विषय में जानकारी हेतु एक अध्ययन किया, शासकीय नेहरू पी.जी. महाविद्यालय आगरा में 2021-22 प्रथम वर्ष में प्रवेश लिए विद्यार्थियों सभी संकल्प के B.A. - 23, B.Sc. - 29, B.Com. - 15 विद्यार्थियों को शासित किया जिसमें अध्ययन के लिए प्रश्नावली के माध्यम से प्रयास किया गया है जिसमें कुल 67 विद्यार्थियों से प्रश्नावली को भरवाया गया।

विद्यार्थियों द्वारा भर्वाई गई प्रश्नावली का परिणाम तालिका - 1 में दर्शाया गया। जानने का प्रयास किया गया कि विद्यार्थियों की नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कितनी जानकारी है।

क्र.	प्रश्न	सही	प्रतिशत	गलत	प्रतिशत
1	भारत ने पहली शिक्षा नीति किस सन् में लागू हुई	32	47	35	52
2	राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है	64	95	3	5
3	राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कौन-सा रिसर्च कोर्स समाप्त किया	49	73	18	26
4	भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई	52	77	15	22
5	नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष कर दिया	48	71	19	28

6	नई शिक्षा नीति में स्नातकोत्तर कितने वर्ष का है	11	16	56	83
7	भारत में नई शिक्षा नीति कब तक लागू होगी	8	11	59	88
8	नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया	21	31	46	68
9	नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे	57	85	10	14
10	राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट से मंजूरी कब मिली	59	88	8	11
11	राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति किस शिक्षा नीति की जगह लाई गई है	65	97	2	3

परिणाम - राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के द्वारा दी गयी जानकारी नई शिक्षा नीति के विषय में पर्याप्त नहीं है। क्योंकि छात्रों के द्वारा प्रश्नावली के अध्ययन के अनुसार कुछ प्रश्न भारत में पहली शिक्षा नीति के बारे में छात्रों को ज्ञान कम है। 47 प्रतिशत सही 52 प्रतिशत गलत बनाए है जिससे दूसरा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य के विषय में 95 प्रतिशत सही और 4 प्रतिशत गलत है, विद्यार्थियों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जानकारी कम है। शिक्षा नीति 2020 में स्नातक कितने वर्ष या स्नातकोत्तर कितने वर्ष का है। इस विषय में छात्र भ्रमित है और उनकी जानकारी अधूरी है। 2020 नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली 88 प्रतिशत सही 11 प्रतिशत गलत नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष के बारे में भी 85 प्रतिशत सही 14 प्रतिशत गलत बनाइए है। स्नातक के विषय में 71 प्रतिशत सही सही 28 प्रतिशत गलत स्नातकोत्तर के विषय में 16 प्रतिशत सही 83 प्रतिशत गलत परिणाम है। नई शिक्षा नीति किस नीति पर लायी गई इसका 97 प्रतिशत सही 3 प्रतिशत गलत इसके परिणाम के अनुसार विद्यार्थियों को और अधिक जानकारी की आवश्यकता है। विद्यार्थियों का 2020 की नई शिक्षा नीति की ओर रुझान बढ़ा है।

निष्कर्ष - प्राप्त परिणाम के आधार पर राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा प्रणाली एक पद्धति के रूप में लायी गयी है जो विद्यार्थियों के लिए बहुउद्देशीय है। परिणाम के आधार पर :

1. राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 की जानकारी विद्यार्थियों को दी जाए।
2. राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में शामिल प्रोजेक्ट के विषय में विद्यार्थियों को बताया जाए क्योंकि जानकारी न होने की वजह से विद्यार्थी भ्रमित है।
3. राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव, व्यावसायिक विषय के बारे में जानकारी प्रदान की जाए।
4. विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर में किस विषय का चुनाव करे मेजर, माइनर में से इसकी भी जानकारी दी जाए।
5. राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में स्नातक, स्नातकोत्तर कितने वर्ष का है। इसमें विद्यार्थी भ्रमित है। इसकी भी जानकारी दी जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

ग्रामीण विकास में दुग्ध सहकारी संस्थाओं का योगदान

डॉ. गौरव विद्यार्थी *

* विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) फ्यूचर विजन कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

उज्जैन जिले का परिचय - प्राचीन अवन्ती जनपद की राजधानी "उज्जयिनी" तथा उज्जैन मध्यप्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में मालवा के पठार पर पवित्र क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है।

उज्जैन जिले में 6 विकासखण्ड व 7 तहसीलें हैं जिले के तहसीलों के नाम इस प्रकार हैं-बड़नगर, खाचरीद, नागदा, महिदपुर, तराना, उज्जैन, घटिया, उज्जैन जिला विध्यांचल गिरि के उत्तरी ढाल में एक पठार पर प्रसिद्ध क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन को प्राचीन में उज्जैनी, अवन्तिका, पद्मावती, कुमुदनी, अमरावती, कुशस्थली, कनकशृंगा विशाला आदि नामों से भी जाना जाता है।

भौगोलिक स्थिति - उज्जैन जिला मध्यप्रदेश के पश्चिम भाग में मालवा के पठार के मध्य स्थित है उज्जैन जिला 22°43' उत्तरी अक्षांश से 23°36' उत्तरी अक्षांश के बीच और 75°00' पूर्वी देशांश के बीच कर्क रेखा के समीप फैला हुआ है जिले की समुद्र से निकटतम दूरी 470 मील और समुद्र तट से औसत ऊँचाई 1698 फीट है।

जिले का कुल क्षेत्रफल 6091 वर्ग किलोमीटर है जो कि पूर्व में पश्चिम की ओर लगभग 115 किलोमीटर फैला है।

शोध प्रविधि - वर्तमान युग आर्थिक उन्नति का युग है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एवं सुनिश्चित एवं पर्याप्त आय के द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उद्यत रहता है चूंकि भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है अतः यह कहा जा सकता है कि गाँवों की उन्नति/अवनति भारत की उन्नति/अवनति को प्रभावित करती है।

ग्रामीण भारतीय परिवेश में पशुओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है दुधारु पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ रहे हैं। आयों के समय से ही गाय को माता के सदृश मानते हुए पूजा की जाती है। धार्मिक भावना से जुड़ने के साथ आज पशु पालन आर्थिक उद्देश्य से भी जुड़ गया है जो कालान्तर में सहकारी दुग्ध व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ है वर्तमान परिस्थितियों में इसका महत्व और भी अधिक हो गया है। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन कृषि की एक ऐसी पूरक गतिविधि है, जो अधिकांश ग्रामीण परिवारों की निरन्तर अतिरिक्त आय का एक माध्यम है दुग्ध उत्पादन व्यवसाय अपनी कुछ चरित्रगत विशेषताओं जैसे शोध हो जाना, मौसमानुसार मांग व उत्पादन में अन्तर इत्यादि के कारण एक ऐसी विशिष्ट तथा गतिमान विपणन व्यवस्था की अपेक्षा करता है जो उत्पादन बहुल क्षेत्र से उपभोक्ता बहुल क्षेत्र तक दुग्ध का परिवहन कर सके।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन उद्योग का स्वरूप संगठित न होकर दूरदराज क्षेत्रों में फैले हुए छोटे-छोटे दुग्ध उत्पादकों पर निर्भर है, जिनके पास दुधारु पशुओं की संख्या मात्र 1-2 होती है तथा विपणन योग्य दुग्ध उत्पादन अल्प मात्रा में होता है।

अध्ययन का उद्देश्य एवं महत्व - देश की आर्थिक विकास में ग्रामीण क्षेत्र का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, विकास प्रक्रिया में मुख्यतः ग्रामीण परिवारों का योगदान रहता है। ग्रामीण परिवारों में अधिकांशतः कृषक परिवार हैं कृषि में प्रायः प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राकृतिक या अप्राकृतिक विपदाएँ दुर्घटनाएँ और बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव का प्रभाव पड़ता है इन सबको ध्यान में रखकर आधुनिक युग में कृषि के साथ-साथ दुग्ध व्यवसाय, विकास की गति में सम्मिलित होने का सबसे अच्छा प्रयास है भारत साकार के समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्यों की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण अंग यह है कि निर्धन वर्ग और सामान्य जनता को आवश्यक वस्तु उचित मूल्य पर मिले।

निजी क्षेत्र के दुग्ध व्यवसायियों द्वारा जनता को शुद्ध पौष्टिक दुग्ध उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। साथ ही ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को उनके दुग्ध का उचित मूल्य भी नहीं दिया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार के साथ-साथ सहकारिता के द्वारा भी गाँव में गरीब और पिछड़े वर्ग के किसानों एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए पशुपालन व्यवसाय को मुख्य रूप से विकसित करना है।

शोध प्रविधि :

प्राथमिक समंक - शोध कार्य करने के लिए शोधकर्ता ने शोध स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर अवलोकन, प्रश्नावली एवं साक्षात्कार द्वारा समंकों को एकत्रित किया जाता है व्यक्तिगत रूप से एकत्र की गई शोध सामग्री को प्राथमिक समंक कहते हैं।

द्वितीयक समंक - द्वितीय समंक से आशय उन सभी सूचनाओं तथा समंकों से होता है जिन्हें शोधकर्ता स्वयं अवलोकन द्वारा एकत्रित नहीं करता अपितु वह उनसे प्रकाशित एवं अप्रकाशित प्रलेखों, अभिलेखों, डायरियों, पत्र-पत्रिकाओं तथा विभिन्न विभागों से एकत्रित करता है।

ग्रामीण विकास में दुग्ध सहकारिता की भूमिका - ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध का उत्पादन किसानों तथा पशुपालकों द्वारा किया जाता है। सामान्यतया दुग्ध उत्पादक ग्रामीण क्षेत्र के आय के आधार पर सबसे कमजोर वर्ग के व्यक्ति होते हैं। अधिकांश दुग्ध उत्पादक भूमिहीन, छोटी अथवा सीमान्त जोत वाले किसान होते हैं। इनके पास कृषि उपज के लिए पर्याप्त आकार में

भूमि न होने के कारण कृषि की आय से इनकी रोजी-रोटी चलना संभव नहीं होता है देश में संयुक्त परिवार की व्यवस्था निरन्तर क्षीण हो रही है। फलतः ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश किसानों के पास जोत का आकार इतना कम हो गया है कि कृषि कार्य के लिए बैलों का पालना भी उनके लिए अनार्थिक हो गया।

ऐसी स्थिति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दुग्ध सहकारिताओं की भूमिका का सशक्त अनुभव देश में पहली बार गुजरात की अमूल सहकारी डेयरी की सफलता से हुआ है। इसी अनुभव के आधार पर दुग्ध विकास की “ऑपरेशन फ्लड” योजना को भारत के लगभग समस्त राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिता के माध्यम से ग्रामीणों को कई लाभ प्राप्त हुए हैं।

विज्ञान आज इतना उन्नत हो गया है कि वह किसी बात अथवा तथ्य को ही स्वीकार नहीं कर लेता है। लेकिन वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दूध ही एक ऐसा पदार्थ है जिससे मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक तत्व मौजूद है। विशेषज्ञों के अनुसार मनुष्य को जिन पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है उनका संतुलित सम्मिश्रण दूध में ही पाया जाता है। विशेषकर गौ-दुग्ध के बारे में तो विशेषज्ञों ने यहाँ तक कहा है कि अनेक स्तर के उपयोगी खाद्य पदार्थों को दूध देने की बजाय यदि दूध ही पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे तो स्वास्थ्य संरक्षण की समस्या सरलतापूर्वक हल हो सकती है। दूध ही कलयुग का अमृत है “दूध को ऐसा सम्बोधन उसके महत्व के कारण ही प्राप्त हुआ है” दूध जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है - उसकी व्याख्या एक सम्पूर्ण आहार के रूप में की जाती है इसलिए “दूध ही जीवन है” ऐसा कहा जाता है। हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थों वे पुराणों वेद उपनिषद् आदि में दूध के महत्व की चर्चा की गई है।

हरित क्रांति के परिणामस्वरूप कृषि योग्य भूमि से अधिकतम अन्न उत्पन्न जा रहा है अब कृषि उत्पादन भी भूमि की उर्वरा क्षमता के सर्वोपरि बिन्दु के आसपास पहुँच गई है, अर्थात् कृषि भूमि की उत्पादन क्षमता की भी सीमा है, जिससे अधिक उत्पादन करना संभव नहीं हो सकेगा। अतः

ग्रामीणजनों को कृषि के साथ-साथ आय के अन्य स्रोत उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि कृषक अपने परिवार का पालन पोषण, कुशलतापूर्वक कर सकें और उन्हें रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़े। इस दृष्टि से पशुपालन द्वारा दुग्ध उत्पादन को सर्वथा उपयुक्त पाया गया।

दुग्ध सहकारी समितियों की समस्याएँ एवं सुझाव - जिले की दुग्ध सहकारी समितियों को संघ के साथ कारोबार करने में दुग्ध करने, जाँच करने, भुगतान करने, परिवहन करने, दुग्ध की कमी और एस.एन.एफ. की जाँच करने के कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो कि निम्न है - **दुग्ध की माप व जाँच की समस्या** - जिले की अधिकांश दुग्ध सहकारी समितियों में दुग्ध की गलत माप, गलत जाँच और रिकार्ड की शिकायतें आम होती जा रही हैं। ये समस्याएँ आमतौर पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की बेईमानी या अनजाने में असावधानी के कारण पैदा होती हैं, जिनकी वजह से उत्पादकों तथा कर्मचारियों के मध्य हमेशा तनाव बना रहता है दुग्ध उत्पादकों ने तो इस वजह से समिति को दुग्ध देना भी बंद कर दिया है, जिससे समितियों का दुग्ध संकलन भी कम होता जा रहा है।

सुझाव - उपर्युक्त समस्या का समाधान करने के लिए दुग्ध समिति सहकारी समितियों में धनराशि के अभाव तथा संघ द्वारा समय पर समिति को भुगतान न देने के कारण कभी-कभी दुग्ध समितियाँ अपने दुग्ध उत्पादक सदस्यों को नियमित व समय पर भुगतान नहीं कर पाती हैं जिससे कई उत्पादकों के सामने वित्तीय समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं इसके अतिरिक्त कभी-कभी कर्मचारियों की कार्यकुशलता की कमी, लापरवाही तथा गलत हिसाब-किताब करने के कारण भी भुगतान में देरी हो सकती है, जिससे उत्पादकों में निराशा पैदा होती है और वे अपना दुग्ध पुनः निजी व्यापारियों को देने लगते हैं इसी समस्या के कारण उज्जैन दुग्ध संघ की कार्यशील दुग्ध समितियों में दुग्ध उत्पादक सदस्यों की संख्या पिछले कुछ वर्षों से लगातार कम होती जा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों पर प्रभाव

बलवान सिंह राजपूत* डॉ. प्रभुदयाल ज्ञानानी**

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक, स्वामी विवेकानन्द शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषक हितेषी) योजना है इसका संचालन कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। फसल बीमा योजना के द्वारा किसानों के ऋणों को कम करना तथा उनको लाभ पहुंचाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा किसानों को कर्ज से उपर निकालने के सरकार का एक प्राथमिक प्रयास रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा न्युनतम प्रमियम पर इसका भुगतान होता है एवं अनिश्चितकालीन घटनाओं से यह बचाता है।

प्रस्तावना – किसानों की फसलों के उत्पादन में विफलता एवं प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बर्बाद हो चुकी फसलों पर हानि से बचाने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 से कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा की गई थी जिसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवाकर नुकसान होने पर फसल की हानि से आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। भारत में किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान मसम की वजह से झेलना पड़ता है। ठंड में फसलों में पाला लगने तथा बरसात में अतिवृष्टि अथवा अल्पवृष्टि से सामना हो ही जाता है। इन परेशानियों से किसान कई बार आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। सरकार ने किसानों की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बर्बाद हो चुकी फसलों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुबावजा देने का कार्य करती है। इस योजना के तहत किसान ऑनलाइन तरीके से बीमा करवा सकते हैं तथा फसलों के इस आपसीजनक समय से छुटकारा पा सकते हैं।

परिकल्पना:

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान हितेसी है अथवा नहीं
2. क्या इस योजना का लाभ बड़े कृषक ही उठा पाते हैं
3. प्रमियम भुगतान महंगा एवं जटील तो नहीं

शोध प्रविधि एवं समंक संकलन – प्रस्तुत परिकल्पना के परिक्षण हेतु केवल द्वितीय समकों का प्रयोग किया गया है तथा किसान कल्याण विभाग एवं मंत्रालय की मदद से ही परिकल्पनाओं का परिक्षण सम्भव हुआ है।

योजना के उद्देश्य – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल में हुए नुकसान से बचाने हेतु सरकार का सकारात्मक प्रयास है जो कि निम्न उद्देश्यों को पूर्ण करता है।

1. अनपेक्षित घटनाक्रम के कारण फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना
2. किसानों की आय को सुदृढ़ करना ताकि वे अपने कृषि कार्य को जारी रख सकें
3. किसानों को नवीन व आधुनिक कृषि अभ्यास अपनाने के लिए

प्रोत्साहित करना।

4. कृषि कार्य हेतु ऐसा ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना जिससे किसानों की उत्पादन जोखिम से संरक्षा हो सके तथा कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा फसल विविधीकरण तीव्र विकास और प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त हो।

लाभार्थी किसान – अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले बटाइदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा अच्छादन के पात्र हैं। इस योजना के तहत ऋणी एवं गै-ऋणी दोनों प्रकार के किसान अपना बीमा करवा सकते हैं तथा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

बीमाकृत फसलें – खाद्यान्न फसलें (मोटे आनाज एवं दलहन) तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें।

जोखिम की आच्छादन एवं अपवर्जन – निम्न अवस्थाओं में इस योजना के अर्न्तगत फसल व जरोखिम जिनके कारण फसल का नुकसान हुआ है को आच्छादित किया जाएगा।

क. बाधित बुआई/रोपन – कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मसमी दशाओं में बुआई/रोपन न होने वाले नुकसान।

ख. खड़ी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक) गैर बाधित जोखिमों जैसे सुखे कृषि रोग, बाढ़, जलभराव, भुस्खलन प्राकृतिक आग्न दुर्घटना, आकाशीय बीजली, तुफान, चक्रवात, ओलावृष्टि, भवंर एवं बवडर के कारण होने वाले नुकसान का मुआवजा।

ग. फसल कटाई के अनुरान्त किसी फसल को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिए चक्रवात एवं चक्रवती वर्षा एवं गैर मसमी वर्षा के लिए बीमा कवरेज।

घ. स्थानीयकृत आपदाएं अधिसूचित क्षेत्र में प्रथक कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि जलभराव, भुस्खलन इत्यादि मामलों में सामान्य अपवर्जन युद्ध नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानिया दुर्भावनाजनित क्षतियों और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है।

प्रमियम की दर और सबसिडी:-

क्र.	मौसम	फसल	किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार
1.	खरीफ	सभी खाद्यान्न तिलहन फसलें एवं मोटे आनाज	बीमिंत राशी का 2.0 प्रतिशत अथवा वीमांकी दर जो कम हो
2.	रबी	सभी खाद्यान्न तिलहन फसलें एवं मोटे आनाज	बीमिंत राशी का 1.5 प्रतिशत अथवा वीमांकी दर जो कम हो
3.		खरीफ एवं रबी	

इ. हानिया मूल्यांकन प्रक्रिया

- राज्य सरकार की संयुक्त समिति और फसल क्षति से संबंधित मूल्यांकन बीमा कारक प्रत्येक जिले के लिए एस.एल.सी.सी.आई.आई. द्वारा फसल अवधि शुरू होने से पहले स्थापित एवं अधिसूचित किया जाना है।
- संयुक्त समिति अग्रिम भुगतान की पात्रता का निर्णय मौसम संबंधि आर्कई (सरकार द्वारा अधिसूचित उपलब्ध स्वचालित मौसम केंद्र) दीर्घकालिक औसत वर्षा आंकड़े/कृत्रिम उपग्रह चित्र आंकड़े और अधिसूचित बीमा इकाई स्तर पर अनुमानित उपज नुकसानों द्वारा अनुसमर्थित विवरण के आधार पर लेगी। नुकसान से संबंधित सूचना आदेश प्रतिकूल मौसमी अवधि से सात दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।
- उपर्युक्त विवरण को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण बीमा कंपनी एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा आधारभूत कारक जानने हेतु और नुकसान की सीमा जानने के लिए किया जा सकता है।
- अग्रिम भुगतान के लिए नुकसान की सीमा का निर्धारण करने के लिए महालेनोबित राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एम.एन.सी.एफ.सी.) की सूचना/सेवाओं का भी उपयोग किया किया जा सकता है।
- यदि प्रभावित फसल का अपेक्षित नुकसान अधिसूचित बीमा इकाई के सामान्य उपज के 50 प्रतिशत से अधिक है तो अग्रिम भुगतान किया जाएगा।
- अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया को निम्नांकित सूत्र के अनुसार किया जाएगा।

फसल बीमा कार्यक्रम के संचालन हेतु फसल बीमा पोर्टल - स्क्रा वित्त

मंत्रालय और अन्य हितधारकों के मरामर्श से चरणबद्ध रूप के निगरानी करने और वास्तविक समय सूचना प्रौद्योगिकी मंच पर सभी घटकों अर्थात् किसानों बीमा कंपनियों वित्तीय संस्थानों और सरकारी भिकरणों के एकीकृत करने का प्रयास कर रही है।

वेब आधारित गरीकृत सूचना प्रौद्योगिकी समाधान प्रक्रिया विकसित करने का प्रयोजन संवितरण सेवा की गति को तेज करना विखण्डित डाटा बेसे को एकीकृत करना संबंधित आंकड़ों की एकल प्राप्ति हस्तचालित प्रक्रियाओं को समाप्त करने के किसानों को महले की अपेक्षा अधिक सुचारु बीमा सेवाए देना है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने फसल बीमा के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है और विभिन्न कार्यों जैसे प्रक्रिया और प्रलेखनों का अंकीकरण सूचना डाटा बैंक तथा कार्यतंत्र का प्रसार प्रशासनिक प्रक्रिया का स्वचालन प्रमियम एवं दावा संगणना और संप्रषण आदि को सुनिश्चित करने के लिए एकल सूचना प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली में यह अभिकल्पित है कि मौजूदा कार्यक्रम प्रशासन प्रणाली को प्रभावित करने वाली समस्याओं का निदान करते हुए इसकी प्रभावकारिता में कभी करने वाले कारकों जो की किसानों को लाभ पहुंचने में देरी या रोका कर कारण बनते हैं जैसे चयनित/ स्तरित सूचना अभिसरण हस्त संचालित हस्तक्षेप बहचरणीय प्रक्रियाए दस्ताओं साक्ष्यों/सबूतों की जरूरत विलंबित/ त्रुटिपूर्ण सूचना देना इत्यादि को रोका जाए। अतः सूचना प्राप्त करने के लिए फसल बीमा वेब पोर्टल के साथ सीधे अथवस अंतरापृष्ठ के माध्यम से बैंकों बीमा कंपनियों राज्य सरकारों और उपज/मौसम डाटा प्रदाताओं से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी मंचों का एकीकरण त्रुटियों से बचने हितधारकों के बीच अपेक्षित जानकारी के समयबद्ध संचरण, दावों के शीघ्र निपटान, उचित अनुवीक्षण और योजनाओं के पारदर्शी प्रशासन, के लिए आवश्यक समक्षा गया। वेब पोर्टल के साथ सभी घटकों के सूचना प्रौद्योगिकी मंच का संपूर्ण आबंधन स्थापित होने पर सूचना संबंधी इलेक्ट्रानिक प्रवाह के कारण दावों का संसाधन शीघ्र सुनिश्चित होगा। इस समय यह पोर्टल 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में मौजूद है तथा इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में परिवर्तित किया जायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- www.shodhganga.com
- www.pmfby.in
- नई दुनिया (भोपाल)
- www.insurance.in

भाषा को समझने में साहित्य की भूमिका

रोशनलाल अहिरवार *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, शाहगढ़ (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भाषा हमारे विचारों एवं भावों के आदान-प्रदान का ध्वन्यात्मक माध्यम है। इसे मानवीय संस्कृति की विशिष्ट तथा श्रेष्ठतम उपलब्धि माना जा सकता है। भाषा संस्कार और निष्ठा का वाहक है यह सर्वविदित है कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भाषा है जिसका मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा की महत्ता के संदर्भ में प्राचीन ऋषियों ने लिखा है “**शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्मधिगच्छति**”¹ अर्थात् भाषा में पूर्णता प्राप्त कर लेने से मानव को परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है डॉ भोलानाथ तिवारी गहन अध्ययन अन्वेषण और चिंतन के बाद भाषा पर व्यापक दृष्टि डालते हुए अपने मंतव्य प्रस्तुत करते हैं- “भाषा व साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को प्रकट करते हैं”² अर्थात् भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से संसार में अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया जा सकता है।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि ‘साहित्य समाज का दर्पण है’। “साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी भाषा के साहित्य में समाज के ही गुण –अवगुण, अच्छाइयाँ –बुराइयाँ, रीति-रिवाज, परम्पराओं या सांस्कृतिक परिदृश्य का वर्णन लक्षित होता है। समाज भी साहित्य से ही सीखता है इसलिए माना जा सकता है जिसको पढ़ने में सबका हित, समाहित है वही साहित्य है। **आचार्य रामचन्द्र शुक्ल** ने कहा था कि “साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिम्ब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है”³

शब्द कुंजी – भाषा और साहित्य, सृजनात्मक भाषा, संचार, संचार भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, पत्रकारिता।

प्रस्तावना – भाषा और साहित्य का अटूट संबंध है भाषा के अभाव में साहित्य का निर्माण संभव नहीं तथा साहित्य से भाषा को संरक्षण प्राप्त होता है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। साहित्य से भाषा को एक नई पहचान मिलती है तथा समाज का पढ़ा लिखा वर्ग साहित्य को पढ़कर एवं अशिक्षित वर्ग सुनकर भाषा संबंधी विकारों को दूर करते हुए भाषा के ज्ञान का अर्जन करता है तथा भाषा की गहनता की इकाई को समझने का प्रयास करता है। विषय विशेषज्ञ भाषा की बारीकियों का विस्तार से अध्ययन करने में पूर्ण होते हैं साथ ही समाज, भाषा की मनोकूल आदर्श भाषा को जानने में सक्षम हो पाता है यह कार्य साहित्य को पढ़कर ही संभव हो सकता है।

विश्व में अनेक भाषाओं का प्रचलन है तथा अपनी-अपनी भाषाओं में साहित्य सर्जन किया जा रहा है जिस देश की भाषा जितनी समृद्ध होगी उस देश का साहित्य उतना ही समृद्ध होगा। भाषा के विविध रूप होते हैं जैसे- सर्जनात्मक भाषा, संचार भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, माध्यम भाषा, मातृभाषा आदि यह रूप हिंदी भाषा के संदर्भ में लिए गये हैं लेकिन अन्य भाषाओं में भी देशकाल परिस्थितियों के अनुरूप विविध रूपों को अध्ययन में शामिल किया जा सकता है वर्तमान समय में सर्जनात्मक भाषा, संचार भाषा और राजभाषा, राष्ट्रभाषा या संवैधानिक अधिकार प्रदत्त भाषा, साहित्य के निर्माण में चरम सीमा पर देखने मिलती हैं।

“सर्जनात्मक भाषा का पर्याय रचनात्मक भाषा है सर्जनात्मक भाषा का प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है इस भाषा में अनुभव और कल्पना का समन्वय होता है जिसके द्वारा कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण,

यात्रा वृत्तांत आदि की रचना होती है। सर्जनात्मक भाषा में रागात्मक तत्वों की प्रमुखता रहती है”⁴ अतः सर्जनात्मक भाषा के माध्यम से ही किसी भी भाषा में साहित्य का सृजन किया जाता है तथा अनेक विधाओं में लेखकगण साहित्यप्रेमी साहित्य का सृजन करते हैं जिसका अध्ययन साहित्य प्रेमी करते हैं तथा उस भाषा के जानकार होने के कारण जब वह साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए भाषा के नये-नये आयामों को ज्ञान संभव हो पाता है क्योंकि साहित्यकार अपनी भाषा में प्रवीण होने के साथ अपने आसपास समाज में गठित क्रियाकलापों को ध्यान में रखकर साहित्य का सृजन करता है। विभिन्न साहित्यिक उपादानों को ध्यान में रखते हुए साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र आदि निर्माण कर लिया जाता है तो यह साहित्य पाठकों के लिए ही होता है और पाठक उस भाषा के जानकार होने के साथ जब साहित्य का पठन पाठन करते हैं तो निश्चित ही उनको भाषा की गहनता तथा व्यावहारिकता के साथ साहित्य का लाभ और आनंद प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

संचार भाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग संचार माध्यमों में किया जाता है आज विश्व में संचार के साधनों में रेडियो, टेलीविजन और कम्प्यूटर इंटरनेट आदि प्रयोग में लाए जा रहे हैं इन संचार के माध्यमों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको संचार की भाषा कहते हैं यह भाषा विश्व की कोई भी भाषा हो सकती है जैसे- अंग्रेजी, चीनी भाषा, अरबी भाषा, फेंच भाषा आदि मूलतः जिस क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग समाज के द्वारा किया जाता है वह वहां संचार की भाषा होती है “कोलंबिया

एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्यूनिकेशन में 'कम्यूनिकेशन' अर्थात् संचार को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है - संचार के अंतर्गत अनुभवों, विचारों, संदेशों, धारणाओं, दृष्टिकोण, मतों, सूचना, ज्ञान आदि का आदान-प्रदान निहित है यह आदान-प्रदान या प्रेषण चाहे मौखिक हो या लिखित हो अथवा सांकेतिक, वस्तुओं और व्यक्तियों के परिवहन से भिन्न है। आशय यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्धपूर्ण संदेशों के प्रेषण को संचार कहेंगे।⁵

वर्तमान समय में संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर इंटरनेट साधन के रूप में निकल कर सामने आए हैं इन साधनों में संचार की भाषा के अंतर्गत शिक्षित तथा अशिक्षित समाज भी सुनकर, देखकर भाषा को समझ सकती है। तथा इन माध्यमों में भी साहित्यिक विधाओं का पूरक रूप धारावाहिक नाटक, फिल्म- कथा, उपन्यास आधारित धारावाहिक, समाचार आदि का प्रसारण दैनिक मिलता है। विभिन्न माध्यमों से जो साहित्य, समाज को परोसा जा रहा है उस साहित्य से समाज श्रव्य-दृश्य माध्यमों के द्वारा भाषा को समझता है तथा सीखता है।

संचार का एक सशक्त माध्यम प्रिंट मीडिया भी है इसको लिखित माध्यम भी कहा जाता है। जिसमें पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि सामग्री को लिया जाता है लिखित माध्यम भाषा के वैज्ञानिक तथा व्याकरणिक पक्ष को मजबूत करता है क्योंकि लेखन कार्य किसी भी भाषा में कठिन माना जाता है। इसलिए भाषा की समझ के लिए साहित्य आवश्यक है लेकिन भाषा की संरचना के लिए लिखित माध्यम भी प्रमुख है। वर्तमान में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के अलावा चौथा स्तम्भ पत्रकारिता का है। इस पत्रकारिता के माध्यमों में लिखित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यम आते हैं जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है यह माध्यम जनता की पहुंच से परे नहीं है अति सुलभ है जैसे- समाचार पत्र, पत्रिकाएं, न्यूज चैनल आदि पत्रकारिता साहित्य के माध्यम से भाषा की समझ विकसित होती है क्योंकि पाठक इन साधनों का प्रयोग करके प्रतिदिन पठन पाठन करता है और निश्चित ही कहा जाता है "करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान" अर्थात् जब प्रतिदिन किसी भी भाषा में लिखित सामग्री का अध्ययन किया जाएगा तो भाषा की पूर्णता हासिल हो सकेगी।

राजभाषा राष्ट्रभाषा या संवैधानिक प्रदत्त भाषा विशेष के संदर्भ में कोई भी राष्ट्र बिना समृद्ध भाषा के विकसित होने में अक्षम है ऐसा भाषा विद्वानों का मानना है इसलिए प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक भाषा है जिसके माध्यम से राष्ट्र सुगठित है भाषा की विविधताओं में से किसी एक भाषा को संवैधानिक अधिकार के द्वारा विशिष्ट भाषा माध्यम से राष्ट्र में प्रमुख स्थान दिया जाता है जिसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा या संवैधानिक प्रदत्त भाषा का दर्जा दिया जाता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि "जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों की पारस्परिक विचार-विनिमय का साधन बनाती हुई समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र बाँधाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं।"⁶ इस प्रकार किसी भी राष्ट्र में अनेक भाषाओं के होने के साथ जिस भाषा को विभिन्न मापदंडों के आधार पर प्रमुखता की श्रेणी में रखा जाता है उसे राष्ट्र भाषा कहते हैं।

राजभाषा के संदर्भ में "जिस भाषा का प्रयोग सरकारी प्रयोजनों के लिए सरकारी कार्यों में किया जाता है उसे राजभाषा (ऑफिशियल लैंग्वेज) कहते हैं कहते हैं।"⁷

राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है भारत देश में राष्ट्रभाषा हिंदी को माना गया है तथा राजभाषा संबंधित संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत राज्य अपने भाषिक आधार पर राज्य भाषा को चुन सकता है विश्व जगत में विभिन्न राष्ट्रों की अपनी राष्ट्रभाषा राजभाषा है तथा इन भाषाओं के जानने वाले, बोलने वाले लोगों की संख्या भी उस राष्ट्र में अधिक होती है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा के माध्यम से जनता प्रयोजनीय कार्यों को आराम से कर सकती है जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए नितांत आवश्यक है सरकारी कार्यालयों में जनता की भागीदारी राजभाषा के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है कानूनी भाषा राजभाषा प्रमुख अंग होती है तथा कानूनी भाषा साहित्य के माध्यम से ही आम जनता अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ भाषा की समझ को विकसित करती है क्योंकि राजकीय भाषा सामान्य भाषा से भिन्न होती है किसी भी राष्ट्र में प्रमुख भाषा के अलावा यदि अन्य भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में होता है तो उसका रूप स्वरूप भिन्न होता है इसको समझने के लिए उसके साहित्य विशेष का अध्ययन आवश्यक होता है।

अंततः देखा जाए तो कहा जा सकता है कि भाषा को समझने में साहित्य की भूमिका रहती है तथा भाषा के बिना साहित्य तथा साहित्य के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है दोनों का संबंध पाठक से है तथा पाठक विभिन्न भाषाई माध्यम, संचार माध्यम, साहित्य आदि के माध्यमों से अपनी जिज्ञासा के अनुसार अध्ययन करता है तथा जब साहित्य को पढ़ता है तो निश्चित ही साहित्य के ज्ञान के साथ उसकी भाषा में सुधार होता है तथा भाषा की समझ विकसित होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ अजयकुमार सिंह, मीडिया की बदलती भाषा, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद प्रथम संस्करण पृष्ठ सं. 27, 1
2. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल इलाहाबाद 53 वा संस्करण 2009, पृष्ठ सं. 1 प्रवेश।
3. डॉ विभा शुक्ला, हिंदी भाषा साहित्य इतिहास और काव्यंग विवेचन, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल, संशोधित 2010, पृष्ठ सं. 67।
4. प्रो. त्रिभुवननाथ शुक्ल, प्रयोजनमूलक हिंदी, मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल 2013, पृष्ठ सं. 11।
5. डॉ रामछबीला त्रिपाठी, प्रयोजनमूलक हिंदी, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, पृष्ठ सं. 10।
6. डॉ. रामनारायण पटेल, प्रयोजनमूलक हिंदी, राम प्रसाद एंड संस आगरा, पृष्ठ सं. 3।
7. डॉ. रामनारायण पटेल, प्रयोजनमूलक हिंदी, पृष्ठ सं. 4, राम प्रसाद एंड संस आगरा, पृष्ठ सं. 4।

शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरावस्था के विद्यार्थियों में आक्रामकता के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. अनामिका सरकार* वंदना श्रीवास्तव**

* प्राचार्य, ए.एस.ई. कॉलेज, भोपाल (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - शिक्षा एक सर्वव्यापी विषय है। नवजात शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है। उसे समाज के रीति-रिवाजों, आदर्शों व मूल्यों का ज्ञान नहीं होता। वर्तमान में विद्यार्थियों के व्यवहार के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किशोरों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, उनके जीवन से मूल्य गायब होते जा रहे हैं। इन सब में शिक्षा ही दोषपूर्ण प्रतीत होती है। विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासन हीनता का मुख्य कारण किशोरों में बढ़ती आक्रामकता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य विद्यार्थियों के आक्रामकता का मापन करना है। इसके लिए शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के 150- 150 विद्यार्थियों का न्यादर्श लिया गया। आक्रामकता का मापन रोमा पाल व नकवी द्वारा निर्मित मानकीकृत उपकरण का प्रयोग किया गया। आकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, मध्यमान व प्रामाणिक विचलन द्वारा किया गया। निष्कर्ष रूप में पाया कि शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के आक्रामकता स्तर में सार्थक अन्तर नहीं है।

प्रस्तावना - शिक्षा एक महत्वपूर्ण व सर्वव्यापी विषय है नवजात शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है उसे समाज के रीति- रिवाजों, आदर्शों व मूल्यों का ज्ञान नहीं होता। शनैः शनैः शिक्षा के औपचारिक व अनौपचारिक साधनों का प्रभाव बालक के मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास पर पड़ता है शिक्षा माता के समान पालन पोषण करती है, पिता के समान उचित मार्गदर्शन करती है शिक्षा हमारी समस्याओं को सुलझाकर हमारे जीवन को सुसंस्कृत बनाती है शिक्षा के अनौपचारिक साधनों के द्वारा तो व्यक्ति आजीवन सीखता रहता है परन्तु औपचारिक साधनों के द्वारा व्यक्ति जीवन प्रारंभ के कुछ वर्षों तक व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त करता है बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर व्यक्ति के किशोरावस्था तक अधिकांश शिक्षा पूर्ण हो जाती है।

किशोरावस्था- किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण काल है इस काल में जहां उसके भविष्य का निर्धारण होता है वही इसी काल में बालक के जीवन में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अनेक परिवर्तन होते हैं बिग व हंट के अनुसार परिवर्तन शब्द के द्वारा किशोरावस्था की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति की जा सकती है बालक अपने अंदर हो रहे विभिन्न परिवर्तनों से हैरान तथा परेशान रहता है इसी कारण स्टेनले हॉल ने कहा है कि 'किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तनकाल, वसंतकाल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहते हैं' किशोरावस्था को तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था भी कहते हैं।

किशोरों में आवेगों व संवेगों की बहुत प्रचलता होती है इसलिए वह विभिन्न अवसरों पर विभिन्न व्यवहार करता है वर्तमान में यदि हम किशोरावस्था के विद्यार्थियों के व्यवहार का अवलोकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि किशोरों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है उनके जीवन से मूल्य गायब होते जा रहे हैं विद्यार्थियों के अनुशासन हीनता के संदर्भ में मूल्यों का मूल्यांकन करने पर शिक्षा ही दोषपूर्ण प्रतीत होती है

आक्रामकता- विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण किशोरों में बढ़ती आक्रामकता है, आक्रामकता व्यक्ति के व्यक्तित्व का

हानिकारक पहलू है, जो उसके व्यवहार से प्रदर्शित होता है।

अध्ययनों से पता चला है कि अन्य आयु वर्ग की तुलना में किशोर विद्यार्थी अधिक आक्रामक होते हैं। आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार होता है जिसके कारण दूसरे को हानि पहुँचती है जिसका उद्देश्य किसी अन्य को हानि पहुँचाना होता है।

ये क्रोध की हिंसात्मक अविव्यक्ति है जो या तो शब्दों के द्वारा या मांसपेशियों की तीव्र गतियों के द्वारा प्रकट होती है। आक्रामकता अपने विस्तृत अर्थ में एक व्यवहार या स्वभाव है जो की शक्ति शत्रुता पूर्ण या हमलावर होता है यह व्यवहार भड़काने या उकसाने से सम्बंधित भी हो सकता है और नहीं भी, आक्रामकता का उद्देश्य दूसरे को हानि पहुँचाना या सापेक्ष सामाजिक प्रभावित बढ़ाना हो सकता है।

आक्रामकता व्यवहार का प्रकार है जो शारीरिक और शाब्दिक आक्रमण के द्वारा दिखता है यह दूसरे के विरुद्ध बाहर प्रदर्शित हो सकता है या आंतरिक रूप से स्वघात या आत्महत्या के रूप में अपने विरुद्ध भी हो सकता है प्रायः अधिकतर परिस्थितियों में यह एक अमान्य व प्रतिबंधित होता व्यवहार होता है और यह स्वमेव व्यक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है किशोरों में आक्रामकता के कई कारण हो सकते हैं परन्तु किशोरावस्था अपने आप में आक्रामकता का एक प्रमुख कारण है। इसलिए इसे तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था कहते हैं।

सम्बंधित साहित्य का अध्ययन:

1. कुमारी किशोर एंड मंडल (2017) ने पाया कि किशोरों में आक्रामकता का स्तर उच्च होता है तथा किशोर बालक, बालिकाओं की अपेक्षा अधिक आक्रामक होते हैं।
2. कौर एवं निवास (2017) ने अपने अध्ययन में पाया कि अशासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में ज्यादा आक्रामकता पाई जाती है। उच्च

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के आक्रामक व्यवहार एवं विद्यालयों के वातावरण के बीच नकारात्मक सम्बन्ध होता है।

- अग्रवाल, श्रीवास्तव (2016) ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि छात्र छात्राओं की अपेक्षा अधिक आक्रामक होते हैं लेकिन आयु एवं लिंग का आक्रामक व्यवहार पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

अध्ययन की आवश्यकता- किशोरावस्था शारीरिक मानसिक व अल्पबौद्धिक परिवर्तनों की अवस्था है ये यौवनारम्भ से परिपक्वता तक वृद्धि एवं विकास का काल है इस काल में विकास इतनी तीव्र गति से होता है की बालक अपने अंदर हो रहे परिवर्तनों से हैरान परेशान रहने लगता है। किशोर स्वयं सामाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तथा समाज में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं साथ ही अच्छे शैक्षिक प्रदर्शन व उच्च स्तरीय जॉब की आकांक्षा के कारण उनमें तनाव व कुंठा होती है जिसके कारण वे चिड़चिड़े व आक्रामक हो जाते हैं तथा उग्र व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं या फिर उनका ये व्यवहार स्वयं उनके लिए घातक साबित होता है क्रोध में वे आत्महत्या की बात तक सोचने लगते हैं इसी समस्या को ध्यान में रखकर अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की गई ताकि किशोरों को इस समस्या से उबरने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जा सके।

समस्या अध्ययन के उद्देश्य:

- किशोरावस्था के विद्यार्थियों के आक्रामकता स्तर का अध्ययन करना।
- शासकीय व अशासकीय विद्यार्थियों में आक्रामकता स्तर की तुलना करना।
- शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के बालकों में आक्रामकता स्तर की तुलना करना।
- शासकीय व अशासकीय विद्यालयों की बालिकाओं में आक्रामकता स्तर की तुलना करना।

परिकल्पना:

- शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के आक्रामकता स्तर में सार्थक अंतर नहीं होगा।
- शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के बालकों में आक्रामकता स्तर में सार्थक अंतर नहीं होगा।
- शासकीय व अशासकीय विद्यालयों की बालिकाओं में आक्रामकता स्तर में सार्थक अंतर नहीं होगा।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

इस शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा शासकीय व अशासकीय विद्यालयों का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया।

मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में संचालित शासकीय व अशासकीय विद्यालयों से 150-150 विद्यार्थियों का चयन किया गया।

उपकरण- आंकड़ों का संकलन रोमापाल एवं नकवी द्वारा निर्मित आक्रामकता मायनी के द्वारा किया गया, जिसके कुल 30 प्रश्न हैं।

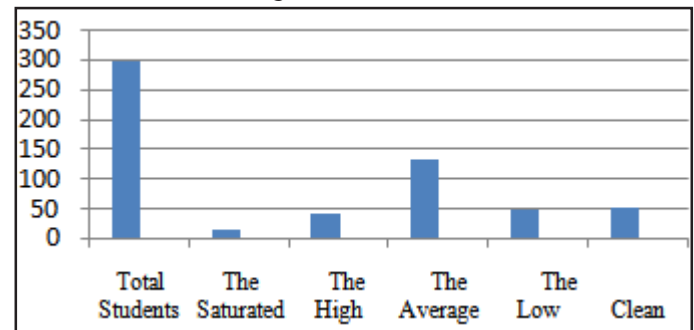
आंकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं टी परीक्षण प्रविधि द्वारा किया गया।

सांख्यिकी विश्लेषण- शासकीय व अशासकीय विद्यालयों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कर प्रतिशत, मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं टी परीक्षण के माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

टेबल क्रमांक 1: आक्रामकता का स्तर

कुल विद्यार्थी	The Saturated	The High	The Average	The Low	Clean
300	17	45	133	52	53
	5.66 %	15%	44.33 %	17.33%	17.66%

कुल 300 विद्यार्थियों के आक्रामकता स्तर का मापन करने पर 5.66% विद्यार्थियों में बहुत अधिक, 15% में उच्च, 44.33% में औसत, 17.33% में निम्न तथा 17.66% में बहुत कम आक्रामकता का स्तर पाया गया।



टेबल क्रमांक -2 :आक्रामकता बालकों में

	N	Mean	SD	t
शासकीय बालक	73	71.71	24.16	0.64
अशासकीय बालक	82	69.28	22.24	

शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के बालकों के आक्रामकता स्तर का मध्यमान क्रमशः 71.71 व 69.28 व t मान 0.64 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्रता अंश 153 के 0.05 सार्थकता स्तर पर तालिका मान 1.97 व 0.01 के सार्थकता स्तर पर तालिका मान 2.60 से कम है।

टेबल क्रमांक -3 : बालिकाओं में

	N	Mean	SD	t
शासकीय बालिका	77	64.22	23.45	1.65
अशासकीय बालिका	68	70.99	25.55	

शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के बालिकाओं के आक्रामकता स्तर का मध्यमान 64.22 व 70.99 व t मान 1.65 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्रता अंश 153 के सार्थकता स्तर 0.05 व 0.01 के तालिका मान 1.97 व 2.60 से कम है।

शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में

	N	Mean	SD	t
अशासकीय	150	73.84	51.55	1.42
शासकीय	150	67.22	67.22	

शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरावस्था के विद्यार्थियों के आक्रामकता स्तर का मापन करने पर मध्यमान क्रमशः 73.84 व 67.22 व t का मान 1.42 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता अंश 298 के सार्थकता स्तर 0.05 व 0.01 पर तालिका मान 1.97 व 2.59 से कम है

परिणाम एवं विवेचना :

- 300 विद्यार्थियों के आक्रामकता स्तर का मापन करने पर 5.66: विद्यार्थियों में बहुत अधिक, 15% में उच्च, 44.33% में औसत, 17.33% में निम्न तथा 17.66% में बहुत कम आक्रामकता का स्तर पाया गया।
- शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के बालकों के आक्रामकता स्तर

का मध्यमान क्रमशः 71.71 व 69.28 व त मान 0.64 प्राप्त हुआ जो कि 0.5 सार्थकता स्तर पर तालिका मान 1.97 व 0.01 के सार्थकता स्तर पर तालिका मान 2.60 से कम है। प्राप्त विश्लेषण के आधार पर मध्यमान में सार्थक अंतर नहीं है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

3. शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के बालिकाओं के आक्रामकता स्तर का मध्यमान 64.22 व 70.99 व ज मान 1.65 प्राप्त हुआ जो 0.05 व 0.01 के सार्थकता स्तर पर तालिका मान 1.97 व 2.60 से कम है मध्यमान में सार्थक अंतर नहीं है अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।
4. शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरावस्था के विद्यार्थियों के आक्रामकता स्तर का मापन करने पर मध्यमान क्रमशः 73.84 व 67.22 व ज का मान 1.42 प्राप्त हुआ है जो कि 0.05 व 0.01 सार्थकता स्तर पर तालिका मान 1.97 व 2.59 से कम है अतः मध्यमान में सार्थक अन्तर नहीं है। अतः शून्य पारिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष- निष्कर्षतः शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में औसत स्तर की आक्रामकता अधिक पाई गई तथा इनके विद्यार्थियों की आक्रामकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

शैक्षिक उपयोगिता- प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा किशोरावस्था के विद्यार्थियों में आक्रामकता स्तर को ज्ञात कर छात्रों के आक्रामकता को कम

करने के लिए उचित दिशा निर्देशन दिया जा सकता है तथा शोध अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से शिक्षा नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, आर., श्रीवास्तव. (2016). हाउ जेंडर एंड एज फेक्ट एग्जिस्टिव विहेवियर. विहेवियरल साइंटिस्ट. वाल्यूम.17, पृ.क्र.167-170, ISSN:0022-0671.
2. कुमारी, स्य, किशोर, जु., मंडल, आर.के. (2017). एक्रास सेक्शनल स्टडी ऑफ एग्रेसन अमंग स्कूल एडोलसेन्ट इन कर्नाटका इंडिया. इंडियन जर्नल ऑफ यूथ एण्ड एडोलसेन्ट हेल्थ. वाल्यूम.4, अंक.4,(2017).
3. कौर, ध., निवास, डॉ.रा. (2017). एग्जिस्टिव विहेवियर ऑफ सेकेण्ड्री स्कूल स्टूडेंट इन रिलेशन टू स्कूल एनवायरमेंट. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च. वाल्यूम.5, अंक.5, पृ.क्र.801-809, ISSN:2320-5407.
4. पाठक, पी. (2005). शिक्षा मनोविज्ञान. विनोद पुस्तक मंदिर आगरा पृ.क्र.
5. भार्गव, वृ., भार्गव, वि. मानव व्यवहार का मनोविज्ञान. भार्गव प्रकाशन, पृ.क्र.86.
6. मैवाल डा. ज्योति., पाटिल, डा. पी.के., विसोई, सी. वाल्यावस्था एवं विकास. ठाकुर प्रकाशन पृ.क्र.15, 16, 89, 95, 101

अनुपूरक आहार समय में प्रारंभ न करना कुपोषण के प्रमुख कारण का अध्ययन

डॉ. आभा गोयल* रेशमा सेन**

* प्राध्यापक (गृह विज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (गृह विज्ञान) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – बालक देश की अमूल्य निधि है। समाज व राष्ट्र की आधारशिला हैं। कल का भारत कैसा होगा, यह मुख्यतः वहां के नागरिकों पर निर्भर करता है। बालक ही समय के साथ पल-बढ़कर पढ़-लिखकर, सुसभ्य, सुसंस्कृत योग्य, कुशल व कर्मठ नागरिक बनते हैं तथा देश का उत्थान करते हैं। जिस देश के बालक अस्वस्थ, निर्बल कमजोर व अशिक्षित होंगे तो निश्चित ही वह देश गरीब, कमजोर व निर्बल होगा। इसलिए बालक का स्वस्थ एवं सुदृढ़ होना समाज के लिए बहुत आवश्यक है तथा एक जिम्मेदारी भी है।

बालक के जीवन का प्रारम्भिक वर्ष काफी महत्वपूर्ण होता है। इस समय जैसा बालक का स्वास्थ्य होगा वैसे ही उसके आगे का जीवन भी होगा। यदि बालक स्वस्थ होगा तो उसके सारे शारीरिक एवं मानसिक विकास भी सही समय में एवं अच्छे से विकसित होंगे जो उसके जीवन में सीखने एवं आगे बढ़ने में सहायक होगा। यदि बच्चे का पोषण का स्तर अच्छा होगा तो वह अपने सभी विकासात्मक प्रतिप्रतिमानों को समय में पूरा कर लेगा किन्तु अगर उसका पोषण का स्तर अच्छा नहीं होगा तो वह अस्वस्थ रहेगा एवं अपने उम्र के बच्चों से पीछे रह जायेगा।

शब्द कुंजी – अनुपूरक आहार, कुपोषण, बालक, पारिवारिक दायित्व।

प्रस्तावना – बाल्यकाल मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह अवस्था भावी जीवन का आधारशिला प्रस्तुत करता है, तभी कहा गया है “Child is the Father of Man.” बालक का जिस प्रकार शारीरिक विकास होगा उसी के अनुरूप सारे विकास परिलक्षित होंगे। अर्थात् यदि शारीरिक विकास उचित अवस्था अनुरूप होंगे तो वह अपने अन्य विकासों के प्रतिमानों को भी प्राप्त कर लेगा किन्तु यदि बच्चे का पोषण अच्छा नहीं होगा तो वह कुपोषित हो जायेगा तथा उसके सभी प्रकार के विकास प्रभावित हो जायेगा।

शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के सभी आन्तरिक एवं बाह्य अंगों के विकास से हैं, जैसे शरीर की लम्बाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांशपेशियों का विकास, आन्तरिक अंगों का विकास आदि। शारीरिक विकास के अन्तर्गत वे सभी कारक भी सम्मिलित होते हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं।

शारीरिक विकास की शुरुआत तो गर्भाधान के साथ ही प्रारम्भ हो जाती है। गर्भाधान के समय जिस गर्भित अंडाणु जिसे जाइगोट भी कहते हैं की आकृति मात्र एक सूई के नोक के बराबर होती है वही आकृति 9 माह की अवस्था को पूर्ण होते-होते एक 19”-20” लम्बा शिशु जिसका वजन 3-3.5 कि.ग्रा. होता है, एक अवस्था मानव शिशु बन जाता है, तथा जन्म के बाद उसका बाह्य वातावरण से सामना होता है तथा उसका पोषण छह माह तक उसके मां के ऊपर निर्भर रहता है।

बच्चों के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान महत्वपूर्ण है। जन्म के एक घण्टे के भीतर स्तनपान नवजात शिशुओं की मृत्यु के 20 प्रतिशत मामलों को कम कर देता है। नवजात शिशुओं को जिन्हें मां का दूध नहीं मिल पाता

उनकी स्तनपान करने वाले बच्चों की तुलना में निमोनिया से 15 गुना और पेचिश से 11 गुना अधिक मृत्यु की संभावना रहती है साथ ही स्तनपान नहीं करने वाले बच्चों में मधुमेह, मोटापा, एलर्जी, दमा, ल्यूकेमिया आदि होने का भी खतरा रहता है। स्तनपान करने वाले बच्चों का आईव्यू भी बेहतर होता है।

शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उचित पोषण बच्चों को जीवन में पढ़ने, विकास करने, सीखने, खेलने, भाग लेने और समाज में योगदान करने योग्य बनाता है जबकि कुपोषण संज्ञानात्मक क्षमता, शारीरिक विकास, प्रतिरक्षा प्रणाली को खराब करता है तथा बाद के जीवन में रोग (जैसे कि मधुमेह एवं हृदय रोग) उत्पन्न होने में जोखिम को बढ़ाता है।

जबकि कुपोषण कई तरीकों से प्रकट हो सकता है, अंतिम उद्देश्य समस्त बच्चों को सभी रूपों में कुपोषण से मुक्त करना है। हालांकि कई शिशुओं एवं बच्चों को उचित आहार नहीं मिलता है। उत्कृष्ट शिशु एवं बाल आहार पद्धति के माध्यम से बेहतर बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण उपाय निम्न लिखित हैं :-

(क) गर्भावस्था से पहले एवं गर्भावस्था के समय तथा स्तनपान के दौरान पर्याप्त मातृ पोषण

(ख) स्तनपान को बढ़ावा देना

- ❖ जन्म के एक घण्टे के भीतर स्तनपान कराना शुरू करना।
- ❖ जीवन के प्रारम्भिक छह माह तक स्तनपान कराना।
- ❖ रोग या बीमारी के दौरान स्तनपान कराना जारी रखना।
- ❖ माताओं एवं परिवारों को अपने बच्चों को उत्कृष्ट स्तनपान कराने के लिए सहयोग की आवश्यकता है तो उन्हें सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करना।

(ग) छह महीने की अवस्था में स्तनपान कराने के साथ पर्याप्त व सुरक्षित पोषण एवं अनुपूरक (ठोस) खाद्य पदार्थों की शुरुआत जिसे दो वर्ष या उससे अधिक उम्र तक स्तनपान के साथ जारी रखना।

मानव जीवन में शारीरिक विकास होना अत्यंत जरूरी है अन्यथा इसके अभाव में मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, खेल, अनुशासन आदि का विकास संभव नहीं है। एक कमजोर एवं निर्बल बालक से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह खेल के मैदान में जाकर खेलेगा और एक अच्छा क्रिकेट, फुटबॉल अथवा टेनिस का खिलाड़ी बनेगा। इसी प्रकार एक दुर्बल बालक से यह भी अपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है कि वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। कमजोर एवं निर्बल बालक का स्वास्थ्य स्तर अत्यन्त दयनीय होता है वह अपने स्वास्थ्य को लेकर ही परेशान रहता है। रोग उसे अपने चपेट में शीघ्रता से ले लेता है। जरा सा मौसम परिवर्तित होता है तो उसका शरीर आहत हो जाता है तथा वह बीमार पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में बालक का जितना मानसिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक अथवा बौद्धिक विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाता।

हम सभी जानते हैं "Healthy Mind resides in a healthy body" स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ बालक स्वयं ही पीड़ा एवं कठिनाईयों से ही नहीं उबर पाता है। उसके माता-पिता उसके स्वास्थ्य को लेकर चिन्तित रहते हैं। कमजोर एवं निःशक्त बालक का गामक (Motor) विकास भी विलम्ब से होता है। उसके हाथ पैरों की मांशपेशियां इतनी मजबूत नहीं हो पाती हैं कि वे अन्य बालकों के समान दौड़-धूप कर सके और उनसे प्रतिस्पर्धा कर सके।

अनुपूरक आहार – बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए छः माह के बाद स्तनपान के साथ अनुपूरक आहार का बहुत महत्व होता है। क्योंकि छहः माह के बाद बच्चे के पोषण की आवश्यकता केवल मां के दूध से पूरी नहीं हो सकती है जिसे पूरा करने के लिए ऊपर का आहार प्रारम्भ किया जाता है तथा साथ ही तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। स्तनपान से परिवर्तन काल परिवारिक खाद्य पदार्थों की शुरुआत को अनुपूरक आहार कहा जाता है। इसमें छहः महीने से लेकर चौबीस महीने की अवधि (अपितु स्तनपान दो साल और उससे ऊपर हो सकता है) शामिल है।

❖ अनुपूरक आहार पर्याप्त होना चाहिए – इसे स्तनपान कराने के दौरान पर्याप्त मात्रा में, लगातार, अनुकूल और बढ़ते बच्चे की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपयोग करके दिया जाना चाहिए।

❖ खाद्य पदार्थों को उचित तरीके से तैयार किया जाना चाहिए एवं सुरक्षित तरह से परोसा जाना चाहिए-जिसमें बच्चे को उम्र के अनुसार पर्याप्त अनुपूरक आहार दिया जाना चाहिए जिसमें बच्चे को उम्र के अनुसार पर्याप्त अनुपूरक आहार दिया जाना तथा मनोवैज्ञानिक सामाजिक देखभाल के सिद्धांतों को अपनाकर उत्साह पूर्वक अनुकूल वातावरण में आहार दिया जाना शामिल है।

❖ उत्साह पूर्वक अनुकूल आहार-दूध पीने वाले शिशुओं को सक्रिय देखभाल एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता होती जिसमें देखभालकर्ता को भूख के लिए बच्चे के संकेत को समझना है तथा उसे बच्चे को खाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। इसे सक्रिय या उत्साहपूर्वक अनुकूल आहार के रूप में जाना जाता है।

कुपोषण – यह सामान्य शब्द है जो असंतुलित या अपर्याप्त आहार के

कारण चिकित्सीय स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः ये अपर्याप्त आहार, खराब अवशोषण या पोषक तत्वों के अत्यधिक क्षरण में उत्पन्न अल्प पोषण को प्रदर्शित करता है बार-बार संक्रमित बीमारियों के होने के कारण भी कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुपोषण के कारण मृत्युदर का खतरा बढ़ता है यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप मृत्यु का कारण बहुत कम है किन्तु 2001 में विकासशील देशों में 54 प्रतिशत मृत्यु कुपोषण के कारण हुई है। उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण मृत्यु पाई गई थी।

कुपोषण के प्रकार – कुपोषण तीन प्रकार के होते हैं अर्थात् उसे तीन प्रकार के मानकों द्वारा पहचाना जा सकता है –

1. **कम वजन** – बच्चा कम वजन का तब माना जाता है जब उसका लिंग और उम्र के अनुसार मानक वजन की तुलना में कम है। कम वजन या तो हाल ही के कुपोषण या दीर्घकालीन कुपोषण या दोनों के प्रभावों के परिणामस्वरूप हो सकता है। अतः स्टंटिंग एवं वेस्टिंग नापने का यह एक संयुक्त तरीका है। इसका प्रयोग प्रायः जनसंख्या की पोषण स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है क्योंकि वजन को नापना आसान है। कम वजन को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

➤ मध्यम कम वजन

➤ अति कम वजन

2. **वेस्टिंग (दुबलापन)** – एक दुबला बच्चा वह है जिसका वजन उसकी लंबाई के अनुसार उसकी लंबाई एवं लिंग के मानक की तुलना में कम है। दुबलापन वर्तमान कुपोषण के परिणाम स्वरूप वजन में वृद्धि की कमी या वास्तविक वजन के वजन के घटने से होता है। एक दुबला बच्चा कमजोर तथा पतला दिखता है तथा उसके शरीर से धीरे धीरे वसा तथा मांशपेशियां नष्ट होती जाती हैं इसका कारण है अपर्याप्त आहार लेना, अनुचित खान-पान, व्यवहार, बीमारी संक्रमण या सभी।

3. **स्टंटिंग (ठिगनापन)** – एक ठिगना बच्चा वह है जिसकी उम्र के अनुसार लंबाई उसकी उम्र के एवं लिंग के अनुसार मानक लंबाई की तुलना में कम होती है। स्टंटिंग धीमी वृद्धि का सूचक है जिसका कारण है लंबे समय से अपर्याप्त आहार मिलना या बार-बार संक्रमण से ग्रसित होना। यह लम्बे समय से वृद्धि विफलता का सूचक है। प्रायः स्टंटिंग का परिणाम विलम्ब से मानसिक विकास, पढाई में पिछड़ना एवं बौद्धिक क्षमता में कमी के रूप में दिखता है।

पूर्व शोध साहित्य की समीक्षा :-

NFHS (National Family Health survey) 2015-16 के अनुसार मध्यप्रदेश में कुपोषण का प्रतिशत 9.2 है। भारत में बच्चों के गंभीर कुपोषण का उच्च स्तर (6.4) है। एक अनुमान के अनुसार भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या 81 लाख है। एन.एफ.एच.एस.-3 के अनुसार मध्यप्रदेश में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में (50 प्रतिशत) आधे बच्चों का ठिगनाकद है जिससे यह संकेत मिलता है कि ये बच्चे लंबे समय से कुपोषण का शिकार हैं। 35 प्रतिशत बच्चे अपनी लम्बाई के अनुसार दुबले या पतले थे जबकि 60 प्रतिशत बच्चे कम वजन वाले थे।

Shaili(2011) - (के अनुसार (41.20%) माताओं के बच्चे कम वजन वाले पाये गये जो अशिक्षित थे। (92.20%) माताएं गृहणी थी और बेरोजगार थी जहां अधिकतर बच्चे (88.46%) बच्चे कम वजन के थे। इन महिलाओं के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की कमी थी जिसके कारण वह

बच्चों को संतुलित आहार खिलाने में असमर्थ थी तथा कई बच्चे होने के कारण बच्चों को ध्यान भी नहीं दे पाती तथा अशिक्षित होने के कारण उनको पोषण आहार से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी। बहुत सी महिलाएं मजदूरी करने चली जाती हैं तथा बच्चों को घर में छोड़कर जाने के कारण वह बच्चों के खान-पान का ध्यान नहीं रख पाती हैं।

Alessandra (2012) - के अनुसार आर्म का एन्थ्रोपोमेट्री पोषण स्तर को नापने के लिए किया जाता है। कुपोषण के साथ ही इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों को देखा गया है जो कि क्लिनिकल आउटकम से संबंधित थी तथा इसके माध्यम से होने वाली अन्य समस्याओं की भी जानकारी प्राप्त हुई। पोषण के स्तर को नापने के लिए यह सबसे अच्छा माध्यम होता है एवं आसानी से किया भी जा सकता है तथा बहुत ही सस्ता माध्यम होता है।

शोध के उद्देश्य - किसी भी शोध के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है क्योंकि उद्देश्य के बिना शोध का कोई महत्व ही नहीं होता है।

शोध के उद्देश्य निम्न है- किसी भी शोध के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है क्योंकि उद्देश्य के बिना शोध का कोई महत्व ही नहीं होता है। शोध के उद्देश्य निम्न है -

1. कुपोषित बच्चों के शारीरिक विकास का अध्ययन
2. कुपोषित बच्चों के मानसिक विकास का अध्ययन
3. कुपोषण के कारण का अध्ययन करना।
4. कुपोषण के कारण जीवन में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
5. कुपोषण को दूर करने के उपायों का अध्ययन करना।
6. कुपोषण को दूर करने में पोषण पुर्नवास केन्द्रों की भूमिका का अध्ययन करना।
7. अभिभावक को कुपोषण के दुष्परिणामों से अवगत कराना।

शोध परिकल्पनाएं :

1. कुपोषण के कारण बच्चों का शारीरिक-विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा वह अपने उम्र के बच्चों की तुलना में पीछे रह जाता है।
2. कुपोषण के कारण बच्चों का बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।
3. कुपोषण का प्रमुख कारण छह माह के बाद अनुपूरक आहार शुरू न करना तथा छह माह तक केवल मां का स्तनपान न करना है।
4. कुपोषण के कारण बच्चों के सभी विकास देर से होते हैं।
5. कुपोषित बच्चों में मृत्यु का खतरा स्वस्थ बच्चों की तुलना में ज्यादा पाया जाता है।
6. कुपोषित बच्चों में संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है।
7. पोषण पुर्नवास केन्द्र कुपोषण को खत्म करने में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है।

शोध प्रविधि - किसी भी शोध कार्य को उद्देश्यहीन एवं ज्ञान रहित नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए कुछ कारकों से प्रेरित होकर ही शोध कार्य के लिए प्रेरणा मिलती है एवं उसके ऊपर कार्य किया जाता है। शोध कार्य में संबंधित विषय के वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया जाता है, प्राथमिक आंकड़ों स्वयं कार्यस्थल पर जाकर मूल स्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किए गए हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न प्रकाशित, अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि से एकत्र कर प्रयोग किए गए हैं।

अध्ययन क्षेत्र - प्रस्तुत अध्ययन सतना शहर के संबंध में है जिसकी कुल

जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 22,28,619 है। जिसमें से पुरुष 1156734 एवं महिलाएं 10,71,885 हैं एवं 1000 पुरुषों के अनुपात में 926 महिलाएं हैं। जिसमें बालिका का अनुपात 1000 में 913 है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुसूची वा साक्षात्कार विधियों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किये गये हैं जिसमें शोधार्थी द्वारा 200 बच्चों को लेकर शोध कार्य पूरा किया गया।

आकड़ों का वर्गीकरण और सारणीयन - अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों को प्राप्त करने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विश्लेषण एवं व्याख्या - प्रस्तुत अध्ययन में सतना जिले के समस्त 9 पोषण पुर्नवास केन्द्रों का चयन किया गया तथा वहां भर्ती कुपोषित बच्चों का चयन किया गया तथा माताओं से जानकारी एकत्रित की गई है।

तालिका क्र. 1: पोषण पुर्नवास केन्द्रों के चयनित बच्चों की संख्या

क्र	चयनित केन्द्रों का नाम	बालिका	बालक
1	सतना जिला अस्पताल	20	20
2	सिविल अस्पताल मैहर सतना	10	10
3	पोषण पुर्नवास केन्द्र नागौद सतना	10	10
4	पोषण पुर्नवास केन्द्र रामनगर सतना	10	10
5	पोषण पुर्नवास केन्द्र उचेहरा सतना	10	10
6	पोषण पुर्नवास केन्द्र अमरपाटन	10	10
7	पोषण पुर्नवास केन्द्र कोठी सतना	10	10
8	पोषण पुर्नवास केन्द्र मझगांव सतना	10	10
9	पोषण पुर्नवास केन्द्र रामपुर बाघेलान सतना	10	10
	कुल संख्या -9	100	100

जिले की समस्त 9 एनआरसी से बच्चों का चयन किया गया। जिसमें 100 बालिका तथा 100 बालक का चयन किया गया। जिसमें अध्ययन में पाया गया कि 100 बालिकाओं में 85 प्रतिशत में सम्पूरक आहार 6 माह की उम्र में प्रारम्भ नहीं किया था तथा 15 प्रतिशत में ही 6 माह में प्रारम्भ किया गया है किन्तु वह पर्याप्त मात्र में नहीं था। इसी प्रकार बालकों में भी 100 का अध्ययन किया गया। जिसमें 78 प्रतिशत में सम्पूरक आहार 6 माह में प्रारम्भ नहीं किया गया था तथा 18 प्रतिशत में ही 6 माह में प्रारम्भ किया। जिसके कारण बच्चों में कुपोषण का स्थिति उत्पन्न हो गई तथा उनके सभी विकासात्मक कार्य प्रभावित पाए गए।

निष्कर्ष :

1. प्राप्त आंकड़ों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि कुपोषण का एक प्रमुख कारण 6 माह में सम्पूरक आहार प्रारम्भ न करना है।
2. आंकड़ों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि अधिक बच्चे जो कुपोषित थे उनकी माता ने बच्चों को अन्नय स्तनपान नहीं कराया है।
3. बच्चों को 6 माह के पहले घूँटी, गाय का दूध एवं पानी दिया गया जिसमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया तथा बच्चों को लगातार डायरिया बना रहा तथा बच्चों का वजन घटता चला गया एवं वो कुपोषण की श्रेणी में आ गए।
4. अनुपूरक आहार जब प्रारम्भ किया गया तो वह पर्याप्त मात्रा में नहीं था जिससे बच्चों को पोषण की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई एवं वह कुपोषण की श्रेणी में आ गए।
5. अनुपूरक आहार में आवश्यक पोषक तत्व प्रोटीन कोर्बोहाइड्रेट वसा

- एवं विटामिन संतुलित मात्रा में प्रदान नहीं किए।
6. संपूरक आहार के साथ कम से कम 2 वर्ष तक स्तनपान नहीं कराया गया क्योंकि अधिकतर माताएं गर्भवती थीं।
 - सुझाव :**
 1. जन्म के तुरन्त बाद स्तनपान का आरम्भ, यदि हो सके तो 1 घण्टे के भीतर।
 2. प्रथम छह: माह के दौरान केवल स्तनपान अर्थात् शिशु को केवल मां का दूध दिया जाए तथा अन्य कोई दूध खाद्य पेय पदार्थ पानी जैसा कुछ नहीं।
 3. छह: माह की अवस्था के बाद सभी शिशुओं को स्तनपान के अलावा पूरक आहार देना प्रारम्भ कर देना चाहिए।
 4. दो वर्ष की आयु तक सतत स्तनपान तथा संतुलित पोषण आहार प्रारम्भ करना चाहिए।
 5. शुरुआत में 6 से 8 माह की अवस्था के बीच दिन में दो से तीन बार आहार देना चाहिए।
 6. बीमारी के दौरान एवं बाद में स्तनपान के साथ-साथ अधिक बार ऊपरी आहार खिलाना जारी रखे।
 7. यदि मां या बच्चा बीमार हो तब भी मां अपना दूध बच्चे को पिलाती रहे।
 8. बच्चे को अलग कटोरी में भोजन दें ताकि सुनिश्चित हो सके कि उसे पर्याप्त भोजन मिला है और उसने सही मात्रा में खाया है।
 9. 2-5 साल के बच्चों को पारिवारिक भोजन सहित अनेक प्रकार के आहार जैसे चावल, रोटी, दालें, सब्जियां पीले फल और दूध से बने पदार्थ खिलाएं।
 10. आहार में उपर से अतिरिक्त तेल/घी अवश्य डालें। जहां संभव हो वहां मांसाहारी भोज्य पदार्थ जैसे अण्डा, कलेजी, मछली को आहार में अवश्य सम्मिलित करें।
 - संदर्भ ग्रंथ सूची :-**
 1. डॉ. वृन्दा सिंह मानव विकास का अध्ययन
 2. डॉ. आभा गोयल मानव विकास का परिचय संस्करण 2016
 3. गंभीर कुपोषित बच्चों का संस्थागत प्रबन्धन 2014 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश (भारत)
 4. राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितम्बर इंटरनेट के माध्यम से।
 5. यूनाइटेड नेशनस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी न्यू दिल्ली 2004

कोरोना महामारी का पर्यटन उद्योग पर प्रभाव और चुनौतियाँ

रीमा शिन्दे * डॉ. प्रभुदयाल ज्ञानानी **

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक, स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – पर्यटन उद्योग वर्तमान में एक सुदृढ़ व्यवसाय बन चुका है जो रोजगार और विदेशी मुद्रा प्राप्ति का बेहतर स्रोत है लेकिन कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था का हर कोई क्षेत्र इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और सभी को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा है। अतः पर्यटन उद्योग भी पूरी तरह से डगमगा चुका है और गंभीर चुनौतियाँ सामने हैं।

प्रस्तावना – वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस महामारी के चलते सम्पूर्ण विश्व में लॉकडाउन किया गया जिससे पर्यटन की सभी गतिविधियाँ ठप हो गई और पूरे विश्व में ही पर्यटन उद्योग और इसके सहायक व्यवसाय जिससे होटल, परिवहन, टूर एजेंसी, टूर एजेंट और गाइड बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस महामारी के चलते घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के प्रतिबंधित होने से पर्यटन उद्योग को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने इसे सबसे बुरे संकटों में से एक बताया है। इसके अनुसार इस संकट ने तेजी से विकास कर रहे भारतीय पर्यटन उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इससे न केवल घरेलू पर्यटन उद्योग बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग भी प्रभावित हुआ है जिसे लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का सीधा नुकसान झेलना पड़ा है। पर्यटन उद्योग विश्वभर में लाखों लोगों के लिये आजीविका का अवसर प्रदान करता है। महामारी ने इस उद्योग को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित किया है। वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते विश्व के सभी देशों ने जैसे-जैसे महामारी फैली वैसे ही अपने देश में सम्पूर्ण लॉक डाउन करना शुरू कर दिया था, जिसमें सभी उद्योग व्यवसाय परिवहन सहित सभी सेवाएं सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बंद कर दिए गए ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। महामारी ने पर्यटन को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित किया है।

कोरोना महामारी का पर्यटन उद्योग पर प्रभाव

1. आर्थिक प्रभाव – पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का अर्थव्यवस्था पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ता है। और ये उद्योग अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्ष 2019 के आँकड़ों के अनुसार वैश्विक व्यापार में पर्यटन उद्योग ने कुल 7 प्रतिशत का योगदान दिया था। तथ वर्ष 2019 में भारत के पर्यटन उद्योग ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में तकरीबन 9.3 प्रतिशत का योगदान दिया था लेकिन महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लगभग सब आर्थिक गतिविधियाँ बंद होने के कारण पूरे विश्व में लोगों की आय के स्रोत बंद हो गए साथ ही लोगो ने अपनी बचतें भी अपनी दैनिक जरूरतों

को पूरा करने और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खर्चों में लगा दी है, अतः देखा जा सकता है कि हर स्तर पर आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। लोगो के पास नकदी की कमी है। व्यक्ति को घूमने-फिरने का विचार तभी आता है। जब उनके पास पर्याप्त पैसा हो अतः हर स्तर पर आर्थिक स्थिति डगमगा गई है।

2. आजीविका पर प्रभाव – कोरोना महामारी के कारण आजीविका पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। महामारी ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की गति को धीमा कर दिया है। पर्यटन उद्योग महिलाओं, ग्रामीण समुदायों और अन्य वंचित समुहों के लिए सदैव से ही आय का प्रमुख स्रोत रहा है। ऐसे में इस उद्योग पर महामारी के प्रभाव के कारण इन लोगों के समक्ष भी आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। कोरोना के कारण सम्पूर्ण विश्व में लॉकडाउन हो गया, जिससे सभी प्रकार के परिवहन रेल, बस, हवाई मार्ग ठप्प हो गए तथा आर्थिक संकट में आ गए और इससे जुड़े अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए जिससे पूरी तरह आजीविका प्रभावित हो गई।

3. सांस्कृतिक प्रभाव – पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देने और परस्पर संवाद तथा समझ का विकसित करने का एक प्रमुख माध्यम में से एक है। पर्यटन से अंतर्राष्ट्रीय समझ और सौहार्द बढ़ता है। तथा इसके माध्यम से देश-विदेश की संस्कृति को समझा जाता है। चूंकि महामारी के प्रभाव से पर्यटन उद्योग पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। सांस्कृतिक क्षेत्र में विरासत संरक्षण के जो प्रयास किए जा रहे हैं, रुक से गए हैं। तथा समुदायों विशेष रूप से स्वदेशी लोगों और जातीय समुहों के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने पर काफी दबाव पड़ा है। इस वैश्विक महामारी के कारण सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संवाद में स्थिरता आ गई है। तथा इसके प्रभाव से राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय रीति-रिवाजों और जीवन शैली को बुरी तरह से क्षति पहुंची है।

4. पर्यावरणीय प्रभाव – कोविड महामारी के कारण हर क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। परन्तु पर्यावरण एक ऐसा क्षेत्र है। जिस पर महामारी का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कोविड महामारी के चलते एक साथ देश और दुनिया में लाकडाउन लगाया गया। इससे न केवल उद्योग धंधे, कल-कारखाने बंद हो गए, बल्कि लोगो के वाहन चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इससे प्रदूषण स्तर बहुत कम हो गया। ग्रीनहाउस जैसे उत्सर्जन कम हुआ, जिससे हवा की गुणवत्ता अच्छी हो गई, नदियों का पानी स्वच्छ हो

गया, वन्य जीवों को नया जीवन मिला खास कर पशु तस्करी का खतरा कम हो गया। इस तरह कोरोना महामारी का पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव देखने को मिला, महामारी से मानवता को जरूर बड़ा नुकसान हुआ है लेकिन पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

5. सामाजिक प्रभाव- कोविड-19 महामारी के कारण समाज में एक प्रकार का भय फैला है। जिससे लोग एक-दूसरे के नजदीक जाने से बचते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है ताकि लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहे। इस महामारी का सबसे गंभीर प्रभाव उन परिवारों पर पड़ा है जिनके सदस्य इस बीमारी के चलते मृत्यु को प्राप्त हो गए जिससे उनकी पारिवारिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति डगमगा गई है।

महामारी का दूसरा सामाजिक प्रभाव नस्लभेदी प्रभाव का उत्पन्न होना है जैसा कि हमें मामूल है इस बीमारी की शुरुआत चीन से हुई है। इसलिए चीनी नागरिकों को आगामी कुछ वर्षों तक नस्लभेदी टिप्पणी का सामना करना पड़ सकता है जिससे उन्हें उपेक्षा का शिकार भी होना पड़ सकता है।

महामारी का तीसरा सबसे गंभीर सामाजिक प्रभाव उन समुदायों पर देखने को मिलेगा जो आर्थिक तौर पर बेहद पिछड़े हुए हैं जैसे घुम्मकड़, समुदाय के लोग, दिहाड़ी मजदूर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार इत्यादि इन समुदाय के लोगों पर इस महामारी का दोहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। पहला प्रभाव-रोजगार छूट जाने की ओर वर्तमान आय शून्य हो जाना। वही दूसरी तरफ किसी प्रकार की बचत ना होने की स्थिति में परिवार के भरण पोषण के दबाव से गुजरना एवं पारिवारिक कलह जैसी समस्या का उत्पन्न होना है।

महामारी का एक सामाजिक प्रभाव स्त्री विमर्श के नजरिये से भी देखा जा सकता है। लॉकडाउन की स्थिति में बच्चे, बुजुर्ग, वयस्क सभी अपने-अपने घरों में कैद थे तो ना चाहते हुए भी इस महामारी के दौरान महिलाओं के घर के कामों में अनावश्यक रूप से वृद्धि हुई जिसका प्रभाव महिलाओं की सेहत और मानसिक दबाव के रूप में देखने को मिल सकता है। इन सभी नकारात्मक सामाजिक प्रभावों के अलावा कुछ सकारात्मक प्रभाव भी इस कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है। इस दौरान सभी प्रकार के प्रदूषणों पर पूरी तरीके से अचानक रोक लग गई है जिससे नदी, हवा सभी के साफ होने प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ हुआ है।

6. राजनैतिक प्रभाव- कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और इसके प्रभाव से राजनीति भी अछूती नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 संक्रमण को वैश्विक महामारी घोषित किया है और इस संकट का सामना पूरी दुनिया कर रही है यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि पर्यटक स्थानीय नहीं होते वह राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय, अन्तराज्यीय दूसरे प्रदेशों से आए होते हैं। महामारी के चलते हर राष्ट्रीय सरकार ने स्थानीय

प्रशासनों द्वारा बाहरी व्यक्तियों के आने पर रोक लगा दी ताकि महामारी के द्वारा उठाये गए और सभी राष्ट्र की सरकारों के लिए यह एक चिंता का विषय है कि कैसे इस महामारी से निदान मिले और सभी राष्ट्र इससे बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस महामारी से विश्व सुरक्षित और स्वस्थ रह सके।

वर्तमान चुनौतियाँ- महामारी के कारण बंद पड़े पर्यटन व्यवसाय को दोबारा शुरू करना सबसे बड़ी चुनौति है पर्यटन उद्योग के सामने आई विभिन्न चुनौतियाँ निहित हैं।

- पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी स्थलों, परिवहन साधनों, होटलों सभी को सेनेटाइज करना और दोबारा से शुरूआत करना।
- पर्यटकों को पुनः आकर्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में प्रचार करना।
- पर्यटकों को महामारी से भयमुक्त कर उन्हें विश्वास दिलाना कि उन्हें कोई असुविधा और दुविधा नहीं होगी।
- आवश्यकता होने पर पर्यटन स्थलों पर सभी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- स्थानीय लोगों को भी विश्वास दिलाना कि बाहरी व्यक्ति वायरस से ग्रसित नहीं है।
- विभिन्न स्थलों पर चेक पाइंट बना कर चिकित्सा जाँच की व्यवस्था करना।
- पर्यटन की योजनाओं और नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना और उन्हें अधिक सुविधाजनक बनाना।

निष्कर्ष - कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान पर्यटन उद्योग पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि कोविड-19 संक्रमण के मामलों में गिरावट और वैक्सीन के वितरण की शुरुआत के साथ पर्यटन क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जगी है। इस महामारी के चलते सभी बातों का ध्यान रखते हुए पर्यटन उद्योग को दोबारा शुरू करने के लिए सरकार द्वारा पर्यटन नीति की समीक्षा कर उसे वर्तमान समय की मांग के अनुरूप बनाना होगा तथा पर्यटन की नीतियों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने हुए उन्हें और सुविधाजनक बनाना होगा जिससे यह उद्योग दोबारा से शुरू हो सकेगा और इसके अंतर्गत बेरोजगार हुए लोगों को पुनः अपना रोजगार मिल जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शोध गंगा
2. शोध गंगोत्री
3. समाचार पत्र-नवभारत, दैनिक भास्कर
4. इन्टरनेट के माध्यम से
5. पुस्तक-पर्यटन व्यवसाय एवं विकास
6. www.jagran.com

सिंचाई से खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन - झुंझुनू जिले के संदर्भ में

सुमन कुमार* डॉ. पूर्णिमा सिंह**

* (भूगोल विभाग) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

** (भूगोल विभाग) सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश - खाद्यान्न फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को प्रभावित करने कारकों में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सिंचाई सुविधा प्राप्त होने पर ही उर्वरकों एवं उन्नत बीजों तथा कृषि विधियों के प्रयोग से उत्पादन वृद्धि की जा सकती है। जहाँ वर्षा की अपर्याप्तता हो, वहाँ पर सिंचाई कामहत्व अधिक हो जाता है। झुंझुनू जिले में मरुस्थलीय धरातल तथा वर्षा की कमी से सिंचाई किया जाना आवश्यक हो जाता है। वर्तमान में कृषकों को सिंचाई सुविधा (कुँआ) होने से खाद्यान्न वृद्धि के साथ-साथ अन्य फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। जिले में सिंचाई के साथ-साथ उर्वरक रासायनिक खाद, जैविक खाद एवं उन्नत बीजों का प्रयोग भी बढ़ा है। अतः जिले में हरित क्रांति तथा पंचवर्षीय योजना का प्रभाव खाद्यान्न फसल उत्पादन में देखा गया है।

शब्द कुंजी - खाद्यान्न फसल, सिंचाई, उन्नत बीज, जैविक खाद, हरित क्रांति।

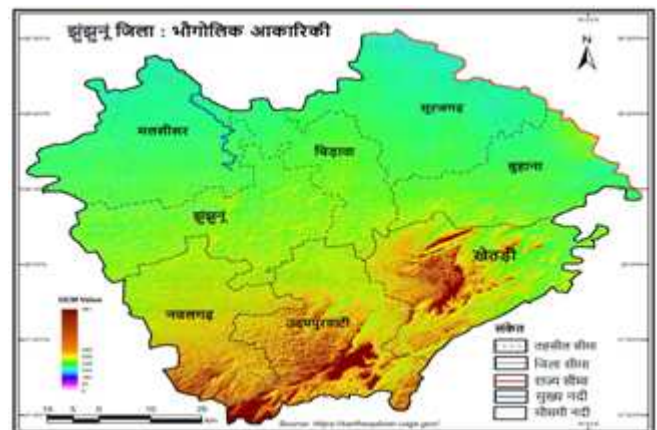
प्रस्तावना - वर्तमान समय में जनसंख्या के लगातार बढ़ने से खाद्यान्न की मांग अधिक हो रही है। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्नों का कृषि द्वारा अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाना आवश्यक है। खाद्यान्न उत्पादन का संबंध कृषि से है। कृषि भूमि का आधारभूत व्यवसाय है। कृषि के आधार पर ही औद्योगिक विकास एवं खाद्यान्न पूर्ति निर्भर करता है। अर्थात् कृषि ही औद्योगिक क्षेत्र को कच्चा माल की आपूर्ति करता है, साथ ही खाद्यान्न के रूप में मनुष्य एवं पशुओं को खाद्य आपूर्तिकर्ता है।

कृषि के अन्तर्गत झुंझुनू जिले में मुख्यतः खाद्यान्न फसल उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, खरीफ दलहन (मूंग, मोठ, चंवला) हैं। वर्तमान युग में कृषि में उन्नत साधनों के साथ-साथ सिंचाई का प्रयोग बढ़ा है। झुंझुनू की मरुस्थलीय धरातल होने तथा वर्षा की कमी के कारण सिंचाई का प्रयोग अधिक हुआ है। सिंचाई सुविधाओं के विकास का प्रभाव खाद्यान्न फसल उत्पादन के साथ व्यापारिक तिलहन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के रूप में देखा गया है। जिले में रबी उत्पादन में सिंचाई का प्रभाव अधिक रहा है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय - अध्ययन क्षेत्र राजस्थान प्रदेश के शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख जिला है। झुंझुनू जिला राज्य के उत्तर में स्थित है। जिले का अधिकांश भाग मरुस्थली है। जिले में वर्षा अनियमित, अनिश्चित एवं पर्याप्त होती है। जिले की मृदा मरुस्थलीय, बलुई एवं लाल-लोभी प्रकार की पाई जाती है।

जिले का अक्षांशीय विस्तार 27°38 से 28°31 उत्तरी अक्षांश तथा देशान्तरिय विस्तार 75°02 से 76°06 पूर्वी देशांतर तक है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 59.26 वर्ग किलोमीटर है। जिले की उत्तरी सीमा हरियाणा राज्य के महेन्द्रगढ़, एवं भिवानी जिले से संलग्न है। पश्चिम में चुरू जिला और दक्षिण एवं पूर्व में सीकर जिला अवस्थित है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 2137045 है। जिले का जनघनत्व 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले का लिंगानुपात 950 है। जिले

की कुल साक्षरता 74.13 प्रतिशत है, जिनमें पुरुष साक्षरता 86.90 एवं महिला साक्षरता 60.95 प्रतिशत है।



जिले में कोई बारहमासी नदी नहीं है, एक मात्र नदी कांटली है। उच्चावच के रूप में जिले के दक्षिणी-पूर्वी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, जो उदयपुरवाटी से प्रारम्भ होकर खेतड़ी सिंधाना तक फैली हुई हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य:

1. सिंचाई से खाद्यान्न फसल उत्पादन में परिवर्तनों का अध्ययन करना।
2. खाद्यान्न उत्पादन कारकों के प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना:

1. सिंचाई का कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

शोध प्रविधि एवं समकों का संकलन - झुंझुनू जिले में कृषकों का खाद्यान्न उत्पादन में सिंचाई के महत्व को जानने तथा नवीनतम जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया है। इस शोध पत्र में वैज्ञानिक पद्धतियाँ, वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक विधियाँ तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत

शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक सर्वे अंतर्गत झुंझुनू जिले की 8 तहसीलों में सेसविचार निर्देशन विधि द्वारा 4 तहसीलों (झुंझुनू, नवलगढ़, चिड़ावा, सुरजगढ़) का चयन किया गया है। चयनित तहसीलों में प्रतिदर्श गांव का चयन कृषि वर्ष 2019-20 के दौरान सर्वाधिक बोया गया खाद्यान्न फसल क्षेत्र आधार 5-5 गाँवों का चयन किया गया। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन विधि द्वारा प्रति दर्श गांव से 10 कृषकों का साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से झुंझुनू जिले में सिंचाई खाद्यान्न फसल उत्पादन में परिवर्तनों का अध्ययन किया गया। द्वितीय आँकड़ों का संकलन पूर्व प्रकाशित रिपोर्ट, पत्र-पत्रिकाएँ तथा शोध आदि से किया गया है।

सैद्धांतिक व्याख्या - झुंझुनू जिले में सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर खाद्यान्न फसल उत्पादन में परिवर्तन आया है, जो तालिका क्रम संख्या 1 में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 1 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका क्रम संख्या 1 द्वारा स्पष्ट है कि झुंझुनू जिले में सिंचाई साधन की अनुपलब्धता की स्थिति में गेहूँ के उत्पादन न्यूनतम 1.5 किंटल प्रति बीघा एवं अधिकतम 2.7 किंटल प्रति बीघा होता है जबकि सिंचाई की उपलब्धता की स्थिति में सिंचाई से पूर्व 2.4 किंटल प्रति बीघा एवं सिंचाई के पश्चात् 12.8 किंटल प्रति बीघा गेहूँ का उत्पादन होता है। स्पष्टतः सिंचाई सुविधाओं के विकास से झुंझुनू जिले में गेहूँ का उत्पादन में न्यूनतम 1 किंटल प्रति बीघा तथा अधिकतम 10.1 किंटल प्रति बीघा में वृद्धि हुई है, जो में अधिकतम 2.7 किंटली प्रति बीघा वृद्धि देखी गई है चना में न्यूनतम 2.2 एवं अधिकतम 4.1 किंटल प्रति बीघा वृद्धि हुई है। बाजरा तथा खरीफ दाल के उत्पादन में अधिकतम क्रमशः 9.2, 8 किंटल प्रति बीघा वृद्धि देखी गई है।

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने वाले कारकों का प्रभाव - फसल उत्पादन हेतु सिंचाई सुविधाओं के साथ अन्य महत्वपूर्ण कारकों का संतुलित रूप से उपयोग किया जाना आवश्यक होता है। मुख्यतः आधुनिक कृषि यंत्रों (ट्रेक्टर, कल्टीवेटर एवं अन्य) का प्रयोग, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक एवं उन्नत बीजों का प्रयोग में वृद्धि हुई है। जिले में सर्वेक्षण के दौरान पाया गया है कि रबी की फसलें कुल कृषि उत्पादन में एक तिहाई के समान हैं। किन्तु कुल उर्वरकों का दो तिहाई हिस्सा उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि इनके लिए सिंचाई की एक निश्चित मात्रा उपलब्ध है। परन्तु उनके दोहन हेतु साधनों का अभाव है। सर्वेक्षण में यह देखा गया है कि कुल भूमि में कृषि भूमि की उपलब्धता कम है। इस कारण कृषकों द्वारा खाद्यान्न उत्पादन अधिक किया जाता है। जिनमें मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, खरीफ दाल (मूंग, मोठ, चंवला) है। व्यापारिक खरीफ में बड़े पैमाने में सिंचाई की आवश्यकता होती है जिनका जिले में अभाव पाया जाता है। इसका मुख्य कारण गिरता भू-जल स्तर तथा स्तर ही जल का अभाव है।

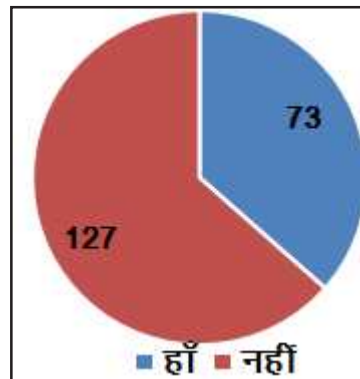
कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है। सतही जल की उपलब्धता से सिंचाई सुविधा का विकास किया जा सकता है।

सिंचाई के स्रोतों के विकास से फसल विविधकरण : प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर जिले में सिंचाई सुविधा के विकास में पश्चात् कृषकों द्वारा विभिन्न फसलों का उत्पादन अथवा फसल विविधकरण तालिका क्रम संख्या 2 में स्पष्ट किया गया है -

तालिका सं. 2 : सिंचाई सुविधा का विकास से फसल विविधकरण

क्र.	सिंचाई साधन की अनुपलब्धता की स्थिति में खाद्यान्न उत्पादन (किंटल में)	सिंचाई साधन की उपलब्धता की स्थिति में खाद्यान्न उत्पादन करने वाले कृषक	अन्तर (प्रतिशत में)
1	हाँ	73	36.5
2	नहीं	127	63.5
	कुल	200	100

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 से प्राप्त जानकारी के विश्लेषित समंक



तालिका क्रम संख्या 2 में स्पष्ट है कि जिले में सिंचाई सुविधा के विकास से फसल विविधकरण को अपनाने वाले कृषक 36.5 प्रतिशत हैं। जबकि 63.5 प्रतिशत कृषकों द्वारा फसल विविधकरण को नहीं अपनाया गया है। इसका मुख्य कारण कृषि भूमि का अभाव, कृषकों को आधुनिक तकनीक की जानकारी की कमी एवं कृषकों का पारम्परिक ज्ञान रीति-रिवाज हैं।

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने वाले कारकों का विश्लेषण - फसल उत्पादन किसी एक तत्व की पूर्ण उपलब्धता पर निर्भर नहीं बल्कि विभिन्न कारकों की संतुलित उपलब्धता पर निर्भर करता है। शोध क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण किया गया है, जिनका विवरण तालिका क्र. 3 में दर्शाया गया है-

तालिका सं. 3 : खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने वाले कारक

क्र	विवरण	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
1.	रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग	115	57.5	85	42.5
2.	कीटनाशकों का प्रयोग	111	55.5	89	44.5
3.	आधुनिक यंत्रों का प्रयोग	117	58.5	83	41.5
4.	उन्नतशील बीजों का प्रयोग	135	67.5	65	32.5
5.	जैव प्रौद्योगिकी	53	26.5	147	73.5
6.	वर्षा की पर्याप्तता	91	45.5	109	54.5
7.	बहुफसल पद्धति	105	52.2	95	47.5

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 से प्राप्त जानकारी के विश्लेषित समंक

तालिका 3 से स्पष्ट है कि खाद्यान्न फसल उत्पादन हेतु सिंचाई सुविधा के साथ अन्य महत्वपूर्ण कारकों का संतुलित रूप से उपयोग किया जाना उत्पादन वृद्धि में सहायक होता है। प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर जिले में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग 57.5 प्रतिशत, कीटनाशकों का प्रयोग 55.5 प्रतिशत आधुनिक यंत्रों का प्रयोग 58.5 प्रतिशत तथा उन्नत बीजों का प्रयोग 67.5 प्रतिशत कृषक उत्तरदाताओं ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु

उक्त कारकों का प्रयोग किया है। जिले में जैव प्रौद्योगिकी का विकास कम होने के कारण 26.5 प्रतिशत कृषकों ने कृषि में प्रयोग किया है। कृषि हेतु 45.5 प्रतिशत कृषकों ने वर्षा को पर्याप्त माना है। बहुफसल पद्धति 52.2 प्रतिशत कृषकों ने अपनाया है।

निष्कर्ष – खाद्यान्न उत्पादन या उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में सिंचाई का विशेष महत्व है। सिंचाई स्रोत के अभाव में फसल उत्पादन करना असंभव है। क्योंकि जिले में वर्षा अनियमित, अनिश्चितता तथा अपर्याप्तता रहती है। जिले मुख्यतः खाद्यान्न फसल अन्तर्गत गेहूँ, चना, बाजरा उत्पादित की जाती है। जिनके लिये अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जल की कमी को पूर्ति हेतु सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

अतः विगत बीस वर्षों (1999-2000 से 2018-19) के दौरान जिले में खाद्यान्न उत्पादन एवं उत्पादकता देखा जाये तो बाजरा का उत्पादन वर्ष 1999-2000 में 57908 टन से 2018-19 में 309321 टन तथा उत्पादकता 231 हेक्टर प्रति किलो से 1459 प्रति हेक्टर किलो वृद्धि हुई है। वर्ष 1999-2000 से 2018-19 के तुलनात्मक रूप से विवरण देखा जाये तो जौ का उत्पादन 8815 टन की तुलना 23201 टन, उत्पादकता 1683 से 3367 प्रति हेक्टर किलो एवं चना उत्पादन 16522 टन से 118035 टन हुआ।

चना की उत्पादकता 520 से 1424 हेक्टर प्रति किलो, खरीफ दलहन उत्पादन 6654 से 54676 टन हुआ एवं उत्पादकता में 112 से 644 हेक्टर प्रति किलो हुई है। गेहूँ का उत्पादन 141818 से 323290 टन तथा उत्पादकता 2151 से 4173 हेक्टर प्रति किलोग्राम में हुई है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जिले में विगत 20 वर्षों में सिंचाई सुविधा के विकास प्रभाव के कारण एवं अन्य कारकों के संतुलित उपयोग से खाद्यान्न फसल उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई है। जिले में सिंचाई सुविधा का विकास किया जाता है तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। उत्पादकता के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्थिरता, आर्थिक नियोजन, रोजगार में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि तथा उच्च जीवन स्तर आदि प्राप्त किया जा सकता है।

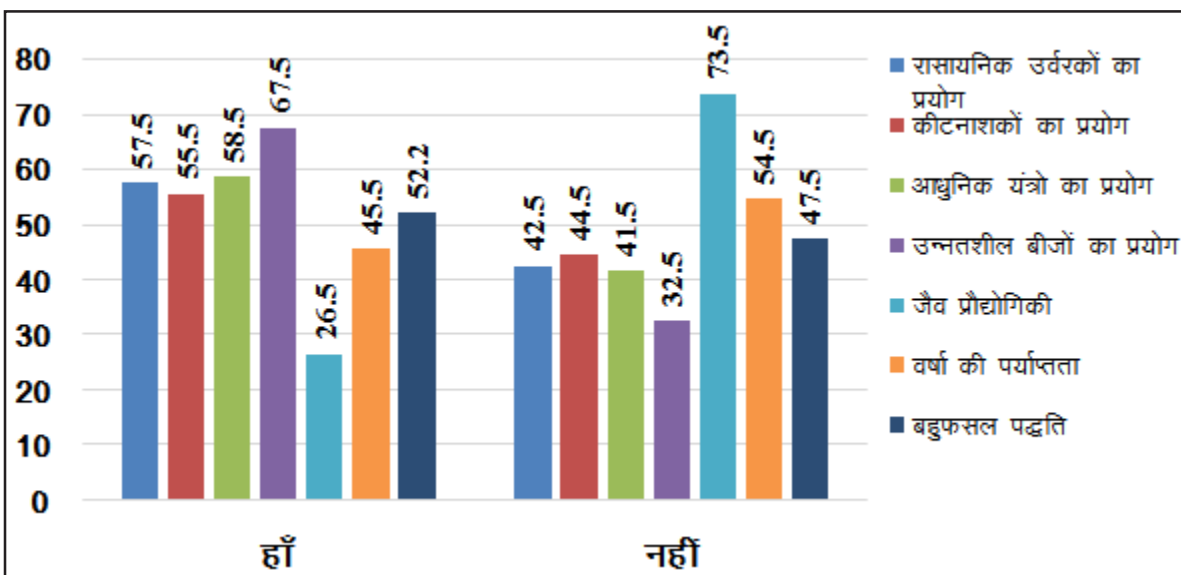
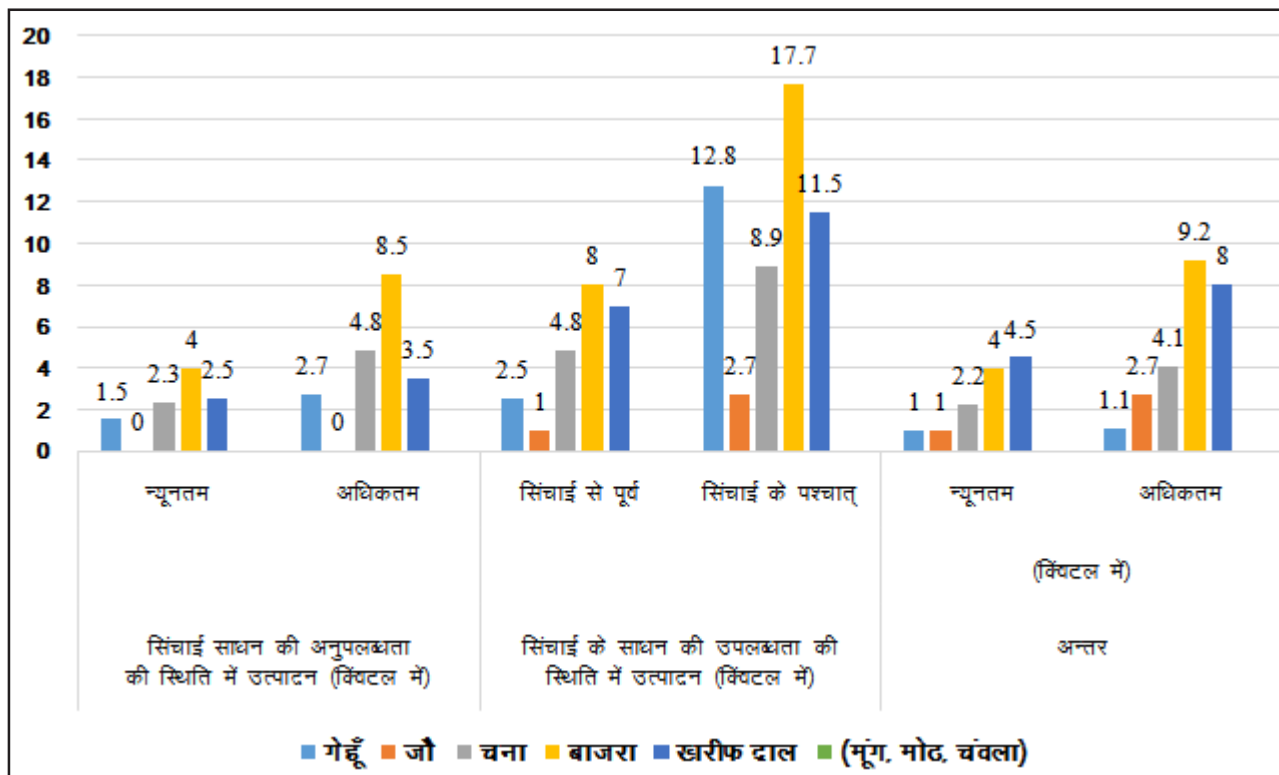
संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. लाल, भवर (2008), 'जवाई बांध कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई का फसल प्रारूप पर प्रभाव', पीएच.डी. थिसीस, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
2. सोलंकी, महेन्द्र सिंह (2006), 'उदयपुर जिले में कृषि भूमि उपयोग एवं सिंचाई प्रारूप पर परिवर्तन का प्रभाव : एक भौगोलिक अध्ययन', पीएच.डी. थिसीस, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर
3. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (1999-2000 से 2018-19 तक के विभिन्न संस्करण)
4. प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-2021 से प्राप्त जानकारी के लिये विश्लेषित समंक
5. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, झुंझुनूं (राज.) वर्ष 2020-21
6. भू-अभिलेख कार्यालय, झुंझुनूं।

तालिका सं. 1 : सिंचाई के उपयोग के पूर्व एवं पश्चात् खाद्यान्न फसलों के उत्पादन : तुलनात्मक विश्लेषण

फसल	सिंचाई साधन की अनुपलब्धता की स्थिति में उत्पादन (क्विंटल में)		सिंचाई के साधन की उपलब्धता की स्थिति में उत्पादन (क्विंटल में)		अन्तर(क्विंटल में)	
	न्यूनतम	अधिकतम	सिंचाई से पूर्व	सिंचाई के पश्चात्	न्यूनतम	अधिकतम
गेहूँ	1.5	2.07	2.5	12.8	1	10.1
जौ	-	-	1	2.7	1	2.7
चना	2.3	4.8	4.8	8.9	2.2	4.1
बाजरा	4	8.5	8	17.7	4	9.2
खरीफ दाल (मूंग, मोठ, चंवला)	2.5	3.5	7	11.5	4.5	8

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-2021 से प्राप्त जानकारी के विश्लेषित समंक



मानवाधिकार : एक राष्ट्रवादी स्वप्न

हिमांशी पंजाबी *

* शोधार्थी, महिदपुर रोड, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी- महिला, पुरुष व बच्चों के मानवाधिकार

प्रस्तावना- किसी भी स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में मानवाधिकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानवाधिकार भेदभाव से दूर होते हैं फिर चाहे वह महिला हो, पुरुष हो या कोई बच्चा सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं। भारत एक गणतंत्रवादी व स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत की महान हस्तियों के द्वारा अधिकारों के लिए अनेक आन्दोलन किए गए।

भारतीय संविधान में भी प्रारम्भ से ही अधिकारों का समावेश किया गया है और साथ ही महिलाओं व बच्चों के लिए अलग से प्रावधान भी किए गए हैं। परन्तु क्या यह अधिकार प्रत्येक वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के जमीनी स्तर पर और प्रत्येक संगठन तक पहुंच पाये हैं।

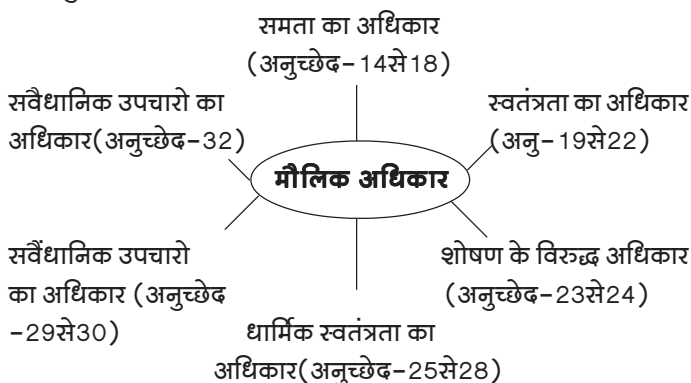
मानवाधिकार का इतिहास- अशोक के आदेश पत्र आदि अनेक प्राचीन दस्तावेजों एवं विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में अनेक ऐसी अवधारणाएं हैं। जिन्हें मानवाधिकार के रूप में चिन्हित किया जा सकता है।

आधुनिक भारत में विश्वव्यापी स्तर पर 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार के रूप में मनाया जाता है।

विभिन्न देशों के मौलिक अधिकार संबंधित दस्तावेज:

1. द ट्वेल्थ आर्टिकल आफ द ब्लैक फारेस्ट (1525) - यूरोपीय मानवाधिकार दस्तावेज।
2. 1776 में अमरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया।
3. 1791 ईस्वी का ब्रिटिश बिल आफ राइट्स।

भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार- भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है।



राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद-352) के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।

भारत में 12 अक्टूबर 1993 में सरकार के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस' मनाया जाता है।

इन सब लिखित दस्तावेजों के प्रावधानों की पूर्ण तरीके से जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है या कहीं ना कहीं किसी रूप में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है।

मनुष्य की मूलभूत 5 आवश्यकताएं होती हैं।

1. भोजन
2. कपड़ा
3. आवास
4. पानी
5. स्वास्थ्य

परन्तु क्या यह आवश्यकता की पहुंच प्रत्येक देश के नागरिक तक है या नहीं कुछ बिन्दुओं के द्वारा हम देखेंगे।

1. भारत 116 देशों में वैश्विक भुख सुचकांक 2021 में 101वें पायदान पर है।
2. भारत में बेरोजगारी दर अगस्त में 8.32 फिसदी रही जो कि एक चिन्ता का विषय है।
3. साल 2018 में नीति आयोग द्वारा किये गये एक अध्ययन में 122 देशों के जल संकट की सूची में भारत 120वें स्थान पर खड़ा था।
4. एक अनुमान के अनुसार शहरी भारत की लगभग 65 मिलियन आबादी स्लम में निवास करती है। जबकि 09 लाख लोग बेघर हैं।
5. भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर जी.डी.पी का केवल 1 प्रतिशत ही वकिया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में 1 प्रतिशत को बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है परन्तु फिर भी अन्य देशों की तुलना के मुकाबले यह काफी कम है।

इन सब रिपोर्ट्स पर नजर डाले तो कहीं ना कहीं हमें यह नजर आयेगा कि हमारे देश के नागरिकों को उनके अनिवार्य अधिकार भी नहीं मिल पा रहे हैं।

सुझाव:

1. स्लम एरिया के लिए सरकार द्वारा ऐसे वोलेंटियर नियुक्त किये जाये जो झुग्गी बस्तियों में योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करे।

2. झुग्गी बस्तियों में प्रत्यक्ष रूप से जाकर उनकी समस्याओं के बारे में पुछा जाए या फिर बस्ति में पढ़े-लिखे व्यक्ति को वोलेंटीयर बनाया जाए तथा से स्थानीय प्रशासन डायरेक्ट सम्पर्क में रहे।

3. बेघर को लघु उद्योगों से जोड़ा जाए।

निष्कर्ष – विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों में भले ही भारत के अंक अन्य विकसित देशों की तुलना में कम हो परन्तु भारत की स्थिति का मानवाधिकार के मामले का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यह एक सराहनीय दृष्टिकोण के रूप में सामने आएगा। हालांकि वर्तमान परिपेक्ष्य की आवश्यकता है कि

सरकार की लाभकारी परियोजनाओं का स्तर पर हो तथा जरूरतमंद व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय संविधान।
2. MPNRC.ORG.
3. Global hunger index.
4. India Economy Survey.
5. Niti Ayog Report.

कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति का अध्ययन ग्वालियर जिले के वार्ड क्रमांक-21 के सन्दर्भ में

डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, चीनौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - कोरोना महामारी से पिछले डेढ़ वर्ष से सामना कर रहे लोगों को पहली लहर ने बुरी तरह प्रभावित किया और लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, आवागमन हो एवं अन्य विभिन्न प्रकार की असहनीय स्थिति उत्पन्न हुई और कई लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ा इसके उपरान्त भी लोग पहली लहर से सरकार की चेतावनी के बावजूद भी जागरूक नहीं हुए और जैसे ही कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य हुई लोग लापरवाह होकर बाजार में बिना मास्क घूमने लगे एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बन्द कर दिया इस समय सरकार ने भी मानवीय हित एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बाजार एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ शुरू कर दी, लेकिन मानवीय लापरवाही, अनियमितता तथा कोरोना महामारी को गम्भीरता से न लेने का परिणाम दूसरी लहर के रूप में देखने को मिला जिसके परिणाम बहुत ही भयानक एवं खतरनाक हुए इस समय संक्रमितों की संख्या दिन-प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रही थी अप्रैल एवं मई माह 2021 के दौरान तो अस्पतालों में बैड एवं आक्सीजन की समस्या उत्पन्न हो गई थी और प्रशासनिक अधिकारी बुरी तरह से व्यथित एवं परेशान थे कि गम्भीर संक्रमितों की व्यवस्था कहा पर की जाए जब सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं थी। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त आइसोलेशन केन्द्रों की व्यवस्था की गई और वहाँ संक्रमित मरीजों के उपचार की भी सुविधा थी इन केन्द्रों से मरीजों को बहुत सहायता मिली, विशेष रूप से उन मरीजों को जिनके घर पर एकान्त रहने की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर मरीजों को मूलभूत सभी प्रकार की सुविधाएँ जितना सम्भव था उतनी शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी जिससे की कोई भी मरीज असहज महसूस न करे और मरीजों में सकारात्मकता का भाव बना रहे जिससे कि वह मानसिक रूप से बीमारी से लड़ने के लिए तत्पर रहें और समाज में नकारात्मकता का माहौल न बने हर सम्भव प्रयास स्थानीय स्तर पर सरकार द्वारा किए गए।

अध्ययन के उद्देश्य:

(1) दूसरी लहर का प्रभाव बहुत घातक था लेकिन जिन क्षेत्रों में लोग जागरूक थे एवं जहाँ पर अन्य राज्यों से लोगों का आवागमन कम था वहाँ पर संक्रमण की दर सामान्य रही लेकिन ज्यादातर घरों में यह देखने में आया है कि यदि घर का एक सदस्य संक्रमित हुआ है तो उसके सम्पर्क में आने से एक साथ परिवार के कई अन्य सदस्य संक्रमित हुए ऐसा अधिकतर परिवारों में देखने में आया है लेकिन ऐसी स्थितियाँ उन परिवारों में उत्पन्न हुईं जहाँ घरों में पर्याप्त कमरों का अभाव था इस कारण से लोग अधिक संख्या में

संक्रमित हो रहे थे ऐसी स्थिति का सामना करने के समाधान के रूप में अतिरिक्त आइसोलेशन केन्द्रों की स्थापना की गई और संक्रमित लोगों को उन केन्द्रों में रहने की सलाह दी गई जिससे परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमण से बचाया जा सके कुछ समय पश्चात इसके सकारात्मक परिणाम आने लगे और धीरे-धीरे संक्रमण की दर कम होने लगी जो कि प्रशासन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुई।

(2) माह अप्रैल-मई में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी शायद ही वार्ड-21 में कोई कालौनी ऐसी रही हो जिसमें कोई भी व्यक्ति संक्रमित न हुआ हो बल्कि अधिकतर घरों में कोई न कोई व्यक्ति संक्रमित जरूर था यह समय हर परिवार के लिए बहुत कष्टदायक था एवं कुछ परिवारों के लिए अति दुःखद भी साबित हुआ जिन्होंने कोरोना के कारण अपनों को हमेशा-हमेशा के लिए खो दिया लेकिन साथ-साथ एक सुखद दृष्टिकोण यह था कि टीकाकरण के पहले चरण की शुरुवात 16 जनवरी 2021 से हुई और इसमें प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण का कार्य चला, कोरोना की दूसरी लहर के आने तक प्राथमिकता के आधार पर कुछ लोगों का टीकाकरण हो चुका था ऐसे लोगों पर वायरस का ज्यादा घातक प्रभाव नहीं हुआ वैक्सीनेट जो लोग संक्रमित हुए उनमें से बहुत ही कम लोगों को होस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। यदि होस्पिटलाइज्ड हुए भी तो उन्हें आई.सी.यू. की जरूरत नहीं पड़ी।

(3) इस कठिन दौर में जिस समय लोगों का घर से निकलना बंद था एवं हर व्यक्ति असहज महसूस कर रहा था जब वार्ड का प्रशासनिक ढाँचा बहुत ही तत्परता से लोगों की सेवा में लगा हुआ था इन्सीडेंट कमान्डर द्वारा प्रतिदिन वार्ड इन्सीडेंट कमान्डरों की बैठक ली जाती थी और संक्रमितों की सूची के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते थे सूचीनुसार पी.सी.टीम संक्रमित मरीजों को दवाईयों की किट एवं काड़ा उपलब्ध करवाते थे वार्ड इन्सीडेंट कमान्डर प्रत्येक मरीज से बात कर उसका हाल-चाल पूछते थे कि उनको दवाईयों की किट प्राप्त हुई या नहीं इस पर वार्ड इन्सीडेंट कमान्डरों का विशेष जोर होता था आवश्यकता पड़ने पर इन्सीडेंट कमान्डर एवं वार्ड इन्सीडेंट कमान्डरों द्वारा भी मरीजों को दवाई की किट एवं पल्स आक्सीमीटर प्रदाय किए जाते थे

उपकल्पना:

1. इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका सराहनीय रही।
2. हम दूसरे लहर को रोकने में सफल हुए।

शोध प्रविधि-प्रस्तुत अध्ययन सम्भवतः प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको पर आधारित है प्राथमिक समंको का संकलन प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान

के माध्यम से किया मरीजों से प्रतिदिन बात करके आकड़ों का संकलन किया गया और और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के माध्यम से साहित्य का अवलोकन पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों एवं इंटरनेट, वेबसाइट तथा सोशल मीडिया का सहारा लिया गया।

माह अप्रैल-मई में संक्रमित मरीजों की विवरण तालिका

क्र.	कालोनी का नाम	होम करेन्टाइन	हॉस्पिट लाइज्ड	मृत्यु	कुल संख्या
1	गोले का मन्दिर एवं आसपास की कालोनी	250	16	01	267
2	बैंक कालोनी	67	02	00	69
3	हनुमान नगर	62	04	00	66
4	इन्द्रमणीनगर	91	09	02	102
5	पुरुषोत्तम विहार	27	03	00	30
6	नारायण विहार	47	00	00	47
7	प्रगति विहार	38	00	00	38
8	विवेक नगर	76	05	01	82
9	पंचशील नगर	45	01	00	46
10	कैला देवी कालौनी, कृष्णा नगर एवं अन्य	75	05	01	81
	कुल संख्या	778	45	05	828

दूसरी लहर के दौरान वार्ड क्रमांक-21 की स्थिति- जिस प्रकार से सम्पूर्ण विश्व एवं भारत के सभी राज्य एवं जिले कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित थे ठीक उसी समय वार्ड क्रमांक-21 की स्थिति बहुत दयनीय थी दूसरी लहर अप्रैल-मई माह के दौरान कुल 828 लोग संक्रमित हुए उनमें से 05 लोगों की मृत्यु हो गई और 45 लोगों को हास्पिटलाइज्ड भी होना पड़ा जिनकी हालत ज्यादा खराब थी इनमें से कुछ लोग आई.सी.यू. में भी भर्ती हुए और उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ शेष 778 लोग होमआइसोलेशन में रहे जिन्हें घर पर इवाइरॉक्स की किट प्रदाय की गई और वह उसी से स्वस्थ हो गए साथ ही प्रतिदिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इन्सीडेंट कमान्डर, वार्ड इन्सीडेंट कमान्डरों एवं डॉक्टरों द्वारा मरीजों से उनका हाल-चाल पूछने के लिए बात की जाती थी और उनकी समस्याओं एवं शंकाओं का समाधान किया जाता था इन समस्त अथक प्रयासों के बावजूद संक्रमण की स्थिति सामान्य बनी फिर भी 05 व्यक्तियों को मृत्यु का सामना करना पड़ा और 45 मरीज हास्पिटलाइज्ड हुए दिन-प्रतिदिन स्थितियों सामान्य एवं असामान्य बनी रहती थी दूसरी लहर के दौरान वह 02 माह का समय सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा समाज के लिए बहुत दुःखदायक एवं कष्टप्रद रहा है इस अवधि के दौरान किस दिन क्या अनहोनी किस प्रकार की हो जाए अंदाजा लगाना मुश्किल था लेकिन इस कार्य में लगे सभी कर्मचारी एवं अधिकारी तत्परता एवं निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे उसके

परिणाम सकारात्मक रहे।

निष्कर्ष-उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दूसरी लहर (माह अप्रैल एवं मई) के दौरान संक्रमित मरीजों की संख्या में बहुत असामान्य गति से वृद्धि हुई और स्थितियाँ बहुत चिन्ताजनक एवं विपरीत बनती जा रही थी लेकिन इस दौरान इन्सीडेंट कमान्डर, वार्ड इन्सीडेंट कमान्डरों और टी.सी. बहुत ही निस्वार्थ भाव से सभी संक्रमित मरीजों को इवाइरॉक्स की किट एवं आवश्यकतानुसार पल्सआक्सीमीटर उनके घर पर उपलब्ध करा रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बहुत ही महनत तथा लगन से कार्य किया है एवं उनकी भूमिका सराहनीय रही, अतः अध्ययन की प्रथम उपकल्पना स्वयंसिद्ध होती है। माह अप्रैल-मई में संक्रमण की जो स्थिति वार्ड-21 में उत्पन्न हुई थी वह बहुत ही भयानक एवं चिन्ताजनक थी ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्रों को चयनित करके माइक्रो कन्टोनेमेंट जोन बनाए गए और उन क्षेत्र के निवासियों के इधर-उधर आवागमन पर रोक लगाई गई और कालोनियों में एलाउसमेंट कर घर पर रहने की सलाह दी गई बिना किसी काम के घर से न निकले कुछ समय के लिए बाजारों को भी बन्द करना पड़ा और मई माह के अन्त तक इन सभी अथक प्रयासों से कोरोना संक्रमितों की संख्या धीरे-धीरे दिन-प्रतिदिन घटने लगी और हम दूसरी लहर रोकने में सफल हुए अतः अध्ययन की द्वितीय उपकल्पना सार्थक सिद्ध होती है।

सारांश- कोरोना की दूसरी लहर बहुत भयानक एवं निराशाजनक थी ऐसी स्थिति में संक्रमण की दर को रोकना बहुत चुनौतीपूर्ण था लेकिन इस दौर में सम्पूर्ण समाज ने बहुत ही संयम का परिचय दिया धीरे-धीरे सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करने लगे जो गाइडलाइन सरकार द्वारा उन्हें दी जाती थी, कहीं-कहीं गाइडलाइन का पालन कराने के लिए इन्सीडेंट कमान्डर द्वारा सख्ती का भी प्रयोग करना पड़ता था और कहीं-कहीं समझाइस से भी लोग जागरूक हुए धीरे-धीरे लोगों को यह एहसास हुआ कि प्रशासन मेरे साथ है मुझे इसका सहयोग करना चाहिए कुछ स्वयंसेवी संस्थान ने भी बढ़-चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लिया और लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया गया, लोग अधिक से अधिक संख्या में टीके लगवाने लगे इस दौरान सरकार द्वारा लोगों की मदद करने के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की उनका लाभ भी पात्र हितग्राहियों को प्रशासन द्वारा दिलवाया गया चाहे मुख्यमंत्री कल्याण योजना हो या अन्य योजनाएं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची: -

1. बिकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन-एम.एल.झिंगन (2004) वृद्धा पब्लिकेशन्स प्रा.लि.।
2. रिसर्च मेथोडोलोजी-डॉ.सी.एम.चौधरी (2005) आ.बी.एस.ए. पब्लिकेशन्स जयपुर।
3. द हिन्दू, इण्डियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर।
4. इंटरनेट, वेबसाइट।

नागार्जुन और गोपीनाथ महान्ति के उपन्यास में सामाजिक चेतना एक तुलनात्मक अध्ययन

मनोज कुमार पटेल *

* अध्यापक, डी. ए. वी (स्वयंशासित) महाविद्यालय, टिटिलागढ़ (ओड़िशा) भारत

प्रस्तावना – हिंदी साहित्य के उपन्यासकार नागार्जुन और ओड़िआ साहित्य के उपन्यासकार गोपीनाथ महान्ति के उपन्यास रचना काल का समय प्रायः समकालीन है। नागार्जुन का जन्म सन 1911 ई. में बिहार प्रदेश के दरभंगा जिला के तरौनी में हुआ था। नागार्जुन प्रेमचंद के बाद हिंदी साहित्य परंपरा के एक समर्थ उपन्यासकार है। उन्होंने ग्रामांचल परिवेश का कथा वृत्त का सहज एवं स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है। नागार्जुन आंचलिक उपन्यास धारा के प्रधान उपन्यासकार है। उन्होंने बिहार प्रदेश के मिथिलांचल के जनजीवन का विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया है। उनका पहला उपन्यास 'रतिनाथ की चाची' सन 1948 ई. में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात 'बलचनमा' 1952, 'नई पौधा' 1953, 'बाबा बटेश्वर नाथ' 1954, 'दुःख मोचन' 1957, 'वरुण के बेटे' 1957, 'उग्रतार' 1965, 'जमुनिया का बाबा' 1968, में प्रकाशित हुआ।

ओड़िआ उपन्यासकार गोपीनाथ महान्ति का जन्म 1914 ई. में ओड़िशा प्रदेश के कटक जिला की नागवली ग्राम में हुआ था। फकीर मोहन सेनापति के बाद क्रांतिकारी उपन्यासकार के रूप में उड़िया साहित्य में गोपीनाथ जी का नाम प्रसिद्ध है। उनका प्रथम उपन्यास 'दादी बुढ़ा' सन 1940 को प्रकाशित हुआ था। इसके बाद 'परजा' 1946, 'अमृतर संतान' 1949, 'शिव भाई' 1955, 'दाना पाणी' 1955, 'हरिजन' 1948, 'अनल नल' 1973, 'माटी मटाल' 1964, 'दिग दिहूडी', 1979, 'श्लय विलय' 1971 आदि प्रकाशित हुआ है।

गोपीनाथ जी के प्रायः उपन्यासों में अवहेलीत, शोषित, पीड़ित, जनजातियों, का जीते जागते चित्र को प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर तारिणी चरण दास ने गोपीनाथ मोहंती जी को आंचलिक उपन्यासकार मानते हैं। स्वतंत्रता से पहले गोपीनाथ जी आंचलिक उपन्यास का सूत्रपात उड़िया साहित्य में किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों में ओड़िशा प्रदेश के कोरापुट, गंजाम, जयपुर, तथा विशाखापटना क्षेत्र के आदिवासी और जनजातियों का विभिन्न समस्याओं को प्रस्तुत किए हैं।

जमींदार तथा महाजनों का शोषण – नागार्जुन का पहला उपन्यास 'रतिनाथ की चाची' आजादी के प्रथम पहर का उपन्यास है। इसमें विकृत सामंती संस्कारों एवं जीवन व्यवस्था के चित्र उतारते हैं। 'बाबा बटेश्वर नाथ' में लेखक बेदखली के विरुद्ध किसानों के एक जुट जनवादी चेतना का चित्र खींचा है। किसान संघर्ष में विजय होकर स्वतंत्रता शांति और प्रगति का पताका फहराते हैं। बलचनमा में जमींदारों का शोषण और अत्याचार को

यथार्थ रूप प्रदान किए हैं। वरुण के बेटे उपन्यासों में मछबारों के जीवन की समस्या को नागार्जुन ने सजीव रूप प्रदान किए हैं। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन होने पर भी जमींदार मछबारों से जल कर वसूली करते हैं।

गोपीनाथ महान्ति के उपन्यास 'परजा' में आदिवासी परजाओं को साहूकार तथा प्रशासनिक कार्यकर्ता शोषण और अत्याचारों का चित्रण सजीव रूप से प्रस्तुत किए हैं। आदिवासी लोगों का विद्रोह मानसिकता एक नवीन चेतना का स्वरूप ग्रहण करता है, जो प्रगतिवादी विचार पर अधिक बल देता है। अमृतर संतान में कनधा जाति के लोगों के जमीन पर सुंथी तेली ब्राह्मण लोग अधिकार कर लेते हैं सुनील दारु बेच कर जमीन हासिल किए हैं तथा रंगों ने कंधों के सरलता पर विश्वासघात कर मित्रता स्थापन करके जमीन पर अपना अधिकार जमा लिए हैं। 'शिव भाई' में शिबू के माध्यम से लेखक समाज के शोषण से मुक्ति तथा सामंती उन्मूलन का मार्ग को उजागर किए हैं। 'हरिजन' उपन्यास में उपन्यासकार गोपीनाथजी हाड़ी समाज का समस्या एवं बस्ती का बेदखल का चित्रण किए हैं इसमें दलित स्त्री का यौन शोषण का जीता जागता छवि को अंकन किया गया है। 'माटी मटाल' में लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसमें सामंती प्रथा का विरोध स्वयं अपना पुत्र करता है। वह घर छोड़कर हरिजन तथा निम्न वर्ग के दलित का सेवा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। 'दिग दिहूडी' में एक विधवा कुलीन स्त्री सामाजिक और पारिवारिक समस्या से ग्रस्त जीवन शैली का ज्वलन छवि उभारा है।

दोनों उपन्यासकार का कथावस्तु का मूल आधार आर्थिक विषमता हैं, जिसमें प्रगतिवादी चेतना को उजागर किया गया है।

किसान और श्रमिकों का अत्याचार और दुर्दशा के प्रति विद्रोह – नागार्जुन 'बलचनमा' उपन्यास में जमींदार वर्ग अमानुशिक ढंग से बलचनमा का अत्याचार करते हैं। जमींदार वर्ग का अनादि काल से चला आता हुआ दमन चक्र से मुक्त होने के लिए विद्रोह करता है। उसे जमींदार के यहां नौकरी करनी पड़ती है। उसमें एक निम्न वर्गीय किसान का दुःख दर्द और संघर्ष व्याप्त है। रतिनाथ की चाची में तारा चरण ग्राम समाज में नए रूप से शोषण के विरुद्ध नेतृत्व लेकर उभरता है। गांव के जमींदार राजा बहादुर उसे भेड़ बकरियों जैसा बर्ताव करते हैं। तारा चरण कहता है- 'जमाना बदल गया है हम जब अंग्रेज के नाम से कौड़ी बांधते हैं, तो राजा बहादुर की विशाता।'

'वरुण के बेटे' में मच्छुओं ने जिस गढ़ पोखर के सहारे अपनी जीविका निर्वाह करते थे उसमें जमींदारों ने जल कर वसूली करते हैं। मच्छू का

अन्यत्र मजदूरी करना पड़ता है। मछुआरों ने एकजुट होकर अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते। यह नवीन चेतना का स्वरूप है।

‘अमृतर संतान’ उपन्यास में कौंधा जाति के लोग स्वयं की जमीन से बेदखल होकर मजदूर बन जाते हैं। बलचनमा में भी बेदखली का शिकार होता है। सुंडी, महाजन, सरकारी अधिकारी तथा तैलंग ने कंधों को अत्याचार से मुक्त नहीं करते हैं। सुगरी कौंधा दस रुपए के लिए साहूकार के पास दो साल तक गोती मजदूरी करता है।

‘परजा’ उपन्यास में आदिवासी नायक मांडिया जानी शोषण के प्रति विद्रोह करता है। वह संघर्ष पर विश्वास करता है और कहता है- ‘अधर्म करके जमीन लिए पर भोग नहीं कर सकता।’ अंत में साहूकार उसका शिकार बनता है। फरसे से साहूकार का सर को धाड़ से अलग कर देता है। कुछ विचारकों को ने इस घटना को आदिवासी लोगों का जातिगत प्रवृत्ति मानते हैं। परंतु प्रजा परिवार को निरंतर शोषण और अत्याचार का सामना करना पड़ता है। रुपए चुका देने पर भी जमीन नहीं मिलता। साहूकार उसकी बड़ी लड़की को उठाकर ले जाता है। माटीमटाल में रवि सामंती प्रथा के प्रति विरोध तथा हरिजन और शोषित वर्गों का सहायता करता है। उसे मार भी खाना पड़ता है। यह सभी संघर्ष नवीन चेतना है। जो मनुष्य के आत्मा सामान पर प्रभाव पड़ता है। किसान, मजदूर, जनजाति आदि का शोषण और अत्याचार का परिणाम विद्रोह का रूप धारण कर लेते हैं।

पलायनवादी प्रवृत्ति – नागार्जुन और गोपीनाथ महान्त पलायनवाद को उपन्यास में स्थान दिए हैं, जो विकासोन्मुखी रूप धारण करता है। बलचनमा जमींदार की बर्बरता से विरोध करता है। वह गांव छोड़ कर पटना तथा लहरिया सराय आश्रम में शरण लेता है। सत्य ब्रह्म और कम्युनिस्ट नेताओं के सहयोग से पुनः जमींदारों में और किसानों में विद्रोह स्थापित करने में सफल होता है। माटीमटाल में रवि अपने पिता से ऊब कर घर परिवार छोड़ देता है। फूलशरा गांवों में अछूत, दलित, हरिजन, आदि निम्न वर्गीय लोगों के सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। इस प्रकार दोनों पत्रों में पलायनवादी प्रवृत्ति नवीन रूप से चित्रित है, जो नवीन चेतना तथा सामूहिक चेतना को जाग्रत करता है।

राजनैतिक चेतना – नागार्जुन और गोपीनाथ जी अपने उपन्यासों में राजनैतिक चेतना व्यक्ति का विकास में सहायक सिद्ध रूप में वर्णन किए हैं। बाबा बटेश्वर नाथ में जैकी सनु और जीवननाथ जागकर कर्म प्रवृत्त के होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता से कांग्रेस शासन के विरुद्ध विजय प्राप्त करते हैं अंत में स्वाधीनता शांति और प्रगति का चित्रण है बलचनमा खेतियार मजदूर, भूमिहीन किसानों में नवीन क्रांति चेतना जाग्रत करता है। वह पटना में जाकर कम्युनिस्ट से मिलता है और शोषण के विरुद्ध क्रांति उत्पन्न करने में सफल रहता है। हरिहरन उपन्यास में हड़ी बस्ती को अविनाश बाबू ने खरीदा है। यह सुनकर मेहंतर और मेहंरानी ने विद्रोह छोड़ देते हैं। शिबू के मृत्यु के उपरान्त भी आदिवासी गांव में उसका आदर्श जीवित रहता है।

दलित चेतना – साधारणतः नागार्जुन और गोपीनाथ महांती के प्रायः उपन्यासों में दलित चेतना का स्वर प्रखर रूप धारण किया है। बिहार प्रदेश के मिथिलांचल के राऊत, मुसर, माधुओ आदि जाति के किसानों तथा मजदूरों अपने अधिकार तथा शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष दलित चेतना है, जो सामूहिक चेतना है। ओडिशा प्रांत के गंजाम, कोरापुट, जयपुर जिला के कंधा, कुई, संताल, भिल, हरिजन, आदिवासी, आदि का शोषण और अत्याचार परिणाम स्वरूप जो विद्रोह है वह दलित का है। निम्न वर्ग, किसान, मजदूर, जन जाति, बन्धु जाति, मधुओ आदि दलितों पर साहूकार, जमींदार

तथा सरकारी अफसरों का अत्याचार क्रांति का रूप धारण कर लेता है। यह दलित चेतना के साथ ही सामूहिक चेतना में परिवर्तित हो जाता है।

प्राकृतिक आपदा (अकाल और बाढ़) का समस्या – बाबा बटेश्वर नाथ में अकाल और बाढ़ की विषमता का चित्रण मानवीय संवेदना के स्तर पर किया है। पेड़ के पत्तियों को उबालकर अपनी पेट की ज्वाला को शांत करते हैं। इस परिस्थिति में भी जमींदार और महाजन किसानों से बलात लगान और सुधा बसुली करते हैं। बाबा बटेश्वर नाथ मार्ग दर्शन करता है। माटीमटाल में भी गोपीनाथ जी बाढ़ का चित्रण किए हैं। बाढ़ से पीड़ित लोगों की वेदना को प्रस्तुत किए हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए रवि और छवि स्वयं सेवक के रूप में सामने आते हैं। यह सहायता तथा सेवा व्यक्ति चेतना का स्वरूप को नए आयाम देता है।

आदर्श नारी चित्रण – गोपीनाथ महांती तथा नागार्जुन की नारी पात्र के प्रति दृष्टि कोण बड़ा संयम, शिष्ट और मर्यादित रहा है। वरुण के बेटे कि माधुरी, उग्रतारा की उब्नी तथा कामेश्वर भाभी, दुःख मोचन की माया ऐसी नारी हैं। जो सामाजिक रूढ़ियों परम्पराओं को तोड़ने वाली नई चेतना की से संपन्न नारी हैं। माधुरी एक आदर्श नारी पात्र है, जो समाज सेवी, परिश्रमी और प्रगतिशील है। वह पुरुष के कंधों से कंधा मिलाकर चलती है। वर्ग संघर्ष में भाग लेती है और पुलिस से गिरफ्तार भी होती है। माटीमटाल में छवि ग्राम सेविका के रूप में चित्रित है। वह समाज सेवी तथा आदर्श प्रेमिका है। बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान करने में तत्पर दिखाई देती है। दिग दिहुडी में मायादेवी की पुत्री रमा को उपन्यासकार ने ग्राम सेविका के रूप में प्रस्तुत किया है। फिर बाढ़ में आश्रम में रहती है। वह मां और भाई की बोझ बनाना नहीं चाहती है। नागार्जुन तथा गोपीनाथ के नारी पात्र प्रगतिशील रहे हैं। वह त्याग सेवा और आत्मा बिस्वास पर अधिक बल देते हैं।

विधवा समस्या – ‘माटीमटाल’ में मायादेवी जमींदार परिवार की कुलीन नारी हैं। पति के मृत्यु के पश्चात अपने पांच संतानों के साथ आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। वह एक छोटा सा होटल चलाती है और जीविकापार्जन करती है। नागार्जुन जी ने ‘रती नाथ की चाची’ में गौरी विधवा ब्राह्मणी का चरित्र को सजीव रूप से प्रस्तुत किए हैं। गौरी ब्राह्मणी जीवन में सामाजिक विषमता, स्वार्थपरता और यातना से दुःख जीवन की निर्वाह करती है। उग्रतारा में भी लेखक नागार्जुन विधवा विवाह का समस्या को एक नए दृष्टि कोण से अंकन किया है। इसका नायक अगेस्वर विधवा अग्नि से विवाह करता है।

यौन शोषण – ‘हरिजन’ में अविनाश बाबू एक विवाहित पुरुष है, फिर भी वह जेमा हाड़ी मेहंतरानी से अनैतिक यौन संपर्क तथा शोषण करते हैं। जेमा की सतीत्व को हरण करते हैं। वह एक अवैध संतान की मां बन जाती है। उग्रतारा में उगनी भी अवैध रूप से गर्वावती होने का चित्रण है। बालचनमा तथा परजा उपन्यास में भी यौन शोषण का सजीव चित्रण किया है। साहूकार परजा में मांडिया जानी के बड़ी लड़की को प्रलोभित करके ले जाता है। तथा उसके साथ अनैतिक यौन संबंध रखता है। बलचनमा में भी बालचनमा के वहन के साथ छोटे मालिक फूलबाबू के फूफा बलात्कार की सजिस करता है।

इस प्रकार साहूकार तथा जमींदार किसानों और मजदूरों को आर्थिक समस्या से जुझने में मजबूर करते हैं। उसे बेदखल करते हैं। अपने पास मजदूरी कराते हैं। उसकी फायदा उठाकर साहूकार उनके बहू बेटी पर भी अपना अधिकार जानते हैं।

अंध विश्वास – नागार्जुन और गोपिनाथ जी ग्रामीण समस्या से उत्पन्न अंधविश्वास का भी चित्रण किए हैं। बाबा बटेश्वर नाथ में रूप उली गाँव में व्याप्त अंधा विश्वास, कुरीतियाँ, धार्मिक आडंबरों तथा पंडों, ओझा आदि लोगों का पाखंड रूप का चित्रण किया गया है। महदु डोंमदा अपनी तांत्रिक क्रियाओं तथा मंत्रों चारण विद्या से- ओ.ड. अलौख निरंजन भाग साले 3333। भूत प्रेत भगा देता है गांव के सबसे पुराने बट बृक्ष के प्रति श्रद्धा और भक्ति का चित्रण है। स्वयं बटेश्वर नाथ कहता है – अब मैं प्रिय नहीं था, पूजनीय था, वंदनिय था और मानवीय था। मेरी बेदी पर स्त्रियाँ चावल की पीढ़ी तथा पीढ़ियों पर दूध, अक्षत और फूल चढ़ाती हैं। परिवार की भलाई के लिए मन्त्रों में मांगती हैं।

दादी बूढ़ा में बूढ़ा खजूर के पेड़ को काटकर उसमें एक सफेद कपड़ा का पगड़ी बना के देवता के समान आदिवासी लोग पूजा करते हैं। दादी का तात्पर्य पूर्व पुरुष से है। आदिवासी लोग मुक्ति के लिए तथा मुश्किलों से उद्धार पाने के लिए मंदार फूल की माला चढ़ाते हैं। और मंत्र पाठ करते हैं। परजा लड़का और दमुणी लड़की के भाग जाने के कारण गांव में छूत लगता है। उसके लिए दादी बूढ़ा पूजा अर्चना करते हैं। उसके कहने से लोगों को गांव छोड़ना पड़ता है। परन्तु नये गांव में भी सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाता है।

दोनों उपन्यासकार ने अंध विश्वास को जन शोषण में धार्मिक पाखंड में सहायक सिद्ध मानते हैं। जिससे मानवीय विकास में बाधा पहुंचता है।

विचार पूर्वक देखा जाए तो नागार्जुन और गोपिनाथ महान्ति दोनों समकालीन उपन्यास परम्परा का समर्थ कलाकार हैं। उनके उपन्यास में आदर्श और यथार्थ को एक सूत्र में फूल की भांति पिरोया गया है। बिहार तथा ओड़िशा दोनों ही राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा है। यह प्रदेश स्वतंत्रता

के उपरान्त भी वर्तमान दीन- हिन स्थिति का सजीव रूप से प्रस्तुत किए हैं। उनके उपन्यासों में ग्रामीण परिवेश, समाज के कथा वृत्तों का सहज स्वाभाविक वर्णन है। दलित और पीड़ित वर्ग का वास्तविक स्वरूप उनके उपन्यासों में है। दोनों उपन्यासकार दलित, अवहेलित, और पीड़ित वर्ग को अपने उपन्यासों में स्थान दिए हैं।

ग्राम्य परिवेश का भारतीय किसान, मजदूर, जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि के जीवन का व्यापी संघर्ष और उनके निरंतर विकासोन्मुखी चेतना का यथार्थ परक और मर्म स्पर्शी चित्रण करने वाले उपन्यासकार नागार्जुन और गोपिनाथ महांती का स्थान साहित्य में अन्यतम है। दोनों उपन्यासकार अपने अपने प्रदेश तथा क्षेत्र विशेष का विभिन्न समस्या को यथार्थ रूप से उभारे हैं। यह समस्या तथा संघर्ष, प्रदेश अंचल या क्षेत्र विशेष न होकर सम्पूर्ण भारतीय जन जीवन की क्रांति चेतना के विकास में एक प्रामाणिक दस्तावेज का स्वरूप है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बलचनमा – नागार्जुन
2. रति नाथ की चाची – नागार्जुन
3. बरुण के बेटे – नागार्जुन
4. माटिमटाल- गोपिनाथ महान्ति
5. अमृतसर सन्तान – गोपिनाथ महान्ति
6. हरिजन – गोपिनाथ महान्ति
7. दाना पाणी- गोपिनाथ महान्ति
8. हिन्दी साहित्य का इतिहास – नागेन्द्र
9. ओड़िआ साहित्य और इतिहास – सुरेन्द्र महाराणा

कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन

डॉ. आलोक कुमार यादव *

* प्र. प्राचार्य, इं. गाँ. शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आधुनिक युग में अधिकांश लोग तनाव में हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जैसे परिवारिक तनाव, व्यवसायिक विफलता, कार्यस्थल की बदलती परिस्थितियाँ, किसी भी शारीरिक बीमारी के कारण तनाव आदि। जो तनाव हम अनुभव करते हैं, वह अनन्य और वैयक्तिक होता है। एक परिस्थिति किसी व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण हो सकती है, परन्तु वही परिस्थिति दूसरे के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति तनाव को अलग प्रकार से महसूस करता है। अतः तनाव का सम्बन्ध इस बात से है कि हम उस स्थिति को किस रूप में देखते हैं और कार्मिक की अभिवृत्ति पर निर्भर करता है जो वे इसके प्रति विकसित करते हैं। स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए विभिन्न रणनीतियों या अपने तनाव को प्रबंधित करने के तरीकों को जानना कार्मिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस शोधपत्र में कार्यस्थल पर तनाव के कारणों और जीवन में तनाव को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की गई है।

प्रस्तावना – चिकित्सीय या जैविक संदर्भ में तनाव एक शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कारक है जो शारीरिक या मानसिक तनाव का कारण बनता है। तनाव बाहरी (पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक स्थितियों से) या आंतरिक (बीमारी, या एक चिकित्सा प्रक्रिया से) हो सकता है।

तनाव शब्द का सम्बन्ध उस अनुक्रिया से है जो आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करने करते समय अनुभव करते हैं, जो आपको किसी न किसी रूप में कोई क्रिया करने, परिवर्तित होने और संयोजित होने के लिए बाध्य करती है ताकि आप अपनी स्थिति को बनाये रखें अथवा संतुलित रख सकें। तनाव किसी प्रकार की मांग या अपेक्षा के प्रति आप का शारीरिक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करने का ढंग है। तनाव को 'मनोवैज्ञानिक और शारीरिक असंतुलन' की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो स्थितिजन्य मांग और व्यक्ति की क्षमता और उन जरूरतों को पूरा करने की प्रेरणा के बीच असमानता के परिणामस्वरूप होता है। यह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कारणों से हो सकता है।

डॉ. हंस सेली ने तनाव को 'किसी व्यक्ति या कार्य को परिवर्तन किसी मांग के प्रति एक अविशेष अनुक्रिया' के रूप में परिभाषित किया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तनाव उस समय उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति से की गई अपेक्षाएं उसके अनुकूली संसाधनों से अधिक होने लगे या उनका अतिक्रमण करने लगे। इस परिभाषा में तनाव के दो घटक महत्वपूर्ण हैं : लगाया गया दबाव तथा व्यक्ति के अनुकूली संसाधन। जब लगाया गया दबाव व्यक्ति की योग्यता और उसके उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाये तो उस अवस्था में तनाव उत्पन्न हो जाता है।

तनाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है :

1. तनाव तब अच्छा होता है जब स्थिति किसी व्यक्ति को कुछ हासिल करने का अवसर प्रदान करती है। यह चरम प्रदर्शन के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
2. जब कोई व्यक्ति सामाजिक, शारीरिक, संगठनात्मक और भावनात्मक

समस्याओं का सामना करता है तो तनाव नकारात्मक होता है।

तनाव पैदा करने के कारणों को तनाव कारक या प्रतिबलक (Stressors) कहते हैं।

तनाव के कारण : कार्यस्थल या संगठन में तनाव के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :

1. **कैरियर की चिंता:** अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि वह कॉर्पोरेट सीढ़ी या पदोन्नति में बहुत पीछे है, तो उसे तनाव का अनुभव हो सकता है। यदि उसे लगता है कि आत्म-विकास के कोई अवसर नहीं हैं, तो वह तनाव का अनुभव कर सकता है। इस कारण, अधूरी कैरियर अपेक्षाएं तनाव का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
2. **अस्पष्ट भूमिका:** यह तब होता है जब व्यक्ति को यह नहीं पता होता है कि उसे काम पर क्या करना है। उनके कार्य और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट नहीं हैं। कर्मचारी को यकीन नहीं है कि उससे क्या करने की उम्मीद की जाती है। यह कर्मचारी के मन में भ्रम पैदा करता है जो तनाव में परिणित हो जाता है।
3. **रोटेटिंग वर्क शिफ्ट्स:** वे व्यक्ति जो अलग-अलग वर्क शिफ्ट में काम करते हैं उन लोगों को भी रोटेटिंग वर्क शिफ्ट से तनाव हो सकता है। कर्मचारियों से कुछ दिनों के लिए दिन की पाली में और फिर रात की पाली में काम करने की उम्मीद की जाती है। शिफ्ट के समय अनुसार कर्मचारी स्वयं को समायोजित करने में समस्या आती है, और यह न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि कर्मचारी के पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है।
4. **भूमिका संघर्ष:** यह तब होता है जब किसी विशेष भूमिका को निभाने वाले व्यक्ति से लोगों की अलग-अलग अपेक्षाएं होती हैं। यह तब भी हो सकता है जब नौकरी अपेक्षा के अनुरूप न हो, या जब नौकरी एक निश्चित प्रकार के व्यवहार की मांग करती है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो।
5. **व्यावसायिक मांगें:** कुछ नौकरियाँ दूसरों की तुलना में अधिक मांग वाली होती हैं। ऐसे कार्य जिनमें जोखिम और खतरा शामिल हैं, वे अधिक

तनावपूर्ण होते हैं। शोध के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि कार्य में उपयोगी यंत्रों और उपकरणों की निरंतर निगरानी, अप्रिय शारीरिक स्थितियां, निर्णयन आदि तनाव पैदा करने वाले कारक हो सकते हैं।

6. निर्णय लेने में भागीदारी का अभाव: कई अनुभवी कर्मचारियों को लगता है कि प्रबंधन को उनकी नौकरियों को प्रभावित करने वाले मामलों पर उनसे परामर्श करना चाहिए। वास्तव में, वरिष्ठ अधिकारी शायद ही कोई निर्णय लेने से पहले संबंधित कर्मचारियों से पूछते हैं। इससे उपेक्षित होने की भावना विकसित होती है, जिससे तनाव हो सकता है।

7. कार्य का अधिक भार: अत्यधिक कार्यभार तनाव की ओर ले जाता है क्योंकि यह व्यक्ति को अत्यधिक दबाव में डालता है। कार्य अधिभार दो अलग-अलग रूप ले सकता है: गुणात्मक कार्य अधिभार का तात्पर्य ऐसे कार्य को करना है जो जटिल हो या कर्मचारी की क्षमता से परे हो। मात्रात्मक कार्य अधिभार एक निर्धारित समय में की गई कई गतिविधियों का परिणाम है।

8. कम कार्य भार : इस स्थिति में कर्मचारी की ओर से बहुत कम कार्य या बहुत आसान कार्य की उम्मीद की जाती है। कम कार्य या नियमित और सरल प्रकृति के काम करने से एकरसता और ऊब पैदा होगी, जिससे तनाव हो सकता है।

9. कार्यस्थल की खराब स्थिति : कर्मचारी खराब कार्यस्थल की स्थिति के अधीन हो सकते हैं। इसमें खराब रोशनी और वेंटिलेशन, अस्वच्छ स्वच्छता सुविधाएं, अत्यधिक शोर और धूल, जहरीली गैसों और धुएं की उपस्थिति, अपर्याप्त सुरक्षा उपाय आदि शामिल होंगे। ये सभी अप्रिय स्थितियां मनुष्यों में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक असंतुलन पैदा करती हैं जिससे तनाव पैदा होता है।

10. समूह में सामंजस्यता का अभाव: प्रत्येक समूह की एकता की विशेषता होती है, हालांकि वे उनके दृष्टिकोण में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। कार्य समूह के सदस्यों के बीच कोई एकता नहीं होने पर व्यक्ति तनाव का अनुभव करते हैं। समूहों में अविश्वास, ईर्ष्या, बार-बार झगड़े आदि होते हैं और इससे कर्मचारियों में तनाव पैदा होता है।

11. पारस्परिक और अंतर्समूह संघर्ष: ये संघर्ष दो या दो से अधिक व्यक्तियों और समूहों के बीच धारणाओं, दृष्टिकोणों, मूल्यों और विश्वासों में अंतर के कारण होते हैं। इस तरह के संघर्ष समूह के सदस्यों के लिए तनाव का स्रोत हो सकते हैं।

12. संगठनात्मक परिवर्तन: जब परिवर्तन होते हैं, तो लोगों को उन परिवर्तनों के अनुकूल होना पड़ता है, और इससे तनाव हो सकता है। तनाव तब अधिक होता है जब परिवर्तन महत्वपूर्ण या असामान्य होते हैं जैसे स्थानांतरण या नई तकनीक को अपनाना।

13. सामाजिक समर्थन की कमी: जब व्यक्ति यह मानते हैं कि उनके कार्य की प्रशंसा और समर्थन मिल रहा है, तो तनाव के प्रभावों से निपटने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। यदि इस प्रकार का सामाजिक समर्थन उपलब्ध नहीं है, तो एक कर्मचारी अधिक तनाव का अनुभव करता है।

तनाव प्रबंधन : हम सभी तनाव होने पर अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, इसलिए तनाव के प्रबंधन के लिए कोई 'एक सर्वमान्य' समाधान नहीं है। लेकिन अगर महसूस हो है कि कार्यस्थल के तनाव के कारण जीवन में तनाव नियंत्रण से बाहर हो रहा है, तो इससे उबरने के लिए कार्रवाही करने का समय आ गया है। तनाव प्रबंधन द्वारा तनाव से निपटने के स्वस्थ तरीके

सीखे जा सकते हैं, जो इसके हानिकारक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं, और भविष्य में तनाव को फिर से नियंत्रण से बाहर होने से रोक सकते हैं।

तनाव का सामना करने में चाहे कितना भी शक्तिहीन महसूस करें, फिर भी अपनी जीवन शैली, विचारों, भावनाओं और समस्याओं से निपटने के तरीके पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। तनाव प्रबंधन के अंतर्गत कर्मचारी जब चाहे अपनी तनावपूर्ण स्थिति को बदल सकते हैं, जब तनावपूर्ण स्थिति को बदल नहीं सकते तो अपनी प्रतिक्रिया को बदलकर, अपना ख्याल रखकर, आराम कर और विश्राम के लिए समय निकालना कर तनाव का प्रबंधन किया जा सकता है। तनाव प्रबंधन के अंतर्गत सर्वप्रथम अपने जीवन में तनाव के वास्तविक स्रोतों को पहचानना है।

तनाव प्रबंधन रणनीतियाँ

शारीरिक गतिविधियाँ: शारीरिक गतिविधि तनाव के प्रभावों को कम करने और रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके लाभों का अनुभव करने के लिए एथलीट होने या जिम में घंटों बिताने की ज़रूरत नहीं है। लगभग किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि तनाव को दूर करने और क्रोध, तनाव और निराशा को दूर करने में मदद कर सकती है। व्यायाम एंडोर्फिन जारी करता है जो आपके मूड को अच्छा महसूस कराता है, और यह कर्मचारी की दैनिक चिंताओं और व्याकुलता कम कर सकता है।

30 मिनट या उससे अधिक समय तक व्यायाम करने से अधिकतम लाभ मिलता है, इस हेतु कार्मिक छोटी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे अपने फिटनेस स्तर को बढ़ा सकते हैं। 10-मिनट की छोटी गतिविधि जो हृदय गति को बढ़ाती है और पसीने से तर कर देती है, तनाव को दूर करने और अधिक ऊर्जा और आशावादी बनने में मदद कर सकती है। यहां तक कि कुछ बहुत छोटी छोटी गतिविधियां भी दिनचर्या में शामिल की जा सकती हैं। पहला कदम कर्मचारी को स्वयं उठाना और उसमें निरंतरता लाना है, कुछ सरल तरीके निम्न हो सकते हैं:

- मधुर संगीत सुनना और नृत्य करना।
- अपने पालतू जानवर को टहलाने के लिए ले जाना।
- छुटपुट सामान लेने पैदल या साइकिल से जाना।
- घर या कार्यस्थल पर लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करना।
- अपनी कार को पार्किंग में सबसे दूर पार्क करना और बाकी रास्ते पर पैदल चलना।
- किसी साथी के साथ जोड़ी बनाकर कसरत करते समय एक दूसरे को प्रोत्साहित करना।
- अपने बच्चों के साथ पिंग-पोंग या गतिविधि-आधारित वीडियो गेम खेलना।

नियमित व्यायाम: जब शारीरिक रूप से सक्रिय होने की आदत बन जाती है, तो अपने दैनिक कार्यक्रम में नियमित व्यायाम को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी गतिविधियाँ जो निरंतर और लयबद्ध होती हैं – और आपके दोनों हाथों और पैरों को हिलाने की आवश्यकता होती है – विशेष रूप से तनाव को दूर करने में प्रभावी होती हैं। चलना, दौड़ना, तैरना, नृत्य करना, साइकिल चलाना, ताई ची और एरोबिक कक्षाएं अच्छे विकल्प हैं। कर्मचारी को एक ऐसी गतिविधि चुननी चाहिए जिसे वह पसंद करते हैं, ताकि इसे लम्बे समय तक जारी रखा जा सके। व्यायाम करते समय अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित रखने के बजाय, अपने शरीर और शारीरिक (और

कभी-कभी भावनात्मक) संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सचेत प्रयास किये जाने चाहिये। इस चैतन्य तत्व को अपने व्यायाम दिनचर्या में शामिल करने से नकारात्मक विचारों के चक्र से बाहर निकलने में मदद मिलती है जो अक्सर अत्यधिक तनाव के साथ होते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी गतिविधियों को श्वास के साथ समन्वित करने पर ध्यान देना चाहिए या ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपकी त्वचा हवा या धूप को कैसा महसूस कर रही है।

सामाजिक व्यस्तता: सामाजिक जुड़ाव तनाव पर लगाम लगाने और आंतरिक या बाहरी घटनाओं पर अत्यधिक प्रतिक्रिया से बचने का सबसे तेज़, सबसे कारगर तरीका है। तंत्रिका तंत्र को किसी अन्य व्यक्ति के साथ संवाद करने से ज्यादा सुकून देने वाला और कोई कार्य नहीं है, जो सामाजिक दायरे में सुरक्षित और समझदार महसूस कराता है। सुरक्षा का यह अनुभव अशाब्दिक संकेतों से उत्पन्न होता है जो आप सुनते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। कान, मुंह, हृदय, पेट और मस्तिष्क आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ आमने-सामने बातचीत करना, नज़र मिलाना, ध्यानपूर्वक सुनना, बात करना – जल्दी से शांत करता है और तनाव में कमी आ जाती है। 'भाग ले (Fight) या भाग ले (Flight) जैसी रक्षात्मक तनाव प्रतिक्रिया को अपनाना चाहिए। इससे शरीर तनाव को कम करने वाले हार्मोन का स्राव करता है, भले ही आप तनावपूर्ण स्थिति को बदलने में असमर्थ हों। बेशक, जब आप तनाव को अधिक महसूस करते हैं, तो केवल एक मित्र पर निर्भर रहना हमेशा यथार्थवादी नहीं होता है, लेकिन करीबी शुभचिंतकों का एक नेटवर्क बनाकर और बनाए रखने से आप जीवन के तनावों के प्रति अपने लचीलेपन में सुधार कर सकते हैं। दूसरी तरफ, आप जितने अकेले और अलग-थलग होंगे, तनाव के प्रति आपकी संवेदनशीलता उतनी ही अधिक होगी।

अनावश्यक तनाव से बचें: कार्मिकों के तंत्रिका तंत्र से एक स्वचालित प्रतिक्रिया तनाव है, कुछ तनाव समयानुसार उत्पन्न होते हैं – उदाहरण के लिए, काम पर जाने के लिए, अपने बॉस के साथ बैठक, या पारिवारिक समारोहों में उपस्थिति। ऐसे पूर्व निर्धारित तनावों से निपटते समय, या तो स्थिति को बदला जा सकता है या अपनी प्रतिक्रिया बदली जा सकती है। किसी भी परिदृश्य में कौन सा विकल्प चुनना है, इसे तय करते समय 4A's यानि Avoid (टालना), Alter (बदलाव), Adapt (अनुकूलित करना) या Accept (स्वीकार करना) पर विचार करना या सोचना मददगार हो सकता है।

स्थितियों में परिवर्तन: यदि कर्मचारी तनावपूर्ण स्थिति से बच नहीं सकते हैं, तो इसे बदलने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर, इनमें दैनिक जीवन में संवाद करने और काम करने के तरीके को बदलना शामिल होता है।

भावनाओं की अभिव्यक्ति: कर्मचारियों को अपनी भावनाओं को बोलतबंद करने के बजाय सौजन्यता से व्यक्त करना चाहिए। अगर कोई चीज या कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो अधिक मुखर रहकर और अपनी चिंताओं को खुले और सम्मानजनक तरीके से संप्रेषित करना चाहिए। यदि कर्मचारी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं करेंगे, तो आक्रोश बढ़ेगा और जिससे तनाव में वृद्धि होती है।

समझौता करने के लिए तैयार रहें: जब कर्मचारी किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के प्रति अपना व्यवहार बदलने के लिए अपेक्षा रखते हैं, तो ऐसा करने के लिए स्वयं भी तैयार रहना चाहिए। यदि दोनों कम से कम थोड़ा

झुकने को तैयार हैं, तो उनके पास अपने कार्यस्थल पर एक सुखद मध्य मार्ग खोजने का एक अच्छा मौका होगा।

समय का समुचित प्रबंधन: समय का कुप्रबंधन बड़े तनाव का कारण बन सकता है। लेकिन अगर कर्मचारी भविष्य की योजना बनाते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि अब एक सीमा के बाद रुक जायेंगे, तो उनके लिए शांत और केंद्रित रहना आसान हो जाएगा।

तनाव का अनुकूलन: कार्मिक कैसे सोचते हैं? इसका उनके तनाव के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हर बार जब वे अपने बारे में नकारात्मक विचार सोचते हैं, तो उनका शरीर प्रतिक्रिया करता है और वह तनाव से भरी स्थिति में पहुँच जाते हैं। तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति अपनी अपेक्षाओं और दृष्टिकोण को बदलकर अपने नियंत्रण की भावना को पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

समस्याओं को पुनः परिभाषित करना: कार्यस्थल पर या दैनिक जीवन में कर्मचारियों को तनावपूर्ण स्थितियों को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए ट्रैफिक जाम में फसने पर क्रोधित होने के स्थान पर, इसे रुकने और फिर से रिक्रेश होने, अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन को सुनने, या कुछ समय अकेले का आनंद लेने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

तस्वीर का दूसरा पहलू देखें: तनावपूर्ण स्थिति का परिप्रेक्ष्य जानने का प्रयास कीजिये। अपने आप से पुछिए कि एक दीर्घ अवधि में यह कितना महत्वपूर्ण होगा? क्या यह एक महीने या? एक साल? में आप के लिए यह क्या मायने रखेगा? क्या यह वास्तव में परेशान होने लायक है? यदि उत्तर नहीं है, तो अपना समय और ऊर्जा को अन्यत्र केंद्रित करना चाहिए।

अपने मानकों को समायोजित करें: पूर्णतावाद परिहार्य तनाव का एक प्रमुख स्रोत है। पूर्णता की मांग करके खुद को असफलता के लिए तैयार करना बंद करें। अपने और दूसरों के लिए उचित मानक निर्धारित करें, और 'काफी अच्छा' के साथ कार्यों को सम्पादित करना सीखियें।

उन चीजों को स्वीकार कीजिये जिन्हें बदला नहीं जा सकता: तनाव के कई स्रोत अपरिहार्य हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु, गंभीर बीमारी या राष्ट्रीय मंदी जैसे तनावों को रोका या बदला नहीं जा सकता है। ऐसे मामलों में, तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए जैसी वे हैं। स्वीकृति मुश्किल हो सकती है, लेकिन लंबे समय में ऐसी स्थिति, जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, में बने रहने से आसान है।

अपरिहार्य को नियंत्रित करने की कोशिश न करें: जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं—खासकर दूसरों का व्यवहार। उन पर जोर देने के बजाय, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं जैसे कि आप समस्याओं पर प्रतिक्रिया करने का तरीका चुनते हैं।

विपरीत देखें: कर्मचारियों को बड़ी चुनौतियों का सामना करते समय इन्हें व्यक्तिगत विकास के अवसरों के रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए। यदि कर्मचारियों के द्वारा चयनित खराब विकल्पों ने तनावपूर्ण स्थिति में योगदान दिया है, तो उन पर उन्हें चिंतन करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए।

क्षमा करना सीखें: इस तथ्य को स्वीकार करें कि हम एक अपूर्ण दुनिया में रहते हैं और लोग गलतियाँ करते हैं। क्रोध और द्वेष का त्याग कर संबंधितों को क्षमा कर आगे बढ़ते हुए स्वयं को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए इससे कर्मचारी कार्यस्थल पर अनावश्यक तनाव

से बच सकेंगे।

मौज-मस्ती और आराम के लिए समय निकालना: कार्यस्थल पर सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्यभार ग्रहण करने और दायित्वों को व्यवस्थित रूप से पूर्ण करने का प्रयास करके कर्मचारी अपने जीवन में तनाव को कम कर सकते हैं। यदि वे नियमित रूप से मौज-मस्ती और विश्राम के लिए समय निकालते हैं, तो जीवन के तनावों को संभालने के लिए अपने आप को बेहतर स्थिति पर पाएंगे।

विश्राम का समय अलग रखें : अपने दैनिक कार्यक्रम में आराम और विश्राम को शामिल किया जाना चाहिए। अन्य दायित्वों को इसे अतिक्रमण करने की अनुमति मत दीजिये। यह कर्मचारियों के लिए सभी जिम्मेदारियों से ब्रेक लेने और अपनी बैटरी रिचार्ज करने का समय है।

कुछ ऐसा करें जो आपको हर दिन पसंद हो : अवकाश में अन्य गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपको आनंदित करें, चाहे वह पर्यटन हो, बांसुरी बजाना हो, या बगीचे में साफसफाई हो, अपनी बाइक को व्यवस्थित करना हो।

सेंस ऑफ ह्यूमर बनाए रखें : कर्मचारी यदि स्वयं पर हंसने की क्षमता कर ले तनाव पर शीघ्रता से काबू पाया जा सकता है। हंसने की क्रिया शरीर को कई तरह से तनाव से लड़ने में मदद करती है।

स्वस्थ जीवन शैली अपनाना: नियमित व्यायाम के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य जीवन शैली विकल्प अपनाने से तनाव के प्रति आपकी प्रतिरोध को क्षमता बढ़ जाती है जो इस प्रकार के हो सकते हैं जैसे :-

स्वस्थ आहार लेना : तनाव से निपटने के लिए बेहतर सुपोषित शरीर आवश्यक हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या खाया जा रहा है। दिन की शुरुआत नाश्ते के साथ और पूरे समय संतुलित, पौष्टिक भोजन के साथ अपनी ऊर्जा और अपने दिमाग को व्यवस्थित रखना चाहिए।

कैफीन और चीनी का उपयोग कम करना : अस्थायी रूप से कैफीन और चीनी की अधिक मात्रा अक्सर मूड और ऊर्जा में अनापेक्षित परिवर्तन लाते हैं। इसलिए आहार में कॉफी, शीतल पेय, चॉकलेट और चीनीयुक्त स्नेक्स की मात्रा कम करके, अधिक आराम महसूस किया जा सकता है जो बेहतर नींद के लिए जरूरी है।

शराब, सिगरेट और नशीले पदार्थों से बचना : तनाव से बचने के लिए स्व-चिकित्सा रूप में शराब या नशीली दवाओं के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इनसे अस्थायी राहत मिल सकती है लेकिन दीर्घ समय में आप अपने स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। कर्मचारियों को तनाव से बचने के लिए

इस प्रकार के छद्म आवरण से बचकर बलिक समस्याओं का डटकर और स्पष्ट मनोभाव से सामना करना चाहिए।

पर्याप्त नींद : पर्याप्त नींद दिमाग के साथ-साथ आपके शरीर को भी ऊर्जा प्रदान करती है। थकान महसूस करने से तनाव बढ़ता है और इस तनाव में तर्कहीन सोच सकते हैं।

सारांश : तनाव एक प्राकृतिक, निरंतर, गतिक तथा अन्योन्य क्रियात्मक प्रक्रिया है जो उस समय घटित होती है जब लोग अपने वातावरण के प्रति समंजित होते हैं। तनाव आह्लादक, दुःख, अतितनाव और चिरकालिक तनाव के रूप में हो सकता है। यह जीवन की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की घटनाओं के फलस्वरूप विकसित होता है। अतः तनाव एक सामान्य घटना है। तनाव और निष्पादन आपस में ऋणात्मक रूप से सहसम्बन्धित होते हैं। कर्मचारियों को तनाव का विलोपन करने के स्थान पर इसका परिसीमन करना चाहिए। इसे सकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। सकारात्मक रूप से तनाव को सम्हालने से निष्पादन और जीवन की गुणवत्ता दोनों में सुधार आता है। कर्मचारियों को तनाव प्रबन्धन की कार्यनीतियों का अनुसरण कर तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की तनाव के प्रति अनुक्रिया अनन्य होती है कोई एक सर्व सामान्य विधि नहीं हो सकती है जिसके प्रयोग से सभी व्यक्तियों के तनाव को प्रबंधित किया जा सके। कोई भी एक विधि सभी व्यक्तियों और सभी स्थितियों के लिए प्रभावी नहीं होती अतः विभिन्न तकनीकों और कार्यनीतियों को साथ साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिम्पल वेज टू मैनेज स्ट्रेस, प्रमोद बत्रा, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली (2008)
2. स्ट्रेस इन टीचिंग , जे दुहेम निकोलस पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली (1982)
3. स्ट्रेस इन वर्क प्लेस : ए केस स्टडी, नोर्टजी, ब्रिब्रेचट सुसाना, टीश्वेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (2007)
4. Stress. Health Tips from Army Medicine. Ayala, S. Fort Lewis, WA, Madigan Army Medical Center (2016).
5. In Harm's Way: Suicide in America. National Institute of Mental Health. (2003).
6. Mental Health Myths, Pawelek, J., & Jeanise, S. Health Tips from Army Medicine. (2016)

लोक संहित्य एक संक्षिप्त परिचय

डॉ. सुनीता यादव *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, गोपालपुर, जिला-सीहोर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - लोक संहित्य का अभिप्राय उस साहित्य से है जिसकी रचना लोक करता है। लोक-साहित्य उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव, इसलिए उसमें जन-जीवन की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय और प्रकृति सभ कुछ समाहित है। डॉ. सत्येन्द्र के अनुसार 'लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो आभिजात्य संस्कार शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है।' (लोक साहित्य विज्ञान, डॉ. सत्येन्द्र, पृष्ठ-03) किसी देश अथवा क्षेत्र का लोकसाहित्य वहाँ की आदिकाल से लेकर अब तक की उन सभी प्रवृत्तियों का प्रतीक होता है जो साधारण जनस्वभाव के अंतर्गत आती है। इस साहित्य में जनजीवन की सभी प्रकार की भावनाएँ बिना किसी कृत्रिमता के समाई रहती हैं। अतः यदि कहीं की समूची संस्कृति का अध्ययन करना हो तो वहाँ के लोकसाहित्य का विशेष अवलोकन करना पड़ेगा। यह लिपिबद्ध करने का प्रयास इधर कुछ वर्षों से किया जा रहा है और अनेक ग्रंथ भी संपादित रूप में सामने आए हैं किंतु अब भी मौखिक लोकसाहित्य बहुत बड़ी मात्रा में असंगृहीत है। लोक जीवन की जैसी सरलतम, नैसर्गिक अनुभूतिमयी अभिव्यंजना का चित्रण लोकगीतों व लोक-कथाओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ है। लोक-साहित्य में लोक-मानव का हृदय बोलता है। प्रकृति स्वयं गाती-गुनगुनाती है। लोक-साहित्य में निहित सौंदर्य का मूल्यांकन सर्वथा अनुभूतिजन्य है।

लोक-साहित्य के कई आषय हो सकते हैं। पहला-उस लोक का साहित्य जो सभ्यता कि सीमाओं से बाहर या उन लोगों का साहित्य जिनकी गिनती सभ्यता कि सीमाओं में नहीं होती। हालाँकि सभ्यता के मान अलग-अलग हो सकते हैं और सांस्कृति विरासत सभ्यता के पैमानों को बदल सकती है और मूल्यहीन बना सकती है, लेकिन आज मोटे तौर पर यही समझा जाता है। मसलन आदिवासी लोगों द्वारा रचित मौखिक साहित्य इसी कोटि में रखा जा सकता है, जोकि एक काबिले-एतराज बात है। दूसरा-आदिम परंपराओं की सुरक्षित रखे हुए लोगों का साहित्य, जो कबीलाई संस्कृति या फिर कबीलाई मानसिकता के साथ-साथ विकसित होता है। तीसरा-गाँवों में रचा जाने वाला साहित्य और चौथा-लोक-रंजन के लिए रचा जाने वाला साहित्य। इस कोटि में हम फिल्मी गीतों को भी रख सकते हैं।

प्रस्तावना - आदिकाल से श्रुति एवं स्मृति के सहारे जीवित रहनेवाले लोकसाहित्य के कुछ विशेष सिद्धांत हैं। इस साहित्य में मुख्य रूप से वे रचनाएँ ही स्वीकार की जाती हैं अथवा जीवन पाती हैं जो अनेक कंटों से अनेक रूपों में बन बिगड़कर एक सर्वमान्य रूप धारण कर लेती हैं। यह रचनाक्रम आदिकाल से अबतक जारी है। ऐसी बहुत सी साहित्य सामग्री आज भी प्रचलित है जो अभी एकरूपता नहीं ग्रहण कर पाई है।

लोकसाहित्य किसी एक व्यक्ति की रचना का परिणाम नहीं है। वैसे तो इसके कई प्रमाण दिए जा सकते हैं कि एक ही गीत, कथा या कहावत एक स्थल पर जिस रूप में होता है दूसरे स्थल पर पहुँचते-पहुँचते उसका वह रूप बदल जाता है किंतु एक अच्छा प्रमाण यह होगा कि सैंकड़ों वर्ष से गाए जानेवाले लोकमहाकाव्य आल्ह-खंड को आज तक एकरूपता नहीं प्राप्त हो सकी इस साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अनेक रूपों में होते हुए भी अनेकता में एकता की भावना से युक्त होता है। भाषा के कलेवर को बदलकर भी भावपक्ष में कोई परिवर्तन नहीं दीखता। एक ही रचना जो किसी स्थल पर वहाँ की बाली में पाई जाती है, वही बहुत दूर दूसरी बोली में भी मिल जाती है। स्फुट गीतों के भावों एवं प्रबंधों की कथाओं की यह यात्रा कभी कभी तो इतनी लंबी होती है कि आश्चर्य होता है। क्षेत्रों एवं दशों की सीमा मनुष्य भले ही निर्धारित कर दे पर लोकसाहित्य इसे स्वीकार नहीं करता।

ऐसा शायद इसलिए संभव हुआ होगा कि यात्राकाल में प्राचीन मानव जब कभी दूर गया होगा तो अपना साहित्य साथ लेता गया होगा और गंतव्य स्थान पर उसकी छाप छोड़ आया होगा जिसे वहाँ के लोगों ने स्वीकार कर लिया होगा। यह क्रम आज भी जारी है। जब कोई ग्राम्या नैहर से ससुराल जाती है तो स्वभावतः वह नैहर की उन लोकरचनाओं को अपने साथ लेती जाती है जो उसे स्मरण रहती हैं।

विशिष्टताएँ - लोक-साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा है और उसकी वर्ण्य-जीवन में गृहीत चरित्रों, भावों और प्रभावों तक सीमित है। उसकी रचना में व्यक्ति का नहीं बल्कि समूचे सामज का समावेत योगदान। यही कारण है कि लोक-साहित्य पर व्यक्ति की छाप न होकर समग्र व्यक्ति-लोक की छाप होती है। इसमें पिल्प-विधान के लिए कोई अभ्यास या कौशल परिलक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि पिल्प का विधान यदि हमें दिखाता है तो वह सामाजिक समरसता की विवशता के कारण अपने आप उद्भूत रूप में ही।

प्रकार - लोक-साहित्य के मुख्यतः चार भेद कहे जाते हैं, लोक-गीत, लोक-कथा और लोक-नाट्य। लोक-गाथा और लोक-कथा में भेद इतना ही है कि लोक-गाथा एक लम्बे आख्यान-गीत के रूप में चलती है और इसमें प्रबन्ध-योजना गाथा-प्रधान न होकर रस-प्रधान होती है, जबकि

लोक-कथा गद्यात्मक होने के साथ-साथ कथा प्रधान या दूसरे शब्दों में घटना-प्रधान हुआ करती है। लोक-कथाओं और लोक-गाथाओं में कथा-शिल्प ही प्रमुख रहता है, केवल लोक-गान ऐसा प्रकार है, जिसमें अपने समग्र रूप में शिल्प-विधान विकसित हो सकता है।

देवी देवताओं एवं प्राकृतिक उपलब्धियों पर आधारित साहित्य - आदिकालीन मानव के प्रकृतिप्रदत्त विभिन्न कल्याणकारी परिणामों से प्रभावित होने के कारण उनपर जो विश्वास आरोपित किया इससे संबद्ध साहित्य इसके अंतर्गत आता है। इसमें भक्ति एवं भय दोनों प्रकार की भावनाएँ सन्निहित होती हैं। देवी देवताओं की पूजा के लिए रचित तथा अंधविश्वासों से संबद्ध साहित्य (टोना, टोटका, मंत्र एवं जादू इत्यादि) इसी के अंतर्गत है। धरती, आकाश, कुँआ, तालाब, नदी, डीह, त्योहार, मरी मसान, वृक्ष, फसल, पौधा, पशु, दैत्य दानव देवी देवता, कुलदेवता, ब्रह्म एवं तीर्थ आदि पर जो मंत्र या गीता प्रचलित हैं वे इसी के अंग हैं। जब भी ग्रामीण को शुभ कार्य (जन्म से लेकर मरण तक के सभी संस्कार तथा खेती बारी, फसल की पूजा, गृहनिर्माण, मंदिर एवं धर्म शाला का निर्माण और परमार्थ संबंधी अन्य कार्य) प्रारंभ करते हैं तो उससे संबद्ध देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जिन गीतों अथवा मंत्रों का प्रयोग होता है वे सब इस साहित्य में आते हैं।

लोकाचार के लिए रचित साहित्य - इसके अंतर्गत आचार विचार एवं व्यावहारिकता तथा विभिन्न लोकामान्यताओं से संबद्ध साहित्य आता है। आचार-विचार के लिए रचित साहित्य में भावनाओं और मान्यताओं का प्रवेश है किंतु व्यवहार के लिए रचे गए साहित्य में यह बात कम देखने को मिलती है। व्यवहार की विशेषता लोकसाहित्य में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अनेक अमानवीय तत्वों से तथा हिंसक जंतुओं से संबंध जोड़कर सारी सृष्टि को एक रूप में बाँधा गया है। इस संदर्भ में रचे हुए साहित्य का मूल उद्देश्य व्यावहारिकता के आधार पर सरल एवं सुखी जीवन व्यतीत करना है।

वैज्ञानिकता पर आधारित साहित्य - इस साहित्य के अंतर्गत ऋतुविद्या, स्वास्थ्यविज्ञान, कृषिविज्ञान, एवं शकुन आदि से संबंध साहित्य आता है। लोकजीवन में इस प्रकार के साहित्य को आधुनिक वैज्ञानिक युग में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनमें पूर्वाचार्यों द्वारा निर्धारित अनुभूमियों, नियमों एवं तत्सम्बंधी उपदेशात्मक बातों का समावेश होता है। ऋतुविज्ञान के अंतर्गत अतिवृष्टि, अनावृष्टि, एवं अल्पवृष्टि के कारणों तथा तज्जन्य क्षतियों और उनसे बचने के उपायों की ओर संकेत किए गए हैं। कृषिविज्ञान के लिए रचे गए साहित्य की है। इसके अंतर्गत खेती से संबंध प्रायः आवश्यक बातें कह दी गई हैं। खेत की जुताई किस तरह हो, किस प्रकार के खेत में किस प्रकार की बुआई की जाए, बीज की मात्रा कितनी हो, सिंचाई कब की जाए, निरवाही एवं गुड़ाई कब की जाए तथा किस समय फसल की कटाई हो, यह सब बातें तो वैज्ञानिक साहित्य के अंतर्गत आती ही हैं, इनके अतिरिक्त फसल सम्बंधी रोगों तथा उपचारों का भी वर्णन मिलता है। स्वास्थ्यविज्ञान में विभिन्न रोगों के लक्षण और उनसे बचने के उपाय तथा औषधियों की ओर संकेत मिलता है। कौन सा रोग क्यों उत्पन्न होता है तथा किन आचरणों से रोग उत्पन्न नहीं या दूर हो जाता है आदि बातें इसे अंतर्गत आती है। शकुनविचार संबंधी साहित्य में मुख्य रूप से यात्रा आरंभ करने के लिए कालक्रमानुसार शुभ लक्षणों को देखते हुए या तो आदेश दिए गए हैं या अपशकुतों के कारण यात्रारंभ के लिए मनाही की गई है। यदि यात्रा बहुत ही आवश्यक हो और दिनों की गणना में उसका समय अनुकूल न पड़ता हो तो उससे बचने के लिए उपाय बताए गए हैं।

जातीय लोकसाहित्य - संपूर्ण लोकसाहित्य का एक सर्वमान्य रूप तो होता ही है किंतु साथ ही विभिन्न जातियों की परंपरागत संस्कृति पर आधारित साहित्य भी होता है। इनमें उन जातियों के निजी देवी देवता, कुल देवता के आदेश तथा आचार्यों एवं संत महात्माओं द्वारा बताए गए नियम, उपनियम और उनकी वाणी शामिल होती है। संपूर्ण लोकसाहित्य वहाँ की विभिन्न जातियों की सामूहिक संस्कृति का प्रतीक होता है।

लोकसाहित्य की रचनास्थली - लोकसाहित्य के अंग का आज जो रूप है वही कल भी था और आगे भी बना रहेगा। यदि हम कहें कि लोकसाहित्य की प्रमुख रचनास्थली चौपाल एवं आँगन है तो बेजा नहीं होगा। चौपालों में प्रायः अवकाश के समय गाँव के लोग एकत्र हो जाते हैं। तरह तरह की बातें चलती हैं। रीतिरिवाजों की चर्चा, धर्मचर्चा, कथा-कहानियाँ, खेती बारी की बात तथा लोकगीत आदि समय समय पर चौपालों को मुखरित करते रहते हैं।

लोकसाहित्य का जीवन - भूतकाल में रचा गया सभी लोकसाहित्य जीवित है और आज जिनका निर्माण हो रहा है उनका अंत कभी नहीं होगा। सच तो यह है कि इस साहित्य की विधाएँ युगप्रभाव को स्वीकार करके अपना रूप बराबर बदलती हैं। इधर पचास वर्ष के भीतर रचे गए साहित्य को देखने से यह बात स्पष्ट भी हो जाती है। इस अवधि में गाँवों को जितनी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें अधिकांश का समावेश लोकसाहित्य में हो चुका है। प्राचीन लोकसाहित्य में आए जादू के उड़न खटोले को छोड़कर इस युग के लोकसाहित्य ने सीधे सीधे हवाई जहाज को स्वीकार किया है। वैसे लोकसाहित्य में बैलगाड़ी, घोड़ा, ऊँट, हाथी तथा नौका आदि वाहन अब भी जीवित हैं किंतु मोटर एवं रेलगाड़ी ने भी अपना स्थान बना लिया है। वर्तमान काल में होनेवाले नव निर्माणों को भी उक्त साहित्य में स्थान मिलता जा रहा है। इन साहित्यिक रचनाओं के साथ वे सभी लगे हुए हैं। जो उन्हें दीर्घ जीवन प्रदान करते हैं।

लोक साहित्य के सन्दर्भ - लोक साहित्य ऐसी संक्षिप्त रचना है जिसमें शिष्ट साहित्य-सदृश समग्र विधाओं को परिभाषित कर निरखना-परखना बाह्य दृष्टिसे भले उचित हो, आंतरिक दृष्टि से कदापि संभव नहीं। यह जन-मन जीवन अनुभव तत्वों से मिलकर तथा कथा से जुड़कर लोकगाथा बनती है, वस्तुतः लोक-साहित्य का पहिया रुक नहीं सकता, क्योंकि इसका प्रचार-प्रसार लोक-चेतना, लोक-विश्वास एवं लोक-रूचि के सहारे होता है, लोक-साहित्य में जितनी अगढ़ता है, कच्चापन है, उतनी ही उसमें मिट्टी की खुशबू भी है। उसमें एक सम्मोहन है। मानवीय संवेदना का जबरदस्त वाहक है लोक-साहित्य। लोक-साहित्य कभी हिंसक नहीं होता, सांप्रदायिक भी नहीं, संकुचित भी नहीं। वह तो समूहधर्मी है, सामाजिक प्रतिबद्धता है उसमें। इसीलिए वह व्यक्ति को उसकी वैयक्तिक कुंठाओं को खोल से बाहर निकालता है। जो काम शास्त्र और संत नहीं कर पाता, वही काम लोक-साहित्य बड़े प्यार से कर देता है। इस दृष्टि से लोक-साहित्य सच में उदात्त है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लोक साहित्य परम्परा और प्रयोग Yaduwansh.blogspot.com
2. भारत में लोक साहित्य का उद्भव 08 मई 2020 लोक साहित्य जिसे लोककथाओं या मौखिक परंपरा भी कहा जाता है www.hindikunj.com 2020/05
3. लोक साहित्य की सांस्कृतिक परम्परा मइववा उमसं 17.02.2021
4. लोक साहित्य संस्कृति और समाज प्रताप सहगल Gadyakish

मानव जीवन में अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों की भूमिका

डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध *

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, चीनौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध लोगों द्वारा प्रयुक्त ऐसे सम्बन्ध होते हैं जो व्यक्तियों के स्वभाव के साथ-साथ परस्पर अन्तः क्रियाओं से जुड़े होते हैं यह सम्बन्ध घर के सदस्यों के साथ बाहर व्यक्तियों से मेल-मिलाप को सारगर्भित बनाते हैं चाहे घर में कार्य करने वाला नौकर या कार्यालय का बॉस, किसी न किसी तरह से मनुष्य आपस में अपने व्यवहार से जुड़े होते हैं क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और हर व्यक्ति के अन्दर कुछ न कुछ उत्सुकता होती है कि वह समाज में अच्छा प्राणी बने इसके लिए उसे दूसरों से सीखने की जरूरत पड़ती है और वह दूसरों का सहारा लेता, यह पारस्परिक मानवीय भाव अन्तः क्रिया को जन्म देते हैं यदि हम यह कल्पना करें कि हमारे पास बहुत सारे लोग न होते तो हमारा जीवन कैसा होता, मानव जन्म लेते ही सामाजिक परिवेश से जुड़ने के साथ-साथ अन्य विभिन्न तरीकों से भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं चाहे वो रिश्ते हो, अन्तः क्रिया या योग्यता, ये अन्तर्वैयक्तिक आकर्षण का केन्द्र होते हैं जो सम्पूर्ण मानव समाज को एक-दूसरे से जोड़कर रखते हैं इन्हें ही हम अन्तर्वैयक्तिक कौशल, संचार कौशल, प्रत्यक्ष वार्ता कौशल, जनसामान्य कौशल, सामाजिक कौशल एवं सामाजिक स्पर्द्धा कहा जाता है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अन्तर्वैयक्तिक कौशल का सम्बन्ध ऐसी मानसिक एवं सम्प्रेषणात्मक क्रियाओं से है जिनका प्रयोग निर्धारित प्रभाव एवं परिणाम प्राप्त करने के लिए सामाजिक संचार एवं अन्तः क्रिया के दौरान होता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध मानव के जन्म लेते ही उसके जीवन में उनका प्रवेश हो जाता है जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय वह मुख्य रूप से अपने माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़ता है धीरे-धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसका अपने गुरुजनों के साथ-साथ मित्रों से भी जुड़ाव होना शुरू हो जाता है इस प्रकार से वह समाज से जुड़ता है एवं सीखता है अपने परिवार एवं आसपास के परिवेश का उसके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है जो वो परिवार एवं अपने समीप देखता है उसी के अनुसार उसका स्वभाव एवं चरित्र का निर्माण होता है धीरे-धीरे वह गुण तथा आदतों के आधार पर समाज में अपना स्थान बनाता है यह उसके कर्म पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार से मनुष्य पारस्परिक सम्बन्धों से एक-दूसरे से जुड़ा होता है।
2. मानव स्वभाव से ही एक जिज्ञासु प्राणी है और वह समाज में रहकर उसमें होनी वाली गतिविधियों को समझता है और समाज के लोगों से ही सीखना शुरू करता, वह समाज के कैसे व्यक्तियों के साथ रहता है एवं कौन से लोग उसे पसन्द करते वह सतत समाज में रहता है, समाज में होने वाली

बुराईयों एवं कुरीतियों को भी देखता है एवं अहसास करता है सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके अन्दर इन बुराईयों के प्रति उसका रूख सकारात्मक एवं नकारात्मक रहता है सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समाज की अच्छाईयों को स्वीकार करता है बुराईयों एवं कुरीतियों का विरोध कर महान बनने की कोषिष करता है जिसका व्यक्तित्व दैवीय प्रवृत्ति का होता है जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समाज में होने वाली प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं देता है एवं मान लेता है कि यह सब ईश्वर की देन है।

3. सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अपने व्यवहार, हावभाव एवं बोलचाल के तरीकों में निपुण होता है और वह कार्य सम्बन्धों को अधिक से अधिक प्रभावशाली एवं सफलापूर्वक तरीके से प्रबन्धित करने के साथ-साथ आम आदमी की मॉग एवं सामाजिक समस्याओं को समझकर उन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाता है और उनका विश्लेषण कर उचित निर्णय लेता है एक व्यक्ति चाह वह शासकीय सेवक हो या पेशेवर वह अपनी योग्यता एवं अन्तर्वैयक्तिक कौशल के आधार पर एक अच्छे प्रशासक के रूप में कार्य करने में सफल होता है। अच्छा व्यवहार एवं सम्प्रेषण कौशल वाले पेशेवर एवं अन्य पुरुष लोगों को, व्यक्तित्व एवं अपने हावभाव से आकर्षित करने में सफल होते हैं। अतः सकारात्मक अन्तर्वैयक्तिक कौशल विवादों की संख्या को घटाकर एवं विभिन्न स्तरों पर सरल एवं सहज संचार प्रवाह सुनिश्चित कर संगठन की उत्पादकता को बढ़ता है।

उपकल्पना:

1. अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों से नेटवर्किंग पर पकड़ बनती है।
2. अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध व्यक्तियों के अन्दर कुशल नेतृत्व की भावना को जन्म देता है।

शोध प्रविधि: प्रस्तुत शोध अध्ययन मुख्यतः अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पर आधारित है इसमें साहित्य का अध्ययन पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्रों एवं इन्टरनेट वेबसाइट, सोशल मीडिया का सहारा लिया गया है।

अन्तर्वैयक्तिक कौशल के संघटक:

(अ) नेतृत्व: किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी समूह की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना ही नेतृत्व कहलाता है। इसके लिए उस व्यक्ति के अन्दर अन्तर्वैयक्तिक कौशल के साथ-साथ भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए जिससे दूसरे लोग उससे प्रभावित हो अपने अन्तर्वैयक्तिक कौशल के माध्यम से वह मार्गदर्शन करने, निर्णय लेने, प्रतिनिधित्व करने एवं दूसरों को प्रोत्साहित करने जैसे कौशलों का प्रयोग कर उपलब्ध कई विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर निर्णय लेने की कला के आधार पर स्वविवेक के माध्यम से अन्य सदस्यों को कार्य, उत्तरदायित्व एवं

अधिकारों का वितरित एवं वर्गीकरण कर कुशल व्यक्तियों को सौंपकर उनकों प्रोत्साहित करता है।

(ब) नेटवर्किंग: अन्य लोगों के साथ प्रभावी सम्पर्क बनाकर उन सम्पर्कों को पारस्परिक लाभ के लिए बनाए रखने एवं उनका प्रयोग करने की योग्यता ही नेटवर्किंग है वर्तमान भूमण्डलीकरण के युग में नेटवर्किंग एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह कार्यभार को घटाने के साथ-साथ आदमी के अन्दर आत्मविश्वास की भावना को जाग्रत करता है एक कुशल व्यक्ति अधिक सकारात्मक रवैए के साथ-साथ गुणवत्तापूर्वक कार्य करना सुनिश्चित करता है आत्म विश्वास व्यक्ति के संचार के तरीके एवं कैरियर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जब आदमी का नेटवर्क अच्छा होता है उसे कुशल लोग सहजता से मिल जाते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में लाभदायक सिद्ध होते हैं। नेटवर्क के साथ-साथ प्रभावी संचार भी अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों को प्रगाण बनाता है इसके अन्तर्गत हम किसी से बात करते समय कैसी प्रतिक्रिया करते हैं इसमें शारीरिक हावभाव बोलने का तरीका इत्यादि बाते शामिल होती हैं।

(स) समूह कार्य: यह अन्तर्वैयक्तिक कौशल का एक प्रमुख उपकरण है। इसके अन्तर्गत एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरों के साथ समूह में कार्य करना शामिल होता है इसके लिए परस्पर सहयोग, एक समूह में दूसरों के साथ सामाजिक, सीखने के लिए सामूहिक प्रयास और लक्ष्य के विकास एवं उसकी प्राप्ति के लिए उत्तरदायित्व लेने की अच्छी समझ का होना आवश्यक है।

निष्कर्ष: जो व्यक्ति समाज में रहता है वह अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों के माध्यम से किसी न किसी रूप में समाज से जुड़ा होता है और वह समाज में अपनी ख्याति, विद्वता, शिक्षा, समझदारी एवं अन्य गुणों के माध्यम से समाज में श्रेष्ठता साबित करता है और अन्य व्यक्ति उसे अपना गुरु, नेता, अभिनेता मान लेते हैं और वह उनका अनुसरण करने लगते हैं नेता और प्रबन्धकों की अपने सदस्यों पर उचित पकड़ होती है एवं नेतृत्व के समय वह सभी को कितना प्रभावित करते हैं तथा उनके सलाह एवं निर्देश कितने औचित्यपूर्ण हैं वह इनके अनुभव एवं विद्वता का प्रतीक है यही कला व्यक्तियों के

अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों को मजबूत बनाती है और कुशल नेतृत्व की भावना जाग्रत होती है अतः अध्ययन की द्वितीय उपकल्पना स्वयं सिद्ध होती है। जिस व्यक्ति के अन्दर कुशल नेतृत्व के गुण होते हैं उससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं और इस प्रकार से लोगों का एक बड़ा अन्तराजाल तैयार होता है अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अतः अध्ययन की प्रथम उपकल्पना स्वयं सिद्ध होती है।

सारांश: अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों से अधिक आकर्षण दो लोगों के मध्य पसंद पर आधारित संबंध है मानव जाति के मध्य लोग एक-दूसरे से आकर्षित होने की प्रवृत्ति में भिन्नता रखते हैं एवं पारस्परिक आकर्षण को कई सारे आंतरिक, वाह्य तथा अन्तर्वैयक्तिक कारक प्रभावित करते हैं दूसरों के साथ जुड़ने एवं संबंधित होने की प्रवृत्ति में एक महत्वपूर्ण कारक जो अन्तर्वैयक्तिक आकर्षण को प्रभावित करता है सकारात्मक प्रभाव की उपस्थिति का दूसरे व्यक्तियों एवं आसपास के व्यक्तियों का हमारे मूल्यांकन पर काफी प्रभाव होता है जो कि अन्तर्वैयक्तिक संबंधों को सुसाध्य करता है व्यक्ति जो भौतिक रूप से निकट होते हैं और बार-बार जिनके मिलने की संभावना होती है उनमें एक-दूसरे के प्रति आकर्षण की प्रत्याशा ज्यादा होती है आगे चलकर एक अच्छे एवं आकर्षक रूप का भी सार्थक प्रभाव अन्तर्वैयक्तिक संबंध एवं संचार की प्रक्रिया पर पड़ता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. एम.पी.पी.एस.सी. सामान्य अभिरूचि परीक्षण: पूर्णेन्दु कुमार एवं गोपाल कृष्ण पाण्डेय (2013) अरिहन्त पब्लिकेशन्स इण्डिया लिमिटेड।
2. मानव संसाधन प्रबंधन:- प्रो. जी. डी. शर्मा, प्रो. जी. सी. सुराना, डॉ. के. के. शर्मा (2002) रमेश बुक डिपो जयपुर।
3. अनुसंधान परिचय- पारसनाथ राय (2005) लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
4. औद्योगिक सामाज विज्ञान- पी. सी. खरे एवं वी. सी. सिन्हा (1998) मयूर पेपरबैक्स नोयडा।
5. इन्टरनेट, वेबसाइट।

नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना से मालवा का विकास

डॉ. के. आर. कुमेकर*

* सह-प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, सनावद (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मालवांचल को नर्मदा से निहाल के लिये नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना का शुभारम्भ किया गया जिससे मालवा का विकास हो सके। मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी मालवा क्षेत्र को हरा भरा बनाने निकल पड़ी है। इस योजना से सिर्फ नर्मदा क्षिप्रा ही नहीं, बल्कि चबल, यमुना और गंगा का भी आपस में मिलन होगा। इस योजना से जहाँ तिल तिल करके मर रही क्षिप्रा को नई जिंदगी मिल रही है, वही हर साल पानी के गम्भीर संकट से जुझने के आदी हो चुके मालवा को भरपूर पानी मिल रहा है जिससे मालवा निरंतर विकास की ओर अग्रसर है।

नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना की शुरुआत 29 नवंबर 2012, इन्दौर जिले में कम्पेल के पास उज्जैनी में स्थित क्षिप्रा टेकरी स्कंद पुराण में यही से क्षिप्रा नदी के उद्गम का वर्णन मिलता है। कालान्तर में यह नदी सुख गइ और अब मानवीय संकल्पों के चलते क्षिप्रा यही से दोबारा प्रवाहमान हुई है। इस साल फरवरी माह में ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना से नर्मदा का पानी लाकर क्षिप्रा में डाला गया है यह पानी करीब 115 किलोमीटर की दूरी तय करके उज्जैन शहर पहुंचा है। इसके लिये 4 स्टेशनो पर पंपिंग स्टेशन भी बनाये गये हैं। योजना पूरी होने पर मालवा क्षेत्र के तकरीबन 3,000 गांव और 70 कस्बों में पेयजल की किल्लत दूर हो जाएगी। यही नहीं, नर्मदा के पानी की मदद से लगभग 17 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकी। 432 करोड़ रुपये की लागत और 5 क्यूमेक्स (5 हजार लीटर प्रति सेकण्ड) क्षमता वाली इस योजना के लाभों के बारे में बड़े-बड़े और अविश्वसनीय दावे किए जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षमता 362 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) है। मध्यप्रदेश सरकार के सूचना प्रकाशन विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार योजना के घोषित लाभों में देवास और पीथमपुर के उद्योगों, देवास इंदौर सड़क पर बसे उपनगरों और 150 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ ही सूख चुकी क्षिप्रा नदी को सदाने का भी शामिल है। लगभग इंदौर जैसे एक शहर की पेयजल जरूरत के बराबर क्षमता वाली बिजली पर निर्भर इस योजना के दावों पर विश्वास करना मुश्किल है। यदि पाईप लाईनों से ही नदियाँ जिंदा हो जाती तो अब तक शायद ही देश की कोई नदी सूखी रहती।

शब्द कुंजी – परियोजना, नर्मदा नदी, विकास आदि।

नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के मुख्य बिन्दु:

- टोंकारेश्वर नहर के लिये सिसलिया तालाब में छोड़े जाने वाले जल में से 5 क्यूसेक जल का उद्हन कर सिंचाई परियोजना के चौथे चरण में उद्हन कर इन्दौर जिले के उज्जैनी ग्राम के पास क्षिप्रा नदी के उद्गम

में डाला गया।

- लगभग 49 किलोमीटर की दूरी एवं 348 मीटर की उचाई तक जल का उद्हन किया जायेगा।
- चार स्थलों पर जल उद्हन के विद्युत पम्पो की स्थापना की जायेगी।
- प्रशासकीय स्वीकृति 432 करोड़ रुपये की है।
- सिसलिया तालाब से नर्मदा जल 10 गुणा 15 मीटर चौड़ाई लगभग 275 गहराई वाले कुण्ड में छोड़ा जायेगा।
- परियोजना से मालवा क्षेत्र के 17 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुलभ होगी।
- परियोजना में उज्जैन एवं देवास जिलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा।

नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना से मालवा को लाभ :

- मालवा गम्भीर जल संकट के शिकार मालवा अंचल में इस परियोजना के तहत 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम के जरिए सिंचाई की योजना बनाई गई है। इस योजना के जरिए 72 कस्बों और 3000 गांवों में 4 चरणों पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही सूबे के पश्चिमी हिस्से के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को भी पानी मुहैया कराया जा रहा है।
- मालवा के डेढ़ सौ गांवों में पेयजल की व्यवस्था। जल स्तर में बढ़ोतरी।
- छोटे उद्योगों को भी जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है।
- 150 से अधिक गांवों के साथ उज्जैन व देवास के पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। 2016 के सिंहस्थ में उज्जैन को साफ पानी उपलब्ध किया गया।
- मालवा क्षेत्र में 17 लाख एकड़ में सिंचाई सुलभ होगी। औद्योगिक विकास को गति मिल रही है।

नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना में प्रस्तावित योजना – अभी औद्योगिक क्षेत्र का 650 कल्पनियों में पानी की जरूरत 33 एम एल डी है। एकेवीएन सेक्टर 1 स्थित संजय जलाशय व सेक्टर 3 स्थित कारम नदी से रोजाना कल्पनियों को महज 11 से 12 एम एल डी पानी दे पा रहा है। नर्मदा क्षिप्रा लिंक से रोजाना 90 एम एल डी पानी खरीदेगा, वह एनवीडीए को रोजाना प्रति केएल 17 रु की दर से 15.30 लाख रु देगा। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना से उज्जैनी स्थित क्षिप्रा नदी के उद्गम तक पहुँच रहा पानी सिमरोल के रास्ते पीथमपुर पहुँचेगा। महु तहसील के टिही गाँव के पास से एकेवीन अपनी पाइपलाइन बिछायेगा। 45 से 50 किलोमीटर गुजरकर

पीथमपुर के तीनो सेक्टर मे पानी पहुचेगा। वर्ष 2017 मे योजना पूरी होगी। एकेवीन ने आईआईटी कैंपस से पीथमपुर तक 20 किलोमीटर से ज्यादा लम्बी लाइन बिछाने की योजना बनाई है। टिही मे एक बाँध भी बनाना है। इन्दौर, देवास, उज्जैन के ग्रामीण इलाको मे टंकिया बनाकर नर्मदा का पानी दिया जायेगा।

मालवा मे बढी सिंचाई बजट मे नई 18 सिंचाई योजना को प्रस्तावित किया गया। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना से मालवा क्षेत्र मे सिंचाई क्षेत्र बढा है। इसके साथ ही नर्मदा गम्भीर लिंक परियोजना का भी काम शुरू हो गया है। जिससे मालवा मे सिंचाई का क्षेत्र बढेगा, जिससे कि मालवा का आर्थिक विकास हो सकेगा।

निष्कर्ष - पतित पावन माँ क्षिप्रा के पावन तट पर पुण्य सलिला माँ नर्मदा ने अपने आगमन की दस्तक देदी है। जिससे अब मालवा क्षेत्र हरा भरा होगा और तरक्की की नई इबारत लिखेगा। बशर्ते है कि सरकार पानी खींचने के लिये बिजली से निरंतर पंप चलाती रहे। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना से मालवा के सम्पूर्ण क्षेत्र व आसपास के क्षेत्रो मे भी पर्याप्त मात्रा मे पानी पहुच रहा है जिससे कि सम्पूर्ण मालवा क्षेत्र निरन्तर विकास की गति की ओर अपने कदम दर कदम बढाते चले जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.madhyapredesh digdrshika.com
2. www.narmda shipra link.com
3. www.narmda shipra link priyोजना official site.com

परम कल्याणकारी हैं ईशोपनिषद् की शिक्षाएँ

डॉ. विनोद कुमार शर्मा *

* प्राध्यापक (संस्कृत) पण्डित बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' शासकीय महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - उपनिषदों में वेद का सारतत्त्व निहित है। इनकी संख्या दो सौ से अधिक बतलायी जाती है। उपनिषद्ग्रन्थों में ईशावास्योपनिषद् की गणना प्रथम स्थान पर होती है। इस लघुकाय उपनिषद् में मात्र 18 मन्त्र हैं। ईशोपनिषद् में शाश्वत जीवन मूल्यों के व्यावहारिक पक्ष की मीमांसा हुई है। इस उपनिषद् की शिक्षाएँ लौकिक तथा पारलौकिक उभयविध कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आधुनिक सन्दर्भों में ईशोपनिषद् की प्रासंगिकता तथा उपयोगिता अत्यधिक बढ़ गयी है। क्योंकि आज का मानव जीवन के सभी पक्षों पर पुनर्विचार करना चाहता है। प्रस्तुत शोधलेख में ईशोपनिषद् की कतिपय शिक्षाओं की समीक्षा की गई है, जिन्हें आत्मसात् करके व्यक्ति अपने जीवन को चरितार्थ कर सकता है।

उपनिषद् शब्द का अर्थ - उपनिषद् भारतीय धर्म-दर्शन संस्कृति जीवनमूल्यों तथा नैतिक मानदण्डों को भलीभाँति प्रकाशित करते हैं। वेदों का अन्तिम भाग होने से इन्हें 'वेदान्त' कहा जाता है। उपनिषदों में वेद का सारतत्त्व और प्रधान उद्देश्य निहित है। वैदिक धर्म एवं दार्शनिक परम्परा की आधारस्वरूप प्रस्थानत्रयी में उपनिषदें मुख्य हैं। अभ्युदय तथा निःश्रेयस सम्बन्धी समस्त प्रश्नों का समाधान उपनिषदों में सुलभ है। इस दृष्टि से आधुनिक सन्दर्भों में उपनिषदों की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता अत्यधिक बढ़ गयी है। क्योंकि आज का मानव जीवन के सभी पक्षों पर पुनर्विचार करना चाहता है।

उपनिषद् शब्द उप तथा नि उपसर्गपूर्वक सद् (विषरण, गति और अवसादन) धातु में क्तिप् प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है।¹ इसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्मविद्या है। वह ब्रह्मविद्या जो मुमुक्षु जनों की अविद्या का नाश करती है, उन्हें ब्रह्म के समीप पहुँचाती है और उनके दुःखों को सर्वथा शिथिल कर देती है।

ईशावास्योपनिषद् का वैशिष्ट्य - उपनिषद्-साहित्य विशाल है। उपनिषदों की संख्या दो सौ से अधिक बतलायी जाती है। इनमें से दस उपनिषदें प्रमुख प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण हैं, जिनका नामोल्लेख मुक्तिकोपनिषद् में हुआ है- ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक।² उक्त क्रमानुसार समस्त उपनिषद्ग्रन्थों में ईशावास्योपनिषद् को प्रथम स्थान पर गिना जाता है। वस्तुतः शुक्ल यजुर्वेद संहिता का चालीसवाँ अध्याय 'ईशोपनिषद्' अथवा 'ईशावास्योपनिषद्' के नाम से प्रसिद्ध है। यह उपनिषद् ही एकमात्र मन्त्रोपनिषद् है, क्योंकि यह संहिता के अन्तर्गत मन्त्रभाग में प्राप्त है। जबकि अन्य प्रमुख उपनिषदें ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थों से सम्बद्ध हैं। न केवल प्रतिपाद्य विषय अपितु पद्यरचना एवं शैली की दृष्टि से भी ईशावास्योपनिषद् का प्राचीन शास्त्रों में विषिष्ट स्थान है।

इस उपनिषद् के प्रथम मन्त्र के प्रथम दो पदों (ईशा वास्यमिदं) के आधार पर इसका नाम ईशावास्योपनिषद् पड़ा है। इस लघुकाय उपनिषद् में मात्र 18 मन्त्र हैं। आधुनिक सामाजिक सन्दर्भ में इस उपनिषद् को सामान्य

जन और जनजीवन से जोड़ने का प्रयत्न करते हुए श्रीवेङ्कटराव रायसम् ने इसे उपनिषद्-घोषणापत्र कहा है तथा इसे भारत के प्रजासत्तात्मक राज्य, सामाजिक व्यवस्था, वैयक्तिक अधिकार-कर्तव्य इत्यादि विषयों का प्रतिपादक बतलाया है।³ हिन्दू धर्म के लिए ईशावास्योपनिषद् अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस विषय में महात्मा गान्धी ने सर्वथा उचित कहा है- 'अब मैं इस अन्तिम निर्णय पर पहुँचा हूँ कि यदि सारी उपनिषदें और दूसरे अन्य शास्त्र नष्ट हो जाते हैं और यदि ईशोपनिषद् का प्रथम मन्त्र ही हिन्दुओं की स्मृति में सुरक्षित रह जाता है तो भी हिन्दुत्व सदा-सर्वदा जीवित रहेगा।'⁴ ईशावास्योपनिषद् का दर्शन व्यावहारिक, क्रियात्मक एवं आचरणपरक है। इसमें शाश्वत जीवनमूल्यों के व्यावहारिक पक्ष की मीमांसा हुई है।

ईशावास्योपनिषद् की शिक्षाएँ - ईशावास्योपनिषद् की शिक्षाएँ लौकिक अभ्युदय तथा पारलौकिक निःश्रेयस् उभयविध कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यहाँ प्रस्तुत हैं इस उपनिषद् की कतिपय शिक्षाएँ जो मानवमात्र के लिए परम उपयोगी तथा कल्याणकारी हैं।

(1) त्यागपूर्वक करें भोग - ईशोपनिषद् के प्रथम मन्त्र में संसार में रहने की उचित विधि का निर्देश करते हुए कहा गया है कि सम्पूर्ण जगत् परमात्मा से व्याप्त है। अतः ईश्वर को साथ रखकर त्यागपूर्वक ही पदार्थों का भोग करना चाहिए। किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। क्योंकि धन किसका है ? अर्थात् किसी के पास स्थिर होकर नहीं रहता। जब ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, तब सब कुछ उसी का है-

ॐ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥⁵

(2) शुभ कर्म करते हुए शतायु होने की करें आकांक्षा - इस उपनिषद् के द्वितीय मन्त्र में अकर्मण्यता के विरुद्ध आवाज उठायी गयी है। 'नरोऽहम्' इस प्रकार के अभिमान से युक्त मनुष्य को अपने दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर, शास्त्रानुकूल शुभ कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। यह मन्त्र कर्म और जीवन की महत्ता का वैदिक उद्घोष है। इसमें कर्मभूमि संसार को न त्यागकर, कर्तव्य कर्म करते हुए अधिकाधिक जीने की इच्छा करने का सन्देश दिया

गया है-

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥⁶

(3) प्राणिमात्र के प्रति रखें समत्व दृष्टि - आत्मा एक और अद्वितीय है। वही एक आत्मा सब में है। अपने और पराये का भेद वास्तविक नहीं है। जिस प्रकार माला के अनेक मोतियों में एक ही सूत्र पिरोया रहता है उसी प्रकार सभी प्राणियों में एक ही आत्मा समवेत है। इसलिए जो सबको अपने में और अपने को सब में देखता है, वही ज्ञानी है। अद्वितीय आत्मा का सर्वत्र दर्शन करना ही आत्मसाक्षात्कार है। यही सर्वोच्च दर्शन है। यह समत्वदृष्टि शोक, मोह, निन्दा, द्वेष, भय आदि विकारों को समाप्त कर देती है-

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥⁷

(4) सम्भव नहीं भौतिक विज्ञान से अमरत्वप्राप्ति- अविद्या अर्थात् भौतिक विज्ञान से मृत्यु को कुछ काल तक टाला जा सकता है किन्तु अमरत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक विज्ञान अस्थायी रूप से मृत्यु से बचने के उपाय ही खोज सकता है। अमरता तो अध्यात्मज्ञान से ही प्राप्त होती है।⁸ इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान ही विद्या है।

(5) स्वयं को बनाएँ लोकमंगल का साधन- ईशावास्योपनिषद् के अनुसार असम्भूति अर्थात् व्यक्तिवाद से भी मनुष्य केवल मृत्यु से बच सकता है। अमरता प्राप्त करने के लिए सम्भूति अर्थात् समष्टि में स्वयं विलीन करना होगा।⁹ लोकमंगल के लिए यह अनिवार्य है कि हम समाज को अपने उत्थान का साधन न बनाएँ अपितु स्वयं को लोकमंगल अर्थात् समाजोत्थान का साधन बनायें।

(6) आत्मघाती न बनें - ईशोपनिषद् के एक मन्त्र¹⁰ में आत्मघाती को चेतावनी दी गई है। अज्ञानी जन ही आत्मघाती हैं। अविद्यारूपी दोष के कारण नित्यसिद्ध आत्मा का तिरस्कार करना, उसके वास्तविक स्वरूप को न जानना और उसकी अवहेलना करना ही आत्मघात है। आत्मा प्रकाशस्वरूप है। वह सब में विद्यमान है। मनुष्य अज्ञानवश उससे अनभिज्ञ रहता है और उसके अजरत्व, अमरत्व आदि रूप को नहीं जान पाता है। वह पूर्ण तथा अखण्ड आत्मा को एकदेशीय और खण्डित मानता है अथवा देह को ही आत्मा समझता है। आत्मस्वरूप को न जानने वाले ये आत्मघाती जन मरने के बाद और जीते हुए भी दुःखरूप अन्धकार से युक्त भोगों को प्राप्त करते हैं। वे बार-बार मरकर कर्मफलों को भोगने के लिए विविध जन्मों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आत्मघातरूप दोष का फल संसरण अथवा अधोगति है।

(7) ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही सम्भव है मुक्ति - कुछ लोग केवल कर्म और कुछ ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं। ईशोपनिषद् में किया गया है कि जो सकाम कर्मरूपी अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात् विषय-भोगों में आसक्त रहने के कारण केवल कर्मों के अनुष्ठान में रत रहते हैं वे अज्ञानरूप घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं-

'अन्धं तमः प्रविषन्ति येऽविद्यामुपासते।'¹¹

वे कर्मों से उत्पन्न फलों को भागने के लिए जन्म लेते हैं। उस जन्म में भी रागवश कर्मों को करते हैं और उनके फलभोग के लिए पुनः जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म-मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। यह ज्ञान के अभाव की स्थिति है। इसी को घोर अन्धकार कहा गया है। अतः केवल कर्म की उपासना उचित नहीं है।

जो कर्तव्य कर्मों का त्याग करके केवल ज्ञान के मिथ्या अभिमान में

डूबे रहते हैं वे तो उससे भी अधिक अन्धकार में प्रवेश करते हैं-

'ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः'¹²

इसका कारण यह है कि कर्मों का अनुष्ठान न करने के कारण न तो उनके अन्तःकरण की शुद्धि हो पाती है और न ही ज्ञान की सिद्धि।

भाव यह है कि 'ज्ञानरहित कर्म' का अनुष्ठान करने वाले अज्ञान में प्रवेश करते हैं तो 'कर्मशून्य ज्ञान' में रत रहने वाले सर्वथा अनर्थ को प्राप्त करते हैं। अतः केवल कर्म या केवल ज्ञान से मोक्ष पाना सम्भव नहीं है। मुक्ति के लिए जैसे केवल कर्म अपर्याप्त हैं वैसे ही केवल ज्ञान भी अपर्याप्त है। मुक्ति तो ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता। दोनों पंखों से ही उसकी उड़ान सम्भव है, उसी प्रकार मनुष्य को मुक्ति के अनन्त लोक में विहार करने के लिए ज्ञान और कर्म दोनों का साथ-साथ अनुष्ठान अर्थात् समन्वय करना चाहिए।

वस्तुतः जो व्यक्ति ज्ञान के तत्त्व और कर्म के मर्म को यथार्थ रूप से जानकर दोनों का समन्वय करता है, वह फल भी कामना से रहित होकर, शास्त्रविहित कर्मों के यथायोग्य आचरण के द्वारा मृत्युमय संसार को पार कर लेता है। वह शुद्धचित्ता होकर अन्ततः विद्या के अभ्यास से 'अहं ब्रह्मास्मि' इस प्रतीति के द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार में समर्थ हो जाता है अर्थात् मोक्ष प्राप्त करता है। ईशोपनिषद् में कहा गया है-

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सहा

अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते॥¹³

निष्कर्ष - निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ईशोपनिषद् का दर्शन व्यावहारिक, क्रियात्मक तथा आचरणपरक है। इस उपनिषद् की शिक्षाएँ सर्वथा उपयोगी तथा कल्याणकारी हैं। ईशावास्योपनिषद् में त्यागपूर्वक भोग करते हुए तथा कर्तव्य कर्म करते हुए अधिकाधिक जीने की इच्छा करने का सन्देश दिया गया है। इस उपनिषद् के अनुसार अद्वितीय आत्मा का सर्वत्र दर्शन करना ही आत्मसाक्षात्कार है। यह समत्वदृष्टि शोक, मोह, निन्दा, द्वेष आदि विकारों को समाप्त कर देती है। हमें स्वयं को लोकमंगल का साधन बनाना चाहिए। ईशोपनिषद् में आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न जानने वाले तथा नित्यसिद्ध आत्मा का तिरस्कार करने वाले लोगों को आत्मघाती कहा गया है। आत्मघात रूप दोष का फल संसरण अथवा अधोगति बताया गया है। समीक्ष्य कृति के अनुसार केवल कर्म अथवा केवल ज्ञान से मोक्ष पाना सम्भव नहीं है। मुक्ति तो ज्ञान एवं कर्म के समन्वय से ही प्राप्त की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सदेर्थातीर्विषरणगत्यवसादनार्थस्योपनिषदस्य किप्प्रत्ययान्तस्य रूपमुपनिषदिति। कठोपनिषद् शाङ्करभाष्य
2. ईशकेनकठप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यतिसिः। ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा॥ मुक्तिकोपनिषद् 1/30
3. उपनिषद् घोषणापत्र-ईशावास्योपनिषद्, दिल्ली, 1975
4. The Ten Classical Upanisads, Vol. I Page 70 पर उद्धृत
5. ईशावास्योपनिषद् (व्याख्याकार - डॉ. शशि तिवारी, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, द्वितीय संस्करण, 1997), 1
6. तदेव, 2
7. तदेव, 7
8. तदेव, 10

9. तदेव, 14	11. तदेव, 9
10. असुर्या नाम ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ तदेव, 3	12. तदेव, 9
	13. तदेव, 11

पश्चिमी निमाड़ का स्वतंत्रता का समर – भीमा नायक के संदर्भ मेर

डॉ. अनिल पाटीदार *

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, पाटी, जिला-बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतवर्ष की भूमि जिसे जगत जननी मातृभूमि की संज्ञा दी जाती है। इस पावन माटी में सदियों से समाज के कष्टों का निवारण हेतु महापुरुष जन्म लेते रहे। इसी भूमि पर जब अत्याचारी और शोषक अंग्रेजों ने बलात अधिकार किया तो उसे मुक्त कराने के लिए निमाड़ की पावन माटी में जन नायक, जन योद्धा के नाम से घोषित भीमा नायक ने बड़वानी रियासत के पंच महोली गांव में लगभग 1815 ईसवी में जन्म लिया। कहीं-कहीं जन्म वर्ष 1827 भी बताया जाता है। माना जाता है कि उनके पिता धनसिंह और माता सुरसी बाई थी। पिता का परंपरागत व्यवसाय तीर कामठी और फालिये बनाना था। भीमा बाल्यकाल से ही हथियारों को बनाने और चलाने में पारंगत हो गया था। अपने गुणों से जल्द ही वह एक लोकप्रिय तीरंदाज हो गया था। भीमा ने बचपन में अंग्रेजों के अत्याचारों को अपने समाज पर होते देखा था और उन्हें अपना शत्रु मानकर अपनी भूमि पर इन्हें कांटों की भांति मानने लगा था। भीमा का विवाह धाबा नामक महिला से हुआ था। माना जाता है पत्नी धाबा के नाम पर ही धावा बावड़ी में एक बावड़ी का निर्माण किया था, यहीं पर पहाड़ी पर भीमा नायक ने गढ़ी भी बनवाई थी जहां से वह अपने शत्रुओं अंग्रेजों पर दृष्टि रख सकता था। भीमा नायक ने युवावस्था में बड़वानी रियासत के राजा राणा जसवंत सिंह के सैन्य सहायक के रूप में 150 प्रति माह के वेतन पर सेवा दी थी, लेकिन 1857 की शुरुआत में भीमा को अंग्रेजों के प्रभाव से वेतन और सम्मान मिलना बंद हो गया तो भीमा नायक ने अपने साथियों के साथ दत्तवाड़ा जो किराना के अधीन था वहां पर आक्रमण किया और अपना अधिकार प्राप्त किया। दत्तवाड़ा की घटना के बाद भीमा नायक की गतिविधियां बढ़ने लगीं जो कि निमाड़ के सेंधवा और बड़वानी क्षेत्र में अंग्रेजों को सीधी चुनौती थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीमा नायक ने अपने साथियों ख्वाजा नायक, मोवासिया नायक के साथ मिलकर जनजाति समाज को संगठित किया। भीमा नायक के नेतृत्व में सारे निमाड़ के निरीह, अशिक्षित व वनवासी कहे जाने वाले जनजाति समाज ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध तीर कामठी और फालिए उठा लिए थे। अंग्रेजों की भीमा नायक और उसके साथियों के विरुद्ध की गई घेराबंदी और अंग्रेजों की मातृभूमि पर और यहां के रहवासियों पर किए गए अत्याचारों ने भीमा को अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए और दूरर्ष संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।

भीमा नायक की गतिविधियों का मुख्य केंद्र धावावड़ी में पहाड़ी पर बनी गढ़ी में था साथ ही एक ठिकाना अंजड़ के पास ग्राम पलासिया (सजवाय) में पहाड़ियों के बीच एक गोलबेड़ी में बनी गुफा में था। यहां एक सुरंग भी थी। गोलबेड़ी के नीचे भीमा नायक द्वारा स्थापित प्राचीन हनुमान

मंदिर था। माना जाता है कि इसी मंदिर में भीमा ने गौ माता के हत्यारे अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प लिया जब तक इन फिरंगियों को हमारी पवित्र भूमि से बाहर नहीं निकाल दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। इस प्रतिज्ञा के बाद भीमा नायक ने अपनी सेना को मजबूती प्रदान करने और अधिक मात्रा में हथियार संसाधन जुटाने के लिए आगरा बंबई मार्ग पर सरकारी खजाने को लूटने की योजना पर काम किया था। इसके पहले भीमा की सेना और अंग्रेजों के मध्य एक संघर्ष हुआ था जिसे पंचसावल की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। पंचसावल का संघर्ष 24 अगस्त 1857 को हुआ था। लेफ्टिनेंट कैनेडी के अधीन फोर्स तैयार कर पंचसावल भेजी गई। यहां के मामलेदार दाजी पितांबर ने अंग्रेजों के लिए रसद आपूर्ति की और दो बेगारी मार्ग बताने हेतु भेजे हालांकि पितांबर भीमा नायक का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग ही कर रहा था, जिसका शक कैनेडी को था। कैनेडी को जब भीम और उसके साथियों की पहाड़ पर डेरा डालने की सूचना मिली तो वह 4 से लेकर आगे बढ़ा भीमा नायक और उनके सैनिकों ने अंग्रेज पोस्ट पर हमला कर दिया और उसमें कैनेडी के सिर को छूती हुई एक गोली निकली भीमा नायक के साथियों के पास जब हथियार कम पड़े तो वे पीछे हटे इस संघर्ष में अनेक क्रांतिकारी मारे गए इस घटना के बाद सितंबर में दत्ता वाड़ा और फिर नंबर 1857 में सेंधवा घाट में बड़ी लूट को अंजाम दिया गया जिसमें भीमा नायक और उनके साथियों की बड़ी भूमिका रही।

सेंधवा घाट की लूट से ऐसा कोहराम मचा के अंग्रेज स्तब्ध रह गए सेंधवा घाट में जामली चौकी के पास 1700000 का खजाना लूटा इससे क्रांतिकारियों की स्थिति मजबूत हुई और वे अंग्रेजों से लड़ने के लिए इस खजाने से अधिक अस्त्र-शस्त्र ले सकते थे भीमा नायक की नेतृत्व कुशलता इस बात से पता चलती है कि खजाने की रक्षा हेतु 300 रक्षक थे। क्रांतिकारियों ने व्यवस्थित योजना बनाकर इस खजाने को प्राप्त किया इसमें भीमा नायक और उनके क्रांतिकारी साथियों की एक बड़ी सफलता के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। इन क्रांतिकारियों की गतिविधियों से क्षेत्र में भी मनाया का प्रभाव काफी बढ़ गया था बड़वानी के राणा जसवंत सिंह के पत्र से ज्ञात होता है कि भीमा के साथ आठ से 10,000 सैनिक थे। यह अवैतनिक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण प्रण से लड़ने का संकल्प लिया था अब अंग्रेजों के लिए निमाड़ में भीमा नायक एक बड़ी चुनौती बन गया था।

निमाड़ के पोलिटिकल एजेंट आर एस फिटिंग ने कलेक्टर को पत्र 1 अप्रैल 2858 को लिखा जिसमें कहा गया कि भीमा एक खतरनाक आदमी है वह वंशानुगत नायक है भील उसकी आज्ञा का निशुल्क पालन करते हैं और उसके लिए अपने प्राणों को निछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं

निमाइ क्षेत्र के यह क्रांतिकारी जन समाज में अपना प्रभाव छोड़ रहे थे इनका निशाना आम लोग न होकर केवल अंग्रेज लालची और स्वार्थी साहूकार राजा थे जनता के लिए यह रॉबिनहुड की तरफ से क्रांतिकारी इसलिए नाराज थे क्योंकि यह जनजाति वर्ग की दुर्दशा के मुख्य कारण थे।

भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य सबसे मुख्य संघर्षों अंबापानी का युद्ध था जो 11 अप्रैल 1818 को हुआ था अप्रैल के प्रारंभ में भीमा ख्वाजा आनंद सिंह कालूराम अपने सैनिकों के साथ ढांकावड़ी में ठहरे थे। यहां से यह कोई नदी की घाटी के जंगलों से होते हुए अंबापानी में पहुंच गए थे। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की वृद्धि योजना बनाई परिवार से लेकर निवाली पहुंचा यहां से कैप्टन लेने को लेकर पलसूद आए तो पता लगा कि क्रांतिकारी अंबापानी में 10 अप्रैल को बड़वानी पहुंचा 11 अप्रैल को प्रातर्नैगस्टन और लेकर पहुंचे पानी में कमांडेंट एंडरसन और दल पहले ही पहुंच चुका था। इन्होंने क्रांतिकारी क्रांतिकारी लगातार गोलियां चला रहे थे तो तोप के गोले गोलू से क्रांतिकारियों को खदेड़ा भीमा और उसके साथी लगातार लोहा लेते रहे क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों ने पहाड़ी से हमला किया क्रांतिकारी पीछे हटे भीमा अपने साथियों के साथ यहां से निकल गया इस संघर्ष में डेढ़ सौ क्रांतिकारी मारे गए 200 पकड़े गए अंग्रेजों को भी मनाए को पकड़ने में अभी भी सफलता नहीं मिली थी यह भी माना है कि कुशल प्रबंधन प्रबंधन और अपनी मातृभूमि के लिए प्राण प्राण से लड़ने का एक जज्बा के रूप में देखा जा सकता है।

निमाइ क्षेत्र के श्रद्धा ने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया अपितु अट्टारह सौ सत्तावन की महान क्रांति के महान योद्धा तात्या टोपे का बड़वानी में स्वागत कर उन्हें सकुशल नर्मदा नदी पार कराने में मदद की तात्या टोपे ने 16 नवंबर 18 सो 58 के निर्माण में प्रवेश लिया और अंग्रेजी सत्रों में बहन का नुकसान पहुंचाकर भीमार ख्वाजा नायक अपने साथियों के 4000 साथियों के साथ तात्या टोपे से मिले और तलवाड़ा बुजुर्ग को लूटा 25 नवंबर को यह दल बड़वानी पहुंचा राणा को बंदी बनाया गया और यहां से आगे जाने का रास्ता पूछा गया फिर भीमा नायक ने तात्या टोपे को बेलखेड़ा पहुंचाया और यहां पर भी मार्को तात्या टोपे ने तलवार भेंट की और तलवार पर अंगूठा रखने के लिए सबसे धीमा को तिलक किया और कहा कि मैं अपनी मातृभूमि पर अपनी योजना पूर्ण करने में सफल होता हूं तो तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य आऊंगा। भीमा नायक उपलब्ध कराई गई ना भीमा नायक के द्वारा उपलब्ध कराई गई आंखों से क्रांतिकारी नर्मदा नदी पार कर चुका था।

ढाबा बावड़ी की झड़प चीटिंग लिखता है कि 4 फरवरी 18 सो 59 ईस्वी को दिन निकलने से पहले हम चल दिए तथा पूर्वान्ह के पहले ढाबा ऑडी पहुंचे घाटी की रक्षा करें आहत भील और विद्रोही कर रहे थे। जिन्होंने प्रति रोष प्रदर्शन किया लेकिन आगे बढ़ने पर कुछ लोग गोलियां चलाते हुए पहाड़ी पर चले गए इस तरह बाँडी में अचानक हुए इस आक्रमण में भीलों ने बड़ी भरता का प्रदर्शन किया के वलसाड भी रोने दो सौ अट्टारह अंग्रेज सैनिकों को वीरता पूर्वक सामना करते हुए आगे जंगल में शरण ली क्रांतिकारियों की गोलियां खत्म हो जाने से वेदा बाँडी में अंग्रेजों को गोलियों से भूनकर वही रोक सके भीमा नायक का अंग्रेजों से पंचपाओली रामगढ़ का युद्ध 9 फरवरी 5859 कोवा रामगढ़ के युद्ध के दौरान भीमा नायक तो बच कर निकल गया। किंतु उसकी मां सुरुचि को अंग्रेजों ने कैद कर मल्लेश्वर जेल में बंद कर दिया। इस युद्ध के बाद भीमा नायक की वृद्धिमा तुलसी को क्रांतिकारियों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की यातनाएं

दी गई इन यात्राओं को सहते हुए 28 फरवरी अट्टारह सौ उनसठ को उनका देहांत हो गया।

भीमा नायक के साथी ख्वाजा नायक के मारे जाने के बाद भीमा नायक अकेले पड़ गए अब उनका गिरोह भी छोटा हो गया था। सदा भीमा नायक की विद्रोह तक गतिविधियां भी कम हो गई थी। अट्टारह सौ चौंसठ से अट्टारह सौ सड़सठ तक भीमा नायक ने कोई वारदात भी नहीं की परंतु फिर भी बड़वानी रियासत की पुलिस वह मालवा भील कोर की टुकड़ियों उन्हें पकड़ने का निरंतर प्रयास करती रही अट्टारह सौ 64 से 65 ईसवी तक इस पोस्ट को पकड़ नहीं सकी जबकि उनके रिश्तेदारों को अट्टारह सौ पैसठ पकड़ा जा चुका था भीमा नायक को पकड़ने के लिए व्यापारियों को लालच भी दी गई परंतु प्रयत्न निष्फल सिद्धि विनायक के प्रति जनता के अटूट विश्वास के बारे में लेफ्टिनेंट स्कैंडल ने 5 मई 18 से 64 ईसवी के पत्र में लिखा है कि पिछले साढ़े 3 वर्षों से उसने लगातार भीमा को पकड़ने की अनेक योजनाएं बनाई परंतु सभी असफल सिद्ध हुई हम लोग हर सप्ताह कोई न कोई योजना बनाते परंतु असफलता ही हाथ लगती अनवरत संघर्ष करके भी माने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था जब बल से अंग्रेज भीमा को नियंत्रित नहीं कर पाए तो उन्होंने छल का सहारा लिया भीमा को पकड़ पाने के लिए प्रारंभ में 500 और 1000 और ¹ 2000 के इनाम की घोषणा कर दी कि लालच में आकर चंद्र पिता गुलाब ने भीमा के बालकों में होने की सूचना अंग्रेजों को दे दी अंग्रेजों ने भीमा को 2 अप्रैल अट्टारह सौ सड़सठ को बालकुमार से गिरफ्तार कर कर लिया यह दुर्भाग्य है कि विश्वास गालियों के कारण हमें इतिहास के प्रत्येक कालखंड में बहुत क्षति उठानी पड़ी भीमा नायक की गिरफ्तारी के बाद इंदौर में उन पर मुकदमा चलाया गया भीमा पर भारतीय दंड संहिता के तहत 3 आरोप लगाए गए जो राजद्रोह डकैती उत्तम हत्या के आरोप थे राज्यों के अंतर्गत धीमा को रानी के विरुद्ध अट्टारह सौ सत्तावन से अट्टारह सौ सड़सठ तक युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया साथ ही भीमा नायक को दत्ता वाड़ा सहित अन्य स्थानों पर डकैती तथा कुछ लोगों की हत्या का आरोपी बनाया गया धीमा ने केवल डकैती के आरोप को ही स्वीकार किया किंतु उसे तीनों ही अपराधों का दोषी ठहरा कर लो नंबर 9867 को अंग्रेजी न्यायाधीश थॉमसन ने आजीवन समुद्र में रहने की सजा सुनाए वीडियो में जकड़ कर पोर्ट ब्लेयर की जेल में भेजा गया है यही भारत की मुख्य भूमि से दूर रहते हुए 9 वर्ष बाद 29 दिसंबर 18 से 70 को भीमा नायक ने कारागार में अंतिम सांस ली निमाइ का यह वीर योद्धा अपने संघर्ष अपने पराक्रम अपने साहस से क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए एक अलग जगह कर चला गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अनिल माधव दवे रोटी और कमल की कहानी
2. डॉ. मंगला ठाकुर बड़वानी का इतिहास
3. डॉ. निकुंज विला अंचल निमाइ का स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक
4. डॉक्टर एसएन यादव 18 सो 57 का स्वतंत्रता संग्राम
5. निमाइ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रिकॉर्ड वॉल्यूम 9
6. डॉक्टर एसएन यादव निर्माण का योद्धा भीमा नायक
7. निकुंज वर्मा जन योद्धा भीमा नायक
8. मुंबई गजट ईयर अ ध्याय 2
9. प्रोफेसर महेश लाल गर्ग निर्माण में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शोध ग्रंथ
10. ई पत्रिका नायक 2016
11. राजनाथ कानूनगो दफतर फाइल नंबर 3

स्त्री के संघर्षों में शिक्षा की भूमिका

डॉ. गौरव विद्यार्थी *

* विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) फ्यूचर विजन कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - 'यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं।' - पं. जवाहरलाल नेहरू

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा एक मील का पत्थर है क्योंकि यह उन्हें चुनौतियों का जवाब देने, अपने परम्परागत भूमिका का सामना करने और जीवन बदलने में सक्षम बनाती है। इसलिए हम महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में शिक्षा की अवज्ञा नहीं कर सकते। भारत वर्ष 2020 तक का विकसित महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2020 तेजी से आ रहा है। यह सिर्फ तीन साल दूर है। यह वास्तविकता बन सकती है यदि देश की महिलाएँ सक्षम बने। 1951 का साक्षरता दर 2011 में बढ़कर 74.4% हुआ, जिसमें महिला साक्षरता 7% से बढ़कर 65.46% हो चुकी है। हमारी लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, कानून, विकास नीतियाँ, योजना व कार्यक्रम आदि सभी का उद्देश्य महिलाओं की उन्नति है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-78 में महिलाओं के मुद्दों के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय बदलाव किए गए हैं। संविधान के 73वें, 74वें संशोधन 1993 में आरक्षण प्रदान कर महिला भागीदारी की नींव दृढ़ की है।

भारत में साक्षरता दर

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1901	5.3	9.8	0.7
1911	5.9	10.6	1.1
1921	7.2	12.2	1.8
1931	9.5	15.6	2.9
1941	16.1	24.9	7.3
1951	16.7	34.4	7.3
1961	24.0	39.5	13.0
1971	29.5	39.5	18.7
1981	36.2	46.9	24.8
1991	52.1	63.9	39.2
2001	65.38	76.0	54.0
2011	74.04	82.14	65.46

अध्ययन का उद्देश्य :

- महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका के प्रभाव का अध्ययन
- महिला सशक्तिकरण की चुनौतियों में शिक्षा में परिवर्तन

कार्यप्रणाली - वर्तमान अध्ययन सहायक आधार सामग्री व आँकड़ों पर

आधारित है। यह आँकड़े विभिन्न प्रकाशित व अप्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं, लेख व पुस्तकों से प्राप्त किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण की बाधाएँ :

(1) हिंसा - हिंसा एक प्रमुख कारण है जो महिला सशक्तिकरण का विरोध करता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक यातना जो समाज में निहित है, महिला लिंग अनुपात की जिम्मेदार है।

(2) लिंग असमानता - महिलाओं का सशक्तिकरण केवल आर्थिक स्वतन्त्रता एक सीमित नहीं है। लैंगिक असमानता भी दूसरी ओर एक समस्या है।

(3) पारिवारिक प्रतिबन्ध - निरक्षर अभिभावक बेटियों का शैक्षणिक संस्थानों में भेजने को तैयार नहीं है।

(4) जल्दी शादी - जल्दी शादी के परिणामस्वरूप बेटियाँ शिक्षा त्याग देती हैं। यही एक मुख्य कारण है, जिससे महिलाओं के लिए स्वयं की ओर महिला सशक्तिकरण की धारण बदल गई है।

महिलाओं की निष्क्रिय, निर्भर, कमजोर छवि को स्वतन्त्र, सक्रिय व मजबूत बनाना आवश्यक है।

सुझाव :

- बेटों की शिक्षा की जागरूकता आवश्यक है। कहा भी गया है कि शिक्षित माता परिवार को शिक्षित करती है, जो कि शिक्षित जनसंख्या बनाती है और राष्ट्र मजबूत करती है।
- महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना जिससे की बदलाव सामूहिक रूप से सम्भव है।
- सामाजिक व आर्थिक रूप से महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन करना।
- आय सृजन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी का प्रोत्साहन करना व सरकार द्वारा प्रदान योजनाओं का उचित क्रियान्वयन करना।
- यौन भेदभाव पर दृष्टिकोण बदलना।
- महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करना।
- बाल-विवाह व युवा उम्र में विवाह को रोका जाना।
- रोजगार में भेदभाव को खत्म करना। विशेष रूप से वेतन में पुरुष महिला के भिन्नता को समाप्त करना।
- महिला शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के लिए मीडिया व संचार के प्रयास आवश्यक है।
- राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कानून को

परिवर्तन का सर्जक बनाना आवश्यक है।

निष्कर्ष – गरीबी, बेरोजगारी और असमानता की बुराईयाँ केवल पुरुष द्वारा नहीं हटाई जा सकती। बराबरी व महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। इसके लिए उच्च साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक है। यह आवश्यक है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जाए व उन्हें आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना द्वारा यह कार्य शुरू किया। इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन वांछित

परिणामों के लिए आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'भारत में उच्च शिक्षा अवसर, चुनौतियाँ' – आल्वा ए और हान्स वी.बी. 2013
2. 'महिला सशक्तिकरण व उद्यमशीलता' – साउथ इकोनॉमिस्ट 54 (3) 11-16
3. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
4. 2011 जनगणना : भारत सरकार

कामकाजी महिलायें और उनकी दोहरी भूमिका

श्रीमती संगीता बामने *

* सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग प्रायः घर से बाहर नौकरी करने वाली महिला के संदर्भ में किया जाता है। वर्तमान समय में महिलायें घर परिवार के साथ – साथ बाहर के क्षेत्रों में भी कदम रख रही हैं। वह मात्र स्कूलों, कालेजों अथवा कार्यालयों में कार्य करने तक ही सीमित नहीं रही बल्कि उद्योग धंधों, कारखानों, न्यायालयों प्रशासन, राजनीति तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी कार्य कर रही हैं।

शब्द कुंजी – कामकाजी, महिलायें, भूमिका, सशक्तिकरण।

प्रस्तावना – कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग प्रायः घर से बाहर नौकरी करने वाली महिला के संदर्भ में किया जाता है। वर्तमान समय में महिलायें घर परिवार के साथ – साथ बाहर के क्षेत्रों में भी कदम रख रही हैं।

महिलाओं को परिवार और समाज में अपना सम्मान पाने के लिये आर्थिक रूप से निर्भर होने की सलाह दी जाती है। कामकाजी महिलाओं को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। घरेलू एवं बाह्य अर्थात् उन्हें अपने घर – परिवार रिश्ते नाते के साथ – साथ ऑफिस सबको ठीक से चलाना पड़ता है और इन सबमें प्रमुख है दोनों के बीच संतुलन क्योंकि किसी एक पक्ष को गलती से भी इग्नोर करने पर जीवन की गाड़ी डगमगाने लगती है।

भारतीय कामकाजी महिला की स्थिति दो पाटों में फँसे घुन के समान हो गई है। उसे कार्यालय और घर दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है यदि वह दोनों में संतुलन स्थापित करने में असमर्थ होती है। तो उसे भारी निंदा का सामना करना पड़ता है।

प्रत्येक कामकाजी महिला का घरेलू जीवन होता है यह अवधारणा पूर्णतः औचित्यपूर्ण नहीं है। आज भारतीय महिला सजगता और जिम्मेदारी से कार्यालय और घर के कार्यों को संभाले हुये हैं। घर को चलाने, पति के भार को कम करने और सुख सुविधाओं से सम्पन्न जीवन जीने के प्रति भारतीय कामकाजी महिलाओं के प्रयत्न स्तुत्य हैं।

भारत में प्रत्येक मध्यम वर्गीय स्त्री, सुशिक्षित है दिन प्रतिदिन के आर्थिक समस्याओं को पूरा करने के लिये दफ्तरों और इत्यादि जगहों पर जाकर काम करती है। आजकल दुनिया में काफी परिवर्तन आया है। पुराने दिनों की तरह लड़कियां अब अशिक्षित नहीं रही हैं। महिलायें पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर सर्वत्र जगह चल रही हैं। और कामयाब भी हो रही हैं। महिलायें आज एक सफल इंजीनियर हैं, डॉक्टर या शिक्षक या दफ्तरों के अफसर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी काबिलियत को प्रमाण न दिया हो। सुबह से लेकर शाम तक दफ्तरों में बैठकर कार्य करना फिर अपने परिवार के लिये खाना बनाना बच्चों और पति की छोटी बड़ी जरूरतों का विशेष ध्यान रखना महिलायें बखूबी करती हैं। पुरुषों के पास दफ्तरों से आकर आराम करने का विकल्प होता है लेकिन महिलाओं के लिये ऐसा नहीं है। चाहे वह कितनी भी थकी हो उन्हें घर पर अपना कर्तव्य प्रत्येक दिन

पालन करना पड़ता है।

महिलायें अपने – अपने क्षेत्र में इतने बेहतरीन कार्य करती हैं जिससे उनके परिवार और समाज को उन पर नाज होता है। महिलायें आज सम्पूर्ण रूप से आत्म निर्भर हैं और, देश एवं समाज के लिये एक जीता जागता उदाहरण पेश किया है, दफ्तर के साथ परिवार की हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखती हैं और शायद अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, महिलाओं ने अपने जीवन के हर किरदार जैसे मां, बेटी, बहु, भाभी, बीवी, आदि निभाये हैं और सारे कर्तव्यों का पालन भी किया है।

महिलाओं के नौकरी करने के कारण घर में कई आर्थिक समस्यायें दूर हो गयी हैं लेकिन फिर भी दफ्तरों में उन्हें भेद भाव का सामना करना पड़ता है जैसे उचित पद पर तरक्की न होना और प्रोत्साहन का अभाव इत्यादि। कुछ महिलायें यब सब चुप – चाप सहन कर लेती हैं। कई बार घर के नौकर या नौकरानी सही से कार्य नहीं करते और कामकाजी महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पुरुष ज्यादातर केवल बाहर का यानी अपने कार्यालय का ही कार्य करते हैं ज्यादातर पुरुष महिलाओं के साथ घरेलू कार्यों में अपना हाथ नहीं बटाते हैं लेकिन महिलाओं को आज के इस आधुनिक युग में घर के घरेलू कार्य करना पड़ता है और अपने आफिस का कार्य भी करना पड़ता जिससे उनके पास अपने लिये भी समय नहीं बचता। घर पर यदि कोई मेहमान आ जाता है तो, बेचारी वो महिला जिसके पास समय नहीं होता वह बेवजह ही अपनी समस्यायें छुपा लेती है और मुस्कुराकर उनका स्वागत करती है, ऐसी निम्न वर्गीय एवं मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यदि, कोई औरत घर के काम के अलावा बाहर का काम करती है तो उनके परिवार वालों को भी चाहिये कि घर के कामकाज में उनकी सहयोग प्रदान करे, जिससे महिला पर कामकाज का बोझ ना हो और वह सरलतापूर्वक अपने काम को कर सके।

घर में सम्मान पाने, घरेलू हिंसा से बचने एवं परिजनो के अपमान से बचने के लिये जब एक महिला आत्म निर्भर होने के लिये घर से बाहर निकलती है तो उसे समाज और पुरुष सत्तात्मक सोच रखने वालों से सामना करना पड़ता है, अनेक लोगों की टीका टिप्पणियों अर्थात् तानाकशी घूरती निगाहों

से सामना करना पड़ता है।

कामकाजी महिलाओं के विषय में ऐसा मान लेना कि वह केवल स्वार्थी और आत्म केन्द्रित होकर परिवार और बच्चों की अनदेखी करती है, किसी भी रूप में सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहां सम्पन्न वर्ग की महिलायें अपनी अलग पहचान स्थापित करने के लिये स्वतंत्र रूप से काम करती हैं तो, मध्यम और निम्न वर्ग की कई महिलायें ऐसी भी हैं जो बढ़ती महंगाई के कारण अपने परिवार की जरूरतों और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिये बाहर जाकर काम करने का निर्णय करती हैं दोनों ही कारण गलत नहीं हैं क्योंकि, आज की महिलायें शिक्षित और अपने कैरियर को लेकर जागरूक हैं और उनकी यह सजगता किसी भी नजरिये से गलत नहीं कही जा सकती। महिलाओं का बाहर जाकर काम करना उनके व्यक्तित्व को निखारने के साथ – साथ उनके बाहरी दुनिया से सम्पर्क को भी बढ़ाता है जिसके, परिणाम स्वरूप उनके लिये आय और रोजगार के कई नए अवसर खुल जाते हैं लेकिन, हम इस बात को कतई नकार नहीं सकते कि उनकी आय का फायदा निश्चित रूप से उनके परिवार और बच्चों को ही मिलता है। कामकाजी महिलाओं की आलोचना करते हुये हम यह भूल जाते हैं कि भले ही विवाह से पहले महिलाओं के ऊपर कोई खास जिम्मेदारी ना रही हो, जिसकी वजह से वह अपना सारा ध्यान कैरियर और ऑफिस पर केन्द्रित कर सकती हैं लेकिन, उसी महिला को विवाह के बाद अपने ऑफिस की जिम्मेदारी उठाते हुये घर परिवार और बच्चों को भी देखना होता है, इस प्रकार उन्हें एक नहीं तीन जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं लेकिन, वे प्रत्येक जिम्मेदारी का निर्वाह बही ही सहज ढंग से पूरे लगन से करती हैं, आज कल के प्रतिस्पर्धा प्रधान युग में वह शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझती हैं इसीलिये वह चाहती हैं कि, उनका बच्चा भी अच्छे स्कूल, कॉलेज में जाकर एक सफल व्यक्ति बने। बढ़ती महंगाई से ग्रस्त आजकल के दौर में अगर कोई परिवार अपने बच्चे के बेहतर कल के लिये सपने देखता है तो पति पत्नि दोनों को ही काम करना जरूरी हो जाता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पदतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। दरअसल जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचे – मुकाम हासिल कर रही हैं महिलायें।

साक्षरता के लिये मिल रहे अवसर का आज महिलायें भरपूर लाभ उठा रही हैं। **साक्षर भारत** अभियान से उनके अरमानों को पंख लग गये हैं और जैसा कि किसी शायर ने कहा है – मंजिले उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है तो, आज महिलाओं के अरमानों को पंख नहीं लगे उनमें जबरदस्त हौसला पनपा है। और इसी हौसले ने उनमें एक नया जोश, एक नया जुनून, एक नया जज्बा भरा है, सदियों से संघर्ष करते – करते महिलाओं ने बड़ी कठिनाई से इस स्थिति को प्राप्त किया है। जिसमें वह पुरुष की क्रीतदासी न होकर उसकी सहयोगिनी बन पाई है। वह पुरुष के समान ही राष्ट्र निर्माण एवं विकास में भाग ले रही हैं।

महिलाओं के अधिकार – महिला की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत एवं मजबूत समाज का घटक है। भारतीय संविधान महिलाओं को पूर्ण समानता प्रदान करता है।

महिलाओं के उपलब्ध अधिकारों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार संवैधानिक अधिकार वे होते हैं जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों में उपलब्ध कराये जाते हैं। दूसरी ओर वैधानिक अधिकार वे होते हैं जो कि संसद या राज्य

विधान मंडलों के विभिन्न कानूनों द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

संवैधानिक अधिकार – संविधान में महिलाओं के लिये निम्नलिखित अधिकार और सुरक्षोपाय सुनिश्चित किये गये हैं।

1. राज्य किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा (अनुच्छेद 15 (1))।
2. राज्य को महिलाओं के लिये विशेष उपलब्ध बनाने की शक्ति प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की शक्ति देता है। (अनुच्छेद (15 (3)))।
3. किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर राज्य के अधीन कोई पद पाने या कोई रोजगार प्राप्त करने के संबंध में भेदभाव नहीं किया जायेगा (अनुच्छेद 16(2))।
4. मानवों की अवैध तस्करी और बलात् श्रम का निषेध किया गया है। (अनुच्छेद 23 (1))।
5. जीविका के पर्याप्त साधनों के लिये राज्य महिला और पुरुषों के लिये समान अधिकार सुनिश्चित करेगा (अनुच्छेद 39(1))।
6. राज्य महिला और पुरुष दोनों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन सुनिश्चित करेगा (अनुच्छेद 39(D))।
7. राज्य यह सुनिश्चित करे कि महिला श्रमिकों की क्षमता और स्वास्थ्य को हानि न पहुंचे तथा उन्हें उनकी क्षमता के गैर अनुकूल उप व्यवसायों में प्रवेश के लिये आर्थिक आवश्यकता के द्वारा बाध न किया जाये (अनुच्छेद 39 (E))।
8. राज्य कार्य की मानवीय दशाओं और न्याय को सुनिश्चित करने तथा मातृत्व अवकाश के लिये प्रावधान करेगा (अनुच्छेद 42)।
9. प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाने वाले व्यवहारों की निन्दा करे (अनुच्छेद 51)। (E)।
10. प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई महिलाओं के लिये आरक्षित होगा (अनुच्छेद 243D(3))।
11. प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष पदों की कुल संख्या का एक तिहाई महिलाओं के लिये आरक्षित होगा (अनुच्छेद 243 D(4))।
12. प्रत्येक नगर निकाय में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों का एक तिहाई महिलाओं के लिये आरक्षित होगा (अनुच्छेद 243 T (3))।
13. नगर निकायों में महिलाओं के लिये आरक्षित अध्यक्ष के पद राज्य विधान मंडल द्वारा तय किये गये तरीकों से निर्धारित होंगे (अनुच्छेद 243 T (4))।

वैधानिक अधिकार :

1. घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा के सभी रूपों से महिलाओं की सुरक्षा करने का एक व्यापक कानून है। यह उन महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है जो कि दुर्व्यवहारकर्ता के साथ संबंध रखती हैं या संबंधों में रही हैं और जो शारीरिक, यौन, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हैं।
2. अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम (1956) पेशेवर यौन शोषण के लिये अवैध तस्करी के निवारण के लिये प्रमुख कानून है।

- दूसरे शब्दों में यह जीवन के एक संगठित साधनों के रूप में देह व्यापार के उद्देश्य से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी को रोकता है।
3. महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन (प्रतिषेध) अधिनियम (1986) विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, चित्रों, आकृतियों व अन्य किसी रूप में महिलाओं के अशिष्ट प्रदर्शन का निषेध करता है।
 4. सती आचरण निवारक अधिनियम (1987) सती के आचरण और इसके महिला मंडल पर अधिक प्रभावी निरोध उपलब्ध कराता है।
 5. दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961) विवाह के पहले या बाद में दहेज लेने और देने पर प्रतिबंध लगाता है।
 6. मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) बच्चे के जन्म के पहले और बाद में कुछ सुनिश्चित समय के लिये सुनिश्चित संस्थानों में महिलाओं के रोजगार को विनियमित करता है और महिलाओं के लिये मातृत्व और अन्य लाभ उपलब्ध कराता है।
 7. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम (1971) माननीय और चिकित्सकीय आधारों पर पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा गर्भावस्था के समापन की सुविधा उपलब्ध कराता है।
 8. गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (1994) गर्भ धारण के पहले या बाद में लैंगिक चयन का निषेध करता है और लिंग धारण के लिये उन प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकता है जो कन्या भ्रूण हत्या का कारण बनती है।
 9. समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) एक समान प्रकृति के कार्य या समान कार्य के लिये महिला और पुरुष दोनों के लिये समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है। यह लिंग के आधार पर भर्ती और सेवा शर्तों में महिलायें के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को रोकता है।
 10. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम (1939) एक मुस्लिम पत्नी को विवाह विघटन का अधिकार प्रदान करता है।
 11. मुस्लिम महिला (विवाह - विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम (1986) उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करता है। जो अपने पतियों से तलाक लेती हैं या उन्हें तलाक दिया गया है।
 12. पारिवारिक अदालत अधिनियम (1984) पारिवारिक विवादों के त्वरित समाधान के लिये पारिवारिक अदालतों के गठन का प्रावधान करता है।
 13. भारतीय दण्ड संहिता (1860) में दहेज, हत्या, बलात्कार, अपहरण क्रूरता और अन्य अपराधों से महिलाओं को बचाने के प्रावधान शामिल किये गये हैं।
- उपसंहार -** महिलाओं से परिवार और कार्य स्थल बहुत उम्मीदें रखता है। महिलायें भी इंसान होती हैं, मशीन नहीं। घर में यह आशा की जाती है कि वह कार्य स्थल से आकर फिर अपनी गृहस्थी संभाले। महिलाओं को गृहिणी के रूप में भी सारी अपेक्षाओं को पूरा करती है। कितनी भी थकान हो वह अपने परिवार को महसूस होने नहीं देती है। कभी परिवार के सदस्यों को भी उन्हें समझने की जरूरत है, खासकर पुरुषों को। हम पुरुष शासित समाज में रहते हैं। जहां हर फैसला लेने से पहले महिलाओं को पूछना पड़ता है लेकिन फिर भी कुछ महिलायें शान्ति से समझौता करते हुये अपनी दोहरी भूमिका बेहतरीन रूप से निभाती हैं।
- संदर्भ ग्रंथ सूची :-**
1. भारद्वाज, निधि, महिला सशक्तिकरण, सागर पब्लिशर्स, जयपुर 2012।
 2. देसाई, नीरा, ठाकुर, उषा, भारतीय समाज में महिलायें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत 2001।
 3. डॉ. नरे, एस.एल. भारतीय इतिहास में नारी, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।
 4. प्रो. गुप्ता, एम.एल. डॉ. शर्मा डी.डी., भारतीय सामाजिक समस्यायें, साहित्य भवन पब्लिकेशन 2008।
 5. लक्ष्मीकांत, एम.भारतीय शासन।

स्वाधीनता की वाणी - 'हिंदी'

डॉ. तृष्णा शुक्ला*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) प.म.ब. गुजराती विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - हिंदी में शक्ति है, सामर्थ्य है, आकर्षण है, असर है। भाषा की हर छांव तले अपनेपन का दीप जले हिंदी ने सब को अपना बनाया दूसरी भाषा सीखने की कोशिश में अपनी भी अब अधकचरी कर लेना कहां की अवलमंदी हैं। हिचक छोड़ें हिंदी बोले क्योंकि हमें परायो के साए में ना जीना पड़े, जो अपनी सोच, संस्कृति और भाषा से दूर हो चुके हैं वह दिखते भी टिपोडें हैं और यह दिखावटी आडंबर क्यों? विदेशी भाषा से इस कदर लगाव क्यों है हमें? अपनी मां को छोड़कर किसी और की मां को अपना कहना। भाषा मां सिखाती है मां जैसी होती है तभी तो मातृभाषा कहलाती है उसे कैसे बदले? जो बोली में बसता है वह घर है। घर से दूर कौन सा ठौर है। अपनी जबान की कद्र तब समझ में आती है जब देवालय में विनती करते हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों ने अंग्रेजी को नकारा है। हम हिंदुस्तानी ही हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती और उन लोगों को भरपूर हिकारत से देखते हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती। भाषा का नवीन रूप आ रहा है उसे पूरी तरह रोकना नामुमकिन है हिंदी में एक नई पैदा हुई समस्या भाषा मिलावट की है। वही रोमन लिपि में हिंदी लिखी जा रही है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा की दुर्गति का देश की दुर्गति से नाभि नाल का संबंध है। हमने बच्चों की शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र शामिल क्यों किया? अंग्रेजी माध्यम की वजह से एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जिसका ना अपनी भाषा और ना अंग्रेजी में कोई अच्छा सामर्थ्य एवं ना ही अपनी संस्कृति, परंपरा, इतिहास व अपने लोगों के साथ कोई गहन आत्मीयता बना सकती है। हम कृत्रिम सिंथेटिक भाषा रचने में लगे। हिंदी आम जनता की गरीबों की भाषा हो यह तो ठीक है पर हिंदी में रहने के कारण लोग विचार, ज्ञान - विज्ञान से गरीब बने रहें यह लज्जा जनक है। स्वार्थ और फैशन के नाम पर जो भाषा चलती है उसमें प्राण नहीं होते नितांत ही औपचारिक बनावटी तत्व हीन और सौंदर्यहीन हो जाती है। यही हाल आज बाजार की हिंदी का हो गया है। ऐसी हिंदी का उपयोग प्रयोग कर हम अपनी अस्मिता ज्ञान अनुभूति, जड़ों और प्रतिभा को खोते चले जा रहे हैं और सबसे बढ़कर स्वाधीनता को। हिंदी का जो विस्तार हो रहा है उससे हम खुश हैं और यह खुशी बच्चों की सी भोली खुशी है। यह कटु सत्य है हिंदी भाषी अपने बच्चों को अंग्रेजी ना आने के लिए प्रताड़ित करते हैं। दरअसल आगे दिखने की गड़बड़ी में हिंदी अंग्रेजी का घालमेल करते हुए भाषा का कबाड़ इकट्ठा करते चलते हैं। हिंदी कमा कर दे तो अपनाएं अर्थात भाषा का विरोध एवं समर्थन भी आर्थिक कारण से होता है। हिंदी का प्रयोग जनता के लिए नहीं बाजार के लिए हो रहा है। हिंदी नहीं बोल रहे अपना सामान बेच रहे हैं। हिंग्लिश को सिर पर लादकर बाजार हिंदी को खेत - खलिहान, कारखाने और तो और घर-घर उतर रही है। हिंदी पर हिंदी की यह सवारी क्या अनोखी नहीं? बाजार को संचालित करने वाली हिंदी कामचलाऊ हिंदी तो हो सकती है, सृजन और संवाद की नहीं हो सकती। हिंदी जीवन शैली है बाजार नहीं। हिंदी नया समाज गढ़ रही है। मल्टीनेशनल युग में हिंदी अंतरिक्ष में पहुंच रही है प्रश्न यह की पहचान का संकट उठाकर विस्तार करना कहां की समझदारी है। अपनी भाषा में मिट्टी की सौंधी महक है। असल बात यह है आत्मविश्वास के साथ बोली गई सामान्य भाषा भी असरदार होगी। भाषा को कृत्रिम एवं खिचड़ी का रूप ना दें और यह मान ले खिचड़ी की जरूरत कभी कभार ही पड़ती है। हीन ग्रंथि खत्म करें हीन भावना निकालें। सामान्य से शुरू करें और अच्छी हिंदी तक पहुंचे विश्वास करें सच्चा देशराग भाषा से पनपता है भाषा जनता के आपसी रिश्ते को परिभाषित करती है। हिंदी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है हिंदी में संस्कृति, कला, अध्यात्म, परंपरा, साहित्य, ज्ञान और विज्ञान समेत हजारों वर्षों की संचित विरासत समाई है हर देश की आबोहवा में रची-बसी होती है वहां की भाषा। सांस की तरह जिलाए रखती है।

प्रस्तावना - हिंदी में शक्ति है, सामर्थ्य है, आकर्षण है, असर है। कमी तो हिंदी भाषियों में है आत्मविश्वास और अपनी भाषा में विश्वास की। श्री धर्मवीर भारती के अनुसार 'भाषा की प्रतिष्ठा मूलतः इस आधार पर हो पाती है जो उसे बोलते हैं, उनमें तन कर खड़े होने की रीढ़ है या नहीं, अपनी जाति स्वाभिमान की रक्षा करने की आन है या नहीं, उनमें साहस संवेदना, मौलिक चिंतन, बौद्धिक जागरूकता है या नहीं, उन्हें अपने मूल्यों और अपनी आस्थाओं के लिए बलिदान दे सकने की क्षमता है या नहीं? बुनियादी संकट यही चरित्र का संकट है हमें एक राष्ट्र को एक राष्ट्र भाषा में बांधने और अपनी ऐतिहासिक नियति के साक्षात्कार करने का संकल्प जगाना जरूरी

है अपनी भाषा के प्रति प्रेम को अपने संपूर्ण चरित्र बल और मूल्य बोध से संपर्क करना जरूरी है जिस दिन हम यह कर लेंगे हम पाएंगे कि विश्व की महान शक्तियों में हमारी गणना होने लगी है।¹

भाषा की हर छांव तले अपनेपन का दीप जले हिंदी ने सब को अपना बनाया दूसरी भाषा सीखने की कोशिश में अपनी भी अब अधकचरी कर लेना कहां की अवलमंदी हैं। हिचक छोड़ें हिंदी बोले क्योंकि हमें परायो के साए में ना जीना पड़े, इसकी दुआ करते हैं तो फिर भाषा के मामले में यह कैसे मंजूर हो गया? अपनी भाषा छोड़ अंग्रेजी में बतियाने के प्रयास में हम हास्यास्पद भाषा बोलते हैं। जो अपनी सोच, संस्कृति और भाषा से दूर हो

चुके हैं वह दिखते भी टिपोडें हैं और यह दिखावटी आडंबर क्यों? विदेशी भाषा से इस कदर लगाव क्यों है हमें? अपनी मां को छोड़कर किसी और की मां को अपना कहना। भाषा मां सिखाती है मां जैसी होती है तभी तो मातृभाषा कहलाती है उसे कैसे बदले? जो बोली में बसता है वह घर है। घर से दूर कौन सा ठौर है। निज भाषा के प्रति अनुराग को समझना सरल है। उन परिस्थितियों पर विचार करें कि अपनी भाषा बोलने में कितना सुकून मिलता है। अपनी जबान की कद्र तब समझ में आती है जब देवालय में विनती करते हैं। हम निवाला और हम जुबान होने का सीधा तात्त्विक संस्कृति से है हमारा भोजन एक हो और हम एक ही भाषा बोले तो पराई धरती पर भी अपनेपन का एहसास मिल जाता है लेकिन जब अपने ही घर में कोई पराया कर दे तब किस से गिला शिकवा करें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि- 'भाषा ही किसी जाति की सभ्यता को सबसे अधिक झलकाती है। यही उसके भीतरी कलपुर्जे का पता रखती है किसी जाति को अशक्त करने का सबसे सहज उपाय उसकी भाषा को नष्ट करना है।'²

दुनिया की कई संस्कृतियों ने अंग्रेजी को नकारा है। हम हिंदुस्तानी ही हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती और उन लोगों को भरपूर हिकारत से देखते हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती। हमने खुद अपनी हालत बदतर की है भूमंडलीकरण एवं बाजारवाद के दौर में भाषा में बेइंतहा मिलावट का संभवतः नई पीढ़ी स्वागत कर रही है। भाषा का नवीन रूप आ रहा है उसे पूरी तरह रोकना नामुमकिन है हिंदी में एक नई पैदा हुई समस्या भाषा मिलावट की है। 'बाजार में अंग्रेजी और हिंदी को इस कदर मिला दिया है कि अंग्रेजी बोलना आधुनिकता का और हिंदी बोलना उदारता का लक्षण हो गया है। वही रोमन लिपि में हिंदी लिखी जा रही है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा की दुर्गति का देश की दुर्गति से नाभि नाल का संबंध है। हमने बच्चों की शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र शामिल क्यों किया? इससे अंग्रेजी अपने आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई और हिंदी देश की राजभाषा तक सीमित हो गई। इस तरह हमने एक और अंग्रेजी के रूप को बढ़ाया और शिक्षा के वे बीज बोए जो बराबर पनपते और फलते फूलते रहे। दुनिया भर के भाषा और शिक्षा विशेषज्ञों की राय और तजुर्बा है कि शिक्षा सफलतापूर्वक केवल और केवल मातृभाषा में दी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा व्यवहार और स्थिति इस बात के पक्के सबूत हैं कि मातृ भाषाओं के क्षेत्र अंग्रेजी के हवाले कर देने से अभी तक हमें भारी नुकसान हुए हैं और इससे ना तो हमें अभी तक कोई लाभ हुआ है और ना ही होने वाला है आज के युग में किसी भाषा के जिंदा रहने और विकास के लिए उस भाषा का शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग आवश्यक है। वही भाषा जिंदा रह सकती है जिसका प्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होता रहे। अंग्रेजी माध्यम की वजह से एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जिसका ना अपनी भाषा और ना अंग्रेजी में कोई अच्छा सामर्थ्य एवं ना ही अपनी संस्कृति, परंपरा, इतिहास व अपने लोगों के साथ कोई गहन आत्मीयता बना सकती है। हम राजनीतिक गुलामी से आधी बीसवीं सदी तक लड़ते रहे एवं आधी सदी को मानसिक गुलामी पाने अपनाने और ओढ़ने में जाया कर दी और बीसवीं सदी को विश्व बाजार और विश्व भाषा के हाथों अपने को पूरी तरह सौंप दिया तो क्या हम पराधीनता का नया प्रतिमान बना रहे हैं? हम कृत्रिम सिंथेटिक भाषा रचने में लगे। हिंदी आम जनता की गरीबों की भाषा हो यह तो ठीक है पर हिंदी में रहने के कारण लोग विचार, ज्ञान -विज्ञान से गरीब बने रहें यह लज्जा जनक है।'³

भाषा का प्रश्न अंततः पहचान का प्रश्न है हम सब बखूबी जानते हैं कि

भाषा का निर्माण टकसाल में ना होकर चौपाल में होता है और उसका शिल्पी आमजन है। हमने अपने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई भी इसी हिंदी भाषा के माध्यम से जीती है। 'लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का मसौदा और लॉर्ड विलियम बैंटिक के हस्ताक्षर ने भारत वासियों को सदा के लिए गुलाम बनाने की भावना थी और इसी भावना को मूर्त रूप चार्ल्स वुड ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा संबंधी आदेश दिया कि भारतीय लोगों में से कुछ को डी -वलास (पृथक -वर्ग) या डी -नेशन (देश -पृथक) का अनुकूल वातावरण बनाया था एवं भारत की जनता में सुख सुविधा की ऐसी होड़ जगाना था जिससे ब्रिटिश माल की खपत भारत में हो। नई नई चीजों का बाजार तैयार कर विदेशी भाषा के माध्यम से उपभोग संस्कृति के निर्माण की वह नींव थी। यही नहीं उपभोक्ता -मूलक संस्कृति में पनपी भाषा संस्कृति ही नहीं, अपना बाजार भी लाती है। स्वार्थ और फैशन के नाम पर जो भाषा चलती है उसमें प्राण नहीं होते नितान्त ही औपचारिक बनावटी तत्व हीन और सौंदर्यहीन हो जाती है।'⁴

यही हाल आज बाजार की हिंदी का हो गया है। ऐसी हिंदी का उपयोग प्रयोग कर हम अपनी अस्मिता ज्ञान अनुभूति, जड़ों और प्रतिभा को खोते चले जा रहे हैं और सबसे बढ़कर स्वाधीनता को। 'हिंदी और भारतीय भाषाएं ऐसे हम्माल या हरकारे में बदल गई हैं जिसकी पीठ पर दूसरे का माल और हाथ खुद के लेकिन दूसरे की चिढ़ियां ढो हो रहे हैं। यह विचारणीय एवं चिंताजनक स्थिति है कि वाचिक (बोलचाल की भाषा) बाजार में अपने स्वार्थ के लिए थोपी नहीं जाती बल्कि लोक में सरल, स्वाभाविक, आत्मीय और सांस्कृतिक संबंधों के बीच सहज रूप से विकसित होती है। बाजार रंगमंच पर कब्जा उसी भाषा का रहेगा जो बाजार को संचालित करेगी हिंदी का सरल रूप अर्थात् बाजारीकरण यह लोगों को मूर्ख बनाने का फेंका गया अंतरजाल है। हिंदी का जो विस्तार हो रहा है उससे हम खुश हैं और यह खुशी बच्चों की सी भोली खुशी है। सिनेमा, दूरदर्शन, प्रचार पट्ट (होडिंग), इंटरनेट पर हिंदी के मंच, अंतरजाल की दुनिया में वेबसाइट, ब्लॉग हिंदी का प्रचार - प्रसार कर रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल पर हिंदी में लिखना पढ़ना काम करना अत्यंत आसान है सारे संसाधन बिल्कुल मुफ्त हिंदी में कंप्यूटिंग संबंधी तमाम संसाधनों मसलन ऑनलाइन, ऑफलाइन शब्दकोश, फोट परिवर्तन विकिपीडिया लिंक पर उपलब्ध है। जरूरत है इन माध्यमों के प्रचार प्रसार की। हमारी कक्षाओं में बोलने की दक्षता पर काम नहीं किया जा रहा है वजह सिर्फ शिक्षा का गलत तरीका और अभिभावक की ख्वाहिशें हैं। यह कटु सत्य है हिंदी भाषी अपने बच्चों को अंग्रेजी ना आने के लिए प्रताड़ित करते हैं। दरअसल आगे दिखने की गड़बड़ी में हिंदी अंग्रेजी का घालमेल करते हुए भाषा का कबाड़ इकट्ठा करते चलते हैं। कंपनियां विज्ञापनों में अपना उत्पाद बेचने के लिए हिंदी का सहारा लेती हैं और उनका काम बन जाता है। उनका उद्देश्य लाभ कमाना है समाज सेवा नहीं। हिंदी कमा कर दे तो अपनाएं अर्थात् भाषा का विरोध एवं समर्थन भी आर्थिक कारण से होता है।'⁵

भ्रष्ट हो गई मेरी वर्णमाला, तरतीब में नहीं बैठते अक्षर की गढ़ सके सही शब्द, वर्गच्युत आभिजात्य के प्रतिगामी पथ पर वक्त तो गुजर गया, हम मशगूल रहे, परिभाषाएं गढ़ने में, रच रहे थे जादुई यथार्थ, असम्बद्ध बिंबों की अबूझवाणी, प्रतीकों के कंधों पर हाथ टेके, जनवादी राहों पर संप्रेषण तलाशती जन-जन की हिंदी भाषा। 'गणित और अंग्रेजी सीखना बुरी बात नहीं है लेकिन जिंदगी की कीमत पर नहीं होना चाहिए आज शिक्षा पद्धति की हालत ठीक ऐसी ही है कि वह सितार की साज-सज्जा पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है लार्ड मैकाले ने अंग्रेजों से कहा कि वह क्लर्क चाहते हैं

इसलिए उस तरह का शिक्षा पद्धति तैयार करें और गणित एवं अंग्रेजी सहित अन्य विषयों की फैक्ट्री बना डाली अशिक्षा फैक्ट्री का रूप धारण कर चुकी है।⁶

हिंदी का प्रयोग जनता के लिए नहीं बाजार के लिए हो रहा है। हिंदी नहीं बोल रहे अपना सामान बेच रहे हैं। हिंग्लिश को सिर पर लादकर बाजार हिंदी को खेत-खलिहान, कारखाने और तो और घर-घर उतर रही है। हिंदी पर हिंदी की यह सवारी क्या अनोखी नहीं? जैसे आदमी को ढोता आदमी रिक्शा दरअसल जो भाषा गढ़ी जा रही है वह कारपोरेट भाषा है बाजार और व्यवसाय की। इतिहास, संस्कृति, स्वाभिमान और अस्मिता की किसे परवाह क्योंकि शिक्षक समुदाय एवं पेशेवर लोगों के मन में भाषा के प्रति कोई दर्द नहीं, लगाव नहीं। उन्हें पता ही नहीं वह क्या खोने जा रहे हैं? अपनी अस्मिता, स्वाधीनता देश की आवाज ज्ञान विज्ञान संस्कृति एवं ना जाने क्या-क्या? आजादी के 74 वर्ष के बाद बाजार के प्रभाव को देख यह आश्चर्य होना चाहिए कि भारत में अंग्रेजी कितना शानदार लाजवाब और कितना एकाधिकार पूर्ण व्यापार खड़ा कर चुकी है। यह अंग्रेजी ही व्यापार सत्ता का पुख्ता प्रमाण है वह जनता के सच की भाषा नहीं क्योंकि जनता का सच हिंदी में व्यक्त होता है। हिंदी आमजन के हित की भाषा है। गांधी जी ने इस संदर्भ में ठीक ही कहा है कि 'अपनी मातृभाषा दूध पिला कर हमें पुष्ट करती है और अंग्रेजी जहर पिलाकर परजीवी, निकम्मा और बीमार बनाती है।'⁷

हिंदी की तमाम मौलिकता अंग्रेजी सीखने सिखाने में खर्च हो रही है। आज दुनिया के तमाम विकसित देशों में हिंदी की पढ़ाई होती है किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में हिंदी बोलना लिखना सभ्य समाज के पिछड़े होने की निशानी है। इस मिश्रण की जरूरत समझ में आनी चाहिए। भ्रमंडलीकरण भाषा की सृजनशीलता को ध्वस्त कर रहा है कामचलाऊ भाषा को याद किया जा रहा है। वह मौकापरस्त है हिंदी भूगोल के बदलाव पर चर्चा करने वाले इन रचनाकारों की हिंदी अंग्रेजी के साथ नृत्य करती दिख रही है। बाजार को संचालित करने वाली हिंदी कामचलाऊ हिंदी तो हो सकती है, सृजन और संवाद की नहीं हो सकती। हिंदी जीवन शैली है बाजार नहीं। हिंदी नया समाज गढ़ रही है। मल्टीनेशनल युग में हिंदी अंतरिक्ष में पहुंच रही है प्रश्न यह की पहचान का संकट उठाकर विस्तार करना कहां की समझदारी है। प्रेमचंद के शब्दों में 'राष्ट्र की बुनियाद राष्ट्र की भाषा है। नदी पहाड़ समुद्र राष्ट्र नहीं बनाते भाषाई व बंधन है जो चिरकाल तक राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखती है और शिराज बिखेरने नहीं देता।'⁸

अपनी भाषा में मिट्टी की सौंधी महक है। मन में गलतफहमी बस गई है कि 'शिक्षा' कठिन शब्द है लेकिन 'एजुकेशन' सरल है। वही सुशिक्षित उच्च शिक्षित आवेदन देने के नाम पर सोच सोच कर 4-6 पंक्तियां काम चलाऊ अंग्रेजी में लिखते हैं या चिरोरी (आनाकानी) करते हैं की हमारे लिए लिख दो। हिंदी है हम लेकिन हमारी सोच बन गई है हिंदी में लिखने या बोलने पर असर कम होगा। असल बात यह है आत्मविश्वास के साथ बोली गई सामान्य भाषा भी असरदार होगी। कोई अंग्रेजी दा हिंग्लिश या अंग्रेजी बोलने से पहले आपसे पूछता नहीं है कि आप समझ पाएंगे या नहीं वह बोलता भर है। गर्व से अंग्रेजी के प्रश्न का जवाब अपनी भाषा में ही दें। भाषा को कृत्रिम एवं खिचड़ी का रूप ना दें और यह मान ले खिचड़ी की जरूरत कभी कभार ही पड़ती है। मित्रों पड़ोसियों रिश्तेदारों सहकर्मियों के साथ हिंग्लिश या अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत? हीन ग्रंथि खत्म करें हीन भावना निकालें। सामान्य

से शुरू करें और अच्छी हिंदी तक पहुंचे विश्वास करें सेल्फ आब्सेड से ज्यादा अच्छा होगा आत्ममुग्ध कहना और स्पीचलेस से अधिक असरदार होगा निशब्द। स्वयं सोचिए कि तारीफ करनी है तो अद्भुत, अप्रतिम, अतुल्य, शानदार, अच्छा, जबरदस्त, अनोखा, सुखद, सुमधुर जैसे विशेषण हो मे से चुनना अच्छा होगा या गुड़ कह देना। निराला की पंक्तियां पहले के जमाने की अपेक्षा आज कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं- 'चाहिए उन्हें भी और और फिर साधारण को कहां ठौर है।'⁹

हिंदी एक विश्वसनीय दीर्घ जीवी एवं सारवान भाषा है। हिंदी सच्चे अर्थों में भारत भारती बने। हिंदी भारत की अस्मिता का प्रतीक हो। मार्च 1918 में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आठवां अधिवेशन गांधी जी के सभापति त्व में हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था- 'भाषा माता के समान है माता पर हमारा जो प्रेम होना चाहिए वह हम लोगों में नहीं है। यदि हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी तो साहित्य का विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। जैसे भाषक वैसी भाषा। हमारा शिक्षित वर्ग अंग्रेजी के मोह में फंस गया है और अपनी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा से उसे और विश्वास हो गया है। जो अंधा है वह देख नहीं सकता और गुलाम नहीं जानता कि अपनी बेड़ियां किस तरह तोड़ें। 50 वर्ष से हम अंग्रेजी के मोह में फंसे हैं। हमारी प्रजा अज्ञान में डूब रही है। अब हमें अपनी मातृभाषा को और नष्ट करके उसका खून नहीं करना चाहिए। आप हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। हिंदी सब जानते हैं इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए।'¹⁰

कैसे बनेगा भारत भाग्य विधाता, नेतृत्व करना है तो लोगों के जीवन की उस कमी को महसूस करें जो उन्हें तकलीफ देती है। हमारी भाषा हमारी संपत्ति है भाषा की रक्षा करना, पोषण करना हमारा दायित्व है। दीवार का धर्म आवागमन को रोकना है। दरवाजे का धर्म आवागमन को सुगम और सुचारु बनाना है। हिंदी को हम दरवाजा मानकर आगे बढ़ेंगे। वह बहता नीर है। हिंदी का मैदान विशाल है। हिंदी की शिक्षा सदैव जनशक्ति ही है वह शासन की भाषा कभी नहीं रही। हिंदी भक्ति आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन की मानी थी। हिंदी साहित्यकारों और प्रचारकों ने सोने की कौर खाकर हिंदी सेवा नहीं की है उसे देशभक्ति की तपस्या और साधना का ही एक अंग समझा है। अपने देश और क्षेत्र में उपेक्षा और तिरस्कार सहा है। उच्च भू-तेवर हिंदी के स्वभाव में नहीं उसका और सम्मान भारतीय भाषाओं की सहचरी होने में ही है और यह स्थान भारतीय जनता की हृदय भूमि है जिससे उच्चतर और कोई स्थान नहीं। सच्चा देशराग भाषा से पनपता है भाषा जनता के आपसी रिश्ते को परिभाषित करती है यह देशराग भी था जब 15 अगस्त 1947 को बीबीसी से महात्मा गांधी ने कहा कि 'दुनिया वालों से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।'¹¹

मातृभाषा महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। यह रक्त की तरह हमारी रगों में दौड़ती है मातृभाषा से दूरी बनाकर कोई खुद को जीवित कैसे रख सकता है। घोर स्पर्धा है। हिंदी में जो था वह महत्वपूर्ण है जो है वह महत्वपूर्ण है लेकिन ज्यादा जरूरत जो हो सकता है उस पर ध्यान देने की है। हिंदी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है हिंदी में संस्कृति, कला, अध्यात्म, परंपरा, साहित्य, ज्ञान और विज्ञान समेत हजारों वर्षों की संचित विरासत समाई है हर देश की आबोहवा में रची-बसी होती है वहां की भाषा। सांस की तरह जिलाए रखती है। रीत-प्रीत, जन-मन, संस्कृति, संस्कारों की अपनी माटी में जैसे पेड़ सिर उठाए खड़ा रहता है बिल्कुल वैसे ही संबल मिलता है भाषा से। बादल दूजे देश का पानी नहीं लाते, वो ओस है जो लुभा रही है, इससे प्यास नहीं बुझेगी, उसके

लिए अपने भाषा स्रोत काम आते हैं। जो रक्त मज्जा का निर्माण करती है, वही संस्कारों और भाषा को भी बनाती है। जो रगों में बह रही है उससे निगाह फेर सकते हैं, जुबान पर आने से रोक सकते हैं लेकिन उसी में मौजूद प्राण को कब तक नकार सकेंगे। 'आंख फूटेगी तो क्या भींहीं से देखेंगे। अंत में यही प्रार्थना है- 'कैसे निज सोए भाग को कोई सकता है जगा, जो निज भाषा अनुराग का अंकुर नहि उर में उगा।' विश्वास भरा प्रण भी हो कि हिंदी का परचम विश्व भर में लहराए जैसे हिंदी प्रेमियों के दिलों में लहराता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 14, अंक 13 मई 2010, आलेख 5 शौरिराजन 'हिन्दी भाषियों में हिन्दी' पृ. 9
2. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 11, अंक 11 मई 2007, डॉ. संतोष भदौरिया लेख 'बाजार का प्रपंच और हिन्दी' पृ. 14
3. प्रभाकर श्रोत्रिय 'बाजारवाद में हिन्दी', नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, प्रथम सं. 2009 ISBN 81-214-0350-2 पृ. 10, 11
4. प्रभाकर श्रोत्रिय 'बाजारवाद में हिन्दी', नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, प्रथम सं. 2009 ISBN 81-214-0350-2 पृ. 12, 14
5. प्रभाकर श्रोत्रिय 'बाजारवाद में हिन्दी', नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, प्रथम सं. 2009 ISBN 81-214-0350-2 पृ. 35
6. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 11, अंक 11 मई 2007, डॉ. संतोष भदौरिया लेख 'बाजार का प्रपंच और हिन्दी' पृ. 14
7. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 11, अंक 11 मई 2007, डॉ. संतोष भदौरिया लेख 'बाजार का प्रपंच और हिन्दी' पृ. 14
8. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 11, अंक 11 मई 2007, डॉ. संतोष भदौरिया लेख 'बाजार का प्रपंच और हिन्दी' पृ. 14
9. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 14, अंक 12 अप्रैल 2010, विचार-विश्वनाथ त्रिपाठी 'हिन्दी भारत का भारत वशियों को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है।' पृ. 10
10. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 14, अंक 13 मई 2010, आलेख 5 शौरिराजन 'हिन्दी भाषियों में हिन्दी' पृ. 8
11. अक्षर पर्व (साहित्यिक वैचारिक मासिक पत्रिका) वर्ष 11, अंक 11 मई 2007, डॉ. संतोष भदौरिया लेख 'बाजार का प्रपंच और हिन्दी' पृ. 13

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 : एक विश्लेषणात्मक विवेचन

डॉ. प्रमोद पंडित *

* विभागाध्यक्ष (रसायन शास्त्र) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – नई शिक्षा नीति 2020 के निर्माण की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, प्रमुख बिन्दु, लागू करने के तरीके, उसके भविष्य में होने वाले परिणामों इत्यादि पर वैचारिक विश्लेषण- विवेचन इस शोध पत्र में किया गया है। 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रीमण्डल द्वारा भारत की 'नई शिक्षा नीति - 2020' को मंजूरी/स्वीकृति दी गयी है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020' स्वतंत्र भारत की तीसरी व 21 वीं सदी की पहली 'शिक्षा नीति' है।

शब्द कुंजी : राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020, पब्लिक डॉमेन, जी.ई.आर., राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम (NETF), वोकेशनल कोर्स।

प्रस्तावना – शिक्षा नीति – इतिहास व पृष्ठभूमि – शिक्षा किसी भी देश के लिए सभी प्रकार के (सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, बौद्धिक, व्यवसायिक) परिवर्तन का 'टूल' है। जैसे सूखा हुआ पानी अपनी उपयोगिता खो देता है वैसे ही वर्ष 1986 से लागू 34 वर्ष पुरानी 'राष्ट्रीय शिक्षा - नीति 1986' अपनी उपादेयता को खो चुकी थी। वर्तमान केन्द्र सरकार ने बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही शिक्षा नीति में बदलाव के लिए वर्ष 2016 से ही नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी थी। वर्ष 2019 में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक व इसरो के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ. के.कस्तूरिंगन की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति गठित की जिसने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 का ड्राफ्ट' कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात् तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे आम भारतीय जनता से भी सुझाव आमंत्रित करने हेतु 'पब्लिक डॉमेन' में जारी किया। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020' स्वतंत्र भारत की तीसरी व 21 वीं सदी की पहली 'शिक्षा नीति' है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तदुपरांत शिक्षा का अधिकार 2009, राइट टू एजुकेशन - एक्ट 2009-10 में लागू किया गया, जिसके तहत देश के सरकारी स्कूलों में 6-14 वर्ष की आयु समूहों के बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया एवं निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों की एक चौथाई (1/4) संख्या आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) बच्चों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत की 'प्रथम शिक्षा नीति-1968' में लागू की गयी जो कि शिक्षाविद् डॉ. डी.एस.कोठारी की अध्यक्षता में गठित आयोग की अनुसंधानों पर आधारित थी। वर्ष 1985 में 'शिक्षा की चुनौतियाँ' दस्तावेज की अनुसंधानों के आधार पर 1986 में भारत सरकार ने दूसरी 'नई शिक्षा नीति-1986' लागू की, जिसमें संपूर्ण देश के लिए 'एक समान शैक्षणिक फ्रेमवर्क' को अपनाया गया था।

प्रमुख बिन्दु – एक नजर में :

1. इस हेतु गठित समिति का नाम इसके अध्यक्ष पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के.

- कस्तूरिंगन के नाम पर 'कस्तूरिंगन समिति' रखा गया है।
2. समिति का गठन जून 2017 में हुआ, मई 2019 में समिति ने नीति का ड्राफ्ट कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया एवं 29 जुलाई 2020 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल द्वारा इसे स्वीकृत किया गया।
3. नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक विद्यार्थियों के प्रवेश का सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio – GER) को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है।
4. इस नीति में अब शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है, अभी यह 4.43% है।
5. इसमें 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है।
6. इसमें ई-पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रहीं हैं।
7. नई शिक्षा नीति में मल्टीपल डिस्प्लिनरी एजुकेशन की बात कही गई है इसका मतलब यह है कि कोई भी छात्र विज्ञान, वाणिज्य के साथ-साथ कला और सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी दसवीं-बारहवीं बोर्ड और कॉलेज के ग्रेजुएशन स्तर में चुन सकता है।

उद्देश्य व विज़न – समग्र विकास का लक्ष्य:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 का उद्देश्य शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता युक्त वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष बल दिया गया है।
2. इस शिक्षा नीति में 'शिक्षा का अधिकार कानून' (RTE) का दायरा बढ़ा कर 6 से 14 वर्ष के स्थान पर 3 से 18 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का दायित्व सरकार का हो गया है।
3. छात्रों को आवश्यक कौशल एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमिक क्षेत्र और इण्डस्ट्री में कुशल लोगों की कमी

को दूर करते हुए देश को ज्ञान आधारित 'सुपर पॉवर' के रूप में स्थापित करना है।

4. शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना सम्मिलित है।
5. भाषाई बाध्यताओं को दूर करने व दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा की सुगम बनाने के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

स्कूली शिक्षा में परिवर्तन : नींव मजबूत करने की कवायद - नई शिक्षा नीति-2020 में वर्तमान में, स्कूली शिक्षा में लागू पद्धति 10+2 के शैक्षिक मॉडल में बदलाव किया गया है। इसके स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 की प्रणाली/प्रावरण के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।

इसका फार्मेट इस तरह से प्रस्तावित है -

वर्ष/वर्ग	चरण	आयु	कक्षा स्तर
5 वर्ष	फाउण्डेशन स्टेज	3 से 6 वर्ष	आँगनवाड़ी
		6 से 8 वर्ष	नर्सरी (प्री प्राइमरी)
3 वर्ष	प्राथमिक स्तर	8 से 11 वर्ष	कक्षा 3 से 5
3 वर्ष	माध्यमिक स्तर	11 से 14 वर्ष	कक्षा 6 से 8
4 वर्ष	हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर	14 से 18 वर्ष	कक्षा 9 से 12

1. पाँचवी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा /स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये भी प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
2. छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, इसके लिए इच्छुक छात्रों का छठी कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप करायी जाएगी।
3. म्यूजिक, योग, नृत्य, अभिनय कला, हस्तशिल्प आदि को पाठ्यक्रम - में शामिल कर बढ़ावा दिया जायेगा।
4. 'अर्ली चाइल्डहुड' पालिसी के तहत पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं होती थी, बच्चा 6 वर्ष की आयु से पढ़ना प्रारम्भ करता था लेकिन अब 3 वर्ष से ही शिक्षा एडउए (Early Childhood Care and Education) द्वारा प्रारम्भ होगी, आँगनवाड़ी के माध्यम से।
5. पहले जहाँ कक्षा 11वीं कक्षा से विषय चुन सकते थे अब छात्रों की कक्षा 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की सुविधा रहेगी।
6. कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई में किसी विषय के प्रति गहरी समझ तथा बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
7. 10वी एवं 12वी की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर अब वर्ष में दो बार (सेमेस्टर प्रणाली द्वारा) ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षा आयोजित की जाएगी।
8. शिक्षा नीति में मिड-डे मील के साथ - साथ सुबह का नाश्ता देने की भी बात कही गई है।

उच्च शिक्षा: प्रमुख बिंदु - युवा शक्ति के विकास का लक्ष्य

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और नेशनल काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (NCTE) को समाप्त कर रेगुलेटरी (नियामक) बोर्ड बनाई

जाएगी।

2. अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंडअलोन इंस्टिट्यूट्स के लिए अलग-अलग नियम हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे।
3. देश भर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् (HECI) नामक एक एकल निकाय का गठन किया जायेगा।
4. **बहु-स्तरीय प्रवेश एवं निकासी (Multiple Entry & Exit)** - वर्तमान में तीन या चार वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई छात्र किसी कारण वष बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसे डिग्री न मिलने से इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन अब इसमें निम्न परिवर्तन है :
 - i. एक वर्ष की पढ़ाई पर - सर्टिफिकेट
 - ii. दो वर्ष की पढ़ाई पर - डिप्लोमा
 - iii. तीन या चार वर्ष पर - डिग्री मिल जाएगी।
5. अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है और इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है।
6. जो छात्र हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री 3 साल की होगी किन्तु शोध अध्ययन करने वालों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री अब 4 साल की होगी।
7. पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एक साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प रहेगा तथा पाँच साल का संयुक्त ग्रेजुएट-मास्टर कोर्स लाया जाएगा।
8. कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) - उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कामन एग्जाम होगी परन्तु यह प्रवेश एग्जाम अनिवार्य नहीं है।
9. **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट** - इसमें विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा अलग-अलग संस्थानों में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
10. देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) की स्थापना की जाएगी।
11. शोध उपाधि के लिए एम.फिल. डिग्री पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया है।
12. आगामी वर्षों में उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जायेगी।
13. **अंतर्राष्ट्रीयकरण** - भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को अपने परिसर अन्य देशों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा साथ ही विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालयों (शीर्ष 100 में) को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

शिक्षकों से सम्बंधित सुधार : मेन्टरिंग पर नजर:

1. इस शिक्षा नीति में 'नेशनल मेन्टरिंग प्लान' लाया जायेगा इससे शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा।
2. शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा तथा पदोन्नति भी अब योग्यता (शैक्षणिक प्रशासन व समय - समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन) आधारित होगी।
3. शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2022

- तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा।
4. प्रत्येक स्कूल में शिक्षक - छात्रों का अनुपात 30:1 से कम हो तथा सामाजिक - आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में यह अनुपात 25:1 से कम हो की व्यवस्था की जायेगी।
 5. प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वह स्वयं व्यावसायिक विकास (पेशे से संबंधित आधुनिक विचार, नवाचार और खुद में सुधार करने) के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष 50 घण्टों का सतत् व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में हिस्सा लें।
 6. शिक्षकों को गैर - शिक्षण गतिविधियों (जटिल प्रशासनिक कार्य, मिड डे मिल) से संबंधित कार्यों में शामिल न करने का अनुशंसा की गयी है।
 7. गुणवत्ता को बढ़ाने देने के लिए शिक्षामित्र, एडहाक, गेस्ट टीचर जैसी व्यवस्था धीरे- धीरे समाप्त कर स्कूली व उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थायी टीचर की नियुक्ति की जायेगी।

निष्कर्ष : सतत् मूल्यांकन से हासिल होगा परिणाम - शिक्षा एवं शिक्षा प्रणाली किसी भी देश के भविष्य निर्धारण का आईना माना जाता है। शिक्षा समाज विकास की 'बैकबोन' (रीढ़) का निर्धारण करती है।

वर्तमान में लागू की गयी, शिक्षा नीति-2020 वास्तव में केन्द्र सरकार की दूरदर्शिता, प्रतिबद्धता एवं समाज के प्रति राज्य के दायित्वों के स्पष्ट दृष्टिकोण को परिलक्षित करती है।

परन्तु यह भी उतना ही सच है कि किसी दस्तावेज का अच्छा बन जाना, उसके समस्त सकारात्मक प्रतिफलों को निश्चित नहीं कर देता है। वास्तव में धरातल स्तर पर उसे लागू करने के तरीके, समयबद्ध परीक्षण, समर्पण एवं उसमें निहित उद्देश्यों को समझने की क्षमता व दक्षता पर निर्भर

करेगा की इसकी उपादेयता सिद्ध हो रही है या नहीं।

केन्द्र व राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जब यह शिक्षा नीति को उचित ढंग से लागू करना है तो पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री भी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध करवाना होगी।

प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक के मंहे व एलीट वर्ग के संस्थानों को भी इस शिक्षा नीति के दायरे में लाना होगा।

निश्चित ही किसी भी नीति या व्यवस्था में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन, सुधार एवं बदलाव उसके परिणामों को और अधिक सार्थक कर देते हैं।

निश्चित ही निचोड़ रूप में इस शिक्षा नीति को 'समावेशी शिक्षा नीति' कहा जा सकता है जिसमें 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' हासिल करने की दृढ़ क्षमता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. 'नई शिक्षा नीति : पढाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे ये बड़ा बदलाव' 'आज तक' अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
2. 'नई शिक्षा नीति, 2020 : प्रमुख पॉइंट्स एक नजर में' - अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।
3. 'नई शिक्षा नीति, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता कदम'।
4. 'नई शिक्षा नीति से कितनी बदलेगी शिक्षा व्यवस्था जानिए क्या कहते हैं, जानकार' आज तक अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020।
5. 'आइए जाने आखिर देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी' 'दैनिक जागरण' अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020।

संवेगात्मक रूप से अशांत बालक हेतु उपचार और शैक्षिक प्रावधान

डॉ. वर्षा तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक, प्रशांति कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत जैसे प्रजातंत्र देश में प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार है प्रत्येक बालक को अधिकार है कि वह अपनी समस्या के अनुसार सहायता ग्रहण करें चाहे उसकी सामर्थ्य कम हो या अधिक। प्रजातंत्र राज्य की विचारधारा के अनुसार सभी बालकों को शिक्षा पाने के समान अवसर प्रदान किए जाएं, चाहे वह प्रतिभाशाली हो अथवा बाधित हो। इसमें संवेगात्मक रूप से ग्रसित बालक भी आते हैं जो अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रत्येक शिक्षण कक्षा में कुछ बालकों को शिक्षा से संबंधित समस्याएं होती हैं। भावनात्मक विकसित बालक में कुछ आन्तरिक तनाव होता है जो बालक के मन में घुटन, भय, चिन्ता, व्यग्रता, व्याकुलता आदि पैदा करता है जिसके कारण बालक का व्यवहार उत्तेजित रहता है। ऐसे बालक की प्रवृत्ति तथा व्यवहार में सामान्यतया उत्तेजना दिखाई पड़ती है। शरीर की किसी परेशानी में यह आन्तरिक तनाव के कारणक्षमा के पात्र होते हैं। एक संवेगात्मक विकसित बालक असामान्य व्यवहार के द्वारा अपनी उत्सुकता को दूर करने की कोशिश करता है अथवा वह अपने आपको संसार की तरंगों, अनुमानों या कल्पनाओं से दूर कर लेता है। ऐसे बालकों को प्रेम, सुरक्षा, प्रसन्नता, सहयोग, पहिचान, उपस्थिति आदि की स्कूल, घर, तथा समाज में आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों में यह भावना नहीं आने देनी चाहिए कि वे बहिष्कृत हैं तथा उनके बारे में समाज भावनात्मकता का व्यवहार नहीं रखता है।

प्रस्तावना – संवेगात्मक रूप से अशांत बालक शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। शिक्षक की दृष्टि से संवेगात्मक रूप से अशांत बालक उन्हें कहा जाता है जो शर्मिले होते हैं, पलायन की प्रवृत्ति होती है और झगड़ालू होते हैं। इन बालकों का प्रयोग अनुचित व्यवहार करने के लिए भी किया जाता है इन बालकों का व्यवहार सामान्य बालकों के व्यवहार से कुछ अलग होता है और इनका मानसिक स्तर सामान्य बालकों के समान तथा अधिक भी होता है।

सामान्य तौर पर जो बालक संवेगात्मक कुसमायोजन के शिकार होते हैं अथवा जिनमें संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति में इस तरह के दोष या अमान्यताएं पाई जाती हैं जिसकी वजह से उनको स्वयं या दूसरों को परेशानी का सामना करना पड़े संवेगात्मक रूप से अशांत बालक कहलाते हैं। संवेगात्मक रूप से पिछड़ा बालक, संवेगात्मक रूप से विकलांग बालक और संवेगात्मक रूप से परेशान बालक विशेषणों का प्रयोग संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के लिए किया जाता है और यह सभी स्थितियां संवेगात्मक समस्याओं की ओर इंगित करती है। इन समस्त बालकों को विशेष ध्यान और उपचार की आवश्यकता है। कुछ बालकों को, जो अत्यधिक समस्याग्रस्त हैं, को विशेष शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक को पहचानना तब अत्यंत कठिन हो जाता है, जब तक वह अत्यधिक गंभीर रूप से पीड़ित न हो। बालक का संवेगात्मक रूप से अशांत होना एक अध्यापक को समस्यात्मक प्रतीत हो सकता है और दूसरे को नहीं। दूसरा अध्यापक केवल अतिरिक्त ऊर्जा का परिणाम बताता है। अध्यापक द्वारा किस पद का प्रयोग प्रायः उन बालकों के लिए किया जाता है जो बहुत अधिक आक्रामक, शर्मिले तथा सबसे अलग-थलग रहने वाले हो अथवा उनके लिए किया जाता है जो कक्षा और विद्यालय के वातावरण

को खराब करने वाले माने जाते हैं और अपने इस व्यवहार से अध्यापकों के लिए सदैव ही मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं। इसी तरह जहां तक माता-पिता एवं अभिभावकों का प्रश्न है उनकी दृष्टि में संवेगात्मक रूप से अशांत बालक वह होते हैं जो उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, बहुत ही आक्रामक होते हैं या किसी से भी मिलना जुलना पसंद न कर अपने आप में ही कैद रहते हैं, अपने व्यवहार से पूरे घर-परिवार को तंग रखते हैं अथवा जिन्हें मां-बाप के अंतः कलह तथा परिवार के झगड़ों के बीच बलि का बकरा बनना पड़ता है। मनोचिकित्सक तथा परामर्श दाताओं की दृष्टि से संवेगात्मक रूप से अशांत बालक वातावरण में उपस्थित कमियों दोषों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों की उपज होते हैं। विशेषकर घर-परिवार, विद्यालय तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा घटनाओं में मिलने वाली निराशा तथा कुंठा उन्हें संवेगात्मक रूप से अशांत बना डालती है। बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में इस तरह की बाधा आती है कि जिससे वे अपने आप से तथा अपने वातावरण के साथ कुसमायोजित होने की स्थिति में पहुंच जाएं तो वे इसके परिणाम स्वरूप संवेगात्मक रूप से स्थिर एवं शांत हो जाते हैं।

कोई बालक संवेगात्मक रूप से अशांत है इस बात का पता हमें उस बालक के असामान्य व्यवहार से संबंधित लक्षणों एवं विशेषताओं का अवलोकन करने, उसकी समस्याओं तथा उनसे उसे होने वाले दुष्परिणामों से अवगत होने से चलता है। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक इस प्रकार की गहन मानसिक अस्वस्थता एवं व्यवहार जन समस्याओं से घिरे पाए जाते हैं कि जिनके फलस्वरूप उन्हें अपने उचित समायोजन एवं वांछित प्रगति की राह में सर्वत्र रोड़े बिछे पाए जाते हैं। संवेगात्मक रूप से अशांत सभी बालों को में सामान्यतया विविध प्रकार के मनोचिकित्सक या व्यवहार

जन्य विकारों से संबंधित लक्षण पाए जाते हैं। उनकी इन परेशानियों और विकारों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उनको कई वर्गों में बांटा जा सकता है -

अवसाद से पीड़ित बालक बहुत अधिक दुखी विषाद एवं अवसाद की स्थिति में पाए जाते हैं। इस प्रकार के बालक अपनी असफलता, नुकसान तथा परेशानी का कारण दूसरों पर नहीं थोपता बल्कि स्वयं ही इन सब का दोषी अपने आप को मानकर अवसाद का चेहरा ओढ़ लेता है।

बहुत से संवेगात्मक रूप से अशांत बालक चिंता मनोविकार से ग्रस्त पाए जाते हैं। बेहद चिंतित रहना इनकी आदत और स्वभाव में शामिल हो जाता है इसलिए वे सदैव बेचैन तथा घबराए से रहते हैं। इनकी चिंता के पीछे कोई ठोस कारण हो, यह बात नहीं बल्कि जो कुछ भी हो रहा है या होगा उसको लेकर यह अधिकतर अकारण ही परेशान रहते हैं। चिंताओं का यह सिलसिला इनके लिए कभी खत्म नहीं होता।

संवेगात्मक बालक किसी वस्तु, परिस्थिति या विचार से होने वाले नुकसान या डर को बहुत बड़ा चढ़ाकर अपने मन में बसा लेते हैं और फिर उसके फल स्वरूप अवास्तविक भय का शिकार बना रहता है। उंचे स्थानों से भय, बादलों की गर्जना से भय, जगह से भय, अंधेरे से भय, अध्यापक से भय या विद्यालय से भय। इसके परिणाम स्वरूप यह संवेगात्मक रूप से काफी अशांत रहता है।

मनोदैहिक विकारों से ग्रस्त बालक तनाव, दबाव, निराशा, आदि संवेगात्मक कारकों के कारण शारीरिक अंगों तथा उनकी प्रक्रियाओं में आने वाले दोषों या गड़बड़ियों के रूप में होती है। इस प्रकार बालकों को संवेगात्मक रूप से अशांत बनाकर उनकी पढ़ाई- लिखाई तथा विद्यालय उपस्थिति आदि के लिए काफी बड़ी रुकावट बनते हुए देखे जा सकते हैं।

व्यक्तित्व विकारों से पीड़ित बालकों को सामान्य ढंग से सामाजिक जीवन जीने और सामाजिक संबंध बनाए रखने में असफल तथा असमर्थ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार के बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता अशांति तथा असमानता के पूरे- पूरे लक्षण पाए जाते हैं।

जिस किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत ही गंभीर किस्म की असमानताएं, गड़बड़ियां तथा अव्यवस्था पैदा हो जाती है तब बालक में मनोविकृतिया उत्पन्न हो जाती हैं। मनोविकृतियों से युक्त वालों को दुनिया की वास्तविकता से कुछ समय या अधिक समय के लिए संपर्क टूट जाता है।

व्यवहार जन्य विकारों से ग्रस्त बालकों द्वारा अपनी व्यवहार क्रियाओं में विविधा प्रकार की व्यवहार जन्य समस्याएं को प्रदर्शित करते हुए पाया जाता है। ऐसे विद्यार्थियों में अत्यधिक मात्रा में निराशा, तनाव चिंता, अंतर्द्वंद्व, आत्मविश्वास की कमी और असफलता का डर आदि नकारात्मक अनुभूतियों से गुजरना पड़ता है।

संवेगात्मक रूप से अशांत व्यवहार को विकसित होने में वंशानुक्रम कारक जिसमें दोषपूर्ण जींस का हस्तांतरण ही एकमात्र सबसे बड़ा कारण माना जाता है। जहां वंशानुक्रम कारकों की भूमिका प्रायः संवेगात्मक व्यवहार रूपी बीजों को उगाने हेतु मात्र उपजाऊ तथा उपयुक्त आधार भूमि प्रदान करने तक ही सीमित रहती है वहीं जैविक और शारीरिक कारक भूमि प्रदान करके तथा उन्हें संवेगात्मक व्यवहार को जन्म देने के लिए भी उत्तरदाई होती है। सामाजिक वातावरण जन्य कारक भी बालक के असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्तित्व के विकसित होने के पीछे सबसे अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं।

उपचारात्मक उपायः

• **मनोगयात्मक चिकित्सा-** इस प्रकार की उपचार व्यवस्था के अंतर्गत संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के व्यवहार को इस प्रकार का रूप के लिए उत्तरदाई उन मनोवैज्ञानिक कारणों का उपचार करने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरह इस प्रकार की उपचार व्यवस्था समस्या की जड़ में जाकर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करती है।

• **व्यवहार चिकित्सा-** व्यवहार चिकित्सा पद्धति या उपचार व्यवस्था अपने इस मान्यता पर कार्य करती है कि सभी प्रकार का व्यवहार सामान्य अर्जित व्यवहार ही होते हैं। इस दृष्टि से इस चिकित्सा पद्धति में संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों के कुसमायोजित व्यवहार के ऊपरी लक्षणों से मुक्ति पाने यानी सीखे हुए गलत व्यवहार को सुधार कर सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया जाता है।

• **सामूहिक मनोचिकित्सा-** इस प्रकार की उपचार पद्धति में किसी बालक के संवेगात्मक रूप से कुसमायोजित व्यवहार का उपचार करने के लिए समूह गति शास्त्र या समूहगत परिस्थितियों की सहायता लेने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार की पद्धति उन बालकों के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध हो सकती है जिन की समस्या मूल रूप से सामाजिक कुसमायोजन से जुड़ी होती है सामाजिक रूप से वे कट गए हो जिनकी अपने साथियों से पटरी नहीं बैठ रही हो।

• **परिवार चिकित्सा-** इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति को अपनाने की आवश्यकता उन परिस्थितियों में अनुभव की जाती है जब यह पता लगे कि बालक के संवेगात्मक रूप से अशांत व्यवहार के पीछे पारिवारिक परिस्थितियों का हाथ हो।

शैक्षिक प्रावधान - संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों को अपनी समस्याओं से निपटने में सहायता करने के साथ-साथ उनकी शैक्षिक प्रगति संबंधी प्रावधान करना भी आवश्यक रहता है। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक अध्यापकों के समक्ष एक समस्या के रूप में रहता है। वह न केवल संवेगात्मक रूप से अशांत है बल्कि शैक्षिक रूप से भी बाधित होता है क्योंकि उसकी संवेगात्मक बाधिता उसे भली प्रकार अधिगम नहीं करने देती फल स्वरूप वह शैक्षिक प्रगति नहीं कर पाता।

1. अतः संवेगात्मक अशांत बालक पर अध्यापक को व्यक्तिगत और ध्यान देना आवश्यक होता है इससे अध्यापक न केवल बालक को अधिक गहराई से समझ सकता है वरन उसकी और सुरक्षा की भावना भाई व चिंता को भी दूर कर सकता है।
2. ऐसे संवेगात्मक अशांत बालक जो गंभीर रूप से समस्या से ग्रस्त नहीं हैं उन्हें सामान्य बालकों के साथ बढ़ाया जाता के साथ बैठकर पढ़ाया जाना चाहिए। उनकी जो थोड़ी बहुत समस्या संवेगात्मक विकास के संबंध में है उसे विशेष तकनीकों के प्रयोग से, निर्देशन की सेवाओं की व्यवस्था से, स्रोत कक्षा, (रिसोर्स रूम) की व्यवस्था से दूर किया जा सकता है।
3. ऐसी बालक जो गंभीर रूप से संवेगात्मक विकसित का प्रदर्शन करते हैं उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्हें पढ़ाने के लिए योग्य, प्रशिक्षित व दक्ष अध्यापकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इनके लिए मनोवैज्ञानिक ढंग से उपचारात्मक विधियों का प्रयोग कर सुधार करना चाहिए।
4. ऐसे बालक जो संवेगात्मक रूप से अधिक गंभीर समस्या उत्पन्न करते

हैं उनके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था अनिवार्य होती है। जहां तक स्रोत शिक्षक, विशेषज्ञों, प्रशिक्षित अध्यापकों, मनोवैज्ञानिकों और मनो चिकित्सकों के मिले-जुले प्रयास से और शिक्षा दीक्षा दी जा सकती है।

5. संवेगात्मक अशांत बालको की अनेक विशेष आवश्यकता होती हैं - जैसे मनोचिकित्सा, विशेष पाठ्यक्रम, दंड न देना, अच्छे व्यवहार को सरली कृत करना सफलता के लिए भिन्न मानदंड, साधन अध्यापक, मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञ का निर्देशन।

संवेगात्मक रूप से अशांत बालक एक गंभीर समस्या अपने भिन्न व्यवहार के कारण उत्पन्न करता है। समय से उसका उपयुक्त उपचार करना अध्यापक का उत्तरदायित्व है। इसके लिए माता-पिता, निर्देशक, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और साधन अध्यापक का सहयोग लेकर स्वीकृत आधार पर कार्य करना चाहिए। जिससे कि समाज में इस प्रकार के

बालकों की संख्या कम हो सके और जल्दी ही संवेगात्मक कार्य से अशांत होने वाले बालक क्रोध में हत्या, मारपीट, आत्महत्या ना करें और एक अच्छे नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. अरोड़ा, रीता 2008 शिक्षा में नवचिंतन, जयपुर अनिल पब्लिकेशन।
2. अग्रवाल, जेसी, 2010 शिक्षा मनोविज्ञान, क्षिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली।
3. शर्मा, डॉ. आर.ए. 2007 विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप आर.लाल, बुक डिपो, मेरठ
4. नारंग, एम.के., अग्रवाल, जे.सी. समावेशी शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन, दिल्ली
5. चौधारी उमरावसिंह 2006 पढ़ाई में पिछड़े बालक की शिक्षा, भोपाल, हिन्दी ग्रंथ अकादमी।

मध्यप्रदेश में दुग्ध सहकारिता का विकास एवं दुग्ध संघ की प्रगति का विवरण

डॉ. गौरव विद्यार्थी *

* विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) फ्यूचर विजन कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश में सन् 1975 में दुग्ध विकास योजना का प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अन्तर्गत 1200 ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन राज्य के 3 दुग्ध प्रक्षेत्रों, भोपाल, इन्दौर एवं उज्जैन में करने का लक्ष्य रखा गया तथा परियोजना में सक्षम पशु चिकित्सा सेवाएँ आधुनिक कृत्रिम गर्भाधन सेवाएँ, संतुलित पशु आहार, खाद्यान्न सेवाएँ तथा हरा चारा विकास सेवाएँ आदि की भी व्यवस्था की गयी।

वर्तमान में मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ का नाम मध्यप्रदेश को ऑपरेटिव डेरी फेडरेशन (MPCDF) कर दिया गया है तथा इसका मुख्यालय भोपाल में ही है वर्तमान में मध्यप्रदेश में संचालित समस्त दुग्ध विकास गतिविधियों का संचालन MPCDF के माध्यम से ही किया जा रहा है MPCDF के संचालक मण्डल का गठन भी महासंघ के उपनियमानुसार संघों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है तथा इसमें शासन द्वारा नामांकित सदस्य भी होते हैं। वर्तमान में MPCDF के संचालक मण्डल में कुल 17 सदस्य हैं जिसमें 7 सदस्य निर्वाचित एवं 10 सदस्य नामांकित हैं।

वर्तमान में MPCDF के अन्तर्गत पाँच दुग्ध संघ कार्यरत हैं, जिनमें 2556 दुग्ध सहकारी समितियाँ विभिन्न दुग्ध संघों के अंतर्गत कार्यरत हैं जिनमें 2556 दुग्ध सहकारी समितियाँ विभिन्न दुग्ध संघों के अन्तर्गत कार्यरत हैं इन समितियों में लगभग 1,35,000 पुरुष एवं 9,000 महिला सदस्य हैं। दुग्ध संघों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 12 करोड़ रुपये की राशि प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों को उनके दुग्ध के मूल्य के रूप में प्रदान की जाती है। वर्तमान में प्रतिदिन संकलित दूध को प्रदेश के उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के पश्चात् अतिशेष दूध देश के अन्य महानगरों जैसे दिल्ली, मुम्बई आदि शहरों को भेजा जाता है।

MPCDF का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीणों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है इस हेतु दुग्ध समितियों से तकनीकी निवेश सुविधाएँ कृषकों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा दुग्ध समितियों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, लागत मूल्य पर संतुलित पशु आहार उपलब्ध कराना, हरे चारे के बीज उपलब्ध कराना, महिला विकास कार्यक्रम एवं संस्थागत विकास कार्यक्रम भी MPCDF द्वारा चलाया जा रहा है।

दुग्ध संघ का कार्यक्षेत्र – उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ का कार्यक्षेत्र उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर जिले के कालापिपल, विकासखण्ड के 20 ग्राम एवं मोमन बड़ोदिया विकासखण्ड के 21 ग्राम को छोड़कर धार जिले का बदलावर एवं देवास जिले के 10 ग्राम सम्मिलित हैं।

उज्जैन जिले में दुग्ध संघ की प्रगति का विवरण – भोपाल से संबद्ध और सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित 1982 से अस्तित्व में है। यह 6 जिलों को कवर करता है और इसके संचालन के क्षेत्र में 5 दुग्ध शितकेन्द्र हैं उज्जैन के मक्सी रोड स्थित मुख्य डेयरी प्लांट की प्रतिदिन क्षमता 2.50 लाख लीटर है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी विकास गतिविधियों में दूध की क्षमता वाले गाँवों का सर्वेक्षण करना, एमपी को ऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1960 के तहत प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों का आयोजन करना भी शामिल करना शहरी डेयरी विकास FSSAI मानदण्डों के तहत शासित हाइजेनिक गुणवत्ता के दूध के शीतकरण, प्रसंस्करण, निर्माण और विपणन से संबंधित आवश्यक बुनियादी ढाँचे के निर्माण और मजबूती को शामिल करता है।

निष्कर्ष – जिले की दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण एवं व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि दुग्ध संघ से एक अतिरिक्त स्थाई रोजगार प्राप्त हुआ है जो उनकी आय में सुनिश्चित वृद्धि कर रहा है साथ ही इन दुग्ध सहकारी संस्थाओं द्वारा पशुपालन व दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को ग्रामीणों के लिए लाभप्रद व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से कई तकनीकी आदान सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे उनके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप, उनकी दुग्ध व्यवसाय की आय में वृद्धि हुई है।

दुग्ध उत्पादकों से संबंधित समस्याएँ एवं सुझाव – वास्तव में आर्थिक जगत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ समस्याएँ न हो सहकारी दुग्ध व्यवसाय भी अनेक समस्याओं से ग्रसित है जिले में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन की शुरुआत को वर्ष 20021-2002 में 26 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं परन्तु जिले के पशुओं के कम दुग्ध उत्पादन में, संक्रामक बीमारियों का कुप्रभाव बहुत अधिक है पशुओं के रख-रखाव में कुप्रबंधन तथा कुपोषण से विभिन्न प्रकार की संक्रामक एवं छूत के रोगों से जिले में पशुधन सम्पत्ति को अपार हानियाँ होती हैं जिले में प्रतिवर्ष लगभग 800 से भी अधिक पशु गलघोटू, खुरपका-मुँहपका लँगड़ी-ज्वर आदि रोगों के शिकार होते हैं। इससे लाखों रुपये की आर्थिक हानि होती है तथा कृषि कार्यों में बाधा पहुँचती है।

सुझाव – उक्त समस्या के निवारण के लिए दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के उचित रख-रखाव के बारे में समुचित जानकारी दी जाना चाहिए साथ ही संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण हेतु संघ द्वारा प्रत्येक समिति ग्राम में वर्ष में दो बार टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से लागू करना चाहिए तथा टीकाकरण के संबंध में ग्रामीण पशुपालकों

में व्याप्त भ्रामक भ्रान्तियों को उचित परामर्श व प्रचार-प्रसार द्वारा करना चाहिए और उन्हें टीकाकरण कार्यक्रम के लाभों से अवगत कराना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्र आर.सी. भारतीय दुग्ध सहकारिताओं के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कार्यक्रम, रामा पुस्तक प्रतिष्ठान गोमती नगर, लखनऊ
2. डॉ. लिप्टन आ.जी., पशु स्वास्थ्य विज्ञान, उत्तरप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
3. डॉ. वर्मा डी.एन., दुग्ध एवं दुग्ध, श्री पब्लिशिंग हाऊस

4. त्रिपाठी बी.एन. शास्त्री, पशुपालन प्रबन्धन, विकास पब्लिशिंग हाऊस गजियाबाद

पत्र-पत्रिकाएँ :

- दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ और उनका सुपरविजन म.प्र. राज्य दुग्ध विकास निगम मर्या. भोपाल
- दुग्ध सरिता
- उज्जैन दुग्धसंघ सहकारी मर्या. उज्जैन

महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज

डॉ. मनीषा आमटे *

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – महिला सशक्तिकरण का अध्ययन करने के लिए सामाजिक रूपरेखा को जानना अतिआवश्यक है। सामाजिक संरचनाएँ, सांस्कृतिक प्रतिमान तथा मूल्य प्रणालियाँ पुरुषों और स्त्रियों दोनों की व्यवहार संबंधी सामाजिक प्रत्याशाओं पर प्रभाव डालती हैं और समाज में स्त्री व पुरुष की भूमिकाएँ व स्थिति का निर्धारण करती हैं। इन संस्थाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वंशक्रम प्रणालियाँ, परिवार और संगोत्रता विवाह और धार्मिक परंपराएँ हैं। ये पुरुषों व स्त्रियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की धारणाओं के प्रति विचारधारा और नैतिक आधार प्रदान करते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को अपने अधीन करने वाली यह जटिल संरचना 'पितृसत्ता' है जिसका आधार 'शक्ति' है। शक्ति अधिकांश सामाजिक संबंधों का मूल तत्व है। बेकर के अनुसार अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों पर अपनी इच्छा को आरोपित करने की संभावना को ही शक्ति कहते हैं। इस अर्थ में सामाजिक संबंधों के निर्वाह में जब महिलाएँ शक्ति को स्वतः प्राप्त कर सकेगी तब सशक्तिकरण की प्रक्रिया प्रभावी होगी।¹

महिला सशक्तिकरण महिला उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को समझने की दिशा में प्रयासरत एवं स्त्री तत्व की दायित्व को निर्णायक मानने वाली एक गतिशील और निरंतर परिवर्तित होने वाली विचारधारा है जिसके व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलू हैं। यह एक प्रक्रिया है जो महिलाओं में गतिशीलता, आत्मविश्वास व जागरूकता का संचार करती है जिससे निर्णयात्मक प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी संभव हो सके तथा विशेष योग्यता द्वारा विकास की दिशा को न केवल नियंत्रित कर सके बल्कि उसकी दिशा को अपने हित में मोड़ने की क्षमता की क्षमता रख सके। ऐशियन और पैसिफिक सेंटर फॉर वूमन एण्ड डेवलपमेंट के द्वारा महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि 'महिलाओं द्वारा स्वयं निर्णय लेने की दशाओं में वृद्धि ही सही मायने में महिला सशक्तिकरण है'।²

महिला सशक्तिकरण हेतु हमें अपने समाज में नारियों की वास्तविक स्थिति और उसकी मुक्ति के रास्ते पर विचार करना होगा। नारी के देवी और चण्डी रूप से लेकर नितांत अबला जीवन की वास्तविकता और नारी प्रधानमंत्री के रूप में अति आधुनिक समाज, हमारे समाज का एक विरोधाभासी मिश्रित रूप दिखाई देता है। इसमें समान रूप में उपेक्षा और प्रेरणा दोनों प्रकार के तत्वों की बहुलता है। इसलिए वास्तविक समस्या पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि हम आदिकालीन भारतीय समाज से लेकर मधुनीन और आधुनिक समाज की विशिष्ट परिस्थितियों और

इनमें नारी की स्थिर व बदलती स्थितियों का गहराई से अध्ययन करें।

वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञान होता है कि तत्कालीन समाज में नारियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे प्रत्येक पग पर पुरुष की सहगामिनी थीं। उसे शिक्षा प्राप्त करने व वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त था। किंतु इसके उत्तरार्द्ध में नारियों की समाज में स्थिति गौण होती चली गई। उदाहरण के लिए मनुस्मृति में एक ओर जहां यह कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। (यत्र नार्यः पूज्यन्त, रमन्ते तत्र देवता) वहीं दूसरी ओर नारियों की स्वतंत्र अस्मिता को खत्म करते हुए मनु कहते हैं कि महिला आजीवन पुरुष पर आश्रित है— बचपन में पिता पर विवाहोपरान्त पति पर तथा वृद्धावस्था में पुत्र पर। इनमें से एक भी अवस्था में पुरुष का आश्रय न रहने पर उसे कलंकित व उपेक्षित किया गया। यह उत्तर वैदिक पितृसत्तात्मक समाज के नियमों की घोषणा थी जिसमें अब पूर्व की भांति नारी की समाज में स्वतंत्र भूमिका को स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।³

मनु द्वारा घोषित नारी की चिर-पराधीनता पूरे मध्य युग में समान रूप से पुष्ट होती चली गयी। यह तुलसीदास जी के 'दोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तांडव के अधिकारी' के रूप में व्यक्त होती है। इस काल में नारी अशिक्षा, पर्दाप्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विवाह विच्छेद, कन्या व्यापार जैसी कुरूपतियों से जूझती रही। यह संपूर्ण भारतीय नारी जाति के लिए एक अंधकारमय युग रहा।

प्रकाश की एक किरण के रूप में आधुनिक युग ने भारतीय नारी के जीवन में प्रवेश किया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार व तत्कालीन समाज सुधारकों द्वारा किए प्रयासों व स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की सक्रिय सहभागिता ने नारी के प्रति समाज के विचारों, मनोवृत्तियों व मूल्यों में सतही ही सही, परिवर्तन प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के बाद 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में लिंग आधारित हर प्रकार के भेदभाव का विरोध किया गया और साथ ही राष्ट्र के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आराधना की स्वतंत्रता, समाज में समान स्थिति और समान अवसरों की बात कही गयी। भारतीय संविधान में ये तमाम बातें जनतंत्र और समाजवाद में विकास के उस युग का परिणाम थी जिस युग में भारत स्वतंत्र हुआ था। 1960-70 के दशक में तमाम अंतराष्ट्रीय मंचों पर मानव समाज में महिलाओं की स्थिति एक प्रमुख विचारणीय प्रश्न बना हुआ था। 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव समाप्ति से संबंधित घोषणा एवं सदस्य देशों से अपने देशों की महिला प्रस्थिति पर प्रतिवेदन की अनुशंसा पर वर्ष 1971

में भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति का गठन किया गया जिसने दिसंबर, 1974 को अपना प्रतिवेदन 'टुवर्डस इक्वालिटी' (समानता की ओर) शीर्षक के साथ प्रस्तुत किया यह भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हेतु विमर्श को राष्ट्रीय पटल पर प्रमुखता से रखा।

कमेटी का यह मानना था कि संविधान द्वारा प्रदत्त सामाजिक और राजनीतिक समानता आज भी दूर की कौड़ी है। संख्या की दृष्टि से अल्पमत में ना होने के बावजूद गैर बराबरी के इन तीन आयामों के कारण महिलाएँ अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति में बनी हुई हैं- वर्गीय दर्जा (आर्थिक स्थिति) सामाजिक स्थिति तथा राजनीतिक शक्ति में असमानता।⁴ इस असमानता को दूर करने हेतु एक प्रभावी उपाय की दृष्टि से समिति ने संसद की तरह सर्वोच्च विधायी निकाय में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण पर गंभीरता से विचार किया। कमेटी ने राजनैतिक स्तरीकरण के निचले स्तर पर महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की ओर सभी राज्यों से इसे एक संक्रमणकालीन कदम के रूप में अपनाने के लिए कहा।

समिति की सदस्य लतिका सरकार और वीणा मजुमदार ने अपने संयुक्त प्रतिवेदन में कहा कि, 'जब भी कोई बेइन्तिहा असमानता वाले किसी समाज में जनतंत्र के सिद्धांतों को लागू करता है तो इस प्रकार के संरक्षण असमानता की बाधाओं को तोड़ने वाले हथियारों की भूमिका निभाते हैं'।⁵ इसी क्रम के फरवरी 1995 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय महिला कन्वेंशन की घोषणा में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य विधानसभाओं और संसद सहित सभी स्तरों पर कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण के जरिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

अनेक दशकों के स्त्री विमर्श एवं संघर्ष के पश्चात् 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कुल स्थानों में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए। इसके पश्चात् इस नेतृत्व में 110 वे 112 वे संविधान संशोधन विधेयक 2009 के द्वारा आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी स्थिति में पूर्व की तुलना में व्यापक बदलाव आया है। पंचायतों के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तिकरण की देन है कि लगभग 24 वर्षों में देश के भीतर राजनीतिक विमर्श में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, देश भर में 32 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि में 12 लाख महिलाएँ हैं और 80000 हजार अध्यक्ष हैं। यह लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। इतिहास या दुनिया में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। यह संख्या विश्व में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से भी अधिक है।

यह बदलाव सिर्फ संख्यात्मक ही नहीं है बल्कि यह अंतर गुणात्मक भी है ये निर्वाचित महिला प्रतिनिधि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर न केवल अपनी अपने परिवार की बल्कि अपने समाज की स्थितियों में बदलाव ला रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा था कि 'पंचायती राज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने महिलाओं का राजनीतिक व सामाजिक सशक्तिकरण किया है जो आधुनिक युग में विश्व इतिहास में एक अनोखी मिशाल है।' पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सफल भागीदारी देश में संतुलित एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देगी क्योंकि आधी आबादी के सशक्तिकरण के बिना पूरे समाज का सशक्तिकरण संभव नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दुबे, डॉ. माधवी लता : भारत में महिला सशक्तिकरण (अवधारणा, प्रक्रिया एवं विवेचन), समाजिक विकल्प, मध्यप्रदेश समाजशास्त्र वर्ष 2011- 2012, पृ.54
2. रानी, डॉ. आशु : महिला विकास कार्यक्रम इना श्री पब्लिशर्स, जयपुर पृ.12
3. महेश्वरी, सरला : नारी प्रश्न, राधा कृष्ण पब्लिशर्स, नई दिल्ली पृ 82
4. वही पृष्ठ 119
5. वही पृष्ठ 125

भारत की 200 वर्षों की गुलामी के लिए मीर जाफर का योगदान (प्लासी के युद्ध के संदर्भ में)

डॉ. आकाश ताहिर *

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय कला एवं वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मुगल-साम्राज्य का जो पतन आरम्भ हो गया था, वह पतन फिर रोका नहीं जा सका। जो राज्य साम्राज्य की अधीनता में थे, वे एक-एक करके स्वतन्त्र हो रहे थे और जो सूबेदार अथवा नवाब, अलग-अलग सूबों में शासन कर रहे थे, साम्राज्य के साथ उनके राजनीतिक बन्धन बहुत निर्बल और ढीले पड़ गये थे। नवाब अलीवर्दीखां बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों प्रान्तों का सूबेदार था। लेकिन उसकी अवस्था भी साम्राज्य के साथ वही थी, जो अपनी नवाबों और सूबेदारों की थी। दक्षिण में मराठों ने उन दिनों में अन्य शक्तियां मजबूत बना ली थी। उन्होंने बंगाल पर आक्रमण आरम्भ कर दिये। उस समय अलीवर्दी खां को मुगल सम्राट से सहायता मांगनी पड़ी। लेकिन उसे दिल्ली से कोई सहायता मिल न सकी। इस अवस्था में उसने मालगुजारी कर दिल्ली भेजना बन्द कर दिया।¹

भारत में इंग्लैण्ड से जो अंग्रेज आये थे वे सबसे पहले यहां के पश्चिमी किनारे पर उतरे थे। बंगाल में अंग्रेजों के सभी व्यवहार नवाब और सम्राट के विरुद्ध चलने लगे। किले बन्दी को रोके जाने के बाद भी अंग्रेजों ने कुछ परवाह न की और अपना काम बराबर जारी रखा। कलकत्ते में किलेबन्दी करने के बाद उन्होंने उसके चारों तरफ गहरी खाई खोदकर तैयार कर ली। मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजी माल पर चुंगी माफ कर दी थी। उसका अंग्रेजों ने बहुत अनुचित लाभ उठाना आरम्भ कर दिया था। जिसमें भारतीय जनता को, भारतीय व्यापारियों को और मुगल साम्राज्य को लम्बी क्षति उठानी पड़ रही थी। बहुत सी बातों में उन्होंने नवाब तथा साम्राज्य के विरुद्ध खुले तौर पर अराजकता फैला रखी थी। उनका एक षडयन्त्र यह भी चल रहा था कि पूर्णिया के नवाब शौकतजंग को सिराजुद्दौला के साथ लड़ा कर शौकतजंग को मुर्शिदाबाद का नवाब बनाना चाहते थे। सिराजुद्दौला के बहुत से अधीन अधिकारियों को मिला कर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का विरोधी बना दिया था।

अंग्रेजों के इस प्रकार के आचरणों से नवाब सिराजुद्दौला अपरिचित न था फिर भी वह अंग्रेजों पर अपना नियन्त्रण न रख सका। इसका कारण या तो यह था कि वह शासन नहीं जानता था अथवा अंग्रेज इतने अधिक राजनीतिज्ञ थे कि उन्होंने नवाब को भुलावे में डाल रखा था। जो लोग नवाब सिराजुद्दौला के साथ अपराध करते थे, वे भागकर कलकत्ते में अंग्रेजों के पास चले जाते थे। नवाब के अपराधियों को शरण देना अंग्रेजों का खुलकर विद्रोह करना था। इसी प्रकार के उत्पातों में सिराजुद्दौला ने एकाएक कलकत्ते में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण किया। अंग्रेजों ने उस मौके पर नवाब का

विरोध किया। कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों में हुगली के निकट ताब्राह के किले पर अंग्रेजों के साथ नवाब का सामना हुआ। उस लड़ाई में अंग्रेजों की हार हो गयी। कलकत्ता के अंग्रेज नवाब को छिपे तौर पर निर्बल बनाने में लगे हुए थे। उनका सबसे बड़ा अस्त्र था रिश्वतें देकर, प्रलोभनों में लाकर झूठे वादे करके नवाब के प्रमुख अधिकारियों को फोड़ना और अपने में मिला लेना।

नवाब सिराजुद्दौला एक और भयानक निर्बलता उसके साथ यह थी कि उसकी सेना और तोपखाने में बहुत से अंग्रेज काम करते थे। कलकत्ता के मातहत अंग्रेजों के विद्रोही होने पर भी नवाब ने तो अंग्रेजों को परास्त करके उनको सभी प्रकार अयोग्य बनाया और न ही अपनी सेना तथा तोपखाने से अंग्रेजों को ही अलग किया। नवाब की सेना में जो अंग्रेज काम करते थे, वे तो कलकत्ता के अंग्रेजों से मिले हुए थे ही, उसकी सेना और दरबार के जाने कितने अधिकारी हिन्दू और मुसलमान अंग्रेजों की रिश्वत के जाल में फंसे हुए थे।

एक बात और भी दुर्भाग्य की नवाब के साथ चल रही थी। उसका कोई साथी न था। मुगल साम्राज्य के खम्भे अपने आप हिल रहे थे। इसलिए अंग्रेजों को उस तरफ का भी कोई भय न था। इस अनुकूल परिस्थितियों में अंग्रेज सिराजुद्दौला को मिटा कर बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। इसी बिच पूर्णिया के नवाब शौकतजंग, अंग्रेजों के भरोसे 16 अक्टूबर 1756 को राजमहल की लड़ाई में सिराजुद्दौला के हाथों पराजय के बाद उस लड़ाई में मारा गया और उसके स्थान पर युगलसिंह पूर्णिया का नवाब बनाया गया।² कलकत्ता से बाहर कुछ दूरी पर बजबज का एक पुराना और मजबूत किला था और उसके चारों ओर गहरी खाई थी। राजा मानिकचन्द उस किले का सिराजुद्दौला की तरफ से अधिकारी था, जिसे अंग्रेजों ने पहले ही मिला लिया था। अंग्रेजी सेना के दो सौ आठ सैनिकों ने उस किले पर आक्रमण किया। मानिकचन्द के साथ के दो हजार सैनिकों ने उनका मुकाबला किया। थोड़ी सी लड़ाई के बाद मानिकचन्द अपनी सेना के साथ पीछे हट गया और अंग्रेज सैनिकों ने 29 दिसम्बर 1756 को उसमें प्रवेश करके अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद अंग्रेजों ने ताब्राह और कलकत्ता के किलों को भी अपने हाथों में लेकर 3 जनवरी सन् 1757 ई. को उन पर उन्होंने अपने झण्डे फहराये।³

नवाब के किले के अधिकारियों को फोड़ कर मिला लेने में अंग्रेजों को बहुत सफलता मिली। अनेक प्रकार के वादों झूठे प्रलोभनों और लालच देकर अंग्रेज अधिकारी किलों के अधिकारियों को मिला लेते थे और जब अंग्रेजों

का आक्रमण होता था तो वे एक साधारण लड़ाई के बाद युद्ध से हट जाते थे। हुगली के किले की दशा तो अन्य किलों से भी आश्चर्यजनक साबित हुई। वहां के किले के अधिकारी ने किले को अरक्षित छोड़ दिया और अंग्रेजों ने 11 जनवरी को उस पर अधिकार कर लिया।

नवाब सिराजुद्दौला की यह निर्बलता और अयोग्यता थी कि उन विदेशी अंग्रेजों ने जिनकी कोई सत्ता न थी, मदारी बनकर उसे बन्दर की तरह नाचने के लिए विवश कर रखा था। कई एक किलों पर अंग्रेजों के अधिकार हो जाने के समाचार नवाब को मिले। उसे यह भी मालूम हुआ कि मेरे किले के अधिकारियों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और अंग्रेजों ने रिश्ते देकर उनसे यह विश्वासघात कराया है। इन सब बातों के मालूम होने पर भी नवाब ने बिना किसी संघर्ष के अंग्रेजों से निपटारा करने की कोशिश की। राजनीतिज्ञ अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और अपनी मांगों को पेश करते हुए उन्होंने कुछ शर्तों के साथ सन्धि कर लेना स्वीकार किया। उनका उद्देश्य कुछ और था, वे चाहते थे कि सिराजुद्दौला की नवाबी को मिटाकर उसके स्थान पर ऐसे आदमी को बिठाना चाहते थे जो अंग्रेजों की अधीनता में रहकर अपना शासन करें। मीरजाफर नवाब की सेनाओं में प्रधान सेनापति था। उसके साथ अंग्रेजों की साजिश पहले से चल रही थी। उन्होंने मीरजाफर को नवाब बनाने का निश्चय किया। ऐसा करने में अंग्रेजों के दो लाभ थे। एक तो यह कि मीरजाफर स्वयं नवाब बनने के लिए तैयार था और इसके लिए वह अंग्रेजों की शर्तों को मंजूर करता था। दूसरी बात यह भी थी कि नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से वही सेना लेकर युद्ध के लिए आयेगा।

मीर जाफर ब्रिटिश साम्राज्य में बंगाल राज्य के पहले नवाब थे। शुरूआत से ही वह अरब में नवाब की सेना की सत्ता और प्लासी के युद्ध में उभर कर सामने आया। उन्होंने बंगाल का नवाब बनने के लिए अंग्रेजों के साथ षडयंत्र रचकर सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। बंगाल के नवाब अलीवर्दीखान का विश्वास जीतने के लिए उनके यहां बख्शी के पद पर आसीन हुआ। उसने एक साहसी सैनिक कर्मी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की और नवाब के कई सैन्य अभियानों में उसने अहम भूमिका निभाई। उसने कटक के युद्ध में नवाब के भतीजे शैलतजंग को बचाया और मराठों की सैन्य शक्ति देखकर वहां से भागने पर मीर जाफर की कायरता का पता चल गया। उसके बाद वह नवाब को मारने के लिए अताउल्लाह के साथ एक साजिश रची, किन्तु साजिश का पता लग गया और उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया।

ऐसा होने पर भी मीर जाफर ने अपने मंसूबों को नहीं बदला। अलीवर्दी के बाद उनके पोते सिराजुद्दौला सिंहासन पर बैठा और उसके बाद जाफर ने फिर से बंगाल पर आक्रमण करने के लिए शैलतजंग के साथ साजिश रची। हालांकि, इस साजिश का पता सिराजुद्दौला को चल गया और उन्होंने उसे पद से हटा दिया और उसे बख्शी के रूप में मीर मदन के साथ पद पर प्रतिस्थापित किया।⁴

मीरजाफर सिराजुद्दौला के नाना अलीवर्दी खान का बहनोई था। अंग्रेजों ने उसके साथ एक गुप्त संधि की। उस सन्धि में अंग्रेजों की सभी शर्तों को उसने स्वीकार किया। दोनों ओर से निश्चय हुआ कि अंग्रेज सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करेंगे और मीरजाफर उस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करेंगे। सिराजुद्दौला के पराजित होने पर उसके स्थान पर मीरजाफर नवाब होगा और इसके बदले में वह अंग्रेजों को सभी प्रकार के व्यावसायिक अधिकार प्रदान करेंगे। इसके साथ-साथ सिराजुद्दौला से लड़ने में अंग्रेजों का जो व्यय होगा, मीरजाफर उसको अदा करेंगे।

मीरजाफर के साथ सन्धि करने के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर आक्रमण करने की तैयारी की। सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ प्लासी नामक स्थान में मौजूद था। 23 जून 1757 ई. को दोनों ओर की सेनाओं का सामना हुआ। सिराजुद्दौला की सेनाओं में मीरजाफर प्रधान सेनापति था। उसके सिवा तीन सेनापति और थे। पैंतालीस हजार सेना मीरजाफर, यार लुत्फ खां और राजा दुर्लभराय के अधिकार में थी। बारह हजार सेना मीरमदन के नेतृत्व में थी। सिराजुद्दौला की इस विशाल सेना के साथ 53 तोपें भी थी। अंग्रेजों के साथ कुल मिलाकर बत्तीस सौ सैनिक और 10 तोपें थी। मीर जाफर के साथ-साथ राजा दुर्लभराय और यार लुत्फ खां भी अंग्रेजों के हाथ बिक चुके थे। कुछ समय तक युद्ध साधारण रूप से चलता रहा और उसके बाद एकाएक मीरजाफर, दुर्लभराय तथा यार लुत्फ खां अपनी पैंतालीस हजार सेना के साथ अंग्रेजों में जाकर मिल गये। इस समय अंग्रेजी सेना ने जोर के साथ सिराजुद्दौला की बाकी सेना पर आक्रमण किया। सिराजुद्दौला का विश्वासी सेनापति मीरमदन लड़ाई में मारा गया। अब सिराजुद्दौला के साथ कोई सेनापति न रह गया था। मीरजाफर के भयानक विश्वासघात से उसका साहस भंग हो गया। वह अपने हाथी पर बैठा हुआ मुर्शिदाबाद की तरफ भाग गया। युद्ध क्षेत्र से हटते ही उसकी बाकी सेना इधर-उधर भाग गयी। युद्ध में क्लाइव की विजय हुई।⁵

सिराजुद्दौला को पराजित कर अंग्रेजी सेना मुर्शिदाबाद पहुँची और वहां के खजाने को लूटकर कलकत्ता की अंग्रेजी कमेटी के सामने जो चांदी के रूपये जमा किये गये, उनकी संख्या बहतर लाख इकहतर हजार छः सौ छियासठ थी। इतना बड़ा खजाना इसके पहले कभी अंग्रेजों को एक साथ लूट में न मिला था। 24 जून 1757 को आधी रात के समय सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद के महल से भागा और भगवान गोला के पास मीर कासिम के द्वारा गिरफ्तार कर मुर्शिदाबाद वापस लाया गया। 2 जुलाई 1757 ई. को क्लाइव की आज्ञा से मुहम्मद बेग नामक एक सरदार के द्वारा उसको कत्ल करवा दिया गया।⁶

सत्ता की वो बाजी तो मीर जाफर जीत गया था। लेकिन तारीख ने उसे बुरी तरह हरा दिया। आज भी मीर जाफर का नाम कहावतों में पिरोया हुआ, विश्वासघात की दास्तान बना फिरता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लालबाग क्षेत्र में एक हवेली है। ये कभी धोखेबाजों के सरताज रहे मीर जाफर की हवेली है। इसी हवेली को कहा जाता है नमक हराम ड्योढ़ी।

इस परिस्थिति में और इन उपायों द्वारा प्लासी के सुप्रसिद्ध मैदान में हिन्दुस्तान के अन्दर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी गई। प्लासी के युद्ध की सफलता और सत्ता के लिए विश्वासघात करने वाले लोगों के कारण राबर्ट क्लाइव ने 1764 का बक्सर का युद्ध भी अपने पक्ष में कर लिया और भारत की सत्ता की चाबी अर्थात् बंगाल की विजय से भारत के विजय रूपी ताला खोल दिया गया। धीरे-धीरे अंग्रेजों ने भारत से अन्य यूरोपीय शक्तियों को भारत से बाहर की ओर रास्ता दिखाया साथ ही भारतीय राज्यों पर भी क्रमागत अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और भारत की एकछत्र शक्ति के रूप में ब्रिटिश सत्ता को स्थायी कर लिया। अनेक विजय, पराजय, संधि समझौतों के बल पर लगभग 200 वर्षों तक भारत को गुलाम बनाकर भारत को अपना एक प्रमुख उपनिवेश बनाया जहां से लम्बे समय तक आर्थिक दोहन और युद्ध के समय सैनिक और सैनिक साजो-सामान, संसाधन की पूर्ति का केन्द्र भारत बन गया। प्रसिद्ध बंगाली कवि नवनीचंद्र सेन के शब्दों में 'प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि का आरम्भ

हुआ।' परिणामतः फिर भारत में कोई ऐसी संगठित शक्ति न रही जो अंग्रेजों को देश के बाहर निकालने में समर्थ होती।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ठाकुर केशव कुमार, भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ (ईसा से 326 वर्ष पूर्व से लेकर 1857 ई. तक) आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद, तीसरा संस्करण(1967) पृ. 375।
2. वही, पृ. 377-378।
3. वही, पृ. 381-383।
4. पॉल के. डेविस (1999). 100 डेसिसिव बेटल फ्रॉम एन्शिएन्ट टाईम्स टू द प्रेसेन्ट, पृ. 240-244, सान्टा बारबरा, कैलिफॉर्निया। के.के. दत्ता, अली वर्दी और हिज टाईम्स, अध्याय 4, कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रेस, (1986)। आधुनिक भारत डॉ. बिपिन चन्द्रा द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का प्रकाशन।
5. ठाकुर केशव कुमार, भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ (ईसा से 326 वर्ष पूर्व से लेकर 1857 ई. तक) आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद, तीसरा संस्करण(1967) पृ. 383-384। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड की रॉयल एशियाटिक सोसायटी (1852) रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल, खंड 13। विश्वविद्यालय का मुद्रणालय।
6. ठाकुर केशव कुमार, भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ (ईसा से 326 वर्ष पूर्व से लेकर 1857 ई. तक) आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद, तीसरा संस्करण(1967) पृ. 384।

भारत में खाद्य सुरक्षा

डॉ. सुषमा सैनी *

* विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) डी० ए० वी० (पी०जी०) कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – खाद्य सुरक्षा के लिए किसी देश की समग्र जनसंख्या को खाद्य की भौतिक उपलब्धि आवश्यक है। किंतु सभी को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के पास पर्याप्त क्रयशक्ति हो ताकि वे अपनी जरूरत के लिए खाद्य पदार्थ हासिल कर सकें। स्वास्थ्य जीवन के लिए उपलब्ध खाद्य, गुणवत्ता और मात्रा दोनों रूप में प्रयोग होने चाहिए ताकि वह पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकें।

कोई राष्ट्र किसी समय विशेष पर स्वावलंबिता प्राप्त कर सकता है परंतु खाद्य सुरक्षा की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक समय, विश्वसनीय और पोषण की दृष्टि से खाद्य की पर्याप्त पूर्ति दीर्घकालीन आधार पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि किसी राष्ट्र में खाद्य संभरण की इतनी वृद्धि दर आश्वस्त करनी होगी कि इससे न केवल जनसंख्या की वृद्धि का ध्यान रखा जा सके बल्कि इसके साथ-साथ लोगों की आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्य की मांग में वृद्धि की भी पूर्ति की जा सके।

शब्द कुंजी – खाद्य सुरक्षा, स्वावलंबिता, जनसंख्या, पोषण, क्रयशक्ति।

प्रस्तावना – खाद्य सुरक्षा की अवधारणा – विश्व विकास रिपोर्ट ने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा यसभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर एक सक्रिय, स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धि के रूप में की है। किंतु खाद्य एवं किसी संस्था ने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा यसभी व्यक्तियों को सभी समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धि के आश्वासन के रूप में की है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक संमको का प्रयोग किया गया है। शोधपत्र में प्रयुक्त विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य व संमक विभिन्न पुस्तकों, विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट एवं विभिन्न समाचार पत्रों से संकलित है।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की समस्या को पहचानना और उसके निवारण हेतु सुझाव देना है।

भारत में खाद्य स्वावलंबिता और खाद्यसुरक्षा – जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने प्रसारण में यह साफ शब्दों में कहा : 'यहमने विदेशों से सहायता प्राप्त की है और हम आवश्यकता पड़ने पर ऐसा करते रहेंगे परंतु मेरे मन में अब यह बात पूर्णतया दृढ़ रूप धारण कर गई है कि अपनी मूल जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर करना कितना खतरनाक है। जैसे ही हम खाद्य में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तभी हमारे लिए अपनी प्रगति और विकास करना संभव होगा। अन्यथा परिस्थितियों का बदस्तूर दबाव बना रहेगा, इससे संकट और दुःख ही उत्पन्न होगा और कई बार तो लज्जा और अपमान भी सहन करना होगा।

बाद के काल में जब 1965 और 1966 में भारत में भयंकर सूखा पड़ा, तब अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉसन ने भारत को सबक सिखाने के लिए पी०एल०४८० प्रोग्राम के अधीन खाद्य सहायता को मासिक आधार पर सीमित कर दिया। इसका उद्देश्य भारत को इस बात के लिए मजबूर करना था कि यह वियतनाम पर अमेरिकी हमले की निंदा ना करें जिसके लिए भारत ने साफ इंकार कर दिया था।

अतः भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बीज पानी उर्वरक टेक्नोलॉजी को अपनाया जिसे लोकप्रिय भाषा में हरी क्रांति का नाम दिया गया। इस नीति के परिणाम स्वरूप भारत को खाद्यान्न आयात को समाप्त करने में सहायता मिली और इसके साथ-साथ अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में भी वृद्धि हुई। भारत ने वर्ष 1976 में खाद्यान्नों में स्वावलंबिता प्राप्त कर ली थी और इसके पश्चात भारत द्वारा अनाज का आयात नाममात्र ही रहा।

गिलबर्ट इटईन ने खाद्य के क्षेत्र में भारत के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उल्लेख किया: 'सभी प्रकार की अंधकार में एवं बेबुनियाद भविष्यवाणियों के बावजूद जोकि 1960-70 के दशक में भारत में भावी महासंकट व्याप्त होने की संभावना पर बल देती थी, आज देश को किसी वास्तविक अकाल का खतरा नजर नहीं आता।'

9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में इस बात पर बल देते हुए उल्लेख किया गया : 'देश का सबसे पहला प्रयास खाद्य सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना था ताकि अकाल का खतरा देश से एकदम समाप्त किया जा सके। इन प्रयासों की सफलता का सबसे प्रखर परिणाम यह है कि पिछले 5 दशकों में देश में कोई अकाल या घोर भुखमरी बड़े पैमाने पर देखी नहीं गई।'

राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यस्वावलंबिता और खाद्य सुरक्षा – 9वीं योजना (1997-2002) ने राष्ट्रीय एवं पारिवारिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था का विवेचन किया। योजना आयोग ने उल्लेख किया : 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की दृष्टि जो देश द्वारा उपभोग के लिए आवश्यक खाद्यों के लिए देशी' उत्पादन पर मुख्यतः विश्वास करती है और जो इससे ही बफर स्टॉक कायम करने पर बल देती है। उसे खाद्य स्वावलंबिता की रणनीति ही कहा जा सकता है। इस रणनीति को भारतीय आयोजन के पहले चरण में अपनाया गया और फिर बाद में साठ के दशक के दौरान बीज, पानी और उर्वरक की टेक्नोलॉजी जिसे लोकप्रिय भाषा में 'हरी क्रांति' कहा गया,

अपनाया गया। लगातार किए गए इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत खाद्यान्नों में स्वावलम्बिता प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो गया।

इसमें संदेह नहीं कि इन प्रयासों के नतीजे के तौर पर भारत अकाल और भयंकर खाद्य अभावों को दूर कर पाया, फिर भी यह कहना उचित होगा कि भारत आम जनता के सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए खाद्य का प्रावधान नहीं कर पाया। दूसरे शब्दों में संतुलित भोजन, जिसमें अनाज दालों, सब्जियों और फलों की आवश्यक मात्रा शामिल हो, उपलब्ध कराना एवं स्वप्न मात्र ही है।

स्थानीय स्तर पर खाद्यसुरक्षा- परिवार के स्तर पर, खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय खाद्य पदार्थों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच से है ताकि मात्रा गुणवत्ता और आर्थिक क्षमता के रूप में खाद्य पदार्थों की कीमतों और जनसंख्या के पास इसके लिए क्रयशक्ति का सवाल उठ खड़ा होता है। गरीब वर्गों की सहायता के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू की और द्द्वैत कीमत प्रक्रिया की नीति अपनाई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केंद्रों पर खाद्य पदार्थों की 'जारी कीमत' बाजार कीमत से कब रखी गई ताकि गरीब रियायती खाद्य पदार्थ खरीद सकें।

राजनीतिक कारणों से सरकार ने सर्वव्यापक वितरण प्रणाली अपनाई, इसकी बजाय केवल गरीबों की ओर लक्षित प्रणाली कायम की जाती। परिणामतः गरीब वर्गों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया और गरीब इस प्रणाली का पूरा लाभ नहीं उठा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थी परंतु इससे इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके।

9वीं योजना ने स्थिति की समीक्षा करते हुए उल्लेख किया : 'बहुत तेजी से बढ़ते हुए खाद्य रियायतों के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायित खाद्यान्नों की पूर्ति का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा में वांछित सुधार करने में सफल नहीं हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों में स्वावलम्बिता तो प्राप्त कर ली गई परंतु यह स्थानीय स्तर पर खाद्यान्नों को आर्थिक शक्ति के आधार पर उपलब्ध कराने में सफल नहीं हुई ताकि परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके।'

कोविड- 19 और खाद्य संकट- संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने आगाह किया कि विश्व की 7 अरब 80 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिये दुनिया में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है लेकिन इसके बावजूद 82 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी का शिकार हैं।

इस वर्ष कोविड- 19 संकट के कारण 4 करोड़ 90 लाख अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार हो सकते हैं और पोषणयुक्त भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतारी होने की आशंका है।

यहाँ तक कि जिन देशों में प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध है, वहाँ भी खाद्य आपूर्ति शृंखला में व्यवधान पैदा होने का जोखिम दिखाई दे रहा है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार के प्रयास -

प्रायोगिक पोषण प्रोजेक्ट: प्रायोगिक पोषण प्रोजेक्ट 1963 में चालू किया गया जिसका उद्देश्य संरक्षित खाद्य पदार्थों जैसे सब्जियों और फलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा यह सुनिश्चित करना था कि इसका सेवन गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियाँ करें।

विशेष पोषण प्रोग्राम: विशेष पोषण प्रोग्राम 1970 में आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य था गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताओं को 500

किलो कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराना और बच्चों को 300 किलो कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध कराना।

समन्वित बाल विकास सेवा योजना - यह योजना 1975 में चालू की गई और इसका उद्देश्य बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों एवं दूध पिलाने वाली माताओं को खाद्य सहायता उपलब्ध कराना था। 'पिछले दो दशकों के अनुभव से पता चलता है कि सबसे जरूरतमंदों को कई बार यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती और जब वह हो भी पाती है तो यह अधिकतर के लिए अनुपूरक की अपेक्षा प्रतिस्थापक का कार्य करती है।' 1996 के समन्वित बाल विकास सेवा प्रोग्राम में, देश के 4200 ब्लॉकों को और इसके साथ 5.92 लाख आंगनबाड़ियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इसके परिणामस्वरूप, लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या 185 लाख बच्चों और 37 लाख माताओं तक पहुंच गई।

दोपहर के भोजन का प्रोग्राम - दोपहर के भोजन का प्रोग्राम 2-14 वर्ष की आयु के बीच बालवाड़ी/स्कूलों में जाने वाले बच्चों के लिए आरंभ किया गया इस पर 44 से 90 पैसे प्रति लाभप्राप्तकर्ता खर्च करने का निर्णय किया गया। यह प्रोग्राम उन बच्चों के लिए नहीं है जो स्कूल नहीं जाते हैं। इस प्रोग्राम को अब नया नाम दिया गया है - प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता और इसे 1975 के बाद प्राथमिक शिक्षा स्तर पर 4480 ब्लॉकों में सर्वव्यापक रूप में लागू किया गया जा रहा है। मार्च 1997 तक लगभग 6 करोड़ स्कूलों में बच्चे इस प्रोग्राम के अधीन आए गए। जबकि दोपहर के भोजन का प्रोग्राम तमिलनाडु, कर्नाटक और दक्षिण के अन्य राज्यों में सफल हुआ है।

बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता- सर्वप्रथम बाजार में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिये कृषि विपणन स्थलों में सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा पूर्व में कई महत्वपूर्ण सुधार किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं-

- मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीसिंग एक्ट 2016 राज्यों को जारी किया गया, जो कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से न सिर्फ भू-धारकों वरन् लीज प्राप्तकर्ता की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है।
- राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम (ई-नाम) के तहत बेहतर मूल्य सुनिश्चित करके, पारदर्शिता और प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मंडियों में क्रांति लाने की एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
- सरकार ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट, 2018 जारी किया है जिसमें पहली बार देश के अन्नदाता किसानों तथा कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ा गया है।

लोगों की खाद्यान्न तक पहुँच सुनिश्चित करना:

- खाद्यान्न तक पहुँच बेहतर क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। कृषक के अतिरिक्त प्रत्येक को बाजार से खाद्यान्न क्रय करना पड़ता है। इस वैश्विक महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियाँ बाधित होने से लोगों की पास धन का संकट है, परंतु मनरेगा जैसी योजना के कारण लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है जिससे उनकी पहुँच खाद्यान्न तक सुनिश्चित हो पाई है।
- इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सरकार द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि से पुनर्जीवित किया जा सकता है, जो व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन करेगा।

- इस संकट के दौरान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंद प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त राशन भी उपलब्ध कराया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्धारित खाद्य उत्पादों के अतिरिक्त बाजरा, दाल व तेल जैसे अन्य खाद्य उत्पादों को भी शामिल करना चाहिये।

भोज्य पदार्थों का अवशोषण:

- खाद्य सुरक्षा का तीसरा आयाम है शरीर में भोजन का अवशोषण तथा उसका समुचित उपयोग।
- भोजन का अवशोषण और उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वच्छता, पीने योग्य जल और अन्य गैर-खाद्य कारकों पर महत्वपूर्ण ढंग से निर्भर है।
- कोविड- 19 संक्रमण के कारण बार-बार हाथों को धुलने से ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्वच्छ पीने योग्य जल की कमी महसूस की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार के अन्य प्रयास-

राष्ट्रीय कृषक नीति : खाद्य सुरक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिये राष्ट्रीय कृषक नीति को लागू किया गया। इस नीति के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम प्रणाली को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना, कृषि उत्पादों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, किसानों को वित्तीय सहायता उचित ब्याज दर पर उपलब्ध कराना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से ग्राम-स्तर पर चौपाल और फर्म, स्कूल स्थापित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि किसानों के पास उत्पादन के लिये साधन उपलब्ध है कि नहीं, अच्छी गुणवत्ता के बीज का प्रयोग बढ़ाना आदि क्रियाएँ भी क्रियान्वित करना इस नीति में शामिल हैं।

खाद्य सब्सिडी योजना : खाद्य सुरक्षा के लिये सरकार समय-समय पर खाद्य सब्सिडी जारी करती है ताकि खाद्य संकट पैदा न हो।

राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना - खाद्य सुरक्षा की कल्पना को साकार करने के लिये राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस प्राधिकरण का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की स्थिति बरकरार रखने के लिये वर्षा पोषित क्षेत्रों की समस्या पर पूरा ध्यान देना तथा भूमिहीन और छोटे किसानों से संबंधित समस्याओं पर भी ध्यान केन्द्रित करना है जिससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी न हो।

खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियाँ-

(1) खाद्यान्न कूपन प्रणाली : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिये निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को खाद्यान्न कूपन देकर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर मुद्रा के स्थान पर स्वीकार किया जाना चाहिये। ऐसी दुकानों पर गेहूँ-चावल की बिक्री प्रचलित बाजार मूल्य पर होनी चाहिये, परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। इस कूपन प्रणाली में सही सफलता तभी प्राप्त होगी जबकि निर्धनों की पहचान के लिये विशिष्ट पहचान संख्या लागू की जाए।

(2) बहु-उपयोगी स्मार्ट कार्ड : प्रौद्योगिकी विकास के साथ-साथ बहु-उपयोगी स्मार्ट कार्ड व्यवस्था अस्तित्व में आई है। इन कार्डों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को सरल बनाया जा सकता है। इस प्रकार यदि सभी अर्ह परिवारों की पहचान, अधिकृत लेन-देन की जानकारी तथा प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा आदि का विवरण ऑन-लाइन उपलब्ध हो तो खाद्यान्न

के निर्गम के समय इसकी पुष्टि की जा सकती है। विवरण की जानकारी भी ऑन-लाइन हो जाने से कार्यक्रम की प्रगति भी आसान हो जाएगी।

(3) वेब आधारित प्रणाली : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक ऐसी वेबसाइट विकसित की जा सकती है जिस पर प्रत्येक लाभार्थी परिवार जो भोजन पाने का अधिकार कानून के तहत खाद्यान्न की एक निर्धारित मात्रा रियायती मूल्य पर पाने का हकदार है, का विवरण उपलब्ध हो। इसके अलावा इसकी जाँच वितरण केंद्र पर अधिकारियों एवं लाभार्थी परिवार के मुखिया द्वारा कभी भी की जा सकती है।

(4) बफर स्टॉक बढ़ाना अत्यावश्यक : सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों, दालों, चीनी इत्यादि वस्तुओं के भंडारण व आयात का पूर्वानुमान लगाकर बफर स्टॉक बनाए जाने की रणनीति तैयार की जानी चाहिये जिससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी को रोका जा सके।

कमियाँ- पिछले 50 वर्षों के दौरान, मर्यादित और घोर अल्प पोषण में काफी कमी हुई है और जनसंख्या के सभी वर्गों के पोषण स्तर में कुछ उन्नति हुई है। फिर भी देश के विभिन्न भागों में ऊर्जा अभाव के कुछ रूप कायम हैं। महाराष्ट्र और उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों और बुजुर्गों में कुपोषण और विस्तृत भुखमरी भी पाई जाती है, इसका बुनियादी कारण क्रय शक्ति का अभाव है। जिनमें अल्प पोषण की समस्या पाई जाती है उनमें हैं -

1. गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियाँ।
2. एक-तिहाई नवजात बच्चे जिनका जन्म पर वजन 2.5 किलोग्राम से कम है।
3. विटामिन-ए के कम तीव्ररूपों का विद्यमान होना जिनके कारण कुछ व्यक्तियों में अंधापन भी हो सकता है।
4. आयोडीन-युक्त नमक की सर्वव्यापक उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी और इसके परिणामस्वरूप बहुत सी विकृतियों में महत्वपूर्ण कमी नहीं हो सकी।
5. रक्त-क्षीणता विद्यमान है और इसकी तीव्रता को कम नहीं किया जा सका और लौह-अभाव के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में कभी नहीं हुई।

सुझाव- परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दिशाओं में कार्य करना होगा -

1. खाद्य एवं कृषि क्षेत्र के विकास को त्वरित करना जोकि खाद्य के लिए प्रत्यक्ष साधन और आय प्रदान करते हैं जिनसे खाद्य पदार्थ खरीदे जा सकें।
2. ऐसे ग्राम विकास को प्रोत्साहित करना जो गरीबों पर केंद्रित हो।
3. भूमि तथा अन्य प्राकृतिक साधनों तक पहुंच को प्रोत्साहित करना।
4. गरीब परिवारों को सस्ती ब्याज दर पर उधार उपलब्ध कराना।
5. रोजगार अवसरों का विस्तार करना।
6. आय हस्तांतरण योजना को चालू करना जिस में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा रियायती कीमतों पर खाद्य उपलब्ध कराना शामिल है।
7. खाद्य पूर्ति और खाद्य कीमतों को स्थिर करना।
8. प्राकृतिक विपत्तियों जैसे सूखे, बाढ़, भूकंप आदि के दौरान खाद्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए आपातकालीन तैयारी में सुधार करना।

निष्कर्ष- कोविड- 19 संक्रमण के दौरान भारत स्वास्थ्य चुनौतियों के अतिरिक्त जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या,

बढ़ते खाद्य मूल्य और जलवायु परिवर्तन का खतरा ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनसे युद्ध स्तर पर निपटे जाने की आवश्यकता है।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 'जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिये जूझ रहा हो उसे दर्शनवाद नहीं समझाया जा सकता है।' यदि भारत को विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल होना है, तो उसे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. योजना आयोग, नवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002)
2. भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा (2011-2012)
3. भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा (2019-2020)
4. विश्व विकास रिपोर्ट, 1986
5. राष्ट्रीय पोषण निगरानी बोर्ड, 1975-80
6. दत्ता एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चन्द्र पब्लिकेशन
7. केंद्रीय बजट, 2017-18
8. द हिंदू, मार्च 2020
9. द इकनोमिक टाइम्स, अप्रैल 2020

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका

डॉ. विनोद राय *

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, डोलरिया, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने बहुमूल्य योगदान दिया है। जिस प्रकार प्राचीन काल से ही पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर इतिहास में नजर आती हैं वैसे ही स्वतंत्र संग्राम की प्राप्ति में हर आंदोलन में महिलाओं की भूमिका दिखाई देती है। क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति मूलतः पुरुषवादी थी। संभव यही कारण से राष्ट्रीय संग्राम पर लिखे लेखों, किताबों में महिलाओं को वह सम्मान नहीं मिल सका, जिसकी वे हकदार थी। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने अपनी घरेलू जिम्मेवारी के साथ-साथ स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में भाग लेकर अपना अदम्य साहस वीरता का परिचय देकर संघर्ष किया।

महात्मा गांधी जी ने भी यह स्वीकारा कि हमारी मां-बहनों के योगदान के बिना स्वतंत्रता संघर्ष संभव नहीं था। पुरुषवादी समाज में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें महिलाएं अपने घर से निकलकर 1857 के युद्ध में तलवार उठा लेती हैं तथा इसके बाद भी अन्य सभी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल के अदम्य साहस को देखा गया जो अपने परिवार एवं वंश, उत्तराधिकार के लिए अंग्रेजों के सामने तलवार लेकर खड़ी उठती हैं तथा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करती हैं। सन 1857 की क्रांति के बगावत में राजसी महिलाएं स्वतंत्र भारत की स्थापना के लिए पुरुषों के साथ एकजुट हुईं। सर ह्यूरोज ने झांसी की रानी के साहस पराक्रम को देखकर कहा भी था कि 'सैनिक विद्रोह के नेताओं में महारानी लक्ष्मीबाई सर्वाधिक बहादुर एवं सर्वश्रेष्ठ थी' तथा 'विद्रोहियों में रानी लक्ष्मीबाई को एकमात्र मर्द कहा था।'

1857 के महान विद्रोह को ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। जिसमें अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला डाली थी। महान संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई बेगम हजरत महल के अलावा वीरांगना झलकारी बाई तथा उनका दुर्गा दल जिसमें काशीबाई, दुर्गाबाई तथा मोतीबाई जैसी वीरांगना शामिल थी जिन्होंने वीरगति को प्राप्त किया एवं रानी अवंती बाई, रानी द्रोपदी, रहीमी, उद्गादेवी, अजीजन बेगम, आशा देवी 1 जैसी वीरांगनाओं ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई तथा पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग लिया।

1857 के विद्रोह से शुरू होकर 1947 तक भारत की आजादी तक के बीच कई राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने में महिलाएं पुरुषों के साथ मिलकर लड़ीं। रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी, राजकुमारी अमृता कौर, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू दुर्गाबाई देशमुख, एनी बेसेंट जैसी अनेक महिलाओं का राष्ट्रीय आंदोलन में अदम्य साहस अन्य भारतीय महिलाओं

के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना। राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने वाली महिलाएं किसी एक वर्ग विशेष की नहीं रही बल्कि प्रत्येक समाज प्रत्येक वर्ग से थी शिक्षित धनी वर्ग की महिलाओं के साथ-साथ ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाओं ने भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। गांधीजी प्रत्येक आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रखते थे। उनके अनुसार 'स्त्री अहिंसा की प्रतिमूर्ति है अहिंसा का अर्थ है असीम प्रेम और उसका तात्पर्य है असीमित कष्ट सहने की क्षमता और यह क्षमता पुरुषों की जननी स्त्री के अतिरिक्त और किस में सर्वाधिक है?' गांधीजी अपने आंदोलनों, भाषण तथा सभाओं में महिलाओं को देवियों और वीरांगनाओं की तरह असीम शक्ति बताकर हिम्मत से हौसले के साथ भागीदारी बनाते थे। महिलाओं को विश्वास दिलाते थे कि आंदोलन को उनके योगदान की जरूरत है गांधीजी ने भारत की असंख्य महिलाओं की आंतरिक शक्ति का आह्वान करते हुए उन्हें जागृत किया उसी प्रेरणा से महिलाएं भी घर की चारदीवारी से निकलकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ीं। गांधीजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे उनका मानना था कि यदि 'अहिंसा ही हमारे जीवन का मूल सिद्धांत है तो भविष्य स्त्रियों के ही हाथों में है।' गांधीजी की प्रेरणा से ही महिलाओं ने सदैव राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़-चढ़कर भाग लिया।

असहयोग आंदोलन में महिलाएं - असहयोग आंदोलन में वृहद मात्रा में महिलाओं ने भाग लिया। 1920-21 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत में महिलाओं ने स्वादेशी वा बहिष्कार से संबंधित अभियान में भाग लिया। सैकड़ों महिलाएं चरखे बेचने एवं खादी बेचने गली-गली गयीं। विदेशी वस्त्रों की होलीयां जलाईं। गांधीजी के संदेश से चरखे से खादी बनाने पर महिलाओं ने बड़े पैमाने पर खादी बनाकर आमदनी की तथा पुरुषों ने भी इस कार्य में सहयोग शुरू कर दिया। 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में 144 महिलाओं ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1930 के दौर में अली बंधुओं की मां बी अम्मा ने कई महत्वपूर्ण नगरों में दौरा कर हिंदू-मुस्लिम एकता को प्रेरणा दी इनके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी, ऐनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने कांग्रेस कार्यकारिणी में उपस्थिति दर्ज कराई तथा कांग्रेस में विभिन्न कार्यों में योगदान दिया। असहयोग आंदोलन की प्रगति में गांधीजी के प्रयासों से जगह-जगह महिलाओं ने घूमकर ब्रिटिश सरकार के अनुचित कानूनों का विरोध किया, मुंबई में राष्ट्रीय स्त्री सभा का गठन किया जो खादी प्रचार-प्रसार विक्रय के साथ-साथ जनकल्याणकारी कार्यों में लग गई। उच्च से निम्न सभी वर्गों की महिलाओं ने साथ में आंदोलन में भाग लिया। महिलाओं ने खादी चरखे जैसे रचनात्मक कार्यों में भाग लेकर सरकारी विद्यालयों तक का बहिष्कार किया। महिलाओं ने नवंबर 1921 में प्रिंस

ऑफ वेल्स का जोरदार विरोध किया। 3 दिसंबर 1921 में कोलकाता में असहयोग आंदोलन के समर्थन में खुलेआम प्रदर्शन कर रहे चितरंजन दास की बहन उर्मिला देवी, पत्नी बसंती देवी तथा भतीजी सुनीति को जेल हो गई थी अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन में कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने भारत का प्रतिनिधित्व कर तिरंगा लहराया था।

सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं – सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा से हुई थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने अपनी प्रबल रूप से भागीदारी सुनिश्चित की। इस आंदोलन अंग्रेजों के विभिन्न कानून यथा नमक कानून, वन अधिनियम, कर कानूनों आदि को तोड़ना एवं अंग्रेजों के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए सविनय अवज्ञा का रास्ता गांधी जी द्वारा अपनाया गया। गांधी जी की दांडी यात्रा में विभिन्न सभाओं में महिलाओं की सर्वाधिक हिस्सेदारी रही। महिलाओं ने गांधी जी के साथ ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में नमक बनाने से लेकर विक्रय तक का कार्य किया एवं अंग्रेजों के दमन के दौरान लगभग 17000 महिलाओं को जेल भी भेजा गया। 1930 के आंदोलन में पहली बार महिलाओं को पुलिस दमन का सामना करना पड़ा।

1920-30 के दौरान ही विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की सहभागिता की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। महिलाओं ने कई संगठनों का निर्माण किया जो निरंतर लामबंदी, जुलूस, प्रभात फेरी, धरना के साथ-साथ चरखा प्रशिक्षण, खादी विक्रय आदि कार्य में संलग्न रही।

12 वर्ष की इंदिरा 'प्रियदर्शनी' ने बच्चों को लेकर एक चरखा संघ, वानर सेना का गठन किया जिसका उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी एवं उसे एक ठोस आधार प्रदान करने हेतु किया गया था। 21 मई 1930 को धरसाणा में सरोजिनी नायडू एवं लगभग 2000 कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई के दमन की कार्यवाही से राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश विरोध देखने को मिला।

भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाएं – भारतीय स्वतंत्रता के अनुशासित सिपाही की तरह ही महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, महिलाओं ने पुरुषों के समान गरम व अहिंसक दोनों तरीके का आंदोलन में प्रयोग किया। गांधी जी ने 'करो या मरो' के नारे के साथ महिलाओं के विशेष भागीदारी पर जोर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दमनकारी कार्यों में गांधीजी सहित कई नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही महिलाओं ने आंदोलन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। इससे पूर्व भी महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिए गए थे बारीसाल में महिलाओं को लाठी चलाने का प्रशिक्षण आत्मरक्षा हेतु दिया गया। महिलाओं ने व्यापक पैमाने पर धरना-प्रदर्शन, हड़ताल, सभाएं और कानून तोड़े। त्रिपुरा, पटना, हुगली आदि स्थानों पर महिलाओं ने प्रदर्शनी लगाई, प्रभात फेरी, पोस्टर प्रदर्शनी लगाई। 1940 तक सभी महिला आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन में समाहित हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में असम की कनकलाता बरूआ,

सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, पद्मजा नायडू (सरोजिनी नायडू की पुत्री), उषा मेहता, अरुणा आसफ अली आदि महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई।

निष्कर्ष – इस प्रकार भारत के संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। 1857 की क्रांति से चिंगारी की शुरुआत से ही महिलाओं ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानायक एवं सहभागी बनी है।

राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने देशभक्ति वा विदेशी शासन से मुक्ति के भाव से प्रेरित होकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को अपने घरेलू जिम्मेदारियों के साथ निभाया, अपने देश मातृभूमि के प्रति प्रेम के कारण महिलाओं ने सजगता से आंदोलनों में भाग लिया। गांधी जी ने महिलाओं को घरों से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल होने का आह्वान किया यद्यपि महिलाओं ने समस्त आंदोलन में योगदान दिया लेकिन महिला अधिकारों पर उन्हें लाभ ना मिल सका। कुछ महिलाओं ने इसे मुद्दा जरूर बनाया परंतु राष्ट्र वादियों ने परंपरा से हटकर उनकी स्थिति में परिवर्तन लाने का भी नहीं सोचा। इस प्रकार महिलाओं की सशक्त एवं प्रभावशाली योगदान के बाद पुरुषों की महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन नहीं आ सका यथा महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज भी आजादी के 75 वर्षों बाद पुरुषों की परंपरावादी मानसिकता में बदलाव देखने को नहीं मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन में सरला देवी चौधरी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी आदि महिलाओं ने समान अधिकार, चुनाव में महिलाओं की भूमिका के लिए भी संघर्ष किया किंतु राष्ट्रीय आंदोलनों में कभी भी नेताओं ने लैंगिक समानता का मुद्दा नहीं उठाया ना ही नारी स्थिति को चुनौती दी, नेताओं ने नारी उत्पीड़न पर भी ध्यान नहीं दिया। 1947 की आजादी राजनीतिक रूप से तो थी परंतु महिलाएं अभी भी उपेक्षित रही महिलाओं में पंडिता रमाबाई ने ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक परंपरा पर सवाल जरूर उठाए परंतु उनका प्रभाव या प्रयास सफल नहीं हो सका। इस प्रकार, महिलाओं ने पितृसत्तात्मक जकड़न के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलनों में अपनी हिस्सेदारी का निर्वहन मजबूती से किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आनंद सी.एल., एन इंद्रोडवशन टू दी हिस्ट्री ऑफ गवर्मेंट इन इंडिया, बॉम्बे, 1960
2. कीथ, स्पीचेस एंड डाक्यूमेंट्स इंडियन पालिसी, वॉल्यूम 1, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1922
3. राय हेमचन्द्र, डाईनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नार्दन इंडिया, कलकत्ता, 1972
4. फडिया बी.एल., भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास, भोपाल, 1990
5. पाण्डे, श्रीनेत्र, आधुनिक भारत का इतिहास, भाग 1 एवं 2, इलाहाबाद, 1988

भील जनजातीय समाज में वधू-मूल्य से जुड़ी परंपरा

डॉ. मनीषा आमटे *

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – परंपरा एक सामाजिक व्यवहार है। इसके अंतर्गत धर्म, विधियाँ, प्रतीकात्मक व्यवहार, जनरीतियाँ, रुढ़ियाँ कला आदि सम्मिलित हैं। यह समाज एवं व्यक्तियों के व्यवहार को मानक एवं मूल्य प्रदान करती है। यह निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ज्ञान और विचार रूपी अपनी धरोहर सौंपती जाती है। हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में परंपराएँ समयानुसार परिवर्तित होती हैं।

जनजातीय परंपराएँ उनकी अपनी संस्थाओं और संस्कृति के ऐतिहासिक तर्क और बौद्धिक प्रासंगिकता के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। परंपराएँ जनजातीय संस्कृति को एक ऐसी अन्विति के रूप में आकार प्रदान करती हैं जिसमें उनके जीवन और यथार्थ की पुनरचना होती है।

अन्य समुदायों की तुलना में जनजातीय समुदाय विवाह संबंधित परंपराओं की दृष्टि से अधिक समृद्ध है। धाधरी उदणी भील जनजाति की एक महत्वपूर्ण परंपरा है जिसका संबंध जनजातीय विवाह की पद्धति क्रय विवाह से है। यह परंपरा तब क्रियाशील होती है जब विवाह योग्य भील युवक वधूमूल्य चुकाने में असमर्थ होता है वधूमूल्य जनजातीय विवाह के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इसमें विवाह करने के इच्छुक लड़के के माता-पिता को निर्धारित वधूमूल्य चुकाना पड़ता है। यह विश्व की अनेक जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित प्रथा है। सर्वश्री हॉबहाउस, हीलर तथा जिन्सवर्ग के एक विस्तृत अध्ययन से ज्ञात होता है कि 434 जनजातियों में से 303 जनजातियों में इस प्रथा का प्रचलन है। प्रो. मुरडॉक का कथन है कि प्रायः 50 प्रतिशत जनजातीय समाजों में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन पाया जाता है।¹

अफ्रीका की प्रायः सभी जनजातियों में यह विवाह प्रथा पाई जाती है। इण्डोनेशिया की प्रिसत्तात्मक जनजातियों में विवाह काफी लोकप्रिय है। दक्षिण पश्चिमी साइबेरिया की किरजी जनजाति में वधूमूल्य बढ़ाते जाना ही कुलीनता है। फलतः इस समाज में वधूमूल्य इतना अधिक होता है कि कोई भी पुरुष एक अधिक विवाह करने की बात सोचने का साहस तक नहीं करता। न्यूगिनी की काई जनजाति में एक पति को अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करने का तब तक कोई अधिकार नहीं होगा जब तक यह वधूमूल्य न चुका दे इतना ही नहीं वधूमूल्य न देने तक पति पति के घर नहीं जाती और अपने ही परिवार की सदस्य बनी रहती है। भारत की भी सभी जनजातियों में इस प्रकार की विवाह प्रथा प्रचलित है विशेषकर भील, भिलाला, संथाल, हो, औरांव, खरिया, आगा नागा, कुकी आदि जनजाति में। कुछ भारतीय जनजातियों में वधु मूल्य के आर्थिक पक्ष पर विशेष बल

नहीं दिया जाता जैसे रेशमा या नागा तय किये वधूमूल्य से प्रायः दस रुपये कम लेते हैं। इसके विपरीत हो जनजाति में इसका इतना अधिक प्रचलन है कि इसे देने की सामर्थ्य बहुत काम जनजातीय सदस्यों में होती है। इन परिस्थितियों में जनजातियों के अनेक सदस्यों के लिए जीवन साथी प्राप्त करना असंभव सा होता है। समाज में विचलन की स्थिति उत्पन्न न हो इस हेतु जनजातीय समुदाय ने विकल्प तलाशे। इन्हीं में एक विकल्प भील भिलाला समुदाय की 'धाधरी उदणी' है।

विवाह की इस परंपरा में 'दापा' (वधूमूल्य) चुकाने में असमर्थ युवक का पिता 'धाधरी उदणी' लेकर युवती के पिता के घर पहुँचता है। वह युवती के पिता को वचन देता है कि वह वर्तमान में वधूमूल्य चुकाने में असमर्थ है, उसके द्वारा 'धाधरी उदणी' पहनाकर अपनी पुत्री को विदा करें। भविष्य में यह वधूमूल्य चुकाकर विधिवत तरीके से अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से कराएगा। वधू-पक्ष के आश्वस्त होने के पश्चात युवती का पिता युवती को वर पक्ष द्वारा लाई 'धाधरी उदणी' पहनाकर बिना विधिवत विवाह के अपनी पुत्री के विदा कर देता है।

धाधरी उदणी परंपरा के तहत लाई गई वधू को परिवार में वही सम्मान व स्थान प्राप्त होता है जो कि विधिवत विवाह कर लाई वधू जिसे भील लाडी कहते हैं, प्राप्त होता है। धार्मिक व सामाजिक कार्यों में अपने पति के साथ सहभागिता के अतिरिक्त वह गृहस्थ जीवन के समस्त कार्य वैसे ही संपन्न करती है जैसे लाडी (विवाहिता वधू) के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। जब पूर्व वचनानुसार वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को निर्धारित दापा (वधू मूल्य) प्रदान कर दिया जाता है तब भील जनजातीय सदस्यों के समक्ष युवक-युवती का विवाह विधिवत सम्पन्न कराया जाता है। संतानों को अपने माता-पिता के विवाह का प्रत्यक्षदर्शी नहीं बनाया जाता है।² इस तरह धाधरी उदणी परंपरा निम्न आर्थिक परिस्थिति वाले युवकों को जीवन साथी प्राप्त करने का माध्यम बनती है साथ ही यह वधू पक्ष को आश्वस्त करती है उसे कि भविष्य में करने वधू मूल्य प्राप्त होगा।

स्पष्ट है कि वधू मूल्य जनजातीय विवाह का एक आवश्यक अंग है और इसे चुकाए बिना विधिवत विवाह नहीं हो सकता। आधुनिक संदर्भ में प्रथम दृष्टता यह स्त्री के दासत्व का प्रतीक लगता है कि विवाह के समय स्त्री को बेचा व खरीदा गया किन्तु जनजातीय संदर्भ इसे अलग दृष्टि प्रदान करते हैं एक पारिवारिक सदस्य के नाते युवती की परिवार में उपयोगिता होती है। विवाह के पश्चात वधु पक्ष इस उपयोगिता से वंचित हो जाता है। अतः वधु पक्ष द्वारा यह आशा या मांग की जाती है कि वर पक्ष उस युवती के

जाने से हुए नुकसान का हर्जाना कन्या पक्ष को देगा। श्री राबर्ट लोई ने अपनी पुस्तक Primitive society में इस बात पर बल दिया है कि वधु मूल्य स्त्रियों की उपयोगिता का प्रतीक है। युवती के माता पिता दूसरे को अपनी कन्या देने से होने वाले नुकसान का हर्जाना वधु मूल्य के रूप में प्राप्त करते हैं तथा इसके द्वारा दोनों परिवारों के बीच आर्थिक संबंधों को दृढ़ किया जाता है।³ वधु- मूल्य से दो परिवारों के बीच न केवल सामाजिक या वैवाहिक संबंध स्थापित होता है बल्कि सहयोग की भावना का भी निर्माण होता है यह कठिन आदिम जीवन को सरल बनाने में सहयोगी होता है।

जनजातीय विवाह की परंपराओं में वधु मूल्य एक विशिष्ट परंपरा है। यह अवश्य ही सभ्य समाज के लिए मनोरंजन एवं आश्चर्य का विषय है किन्तु यह एक सामान्य नियम है कि सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का कोई भी पक्ष जो हमारे अपने प्रचलन से भिन्न होता है उसे अक्सर हम एक मनोरंजक विषय के रूप में देखते हैं जबकि प्रत्येक समाज की सामाजिक संस्थाओं का

विकास उसकी अपनी आवश्यकताओं, भौगोलिक दशाओं तथा मूल्यों के अनुसार होता है। अतः यह आवश्यक है कि जनजातीय समुदाय में वधु मूल्य के बारे में एक सही दृष्टिकोण अपनाकर उसमें संबंधित विभिन्न मान्यताओं और प्रचलन को समझा जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मुखर्जी, डॉ रवीन्द्र नाथ : सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा, विवेक प्रकाशन दिल्ली, पृ. 153
2. पाण्डेय, शिव कुमार : जनजातीय विवाह में वधु धन से जुड़ी महत्वपूर्ण परम्परा, बुलेटिन V 56, विरूद्ध आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था, म.प्र. शासन पृ-7
3. मुखर्जी, डॉ रवीन्द्र नाथ : सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा, विवेक प्रकाशन दिल्ली, पृ-51

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर – असम राज्य के विशेष संदर्भ में

डॉ. जयप्रकाश व्यास *

* करियर कॉलेज ऑफ लॉ, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत-पाकिस्तान का 1947 में विभाजन हुआ तो असम से कुछ लोग पूर्वी पाकिस्तान चले गए जो बाद में 1971 में बांग्लादेश के रूप में जाना गया लेकिन उनकी संपत्ति और जमीने आदि असम में ही थी इस कारण लोगों का आना जाना लगा रहा जिसके कारण 1951 में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार किया गया बांग्लादेश बनने के बाद भी लोगों का आना-जाना लगातार बना रहा फल स्वरूप असम में आबादी का स्वरूप बदलने लगा 80 के दशक में अखिल असम छात्र परिषद ने आंदोलन शुरू किया 1985 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तदनुसार असम में बांग्लादेशियों की पहचान और शरणार्थियों में भेद करने के लिए असम में एनआरसी की आवश्यकता हुई समझौता के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद प्रवेश करने वालों की पहचान की जानी थी तथा अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना था वर्ष 2005 में सरकार ने 1951 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला किया मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2015 में नागरिकों के सत्यापन का कार्य आरंभ हुआ इसका मकसद घुसपैठियों की पहचान करना था इसके लिए व्यक्ति को 25 मार्च 1971 से पहले जारी किया गया दस्तावेज बतौर सबूत पेश करना था यह साबित करना था कि व्यक्ति के पूर्वज इस तारीख से पहले तक असम राज्य के नागरिक थे।

शब्द कुंजी – राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, असम, बांग्लादेश, घुसपैठिये, शरणार्थी, सत्यापन।

प्रस्तावना – राज्य व्यक्ति और नागरिकता यह तीनों शब्द एक दूसरे से इस प्रकार उलझे हुए हैं कि हर व्यक्ति का किसी ना किसी देश की नागरिकता लेना आवश्यक हो जाता है। अर्थात् बिना नागरिकता के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, अमेरिका में दो प्रकार के नागरिकता उपलब्ध हैं वहीं भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत लागू किया गया है, नागरिकता के प्रश्न पर भारतीय संविधान में भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 में नागरिकता के प्रश्न के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इस संदर्भ में नागरिकता अधिनियम 1955 का भी उल्लेख किया जाता है।

आमतौर पर नागरिकता को एक व्यक्ति और विशेष देश के बीच संबंध के रूप में देखा जाता है और नागरिकता नागरिक की पहचान करता है कि वह किस देश का निवासी है। नागरिकता को लेकर प्राचीन समय से ही कई कदम उठाए गए हैं।

नागरिकता अधिनियम, 1955 – भारत का संविधान हमारे देश में नागरिकता प्रदान करता है नागरिकता संबंधित उपबंध भारत के संविधान के भाग 2 में रखे गए हैं जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में वर्णित है भारत के स्वतंत्रता के पश्चात कौन देश का नागरिक होगा इसके लिए राष्ट्रीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया है जिसे 30 दिसंबर 1955 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, उसके बाद समय-समय पर इसमें संशोधन हुए हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003 और नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 मुख्य है।

भारतीय राष्ट्रीय विधि में दो तरह का अनुसरण किया जाता है: जस सोली – जन्म के आधार पर संबंध, जस संगुनिस – रक्त संबंध से संबंध। इस अधिनियम में नागरिकता के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं जो इस प्रकार हैं –

- जन्म से नागरिकता,
- अवजनन द्वारा नागरिकता,
- रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता,
- देशीकरण द्वारा नागरिकता,
- राज्यक्षेत्र में मिल जाने।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी क्या है?

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी भारतीय नागरिकों के नाम वाला एक रजिस्टर है जो विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए लागू किया गया है, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 1971 के बांग्लादेशी युद्ध के दौरान भारत में प्रवेश किया था। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का उद्देश्य प्रारंभ से यह था कि भारत के नागरिकों को पहचाना और उनके नागरिकता के लिए उपबंध करना।

असम में नागरिकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – आजादी से ठीक पहले और बाद के वर्षों के दौरान असम के इतिहास में खुशियों के पल कम ही रहे हैं आजादी से पहले असम को पाकिस्तान बनाए जाने की योजना बनाई जा रही थी लेकिन धार्मिक आधार पर भारत को बांटने के लिए जब अंतरराष्ट्रीय सीमाएं की जा रही थी तब असम के नेताओं ने इस राज्य को भारतीय संघ में ही रखने के लिए काफी प्रयास किए।

असम इकलौता राज्य है जहां एनआरसी बनाया जा रहा है, सरल शब्दों में कहें तो एनआरसी वह प्रक्रिया है जिसमें देश में गैरकानूनी तौर पर रह रहे विदेशी लोगों को खोजने की कोशिश की जाती है। असम में आजादी के बाद पहली बार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया गया था। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तब पूर्वी बंगाल और असम के रूप में एक नया राज्य बनाया गया था तब असम को पूर्व बंगाल से जोड़

दिया गया था, जब देश का बंटवारा हुआ तो यह भय भी पैदा हो गया कि कहीं यह पाकिस्तान के साथ जोड़कर भारत से अलग ना कर दिया जाए। जब गोपीनाथ बोरदोलोई की अगुवाई से असम विरोध शुरू हुआ वह अपनी रक्षा करने में सफल रहा लेकिन सिलहट पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। यहां रजिस्टर 1951 की जनगणना के बाद जो सूची तैयार की गई उसमें असम में रहने वाले लोगों को शामिल किया गया था, यहां नागरिकता रजिस्टर उसी के समरूप तैयार किया गया।

हालांकि हालात तब ज्यादा खराब हुए जब पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में भाषा विवाद को लेकर आंतरिक संघर्ष प्रारंभ हुआ वह समय पूर्वी पाकिस्तान में परिस्थिति इतनी हिंसक हो गई कि वहां रहने वाले हिंदू मुस्लिम दोनों तक को क्यों बड़ी आबादी ने भारत की ओर रुख किया। माना जाता है कि 1971 में पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में दमनकारी कार्रवाई शुरू की तो करीब 10 लाख लोगों ने बांग्लादेश सीमापार करके असम में शरण लिए ले ली।

1983 में असम में हिंसा हुई इस हिंसा के बाद केंद्रीय सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच समझौता वार्ता शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच समझौता हुआ, असम समझौता के नाम से बने इस दस्तावेज पर भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं ने हस्ताक्षर किए।

असम की एनआरसी को लेकर कालक्रमः

1. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सबसे पहले वर्ष 1951 में तैयार किया गया था।
2. 1979 में अखिल असम छात्र संघ द्वारा अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग करते हुए एक 6 वर्षीय आंदोलन चलाया गया था।
3. 15 अगस्त 1985 को असम संदेश समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अखिल असम छात्र संघ का आंदोलन समाप्त हुआ था।
4. असम में बांग्लादेशियों की बढ़ती जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए नागरिक सत्यापन की प्रक्रिया दिसंबर 2012 में शुरू हुई थी।
5. मई 2015 में असम राज्य के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
6. 31 दिसंबर 2017 को असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर मसौदे का संस्करण जारी किया गया।
7. भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने हेतु 3.29 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए थे।
8. इनमें से 40 लाख लोगों को बाहरी माना गया।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला – वर्ष 2005 में सरकार ने 1951 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला किया है और तय किया गया कि असम समझौते के तहत 25 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले लोगों का नाम भी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में जोड़ा जाएगा यह विवाद सुलझने की बजाय यह विवाद और अधिक बढ़ गया है और यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया इसके पश्चात 2015 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आसाम में नागरिकों के सत्यापन का कार्य शुरू किया गया इसके लिए कई राज्यों में एनआरसी के केंद्र खोले गए नागरिकों के सत्यापन के लिए अनिवार्य किया गया कि केवल उन्हीं भारतीय नागरिक माना जाएगा जिनके पूर्वजों के नाम

उनके वोटर लिस्ट में मौजूद हो।

किस तरह असम में एनआरसी लागू हुई – एनआरसी को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आसाम में लागू किया गया यह बहुत बड़ी कवायद थी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद कई लोग इसे एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं सच्चाई यह है कि इस कानून का एनआरसी के बीच कोई संबंध नहीं है वह अगर कोई संबंध होगा भी तो वह अप्रत्यक्ष होगा।

असम में एनआरसी लागू करने का मकसद घुसपैठियों की पहचान करना था व्यक्ति को स्वयं को असम का नागरिक साबित करने के लिए 25 मार्च 1971 से पहले जारी किया गया दस्तावेज बतौर सबूत पेश करना या उसके लिए 1951 के एनआरसी या 25 मार्च 1971 तक जारी किया गया इलेक्ट्रल रोल मान्य था इसके जरिए यह साबित करना था कि व्यक्ति के पूर्वज इस तारीख से पहले राज्य के नागरिक थे इसके बाद पूर्वजों से व्यक्ति का संबंध दिखाने वाला दस्तावेज भी पेश करना था यह मुश्किल काम था क्योंकि भारत में लोग दस्तावेज के महत्व को लेकर जागरूक नहीं है इसके अलावा ज्यादातर आबादी मुश्किल से अपना गुजर-बसर करती है जिससे दस्तावेज बनवाना है उसे रखना कठिन हो जाता है।

नागरिकता की समाप्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याएं – एनआरसी की सूची जारी होने के बाद लोग राजही अर्थात वह किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे ऐसी स्थिति में राज्य में हिंसा का खतरा बन गया जो लोग दशकों से असम में रह रहे थे भारतीय नागरिक समाप्त नागरिकता समाप्त होने के बाद ना तो यहां वोट दे सकते हैं और ना ही किसी कल्याणकारी योजना का लाभ मिलेगा और अपनी संपत्ति पर भी इनका कोई अधिकार नहीं रहेगा जिन लोगों के पास स्वयं की संपत्ति है वह दूसरे लोगों को निशाना बनेंगे। 2013 से 2017 तक के दौरान नागरिकता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कोई 40 सुनवाई हुई जिसके बाद नवंबर 2017 में असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 31 दिसंबर 2017 तक वह एनआरसी को पूर्ण कर देंगे बाद में इसको अपडेट करने और के लिए और वक्त मांगा 2015 के निर्देश और निगरानी में है काम शुरू हुआ है और जुलाई 2018 में अंतिम दफ्तर तैयार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की सख्ती बरतने के लिए फिलहाल रोक लगाई है।

उपसंहार – इस प्रकार हम देखते हैं कि असम में नागरिकता के प्रश्न पर लगातार विवाद अस्तित्व में रहे हैं 15 अगस्त 1985 को असम समझौता हुआ था इसमें यह तय हुआ था कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए विदेशियों की पहचान की जाएगी और उनको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा साथ ही असम के लोगों की संस्कृति सामाजिक और भाषाई पहचान और विरासत को बचाने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए संवैधानिक विधायी और प्रशासनिक प्रावधान भी किए जाएंगे अवैध विदेशियों को पहचानने के तरीकों में हालाकी बहुत सी कमियां आई असम में एनआरसी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो कि असम के वेध नागरिक हैं यह पंजी विशेष रूप से असम राज्य के लिए ही निर्मित की गई थी किंतु न्यायालय द्वारा एनआरसी के प्रारूप को 31 दिसंबर 2017 को प्रकाशित करने का आदेश दिया गया था 30 जून 2018 को एनआरसी का अंतिम ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया, कानूनी तौर पर भारत के नागरिक के रूप में पहचान प्राप्त करने हेतु असम में लगभग 3.29 करोड़ आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे इनमें से 40 लाख लोगों के

नाम अंतिम लिस्ट में शामिल नहीं हुए, जिनके नाम अंतिम लिस्ट में शामिल नहीं हुए उन्हें फॉरन अधिकरण में जाकर के दरवाजा खटखटाना था और जो व्यक्ति फॉरन अधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट होते वह उसके विरुद्ध अपील कर सकता था जो लोग उपरोक्त प्रक्रिया के बावजूद एनआरसी का हिस्सा नहीं बन सके उनके लिए राज्य भर में डिटेन्शन सेंटर बनाए गए थे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं उनके खिलाफ अभी किसी भी तरह की शक्ति करने पर रोक लगाई जिससे यह सिद्ध होता है कि नागरिकता के विषय को लेकर असम का यह विवाद कोई नया विवाद नहीं है इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं तथा दस्तावेज भी इन्हीं विवादों के फल स्वरूप उपजा परिणाम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. असम समझौता, 1985
2. <http://assamaccord.assam.gov.in>
3. <http://peacemaker.un.org>
4. नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 – गजट नोटिफिकेशन
5. भारत का संविधान – जे.एन. पाण्डेय – सी.एल.ए प्रकाशन इलाहाबाद
6. भारत का संविधान – बेयर एक्ट, बी.एस. खेत्रपाल संस्करण 2019
7. नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 बेयर एक्ट – बी.एस. खेत्रपाल
8. नागरिकता अधिनियम, 1955 बेयर एक्ट – बी.एस. खेत्रपाल
9. इंटरनेट, विकिपीडिया, आदि
10. समाचार पत्र पत्रिकाएँ

थारू जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन

कामिनी राना *

* सहायक प्राध्यापिका (इतिहास विभाग) श्री गुरुनानक देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता साहिब (ऊधमसिंह नगर) भारत

शोध सारांश – भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण तथा जंगलों के निकट निवास करती है। अगर हम जनजाति समाज या समुदाय की चर्चा करें तो हमें आदिवासी समुदाय का बोध होता है। जनजाति विशेष भौगोलिक स्थान पर रहने वाले लोगों का वह समूह है, जो समान पूर्वज, समान संस्कृति, समान भाषा, समान पहनावा व समान देवता की पूजा करते हैं। प्रत्येक जनजाति का एक पूर्वज होता है। ये पूर्वज वास्तविक भी होते हैं, और काल्पनिक भी। जनजातियों में अन्तः विवाह होता है। जिसका पालन करना उस सभी के लिए आवश्यक होता है। जिसका मुख्य उद्देश्य रक्त की शुद्धता बनाए रखना होता है। थारू जनजाति नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पायी जाने वाली एक जनजाति है। भारत के बिहार के चम्पारन जिले में और उत्तराखण्ड के नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले में यह प्रमुखतः पायी जाती है। थारू समुदाय का विशेष पहनावा, खान-पान, रहन-सहन के तरीके, रीति-रिवाज, त्यौहार, प्रथाएं अन्य समाज से भिन्न हैं, जिस कारण से समुदाय अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए है।

प्रस्तावना – भारत में अनेक प्रकार की जाति, जनजाति, समुदाय धर्म पाए जाते हैं। जिस कारण भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। भारत में जाति तथा जनजातियाँ हमेशा से ही निवास करती आयी हैं। प्रायः इनको हिन्दू धर्म में पिछड़े हिन्दू कहकर सम्बोधित भी किया जाता है। भारतीय संविधान में भी जाति एवं जनजाति का ब्यौरा है। तथा साथ ही इनको संरक्षण तथा आरक्षण भी प्रदान किया गया है। भारत एक कृषक प्रधान देश रहा है। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण तथा जंगलों के निकट निवास करती है। अगर हम जनजाति समाज या समुदाय की चर्चा करें तो हमें आदिवासी समुदाय का बोध होता है। तथा शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पिछड़ापन स्पष्टता से दिखलाई देता है। परन्तु आज के समय में जनजाति समाज भी सामान्य समाज की धारा में धीरे-धीरे आ रहा है। जो कि समाज की मुख्यधारा से स्वयं को जोड़ने का प्रयास कर रहा है।

1911 की जनगणना तक जनजातियों के लिए आदिवासी अथवा दलित वर्ग जैसे शब्दों का प्रयोग किया। परन्तु 1921 के जनगणना के पश्चात् इसके लिए अनुसूचित जनजाति का अधिक प्रयोग किया जाने लगा है।¹

जनजाति विशेष भौगोलिक स्थान पर रहने वाले लोगों का वह समूह है, जो समान पूर्वज, समान संस्कृति, समान भाषा, समान पहनावा व समान देवता की पूजा करते हैं। तथा समूह बनाकर रहते हैं। आम तौर पर जनजाति इसी तरह निवास करती है। लेकिन पूर्ण रूप से ऐसा कहना सही नहीं है। जनजाति के लोग अब आधुनिकता से जुड़ने लगे हैं। परन्तु अभी भी ये समूह आधुनिकता से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, अभी कई जनजातियाँ विकसित नहीं हुई हैं। अभी आधुनिक समाज से काफी पिछड़ी हुई हैं। कुछ जनजाति समूहों को 'कबीले' के नाम से भी जाना जाता है। हम किसी भी जनजाति के रहन-सहन, वेश-भूषा, संस्कृति के आधार पर उस जनजाति का पता लगा सकते हैं।

जनजाति के संदर्भ में मजूमदार लिखते हैं 'एक जनजाति परिवारों अथवा परिवारों के समूहों का संग्रह है, जिसका एक सामान्य नाम होता है। और

जिसके सदस्य एक ही भू-क्षेत्र में निवास करते हैं, एक भाषा बोलते हैं, और विवाह, वृत्ति या व्यवसाय के प्रति कुछ निषेधों का पालन करते हैं, तथा उनमें परस्पर आदान-प्रदान एवं दायित्वों की पारस्परिकता की एक सुनिश्चित व्यवस्था विकसित हो गयी है।'²

अगर जनजातियों की विशेषताओं की चर्चा करें तो जनजातियों में बन्द समाज व्यवस्था पायी जाती है। उनकी अपनी एव विशिष्ट संस्कृति, तथा अपनी एक अलग भाषा तथा सांस्कृतिक पहचान होती है, उनका एक विशेष पहनावा तथा एक जनजातीय देवता होते हैं, जिसकी पूरा समुदाय पूजा करता है। जिस कारण जनजाति अपनी विशिष्ट पहचान, संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं। इस हेतु जनजाति के लोग अपने समुदाय के अतिरिक्त अन्य समूह से दूरी बनाए रखते हैं। तथा स्वयं भी बाह्य लोगों के संपर्क में आने से बचते हैं। ये जनजातियाँ सीमित क्षेत्र में रहने के कारण इनका समाज गतिहीन एवं अपरिवर्तनशील रहता है। भौगोलिक परिस्थिति बदलने के कारण कुछ हद तक इन समुदायों में परिवर्तन होता है।

एक जनजाति के सभी सदस्य की समान संस्कृति होती है। उनके रीति-रिवाजों, नियमों, लोकाचारों, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान-पान, भाषा, रहन-सहन, विचारों, विचारों, विश्वासों, मूल्यों आदि में समानता पायी जाती है।³

प्रत्येक जनजाति का एक पूर्वज होता है। ये पूर्वज वास्तविक भी होते हैं, और काल्पनिक भी। जनजातियों में अन्तः विवाह होता है। जिसका पालन करना उस सभी के लिए आवश्यक होता है। जिसका मुख्य उद्देश्य रक्त की शुद्धता बनाए रखना होता है।

अगर हम थारू जनजाति की चर्चा करें तो यह जनजाति नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पायी जाने वाली एक जनजाति है। भारत के बिहार के चम्पारन जिले में और उत्तराखण्ड के नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले में यह प्रमुखतः पायी जाती है। थारू शब्द की उत्पत्ति प्रायः ठहरे, तरहुवा, ठिठुरवा तथा अठवारू आदि शब्दों में खोजी गई है। ये जनजाति

अपने के मूलतः सिसोदिया वंशीय राजपूत कहते हैं। थारुओं में कुछ वंशानुगत उपाधियाँ (सरनेम) राणा, कथरिया, चौधरी आदि हैं। यह जनजाति स्वयं को चितौड़ के राणाओं के वंशज होने का दावा करते हैं। वही कुछ इतिहासकारों का मानना है कि, ये राजस्थान के थार इलाके से आये हैं। जिस कारण इनको थारु नाम दिया गया। इस जनजाति को 1961 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। तथा साथ ही जनजाति से संबंधित आरक्षण एवं संरक्षण भी प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् 1967 में चार और समूहों को अनुसूचित जाति घोषित किया गया। जो कि बोक्सा, जौनसार, भोटिया और राजी हैं। थारु जनजाति के लोग मंगोल प्रजाति के समान प्रतीत होते हैं। इनका कद औसत, गाल कुछ फूले हुए एवं आंखें छोटी होती हैं।

अगर हम थारु समाज की संस्कृति की चर्चा करें तो, जिस प्रकार प्रत्येक समाज की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। उसी प्रकार थारु जनजाति की भी अपनी एक विशेष संस्कृति है, जो इसे अपनी एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। संस्कृति मानव द्वारा सीखा गया व्यवहार है, संस्कृति वह गुण है, जो हममें व्याप्त हैं। संस्कृति लोगों के आचार विचार तथा व्यवहार करने का प्रतिमान माना जा सकता है। संस्कृति के संदर्भ में टायलर कहते हैं कि 'संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसके अन्तर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य क्षमताएँ व आदतें सम्मिलित हैं। जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है।'¹⁴

अगर थारु जनजाति के संस्कृति के कुछ पहलुओं जैसे रहन-सहन की चर्चा करें तो ये लोग मिट्टी के मकान बनाकर रहते थे। तथा इनका परिवार संयुक्त रूप में रहता है। मुख्य रूप से थारु समुदाय मातृवंशी है, कुछ पितृवंशीय परिवार भी पाए जाते हैं। परिवार के संचालन में पत्नी का परामर्श अति आवश्यक माना जाता है कुछ परिवारों में कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। इस तरह के परिवारों को कुनबा (कुरमा) कहा जाता है। परिवार की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाता है, जिसे 'मलकिनी' कहा जाता है।¹⁵

इस समुदाय के अधिकांश लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, तथा साथ ही जंगली सब्जियों का भी सेवन किया करते हैं, जिनको कैफल, कटरुएं, अनुआ, फुरसा, खुरहुआ आदि नामों से पुकारा जाता है। थारु समाज में चावल का सेवन ज्यादातर किया जाता था, और आज भी यह प्रचलन में है।

अगर इनकी वेशभूषा की बात की जाए तो में पुरुषों द्वारा सामान्य तौर पर धोती, कुर्ता और टोपी ही पहनी जाती है। जो कि भारत की परम्परागत वेशभूषा ही है। वहीं महिलाओं की वेशभूषा घघरिया, चोली, अरघना होता था। अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो लहंगा वस्त्र कुछ समय पहले थारु स्त्रियों का मुख्य वस्त्र हुआ करता था ये ज्यादातर रंगीन कपड़े होते थे, विशेषकर गहरे काले, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, जिसे थारु स्त्रियां डोरी की सहायता से कमर पर बांधती थी। हाथ से तैयार किया जाने वाला यह वस्त्र काफी समय लेता था। इस पर फूल, पत्तियों की कसीदाकारी, गुरिया, सीप, सिक्के, सीसे इत्यादि टांके जाते थे। इस लहंगे की लम्बाई कमर से घुटने तक होती थी तथा सामने के छोर पर फुबती लटकायी जाती थी। ऊपरी वस्त्र के रूप में चोली या अंगिया का प्रयोग किया जाता था।¹⁶

अगर इस जनजाति के आभूषणों की चर्चा की जाए तो थारुओं में गहनों को बनाने में प्रायः कौड़ी, लहठी, पीतल, चांदी, कांसा, गिलट आदि का प्रयोग होता है। कानों में कुण्डल तथा कलाईयों में माठा पुरुषों के प्रचलित आभूषण हैं। अपेक्षाकृत थारु स्त्रियां आभूषणों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में

करती हैं। जैसे सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों में मांग-बिन्दी, टीका, टायरा प्रचलित है। नाक में गुलाकी, फुली, कील, नथनी, नोक्सा, खोल इत्यादि प्रचलित हैं। कानों में टर्की, झिमलियों, झेले, दर्की, बुन्दा इत्यादि प्रचलित है। तथा गर्दन में मोहर माला, हँसुली, हक्काहार, कनसेरी टुकुई, सुकिया आदि पहना जाता है।¹⁷

थारु समाज उत्सव प्रेमी होता है। जीवंत स्वभाव के थारु त्यौहारों को आनंद और भोज भात के अवसर के रूप में देखते हैं। थारुओं में सबसे लोकप्रिय पर्व होली को माना जाता है। अन्य समाजों के विपरीत यह थरुहट प्रदेश में पखवाड़े भर चलने वाला उत्सव है। होली के समय सम्पूर्ण थरुहट प्रदेश नृत्य एवं उल्लास के पर्व में डुब जाता है। वर्तमान में थारु संस्कृति होली के पर्व पर ही अपने विशिष्ट रूप में दिखाई देती है।¹⁸

सभी समाजों में विवाह की अपनी एक विशिष्ट प्रथाएं प्रकार एवं रीति रवाज होते हैं, उसी प्रकार थारु जनजाति में विवाह के अनेक प्रकार प्रचलित हैं, जिनमें बाल-विवाह, ख्रास-विवाह, खर्चा विवाह, चुटकटा विवाह, उडरा विवाह, घर-घुस विवाह, साली विवाह अनमेल विवाह इत्यादि प्रचलित हैं।¹⁹

निष्कर्षतः कहा जा सकता है, कि जिस प्रकार किसी भी संस्कृति की सांस्कृतिक विशेषताएं विशिष्ट होती हैं। उसी प्रकार थारु जनजाति की भी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति एवं सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। जो उसे अन्य समुदाय से पृथक् रूप प्रदान करती हैं। तथा यह जनजाति अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रयास भी रहती है। जो कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए आवश्यक भी है। जिससे इनकी एक अनोखी विशेषता बनी रहेगी। जो कि इनकी विशिष्टता भी है। जिस कारण ये समुदाय तथा इनकी जैसी अन्य सभी जनजातियां अपनी एक पृथक् पहचान समाज में बनाए रख सकेंगी। जो कि इनको समाज में एक अलग पहचान बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है। धीरे-धीरे अब यह समाज भी शिक्षित हो रहा है तथा अन्य लोगों के समान ही अब ये लोग भी सामान्य संस्कृति को अपनाने भी लगे हैं, शिक्षा और आधुनिकता का प्रभाव भी अब इन समाजों में देखने को मिल रहा है। जो की प्राचीन परंपराओं को संजोए हुए आधुनिकता को भी साथ लेकर चल रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महाजन, धर्मवीर; महाजन कमलेश, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली 7, 2020, जनजातीय समाज का समाजशास्त्र, अध्याय 2 जनजाति अवधारणा एवं वर्गीकरण, पृ0 27
2. वही, पृ0 28
3. गुप्ता, एम.एल.; शर्मा डी.डी. साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, 2020. समाजशास्त्र, अध्याय 11, अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं एवं उनका समाधान, पृ0 106.
4. मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली 7, 2021, समाजशास्त्र का परिचय, अध्याय 2 संस्कृति एवं सभ्यता, पृ0 28.
5. सिंह, नरेश, ए0 बी0 एस0 पब्लिकेशन, वाराणसी 2020, थारु जनजाति समाज एवं संस्कृति, अध्याय 3 थारु जनजाति: संस्कार एवं समाजिक जीवन, पृ0 88/89
6. वही, पृ0 90
7. वही, पृ0 93
8. वही, पृ0 101
9. वही, पृ0 83

पशुपालन व्यवसाय नव उद्यमियों के लिए स्वरोजगार का एक बेहतर विकल्प : एक अध्ययन

सन्नी यादव * डॉ. केशव मणि शर्मा **

* शोधार्थी, शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक, शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध अध्ययन में पशुपालन व्यवसाय का विभिन्न पहलुओं के आधार पर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है जिसमें पाया गया है कि वर्तमान समय में देश बड़ रही भीषण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के रूप पशुपालन व्यवसाय को स्वरोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है पशुपालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय जो न्यूनतम लगत में भी प्रारंभ किया जा सकता है केंद्र एवं राज सरकारों के द्वारा भी पशुपालन व्यवसाय के संवर्धन एवं विस्तार के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिनका लाभ पत्रता अनुसार प्राप्त कर नव उद्यमियों द्वारा स्वरोजगार के रूप में पशुपालन व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है।

शब्द कुंजी – परंपरागत, मिथक, नव उद्यमी, स्वरोजगार, घरेलू, प्रमाणिकता, अनुज्ञप्ति, सालीमेंट, डेयरी फार्मिंग, योजनाएं, जोखिम, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, कुक्कुट विकास, संवर्धन, खाद्य पदार्थ आदि।

प्रस्तावना – पशुपालन व्यवसाय भारत का एक परंपरागत कृषि आधारित व्यवसाय है जो प्राचीन काल से ग्रामीण भारत का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बना हुआ है किंतु वर्तमान परिदृश्य में बढ़ती जनसंख्या एवं बेरोजगारी के कारण पशुपालन व्यवसाय एक प्रमुख स्वरोजगार व्यवसाय के रूप में उभरकर सामने आया है इस व्यवसाय ने परंपरागत व्यवसाय के मिथक को तोड़ कर आधुनिक स्वरोजगार व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है पशुपालन व्यवसाय की सफलता की अपार संभावना एवं कम जोखिम होने के कारण आज अनेक नव उद्यमी इस व्यवसाय की ओर आकर्षित होकर इसे स्वरोजगार के रूप में अपना रहे हैं।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन व्यवसाय का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि हमारे देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य के साथ पशुपालन का कार्य भी करती है। देश के सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का योगदान लगभग 30 प्रतिशत है जो कि सराहनीय है इसमें दुध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान सबसे अधिक है। विश्व में कुल पशुपालन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत गायें एवं 55 प्रतिशत भैंसें भारत में है तथा देश के कुल दुध उत्पादन का 53 प्रतिशत भैंसों व 43 प्रतिशत गायों और 3 प्रतिशत बकरियों से प्राप्त होता है। भारत लगभग 121.8 मिलियन टन दुध उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान पर है जो कि अपने आप में एक मिसाल है जिसमें देश का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अग्रणी है। देश में उत्पादित दुध से अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री एवं सप्लीमेंट बनाये जाते हैं जिनका करोड़ों रुपयों का कारोबार किया जाता है वही उत्कृष्ट पशुपालन के द्वारा ही भारत विश्व में पांचवे नंबर का मांस निर्यातक देश है तथा बीफ निर्यात के मामले में तो यह दुनिया में ब्राजील के साथ पहले स्थान पर है। भारत से प्रतिवर्ष 42,50,000 मीट्रिक टन मांस का निर्यात किया जाता है, इसमें अलावा पशुपालन से चमड़ा, ऊन, अंडे,

हवी, आदि अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर आदि से अत्यंत उपजाऊ प्राकृतिक खाद एवं ऊर्जा का विनिर्माण किया जाता है जिसका करोड़ों रुपयों का कारोबार होता है। यह सभी उपलब्धि एवं उत्पाद पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे – मवेशियों की नस्ल, पालन-पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधन इत्यादि में किए गये अनुसंधान एवं उसके प्रचार-प्रसार का परिणाम से है।

पशुपालन व्यवसाय के सफल होने की अत्यधिक संभावना, अत्यधिक लाभार्जन अनुमान, सरकारी अनुदान योजनाएं, एवं जोखिम की कमी होने से नव उद्यमियों लिए पशुपालन व्यवसाय स्वरोजगार का एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है इस व्यवसाय स्वरोजगार की अपार संभावनायें हैं।

समस्या – वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी बनी हुई है क्योंकि जितनी तेज गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस गति से रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो पा रही है इसी कारण वर्तमान समय में हमारे देश में बेरोजगारी एक विकट समस्या बनी हुई है इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता द्वारा स्वरोजगार के रूप में पशुपालन व्यवसाय नव उद्यमियों के लिए स्व रोजगार का बेहतर विकल्प विषय का चयन किया गया है।

समस्या का चयन – देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगारी की विकराल समस्या के कारण आज हमारे देश में सबके लिए रोजगार एक अत्यंत जटिल समस्या बन चुका है इसके समाधान का सबसे बेहतर विकल्प स्वरोजगार ही हो सकता है केंद्र एवं विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा भी बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए स्वरोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है और इसलिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वरोजगार योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शोधकर्ता द्वारा स्वरोजगार के अंतर्गत पशुपालन व्यवसाय को शोध विषय के रूप में चयन किया गया है।

उद्देश्य – प्रत्येक शोध अध्ययन के कुछ न कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं जिनको दृष्टिगत रखते हुए शोध कार्य पूर्ण किया जाता है इसी प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

(i) वर्तमान परिदृश्य में पशुपालन व्यवसाय की स्थिति का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।

(ii) स्वरोजगार के रूप में पशुपालन व्यवसाय का अध्ययन करना।

समंको का संकलन एवं शोध प्रविधि– किसी भी शोध अध्ययन की सफलता उसकी शोध प्रविधि पर निर्भर करती है उपयुक्त विधि द्वारा किए गए शोध कार्य के निष्कर्षों के सही होने की प्रमाणिकता हो जाती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में अवलोकन एवं विश्लेषणात्मक शोध विधि का प्रयोग कर विभिन्न कृषि एवं पशुपालन पर आधारित पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट वेबसाइट, पूर्व शोध अध्ययन तथा कृषि एवं पशुपालन पर आधारित सर्वेक्षणों का विश्लेषण एवं अध्ययन कर समंको का संकलन किया गया है।

परिकल्पना:

(i) स्व- रोजगार के रूप में पशुपालन व्यवसाय एक बेहतर विकल्प है।

(ii) पशुपालन व्यवसाय कम लागत में भी शुरू किया जा सकता है।

पशुपालन के प्रकार – पशुपालन व्यवसाय हमारे देश का पारंपरिक व्यवसाय होने के साथ-साथ आज के युग का आधुनिक स्वरोजगार व्यवसाय भी बन चुका है इस क्षेत्र में सफलता की अपार संभावना एवं जोखिम की कमी हो होने के कारण अनेक उद्यमी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इस व्यवसाय को अपना रहे हैं पशुपालन व्यवसाय अपनी क्षमता अनुसार कम से कम एवं अधिक से अधिक लागत लगाकर प्रारंभ किया जा सकता है हमारे देश में पशुपालन व्यवसाय के अंतर्गत गाय, भैंस पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बत्ख पालन, सुअर पालन, रेशम कीट पालन आदि कार्य किया जाता है जिसमें से नव उद्यमी द्वारा अपनी लागत एवं क्षमता के अनुसार चयन कर पशुपालन व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है।

प्रारंभिक लागत – पशुपालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम से कम एक लाख रुपये या इससे भी कम लागत के साथ शुरू किया जा सकता है नव उद्यमियों द्वारा इस व्यवसाय की शुरुआत न्यूनतम लागत से करके धीरे-धीरे इसमें आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा सकती है कम लागत के पशुपालन व्यवसाय के रूप में देशी मुर्गी पालन, बत्ख पालन, बकरी पालन आदि कार्य किया जा सकता है अर्थात् स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो पशुपालन व्यवसाय न्यूनतम लागत से भी शुरू किया जा सकता है तथा अधिकतम लागत की इसमें कोई सीमा नहीं है।

आवश्यक संसाधन एवं मशीनरी – पशुपालन व्यवसाय आरंभ करने के लिए पशुपालन व्यवसाय के आकार एवं प्रकार के अनुसार सामान्य संसाधनों मशीन उपकरण आदि की आवश्यकता होती है जिसमें मुख्य रूप से पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था विचरण एवं निवास हेतु पर्याप्त स्थान पशुओं के भोजन के लिए भूसा आदि आहार के भंडारण के लिए स्थान तथा अन्य सामान्य संसाधनों की आवश्यकता होती है इन संसाधनों में पशुओं की संख्या के आधार पर कमी वृद्धि की जा सकती है।

देखरेख एवं उपचार – पशुपालन व्यवसाय में पशुओं की देखरेख करने के लिए सदैव किसी व्यक्ति का उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है ताकि समय-समय पर पशुओं की निगरानी, साफ-सफाई, आहार, पानी एवं देख देखरेख की जा सके साथ ही सभी पशुओं को समय-समय पर सभी

आवश्यक टीकाकरण, दवाइयां एवं स्वास्थ्य परीक्षण करवाना भी आवश्यक होता है टीकाकरण दवाइयां एवं स्वास्थ्य परीक्षण में पशुपालन की प्रकृति, आकार एवं प्रकार के अनुसार भिन्नता हो सकती है।

अनुज्ञप्ति या पंजीयन – प्रारंभिक तौर पर पशुपालन व्यवसाय आरंभ करने के लिए किसी प्रकार के अनुज्ञप्ति / लाइसेंस या अनुमति की आवश्यकता नहीं होती किंतु व्यापक स्तर पर पशुपालन व्यवसाय करने के लिए जैसे कि डेयरी फार्मिंग इत्यादि के लिए स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा स्थानीय प्रशासन के प्रचलित नियमों के अनुसार पंजीयन कराया जा सकता है पशुपालन व्यवसाय के लिए कोई विशेष प्रकार की अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होती सामान्य कागजी कार्यवाही पूर्ण करके भी पशुपालन व्यवसाय आरंभ किया जा सकता है।

कर्मचारियों की आवश्यकता – पशुपालन व्यवसाय में पशुओं की संख्या, स्थान एवं आकार के आधार पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जा सकती है छोटे आकार के व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या कम तथा बड़े आकार के व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या अधिक हो सकती है।

शासकीय योजनाएं एवं अनुदान – देश में पशुपालन व्यवसाय में वृद्धि एवं संवर्धन के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही है इसमें मध्यप्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित कुछ महत्वपूर्ण योजनायें निम्नलिखित हैं।

1. राष्ट्रीय पशुधन मिशन – ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास
2. नन्दी शाला योजना (अनुदान पर प्रजनन योग्य देशी वर्णित गौसांड का प्रदाय)
3. समुन्नत पशु प्रजनन योजना (अनुदान पर प्रजनन योग्य पेडीग्रिड मुर्रा सांड का प्रदाय योजना सभी वर्ग के लिए)
4. बैंक ऋण एवं अनुदान पर (10+1) बकरी इकाई का प्रदाय (योजना सभी वर्ग के लिए)
5. अनुदान के आधार पर नर बकरा प्रदाय योजना
6. अनुदान के आधार पर वराह (नर सूकर) प्रदाय (योजना केवल अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के लिए)
7. अनुदान के आधार पर वराह त्रयी (सूकर त्रयी) का प्रदाय (योजना केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राहियों के लिए)
8. अनुदान पर कुक्कुट इकाई का प्रदाय बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 रंगीन चूजों की बैकयार्ड इकाई
9. अनुदान के आधार पर वराह त्रयी (सूकर त्रयी) का प्रदाय योजना केवल अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए)
10. अनुदान पर कडकनाथ चूजे का प्रदाय
11. आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना
12. वत्स पालन प्रोत्साहन योजना
13. गौसेवक प्रशिक्षण (प्रारंभिक एवं रिफ्रेशर)
14. गोपाल पुरस्कार योजना (यह योजना सभी वर्ग के लिए)
15. पशुधन बीमा योजना
16. मैत्री योजना

पशुपालन व्यवसाय में वृद्धि एवं संवर्धन के लिए चलाई जा रही उक्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी पशुपालन विभाग या इनकी होम वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

सावधानियां – पशुपालन व्यवसाय जीवित प्राणियों (पशुओं) का एक

व्यवसाय है इसलिये इस व्यवसाय में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है जिनका वर्णन निम्नानुसार है।

- (i) पशुपालन व्यवसाय के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाना अत्यंत आवश्यक है जहां बारिश के समय में वर्षा जल एकत्रित नहीं होता हो।
- (ii) पशुओं को रखने के स्थान पर नियमित साफ-सफाई करना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा पशुओं में गंभीर बीमारी फैल सकती है तथा पशुधन की हानि का सामना करना पड़ सकता है।
- (iii) पशुपालन व्यवसाय में सभी पशुओं का समय समय पर टीकाकरण स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक दवाइयां पशुओं को देना अत्यंत आवश्यक होता है इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है।
- (iv) पशुपालन व्यवसाय में सबसे बड़ी समस्या पशुओं के आहार की होती है इसलिए पशु आहार के भंडारण की उचित व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
- (v) पशुओं के पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करना भी अत्यंत आवश्यक होता है।
- (vi) एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पशुपालन व्यवसाय से आसपास के क्षेत्र में गंदगी नहीं खेलना चाहिए अन्यथा इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं
- (vii) पशुओं को जहरीले जीव जंतु एवं कीटों से बचा कर रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है।

उपयुक्त सावधानियों के अलावा भी आवश्यकता अनुसार परिस्थितिजन्य सावधानियों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है।

परिकल्पनाओं का परीक्षण – शोध अध्ययन की परिकल्पनाओं के परीक्षण के द्वारा किए गए शोध की सार्थकता सिद्ध की जाती है इसलिए परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाना अति आवश्यक होता है प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पनाओं परीक्षण निम्नानुसार किया गया है।

प्रथम परिकल्पना – स्व-रोजगार के रूप में पशुपालन व्यवसाय एक बेहतर विकल्प है।

परीक्षण – प्रस्तुत शोध के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण यह ज्ञात होता है कि पशुपालन व्यवसाय एक अत्यंत ही लाभकारी एवं कम जोखिम वाला व्यवसाय है जिस आसानी से प्रारंभ कर स्वरोजगार स्थापित किया जा सकता है वर्तमान समय में बढ़ती बेरोजगारी एक विकराल समस्या बनी हुई है जिसके समाधान के लिए नव उद्यमियों द्वारा पशुपालन व्यवसाय को स्वरोजगार के रूप में आसानी से अपनाया जा सकता है।

द्वितीय परिकल्पना – पशुपालन व्यवसाय कम लागत में भी शुरू किया जा सकता है।

परीक्षण – पशुपालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम से कम एक लाख रुपये या इससे भी कम लागत के साथ शुरू किया जा सकता है नव उद्यमियों द्वारा इस व्यवसाय की शुरुआत न्यूनतम लागत से करके धीरे-धीरे इसमें आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा सकती है कम लागत के पशुपालन व्यवसाय के रूप में देशी मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन

आदि कार्य किया जा सकता है।

सुझाव – प्रस्तुत शोध अध्ययन के आधार पर अग्रलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं।

1. बेरोजगार व्यक्तियों को पशुपालन व्यवसाय के रूप में स्वरोजगार की स्थापना कर रोजगार प्राप्त करना चाहिए क्योंकि इस व्यापार में सफलता की अनेक संभावनाएं निहित हैं
2. पशुपालन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एवं पूर्व से इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही उपयुक्त योजनाओं का लाभ लेना चाहिए।
3. पशुपालन व्यवसाय की ओर नव उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए सरकार को व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान परिदृश्य में पशुपालन व्यवसाय ने अपने परंपरागत रूप को विस्तारित कर आधुनिक स्वरोजगार व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आज अनेक नव उद्यमी पशुपालन व्यवसाय को स्वरोजगार के रूप में अपना रहे हैं सफलता की अपार संभावना संभावनाएं एवं जोखिम की कमी होने के कारण यह व्यवसाय नव उद्यमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पशुपालन व्यवसाय के विस्तार एवं संवर्धन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका वर्णन प्रस्तुत शोध अध्ययन में किया गया है जिनका लाभ अपनी पात्रता अनुसार प्राप्त कर पशुपालन व्यवसाय को विस्तारित किया जा सकता है। पशुओं से प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त उपजाऊ खाद आदि से लाभार्जन की अत्यधिक संभावना के कारण आज अनेक नए उद्यमी इस व्यवसाय को स्वरोजगार के रूप में अपना रहे हैं बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान के विकल्प के रूप में भी पशुपालन व्यवसाय को अपनाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. परिचालन मार्गदर्शिका, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, भारत सरकार मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जुलाई 2021
2. प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2020-21, मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग
3. म. प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, मध्य प्रदेश, पशुधन विकास निती
4. पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वेबसाइट – www.mpdah.gov.in
5. गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की वेबसाइट – www.gopalanboard.mp.gov.in
6. www.vivacepanorama.com@animal&husbandry & in&india
7. www-janjwar.com@post@in&modi&raj&india&become&number&one&country&in&beef&eUport12825 17 ebZ 2019

बाल अपचारिता संविधिक एवं न्यायिक दृष्टिकोण

डॉ. जाकिर खॉन *

* सांदीपनि विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - सामान्य आपराधिक विषयो के विपरित बाल अपराधों के विषय में विश्व के सभी धर्मों के प्राचीन धर्मग्रन्थों में किसी प्रकार का विशेष उल्लेख नहीं मिलता है, जिसका अर्थ स्पष्टतः यह लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में बाल अपराधों / बाल-व्यवहार द्वारा किये जाने वाले अपराधों / अपकृत्यों की संख्या अत्यधिक न्यून होती थी एवं जितने भी बाल अपराध होते थे उस हेतु बालक के माता-पिता / संरक्षक को दायी माना जाता था। पिछली दो तीन शताब्दियों में यूरोपियन देशों के साथ-साथ विश्व के लगभग सभी देशों में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होती रही, महगाई की मार से बचने हेतु पिता के साथ-साथ माता भी आयु अर्जन हेतु घर से बाहर जाने लगी, संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवारों की संख्या एवं कल-कारखानों के आस-पास मजदूर बस्ती बढने, कारखानों में कम आयु के बच्चों द्वारा सहकर्मियों दूसरे व्यक्तियों के साथ कार्य करने, उनसे कार्य सिखने के साथ-साथ बच्चों द्वारा अपने सहकर्मियों के दुर्गुणों को / आपराधिक गुणों को भी ग्रहण किया जाने लगा। उक्त सभी बातों का परिणाम बाल अपराध (जिसे विधिक भाषा में अपराध से भिन्न बाल अपचार नाम दिया गया है) के रूप में अब एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सम्पूर्ण विश्व के समक्ष उपस्थित है।

विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ मोबाईल का युग प्रारम्भ होते ही बाल अपराधों की / बाल अपराधियों की संख्या में बेहताशा वृद्धि होना आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि किशोरावस्था में अपने आसपास की नही बल्कि सम्पूर्ण विश्व की हर विषय की जानकारी प्राप्त करने हेतु उसे केवल एक बटन ही तो दबाना है अर्थात् एक विलक ही तो करना है। सभी धर्मशास्त्री, समाजशास्त्री, बुद्धिजीवी यह मानते हैं कि किशोरावस्था वह तैयार गीली मिटटी है जिसे मनचाहा रूप प्रदान किया जा सकता है। अपराध के क्षेत्र में इसे दुसरे रूप में यह कहा जा सकता है कि किशोरावस्था वहा गरम लोहा है जिसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। यदि वह गीली मिटटी या गरम लौहा परिवार के बुजुर्गों के या समाज के अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तो उससे जो बर्तन बनेगा वह सुसभ्य समाज का एक महत्वपूर्ण अंग का निर्माण करेगा या उस गरम लौहे से जो भी हथियार बनेगा वह समाज का, राष्ट्र का, सम्पूर्ण मानवता की रक्षा का कार्य भी कर सकेगा।

बाल अपचारिता का अर्थ एवं परिभाषा - किशोर न्याय अधिनियम 1986 में शब्द 'किशोर अपचारी' प्रयुक्त किया गया है। धारा 2 (ड) में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है।

'अपचारी किशोर से ऐसा किशोर अभिप्रेत है जिसके बारे में यह ठहराया गया है कि उसने अपराध किया है।'

किशोर-न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 में 'विधि विवादित किशोर' प्रयुक्त किया गया है। धारा 2 (ठ) में इसकी परिभाषा इस प्रकार की गई है।

'विधि-विवादित किशोर से वह किशोर अभिप्रेत है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि उसने कोई अपराध किया है।' जिसे हम सामान्यतः आरोपी कहते हैं।

सेठना के अनुसार - 'बाल अपराध के अन्तर्गत किसी ऐसे बालक या तरुण के गलत कार्य आते हैं जो कि सम्बन्धित स्थान के कानून के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंतर्गत आता हो।'

न्यूमेयर के अनुसार - 'एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है।'

इस प्रकार इन परिभाषाओं का सार यह है कि बाल अपराध से अभिप्राय बालको अथवा किशोरो के ऐसे कार्यों से है जो कर्तव्यों की उपेक्षा अथवा उल्लंघन की परिधि में आते हैं तथा जो बालकों के गलत कार्यों में सामान्यतः उदण्डता, शरारत, शैतानी, भिक्षावृत्ति, दुर्व्यवहार आदि आते हैं।

बाल अपचारिता के कारण - वर्तमान में बाल अपचारिता ने एक विश्व-व्यापी समस्या का रूप धारण कर लिया है। किशोर अपचारिता के निवारण के लिये विभिन्न उपचारात्मक प्रयत्नों के बावजूद किशोरो में उदण्डता, हिंसा तथा कानून का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढती जा रही है। हाल ही के कुछ वर्षों में बाल अपचारिता में अपूर्व वृद्धि हुई है। किशोरो में बढती हुई अपचारिता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं - औद्योगिकरण, संयुक्त पारिवारिक विघटन, निर्धनता, अशिक्षा, मीडिया, फैशन-परस्ती, वैवाहिक संबंधों में शिथिलता, अनाथता, अपराधी क्षेत्र, मानसिक हीनता, बाल-श्रमिक तथा बाल अपराध, भगोड़ापन, यौन संबंधी आदतें, राजनीतिक संरक्षण, मोबाईल इंटरनेट।

बालकों के सम्बन्ध में विधिक एवं संवैधानिक प्रावधान - इस विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु मानव जीवन है और यह ईश्वर की देन है मानवों के कुछ ऐसे समूह हैं जो प्रकृति द्वारा अथवा रूढ़ियों के कारण निर्बल होते हैं - यथा बच्चे, महिलाएं, असक्षम व्यक्ति, प्रवासी कर्मचारी अथवा किसी विशिष्ट मूलवंश से सम्बन्धित व्यक्ति। इनके अधिकारों पर अतिक्रमण समाज के प्रबल वर्ग द्वारा समय-समय पर किया जाता रहा है। समाज में उनके

लिए स्थान सुरक्षित करवाने के उद्देश्य से ही हमारे संविधान में उनके लिए विशेष उपबन्ध किये गये हैं ताकि वह भी अन्य व्यक्तियों की तरह गरिमामय जीवन जी सके। ये ये उपबन्ध निम्नलिखित हैं - अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि 'राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।'

बालकों के लिए विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद 15(3) के अनुसार - 'इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।'

अनुच्छेद 21(A) - संविधान के 86 वे संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के पश्चात् एक नया अनुच्छेद 21(A) जोड़ा गया है जो यह उपबन्धित करता है कि 'राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करें कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध करेगा।'

अनुच्छेद 23(1) के अनुसार:

1. मानव का दुर्व्यवहार और बैंगार तथा इसी प्रकार का अन्य बालश्रम प्रतिसिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बालकों की स्थिति के लिए उपबन्ध - संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं एवं बालकों के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यथा

अनुच्छेद 39(F) (4) - बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाये और बालकों एवं अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 45 - राज्य बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।

इस प्रकार उपरोक्त नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण के लिए कई अभिनव व्यवस्थाएं की गई हैं। न्यायालय द्वारा भी समय-समय पर इन नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वयित करने के सार्थक प्रयास किये गये हैं।

बालकों के प्रति मूल कर्तव्य - संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात् एक नया भाग 4 (क) जोड़ा गया है। जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। नये अनुच्छेद 51(A) के अनुसार 6 वर्ष की आयु से 14 के की आयु के बालकों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

सर्वोच्च न्यायालय और बाल अपचारिता:

शीला बर्से बनाम भारत संघ के वाद में न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिये कि तत्संबंध में संविधिक प्रावधानों के होते हुए भी, किशोर अपराधियों को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए तथा किशोर न्याय का लाभ देकर उन्हें किशोरगृह या अन्य किसी सुधार संस्था में रखा जाए।

कडू बनाम हिमाचल प्रदेश इसमें एक 13 साल के लड़के को 2 साल की लड़की के साथ बलात्कार के जर्म में 4 साल का कठोर कारावास दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि की किन्तु उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसको सजा नहीं दी जाये क्योंकि यदि उसे कठोर

दण्ड दिया जायेगा तो वह अन्य अपराधियों के साथ पुनः अपराधी बन जायेगा, अतः उसे सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए।

गोपीनाथ घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि किशोर के प्रकरण में उसे जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए जब तक कि किशोर न्याय बोर्ड को यह युक्तियुक्त आशंका न हो कि इसके परिणाम स्वरूप उस पर विपरित प्रभाव न पड़े और वह अभ्यस्त अपराधियों की संगति में न पड़ जाय या उसे शारीरिक, मानसिक या नैतिक खतरा उत्पन्न न हो जाये। यदि जमानत मंजूर करना न्यायोचित न हो तो उसे संरक्षण गृह में भेजा जाना चाहिए।

बाल अपचारिता के नियंत्रण तथा सुधार हेतु किये गये प्रयत्न - अपचारी किशोरों के सुधार एवं पुनर्वास हेतु किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अनेक प्रकार की संस्थाओं के गठन की व्यवस्था की गई थी। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 में की गई हैं। अन्य देशों की विधियों में भी इस प्रकार की सुधार संस्थाओं का उल्लेख मिलता है।

बोस्टल संस्थायें - अपचारी किशोरों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए स्थापित संस्थाओं में बोस्टल संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। बोस्टल संस्थाओं में अपचारी किशोरों के सुधार एवं पुनर्वास के प्रयास किये जाते हैं। यहा पर उनके आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की समुचित व्यवस्था रहती है किशोरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रयास यह किया जाता है कि बोस्टल संस्थाओं में रहकर अपचारी किशोर अनुशासित एवं अच्छे नागरिक बने।

प्रमाणित विद्यालय - निराश्रित एवं उपेक्षित बाल अपराधियों के सुधार की दिशा में प्रमाणित विद्यालयों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रमाणित विद्यालयों में ऐसे बाल अपराधियों को रखा जाता है। जिन्हें किशोर या बाल न्यायालय संस्थागत उपचार हेतु रखना आवश्यक समझता है। प्रमाणित विद्यालयों में आने से पूर्व ऐसे बाल एवं किशोर अपराधियों को रिमाण्ड गृह में रखा जाता है। प्रमाणित विद्यालयों को मुख्य उद्देश्य है -

1. बाल अपराधियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को तलाशना तथा उनकी पूर्ति के प्रयास करना।
2. उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. परिवार से जोड़े रखना तथा परिवार के साथ सामन्जस्य स्थापित करने का प्रयास करना।
4. पुनर्वास, नौकरी अथवा व्यवसाय तलाशने में सहयोग करना।
5. अनुकूल सामाजिक वातावरण तैयार करने में मदद करना, आदि।

सम्प्रेक्षण गृह - किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 8 में 'सम्प्रेक्षण गृह' के बारे में प्रावधान किया गया है। सम्प्रेक्षण गृहों में ऐसे अपचारी किशोरों को रखा जाता है जो विचाराधीन होते हैं। प्रारम्भतः इन्हें आयु समूह के अनुसार सम्प्रेक्षण गृहों की 'रिसिप्शन यूनिट' में रखा जाता है सम्प्रेक्षण गृहों में किशोरों के पुनर्वास के प्रयासों के साथ-साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने का प्रयास किया जाता है।

किशोर गृह - किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 9 में किशोर गृहों के बारे में प्रावधान किया गया था। सन् 2000 के किशोर न्याय अधिनियम की धारा 34 में इसे बाल गृह नाम दिया गया। इन बाल गृहों में विचाराधीन किशोरों की समुचित देखरेख एवं संरक्षण का प्रबन्ध किया जाता है। बाद में ऐसे अपचारी किशोरों की शिक्षा-दीक्षा, प्रशिक्षण, विकास एवं पुनर्वास के

प्रयास किये जाते हैं।

विशेष गृह- सन 1986 के अधिनियम की धारा 10 एवं 200 के अधिनियम की धारा 9 में विशेष गृहों की व्यवस्था की गई है। इन विशेष गृहों में अपचारी किशोरों अर्थात् विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को रखा जाता है। यहां उनके आवास, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा आदि के समुचित प्रबन्ध होते हैं। सामान्यतः इसमें ऐसे किशोरों को रखा जाता है जिन्हें अन्य संस्थाओं में नहीं रखा जा सकता है।

आश्रय गृह- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 37 आश्रय गृहों की स्थापना का प्रावधान करती है। यह आश्रय गृह अपचारी किशोरों के लिए अविलम्ब सहायता हेतु 'ड्राप इन सेन्टर्स' की तरह कार्य करेंगे।

रिमाण्ड होम- रिमाण्ड होम एक ऐसी मध्यवर्ती सुधार संस्था है जहाँ बाल अपराधियों को गिरफ्तारी के पश्चात् एवं संस्थागत उपचार से पूर्व रखा जाता है। इस अवधि में ऐसे बाल अपराधियों के व्यक्तित्व तथा उनके सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। रिमाण्ड होम मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं।

1. ऐसे रिमाण्ड होम जिनमें विचाराधीन बाल अपराधियों को रखा जाता है।
2. ऐसे रिमाण्ड होम अथवा बन्दीगृह जिनमें हत्या, बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों में लिप्त बाल अपराधियों को रखा जाता है।
3. ऐसे बहुउद्देशीय रिमाण्ड होम जिनमें बाल अपराधियों को सुधार, पुनर्वास एवं सर्वांगीण विकास के लिए रखा जाता है।

निष्कर्ष - यहाँ यह उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा कि अधिकांश किशोर परिस्थितिवश अपचारी बन जाते हैं न कि स्वेच्छा से। अतः यदि उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों तथा वातावरण से दूर रखा जाये या बचाया जा सकता है इस हेतु भारतीय किशोर न्याय प्रशासन में सामाजिक चिकित्सा पद्धति अपनायी जाना श्रेष्ठकर होगा। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन पर आवश्यक निगरानी रखी जाना भी आवश्यक है ताकि इसके अधीन कार्यरत कार्यकर्ता एवं प्राधिकारी अपना दायित्व निष्ठापूर्वक निभाये। बाल अपचारिता के निवारण के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:-

1. बाल अपराधों के निवारण का पहला दायित्व माता-पिता का है। माता

पिता का चाहिए कि वे बालको को पूरा स्नेह एवं प्यार दें, उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करें, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण अवश्य करें, उनकी शिक्षा पर ध्यान दें, परिवार का वातावरण अच्छा रखें, उनके साथ मारपीट व गाली-गलोच नहीं करें।

2. बालकों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन जुटाये जायें ताकि वे बाजारू साहित्य, अश्लील चलचित्र आदि से दूर रहे।
3. विद्यालयों में बालको को चरित्र निर्माण की नैतिक शिक्षा दी जाय, उन्हें सुसंस्कारित किया जाय तथा मानव धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न की जाये।
4. परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाय। परिवार में अत्यधिक भीड़-भीड़ न हो, वातावरण अनैतिक एवं दूषित न हो।
5. अनाथ, उपेक्षित एवं अपचारी बालकों को सुधार गृहों में रखा जाये। वहाँ उनके आवास, भोजन, शिक्षा आदि के समुचित प्रबन्ध किये जायें। उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान किया जायें।
6. उपेक्षित एवं अपचारी बालकों व किशोरों के पुनर्वास का प्रयास किया जाय, उन्हें रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जायें।
7. बालकों को राजनीतिक प्रदूषण (हड़ताल, घेराव, तोड़फोड़) आदि से दूर रखा जायें।
8. अपचारी बालकों को योग्य प्रशिक्षण दिया जाय ताकि उनकी एकाग्र शक्ति दृढ़ हो व स्वच्छ मानसिक तथा शारीरिक विकास हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. ना.वि. परांजपे : अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद
2. डॉ. जयनारायण पाण्डे : भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद
3. डॉ. धर्मवीर महाजन : भारतीय समाज : मुद्दे एवं समस्याएं
4. हर्ष बिहारी श्रीवास्तव : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स इलाहाबाद।

Footnotes:

1. M.J.Sethna, society and the criminal P-315
2. (1986) 3 S.C.C. 596
3. A.I.R. 1989 Patna 217
4. (1984) S.C.C.Cr.478

साइबर आंतकवाद विशेष संदर्भ- डाटा हैकिंग एण्ड ब्लैकमेल कारण एवं निवारण

डॉ. अश्विन लोया *

* नवसंवत् विधि महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध विधि

शोध समस्या चयन- वर्तमान में साइबर आंतकवाद से विश्व समुदाय जुझ रहा है इसलिये शोधार्थी ने शोध समस्या का चयन 'साइबर आंतकवाद:विशेष संदर्भ डाटा हैकिंग एण्ड ब्लैकमेल कारण एवं निवारण' किया है।

शोध तकनीक- शोधार्थी ने शोध तकनीक में सैद्धांतिक मार्ग अपनाया है साइबर जगत के विद्वानों के लेख रिसर्च पेपर, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों को अपने शोध अध्ययन का आधार बनाया है।

उपकल्पना- शोधार्थी ने निम्न उपकल्पनाएँ सृजित की हैं-

1. साइबर आंतकवाद विश्व समुदाय के लिये सबसे बड़ा खतरा है।
2. विश्व व्यवस्था को डाटा हैकिंग से ध्वस्त किया जा सकता है।
3. डाटा हैकिंग कर ब्लैकमेल करना सफेद पोश अपराध का नया उदाहरण है।

उक्त कथनों को शोध के माध्यम से परीक्षण करना है।

शोध क्षेत्र- शोधार्थी ने अपने शोध को साइबर क्राइम विशेषज्ञों, लेखकों की पाठ्य पुस्तकों, समाचार पत्रों तक अपने शोध को सीमित रखा है।

विषय परिचय- दुनिया के सबसे बड़े साइबर हमले ने भारत और यूरोप समेत करीब 100 देशों को अपने चपेट में ले लिया। खबर मिली रही है कि भारत में तो कई एटीएम बंद करने का फैसला लिया है। प्रायः अति संवेदनशील एटीएम बंद किए गए हैं। इस ऐतिहासिक वैश्विक साइबर हमले की चपेट में ब्रिटेन, अमरीका, चीन, रूस, स्पेन, इटली वियतनाम जैसे देश हैं। 'रैनसमवेयर' साइबर हमले होने की बात आई। एक घंटे में 50 लाख ईमेल हैक करने की दर से वायरस ने करोड़ों कम्प्यूटरों की कार्य प्रणाली को ठप्प कर दिया है। इस हमले की भयावहता इससे समझी जा सकती है कि समय के साथ आकड़ों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। इस साइबर हमले को अनूठा माना जा रहा है क्योंकि इसमें 'रैनसमवेयर' को वार्म के काम्बिनेशन में प्रयोग लाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एक कम्प्यूटर में शुरू हुआ संक्रमण स्वतः ही सारे नेटवर्क तक पहुँच जाता है। इसी कारण इस हमले की व्यापकता इतनी ज्यादा है। कैस्पर्सकी लेब के सुरक्षा अनुसंधानकर्ताओं ने शुरुआती कुछ घंटों में ही ब्रिटेन, रूस, यूक्रेन, भारत, चीन, इटली और मिस्र समेत 99 देशों में 45 हजार से अधिक मामले दर्ज किये हैं। स्पेन में दूरसंचार कंपनी टेलीफोनिया समेत बड़ी कंपनियाँ इस हमले का शिकार हुईं सबसे विध्वंसक हमले ब्रिटेन में दर्ज किये गये जहाँ कम्प्यूटर में डेटा पहुँच नहीं होने के कारण

अस्पतालो एवं क्लीनिकों को मजबूरन मरीजों को वापस भेजना पड़ा। दरअसल यहाँ मरीजों का पूरा स्वास्थ्य रिकार्ड, खून की रिपोर्ट, दवाईयाँ आदि कम्प्यूटरों से ही देखा जाता है लेकिन रैनसमवेयर हमले के बाद स्वास्थ्य सेवायें तहस नहस हो गईं। इसके बाद हैकरो ने अमरीकी अंतराष्ट्रीय कूरियर सेवा 'फेडेक्स' के सिस्टम को बंद कर दिया। जैसा कि मैंने बताया रैनसमवेयर एक कम्प्यूटर वायरस है जो कम्प्यूटर फाईल को बर्बाद करने की धमकी देता है कि अगर अपनी फाईलों को बचाना है तो फीस चुकानी होगी।

यह वायरस कम्प्यूटर में मौजूद फाईलों और विडियों को डिक्रिप्ट कर सकता है महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें फिरौती चुकाने के लिये समय सीमा निर्धारित की जाती है यदि समय पर पैसा नहीं चुकाया जाता तो फिरौती की रकम बढ़ जाती है खराब या करप्ट हुये कम्प्यूटर को पुनः सुचारु करने के लिये 300-300 डालर तक की फिरौती मांगी जा रही है। कुछ पीड़ितों ने डिजिटल करेंसी बिटकाइन द्वारा भुगतान भी किया है लेकिन यह अब तक नहीं पता चला कि साइबर हमलावरों को कितना भुगतान किया गया है? गौरतलब है कि बिटकाइन को हैकर फिरौती के तौर पर प्रयोग करते हैं ताकि उन्हें पकड़ा नहीं जा सके। दुनिया भर के देशों में हुये इस वैश्विक साइबर हमले के तार अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के चोरी हुये उपकरण इंटरनल ब्लू को हथियार बनाकर हैकरो ने इस तरह का बड़ा साइबर हमला किया है। इंटरनल ब्लू नामक उपकरण को अमरीका ने आंतकियों और दुश्मनों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले कम्प्यूटरों में सेंध लगाने के लिये विकसित किया था। इस हैकिंग उपकरण को 'शेडो ब्रोकर्स' नामक समूह ने लिंक कर दिया था।

बीते 12 मई 2017 साइबर हमले में इस्तेमाल हुये फिरौती वायरस के कुछ हिस्से इस लिंक से मिलते जुलते हैं। यहाँ साइबर हमला विण्डोज कम्प्यूटरों में हो रहा है और खासकर उसमें जिनमें एक्सपी हैं। माइक्रोसाफ्ट ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट पहले ही बंद कर दिया इसलिये अब माइक्रोसाफ्ट विण्डोज एक्सपी को प्रयोग करना किसी चुनौती से कम नहीं। माइक्रोसाफ्ट ने इस खामी को दूर करने के लिये एक पैच अपडेट किया था लेकिन हैकरो ने इसमें भी सेंध लगा दी। भारत में आंध्रप्रदेश पुलिस नेटवर्क पर प्रभाव पड़ा है। बीते 13 मई 2017 आंध्रप्रदेश के चितूर, गंटूर, विशाखापटनम और श्रीकाकुलम जिलों में पुलिस के कम्प्यूटर ठप्प पड़ गये। आंध्रप्रदेश पुलिस के अनुसार एप्पल आईओएस पर चलने वाले सिस्टम सुरक्षित हैं। इस मामले के मद्देनजर भारत सरकार की इण्डियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिसपॉन्स टीम ने

रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि संवेदनशील संस्थाओं को अलर्ट जारी कर बताया है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। भारत में 70 फीसदी एटीएम में पुराने पड़ चुके विण्डोज़ एक्सपी हैं। जिसका पूरा नियंत्रण उन वेण्डरो पर होता है, जो बैंको को यह सिस्टम देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही विण्डोज़ एक्सपी को सपोर्ट करना बंद कर दिया है इसलिये इन एटीएम के सिस्टम को अपग्रेड करना जरूरी है। इस साइबर हमले से यह स्पष्ट है कि विश्व समुदाय इंटरनेट साधनों का अधिकतम प्रयोग तो कर रहा है पर साइबर सुरक्षा पर अपेक्षानुसार जोर नहीं दे रहा है। ऐसे हमलो को रोकने के लिये विश्वव्यापी प्रयत्न होने चाहिए और इसे तत्काल किया जाना चाहिए। आज साइबर आंतकवाद की समस्या विश्व समुदाय के समक्ष गंभीर रूप से खड़ी है।

साइबर अटैक किसने किया? एक साफ्टवेयर को 14 अप्रैल को एक ग्रुप 'शेडो ब्रोकर्स' ने बनाया और इसे ऑनलाइन डाल दिया। दावा किया गया कि अमेरिकी की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से साइबर अधियार चोरी किया गया।

उत्तर कोरिया से आया था रैसमवेयर- दुनियाभर में खलबली मचाने वाले रैसमवेयर के साइबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ था। यह आशंका साइबर सुरक्षा कंपनी सिनटेक कोर्प और कैम्पस्काई और कैस्सरस्काई लैब ने जताई है। उन्होंने कहा है इस मामले में जांच की जा रही है। दक्षिणकोरियाई साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने फिर हमला होने की चेतावनी जारी की है।

इस बीच, क्रीकहील टेक्नोलॉजीस ने कहा है कि भारत में रैसमवेयर हमले के 48000 मामले पकड़ में हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल के हैं। सियोज की इंटरनेट सिक्योरिटी फार्म हॉरो के निदेशक सिमोन चोई ने बताया कि हाल के साइबर हमले में इस्तेमाल कोड और उन पिछले हमलों में की गई समानताएं देखी गई हैं, जिनका दोषी उत्तर कोरिया को बताया जा रहा है।

केवल विण्डोज़ पर ही अटैक क्यों? - वर्तमान वायरस ने केवल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विण्डोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से चलने वाले सिस्टम पर ही अटैक किया है। इसके पीछे मुख्य कारण विण्डोज़ में चलने वाले एक्सएमपी प्रोटोकॉल का होना है। विण्डोज़ लाख सिक्योरिटी का दावा करें, किन्तु उसके ऐसे सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटर इससे बच गए हैं, क्योंकि वहां दूसरे प्रोटोकॉल का उपयोग होता है।

भारत में सबसे ज्यादा खतरा- भारत में ऐसे वायरस अटैक और हैकिंग का सबसे ज्यादा खतरा है। हैकर्स और सिक्योरिटी विशेषज्ञों के अनुसार भारत की अधिकांश वेबसाइट और कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी का कोई सवाल ही नहीं है। इसे आसानी से भेदा जा सकता है यह बात आम लोगों तक ही नहीं बल्कि यह सरकारी संस्थानों तक भी जा सकती है। बीएसएफ, कैट, युनिवर्सिटीज, कलेक्टोरेट जैसे सरकारी विभाग और अन्य संस्थान खुद को अपडेट भी नहीं करते हैं।

पश्चिम बंगाल के बिजली मंत्री सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने बताया कि बिजली विभाग के 30 केन्द्रों पर 504 कंप्यूटर प्रभावित हुए। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सूरी, बीरभूम जिले के नलहाटी और दार्जिलिंग जिलों के कंप्यूटर प्रभावित हुए। केरल के पेलक्कड़ में दक्षिण रेलवे डिविजन के 23 कंप्यूटर प्रभावित हुए।

आंध्रप्रदेश राज्य चित्तूर, गुंटूर, विषाखापत्तन, श्रीकाकुलम जिलों में 18 पुलिस विभागों के कंप्यूटर ठप्प पड़ गये।

ऐसे हमले पहले कब हुए? - सन् 2003 में याहू का डेटा चोरी हुआ था।

करीब एक अरब अकाउंट्स से डाटा चोरी किया गया था। लेकिन दुनिया के 100 देशों में इस तरह के साइबर अटैक का पहला मामला है।

फिनलैंड की साइबर सिक्योरिटी कंपनी एफ-सिक्योर के चीफ रिसर्च अफसर माइको हाइपोनेन के मुताबिक- 'रैसमवेयर इतिहास का सबसे बड़ा साइबर अटैक है।

क्या है देश में अटैक के कारण:

- भारत में 95 प्रतिशत कंप्यूटर विण्डोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से चलाए जाते हैं।
- भारत में 80 प्रतिशत से ज्यादा कंप्यूटर पाइरेटड सॉफ्टवेयर से चलाए जाते हैं।
- कुल विण्डोज़ कंप्यूटर सिस्टम में से 90 प्रतिशत विण्डोज़-8 या उससे कम वाले वजन में चल रहे हैं।
- वास्तव में ऐसे सिस्टम पर अटैक का ज्यादा खतरा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें अपडेट पर उनका सपोर्ट बंद कर दिया है, जबकि हमारे यहाँ पर विण्डोज़-8 व 7 तो छोड़िए अब भी लो विण्डोज़ एक्सपी पर काम कर रहे हैं।

इनके लिए है रैसमवेयर जैसे वायरस का हमेशा खतरा:

- जो लोग अपने डाटा का बैकअप नहीं रखते हैं।
- जो लोग साइबर एज्युकेटेड नहीं हैं, वे अपने वाली लिंक या अन्य पर क्लिक कर उससे ओपन करते हैं।
- जो ऑन लाइन जागरूकता नहीं रखते हैं, जिससे कभी भी अटैक हो जाता है।
- जो अपने सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट नहीं करते।
- जो साइबर सिक्योरिटी को प्रोटैक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते हैं।
- जो अपनी ऑनलाइन सुरक्षा के लिए किस्मत पर भरोसा करते हैं।
- जिन्हें सुरक्षा के लिए एंटीवायरस पर ही भरोसा होता है, जबकि यह रैसमवेयर जैसे वायरस के लिए अप्रभावी है।

इसलिए होते है किंग से ब्लैकमेल:

- हैकिंग के बाद डाटा में होने से उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा है। लेनदारी कम होने व देनदारियां बढ़ने का खतरा होता है।
- बिजनेस में अकसर लोग सरकार या डिपार्टमेंट से 'छुपी हुई इंफॉर्मेशन' रखते हैं, जिनके सार्वजनिक होने से वह डरते हैं।
- डाटा का बैकअप नहीं रखते हैं, इसलिए ओरिजनल डाटा ही वापस चाहिए होता है।
- साइबर अपराधियों को पता है कि जिसके सिस्टम को हैक लिया गया है वह बिजनेस, लीगल, या सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण कभी भी रिपोर्ट नहीं करेंगे।
- पर्सनल इंफॉर्मेशन भी बिजनेस के साथ रखते हैं, जिससे उसके लीक होने का खतरा होता है।

शोध निष्कर्ष- 'रैसमवेयर मालवेयर'

(अ) यह कंप्यूटर वायरस है जो ई-मेल या किसी लिंक में कोडेड रहता है खोलने पर वायरस कोड सिस्टम में खुद ईस्टॉल हो जाता है।

(ब) वायरस 'ईक्रिप्टेशन की' के जरिये सर्वर व सिस्टम फाईल को लॉक कर देता है और उन्हें बरबाद करने की धमकी देता है।

(स) 'ईक्रिप्टेशन की' के बिना सर्वर और सिस्टम की फाईलों को खोला

नहीं जा सकता हैं।

(द) वायरस धमकी देता है कि फाइलों को बचाना है तो तय वक्त में फ्रीस देनी होगी। नहीं तो वायरस ईमेल से और फैल जाएगा।

शोधार्थी ने शोध के पश्चात्:

1. प्रथम उपकल्पना का परिक्षण किया 'साइबर आंतकवाद, विश्व समुदाय के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं।' इस उपकल्पना को परिक्षण किया जो पाया कि रैनसमवेयर आलवेय से कुछ घंटों में दुनियाभर में 75000 साइबर हमले होने की बात आई। एक घण्टे में 50 लाख ई-मेल हैक करने की दर से वायरस ने करोड़ों कम्प्यूटरों की कार्यप्रणाली को ठप्प कर दिया। इस हमले की भयावहता इससे समझी जा सकती है इससे 'साइबर आंतकवाद विश्व समुदाय के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं।' उपकल्पना सिद्ध पाई गई।

2. दूसरी उपकल्पना 'विश्व व्यवस्था को डाटा हैकिंग से ध्वस्त किया जा सकता हैं।' का परिक्षण किया तो ज्ञात हुआ कि भारत

पं.बंगाल	बिजली विभाग	30 केंद्रों पर	504 कम्प्यूटर प्रभावित
केरल के पलक्कड़ में डिवीजन	दक्षिण रेल्वे		23 कम्प्यूटर प्रभावित
आंध्रप्रदेश राज्य जिला-चितूर, गुंटूर, विशाखापटनम, श्रीकाकुलम आदि में	आंध्रप्रदेश पुलिस	18 पुलिस विभाग	25 प्रतिशत इंटरनेटवर्क 13 मई 2017 को ठप्प पड़ गए।
भारत में	रैनसमवेयर हमले के 48000 मामले पकड़ में आए	भारत, अमेरिका, रूस समेत 150 देशों में	2 लाख से ज्यादा कम्प्यूटर प्रभावित

उपरोक्त खतरनाक आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं कि 'विश्व व्यवस्था को डाटा हैकिंग से ध्वस्त किया जा सकता हैं।' यह परिकल्पना भी सिद्ध हुई।

3. तीसरी उपकल्पना 'डाटा हैकिंग कर ब्लैकमेन करना व्हाइट कॉलर आफेंस का नया उदाहरण हैं।' का परिक्षण करने पर पाया गया कि

खराब या करप्ट हुए कम्प्यूटर को पुनः सुचारु करने के लिए 300-600 डॉलर तक की फिरीती मांगी जा रही हैं। कुछ पीड़ितों ने डिजिटल करेंसी विटकाइन द्वारा भुगतान भी किया है। भारत, रूस, अमेरीका समेत दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में फिरीती के लिए इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ हैं।

इससे स्पष्ट निष्कर्ष निकलता हैं कि डाटा हैकिंग कर ब्लैकमेन करना सिद्ध हुआ एवं सफेदपोष अपराध (व्हाइट कॉलर आफेंस) एक नया उदाहरण जुड़ गया हैं।

सुझाव- कैसे बचें डाटा हैकिंग से-

- अपने कम्प्यूटर पर अधिकृत या लाइसेंसी सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करें।
- आने वाले अनजान ई-मेल या जोखिम पर क्लिक न करें।
- ऑनलाइन डाटा सिक्युरिटी के इंजाम अपने सिस्टम पर रखें।
- अपने सिस्टम पर लेटेस्ट एंटी वायरस डालकर रखें।
- फायर वॉल जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें।

हमेशा अपने डाटा का एक्सटरनल ड्राइव (पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, हार्डडिस्क आदि) में बैकअप करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पत्र-पत्रिकाएँ, टी.वी. चैनल्स एवं पाठ्य पुस्तकें।
2. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

देश के आर्थिक विकास में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान - एक समीक्षात्मक अध्ययन

गोरधन जाटव* डॉ. केशव मणि शर्मा**

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक, शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - प्रस्तुत शोध अध्ययन में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा देश के आर्थिक विकास में दिए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान के विभिन्न पहलुओं के आधार पर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है शोध अध्ययन से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा देश में संचालित सभी प्रकार के उद्योगों में सहायक की भूमिका के रूप में कार्य किया जाता है वर्तमान भारत में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जो ऑटोमोबाइल उद्योग की सेवाओं से अछूता रहा होगा आज प्रत्येक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल उत्पादों के उपयोग से उन्नति एवं तरक्की हो रही है।

साथ ही ऑटोमोबाइल उद्योग के द्वारा देश के लाखों लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपूरणीय योगदान के साथ -साथ भारत की जीडीपी में ऑटोमोबाइल उद्योग 7 प्रतिशत का योगदान देता है इस प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा हमारे देश के आर्थिक विकास में ऑटोमोबाइल उद्योग के योगदान का समीक्षात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी - उदारीकरण, जीडीपी, लाइसेंस, जीएसटी, क्षतिपूर्ति उपकर, आयात शुल्क अभियंता, आउटलेट, विनिर्माण, सेल्स, सर्विस, स्पेयर, डिजाइन, विपणन, ऑटोमोबाइल, महत्वपूर्ण, विश्लेषण, अर्थव्यवस्था, अपूरणीय व्यापकता, दृष्टिकोण, आदि।

प्रस्तावना - किसी भी देश के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उस देश के उद्योग एवं धंधों का रहता है इसमें भी विशेषकर ऐसे उद्योग जो कि अन्य सभी उद्योगों के संचालन में सहायक होते हैं उसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ऑटोमोबाइल उद्योग ऐसा ही एक उद्योग है जो देश के सभी उद्योग एवं अन्य सभी क्षेत्रों के विकास में सहायता प्रदान करता है और देश की जीडीपी में 7 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में आरम्भ से आज तक निरन्तर प्रगति होती आई है इसमें वे सभी कंपनियां शामिल हैं जो बस, ट्रक, कार, ट्रेक्टर, मोटर साइकल, स्कूटर, रक्षा वाहन आदि का विनिर्माण, विक्रय, विपणन का कार्य करती हैं इस क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों में मुख्य रूप से महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स, फॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, हिंदुस्तान मोटर्स, फीयेट, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, बजाज, ऑडी, जेपी मोटर्स, होंडा कार्स आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं।

शोध विषय का चयन - हमारा भारत देश तेजी से एवं निरंतर विकसित होता हुआ देश है और किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण विकास में वहां के सभी क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है किंतु सभी क्षेत्रों के विकास में सहायक एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वह है ऑटोमोबाइल उद्योग का क्षेत्र क्योंकि आज प्रत्येक क्षेत्र अपने क्रियाकलापों के संचालन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोमोबाइल उत्पादों का प्रयोग करता है ऑटोमोबाइल उद्योग की व्यापकता एवं देश के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण शोधकर्ता के द्वारा 'भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग एक समीक्षात्मक अध्ययन' को शोध विषय के रूप में चुना गया है।

उद्देश्य - प्रस्तुत शोध अध्ययन निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में

रखकर किया गया है।

1. भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
2. भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि, समंको का संकलन तथा शोध क्षेत्र - किसी भी शोध कार्य को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों की आवश्यकता होती है जिनके विश्लेषण के आधार पर ही किसी शोध कार्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा परखा सकता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन को पूर्ण करने के लिए विश्लेषणात्मक शोध अध्ययन विधि का प्रयोग कर शोध विषय से संबंधित विभिन्न वेबसाइटों, प्रकाशित शोध पत्र, अप्रकाशित शोधकार्य, सर्वेक्षण रिपोर्ट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, शासकीय एवं अशासकीय प्रकाशन आदि का अध्ययन एवं विश्लेषण कर प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का संकलन किया गया है प्रस्तुत शोध अध्ययन में भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है।

शोध परिकल्पना - प्रस्तुत शोध अध्ययन की निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं।

1. देश के आर्थिक विकास में ऑटोमोबाइल उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है।
2. भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में देश के अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग - भारत तेजी से विकसित होने वाला विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ प्रत्येक क्षेत्र के उद्योग धंधों ने तेजी से विकास किया है भारत में वर्ष 1940 के दशक में

ऑटोमोबाइल उद्योग की शुरुआत हुई थी सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों ने मिलकर ऑटोमोबाइल उद्योग के विकाश एवं विस्तार के लिए कार्य किया वावजूद इसके वर्ष 1950 और 1960 में इस क्षेत्र का धीमी गति से विकास हुआ वर्ष 1970 के बाद स्कूटर, ट्रेक्टर एवं व्यवसायिक वाहनों के विनिर्माण ने कुछ गति पकड़ी किन्तु लगजरी कारों के विनिर्माण का कार्य अभी भी धीमी गति से चल रहा था वर्ष 1980 के दशक में उदारीकरण नीति के परिणाम स्वरूप अनेक जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित कर मोटर सायकल एवं हल्के व्यावसायिक वाहनों का उत्पादन का कार्य पर प्रारम्भ किया भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण और लाइसेंस राज के कमजोर होने से भारतीय एवं अनेक राष्ट्रों की कार कंपनियाँ भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में उतरी तब से आज तक लगातार ऑटोमोबाइल उद्योग में वृद्धि होती रही है।

वर्तमान में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग अत्यंत विस्तृत एवं देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला क्षेत्र बन गया है।

भारत में कार्यरत प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियाँ - भारत में कार्यरत ऑटोमोबाइल कंपनियों में मुख्य रूप से महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, हिंदुस्तान मोटर्स, फीयेट, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, बजाज, ऑडी, जेपी मोटर्स, होंडा कार्स आदि शामिल हैं।

उत्पादन विश्लेषण (वर्ष 2015-16 से 2020-21) - भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक निम्नलिखित सारणी अनुसार उत्पादों का उत्पादन किया है जिसके अवलोकन एवं विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने विगत 5 वर्षों में निरंतर उत्पादन में वृद्धि की है।

सारणी - 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

घरेलू विक्रय प्रदर्शन - भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक निम्नलिखित सारणी अनुसार उत्पादों का घरेलू विक्रय किया गया है जिसके अवलोकन एवं विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने विगत 5 वर्षों में निरंतर घरेलू विक्रय में वृद्धि दर्ज की है किन्तु वर्ष 2019-20 में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई है।

सारणी - 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

ऑटोमोबाइल उद्योग पर लगने वाले कर - ऑटोमोबाइल उद्योग के विभिन्न उत्पादों पर भिन्न-भिन्न दरों से कर लगाया जाता है जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है और देश का आर्थिक विकास होता है हमारे देश ने 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अपनाया है ऑटोमोबाइल उद्योग के विभिन्न उत्पादों पर पर लगनेवाले करों एवं उनकी दरों का विवरण निम्नानुसार सारणी - 4, 5 एवं 6 में किया गया है जिनका अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ऑटोमोबाइल उद्योग से करों के रूप में सरकार को अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती है।

सारणी - 3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी - 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी - 5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

ऑटोमोबाइल उद्योग में रोजगार के अवसर - भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में आरम्भ से लेकर आज तक निरंतर परिवर्तन एवं उन्नति होती आई

है परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल उद्योग में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ नए रोजगार भी सृजित हुए हैं वर्तमान में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में हेल्पर, से लेकर उच्च प्रशिक्षित प्रबन्धक, अभियंताओं, कार्यालयीन स्टाफ आदि के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं एवं अवसर हैं।

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग एक अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र है यह उद्योग जितना अधिक विस्तृत एवं व्यापक है उतना ही अधिक व्यवस्थित एवं विस्तृत नेटवर्क में फैला हुआ है ऑटोमोबाइल उद्योग के सेल्स एवं सर्विस आउटलेट छोटे- छोटे कस्बे से लेकर बड़े- बड़े महानगरों तक सुनियोजित ढंग से फैले हुए हैं जो छोटे शहरों से लेकर बड़े- बड़े महानगर तक के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करते हैं भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के अंतर्गत इसके उप विभागों के रूप में विनिर्माण, सेल्स, सर्विस, स्पेयर और सेप्टी आदि सम्मिलित हैं इन सभी उप विभागों सहित ऑटोमोबाइल उद्योग में लाखों लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार की प्राप्ति होती है।

ऑटोमोबाइल उद्योग में रोजगार के अवसरों को मुखतः चार शाखाओं में बाटा जा सकता है- डिजाइन, विकास, विनिर्माण एवं विपणन।

डिजाइन शाखा के अंतर्गत ऑटोमोबाइल वाहनो या पुर्जों का खाका तैयार किया जाता है। विकास शाखा के अंतर्गत खाके का मूल्यांकन किया जाता है और विनिर्माण इंजीनियरों शाखा का संबंध वाहन के विनिर्माण या उत्पादन के साथ है तथा विपणन शाखा का कार्य विनिर्मित उत्पादों के विपणन एवं विक्रय का कार्य किया जाता है। इस प्रकार एक ऑटोमोबाइल उद्योग में चार प्रकार की शाखाओं में अपार रोजगार के अवसर होते हैं।

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के लगभग 37 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है इस प्रकार यह क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों में से एक है।

परिकल्पना परीक्षण - किसी भी शोध कार्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य परिकल्पनाओं का निर्धारण एवं इनकी पुष्टि या परीक्षण करना होता है जिसके आधार पर ही शोध कार्य की सार्थकता सिद्ध मानी जाती है या यून कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शोध परिकल्पना एवं परिकल्पनाओं की पुष्टि ही शोध कार्य की आत्मा होती है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध कार्य की परी कल्पनाओं की परीक्षण करना अत्यावश्यक है इसलिए प्रस्तुत शोध कार्य की परिकल्पनाओं का परीक्षण निम्नानुसार किया गया है।

प्रस्तुत शोध की प्रथम परिकल्पना - देश के आर्थिक विकास में ऑटोमोबाइल उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है।

परीक्षण - प्रस्तुत शोध कार्य के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि देश के आर्थिक विकास में ऑटोमोबाइल उद्योग का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है देश में संचालित समस्त आर्थिक क्रियाकलापों में ऑटोमोबाइल सेक्टर (उद्योग) का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगात्मक संबंध है फिर चाहे वह देश के औद्योगिक विकास की बात हो या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि या व्यापार सभी क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों जैसे कि ऑटोमोबाइल व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत वाहन आदि का प्रयोग किया जाता है जिनके उपयोग के बिना देश में उक्त किसी भी क्षेत्र का सुगम संचालन संभव नहीं है वही ऑटोमोबाइल उद्योग देश की अर्थव्यवस्था एवं जीडीपी में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि देश के आर्थिक विकास में ऑटोमोबाइल उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है इस प्रकार हमारी पहली

परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

प्रस्तुत शोध कार्य की द्वितीय परिकल्पना – भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग देश के अनेक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

परीक्षण – प्रस्तुत शोध के अध्ययन एवं विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग वृहत क्षेत्र में फैला हुआ एक अत्यंत व्यापक उद्योग है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के लगभग 37 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है इस उद्योग अंतर्गत प्रबंधन उत्पादन विपणन, विज्ञापन सेवा तथा तकनीक आदि क्षेत्र भी शामिल हैं जिनमें अशिक्षित से लेकर उच्चतम शिक्षित तथा अकुशल से लेकर उच्च कुशल तक सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए रोजगार के अपार अवसर विद्यमान हैं जहाँ वर्तमान में भारत के निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के 37 मिलियन लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो रही है इस प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन की हमारी यह परिकल्पना भी सत्य सिद्ध होती है।

सुझाव – प्रस्तुत शोध अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं

1. ऑटोमोबाइल सर्विस सेक्टर देश का एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है जिसका देश के आर्थिक विकास में सीधा योगदान है सरकार को नवीन सरल योजनाएं बनाकर नए उद्यमियों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहिए।
2. रोजगार के क्षेत्र में बढ़ती प्रतियोगिताओं के युग में बेरोजगार युवाओं को ऑटोमोबाइल उद्योग में रोजगार तलाश करना चाहिए या इसे रोजगार के अवसर के रूप में अपनाना चाहिये।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग एक अत्यंत व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ वृहद् उद्योग है जो देश के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है ऑटोमोबाइल उद्योग के द्वारा उत्पादित ऑटोमोबाइल वाहनों से देश में सड़क मार्ग के द्वारा अन्य उद्योगों के लिए कच्चा एवं तैयार माल के साथ-साथ मानव संसाधनों का परिवहन किया जाता है जिससे देश का समग्र विकास होता है वही ऑटोमोबाइल उद्योग से सरकार को विभिन्न करों के रूप में करोड़ों रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती है तथा देश के लाखों लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी होती है इस प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऑटोमोबाइल उद्योग भारत के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग, रोजगार समाचार, दिनांक 22.08.2012,
2. ऑटोमोबाइल उद्योग में रोजगार के असीम अवसर, इण्डिया हिंदी वाटर पोर्टल।
3. पाटीदार पी.एल, नवीन शोध संसार, वर्ष 2016, अंक- I, पृष्ठ क्र. 84,
4. Annual Report 2019-20, Society of Indian Automobile Manufacturers
5. <https://www.drishtiias.com/hindi/daily&updates/daily&news&analysis/why&is&the&auto&industry&facing&trouble>

सारणी - 1 : वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का उत्पादन विश्लेषण

Production of Indian Automobile Industry FY 2015-16 To 2019-20.					
(Number of Vehicles)					
Category	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Passenger Cars	25,65,970	27,11,911	27,46,658	27,11,160	21,75,242
Utility Vehicles	7,17,809	9,09,555	10,93,346	10,99,780	11,24,973
Vans	1,81,266	1,80,204	1,80,263	2,17,531	1,33,798
Passenger Vehicles	34,65,045	38,01,670	40,20,267	40,28,471	34,34,013
M&HCVs	3,41,287	3,42,761	3,44,592	4,44,356	2,33,979
LCVs	4,45,405	4,67,492	5,50,856	6,68,049	5,18,043
Commercial Vehicles	7,86,692	8,10,253	8,95,448	11,12,405	7,52,022
Three Wheelers	9,34,104	7,83,721	10,22,181	12,68,833	11,33,858
Scooters	52,76,138	59,26,499	71,17,795	70,95,164	60,27,198
Motorcycles	1,28,16,203	1,30,88,208	1,51,67,481	1,64,99,424	1,43,59,418
Mopeds	7,37,886	9,19,032	8,69,562	9,05,189	6,49,678
Two Wheelers	1,88,30,227	1,99,33,739	2,31,54,838	2,44,99,777	2,10,36,294
Quadricycle*	531	1,584	1,713	5,388	6,095
Grand Total	2,40,16,599	2,53,30,967	2,90,94,447	3,09,14,874	2,63,62,282

स्रोत – सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्युफेक्चरर्स की रिपोर्ट के अनुसार

सारणी -2: वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का घरेलू विक्रय विश्लेषण

Domestic Sales of Indian Automobile Industry_FY_2015-16 To 2019-20.					
(Number of Vehicles)					
Category	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Passenger Cars,	20,25,097	21,03,847	21,74,024	22,18,489	16,95,441
Utility Vehicles,	5,86,576	7,61,998	9,22,322	9,41,474	9,46,010
Vans	1,77,535	1,81,737	1,92,235	2,17,426	1,32,124
Passenger Vehicles	27,89,208	30,47,582	32,88,581	33,77,389	27,73,575
M&HCVs	3,02,397	3,02,567	3,40,781	3,90,732	2,24,806
LCVs	3,83,307	4,11,515	5,16,135	6,16,579	4,92,882
Commercial Vehicles	6,85,704	7,14,082	8,56,916	10,07,311	7,17,688
ThreeWheelers	5,38,208	5,11,879	6,35,698	7,01,005	6,36,569
Scooters	50,31,678	56,04,673	67,19,909	67,01,430	55,66,036
Motorcycles	1,07,00,406	1,10,94,547	1,26,20,690	1,35,98,190	1,12,14,640
Mopeds	7,23,767	8,90,518	8,59,518	8,80,227	6,36,940
Total Two Wheelers	1,64,55,851	1,75,89,738	2,02,00,117	2,11,79,847	1,74,17,616
Quadricycle	-	-	-	627	942
Grand Total	2,04,68,971	2,18,63,281	2,49,81,312	2,62,66,179	2,15,46,390

स्रोत - सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्युफेक्चरर्स की रिपोर्ट के अनुसार

सारणी -3 : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का विवरण

Sr.	Tax Type	Vehicle Category	GST Rate
1	GST	Passenger Vehicles (Petrol, Diesel, CNG, Electric Hybrid)/Commercial Vehicles/ Three-wheelers/Two-wheelers)	28%
2	GST	Electric Vehicles	5%

स्रोत - सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्युफेक्चरर्स की रिपोर्ट के अनुसार

सारणी-4: क्षति पूर्ति उपकर (Compensation Cess) का विवरण

Sr.	Vehicle Category	Compensation Cess	Applied Duty
1	Passenger vehicles (petrol, CNG, LPG) <4m in length and <1200cc engine	1%	29%
2	Passenger vehicles (diesel) <4m in length and <1500cc engine	3%	31%
3	Mid-size PVs (>4m in length with <1501cc engine)	17%	45%
4	Large PVs (>4m in length with >1500cc engine)	20%	48%
5	SUVs (>4m in length with >>1500cc engine & >169mm ground clearance)	22%	50%
6	Hybrid vehicles (except small)	15%	43%
7	>350cc two-wheelers	3%	31%
8	10 – 13 seater public transport vehicles	15%	43%

स्रोत - सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्युफेक्चरर्स की रिपोर्ट के अनुसार

सारणी -5: आयात शुल्क का विवरण

Sr.	Criteria / Applicability	Import Duty in %
1	Used car import	125
2	Cars CBUs whose CIF value is more than \$ 40,000or Petrol Engine > 3000 CC or Diesel engine > 2500 CC	100
3	Cars CBUs whose CIF value is less than \$ 40,000and Petrol Engine < 3000 CC and Diesel engine < 2500 CC	60
4	Two-wheeler CBUs	50
5	Commercial Vehicle CBUs (Trucks & Buses)	30
6	CKD containing engine or gearbox or transmission mechanism in pre-assembled form but not mounted on a chassis or a body assembly (Passenger Vehicles)	30
7	CKD containing engine or gearbox or transmission mechanism in pre-assembled form but not mounted on a chassis or a body assembly (Two-wheelers)	25
8	CKD containing engine or gearbox or transmission mechanism in pre-assembled form but not mounted on a chassis or a body assembly (Commercial Vehicles)	25
9	CKD containing engine, gearbox and transmission mechanism not in a pre-assembled condition	15

स्रोत - सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेन्युफेक्चरर्स की रिपोर्ट के अनुसार

Long Journey for Little Feet: Forcibly Displaced Young Migrants and Refugees

Dr. Anukriti Mishra*

*Assistant Professor, School of Law, Amity University, Raipur (C.G.) INDIA

Abstract - With nearly 80 million forcibly displaced persons across the world the issue has directly or indirectly affected every country. In this large number of refugees or internally displaced young migrants or children are especially vulnerable. The reasons for forcible displacement now include environmental displacement, internal conflict and violation of human rights along with the causes covered in refugee convention and 1967 protocol. Considering the massive scale of displacement the problems of displaced persons and the host states are manifold during pandemic COVID 19. The struggles of migrants and refugees for basic necessities like soap, water etc. and lack of other measures for preventing COVID 19 is potentially a disaster in making. The research paper has covered new problems being faced by displaced children during transit to reaching host state and even after that. Invisible hardships like change of role in family from child to bread winner, victim of human trafficking, loss of education amongst others are discussed in the paper.

Acknowledging it Global Compact of United Nations was forwarded to states involving non-governmental organizations and even private entity. The role of non-binding instrument focusing on child refugee and migrants is highlighted and conclusion and suggestion are provided.

Key words- forced displacement, children.

Introduction - The idea of leaving all that is known behind, safe and secure habitual place of residence is a heartbreaking task for a fully grown mature person, the impact of the same is magnified for young refugees.

The difficulty of displaced children starts from various reasons like conflicts, violation of human rights, natural disaster, discrimination, climate change, no access to services, education etc. Such forced movement can be with or without parents or guardian¹. They are known as unaccompanied forcibly displaced, when a minor is travelling alone without caretaker.

The record of forcibly displaced has presented extremely daunting future. The forcibly displaced person's figures have increased to 1% of the global population.²

Forcibly displaced include refugees who have left their habitual place of residence and crossed the territorial boundary of their state due to fear of persecution. Another category belongs to Internally displaced persons (IDPs), those who have left their homes but are displaced within the boundaries of the state.

The certain reasons behind forced displacement are enumerated in the 1951 Convention Relating Status of Refugee considering post World War II. Currently insurgencies, armed conflicts, violation of human rights, climate change and terrorism are prominent reasons behind

forcible displacement may it be other territory or within territory.

In this research the cause of children refugees or internally displaced persons (herein after young displaced) ranging from violation of human rights, recruitment in illegal outfits like gangs or terrorist groups, climate change environmental crisis like disasters, global warming and another children specific cause of flights being orphan is highlighted.

Journey - The hardships of young displaced child start from the journey itself. The plight of refugee involves long journey in really tough conditions can be through dessert, jungle, mountains or in unworthy boat. These conditions are way beyond their skill and training to handle such situation.

The young displaced are also vulnerable to physical abuse by adults or elders displaced children. Abduction, human trafficking, drug smuggler or prostitution rings leads to increasing figures of missing children.

Worldwide, 52 per cent of migrant children and over 90 per cent of displaced children live in low and middle-income countries where health systems have been overwhelmed and under capacity for protracted periods of time.³ Hunger, loneliness, isolation or detention in centers leaves deep scars on the mind of young displaced.⁴

Hardship faced on reaching Host state: The plight of

young refugees continues even after reaching host state as most of them do not have proper documents like identity cards with them. The asylum seeker form and other documents requirement are not made considering children in mind. The language and formalities are scary for children and fear of being sent back make the young refugees fearful to approach authority.⁵ Problem compounds when the minor is unaccompanied.

Currently the figures of internally displaced persons are consistently rising bow being more than refugees. 40 % of displaced persons are children. Nearly 80 million people around the world have been forced to flee their homes. Among them are nearly 26 million refugees are under the age of 18.⁶

Hostile attitude of states: The host states have developed hostile attitude towards displaced, swelling numbers of displaced persons are a matter of concern. Host states on many occasions send back young displaced due to lack of document or other grounds.

Unreasonable demand on part of host states to provide the requisite document or plead asylum in different country from young displaced often leads to labeling them as undocumented, illegal or irregular' before sending back violating *jus cogen* principle of *non refoulement*. According to principle in international a person cannot be sent back to the place from where he fled due to fear of life and liberty. The countries coined the arrival of minor refugees as 'surge' or crisis and has becomes a ground to enforce policies to detain or deport the children or to stop their arrival in transit countries. Such intervention to stop the flows is already placed in EU and USA.⁷

For an unaccompanied refugee child complex immigration and legal system can be bewildering and many end-up spending months or years waiting for their fate decided whether to stay or deported.

Problems of young refugees get maximize as many times they become responsible for others in the family. The steep change in family structure creates burden for children. Instead of learning in schools they end up becoming bread winner for the other family members.⁸

Pandemic COVID 19: The Pandemic COVID 19 (herein after COVID) had affected almost each and every aspect of human life around the world. Due to unprecedented problem of Pandemic the national and international organizations have to divert their funds to tackle the urgent threat to life.

COVID has led to global recession and has negatively affected individual contribution for the cause for displaced persons assistant.

Since outbreak of COVID the host-states specifically heavily populated have prioritized their population over refugees for access testing facility or medical assistant. The refugee camps are generally established away from urban areas and hospital making their life more vulnerable Other difficulties like lock down the entire world is facing

economic downturn exacerbating the problem of children on the move. They are on the edge and the fight to survive and receive basic necessity like food has become herculean task.⁹

The major issue that is faced by forcibly displaced during COVID is lack of access to water soap, medicines which are vital necessity for survival. To aggravate the problem the social distancing is not followed in refugee camps.

With increasing of number of COVID positive cases 167 countries have partially or fully closed their borders. 57 states have made no exception for asylum seekers. Many countries have returned or deported the children to country of origin due to COVID scares¹⁰

The pandemic COVID is being used as an excuse for hostile states to return children. Countries have returned children back to country of origin against *non refoulement* principle and risked their lives by exposing them to COVID, kidnapping and other forms of violence.¹¹ COVID does not discriminate but the states are struggling to provide basics to nationals or citizens conveniently forget about refugees and asylum seekers.

Legal aspects: The 1951 Convention is the primary convention governing status of refugees. Art 1 A (2) of convention does not specifically recognize children as separate category. The convention can be said as adult focused and was not age sensitive did not recognize fear from child's perspective.¹²

The children remained invisible for the world community for long time, later some attempts of recognition albeit non-binding was made. In 1930 administrative approach "Kider transport" to deal with child refugee was made¹³

Convention on Right of Child 1989 provides rights to children. Under Art 22 rights of child or young person who have left their country of origin to escape was persecution of war or natural disaster is recognized. Allow right to appropriate protection as to health, education and housing¹⁴ Before New York Convention 2016 the rights of unaccompanied children were never acknowledged.

The plight of the children being forcibly displaced is acknowledged by world community and measures to assist the forcibly displace is enumerated in Global Compact 2018 (herein after Compact) a non binding have provided principles to include identification and referral of children, including unaccompanied and separated children, appropriate arrangements for best interest¹⁵ Special help to child below 4 years is to be provided. Programmers taking into account specific vulnerability girls, boys and unaccompanied and separate children¹⁶

Further compact came with promote international legal obligations in relation to rights of child. The Compact was a step towards child sensitivity and uphold principles of child interest in all situations unaccompanied and separated children.

Over the years the pattern of forcibly displaced person

has changed, earlier it chiefly constituted of men but now young displaced are nearly claiming majority among displaced. According to 2018 data child refugee below 18 years of age population constituted 50% of total population of displaced.¹⁷ Along with child refugee there is a significant increase in number of unaccompanied children refugees. The figures available are significantly underestimated.

Conclusion - The world is still struggling with pandemic and still vaccine cannot be administered to claim any kind of relief for the havoc it has left at its wake. The pandemic has left stalled everything however even now the forcible displacement is taking place due to environmental displacement, insurgency and terrorism.

The countries across the world have lockdown their borders are now hostile and not receiving any displaced person. The loss of production activities and economic depression had adversely affected all. The states are in dire need to uplift their economy and the funds for the vulnerable are now only focused on that. The various entities are unwilling to spare funds for forcibly displaced, leaving the children at the mercy of fate.

Refugee forums are dependent on various entities for support are left without funds as they are being diverted for other cause. Nevertheless, the life of vulnerable displaced specifically invisible majority is crucified.

The world community must acknowledge the young displaced persons without and prejudice or discriminations. The daunting fact that the young refugees constitute almost majority of refugees in the world bring the question for the future of new generation and world.

The young displaced must be given opportunity to develop their potential and built on their talents and utilized their energy and projects to make world a better place¹⁸

References :-

1. Children on move <https://ecdpeace.org/work-content/children-move> last visited 10-12-2020
2. Global trends Report 2020 <https://www.unhcr.org/news/press/2020/6/5ee9db2e4/1-cent-humanity-displaced-unhcr-global-trends-report.html> last visited 10-12-2020
3. 2020 MIGRATION POLICY PRACTICE, Vol. X, Number 2, April-June <https://www.unicef.org/media/68761/file> last visited 9-12-2020
4. Kenneth E. Miller, A Perilous Journey: The Plight of Unaccompanied Minors
5. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-refugee-experience/201710/perilous-journey-the-plight-unaccompanied-minors> last visited 9-12-2020
6. Forging strategic partnership how civic organization and lawyer helped unaccompanied children across English channel. Working paper series no.133 Page 4
7. Figures at glance <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html> last visited 9-12-2020
8. *Undocumented and unaccompanied: children of migration in the European Union and the United States* <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2017.1404255> last visited 9-12-2020
9. Unique challenges facing refugee children, <https://www.concernusa.org/story/refugee-children-unique-challenges/> 17.11.2020
10. Policy brief on people on the move, https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf pg 14
11. Supra note 5pg 33
12. Inside look how covid 19 further endanger migrant kids, <https://www.unicefusa.org/stories/inside-look-how-covid-19-further-endangers-migrant-kids-mexico/37904>
13. Jason M. Pobjoy, Child in international refugee laws pg 3
14. Samantha Arnold, Children's Rights and Refugee Law Conceptualising Children Within the Refugee Convention · 2017 Pg 4
15. Ziba Vaghri and others ,Refugee and Asylum-Seeking Children: Interrupted Child Development and Unfulfilled Child Rights, pg 2
16. Global Compact 60 <https://www.unhcr.org/5b3295167.pdf>
17. See id 76
18. Global Trend 2018 <https://www.unhcr.org/globaltrends2018/#:~:text=The%20global%20population%20of%20forcibly,viole%20or%20human%20rights%20violations> last visited. 17.11.2020
19. Supra note 17 , 77

A Study of Personal loan Product of State Bank of India

Amreen Khan* Dr. Bhoj Raj Nalwaya**

*Research Scholar, School of Studies of Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA
** Professor and Head (Commerce) Govt. Rajeev Gandhi P.G. College, Mandsaur (M.P.) INDIA

Abstract - State Bank of India is the oldest and government owned corporation with its headquarter in Mumbai, Maharashtra. It covers one- third share bank sector. It is most trustworthy bank among the people. It offer personal loan to the general public. It is also known as unsecured loan and short term loan because it needs not required collateral securities and reason to disclose of requirement of loan. SBI offer five type of personal which all have different rates of interest. As a research collect the secondary data for research between 2018- 2021. I concluded that there is continuous increase demand of personal loan which are clearly shows in table. The requirement of personal loan with increasing rate of interest is also increase.

Introduction - State bank of India well knows name in banking system. It covers more than one- third market share of banking system and that why it's called elephant bank. It have 45 Crore customers all over because of it vast network. It has 22000 branches, 62617 ATM's and 71968 BC (Business Correspondents) outlet. It is also spread globally with 233 offices in 32 foreign countries. It mainly focuses on customers values. It offers a lot of product and service to the customer. Especially loan segment is very much popular among people because people have a blind trust on them. SBI offer unsecured loan for short term period which know as personal loan. It is generally a small amount for small and multi uses. It fulfills the immediate requirement of customer without discloser of reasons of loan. It will not require any collateral security for taking loan. This loan is believed on credit worthiness of applicant.

Features of personal loan are:

1. Unsecured loan: - it is important of personal that it will not require any collateral security for taking loan. This loan is believed on credit worthiness of applicant.
2. It is generally short in nature approx 1 year to 3 years
3. Personal loan is given for no specific reasons. "Personal loan given for a personal uses". It not describes any reason. It gives for multipurpose use.
4. It requires minimum documentation (paper work) in comparison to other loan.
5. A good repayment track record is mandatory.
6. In personal loan disbursement facility is fast in comparison to other loan
7. Quick loan and pre approved loan and online application of loan faculty are available in personal loan.

Objective of Research :

1. To know the SBI performance of personal product loan

2. To know the consumer perception about the unsecured personal loan of SBI Bank.
3. To study whether the customers are satisfied with their loan product of SBI
4. Analysis the consumer first preference of personal product toward bank.
5. To analysis the increase and decrease in p (personal) segment of SBI over the periods.

Scheme of Personal loan offered by SBI - SBI offer a comprehensive range of personal loan. Type of personal loan scheme (unsecured loan) offered by S.B.I

1. SBI Kavach personal loan- This personal loan started for contingency of Covid 19 treatment of self or family member who are found Covid positive on or after 1st April 2021.
2. SBI pension loan- This pension loan specially featured for pensioned persons. Retirement just got merrier with SBI pension loan. This fund for child marriage, trip, vacation, home renovation etc. it require minimum documentation and low processing fees.
3. SBI Xpress credit- This personal scheme offered by SBI only who have salaried account with SBI. This is offered for any reasons whether it is planned or unplanned get a quick approval and instant disbursal with minimum documentation. It is offered up to 20 lakhs with low interest rate.
4. Pre approved personal loan on YONO- YONO is mobile application for SBI customer for quick transfer, payment of bill, knowing balancing etc. this apps is launched November 2017. With number of customer and though schedule of them SBI give the birth of online platform for their customer to quickly assess their account without visiting their branches. YONO app provides

- existing customer a pre approved personal loan facility.
5. SBI quick personal loans- This scheme is offered by SBI to those who are not maintaining salaried account with SBI. Generally this scheme is not required to be existing customer of SBI. This quick personal loan offered SBI to be open at all with minimum documentation.

Interest rate (see below)

Research Methodology- Research is a well- planned, designed in systematic manner. It involves data collection and analysis of data in systematic manner.

Data Collection –The secondary data of SBI from the annual report 2018 to 2021 shows the p segment means personal loan performance. The reports are clearly shows. The data explain that the demand and requirement of personal loan increased day by day.

S.	Year	Personal loan (in crore)
1.	2018	1,67,126
2.	2019	1,75,583
3.	2020	2,06,067
4.	2021	2,90,610

- Data is taken from the official website of SBI.

Conclusion and suggestive measure – The overall purpose of this study to find effectiveness of personal loan process and performance of SBI. The interest rates are shows increase trend and this data are also affected by Covid- 19 and personal loan requirement of people are increased. People more attract toward personal loan because it is unsecured in nature. It is easily available in comparison to other loan. It requires less of paper work. Thus personal loan are taken at increase trend by the customer specially SBI because it is trust worth bank for customers.

References: –

1. Annual Report of State Bank of India from 2018- 2021
2. C.R Kothari (2004). “ Research Methodology (Method and Techniques) New Age International 2004
3. <https://shodhgangotri.inflibnet.ac.in>
4. <https://www.onlinesbi.com>
5. Danik Bhaskar ‘ 8 July 2021’ “ Increasing personal loan Demand due to Covid 19”
6. Amiya Kumar Bagchi (2006), “Evolution of the State Bank of India”, Penguin/ Portfolio.

Interest rate

year	Kavach personal loan	pension loan	Xpress credit	Pre approved personal loan on YONO	quick personal loans
2018	-	9.3	10.3	9.6	10.85
2019	-	9.2	10.3	9.6	10.85
2020	8.5%	9.6	10.6	10.8	11.25
2021	8.5%	9.6	10.9	12.6	12.85

Yoga: An Ancient Approach for Health and Well-Being

Sachin Verma*

*Research Scholar, Janta Vedic College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

Abstract - Yoga is the main part of ancient Indian culture. The benefits of yoga have been told in the Rigveda. Such a method was developed by the ancient Indian saints which is very useful for the human body and human welfare. Yoga is such a method through which people attain happiness, and prosperity by keeping their body healthy and disease free. The modern age is full of inequalities and complexities. In such a situation, man is not able to pay much attention to his body. Various types of diseases have made the human body their home. Human beings are stressed and worried today. Yoga is such a method that today people are adopting and making their body healthy and living on getting happiness and prosperity and well-being.

Keywords- Yoga, Health, Happiness, Prosperity, Well-being.

Introduction - The word Yoga derived from the Sanskrit word **YUJA**, which means To combine, Yoke or Bind Yoga combines soul and mind with the body Yoga does not consider Human body as a mere machine but as an obsolete combination of self (soul), mind and body. Yoga is a science of physical, mental and spiritual approach by which human beings can achieve harmonious development of health of the body and mind complex. Yoga is the science of life itself. Yoga accepts the life situation as we find it and suggests methods by which we can transcend human limitations. The Indian sage Patanjali is believed to have collated the practice of Yoga into the Yoga sutra nearly 2000 years ago. The sutra is a collection of 295 statements that serves as a philosophical guide book for the Yoga that is practiced today.

Yoga is a thousand-year-old Indian style of knowledge. Thousands of idols are still in authentic form in relation to this in the state of yoga. The word Yoga is mentioned many times in the Bhagavad Gita. Evidence of yoga has been found in some form or the other in Indus Valley, Vedic civilization and Buddhist and Jain philosophy. Among the famous texts of yoga, Yogasutra composed by Patanjali and Yoga Hanyas composed by Vedavyas have special importance. The Yoga Sutra Vritti composed by Nagesh Bhatt is also famous.

The eight limbs of yoga are called Ashtanga, through which the eight dimensions are practiced simultaneously. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Dharana, Dhyana, Pratyahara, Samadhi are considered to be the eight limbs of Yoga. Pranayama has special importance in yoga. Prana means life force and dimension means control over energy. That is, when prana is controlled by some special breathing techniques, it is called pranayama. There are three main

types of Pranayama – Anulom-Vilom, Kapalbhata Pranayama and Bhramari Pranayama.

The air element is central to the existence of life. The breath is the bridge between the mind and the body. which connects the body and the senses. The sky element determines our mental health and the fire element determines our physical temperature. Whereas water carries the chromosomes of life while the earth holds this gross body, maintains it. Ultimately, the merging of these five elements is the completeness of the life-cycle. The balance in all these motivates the revival of life. Reincarnation is the beginning of this continuous process of creation. Here is the life story. A man is born a yogi. Human nature is yoga; So joining and connecting is the behaviour of life. That is the work of yoga. Yoga makes a person's behaviour balanced. Behaviour is directly related to a person's stress level and stress to our mental health. Yoga enhances skill development in us. To work with efficiency in a particular situation is also yoga. Innovation, forethought, skill and better communication - all these are the fruits of yoga. Right presentation of totality is yoga practice. The art of living, the practice of connecting body, mind and emotions with the universal energy, which systematically unites all the elements, is the true yoga-sadhana. Yoga is not a religion. The Yoga Sutra provides a framework for spatial growth and mastery over the physical and mental body (Yoga science: 2004 14-21). In Bhagavad Gita Lord Krishna explains to Arjun the meaning of Yoga as a deliverance from contact with pain and sorrow.

HEALTH - Health is a term that often eludes a comprehensive universal definition and is probably better represented by a series of definitions each relevant to a particular political and social context.

"A State of complete physical, mental, and social well-being not merely the absence of disease infirmity or injury" (WHO, 1946).

- Health is absence of illness.

"The nearest approach to health is a physical and mental state fairly free to discomfort and pain, which permits the person concerned to function as effectively and as long as possible in the environment where chance/choice has placed him from (Dubos, 1978)

"Health is a social and Political issue and above all a fundamental human right (People's charter for health, 2000).

"According to Indian philosophy, the universe consists of five gross elements – earth, water, fire, air and the ethereal part of sky and the same factors constitute the Basic elements of the body. However in a human body life does not depend only on these five bodily components but also on the presence of normally functioning sense organs and the mind and soul. Thus **sushruta** defined the healthy person as follows: he is the healthy man who possesses the balance of body hormones, proper function of all the body elements and who has the pleasant disposition of mind, soul and sense organs" (Valupa, 1975).

Health is a social, economic and political issue and above all a fundamental human right. Inequality, Poverty, exploitation violence, and injustice are at the root of ill-health and the deaths of poor and marginalized people.

According to Ayurveda - A person whose doshas (Vata, Kapha and Pitta) are equal, fire is equal, seven metals are also equal, and stools are also equal, all the activities of the body are working equally, apart from this, the mind, all the senses and the soul are happy. That man is said to be healthy. Here 'sum' means 'balanced' (neither too much nor too little).

According to acharya Charak - The person whose flesh is in the metal of equivalence, whose physical formation is in equivalence, whose senses are strong without fatigue, who cannot be defeated by the force of diseases, whose power of equanimity is increased, whose body is hungry, thirsty, incense, power. Whose body can tolerate exercise, whose digestive power (gastharagni) works in trance, whose old age comes only according to a certain time, in which the anabolic activities of meat etc. Charak is considered healthy.

According to Kaashyap Sahinta - Desire to eat food, i.e., hunger is felt on time, food is properly digested, excreta and air are removed properly, there is lightness and energy in the body, the senses are happy, the mind is always in a happy state, happily Sleeps in the night, wakes up happily in Brahmanuhurta; If you get the benefits of strength, color and age, whose digestive fire is neither more nor less, if you have the above symptoms, then the person is healthy, otherwise he is sick.

Illness - Each society's definition of illness becomes institutionalized within its cultural patterns, so that one

measure of social development is a culture's conception of. In primitive societies illness was defined as an autonomous force or "being," such as an evil spirit, which attacked people and settled within their bodies in order to cause them pain or death. During the Middle Ages illness came to be defined as a punishment for sins, and care of the sick was regarded as religious charity. Today illness is defined as a state or condition of suffering as the result of a disease or sickness. This definition is based upon the modern scientific view that an illness is an abnormal biological affliction or mental disorder with a cause, a characteristic train of symptoms, and a method of treatment.

WELL-BEING - The social, economic, cultural and physical environment in which people live their lives has a significant effect on their health and well-being. Although genetics and personal behaviour play a strong part in deterring and individual health, good health starts where we live, where we work, and learn and where we play.

A contented state of being happy, healthy and prosperous. Well-being can be described as the absence of physical illness, disease and mental distress. Well-being or wellness is a general term for the condition of an individual or group.

Well-being means that in some sense the individual's or group's condition is positive. Well-being refers to diverse and interconnected dimensions of physical, mental and social well-being that extend beyond the traditional definition of health. It includes choices and activities aimed at achieving physical vitality, mental alacrity, social stratification, a sense of accomplishment and personal fulfillment.

Well-being is not just absence of disease and illness. It is a complete combination of a person's physical, mental, emotional and social factors. Well-being is strongly linked to happiness and life satisfaction.

Well-being is not just the absence of ill-being, but the presence of many positive states:

Healthy, trusting and safe relationships with family and peers. A sense of security and satisfaction with our field of study and work. High and positive energy levels to achieve all our goals. A clean, green and sustainable environment. Feelings like balance, confidence, optimism, happiness, love and joy. Feeling of well-being is fundamental to the overall health of an individual, enabling them to successfully overcome difficulties and achieve what they want out of life.

In this stage, we need such a science which can prove to be helpful in providing us physical and mental satisfaction. The only such science is 'Yoga'. Which can play an important role in providing us mental satisfaction with physical health and is playing various ancient texts, The glory of Yoga has been glorified in the epics, Vedas etc. Yoga is the biggest and most important gift to mankind of Vedic period, so in the present material age, the education of yoga is essential for attainment of health and mental

satisfaction. Man is a social animal in which he has to fulfil various needs by living in society. For which it is necessary for a person to be completely (physical and mental) healthy. In the absence of this human life will become just a normal animal life and material. For both these health benefits, man has to accept and adopt some such activities which can contribute in maintaining his health along with the education of righteousness.

In this stage, 'Yoga' appears to be an important and scientific method, by using which man will get both physical and mental peace. Yoga is being adopted today not only in India but all over the world including western countries, that is, western countries are also accepting it after testing it on the basis of scientific knowledge. It is a matter of pride for Indian culture. Therefore, today we have to adopt those activities which we know in the name of yoga asana etc. If you are able to provide such a qualified citizen to the land, then you can be physically and mentally healthy and can provide your maximum support in nation building and can make the new Indian tradition the highest place in the world.

Conclusion - Yoga is essential to change the mind-set of people to prioritize wellbeing and healthy living, especially during these pandemic days. It helps people become aware of what, why and how of an easily adoptable healthy lifestyle through an organized yet open source framework where anyone can pool in their skills, ideas and practices.

Yoga began during a time when the world needed it the most. Personally, I value mental health and mindfulness and believe that it plays a pivotal role in leading a life immersed in awareness aiding us to live our fullest potential. It has helped people pause, reflect, connect and like-minded people. It helped find joy in mayhem and find peace in the current turmoil. Various circles and practices have not only helped as an individual but also brought learnings as a facilitator. Yoga has brought many connections and learnings to peoples for which they are absolutely grateful.

References:-

- Qadeer, Imrana, Kastari Sen and K.P. Mayar 2001:**Public Health and the Poverty of Reforms**, New Delhi, Sage Publications
- Giddens, Anthony1992:**Human Societies**, U.K., Polity Press, pp. 306-320.
- Ahluwalia, Aneeta 1974:**Sociology of Medicine**, A Trend Report in ICSSR, Vol. II, pp. 401-430.
- Mao, John2003:"**Health Problems of the Aged : A Study in Dharampur District, Himachal Pradesh**", **Man in India**, Vol. 83, Nos. 1&2, pp: 227-232.
- Panday, G.D., V.R. Teikey & R.S. Tiwary1966: "Some Aspects of Health Seeking Behaviour in Birhors" **Man in India**, Vol. 79, Nos. 3&4, pp: 291-299.
- Ranga, Sudhir2001:"Problems Towards Health and Family Welfare Programs in India", **IASSI Quarterly**, Vol. 19, No. 3, pp: 92-102.
- Cockerham, W.C,1978:**Medical Sociology**, New Jersey, Prentice-Hall
- Weiss, L. Gregory & Lynne, E. Lonnquist2000: **The Sociology of Health, Healing and Illness**, New Jersey, Prentice-Hall.
- Sharma, R.D. & Hardeep Chahal2003: "Rural Health Care Services and Patient Satisfaction", **Journal of Rural Development**, Vol. 22, No. 3, pp: 363-790
- Pullen, Paull R. and Seffens William S.2018: "Yoga for Heart Failure : A Review and Future Research", **International Journal of Yoga**, Vol. 11, No. 2, pp: 91-98.
- Rocha, K.K.F.2012: "Improvement in Physiological and Psychological Parameters after 6 months of Yoga Practice", **Consciousness and Cognition**, Vol. 21, No. 2, pp: 843-850.
- Harendran, Vivek2005:"Efficacy of Yoga on Pregnancy Outcome", **The Journal of Alternative and Complementary Medicine**, Vol. 11, No. 2, pp: 85-88.
- Ross, Alyson and Thomas Sue 2010: "The Health Benefits of Yoga and Exercise : A Review of Comparison Studies", **The Journal of Alternative and Complementary**, Vol. 16, No. 1, pp: 1-8.
- Glick, Steve2012: "Evaluation of Mental Health Benefits of Yoga in a Secondary School", **The Journal of Behavioral Health and Research**, Vol. 39, No. 1, pp: 80-90.
- Carlson, Linda E. and Daroux Lisa M.2005: "A Pilot Study of Yoga for Breast Cancer Survivors : Physical and Psychological Benefits", **Psycho-Oncology**, Vol. 15, No. 10.
- Streeter, Chrisc2010:"Effects of Yoga Versus Walking on Mood, Anxiety and Brain GABA Levels : A Randomized Controlled MRS Study", **The Journal of Alternative and Complementary Medicine**, Vol. 16, No. 11, pp: 126-131.
- Manna, Indranil 2018:"Effects of Yoga Training on Body Composition and Oxidant – Antioxidant Status Among Health Male", **International Journal of Yoga**, Vol. 11, No. 2, pp: 105-110
- Sweta, K.M. and Pandey Uma2018:"Effects of Mula Bandha Yoga in Mild Grade Pelvic Prolepses : A Randomized Controlled Trail", **International Journal of Yoga**, Vol. 11, No. 2, pp: 116-121.
- Pradhan, Balaram Singh Amit and Nagendra H.R. 2018:"Effect of Yoga on Cardiovascular Variables of Hypertensive Patients : A Comparative Study", **International Journal of Yoga**, Vol. 11, No. 2, pp: 170-174
- Benum, Kristen and Urabel Karianne2018: "Effect of Yoga in Treatment of Eating Disorders", **International Journal of Yoga**, Vol. 11, No. 2, pp: 166-169
- Mahajan, Aarti Sood, Tyagi Sanjay and Gupta S.K. 2018:"Effect of 6 months of Meditation on Blood Sugar, Glycosylated Hemoglobin and Insulin Levels in Patients of Coronary Artery Disease", **International Journal of Yoga**, Vol. 11, No. 2, pp: 122-128.

How to Make Consumers More Protective Through the Consumer Protection Act, 2019

Dr. Ashish Rawal*

*Assistant Professor, Navsmavat Law College, Ujjain (M.P.) INDIA

Introduction - About three decades after consumer Act, 1986 has changed. It has been needed because of the change in business trends and practices in present scenario since with old act protection of consumer rights were not been possible. There are so many new provisions have been introduced to protect consumer right more and more so that they could become more protective. The Act provide for protection of the interests of consumers and for the said purpose to establish authorities for timely and effective administration and settlement disputes for matters connected therewith or incidental thereto. The basic aim of the consumer protection act, 2019 to save the right of the consumers by establishing authorities for timely and effective administration and settlement of consumer disputes. The Consumer Protection Act, 2019 received the President's assent on 9 August 2019 which has replaced the Consumer Protection Act, 1986. The Act aims at protecting and strengthening the rights of the consumers by establishing authorities, imposing strict liabilities and penalties on product manufacturers, electronic service providers, misleading advertisers, and by providing additional settlement of consumer disputes.

Highlights of the Act - In this act a part of the definition has explained widely into 47 definitions some new rules and regulation of business has been introduced in this act, here are the main fact addresses of act studied here.

- The concept of consumer has been generalized to involve individuals in offline or on online purchases thorough electronic means or through teleshopping or direct sales or multi level marketing. A consumer is defined as a person who buys any good for consideration or makes use of a service, it does not involve any individual who obtains a good for commercial purposes across all forms, including, offline and online, through electronic media, teleshopping, multi level marketing or direct sales. As per the act a person is called a consumer who takes advantage of the service and purchases any good for self use. It does not include anyone obtaining good or availing services without consideration.

Right of consumers

Six consumer rights has been defined in the act

- be protected against the marketing of goods, products or services which are hazardous to life and property;
- be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods, products or services;
- be assured, wherever possible, access to a variety of goods, products or services at competitive prices;
- be heard and to be assured that consumers' interests will receive due consideration at appropriate fora;
- seek redressal against unfair trade practice or restrictive trade practices or unscrupulous exploitation of consumers; and
- consumer awareness

Introduction of "e-commerce" and "electronic service provider"

The Act has inserted the definition of "e-commerce" which means buying or selling of goods or services including digital products over digital or electronic network⁴. Section 94 of the Act refers to the prevention of unfair trade practices in e-commerce and direct selling and also deals with protection of interest and rights of consumers.

Further, the Act has also introduced a vital concept of "electronic service provider" which is defined as a person who provides technologies or processes to enable a product seller to engage in advertising or selling goods or services to a consumer and includes any online marketplace or online auction sites⁵. Further, an electronic service provider is now included under the definition of a product seller⁶. These online marketplaces and auction sites can now be held in product liability action under the circumstances as stated in Section 86 of the Act.

Inclusion of the concepts relating to e-commerce along with the prescribed liabilities has broadened the scope of the Act. By including e-commerce within its purview, the Act seeks to protect the rights of the e-consumers and also enables them to proceed against the e-commerce websites in the event of any infringement or violation.

- Central Consumer Protection Authority** - The Act introduces the Central Consumer Protection Authority (CCPA) was established with a view to regular matters,

misleading or false advertisement, unfair trade practices and enforcement of consumer right. the central government will appoint the members of the CCPA. by the central government. The CCPA is a regulatory authority and shall be empowered to impose penalties, recall goods, cause withdrawal of services, provide refunds⁷ and investigate into matters. It shall also be responsible for protecting the rights of consumers as a class and shall further ensure that no person engages in unfair trade practices and that no misleading advertisements are made. The Act provides for establishing an investigation wing which shall be headed by the director general who shall be appointed by the central government for conducting investigations as per the order of the CCPA. Further, the Act also introduces electronic mode for filing complaint for unfair trade practices or false or misleading advertisements to the district collector, the commissioner of the regional office or the CCPA.

- **Misleading Advertisements** - The Act has defined the term "misleading advertisement" in relation to any product or service as, "an advertisement which falsely describes the product or service which gives a false guarantee and is likely to mislead the consumer as to the nature substance, quantity or quality of such product or service and conveys an express or implied representation which, if made by the manufacturer or seller or service provider, would constitute an unfair trade practice and shall also include information which is concealed deliberately".

Appeal - An appeal to an order passed by the CCPA on this issue can be filed under the National Commission within a period of 30 days from the date of receipt of such order.

- **Consumer Dispute Redressal Commission** - The Act provides for setting up of a Consumer Dispute Redressal Commission (CDRC), which shall be set up at the district, state and national level (Commissions). The CDRC is empowered to resolve complaints with respect to unfair and restrictive trade practices, defective goods and services, overcharging and goods which are a hazardous to life and safety.

- **Enhanced pecuniary Jurisdiction of the CDRC** - The pecuniary jurisdiction of the Commissions has been enhanced in comparison with the Consumer Protection Act, 1986. The district commission now has the jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration (Consideration) does not exceed INR1 crore. The state commission shall have the jurisdiction to entertain complaints where the Consideration exceeds INR1 crore but does not exceed INR10 crores and the national commission shall have the jurisdiction to entertain complaints where the Consideration paid exceeds INR10 crores. The jurisdiction in which the complaint is to be filed is now based on the value of the goods or services paid unlike in the earlier Act, where it was on value of the goods or services and the compensation, if any, claimed. Further, the Act has inserted a crucial aspect with respect to the jurisdiction of the district commission, i.e., Section

34(2)(d). This section categorically states that the complaint can now also be instituted in a district commission within the local limits of whose jurisdiction the complainant resides or personally works for gain, apart from filing in the jurisdiction where the other side actually or voluntarily resides, or carries on business, or has a branch office or personally works for gain.

- **Mediation** - The Act has introduced a new chapter on mediation as an alternate dispute resolution mechanism, in order to resolve the consumer dispute faster without having to approach the Commissions. The dispute can be resolved either in whole or in parts. Thus, in the event, the mediation is successful, the terms of such agreement shall be reduced into writing accordingly. Where the consumer dispute is settled only in part, the Commission, shall record the settlement of the issues which have been settled, and shall continue to hear the remaining issues involved in the dispute. In the event the mediation is not successful, the respective commission shall within seven days of the receipt of the settlement report, pass a suitable order and dispose the matter accordingly.

- **Product liability** - A key concept on "product liability" has been introduced by the Act wherein a product liability action may be brought by a complainant against a product manufacturer, product service provider or product seller, for any harm caused to the complainant on account of a defective product. The Act provides a breakup of the liabilities of the product manufacturer, product service provider and product seller and also circumstances under which they are not liable.

- **Offences and penalties** - The Act has introduced a separate set of penalties with respect to misleading advertisements, ranging from INR10 lakhs with an imprisonment for up to two years to INR50 lakhs with an imprisonment for up to five years. Any failure to comply with the directions of the CCPA for recall of goods, withdrawal of services shall attract an imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to INR20 lakhs.

Conclusion - The Act is a welcome change in favor of the consumers. It provides them with clearly defined rights and dispute resolution process which may enable them to resolve their grievances on a fast-track basis. Online marketplaces and online auction sites, which have all throughout been included under the purview of an "aggregator", have also been included under the purview of this Act which will place more responsibility on them with respect to the goods and services being sold and provided by them. Apart from establishing authorities at district, state and national level for consumer disputes redressal, the Act also seeks to hold the product manufacturers liable along with the product service providers and product sellers where the rights of the consumer have been infringed due to defects or deficiency in the goods and services proved.

References:-

1. Consumer Protection Act, 2019 kanoon prakashan	3. Law of Torts by R.K. bangia Allahabad Law Agency.
2. Consumer Protection Act, 1986 kanoon prakashan	4. https://egazette.nic.in
	5. https://consumeraffair.nic.in

Effects of Multimedia on teaching learning: A Review

Dr. Sapna Mishra*

*Principal, Mayadevi Institute of Advanced Education, Naghu Khedi, Dewas (M.P.) INDIA

Introduction - The term multimedia by definition means "more than one media". According to Hofstetter (2001), multimedia is the use of computer to present and combine text, graphics, audio and video with links and tools that let the user navigate, interact, create and communicate. In other words, multimedia is the combination of various digital media, into an integrated multi-sensory interactive application or presentation to convey information to an audience. Butcher-Powell, 2005; Damodharan and Rangarajan, (2007). Other than that, interactive is also part of the elements that are required in order to complete interactive communication process through the use of multimedia Jamalludin and Zaidatun (2005).

Originally, a multimedia presentation did not have to be digital for example. Multimedia might have incorporated a slide show for visuals, a tape recorder for audio and an overhead projector for text. But as software and hardware became capable of and adept at handling more than one media, the term multimedia was coined to define computer software 'applications and presentations that utilized more than one media Shelly, Cashman, Gunter and Gunter (2006).

Importance of Multimedia - Basically, the teacher controls the instructional process, The content is delivered to the entire class and the teacher tends to emphasize factual knowledge. In other words, the teacher delivers the lecture content and the students listen to the lecture. Thus, the learning mode tends to be passive and the learners play little part in their learning process. It has been found in most schools and universities by many teachers and students that the conventional lecture approach in classroom is or limited effectiveness in both teaching and learning. In such a lecture, students assume a purely passive role and their concentration fades off after 15-20 minutes, Damodharan and Rangarajan (2007).

In order to solve the problem, multimedia can be effectively used for instructional purposes (Burden and Byrd, 1999). The use of multimedia in teaching and learning will not only maintain students' interest but also make them enjoy learning.

Furthermore, Carinncross and mannin (2001) pointed out multimedia has the potential to create high quality

learning environments. The key elements of multimedia media, user control over the delivery of information, and interactivity can be used to enhance the learning process creating integrated learning environments.

Multimedia-based learning is becoming increasingly popular. While it has limitations and certainly should not be seen as a substitute for face to face interaction, it does have numerous advantages for both teachers and students. For example, the information contained on the internet is unlimited and evolving. It is up to date, inexpensive to obtain and searchable. It also reflects the views of many authors and sources of information. Multimedia can also be highly interactive and engaging through the use of animation. Audio and video files, games and online discussions. All these can be undertaken at any time and at any place and without the need for an outside workshop facilitator Fine J., (2009). As a result, multimedia becomes an imperative tool in teaching and learning process in order to equalize their competency and most importantly to maintain their interest in a classroom. Educational multimedia mostly deals with effects of a screen design. Learner control and navigation, use of feedback, student interactivity, Video and audio elements when developing an effective multimedia package Stemler L.K. (1997).

Synthesis of Multimedia Research - The studies presented in this paper represent a body of work outlining various effects of multimedia on education which can be categorized into two broad categories.

- i. Studies related to Multimedia and Student Learning.
- ii. Studies related to Multimedia and Teacher Efficiency.

i. Studies related to Multimedia and Student Learning - Muddu, V.M. (1978) studies the effectiveness of motion pictures as teaching aids and found that the sound pictures helped the above average students to comprehend the subject matter: learning in lesser time and better retention of what was learnt. Thatte, C.H. (1998) found that Audio-Visual method was found to be significantly more effective than the traditional method in terms of achievement students. Khirwadkar, A. (1999) found that the software package developed by her for class XI students was found to be effective in terms of academic achievements. Zyous. M.M. (1999) developed a computer assisted English

language program and found that it helped the students to learn language in a better way. Kewalramani, G. (2000) conducted a study in instructional and feedback use of television and found that instructions through television was highly significant for the courses. Instruction in schools, The students were found to have favorable reaction to words the computer assisted instructions (CAI). Shinde J. (2002) investigated effectiveness of multimedia CAL package and found that interactivity played major role in enhancing the achievement of the learners learning through CAL. Yadav, K. (2004) found a significant gain in terms of students achievement through IT-enabled instructional package developed by him for English grammar. Desai, B.Y. (2004) developed a multimedia package the multimedia approach. Hiralkumar, M.B. (2005) found that CAL package developed for class VIII students was effective in teaching Sanskrit.

Rathod, J. (2005) students in his experimental research held in 110 students of class VIII and found that the developed IT based instructional package was effective for teaching English grammar. A qualitative study was conducted by Kelly, R.M. & Jones. L.L. (2007) to investigate the effect of molecular level animations on students' explanation and reported that the students have found the animation useful in learning. Keengwe, J. & Anyanwu, L.O. (2007) conducted a study to determine students' perception of instructional integration of computer technology to improve learning. A statistically significant relationship was found between the three predictor variables and the students' perception of the effect of computer technology to improve learning. Cronje & Fouche. (2008) investigated the differences of mental models of learners and designers. The students were selected in a way that reflects three levels (i.e. weak, middle and good) for each gender. The results revealed considerable differences between the mental models of learners and designers. The free navigation of the multimedia learning program helps good students to accelerate their learning, while weak students are lost, Clements, D.H. (2002).

Kara, Y., & Ilyurt. Y.S. (2008) conducted an experimental study to investigate the effects of tutorial and edutainment design of instructional software program and found that using edutainment software program alone significantly changed students' attitudes towards biology. Joush, W.N.H.W. & Jousoff, K. (2009) conducted a study to examine the use of multimedia in teaching and learning process and found that by having a mix of multimedia tools in this process were able to change students' negative mindset towards a subject. Kay (2009) aimed at finding whether gender affects the use of an interactive classroom communication system. The result revealed the male students are more significantly positive than their counterparts female students. Neo, M. & Neo T.K. (2009) studied the students' perceptions in using a multimedia project that was embedded within a constructivist-based learning environment and found that students

demonstrated positive attitudes and perceptions to develop a multimedia project within this learning environment.

Owen, H. & Martin H. (2010) studied that how multimedia for education enhances outcomes and opportunities for learners and practitioners engaged in open, flexible and distance learning and found that multimedia can create quality connections for deep learning, creativity and self-direction, Sankey, M.D., Birch, D. & Gardiner, M.W. (2011) conducted an experiment to measure the impact of multiple representations on learning outcomes, including students' learning performance and engagement and found that students perceive learning resources to assist their comprehension, understanding and retention of contents and to be more interesting and enjoyable to use. Papic, M. & Bester, Janez (2012) examined a study to increase the use of modern ICT in schools and to adopt the formal education system to the new era they found that existing ICT in education, introduced since the beginning of internet, did not bring about desired changes and did not revolutionize the system as many anticipated.

ii. Studies related to Multimedia and Teacher Efficiency -

Keairamani, G. (2000) conducted a study in instructional and feedback use of television and found Goel, Tomar, Khirwadkar, Das and Joshi (2000) conducted a project implementing computer assisted that instructions through television were highly significant for the courses. Yadav, S. (2000) found that software on alphabets and animals enhanced the achievement of class I students. Most of the learner's were found to have positive reaction towards the software. Teachers welcomed the media integrated approach towards teaching-learning process. Muchal, M.K. (2001) studies the effectiveness of instructional strategies in general science and found that video lesson was more effective than printed lesson. Baylor, Amy L. & Donn. R. (2002) examined the impact of seven factors related to school technology on five dependent measures in the areas of teachers' skills, teachers' morale and perceived students' learning and found that teachers incorporated technologies increased their own level of technical competence and morale. Vekaria., V.J. (2002) explored that the teachers and the learners were found to have positive reaction towards the video instruction program which was developed by the investigator. Demetriadis, S. et.al. (2003) studied Greek secondary school teachers' attitudes towards the introduction of ICT in the curriculum. The findings showed that teachers were interested in using ICT to attain a better professional profile.

Athaide, M. (2005) conducted a study to know the effectiveness of the training program conducted by Intel-India for secondary school teachers. She reported that teachers having high commitment to the professional use of computer technology were found to have higher level of application of the Intel training program for teaching their subjects than those having low or moderate levels of commitment. Suntisukwongchote, P. (2006) aimed to test

Fisboughs models of collaboration and investigated the use of email and the internet among science teachers. Findings revealed that most teachers rarely used the internet as a tool for their collaboration. Chanlin, L.J. et.al. (2006) investigated the factored that influence Taiwan teaches use f technology in creative teaching. The research based finding reflect that not only creative teaching environment and personal factors, influenced the integration of computer technology but also social and curricula factors surroundings, teaching and learning issues.

Bhardwaj, V. (2007) conducted a survey to investigate about ICT usage schools of India and found that the tevel of expertise od teachers in using various software and applications was write low. Hollinger etal. (2009) addressed the effects of using simulation to teach complex physiological models to 96 students & they found that the effectiveness of the designed simulator and the conventional text lessons are ewuivalent. Kamat & Shindes (2009) project was based on the results of a test on a number of interactive multimedia package for grade ito IV & concluded that interactive multimedia is much better than traditional educational methods. Gertner, R.T. (2011) conducted a study to examine the effects of of both e-reader devices and textbooks on comprehension and transfer learning. He found that readers of the e-text group were more easily able to identify with the material as it applied to other situations. Nassir, S. Alsmadi, I. Kabi, M.A. & Sharadgah, F. (2012) investigate the impact of utilizing multimedia technology is enhancing or not, the effectiveness of teaching students. And found that those methods can be effective especially for youngsters where they can be motivated by graphics and animations.

Conclusion - The use of multimedia technology has offered an alternative way of delivering instruction. Interactive multimedia learning is a process, rather than a technology , that places new learning potential into the hands of users. Based in this review of past research into the efficacy of multimedia instruction and the diversity of outcomes, there would appear to be ample opportunities for future researches to make significant contributions to the field, The overriding conclusion would be that pedagogy must

drive educational technology usage rather than being driven by it. There may come disappointing and dismal mixed results with some studies indication improvement and a similar number of studied suggesting no improvement over conventional pedagogies. The problem is not with the new technology but with unrealistic great expectations of universal applicability of multimedia to all areas of the educational environment but gradually with adaptation and inclusion of new technology with the conventional ones a more effective and efficient pedagogical system may emerge.

Therefore, what is needed is research that examines the educational environment in which the new technologies frilled superior results and even more importantly to examine those environments where the new technologies wither show no improvement or underperformance over conventional pedagogies. this Will give educators ways to use the multimedia technologies more innovatively and productively.

References :-

1. Athaide, M (2005). A study of the effectiveness of the training program conducatted by Intel india for secondary school teachers. (Doctoral Dissertation, University of Mumbai).
2. Baylor, A.L. & Ritchie, D. (2002). What factors facilities teachers skill, teachers morale and perceived students learning in technology-using classroom. Computers and Education, 39 (4), 395-414.
3. Bhardwaj, V. (2007). ICT usage in 1000 schools of india.
4. Burden P.R. & Byrd, D.M. (1999). Methods for effective teaching (IInd Ed.). Needham heights MA:Allyn & Bacon.
5. Butcher-powell L.R. (2005). Teaching, Learning and multimedia. In S. Mishra & R.C. sharma (eds). Interactive multimedia in education and training. London:Idea group publishing.
6. Cairncross, S. & Mannion, M. (2001). "Interactive multimedia and learning:Realizing the benefits innovation in education and teaching international.

Bio-based Fiber Reinforced Polymer Composites: Ecofriendly Materials

Dr. Avinash Dube* Dr. Kumud Dubey**

*S. N. Govt. P. G. College, Khandwa (M.P.) INDIA
**MLC Govt. Girls P. G. College Khandwa (M.P.) INDIA

Abstract - Fibers with natural origin are a renewable resource and have several advantages associated with them. They impart the composite high specific strength, stiffness and biodegradable. Natural fiber composites show better mechanical and other properties. Applications of these natural composites in various aspects require attention due to their renewability and biodegradability concepts for a safe future of our society.

Key words-Fiber composites, polymer.

Introduction - Fiber is a class of material that is a continuous filament or discrete elongated pieces similar to the length of threads. The two main sources of natural fibers are plants and animals. The major components of plant fibers are cellulose microfibrils, lignin and hemicellulose. The main component of animal based fiber is protein. There has been a growing interest in utilizing fibers as reinforcement to produce composite materials. A typical composite material is a system of materials consisting of two or more material (mixed and bonded) on a macroscopic scale. The polymer composite materials are such materials which provide the ease of processing productivity and cost reduction.

Orientation, moisture absorption, impurities, volume fraction, interfacial adhesion properties etc. play an important role in the determination of mechanical properties of fiber composites. Due to research and development work in modification and treatment methods of natural fibers, utilization of natural fibers has observed a significant growth in various applications. Generally fibers with plants or animal origin used in textile fabric in apparel, home furnishing, paper, medical and hygienic supplies, mattress, carpet backing, insulation mats, tea bags, twin and ropes, brushes, horticultural products, veils etc.

The present study is made to analyze the properties of natural fiber polymer composites and their uses in various aspects because being with values of renewability and biodegradability these products are ecofriendly and must require for sustainable development.

General Characteristics of NFPCs - Natural fibers are obtained from different sources and differ in their structure, moisture content, cell dimensions, chemical composition and also with matrix interaction, so they show different characteristics. Natural fibers include a functional group

named as hydroxyl group which make the fibers hydrophilic. Orientation, moisture absorption, impurities, volume fraction, interfacial adhesion properties etc. play an important role in the determination of mechanical properties of fiber composites. Mechanical properties of PLA (poly lactic acid), epoxy, PP (polypropylene) and polyester matrices can be affected by types of natural fibers.

Natural fiber composites show better mechanical properties than a pure matrix as when jute fibers are added in PLA (poly lactic acid) 75.8% of PLAs tensile strength was improved. Natural fibers are proficient material which can replace the existing synthetic fibers. Modification of material properties has done through chemical treatments of natural fibers which improve the adhesion between the fiber and enhance the mechanical properties of the composites.

Polymerization is the process of joining large number of synthetic molecules together to form a rigid structure. Fiber reinforced plastics have been fabricated by several methods depending upon the shape of components to be manufactured. Some important manufacturing processes are Hand layup, Spray layup, Compression molding, Filament winding and Injection winding.

Table 1.: Physico Mechanical Characteristics of natural Fibers

S.	Fiber	Density (g/cm ³)	Tensile Strength (MPa)	Youngs Modulus (GPa)
1	Cotton	1.51	400	12.00
2	Jute	1.46	400-800	10 -30
3	Hemp	1.48	550-900	70.00
4	Flax	1.40	88-1500	60-80
5	Coir	1.25	220	6.00
6	Ramie	1.50	500	44.00

7	Banana	1.35	355	33.80
8	Silk	1.30 – 1.38	650 -750	16.00
9	Sisal	1.16 – 1.50	511-635	9.40- 15.80
10	Bamboo		615 -862	35.45

Table 2: Tensile Properties of Natural fibers with various matrix:-

S.	Fibre	Matrix	Tensile strength (Mpa)	Tensile Modulus (Mpa)
1	Jute	Polyurethane	59.3	1300
2	Jute	Polyester	45.82	3700
3	Sisal	Polyester	47.10	12900
4	Coir	Polyester	20.40	
5	Hemp	Polyester	32.90	1421
6	Flax	Polyester	61.00	6300
7	Banana	Polyester	57.00	
8	Sisal	Polyester	65.50	1900
9	Bamboo	Polypropylene	26.00 to 41.40	950-1770
10	Bamboo	Polyvinyl Chloride	14.00 to 52.00	1120-3660
11	Bamboo	PLA (Poly Lactic Acid)	25.00 to 30.00	2340
12	Bamboo	Polystyrene	25.00 to 69.00	4000-5000
13	Bamboo	Polyester	30.9	3100

Improvement Modes: Chemical treatment of natural fibers results in a remarkable improvement of the NFPCs. In a review of chemical treatments of natural fibers it was found that treatment is an important factor that has to be considered when processing natural fibers. The fibers lose hydroxyl groups due to different chemical treatment thereby reducing the hydrophilic behavior of the fibers and causing enhancement in mechanical strength as well as dimensional stability of natural fiber reinforced polymer composites. Surface treatment of natural fibers enhanced fiber matrix interfacial bonding, for these purposes different chemicals were used such as alkali, silane, acrylation, benzylation, maleated coupling agents, permanganate, acrylonitrile and acetylation grafting, stearic acid, peroxide, triazine, oleoyl chloride, sodium chloride etc.

It was observed that alkali treatment of banana and epoxy composites gave better properties. Chemical treatment with alkali, acetylation, stearic acid, peroxide and permanganate decreases the dielectric properties of composites due to decrease in hydrophilicity of the composites. The electrical properties of phenol-formaldehyde composites modified with banana fiber showed that the dielectric constant decreased with fiber loading and fiber treatment. The characteristics of natural fiber strengthened composites materials can be improved by joining it with manmade synthetic strands and making it hybrid polymer composite.

Applications: Cellulose, rice straw, rice husk, natural fiber, lignocellulose, paper sludge are renewable sources with many beneficial properties. These materials were used to manufacture composite products such as sound absorbing wooden construction materials, interior of bathrooms, wood decks, window frames, decorative trim, automotive panels. Fiber reinforced polymer composites are often used as structural components that are exposed to extremely high or low heats. These applications include automotive engine components, Aerospace and military products, electronic and circuit board components, oil and gas equipment.

The use of biocomposites makes the car lighter, renders greater resistance to heat, external impact and improves fuel capacity. By Volkswagen, a bioconcept car was configured as a racing car. The parts as the rear hatch, the driver's door and front lid have been produced by eco-friendly materials by compression molding.

Hybrid fibers are used to achieve optimal ratio between the performances and the costs of the fabric. Various chemical compositions, different weights and mechanical properties can be applied within the same fabrics. So a fabric can be designed in the required specification with low cost. Biobased polymer composites gained attention due to their renewability and biodegradability. The advantages are-

1. They contribute to the consumption of Carbon dioxide gas.
2. The amount of the Carbon dioxide emission from burning fibers at the end of their lives is neutral.
3. The low abrasive nature of the fibers makes their processing easier and more recyclable.

Natural fiber polymer composites have greater specific stiffness and specific strength, more resistance to corrosion, better recyclability, large fatigue strength, lower life cycle costs, more impact absorption capacity and have lower toxicity.

Concluding Remark: The natural fibers are introduced to make the composites lighter, so there is an increase in the demand for the commercial use of natural fiber based composites in various sectors. Fiber reinforced polymer composites open up great material potential and form one of the emergent areas in material science that develop awareness for use in various applications with an ecofriendly way.

References :-

1. C. Faissal et al. (2021), Machining Behavior of natural fiber composites. Encyclopedia of materials: composites volume-3, pp 168-185, Science Direct.com.
2. Dai D and Fan M. Brunel University UK, (2014), Woodhead publishing limited, (Wood fibers as reinforcements in natural fiber composites structure, properties, processing and applications. Book- Natural fiber composites materials processes and properties Edited- Alma Hodzic and Robert Shanks.

3. Mohammad L.etal. (2015),A Review on natural fiber Reinforcement polymer composites and its applications. International Journal of Polymer Science (Review Article)
4. Kabir MM.etal (2012), Chemical treatment on plant based natural fiber reinforced polymer composites, an overview composites part B.Engineering Vol.43 no.7 pp 2883-2892.<http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.04.053>
5. Quazi T. H. Shubra etal (2011), Mechanical properties of polypropylene composites: A Review Journal of Thermoplastic Composite Material, pp 1-30.

Online Teaching-Learning: Challenges and Recommendations

Dr. Uma Shrivastava*

*Principal, Govt. College of Teacher Education, Dewas (M.P.) INDIA

Abstract - The Covid19 Pandemic has suddenly impacted in various areas of world, and education is also one of the important areas. Due to corona virus pandemic schools and colleges across India have been closed since middle March 2020.

To continue the teaching learning process for the pupil teachers, other mode of teaching becomes very necessary. When no other option was available, education services of any level shift to new way of teaching learning namely- e-learning or online mode of teaching learning.

All Educational Institutes started online teaching and learning with unplanned and insufficient band width and with lack of preparation, without any training and mentality of the users. Due to these problems faculties and pupil teachers faced many challenges towards online teaching learning.

Present paper explores what kind of attitudes and challenges faced by faculties and pupil teachers during online teaching learning process.

The study involved 296 pupil teachers from five districts and all are government teachers.

In the present study faculties and pupil teachers from different district have been taken. The data was collected with the help of questionnaires constructed by investigator for challenges faced by them.

Major findings of the study revealed that about 79.9% of the pupil teachers are attending online classes for the first time. All involved faculty and learners faced problems like, lack of training, difficulty to assembling all the students for the online classes, technical problems, lack of appropriate devices and resources, lack of family co-operation, lack of internet facilities and connectivity, difficulty to cover the contents according to the syllabus. Major challenges faced by faculties is that pupil teachers do not follow up the learning process opportunity and do not taking it seriously during online classes. Although faculties have positive attitude towards online classes but due to lack of efficacy and training for on line mode of teaching, they feel traditional mode of teaching is better. The key recommendation suggested that faculties and pupil teachers must be equipped first and awareness training programmes on e-learning technology.

Key Words- Covid19, e-learning.

Introduction - Due to COVID-19 and its severe impact, world has taken it very sincerely. Government of many countries have decided to close the educational institutions to stay away children from the spread of COVID-19 pandemic. In this reference Indian government also declared lockdown and closed all educational institutions.

By the end of March 2020 over, 180 countries had closed their educational institutes. In the support of learners Indian Government also took action to continue their education remotely.

Therefore Government has decided an alternate way to continue the education in favour of learners, which is e-learning program. By this program digital education become a viable solution to fill classroom education. This kind of practice becomes a complete revolution in the history of education. Although it was not so easy to impart new method

of teaching for learners as well as teachers, but new learning become more interesting and enjoyable. Using internet connectivity online teaching learning program provides great opportunity in this pandemic period. Digital learning also has many advantages like, learners can learn in their comfort zone, more engagement with no physical boundaries, it is cost effective also but some problems and challenges also faced by them.

Objectives:

1. To study online application used by faculties.
2. To study the usage of online learning by pupil teachers.
3. To study the challenges faced by pupil teachers and faculties during online teaching learning.

Method- In the present study investigator used descriptive survey method. The survey was conducted by the investigator personally to study the challenges faced by

faculties and pupil teachers during online teaching learning process.

Investigator prepared questionnaire for both pupil teachers and faculties. These questionnaires were implemented on both. After implementing data were collected personally. Then tabulating and analysed the data.
Sample- Total 296 pupil teachers (148-148 pupil teachers from both IInd and IVth semester) from Govt. B.Ed. college Dewas have been taken. They all are Govt teachers from Primary, Middle, High and Higher Secondary. Both male and female pupil teachers from these districts have been taken. Pupil teachers are from 05 districts, Dewas, Indore, Dhar, Alirajpur and Jhabua.

Table 1: Sample for the study

S.	Category	IId Semester		IV Semester	
		Male %	Female %	Male %	Female %
1.	Primary School Teacher	43.33	38.66	40	40
2.	Middle School Teacher	10	8	9.3	9.3
3.	High School Teacher	-	-	-	-
4.	Higher Secondary School Teachers	-	-	-	1.3

Statistical analysis - The obtain data were analysed by computing percentage.

Results and interpretation

Objective 1: To study online application used by faculties.

For this objective the survey was done regarding maximum platform used by faculties during online mode of teaching. To study this objective a research question framed and the responses as follows:

Table 2: Platform /Software used by faculties

Platform /Software used	Percentage of responses
WhatsApp	3%
Zoom	82%
Webex	9%
Microsoft team	6%

Above table shows that the maximum faculties 82% used Zoom platform for online teaching although they have not trained previously but they tried, by getting guidance from their colleagues, friends. 9% and 6% faculties also used Webex, Microsoft team simultaneously. Only 3% faculties sometimes used Whatsapp to send notes in pdf formats and sometimes make their own videos of the lessons and share these videos to the pupil teachers.

Objective 2: To study the usage of online learning by pupil teachers.

For this objective survey was done to find out the use of online learning by pupil teachers. There are six research questions were framed and their responses are as follows:

Table 3: The usage of online learning by pupil teachers

Statement of the question	Response	
	Yes	No
Would you like learn by online mode	89.6	10.4
Have you any previous experience to learn by online mode	20.1	79.9
Do you make preparation before joining the online class	45.6	54.4
Do you join the class daily	85.3	14.7
Do you join the full period	61.4	38.6
Do you join all the periods	52.1	47.9

According above table 89.6% pupil teachers like to learn by online mode whereas 85.3% join the class daily. Only 20.1% have previous experience and 45.6% make preparation before joining the online class. 61.4% pupil teachers are like to join full period whereas 52.1% are eager to attend are periods.

The findings of the survey show that 85.3% pupil teachers used online mode for learning.

Objective 3: To study the challenges faced by faculties and pupil teacher's during online teaching learning process.

1. To achieve this objective survey was done to find out the challenges faced by faculties and pupil teachers during online teaching learning process.
2. To study this objective framed research questions and obtained results are as follows:

Table 4.Challenges faced by Faculties

S.	Challenges	Never %	Some-times%	Always %
1.	Technical problems	15.2	55.9	28.9
2.	Lack of resources and materials	28.4	69.6	2.0
3.	Lack of time	65.8	26.1	8.1
4.	Lack of self confidence	84.9	11.3	3.8
5.	Lack of trainings	52.0	46.2	1.8
6.	Problems to online joining with pupil teachers	28.1	64.2	7.7
7.	Lack of Internet facilities	25.1	66.4	8.5
8.	Noise and other disturb ances during teaching learning process	35.8	50.5	13.7
9.	Lack of pupil teacher's Concentration	34.7	61.6	3.7
10.	Pupil teacher's disinterest during online classes	36.9	60.2	2.9
11.	Lack of evaluation of learning speed	31.0	64.5	4.5
12.	Lack of evaluation of writing work	9.3	11.1	79.6

Above table reveal that 15.2% faculty do not face any technical problems, whereas majority of the faculties (55.9%) sometimes faced this challenge and 28.9% always faced this problem. 28.4% faculties do not faced the

problem of resources and materials, but 69.6% reported this challenge is for sometimes, and only 2% mention it is always.

About lack of time 65.8% reported never, whereas 26.1% sometimes and 8.1 always reported. In reference to confidence level 84.9% faculties reported that they never lose their self-confidence, while 11.3% and 3.8% reported they lose their confidence for sometimes and always simultaneously.

Lack of training is not challenge for 52.0%, while 46.2% feels it is required for sometimes and only 1.8% always needed training. In reference to problems to online joining with pupil teachers, 64.2% faculties sometimes faced this problem and 7.7% faculties reported it as always, but rest of 28.1% do not face this challenge.

In reference to lack of internet facilities 25.1% faculties faced no problems, while 66.4% faced sometimes and rest of (8.5%) always faced problems. 13.7% faculties reported that they always faced noise and other disturbances during teaching learning process, while majority of (50.5%) faculties sometimes faced this problem, but 35.8% reported no problem regarding this reference. 3.7% faculties noticed lack of pupil teacher's concentration, whereas majority of (61.6%) noticed it is sometimes and 34.6% reported it's never.

According to 36.9% faculties pupil teachers never show disinterest during online classes, 60.2% faculties reported it is sometimes but only 2.9% faculties reported that pupil teachers always show disinterest during online classes.

During online classes only 4.5% faculties always found lack of evaluation of learning speed, 64.5% found it is sometimes but 31.0% faculties found it is never. Similarly 79.6% found lack of evaluation of writing work is always, 11.1% found it is sometimes and only 9.3% found it is never.

Table 5. Challenges faced by Pupil teachers

S.	Challenges	Never %	Some times%	Always %
1.	Technical problems	6.8%	70.3%	22.9%
2.	Lack of resources and materials	60.3%	21.3%	18.4%
3.	Lack of time	74.2%	15.9%	9.9%
4.	Lack of self confidence	48.7%	29.3%	23%
5.	Lack of trainings	1.0	2.0	97%
6.	Problems to online joining with faculties	33.1	15.2	51.7
7.	Lack of Internet facilities	37.7	13.1	49.2
8.	Noise and other disturbances during teaching learning process	39.1	14.2	46.7
9.	Mentally tired during continuous online classes	40.1	37.2	22.7
10.	Lack of concentration	35.9	61.2	2.9

According to above table only 6.8% pupil teachers do not face any technical problems, but majority of the pupil

teachers (70.3%) sometimes faced this challenge and 22.9% always faced this problem. 60.3% pupil teachers mentioned that they do not faced the problems regarding resources and materials, but 21.3% reported that sometimes they faced this problem, and 18.4% mention that they always faced this problem.

In reference to lack of time 74.2% pupil teachers have no problems, whereas 15.9% have problems for sometimes and always having this problem reported by 9.9% pupil teachers. According to 48.7% pupil teachers, they never lose their self-confidence, while 29.3% and 23% pupil teachers reported problems for sometimes and always simultaneously.

About 97% pupil teachers said they always need training, 2% said they sometimes need and only 1% said they never need training during online classes. 33.1% pupil teachers said that they never faced problems to online joining with faculties, but 51.7% pupil teachers always faced this problem and 15.2% sometimes faced this problem.

Problems related to internet 37.7% pupil teachers never, 13.1% sometimes and 49.2% always faced this problem. During online teaching learning noise and disturbances never faced by 39.1% pupil teachers but 46.7% always faced the problem and 14.2% sometimes faced the problem.

During continuous online classes 40.9% pupil teachers reported they never mentally tired, 37.2% reported sometimes and 22.7% reported they feel always tired during the class. 35.9% pupil teachers reported they never lose their concentration while majority of them (61.2%) sometimes lose their concentration and only 2.9% always lose their concentration during online classes.

Major Findings and Conclusions :

1. In the survey it is found that 89.6% pupil teachers like to learn by online mode but due to lack of previous experience (79.9%), online learning become difficult for the pupil teachers.
2. It is found that majority of faculty and pupil teachers are first time use online classes and they are not too much familiar with software or apps, although these apps are freely available but sometimes they complaint the features of these apps are not supported for online teaching. Maximum 82% Zoom cloud app used by the users.
3. Survey also reveals that majority of faculty and pupil teachers do not feel lack of time and lack of confidence as a challenge to online teaching learning, which shows that they want to use technology in the class room.

But sometimes they face some challenges during online classes which are as follows-

Technical problems, lack of resources and materials, lack of training, lack of internet facilities, problems to online joining with each other, lack of concentration and noise and other disturbances.

Recommendations :

1. This study suggested that participants in online classes should be well equipped and they should have knowledge about resources and materials used by them.
2. For the awareness of e-learning it is recommended some long term and short term training should be arranged for improving the skill and knowledge. For intensive experience in e-learning practice following programme should be organised:
 - a. Seminars/workshop can be facilitated by experts for development of e-learning practices.
 - b. Also organised training programmes, which focuses on how to convert content to an electronic format, how to support and facilitate learners to use this platform for learning.
 - c. Trainings also focuses on the aspect related to online instruction design, multimedia production, making of power point, animation etc.
3. This study also recommends education stakeholders to strengthen factors which lead towards positive attitude and also to work out factor which lead to negative attitude.
4. In order to encourage online teaching learning

Government/Educational institute should also adopt the policy to provide free internet and free digital gadgets to all education stockholders. The gadgets must have latest software updates and antivirus programs.

5. To improve smooth access of connectivity, high speed connectivity should be providing for all users.

References:-

1. Nachimuthu, K and Malathy, T (2020). Attitude towards ICT among B.Ed. Trainees. *Studies in Indian Place Names (SIPN)*, 40(50), 4340-4347.
2. Nachimuthu, (2020), Student Teacher's attitude towards online learning during COVID-19, *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol.29 No.6 (2020), pp 8745-8749.
3. SeemaSareenDr., Anita NangiaDr. Online teaching during COVID19: Attitude and Challenges faced by School Teachers. *International Journal of Disaster Recovery and Business Continuity*, Vol. 11, No. 1 (2020), pp. 3012-3018.
4. <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences>. Adverse consequences of School closure.

Study of Road Rage in Udaipur City, Rajasthan

Dr. Sabiha Khan* Dr. Rashmi Singh**

*Assistant Professor, Department of Geography, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA

**Assistant Professor, Department of Psychology, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - A very great saying is that "Anger gets you into trouble, ego keeps you in trouble." Nowadays cases of road rage are increasing day by day as traffic congestion increases on inadequate road space. A road rage is the negative behavior of the motorists in a traffic situation, which includes rude gestures, physical threats and verbal insults. Dangerous driving methods are also adopted toward another driver or non-drivers in an effort to intimidate or release frustration. This Paper aims to study the road rage in the most congested areas of the city with mixed traffic types. For this research 180 samples have been taken from selected sites of the city for the study. The sampling method used for data collection was Purposive Random sampling. And the rage was measured by DAS scale given by Deffenbacher et al. The independent variables for the study taken were age group, gender and type of vehicle and each was divided into two subgroups. The finding shows significant effect of gender, age group on road rage whereas type of vehicle shows no significant effect on road rage.

Key Words- Road Rage, Stress.

Introduction - Udaipur city is well known as 'City of lakes' and 'Kashmir of Rajasthan'. Udaipur is a tourist city and famous worldwide as one of the most beautiful and romantic cities in the world. City is presently expanding towards the north-east and west along with National Highway No. 8 and National Highway No. 76 respectively. The current metro area population of Udaipur in 2021 is 580,000; Numbers of registered vehicles in Udaipur have been increased from 2, 90,567 in 2010-11 to 5, 71,350 in 2015-16.

Road rage occurs when a driver experiences extreme aggression or anger intending to create or cause physical harm. It is important to note that aggressive driving and road rage are not the same, although aggressive driving contributes to road rage. Road rage is extreme deliberate, unsafe driving that poses an immediate and significant risk to property or another driver. There are common behaviors included in road rage such as rude and inflammatory gestures, profanity hitting, bumping, sideswiping or ramming another vehicle.

Review of Literature:

Wang & Chen (2020) analyzed the road rage cases by illegal use of high beams. Data was obtained from the largest search engine of China named as Baidu (www.baidu.com) and 20 cases reported for the use of illegal high beams were analyzed using qualitative analytical methods. It was found that usually young men were highly involved in such cases. As some of them could not control their rage it resulted in further incidents like chasing other vehicles, scolding drivers, blocking the way of the offender.

Mina, Verma, Balhara, & Hasan (2014) performed a web-based pivot cross-sectional study where male participants between the age of 18-50 years residing in Delhi were randomly selected through Facebook and survey performa was sent via email to assess the road rage while driving among them. For the assessment semi-structured performa, life orientation test-revised (LOT-R) and driving anger scale (DAS) was used. LOT is a psychological instrument that assesses an individual's level of optimism whereas DAS measures the driver's anger level. The data collected was analyzed in SPSS by using ANOVA. It was concluded that road rage was observed least in the presence of policemen while highest in traffic obstruction scenarios. Also, while comparing the scoring of DAS scale it was found that Indians have more road rage than the citizens of US, UK and Australia. Hence in this study no difference was observed on the basis of driving as a profession or years of driving and correlation was found between anger and the external environmental factors.

Sagar, Mehta, & Chugh (2013) performed a descriptive study among the drivers of Delhi aged between 18-50 years. A semi-structured questionnaire was prepared consisting of the information related to driving experience, anger triggers and anger expressions in the past one year. The data collected was analyzed in SPSS and STATA using logistic regression analysis to find out the risk factors related to driving-related anger. This paper concluded that excessive honking, overtaking and playing loud music in one's car are some reasons associated with anger among

drivers which lead to traffic violations, accidents and physical health.

Wickens et. al. (2012) studied various demographic, general variables and risk related factors to assess self report driver aggression and found gender as a potential moderator in driving aggression with various income gaps, psychological distress and driving exposure.

Wickens et.al. (2011) studied the relation of aggressive driving with various age groups and found that the prevalence of the aggressive driving was highest in the younger age group which was 51 percent and middle age group was 37 percent and last is old age group that was 18 percent. It was found that aggression declines with the increasing age.

Burns & Katovich (2003) inspected three major newspapers circulated around eastern, central, and western areas of the United States with the articles consisting of words like road rage and aggressive driving from the duration of May 2, 1985 to May 1, 1999. Based on the articles, they classified road rage into two different categories- related to human behavior and another related to the structure of the environment and concluded that human behavior was responsible for road rage in 71.9% whereas in 28.1% cases external environment was the cause of road rage. Although this study has various limitations as many categories have the possibilities of overlapping like driver's behavior and driver's action.

Hennessy & Wiesensthal (2001) assessed the relationship between driving aggression and gender and found that the same levels of mild driving aggression in both gender groups but violence was more frequent among male drivers.

Objectives:

1. To study the significant effect of gender on road rage.
2. To study the significant effect of age group on road rage.
3. To study the significant effect of types of vehicles on road rage.

Hypothesis:

1. There is no significant effect of gender on road rage.
2. There is no significant effect of age group on road rage.
3. There is no significant effect of type of vehicle on road rage.

Methodology

Independent Variables

A. Age group

- 18- 30 years
- 31- above

B. Gender

- Male
- Female

C. Type of Vehicle

- Two Wheeler
- Four Wheeler

Dependent Variable

• Road Rage

Sampling - Total 240 samples were collected, 30 samples of each subgroup from the decided sites of the city. Purposive random sampling method was used for sample collection. The data were collected from the congested areas of the city having mixed traffic types such as from fatehpura, thokar chouraha, sevashram, udiapole.

Assessment Tool used - The questionnaire used for the data collected was DAS (Driver Anger Scale) short scale which was used to measure the anger dimension with potential value for research on accident prevention and health psychology. It correlates positively with intensity of anger and frequency of anger, aggression and risky behavior while driving, aggressive expression of driving anger, and general trait anger. Participants were told to imagine the situation that had just happened during their travel and rate the level of anger they would have experienced using a 1-5 likert scale (1= not at all and 5= very much). This questionnaire consists of 14 questions. The Higher scores will indicate greater driving rage.

Sample Design

2X2X2 Factorial Design

Groups	Type of Vehicle				Total
	Two Wheeler		Four Wheeler		
	18-30 years	31-60 years	18-30 years	31-60 years	
Male	30	30	30	30	120
Female	30	30	30	30	120
	60	60	60	60	240

Result and Discussion:

Descriptive Analysis (see in next page)

By seeing the table of descriptive analysis it can be seen that there is a slight difference found in means between age sub groups and types of vehicles driven by particular gender.

Like the type of vehicles driven by males with age group of 18- 30 years having little difference of means, which is 66 and 65.23 respectively and males with age group of 31- 60 years having also few differences in means. This type of little difference is also found in vehicles driven by different age groups of females. But we can see that there is a clear difference found between the means of different age groups of both genders. Like mean of 18- 30 age group male was greater than 31- 60 age groups males in both types of vehicles driven and vice versa relation was found in different age groups of females. Here in case of female drivers the mean of the 31- 60 years group was greater than the mean of 18- 30 yrs.

Analysis of Variance (see in next page)

Three-way ANOVA was calculated to see the significant effect of gender on rage. The null hypothesis was rejected as it was found that there is a significant effect of gender on rage. As per the mean value (M= 54.42) males was found to have more road rage as compared to females (M=21.52)

It may be because of various reasons as they are more aggressive and tend to speed. Males are found to make more rude gestures or honk at other drivers as compared to females. They are found to be more alcoholic as compared to females. Males are having more personal and professional responsibilities. Males tend to have more traits of anger, anxiety, and impulsiveness and have a tendency to take more risks.

Likewise age groups show the significant effect on road rage. This can be found from the ANOVA table. From the mean value it is shown that the young age group that is 18-30 years has more roads rage as compared to the adult group that is 31- 60 years.

Young age groups face poor impulse control and decision making as they have less experiences as compared to adult groups and also have more risk taking behavior. According to Nemerovski "people become legal adults at 18 but in terms of brain development teenagers don't have access to normal full adult executive function for several more years."

According to AAA foundation for traffic safety showed that drivers between the ages of 25 to 39 years are most likely to exhibit road rage behavior.

Deffenbacher suggests that young males are the most likely to perpetrate road rage. These are the studies which favor the result of a research paper. Wickens et. al. (2012) resulted in the research that the prevalence of driver aggression in the current sample was slightly higher among males (38.5%) than females (32.9%), the difference was small.

There was no significant effect found between types of vehicles and rage. It may be because road rage is a behavioral aspect and a personality trait. It also differed with the differences with the environmental factors but as such type of vehicles does not play any significant role on road rage in this study.

There are many other environmental factors like crowded roads, inadequate space and management, mixed traffic type, and encroachments can boost the anger. There are some psychological factors like displaced anger, mood swings and high life stress that are also linked to road rage.

References:-

1. Borrelli, Lena (2021). "Road Rage statistics 2021"

Retrieved from <https://www.bankrate.com/insurance/car/road-rage-statistics/>

2. Burns, R. G., & Katovich, M. A. (2003). Examining Road Rage / Aggressive Driving. *Environment and Behavior*, 35(5), 621–636. <https://doi.org/10.1177/0013916503254758>
3. Hennessy, Dwight & Wiesensthal, David. (2001). Gender, Driver Aggression, and Driver Violence: An Applied Evaluation. *Sex Roles*. 44. 661-676. 10.1023/A:1012246213617.
4. J.L. Deffenbacher, E.R.Oetting, & R.S.Lynch, "Development of a driving anger scale", *Psychological Reports*, vol.74. No. 1, pp. 83-91, 1994.
5. J.L.Deffenbacher, M.E.Huff, R.S.Lynch, E.R.Oetting & N.F. Salvatore, "Characteristics and treatment of high anger drivers", *Journal of counseling psychology*, vol.47, no.1, pp. 5-17, 2000.
6. Mina, S., Verma, R., Balhara, Y., & Hasan, S. (2014). Road Rage: Prevalence Pattern and Web Based Survey Feasibility. *Hindawi Publishing Corporation*. <https://www.hindawi.com/journals/psychiatry/2014/897493/>
7. Sagar, R., Mehta, M., & Chugh, G. (2013). Road rage: An exploratory study on aggressive driving experience on Indian roads. *International Journal of Social Psychiatry*, 59(4), 407–412. <https://doi.org/10.1177/0020764011431547>
8. Wang, Y., & Chen, Q. (2020). Case study of road rage incidents resulting from the illegal use of high beams. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590198220300956?via%3Dihub>
9. Wickens, C. M., Mann, R. E., Stoduto, G., Butters, J. E., Ialomiteanu, A., & Smart, R. G. (2012). Does gender moderate the relationship between driver aggression and its risk factors? *Accident Analysis and Prevention*, 45, 10-18
10. Wickens, Christine & Mann, Robert & Stoduto, Gina & Ialomiteanu, Anca & Smart, Reginald. (2011). Age group differences in self-reported road rage perpetration and victimization. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*. 14. 400-412. 10.1016/j.trf.2011.04.007.

Descriptive Analysis

Gender	Age group	Type of Vehicle	Mean	Std. Deviation	N
Male	18- 30 yrs.	Two Wheeler	66.00	3.84	30
		Four Wheeler	65.23	3.00	30
		Total	65.61	3.44	60
	31-60 yrs.	Two Wheeler	43.80	1.82	30
		Four Wheeler	42.66	1.26	30
		Total	43.23	1.66	60
	Total	Two Wheeler	54.90	11.58	60
		Four Wheeler	53.95	11.60	60
		Total	54.42	11.55	120
Female	18-30 yrs.	Two Wheeler	16.63	2.25	30
		Four Wheeler	16.46	2.02	30
		Total	16.55	2.12	60
	31-60 yrs.	Two Wheeler	26.73	2.03	30
		Four Wheeler	26.23	2.81	30
		Total	26.48	2.44	60
	Total	Two Wheeler	21.68	5.51	60
		Four Wheeler	21.35	5.49	60
		Total	21.51	5.48	120
Total	18-30 Yrs.	Two Wheeler	41.31	25.08	60
		Four Wheeler	40.85	24.72	60
		Total	41.08	24.80	120
	31-60 Yrs.	Two Wheeler	35.26	8.81	60
		Four Wheeler	34.45	8.56	60
		Total	34.85	8.66	120
	Total	Two Wheeler	38.29	18.96	120
		Four Wheeler	37.65	18.69	120
		Total	37.97	18.79	240

Analysis of Variance

Source	Type III sum of squares	df	Mean Square	F	Sig	Partial Squared
Corrected Model	83000.296 ^a	7	11857.185	1899.114	<.001	.983
Intercept	346028.204	1	346028.204	55421.846	<.001	.996
Gender	64977.504	1	64977.504	10407.167	<.001	.978
Age- Group	2325.038	1	2325.038	372.391	<.001	.616
Type of vehicle	24.704	1	24.704	3.957	.048	.017
Gender*Age group*Type of Vehicle	.004	1	.004	.001	.979	.000
Age group* Type of Vehicle	1.837	1	1.837	.294	.588	.001
Gender*Type of Vehicle	5.704	1	5.704	.914	.340	.004
Gender* Age group	15665.504	1	15665.504	2509.076	<.001	.915
Error	1448.500	232	6.244			
Total	430477.000	240				
Corrected Total	84448.796	239				

a. R Squared = .983 (Adjusted R Squared = .982)

Analysis of Consumer Behavior and Marketing

Dr. Balmukund Baghel*

*Lecturer (Selection Grade) Mom Govt. Polytechnic College, Narsinghpur (M.P.) INDIA

Abstract - This paper explores the analysis of consumer behavior and marketing. The behavior displayed by consumers in the search, purchase, use, evaluation and disposal of products and services that will meet their needs. Consumer behavior is influenced by various factors like personal, environmental and decision making. And these factors can be helpful for marketers in their marketing. The vision of a successful business can be realized only when the businessman or entrepreneur is able to understand the consumer behavior correctly and formulate a sales strategy by giving top priority to the consumer.

Keyword- Consumer behavior, marketing, strategies, Factors.

Introduction - Business and consumer are complementary to each other, both cannot be seen in isolation. If one is separated then the other becomes incomplete. Where the most important requirement of the businessman after the establishment of the business is to attract the consumer to buy his product, to add more and more consumers to retain them, on the other hand the consumer is looking for such a product which will be useful for him, as well as available at a reasonable cost and which are easy to use and have the desired quality and satisfy him, those products should suit his fashion, interest. In other words, giving priority to the consumer is the means of survival of the business. The customer is also given the status of God, so it becomes necessary that the businessman should make or sell the goods keeping in mind his customer's interest, fashion demand, his need. And for this it is necessary that he understands the behavior of his consumer.

What is consumer behavior- Consumer behaviour is the study of individuals, groups, or organizations and all the activities associated with the purchase, use and disposal of goods and services. Consumer behaviour consists of how the consumer's emotions, attitudes and preferences affect buying behaviour. Consumer behaviour emerged in the 1940–1950s as a distinct sub-discipline of marketing, But in today's time it has become the most essential part of marketing, if you want to succeed as an entrepreneur or businessman, then first collect the necessary information for the behavior of your target customer, analyze them, then only move forward.

The study of consumer behaviour formally investigates individual qualities such as demographics, personality lifestyles, and behavioural variables (such as usage rates, usage occasion, loyalty, brand advocacy, and willingness

to provide referrals), in an attempt to understand people's wants and consumption patterns. Consumer behaviour also investigates on the influences on the consumer, from social groups such as family, friends, sports, and reference groups, to society in general (brand-influencers, opinion leaders). Research has shown that predicting consumer behavior is a difficult task, as consumer behavior varies from person to person, even to marketing experts; However, new research methods, such as ethnography, consumer neuroscience, and the use of information technology tools such as machine learning, big data analysis, have simplified this task to some extent, and work is being done in this area day by day.

Consumer Behavior - Marketing Strategies - Marketing strategies are generally based on prevailing implicit beliefs about consumer behavior. Decisions based on clear assumptions and sound theory and research are more likely to be successful on the ground and in daily life. Greater knowledge and experience of consumer behavior can be a significant competitive advantage when designing marketing strategies. Because planning is done, it can reduce the chances of wrong decisions and failure in the market to a great extent. Theories of consumer behavior are useful in many areas of marketing, some of which are listed below -

Analyzing Market Opportunity - Consumer behavior helps in identifying the unfulfilled needs and wants of consumers. This requires scanning the trends and conditions operating in the market area, customer's lifestyles, income levels and growing influences.

Target market selection - Scanning and evaluation of market opportunities helps in identifying different consumer segments with different and exceptional needs and

requirements. Learning to identify these groups, making buying decisions, enables the marketer to design products or services as per the requirements.

Illustration - Consumer studies show that many existing and potential shampoo users do not like bottle packing which is expensive but they want a shampoo pack that can be used once or twice and is less costly as Rs.1 or 02. Available in packs that can be used as per the requirement. Companies started working in this direction and 01 or 02 rupees pouches landed in the market and this strategy was successful and it got wide support from customers and companies increased shampoo sales, they got desired returns

Marketing mix decision - Once the unmet needs and wants of the consumer are identified, the marketer has to determine the exact mix of the four P's, i.e. product, price, place and promotion.

Promotion - Promotion is the most successful medium of influencing consumer behavior, advertising is the most successful medium to connect with the consumer, which includes using all the channels available in the market ranging from digital marketing, personal selling, sales promotion, promotion and direct marketing and sales

Marketers have to decide which would be the most popular and suitable method to reach the consumers effectively. Should it be advertising alone or should it be combined with sales promotion techniques? The company should know its target consumers, their location, their taste, interest, fashion, demand preferences and accordingly choose the medium keeping in mind the consumer which media they have access to, lifestyle etc.

FACTORS INFLUENCING THE CONSUMERS' BEHAVIOUR - Marketers need to know that what are the factors that influence consumer behavior the most and should prepare their strategy keeping this in mind, many factors affect consumer behavior, which is not possible to be bound within any limits, yet some common Factors that should be taken into account in particular are -

Psychological Factors

Social Factors

Cultural Factors

Personal Factors

Economic Factors

1. Psychological Factors - If analyzed psychologically, there are some common things which affect every consumer like Motivation, Perception, Learning, Attitude and Belief.

i. Motivation -When a person is motivated enough, it influences the buying behaviour of the person. A person has many needs such as the social needs, basic needs, security needs, esteem needs and self-actualization needs. Out of all these needs, the basic needs and security needs take a position above all other needs. Hence basic needs and security needs have the power to motivate a consumer to buy products and services

ii. Perception -Consumer perception is a major factor when the consumer sees the advertisement of a product in television, newspaper, social media and the information he receives gives rise to an impression about the product in his mind. that influence consumer behavior. Hence consumer perception has a great influence on the buying decision of the consumers.

iii. Learning -When a person buys a product, using that product creates an image in his mind that how useful that product really is. Learning through experience comes over a period of time. A consumer's learning depends on skill and knowledge. While a skill can be acquired through practice, knowledge can only be acquired through experience.

iv. Attitude and Belief -Consumers have certain attitudes and beliefs that influence the purchase decisions of the consumer. Based on this approach, the consumer behaves in a particular way towards a product. This attitude plays an important role in defining the brand image of a product. Therefore, marketers try very hard to understand consumer attitudes to design their marketing campaigns.

2. Social Factors- Man is a social being, he spends his life in the midst of the society, which has to be maintained by all the relations, apart from this, there is harmony and harmony with many people of the society. So social factor definitely influences consumer behavior.

i. Family- Family plays an important role in shaping the buying behavior of an individual. A person develops preferences from childhood by watching his family buy the product and continues to buy the same product even when he grows up.

ii. Reference Groups- Reference group is a group of people with whom a person associates himself. Generally, all the people in the reference group have common buying behavior and influence each other.

iii. Roles and status- A person is influenced by the role that he holds in the society. If a person is in a high position, his buying behavior will be influenced largely by his status. A person who is a Chief Executive Officer in a company will buy according to his status while a staff or an employee of the same company will have different buying pattern.

3. Cultural Factors- Culture is an integral part of a person's life, which he adopts from childhood, whose effect is clearly visible on his personality, so culture also affects shopping. When a person comes from a particular community, then his behavior is related to that particular community. is highly influenced by the culture concerned. Some cultural factors are-

i. Cultural Factors have strong influence on consumer buyer behavior. Cultural Factors include the basic values, needs, wants, preferences, perceptions, and behaviors that are observed and learned by a consumer from their near family members and other important people around them.

ii. Sub Culture - Within a cultural group, there exists many subcultures. These subcultural groups share the same set

of beliefs and values. Subcultures can consist of people from different religion, caste, geographies and nationalities. These subcultures by itself form a customer segmen

iii. Social Class - Each and every society across the globe has form of social class. The social class is not just determined by the income, but also other factors such as the occupation, family background, education and residence location. Social class is important to predict the consumer behavior.

4. Personal Factors- Factors that are personal to the consumers influence their buying behavior. These personal factors differ from person to person, thereby producing different perceptions and consumer behavior.

Some of the personal factors are: Age, income. Occupation, life style,

5. Economic Factors- Consumer behavior has a lot to do with the economic situation because the more a person's sources of income, the more his purchasing power will be affected and he decides on that basis that he knows what to buy and what not.

i. Personal income -A lot depends on personal income, if the income of the person is so much that after fulfilling the basic needs, more money is left then definitely his purchasing power will increase but on the other hand he knows from his income only by meeting the needs of the household. And if he does not have extra money left, then in such a situation he will buy only the unavoidable things because his budget does not allow that he can go out of it.

ii. Family Income- Family income is the total income from all the members of a family. When more people are earning in the family, there is more income available for shopping basic needs and luxuries. Higher family income influences the people in the family to buy more. When there is a surplus income available for the family, the tendency is to buy more luxury items which otherwise a person might not have been

able to buy.

iii. Consumer Credit - When a consumer is offered easy credit to purchase goods, it promotes higher spending. Sellers are making it easy for the consumers to avail credit in the form of credit cards, easy installments, bank loans, hire purchase, and many such other credit options. When there is higher credit available to consumers, the purchase of comfort and luxury items increases.

Conclusion - The vision of a successful business can be realized only when the businessman or entrepreneur is able to understand the consumer behavior correctly and formulate a sales strategy by giving top priority to the consumer and always travel to keep the customer engaged and engaged with his business. He should manufacture and sell products keeping in mind the satisfaction, interest, fashion, demand, taste, lifestyle of consumer, overall he should be customer oriented. He should keep making efforts to understand the customer behavior and should also do innovation keeping the customer at the center, Only then can he set the stage for success.

References:-

1. https://clooktrack.com/knowledge_base/major-factors-influencing-consumer-behavior/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_behaviour
3. Kotler, Ph., (2003). Marketing Insights from A to Z: 80 Concepts Every Manager Needs To Know. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons
4. Kotler, Ph., Keller, K. L., (2015). Marketing Management 15th ed. Essex, England, Pearson Education Limited
5. <https://www.moneycontrol.com/financials/brightcomgroup/results/consolidated-yearly/LGS#LGS>
6. The Economic Times <https://economictimes.indiatimes.com>
7. <https://money.bhaskar.com/>

A Fixed Point Theorems For Probabilistic Densifying Mappings in Menger Spaces

Dr. D.K. Sagar*

*Department of Mathematics, Shri Sitaram Govt. Girls' P.G. College, Neemuch (M.P.) INDIA

Abstract - In this paper we establish a fixed point theorems for Probabilistic Densifying Mappings in complete menger Spaces.

AMS mathematic subject classification (2000): 47 H 10, 54 H 10, 54 H 25, 54 E 70

Keywords- Probabilistic Densifying Mappings in menger Spaces Fixed point.

Introduction - The Existence of a fixed point for Densifying mapping in metric space was first proved by furi and vignoli [6]. The concept of Probabilistic densifying of mapping was introduced for Bocsan [1] (cf [2]) and proved a fixed point theorems for such mappings subsequently, several fixed and common fixed point theorems for Probabilistic Densifying Mappings were established by Dimiri-Pant [5], E. Hadzic [7], Pant-Tiwari, Singh [9], Singh-Pant [11] and Tan [12].

In this paper we prove fixed point theorem for Probabilistic Densifying Mappings in a complete menger space which gives a Probabilistic version of theorems 1 of Z-Liu [8] and also extends a result of Chang – Kim [4]

Preliminaries:

Definition 2.1 [11]: A Probabilistic metrics space (PM-space) is an ordered pair (X, F) consisting of a non empty set X and a mapping F from $X \times X$ to L , the collection of the distribution functions the value of F at $(u, v) \in X \times X$ will be denote by $F_{u,v}$ and $F_{v,u}$ are assumed to satisfy the following conditions:

- $F_{u,v}(x) = 1$ for all $x > 0$, iff $u = v$,
- $F_{u,v}(x) = 0$
- $F_{u,v} = F_{v,u}$
- if $F_{u,v}(x) = 1, F_{v,w}(y) = 1$

Then $F_{u,w}(x+y) = 1$ for all $u, v, w, \in X$

Every metric space (M, d) is PM-space

$F_{u,v}(x) = H(x - d(u, v))$ where H is a distribution defined by $H(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$

Definition 2.2: A menger space is a triplet (X, F, T) where (X, F) is a pm- space the and t is the t term [12] such that $F_{u,v}(x+y) \geq T \{F_{u,v}(x), F_{v,w}(y)\}$

Hold for all u, v, w in X and $x, y, \geq 0$

For to Topological preliminaries on menger spaces, schweizers-sklar [10] is an excellent reference thought this paper X stands for a menger space. Let A be non empty subset of X .

Definition 2.3 [1]: The function $D_A(\cdot)$ defined by $D_A(x) = \sup_{y < x} \{ \inf_{v \in A} F_{u,v}(y) \}$

Is called the probabilistic diameter of A . A is bounded If $\sup_{x \in R} D_A(x) = 1$

if $A \leq B$ then $D_A(\cdot) \geq D_B(\cdot)$.

if $f: X \rightarrow X$ and $x \in X$, then orbit of x defined by $O(x) = \{x, f_x, f^2x, \dots\}$

Definition 2.4 [3]: For a probabilistic subset A of X , the function

$\alpha_A(x) = \sup \{ \epsilon \geq 0 / \exists \text{ a finite cover of } A \text{ such that } D_\epsilon(x) \geq \epsilon \}$

For all $S \in A\}$

is called Kuratowski Function. The following properties of α_A are proved in (3).

- $\alpha_A(x) \in L$, the set of distribution functions
- $\alpha_A(x) \geq D_A(x)$ for all $x \in R$,
- if $\phi \neq A \subset B \subset X$ then $\alpha_A(x) \geq \alpha_B(x), x \in R$
- $\alpha_{A \cup B}(x) = \min \{ \alpha_A(x), \alpha_B(x) \}$
- let A be the closure of A then $\alpha_A(x) = \alpha_{\bar{A}}(x)$
- A probabilistic bounded subset of A of X is probabilistic pre compact iff $\alpha_A = H$.

Definition 2.5 [1]: Let X be a Menger space. A continuous mapping f of X in to X is called a probabilistic densifying mapping iff for every subset A of X such that $\alpha_A < H$ we have $\alpha_{f(A)} > \alpha_A$

Main Result:

Theorem 3.1: Let T be a continuous self map of a complete menger space X . suppose that there exist positive integers m, i, j such that

(1) T^m is probabilistic densifying and

(2) $F_{T^i p, T^j q}^i(x) > D \overline{o(p)} \cup \overline{o(q)}(y)$

For $y > x > 0$ and for all p, q in X with $T^i p \neq T^j q$

Then T has a unique fixed point in X , moreover and iteration $\{T^n p\}$ converges to the fixed point of T .

Proof

Let p be a fixed point of X .

Now

$$\alpha_{o(p)}(x) = \min \{\alpha_{p, T^i p}^m, \dots, \alpha_{T^i p, T^j q}^{m-1}(x) \alpha_{o(T^i p)}^m(x)\}$$

$$= \alpha_{o(T^i p)}^m(x)$$

$$= \alpha_{T^i o(p)}^m(x)$$

$$> \alpha_{o(p)}^m(x) \text{ using (1)}$$

Which is absurd so $\alpha_{o(p)}(x) = H(x)$

Which implies that

$O(p)$ is pre compact. Since X is Complete, $O(p)$ is compact.

By continuity of T , we conclude that

$$T^{n+1}(\overline{o(p)}) \subset T^n(\overline{o(p)}) \text{ for } n=1, 2, \dots$$

From the compactness of $\overline{o(p)}$

And the continuity of T , it follows that

$\{T^n o(p)\}$ has finite intersect property, so that

$$Y = \bigcap_{n=1}^{\infty} T^n(\overline{o(p)}) \text{ is a}$$

Non-empty compact closed subset of $\overline{o(p)}$

Now, on the lines of theorem 2.5 of [4], it follows that

$TY = Y$. Further by using (2) compactness of Y , and using definition of probabilistic diameter, we get

$$Dy(x) = 1 \text{ for all } x > 0.$$

Therefore $Y = \{a\}$ is a singleton

Hence a is Fixed Point if T .

To prove the uniqueness,

If possible let $(b \neq a)$ be another fixed point if T ,

Then from (2) we have

$$F_{a,b}^i(y) > F_{a',b}^{(x)}$$

$$= F_{T^i a, T^j b}^i(x)$$

$$> D_{o(a) \cup o(b)}^{(y)}$$

$$= F_{a',b}^{(y)}$$

$$\text{Since } T_a = a, T_b = b$$

which is a contradiction. Thus a is the unique fixed point of T .

Since

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} T^n(o(p)) = Y = \{a\} \text{ and is a}$$

$T^n p \in T^n(o(p))$, then it is obvious from (2) that $T^n p \rightarrow a$ for

all p in X .

The following corollary is immediate.

Corollary 3.2: let T be a continuous self map of a complete menger space X and T is probabilistic densifying such that

$$F_{T^i p, T^j q}^i(x) > D_{o(p) \cup o(q)}^{(y)}$$

$$y > x > 0 \text{ and for all } p, q \text{ in } X,$$

$$p \neq q \text{ Then } T \text{ has a unique fixed point in } X.$$

Remark 3.3 : In the above theorem, if we take X as compact menger space and $i=j=1$ then we get Theorem 2.5 of [4] as a special case.

Remark 3.4 : A number of results may be obtained is the special case of theorem 3.1 in the metric and menger space.

References:-

1. Bocsan, Gh. (1974): on some fixed point theorem in probabilistic metric spaces. University Din. Timisoara Facult Destunte Ale Naturii, 24, 1-7.
2. Bocsan, Gh. (1974): on some fixed point theorem in random normed spaces, proc. 5th conference on probabilistic theory.
3. Bocsan, Gh. and constantin, Gh (1973), the Kuratowski Function and some application to probabilistic metric spaces Atti. Acad, Naz, Lincei, 55, 263-240.
4. Change, Jae Il and Kim, ch. wook (1983) fixed points of generalized contraction mapping on menger spaces, J.Korean math. Soc, 19 (2), 135-141
5. Dimiri, R.C. and Pant, B.D. (2002): Fixed Point of probabilistic densifying mapping, journal nat. Phy. Sc.16 (1-2), 69-76
6. Furi, M. and Vignoli, A. (1969): Fixed point for densifying mappings, Rendi Acad. NaZ. Lincei, 465-467.
7. Hadzic, O. (1979): Fixed points theorem in probabilistic metric and random normed spaces. Math. Sem. Notes. Kobe Univ., 7, 261-270
8. Liu, Z. (1994): Fixed point theorems for densifying maps. Indian j. Math. 36(2), 147-150.
9. Pant, B.D., Tivari, B.M.L. and Singh S.L. (1983), Common fixed point theorem for Densifying mapp9ing in probabilistic metric spaces, Honam Math. J.5, 151-154.
10. Schweizer, B. and Sklar, A (1983), probabilistic metric spaces, North Hall and Series Newyork.
11. Singh, S.L. and Pant, B.D. (1983): A fixed point theorem for probabilistic densifying mappings, Ind. J Phy. Nat, sc.3, 21-25
12. Tan.D.H. (1981): on probabilistic densifying mapping, Rev. Roumaine Math. Pures Appl. 26, 1305-1317

Advantages and Future of Digital Marketing

Dr. Balmukund Baghel *

* Lecturer (Selection Grade) MOM Govt. Polytechnic College, Narsinghpur (M.P.) INDIA

Abstract - Social media has also emerged as a simple and cheap medium of information exchange. Along with the use of computer in education, health office, whether listening to music, watching television, reading news, shopping online, To get information about an item, information about the company making the item, seller's information to make online payment, everything is becoming available in the hands of the person on the Internet i.e. on mobile, he does not need to wander anywhere, just the application should be running. Internet marketing, also known as digital marketing, has become an important means of connecting customers and accessing information in the field of business. And want to share the information related to their business with the public through internet, website etc.

Keywords- Social media, digital marketing, mail, NSE and BSE, consumers, Product.

Introduction - The results of the concept of economic liberalization, privatization and globalization which started in the decade of 1991 are now being reflected in the ground very fast. Big changes are being seen in the field of information technology. There is hardly any area that is not using information technology, due to which the work has started getting done very fast, transparency has been promoted, people have started getting information faster and their life has become easier. Gradually, mobile technology is reaching the hands of every Indian living in India and being connected to the Internet, mobile technology is becoming a great tool of awareness. Now a person sitting in a remote area is exchanging messages with social media like Facebook, WhatsApp and is also slowly getting acquainted with the changes taking place in the global world and it takes a certain time to run these mediums. Also spends. Everyone is slowly joining this digital revolution. Social media has also emerged as a simple and cheap medium of information exchange. Along with the use of computer in education, health office, whether listening to music, watching television, reading news, shopping online, To get information about an item, information about the company making the item, seller's information to make online payment, everything is becoming available in the hands of the person on the Internet i.e. on mobile, he does not need to wander anywhere, just the application should be running. Internet marketing, also known as digital marketing, has become an important means of connecting customers and accessing information in the field of business. And want to share the information related to their business with the public through internet, website etc. And this is the beginning of digital marketing. Today market gurus

are resorting to channels like Facebook, WhatsApp, Instagram, and YouTube for market research, consumer interest, fashion information, advertising of their products.

What is Digital Marketing?

Digital marketing includes all marketing efforts using electronic devices or the Internet. Businesses take advantage of digital channels such as search engines, social media, email and their websites to connect with current and potential customers. It is known as 'online marketing', 'internet marketing' or 'web marketing'. Digital marketing is defined by the use of multiple digital strategies and channels to connect with customers where they spend most of their time online. From the website to the online branding assets of the business – digital advertising, email marketing, online brochures, and beyond – there is a spectrum of strategies that fall under the umbrella of "digital marketing".

I. Example- How digital marketing works, it is important to understand it through an example, from this it will be understood that how digital marketing actually works in the ground like NSE AND BSE STOCK EXCHANGE in stock market a public limited company listed in India Is Brightcom Group. The Brightcom Group is a digital marketing company founded in 2000 and headquartered in Hyderabad, India with offices in US, Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, Mexico, UK, France, Germany, Sweden, Ukraine, Serbia, Israel, China, India, and Australia, and with representatives or partners in Poland, and Italy

This company Brightcom Group consolidates Ad-tech, New Media and IoT based businesses across the globe, primarily in the digital eco-system. Clients include leading blue chip advertisers like Airtel, British Airways, Coca-Cola,

Hyundai Motors, ICICI Bank, ITC, ING, Lenovo, LIC, Maruti Suzuki, MTV, P&G, Qatar Airways, Samsung, Viacom, Sony, Star India, Vodafone, Titan, and Unilever. Publishers include Facebook, LinkedIn, MSN, Twitter, and Yahoo! Brightcom works with agencies like Havas Digital, JWT, Mediacom, Mindshare, Neo@Ogilvy, Ogilvy One, OMD, Satchi&Satchi, TBWA, and ZenithOptiMedia, to name a few.

The Brightcom consumer products division is focused on the IoT. COMPANY's LIFE product is dedicated to the future of communication and information management in which everyday objects will be connected to the Internet, also known as the "Internet of Things" (IoT).

There are many companies in the world including India that are working to provide services of digital marketing and generating good revenue. If we talk about Bright Com Group, then in the last five years, the company has generated a large amount of revenue. This is as follows -

YEARLY RESULTS OF BRIGHT COM GROUP (in Rs. Cr.)	MAR '21	MAR '20	MAR '19	MAR '18	MAR '17
Net Sales/ Income from operations	2,855.80	2,692.32	2,580.24	2,420.74	2,451.32

Source- <https://www.moneycontrol.com/financials/brightcomgroup/results/consolidated-yearly/LGS#LGS>

II. Digital Marketing Tactics- A digital marketer is a professional person or group of individuals who are fully aware of the modern tools and equipment of information technology, their reach and importance, using their experiences to help each digital marketing campaign achieve their broad goals. Does. And depending on the goals of their marketing strategy, marketers can support larger campaigns through the free and paid channels at their disposal. Suppose a company has to advertise its product which has just been launched in the market and also has to give information about other products made by the company, then it can give complete information by becoming a page in Facebook or for free service.

***search engine optimization-** the process of maximizing the number of visitors to a particular website by ensuring that the site appears high on the list of results returned by a search engine.

"the key to getting more traffic lies in integrating content with search engine optimization and social media marketing"

- **Social Media Marketing:** Social media marketing is the use of social media platforms and websites to promote a product or service. The channels you can use in social media marketing include Face book, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snap chat, Pinterest, and Google+.

- **Content marketing:** Content marketing is a form of

marketing focused on creating, publishing, and distributing content for a targeted audience online

- **Affiliate marketing:** Affiliate marketing is a type of performance-based marketing in which a business rewards one or more affiliates for each visitor or customer brought by the affiliate's own marketing efforts

- **Native advertising:** Native advertising, also called sponsored content, is a type of advertising that matches the form and function of the platform upon which it appears. In many cases it functions like an advertorial, and manifests as a video, article or editorial.

- **Marketing Automation:** Marketing automation refers to software platforms and technologies designed for marketing departments and organizations to more effectively market on multiple channels online and automate repetitive tasks.

- **Pay-Per-Click (PPC):** Pay-per-click is an internet advertising model used to drive traffic to websites, in which an advertiser pays a publisher when the ad is clicked. Pay-per-click is commonly associated with first-tier search engines.

- **Email Marketing:** Email marketing is the act of sending a commercial message, typically to a group of people, using email. In its broadest sense, every email sent to a potential or current customer could be considered email marketing. It involves using email to send advertisements, request business, or solicit sales or donations

- **Inbound Marketing:** Inbound marketing is a business methodology that attracts customers by creating valuable content and experiences tailored to them. While outbound marketing interrupts your audience with content they don't always want, inbound marketing forms connections they are looking for and solves problems they already have.

- **Online PR:** (E-PR, Digital PR) refers to the use of the internet to communicate with both potential and current customers in the public realm.

Advantages of Digital Marketing: With the changing times, it is necessary to change the business organizations, businessmen and all the institutions associated with the business world and they should definitely adopt digital marketing because it is the simplest. There is a cheap, modern means, the advantage is as follows –

- I. Low cost -** Marketing and advertising costs are one of the largest financial burdens that businesses have to bear. While large businesses do not have much trouble with marketing and advertising, but for small businesses, it is impossible or unbearable. The medium of digital platform is suitable and effective medium for such businesses. You can advertise on Facebook by creating a page for free

- II. Huge return on investment-** Nothing matters more to a business than the return on the investment it makes. Digital marketing offers a substantial return on small investments.

- III. Easy to measure-** The success or otherwise of a digital campaign can be easily traced. Compared to traditional

methods where you have to wait weeks or months to evaluate the veracity of a campaign, with a digital campaign you can know almost immediately whether an ad is performing or not.

IV. Easy to adjust- The knowledge of the performance of an ad will inform a business on how to proceed. For an ad campaign that is performing well, it is easy to invest more in it with just a click. But for an ad that is not delivering as expected, it can be adjusted accordingly or stopped altogether with ease.

V. TARGET AUDIENCE - If you have made a product for a particular age group, you want to include that attribute in the advertisement as Target Audience, then it is easily possible in digital marketing.

VI. Brand development - Businesses can use their digital platforms to build their company's brand and reputation. A well-developed website, a blog featuring quality and useful articles, a social media channel that is highly interactive are some of the ways by which a business can build its brand.

VII. Global reach – a website allows you to find new markets and trade globally for only a small investment.

VIII. Personalisation – if your customer database is linked to your website, then whenever someone visits the site, you can greet them with targeted offers. The more they buy from you, the more you can refine your customer profile and market effectively to them

IX. Social currency – digital marketing lets you create engaging campaigns using content marketing tactics. This content (images, videos, articles) can gain social currency - being passed from user to user and becoming viral.

X. Improved conversion rates – if you have a website, then your customers are only ever a few clicks away from making a purchase. Unlike other media which require people to get up and make a phone call, or go to a shop, digital marketing can be seamless and immediate.

Future of Digital Marketing: The widespread use of

information technology in India has started from the last decade, in other words, information technology is just beginning in India and the first phase is going on now. Right now only the trailer is visible, the complete picture is yet to be made, so there is no doubt that there will be any hindrance in digital marketing, but this business is sure to grow at quadruple speed day by day. Applied in the industrial field 4.0 technology is yet to be fully realized, it is only just beginning to spark a revolutionary change in the field of digital marketing. Marketing is and will be beneficial

Conclusion- Digital marketing is currently becoming an essential part of business, as awareness is increasing, businessmen and entrepreneurs are adopting it because it is the cheapest, simple, easy medium that is connected to the mobile, which can be seen with a single click. In conclusion, it can be said that digital marketing in India is still in its early stages and this field will see a revolutionary change in the next decade, which will provide support to the business and will prove to be a boon for the new-entrepreneurs. Digital marketing is beneficial and It will be beneficial, its future is very bright.

References:-

1. <https://www.moneycontrol.com/financials/brightcom/group/results/consolidated-yearly/LGS#LGS>
2. <https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-and-disadvantages-digital-marketing>
3. The Economic Times <https://economictimes.india.com>
4. <https://money.bhaskar.com/>
5. The Financial Express <https://www.financialexpress.com>
6. Bala M., Verma D." A Critical review of Digital Marketing," www.ijmrs.us,
7. Booms, B. H. and Bitner, M. J., 1981. Marketing strategies and organization structures for service firms. Marketing of services, 25(3), pp.47-52

Problems and Prospects of Tourism in Himachal Pradesh (A Case Study of Chamba District)

Dr. Satish Soni*

*Associate Profession, Govt. Degree College, Hamirpur (H.P.) INDIA

Abstract - Tourism is being considered as an agent of social change bridging gaps among nations, regions and people helping them to open up. Himachal Pradesh is famous for its Himalayan Landscapes and popular hill stations. Chamba District is known for its various temples as well as some historic sites. In the present study an attempt is made to study the impact of tourism in the development of Chamba district of H.P. Tourism brings both positive and negative impact on tourist destinations. These impacts are analysed using data gathered from different stakeholders on the basis of their age, educational qualifications, level of incomes and occupation etc.

Keywords- Tourists, Attitudes, Tourism Impacts.

Introduction - Tourism is being considered as an agent of social change bridging gaps among nations, regions and people and helping them to open up. It is a promoter of development materials and spiritual both at macro and micro level. Modern transportation has removed the obstacles of distance enabling people to appreciate each other engage in the exchange of ideas and commerce. Tourism can help to overcome real prejudices and foster binds. Tourism can be a real force of world peace.

Tourism being a smokeless industry is now a multi-billion, multi sectoral and multi-dimensional activity in the Twenty first century tourism has reached upto space when a Russian rocket carried the space vehicle of Dennis Tito, an American Businessman and world first space tourist, to the space station. Time is not too far to carry tourists to moon and other planets in the specially punched vehicles.

Himachal Pradesh is famous for its Himalayan Landscapes and popular Hill Stations. Many outdoor activities such as rock climbing, mountain biking, paragliding, ice-skating and Heli-skiing are popular tourist attraction in Himachal Pradesh.

Chamba District is known for its various temples as well as some historic sites. It is one of the popular tourist sites of the state. The main attractions of Chamba District are Laxmi Narayan Temple, Champavati Temple, Chamunda Temple, Vajreshwari Temple, Basin Gopal Temple, Hari Rai Temple, Bhadrakali Temple, Vishnu Temple, Mani Mahesh Temple, Artha Gaya, Rang Mahal, Akhand Chandi Palace, Bhuri Singh Museum, Rock Garden, Art Gardent, Saroh, Saho, Kalatop, Khajjiar, Bakrola Hills, Panjpula Hills, Subhash Baoli, Jandiri Ghat.

Review Of Literature

Alick Mhizha et. al (2012) analysed the affects of tourism of culture in an around Victoria falls in Zimbabwe. He analysed the seven factors which influence the impact of tourism in the locality and concluded that tourism does not have significantly higher negative impacts than positive impacts on the residents.

Abraham Pizam & Ady Milman (2014) analyse the social, cultural, political and environmental aspects on tourism industry and found that these factors are the way in which tourism is contributing to changes in value systems, individual behaviour, family relationships, collective life style, moral conduct, creative expressions, traditional ceremonies and community organization.

Manuel Rivera, Robertico Crores, Seung Hyun Lee (2016) studied the empirical relationship between tourism development and happiness from the perspective of locals in small island destination. The study proves insights into how residents assess their own happiness and how those assessments depart from traditional well-being indicators by examining the mediating relationships among both income and non-income factors. They concluded that tourism development and happiness are positively correlated.

AB Venkatesh, M. Suresh (2016) analyse the factors influencing Indian Tourism Promotion in social media. They found that consumers are engaged in social networks for tourism trips and sharing the travel experience is one of the most important factors that influence the success of tourism. They further stressed that tourist destination is the most key influencing factors for Indian tourism promotion in social media.

Hanaa Abdelaty (2016) analysed the impact of tourism

industry after the revolution in Egypt and Tunisia. He studied the economic and political impact on tourism in these countries. He found that tourism role remains positive in the economic growth and development of the areas.

Niccolo Comerio, Fernanda Strozzi (2018) studied the relationship between tourism and economic impact. He found that tourism plays positive role in the economic development of the country. He further stressed that tourism places should be developed to attract the vast majority.

Maksim Godovykh, Jorge Ridderstaat (2020) studied that the impact of tourism arrivals on residents' health. They found that tourism arrivals negatively influence resident's health in short term but in long run tourism has positive impacts on resident's health.

Research Methodology - The present study has been undertaken to understand the perception of common people residing in different blocks of Chamba District of Himachal Pradesh about tourism. For this purpose primary and secondary data has been collected. The main objective of study is to analyse and evaluate the public opinion on tourism in the locality of Chamba District. A non probability convenience samples of 100 respondents has been collected to get the primary data for this analysis. Structured questionnaire was prepared to collect data. Only those respondents were asked for detail replies who agreed to participate in this survey. Questionnaire was framed on 4 point Likert Scale and secondary data has been collected from following sources:-

1. Annual reports of Himachal Pradesh Tourism Development Corporation.
2. Annual reports of Department of Tourism Himachal Pradesh.
3. Published and unpublished documents of Tourism Industry.
4. Available Literature of Tourism.

Statistical Method - The data collected has been presented in the tabular form and chi-square test was applied to check the impact of tourism. The following statistical tools are used:

(a) Non-parametric test- Chi-Square Test is used

Sample Design for General Public and Tourist

Blocks	Panchayats	10%	Quota	Total
Chamba	43	4.3	4	16
Mehla	41	4.1	4	16
Tissa	40	4.1	4	16
Salooni	47	4.7	4	16
Bhatiyat	67	6.7	6	24
Bharmour	29	2.9	2	8
Pang	16	1.6	1	4
Total				100

(Source : Administration Report 2017-18 Panchayati Raj)

Objectives Of The Study:

1. To study the impact of tourism in the Development of Chamba District.
2. To study the negative impact of Tourism Development

in Chamba District.

3. To give further conclusions and suggestions to make study more effective.

Significance Of The Study: The emerging changes and challenges in the field of tourism can no longer be dealt with isolation. Thus, it is necessary to adopt strategic approach through proper management functions of the various categories of administrative and field functionaries. In this study special emphasis has been taken to study the opinion of the respondents to get feedback in detail.

Hypothesis: Hypothesis is a tentative solution of problem. Keeping in view the objectives of study the following hypothesis has been developed. Chi-square test of independence applied to find the relationship between demographic variable with the pattern of use.

1. H_0 There is no significant relationship between demographic variables of tourists and pattern of use.
2. H_1 There is a significant relationship between demographic variables of tourists and pattern of use.
3. H_0 Opinion of public with respect of socio-cultural, impact is not equally distributed.
 H_1 Opinion of public regarding with respect of socio-cultural impact is not equally distributed.
3. H_0 Opinion of the public with respect to negative impact of tourism is equally distributed.
 H_1 Opinion of the public regarding negative impact of tourism is not equally distributed.

Table-1.1 (see in last page)

Table – 1.1 shows the opinion of General public regarding economic impact of Tourism Development in the locality. It is evident from the table that tourism development has increased the standard of living, increased the per capita income, and provides better market for local market. "To high extent, to very high extent respectively as per the opinion of respondents viewed toward this impact of tourism. The value of Chi-square is significant at 1 percent level of significance. It shows that opinion of respondent's are not normally distributed and are distributed more towards higher side. It may therefore be concluded that tourism development has increased the standard of living, per capita income and provides better market for local production in the region. Regarding tourism development is a major source of foreign exchange and major source of income of locality a large number of respondents were not in favour this opinion. After applying chi-square test it is significant at 1 percent level of significance. It reveals that opinions of the respondents are not normally distributed and are distributed more lesser side. It may therefore be concluded that tourism development is not a major source of earning foreign exchange as well as major source of income of Himachal Pradesh. As far as regarding "Har Gaon ki Kahani" or Home stay scheme for development of tourism majority of respondent favoured this opinion to high extent and "To very high extent respectively. After applying chi-square test it is found significant at 1 percent level of

significance. It shows that opinion of respondents are not normally distributed and are distributed more higher side. It may therefore be concluded that Home stay plan or Har Gaon Ki Kahani are becoming a major source of income of the locality.

Table-1.2 (see in last page)

Table – 1.2 shows the opinion of respondent's regarding social impact of Tourism development. It is evident from the table that development of Tourism in the region has increase the level of education and social status of the respondent's "to high extent" and "to very high extent" respectively. After applying this Chi-square test it is found significant at 1 percent level. It shows the opinion of respondents are not normally distributed and distributed towards higher side. It may therefore be concluded that development of tourism in the region definitely increased the level of education and social status of respondent's positively. Regarding the generation of employment opportunities in the region, majority of respondents viewed that development of tourism has helped to increased the employment opportunities in the region "to very high extent" and "to high extent" respectively. After applying chi-square test it is significant at 1 percent level of significance which shows that opinion of respondent's are not normally distributed and distribution is towards higher side. It may therefore be concluded that tourism development has increased the employment opportunity to a great extent in the region.

Table-1.3 (see in last page)

Table – 1.3 shows the views of general public regarding impact of tourism on culture. A large number of respondents were satisfied "to high extent" and "to very high extent" that tourism development is helpful for preservation of cultural heritage, helpful to encourage to save the past traditions and to generate better understanding among different cultures. After applying chi-square test it is found significant at 1 percent level of significant which shows that opinions of respondents are not normally distributed and are more towards higher side thus it may be concluded that tourism development is helpful for preservation of cultural heritage, helpful to save the past tradition and helpful to generate better understanding among different culture.

Table-1.4 (see in last page)

It is evident from table 1.4 that majority of the respondents are satisfied "to high extent" that tourism development is helpful in developing health services. It is significant at 0.1 percent level of significance which shows that opinion of respondents are not equally distributed. It is distributed more towards higher side. Therefore, it can be concluded that tourism development is helpful for developing health services in the region. Regarding road facilities, telephonic facility entertainment facilities, majority of respondents were found satisfied "to very high extent" followed by "to high extent" respectively. After applying chi-square test it is found significant at 1 percent level of

significance which further indicates that opinion of respondents are not normally distributed. It is distributed more towards higher side. It may therefore be concluded that tourism development has increased all facilities like road, entertainment, telecommunication and information facilities etc. The table further depicts that a large number of respondent's were found satisfied "to high extent" and "to very high extent respectively" that tourism development has helped in the overall development of the region. After applying chi-square test it is significant at 1 percent level of significance which shows that opinion of respondent are not normally distributed. Hence, it can be concluded that tourism development is helpful for overall development of region.

Table-1.5 (see in last page)

It is clear from the table –1.5 that the respondents were not found agree with the opinion that tourism has increased the drug abuse in concerned area, while apply chi-square it is found insignificant at percent level of significance which shows that opinion of respondents are not equally distributed. It is less towards higher side. Hence, it can be concluded that tourism has not increased the drug abuse. Similarly Tourism has not increased the prostitution as majority of respondents views negatively toward this factor of tourism. While applying Chi-square test it is insignificant at 1 percent level of significant which shows the opinion of respondents are not equally distributed. It is less towards higher side. Therefore, it can be concluded that tourism is responsible for prostitution. The table further depicts that majority of respondents viewed that tourism has not increased the pollution in concerned area. After applying chi-square test it is insignificant at 1 percent level of significance which shows the opinion of respondents are not equally distributed. It is less towards higher side. Therefore, it can be concluded that tourism is responsible for prostitution. The table further depicts that majority of the respondents viewed that tourism has not increased the pollution in concerned area. After applying chi-square test, it is insignificant at 1 percent level of significance while shows the opinion of respondents are not equally distributed. It is less towards higher side. Therefore, it can be concluded that tourism is not responsible for pollution. As for as regarding the loss of moral values majority of respondent's are "strongly agree" that tourism is responsible for loss of moral value, while applying chi-square test it is significant at 1 percent level of significance which shows opinion of respondents are equally distributed. It is more towards higher side. Thus it can be concluded that tourism is responsible for loss of moral values. Similarly tourism is also responsible for adoption of western culture in the areas the respondents were found "strongly agree" with this opinion. While applying chi-square test it is significant at 1 percent level of significance which shows opinion of respondents are not normally distributed. It is more towards higher side. Thus, it can be concluded that tourism

development is responsible for adoption of western culture in the locality. Regarding overcrowding and congestion majority of respondents were found "strongly agree" with this factor of tourism. While applying chi-square test it is significant at 1 percent level of significant which shows opinion of respondents are not normally distributed and more towards higher side. Thus, it may be concluded that tourism development has increased overcrowding and congestion in the locality. As regards crime rate tourism development is not responsible for the same because majority of respondents viewed towards this. After applying chi-square test it is insignificant at 1 percent level of significance which shows opinion of respondents are not normally distributed. It is more towards lesser side. Thus it may be concluded that tourism development is not responsible for increasing crime rate in the area under study. Regarding tourism encourages illegal practices majority of the respondents viewed negatively. After applying chi-square test it is insignificant at 1 percent level of significance. It shows that opinions of respondents are not normally distributed. It is more towards lesser side. Thus it may be concluded that tourism development is not responsible for illegal practices in the locality.

Conclusions:

1. The culture impact of tourism also analysed on the basis of the views of the respondents of different age groups, educational qualifications and level of income. It is found that tourism development is helpful for preservation of culture heritage, helpful to encourage the past traditions, and helpful to generate better understanding. It is also found that tourism development is not responsible for deterioration of culture values. After applying chi-square test it was found that opinion of respondents are not normally distributed and they are more toward higher side.
2. The economic impact of tourism also analysed on the basis of age, educational qualifications and level of income of respondents. The majority of the respondents supported the views that development of tourism has increased the standard of living, increased per capita income and provided better market of local product, source of income of foreign exchange. As regards rural tourism schemes such as "Har Ghar ki Kahani" or "Home Stay Plan", majority of the respondents viewed positively. After applying chi-square test it was found that opinion of respondents are not normally distributed and they are more towards higher side.
3. The factors, relating to the infrastructure development consists of health services, road facilities, entertainment facilities, telecom facilities and informatic facilities. After analyzing these factors on the basis of age, educational qualifications and level of income, majority of the respondents were of the opinion that development of tourism in the locality has helped to

increase health services, roads network, entertainment facilities, telecommunication network and information facilities. After applying chi-square test it was found that opinion of respondents were not normally distributed and they are more higher side.

4. As far as the social impact of tourism is concerned. The views of the respondents were analysed on the basis of employment opportunity, level of education and social status. Majority of the respondents were of the opinion that tourism has contributed "to very high extent" and "to high extent" respectively to increase their education level, social status and more employment opportunities in the concerned area. Thus, it leads to the conclusion that tourism has played a significant role to generate the employment opportunity in concerned area which further developed their social status and education level.
5. The negative impact of tourism is analysed on the basis of respondents of different backgrounds. It includes age of the respondent's educational qualifications, and income level of respondents. The negative impact includes, drug abuse and alcoholism, prostitution, pollution, corruption, illegal practices like gambling, overcrowding and congestion, adoption of western culture. Majority of the respondents are supporting more strongly that tourism has increased, drug abuse, prostitution, pollution, corruption, illegal practices, overcrowding and congestion and adoption of western culture and increase in price of essential commodities. After applying chi-square test it was found that opinion of respondent's are not normally distributed and more towards lesser side.

Suggestions:

1. The tourism priorities and preferences are changing regularly in respect of attractions and facilities. Thus the concerned department should conduct regular survey on tourist behaviour to fulfill their expectations and satisfaction level. It will definitely helpful to sustaining tourism to compete at national as well as at international level.
2. In order to exploit tourist places properly, all the places of tourist attractions must be published at every level and tourist information centres must be well equipped with information about all the places of tourist interest.
3. In Chamba Distt. there are certain beautiful places, temples and other historical places, which are not still connected with road network. So the Department should make efforts to provide link roads to all such places so that tourists can visit all these places conveniently. Further number of deluxe buses and taxi services should be increased and regularized properly.
4. Package tour is an area which requires a special attention. A well organized tour is comparatively cheaper and offers immense opportunities to enjoy the diverse attraction in Chamba Distt. The various

concessions should be given to promote the tourists traffic inflow in Chamba Distt. It includes various incentives such as family concession, group concessions, stay concession, seasonal concession etc.

5. Private sector investment should be encouraged to boost the tourism industry in Chamba district. The Govt. should make a provision in the policy so that a part of profit should be invested by private players for the development of tourism in Chamba Distt. and priority should be given in employment for youth of Himachal Pradesh only.
6. Keeping in views the impact of tourism and its foreign exchange earnings financial contrast on tourism development should be taken into account in the light of potential for outside borrowings through FDI.
7. The adventure tourism and special interest tourism should also be promoted at international standard. It is also observed that tourists are not feeling secure during their visits for certain destinations. Therefore, it is suggested to ensure their safety factors adequately so that they can travel freely without any fees.
8. The negative impact of tourism is serious matter. It is observed that tourism development is responsible for the loss of moral value. Overcrowding and congestion. Therefore the Govt. as well as department is tourism should make time bound efforts to control and minimize all these negative aspects of tourism development. The Govt. of H.P. should make certain effective measure's or master plan to control the problem of overcrowding and congestion in Chamba Distt.

References:-

1. Aiims. P. Muhammed & Dr. Jagathyray V.P. Challenges faced by Kerala Tourism industry.
2. A.K. Bhatia "Tourism Development – Principal and Practices." New Delhi Sterling publisher Pvt. Ltd.
3. Mohanti Pragerti "Hotel Industries and Tourism in India" Ashish Publishing House, New Delhi 1992.
4. Pran Nath Seth "Successful Tourism Management" Sterling Publishers Pvt. Ltd. New Delhi. 1985.
5. Krishan Singh "The problem of Tourism Management in Uttar Pradesh, opportunities and challenges" Deep and Deep Publication, New Delhi. 1996.
6. Dr. S.V. Sudheer "Tourism problems and Prospects" CBH Publication 2009.
7. Mosih Sushil Handbook of Travel, Tourism and Hospitality Management, Published by Global India Publication, March, 2011.
8. Stephen Bable, Susan Horner "Contemporary Hospitality and Tourism Management issues in China

and India published by Butterworth-Heinemann, 2007.

9. Kumar Dr. Arvind "Introduction of Travel & Tourism Management & Tourism Resources of India Walnut Publication .com 2021.
10. M.R. Dileep, Tourism Concepts, Theory and Practice. Published by I.K. International Publishing House Pvt. Ltd, 2018.
11. Philip Kotler, John. T. Bowen, Marketing for Hospitality and Tourism Pearson Publication, Delhi, 2018.

Journals:-

1. Asian Journal of Tourism and Hospitality Research Vol.5, No. 2, (2011)
2. Asia Pacific Journal of Tourism Research Volume 26, Issue 9 (2021).
3. South Asian Journal of Tourism and Hospitality Volume- I, Issue 1, (January, 2021).
4. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism Volume 20, No. 3, (2020).
5. International Journal of Hospitality Management Volume 98, Sept, 2020.
6. Journal of Hospital and Tourism Management Volume 47, June, 2021.
7. The International Journal of Human Resource Management, Volume 32, Issue 11, 2021.
8. Journal of Travel and Tourism Marketing Issue I-2, Volume 30, 2013
9. International Journal of Hospitality and Tourism Management in the Digital Age Volume, 5 Year 2021.
10. International Journal of Hospitality and Tourism studies Volume 2, No.1, June 2021.
11. Tourism policy 2005, Govt. of H.P., Department of Tourism and Civil Aviation.
12. Tourism Policy 2019, New Tourism policy for tourist in Shimla.
13. Pragati & Mohanty Industry and Tourism in Indian 2008.

Articles:

1. Guttertag D.A. (2009) The Possible Negative Impacts of Volunteer Tourism, International Journal of Tourism Research.
2. Creswell, J.W. (2013), Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Sage Publications.
3. Hundt Anna "Impact of Tourism Development on the Economy and Health of Third World Nations." Journal of Travel Medicine, Volume-3, No.1.
4. Michael D. Collins & Michelle Miller, "Tourism Perception of Destination Image, Safety and Aggressive Street Behaviour, 2019.
5. Simon Hudson et. al., "The Impact of Social Media on Consumer Decision Process: Implication for Tourism Marketing Volume, 30.

Table-1.1: Analysis of the views of General Public Regarding Economic Impact of Tourism Department

Description	To very	To High High extent	To Some Extent	Not Extent	Total at All	Chi -square
To what extent tourism development has increased your standard of living	16	54	20	10	100	45.58
To what extent tourism development is helpful in increasing your per capita income.	43	40	12	5	100	44.72
To what extent you think that tourism development provides better market for local product	30	38	22	10	100	17.12
To what extent you think that tourism development is a major source for carrying foreign exchange to H.P.	21	23	40	16	100	13.04
To what extent you think that tourism development is the main source of income of locality	20	23	40	17	100	13.72
To what extent you think rural tourism that "Har Gaon Ki Kahani" & "Home stay plan" is beneficial for Tourism. Development in the region.	10	42	31	17	100	24.56

Table-1.2: Analysis of the views of General Public Regarding Social Impact of Tourism Development

Description	To very	To High High extent	To Some Extent	Not Extent	Total at All	Chi -square
To what extent you think that development of Tourism has increased your level of education	29	41	17	13	100	19.20
To what extent development of tourism is helpful in generating more employment opportunities in your region	40	33	21	6	100	26.64
To what extent tourism development is helpful in developing your social status	23	41	19	17	100	14.40

Table-1.3: Analysis of the view of General Public Regarding Impact of Tourism on Culture

Description	To very	To High High extent	To Some Extent	Not Extent	Total at All	Chi -square
1.Do you agree that tourism development is helpful for preservation of cultural heritage, if yes to what extent	32	36	22	10	100	16.16
2.Do you think that tourism development is helpful to encourage to save the past traditions if yes to what extent	22	37	28	13	100	12.24
3.To what extent tourism development is helpful to generate better understanding among different culture.	35	25	22	18	100	6.12
4Do you feel that tourism development is responsible for deterioration of culture values.	12	30	37	11	100	35.76

Table-1.4: Analysis of the views of General Public Regarding Impact of Tourism on Infrastructure

Tourism Development is Helpful for increasing	To very High extent	To High Extent	To Some Extent	Not at All	Total	Chi- square
(a) Health Services	19	33	30	18	100	6.88
(b) Road Facilities	31	25	12	22	100	2.16
(c) Entertainment Facilities	33	37	16	14	100	16.36
(d) Telecom facilities	35	39	23	3	100	31.36
(e) Information Facilities	30	35	25	10	100	14.00
(f) Tourism Development has helped in the overall development	28	32	20	20	100	4.32

Table-1.5: Analysis of the views of General Public Regarding Negative Impact of Tourism Development

S.	Negative Impact	To High	To Some Extent	Not agree Extent	Total	Chi-square
1.	Do you think that tourism has increased drug abuse	30	48	22	100	9.69
2.	To what extent tourism has increased prostitution	20	42	38	100	8.06
3.	Do you think tourism has increased pollution	12	52	36	100	23.16
4	Tourism development is responsible for the loss of morale value	42	34	24	100	8.92
5	Tourism development is responsible for adoption of western culture in the areas	46	34	20	100	10.30
6	To what extent tourism development is responsible for overcrowding and congestion in the state	44	37	19	100	9.85
7	Tourism has increased the crime rate	19	33	48	100	12.76
8	Do you think tourism has increased illegal practices	22	33	45	100	8.02

Banking Frauds in India: An Analysis of Causes and Impact

Dr. Nandini Sengupta* Navya Menon** Pranav Khandelwal***

* Associate Professor (Economics) K.C. College, HSNL University, Mumbai (Mh.) INDIA

** Final Year Undergraduate Students (Economics) K.C. College, Mumbai (Mh.) INDIA

*** Final Year Undergraduate Students (Economics) K.C. College, Mumbai (Mh.) INDIA

Abstract - The Indian Banking industry has always been on the forefront of reforms and is considered a stable system despite the global upheavals and internal conundrums. However, the problem of banking frauds is a cause for concern. This paper analyses commercial banking frauds, its causes and impact on the Indian banking sector. The paper dives into breaking down the numbers about the relationship between banking frauds, non-performing assets (NPAs), profitability and bank advances which depicts a worrisome picture of the system. Apart from investigating the causes behind these frauds, the paper tries to steer the wheel towards a dialogue on the possible measures that the authorities and the system can implement to mitigate the impact of frauds on the economy, as well as improve the reputation of the banks.

Keywords- Banking Frauds, Non-performing Assets(NPA), Public Sector Banks, Private Sector banks, Gross Advances, Profitability.

Introduction - The banking system is an important institutional and functional vehicle for economic transformation. The Indian banking sector is a steadfast system which has emerged unscathed throughout various global disruptions and upheavals. Though the system has incorporated multiple changes and tackled innumerable challenges, one problem that it continues to face is the issue of frauds in the sector. This is a growing cause for concern for the regulators. *RBI defines a banking fraud as "a deliberate act of omission or commission by any person, carried out in the course of a banking transaction or in the books of accounts maintained manually or under computer system in banks, resulting into wrongful gain to any person for a temporary period or otherwise, with or without any monetary loss to the bank."*

This paper has the following objectives:

1. To introspect the extent and reasons behind frauds in the banking sector.
2. To analyse the impact on banking variables like gross advances, non-performing assets, bank profitability due to banking fraud.
3. To critically analyse the measures implemented.
4. To propose suggestions to mitigate banking frauds in India.

Review of Literature

There have been many studies highlighting the problem and causes of banking fraud in India. One of the principal reasons for the rise in banking frauds can be attributed to

improper implementation of code of conduct, inadequate training, and punitive system. **A.Kaur (2020)** states that bank frauds are mainly advanced linked deceit and service linked deceit. Quite often the mortgaged asset in fraudulent cases tends to be overvalued which acts as a hindrance in the loan recovery process. **PWC and ASSOCHAM (2015)** touches upon the issue of fraudulent documentation, overvaluation and absence of collateral. **Soni and Soni (2013)** found that private and foreign sector banks have significantly more cyber frauds than PSB's. Some of the prominent forms of cyber-crimes are hacking, social engineering, debit or credit card skimming. Inadequate monitoring of the funds sanctioned often causes a problem of frauds in the banking system.

Analysis of Commercial Banking Frauds in India -

Post liberalisation the number of bank frauds and the amount involved have increased significantly. **The Deloitte Indian Banking Survey III (2015)** throws up an interesting statistic, that the average time taken to uncover a fraud is about 12-24 months for small frauds of less than 100 crores while it takes as much as 63 months to uncover large amounts of fraud. The RBI has classified banking frauds in the following types:

- a. Misappropriation and criminal breach of trust.
- b. Fraudulent encashment.
- c. Unauthorised credit facilities extended for reward or for illegal gratification.
- d. Cash shortages.

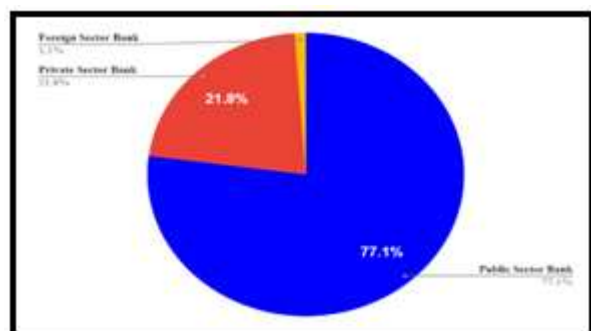
- e. Cheating and forgery.
- f. Fraudulent transactions involving foreign exchange.

Table 1: Frauds in Indian Commercial Banks

Year	Amount Involved (Rs. million)	Percentage growth	Number of Frauds	Percentage growth
2013-14	10,093	14.2	4,302	1.5
2014-15	19,456	48.1	4,644	7.4
2015-16	18,698	-4.1	4,690	0.9
2016-17	23,928	21.9	5,071	7.5
2017-18	41,167	41.9	5,916	14.3
2018-19	71,543	42.5	6,801	13
2019-20	1,85,644	61.5	8707	21.9

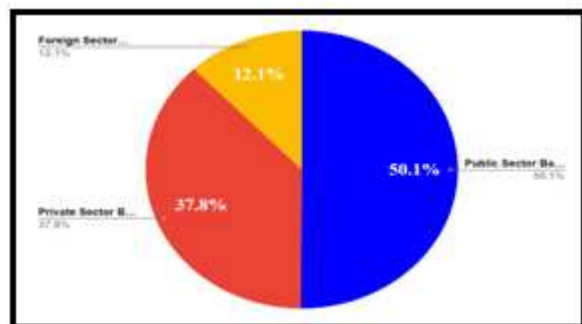
Source: Trends and Progress Report, RBI various issues Table.1 delineates that over the years the amount involved in frauds has shot up drastically, while the growth in number of frauds has increased consistently. The year 2013-14 reported a 14% growth in the amount involved in frauds and a 1.5% growth in the number which shot up by 61% and 22% respectively by 2019-20. Looking deeply into the different groups of banks like Public Sector Banks (PSB) Private Sector Banks (PVB) and foreign banks we find some interesting insights.

Figure 1: Amount of Frauds Bank Group-Wise



Source: Trends & Progress Report 2016-17 - 2020-21, RBI

Figure 2: Number of Frauds Bank Group-Wise



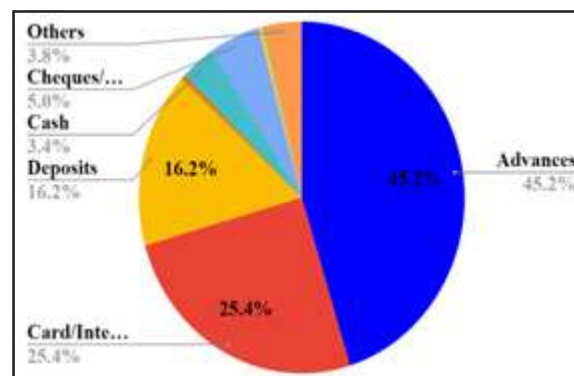
Source: Trends & Progress Report 2016-17 to 2020-21, RBI

It is evident from Figure 1 and Figure 2 that over the period 2016-2021, 50% of the number of frauds occurred in public sector banks (PSB) with the involvement of 77.1% of the amount. However, in case of both private and foreign

banks the percentage share of the number of frauds (37.8% and 12.1% respectively) is more than the percentage share of the amount involved (21.8% and 1.1% respectively). This means that in these two sectors the average value of the frauds is less than that in PSBs. This indicates the very nature of fraud in the case of private and foreign banks. In these banks online/cyber/technology related frauds have a high frequency of occurrence which are associated with relatively low cost. (Singh et al 2016)

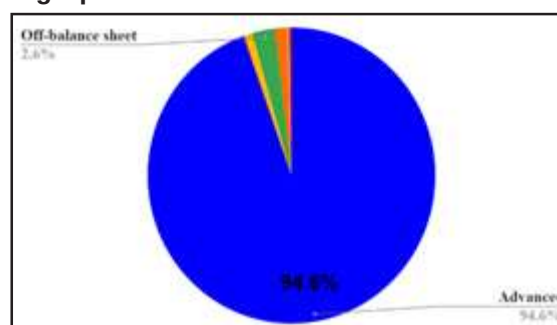
According to the RBI, there are different banking operations which have reported frauds over the years. These can be related to advances, card/internet, deposits, off-balance sheet, foreign exchange transactions, cash, cheques/demand drafts, inter-branch accounts, clearing and non-resident accounts etc. Of all these varied operations the maximum number and amount involved in frauds are related to advances or credit.

Figure3: Total number of Frauds according to Banking Operations



Source: Trends & Progress Report 2015-16 - 2019-20, RBI

Figure 4: Total Amount involved in frauds according to Banking Operations



Source: Trends & Progress Report 2015-16 - 2019-20, RBI Figure 3 and Figure 4 indicate that 48.7% of the total number of frauds that have occurred between 2015-2020 arise from advances involving 94.6% of the amount of frauds. Cybercrime has also significantly contributed 29.4% in the total number of frauds. Higher advance related frauds of above Rs 1 crore in PSBs and PVBs are witnessed because banks give loans for large and long gestation projects like infrastructure, power, or mining sectors. These facts are supported by our first regression analysis.

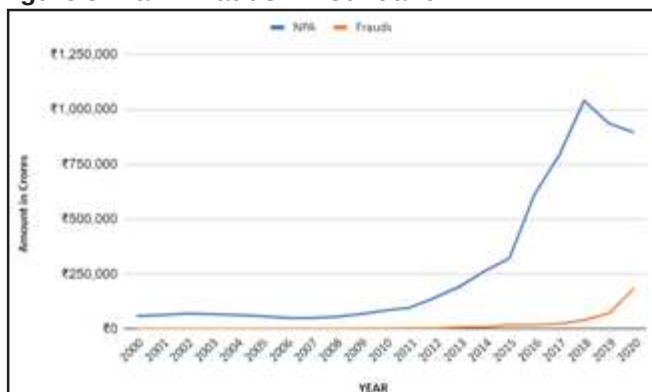
Table 2: Regression Analysis of Impact of Gross Bank Advances on amount involved in Bank Frauds

Null Hypothesis (H0)	Bank Gross Advances do not lead to Bank Frauds
R square	0.672466
Coefficient of the independent variable	0.008078
p value	0.000839

Considering Gross advances of banks as our independent variable and amount involved in bank frauds as the dependent variable we ran a regression for the period 1999-2000 to 2019-2020. The results suggest that there is a direct relation between bank advances and bank frauds as the coefficient value is positive i.e. 0.0081. The output gives an R square value of 0.6725 which explains a 67% variability in the dependent variable i.e. bank frauds due to a change in the gross advances. However due to a low p value at 5% level of significance we reject the null hypothesis and conclude that bank advances have a significant effect on bank frauds.

Our second regression analysis finds out the impact of bank frauds on NPAs of commercial banks. The following Figure 5 shows the increasing amount of bank frauds and the rising trend of NPAs. Although the amount involved in bank frauds is a small percentage of the amount of NPAs, the graph shows that as frauds increased the NPA also increased. There was a gradual increase in NPAs due to the global financial crisis and the external shocks in the system. **S.Pan(2020)** shows that the NPAs were on the rise due to the mix of aggressive and careless lending along with wilful loan default/frauds and ongoing economic slowdown resulted in rapid rise in bank NPAs. In 2015, the RBI conducted an Asset Quality Review (AQR) which led to an erosion of profitability of the commercial banks and a sudden spike in the NPAs in 2016. Since 2018 the trend has reversed but NPA levels continued to be very high.

Figure 5: Bank Frauds Amount and NPA



Source: Data Base of the Indian Economy 1999-2000 to 2019-20, RBI

Table 3: Regression Analysis of Impact of Bank Frauds on Non Performing Asset

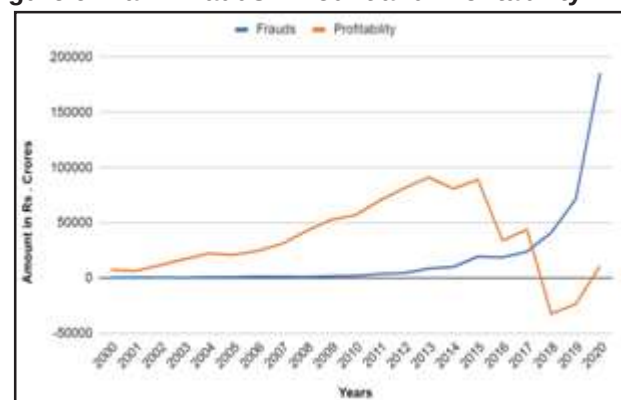
Null Hypothesis (H0)	Bank Frauds do not lead to NPAs

R Square	0.511100821
Coefficient of the independent variable	5.819946503
p value	0.000270468

In order to analyse the impact of bank frauds on the NPA of banks we ran a regression for the period 1999-2000 to 2019-2020. The result suggests that there is a direct relation between the two variables as the coefficient value of the independent variable is positive i.e. 5.82. The output of the test proves that there is a relatively strong relationship between bank frauds and NPAs. The R square value of 0.511 suggests that 51% of variability in the NPAs can be explained by bank frauds. We reject the null hypothesis due to a low p value which is less than 5% level of significance. Thus, we conclude that bank frauds have a significant effect on NPAs.

Lastly, we analyse the impact of bank frauds on net profitability of banks. We chose the period 2008-09 to 2018-19. During these years the commercial banks started witnessing an increasing amount of frauds in each passing year. Figure 6 clearly brings out the fact that as bank frauds increased profitability of banks went in the southward direction.

Figure 6: Bank Frauds Amount and Profitability



Source: Trends and Progress Report 1999-2000 to 2019-20, RBI

Table 4: Regression Analysis of Impact of Bank Frauds on Profitability of Banks

Null Hypothesis (H0)	Bank Frauds do not lead to loss of profitability
R Square	0.660130497
Coefficient of the independent variable	-1.63194284
P value	0.002372571

After running a regression of net profitability on the amount of bank frauds for the last 10 years we found that, there is an inverse relation between the two variables as the coefficient value is negative i.e. -1.63. The output of the test shows a strong inverse relation between the variables. The output gives a R square value as 0.66 which shows that 66% variability in bank profitability can be explained by bank frauds. We reject the null hypothesis as p value is less

than 5% level of significance. Hence, we conclude that bank frauds significantly lead to a loss in profitability of the banks.

2. Measures Taken and Suggestions - The regulatory authorities have taken multiple steps in at improving the financial health of commercial banks in India like The Whistle-blower Act, Early Warning Signal (EWS) and Red Flagged Accounts (RFA), Central Fraud Registry, Central Vigilance Commission (CVC) and Central Fraud Monitoring Cell. This paper proposes three key suggestions

a. Employing Artificial Intelligence by the Indian Banking Sector by integrating their existing technology with Data mining, Pattern Recognition and Network Machines Learning. One of the applications of AI in the banking sector could be the use of **Behavioural analytics** using machine learning to understand and anticipate behaviors at a granular level across each aspect of a transaction.

b. Multiple Audits can be done to enable the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework.

c. 3 Ks of Fraud Analysis: The paper proposes an extension of the Know your customers (KYC) norms by adding the concept of KYO (Know Your Organisation) and Know Your Markets (KYM). Through KYO banks must analyse the history of the company extensively and through KYM (Know Your Markets) banks must analyse the markets or the sectors where their money is going to be invested. Such a practice might reduce the uncertainty that the future holds.

Due to the pandemic, there has been a surge in digitisation in the banking sector, which has further opened the doors for cybercrime. Thus keeping a close watch on cybercrime numbers is of paramount importance. Indian banks have shown resilience throughout the pandemic period and have maintained higher provisions throughout the crisis which makes them well equipped to absorb the shock. Stringent action by authorities along with finding means of fraud prevention and reduction is the only way forward to safeguard the credibility of Indian banks and give a face-lift to the banking sector of the country.

References:-

1. Bandhyopadhyay, T. (2020). "Pandemonium- The Great Indian Banking Tragedy" (1st ed.). Lotus Roli.
2. Bernard.A, Barreto.B, D'Silva.R, (May, 2019). "Impact of Frauds on the Indian Banking Sector". IJITEE, 8(7S2), Blue Eyes Intelligence Engineering and Science Publication.
3. Bhasin, M.L. (Feb, 2016), "Integration of Technology to Combat Bank Frauds: Experience of a Developing Country". Research Gate, 23(2), Wulfenia.
4. Chakrabarty K. C. (July, 2013). "Fraud in the banking sector – causes, concerns and cures". Accessed on: 15/02/2021, <https://www.bis.org/review/r130730a.pdf>.
5. Chari. A, Jain.L, Kulkarni.N (October, 2019). "The Origins of India's NPA Crisis". 2019-0<https://indianeconomy.columbia.edu/sites/default/files/content/201904-Chari%20et%20al-NPA%20Crisis.pdf>
6. Deloitte. (2015). "India Banking Fraud Survey Edition III". Accessed on: 24/01/2021, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/finance/in-finance-DeloitteIndiaBankingFraudSurveyIII-noexp.pdf>
7. Deloitte. (2018). "India Banking Fraud Survey Edition III". Accessed on: 24/01/2021 <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/finance/in-finance-DeloitteIndiaBankingFraudSurveyIII-noexp.pdf>
8. Gandhi.R. & RBI. (n.d.). "Financial Frauds – Prevention: A Question of Knowing Somebody"[Press release]. Speech, ASSOCHAM Financial Fraud Conference
9. Goel, S. (May, 2017). "The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016: Problems & Challenges". IJIR, 3(5), ISSN: 2454-1362, Research Gate.
10. Gupta P. K., & Gupta S. (2015). "Corporate frauds in India – perceptions and emerging Issues". Journal of Financial Crime, 22(1), 79-103, Emerald Insights.
11. Kaliappan.M, (September, 2020). "Status of NPAs & their Impact on the Public Sector Banks and the Economy in India", WJEF, 6(1), P-150-156, Premier Publishers.
12. Kaur, A. (2020), "Banking fraud: A conceptual framework of dredging up various banking scams, causes and preventive role of law enforcement agencies". PJAEE, 17(6), PALARCH
13. Khanna. A, & Arora. B, (2009). "A study to investigate the reasons for bank frauds and the implementation of preventive security controls in Indian banking industry", Int. Journal for business and applied management, 4(3).
14. Kundu. S. & Rao. N. (2014). "Reasons Of Banking Fraud – A Case Of Indian Public Sector Banks", IJISMRD, 4(1), Trans Stellar.
15. Pan, Sunindita (April, 2020), "Analysis of Frauds in Indian Banking Sector" International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456- 6470, Volume-4 Issue-3, pp.70-73.
16. PWC and Assocham. (June, 2016). "Current fraud trends in the financial sector". Accessed on: 26/01/2021, <https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2015/current-fraud-trends-in-the-financial-sector.pdf>.
17. Reserve Bank of India, "Trends and Progress Report" and 'Financial Stability Report', various issues.
18. Reserve Bank of India. (July, 2017). "Master Directions on Frauds – Classification and Reporting by commercial banks and select FIs
19. Sharma, N., & Sharma, D. (April, 2018). "Rising Toll of Frauds in Banking: A Threat for the Indian Economy". JTMGE, 9(1), 71-88.
20. Singh, C. et al (March, 2016). "Frauds in the Indian

- Banking Industry". IIMB,WP No: 505*
21. Soni, R. R., &Soni, N. (June,2013). "*An Investigative Study of Banking Cyber Frauds with Special Reference to Private and Public Sector Banks*". Research Journal of Management 2(7), 22-27, International Science Congress Association.

Rise of Taliban and the State of Refugees

Garima Singh Parihar*

*Assistant Professor, B.K.S.N. Govt. PG College, Shajapur (M.P.) INDIA

Abstract - At the dawn of August 15, 2021, when India was celebrating its 75th Independence Day, a country not far from its land was on the verge of losing its glory, virtue and liberty. Afghanistan government was thrilled by the country's rebellion force, the Taliban with the fleeing of President Ashraf Ghani from the soils of Afghanistan after the United States had signed a peace agreement with the Taliban and decided to withdraw the US and NATO troops. The pictures and videos of people trying to leave Afghanistan thereafter are indicative of the state of turmoil and susceptibility that they are in. It has put the global community in question as to where the world is heading to? The Taliban claims on the almost entire territory have annulled the process of democratisation which already was in the embryonic stage. This article thus looks at the prospects and possibilities for a new refugee crisis from Afghanistan following the Taliban's takeover in 2021 and attempts to explore the factors both internal and external, responsible for it. The article also tracks the history of the refugee crisis and humanitarian issues arising from Afghanistan for nearly four decades now since the invasion of the Soviet Union in 1979.

Introduction - Afghanistan a nation at the gateway between Asia and Europe has been rightly known as the Graveyard of Empires. If one looks at the history of the nation, one notices that it did not happen the same always. The nation has a glorious past of valour and victory. Time and again it had been under domination by foreign invaders and internal and indigenous conflicting groups but managed to emerge victoriously. It was conquered by Darius I of Babylonia circa 500 B.C., Alexander the Great from Macedonia in 329 B.C., followed by the invasion of Mahmud Ghazni in the 11th century and Genghis Khan in the 13th century. But only by 1870 when it was invaded by various Arab conquerors that Islam as the foundational value got established in the region. The nation showed its power and valour every time it was tested and even defeated the British in the British-Afghan War (1919-21) when was long seen as a buffer zone between the warring Britain and Russia. The era of the cold war decided the fate of Afghanistan in many ways. Since the 1950s Afghanistan looked towards the Soviet Union for economic and military assistance and eventually got distanced from the United States of America. The period thereafter was a period of democratic social and political reforms, women's rights, constitutional government and the rise of communism on Afghan soil. In retaliation to the rise of communism, conservative Islamic and ethnic groups namely, the guerrilla movement Mujahadeen was created. With this comes the dark phase of Afghanistan when the USSR invades Afghanistan on December 24, 1979. By this time the US had stopped all its aid to Afghanistan and

various international players shaped Afghanistan internal politics.

History of Taliban - By the end of the 1990s, various other internal factions within Afghanistan have created in response to the growing Soviet regime and one among them was the Taliban.

The Taliban, which means "student" started as a faction of students with values of Islam and promised people necessary security and a country free from the corruption that was rampant in the then state. Only later in 1996, it emerges as a movement, as the backwash of the Afghan war since the new government couldn't establish peace and the country was fallen to assault, violence and sufferings at the hands of militias. The lamenting masses found some refuge in the ideas of the Taliban and was welcomed by them. But the subsequent repressive course adopted by the Taliban based on conservatism and orthodox values of the "sharia law" in the name of interpretation of Islam following a strict religious ideology with inputs of both Wahhabi puritanism and conservative Pashtun code, made it face significant resistance both from within and across the borders. Also, the militant wing of the Taliban is dominated by the extremist Haqqani network and its ideas. Apart from the Taliban being a mass violator of human rights, it was also being targeted by global powers especially the USA for giving shelter to terrorists like Osama Bin Laden, founder leader of the terrorist organisation Al Qaeda which was responsible for the 9/11 attacks on the USA. Thus, soon the Taliban was clamped down by the USA with the

deployment of NATO forces and US troops in early 2003 and once again the foundations of constitutional democracy on the lines of the USA were laid.

The Taliban however, never actually got vanished from the region and in the past two decades has only expanded its base and has got strengthened in terms of power and structure. This can be seen from the fact that the USA government made the Afghan Peace Treaty with the Taliban as an important player within it.

The Taliban group caused atrocities to all sections of societies with its hard-line policies since it first came to power. The policies included maintaining the stronghold of "Islam" in the region. Systemic destruction of non-Islamic relics and ideas was witnessed in the country. The destruction of Buddhist sites in Bamiyan is one such example. The women were denied even the most basic social and political rights including education and employment. The videos and images of public execution and harsh punishments inflicted for even baser crimes to both men and women still haunt the memories of people. The Tajiks, the Uzbek, the Hazara and various non- Pashtun ethnic communities in the north, west and central parts of the country were among the worst sufferers.

State of Refugees in Afghanistan - The return of Taliban and abrupt takeover in Afghanistan after nearly twenty years with the US and NATO forces moving out of the nation and the advent of a new wave of renewed fighting, reduced freedom or economic disaster is seen with apprehensions, fears, mistrust and has triggered profound concerns among the Afghans and the world community. Among many, one key concern that looms on the Afghans is an imminent refugee crisis. The 1951 Geneva Convention defined a refugee as someone who has a "fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country". Afghanistan accounts for being the biggest producer of refugees in South Asia and only third in the world after Syria and Venezuela.

The humanitarian situation inside the state deteriorated in 2021 with significant consequences for all sections of society but most notably for the already vulnerable ones. Thus, more than 8 million refugees from Afghanistan are today displaced and dispersed in different corners of the world since the 1979 soviet invasion.

UNHCR data reveals that the current surge in refugees would increase the number of refugees already displaced within and beyond the national borders during the four decades of war. Already, approx. 2.2 million registered refugees have fled only to the neighbouring areas of Afghanistan namely Iran, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan. Also, more than a million refugees and asylum seekers have taken the routes to Europe with Turkey and Germany being the mainlands of refugee attraction.

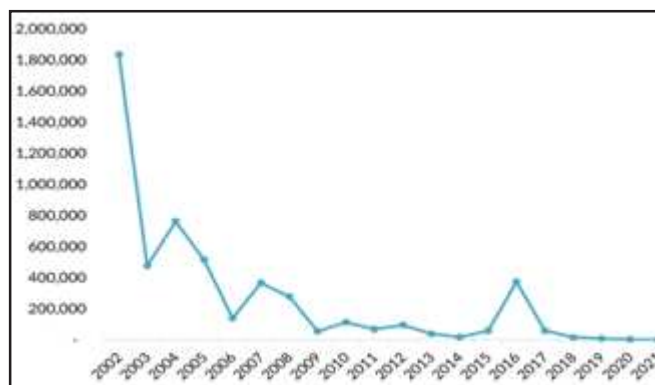
Within Europe, Germany hosts the largest number of Afghan nationals. Figures from the German Federal Statistical Office reveal that nearly 272,000 as of 2020, are being hosted by it.

Pakistan alone holds 59.9% of the total refugees of Central and South Asia followed by Iran with 33.3% of the total count. UNHCR has recorded 68,330 newly arriving Afghans who may require international protection to neighbouring countries since the start of the year, composed of 47% children and 26% women in Iran and 50% children and 25% women in Pakistan. In Tajikistan, Afghan new arrivals are composed of 31% women and 40% children. [1]

Thus, the children constitute the worst sufferers of the crisis followed by women and men respectively. Also, the data reveals that the number of newly arrived Afghans in need of international protection to the neighbouring countries since January 1, 2021, has seen a spike and more than a million people have been displaced out of which nearly 82,000 have again fled to just three states namely Pakistan, Iran and Tajikistan. However, the UNHCR itself accepted that the real number of Afghans in need of Refugee protection is likely to be much more as a huge number goes unregistered.

Also, a further return of 5.3 million refugees has been registered in different phases but owing to the growing violence and instability in the nation a sharp decrease in the phenomenon can be noticed today.

Figure 1. Refugee Returns to Afghanistan, 2002-21



Note: Data for 2021 run through August 23.

Source: UN High Commissioner for Refugees, "Operational Data Portal: Afghanistan Situation," updated August 23, 2021, available online.

Only 1,304 refugee returnees for the South Asian region have been registered so far in 2021. Though Pakistan's and Iran's land borders remain largely shut to Afghanistan after 2002, bi-directional movements are pertinent to those with valid visas, passports and grave medical ailments. Cross-border movement of more than 500 Afghan nationals a day across the Chaman-Spin Boldak, one of the mainland border crossing points between Afghanistan and Pakistan is discernible with its reopening on November 2, 2021. Afghans crossing the borders often lead a check by joint

existence through the flurry of the movement. In the same vein, a whopping number of more than 5000 migrants are reported in Iran, predominantly from irregular crossing arenas.

Amidst the spike in the cases of unwarranted deportation of Afghans, the UNHCR continues to exhort countries to keep the borders porous for the safe movement of the Afghans with its UNHCR's non-return advisory for Afghanistan. During the reporting period, UNHCR has observed an average daily deportation rate of 3,200 Afghans from Iran, 11 individuals have reportedly been deported from Tajikistan while 45 families remain at risk of deportation and about 1,800 individuals have been deported from Pakistan in September and October. [2]

Also, in line with the Joint Declaration on Migration Cooperation (JDMC), formed in 2021 by replacing the Joint Way Forward (JWF) agreement that was signed in 2016, more than 30,000 Afghans were deported from European Union between 2016 and 2020 from nearly 27 member states. Turkey has also managed to deport some 6000 Afghans deported in 2020.

Now, the likelihood of a new Afghan humanitarian crisis will be shaped by both internal and external factors. First and foremost, a lot will depend on how the Taliban carries forward the policies and structure of the newly made government. If an analysis of the leadership and structure is attempted, it can be noticed that the most hostile and conservative of the Taliban leaders have been given the top positions and most important portfolios. Thus, the apprehensions continue to exist but a lot will depend on the direction that the leadership takes. Somewhere even the Taliban has a sense of realisation that this time it is not going to be easy as even after 100 days of coming to power, it still struggles for recognition and cooperation of the international community. It is continuously striving for and getting indulged into bilateral and multilateral talks with many powers including India.

However, though the Taliban claims to be a changed government, the reality holds different when the group right after coming to power takes away equal rights of women and forces them to study only with fellow girls in Madarsa and only female teachers could impart them education; various restrictions with clothing have again been imposed, in retaliation to which women of Afghan nationality from all over the world hurled an online campaign where they were dressed up in colourful traditional Afghani attires with identity hashtags to criticise dress code imposed under the Taliban rule. Various videos today are available on multimedia where still the punishments are inflicted based on Sharia law and no constitutional value is taken heed of.

Also, if external factors are stated the refugee crisis cannot be handled without aid and assistance from the international community. Soon after the Taliban came to power all necessary aids from Europe and U.S. has been stopped. An imminent question is whether the withdrawal

of American troops will lead to the abandoning of Afghanistan by the international community. It is now that Afghanistan stands in the dire need of funds and other humanitarian assistance for its catalytic sustenance but major financial institutions like International Monetary Fund and the World Bank have stalled financial aid to the nation. The suspension of financial help to Afghanistan by the desisting powers will further push the country into the abyss of penury. EU foreign policy chief Joseph Borrell said the Taliban must respect U.N. Security Council resolutions and human rights to earn access to some 1.2 billion euros (\$1.4 billion) in development funds earmarked through 2024. [3] **Way forward** - The pressing need is that necessary resources be provided to the refugees and the vulnerable sections. Various NGOs, international and regional organisations as the United Nations and its bodies as UNHCR, UNESCO are continuously striving through various programmes namely UNHCR's Persons with specific needs (PSN) program which is an integral part of the Operation's Protection and Solution Strategy.

Afghanistan and Afghan organizations' ongoing relationship with the international community can decide the new government's performance and ability to maintain control. External pressures, particularly from Afghanistan's neighbours, may limit civilians' ability to flee. Negotiations between the Taliban and opposition forces is the need of the hour as it could lead to an inclusive government.

The deported Afghans live in a vicious world of destitution and omittance following their return. Rampant poverty, unemployment and make every night a burden and every passing power a pain for the returned refugees. Pandemic has further escalated the already teeming helplessness, forcing the returnees to fall into the abysmal avenues of poverty and hunger.

To tie up the loose ends and reach a satisfying resolution it is important that talks between Taliban and the resisting forces as ISIS, ISIL, northern forces chart out a plan for the running of the country as much of the political stability would depend on that. It would bring peace and the number of fleeing people from the state could be lessened. Global actors as the European Union and the United States could contribute by providing economic and humanitarian support to Afghan organisations operating on the ground. The role of India who lacks an indigenous refugee policy and has huge strategic interests in Afghanistan will also be both important and interesting to witness.

Constitutional government, good governance and effective delivery of basic services could therefore help reinforce the new government its lost mandate. Attention needs to be given to both former refugees and other returned migrants, whose reintegration will be critical for Afghanistan's future. Diplomatic relations and deliberations would play an important role in this regard.

References:-

1. Taliban- political and religious faction, Afghanistan (2021) [Online] Available at <https://www.britannica.com/topic/Taliban> UNHCR Global Compact on Refugees (2019) [Online] available at <https://globalcompactrefugees.org/article/afghanistan-refugee-situation>
2. UNHCR Afghanistan (2021) [Online] available at <https://data2.unhcr.org/en/country/afg>
3. Nasrat Sayed, Fahim Sadat, and Hamayun Khan(2021) Will the Taliban's Takeover Lead to a New Refugee Crisis from Afghanistan? [Online] Available at <https://www.migrationpolicy.org/article/taliban-takeover-new-refugee-crisis-afghanistan>
4. A Historical Timeline of Afghanistan (2021) [Online] Available at A Historical Timeline of Afghanistan | PBS NewsHour

Websites:

1. <https://www.migrationpolicy.org/article/taliban-takeover-new-refugee-crisis-afghanistan>
2. <https://www.migrationpolicy.org/article/taliban-takeover-new-refugee-crisis-afghanistan>
3. <https://www.migrationpolicy.org/article/taliban-takeover-new-refugee-crisis-afghanistan>

राष्ट्रीय चेतना में समाज की भूमिका

कवीन्द्र सिंह बोरा *

*सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग) श्री गुरुनानक देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमत्ता साहिब (ऊधमसिंह नगर) भारत

शोध सारांश - समाज में अनेक प्रकार के तत्वों के सम्मिलित होने से ही उसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। राष्ट्रीय चेतना के लिए समाज में सार्वभौमीकरण की भावना का विकास होना आवश्यक होता है। अर्थात् कहा जा सकता है कि उनकी भावना छोटे-छोटे समूहों/समुदायों, जैसे धर्म, जाति, भाषा, राज्य, देश आदि तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। समाज में राष्ट्र के प्रति आस्था होनी चाहिए। तभी समाज में राष्ट्रीय चेतना आ सकती है। अगर समाज में राजनीतिक एकता हो तथा समाज में सम्प्रभुता बनाए रखने की विचारधारा व्याप्त हो तो राष्ट्रीय जागृति एवं चेतना अवश्य ही समाज द्वारा लायी जा सकती है। राष्ट्रीय चेतना के लिए समाज में राष्ट्रीय जागरूकता होना अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है। समाज में अपने देश के प्रति जब समर्पण की भावना, एकता तथा प्रेम की भावना होती है। तब यही सब भावनाएँ राष्ट्रीय जीवन को चेतना प्रदान करती हैं। भारतीय परिपेक्ष्य की बात की जाए तो भारत में अनेकता में एकता की भावना ही राष्ट्रीयता को जन्म देती है। तथा कहीं न कहीं राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनती है।

प्रस्तावना - किसी भी राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए वहाँ का समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज आपस के सम्बन्धों द्वारा निश्चित होता है। जैसा समाज होगा या कहेँ जैसी समाज में विचारधारा पनपेगी, राष्ट्र भी उसी दिशा की तरफ जाएगा। अगर हम राष्ट्र में चेतना की बात करें तो राष्ट्र से 'हम' की भावना का पता चलता है। प्रत्येक समाज अपने राष्ट्र से 'हम' की भावना से जुड़ा होता है। और चेतना उस स्थिति को कहा जा सकता है, जब व्यक्ति या समाज उस राष्ट्र से जुड़ाव या अपनत्व महसूस करे, स्वयं को उस देश का समझे और अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे। अगर भारत जैसे देश में राष्ट्रीय चेतना देखी जाए तो विशेषकर सेना के प्रति 'समाज' में एकता व राष्ट्र के प्रति लगाव देखने को मिलता है। समाज का राष्ट्र के प्रति इसी प्रकार का भाव राष्ट्रीय चेतना को अच्छे स्तर पर ले जाता है। राष्ट्रीय चेतना का अभिप्राय, राष्ट्र की चेतना शक्ति 'समाज' से ही है। समाज की उन्नति ही एक प्रकार से राष्ट्रीय चेतना लाती है। समाज में या समुदाय में जब एकता की भावना या एक सहज लहर हो। वही राष्ट्र कहलाता है।

अगर सामान्य अर्थ में समझा जाए तो 'समाज' को व्यक्तियों का संगठन या समूह समझा जाता है। जब हम किसी विशेष समाज जैसे - हिन्दू समाज, मुस्लिम समाज आदि शब्दों का उपयोग करते हैं। तब हम 'समाज' को इस सामान्य अर्थ में ही समझते हैं। जब अनेक व्यक्ति आदर्श से प्रभावित होकर जो कि सामूहिक हो, उस आदर्श को प्राप्त करने हेतु अग्रसर होते हैं। तो वही समाज कहलाता है।

अगर समाजशास्त्रीय परिपेक्ष्य में समाज की बात करें तो, समाजशास्त्र में 'समाज' का अर्थ व्यक्तियों का समूह या संगठन न होकर सम्बन्धों की व्यवस्था या संबंधों के जाल से है। मैकाइवर तथा पेज का कहना है, 'समाज सामाजिक संबंधों का जाल है।' व्यवस्थित स्वरूप को ही समाजशास्त्र में समाज कहा गया है।¹

अगर हम 'राष्ट्र' शब्द की चर्चा करें, तो राष्ट्र शब्द अंग्रेजी में 'Nation' कहलाता है। जिसकी उत्पत्ति 'लेटिन' भाषा के 'नेशियो' शब्द से मानी जाती है। 'नेशियो' शब्द का अर्थ होता है, जन्म या जाति। परन्तु राष्ट्र शब्द से

वास्तविक आशय एक विशेष क्षेत्र में रहकर वहाँ रहने वाली जनता, सरकार एवं परिस्थितियों को स्वीकार करना है। तभी वह एक राष्ट्र कहा जा सकता है।

इस संदर्भ में जेक्यूस मारिटेन लिखते हैं, 'एक राष्ट्र ऐसे लोगों का समुदाय है। जिनमें ऐतिहासिक जागरूकता पायी जाती है। जिनका एक भूतकाल होता है। जो अपने आप को अनिवार्यतः आन्तरिक रूप से प्यार करते हैं।'²

अगर राष्ट्रीय चेतना में समाज की भूमिका का भारत के संदर्भ में चर्चा करें, तो हमारे समाज के इतिहास कई प्रकार के आंदोलनों एवं स्वतंत्रता संग्रामों का वर्णन देखने को मिलता है। जिससे समाज में कई बार राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ है। समाज में जब असहनीय दबाव पड़ने लगता है, तो समाज में विद्रोह की भावना का उजागर होता है। जिससे समाज में क्रांति का भावना प्रबल रूप लेती है। यही क्रांति की भावना जब समग्र रूप से राष्ट्र में आ जाती है, तो यही राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप धारण कर लेती है। आज के समय में शिक्षित वर्ग द्वारा कई माध्यमों से समाज में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया जा रहा है। समाज जब अपने उग्र स्वरूप में आ जाता है। तो राष्ट्रीय चेतना स्वयं उत्पन्न हो जाती है। फिर वह संपूर्ण देश के लिए हो या फिर सरकार के किसी नियम के खिलाफ, अगर समाज की विचारधारा या दिशा सही हो तो राष्ट्रीय चेतना राष्ट्र के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। अगर समाज की दिशा विपरीत हो जाए तो राष्ट्रीय चेतना समाज का स्वयं विघटन भी कर सकती है। वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रीय चेतना शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्र के विकास एवं समाज के उत्थान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अगर चेतना विपरीत दिशा में हो तो वह क्रांति या आंदोलन का रूप ले लेती है। जो संभवतः कभी-कभी स्वार्थ पूर्ति हेतु भी की जा सकती है। हमारा देश क्रांति व आंदोलनों की उपज रहा है। कई बार राष्ट्र को जागृत किया गया, समाज में हर बार राष्ट्रीय चेतना का जागृत करने का प्रयास भी किया गया। फिर भी आज के समाज में यह चेतना शिथिल प्रतीत होती दिखाई दे रही है। आधुनिक समाज व्यक्तिवादिता की ओर अग्रसर हो रहा है। उसमें राष्ट्रवाद की भावना के स्थान पर व्यक्तिवादिता एवं उपभोक्तावादिता की भावना पनपने

लगी है। अधिकतम सुख की इच्छा एवं दिखावे की संस्कृति के कारण व्यक्ति राष्ट्र के प्रति उदासीन हो चुका है। जिस कारण अब समाज में राष्ट्रीय चेतना की भावना उस स्तर की नहीं रही, जिस प्रकार वास्तव में होनी चाहिए थी।

आधुनिक समाज में राष्ट्रीय चेतना केवल कुछ विशेष वर्गों के विकास हेतु पनपती है। जैसे श्रमिक वर्गों में, कृषक वर्गों में या कानून के खिलाफ, परन्तु राष्ट्रीय चेतना पूरे समाज में तभी होगी, जब राष्ट्र पर समाज को खतरे का अहसास हो। वैसे देखा जाए तो समाज सबसे शक्तिशाली माना जा सकता है, जो चेतना आने पर सभी रूपों में स्वयं और देश को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है।

अगर हम राष्ट्र निर्माण की बात करें, तो यह मात्र एक की प्रकार के तत्व से सम्मिलित होकर नहीं बनता है। अपितु राष्ट्र कई तत्वों से मिलकर बनता है। भारतीय परिपेक्ष्य की बात की जाए तो भारत में अनेकता में एकता की भावना ही राष्ट्रीयता को जन्म देती है। तथा कहीं न कहीं राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनती है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। यहाँ पर अनेक भाषा अनेक बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं, साथ ही भारत में अनेक प्रकार की जाति, प्रजातियाँ अनेक धर्म, मतों एवं संस्कृतियों को मानने वाले लोगों का समूह निवास करता है। इतनी अनेकता होने के बावजूद भी भारत में एक राष्ट्र का भाव एवं एकता की विचारधारा बनी रहती है। एवं अनेक प्रकार के महापुरुषों द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय चेतना को बल मिलते रहता है, जो समय-समय पर हमारे समाज को राष्ट्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं। इसी संदर्भ में अगर हम आर्य समाज की चर्चा करते हैं, तो यह एक धार्मिक, राष्ट्रीय चेतना तथा जागरूकता का आंदोलन माना जाता है। इसके प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने हिन्दू धर्म तथा हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों का खुलकर विरोध किया, तथा समाज एवं अपने देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना का भी संचार किया। इसी प्रकार के सामाजिक आंदोलन राष्ट्रीय चेतना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा समाज में एक नवीन परिवर्तन लाते हैं। जिससे समाज नई दिशा की तरफ अग्रसर होता है। भारतीय समाज में इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के समाजों द्वारा आंदोलन एवं जागरूकता अभियान होते रहते हैं। जिससे समाज में राष्ट्रीय चेतना का विकास होते रहता है।

अगर हम समाज में राष्ट्रीयता की धारणा के इतिहास की चर्चा करें तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता की धारणा का उदय यूरोप में सन् 1789 के बाद हुआ। फ्रांस और इंग्लैंड में राष्ट्रीयता का उदय एक राजनीतिक घटना थी, जबकि इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय सांस्कृतिक प्रारूप के आधार पर हुआ। जिसके अंतर्गत आगे चलकर भाषा और प्रजाति के सिद्धान्त को भी राष्ट्र-निर्माण में सम्मिलित किया गया। छोटे-छोटे स्थानीय समूह ने जिनकी एक भाषा और एक संस्कृति थी। अपने राजनीतिक कानूनी और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए अपने का एक राष्ट्र कहना प्रारंभ किया।³

नवीन शिक्षा, कल कारखानों की स्थापना, रेलवे और आर्थिक दुर्दशा से उत्पन्न असंतोष आदि कारणों से भारत में जो नवीन चेतना उत्पन्न हो रही थी। उसके परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर समय-समय पर विद्रोह की भावना फूट पड़ती थी। वही ऐसे अनेक संगठन भी कायम हो रहे थे, जिनका उद्देश्य सुशिक्षित वर्ग को संगठित कर शासन में सुधार करना था।⁴

समाज में अनेक प्रकार के तत्वों के सम्मिलित होने से ही उसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। राष्ट्रीय चेतना के लिए समाज में सार्वभौमीकरण

की भावना का विकास होना आवश्यक होता है। अर्थात् कहा जा सकता है कि उनकी भावना छोटे-छोटे समूहों/समुदायों, जैसे धर्म, जाति, भाषा, राज्य, देश आदि तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। समाज में राष्ट्र के प्रति आस्था होनी चाहिए। तभी समाज में राष्ट्रीय चेतना आ सकती है। अगर समाज में राजनीतिक एकता हो तथा समाज में सम्प्रभुता बनाए रखने की विचारधारा व्याप्त हो तो राष्ट्रीय जागृति एवं चेतना अवश्य ही समाज द्वारा लायी जा सकती है। राष्ट्रीय चेतना के लिए समाज में राष्ट्रीय जागरूकता होना अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है। समाज में अपने देश के प्रति जब समर्पण की भावना, एकता तथा प्रेम की भावना होती है। तब यही सब भावनाएँ राष्ट्रीय जीवन को चेतना प्रदान करती है। तथा इसी भाव का समाज में व्याप्त होना राष्ट्रीय चेतना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समाज में राष्ट्रीय चेतना लाने हेतु राष्ट्र-निर्माण भी एक आवश्यक तथ्य के रूप में कार्य करता है। राष्ट्र निर्माण में नगरीकरण, पश्चिमीकरण, सामाजिक तथा आर्थिक नियोजन, लौकिकीकरण आदि प्रक्रियाओं ने एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। अगर हम औद्योगिकीकरण की चर्चा करें तो इस प्रक्रिया के द्वारा विस्तृत पैमाने पर कई उद्योगों की स्थापना हुई है। इन उद्योगों से भी देश में प्रगति हुई है। जो कि समाज में चेतना के प्रसार का आवश्यक अंग है। इसके साथ-साथ वैज्ञानिकता और तार्किकता ने भी समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। वैज्ञानिकता और तार्किकता से लोग धार्मिक व रूढ़िवादी विचारधारा से बाहर निकलकर सही व गलत को परखने लगे हैं। और समाज में सकारात्मकता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। शिक्षा का महत्व जैसे-जैसे समाज में बढ़ता जा रहा है। वैसे-वैसे वैज्ञानिकता और तार्किकता को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही राष्ट्र को नयी दिशा देने में संस्कृतिकरण का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज की बन्द संरचना में परिवर्तन लाने के प्रक्रिया है। इसने जातीय संस्तरण में लचीलापन ला दिया है। और निम्न जातियों को ऊपर उठने को मौका मिला है। वे उच्च जातियों के विचारों, मूल्यों और उनकी भाषा, प्रथाओं और जीवन-शैली का अनुकरण कर रहे हैं।⁵

अंततः कहा जा सकता है, कि राष्ट्रीय चेतना में समाज ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज से ही राष्ट्र का निर्माण भी होता है, एवं समाज ही प्रत्येक सामाजिक घटनाओं हेतु प्रमुख उत्तरदायी कारक के रूप में कार्य करता है। समाज से ही देश का निर्माण होता है। तथा समाज में चेतना के द्वारा ही समाज में परिवर्तन संभव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मुकजी, रवीन्द्र नाथ, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली 2021, समाजशास्त्र का परिचय, अध्याय 4, समाज की प्रकृति, पृ 41
2. गुप्ता, एल.एम.; शर्मा, डी.डी., साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 282003, 2020, भारतीय समाज, अध्याय 36, राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रीय पहचान, पृ 334
3. वही, पृ 333
4. विद्यालंकार, सत्यकेतु, श्री सरस्वती सदन, सफदरगंज इन्कलेव, नई दिल्ली 110029, 2014, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, अध्याय 1, राष्ट्रीय जागृति का प्रारंभ, पृ 28
5. गुप्ता, एल.एम.; शर्मा, डी.डी., साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 282003, 2020, भारतीय समाज, अध्याय 36, राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रीय पहचान, पृ 337

महाविद्यालयों पुस्तकालयों में सूचना संसाधन और सेवाओं के प्रति उपयोगकर्ताओं की जागरूकता का अध्ययन

श्रीमति पूजा करैया* डॉ. राकेश कुमार खरे**

*शोधार्थी, पुस्तकालय विज्ञान विभाग, रवीन्द्रनाथटोगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय विज्ञान, रवीन्द्रनाथटोगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - यह अध्ययन पुस्तकालयों में संसाधन और सेवाओं के प्रति उपयोगकर्ता कितने जागरूक है इस पर किया गया है। शैक्षणिक ग्रंथालय शिक्षा संस्थान का हृदय स्थल होता है जहाँ पर समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ केन्द्रित होती हैं। भारत सरकार द्वारा गठित कोठारी आयोग ने भी ग्रंथालयों को शैक्षणिक संस्थान का महत्वपूर्ण अंग माना है। वर्तमान में शिक्षा ग्रंथालय आधारित हो गई है ग्रंथालय का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है उपयोगकर्ता की सूचना संबंधित आवश्यकताएँ सूचना प्राप्त करने संबंधी व्यवहार तथा अध्ययन सामग्री के स्वरूप में परिवर्तित हो रहा है।

शब्द कुंजी- पुस्तकालय, संसाधन और सेवाएँ, महाविद्यालय, उपयोगकर्ता जागरूकता।

प्रस्तावना - पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं श्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। आधुनिक युग में पुस्तकालय हमारे सामाजिक जीवन का अनिवार्य अंग बन गए हैं। पुस्तकालय शब्द लैटिन भाषा के लाइब्रेरीयों उस जगह का नाम है। जहाँ पुस्तकें अथवा अन्य मुद्रित तथा लिखित सामग्री सुरक्षा पूर्वक रखी जाती है। लाइब्रेरीयों शब्द से ही लाइब्रेरी का उदभव हुआ है। **आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार** 'पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था अथवा स्थापना है जिसका कार्य है पुस्तकों के संग्रह की देखभाल रखना तथा उनके उन पाठकों के लिए उपलब्ध कराना जिनको उनकी जरूरत है।' वर्तमान समय में पुस्तकालय केवल पुस्तकों को एकत्रित करने के घर तक ही सीमित नहीं रह गए हैं बल्कि आज वे पाठकों या उपयोगकर्ताओं द्वारा ज्यादा से ज्यादा ज्ञान तथा बुद्धि प्राप्त करने और कराने की कार्यशाला भी बन गए हैं। पुस्तकालय वह माध्यम है जो शैक्षिक प्रगति के लिए अनिवार्य सूचनाएँ प्रदान करता है शिक्षा के क्षेत्र में इसी योगदान के कारण इसे शैक्षिक पुस्तकालय कहते हैं। शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख अंग है जहाँ ज्ञान को अतिरिक्त रूप में संग्रहित किया जाता है। शैक्षणिक समुदाय के लिए पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक बोद्धिक संसाधन है जो अपने सदस्यों के स्वविकास में सहयोग करती है और पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं तथा अध्ययन एवं शोध को बढ़ावा देती

श्री फ्रांसिस केपल के अनुसार- राष्ट्र की उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थानों का स्तर कुल संस्थानों में कार्यरत पुस्तकालयों में पुस्तकों पत्र-पत्रिकाओं तथा शोध सामग्री की पर्याप्तता के आधार पर निश्चित किया जाता है।

लायल के अनुसार- 'महाविद्यालय पुस्तकालय का कार्य सन्दर्भ सेवा द्वारा शैक्षणिक कार्यों को सहायता प्रदान करना उनके विकास को सहायता देना एवं शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से विभागीय सदस्यों में पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना एवं छात्रों को उपयोगी तथा अधिक पढ़ने

हेतु प्रेरित करना है।' पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा को विकसित करने का श्रेय सर्वप्रथम मेल्विल डेवी को है और इस विज्ञान का व्यापक एवं सशक्त तथा सर्वव्यापी बनाने में डॉ. एस. आर. रंगनाथन जी का प्रमुख योगदान है।

उद्देश्य -

1. उपयोगकर्ता द्वारा आवश्यक सूचना संसाधनों के प्रकार का पता लगाना।
2. पुस्तकालय अध्ययन का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत करना।
3. सूचना स्रोतों के संबंध में उनकी जागरूकता और संतुष्टि की जाँच करना।
4. उपयोगकर्ता के बीच इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों के उपयोग और जागरूकता को जानना।

शोध प्रविधि - प्रत्येक सामाजिक शोध की पूर्ति में शोध प्रविधि एक निर्णायक की भूमिका के रूप में कार्य करती है। शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य शोध कार्य को सरलता के साथ कम समय में प्रभावी परिणामों के द्वारा पूर्ण करना है जिसमें शोध विधि मुख्य भूमिका निभाती है। वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं शोध के तथ्यों या समकों की गुणवत्ता एवं उसकी विशालता के सर्वेक्षण की निर्णायकता के निष्कर्षों में प्रविधि मुख्य रूप से सहायक प्रभावी होती है। वर्तमान शोध कार्य में सर्वेक्षण प्रविधि के अंतर्गत बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय पुस्तकालयों में सूचना संसाधन एवं सेवाओं का अध्ययन प्रश्नावली के माध्यम प्राथमिक समकों/तथ्यों का संकलन कर अन्वेषण करने के उपरांत, प्राप्त सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार शोध कार्य में अन्तर्निहित प्रविधि के अनुरूप समकों/तथ्यों के अन्वेषण एवं मूल्यांकित परिणामों के आधार पर विश्लेषण एवं व्याख्या की गई है। प्रश्नावली में आवश्यक प्रश्नों का समावेश कर स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों, प्रध्यापकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों से पूर्ण करवाया गया है। सूचना संग्रहण में भी यह प्रयास रहा है कि जहाँ कहीं भी अस्पष्ट अथवा अपूर्ण सूचना दृष्टिगत हुई है उसे व्यक्तिगत सम्पर्क एवं साक्षात्कार से पूर्ण करवाया जाये।

शोध की सीमाएँ – यह अध्ययन बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित, डिग्री महाविद्यालयों ग्रंथालयों पर ही किया गया है। इसमें दैव प्रतिचयन पद्धति को उपयोग में लाया गया है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद, विदिशा एवं राजगढ़, जिला को लिया गया है, जो कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित है। केवल वही महाविद्यालयों, ग्रंथालयों को लिया गया है जो कि जो सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार इन चयनित महाविद्यालयों में 35 महाविद्यालयों को लिया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र – इस अध्ययन में केवल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों, ग्रंथालयों को लिया गया है। प्रत्येक महाविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्राध्यापक वर्ग उत्तरदाताओं में प्रश्नावली को वितरित किया गया है। उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकता किस प्रकार की है, सूचना संसाधन एवं सेवाएँ प्राप्त करने के स्रोत कौन-कौन से हैं, वह कितना अधिक इनका उपयोग कर पा रहे हैं एवं कौन सी नयी-नयी तकनीकियों को सीख रहे हैं का अध्ययन किया गया है।

समको को विश्लेषण, एवं व्याख्या – शोध अध्ययन में आंकड़ों के संकलन के पश्चात् इन आंकड़ों को संपादित एवं व्यवस्थित करके उन्हें विभिन्न आंकड़ों में विभाजित करके उनका तर्कपूर्ण अर्थ निकालता है उसे ही 'डाटा विश्लेषण' कहते हैं। संकलित समको को सुव्यवस्थित एवं उचित सारणीयन करके स्वीकृत विधि द्वारा उनसे तर्कपूर्ण अर्थ प्राप्त करना ही समको का विश्लेषण कहलाता है। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है जो समको के संकलन के बाद पूर्ण होती है तथा इसकी बिना उपस्थिति के शोध कार्य के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है।

सारणी क्रमांक- 1 : शोध में सुचारु रूप से संचालित महाविद्यालयों की संख्या

क्र.	जिला	महाविद्यालयों की संख्या	प्रतिशत
1.	भोपाल	18	51.42
2.	रायसेन	3	8.57
3.	विदिशा	3	8.57
4	सीहोर	3	8.57
5	होशंगाबाद	3	8.57
6	हरदा	3	8.57
7.	राजगढ़	2	5.71
	कुल योग	35	100

सारणी क्रमांक 1 में भोपाल में 18 (51.42%) अधिकतम शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय लिये गए हैं जबकि रायसेन, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद एवं हरदा में तीन-तीन महाविद्यालय लिये गये हैं, जो कि (8.57%) है एवं राजगढ़ में केवल 2 महाविद्यालय सुचारु रूप से कार्यरत हैं, जिनमें 1 शासकीय एवं 1 अशासकीय है जो (5.71%) है। इस प्रकार अधिकतम आंकड़ों के लिए भोपाल के महाविद्यालयों से चुना गया है।

सारणी क्रमांक - 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी क्रमांक 2 में उपयोगकर्ता द्वारा सूचना सेवाओं के उपयोग के रूप में संबंधित आंकड़ों के अध्ययन पश्चात् ज्ञात होता है कि सबसे अधिक 480 (68.57%) इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार संदर्भ सेवा को अधिक उत्तरदाताओं 453 (64.71%) द्वारा उपयोग किया जाता है जबकि ग्रंथालय आदान-प्रदान का उपयोग बहुत ही कम उत्तरदाता 40 (5.71%) द्वारा किया जाता है

सारणी क्रमांक - 3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी क्रमांक 3 में उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधन से होने वाले लाभ को दर्शाया गया है। उपयोगकर्ता द्वारा सबसे अधिक 59 (8.42%) उपयोगकर्ता द्वारा सबसे अधिक 59 (8.42%) इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र का अध्ययन किया जाता है। दूसरे क्रम में 51 (7.28%) इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथ का उपयोग किया जाता है। सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश का 9 (1.28%) उपयोग करते हैं।

सारणी क्रमांक - 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी क्रमांक 4 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक 190 (27.14%) उपयोगकर्ता हैं जो गुगल स्कालर का उपयोग करते हैं। इसमें 36 (10.28%) स्नातक, 66 (37.71%) स्नातकोत्तर एवं 88 (50.28%) प्राध्यापक उपयोगकर्ता हैं। वही सबसे कम 60 (8.57%) उपयोगकर्ता अल्टाविस्टा का उपयोग करते हैं। इसमें 10 (2.85%) स्नातक, 19 (10.85%) स्नातकोत्तर एवं 31 (10.85%) प्राध्यापक शामिल हैं।

सारणी क्रमांक - 5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी क्रमांक 5 ई-संसाधन के उपयोग के प्रति उत्तरदाताओं की जागरूकता को दर्शाता है। अवलोकन से स्पष्ट है कि 251 (35.85%) उत्तरदाताओं ई-संसाधन के उपयोग करने में जागरूक हैं। जिसमें स्नातक 63 (18%), स्नातकोत्तर छात्र 77 (44%) एवं प्राध्यापक 111 (63.42%) शामिल हैं वही 449 (64.14%) ऐसे भी उत्तरदाता हैं। जो ई-संसाधन के उपयोग में बिल्कुल जागरूक नहीं हैं।

शोध परिणाम एवं निष्कर्ष – संबंधित सूचना तथ्यों के प्राप्त परिणामों के विश्लेषण एवं व्याख्या से ज्ञात शोध परिणामों के निष्कर्ष की व्याख्या निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- ❖ शोध अध्ययन की विश्लेषित सारणी संख्या 1 में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित सुचारु रूप से संचालित महाविद्यालयों की संख्या के संबंध में प्राप्त विश्लेषण एवं व्याख्या से परिणाम ज्ञात हुए हैं कि ग्रंथालयों में शोध प्रश्नावली वितरित की गयी, ग्रंथालयी से प्राप्त परिणामों के विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर निष्कर्ष यह है कि बड़े शहर में स्थित महाविद्यालय ग्रंथालयों की स्थिति छोटे शहर से अधिक अच्छी है।
- ❖ शोध अध्ययन की विश्लेषित सारणी क्रमांक 2 में शोध अध्ययन से प्राप्त विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर सूचना सेवाओं का उपयोग से संबंधित आंकड़ों के अध्ययन पर प्राप्त परिणामों से यह ज्ञात होता है कि पुस्तकालयों में अंतर पुस्तकालय आदान-प्रदान सेवा कम ही उपयोगकर्ता उपयोग करते हैं।
- ❖ शोध अध्ययन की विश्लेषित सारणी क्रमांक 3 में शोध अध्ययन के प्राप्त विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का अध्ययन करने पर प्राप्त परिणामों से ज्ञात होता है कि केवल ई-संसाधनों का उपयोग 246 (35.14%) उपयोगकर्ता ही करते हैं जबकि 454 (64.85%) उपयोगकर्ता इसके लाभों से परिचित नहीं हैं। उक्त परिणाम के विश्लेषण एवं व्याख्या के अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि उपयोगकर्ताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधन का उपयोग कम किया जाता है।
- ❖ शोध अध्ययन की विश्लेषित सारणी क्रमांक 4 में शोध अध्ययन के

प्राप्त विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि उपभोक्ता सबसे अधिक गुगल स्कॉलर को प्राध्यापक 88(50.28%) एवं स्नातकोत्तर 66 (37.71%) अधिक उपयोग करते हैं स्नातक उपयोगकर्ताओं की अपेक्षा। उक्त परिणाम के विश्लेषण एवं व्याख्या के अध्ययनका निष्कर्ष यह है कि उपयोगकर्ता द्वारा सर्च इंजन का उपयोग स्नातक उपयोगकर्ताओं द्वारा बहुत कम किया जाता है।

❖ शोध अध्ययन की विश्लेषित सारणी क्रमांक 5 में शोध अध्ययन से प्राप्त विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उसमें ई-संसाधन के उपयोग के प्रति जागरूकता का स्तर स्नातक 63(18%), स्नातकोत्तर 77 (44%) एवं प्राध्यापक 111 (63.42%) है। जबकि 220 (62.85%) स्नातक, 59 (33.21%) स्नातकोत्तर एवं 170 (97.14%) ई-संसाधन के उपयोग के प्रति जागरूक नहीं हैं। उक्त परिणाम के विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ई-संसाधनों के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता का जागरूक स्तर बहुत कम है।

शोध के भविष्यगामी संभावित सुझाव - उपयोगकर्ताओं के लिए एक मानक नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत -

1. ग्रंथालयों में क्रय की जाने वाले हार्डवेयर।
2. कम्प्यूटरीकरण के लिए साफ्टवेयर।
3. ग्रंथालयों में उपलब्ध ग्रंथों को साफ्टवेयर में फीड करना।

4. ग्रंथालय के प्रशिक्षण संबंधी कार्यशाला का आयोजन।
5. साफ्टवेयर के सुचारु संचालन के लिये वार्षिक प्रबंध अनुबंध संबंधी नीतियों का समावेश किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अनूप सिंह, (2019) जनरल ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फार्मेशन कम्प्यूटेशन टेक्नॉलाजी, आगरा
2. सिंह, अजीत, (2012) की प्रकाशित पुस्तक शीर्षक ग्रंथालयों का इतिहास तथा विकास आर्थो पब्लिकेशन, दिल्ली
3. सक्सेना, एल एस (2012) की प्रकाशित पुस्तक शीर्षक पुस्तकालय एवं समाज, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी
4. वाझा, एच विनोद (2016) प्रकाशित पुस्तक शीर्षक पुस्तकालय एवं ईसंसाधन प्रबंध, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली
5. यादव, वी डी एवं गौतम गोविन्द कुमार, (2014) की प्रकाशित पुस्तक शीर्षक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में शोध पद्धति, वाई के पब्लिशर्स, आगरा
6. शर्मा, बी के (2015) की प्रकाशित पुस्तक शीर्षक सूचना श्रोत उपयोक्ता प्रणाली सेवाएं एवं प्रोद्योगिकी वाई के पब्लिशर्स आगरा
7. सूद, एस.पी., (2014) ग्रंथालय विज्ञान, वॉल्यूम 45, ISSN 0973-564X,

सारणी क्रमांक - 2

क्र.	पुस्तकालय सेवाएं	उपयोगकर्ता					कुल उपयोग कर्ता (%)
		स्नातक छात्र	प्रतिशत(%)	स्नातकोत्तर छात्र	प्रतिशत(%)	प्राध्यापक	
1.	संदर्भ सेवा	149	42.57	163	93.14	141	453 (64.71)
2.	अभिमुखीकरण सेवा	225	64.28	99	56.57	0	324 (46.28)
3.	अंतर पुस्तकालय आदान -प्रदान सेवा	07	2.00	18	10.28	15	40 (5.71)
4.	अनुक्रमणिका सेवा	35	10.00	45	25.71	85	165 (23.57)
5.	न्यू अराइवल	119	34.00	69	39.42	18	206 (29.42)
6.	सामयिक जागरूकता सेवा	22	6.28	77	44.00	88	187 (26.71)
7.	रिप्रोग्राफी सेवा	101	28.85	151	86.28	72	324 (46.28)
8.	इन्टरनेट सेवा	159	45.42	168	56.00	153	480 (68.57)

उपयोगकर्ताओं द्वारा सूचना सेवाओं का उपयोग

सारणी क्रमांक - 3 : इलेक्ट्रानिक सूचना संसाधनों के लाभ

क्र.	इलेक्ट्रानिक संसाधनों के उपयोग की आवृत्ति	उपयोगकर्ता					
		हाँ			नहीं		
		स्नातक छात्र	स्नातकोत्तर छात्र	प्राध्यापक	स्नातक छात्र	स्नातकोत्तर छात्र	प्राध्यापक
1.	ई-ग्रंथ	51 (7.28)			109 (15.57)		
2.	ई-पत्रिका	39 (5.57)			78 (11.14)		
3.	ई-रिसर्च रिपोर्ट	13 (1.85)			39 (5.57)		
4.	ई-लघु शोध प्रबंध	9 (1.28)			29 (4.14)		
5.	ई-विश्व कोश	46 (6.57)			62 (8.85)		
6.	ई-ज्ञानदर्शिका	5 (0.71)			32 (4.57)		
7.	ई-समाचार पत्र	59 (8.42)			68 (9.71)		
8.	ई-ग्रंथ सूची	24 (3.42)			37 (5.28)		
	योग	246 (35.14)			454 (64.85)		

सारणी क्रमांक - 4: उपभोक्ताओं के सूचना खोजने हेतु सर्च इंजन

क्र.	सर्च इंजन	उपयोगकर्ता						कुल उपयोग कर्ता (%)
		स्नातक छात्र	प्रतिशत (%)	स्नातकोत्तर छात्र	प्रतिशत (%)	प्राध्यापक	प्रतिशत (%)	
1.	गुगल स्कॉलर	36	10.28	66	37.71	88	50.28	190(27.14)
2.	अलटाविस्टा	10	2.85	19	10.85	31	17.71	60(8.57)
3.	याहू	22	6.28	31	17.71	49	28.00	102 (14.57)
4.	जॉब अलर्ट	36	10.28	64	36.57	84	48.00	184(26.28)
5.	आर्ची	5	1.42	18	10.28	41	23.42	64 (9.14)

सारणी क्रमांक - 5: ई-संसाधन के उपयोग के प्रति जागरूकता

क्र.	आपकी राय	उपयोगकर्ता						कुल उपयोग कर्ता (%)
		स्नातक छात्र	प्रतिशत (%)	स्नातकोत्तर छात्र	प्रतिशत (%)	प्राध्यापक	प्रतिशत (%)	
1.	हाँ	63	18.00	77	44.00	111	63.42	251(35.85)
2.	नहीं	220	62.85	59	33.71	170	97.14	449(64.14)
	कुल योग	283		136		281		700

महिला सशक्तिकरण की प्रासंगिकता (भारत के सन्दर्भ में)

प्रो. ममता कनेश*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारतीय समाज में स्त्री को देवी का स्थान प्राप्त है। उसे लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती का रूप माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, "जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता का वास होता है।" किसी समाज में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति उस समाज की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि, 'महिला की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता क्योंकि पंखी के लिए एक पंख के साथ उड़ना मुश्किल है।' समाज व राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को लेकर एक विश्वव्यापी बदलाव देखने को मिल रहा है। महिला विकास तथा उसके सशक्तिकरण को लेकर एक अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है।

प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को भिन्न संरचनाएं प्रदान की हैं, एक दुसरे की परिपूरकता के लिए विरसता, भेदभाव, अधिपत्य अथवा शोषण के लिए नहीं। भारतीय इतिहास को अगर हम देखें तो ज्ञात होता है कि ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे अनुपम उपहार नारी को दिया है। नारी को समर्पण एवं त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में गढ़ा है। वैदिक एवं उतरवैदिक काल में महिलाओं को सम्मानीय स्थान प्राप्त था। परिवार तथा समाज में उन्हें उँचा दर्जा प्राप्त था। वैदिक युग की विदूषियों में विश्वबोरा, गार्गी, सुर्या, अपाला, लोपमुद्रा आदि नारियाँ हैं जिन्होंने धर्म शास्त्रार्थ आदि में पुरुषों की ही भाँति भाग लेती थीं। स्मृति युग में स्त्री की स्थिति निम्न होती गई। इस युग में स्त्री के विकास के सारे द्वार बन्द कर दिये गये। मनु और याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकारों ने महिलाओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंधात्मक निर्देशों को लागू कर दिया। नारी के संबंध में मनु का कथन था, 'पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रश्च स्थाविरे भावे, न स्वातंत्र्यमर्हति।' इस तरह से स्त्री को पुरी तरह से चारदिवारी में कैद कर दिया गया। मध्ययुग में महिलाओं की समाज में स्थिति एवं सम्मान में बहुत अधिक कमी आई। इस युग को नारी के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाला काला युग कहकर संबोधित किया जाये तो भी यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस युग में विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन से मुसलमान शासकों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। मुस्लिम शासकों द्वारा महिलाओं के साथ जोर-जबरदस्ती करना प्रारम्भ कर दिया था। जिसके कारण हिन्दूओं द्वारा महिलाओं पर अनेक प्रतिबंधात्मक नियोग्यता लागू कर दी गई। इस युग में अनेक कुप्रथाओं का जन्म हुआ। इनमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती-प्रथा आदि ने स्त्री को चारों ओर से जकड़ लिया। ब्रिटिश शासन के समय नारी की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास कीये गये जैसे- सती-प्रथा उन्मुलन 1829, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम

1856, शारदा एक्ट 1930 इत्यादि। महात्मा गांधी ने 'हिन्द स्वराज' में लिखा है, 'जब तक मानवता की आँखों में आँसू है मानवता पूर्ण नहीं कही जा सकती है।' इसी प्रकार पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था 'यदि किसी समाज को विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा, महिलाओं का विकास होने पर समाज विकास स्वतः हो जाएगा। भारतीय नारी के उत्थान के लिए कई समाज सुधारकों ने आन्दोलन किये जिनमें राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, एनीबेसेन्ट, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आदि। इन्हीं के प्रयत्नों से समानता, स्वतंत्रता संबंधी आदर्शों तथा- स्त्री पुरुष के समान अधिकार में सुधार लाने के पक्ष में बहुत सारे विधानों का सृजन संभव हो पाया।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ-स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही देश के समग्र विकास के लक्ष्य के साथ ही देश की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक विकास की ओर ध्यान दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा दिशा-निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। महिलाओं की स्थिति सुधारने एवं उनके उत्थान के लिए लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे में हमारे कानून, विकास नीतियाँ, योजनाएँ और अनेक प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वित हैं।

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके अन्तर्गत महिलाओं को न केवल आर्थिक शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्र में सशक्त करना है बल्कि उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी करना है। सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वालम्बन राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुँच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं। अपनी शक्तियों व सम्भावनाओं क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती हैं। डॉ. अरुण कुमार सिंह के अनुसार, 'महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना ताकि वह सहजता से अपने जीवन-यापन की व्यवस्था कर सके।' युनिफेम (UNIFEM) के अनुसार नारी सशक्तिकरण का अर्थ है-

- नारी सशक्तिकरण से स्त्री पुरुष के संबंधों को समझा जा सकता है और उन तरीकों को भी समझा जा सकता जो इसे बदल सके।
- निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना स्वयं का मूल्य समझने हुए।
- स्वयं की क्षमता पर विश्वास कर अपने जीवन के सभी निर्णय स्वयं ले

सकें।

- समाजिक परिवर्तन की दिशा समझने की और संगठित करने की क्षमता विकसित करना।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता – भारतीय संविधान में दिये गये अधिकारों कानूनों एवं अनेक प्रकार की योजनाओं के कियान्वयन के बावजूद भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस की गई। इसके पीछे कई मुख्य कारण दृष्टिगोचर होते हैं। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान एवं अधिकारों में अत्यधिक कमी आ गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय महिलाएं कई उच्च एवं महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। चूंकि भारतीय समाज में दो प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ग्रामीण संरचना एवं नगरीय संरचना। ग्रामीण समाज में जहाँ सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी शिक्षा से वंचित हैं और अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं। प्राचीन समय से ही भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को उनके परिवार और समाज द्वारा उनके विकास सम्बन्धी अधिकारों से वंचित रखा गया है। इन्हीं सब कारणों से महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह कहा गया कि यह महसूस करना आवश्यक है कि कानून द्वारा एक हद तक परिवर्तन लाया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मानी जाती है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण की बात उठती रही। 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में इसकी पहल की गई। भारत सरकार द्वारा समाज में लिंग आधारित भिन्नताओं को दूर करने के लिये एक महान नीति महिला कल्याण नीति 1953 में अपनाई। राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था तथा महिलाओं के कल्याण हेतु पहली बार राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई, जिसमें महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा में सहभागिता को सुनिश्चित कराया गया।

महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ – समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। विकसित व सभ्य समाज में भी महिलाओं के समक्ष कड़ी चुनौतियाँ प्रकाशन में आती हैं। महिलाओं ने विपरीत परिस्थितियों में भी असीम धैर्य, अद्वितीय साहस और सूझ-बूझ से कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारतीय समाज ऐसा समाज है जिसमें कई तरह के रीति-रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी चुनौती हैं। पुरानी विचारधारा के कारण महिलाओं को उनके घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती जिसके कारण रोजगार तो दूर की बात है वह उचित शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकती हैं और इसी विचारधारा के कारण वह अपने आपको हमेशा पुरुषों से कम आँकती हैं। भारतीय समाज ऐसे कई दमनकारी कार्य सम्पन्न किए गए हैं। जिनसे महिलाएं पूर्णतः दूसरों पर आश्रित हो गईं। पर्दा प्रथा, बुर्का सती-प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, दहेज-प्रथा, बाल-विवाह और न जाने कितने ऐसे अपराध हैं जो महिलाओं के विकास में चुनौती बनकर खड़े हैं। आज के समय में कुछ परिवार लड़कियों को स्कूल भेजते तो हैं, लेकिन आठवीं, दसवीं अथवा बारहवीं कक्षा पास करने के बाद उनकी स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। उनको घर के काम-काज में लगा दी जाती है ताकि वह घर के काम सिख सकें। बहुत सारे समाजों में लड़कियों की शिक्षा पर इसलिए भी पाबंदी

लगा दी जाती है कि उनके शैक्षिक स्तर का वर नहीं मिल पाता है। जिससे लड़कियों के विवाह में रूकावट स्थापित हो जाती है। वर्तमान समय में कुछ महिलाएं घर की चार-दिवारी तोड़ कर कामकाजी महिला के रूप में उभरकर आयी हैं लेकिन जो महिलाएं काम कर रही हैं वे कार्य स्थल पर सुरक्षित नहीं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण किया जाता है। कार्यालय में उनके निर्णयों का परिहास किया जाता है। महिलाओं पर आरोप लगा दिये जाते हैं कि वे जोखिम नहीं उठा सकती जिसके कारण महिलाएं बाहर जाकर काम करने से कतारती हैं। समान कार्य को समान समय तक करने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा काफी कम भुगतान किया जाता है। इस तरह के कार्य महिलाओं और पुरुषों के मध्य की शक्ति असमानता को पदार्पित करते हैं। कामकाजी महिलाएं देर रात में अपनी सुरक्षा को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं कर पाती हैं जिससे कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होती है।

महिला सशक्तिकरण हेतु किये गए प्रयास – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, 'यदि भारत में महिलाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं और श्रम बल में उनकी भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो भारत की विकास दर 27 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।'

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं इन योजनाएं में मुख्य रूप से रोजगार कृषि और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से संबंधित हैं। महिलाओं को अधिकार प्रदान करने एवं सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे कानून एवं अधिनियम पारित किये गए हैं।

- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना** – 22 जनवरी 2015 को यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनायी गई है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता देकर लड़की के परिवार में फैली भांति 'लड़की बोझ है' कि सोच में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है।

- **महिला हेल्पलाइन योजना** – इस योजना के तहत महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाली किसी भी तरह की हिंसा की शिकायत पुरे देश में 181 नंबर को डायल करके दर्ज करा सकती हैं।

- **सपोर्ट टु ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन (स्टेप)** – कृषि, बागवानी, हथकरध्दा, सिलाई और मछली पालन आदि विषयों में महिलाओं को राजगार देने के उद्देश्य से इस योजना के तहत उनके कौशल को निखारने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

- **महिला शक्ति केन्द्र** – यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केन्द्रित है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे जानकारी उपलब्ध की जाती है।

- **उज्ज्वला योजना** – महिलाओं की तस्करी के निवारण तथा तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण की पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनर्जोड़ने के उद्देश्य इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- **पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण** – राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू किया गया है। जबकि कुछ राज्य में यह आरक्षण 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

- **नारी शक्ति पुरस्कार** – नारी शक्ति पुरस्कार भारत द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह असाधारण उपलब्धि के लिए व्यक्तिगत

महिलाओं को प्रदान किया जाता है।

- **सुकन्या समृद्धि योजना** – इस योजना के तहत लड़की की पढाई और आगे के खर्चों से राहत देने हेतु लड़की के नाम से खाता खुलवाया जाता है। इसमें अधिकतम 1.5 लाख तक की राशि जमा की सकती है।
- **गाँव की बेटी योजना** – गाँव की बेटी योजना के अन्तर्गत गाँव की छात्रा को 60 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर हर वर्ष 500 रूपए प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति दी जाती है।
- **प्रतिभा किरण योजना** – इस योजना ने कक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्रा को प्रति वर्ष 5000 रूपए तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- **वन स्टाप सेन्टर (सखी)** – हिंसा से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु सखी का संचालन किया जा रहा है।

भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण हेतु कानून– हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956

- प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961
- समान परिश्रमिक अधिनियम 1976
- बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1976
- स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध 1986
- वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम
- राष्ट्रीय महिला आयोग 1990
- समान वेतन अधिनियम 1976
- दहेज निषेध अधिनियम 1961, 1985
- अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, जन्मस्थान अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाना।
- अनुच्छेद 15 (3) महिलाओं के हित में विशेष उपबंधों का निर्माण किया जाना।
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम 2013
- कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार

सुझाव :

1. प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना।
2. वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने।
3. महिलाओं के साथ जुड़े अपराधों का त्वरित निपटारा किया जाना चाहिए।
4. कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित करना।
5. लैंगिक समता विरोधी गतिविधियों पर अंकुश निर्मित किया जाना चाहिए।
6. महिलाओं को संसद एवं राज्य विधानमण्डल में एक –तिहाई आरक्षण देने वाले लंबित विधेयक को शीघ्र पास किया जाना चाहिए।
7. महिला सशक्तिकरण की दिशा में ग्रामीण स्तर पर ठोस कदम उठाया जाना चाहिए।
8. एजुकेटेड गर्ल्स जैसी संस्था का संचालन भारत के सभी राज्यों में किया जाना चाहिए। जिससे लिंग असमानता को दूर करने के लिए समाज

को प्रोत्साहित किया जा सके।

निष्कर्ष – महिला सशक्तिकरण जैसे शब्द को अर्थ तभी मिलेगा, जब पितृसत्तात्मक व्यवस्था जानेगी कि महिला के सशक्त होने से समाज की कुरूपता एक हद तक कम हो जायेगी और समाज एक बेहतर स्थान बन पाएगा। समाज में ऐसे कई दमनकारी कार्य किए गए हैं, जिनसे महिलाएं पूर्णतः दूसरों पर अश्रित हो गईं। पर्दा प्रथा बुर्का सती – प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या –शिशु हत्या, दहेज, बाल – विवाह और न जाने कितने ऐसे अपराध हैं जो महिलाओं के विकास में रोड़ा अटकाते हैं। जनवरी 2020 में प्रकाशित विश्व – बैंक की रिपोर्ट वूमेन बिजनेस एण्ड लॉ 2020 के अनुसार आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के मामले में विश्व के 190 देशों में भारत का स्थान 117 वाँ है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय महिलाओं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सूचकों के रूप में पहले से बेहतर हुई। सन 2016 में आयी सेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के मुताबिक 2013 से भारत में मातृ मृत्युदर में करीब 26.9 का कमी दर्ज की गई। महिलाओं को प्रसव के दौरान मिलने वाली मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर छः माह कर दिया। 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद बलात्कार, हिंसा, छेड़छाड़ के कानून को और ज्यादा सक्त बनाया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की रिपोर्टिंग पहले से अधिक की जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के जरिये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, महिला हेल्प लाइन और PANJC बटन जैसे प्रयोग किये गए हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं भगीदारी बढ़ाने के लिए पंचायती चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू किया गया है। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 09 सितम्बर 2005 को पेटूक सम्पत्ति में बेटे के समान बेटी को अधिकार देने वाला कानून पारित किया गया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजना से शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में सहायता प्राप्त हुई।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. डॉ. अशोक डी. पाटिल, डॉ. एस. एस. भदौरिया भारतीय समाज मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,।
2. अंजलि कान्त, महिला एवं बाल कानून, 2013 सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन।
3. विनित सिंघल, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 सहित, रवि पब्लिकेशन।
4. राकेश कुमार आर्य, महिला सशक्तिकरण और भारत, डायमण्ड पॉकेट बुक्स (प्र.) लि.
5. मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम मॉड्यूल – महिला विकास एवं सशक्तिकरण।
6. <https://www.downtoearth.org.in>

छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद

डॉ. मंशाराम बघेल *

* सहायक प्राध्यापक (हिंदी) शासकीय महाविद्यालय, पाटी, जिला बडवानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद युग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का समय 1920 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना गया है। इस युग के चार आधार स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एवं महादेवी वर्मा तथा सुमित्रानंदन पंत इन चारों में अपना प्रमुख स्थान रखने वाली एक मात्र महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। महादेवी वर्मा बाल्यकाल से ही अध्यात्म और आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन में गहरी रुचि रखती थी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के असंतोष से भी वह आध्यात्मिक की ओर अग्रसर हुए हैं। महादेवी वर्मा के काव्य में जो रहस्य अनुभूति का स्पर्श मिलता है, उसे अनेक प्रकार से जाना जा सकता है। अनेक समीक्षकों ने महादेवी वर्मा को श्रेष्ठ रहस्यवादी होने के लिए प्रमाणित किया गया है। रहस्यवाद की परिभाषाएं कुछ इतिहासकारों ने इस प्रकार से दी गई हैं।

1. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद की परिभाषा इस प्रकार की है 'चिंतन के क्षेत्र में जो आद्वैतवाद है भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है।'
2. मुकुटधर पांडे के अनुसार रहस्यवाद 'प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है।'
3. श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रहस्यवाद के परिभाषा इस प्रकार दी गई 'काव्य में आत्मा की संकल्पात्मक मूल अनुभूति की मुख्यधारा का नाम रहस्यवाद है।'
4. स्वयं महादेवी वर्मा के शब्दों में 'अपनी सीमा को आसिम तत्वों में खोजना ही रहस्यवाद है।'
5. डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी 'जिस आध्यात्मिक अनुभूति में कवि किसी ऐसे प्रियतम की सत्ता में विश्वास करता है जिसके साथ प्रकृति और मानवत्मा की लीला निरंतर चलती रहती है वही 'रहस्यवादी' कहा जा सकता है।'
6. डॉ. रामकुमार वर्मा – 'रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है।'

इस प्रकार उपरोक्त विचारों से स्पष्ट होता है कि रहस्यवाद में किसी अज्ञात अलौकिक असीम व्यक्तित्व के साथ रागात्मक संबंधा स्थापित किए जाते हैं।

डॉ. नगेंद्र ने महादेवी वर्मा के बारे में कहा है कि महादेवी वर्मा ने छायावाद

पढ़ा नहीं अपितु अनुभव किया है, तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महादेवी वर्मा के बारे में कहा है कि 'हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती' भी कहा है उनके काव्य में आरंभ से रहस्यवाद और छायावाद की सभी विशेषताओं का समावेश पाया जाता है हिंदी के इन महान आलोचकों तथा कवियों की रहस्यवाद परिभाषा के स्वरूप से स्पष्ट होता है कि इन्होंने रहस्यवाद को नया आयाम दिए हैं।

अतः स्पष्ट होता है, कि जहां भी इस अनंत परम तत्व और अज्ञात प्रियतम को आलंबन अत्यंत चित्र में ही भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, वहां रहस्यवाद होता है।

मेरे दृष्टिकोण से महादेवी वर्मा के रहस्य अनुभूति को किसी एक सांचे में बिठाकर नहीं देखा जा सकता है। उनके गीतों में साधना मूलक रहस्य अनुभूति का स्वर भी है, भावना मूलक रहस्य अनुभूति की रंगत भी है, तो माधुर्य मूलक और मानवता मूलक रहस्य अनुभूतियों का गहरा स्पर्श भी है। कवयित्री महादेवी वर्मा की रचनाओं में वेदना और दुःख के विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं। महादेवी ने जीवन की नश्वरता के भी चित्र खींचे हैं। निम्न पंक्तियां प्रस्तुत हैं।

मैं नीर भरी दुख की बदली
विस्तृत नभ का कोई कोना,
मेरा न कभी अपना होना,
परिचय इतना इतिहास यही,
उमड़ी कल थी मिट आज चली।

उक्त पंक्तियों में महादेवी ने अपने स्वयं के दुःख को उतारकर उसे वेदना के रूप में प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा कहती है, कि वेदना के दो प्रमुख पक्ष हैं दुःख और आंसू दुःख वेदना की अनुभूति पल है और आंसू उसका उहात्मक परिणाम है, जिसके पास संवेदना है, जीवन का कटु मधु भी है, उसके पास आवश्यक ही आंसू रहेगा किंतु छायावाद के आंसू अधिकतर अंतर्दशा व्यंजक न होकर उहात्मक है, यही कारण है कि छायावादी कवियों को प्रारंभ में ही यह आपसे सुनना पड़ा कि उनके आंसुओं से निकलने वाले लार में ग्लिसरीन की सहायता से गाल भिगोने वाले सीने – तारों ने 'नयन जल' से अधिक वास्तविकता नहीं है।

आधुनिक रहस्यवाद के क्षेत्र में महादेवी ने जो कार्य किया है। वह शायद ही इस हिंदी जगत में किसी ने किया होगा और ना कभी कर पाए वैसे तो बहुत सारे कवि इस मार्ग पर आए और उन्होंने दूसरा मार्ग अपना लिया महादेवी वर्मा ही एकमात्र ऐसी कवयित्री हैं। जिसने आपने इस अलौकिक

आनंद प्रियतम के प्रति प्रतिष्ठा बनाई रखी है।

महादेवी वर्मा के काव्य प्रेरणा के संबंध में कहा जाता है, कि वह असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा प्रकट करती है। यही तो अभिव्यक्ति रहस्यवाद कहलाता है। उसका स्रोत उनके जीवन में है इसीलिए उन्होंने कविता संग्रह के जो नाम दिए हैं वह स्वयं उनके मन की वृत्तियों के प्रतीक 'निहार' 1930 मन के कोहरे का प्रतीक है, और 'रश्मि' 1932 काव्य संग्रह में महादेवी वर्मा के मन की अभिव्यंजना झलकती है, तो 'नीरजा' 1934 में गीतों के विरह का ताप की महिमा का वर्णन दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार 'संध्यगीत' 1936 में शादी का दीर्घ पद पाकर ने विश्राम स्थान के नजदीक आती हुई दिखाई देती है, 'दीपशिखा' 1942 का दीप आत्मा का प्रतीक है, इस दीपशिखा को निष्काम भाव से विरह के जलने के लिए महादेवी ने प्रोत्साहित किया है। महादेवी वर्मा के रहस्यवाद में मुख्य रूप से चार प्रकार के रहस्यवादों का अध्ययन किया गया है।

साधनामूलक रहस्य अनुभूति का प्रश्न है वह महादेवी के काव्य में मिलता है किंतु वह जिज्ञासा वाली भावना तक ही सीमित होकर रह गई है 'वह कौन' है जैसे गीत में इसे देखा जा सकता है। इसी प्रकार 'मधुर मधुर मेरे दीपक जल', 'दीप सी मैं आ रही अभिराम मीट-मीट स्वजन और समीप सी मैं' तथा 'मैं सजग शिव साधना' जैसे गीतों में इसी रहस्य अनुभूति को देखा जा सकता है।

भावमूलक रहस्य अनुभूति उसे कहा जा सकता है जहां साधक अपना सांसारिक अनुराग त्याग कर अलौकिक प्रेम अनुभूति की ही तर्ज पर अलौकिक प्रेम अनुभूति में निमग्न हो जाता है। महादेवी वर्मा ने काव्य में प्रणय अनुभूति की तीव्रता है और उसी प्रणय से उत्पन्न विरह उनके काव्य का प्राण बिंदु बना हुआ है। 'विरह का जल जल जीवन' गीत इसका उदाहरण है। आपनी इसी विरहानुभूति के कारण महादेवी उस अनुपम सौंदर्यशाली प्रिय की खोज में अनवरत लगी रही है। महादेवी वर्मा अलौकिक रति से सर्वथा ऊपर उठकर आत्मा-परमात्मा की जीत अलौकिक एवं दिव्य रति का वर्णन करती है।

माधुर्य भाव पर रहस्य अनुभूति को भी महादेवी के काव्य में खोजा गया है। यह वह रहस्य अनुभूति है जिसमें प्रेमा भक्ति का मूल आधार माधुर्य भाव होता है। अपने प्रियतम की पूजा और अर्चना का भाव प्रमुख होता है। महादेवी ने भी अपने अलौकिक प्रेम में पूजा के इस भाव को स्वीकार किया है। यही कारण है कि उनके एक गीत में पूजा अर्चना के सभी उपकरण जुटा दिए गए हैं-

वया-क्या अर्चन रे?

उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे।
मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे।
पद रज को धोने उमड़े आते लोचन में जल-कण रे।

अक्षत पुलकित रूम, मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे।
स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे।

मेरे दर्द के तारक में उत्पल का उन्मूलन रे।

धूप बने उड़ते जाते हैं प्रतिपल मेरे स्पंदन रे।

प्रिय प्रिय जपते अधर, ताल देता पलकों का नर्तन रे।

मानवता की भूमि पर महादेवी वर्मा के साहित्य में रहस्य अनुभूति अभिव्यक्ति पाती है, उसमें समूची मानवता के अंतर्गत व्याप्त एक चेतनता है की अनुभूति प्रमुख होती है। इस अनुभूति में साधक सर्वत्र व्याप्त चेतन - सत्ता का अनुभव करता है। इतना ही नहीं वह अपने चारों ओर फैली हुई प्रकृति में एक ही आत्मा के दर्शन करती है, ऐसे दर्शन करते समय जड़ और चेतन का भेद भी मिट जाता है। यह वह स्थिति है जो साधक को अगोचर सत्ता का सर्वत्रव्यापी रूप देखने के लिए प्रेरित करती है। जहां ऐसी रहस्य अनुभूति हो वह निश्चय ही महादेवी ने आपने ऐसी राष्ट्रीय अनुभूति को अपने गीतों में प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है।

निष्कर्षतः वास्तव में महादेवी की रहस्य अनुभूति में अनेक गुण हैं। कहीं वह साधना परक प्रतीत होती है, तो कहीं ऐसा लगता है, कि वे आर्द्धत की भूमि पर खड़ी हुई घोषित कर रही है की 'बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं'। जब वे द्धैत की भूमि पर पर उतरती है तब वह कहती है कि 'मैं फूलों में रोती/वे बालारुण में मुसकाते /मैं पथ में बीछ जाती हूं/वे सौरभ में उड़ जाते'। महादेवी की रहस्यभरी अभिव्यक्तियाँ यह तो प्रमाणित करती है कि वह एक ऐसे लोक की ओर उन्मुख है जो प्रकाश का घर है सर्वशक्तिमान है साथ ही अद्भुत सौंदर्यशाली भी है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि महादेवी में जो वेदना होती है वह साधकों वाली नहीं है हां यह श्रेय महादेवी को अवश्य दिया जा सकता है कि उनकी वेदना भक्ति में रहस्य कारण अवश्य है यह रंग ही है इसलिए कि उन्होंने अपने रहस्य अनुभूति को केवल भावनात्मक भूमि पर ही प्रस्तुत नहीं किया अपितु बौद्धिक भूमिका पर भी प्रस्तुत कर दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. शोधा प्रबंध- मोहम्मद काशिफ नईम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़
2. द्वारका प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य के बाद, साहित्य निकेतन श्रद्धानंद पार्क कानपुर
3. डॉ. नामवर सिंह-आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद
4. महादेवी वर्मा 'निहार' साहित्य भवन लिमिटेड-इलाहाबाद
5. महादेवी वर्मा 'नीरजा' लोक भारती प्रकाशन-इलाहाबाद
6. महादेवी वर्मा 'दीपशिखा' लोक भारती प्रकाशन-इलाहाबाद
7. महादेवी वर्मा 'संध्यगीत' लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
8. महादेवी वर्मा 'आस्था और अन्य' निबन्ध

केन्द्रीय संग्रहालय इंदौर की हिंगलाजगढ़ वीथिका में प्रदर्शित प्रमुख प्रतिमाओं का कलात्मक विवेचन

राजेश कुमार डोडिया *

*शोधार्थी, शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश के इंदौर में स्थित केन्द्रीय संग्रहालय एक राज्य स्तरीय संग्रहालय है केन्द्रीय संग्रहालय इंदौर की स्थापना 29 नवम्बर 1923 में तत्कालीन आयुक्त डॉ. अरुण्डले के निर्देशन में नवरत्न मन्दिर से प्रारम्भ हुई। इसमें सबसे पहले साठ छायाचित्र तथा इस्लामी पुस्तक व सौ ग्रन्थ रखे गये एक अक्टूबर 1929 को इस संस्था को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया और कृष्णपुरा स्थित भवन जहाँ वर्तमान में देवलालीकर कला वीथिका है जिसे दर्शकों के लिये प्रारम्भ किया गया। सन् 1930 में दसवीं शताब्दी की प्रतिमाएँ और प्रस्तर अभिलेख उनके छापे कुछ ताम्रपत्र संग्रहित किये गये। सन् 1931 में इस संग्रहालय को पुरातत्व विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। इंदौर निवासियों की रुचि को देखते हुए आगरा-मुम्बई मार्ग पर नवीन संग्रहालय भवन की स्थापना कर यहाँ पर संग्रहालय विधा के अनुरूप पुरावशेषों को प्रदर्शित किया गया, इस संग्रहालय का कुल क्षेत्रफल 10804 वर्ग फीट है।

इस दो मंजिला संग्रहालय में पुरावशेषों के प्रदर्शन हेतु छः विधीकाएँ बनाई गई है स्थानीय संग्रहों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश में प्राप्त पुरावशेष व सिन्धु घाटी सभ्यता के पुरावशेष भी प्रदर्शित है। वर्तमान समय में अन्य वीथिकाएँ निर्माणाधीन है जिनमें शैव, शाक्त, वैष्णव तथा जैन, बौद्ध वीथिकाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

हिंगलाजगढ़ वीथिका - हिंगलाजगढ़ वीथिकाओं एक प्रमुख व आकर्षक वीथिका है जिसमें पुरातत्वीय महत्व, तथा शास्त्रीय विधि तथा कलात्मक अभिरुचि से पूर्ण, प्रतिमाएँ प्रदर्शित है।

हिंगलाजगढ़ मन्दसौर जिले के भानपुरा तहसील के अन्तर्गत भानपुरा से लगभग 24 किलोमीटर दूर तथा गांधी सागर बांध से लगभग 16 किलोमीटर दूर अवस्थित है, इस क्षेत्र से लगभग 80 परमार कालीन मन्दिरों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र से गुप्तकाल की कलाकृतियों से लेकर उत्तर परमार काल तक की कलाकृतियाँ मिली हैं। परमार कला के केन्द्र हिंगलाजगढ़ से शैव, शाक्त तथा जैन, बौद्ध प्रतिमाओं के साथ दिवपाल, व्यन्तर देवी-देवता की प्रचुर प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं, यहाँ अनेक संयुक्त प्रतिमाएँ भी प्राप्त हुई हैं जैसे कि रुद्र-भास्कर, हरिहर, अर्धनारीश्वर हरि हरार्क पितामह इत्यादी।

1. वीणाधर शिव - मालवा की दुर्लभ प्रतिमाओं में वीणाधर शिव की प्रतिमा विशिष्ट महत्व रखती है कुछ नटेश प्रतिमाएँ भी इसके अन्तर्गत रखी जा सकती है वीणाधर शिव की प्रतिमाएँ न सिर्फ प्रतिहारों एवं परमारों को प्रिय थी अपितु जन साधारण में भी यह बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी। वीणाधर,

योग ज्ञान व व्याख्यान मुद्राओं में उत्कीर्णित प्रतिमाएँ दक्षिणा मूर्ति कहलाती है। मालवीय शिव कला कृतियों में शिव के हाथों में एकतंत्री वीणा का अंकन मिलता है। हिंगलाजगढ़ विधिक में प्रदर्शित यह प्रतिमा 45 से.मी. ऊँची तथा 69 से.मी. चौड़ी तथा 24 से.मी. मोटी है, बलुआ प्रस्तर में निर्मित यह प्रतिमा लगभग 11वीं शती ई. की है, तथा मन्दसौर के निकट हिंगलाजगढ़ से प्राप्त हुई है।

दो स्तम्भ प्रकोष्ठों के मध्य निर्मित यह प्रतिमा ललितासन में विराजित तथा चतुर्भुजाओं से युक्त है। शिव के दो हाथों में वीणा तथा दायें ऊपरी हाथ में सनाल पद्म है तथा बायें निचले हाथ में सर्प है, शिव का जटा मुकुट बंध से वेष्टित है, कानों में कुण्डल माला धारण किये हुए हैं जनेऊ बाजुबंध तथा हाथों में कड़ो का अंकन है, मुख मण्डल पर सौम्य भाव है तथा उत्तरीय वस्त्र धारण किये हुए है शिव के पार्श्व में वृक्षों का अंकन है शिव के दायीं और स्तम्भ प्रकोष्ठ के मध्य गीले वस्त्रों में एक नायिका त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है जिसकी केश राशी भी भीगी हुई अंकित है इसने अधोवस्त्र धारण कर रखा है जिसका एक सिरा दायें स्कन्ध तक जा रहा है। गले में कण्ठा तथा मालाये धारण कर रखी है। कुण्डक भुजबंध कड़े व पाजेब का अंकन है।

2. वृषवाहन शिव - भगवान शिव का वृषवाहन स्वरूप कलाकारों एवं उपासकों को अत्यन्त प्रिय रहा है, इसमें नन्दी का विशेष महत्व रहता है। बलुआ प्रस्तर में निर्मित लगभग 11 वीं शताब्दी ई. की यह प्रतिमा आकार में 84 से.मी. ऊँची तथा 55 से.मी. चौड़ी तथा 22 से.मी. मोटे प्रस्तर खण्ड पर उत्कीर्ण है तथा हिंगलाजगढ़ से प्राप्त हुई है। इस प्रतिमा में भगवान शिव ललितासन एवं वृषारूढ़ है। नन्दी चलने की मुद्रा में है, नन्दी का अगला दायाँ पैर किंचित उठा हुआ है। तथा गले एवं सिर पर आभूषण उत्कीर्ण है नन्दी की पीठ पर गलीचा बिछा है। भगवान शिव की अष्ट भुजाएँ खण्डित हो चुकी हैं किन्तु अर्धनिमिलीत नेत्रों से युक्त मुख मण्डल पर अत्यन्त सुन्दर सौम्य भाव है। जटाजूट का उत्कीर्णन अत्यन्त सुन्दर है जिस पर दो हाथों से युक्त नरमुण्ड प्रदर्शित है तथा बालचन्द्र से सजाया गया है। पद्म पंखुडियों के समान प्रभामण्डल का अंकन है जिसके बाहरी वलय को मोतियों से सजाया गया है। गले में हार, जनेऊ, कमरबंध तथा पैरों में पाजेब बने हैं। भुजायें उत्तरीय वस्त्र से वेष्टित हैं। मोतियों का उत्कीर्णन सुन्दर है। दायें परिकर में ब्रह्मा एवं बायें विष्णु का अंकन है इनके मुख भग्न हो चुके हैं। आयुधों में केवल त्रिशूल ही प्रभामण्डल के समीप दृष्टिगोचर हो रहा है। शिव के दोनों और दण्ड एवं कपालधारी शिवगण तथा मध्य में नृत्यरत भृंगी का अंकन है। नन्दी के समीप ही भग्न गणेश का अंकन है। जिनके दायें हाथ में मोदक है।

3. हरिहर – भगवान हरिहर का स्वरूप शैव एवं वैष्णव सिद्धान्तों एवं मान्यताओं के एकरूप का प्रतीक है, परमार कला में इसका स्थान विशिष्ट है, मालवा की मध्यकालीन हरिहर प्रतिमायें अनेक विशेषताओं से युक्त हैं, मत्स्य पुराण में हरिहर को शिव-नारायण की संज्ञा दी गई है, हरिहर की समपद-स्थानक एवं आसन दोनों प्रकार की प्रतिमायें प्राप्त होती हैं। हिंगलाजगढ़ दीर्घा में प्रदर्शित हरिहर की यह प्रतिमा बलुआ प्रस्तर में निर्मित होकर लगभग 10 वीं शती ई. की है। तथा इसका मापन 53 से.मी ऊँचाई, चौड़ाई 74 तथा मोटाई 30 से.मी. है, यह प्रतिमा विश्वपद्म पर अर्द्धपद्मासन में आसीन तथा चार भुजाओं से युक्त है दायें अग्र हस्त में अक्ष सूत्र तथा ऊपरी हाथ में त्रिशूल है बायें निचले हाथ में शंख तथा ऊपरी हस्त में चक्र का अंकन है प्रतिमा का दायाँ भाग शिव का तथा बायाँ भाग विष्णु है सिर पर लड़ियों से युक्त किरीट है वक्ष पर रत्न जटित हार मोतियों से युक्त लम्बी माला है अलंकरण थोड़ा साधारण किन्तु प्रतिमा भव्य है, आसन के नीचे वलयों का अंकन है, मस्तक पर त्रिनेत्र तथा शांत भाव है यह प्रतिमा दो स्तम्भ प्रकोष्ठों के मध्य निर्मित है, प्रतिमा के दोनों ओर दो अन्य प्रकोष्ठ हैं, जिनमें त्रिभंग मुद्रा में परिचारिकाएं हैं जो अपने हाथों में उत्तरी वस्त्र तथा मालाएं धारण किये हुए हैं अलंकृत जुड़ो से युक्त इन परिचारिकाओं के सर्वांग आभूषण युक्त हैं।

4. हरिहरार्क पितामह – संयुक्त प्रतिमाओं की सूची में इस प्रतिमा को भी विशिष्ट स्थान प्राप्त है यह प्रतिमा हरी, हर सूर्य तथा पितामह ब्रह्मा की संयुक्त प्रतिमा है जिसमें सूर्य को प्रमुखता से दिखाया गया है विश्व पद्म पर पद्मासन में बैठे हुए हैं त्रिमुख दृष्टव्य है, बलुआ प्रस्तर में निर्मित यह प्रतिमा भग्न अवस्था में है तथा कुछ खण्डों को जोड़ा गया है प्रतिमा लगभग 11 वीं ई. की है जिसका मापन 44 X 62 X 25 से.मी. है। मुकुट का भाग भग्न है आठ हाथों में से दो भग्न हो चुके हैं आयुधों में रज्जुक, पद्म, नाग एवं वेद स्पष्ट है पद्मासन के नीचे कमल कलिकाओं का नाल सहित अंकन है। दो स्तम्भ प्रकोष्ठों के मध्य यह प्रतिमा निर्मित है किन्तु दायाँ स्तम्भ खण्डित हो चुका है दायाँ ओर ही कामरत मिथुन का अंकन है मुख्य प्रतिमा के अलंकरणों में गले में हार, यज्ञोपवीत तथा उत्तरीय का अंकन है हाथों में केयूर तथा वलयों का अंकन है जामे की सलवटों को लहरदार रेखाओं से अंकित किया है, स्कन्धों पर मोतियों की लड़ियों का अंकन है सूर्य मुख के कानों में कुण्डलित वलय तथा कवच अलंकृत हैं पैरों का भाग भग्न हो चुका है। अनेक स्थानों से भग्न होने के उपरान्त भी कला एवं धर्म की दृष्टि से यह प्रतिमा अत्यन्त महत्वपूर्ण है तो अनेक मतों के सम्मिलन की द्योतक है चार देवों को एक स्वरूप में अंकन कलापूर्ण है शिव एवं विष्णु की उपस्थिती मुख एवं हाथों से दृष्टव्य होती है तथा ब्रह्मा का मुख प्रतिमा में संतुलन की दृष्टि से अनुत्कीर्ण किन्तु अन्तर आभासित है हाथों के आयुधों से उनकी उपस्थिति प्रकट है।

5. अर्धनारीश्वर – वागर्थाविव सम्पृक्ती वागर्थ प्रतिपतये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ।

भगवान शिव एवं पार्वती का अर्धनारीश्वर स्वरूप सृष्टि एवं पुरुष-प्रकृति के सम्मिलन का परिचायक है। वीथिका का में प्रदर्शित यह प्रतिमा लगभग 10 वीं शताब्दी की होकर बलुआ प्रस्तर में निर्मित संयुक्त प्रकार की उत्कृष्ट प्रतिमा है, जिसका मापन 47 X 83 X 30 से.मी है दो स्तम्भ प्रकोष्ठों के मध्य निर्मित इस प्रतिमा का बायाँ भाग देवी तथा दायाँ भाग शिव का है। यह प्रतिमा चार भुजाओं से युक्त तथा ललितासन में विराजित है, शिव के भाग में जटा मुकुट तथा देवी के भाग में सिर पर केश अर्धवलय है पार्श्व में प्रभामण्डल उत्कीर्ण है तथा मुखमण्डल पर शांत भाव है गले में

कण्ठा, हार, माला तथा उत्तरीय है, भुजबंध हाथों में वलय, कटि मेखला तथा पाजेब का अंकन है अधोवस्त्र पैरों तक दोहरी रेखाओं से अंकित है दक्षिण क्रम से चार हाथों में पुष्प, त्रिशूल, पद्म पत्रावली तथा कुण्डिका का अंकन है दोनों ओर प्रकोष्ठ में त्रिभंग मुद्रा में उत्तरीय का छोरे पकड़े परिचारिकाये अंकित है इनका सर्वांग आभूषित है।

6. उमा महेश्वर – पांचवी शताब्दी के बाद कुछ ऐसी प्रतिमायें भी निर्मित हुई हैं जिनका पौराणिक कथानकों से सम्बंध नहीं है उमा महेश्वर तथा सुखासन प्रतिमायें इसी के अन्तर्गत आती हैं। दीर्घा में प्रदर्शित उमा-महेश्वर की यह प्रतिमा लगभग 11-12 वीं शताब्दी की होकर बलुआ प्रस्तर में निर्मित है, हिंगलाजगढ़ से प्राप्त इस प्रतिमा का मापन 84 X 56 X 22 से.मी. है। इस प्रतिमा में चतुर्भुज शिव करण्ड मुकुटधारी है शिव के दो हाथ भग्न अवस्था में हैं शेष दो हाथ एक उमा के पार्श्व में तीन फणों से युक्त सर्प लिये तथा दूसरा उरोज पर स्थित है। महेश कमलासन पर विराजित है आसन मुद्रा ललित है दायाँ चरण नन्दी की पीठ पर अवस्थित है, उमा महेश्वर की गोद में विराजित है तथा मुद्रा आलिंगन की है दायाँ हाथ शिव के दायें स्कन्ध पर है उमा के बायें चरण के समीप ललितासिन गणेश है मध्य में भृंगी है नन्दी को लड्डु खिलाते एक पुरुष का अंकन है दायाँ ओर मयुरासीन कार्तिकेय है कार्तिकेय तथा मयुरवाहन का सिर भग्न हो चुका है दायाँ ओर त्रिशूल पुरुष तथा बायाँ ओर खट्वांग धारी पुरुष का अंकन है प्रतिमा के वितान पर मध्य में दण्ड व बीजपुरक लिये लुकलीश का अंकन है दोनों ओर दो मालाधारी पुरुष उड़ते हुए हैं तथा बायाँ ओर ललितासन में चतुर्भुज ब्रह्मा है। देव आकृतियों का संयोजन अद्भुत है उमा की दृष्टि महेश के मुख पर है हार माला, कुण्डल कड़े करधनी उत्तम तथा मोती की लड़ियों से युक्त है शिवमुख के पार्श्व में प्रभामण्डल है तथा शिव की भुजाएं उत्तरीय से वेष्टित हैं उमा की भाव-भंगिमा दर्शनीय है।

7. चामुण्डा – चामुण्डा विशाल एवं विकारल मुखी, भयंकर रूपवाली व शवरूढ़ा होती है, हिंगलाजगढ़ दीर्घा में प्रदर्शित चामुण्डा की प्रतिमा द्विभंग मुद्रा में खड़ी है बलुआ प्रस्तर में निर्मित यह प्रतिमा 13 वीं शताब्दी ई. की है, इसका मापन 133 X 74 X 32 से.मी. है देवी का जटाभार कपाल मणियों से युक्त है भुजायें भग्न हो चुकी हैं। उनका एक बायाँ हाथ शेष है जो कि वितर्क मुद्रा में है। किंचित खुले हुए मुख वाली एवं दाढ़ों से युक्त है। नेत्र विशाल है तथा विचारशील मुद्रा में है। देवी का मुख किंचित दायाँ ओर झुका हुआ है। मुख के पार्श्व में पद्माकृत प्रभामण्डल है जिस पर त्रिशूल का अंकन भी दिख रहा है देवी ने सर्पों की मालाएं धारण कर रखी हैं। पेट पर वृश्चिक है। कबंधों का हार धारण कर रखा है जिसमें हाथों सहित एक कपाल का अंकन है कमर में सर्प बंध है तथा भग्नशव दिखाई दे रहा है जिसकी अंतड़िया बाहर निकली हुई हैं, अधोभाग में देवी ने चर्मधारण कर रखा है जिसमें व्याघ्र के समान आकृति दिख रही हैं। देवी का सम्पूर्ण शरीर कृष्णकाय है जिसमें अपस्मार पुरुष का अंकन है। दायें और बायाँ ओर नग्न प्रेतों की आकृतियां बनी हुई हैं प्रेतों के मुख कुछ खुले हुए दाढ़ों एवं दांतों से युक्त तथा कृष्णकाय शरीर वाले हैं प्रभामण्डल के ऊपर कीर्ती मुखों का अंकन है तथा परिकर में सप्त मातृकओं का स्पष्ट अंकन है तथा मध्य में वीरभद्र की आकृति उत्कीर्ण है। देवी की आकृति एवं स्वरूप भावपूर्ण है यह प्रतिमा अत्यन्त सुन्दर परमार कला का अप्रतिम उदाहरण है।

8. कार्तिकेय – मालवा में कार्तिकेय की स्वतन्त्र प्रतिमाएं कम ही मिलती हैं जो कि प्रतिहार या परमार काल की हैं, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में

उज्जैन-मन्दसौर मार्ग पर कार्तिकेय मन्दिर का उल्लेख किया है परंतु कोई अवशेष प्राप्त नहीं होते। कार्तिकेय को प्राचीन ग्रन्थों में देव सेनापति का पद प्राप्त है। यह प्रतिमा बलुआ प्रस्तर से निर्मित होकर लगभग 10 वीं शताब्दी की है गढ़न शीलता एवं कला की दृष्टि से यह प्रतिमा बहुत सुन्दर है कुमार कार्तिकेय की इस प्रतिमा में पांच मुख प्रदर्शित हो रहे हैं जो सुन्दर अलंकृत जटाभरणों से युक्त है प्रमुख मुखकृति पर केशवलय पंक्ति है कानों में कर्ण फूल गले में सुन्दर माला तथा जनेउ है कंधे पर लड़ियाँ तथा रत्न जटित केयूर तथा कड़े हैं लड़ियों से युक्त कटि आभूषण उत्कीर्ण है उत्तरीय तथा पैरो में पायल है। यह प्रतिमा समभंग मुद्रा में वलयित कमल कलिकाओं से युक्त पद्म पीठ पर खड़ी है दायाँ हाथ में पुस्तक है। निचले बायें हाथ में मुर्गे का उत्कीर्णन है, परिकर में दोनों और पीठासीन दो देव उत्कीर्ण हैं जिनमें एक दाढ़ी युक्त व कलश लिये है। तथा दूसरे कुछ मोटे पेट वाले अंकित है मध्यपार्श्व में हाथ जोड़े दोनों और दो आराधक हैं बायीं और मयूर का अंकन है तथा दोनों और त्रिभंग मुद्रा में चार अनुचरों का उत्कीर्णन है। इस प्रतिमा में देहानुपात सुन्दर है कलाकार ने संतुलन की दृष्टि से पांच ही मुख उत्कीर्ण किये हैं जो बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं कार्तिक को षडानन भी कहते हैं पार्श्व में एक मुख का उत्कीर्णन नहीं है जो कि अन्तर दृष्टव्य है।

9. लकुलीश - मालवा में लकुलीश पाशुपतों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। उज्जयिनी प्रकार की प्राचीन ताम्र-मुद्राओं पर भी कमलासन ढण्डधारी लकुलीश अंकित है प्रतिहारों एवं परमारों के समय मालवा में लकुलीश की उपासना शैव शाक्त परम्परा का अभिन्न अंग बन चुकी थी 8 वीं, 9 वीं शती से लेकर 13 वीं शती तक मालवा में उर्ध्व रेतस लकुलीश की अनेक उच्चस्तरीय प्रतिमायें निर्मित हुई हैं, ये प्रतिमायें मन्दिरों के ललाट बिम्ब पर ही नहीं अपितु पार्वती एवं उमा महेश्वर आदि प्रतिमाओं के परिकर में भी प्रधानतः अंकित हुई हैं। यह प्रतिमा लगभग 10 वीं शताब्दी ईस्वी की एवं बलुआ प्रस्तर से बनी है इसका मापन 131 X 70 X 33 से.मी. है यह प्रतिमा विवस्त्र एवं उर्ध्वलिंगी है सिर पर कुन्वीत जटाभार है कानों कुण्डलीत वलय तथा गले में माला एवं भुजाभूषण बंध है हाथ भग्न हो चुके हैं। पद्म पीठ के दोनों और दो ढण्डधारी आकृतियां हैं तथा दो अन्य ढण्ड धारियों की आकृतियां पद्मपीठ के बायीं और भग्न मुख वाली विष्णु की प्रतिमा है। तथा मध्य में शीर्ष पर घण्टा वादन करते तथा उड़ते पुरुषों की आकृतियां हैं। लकुलीश के दोनों और हाथ जोड़े दो पुरुषों की आकृतियां हैं। लकुलीश के दोनों और हाथ जोड़े दो पुरुषों की आकृतियां हैं जिनके सिर जटाभार से युक्त हैं जो लंगोतधारी व कमर एवं गले में रुद्राक्ष की भाँती एक लड़ी माला है तथा कानों में कुण्डल पहने हैं ये परिचारक योगी प्रतीत होते हैं।

10. लक्ष्मी नारायण - भगवान लक्ष्मी नारायण जगत के पालनकर्ता कहे गये हैं, दीर्घा में प्रदर्शित लक्ष्मीनारायण की यह कलात्मक प्रतिमा बुंजर मन्दसौर से प्राप्त हुई है तथा 12 वीं शताब्दी की है। बलुआ पत्थर की बनी इस प्रतिमा का मापन 126 X 66 X 31 से.मी. है। विभिन्न आभूषणों से रूपायित मानवीय स्वरूप वाले वाहन गरुड़ के स्कन्धो पर विराजित भगवान नारायण ने किरीट मुकुट धारण कर रखा है अण्डाकार चेहरा सौम्य भाव लिये हुए है वक्ष पर सुंदर मालाएँ एवं श्री वत्स का अंकन शोभायमान है लड़ियों से युक्त कट्याभूषण भुज बंध एवं कड़े हैं पैरों में पाजेब है दायाँ निचला हाथ भग्न है तथा ऊपरी हाथ में गदा है जिसका निचला सिरा भग्न हो चुका है। बायें ऊपरी हाथ में चक्र एवं निचले में शंख धारण कर रखा है बायीं जंघा पर आलिंगन मुद्रा में लक्ष्मी अवस्थित है जो विभिन्न अलंकरणों से युक्त है लक्ष्मी

का बायाँ पैर भग्न है। बायीं और चक्र पुरुष एवं दायीं और शंख पुरुष का अंकन है परिकर में मध्य में योग नारायण तथा दोनों और भगवान विष्णु के दशावतारों की प्रतिमायें हैं। आभूषणों का उत्कीर्णन बारीकी से किया गया तथा सुंदर है प्रतिमाओं में पर्याप्त गोलाईयाँ हैं आयुधो का अंकन भी उत्तम है।

11. गरुड़ासीन विष्णु - भगवान विष्णु की यह प्रतिमा कला एवं गढ़नशीलता की दृष्टि से उच्च कोटी की है हिंगलाजगढ़ मन्दसौर से प्राप्त बलुआ प्रस्तर से निर्मित लगभग 11 वीं शताब्दी ई. की इस प्रतिमा का मापन 116 X 60 X 34 से.मी. है। सिर पर वलयित केश-भूषण तथा गले में सर्प बंध एवं विभिन्न आभूषणों से युक्त मानवीय स्वरूपाकार भगवान गरुड़ के स्कन्धो पर विराजित अलंकृत किरीट मुकुटधारी पद्म-पत्राक्ष सौम्य भाव पूर्ण यह प्रतिमा अत्यधिक सुंदर है वक्ष पर रत्न जटित सुंदर हार है मोती की लड़ियाँ वक्ष को आवृत किये हैं श्री वत्सचिह्न का अंकन है जनेउ कटिभूषण एवं कड़े सुन्दर हैं रत्न जटित भुजबंध है बायें हाथ में चक्र एवं दायें हाथ में गदा का उत्कीर्णन भी अलंकृत है। शेष दो भुजायें भग्न हो चुकी हैं। विष्णु का उत्तरीय वस्त्र गरुड़ के वक्ष पर आ रहा है जो कि माला की भाँती प्रतीत हो रहा है, तथा प्रभामण्डल के दोनों और कुण्डलित वलय वल्लरी दर्शनीय एवं जालीदार हैं। प्रभामण्डल के दायें और ललितासिन ब्रह्मा व बाँयी और शिव का अंकन है प्रभामण्डल में ही मछली एवं कछुआ बने हैं जो विष्णु के मत्स्यावतार व कच्छप अवतार के द्योतक हैं परिकर में मध्यस्थ अंजलि मुद्रा में योगनारायण है दायीं पृथ्वी देवी संहित ब्रवराह व बायें नरसिंह है वामन भी उत्कीर्ण है मध्य पार्श्व में दायें बुद्ध व बायें कल्कि अवतार की लघु प्रतिमाएँ हैं नीचे गज एवं ऊपर सिंह व्याल की आकृतियां उत्कीर्ण हैं नीचे दोनों और आयुध पुरुषों की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। संयोजन की दृष्टि से यह प्रतिमा उच्च कोटी की है। प्रतिमा में उभार एवं गोलाईयाँ कलात्मक ढंग से उत्कीर्णित हैं। कठोर प्रस्तर में ऐसा कोमल उत्कीर्णन स्तुत्य है।

12. यज्ञ वराह - यह भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार है जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार एवं हिरणयाक्ष का वध किया था इनकी प्रतिमा ब्रवराह तथा यज्ञ-वराह दो स्वरूपों में प्राप्त होती है, प्रस्तुत विवरण यज्ञ-वराह प्रतिमा का है बलुआ प्रस्तर में निर्मित यह प्रतिमा 11 वीं शती ई. की होकर बुंजर मन्दसौर से प्राप्त हुई है इस प्रतिमा का मापन 74 X 106 X 50 से.मी. है। वराह के मुख पर दोनों और ब्रह्मा तथा शिव का अंकन है एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य तथा सप्त मातृकाओं के अंकन में एक विशेषता यह है कि इस प्रतिमा में वाराही के स्थान पर नारसिंही का अंकन है। अधिकांशतः नारसिंही के अंकन का अभाव रहता है। अष्ट वसुओं तथा दोनों अश्विनी कुमारों का भी अंकन है, भगवान विष्णु एवं दशावतार प्रतिमाओं को भी उत्कीर्णित किया गया है वराह की पीठ पर शिवलिंग का अंकन है। समुद्र मंथन का दृष्य है जिसमें देवदानव सुमेरु पर्वत को मथनी बनाकर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 108 रुद्र प्रतिमाओं का अंकन किया गया है वराह के दायें अग्र पैर पर महिषासुर मर्दिनी की गतिमान प्रतिमा है। भगवान विष्णु के चारों आयुध चक्र शंख गदा व पद्म, पीठ पर पैरो के निकट अंकित है वराह के चारों पैरों के मध्य शेषनाग अपनी शक्ति सहित अंकित है। तथा वराह की पुंछ से बंध लगा है राजा बली तथा भगवान वामन छाता धारण किये अंकित है परशुराम तथा अश्वों का भी अंकन है। वराह की इस प्रतिमा पर तैंतीस कोटी देवता का अंकन है संयोजन अद्भुत एवं कलात्मक है सभी प्रतिमाएँ अतिलघु आकार की हैं जिसमें महीन उत्कीर्णन है।

13. गौरी - शिव की शक्ति पार्वती गौरी है परमार काल की अनेक प्रतिमायें

प्राप्त है। जिनमें गौरी देवी या पार्वती के विभिन्न स्वरूप हैं। संयोजन की दृष्टि से पार्वती की इस प्रतिमा को प्रमुख प्रतिमाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। बलुआ प्रस्तर में बनी यह प्रतिमा लगभग 11 वीं शती की है तथा आकार में 140 X 65 X 24 से.मी. है। गोधासन पर समभंग मुद्रा में स्थित चतुर्भुज गौरी के हाथों में क्रमशः अक्षमाला एवं सनालपद्म हैं बांयी और के दोनों हाथ भग्न हो चुके हैं। देवी की केश राशी को किरीट पट्टिकाओं से सजाया गया है, आभूषणों में मकर कुण्डल, मणियुक्त बंध से अलंकृत ब्रह्मेयक, स्तनहार एवं तरल युक्त स्तन सूत्र, केयूर, कंगन, कटिबंध तथा पाद जालक हैं। गले में लम्बी वनमाला उत्कीर्ण है। पार्श्व में दोनों और सनालपद्मधारी एवं चामर धारीणी तथा परिचारिकाएं हैं देवी अन्नपूर्णा एवं अन्य उपासिकाओं का भी अंकन इस प्रतिमा में है। दोनों और अग्निकी दो-दो प्रतिमायें तथा ऊपर परिकर में भी दोनों और क्रमशः शिव एवं गणेश का अंकन है। मध्य में लकुलीश ढण्ड लिये अंकित है लकुलीश के दोनों और अष्टदिक्पालों का अंकन है। विभिन्न देवी देवताओं को बहुत सुंदर ढंग से संयोजित किया गया है गज एवं सिंह का अंकन भी दोनों और किया गया है शिल्प खण्ड के प्रत्येक भाग में कलाकार ने सृजन किया है देवी के अंग प्रत्यंगों में सुन्दर गढ़न षीलता का समावेश है।

निष्कर्ष – प्रतिमाओं के चेहरे की बनावट गोलाई लिये हुए चन्द्र बिम्ब की भांति और मांसलता को प्रदर्शित करने वाली है उभरी हुई टुड्डी के साथ भीँहो, पलकों एवं नाक का नुकीलापन भावांकन में सरसरता की सृष्टि करता है, शिल्पी ने सौन्दर्य प्रतिष्ठा का महत्व दिया है। रूप पवित्रता उसका उद्देश्य रहा है नारी अंकन में स्थानीय स्त्रीयों को आधार बनाया है। अलंकरण में

सनालपद्म का बाहुल्य है संगीत नृत्य और वाद्यों का आलेखन शिल्पी को प्रिय रहा है कई बार आयुध पुरुषों के साथ वाहनों को भी पुरुषाकृति में अंकित किया जाता था। त्रिवली बनाना शिल्पी को प्रिय था। गौरी के साथ अग्निकुण्ड के स्थान पर ज्वालाओं जैसी केशराशी से युक्त अग्निकी मूर्तियां भी अंकित की जाती थी। उपयुक्त विशेषताएं शिल्पी की सतत साधना और राज्याश्रय के कारण ही सम्भव हुई होगी पश्चिमी मालवा के प्रतिभा सम्पन्न कलाकारों ने अपनी सात्विक सुकुमार और उत्प्रेरक भावनाओं को पाषाण के कठोर माध्यम से साकार करके न केवल अपनी कला और प्रतिभा का परिचय दिया है अपितु यह भी प्रमाणित कर दिया है कि कला की उत्कृष्ट भावना एवं आन्तरिक उदारता प्रेरणा किसी भी उपकरण द्वारा अभिव्यक्त की जा सकती है उसके लिये सौन्दर्य सृष्टि अथवा भावनाओं की सजीव साकार और मौलिक अभिव्यक्ति ही कला थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गर्ग आर.एस. – शैव प्रतिमाएं, केन्द्रीय संग्रहालय इंदौर-1980 प्रकाशन – पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्य प्रदेश, भोपाल
2. मार्गदर्शिका – गूजरी महल संग्रहालय, ग्वालियर-2002 प्रकाशन – पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्य प्रदेश, भोपाल
3. मणि जे.पी. – पूर्व साक्षात्कार से साभार व दूरभाष चर्चा
4. रायजादा अजीत – व्यन्तर देव-देवी प्रतिमायें एवं विविध कला कृतियाँ प्रकाशन – पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्य प्रदेश, भोपाल
5. त्रिपाठी ब्रह्मानंद – मेघदूत (पूर्व मेघ) श्लोक नं. 47, रघुवंशम् श्लोक सं. 1

Environmental Significance of TiO_2 Photocatalysis

Dr. David Swami *

*Department of Chemistry, S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - Dye pollutants from the textile industry are an important source of environmental contamination. The elimination of toxic chemicals from wastewater is presently one of the most important subjects in pollution control. Photocatalysis has become one increasingly important field and a heavily researched topic by all fields of science, TiO_2 photocatalysis gaining a lot of attention in the field of pollutant degradation. Present article focuses on Environmental significance of TiO_2 Photocatalysis.

Keywords- Pollutants, Wastewater, Photocatalysis, TiO_2 , Degradation.

Introduction - Water is one of the fundamental requirements of life and the most natural resource that exists on our earth and being described as "The Universal Solvent" or the liquid of life. Any undesired addition of chemical substances leads to its contamination and unfit for human use. Textile dyes enhance our environment bringing color into our lives. It finds numerous applications in our daily life in clothing, food, paper, leather, cosmetics, plastics, drugs, electronic and printing. Dyes pollutants from the textile industry are an important source of environmental contamination. They enter the aquatic ecosystem and can create various environmental hazards⁽¹⁾. The textile industry is one of the most water demanding sectors. The elimination of toxic chemicals from wastewater is presently one of the most important subjects in pollution control. Purification of wastewater contaminated with these pollutants is very difficult since they are resistant to conventional treatment techniques. The increased public concern with these environmental pollutants has prompted the need to develop novel treatment methods with TiO_2 photocatalysis gaining a lot of attention in the field of pollutant degradation⁽²⁾. In recent years, the public awareness and concern for the environment have been increased significantly. The textile industry is a significant contributor to many national economies, encompassing both small and large scale operations worldwide. In terms of its production and employment the textile industry is one of the largest industries in the world. The textile industry is energy, water and chemical intensive. Within the industry, the majority of energy, water and chemicals consumed are for wet processing. Because of the quantity and toxicity of generated wastewater, the industry has faced increasing pressure regarding environmental and waste-related concerns. The textile industry uses high volumes of water

throughout its operations from the washing of fibers to bleaching, dyeing and washing of finished products, average, approximately 200 liters of water are required to produce 1 kg of textiles. The large volumes of wastewater generated also contain a wide variety of chemicals, used throughout processing. These can cause damage if not properly treated before being discharged into the environment. Of all the steps involved in textile processing, wet processing creates the highest volume of wastewater.

The aquatic toxicity of textile industry wastewater varies considerably among production facilities. The sources of aquatic toxicity can include salt, liquid, gaseous, solid wastes, surfactants, ionic metals and their metal complexes, toxic organic chemical, biocides and toxic anions. Most textile dyes have high aquatic toxicity. Textile mills also generate nitrogen, sulphur oxides, formaldehyde, acids, softeners, volatile compounds, lubricants, detergents, oils, stabilisers, insecticide residues, NaOH, COD, metals, high pH, sulphide, acidity, alkalinity, urea, suspended solids and hydrocarbons^(3,4). Textile wastewater processing is one of the most important industries in the world and it employs a variety of chemicals, depending on the nature of the raw material and product. Main pollution in textile wastewater came from dyeing and finishing processes. These processes require the input of a wide range of chemicals and dyestuffs, which generally are organic compounds of complex structure because all of them are not contained in the final product, became waste and caused disposal problems. Major pollutants in textile wastewaters are high suspended solids, chemical oxygen demand, heat, color, acidity, and other soluble substances. So textile wastewaters make the environmental challenge for textile industry not only as liquid waste but also in its chemical composition. If these effluents are improperly treated, they

will pose bad threats to all species on the earth because of the hydrolysis of the pollutants in the wastewater can produce a great deal of toxic products⁽⁵⁾.

The textile effluent contains several types of chemicals such as dispersants, leveling agents, acids, alkalis and various dyes. Production processes not only generate heavily polluted wastewater, but also waste heat, solid waste and exhaust gas. Large quantity of water is consumed in the washing of fabric at the end of each process thereby producing huge amount of waste water. In order to comprehend the effluent problems facing the textile industry it is necessary to be familiar with the processes which result in effluent production. Thus, composition of effluent and associated water pollutants are different at each step of processing. Textile effluents are strongly colored, high in COD and BOD due to fiber residues and suspended solids. They can contaminate water with oils, grease, and waxes while some may contain heavy metals such as chromium, copper, zinc and mercury⁽⁶⁾. The extensively use of chemicals and water results in generation of large quantities of highly polluted wastewater. Around 10⁹ kg and more than 10,000 different synthetic dyes and pigments are produced annually worldwide and used extensively in dye and printing industries. Textile processing employs a variety of chemical, depending on the nature of the raw material and products.

It is estimate that about 10% are lost in industrial wastewater. The Wastewater generated by the different production steps (i.e. sizing of fibers, scouring, desizing, bleaching, washing, mercerization, dyeing and finishing) has high pH and temperature. It also contains high concentration of organic matter, nonbiodegradable matter, toxic substances, detergents, soaps, oil, grease, sulfide, sodas, and alkalinity. In addition, the high salt conditions (typically up to 100 g L⁻¹ sodium chloride) of the reactive dye baths result in high-salt wastewater, which further exacerbates both their treatment and disposal⁽⁷⁾. This wastewater causes serious impacts on natural water bodies and land in the surrounding area. Effluent from mills also contains chromium, chemicals; effluents are dark in color, which increases the turbidity of water body. This in turn hampers the photosynthesis process, causing alteration in the habitat. Besides, the improper handling of hazardous chemical content in textile water has some serious impacts on the health and safety of workers. Contact with chemical puts them the high risk bracket for contracting skin diseases like chemical burns, irritation, ulcers and even respiratory problems⁽⁸⁾. Textile and coloring industry releases lots of gallon colored effluent without proper prior treatment as per guideline given by government. The effluents released by these industries pollutes the fresh water of river, as well as underground water bodies which indirectly affects the human health as well agricultural crops which causes an indirect impact on human health. Most of the dyes contain non-degradable amines intermediate products of synthesis

having potential carcinogenicity and mutagen city which affect the health of user causing various skin disease as well as cancers. Metal ions containing dyes releases these metal ions during partial or complete gradation of textile dyes, these metal ions reaches and accumulate into water bodies as well as the grains, vegetables and fruits due to irrigation using this textile effluents which ultimately get it way into the human body threatening the healthy life⁽⁹⁾. One of the most promising treatments based on total degradation of hazardous organic compounds by using Advanced Oxidation Processes (AOP's) has been reported. Advanced oxidation processes are chemical treatment given to such type of pollutants, which can not be treated by conventional treatment methods such as coagulation/flocculation, membrane separation (ultrafiltration, reverse osmosis) 20 activated carbon adsorption and biological treatment. Advanced oxidation processes oxidize and mineralize the pollutants into their simpler forms, which are easily biodegradable and so it is facilitating their treatments in conventional processes, which are having an advantage of being cheaper than any other process⁽¹⁰⁾.

Conclusion: The aim of this research work is to analyze the photocatalytic efficiency of TiO₂. Photocatalysis can be applied to many processes for the treatment of industrial wastewater, groundwater and drinking water. Photocatalysis is considered to be excellent means for saving huge amount of water, especially in the countries. Which are suffered with water deficiency.

Acknowledgement: Author acknowledgment the support and Laboratory facilities provided by Chemistry Department S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.)

References:-

1. Lodha S., Vaya D., Ameta Rakshit and Panjabi P. B., *J. of the Serbian Chem.Soc.* 73 (2008) 631.
2. Beydoun, Amal K., Low G. and Mc Enoy S., *J. of Nanopartical Research*, (1999) 439.
3. Hussein F., Alkhateeb A. and Al Zahra F., *Desalination*, 209 (2007) 342.
4. Kositzi M., Povlios I., Malato S., Canceses J. and Campos A., *Wat. Res.*, 38 (2004) 1147.
5. Wang J., Teng Ma., Zhary X., Jiang Y., ZhaoHong Z., Kang P. and Peng Z., *Desalination*, 195 (2006) 294.
6. Grzechuleska J. and Morawski A. W., *Appl. Catal. B: Environ.*, 36 (2002) 45.
7. Zainal Z., Hui L. K., Hussein M. Z., Abdullah H. and Ramli I., *J. Hazard. Mater. B*, 125 (2005) 113.
8. Comparelli R., Cursi P., Mascolo G. and Agostiano A., *Appl. Catal. B: Environ.*, 5 (2005) 81.
9. Kuo W. S. and Ho P. H., *Dyes and Pigments*, 71 (2006) 212.
10. Alinsafi A., Evenou F., Abdulakarim E. M., Zahraa M. N. P., Benhammou A., Nejreddire and Yaacoubi A., *Dyes and Pigments A*, 22 (2007) 439.

इक्कीसवी सदी की कहानियों में दलित विमर्श

डॉ. उमेश कुमार चरपे *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, भँसदेही, जिला-बैतूल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - 'दलित' शब्द सुनते ही दबा कुचला सा अर्थ जेहन में आने लगता है। यह शब्द बार-बार इतिहास की याद दिलाने लगता है, जिसका संघर्ष हर युग में दिखाई देता है और आज तक भी चल रहा है। समय के साथ धीरे-धीरे वक्त का पहिया बदला है, और आज साहित्य के क्षेत्र में भी दलित लेखन आगे बढ़ते जा रहा है। जिन्हें हमारे समाज की मनुवादी मानसिकता के कारण शिक्षा का अधिकार नहीं था, वहीं आज साहित्य में अपने संघर्ष को उकेर रहे हैं। दलित कहानियों की अगर बात करें तो सैकड़ों कहानियां लिखी जा रही है जो जीवन के यथार्थ और संघर्ष को उद्घाटित करती है।

हिंदी साहित्य में दलित कहानी लेखन की शुरुआत सही तौर पर 80 के दशक के उत्तरार्द्ध से देखने को मिलती है। हिंदी में दलित कहानियों के माध्यम से कुछ दशकों में दलित विमर्श को अपनी विशिष्टता से संपूर्ण करने का प्रयास किया। दलित कहानीकारों में ओमप्रकाश वाल्मीकि, बी.एल.नायर, सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश कर्दम, विपिन बिहारी, कैलाश वानखेडे आदि ने कहानियों के द्वारा समाज के और वर्ण व्यवस्था के क्रूर सच को उजागर किया है।

हमारे समाज की संरचना विभिन्न स्तर पर विभाजित है। भारतीय समाज की रचना जातियों, समुदायों, धर्मों में विभक्त है और इसी कारण विविधता दिखाई देती है। समाज के अंदर प्रतिरोध के स्वर उग्र दिखाई देते हैं। जाति व्यवस्था समाज पर हावी दिखाई पड़ती है। वहीं वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान को दबाने की भरपूर साजिशें रची गई, मारा गया, पीटा गया, जलाया गया। तमाम अधिकारों से वंचित रखा गया और हाशिए पर धकेलने की भरपूर कोशिश की गई।

रात कितनी भी काली क्यों न हो सवेरा होता ही है और उसी सवेरे के पुरोधा बुद्ध, कबीर, फूले और बाबासाहेब अम्बेडकर आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि के पुरोधा हुए। 'दलित-चेतना और उसके साहित्य को क्यों जन्म लेना पड़ा-इसके ऐतिहासिक कारणों पर एक नजर डालते ही एकलाला चलो रेय का तर्क समझ में आ जाता है। रानाडे और फूले जैसे उदारवादी और रेडिकल तत्वों के मिश्रण ने महाराष्ट्र में जिस जातिवाद विरोधी आंदोलन की नींव डाली थी, मराठी साहित्य ने उससे प्रेरणा लेने से लगभग इंकार कर दिया। वहां किसी शिवशंकर पल्ले ने झाड़ूबरदार का बेटा नहीं लिखा। न ही किसी प्रेमचंद ने यठाकुर का कुंआ, सद्गति या कफन जैसे कहानियां रचीं।'¹

'वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना जरूरी होता है। दलित-विमर्श का भी अपना इतिहास है। यह विमर्श अपने वर्तमान रूप में

भले ही उन्नीसवीं शताब्दी के बाद अस्तित्व में आया हो लेकिन उसकी जड़ें सुदूर अतीत तक जाती हैं। दलित विमर्शकारों ने इन स्रोतों पर रोशनी डाली है और उन्हें अपने चिन्तन का विषय बनाया है। असल में, दलित-विमर्श का सम्बन्ध वर्ण-जाति व्यवस्था के अस्वीकार से है।'²

हिन्दी साहित्य में दलित लेखन की शुरुआत वैसे तो प्रेमचंद की कहानियों में दिखते को मिलती है। बड़ी ही सहानुभूति के साथ प्रेमचंद की कहानियों में दलितों पर होने वाले अत्याचारों को दिखाया गया है। प्रेमचंद ने दलितों से संबंधित जुड़ी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की। दलित साहित्य में ऐसा नहीं कि केवल दलितों ने ही दलित साहित्य पर लिखा है बल्कि सवर्ण लेखकों ने भी दलित जीवन के दुख दर्द का उकेरा है। नये-नये कहानीकारों ने दलित जीवन के यथार्थ और संवेदनशीलता को सूक्ष्मता से दर्ज किया है। जहां इक्कीसवी सदी में भूमण्डलीकरण और नया उभरता बाजार समूची दुनिया उसी की गिरफ्त में दिखाई देती है समाज जैसा-जैसा शिक्षित होता रहा दलित वर्ग में शिक्षा ज्ञान से आई चेतना ने कहानी लेखन का तेवर बदला है और इस तेवर को ऊँचाई प्रदान की। अंबेडकरवादी विचारधारा ने, अंबेडकरवादी विचारधारा ने मनुवादी उन तमाम मान्यताओं को उखाड़ फेंका है जो बरसों से केवल वर्ण व्यवस्था को सींचते और खाद पानी देते रही है। लोगों ने दलितों की छवि को धूमिल करने के लिए न जाने कैसी-कैसी कहावतों, मुहावरों, लोकोक्तियों को गढ़ा जिसे कहानीकारों ने उखाड़ फेंका।

एक ओर दलित कहानियों ने समाज के उन विषयों को उठाया है जो समाज को नीचे की तरफ धकेले जा रही थी, आत्मा, परमात्मा स्वर्ग-नरक जैसी मान्यताओं को नकारती है। एक ओर जहां दलित कहानियां उच्च वर्ण को बेनकाब करती हैं। दमन और वर्चस्व की परंपरा का नकार दलित कहानी की विशेषता है।

भारत की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करने वाले और छाती चौड़ी करने वाले सवर्ण व्यवस्था की बर्बरता अमानवीयता से साक्षात्कार कराने में दलित साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दलित कहानियां भेदभाव और उत्पीड़न को दिखाने की कोशिश करती है। जितने भी कहानीकार हैं या तो उनका भोगा हुआ यथार्थ है या स्वानुभूति, सहानुभूति पूर्वक लिखी हुई कहानियां हैं। दलित कहानीकार दलित समाज के दुख, दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त करते हैं।

यसुशीला टाकभैरय की कहानी 'सिलिया' ग्रामीण और शहरी संस्कृति में व्याप्त जाति व्यवस्था की जड़ता को बेनकाब करती है वहीं दफ्तरों में

सहकर्मियों और बॉस के रिश्तों में जातिभेद की कड़वाहटों को भी उजागर करती है।

मोहनदास नैमिशराय की कहानी 'अधिकार चेतना' में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर पुलिस और दलित युवकों के बीच के खूनी संघर्ष को दिखाती है। यह कहानी शासन व्यवस्था की सवर्ण मानसिकता को उजागर करती है। वहीं दबे कुचले अधिकारों के लिए लड़ने वाले दलितों के संघर्ष को बखूबी उकेरती है। देश में फैले जातिगत मनमुटावों को उजागर करती है। मोहनदास नैमिशराय जहां इस कहानी में एक ओर समाज में फैले दंगों की भयावहता को दिखाते हैं वहीं इन दंगों का असर सबसे ज्यादा दलितों पर पड़ता है को दिखाने की कोशिश की है।

इक्कीसवीं सदी की कहानियों में ओमप्रकाश वाल्मीकि की कहानियाँ गांव के जाति परिदृश्य की क्रूरता को उजागर करती है साथ ही गांव की रोमानी छवि को नस्तानाभूत करती है। ओमप्रकाश वाल्मीकि की कहानी 'घुसपैठिए' में जहां व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश दिखाई देता है। वही मेडिकल छात्र सुभाष सोनकर की आत्महत्या को बड़ी ही गम्भीरता से अभिव्यक्त किया है। साथ ही उन कारणों को भी उघाड़ने की कोशिश की है जो आत्महत्या के पीछे हैं। इस कहानी में जातिवाद का दंश देखने को मिलता है। किस प्रकार सवर्ण के द्वारा एक दलित छात्र पर अत्याचार किया जाता है उसे प्रताड़ित करते हैं कहानी के एक संवाद के माध्यम से प्रस्तुत है- प्रणव मिश्रा द्वारा सोनकर के बाल पकड़कर खींचक कहता है - 'क्यों बे चरमटे सुनाई नहीं पड़ा हमने क्या कहा था ? सोनकर ने अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की मैं चमार नहीं हूँ। बालों की पकड़ मजबूत थी। सोनकर कराह उठा। प्रणव मिश्रा का झुल्लातेदार थप्पड़ सोनकर के गाल पर पड़ा। (गाली)..... चमार हो या सोनकर ब्राह्मण तो नहीं हो..... हो तो सिर्फ 'कोटेवाले'..... बस इतना ही काफी है, प्रणव मिश्रा ने सोनकर को लत धूसों से अधमरा कर दिया।' (घुसपैठिये, पृ. 16) लगातार दलितों पर न जाने कैसे-कैसे अत्याचार होते रहे हैं। कहानियां उन्हीं अत्याचारों का जीवंत दस्तावेज है।

दलित कहानीकारों में सूरजपाल चौहान कि कहानी 'बदबू' एक दलित स्त्री की पीड़ा को उजागर करती है। इस कहानी की पात्र 'संतोष' नये युग की पढ़ी लिखी लड़की है जो समाज की उस धिनीनी चली आ रही परंपरा का हिस्सा नहीं बनना चाहती जिसमें मैला फेंका जाता है। परन्तु सास व पति के मजबूर करने पर वह विवश हो जाती है। कहानी में समाज की घिसी पीटी मानसिकता को दिखाने की कोशिश की है। बजरंग बिहारी तिवारी ने 'दलित साहित्य एक अन्तर्जात्रा' में लिखा है- 'बदबू' समता, स्वतंत्रता और न्याय के प्रश्न को घर की भीतरी संरचना में लाकर जनतंत्र का अधूरापन रेखांकित करने का प्रयास करने वाली यादगार कहानी है।'

सुशीला टाकभौरे की कहानी 'बदला' (युद्धरत आम आदमी, 2006 पृ. 30) इस कहानी में समाज में होने वाले भेदभावों का सचित्र वर्णन किया है। जहां एक तरफ समाज का एक वर्ग निम्न वर्ग के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करता है तरह-तरह से जातिसूचक शब्दों से अपमानित होना पड़ता है। जिसका एक उदाहरण - 'क्यों कलू राम! भूख लगी है क्या ? जूठन खाने से ज्यादा ताकत आती है क्या ?' जूठन एक अपमान का बोध कराता है। समाज की मानसिकता को दर्शाता है। इसी कहानी में कलू के द्वारा लड़ाई करने पर, उसे मारने के लिए कुछ लोग आते हैं और तरह-तरह के अपमानित शब्दों से सम्बोधन किया जाता है। छौआ मां आंगन की जमीन पर बैठी है

अपने माथे से लगाकर पैर पड़ती है और जोर से तीखे स्वर में कठोर शब्द सुनाई देते हैं- 'भंगी की औलाद अछूत..... शुद्ध..... भिखारी भिखमंने हमारी दया पर जीने वाले हमारे टुकड़ों पर पलने वाले..... आजकल इनको घमण्ड आ गया है..... बहुत गर्ग गये हैं..... सण्डे - मुसण्डे हो गये हैं..... इनको तो गांव में घुसने नहीं देना चाहिए..... इनके लिए पहले के नियम ही ठीक थे।' 'जैसे शब्दों से अपमान सहना पड़ता है। वहीं इस कहानी में आने वाले समय के परिवर्तन की एक उम्मीद भी दिखाई पड़ती है।' छौआ मां कहती है - 'अब हम किसी से नहीं डरेंगे हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे..... वे शेर हैं तो हम सवा शेर बनकर रहेंगे। एक दिन ऐसो आयेगो कि लोग हम से डरेंगे। मेरो कलू इसी गांव में रहेंगे शेर बनकर।'³ आने वाले वक्त का आत्मविश्वास दिखाई देता है।

दलित लेखन के बदले स्वरूप को देखना भी अनिवार्य हो जाता है। अगर देखा जाय तो इसमें से कुछ परिस्थितिजन्य है या लगातार बदले राजनीतिक, सामाजिक परिवेश का नतीजा है। कुछ पिछली पीढ़ी से प्राप्त दिखाई देता है। दलित कहानियों की पृष्ठभूमि देखने पर ज्ञात होता है कि यह केवल जीवन के सामान्य प्रसंग नहीं है बल्कि दलित समाज का दुख दर्द उनकी पीड़ा अपमान का जीवंत दस्तावेज हैं। जो समाज सदियों से उपेक्षित रहा है। कहानीकारों की दृष्टि उन पर जाती है। उनके दुख को कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। सूरजपाल चौहान की कहानी का परिवेश ग्रामीण और शहरी दोनों दिखाई देता है। उनके कहानी के पात्र एकतरफ सुविधा सम्पन्न दिखाई देते हैं। जैसा कि कहानी एकाएक नहीं फूटा करती। कहानी तो घटती है मनुष्य ने जब से घटनाओं को देखना, समझना शुरू किया तब से ही कहानी कहना शुरू कर दिया।

सूरजपाल चौहान की कहानी 'साजिश' में एक ओर जहां बैंक मैनेजर की रचाई साजिश को उजागर करती है। साथ ही सवर्ण मानसिकता को भी उजागर करती है। इस कहानी में नत्थू ट्रांसपोर्ट का धंधा करना चाहता है जिसके लिए लोन लेना चाहता है। परन्तु मैनेजर शर्मा द्वारा नत्थू को उसी की पैतृक धंधा करने की सलाह दी जाती है। क्योंकि बैंक मैनेजर रामसहाय का सोचना है कि दलित लोगों को उन्हीं का धंधा करना चाहिए। मैनेजर द्वारा हेडवर्क सतीष भारद्वाज अपने सवर्ण मानसिकता द्वारा पद को धूमिल करते हैं और भोलेभाले 'नत्थू' को सूरज पालन करने का लोन देते हैं और खुष होते हुए कहते हैं- 'साले आए चूहड़े चमार पढ़ लिखकर व्यापार करने बैंक से उधार लेकर ट्रांसपोर्ट का धंधा करेंगे, व्यापारी बनेंगे, ट्रेंड चेंज करेंगे।' बैंक मैनेजर शर्मा और भारद्वाज आपस में हंस हंसकर ठहाका लगाते हैं। जिनकी मानसिकता समाज के दलित वर्ग के हमेशा पीछे रखने की दिखाई देती है। बैंक मैनेजर शर्मा द्वारा भारद्वाज को समझाया जाता है कि - 'भविष्य में ध्यान रखना कि कोई भी अछूत वर्ग का युवा अपना धन्धा शुरू करने के लिए बैंक से कर्जा हेतु प्रार्थना - पत्र भरकर देता है, तो उसे उसके पैतृक-धंधे में ही लगने हेतु प्रेरित करना है। उसे ऐसा विश्वास दिलाओं कि वह अपना पैतृक धंधा छोड़कर दूसरे धंधों की कल्पना भी न करें।' धीरे से मैनेजर का पर्दा फास हो जाता है। और मैनेजर का स्थानांतरण हो जाता है। 'साजिश' कहानी में सूरजपाल चौहान बदलते समय में उन तमाम पढ़े लिखे लोगों की सवर्ण मानसिकता को दिखाते हैं वहीं उम्मीद दलित वर्ग के अंदर बढ़ती चेतना को भी दिखाने की कोशिश की है।⁴

ओमप्रकाश वाल्मीकि की कहानी 'यह अन्त नहीं' (2003 में

प्रकाशित कहानी संग्रह 'घुसपैठिये') में गांव की लड़की 'बिरमा' पर हुए अत्याचार की कहानी है। दलित समाज की लड़की बिरमा पर सचीन्दर द्वारा किया जाने वाला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है। यहां तक की पुलिस थाने में भी बेबाकी से बोलती है परन्तु पुलिस व्यवस्था भी निकम्मी मालूम पड़ती है। पुछताछ होने पर इंस्पेक्टर ने कटाक्ष करते हुए कहा- 'छेड़खानी हुई है.....बलात्कार तो नहीं हुआ.....तुम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हो। गांव में राजनीति फैलाकर शान्ति भंग करना चाहते हो। मैं अपने इलाके में गुंडाई नहीं होने दूंगा.....चलते बनो। गांव में पंचायत बिठाई जाती है परन्तु बिरमा की कोई नहीं सुनता।' बिरमा अन्त में बड़े ही हिम्मत और विश्वास के साथ कहती है - 'इस हार पर मुंह क्यों लटका रे हो। ये अन्त ना है.....तुम लोगों ने मेरे विश्वास कू जगाया है.....इसे मरने मत देना।'⁵ दलित स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों से इतिहास भरा पड़ा है। इस कहानी में अंत में बिरमा का विश्वास पूरी बदलते समाज और स्त्री जाति के हिम्मत को दर्शाता है।

पुरुषोत्तम 'सत्यप्रेमी' की कहानी 'प्रतिशोध' ओंकारेश्वर के पहाड़ी बस्ती के आदिवासी हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की कहानी है। किस तरह से जातिगत भेदभाव के साथ यहां तक की कुओं का पानी तक नहीं पीने दिया जाता है। सवर्णों के जानवर ढोर-डंगर जिस पानी को नहीं पीते, वह पानी हरिजनों को पीना पड़ता है। यहां तक की सवर्णों के द्वारा आदिवासी हरिजनों की फसलों में आग तक लगा दी जाती है। सरपंच प्रलोभन देकर

आबादी के आधे से ज्यादा हरिजनों को अपनी ओर कर लेता है। बुरे का अंत बुरा होता है 'सरपंच के मकान और कुछ ठाकुरों के मकानों से आग की लपटें आसमान छूने लगी थीं। हाहाकार मच गया था, बैलगाड़ियां कुओं पर से पानी ला रही थीं घर के बर्तन खाली हो गए थे, पर भागीरथ आग की लपटों से लुप्त ले तालियां बजा रहा था।'

दलित कहानी का वर्तमान परिदृश्य देखते हैं तो ज्ञात होता है कि जैसे दलित साहित्य में बढ़ोत्तरी होने लगी है उसके पाठक अधिक हो रहे हैं निचले तबके के लोग पढ़लिखकर आगे आने लगे हैं। साथ ही दलित कहानियों का कथ्य और शिल्प भी बदला है। एक ओर दलित कहानियां सामाजिक सच को उजागर करती हैं वहीं आक्रोश और जकड़न को दिखाने में काफी हद तक सफल हो पाई हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संपा. अभयकुमार दुबे-आधुनिकता के आईने में दलित, पृ. 116-117)
2. बरंग बिहारी तिवारी-दलित साहित्य एक अन्तर्यात्रा, पृ. 15)
3. युद्धरत आम आदमी, (पत्रिका) सं. रमणिका गुप्ता, 2006 पृ. 30-35)
4. दलित कहानी संचयन-रमणिका गुप्ता, से
5. ओमप्रकाश वाल्मीकी, कहानी संग्रह- घुसपैठिये 2003 में प्रकाशित से

हिंदी साहित्य में सफलता के सूत्र

डॉ. श्याम पाल मोर्य *

* प्रभारी एवं एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी) बरेली कॉलेज, बरेली (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - जीवन और जगतका स्वरूप ऐसा है जैसा युधिष्ठिर का शीशमहल था, जिसमें जहाँ जल होता था वहाँ स्थल, जहाँ द्वार होता था वह दीवार और जहाँ दीवार होती थी वहाँ द्वार दिखता था। जगत में सफल होना तो सब चाहते हैं किन्तु सफल होते विरले हैं। व्यक्तित्व के पुरातन बाधक दुर्गुण पीछे खींचते हैं। असफलता के सबक सब नहीं सीख पाते, इसीलिए भविष्य में सफल नहीं हो पाते। वर्तमान में प्रसाद के कारण मनुष्य अखण्ड और प्रचण्ड पुरुषार्थ नहीं कर पाता। सफलता चारित्रिक बल के सर्वोच्च समर्पण से साकार होती है। निर्मल विवेक के नेत्रों की लक्ष्यवेधी दृष्टि संग्रह और त्याग में वरीयता निर्धारित करती है-

जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करता।

संत हंस गुन गहहि पय परिहरि वारि बिकारा॥ 1

समर्थ शक्तियों से सम्पन्न व्यक्तित्व ही हताशा, निराशा और अविवेक की घोर अमावस्या के तिमिर को उच्छेद कर पाता है। अन्यथा विघ्नों के भय से प्रारम्भ ही नहीं करता। अस्तु! अपने पूर्व सफलता के पथ प्रदर्शकों के ज्ञानाञ्जन के बिना यह सौभाग्य शिखर पर कोई आरुढ़ नहीं हो पाता। अनन्त आत्मशक्तियों के भण्डार अपने निज स्वरूप के ज्ञान के लिए अनुभवी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। जीवन के सर्वांगीण विकास और अपने अभीष्ट क्षेत्र में सफलता के हेतु समर्थ मार्गदर्शक ही सिद्धि तक पहुँचाता है। वेदों की ऋतम्भरा गीर्वाणी में इस दुर्गम पथ के कर्णधारों के विषय में कहा गया है:

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।

धुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति॥ 2

वेदों, पुराणों, स्मृतियों और संस्कृत वाङ्मय के पावन अमृत से सरस हिंदी साहित्य में जीवन को सफलता के शिखर पर ले जाने वाले सूत्र मानव मात्र के कल्याण के लिए अत्यन्त प्रासंगिक होंगे। अतः यहाँ उनके सम्यक विश्लेषण से उनके मूल्यवान नैतिक और क्रान्तिकारी सामर्थ्य का निरूपण कर रहे हैं।

अनुभव सिद्ध और इस कला के मर्मज्ञ साहित्यकारों तथा मार्गदर्शकों के प्रति श्रद्धा इसके लक्ष्य की ओर प्रथम चरण होगा। समर्थ गुरु के वचनमृत के पावन संबल के द्वारा जन्म-जन्मान्तर के दुखद अनुभवों की कठोर हताशा पर चोट की जाती है तभी किसी गुरुतर लक्ष्य की ओर चलने की शक्ति स्फुरित होती है-

गुरु विनु भवनिधि तरै न कोई।

जौ विरांच शंकर सम होई॥ 3

महात्मा कबीर बड़ी व्यावहारिक बात कहते हैं-

गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ि गढ़ि काढ़ि खोटा।

अन्तर हाथ सहार दै, बाहर बाहै चोटा॥ 4

सरोवर के काई युक्त जल में कंकड़ी मारने पर काई थोड़े समय के लिए हट जाती है फिर छा जाती है, वैसे ही समय के थपेड़ों से मानव मन यत्न की, समर्पण की, नैरन्तर्य शक्ति खो देता है इसलिए गुरु के अविच्छिन्न मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। दिन में कम से कम तीन बार झाड़ू लगने पर आँगन स्वच्छ रह पाता है इसलिए अविरल अभ्यास समर्पण की सामर्थ्य के लिए अनिवार्य है। प्रसिद्ध नीति कार चाणक्य कहते हैं-

‘अनाभ्यसे विषं विधा।’ 5

कोई भी प्रयास और प्रस्थान विकल्प राहित होना चाहिए तभी सुदृढ़ होता है-

‘स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः॥’ 6

इस दृष्टि से एक अनुभवी और समर्थ गुरु सफलता के लिए सर्वप्रथम अपेक्षित है क्योंकि उसके दीर्घ कालीन अनुभव की निधि हमारा बहुत सारा समय बचाती है। इसीलिए जो लोग बिना गुरु के सफलता या सिद्धि चाहते हैं बहुत सारा समय परीक्षा कर अनुभव अर्जित करने में ही विनष्ट कर देते हैं फिर भी सफलता संदिग्धा रहती है।

श्रद्धावान व्यक्ति में ही इच्छाशक्ति, सकारात्मक आशा या आत्म विश्वास का संचार सम्भव है।

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ 7

गुरु अनुशासन और एकाग्रता का विधायक होता है। गुरु को मृत्यु भी कहा गया है। गुरु विक्षेप को समाप्त कर सर्वथा नवीन व्यक्तित्व को जन्म देता है। इसीलिए कबीर कहते हैं -

यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान।

शीश दिये जो गुरु मिलें, तो भी सस्ता जान।

बिना अनुभवी के भेद नहीं मिलता। कितनी महत्वपूर्ण बात है -

वस्तु कहीं दूँदे कही, केहि विधा आवै हाथ।

‘कबीर’ वस्तु तब पाईये, जब भेदी लीजै साथ॥

भेदी लीन्हा साथ में, दीन्ही वस्तु लखाए।

कोटि जनम का पंथ था, पल में पहुँचा जाये॥

जीवन सफल होने के लिए श्रेष्ठजनों की संगति का बड़ा महत्व है। श्रेष्ठ संग पाकर साधारण सत्त्व वाले लोग भी गगनचुम्बी भूमिकाएँ निभाते

लगते हैं-

'गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा।
कीचहि मिलइ नीच जल संग।' 8
बड़ों के साथ मन में बड़ी शक्ति आने लगती है। 'अटल' जी ठीक कहते हैं-
छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता।
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता ॥9
गुरुजनों की संजीवनी प्रेरणाओं से व्यक्ति जीवन में किसी गुरुतर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। सदसंगति व नित्य अभ्यास वल से उच्चाकांक्षी विकल्प-विचलन से बच जाता है। मन में अपराजेय साहस जन्म लेता है। ऐसे कोमल क्षणों में किसी भी चतुर व्यक्ति को कभी एक क्षण के लिए भी कुसंगति नहीं करना चाहिए क्योंकि-
'रहइ न नीच मते चतुराई' 10

वरु भल वास नरक कर ताता।
दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ 11
अपनी अभिरुचि के लक्ष्य, सकारात्मक सहयोग और निरन्तर सद सानिध्य (संसर्ग) के कारण मनुष्य में प्रेम का अंकुर उत्पन्न होने लगता है। यहीं से सौभाग्य का शुभारम्भ होता है। पात्रता के अपेक्षित गुणों का मनुष्य के व्यक्तित्व में सन्निवेश होने लगता है। संसार की सभी शुभ शक्तियों का सहयोग प्राप्त होने लगता है। लक्ष्य साधक की ओर उमुख हो जाता है-

उद्धमः साहसं धैर्यं बुद्धिं शक्तिं पराक्रमः ।

षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत ॥

और भी कितना समीचीन कहा गया है -

उत्साह सम्पन्नं अदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्।

शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतोः॥

उपर्युक्त गुणों की प्राप्ति कराकर और प्रमादादि दुर्गुणों से मनुष्य को प्रेम ही बचाता है। प्रेम ही परमात्मा है परमात्मा ही प्रेम है। किसी मानव में प्रेम उत्पन्न हो जाय तो समझो उसे भगवान और भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। गोस्वामी तुलसीदास ने सच कहा है-

जेहि कर जेहि पर सत्य सनेह।

सो तेहि मिलइ न कछु संदेह॥ 12

प्रेम को महात्मा कबीरदास सबसे बड़ा सौभाग्य घोषित करते हैं-

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोया।

ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होया॥ 13

यह प्रेम ही है जो साधरण व्यक्ति में असाधरण साहस, धैर्य, संकल्प, तन्मयता और बलिदान की भावनाएँ भरकर उसमें अपराजेय समर्पण उत्पन्न कर देता है। ऐसे व्यक्ति में पुरुषार्थ का अदम्य साहस हिलोरे मारने लगता है। आज तक मानव ने इस वसुन्धारा पर जितने असाध्य कार्य सम्भव किये हैं, पुरुषार्थी वह सब कुछ कर सकता है। जीवन की सभी विपन्नताओं और समस्याओं का प्रेम के द्वारा समाधान किया जा सकता है। प्रेमी हँसते-हँसते मृत्यु को वरण कर सकता है। प्राणों को हथेली पर रखकर चलने वाले ही प्रेम कर सकते हैं। कविवर निराला ने कहा है-

'मरण को जिसने वरा है,

उसी ने जीवन भरा है।'

महाकवि मलिक मोहम्मद 'जायसी' ने पद्मावत में लिखा है-

धनि सो खेल खेल सह प्रेमा।

कहँ रौताई कूसल छेमा॥

एक भक्त ने कहा है-

भक्त गर बन तो ऐसा बन भजन करने की हृद कर दे ।

भजन की जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे ॥

प्रेमी में अपने प्रिय के लिए अनन्त कष्ट सहने की क्षमता विकसित हो जाती है-

पबि पाहन दामिनि गरज झरि झकोर खरि खीझि।

रोष न प्रीतम दोष लखि तुलसी रागहि रीझि॥ 14

उसमें चालक की भाँति सहिष्णुता और अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम का एक हठ (प्रण) उत्पन्न हो जाता है जो उसे लक्ष्य-पथ के संघर्ष में भी एक अपराजेय शक्ति प्रदान करता है। तुलसीदास कहते हैं-

बध्यो बधिक परयो पुन्य जल उलटि उठाई चोंचा।

तुलसी चातक प्रेमपट मरतहुँ लगी न खोंचा॥ 15

भर्तृहरि ने ऐसे प्रेमी साधकों में विघ्नों से लड़ने की शक्ति स्वाभाविक बताई है -

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचीः

प्रारभ्य विघ्नविहिता विरमन्ति मध्याः।

विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः

प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति ॥ 16

प्रेम से लक्ष्य पर प्रस्थान करने वाले किसी भी विघ्न बाधा का स्वागत करते हैं-

निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु ।

लक्ष्मीरु समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ॥

अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा ।

न्याय्यात्पथरु प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 17

प्रेमी साधक जिस किसी क्षेत्र में सफलता हित तन्मय आहुति देता है उसमें उसके प्रयास व अभ्यास की निरन्तरता परमाश्यक होती है। यही अविरल समर्पण उसकी बुद्धि को अत्यन्त सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बनाता जाता है।

'करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।

रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान॥'

महाकवि तुलसीदास ने भी कहा है-

'अतिसंघर्षण जो कर कोई।

अनल प्रकट चंदन ते होइ॥'

योगदर्शन में भी कहा गया है कि यह अविरल तन्मयता सब ओर से प्रत्याहार कर वृत्तियों को एक लक्ष्य पर स्थिर कर धारणा के योग्य बना देता है। धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि घटित होती है। समाधि एकाग्रता की पराकाष्ठा होती है। ध्याता, ध्येय और ज्ञान तीनों एकत्र हो जाते हैं। सच्चे प्रेम में यह संयम सहज घटित होता है। ऐसे तीव्र तन्मयता सम्पन्न लक्ष्यार्थी के लिए सफलता स्वयं खोजती है। सफलता के दीवनों में धैर्य और अनुशासन सहज स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। सफलता के अविनय पर धैर्य की नितान्त आवश्यकता होती है तुलसीदास जी 'मानस' में लिखते हैं-

धीरज धर्म मित्र अरु नारी।

आपद काल परिखिअहि चारी॥ 18

संघर्ष तो सौभाग्य का लक्षण होता है किन्तु कष्ट तो लक्ष्य-पथ के पथिक के लिए शक्ति और उत्कर्षदायक होते हैं।

जितने कष्ट-कण्टकों में है जिसका जीवन-सुमन खिला,

गौरव गन्ध उसे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला॥ 19

वीर बनें और घाव न लगे ऐसा हो नहीं सकता यह स्वाभाविक है। विघ्नों, कष्टों संघर्षों से तो लक्ष्य दीवानों की जय मूल्यवान बनती है। इन्होंने संघर्षों की तो गाथा इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होती है-

‘भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है,

धन्य पुरुष हैं वही कि जिनका नाम जगत में चलता है।’20

कभी कभी असफलता के विष को पीकर भी जीवन की जंग जारी रखनी पड़ती है। सोहन लाल द्विवेदी जी ऐसे मनस्वियों को अनथक प्रयास के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं-

असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो,

क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।

जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम,

संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम।

कुछ किये बिना ही जय जय कार नहीं होती,

कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

जीवन में अनेक क्षेत्र हैं, सभी की आन्तरिक छवियाँ और अपेक्षाएँ हैं किन्तु सफलता के पथ की लगभग एक जैसी प्रतिबद्धताएँ हैं। दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम से युक्त बलिदानी समर्पण, आत्म-निवेदन की अविरल प्रचण्ड प्रणति, धीरता, वीरता और विनम्रता सफलता के प्रमुख सोपान हैं।

सफलता की इच्छा, सकारात्मक आशावादिता, अनुभवी गुरु का सत्संग सानिध्य, दृढ़ निश्चय, एक ध्येय के प्रति बलिदानी प्रेम समर्पण और विपत्तियों में भी हिमवान जैसा धैर्य ईशकृपा के ही अनुपम उपहार हैं। यह हम सबका अहोभाग्य है कि उसने हमें यश का भाजन बनाया। हम तो बस निमित्त हैं, करने कराने वाला एक वही लीला रसेश्वर नटवर है। इसीलिए जगत के प्राणिमात्र की सेवा करके भी निरभिमान रहना है। अहं के त्याग का भी त्याग करना है। हम सभी उसके अंश हैं, वह हम में है हम उसमें है, इसीलिए अनासक्त भाव से परमात्मा से एकत्व का अनुभव कर आनन्द का अनुभव करना सभी सफलताओं का परम फल है। इसी भाव गौरव के पावन शिखर पर अपनी

भारतीय संस्कृति का ध्वज फहराकर कविवर रहीम के स्वर में स्वर मिलाकर सर्वेश्वर के प्रति कृतज्ञ होन सर्वोच्च सफलता है-

देन हार कोई और है, भेजत जो दिन रैन।

लोग भ्रम हम पर करहि, तासों नीचे नैन॥21

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रामचरितमानस- बालकाण्ड -06
2. कठोपनिषद्- 3/1/14
3. रामचरितमानस- उत्तरकाण्ड
4. कबीर- बीजक 124
5. नीतिशास्त्र-6
6. पतंजलि - योगसूत्र - समाधिपाद॥1.14॥
7. श्रीमद्भगवद्गीता - 4.39॥
8. रामचरितमानस- बालकाण्ड-8
9. अटल बिहारी वाजपेयी - आओ फिर से दिया जलाएं
10. रामचरितमानस- अयोध्याकाण्ड- 4
11. रामचरितमानस- सुंदरकाण्ड- 4
12. रामचरितमानस - बालकाण्ड-259
13. कवीर 'बीजक'
14. तुलसीदास- दोहावली-284
15. तुलसीदास- दोहावली-3.2
16. नीतिशतकम्
17. अरण्यकाण्ड-5
18. रामचरितमानस - अरण्यकाण्ड- 4
19. मैथिलीशरण गुप्त - पंचवटी -पृष्ठ 3
20. विन्दु
21. रहीम सतसई

जनजातियों का उद्भव और विकास

डॉ. भूरेसिंह सोलंकी * विजय कुमार गोरे **

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – जनजातीय शब्द उन आदिम जातियों के लिये प्रयुक्त होता है, जो भारतीय संस्कृति के मूलधार हैं। आदि स्रोत हैं। इन आदिम स्रोतों से शब्द चित्र, संगीत, कला, वास्तु, दर्शन, धर्म, अध्यात्म, अनुष्ठान, कृषि आदि सब कुछ उपजाति। जीवन की अधिकांश अन्वितियाँ आदि मनुष्य ने प्रारंभिक काल में ही अर्जित कर ली थी, जिनमें चित्र और भाषा मनुष्य की ऐसी ही अभिव्यक्तियाँ कहीं जा सकती हैं। आदि मानव की चित्र से रंग और रेखाओं के माध्यम से अपनी बात कहता आया है। भाषा से कविता, कथा, गीत, गाथा, आख्यान, मिथक, रूपक, गाथा ऐसी कथाएँ हैं, जिनका विस्तार मनुष्य ने आख्यान संस्कृति गढ़ी है। मिथक और आख्यान उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं। गाथाएँ भी आख्यात्मक होती हैं। आख्यान को है पहले समझ लेना चाहिए।

भील, भिलाला, कोरकू, गौड़, बैगा, अगरिया, आदि अनेक जातियों ने कालान्तर में अपना स्थायी निवास बढ़ाया। पश्चिम निमाड़ में भील, भिलाला, कोरकू, बारैला आदि प्रमुख रूप से बन गये। इनमें भी अनेक जातियों में अपने अपने पृथक् समूह बनाये। अपने रीति रिवाज कायम किये। अनेक प्रथाएँ कायम की। भील सबसे बड़ी तीसरी जनजाति है, तथा ये झाबुआ, अलीराजपुर, धार तथा निमाड़ में व्यापक रूप से बसते गये।

भील सम्बोधन द्विविड भाषा परिवार के अन्तर्गत कन्नड़ भाषा के बील शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है धनुष। समान्तर में ही बील शब्द प्रचलन में रहते हुए भील उच्चारण किया जाने लगा।

यह जनजाति भीली भाषा का प्रयोग करती है। इस संबंध में डॉ. नेमीचंद जैन का कथन है कि भीलों की वर्तमान भाषा आर्यों से आगमहित हैं और वह भीली भाषा का उत्तरवर्ती रूप है।

भीली का पूर्ववर्ती रूप जो अब तक हो गया, इसके वर्तमान स्वरूप से बिल्कुल भिन्न था।

भील शब्द का प्रयोग जातिगत रूप से व्यवहार से था, परन्तु इसी का रुढ़ रूप भीली बन कर भाषागत रूप से भी प्रयुक्त होने लगा। भीली शब्द का प्रयोग सन् 1835 ई. में पादरी थामसन ने किया था।

भाषाई दृष्टि से भीली के उत्तर-पश्चिम में पश्चिमी हिन्दी तथा राजस्थानी पूर्व में राजस्थानी दक्षिण से मराठी, खानदेशी और निमाड़ी तथा दक्षिण-पश्चिम में गुजराती भाषाएँ बोली जाती हैं।

जनजाति की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि – रसेल एवं हीरालाल का मत है कि भील राजपुताना और गुजरात के प्राचीन निवासी हैं। उन्हें प्रायः गुजराती के कोली आदिवासियों के साथ भी सम्मिलित किया जाता है। उनकी

प्राकल्पना है कि कोली वस्तुतः कोल (जो मुण्डा भी कहलाये है) आदिवासियों की ही एक शाखा है। कोल मूलतः बिहार के छोटी-नागपुर अंचल की एक जनजाति हैं, जिसका व्यापक प्रसार मध्यप्रदेश में हुआ है। बैतूल, छिंदवाड़ा, होंशगाबाद और पूर्व निमाड़ के कोरकू वस्तुतः कोल (मुण्डा) ही हैं जिनका आव्रजन छोटा-नागपुर से ही हुआ है। द्विविडों का भील जनजाति के रूप में गुजरात, मध्यभारत और राजपुताना में निवास कोलों (कोलियों के रूप में) से अधिक प्राचीन रहा है।

भील वृहद् हिन्दू समाज के ही अंग रहे हैं। वनवासी होने के कारण विकास के अवसरों से वे वंचित रहे। वर्तमान में प्रयुक्त भील शब्द वस्तुतः अतीत के निषाद शब्द का ही पर्याय है, इसे प्रायः सभी लेखक और अन्वेषक स्वीकार करते हैं। निषाद शब्द का प्रयोग प्राचीन वागमय, वैदिक साहित्य में व्यापक रूप में हुआ है। इस प्रकार के उल्लेख से यह विदित होता है कि निषाद प्राचीन हिन्दू समाज के अंग थे उनके व शेष हिन्दुओं के बीच सतत् संपर्क व सहयोग रहा है।

भीलों की प्राचीनता के विषय में डॉ. शोभनाथ पाठक का मत है कि उनकी प्राचीनता की परख, भागवत पुराण, अग्निपुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, शिवपुराण आदि से की जा सकती है। इनकी तो यह भी प्राकल्पना है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त अनास शब्द भी भीलों से ही सम्बद्ध है क्योंकि इस नाम की एक नदी आज भी भील बहुल झाबुआ में प्रवाहमान है।

भील स्वयं को वन-पुत्र कहते हैं। वनों के साथ वे भावनात्मक रूप में जुड़े हैं। भील स्त्रियों व पुरुष वृक्षों की टहनियाँ काटकर ईंधन के रूप में उसके आसपास के कस्बों व नगरों में बेच कर जीवन चलाते हैं।

कोरकू जनजाति भी अपनी उत्पत्ति का श्रेय महादेव को ही देती है। भीलों की उत्पत्ति के विषय में एक मिथक श्री एस.एल. वर्मा ने भी अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। यह इस प्रकार है- भील जंगलदेव की संतानें हैं।

अपनी उत्पत्ति के विषय में भीलों में और भी मिथक प्रचलित है। महादेव सभी कथाओं में नायक हैं। वाल्मीकि (मूलतः वालिया भील) ने रामायण के माध्यम से राम की कथा कही। शबरी के माध्यम से भी भील जाति को राम का अनुगम प्राप्त हुआ। श्री टी.बी. नायक ने भीलों से संबंधित अपने प्रसिद्ध अध्ययन में भीलों में प्रचलित एक जनश्रुति का उल्लेख किया है। इसके अनुसार प्रलय की आशंका से ग्रस्त भील का उद्धार श्रीराम ने किया था। यही नहीं बल्कि उन्होंने इसका विवाह भी रचाया तथा उसे वन में रहने का परामर्श दिया। इन्हीं स्त्री-पुरुष के माध्यम से भील जनजाति का विकास और विस्तार हुआ।

भील - भीलों को अपने मूल निवास स्थान से हटने के लिए राजपूतों ने विवश किया, जैसे-जैसे राजपूतों का दबाव बढ़ता गया वैसे ही भील मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र में सीमित होते गये। इसीलिए भीलों के साथ राजपूतों का संघर्ष होता रहा। मध्यकाल में 13 वीं सदी से 1800 वीं सदी तक भील अपने स्थिर जीवन की तलाश में भारी कठिनाइयों का सामना करने रहें। जीवन-यापन के लिए उन्हें लूटमार जैसे कृत्यों का भी सराहा लेना पड़ा। सन् 1818 में सर जान माल्कम में इनका बुरी तरह से दमन किया। अंग्रेजी सत्ता के साथ भी भीलों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। लूटमार करने वाले भीलों को पकड़ा गया। बाद में इनके उत्पातों के स्थाई हल के रूप में अंग्रेजों ने इन्हें स्थायी रूप से बसाने के लिए मुपत में जमीनें दी और खेती बाड़ी करने की ओर प्रवृत्त किया। तब से कृषि कार्य ही इनकी आजीविका का मुख्य आधार बन गया।

भिलाला - भिलाला जनजाति अपने आपको स्वतंत्र जनजाति समूह के रूप में स्वीकार करती हैं। अनेक विद्वान एवं अध्येता भिलाला समूह को भील जनजाति का उपसमूह मानते हैं। रसेल एवं हीरालाल के अनुसार सन् 1911 ई. में भिलाला जनजाति के सदस्यों की जनसंख्या लगभग 1,50,000 के आसपास थी। भिलाला जनजाति के सदस्य मूलतः निमाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। रसेल व हीरालाल के अनुसार भील एवं राजपूतों के मिश्रण से भिलाला जनजाति का उदय हुआ है। उत्पत्ति एवं इतिहास भिलाला जनजाति के उद्भव के पीछे कोई कथा या किवंदंती नहीं हैं। मूल रूप से भिलाला जनजाति समूह का वास्तविक नाम भीलवाला हैं, भील वाला नाम का प्रयोग राजपूत जाति के छोटे कृषकों के लिए भी होता है। भील वाला शब्द का प्रयोग उन राजपूतों के लिए भी होता है, जो भील जाति से विवाह करते हैं।

बारेला - बारेला भी भीलों की एक उपजाति है। ये भी भिलाला जनजाति की तरह आर्थिक दृष्टि से थोड़े सम्पन्न हैं। एक क्षेत्र विशेष में रहने के कारण इनकी उपजाति भीलों से पृथक् हो गई। शैक्षणिक दृष्टि से भी बारेला उन्नत है। रहन-सहन भी इनका भीलों से अच्छा है। आम भीलों की तरह शराब का

प्रचलन इनमें भी पाया जाता है।

भीलों की बोली - भीलों की अपनी विशिष्ट बोली है। इसे भीली बोली कहा जाता है जैसे कोरकू आदिवासियों को बोली कोरकू कहलाती है। भील विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई एक जनजाति है। इसलिये आंचलित बोलियों का प्रभाव उन अंचलों में या उनके आसपास बसे भीलों पर स्पष्टतः देखा जा सकता है। राजस्थानी, गुजराती और मराठी के प्रभाव से भीली बच नहीं पाई है। मालवा और निमाड़ की विशिष्ट बोलियाँ हैं। धार में भीलों द्वारा प्रयुक्त भीली बोली पर मालवी बोली का प्रभाव तथा निमाड़ अंचल में निमाड़ी का प्रभाव भी भीली पर परिलक्षित होता है।

भाषा की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीनकाल में उन स्थानों में हुई होगी जहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते रहे होंगे। ऐसे स्थानों में किसी एक स्थान की, वह भाषा जो आरंभ में उत्पन्न हुई होगी तथा आगे चलकर जिसमें ऐतिहासिक और भौगोलिक आदि कारणों से अनेक भाषाएँ, बोलियाँ तथा उपबोलियाँ आदि बनी होंगी मूल भाषा कहीं होगी।

भीली बोली के शब्दों में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य होने से उच्चारण संबंधी विशिष्टता का भी विकास हुआ है। भीली बोली वाचिक साहित्य में सम्पन्न है। इसे लिखने का कोई व्यवस्थित प्रयास अभी नहीं किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. नेमीचंद जैन, मध्यप्रदेश के आदिवासी एवं रीति रिवाज, पृ. 54।
2. डॉ. एम.एल. वर्मा, भीलों की सामाजिक व्यवस्था, क्लासिकल पब्लि., नई दिल्ली।
3. ऋग्वेद 5/29/10।
4. टी.बी. नाईक, द भील्स ए स्टडी 1956 भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, दिल्ली पृ. 25-30।
5. डॉ. एम.एल. वर्मा, भीलों की सामाजिक व्यवस्था, क्लासिकल पब्लि., नई दिल्ली।
6. डॉ. श्रीनाथ शर्मा, जनजातीय समाजशास्त्र।

Effect of Various Source of Nutrients and Organic Manures on Growth and Yield of Wheat Irrigated with Different Saline Water(Ganganagar Tehsil, District Sri Ganganagar of Rajasthan)

Rajender Singh* Dr. Harish Kumar**

*Research Scholar, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
** Research Supervisor, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - Wheat is the most important staple crop in temperate zones and is in increasing demand in countries undergoing urbanization and industrialization. In addition to being a major source of starch and energy, wheat also provides substantial amounts of a number of components which are essential or beneficial for health, notably protein, vitamins (notably B vitamins), dietary fiber, and phyco-chemicals. of these, wheat is a particularly important source of dietary fiber, with bread alone providing 20% of the daily intake in the UK, and well-established relationships between the consumption of cereal dietary fiber and reduced risk of cardio-vascular disease, type 2 diabetes, and forms of cancer (notably colo-rectal cancer). Wheat shows high variability in the contents and compositions of beneficial components, with some (including dietary fiber) showing high heritability. Hence, plant breeders should be able to select for enhanced health benefits in addition to increased crop yield.

Keywords: Mechanical Composition, Physical-Chemical Properties, Organic Manure, Moisture Regimes, Salinity.

Introduction - Wheat(*Triticumaestivum* L.) positions second among significant grains close to rice and assumes a crucial function in food security of abounding hungry large number of India. In the coming time frame paving the way, request of wheat for human utilization in agricultural nations is required to develop at 1.8% per annum (Ortiz et al. 2008). In this manner yield increment is a lot of basic to keep up worldwide food security. Late investigates on environmental change foresee stamped increments in both precipitation and temperature. In our nation, wheat is filling in 27.01 million hectares region with the Creation of 72.9m tons. In Rajasthan, wheat is developed on a region of about 2.6 m hectares with a yearly creation of 7.01 million tons having a normal yield of 28.03 kg ha-1 (Anonymous 2004-05). The profitability and yield of wheat is essentially impacted by determination of appropriate assortments, soil and natural conditions just as the administration factors. The ground water of north-western Rajasthan is average water with issue of high saltiness flanked with high chloride and sulfates. Such water is persistently being used for agribusiness relying upon the degree of risky constituents.

Species	Production	Area
T. aestivum	94.8%	U.P, Punjab, Haryana, Rajasthan, M.P.,and J&K
T. durum	4.1%	Maharashtra, Gujarat,
T. dicoccum	1.1%	Karnataka, Tamil Nadu

However, the water system water in such territories is poor in quality yet it is inevitable as there is no elective wellspring of water system in such zones. Saltiness in ground water went from 2.1 to 9.1 dS m-1 in wells of Rajasthan (Agrawal et al., 2009).

Season Rabi	2020-21
Crop	Wheat <i>Triticumaestivum</i>
Variety	Raj-3077
Experimental design	Split Plot Design
Replications	3
Total No. of treatment	3 x 3 x 3 = 27
Total No. of plots	27 x 3 = 81
Plot size	2 m x 2 m

Methodology: The details of the experiment are as follows.

Initial Physico-chemical properties of experimental Soil

S.	Soil Characteristics	Values
1	Mechanical Composition (i) Coarse sand (%) (ii) Fine sand (%) (iii) Silt (%) (iv) Clay (%) (v) Textural class	24.40 56.60 9.40 7.40 Loamy sand
2	Physical Properties (i) Bulk density (Mg m ⁻³)	1.52
3	Chemical Properties	

(i) pH	8.50
(ii) ECe (dS m ⁻¹) at 25°C	2.54
(iii) CEC [c mol (p ⁺) kg ⁻¹]	5.15
(iv) Exchangeable Na [c mol (p ⁺) kg ⁻¹]	1.08
(v) CaCO ₃ (g kg ⁻¹)	16.08
(vi) Organic carbon (g kg ⁻¹)	1.80
(vii) Available N (kg ha ⁻¹)	133.60
(viii) Available P (kg ha ⁻¹)	9.48
(ix) Available K (kg ha ⁻¹)	159.15

Details of the treatment

Treatments	Symbol
(1) Main plot treatment	
A. Organic Manure	
(i) Control	M ₀
(ii) FYM @ 10 t ha ⁻¹	M ₁
(iii) Vermicompost @ 5 t ha ⁻¹	M ₂
B. Moisture Regimes	
(i) 0.4 IW/CPE	I ₁
(ii) 0.6 IW/CPE	I ₂
(iii) 0.8 IW/CPE	I ₃
C. Sub plot treatment	
(2) Salinity levels	
(i) Control	C ₀
(ii) 6 dS m ⁻¹	C ₁
(iii) 12 dS m ⁻¹	C ₂

Methods for soil and plant analysis

S.	Item of Analysis	Methods	References
	Physical Properties		
1.	Bulk Density	Undisturbed Core Sampler Method	Blake ,Hartge (1950)
2.	SHC	Constant Head Method	Klute ,Dirksen
	Chemical properties		
1.	PH	Systronic PH meter Model 322-1	Richards (1954)
2.	Organic Carbon	Walkey and Black rapid titration method	Walkey , Black(1934)
3.	ECe(Electrical Conductivity)	With the help of EC meter	Richards (1954)
4.	Total N	Macrokjeldahi Digestion	Bremner, mulvaney (1982)
5.	Total P	HClO ₄ Digestion	Jackson (1973)
6.	Total K	HF Digestion	Jackson (1973)
7.	Available N	Alkaine Potasium permangate method	Subbiah,asija (1956)
8.	Available P	spectrophotometer	Olsen et al. (1954)
9.	Available K	by flame photometer	Jackson (1973)

Statistical analysis: Micro-soft Excel 2007 version was used to make graphs and tables. Two way ANOVA and General Linear Model (GLM) was used to analyze the level of significance. Recurrence appropriation examination of

this informational index gives the likelihood of getting a given grain yield just as the effect of atmosphere on weakness of profitability of a cultivar. Contrast somewhere in the range of 75% and 25% likelihood levels is utilized here to show the degree of impact of climatic variety; the bigger the distinction the bigger is the yield fluctuation because of atmosphere. Since potential yield shifts fundamentally with area, this change is re-imagined on a relative premise:

Yield Variance Index = Yield at 75% probability -Yield at 25% probability / Index YVI at 50% probability

Study Area

1. Area of Sriganganagar Block : Area of Ganganagar district 11,154.66 km² or 1,115,466 hectares in which area Sriganganagar Block 851.2 sq km.

2. The latitudinal position (Ganganagar district): 28p 42' 19.22" north latitude to to 30p 12' 02.23" northern latitude.

3. Longitudinal position of Ganganagar district from 72p 37' 57.53" east longitude to 74p 18' 50.47"east longitude.

4. Climate and weather: The climate of Ganganagar district is a extreme hot to extreme cold. The temperature reaches e" 50°C in summer and falls around 0°C in winter . Normal temperature range between 25 to 35° C.

5. The average annual rainfall is fairly good rainfall (378.6mm) minimum, maximum and Average rainfall of Sriganganagar Block is 309.0 mm, 444.3 mm, 369.5mm, In terms of the amount of rainfall, climate and water supply, this district falls in the flat plain, sandy and dry region of Rajasthan, the surface run-off of water in this entire area is not equal.

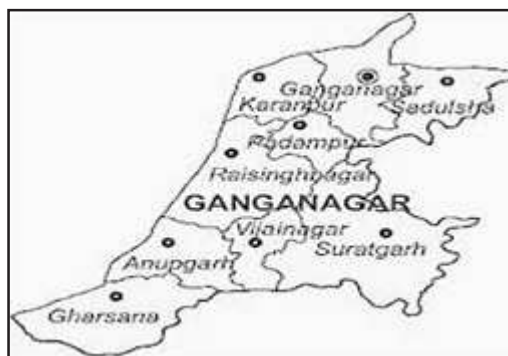


Fig. Experimental site: Sri Ganganagar District (Tehsilswise)

It has ten tehsils namely: Ganganagar, Sadulshahar, Karanpur, Padampur ,Raisinghnagar, Suratgarh ,Anoopgarh,Vijaynagar, Gharsana, Rawala.

It is an attempt to examine the Soil and Water quality parameters of the Ganganagar Tehsil, District Sri Ganganagar of Rajasthan.

Results : Results of the field experiment entitled "Effect of various source of nutrients and organic manures on growth and yield of wheat irrigated with different saline water (Ganganagar Tehsil, district Sri Ganganagar of

Rajasthan)."Conducted at Agriculture Research Station Sri Ganganagar during rabi season of 2020-21 are being presented.

Table (see in next page)

Effect Of Organic Manures : Application of chemical fertilizers applied even in balanced amounts are generally unable to sustain productivity under continuous cropping and irrigation with poor quality waters. This negative effect is overcome by inclusion of organic materials known to improve soil properties mediated through formation of organic acids on decomposition of organic matter (Kumar and Tripathi, 1990).

Effect Of Moisture Regimes : Data presented revealed that effect of application of irrigation water at different moisture regimes on bulk density of soil was found non-significant during both the years, however, the saturated hydraulic conductivity of soil decreased significantly with the increasing level of irrigation during both the years and in pooled analysis. The decrease in saturated hydraulic conductivity at higher moisture regimes might be to change in porosity as porosity of rhizosphere positively related to hydraulic conductivity of soil. The increase in moisture content at 1500 kPa and 33 kPa owing to decrease in profile water depletion and water expense efficacy at more frequent irrigation might be the cause of decrease in saturated hydraulic conductivity. (Abu and Malgwi, 2012).

Effect Of Salinity : Data revealed that the effect of application of saline water on bulk density of soil was found non significant during both the years as well as in pooled analysis. However, the saturated hydraulic conductivity of soil increased significantly with increasing levels of salinity during both the years as well as in pooled.

Nutrient availability : Addition of organic manures to soil had beneficial effect on the nutrient availability. All the treatments resulted in increasing the total and available nutrients in soil over control. Vermicompost showed the highest increase in total and available nutrients. The same treatment resulted maximum decrease in soil pH explaining the increase in total and available nutrients in soil.

Conclusions: On the basis of the results conclusion can be drawn.

Application of organic manures along with more frequent irrigation by keeping the soil at a higher moisture content, prevents high salt concentration in the soil solution and tends to minimize the harmful effects of a given level of salinity. Hence, Vermicompost @ 5 t ha⁻¹ under 0.8 IW/CPE moisture regime is a better choice for mitigating

adverse effects of saline water properties and mustard yield.

References:-

1. Ayer and Bansal KC and Sinha (2003) Assessment of drought resistance in 20 accessions of *Triticum aestivum* and related species. Total dry matter and grain yield stability national Journal of agricultural and food chemistry Vol.1, pp7-14.
2. Barma NCD(2005) Genetic study of morphophysiological traits related to heat tolerance in spring wheat. Department of Genetics and Plant Breeding, Bangladesh Agric. Univ. Mymensingh. Vol.34 pp123-129.
3. Bangladesh. Barma NCD, Islam MA, Hakim(2011). Genetic variability and selection response to heat tolerance through membrane thermostability in spring wheat (*Triticum aestivum* L) Department of plant breeding, India Agriculture university National Journal of agricultural and food chemistry Vol.25 pp 258-260.
4. Blum A, Sullivan CY and Nguyen(2009) The effect of plant size of wheat in responses to drought stress II. Water deficit, heat and ABA. Aust. J. Plant Physiol. 24: 43-48.
5. Westcot (1998)"Water quality for agriculture and irrigation", Paper No. 29, Rev.1, FAO, Rome, pp.174-179.
6. Godfrey, Hawkesford, M. J., Powers, S. J., Millar, S. & Shewry, P. R. (2010). Effects of crop nutrition on wheat grain composition and end use quality. Journal of agricultural and food chemistry, 58 (5): 3012-3021.
7. Gooding, M., Smith, G., Davies, W. & Kettlewell, P. (2013). The use of residual maximum likelihood to model grain quality characters of wheat with variety, climatic and nitrogen fertilizer effects. The Journal of Agricultural Science, 128 (2): 135-142.
8. Groos, Gay, Perretant, M.-R., Gervais, L., Bernard, M., Dedryver, F. & Charmet, G. (2002). Study of the relationship between pre-harvest sprouting and grain color by quantitative trait loci analysis in a white × red grain bread-wheat cross. Theoretical and Applied Genetics, 104 (1): 39-47.
9. Groos, C., Robert, N., Bervas, E. & Charmet, G. (2016). Genetic analysis of grain protein content, grain yield and thousand-kernel weight in bread wheat. Theoretical and Applied Genetics, 106 (6): 1032-1040.
10. Gupta, R. & MacRitchie, F. (2015). Allelic Variation at Glutenin Subunit and Gliadin Journal of Cereal Science, 19 (1): 19-29.

Effect of organic manures, moisture regimes and salinity levels on bulk density (Mg m⁻³) and saturated hydraulic conductivity (cm h⁻¹) PH, ECe, CEC, Organic Carbon, total N, P, K and Available- N,P,K content (%) in soil at harvest.

Treatment	B.D	SHC	PH	ECe	CEC	O.C	Total N	Total P	Total K	Availa ble- N	Avail able- P	Avail able- K
Organic manures												
M0-(No manure)	1.65	7.38	8.15	1.95	5.94	2.14	0.012	0.021	0.120	125.01	8.021	127.32
M1-(FYM)	1.52	8.56	7.91	2.44	5.47	2.36	0.025	0.010	0.021	124.02	8.236	135.21
M2-(Vermicompost)	1.54	8.91	7.35	2.62	6.12	2.89	0.001	0.023	0.012	126.12	9.025	138.25
Moisture regimes												
I1-(0.4 IW/CPE)	1.53	8.56	8.95	2.65	6.23	2.15	0.021	0.031	0.125	135.23	10.25	147.32
I2-(0.6 IW/CPE)	1.65	7.71	8.26	2.18	6.14	2.36	0.011	0.012	0.321	136.25	9.321	146.37
I3-(0.8 IW/CPE)	1.42	9.66	7.91	2.74	5.92	2.15	0.014	0.014	0.120	138.24	9.357	148.35
Salinity levels												
C0-(Control)	1.53	8.15	7.65	1.55	5.48	1.99	0.001	0.001	0.014	136.58	8.214	159.32
C1-(6 dSm-1)	1.50	8.81	7.91	1.95	6.21	2.02	0.010	0.031	0.211	135.33	8.325	158.32
C2-(12 dSm-1)	1.56	9.25	7.15	2.42	6.45	2.09	0.024	0.011	0.014	129.39	9.369	167.21

Work Life Balance

Dr. Seema Parveen Khan*

***Assistant Professor, Department of Business Finance and Economics, Faculty of Commerce,
Maulana Azad University, Jodhpur (Raj.) INDIA**

Introduction - All of us want success in our respective professional fields. Success is achieved with lot of hard working, devotion and sacrifice in life. Success is very relative. One may define success in his own way depending upon his goal or objective in life. To some, success may be having a 5 BHK luxurious flat in a posh locality whereas others may consider success with a cottage in a remote village. In the same way, one may consider himself very successful when he becomes CEO of an organization while the other may think himself successful in just continuing as an employee in his organization. But whatever may be the definition of success. It is pertinent to know whether success brings happiness which is the ultimate purpose of life.

In order to achieve success, we may have to sacrifice everything in our life. Our life becomes one sided and miserable. In the race for success and competition, we neglect our health, hobby, family and social life. Ultimately happiness becomes a distant reality. The question is whether we can afford this. Professional success does not necessarily lead to happier life always. One may be very successful but he may not be happy.

Work Life Balance is very imperative in our life for both success & happiness. It is equally important for both men and women. We must understand the meaning and importance of Work Life Balance in order to lead a balanced and fulfilling life. The need for Work Life Balance is more felt now in the age of COVID-19 than ever before. Both the workplace and home environment are undergoing unpredictable changes during the post COVID-19 period. The boundary between the two is disappearing. All of us have basically 2 sides - work on one side and rest of life on the other side. Work Life Balance is not allotting equal time to both sides.

It is maintaining equilibrium between one's personal and professional activities. Personal Life includes health, pleasure, leisure, relationship, family, social roles, etc. and professional life includes career, ambition, achieving targets/ deadlines etc. It is about prioritizing different activities of life and managing them efficient and effectively.

But, Work Life Balance is absolutely essential for all of

us because of the following reasons :

1. A healthy Work Life Balance reduces stress and anxiety. When activities of both sides – personal and professional are carried out in a properly balanced way, there does not remain any scope for being worried and stressed. It improves our mental health by managing emotions effectively.
2. Work Life Balance contributes to better physical health. When we give due importance to our personal aspects of life – like diet, exercise, enjoyment, sleep etc. we remain physically healthy.
3. Work Life Balance improves inter personal relationship by providing more time and quality time to family. Friends & others. A balanced life style helps in building deep connection with people around us.
4. Work Life Balance enhances productivity and output both in work place and beyond through better engagement. People with healthy Work Life Balance are more enthusiastic and committed to all areas of life. They are self motivated and more focused on their tasks.
5. Work Life Balance fosters creativity and innovative thinking through relaxation and calmness in mind. People following a balanced life style feel emotional and mental stability. They respond to different situation in appropriate manner utilizing their relaxed mind and creative thinking.
6. True Work Life Balance brings happiness and fulfillment in life. Often success alone may not bring happiness. Keeping control of the keys for both personal and professional life brings real meaning to life. In fact a healthy Work Life Balance brings more success and more happiness.
7. Effective Work Life Balance enables one to be in the present. When our mind is free and uncluttered due to balanced life style, we focus on things at hand and achieve both accomplishment and enjoyment.

There are numerous such benefits for having balanced life style.

How to achieve Work Life Balance - Achieving a healthy

Work Life Balance is challenging but it is very essential. Work Life Balance is not a perfect one size fits all. It depends upon to person and even for same person from time to time depending upon the situation in the workplace and personal life. It is different for each of us because we all have different priorities in life.

Creating a healthy Work Life Balance begins in the mind. One has to decide first to lead a balance and rewarding life. It requires constant adjustments, compromises and consistency. The following tips can help in achieving and maintaining a perfect Work Life Balance for the working people.

01. Analyzing your present situation: The First step in achieving a perfect Work Life Balance is to analyze the present situation. It will make you understand how you are using and where you are losing your present time.

02. Prioritization of activities: Prioritize your tasks into four categories as –

- a. Urgent & Important
- b. Important but not Urgent
- c. Urgent but not Important
- d. Neither Urgent nor Important

Allot time on the basis of priority and attend them accordingly. Successful and happy people plan their work and then work their plan.

03. Set Boundaries: One must establish clear and realistic boundaries on personal works and professional works with reasonable flexibility.

04. Nature Relationship : Good relationship with family, friends and loved ones is the greatest source of satisfaction. One must not ignore in nurturing true relationship with people around.

05. Give time for yourself : One must give time for his health, hobby, exercise & leisure in order to keep himself physically, mentally & emotionally fit and productive.

06. Leave work at work : One should not bring office work to home in normal conditions. You should be mentally free and relaxed at home. This will enhance your quality time at home with family members.

07. Work smarter : It is not hard working but smart working which can help you more successful and happier.

08. Develop support system : It is very much essential to develop a support system both at personal and professional level, to carry out the jobs more successfully. Never hesitate to ask for help whenever required.

09. Learn to say 'No' : One cannot do all the jobs for all at all times. So, it is imperative to say 'No' whenever required, but in a polite manner.

10. Delegate : Delegation is an art, Delegate things which others can do and don't delegate things which you alone

can do. Delegation makes you free to think for more productive tasks.

11. Time Management : It is key to a better Work Life Balance for all. Effectivetime management benefits all aspects of life.

12. Use Technology : Take advantage of technology to save time. Never allow technology to use you.

13. Do what you love : Find time for something you love to do other than work. It will energize and refresh you and will make you more creative & productive.

14. Be Realistic : Undertake jobs or assignments which are possible and you can do them with ease, Don't overburden and get addicted to work.

15. Review : At the end of each day review what went well and what went wrong. Accordingly take necessary steps for making the things balance in the coming days.

16. Let Go of Perfectionism : One should try for perfectionism but should not be obsessed with it.

17. Avoid Procrastination : Procrastinating piles up the jobs and needs last minute rush affecting the Work Life Balance severely.

A healthy Work Life Balance is required for all working men and women irrespective of their nature of work for real happiness and success in life. One has to draw a line between the two to avoid the consequence of poor Work Life Balance like stress, frustration, anxiety, poor health, bad relationship etc.

References:-

1. Drew, E., & Murtagh, E. M. (2005). Work/life balance: senior management champions or laggards?. *Women in Management Review*, 20(4), 262-278.
2. Doble, N., & Supriya, M. V. (2010). Gender Differences in the Perception of Work-Life Balance. *Managing Global Transitions: International Research Journal*, 8(4).
3. Daipuria, P., & Kakar, D. (2013). Work-Life Balance for Working Parents: Perspectives and Strategies. *Journal of Strategic Human Resource Management*, 2(1), 45.
4. Gregory, A., & Milner, S. (2011). Fathers and work-life balance in France and the UK: policy and practice. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 31(1/2), 34-52.
5. Gupta, S. (2014). Research Paper on Emotional Intelligence and Work Life Balance of Employees in the Information Technology Industry. Available at SSRN 2395216.
6. Goyal K.A. (2015) Issues and Challenges of Work Life Balance in Banking Industry of India. *Pacific Business Review International*. 8(05), 113-118.
7. Holly, S., & Mohnen, A. (2012). Impact of working hours on work-life balance.

Molecular Monitoring of Antifolates Resistance Among *Plasmodium Falciparum* Field Isolates from Tribal Areas of Balaghat District in Madhya Pradesh

Megha Kumre*

*Assistant Professor (Zoology) Government College, Chourai (Chhindwara) (M.P.) INDIA

Abstract - Characterization of drug resistance by using molecular markers is an important aspect of understanding resistance to antimalarials. Molecular surveillance method has emerged as a key approach in monitoring resistance to antimalarials, as there is a strong genetic basis for resistance to most antimalarials. SP resistance has been linked to the genes dihydrofolate reductase (*dhfr*) and dihydrofolate synthetase (*dhps*). In this study, we aimed to assess the mutations in *Pfdhfr* and *Pfdhps* genes to keep track of resistance in ACT partner drug (SP).

Keywords- Antimalarial drug resistance, ACT, *Plasmodium falciparum*, antifolates, artemisinin, *Pfdhps*, *Pfdhfr*.

Introduction - Antimalarial drug resistance first came into prominence at the end of the 1950s, at that time; resistance to chloroquine was seen in Southeast Asia and South America and became widespread in 1970s and 1980s. In same time SP (antifolate drug) resistance was reported and became widespread. By the 1990s, SP was no longer useful in many endemic regions of South America[1]. Southeast Asia, particularly the Thai-Cambodian border has traditionally been the region from where SP resistance is first observed[2]. In 2005, reduced susceptibility of artemether was reported. Artemisinin resistance has been reported from various region of the World [3-5].

Chloroquine resistance in *P. falciparum* in India was first reported in Assam by Sehgal *et al* in 1973. This is followed by many reports of chloroquine resistance in *P. falciparum* from various parts of the country like Odisha, Madhya Pradesh, Gujarat and the Northeastern states[6-7].

The effective antimalarial therapy not only reduces the mortality and morbidity of malaria, also reduces the risks of resistance to antimalarial drugs. Malaria parasite resistance to essentially all currently and previously available antimalarial drugs has arisen multiple times [8]. The effectiveness of early diagnosis and prompt treatment is the principle technical components of the global strategy to control malaria but it is highly dependent on the efficiency, safety, availability, affordability and acceptability of antimalarial drugs. Treatment of *P. falciparum* malaria is complicated by the emergence and spread of parasite resistance to many of the first line drugs used to treat malaria. Combination therapies rather than monotherapies

have been shown to be better alternative for the treatment of malaria. The World Health Organization (WHO) recommends the use of ACTs for the treatment of uncomplicated malaria. In all the state of India except North East state. ACT with combination of Artesunate and Sulphadoxine-Pyrimethamine (SP) and Artemether-Lumefantrine is used for treatment of uncomplicated malaria.

SP blocks the folate synthesis via inhibition of dihydrofolate reductase enzyme (DHFR) and dihydropteroate synthase (DHPS) enzymes. SP combination therapy is fixed-dose combination of two antifolates compounds. These are blood schizontocidal drugs active against *P. falciparum*. But unfortunately, recent alarming reports observed the emergence of artemisinin resistant parasites in Southeast Asia, which could derail the current malaria control efforts [9-12].

So, characterization of drug resistance by using molecular markers is an important aspect of understanding resistance to antimalarials and to resolve this problem. Molecular surveillance method has emerged as a key approach to monitor antimalarial drug resistance because there is a strong genetic basis for resistance to most antimalarials. SP resistance has been linked to the genes dihydrofolate reductase (*dhfr*) and dihydrofolate synthetase (*dhps*)[13]. In this study, we aimed to assess the mutations in *Pfdhfr* and *Pfdhps* genes to keep track of resistance in ACT partner drug (SP). The study reports higher degree of antifolate drug resistance as evidenced by the presence of multiple point mutations in *dhps* and *dhfr* genes. The findings of this study strongly discourage the use SP as a

partner drug in ACT[14].

Malaria in Madhya Pradesh

Madhya Pradesh is one of the highly malarious state in India. According to NVBDCP report, 97785 malaria cases were shown. Both *P. falciparum* and *P. vivax* are co-endemic in this state, but *P. falciparum* is more lethal and about 41943 *P. falciparum* malaria cases and 26 deaths were shown. Malaria in Central India (Madhya Pradesh) is complex because of the vast tracts of forest with tribal settlement.

Antifolates-Some of the most widely used antimalarial drugs belong to the folate antagonist class. These are classified as:

Type 1-Antifolates (sulfonamide and sulfones) - They mimic p-aminobenzoic acid (PABA). They prevent the formation of hydropteroate from hydroxymethyldihydropterin catalyzed by dihydropteroate synthase (DHPS), by competing for active site of DHPS. DHPS is a bifunctional enzyme in plasmodia coupled with 2-amino, 4- hydroxyl-6-hydroxymethyl- dihydropteridine pyrophosphokinase (PPPK).

Type 2-antifolates (pyrimethamine, biguanides, triazine metabolites, quinazoline) - These inhibit dihydrofolate reductase (DHFR). DHFR is also a bifunctional enzyme in Plasmodia coupled with Thymidylate Synthase (TS). Thus, it prevents the NADPH-dependent reduction of dihydrofolate to tetrahydrofolate by DHFR.

Antifolates interfere with folate metabolism which is essential pathway for the malaria parasite survival. The principal antifolate drugs used against malaria are in combination, Sulphadoxine-Pyrimethamine (SP) [15].

Artemisinin Combination Therapy- (ACT) - Artemisinin and its derivatives are sesquiterpenelactones [16-17]. Artemisinin derivatives have a gametocytocidal activity, a feature that, in combination with their pharmacokinetic and pharmacodynamic properties, may well delay the development of drug resistance in the field. [18]. They act by inhibiting a *P. falciparum*-encoded sarcoplasmic-endoplasmic reticulum calcium ATPase. It is the fastest acting antimalarial drug available. It inhibits the development of trophozoites, and thus prevents the progression of the disease. Artemisinin-based combination therapies (ACTs) remain highly effective in almost all settings, as long as the partner drug in the combination is locally effective. The 5 ACTs currently recommended are Artesunate + Sulphadoxine-Pyrimethamine, Artemether + Lumefantrine, Artesunate + Amodiaquine, Artesunate + Mefloquine and dihydroartemisinin + Piperazine[19]. Combination of SP+Artesunate is very well tolerated. The therapeutic efficacy is dependent on the level of pre-existing resistance to the partner drug[20].

Methods To Detect Antimalarial Drug Resistance - There are 3 methods to detect the antimalarial drug resistance:

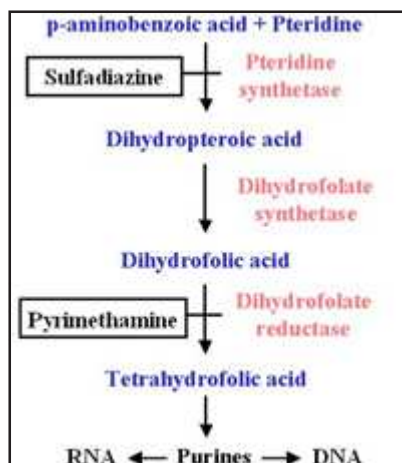
1) Therapeutic efficiency- In-vivo test is includes treatment of a group of symptomatic and parasitemic individuals with known doses of drug and subsequent monitoring of clinical response over time. During the follow up patient checked for recurrence and according to time of recurrence, resistance can be classified as a) Adequate Clinical and Parasitological response (ACPR), b) Early Treatment failure (ETF), c) Late Parasitological failure (LPF), d) Late Clinical failure (LCF).

2) In-vitro analysis- this technique is based on micro-test in which either parasitized blood sample directly collected from patient (*Ex-vivo*) or after the adaptation of parasites to long-term culture in laboratory (*in vitro*). This check the level of parasite sensitivity to drug of interest, mostly expressed as different levels of inhibitory concentration (ICs) such as (IC₅₀) inhibiting 50% of the initial parasitemia growth.

3) Molecular method- molecular tools are dependent on the phenotypes and their subsequent association with specific parasite genetic characteristics. Most of these methods are based on PCR amplification capacity. PCR is used to indicate the presence of mutation encoding biological resistance to antimalarial drugs [21-23].

Mechanism Of Antifolates (Sp) Drug Resistance - Drug resistance in malaria does probably not arise in a single step, but as a long process during which the parasites become gradually more and more tolerant to the drug. Resistance to antimalarials is associated with specific genetic polymorphisms in the target molecule. Resistance occurs through spontaneous mutations that confer reduced sensitivity to a given drug or class of drugs[24]. SP resistance is caused by point mutations in *Pfdhps* and *Pfdhfr* genes respectively, which are targeted by antifolate drugs. For some drugs, only a single point mutation is required to confer resistance, while for other drugs, multiple mutations appear to be required. Point mutation on *Pfdhps* gene located on chromosome 8, codons 436, 437, 540, 581 and 613 and on *Pfdhfr* genes located in chromosome 4, codons 51, 58, 59, 108 and 164 were identified [25]. *P. falciparum* isolates with increased numbers of *Pfdhfr* mutations were found to show a higher degree of pyrimethamine resistance. Indeed, the falciparum malaria patients containing quadruple *Pfdhfr* mutations showed a treatment failure against this drug[26]. Combination of the *Pfdhfr* triple mutant (51I, 59R, and 108N) combined with the *Pfdhps* double mutant (437G and 540E, denoted as) together, this combination of SNPs is referred to as the "quintuple" mutant *Pfdhfr/Pfdhps* genotype and is associated with high risk for SP treatment failure [27].

Figure-1: Mode of action of Sulphadoxine and Pyrimethamine



Molecular theory of *Pfdhfr* gene and *Pfdhps* gene mutation

There is significant homology between *P. falciparum* DHFR and other species. *P. falciparum* DHFR-TS is encoded by a single-copy gene on *P. falciparum* chromosome 4, with the two enzymes forming a bifunctional protein. The DHFR-TS of *P. falciparum* contains 608 amino acids, the first 231aa comprising the DHFR domain, the next 89aa residues forming the junction region, which joins the remaining 288aa residues of the thymidylate synthase domain. DHFR protein is comprised of 8 central α -strands between 4 α -helices, with an additional three short α -helices. DHPS is also a bifunctional polypeptide encoded by a gene also encoding 7, 8-dihydro-6-hydroxymethylpterin pyrophosphokinase, the enzyme immediately preceding DHPS in the folate biosynthesis pathway. DHPS catalyzes the condensation of p-aminobenzoic acid with 6-hydroxymethyldihydropterin pyrophosphate yielding 7, 8-dihydropteroate. As the antagonism of DHFR, antagonism of DHPS in *Plasmodium* species, results in depletion of the dTTP precursor and subsequent decrease in DNA production.[28]. Molecular modeling of *Pfdhfr* has given rise to significant understanding of the basis of resistance, and to the design and synthesis of new effective compounds against resistant parasite. Sequencing of both phenotypically sensitive and phenotypically resistant *Pfdhfr* gene gives the first evidence that; point mutation in *dhfr* gene is responsible for the resistant phenotype. Some more resistant isolates demonstrate additional mutation at codons **Asn51Ile, Cys59Arg and Ile164Leu. Ser108Asn** alone strengthening that, point mutations in *dhfr* is the cause of pyrimethamine resistance. A change from serine to asparagine at position 108 (S108N) in *dhfr* on chromosome 4 represents the initial mutation, that alters the shape of the active site on the enzyme and enables a limited amount of pyrimethamine resistance. While the S108N mutation confers a small amount of resistance to parasites, additional mutations in *dhfr* at positions 50, 51, 59, and 164 act synergistically to increase the levels of PYR resistance [15, 29]. The *dhfr* quartet mutant of N51I + C59R + S108N + I164R has the highest levels of Pyrimethamine resistance.

In many places, the presence of the *Pfdhfr* triple mutation (51 + 59 + 108) was strongly and independently correlated with SP failure.

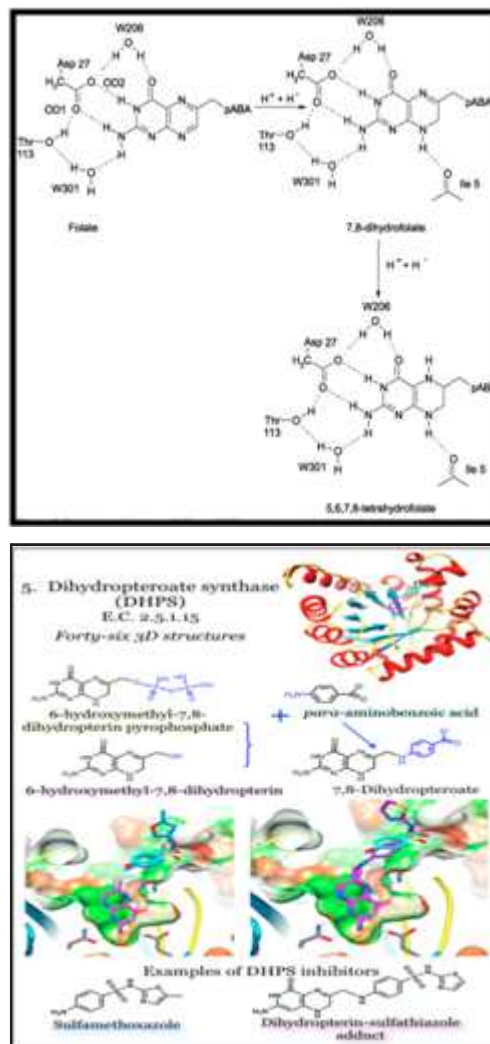


Figure-2:a) Reduction of folate to DHF and THF b) Structure of *Pfdhps* and example of *Pfdhps* Inhibitors

Point mutations in conserved regions of *Pfdhps* confer sulfonamide resistance. On study of gene sequence, five positions discovered at which mutation occurred in five different codons S436A/F, A437G, K540E, A581G, and A613T/S. Isolates carrying either the double mutation S436F/A613S/T or the single mutation A581G showed higher level of resistance. Isolates with *Pfdhps* containing S436A, A437G or K540E confers the resistance to Sulfonamide. Higher level of sulfa drug resistance requires that, multiple mutations be present in addition at codons 436, 437 and 540 [30].

Resistance to Sulphadoxine occurs due to mutations on the *Pfdhps* gene, which decreases the enzyme binding affinity to Sulphadoxine. An amino acid changes in DHPS at 437 codon (A437G), represents the initial mutation for Sulphadoxine resistance [30,31]. Like SP resistance gene,

recently, a molecular marker for artemisinin resistance has been nailed[4]. Artemisinin resistance is characterized by reduced susceptibility of the ring stage of parasite development and is clearly associated with increasing rates of failure of artemisinin-based combination treatments in Cambodia and Thailand[2]. Mutations in the Kelch 13 (K13)-propeller domain is associated with delayed parasite clearance *in vitro* and *in vivo*. Analysis of the recently identified molecular marker for artemisinin resistance showed that, the C580Y mutation was the most prevalent in parts of the Greater Mekong sub region (GMS), but many other mutations in and near the K13 propeller region were also found to be associated with artemisinin resistance (Y493H, R539T, I543T).

Materials And Method - Blood samples (3-4 drop of blood) were collected on Whatman filter paper no.3 by finger prick from patients infected with *P. falciparum* malaria from the endemic areas of Balaghat District (Madhya Pradesh). Genomic DNA from stored blood spotted filter paper was isolated by DNA extraction method based on Chelex-100 method. PCR was setup for *Pfdhfr* and *Pfdhps* genes specific amplification of the *P. falciparum*. Agarose gel electrophoresis was carried out for the confirmation of the desired amplified PCR fragments. Amplified PCR product were mixed with 6X loading dye in 1:6 ratio (2µl dye and 10µl DNA). Sample was run at 60-70mA current. Desired DNA band was analyzed in the gel documentation system. The genotyping of *Pfdhps* and *Pfdhfr* samples was done by the Sanger's method of chain termination using Applied Biosystem 3130x1 genetic analyzer. The PCR product was diluted in 1:10 ratios. The tubes were then placed in thermocycler, required protocol was run to amplify desired gene. The PCR product contains sufficient quantity of amplified DNA fragments along with unwanted debris like polymerase, dNTPs, ddNTPs and primers. Before using the product for sequencing, other biomolecules were removed to avoid noise except DNA. It is a multi step process governed mainly by the principle of centrifugation. The content of sequencing PCR was transferred from 0.2ml tube to 1.75 ml microcentrifuge tube. The product was either directly used for sequencing or was kept in -20°C refrigerator for future usage. After the cleanup procedure, the Hi-Di added DNA sample is ready for sequencing. 3130x1 Genetic Analyzer (Applied Biosystem) was used that has 16 capillary arrays. The capillaries were prefilled with sequencing polymer that acts as supporting medium for DNA fragments to align in capillaries by electrophoresis. As 3130x1 Genetic Analyzer had 16 capillary arrays, 16 or its multiples of samples were sequenced at a time. Samples were loaded in wells of sequencing tray and position was manually recorded with sample ID. After sequencing was done, results were visualized using 3130x1 Genetic Analyzer software. Three different software were used to perform *in silico* analysis of the sequenced DNA, namely i) BioEdit sequencing alignment editor Ver.5.0.9. ii) GeneDoc and

multiple sequence alignment tools. iii) ExpASy translation tool (can be used online or off-line). With the help of the software, sequences of *Pfdhps* and *Pfdhfr* were analysed. It was helpful in detecting numerous point mutations in nucleotide sequence.

Results And Discussion - The aim of this study was to analyze mutations in *Pfdhps* and *Pfdhfr* genes in samples collected from the Balaghat district. Genomic DNA from 92 dried blood spotted samples was isolated by chelex-100 method. Enzymatic amplification of *Pfdhfr* gene was attempted for 92 DNA samples. Of which, 87 samples were amplified successfully with product length 648bp (fig.3). Similarly, for *Pfdhps* gene, amplification of 92 DNA samples were performed, out of which 74 samples were amplified successfully with PCR product length of 735bp (fig.4).

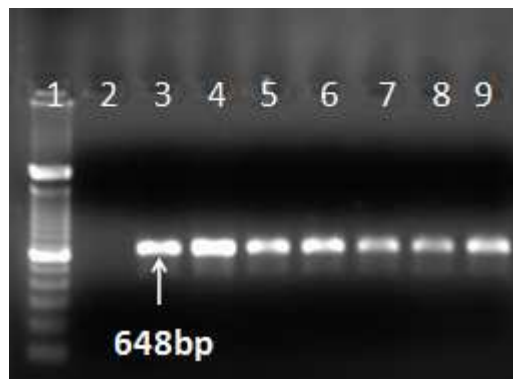


Figure -3: Gel picture showing amplified Pfdhfr gene product.

Lane 1: DNA marker (as reference),
Lane 2: NTC (Negative Template Control)
Lane 3: PTC (Positive Template Control),
Lane 4-9: Samples

Whereas, for *Pfdhps* 71 clinical isolates were analyzed at five codons (436, 437, 540, 581 and 613) for mutations and found 100% wild type with allele S₄₃₆A₄₃₇K₅₄₀A₅₈₁A₆₁₃.

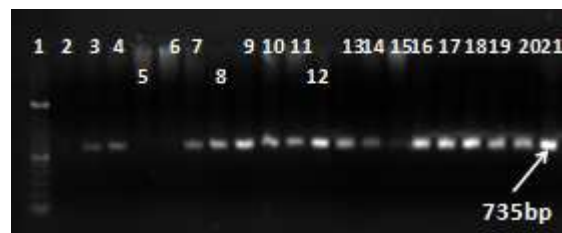


Figure-4: Gel picture showing amplified fragments of Pfdhps gene

Lane 1: DNA marker (as reference)
Lane 2: NTC (Negative Template Control)
Lane 3: PTC (Positive Template Control)
Lane 4-20: Samples

Mutation at codon S108N was thought to be the first event, which resulted in reduce *in vitro* responsiveness to pyrimethamine, followed by point mutation at N51I, C59R

and finally at position I164L. In our samples, double mutation with combination of C59R and S108N, and triple mutation with combination of C59R, S108N and G105R another combination of C59R, S108N and T63I were shown (Fig.5).

Figure-5 (see in last page)

REF- Reference sequence, **WT-** Wild type, **SM1-** Single mutation-S108N, **SM2-** Single mutation-C59R, **DM-** Double mutation-C59R, S108N, **TM1-** Triple mutation-C59R, S108N, T63I, **TM2-** Triple mutation-C59R, S108N, G105R

Of 87 cases, 80 samples gave positive sequencing results and were analyzed for *Pfdhfr* mutations at five codons (16, 51, 59, 108, and 164). 50% parasite population was harboring the mutations (single, double and triple mutations) and 50% was wild type (Fig.6). Majority of the parasite population was double mutant *Pfdhfr* A₁₆N₅₁R₅₉N₁₀₈I₁₆₄ (43.75%) followed by 3.75% single mutants (2.5% A₁₆N₅₁C₅₉N₁₀₈I₁₆₄ allele and 1.25% A₁₆N₅₁C₅₉N₁₀₈I₁₆₄ allele) and 2.50% triple mutants with genotype A₁₆N₅₁R₅₉I₁₀₈P₁₁₈ (1.25%) and A₁₆N₅₁R₅₉R₁₀₅N₁₀₈ (1.25%)(Fig.7).

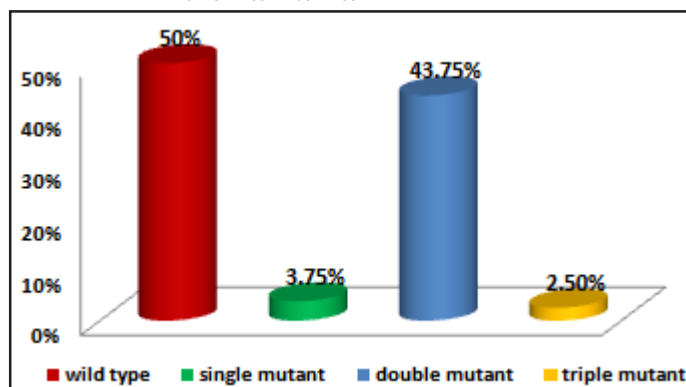


Figure-6: Graph showing prevalence of mutation

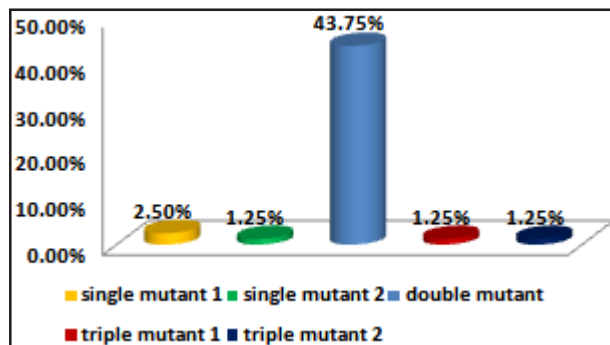


Figure-7: Graph showing prevalence of mutation with different alleles.

Single mutant 1 allele- A₁₆N₅₁C₅₉N₁₀₈I₁₆₄
 Single mutant 2 allele- A₁₆N₅₁C₅₉N₁₀₈I₁₆₄
 Double mutant allele- A₁₆N₅₁R₅₉N₁₀₈I₁₆₄
 Triple mutant 1 allele- A₁₆N₅₁R₅₉I₁₀₈P₁₁₈
 Triple mutant 2 allele- A₁₆N₅₁R₅₉R₁₀₅N₁₀₈

Figure-8 (see in last page)

Present study showed that the prevalence of the double

mutants in *Pfdhfr* gene is higher. So C59R and S108N are more likely to act as a predictor for development of resistance to SP drug. Whereas we found 100% *Pfdhps* wild type isolates (fig.8). As, SP serve as partner drug in ACT combination, therefore it is important to keep track in monitoring SP resistant parasite. In ACT, Artemisinin rapidly reduces the parasite biomass leaving relatively few parasites for the partner drugs to eliminate. As a result, parasite which is also partially resistance to the partner drug may be cleared. The partner drug, in turn, may protect Artemisinin against resistance by clearing the remaining parasite. Alarming situation may occur if parasite develops higher level of resistance against SP in this area. Also, in this situation ACT failure may occur. Therefore, continuous molecular monitoring is important to halt further progression of mutations in parasite.

Conclusion - Artemisinin is highly effective in clearing parasitemia; however, the partner drug (Sulphadoxine-Pyrimethamine) is an important component in prolonging the usefulness of the combination. Artemisinin based combination therapies are considered to be highly effective antimalarials available in endemic countries. Mutational analysis of drug resistance markers has been proven to be useful and important in monitoring drug resistance in malaria endemic countries. Molecular surveillance will aid in developing better therapeutic strategies as their analysis may serve as pre alarm of drug effectiveness.

References:-

1. Cortese, J.F., Caraballo, A., Contreras, C.E., Plowe, C.V. 2002. Origin and dissemination of *Plasmodium falciparum* drug-resistance mutations in South America. *J Infect Dis* 186:999–1006.
2. Baird, J.K. 2009. Resistance to Therapies for Infection by *Plasmodium vivax*. *Clin Microbiol Rev* 22:5083–4.
3. Tun, K.M., Mallika, Imwong, Khin, M., Lwin, Aye, A. Win, Tin, M. Hlaing, Thaung Hlaing, et al. 2015. Spread of artemisinin-resistant *Plasmodium falciparum* in Myanmar: a cross-sectional survey of the K13 molecular marker. *Lancet* 15(4): 415–421.
4. Arie, F., Witkowski, B., Amaratunga, C. et al. 2014. A molecular marker of artemisinin-resistant *Plasmodium falciparum* malaria. *Nature* 505(7481): 50–5.
5. Jambou, R, et al. 2005. Resistance of *Plasmodium falciparum* field isolates to in-vitro artemether and point mutations of the SERCA-type PfATPase6. *Lancet* 366:1960–1963.
6. Dash, A. P., Valecha, N., Anvikar, A. R., Kumar, A. 2008. Malaria in India: Challenges and opportunities. *J. Biosci.* 33:583–592.
7. Bharti, P.K., Alam, M.T., Boxer, R., Shukla, M.M., Gautam, S.P., Sharma, Y.D., Singh, N. 2010. Therapeutic efficiency of chloroquine and sequence variation in *Pfcr* gene among patients with *falciparum* malaria in Central India. *Tropical Medicine and International Health Journal* 15(1):33–40.

8. Matthew M. Ippolito^{1,2,3} & Kara A. Moser⁴ & Jean-Bertin Bukasa Kabuya⁵ & Clark Cunningham⁶ & Jonathan J. Juliano^{7,8,9}. 2021. Antimalarial Drug Resistance and Implications for the WHO Global Technical Strategy. Springer Nature Switzerland AG 2021.
9. World Malaria Report 2001, World Health Organization. Antimalarial drug combination therapy. Report of a WHO technical consultation. Geneva, Switzerland. WHO;2001.
10. Dondorp, A. M., Nosten, F., Yi, P., Das, D., Phyto, A.P., Tarning, J., *et al.* 2009. Artemisinin Resistance in *Plasmodium falciparum* Malaria. *N Engl J Med* 361:455–67.
11. Anderson, T.J., Nair, S., Standwell, N., Williams, T.J., Imwong, M., Yi, P., Socheat, D., Das, D., Chotivanich, K., Day, P.J., White, N.J., Dondrop, A.M. 2010. High heritability of malaria parasite clearance rate indicates a genetic basis for artemisinin resistance in western Cambodia. *Journal of Infectious Disease* 201(9):1326–1330.
12. Mishra, N., Singh J., Shrivastava B. *et al.* 2012. Monitoring antimalarial resistance in India via sentinel sites: outcomes and risk factors for treatment failure. 2009-2012. *Bulletin of the World Health Organization* 91:1–19.
13. Pearce, R., Malisa, A., Kachur, S. P., Barnes, K., Sharp, B., Roper, C. 2005. Reduced variation around drug-resistant *dhfr* alleles in African *Plasmodium falciparum*. *Mol Biol Evol* 22:1834–1844.
14. NP Sarmah, KSarma, Dr bhattacharya, AA sultan, D basal, N singh, PK Bharti, RSehgal, PK Mohapatra, P Parida and J Mahanta. Antifolate drug resistance: Novel mutations and haplotype distribution in *dhps* and *dhfr* from Northeast India. 2017. *J science*.10.1007/s12038-017-9706-5.
15. Plowe, C.V., Cortese, J. F., Djimde, A., Nwanyanwu, O. C., Watkins, W. M., Winstanley, P. A., Estrada-Franco, J. G., Mollinedo, R. E., Avila, J. C., Cespedes, J. L., *et al.* 1997. Mutations in *Plasmodium falciparum* dihydrofolate reductase and dihydropteroate synthase and epidemiologic patterns of pyrimethamine-sulfadoxine use and resistance. *J Infect Dis* 176(6):1590–1596.
16. Meshnick, S. R., Taylor, T. E., and Kamchonwongpaison S. 1996. Artemisinin and the antimalarial endoperoxides: from herbal remedy to target chemotherapy. *Microbial Rev.* 60(2):301–315.
17. Cumming, J.N., Ploypradith, P., Posner, G. 1996. Antimalarial activity of artemisinin (Qinghaosu) and related trioxanes: Mechanism(s) of action. *Adv. Pharmacol.* 37:253–297.
18. Peters, W., Robinson, B. L., Milhous, W. K., 1993. The chemotherapy of rodent malaria. II. Studies on a new 8-aminoquinoline. *WR 238,605. Ann. Trop. Med. Parasitol* 87:547–552.
19. World Malaria Report 2010, World Health Organization 2010. Global report on antimalarial drug efficacy and drug resistance. World Health Organization, Geneva, Switzerland WHO;2000-2010.
20. Von Seidlein, L. *et al.* 2000. Efficacy of artesunate plus pyrimethamine-sulphadoxine for uncomplicated malaria in Gambian children: a double-blind, randomised, controlled trial. *Lancet* 355: 352–357.
21. White, N. J. 1997. Assessment of the pharmacodynamic properties of antimalarial drugs in vivo. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* 41:1413–1422.
22. Rieckmann, K. H., *et al.* 1978. Drug sensitivity of *Plasmodium falciparum*. An *in-vitro* micro technique". *Lancet* 1:22–23.
23. Plowe, C.V. *et al.* 1995. Pyrimethamine and proguanil resistance-conferring mutations in *Plasmodium falciparum* dihydrofolate reductase: polymerase chain reaction methods for surveillance in Africa. *American Journal of Tropical Medicine & Hygiene* 52:565–568.
24. World Malaria Report 2001, World Health Organization 2001. Drug resistance in malaria. WHO;2001.
25. Kidima, W., Nkwengulila, G., Premji, Z., Malisa, A. and Mshinda, H. 2006. Dhfr and dhps mutations in *Plasmodium falciparum* isolates in Mlandizi, Kibaha, Tanzania: association with clinical outcome. *Tanzania health research bulletin* 8:2.
26. Mohammad Tauqeer Alam, Hema Bora, Praveen K. Bharti, Muheet A. Saifi, Manoj K. Das, Vas Dev, Ashwani Kumar, Neeru Singh, Aditya P. Dash, Brahmananda Das, Wajihullah, and Yagya D. Sharma. 2007. Similar Trends of Pyrimethamine Resistance-Associated Mutations in *Plasmodium vivax* and *P. falciparum*. *American Society for Microbiology* 857–863.
27. Triglia, T., Menting, J. G., Wilson, C., and Cowman, A. F. 1997. Mutations in dihydropteroate synthase are responsible for sulfone and sulfonamide resistance in *Plasmodium falciparum*. *Proc Natl Acad Sci USA* 94:13944–13949.
28. Gregson, A., and Plowe, C. V. 2005. Mechanisms of resistance of malaria parasites to antifolates. *Pharmacol. Rev.* 57:117–145.
29. Mita, T., Tanabe, K., Kita, K. 2009. Spread and evolution of *Plasmodium falciparum* drug resistance. *Parasitol Int* 58:201–209.
30. Sharma, Y. D. 2012. Molecular surveillance of drug-resistance malaria in India. *Current Science* 102:10.
31. Triglia, T., Wang, P., Sims, P. F., Hyde, J. E., and Cowman, A. F. 1998. Allelic exchange at the endogenous genomic locus in *Plasmodium falciparum* proves the role of dihydropteroate synthase in sulfadoxine-resistant malaria. *EMBO (Eur Mol Biol Organ) J* 17:3807–3815.

Figure-5: The amino acid multiple sequence alignment of *Pfdhfr* gene showing the mutation sites

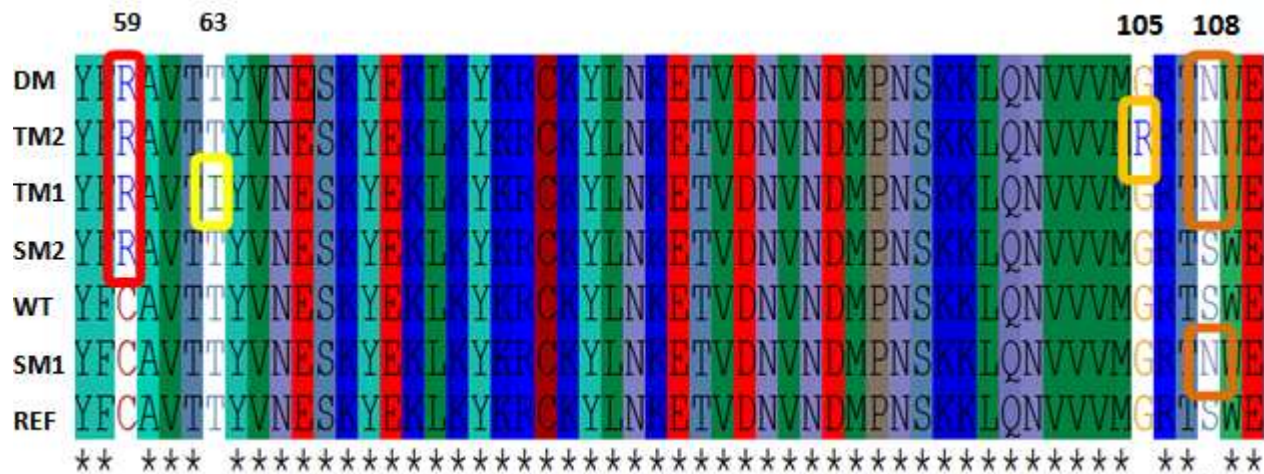
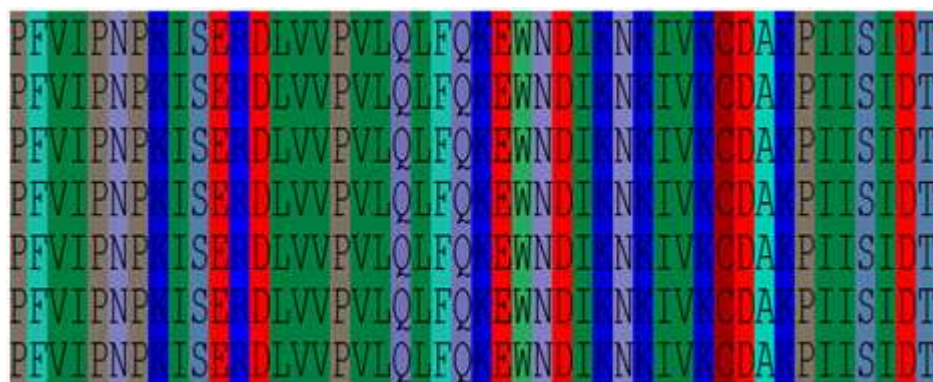


Figure-8: Amino acid multiple sequence alignment of *Pfdhps* gene



नए भारत के सूत्रधार : अटल बिहारी वाजपेयी

चन्द्रशेखर उसरेटे * पूनम उसरेटे **

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी – समानुपाती विकास, राष्ट्रीयकरण, नई आर्थिक नीति, मंडल कमीशन, संवैधानिक दर्जा।

प्रस्तावना – अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसम्बर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। अटल जी हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता थे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, वीर अर्जुन आदि अनेक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया। वे तीन बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल जी के कार्यकाल में देश में कई सकारात्मक बदलाव हुए। जिन्हें समझने से पहले उनके पहले के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को समझना अत्यंत आवश्यक है।
नेहरू काल (1947 से 1964) – द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभाजित भारत का नवनिर्माण करना कोई आसान कार्य नहीं था। किंतु नेहरू जी ने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया। स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रखने और इसे मजबूत बनाने में पंडित नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था।

नेहरू जी की प्रमुख योजनाएँ:

पंचवर्षीय योजना – इस योजना में केंद्र सरकार का आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम शामिल होता था। पूर्व सोवियत संघ के मुखिया जोसेफ स्टालिन ने 1920 में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया था।

1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद नेहरू जी ने भी समाजवाद का रास्ता अपनाया, लेकिन देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की मौजूदगी की वजह से यहाँ सोवियत संघ की तरह व्यापक योजना लागू करना मुश्किल था। इसीलिए भारत में सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिये योजनाएँ बनाई जाने लगी। साल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में आई। इसके पीछे का मकसद सार्वजनिक धन को समानुपाती विकास पर खर्च करने का था।

योजना के लाभ:

1. इस योजना के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है।
2. सिंचित भूमि में वृद्धि हुई।
3. बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई।
4. यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ।
5. औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ है।

योजना से हानि:

1. पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग स्वीकृति देता था। चूँकि योजना आयोग केन्द्र सरकार के तहत आ रहा था, इसलिए धन आवंटित करते वक्त इसका इस्तेमाल कई बार विरोधी राज्यों को दंडित करने में होता रहा।
2. पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियाव्ययन में जितना धन व्यय हुआ है उस

अनुपात में इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो सके।

शास्त्री काल (1964 से 1966) – लाल बहादुर शास्त्री एक लोकप्रिय भारतीय राजनेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ सैन्य गौरव प्रदान किया बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिकरण की राह भी दिखाई।

हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले शंकर तथा बीजों का उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास निधि का परिणाम है, जो 1960 के दशक में पारम्परिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। क्योंकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीक एकाएक आई, तेजी से इसका विकास हुआ, और थोड़ी ही समय में इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले की देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्राप्ति को ही हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान कर दी।

हरित क्रांति के लाभ:

1. कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।
2. खाद्यद्वों में आत्मनिर्भरता आई।
3. व्यवसायिक कृषि को बढ़ावा मिला।

हानि:

1. हरित क्रांति का प्रभाव कुछ विशेष फसलों तक ही सीमित रहा, जैसे गेहूँ, ज्वार, एवं बाजरा, अन्य फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
2. अधिक उपजाऊ किस्म के बीज एक पूँजी गहन कार्यक्रम है जिसमें उर्वरकों, सिंचाई, कृषि यंत्रों आदि आगतों पर भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता है। जो कि छोटे एवं मध्यम श्रेणी के किसानों की क्षमता से बाहर है।

इंदिरा काल (1966 से 1977 एवं 1980 से 1984) – इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देश में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत हुई थी, जिनमें बैंको एवं कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, श्वेत क्रांति आदि प्रमुख हैं।

श्वेत क्रांति – इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लॉन्चिंग 1970 में हुई थी। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि करना था।

श्वेत क्रांति के लाभ – योजना के प्रारंभ होने से पूर्व दूध उत्पादन 22 हजार टन था जो कि 1989 में 1 लाख 40 हजार टन तक पहुँच गया। इस क्रांति ने देश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानवर रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण देश में 500 मिलियन तक भैंसे और मवेशी हो गए जो

कि दुनिया में सबसे ज्यादा है।

श्वेत क्रांति से हानि – श्वेत क्रांति की कुछ हानियाँ भी थी जिनका सामना दुग्ध उत्पादकों और किसानों को करना पड़ा था। जैसे विदेशी नस्ल के जानवर दूध तो ज्यादा देते लेकिन उनका यहाँ की परिस्थिति में बने रहना बहुत मुश्किल था। इस कारण उनके भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आम ग्रामीणों और निजी क्षेत्र की छोटी कम्पनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। इन जानवरों से प्राप्त किए जाने वाले दूध में सभी पोषक तत्व भी नहीं होते हैं।

कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण – सन् 1973 में सरकार ने बहुत ही गोपनीयता रखते हुए अचानक से कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण घोषित कर दिया। और देश की सभी कोयला खदानों के लिए 'कोल इंडिया' सरकारी उपक्रम बना दिया।

राष्ट्रीयकरण से लाभ – देश की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निजी कोयला खान मालिक पर्याप्त पूँजी निवेश नहीं कर रहे थे। उनमें से कुछ मालिकों द्वारा अपनाये गए अवैज्ञानिक खनन तरीकों और कुछ निजी कोयला खानों में मजदूरों की खराब कार्य स्थिति सरकार के लिए चिंता का विषय बन गए थे। राष्ट्रीयकरण से इन समस्याओं के समाधान में उल्लेखनीय सफलता मिली।

राष्ट्रीयकरण से हानि – कोल इंडिया, पावर प्लांटों को जरूरत के मुताबिक सप्लाई नहीं कर पा रही थी, जिससे बिजली उत्पादन में अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल सकी।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण – 15 जुलाई 1969 को देश के 50 करोड़ रूपए से अधिक जमा राशि वाले प्रमुख 14 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही इस नए विकास पर्व का प्रारंभ हुआ। तथा 15 अप्रैल 1980 को 200 करोड़ से अधिक जमा राशि वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

राष्ट्रीयकरण के लाभ – राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली मात्र लेन-देन, जमा तथा ऋण के माध्यम से केवल लाभ अर्जित करने वाला उद्योग ही न रहकर भारतीय समाज के गरीब, एवं दलित तबकों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनरुत्थान तथा उन्हें आर्थिक रूप से ऊँचा उठाने का एक माध्यम बन गया। ग्रामीण क्षेत्रों की क्रय शक्ति में वृद्धि करने के लिये बैंकों ने इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक पूँजी निवेश किया है। जिससे लघु तथा कुटीर उद्योगों में काफी बढ़ोतरी हुई, साथ में आयात-निर्यात को भी बढ़ावा मिल रहा है।

राष्ट्रीयकरण से हानियाँ:

- क्षेत्रीय संकीर्णता** – राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालन मण्डलों में राज्य सरकारों का कितना प्रतिनिधित्व हो एवं जमा राशियों के अनुसार ऋणों का आबंटन जैसी क्षेत्रीय संकीर्णता से ओत-प्रोत समस्या भी देखने में आई है। कुछ राज्यों ने तो यह मांग करना आरंभ कर दिया है कि बैंकों द्वारा उनके क्षेत्र से संग्रहित राशि का उनके राज्यों में ही विनियोजन किया जाना चाहिए।
- कर्मचारी आंदोलन** – राष्ट्रीयकरण के बाद कर्मचारियों में ट्रेड यूनियनों की भावना को बल मिला है। बैंक की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली पर इन ट्रेड यूनियनों का अच्छा प्रभाव तो बहुत सीमित रहा, किंतु दूषित प्रभाव बहुत अधिक पड़ा अनेक बार कर्मचारी आंदोलन से व्यापार एवं व्यवसाय को भारी कठिनाई हुई।
- राजनैतिक प्रभुत्व** – राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों के संगठन एवं

प्रशासन में राजनैतिक प्रभुत्व बढ़ा है और कोई भी छोटा-बड़ा निर्णय लेने में राजनीतिज्ञ खुलकर अपना प्रभाव डालते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन की असफलता एवं राष्ट्रीयकृत उद्योगों की बदतर स्थिति राजनीतिज्ञों के प्रभाव के कारण ही हुई है। यदि यह स्थिति चालू रही तो व्यापारिक बैंक भी राजनीति के अड्डे बन जायेंगे जिससे वांछित लोगों को वित्तीय सहायता नहीं मिल पायेगी एवं व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

विपक्षी राजनीति (1977-1980) – इस दौरान देश में मोरारजी देसाई एवं चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में अल्पकालीन सरकारों का गठन हुआ जिनके शासनकाल में कोई भी उल्लेखनीय नवीन योजनाएँ प्रारंभ नहीं हुईं। **राजीव गांधी काल (1977-1980)** – राजीव गांधी हमेशा तकनीक के आधार पर भारत में 21वीं सदी की कल्पना करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि देश के अंदर बदलाव लाने के लिए अकेले तकनीकी ही सक्षम है। इसके लिए टेलीकॉम और इन्फर्मेसन टेक्नॉलॉजी सेक्टर में कई काम किए। **कम्प्यूटर क्रांति का प्रारंभ** – भारत में कम्प्यूटर लाने का श्रेय राजीव गांधी को ही जाता है। यही नहीं उन्होंने विदेशों से पूरी असेंबल किए हुए मदरबोर्ड और प्रोसेसर लाने की अनुमति दी जिसके चलते कम्प्यूटर सस्ते हुए। ये राजीव गांधी के सुधारों का ही परिणाम था कि नारायण मूर्ति और अजीम प्रेमजी जैसे लोगों को विश्वस्तरीय आईटी कंपनियाँ खोलने की प्रेरणा मिली।

कम्प्यूटर क्रांति के लाभ:

- संचार का सबसे अच्छा माध्यम** – कम्प्यूटर आज के समय में सूचनाओं को शेयर करने का सबसे अच्छा साधन बन चुका है। अपने से दूर व्यक्ति से कम्प्यूटर पर ई-मेल, विडियो चैट और सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से संपर्क कर सकते हैं।
- समय की बचत** – कम्प्यूटर के द्वारा सारे कार्य बहुत तेज गति से होते हैं जिससे समय की बचत होती है।
- हर क्षेत्र में उपयोगी** – आज कम्प्यूटर अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कारखाने आदि हर क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है।
- दस्तावेजों को सुरक्षित रखना** – पहले ऑफिस और बैंकों में दस्तावेजों को हाथ से लिखकर रैक में रखा जाता था। उसमें बहुत असुविधा होती थी। कई बार दस्तावेज गुम हो जाते थे, कागज पुराने होने के कारण कई बार लिखि हुई चीजें मिट जाती थी और सबसे बड़ी समस्या दस्तावेजों को ढूँढने में होती थी। कम्प्यूटर आने से इन सब समस्याओं का निराकरण हो चुका है।
- घर बैठे रोजगार** – आज लोग ब्लॉग लिख कर, वेबसाइट बना कर, ऐप्लीकेशन या साफ्टवेयर डिजाइन करके तथा विडियो साईट पर प्रोफेशनल विडियो बना कर पैसे कमा रहे हैं।

कम्प्यूटर क्रांति से हानि:

- बड़ी कंपनियों में कई मजदूरों का काम कम्प्यूटर करने लगे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है।
- इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग सावधानी से न करने पर आपके पर्सनल डाटा चोरी होने का खतरा रहता है जिससे कई बार लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
- कम्प्यूटर के दुरुपयोग के कारण समय की बर्बादी होती है।
- कम्प्यूटर का जरूरत से ज्यादा प्रयोग हमें बीमार भी बना रहा है।

गैर कांग्रेसी सरकारें (1989 से 1991) – इस दौरान वी. पी. सिंह और चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। वी. पी. सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित मंडल कमीशन की रिपोर्ट को

लागू करवाया। इस दौरान देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था।

पी.वी.नरसिम्हाराव (1991-1996)– आर्थिक संकट के दौर ने भारतीय नीति निर्माताओं को 'नई आर्थिक नीति' लागू करने के लिए मजबूर कर दिया था। नई आर्थिक नीति के तीन तत्व थे, उदारीकरण, नीजिकरण और वैष्वीकरण।

नई आर्थिक नीति के लाभ:

1. गांव-गांव तक बिजली पहुँचाई गई।
2. संचार के साधनों में वृद्धि हुई।
3. यातायात के साधनों में वृद्धि हुई।
4. औद्योगिक विकास में तेजी आई।

नई आर्थिक नीति से हानियाँ:

1. 1990 के बाद से सामाजिक मूल्यों में तेजी से गिरावट आई है।
2. दावा किया जा रहा था कि सबकुछ बाजार के हाथों में सौंप देने से गरीबी समाप्त हो जायेगी जबकि ऐसा नहीं हुआ।
3. दूरसंचार कंपनियों ने लोगों का बहुत आर्थिक शोषण किया।
4. प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला आदि का अत्यधिक दोहन हुआ।

पंचायतों एवं नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा– नरसिम्हाराव सरकार के समय संविधान में 73 वॉ एवं 74 वॉ संशोधन करके पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार पंचायती राज एवं नगरीय निकाय पद्धति को अपनाने के लिए संविधान के अधीन है।

73 एवं 74 वें संशोधन के लाभ:

1. इनसे शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हुआ है स्थानीय समस्याओं का शीघ्रता से समाधान हो जाता है।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया।
3. महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, कुछ राज्यों में यह 50 प्रतिशत तक हो गया है।
4. ग्रामीण जनता राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार होती है जिससे उन्हें राजनीति की शिक्षा प्राप्त होती है।

हानि:

1. **नगरीय नियोजन**– पूरी नगरीय विकास योजना और विकास प्राधिकरण निकायों के नियंत्रण में आने थे, नगरों का मास्टर प्लान बनाने का काम भी नगरों को मिलना था पर ऐसा नहीं हुआ।
2. **भूमि उपयोग नियमन और भवनों का निर्माण**– मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार निकायों को मिलना था। अभी यह काम विकास प्राधिकरणों और आवास विकास प्राधिकरणों के पास है। कई बार बात चली लेकिन न तो अधिकारियों ने ऐसा होने दिया और न सरकार ने ईच्छाशक्ति दिखाई।
3. **आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजना**– गरीब और पिछड़ों की तरक्की का कार्य निकायों के माध्यम से होना था इस पर भी अभी अमल नहीं किया गया।
4. **महिला आरक्षण**– जिन महिलाओं के पति, भाई, या पिता सक्रिय राजनीति में हैं वो ही महिला इसका लाभ प्राप्त कर सकी अन्य महिलाओं का सक्रिय राजनीति में प्रतिशत बहुत कम है।

प्रधानमंत्री मध्याह्न भोजन योजना– यह योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गयी थी, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सरकारी/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पहली से पाचवी तक के बच्चों को 80 प्रतिशत उपरिष्ठत पर 3 किलो ग्राम चावल या गेहूँ देने की व्यवस्था की गई थी। 1 सितम्बर 2004 से इसमें संशोधन करते हुये बच्चों को पका पकाया भोजन विद्यालय में ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया।

योजना के लाभ:

1. इस योजना के कारण बच्चे स्कूल जाने के लिए उत्सुक होने लगे जिससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई।
2. इस योजना से बच्चों की भूख की समस्या का निराकरण हुआ, जो कि स्कूल में बच्चों में एकाग्रता की कमी के मुख्य कारणों में से एक था।
3. इस योजना का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इससे बच्चे एकता और सामाजीकरण का महत्व समझते हैं, जाति, धर्म, आदि पर आधारित भेदभाव समाप्त होता है।
4. इस योजना को संचालित करने के लिए बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।

योजना से हानियाँ:

1. भ्रष्टाचार इस योजना की सबसे बड़ी समस्या है, 2006 में मिड डे मील के अनाज में धांधली का मामला सामने आया था इसमें कुछ सरकारी अधिकारियों के शामिल होने की बात सामने आई थी।
2. इस योजना का बजट बहुत कम है। कम बजट में मेन्यू के अनुसार प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराना बहुत ही चुनौतिपूर्ण कार्य है।
3. रसोईयों को मिलने वाला मानदेय न्यूनतम मजदूरी से भी कम होता है जिसके कारण वो मन लगाकर काम नहीं कर पाते।

अटल बिहारी वाजपेयी (1996 एवं 1998 से 2004)– अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इनके कार्यकाल में देश में कई सकारात्मक बदलाव हुए।

1. राजनीति में नैतिक मूल्यों कि गिरावट खतम– आजादी के बाद 1996 में देश की राजनीति में एक अनोखा घटनाक्रम हुआ। महज 13 दिन के लिए केन्द्र सरकार का गठन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी इस सरकार में प्रधानमंत्री बने।

राष्ट्रपति ने सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। राष्ट्रपति के निर्देशानुसार अटल जी ने बहुमत सिद्ध करने के लिए लोकसभा में विश्वास मत प्रस्तुत किया। जिस पर 31 मई को मतदान होना था। अटल जी ने कई पार्टियों से समर्थन लेने के प्रयास किए किंतु बहुमत के लिए आवश्यक 272 सांसदों का समर्थन प्राप्त करने में असमर्थ रहे। लोकसभा में एक लम्बी बहस के बाद उन्होंने विश्वास मत पर मतदान से पहले ही 28 मई को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और सरकार गिर गई। त्यागपत्र देने से पूर्व लोकसभा में उन्होंने कहा था, 'पार्टी तोड़कर और अनैतिक तरीके से अगर सत्ता हाथ आती है तो मैं इसे चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा।' उन्होंने यह बात विपक्षी सांसदों के इस कटाक्ष पर कही थी कि वे सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर पाए।

1998 में भी देश में हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लेकिन अन्य दलों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और अटल जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 13 महीने के बाद जयललिता जी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और महज एक वोट से

सरकार गिर गई।

2. विदेश नीति को नया आयाम- पड़ोसी देशों के प्रति अटल जी का एक खास नजरिया था। उनका कहना था कि आप मित्रों को चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को नहीं। इसीलिए पड़ोसियों के साथ मिल-जुलकर रहने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए, लेकिन सुरक्षा की कीमत पर नहीं। इसी सोच के साथ वर्ष 1999 में न्यूयार्क में अटल जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ के बीच एक मीटिंग के बाद दिल्ली-लाहौर के बीच बस सेवा शुरू की गई जिससे दोनों देशों के लोग सीमा पार स्थित अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने-जुलने के लिए आसानी से आ-जा सके। भारत-पाकिस्तान मित्रता के लिए अटल जी खुद बस में बैठकर दिल्ली से लाहौर गए थे।

इधर अटल जी दोस्ती की ईबारत लिख रहे थे तो उधर पाकिस्तान ने जंग की पूरी तैयारी कर ली थी। नियंत्रण रेखा के पास कारगिल सेक्टर में आतंकियों के भेष में पाकिस्तानी सेना कई भारतीय चौकियों पर कब्जा कर चुकी थी लेकिन जैसे ही भारत को पता चला तो हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जबाब दिया और कारगिल में विजय पताका लहरा दी।

बात श्रीलंका के साथ पहले मुक्त व्यापार समझौते की हो, चीन के साथ संबंध बहाल करने की हो या पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया की, वाजपेयी के निजी प्रयास और पहल से नीतियों पर सकारात्मक परिणाम दिखने लगे थे।

वाजपेयी ने शीतयुद्ध काल में अमेरिका, इजराइल और पूर्वी एशिया से संबंधों को बेहतर किया। उनके कार्यकाल में 11 मई 1998 को पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण के बाद से भारत परमाणु शक्ति देशों की सूची में शामिल हो गया। विश्व की महाशक्तियों की संभावित नाराजगी से विचलित हुए बिना वाजपेयी जी ने अभिन शृंखला के और परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाये। उन्होंने कहा कि खतरा आने से पहले ही बचने की तैयारी होनी चाहिए।

3. टिकाऊ विकास 'विचौलिया राजनीति को खत्म किया' - अटल जी ने विचौलियों को रोकने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनने वाली सड़कों पर ठेकेदार को पाँच वर्ष की गारंटी देनी होती है। यदि इस अवधि में सड़क खराब होती है तो उसे पुनः सुधारकर

देना होता है। पांच वर्ष पूर्ण होने तक ठेके की 20 प्रतिशत राशि ठेकेदार को नहीं दी जाती है, यह अवधि पूर्ण होने यह राशि ब्याज सहित ठेकेदार को लौटा दी जाती है। इससे यह लाभ हुआ कि ठेकेदार सड़कों को मजबूत बनाने लगे ताकि उसे पुनः रिपेयर करने की आवश्यकता न हो, यदि बार-बार रिपेयर करने की आवश्यकता हुई तो ठेकेदार को नुकसान उठाना पड़ेगा और उसको कुछ भी बचत नहीं होगी। इस तरह से अपनी सूझबूझ से अटलजी ने देश से विचौलिये राजनीति में अंकुश लगाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. योजना आयोग, भारत सरकार : पंचवर्षीय योजना।
2. त्रिपाठी, बद्धी, विशाल, राष्ट्रीय कृषि आयोग, नई दिल्ली : भारत सरकार, भाग 13, 1976।
3. गांधी, इंदिरा, मेरी सच्चाई, 1982।
4. सर्वपल्ली, डॉ. राधाकृष्णन, हमारी विरासत, हिन्दू पाकेट बुक्स प्रा. लि., दिल्ली, 1989।
5. फ्रैंक, कैथेराइन, इंदिरा : इंदिरा नेहरू गांधी की जीवनी, 2001।
6. अग्रवाल, मीना, राजीव गांधी, 2015।
7. ब्रास, पौल आर, आजादी के बाद भारत की राजनीति, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, इंग्लैंड, 1995।
8. नरसिंहम्हा राव, पी.वी., इनसाइडर, 1998।

पत्र-पत्रिकाएँ:

1. द इकोनॉमिक टाइम्स, 11 सितम्बर 2012।
2. दैनिक जागरण, नई दिल्ली, 20 दिसम्बर 1996।
3. हिन्दुस्तान टाइम्स, 6 सितम्बर 2013।
4. द टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 11 जुलाई 2009।
5. जनसत्ता, 17 अगस्त 2018।

websites:

1. Wikipedia.com
2. amul.com
3. khabar.ibnlive.in
4. outlookindia.com
5. bbc.com

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता अधिकार एवं सीमाएं

डॉ. रितु उमाहिया *

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, गुना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी एक धर्म विशेष पर आधारित राष्ट्र नहीं है और न ही किसी धर्म विशेष को मानता है, बल्कि यह विभिन्न धार्मिक आस्थाओं को मान्यता देने वाला देश है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में इसे अंतरात्मा की स्वतंत्रता कहा गया है, न कि धर्म की स्वतंत्रता। इस शोधपत्र के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता या धर्मस्वातंत्र्य का अधिकार के उन सभी पहलुओं की चर्चा की गई है, जो इसके अधिकारों को मान्यता देते हैं एवं साथ ही साथ अधिकारों पर आरोपित होने वाले निर्बंधन की भी चर्चा की गई है।

शब्द कुंजी – धर्म, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संविधान, अनुच्छेद 25(1)(2) निर्बंधन।

प्रस्तावना – धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत है, जो सोच, आस्था, विश्वास और पूजा संबंधी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है। भारत में, हिंदू धर्मावलंबियों का बहुमत है, लेकिन हिंदुओं ने अन्य सभी धर्मों का स्वागत किया है। भारत ने ईसाई, इस्लाम धर्म का स्वागत किया है, तो यह देश सिख, बौद्ध, जैन धर्मों का जनक भी है। इस प्रकार, अन्य धर्मों को 'स्वीकार्यता' प्रदान करना, उन धर्मों के मतालम्बियों की स्वीकार्यता देना ही, हमारी भारतीय संस्कृति है। इस प्रकार, विविधताओं को अपनाना, विविध धर्म संस्कृति को भारत भूमि पर धारण करना, उन्हें सुरक्षित वातावरण देना ही, धर्मनिरपेक्षता है। यही हमारे देश का सबसे बड़ा गुण है।

“धर्मनिरपेक्षता” और “समाजवाद” शब्द संविधान में बाद में जोड़े गए। देश में आपातकाल (25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977) लागू हुआ, उस दौरान “धर्मनिरपेक्षता” शब्द अस्तित्व में आया। संविधान के 42 वें संशोधन के तहत, इसे सम्मिलित किया गया। अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज बनाम गुजरात राज्य¹ के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता न ईश्वर विरोधी है और ना ईश्वर समर्थक। यह भक्त संशयवादी और नास्तिक सभी को समान मानती है। भारतीय संविधान में जहां धर्मस्वातंत्र्य का अधिकारों के साथ निर्बंधनों का भी उल्लेख किया गया है, वहीं अमेरिकन संविधान में यह अधिकार बिल्कुल अनिर्बंधित है, घोषित किया गया है। अमेरिकन संविधान का प्रथम संशोधन यह उपबंधित करता है कि “कांग्रेस किसी धर्म के स्थापन में या उसके स्वतंत्र प्रयोग को निषिद्ध करने के संबंध में कोई विधि नहीं बनाएगी। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने एवर्सन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन² के मामले में, इस पदावली की व्याख्या करते हुए, इस अधिकार का उपर्युक्त अर्थ स्वीकार किया है। एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघ³ के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पंथनिरपेक्षता, संविधान का आधारभूत ढांचा है। इस मामले में, न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा कि पंथनिरपेक्षता, ईश्वर विरोधी नहीं है, राज्य न तो किसी धर्म का पक्ष लेता है और न ही किसी धर्म का विरोध करता है। राज्य, धर्म के मामले में तटस्थ है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। धर्मस्वातंत्र्य के अधिकार ने न केवल मानव सभ्यता को विकसित, पुष्पित

एवं पल्लवित किया है, बल्कि उसमें दृढ़ता, आत्माविश्वास व आस्था जैसे; तत्वों को भी समाहित किया है। संविधान के अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

1. लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा,
2. इस अनुच्छेद की कोई बात, किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी, जो –

- (क) धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्यलौकिक, क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है,
- (ख) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है।

स्पष्टीकरण 1 – कृपाल धारण करना और लेकर चलना, सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 – खंड 2 के उपखंड (ख) में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

इस तरह हम देखते हैं कि अनुच्छेद 25(1) अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।

धर्मस्वातंत्र्य का यह अधिकार भी अन्य अधिकारों की ही भांति आत्यंतिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 25(1) में ही सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य विधि बनाकर निर्बंधन लगा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 25 के खंड 2 के उपखंड (क) और (ख) के अधीन राज्य इस अधिकार पर विधि बनाकर

निम्नलिखित आधारों पर निर्बंधन लगा सकता है। इस प्रकार, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य निम्नलिखित आधारों पर विधि बना कर निर्बंधन लगा सकता है-

1. सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और जनता के स्वास्थ्य के हित में निर्बंधन - धर्म के नाम पर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार एवं जनता के स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। स्टेनीस्लाव बनाम मध्य प्रदेश राज्य⁴ के मामले में मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य द्वारा बलपूर्वक, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए पारित अधिनियमों को इस आधार पर संवैधानिक घोषित किया गया कि उनका उद्देश्य समाज में, लोक व्यवस्था को भंग होने से बचाना है। अतः राज्य को उन्हें पारित करने की शक्ति प्राप्त है। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन से लोक व्यवस्था के भंग होने की आशंका होती है, जिसे राज्य को कानून बनाकर रोकने की शक्ति प्राप्त है। गुलाब अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य⁵ के प्रकरण में, न्यायालय द्वारा दो धार्मिक समुदायों के बीच, विवाद को निपटाने के उद्देश्य से कब्रगाह को एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाने के लिए दिए गए निर्देश, लोक व्यवस्था के हित में किया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं है। कब्रगाह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने का आदेश लोक व्यवस्था के हित में है और दोनों संप्रदायों के बीच शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहायक है।

2. धर्म से संबद्ध आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक क्रियाओं का विनियमन- अनुच्छेद 25(2)(क)- धार्मिक आचरण में वह क्रियाएं सम्मिलित हैं, जिनमें धर्म का तत्व प्रधान होता है। इसमें लौकिक क्रियाएं सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि इनमें धार्मिक तत्व कम और सांसारिक तत्व अधिक होते हैं। मोहम्मद हनीफ कुरैशी विरुद्ध बिहार राज्य⁶ के मामले में यह निर्धारित किया गया कि बकरीद के त्यौहार पर गाय काटना मुस्लिम धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। अतः राज्य इनको रोक सकता है।

3. समाज कल्याण और समाज सुधार विषयक विधियां- अनुच्छेद 25(2)(ख)- व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता राज्य द्वारा समाज कल्याण एवं सुधार के लिए व्यवस्था करने में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती है। अर्थात् राज्य कानून बनाकर उन सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का उन्मूलन कर सकता है, जो राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम नरासु अपामाली⁷ के मामले में, बहुविवाह निषिद्ध करने वाले अधिनियम को न्यायालय ने संवैधानिक घोषित किया है। बहुविवाह हिंदू धर्म का आवश्यक तत्व नहीं है, इसलिए राज्य विधि द्वारा इसका विनियमन कर सकता है। सैफुद्दीन साहब बनाम बंबई राज्य⁸ सती और देवदासी जैसी बुरी प्रथाओं को निश्चित करने के लिए बनाए गए, कानून को न्यायालय द्वारा इस खंड के अंतर्गत विद्यमान घोषित किया जा सकता है।

सिविल और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966 के अनुच्छेद 18(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को इस प्रकार प्रपीड़ित नहीं किया जाएगा जिससे उसकी अपनी रूचि का धर्म या विश्वास मानने या अपनाने की स्वतंत्रता कम होती हो। वाराणसी बनाम स्टेट ऑफ यूपी⁹ के वाद में कहा गया कि पंथनिरपेक्षता संविधान के आधारित लक्षणों में से एक है। संविधान निर्माताओं में, पंथनिरपेक्षता को संविधान में समाहित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 25, 26 तथा 27 का प्रावधान किया।

धर्म और धार्मिक आचरण - यदि संवैधानिक मूल्यों की बात की जाए, तो संविधान अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष,

लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इस प्रकार, इन 5 शब्दों का संवैधानिक मूल्य रहा जा सकता है।¹⁰ संविधान में यद्यपि “धर्म” की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसका विस्तृत स्वरूप प्रस्तुत किया है। धर्म एक विश्वास की वस्तु है। निस्संदेह धर्म का आधार वह विश्वास और सिद्धांत है, जिन्हें मानने वाले व्यक्ति अपनी आत्मा की भलाई के लिए आवश्यक मानते हैं, लेकिन धर्म मात्र विश्वास व सिद्धांत ही नहीं है। धर्म अपने अनुयायियों को न केवल नैतिक संहिताएँ ही बतलाता है, वरन् उनके लिए कर्मकांड, संस्कार, अनुष्ठान व पूजा की विधियों भी बतलाता है और ये सब धर्म के अभिन्न अंग होते हैं। रतीलाल पनाचंद्र गांधी बनाम मुंबई राज्य¹¹ के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपना अभिमत व्यक्त किया था कि अनुच्छेद 25 के निर्बंधनों के अंतर्गत, हमारे संविधान में हर व्यक्ति का यह मूल अधिकार है कि वह न केवल अपने निर्णय अथवा अंतःकरण से अनुमोदित धार्मिक विश्वासों को माने, वरन् अपने धर्म में समाहित अथवा स्वीकृत कार्यों से अपने विश्वास व भावनाओं का प्रदर्शन भी करे। इसके, साथ ही साथ उसे यह भी अधिकार है कि वह अपने धार्मिक विचारों का दूसरों की ज्ञान वृद्धि के लिए प्रचार भी करे। शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में “प्रचार” शब्द की परिभाषा में इसे व्यक्ति से व्यक्ति, स्थान से स्थान तक पहुंचाना, किसी कथन विश्वास व आचरण आदि का विकीर्णन अथवा “विसरण करना” बतलाया गया है। सत्यरंजन माझी बनाम उड़ीसा राज्य¹² में कहा कि अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत, मूल अधिकार यह नहीं है कि किसी को अपने धर्म में शामिल कर लिया जाए। इसके अंतर्गत केवल यह अधिकार प्रदान किया गया कि अपने धार्मिक विश्वासों को अभिव्यक्त करते हुए, धर्म का प्रसारण एवं विस्तार किया जाए। यह स्मरणीय होगा कि अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत न केवल किसी विशिष्ट धर्म के अनुयायियों को वरन् प्रत्येक व्यक्ति को “अंतःकरण का स्वातंत्र्य” प्रदान किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति का यह मूल अधिकार नहीं है कि वह किसी अन्य को अपने धर्म में सम्मिलित कर ले। यदि ऐसा होता है, तो उसका तात्पर्य होता है कि व्यक्तियों को अंतःकरण की जिस स्वतंत्रता को प्रत्याभूत किया गया है, वह अंतरण की स्वतंत्रता न होकर धर्मों का आपसी टकराव है। अतः अनुच्छेद 25(1) में अभिव्यक्त “धर्मस्वातंत्र्य” किसी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में सम्मिलित करने की स्वतंत्रता नहीं देता है।

रेवेरेन्ड स्टेनीस्लाव बनाम मध्यप्रदेश¹³ के प्रकरण में कहा कि अनुच्छेद 25(1) में अभिनिहित धर्मस्वतंत्रता का अधिकार, केवल एक धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं है, यह समस्त धर्मानुयायियों पर समान रूप से लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का आनंद दूसरों के धर्म के प्रति समादर व्यक्त करते हुए कर रहा है, तो यह अनुच्छेद 25(1) में अभिव्यक्त स्वतंत्रता का सदुपयोग कर सकता है। समाप मापदंडों में, जो एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है, वही दूसरों के लिए भी है। अतः मूल अधिकार जैसी ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, जो किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में सम्मिलित करने की स्वतंत्रता प्रदान करती हो। बोम्बई बनाम भारत संघ¹⁴ के वाद में 9 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में यह कहा गया कि

1. पंथनिरपेक्षता का यह अर्थ नहीं है कि राज्य का धर्म के प्रति शत्रुभाव है, अर्थ यह है कि राज्य को विभिन्न धर्मों के बीच तटस्थ रहना चाहिए।
2. प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। यह तर्क मान्य नहीं कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठावान हिंदू या निष्ठावान मुस्लिम है तो वह पंथनिरपेक्ष नहीं रह जाता।

3. यदि धर्म का उपयोग राजनीतिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है और राजनीतिक दल अपने राजनैतिक प्रयोजन के लिए उसका आश्रय लेते हैं, तो इससे राज्य की तटस्थता का उल्लंघन होगा। धर्म के आधार पर निर्वाचकों से अपील करना पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र के विरुद्ध है। राजनीति और धर्म को मिलाना नहीं चाहिए, यदि कोई राज्य सरकार ऐसा करती है तो उसके विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन कार्यवाही उचित होगी।

अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता में कुछ अन्य उपबंध को भी समाविष्ट किया गया है, जो केवल धर्म के आधार पर राज्य द्वारा विभेद का प्रतिषेध करके यह सुनिश्चित करते हैं कि उक्त प्रत्याभूति प्रभावी हो-

1. राज्य किसी नागरिक से किसी भी प्रकार से विभेद नहीं करेगा (अनुच्छेद 15(1)) और विशेषकर नियोजन के विषय में धर्म के आधार पर (अनुच्छेद 16(2))
2. सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश या उनके उपयोग में भी विभेद वर्जित है (अनुच्छेद 15(2))। राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में भी विभेद नहीं किया जा सकता।
3. जहां कोई धार्मिक संप्रदाय अल्पसंख्यक है, वहां संविधान उसे अपनी संस्कृति और धर्म बनाए रखने के लिए आगे बढ़कर यह उपबंध करता है की-

(क) राज्य उस पर, उस संप्रदाय की अपनी संस्कृति से भिन्न कोई संस्कृति आरोपित नहीं करेगा (अनुच्छेद 29(1)),

(ख) ऐसे समुदाय को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य ऐसी शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह किसी धार्मिक संप्रदाय के प्रबंधन में है। (अनुच्छेद 30)

अंतःकरण की स्वतंत्रता का तात्पर्य आत्यंतिक आंतरिक स्वतंत्रता से है, जिसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ अपनी इच्छानुसार संबंधों को स्थापित करता है। यह स्वतंत्रता जब बाह्य रूपों में व्यक्त की जाती है, तो उसे "धर्म का मानना" और "प्रचार करना" कहते हैं। धर्म के मानने से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अपने धर्म के प्रति श्रद्धा एवं विश्वासों का स्वतंत्रतापूर्वक और खुलेआम घोषित करना अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को किसी रीति से व्यवहारिक रूप दे सकता है।

संविधान में धर्म शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसके अर्थ को समझने के लिए हमें न्यायिक निर्णयों की सहायता लेनी होगी। सेशामल बनाम तमिलनाडु राज्य (1992) एवं जगन्नाथ रामानुजदास बनाम उड़ीसा राज्य (1954) एस.सी. 400, उच्चतम न्यायालय ने इस शब्द की बड़ी विशुद्ध परिभाषा की है न्यायालय ने कहा कि "धर्मस्वातंत्र्य सैद्धान्तिक" विश्वासों तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत धर्म के अनुसरण में किए गए कार्य भी है और इसमें कर्मकांडों, धार्मिक कार्यों, संस्कृति और उपासना की पद्धतियों की गारंटी है, जो धर्म के अभिन्न अंग है।

धर्म या धार्मिक परिपाटी का आवश्यक भाग क्या है ? उसका निर्धारण न्यायालयों द्वारा विशिष्ट धर्म के सिद्धांतों के प्रति निर्देश से किया जाएगा और इसके अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जिन्हें समुदाय द्वारा धर्म का भाग समझा जाता है।

बिजो बनाम इमैनुएल¹⁵ के मामलों में केरल के एक स्कूल के ईसाइयों

के जेहोवा संप्रदाय के 3 विद्यार्थियों को राष्ट्रगान गाने से इनकार करने पर स्कूल से निकाल दिया गया। उनका कहना था कि राष्ट्रगान गाने के लिए उन्हें बाध्य करना संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। शिक्षा विभाग के एक नियम के अनुसार, स्कूलों में सभी बच्चों द्वारा राष्ट्रगान में भाग लेना आवश्यकता था। उनका कहना था कि उनका धर्म जेहोवा (ईश्वर) के अलावा किसी अन्य धार्मिक समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है। उनका कहना था कि उन्होंने राष्ट्रगान का अनादर नहीं किया था। क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया जा रहा था, तब वे आदरपूर्वक खड़े थे, किंतु गायन में भाग नहीं लिया था। निष्कासन के विरुद्ध दायर की गई याचिका केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी और निर्णय दिया कि संविधान के अधीन राष्ट्रगान गाना उनका मूल कर्तव्य था और कोई भी नागरिक अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर राष्ट्रगान गाने से इनकार नहीं कर सकता है। बच्चों द्वारा राष्ट्रगान के प्रति आदर न दिखाने से राष्ट्र को खतरा होने की आशंका उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि यह लोगों में संविधान के आदेशों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, जिसे हमारे संविधान निर्माता प्राप्त करना चाहते थे। यदि कोई धार्मिक विश्वास लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के विपरीत है, तो उसे लोकहित एवं राष्ट्रहित में त्याग करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने केरल हाई कोर्ट के निर्णय को उलट दिया और निर्णय दिया कि भारत में राष्ट्रगान गाने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। छात्रों ने अनुच्छेद 51(अ) के अधीन अपने मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं किया था, क्योंकि वे राष्ट्रगान गाये जाते समय आदर दिखाने के लिए खड़े हुए थे और प्रिवेन्शन ऑफ इंसल्ट टु नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के अधीन उनका कार्य अपराध नहीं था, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान गाने में कोई बाधा नहीं पहुंचाई थी। अतः न्यायालय ने उनके निष्कासन को रद्द कर दिया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 केवल उन धार्मिक प्रथाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो धर्म के आवश्यक तत्व हैं। पूजा करना एवं धार्मिक कार्य है, किंतु एक विशेष स्थान पर पूजा करना। 'जब तक' कि उसका विशिष्ट महत्व न हो, धर्म का आवश्यक भाग नहीं है। इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ¹⁶ के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय किया कि राज्य को अपनी संप्रभु शक्ति के प्रयोग पूजा के स्थान जैसे; मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर को अधिग्रहण का अधिकार है।

चर्च ऑफ गॉड (फुल गस्पेल) इन इंडिया बनाम के.के.आर.एम. वेलफेयर एसोसिएशन¹⁷ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि अनुच्छेद 25 और 26 के अन्तर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते समय, किसी व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण फैलाने का या अन्य व्यक्तियों की शांति को भंग करने का अधिकार नहीं है। नगाड़ा बजाकर प्रार्थना करने की प्रथा किसी धर्म के मानने के लिए आवश्यक तत्व नहीं है।

धर्म समाज के स्थायित्व सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, सर्वधारण के कल्याण और मानव को प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए है। धर्म सर्वोच्च है। आधुनिक अवधारणा में धर्म की सर्वोच्चता का अर्थ विधि शासन कहा जाएगा। महाभारत में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा "समाज धर्म से ही बच सकता है, जिससे विधि शासन कहा जाता है।" इस तरह हम देखते हैं कि भारत में प्रारंभ से ही सभी धर्मों के प्रति आदर की परंपरा रही है। न्यायमूर्ति श्री धर्माधिकारी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को केवल शिक्षित करना मात्र नहीं है। वास्तविक शिक्षा वह है, जिससे वह शरीर व मन का ही विश्वास

नहीं करता है, बल्कि अपने आंतरिक तत्वों को भी विकसित करता है। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकेगा और संविधान क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि भारतीय नागरिक न केवल शिक्षित और बुद्धिमान होंगे, बल्कि वह नैतिक चरित्र से युक्त तथा मानव जीवन के निहित गुणों को जैसे; सत्य प्रेम और दया को आत्मसात नहीं करेंगे।

निष्कर्ष – धर्मनिरपेक्षता, भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें आस्था, विश्वास समाहित है। कर्मकाण्ड, संस्कार, अनुष्ठान एवं पूजा ये सभी धर्म के ही, अभिन्न अंग माने गए। धर्म समाज के स्थायित्व और सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने के साथ-साथ कल्याण में भी महती भूमिका निभाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ए.आई.आर. 1974, एस.सी.सी. 1389
2. (1947) यू.एस. 1
3. (1994) 3 एस.सी.सी. 1
4. ए.आई.आर. 1977, एस.सी. 908
5. ए.आई.आर. 1983, एस.सी. 1268
6. ए.आई.आर. 1958, एस.सी. 731
7. ए.आई.आर. 1962, एस.सी. 835

8. ए.आई.आर. 1962, बम्बाई 84
9. (1997) 4 एस.सी.सी. 606 (पैरा- 26)
10. (जस्टिस कुरियन जोसेफ, बहुसंख्य वाद नहीं संविधान ही सर्वोपरि। 13 जुलाई, 2020 दैनिक भास्कर।)
11. ए.आई.आर. 1954, एस.सी. 388
12. 2003, 7 एस.सी.सी. 439
13. (1977), 1 एस.सी.सी. 677
14. ए.आई.आर. 1994, एस.सी. 1918
15. (1996) 3 एस.सी.सी. 615
16. (1994) 6 एस.सी.सी. 1
17. ए.आई.आर. 2000, एस.सी. 2773

सहायक ग्रंथ सूची :-

1. जे.एन. पाण्डेय. (2016). भारत का संविधान (49 वां संस्करण सं.)
2. डॉ. एच.ओ. अग्रवाल. (2014). मानवाधिकार (6 वां संस्करण सं.). सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन
3. डॉ. दुर्गादास वसु. (2019). भारत का संविधान (12 वां संस्करण सं.)
4. मुरलीधर चतुर्वेदी. (2004). भारत का संविधान (11 वां संस्करण सं.). इलाहाबाद लॉ एजेंसी

फ्लोराईड युक्त पेयजल का किशोरियों के शारीरिक विकास एवं सामाजिक समायोजन में संबंधों का अध्ययन

डॉ. मंजु शर्मा * किरण चौहान **

*गृह विज्ञान विभाग, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (गृह विज्ञान) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना – “जल ही जीवन है जल के बिना ,
जीवन की कल्पना भी मुश्किल है”**

‘जल ही जीवन है।’ जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती, जल मनुष्य ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए जीवन का आधार है। जल को पानी, नीर आदि नाम से भी जाना जाता है, जीवन के समस्त कार्यों का निष्पादन करने के लिये जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

पेयजल गुणवत्ता की समस्या विश्वव्यापी है। या पीने योग्य पानी समुचित रूप से उच्च गुणवत्ता वाला होता है। पानी उपस्थित तत्वों में से फ्लोराईड एक आवश्यक तत्व है, जो दाँतों की उपरी परत निर्माण में सहायक होता है। जल में फ्लोराईड के मिलीग्राम प्रतिलीटर मापा जाता है। जल में फ्लोराईड की अधिकता एवं कमी दोनों अवस्थाएँ मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। यदि किसी स्रोत के एक लीटर पानी में फ्लोराईड की मात्रा 0.6 मिलीग्राम/लीटर से कम और 1.5 मिलीग्राम से अधिक हो तो वह पानी मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भारतीय मानक ब्यूरो भी इसे मान्यता देता है। पेयजल में फ्लोराईड की अधिक मात्रा का लम्बे समय तक उपयोग करने पर दाँतों की सुरक्षा परत नष्ट हो जाती है, उनका रंग पीला या भूरा हो जाता है, उनमें गड्ढे बन जाते हैं, आड़ी-तिरछी धारीदार परत दाँतों पर हो जाती है एवं अस्थियों में टेढ़ापन आ जाता है। फ्लोराईड के कारण होने वाली बीमारियाँ लाइलाज हैं इसलिए उससे बचाव ही असली सुरक्षा है।

फ्लोरोसिस बीमारी तब होती है, जब पेयजल में फ्लोराईड मानक सीमा से अधिक घुलनशील है। यह भी देखा गया है कि अशिक्षित, गरीब व पोषित आहार के अभाव से ग्रामीणों में फ्लोरोसिस बीमारी तीव्रता से फैलती है। फ्लोरोसिस की चपेट में आकर किशोरियों के असमय ही दाँत पीले धारीदार होना, कमर झुकना, हड्डियों में टेढ़ामेढ़ापन आ जाता है। टेडी-मेडी होने लग जाती है। वह चलने-फिरने से लाचार हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में गंभीरता से विवेचना की जाना अत्यन्त आवश्यक है। खासकर ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में तो यह अति-आवश्यक है, क्योंकि भारत गाँव में बसता है।

गर्भावस्था में फ्लोराईड युक्त जल का सेवन गर्भवस्थ शिशु के विकास पर अत्यंत ही विपरीत प्रभाव डालता है। ऐसे में नवजात शिशु के फ्लोरोसिस रोग से ग्रसित होकर अपंग होने की संभावना बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में जन्म लिया नवजात शिशु के कन्या होने पर दूरगामी दोहरा दुष्प्रभाव

समाज में परिलक्षित होता है।

शोध विषय का महत्व एवं आवश्यकता – किशोरावस्था शारीरिक विकास तथा सामाजिक समायोजन का वह समय है, जो जीवन का सबसे कठिन और नाजुक समय होता है। इस दौरान किशोरियों के सामने शारीरिक विकास और सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएँ आती हैं। जिसमें किशोरियों के सामने शारीरिक विकास में परिवर्तन सामाजिक, संवेगात्मक, पारिवारिक एवं शैक्षणिक समायोजन ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्र में फ्लोराईड युक्त पेयजल का उपयोग करने से फ्लोरोसिस से प्रभावित हो रही किशोरियों की समस्याओं को दूर करने के लिए शोध अध्ययन आवश्यक हो गया है, की फ्लोराईड युक्त पेयजल के प्रति जागरूकता की स्थिति क्या है? इस स्थिति में सामाजिक पारिवारिक शैक्षणिक तथा व्यक्तिगत जीवन किस तरह प्रभावित हो रहा है इसका शोध अध्ययन आवश्यक ही नहीं वरन् अतिआवश्यक हो गया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

1. फ्लोराईड रहित एवं फ्लोराईड युक्त पेयजल का किशोरियों के शारीरिक विकास के संबंध का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. किशोरियों के शारीरिक विकास और सामाजिक समायोजन के संबंध को ज्ञात करना।
3. शारीरिक विकास और समायोजन के संबंध का तुलनात्मक अध्ययन करना।

उपकल्पना :

1. फ्लोराईड रहित एवं फ्लोराईड युक्त पेयजल का किशोरियों के शारीरिक विकास में सार्थक अन्तर नहीं होगा।
2. किशोरियों के शारीरिक विकास और सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर नहीं होगा।
3. शारीरिक विकास और समायोजन के संबंधों में सार्थक अंतर नहीं होगा।

साहित्य का पुनरावलोकन :

डब्ल्यू. एच. ओ./यूनीसेफ (2001) वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) एवं युनिसेफ के दल द्वारा शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के संबंध में विश्व स्तर पर वर्ष-1990 से वर्ष-2000 के मध्य किये गये अध्ययन के आधार पर वर्ष-2001 में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया की वर्ष-1990 में शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता 92 प्रतिशत थी जो कि वर्ष-2000 में भी 92 प्रतिशत ही रही।

शुक्ला अनिता (2007) के द्वारा ‘अनुसूचित जाति के किशोर

और किशोरियों के पारिवारिक संबंध का तुलनात्मक अध्ययन अनुसार यह परिणाम प्रदर्शित करता है कि अनुसूचित जाति के किशोर और किशोरियों के पारिवारिक संबंध में तुलनात्मक भिन्नता है, अर्थात् स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के किशोर और किशोरियों के पारिवारिक संबंध का तुलनात्मक अध्ययन करने पर किशोरियों के पारिवारिक संबंध 0.01 स्तर पर कम पाये गये, यह उपकल्पना स्वीकार्य नहीं है।

नाम देवकु, अंतिमबाला, वर्मा, डॉ. रश्मि (2014) के द्वारा 'महाविद्यालय में अध्ययनरत् किशोर तथा किशोरियों का समायोजन का स्तर ज्ञात करना' शोध अध्ययन में पाया गया है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत् 15 प्रतिशत किशोरियों तथा 25 प्रतिशत किशोर का घर में श्रेष्ठ, 25 प्रतिशत किशोरियाँ तथा 40 प्रतिशत किशोर घर में अच्छा, 15 प्रतिशत किशोरियाँ तथा 20 प्रतिशत किशोर घर में मध्यम समायोजन कर पाते हैं जबकि 45 प्रतिशत किशोरियाँ तथा 15 प्रतिशत किशोर घर में समायोजन से अत्यधिक असंतुष्ट पाये गये।

भिण्डे कु. शारदा (2016) के द्वारा 'आदिवासी किशोर-किशोरियों का शैक्षणिक स्तर से संबंधित अध्ययन' इनके शोध अध्ययन में आदिवासी किशोर का निम्न शैक्षणिक स्तर 55 प्रतिशत, 29 प्रतिशत किशोरों का उच्च शैक्षणिक स्तर एवं आदिवासी किशोरियों में 55 प्रतिशत निम्न शैक्षणिक स्तर, 33 प्रतिशत किशोरियों का मध्यम शैक्षणिक तथा 12 प्रतिशत उच्च शैक्षणिक स्तर पाया गया।

शोध प्रविधि - शोध पद्धति शोध के उद्देश्यों को सुगमता से प्राप्त करने का मार्ग है, शोध में सही परिणामों को प्राप्त करने का आधार उसकी शोध पद्धति ही होती है तथा बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान व अनुभवों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। जिसका उद्देश्य दार्शनिक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन अथवा पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षण एवं उनमें से पाये जाने वाले संबंधों व अनुक्रमों की कारणों सहित व्याख्या व विश्लेषण करना है।

शोध अध्ययन का क्षेत्र - प्रस्तुत शोध में अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के रतलाम जिले का चयन उद्देश्य पूर्ण विधि से किया गया है।

शोध अध्ययन में निदर्शन चुनाव प्रक्रिया की विधि:

1. जिले की 3 तलसील सैलाना, बाजना एवं रावटी का दैनिकनिदर्शन विधि द्वारा चयन किया गया।
2. जिले के कुल 1050 ग्रामों में से सैलाना, बाजना तथा रावटी तहसीलों से दैनिकनिदर्शन की लाटरी विधि का उपयोग कर फ्लोराईड रहित 4-4 ग्रामों का चयन कर कुल 24 ग्रामों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।
3. किशोरियों का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा किया गया।

किशोरियों का चयन फ्लोराईड युक्त एवं फ्लोराईड रहित ग्राम का चयन कर ग्राम के लब्धप्रतिष्ठित महानुभाव से भेंट कर गांव की किशोरियों की जानकारी ली गई उसके पश्चात् उद्देश्यानुसार किशोरियों का चयन किया गया। इस प्रकार फ्लोराईड युक्त 12 गांव से 216 किशोरियाँ एवं 12 फ्लोराईड रहित ग्रामों से 216 किशोरियाँ का इस प्रकार कुल 24 ग्रामों से कुल 432 किशोरियों का चयन किया गया।

शोध समंक लन के स्रोत- शोध समंक संकलन दो प्रकार से प्राप्त किया गया।

प्राथमिक समंक स्रोत- प्रस्तुत शोध अध्ययन में समायोजन स्तर को ज्ञात करने के लिए डॉ. डी.एन. श्रीवास्तव एण्ड डॉ. गोविंद तिवारी द्वारा

निर्मित मापनी एवं साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया।

द्वितीयक समंक स्रोत- द्वितीय आंकड़ों के संकलन हेतु पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, शासन के प्रतिवेदन, शोध ग्रंथों, अंतराष्ट्रीय कम्प्यूटर तंत्र जर्नल्स लघु शोध संक्षेपिकाओं की सहायता ली गई।

शोध सांख्यिकीय विधि- समस्त संकलित आंकड़ों एवं सूचनाओं को फ्लोराईड युक्त पेयजल क्षेत्र की किशोरियों से संकलित किया गया। इन्हीं संकलित आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रतिशत विधि का आवश्यकतानुसार प्रयोग कर आंकड़ों एवं तथ्यों का सारणीयन, प्रस्तुतीकरण व विश्लेषण कर विवेचना की गई है। आवश्यकतानुसार सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया जो इस प्रकार है- (1) प्रतिशत विधि (2) माध्य (3) मानक विचलन (4) वन वे एनोवा परीक्षण।

शोध अध्ययन की सीमाएँ- शोध अध्ययन में निम्नलिखित सीमाओं का निर्धारण किया गया है-

1. रतलाम जिले में तीन तहसील सैलाना, बाजना एवं रावटी के 24 ग्रामों में निवासरत् किशोरियों को ही अध्ययन में प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित किया गया।
2. महाविद्यालय में अध्ययनरत् किशोरियों को ही शोध अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

तथ्यों का वर्गीकरण सारणीयन प्रस्तुतीकरण एवं व्याख्या - शोध अध्ययन में तथ्यों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए तथ्यों का सारणीयन एवं वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। इस से तथ्यों में स्पष्टता, सरलता दिखाई देती है।

तालिका क्रमांक- 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल प्रतिदर्श 432 में से फ्लोराईड रहित पेयजल क्षेत्र की किशोरियों का कुल 216 प्रतिदर्श में से 86.57 प्रतिशत स्नातक, स्नातकोत्तर 7.87 प्रतिशत एवं उच्च तकनीकी शिक्षा में 5.56 प्रतिशत शिक्षा प्राप्त किशोरियाँ हैं।

इसी प्रकार फ्लोराईड युक्त पेयजल क्षेत्र की किशोरियों का कुल 216 प्रतिदर्श में से 84.72 प्रतिशत स्नातक, स्नातकोत्तर 6.94 प्रतिशत एवं उच्च तकनीकी शिक्षा में 8.34 प्रतिशत शिक्षा प्राप्त किशोरियाँ हैं।

तालिका क्रमांक-2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल प्रतिदर्श 432 में से फ्लोराईड रहित पेयजल ग्रामों की किशोरियों का कुल 216 प्रतिदर्श में से 8.80% दांत पिले होना दांत छित्तिदार होना 6.48%, दांत धारीदार होना 4.16% एवं उपरोक्त में से कोई नहीं 80.56% किशोरियों के दांतों में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पाया गया।

इसी प्रकार फ्लोराईड युक्त पेयजल ग्रामों की किशोरियों का कुल 216 प्रतिदर्श में से 42.12% दांत पिले होना दांत छित्तिदार होना 35.19%, दांत धारीदार होना 15.28% एवं उपरोक्त में से कोई नहीं 7.41% फ्लोराईड युक्त पेयजल ग्रामों की किशोरियों के दांतों पर प्रभाव पाया गया।

तालिका क्रमांक-3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल प्रतिदर्श 432 में से फ्लोराईड रहित पेयजल ग्रामों की किशोरियों का कुल 216 प्रतिदर्श में से 7.87% शारीरिक कमजोरी होना अस्थिर्यो पर प्रभाव 2.78%, हड्डियों में टेढ़ापन होना 1.85% एवं उपरोक्त में से कोई नहीं 87.5% फ्लोराईड रहित पेयजल के सेवन से किशोरियों शारीरिक विकास अच्छा पाया गया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल प्रतिदर्श 432 में से फ्लोराईड युक्त पेयजल ग्रामों की किशोरियों का कुल 216 प्रतिदर्श में से 43.05% शारीरिक कमजोरी होनाब अस्थिरों पर प्रभाव 28.70%, हड्डियों में टेढ़ापन होना 22.68% एवं उपरोक्त में से कोई नहीं 5.55% फ्लोराईड युक्त पेयजल के सेवन से किशोरियों शारीरिक विकास पर विपरित प्रभाव पाया गया।

निष्कर्ष - शोध अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग शोध कार्य एवं निष्कर्ष एवं सुझावों का प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुत शोध अध्ययन 'फ्लोराईड युक्त पेयजल का किशोरियों के शारीरिक विकास एवं सामाजिक समायोजन में संबंधों का अध्ययन' में रतलाम जिले की महाविद्यालयीन किशोरियों में से प्रतिदर्श के रूप में 216 किशोरियां फ्लोराईड युक्त ग्रामों एवं 216 किशोरियां फ्लोराईड रहित ग्रामों (कुल 432) का चयन द्वैव निदर्शन विधि से किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में फ्लोराईड युक्त पेयजल एवं फ्लोराईड रहित पेयजल से पारिवारिक, शैक्षणिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक समायोजन को ज्ञात करने के लिए डॉ. डी.एन. श्रीवास्तव एण्ड डॉ. गोविंद तिवारी द्वारा निर्मित मापनी एवं साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य को ज्ञात करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। स्वनिर्मित प्रश्नावली निर्माण करते समय पूर्व 26 प्रश्नावली का परीक्षण (पायलट स्टडी) किया गया, तत्पश्चात् संशोधन उपरांत प्रश्नावली तैयार की गई। तथ्य संकलन के पश्चात् उनका वर्गीकरण सारणीयों में प्रस्तुत किया गया है।

फ्लोराईड रहित पेयजल ग्रामों की किशोरियों के दांत एवं शारीरिक विकास अच्छा पाया गया इससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें फ्लोराईड युक्त पेयजल का नियमित उपयोग में लाने से किशोरियों के दांतों में पिलापन, छित्तिदार एवं धारीदार होना पाया गया तथा शारीरिक विकास में कमजोरी होना, अस्थिरों एवं हड्डियों में टेढ़ापन होना से दूरगामी दोहरा दुष्प्रभाव समाज में परिलक्षित होता है।

सुझाव- किसी भी शोध कार्य में आने वाले शोधार्थियों को शोध कार्य के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर विषय का चयन कर शोध कार्य में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से निम्न सुझाव देना अपना कतव्य मानती हूँ।

1. फ्लोराईड युक्त पेयजल से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में शोध कार्य किये

जाने की आवश्यकता है।

2. फ्लोराईड युक्त पेयजल क्षेत्रों में किशोरियों में जागरूकता का अभाव दिखाई दिया उस क्षेत्र में शोध करने की आवश्यकता है।
3. फ्लोराईड युक्त पेयजल से होने वाली बिमारियों पर ध्यान देने नहीं दे पाती उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने से संबंधित शोध की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों कि किशोरियों कई कारणों से वह शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, अतः संबंधित क्षेत्र में शोध कार्य किये जाने की आवश्यकता है।
4. ग्रामीण क्षेत्र में फ्लोराईड युक्त पेयजल से संबंधित प्रचार-प्रसार में भी शोध कार्य करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन शैली से संबंधित भी शोध कार्य की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

- 1 महाजन डॉ. धर्मवीर एवं महाजन डॉ. कमलेश, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां, 2007, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली-7
- 2 सिसोदिया कु. किरण, आदिवासी समाज में सामाजिक प्रगति एक मुल्यांकन, अलीराजपुर तहसील के संदर्भ में, 2000, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर
- 3 डेविड डॉ. अल्का, किशोरावस्था, विवाह एवं पारिवारिक जीवन, 1196, शिवा प्रकाशन, इंदौर
- 4 एच.के.कपिल, अनुसंधान विधियाँ, 2012, 4/230, कचहरी घाट, आगरा
- 5 पी.डी. पाठक, शिक्षा मनोविज्ञान, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, 2
- 6 सिंहल डॉ. मोहन, सांख्यिकी, श्रीमहावीर बुक डिपो, पब्लिशर्स, 2603, नई सड़क दिल्ली
- 7 महाजन डॉ. धर्मवीर एवं महाजन डॉ. कमलेश, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां, 2007, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली-7।
- 8 श्रीमती बर्मन गायत्री एवं श्रीमती जैन शशीप्रभा किशोरावस्था विवाह एवं परिवार प्रथम संस्करण 2003, शिवा प्रकाशन, इंदौर रस्तोगी अमन, बाल विकास, कुनाल प्रकाशन, दिल्ली।
- 9 माथुर एस.एस. 'शैक्षिक मनोविज्ञान' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- 10 भार्गव, यू. (1993) 'किशोर मनोविज्ञान' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

तालिका क्रमांक- 1: फ्लोराईड रहित पेयजल व फ्लोराईड युक्त पेयजल क्षेत्र की किशोरियों शिक्षा स्तर संबंधित विवरण

क्रं.	शिक्षा का स्तर	फ्लोराईड रहित पेयजल		फ्लोराईड युक्त पेयजल		कुल योग
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत %	
I	महाविद्यालय नियमित पाठ्यक्रम	187	86.57%	183	84.72%	85.64%
	A स्नातक					
	B स्नातकोत्तर	17	7.87%	15	6.94%	7.41%
II	उच्च तकनीकी शिक्षा	12	5.56%	18	8.34%	6.95%
	योग	N=216	100%	N=216	100%	100% N=432

तालिका क्रमांक-2 फ्लोराइड युक्त पेयजल के सेवन से दंत पर प्रभाव की जानकारी का विवरण

क्रं.	विकल्प	फ्लोराइड रहित पेयजल		फ्लोराइड युक्त पेयजल		कुल योग
		आवृत्ति	प्रतिशत%	आवृत्ति	प्रतिशत %	
1	दांत पिले होना	19	8.80%	91	42.12%	25.46%
2	दांत छित्तिदार होना	14	6.48%	76	35.19%	20.83%
3	दांत धारीदार होना	09	4.16%	33	15.28%	9.72%
4	उपरोक्त में से कोई नहीं	174	80.56%	16	7.41%	43.99%
	योग	N=216	100%	N=216	100%	100% N=432

तालिका क्रमांक-3 फ्लोराइड युक्त पेयजल के सेवन से हड्डियों पर प्रभाव की जानकारी का विवरण

क्रं.	विकल्प	फ्लोराइड रहित पेयजल		फ्लोराइड युक्त पेयजल		कुल योग
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत %	
1	शारीरिक कमजोरी होना	17	7.87%	93	43.05%	25.47%
2	अस्थियों पर प्रभाव	06	2.78%	62	28.70%	15.75%
3	हड्डियों में टेढ़ापन होना	04	1.85%	49	22.68%	12.26%
4	उपरोक्त में से कोई नहीं	189	87.5%	12	5.55%	46.52%
	योग	N=216	100%	N=216	100%	100% N=432

मुरैना जिले में स्थित पहाड़गढ़ का किला एवं शैलाश्रय का कलात्मक अध्ययन

साहब सिंह* डॉ. शुक्ला ओझा**

* शोधार्थी (इतिहास) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – पहाड़गढ़ जिला मुरैना के विकासखंड पहाड़गढ़ का मुख्यालय है, यह मुरैना से दक्षिण पूर्व की ओर 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सिंधिया शासन काल में पहाड़गढ़ जागीर थी, पहाड़गढ़ जागीर की स्थापना सन 1946 में राधवन सिंह ने की थी, यहां पर 1946 से सन 1950 तक 16 जागीरदार हुए हैं। अंतिम जागीरदार राजा पंचम सिंह थे। सिंधिया सरकार ने उनको, साहस, शौर्य एवं प्रजावत्सलता के कारण राजा का खिताब दिया था। पहाड़गढ़ की प्रजा भी इनको अन्नदाता कहती है।

प्रस्तावना – पहाड़गढ़ कस्बे में ही एक ऊंचे स्थल (टीले) पर किला बना है सन 1950 में मध्यभारत जागीर भी समाप्त हो गयी थी। मुरैना जिला से पहाड़गढ़ 64 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है तथा कैलारस नगर से 15 किलोमीटर दक्षिण दिशा में पठारी क्षेत्र में बसा हुआ है। पहाड़गढ़ का विस्तार 651.96 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहां पर 5591 व्यक्ति निवास करते हैं, पहाड़गढ़ में एक किला भी बना हुआ है जो सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इस किले का निर्माण 1586 में रवावलख के पोते व रतनपाल के पुत्र राधवन सिंह ने पहाड़गढ़ जागीर की स्थापना की और इस किले का निर्माण एक वृत्ताप पहाड़ी पर कराया, किले के उत्तरी भाग में बस्ती एवं गहरी खाई है। यह किला पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसका नाम पहाड़गढ़ पड़ा, इस किले की मजबूती एवं पत्थर की कारीगरी व चित्रकारी स्थापत्य शैली की दृष्टि से आकर्षक एवं मनोहक है, यहां पर पहाड़ी के नीचे खाई में एक शिव मंदिर स्थित है, जो अपनी विशिष्टता की छाप छोड़ता है।

यहां पर इस किले की प्रकृति और जंगली जानवरों की वास्तविक क्रीड़ा देखी जा सकती है, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षित प्रतीत होती है। इसके अलावा यहां पर शहरिया संस्कृति की झलक व जीवनशैली देखी जा सकती है।

पहाड़गढ़ के शैलाश्रय – पहाड़गढ़ कस्बे से 10 किलोमीटर दूर आसान नदी के किनारे पर कन्दराओं में पाषाण युग के शैलचित्र हैं, इन शैलचित्रों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है इन 86 गुफाओं और शैलाश्रयों की शृंखला से पता चलता है कि प्रारम्भ में मानव इसी में निवास करते थे। पुरातत्त्ववेत्ताओं के अनुसार यह काल ईसा से दस हजार वर्ष पूर्व तक था। प्रागैतिहासिक काल के शैलाश्रयों के शैल चित्रों में अंकित मानवीय कला प्रेम के संकेत मिलते हैं। इन चित्रों में अंकित नर नारियों, पशु पक्षियों के आखेट और नृत्य के दृश्यों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि चम्बल घाटी में भी मानवीय कला प्रेम अंकुरित हुआ था।

इस अभिव्यक्ति हेतु मानव ने पक्षे रंगों का अविष्कार किया यहां के अन्य शैलाश्रयों में नाँवता, कुंडीघाट व परादेह, रानीदेह, खजुरा, कीतया,

सिद्धावली तथा हवा महल नामक गुफाएं दर्शनीय हैं।

प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र – चम्बल घाटी प्रागैतिहासिक संस्कृति एवं पुरातत्त्व की दृष्टि से समृद्ध है। चर्मावती (चम्बल) नदी का उल्लेख महाभारत के वन पर्व तथा अनुशासन पर्व में भिन्नपया जाता है। पुरातत्त्व वेत्ताओं ने इस क्षेत्र की कन्दराओं में बने पुरुष स्त्री तथा पशु पक्षियों के चित्रों के आधार पर अनुमान लगाया है कि ईसा से 10 हजार वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में विकसित मानव सभ्यता थी। यहां के निवासियों को दीर्घ जीवन रंगों की जानकारी थी, चित्र कला तथा नृत्यकला का भी ज्ञान था। इन शैलाश्रयों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है, पगारा समूह, परेवा समूह, परेटा समूह। इनमें नील गाय, सांभर, कुकुड्युक्त बृषभ, चित्रल वन बृषभ चीता धनुर्धारी आखेटक नृत्य करते मानव समूह, अश्वरोही, गजारोही तथा योद्धाओं के चित्र अंकित हैं। चूने बाली की गर्भवती गाय तथा अरुणा भैंसा तथा मध्य पाषाण युगीन शैली के हैं। पहाड़गढ़ से नर्मदा तक फैली विंध्य पर्वतमाला में समाहित पुरातात्विक संपदा मुरैना अंचल को गौरान्वित करती है। अरुणा भैंसा हललगढ़, बैरसिया के अरुणा भैंसा जैसा है। चपरेटा के अस्त्रधारी धनुर्धारी तेरहवीं शताब्दी के मध्य के हैं। उनकी समता पचमढ़ी के बोरी के योद्धाओं से अथवा प्रारंभिक ग्रंथ शैली से की जा सकती है। चपरेटा के सूर्य गुप्तकालीन अलंकरणों के समान है। कंकाली माता टीकला से इनके समान है। चपरेटा के एक शैलाश्रय के अलंकरण के मध्यस्मिय अलंकरणों के समान है। कुकुड्युक्त फैले सींग वाले बृषभ ताम्रष्पीय हैं। ये सभी शैलचित्र पक्षे लाल गेरुआ रंगों से निर्मित हैं। जो इस क्षेत्र में ईसा से 10 हजार वर्ष पूर्व विकसित मानव सभ्यता के सारथी मिले हैं।

श्रीराम शर्मा जो पेशे से सब इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने पहाड़गढ़ में उपलब्ध शैलाश्रयों की जानकारी अपने पत्रों के द्वारा स्वर्गीय डॉ. द्वारिका प्रसाद शर्मा द्वारीकेश को दी जो कि मिशीगन विश्वविद्यालय अमेरिका में भाषा के विभाग में अचार्य के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने श्रीराम से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक प्रोजेक्ट के तहत पहाड़गढ़ के शैलाश्रयों का व्यापक सर्वेक्षण 1667-68 में किया। सर्वेक्षण के दौरान मानपुर से

लगभग 86 शैलाश्रय खोजे गए थे, ये शैलाश्रय समूह लगभग 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। पहाड़गढ़ में इनको लिखी छाज के नाम से जाना जाता है। जिसका अर्थ है चित्रित छाज! पहाड़गढ़ शैलाश्रय में स्थित शैलाश्रय आकार प्रकार में अलग अलग प्रकार के हैं। जिनका वर्गीकरण द्वारीकेश ने 6 प्रकार से किया है।

1. कुछ गुफायें एक से अधिक अनेक छोटी छोटी गुफाएं स्थापित हैं। जैसे- वर्षदह, नॉवता, सिद्धवाली गुफाएं इत्यादि।
2. कुछ गुफाओं और शैलाश्रयों के मिश्रण हैं जैसे लिखी छाज शैलाश्रय के अंदर गुफा है।
3. इन गुफाओं में शैलाश्रयों की बनाबट भिन्न भिन्न प्रकार की है, कुछ वृत्ताकार, कुछ अर्धवृत्ताकार तो कुछ दो या तीन ओर से पूर्णतः खुली हुई है।
4. कुछ गुफाएं पहाड़ के अंदर को चीरती हुई काफी गहराई में बनी हैं।
5. कुछ का प्रवेश द्वार बहुत तंग है और अंतरंग काफी विशाल तथा कुछ इसके विपरीत आकार की है।
6. कुछ अंदर जाकर छोटे भागों में विभाजित हैं।

पहाड़गढ़ शैलाश्रय समूह में उपलब्ध चित्रों के विषय भी अलग अलग हैं जैसे जैसे चुने वाली शैलाश्रयों में हिरण के शिकार का दृश्य, खजूरा शैलाश्रय के समूह में पालतू जानवरों का समूह चपरेटा शैलाश्रय समूह में बैल एक जानवर जिसके पूँछ मुँह शरीर बिन्दुओं से बना है।

कोल्या शैलाश्रय में लाईनों द्वारा एक अश्व का अंकन तथा नीचे के भाग में अश्व सवार का अंकन किया गया है। चपरेटा स्थित एक दृश्य में युद्ध के दृश्य अंकित हैं। एक अन्य दृश्य में सूर्य प्रतीक है अंकन एक पैनल का सुंदर अंकन है। चुने वाली शैलाश्रय में मानवीय समूह नृत्य करते हुए अंकन लिखी छाज में शिकार के दृश्य, खजूरा शैलाश्रय एक आयताकार भाग में मानव तथा जानवरों का अंकन, अम्रझीर नाला शैलाश्रय में सफेद गेरुआ रंग से गज सवार का सुंदर अंकन है इसके अतिरिक्त चपरेटा शैलाश्रयों समूह में विभिन्न प्रकार के डिजाइन एक योद्धा तथा पालतू जानवरों का अंकन है, पहाड़गढ़ शैलाश्रयों समूह में चित्रों को अंकित करने में मुख्य रूप से गेरुआ लाल रंग का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं सफेद रंग का प्रयोग किया गया है।

पहाड़गढ़ शैलाश्रय समूह के शैलाश्रयों से प्राप्त चित्रों का कालक्रम- इस समूह में चित्रों का कालक्रम निर्धारण वाकणकर ने किया है, उन्होंने यहां से प्राप्त शैलाश्रयों के चित्रों को छः काल में विभाजित किया है।

प्रथम काल (मध्याष्पीय)- इस काल के चित्रों में चुने वाली की गर्ववती गाय तथा अरुणा भैंसा, चपरेटा की ज्योमिति अलंकरण तथा चुने वाली की कालन वृषभ को मध्य पाषाण कालीन मध्याष्पीय माना जा सकता है।

द्वितीय काल (ताम्राष्पीय)- इस काल के चित्रों में चपरेटा के कूबड़ युक्त वृषभ, गर्ववती गाय, हिरण तथा चपरेटा के नृतक ताम्राष्पीय युगीन हैं।

तृतीय काल (पूर्व ऐतिहासिक काल)- इस काल के चित्रों में सूर्य, चंद्र, कल्प वृक्ष, त्रिकोण अलंकृत चिन्ह हैं। वाकणकर को ऐसे ही अलंकरण टीकला समूह में भी मिले हैं।

चतुर्थ काल (ऐतिहासिक काल)- इस काल के चित्रों में लिखी छाज और चपरेटा शैलाश्रयों में गतिशील धनुर्धारी तथा धर्मयात्रियों की पंक्ति आती है, इन चित्रों के कालक्रम को 1 से 13 वीं शदी के मध्य रख सकते हैं।

पंचम काल (पूर्व मध्यकाल)- इस काल के चित्रों में खजूरा के चतुष्कोण में खजूरा के चतुष्कोण में बनी आकृति तथा अंगुलियों से बने गजारोही बैसे ही चपरेटा को बैठा हुआ भद्र पुरुष है। ये चित्र गुप्तोत्तर तथा राजपूत काल के पूर्व के हैं। इन्हें पूर्व मध्यकाल में भी माना जा सकता है।

षष्ठम काल (राजपूत काल से वर्तमान काल तक)- इस काल के चित्रों को हम राजपूत व मुगल शासकों से प्रारंभ होला अभी कुछ वर्ष पूर्व तक के आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हैं। काल्या के अश्वरोही चपरेटा त्रावणकोर चुनेवाली का त्रिकोण युक्त मानव तथा फौजी टोपी पहने चपरेटा का अश्वरोही इसी काल से संबंध है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. शर्मा, डॉ. द्वारिका प्रसाद द्वारिकेश 'आसन के अंचल में प्रागैतिहासिक मानव की कला साधना', ग्वालियर दर्शन पृष्ठ क्रमांक 263
2. तोमर, डॉ. शंकर सिंह 'अतीत के पृष्ठों में मुरैना', प्रकाशन विनोद कुमार शर्मा 2017 पृष्ठ क्रमांक 83
3. सिंह, आर. एम. पी. 'चम्बल और ग्वालियर क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर', प्रकाशन भोपाल 2011 पृष्ठ क्रमांक 21
4. प्रबल, डॉ. रामप्रबल श्रीवास्तव 'मुरैना नगर का अतीत और वर्तमान', प्रकाशन विजय श्रीवास्तव 2008 पृष्ठ क्रमांक 27
5. शर्मा, द्वारिका प्रसाद द्वारिकेश पहाड़गढ़ गुफा पेंटिंग भारतीय प्रागैतिहासिक की एक झलक 1980
6. वर्मा, एस. आर. उप संचालक 'पुरातत्व संग्रहालय एवं अभिलेखागार', ग्वालियर।

Challenges in Implementation of NEP-2020 in Context of Academician and Students

Dr. Pritibala Bhargava*

* Assistant Professor (Commerce) SBN Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - The government has been motivated to provide universal education, so after a long period, the National Education Policy 2020 was launched, and NEP is the most recent attempt to reform education system. The five significant accepts like Access, Equity, Affordability, Accountability and Quality have been considered to construct India's new education system. NEP-2020 is an advanced and revolutionary proposal for Academician and all students (i.e. general and disabled) with both opportunities and challenges, aimed at providing quality education to all, which requires the use of a blended learning. This article attempts to learn about the present experiences and challenges of the proposed e-learning system for faculties and students (general and disabled) in India's higher education system. The purpose of this article is to examine the training requirements for academic staff in order to deliver an inclusive education to students. This article offers visions into various outlines of NEP targets and looks at how effective the above efforts are for implementation of it?

Keywords- Universal education, E-learning, blended learning, disabled persons, New education policy.

Introduction - Every country must have a well-defined and forward-looking education policy since education is the primary driver of economic and social advancement. Different countries have adopted various educational systems based on their distinct traditions and cultures.

After 34-years wait, the Union Cabinet approved the long-awaited National Education Policy (NEP) on July 29, 2020. It is the twenty-first century's first educational policy. The National Education Policy (NEP) 2020 intends to provide a comprehensive perspective and all-encompassing framework for both school and higher education in the country. (Moriña et al., 2020)

With the flux of comprehensive reforms that the Government has set to bring in, the landscape of Indian higher education is changing drastically ushering in new reforms required to meet the needs of 21st Century India. (TILAK, 2012) The government's announcement of the National Education Policy-2020 provides much-needed assurance and direction to higher education practitioners and stakeholders in steering these reforms to make India the most sought-after education destination not only for Indian youth but also for those seeking new frontiers of knowledge from around the world. The policy will enable us to progress towards becoming a knowledge society, the *Vishwagurutha* that can lead the world with its natural strengths of human capital, material resources and traditional knowledge systems. (Choudhary & Kumar, 2021) NEP includes a extensive range of subjects first from school

education to higher education. The NEP is timely and futuristic in its approach and has the potential to convert the Indian educational system into a "new normal". (Jagadeesh Kumar, 2020) The importance on NEP on helping critical thinking, encouraging capability and making knowledge experiential will make the students prepared to be energetic contributors to the fourth industrial revolution. (Tefera & Fischman, 2020)

The procedure has come at the correct time period and the objective is very noble. But there fabrications a world of difference between placing down a policy on paper and subsequent it in spirit. The purpose of this article to examine few aspects of NEP that will have a transformational effect on higher education in India. In this paper, the author has attempted to analyse and shared all the experience which are faced during training sessions. The success of NEP 2020 and the pace of its implementation depend to a large extent on how successfully the government, universities and schools can tide over the practical challenges facing it.

Historical Background - We have a long and glorious history with education, dating back to the Indus Valley Civilization from Gurukul. Every few decades, a new NEP is released. To date, India has had three. The first was signed in 1968 by Indira Gandhi and the second in 1986 by Rajiv Gandhi; the 1986 NEP was updated in 1992 by P V Narasimha Rao, who was Prime Minister at the time. The third is the NEP, which was released during Narendra Modi's

tenure as Prime Minister. The National Education Policy (NEP) provides a comprehensive framework for guiding the country's educational progress. The requirement for a policy was first identified in 1964, when Mpsiddheshwar Prasad criticised the administration at the time for lacking an educational vision and philosophy. In the same year, a 17-member Education Commission was established, led by then-UCC Chairperson D S Kothari, to formulate a national and coordinated education policy. In 1968, Parliament established the first education policy based on the recommendations of this Commission. National Education Policy 1986 was announced with objects Equal opportunity was for females, Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Child-centered method and operation blackboard. In National Education Policy 1992 improved the strategy in 1986 managed by the objective. (Chaudhary, 2007) (Aithal & Aithal, 2020)

Literacy Rate — During Independence, India's literacy rate was 12% (in a parallel world, the United States of America had a literacy rate of 97.3% according to this report in year 1947). By 2018, India enhanced its knowledge rate to 74% (the age group of 15–24 years have a literacy of 91.66% which is relatively good development).

In spite that the ancient system of Gurukul was replaced by modern education system by Macaulay. After independence, no major reforms to the higher education system were made to meet the country's demands. Even though an amendment to the NEP- 1986/92 was brought in 2009 with a supplementary "Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009" that laid down legal underpinning for achieving a high-quality education, the previous education policies of the Government of India in 1986 and 1992 failed to provide education to every citizen of the country and were found inadequate in offering high-quality education. In 2003, the government launched the Sarva Shiksha Abhiyaan (SSA), a comprehensive education for all (EFA) initiative, and three new policies on disability education were released: the Right to Education Bill 2005, the Action Plan for Inclusion in Education of Children and Youth with Disabilities (IECYD) 2005, and the National Policy for Persons with Disabilities. In 2019, the Indian government appointed Dr. K. Kasturirangan, the former chairman of the Indian Space Research Organization, to lead a group (ISRO). (Kalyanpur, 2008a) The board submitted its report in the form of a draft Education policy in December 2019 and recommended both incremental and fundamental variations in the present Indian education policy with suitable guiding principle for active implementation in the country by 2030. (Kalyanpur, 2008b) The Government of India approved its updated version as National Education Policy 2020 in the Union Ministry meeting after a thorough investigation and 360-degree feedback-based assessment. India's new education strategy is a positive redesign of the country's current educational system. It offers some excellent and admirable recommendations. The policy

envision a holistic learning paradigm that is integrated, engaging, and immersive. A scientific mindset and evidence-based reasoning will be instilled with aesthetics and art.

NEP and Higher Education - The NEP identified several major issues in higher education, including: less emphasis on skill development, such as life skills, employability, and entrepreneurial skills; rigid separation of disciplines, resulting in a lack of holistic learning in students, with early specialisation and streaming of students into narrow areas of study; and limited teacher and institutional accrediting. As a result, the strategy aims to revamp and re-energize the higher education system in order to solve the challenges of providing high-quality, futuristic higher education. (Naskar & Chatterjee, 2021)

The following are some of the policy's primary suggestions for higher education:

1. By 2035, GER will have increased to 50%.
2. Increasing the trans disciplinary nature of undergraduate education;
3. Higher education is subject to 'light but strict' control by a single regulator.
4. Creating Academic Bank of Credits
5. Multidisciplinary Education and Research Universities
6. Creating a National Research Foundation to reward great peer-reviewed research and aggressively foster research in universities and institutions;

All HEIs will focus on research and innovation by setting up -Start-up incubation centres, Technology development centres, Centres in frontier areas of research, Centre for Industry academic linkage, and Interdisciplinary Research Centres including humanities and social science research. (Gupta & Choubey, 2021)

- **Higher education (HE)** monitoring and controlling institutions like UGC, AICTE, MCI, DCI, INC, etc will be merged with the Higher Education Commission of India (HECI) as a single regulator for HEIs.

- **Student centred teaching & learning process** will be implemented instead of current teacher centred teaching model. Choice Based Credit System is revised by an innovative and flexible Competency Based Credit System. Examination system will change from high-stakes examinations (Semester End system) towards a more continuous and comprehensive evaluation examination system.

- **Professional Education** : All stand-alone institutions in any field shall aim to become multidisciplinary institutions offering holistic and multidisciplinary education by 2030. (Jha & Parvati, 2020)

Challenges in Implementation of Policy at higher education of NEP-2020 - Some challenges connected to faculty and students of Indian National Education Policy 2020 are recognized and listed below:-

1. The subject documentation and specialization into science, commerce, arts in demand to pick the type of professional education are not clear. In commerce

subject they don't offer the option for Main and slight subject to choose.

2. Execution details are also not perfect.
3. "How the Organization will develop" no provisions are there.
4. The 3 years departure with a degree and 4 years exit with investigation project-based degree is also unclear to get a government job under a similar degree qualification. How scholars can attempt IAS, PSC and other connected exam are not clear.
5. 1 year and 2 years Master's Degree platforms are also recommended and it is not clear that under what circumstances these different duration Master degree programmes have to be offered.
6. Online Distance Learning (ODL) approval should be restricted to only universities instead of autonomous colleges too.
7. Less importance and information is given for diploma programmes under higher education.
8. No substantial support to improve the quality for contributing to global ranking.
9. Poor Infrastructure for colleges. We talk about Blended Learning without basic facilities.
10. If all types of HEIs start offering ODL programmes the system will become worse due to unhealthy competitions.
11. Since top class foreign universities are allowed to enter and offer educational services in India with huge investments, sustainability for Indian organizations becomes a challenge.
12. Encouragement & motivation for lifelong research by suggesting Post-doctoral degrees is not visible.
13. No strong & effective suggestion on faculty performance measurement is included for determining accountability.
14. No provision for faculty enhancement and improve their skills.
15. The proposed binary accreditation system leads to no incentives for the achievers except graded autonomy. (Daugherty & Pittman, 1995)
16. Proposed compulsory one semester equivalent social engagement in the form of the internship is difficult for certain professional programmes. (Markopoulos et al., 2019) (Papke-Shields & Boyer-Wright, 2017)

Implementation of Strategies - Application task of NEP-2020 with its scheduled purposes of 100% literacy and GER of more than 50% to advanced education in a country like India with about 130 crores citizen with local, religion, economic, and cultural multiplicity is not an informal task. Thus, the execution of NEP-2020 requirement various strategies to develop action plans to recognise numerous aims with predictive achievement.

The stakeholders of the implementation process of National Education policy of a country include government, universities, colleges, faculty members, students, aspirants,

and parents/citizen of the country.

First and most important thing to success we must establish a strong infrastructure for online mode of learning. Our blended learning pedagogy required a sound technical knowledge and skills, internet facility, good quality equipment etc.

Updating curriculum periodically as per current and future industry requirements by adding the latest changes and developments in the subject are essential to create interest among the students and to improve their innovativeness is essential. Developing new and effective pedagogy is also important to an effective and efficient teaching-learning process.

As per NEP-2020, research and publication is the focus of higher education. Research components in the curriculum in all levels of higher education stimulate independent and innovative thinking among students. (Jagadeesh Kumar, 2020)

Strategies for Faculty Members - Extremely motivated faculty participants are the basic properties of any higher educational organization. Some of motivational strategies comprise:

1. Faculty development program should arrange yearly to enhance the quality of teachers.
2. The teaching capacities and learning abilities are decreased because of over burden of office works, which are given. So it should be in kept of mind.
3. Learn more earn more : Faculty members who do not have research degree should register for part-time Ph.D. programme along with teaching in their colleges to fulfil the new regulation of minimum qualification to teach in colleges and universities.
4. Faculty academic and research performance strategies: Faculty members should make a systematic annual plan to maximize the academic results of their teaching subjects, participate in faculty development programmes, and research and publications by different contribution and by group involvement.
5. Lifelong learning & research strategies: To avoid obsolescence in the subject of specialization, faculty members of higher education institutions have to plan for continuous update of their knowledge by means of attending online and offline courses provided by various specialized agencies which offer MOOC including SWAYAM and get a certificate for the proof.
6. Minimum two research papers publications as first author every year irrespective of their designation.
7. Team and collaborative research to boost individual and organizational research performance.
8. Competitive strategy to increase API scores to get annual increments and periodic promotions.
9. Time management
10. Networking with Industries for collaborative projects/ consultancy opportunities to further enhance API score-based performance.

Motivation of Faculty - The National Education Policy (NEP) 2020 recognises that faculty quality is the most significant aspect in a higher education institution's performance. In NEP 2020, current faculty motivation is assessed to be well behind expectations. Faculty in private sector higher education institutions are satisfied by intrinsic elements, while faculty at public sector higher education institutions are satisfied by extrinsic factors (Tiwari, Anjum, 2014a). Teachers are vital resources for the nation's growth since they nurture and develop abilities in a variety of fields (Saravana kumar and Devi, 2020). Growth attracts male professors, but India's higher education system does not give performance-driven growth (Tiwari, Anjum, 20). Faculty members were satisfied with pedagogy but not with evaluation methodologies, according to a study on teaching efficiency in private and public higher education institutions in north India. Accountability was rated as moderately satisfactory by faculties (Tiwari, Anjum, 2014c). The indoctrination of western values and materialistic passion in western education has resulted in a decrease in the value of instructors (SatyaKumar, 2018). Inorganic growth can be difficult to maintain if it is not properly handled (Tiwari, Singh and Mathur 2018). Poor rankings of Indian higher education institutions are due to a lack of enthusiasm and inadequate financial support (Sheel and Vohra, 2014, Tiwari et al.

Strategies of Students of HEIs - Students in higher education institutions should employ a strategy that maximises benefits while minimising expense (both financially and in terms of time) by recognising and seizing opportunities during their undergraduate and postgraduate courses in areas that they are interested in.

1. Subject areas for futuristic studies were chosen based on interest and ease.
2. Take advantage of free-shipping and scholarship opportunities provided by various organisations.
3. Earn money while learning responsibility, life skills, and the value of money.
4. Planned, dedicated hard work to gain a competitive advantage.
5. Being technologically knowledgeable and applying scientific thought to all decisions.
6. Learn more – earn more is a method for obtaining higher education and continuing education throughout one's life.
7. Find a role model to emulate and be inspired by.
8. Take out a college loan rather than relying on your parents' hard-earned money. In many situations, the interest on education loans obtained from banks can be deducted from the income tax they must pay, resulting in a small effective interest rate on education loans. (9) To have a large network of acquaintances from many regions, faiths, backgrounds, beliefs, and attitudes.
9. Participate in research and development by recognising

problems and contributing to the development of solutions.

10. Attain multi-tasking skills, multi-field proficiency, dual degrees, and intellectual properties like copyrights and patents.
11. To work with numerous team projects, specific projects, and internships.
12. To showcase unseenability by contributing in many co-curricular, extra-curricular activities, competitions, sports, and games.(Aithal & Kumar, 2016)

Educational Provision for Students with Disabilities -

The Ministry of Education established a few educational or workshop facilities for blind adults to acquire traditional occupations that are acceptable to people with vision impairments, such as cane weaving and music. (Pionke, 2020) People with hearing and orthopaedic problems were later added to these units. However, the post-independence government has focused primarily on establishing national research institutes, awarding scholarships, and providing financial assistance to non-governmental organisations (NGOs) to establish special schools (D'Souza, 2020) while NGOs have continued to be responsible.

Children with disabilities were "invisible" in national policy (Harry, 2020) and the Integrated Child Development Scheme (ICDS), which began in 1974 and provided health and education services to children and women in rural regions, excluded children with disabilities from its beneficiaries.(Tefera & Fischman, 2020)

Strategies for Online & Digital Education - The use of a digitization plan enables for the effective production and distribution of information resources in the following ways:

1. Institutional online teaching platforms and teaching-learning models are being developed.
2. Educating academics and students on how to use online digital platforms effectively.
3. Using various multimedia simulation effects to create digital content for the classroom.
4. Techniques for effectively teaching both theoretical and practical subjects online using artificial intelligence and virtual reality. Artificial intelligence, virtual and augmented reality, and simulation techniques can be used effectively in both online and classroom-based education to provide high-quality teaching and training.(Aithal & Aithal, 2020)(Jung & Latchem, 2011)
5. Establishing an institutional digital library with worldwide networking to allow all stakeholders to access any information at any time.

Recommendation - The following endorsements are suggested based on the analysis of NEP-2020 using Focus-group process for actual implementation to achieve its objectives:

1. Focusing on the Top-Down approach of implementation will give a better result.
2. Recognizing Role-models who have clean and confirmed track records in academics, research, and or-

ganizations with responsibility and accountability though employing to the officials of top strategy creation authority-Higher Education Commission of India (HECI) and its 4 verticals.

3. Free internet for everyone: Free internet facility to be offered by central government/state government enhances higher education coverage to economically low-level people and in turn, increases GER of higher teaching and digitization of the economy of the nation. (Aithal & Aithal, 2015)
4. One country—one library: Through the digitization of books, journals, and other information resources, the country should adopt one country-one library policy. This reduces the high cost of building physical libraries in the country, saves a significant amount of foreign cash, and eliminates many opportunities for corruption.
5. Central research facilities: Open-up the central research facilities in each state for optimum utilization of costly & imported research instruments by many researchers rather than completely controlled and used by a single group.

Conclusion - The New Education Policy (NEP) for 2020 is a motivating change. It is, in fact, a significant first step toward a broad-based educational disciplinary system transformation that will end in upward revolution. This is predicted to be a game-changer for Indian education in the future. As a result of the policy, a large number of young aspiring students will be able to obtain the necessary skills. Our young people will undoubtedly gain expertise in life skills and actively engage with the practical side of life as a result of the emphasis on the arts and humanities, as well as the requirement that all institutions provide a holistic and multidisciplinary approach to education and a focus on research.

It's important to remember that all of these proposals are just that: proposals. There's still a long way to go before they're adopted. The New Education Policy appears to be excellent on paper. However, how they are approached and executed will decide the degree of their benefits. How well it is implemented will determine its success. It is now up to the educational community to follow the policy's guidelines and make the necessary changes.

References:-

1. Aithal, P. S., & Aithal, S. (2015). Ideal Technology Concept & its Realization Opportunity using Nanotechnology. *International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM)*, 4(2), 153–164.
2. Aithal, P. S., & Aithal, S. (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards Achieving its Objectives. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 5(2), 19–41.
3. Aithal, P. S., & Kumar, P. M. (2016). ABC model of research productivity and higher educational institutional ranking. *International Journal of Education and Management Engineering (IJEME)*, 6(6), 74–84.
4. Chaudhary, L. (2007). An economic history of education in colonial India. *Hoover Institution*.
5. Choudhary, D. A. K., & Kumar, E. R. (2021). *Role of Entrepreneurship in Indian Higher Education: A Review* (SSRN Scholarly Paper ID 3843088). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=3843088>
6. Daugherty, P. J., & Pittman, P. H. (1995). Utilization of time-based strategies: Creating distribution flexibility/responsiveness. *International Journal of Operations & Production Management*.
7. D'Souza, R. (2020). Exploring ableism in Indian schooling through the social model of disability. *Disability & Society*, 35(7), 1177–1182.
8. Gupta, B. L., & Choubey, A. K. (2021). Higher Education Institutions—Some Guidelines for Obtaining and Sustaining Autonomy in the Context of Nep 2020. *Higher Education*, 9(1).
9. Harry, B. (2020). Historical and Cultural Influences on Education Policy and Disability Services. In *Childhood Disability, Advocacy, and Inclusion in the Caribbean* (pp. 1–22). Springer.
10. Jagadesh Kumar, M. (2020). *National Education Policy: How does it Affect Higher Education in India?* Taylor & Francis.
11. Jha, P., & Parvati, P. (2020). National education policy, 2020. *Governance at Banks*, 55(34), 14.
12. Jung, I., & Latchem, C. (2011). A model for e-education: Extended teaching spaces and extended learning spaces. *British Journal of Educational Technology*, 42(1), 6–18.
13. Kalyanpur, M. (2008a). Equality, quality and quantity: Challenges in inclusive education policy and service provision in India. *International Journal of Inclusive Education*, 12(3), 243–262.
14. Kalyanpur, M. (2008b). The Paradox of Majority Underrepresentation in Special Education in India: Constructions of Difference in a Developing Country. *The Journal of Special Education*, 42(1), 55–64. <https://doi.org/10.1177/0022466907313610>
15. Markopoulos, E., Kirane, I. S., Piper, C., & Vanharanta, H. (2019). Green ocean strategy: Democratizing business knowledge for sustainable growth. *International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications*, 115–125.
16. Moríña, A., Sandoval, M., & Carnerero, F. (2020). Higher education inclusivity: When the disability enriches the university. *Higher Education Research & Development*, 39(6), 1202–1216. <https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1712676>
17. Naskar, S. K., & Chatterjee, S. (2021). NEP 2020: Few highlights in higher education. *Asia Pacific Education Review*, 1–3.

18. Papke-Shields, K. E., & Boyer-Wright, K. M. (2017). Strategic planning characteristics applied to project management. *International Journal of Project Management*, 35(2), 169–179. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.10.015>
19. Pionke, J. J. (2020). Disability-and Accessibility-Related Library Graduate-School Education from the Student Perspective. *Journal of Education for Library and Information Science*, 61(2), 253–269.
20. Tefera, A. A., & Fischman, G. E. (2020). How and Why Context Matters in the Study of Racial Disproportionality in Special Education: Toward a Critical Disability Education Policy Approach. *Equity & Excellence in Education*, 53(4), 433–448. <https://doi.org/10.1080/10665684.2020.1791284>
21. TILAK, J. B. G. (2012). Higher Education Policy in India in Transition. *Economic and Political Weekly*, 47(13), 36–40.

Feminine Portrayals in Some of the Novels of Shashi Deshpande

Dr. Vishal Sen*

*Assistant Professor (English) S.B.N. Govt. P.G.College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - This paper intends to project the female portrayals in the novels of Shashi Deshpande. Her novels provide a vast scope for the analysis of women characters and their struggle through which they try their level best to prove their identity. In this paper, a modest attempt has been done to picture the projection of female characters in Shashi Deshpande's novels. The novelist is primarily concerned with the existential identity of heroines in her novels. Marital discord and identity crisis are one of the major reasons of the afflictions of female portrayals in Deshpande's fiction. The major objective of this paper is to present the delineation of women characters in the fiction of Shashi Deshpande.

Keywords- Female portrayals, existential identity, marital discord, identity crisis.

Introduction - Shashi Deshpande is one of the great and well known novelists from the group of Indian Women Novelists. She was a great novelist and journalist. Most of the novels of Shashi Deshpande deal with the women protagonists. A study of female characters is one of the mentionable aspects in her novels. These feminine central portrayals enrich the fictional world of Shashi Deshpande. The novelist throws light on the problems of women in her novels. In most of her works, Deshpande has portrayed the problems of Indian middle class women. The presentation of female characters by Shashi Deshpande in her novels is very fine. The novelist secures the central position for feminine characters in her fiction. She is basically concerned with women portrayals. The women characters Deshpande presents in her novels feel themselves trapped in the cage of patriarchy.

Female Portrayals in Some of the Novels of Shashi Deshpande: Some themes associate Shashi Deshpande's female characters like alienation, the complexities of man woman relationship, marital dissonance, and quest for identity etc. The novelist deals with such feminine characters that belong to the educated middle class background. Such portrayals in her novels struggle to prove their identity and existence in their family and social setting. They fight to get place and position in life. These ladies have been presented as victims of family and society. They face multiple challenges in order to secure their self-respect and identification. The novelist has also pictured the sufferings of women as they are exploited physically and mentally. These feminine portrayals feel much suffocated in the suppressing atmosphere of patriarchal settings of society. They don't get peace of mind anywhere. The novelist

pictures the anger of newly emerging women of society who desire to attain a respectable platform in their lives. They are presented as ready to develop themselves in their lives. While confronting so many problems and miseries in male dominated society, these female protagonists try to obtain some mentionable achievements in life. They are projected as career oriented and they indeed attempt to obtain honourable stage in the society. The social milieu in which they live is full of men made surroundings where women are considered not less than puppets. These ladies become fed up while playing the traditional roles as daughter, sister, wife, daughter-in-law etc. Therefore they want some space for themselves. Such feminine portrayals in the novels of Shashi Deshpande suffer from miseries and afflictions due to the unexpected behaviour and unacceptable treatment they bear.

The female characters like Saru in *The Dark Holds No Terrors*, Jaya in *That Long Silence*, Urmila in *The Binding Vine*, Sumi in *A Matter of Time* are presented in dilemma and puzzlement.

Sarita in *The Dark Holds No Terrors* is the pivotal portrayal who faces some afflictions. Due to backward thinking surroundings, she has to confront completely opposite situations in her life. Sarita before marriage as Saru remains as a doll at her parental home. Saru suffers from gender discrimination as her own mother treats her and her brother with difference. Throughout her childhood, she is made guilty of being a girl child. She feels that she is secondary for her family. She is unable to develop any emotional bond with her parental home. After her marriage also Sarita does not get any peace of mind. Her husband Manu wants to dominate her very much. He expects Sarita

to behave in the particular way he wants.

Jaya is another suffering soul in Shashi Deshpande's next fiction *That Long Silence*. Being a house wife Jaya performs all her duties yet she feels her life as incomplete one. She experiences herself just breathing and not living. Her husband never understands her feelings. He always ignores her and never tries to understand her feelings what she wants. She always remains afraid to not make any displeasing thing for her husband. Therefore she feels lonely and incomplete. An empty space increases in her life. Marriage does not provide any comfortable zone to her. Even after becoming mother of two children Jaya does not get any happiness. The gap between Jaya and her husband continuously widens. This gap is never filled. Jaya realizes that she is not justified to herself and her career as a writer. Finally a vacuum takes place in her life.

The Binding Vine is another novel in which the female character Urmila is deprived of love. Through Urmila a description of rape victims is presented. Mira becomes the victim of marital rape. Another female character Kalpana is made victim of rape by her uncle. The mental pain mingles with physical pain due to rape. The plight of women is projected.

Sumi is another female sufferer in the novel *A Matter of Time*. Gender inequality is one of the reasons of her problems. Sumi encounters the miseries of marital discord. Her husband Gopal treats her badly. Gopal is neither a good husband nor a responsible father. According to Gopal, male child is must. Sumi gives birth to three girl children which Gopal never accepts. He never builds any emotional bond of love with Sumi and his daughters. Sumi feels her life not less than a hell.

Suggestions and findings: The novelist Shashi Deshpande pictures the educated women in order to suggest the new form of women in the modern world. The

novelist provides much scope for further writing and future research to work on. The fictional world can be enriched by the continuation of writing in such way. The novelist also suggests that women should not passively tolerate every exploitation. They should fight for their rights.

Conclusion : Through this paper some inferences have been taken. The novelist Shashi Deshpande through her novels has made it very clear that there is an advance need of change in the mentality of people in this society. The respected place for women is compulsorily secured. Respect and affectionate treatment must be given to women. Education and career orientation can provide respected place and position to women. According to Shashi Deshpande women deserve equal rights and position inside the four walls and in society too. Marriage is a pious institution in which both husband and wife are shouldered similar part of responsibilities. Nobody is superior or inferior in both. Women are the base of the society. Without women, the family or society can never ever be imagined.

References:-

1. Altekar, A. S. *The Position of Women in Hindu Civilisation*. New Delhi: Motilal Banarasidas Publishers, 1991.
2. Atrey, Mukta and Vinay Kirpal. *Shashi Deshpande: A Feminist Study of Her Fiction*. Delhi: B. R. Publishing Corporation, 1998.
3. Pathak, R. S. *Recent Indian Fiction*. New Delhi: Prestige Books, 1994.
4. Pathak, R. S. *The Fiction of Shashi Deshpande*. New Delhi: Creative Books, 1998.
5. Prasad, Amarnath. *Indian Women Novelists in English*. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 2001.
6. Swain, S.P. *The Feminine Voice in Indian Fiction*. New Delhi: Asia Book Club, 2005.

Agenerelisationon Lipschitz Function for Sharper Estimates of Functions and Compare them by the Method of the Summability

Dalendra Kumar Bhatt*

*Assistant Professor, Govt. College, Anjad, Distt. Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - In this paper, which is introductory, contains a brief accounts of the existing results, which have inter connections with my investigations. In this paper author will estimations of the generalize the Lipschitz function for sharper estimates of functions and compare them by the method of the summability. The theory of approximation plays an important role in the development of Pure and Applied Mathematics, Mathematical Physics, Engineering and also in Human life. The most application of approximation are found in discussing the problems on Optimization, Functional Analysis etc.

Approximation theory: The obtained estimations are the best possible for classes of Lipschitz function. In Mathematics, a large number of branches and approximation theory is one of them. Approximation theory helps us to get best solution to our problem. The theory of approximation was initiated by well known result of Weirstrass in 1885. He shows that an approximation can be obtained between two comparable functions. In mathematics, approximation theory is concerned with how functions can best be approximated with simpler functions, and with quantitatively characterizing the errors introduced thereby. Note that what is meant by *best* and *simpler* will depend on the application. Approximation theory gives an idea for choosing suitable solution to the given problem.

Approximation problem : Approximation theory deal with the problem of whether a given function can be approximated in some given topology or norm by a prescribed set of function, having some noteworthy property. The problem of approximation of functions by polynomials,

Best approximation: For the best approximation we search for a function which has the least deviation from a given trigonometric polynomial in a prescribed norm is unique.

Fourier series: In Mathematics, a Fourier series decomposes periodic functions into the sum of an infinite set of simple oscillating functions, namely sines and cosines, we can also use complex exponential function in place of sine and cosine. The Fourier series plays an important role in the development in many such applications in Engineering, Analysis, Quantum Mechanics etc. The

Fourier series is named in honor of the great Mathematician Jean-Baptiste-Joseph Fourier (1768–1830), for his important contributions for the study of trigonometric series.

Summability: The theory of various types of summation process of infinite series have played a very vital role in the development of Pure and Applied Mathematics. There are basically two processes of summation which are in common use :

There are two basic processes from which all the Summability method can be derived.

(i) **T- process**

(ii) **Pi- process**

The most commonly used method of Summability is the methods are Cesaro Summability, Nörlund Summability, The generalized Nörlund Summability, Euler Summability, Matrix Summability and Riesz Summability etc.

Product summability methods: Products of summability methods essentially serve the same purpose in dealing with divergent series as summability methods. Now we introduce some product summability methods used in present paper.

Outcome in my investigations: Since the $Lip(\xi(t), r)$ Class is generalization of α , $Lip(\alpha, r)$ class. And If $\xi(t) = t^r$ then $Lip(\xi(t), r)$ class reduces to the $Lip(\alpha, r)$ class and if $r \rightarrow \infty$ then $Lip(\alpha, r)$ class reduces to the $Lip \alpha$ class. Therefore this reduces to generalize the previous theorems on Lipschitz function.

This deficiency has motivated to investigate degree of approximation of functions belonging to $Lip \alpha$ considering cases $0 < \alpha < 1$ and $\alpha = 1$ separately.

Considering these specific cases separately, he have obtained better and sharper estimate of Lipá, than all previously known results.

From the point of view of the applications, Sharper estimates of infinite matrices, are useful to get bounds for the lattice norms (which occur in solid state physics) of matrix valued functions, and enables to investigate perturbations of matrix valued functions and compare them. Therefore this research reduces to generalize the previous theorems on Lipschitz function.

Conclusion: The degree of approximation of function has been discussed by number of authors like Bernstein [1912], Alexits [1928], Chandra [1975], Holland and Sahney [1976] and Qureshi [1982] etc. But till now no work seems to have been done in the present work. In present paper, we established a new idea on the degree of approximation of function belonging to weighted class by $(C, 1) \wedge$ -summability means. In this paper, we present the foundations of summability which places various established results in approximation theory, summability theory, asymptotic analysis, information theory. Using Summability Calculus, any given finite sum of the form $|f(x) - S_n|$, where S_n is an arbitrary periodic sequence, becomes immediately in analytic form. Throughout the paper, many established results are strengthened such as approximation theorem. In addition, many celebrated theorems are extended and generalized such as the Regular Triangular Matrix - formula.

If In case $\beta=0$ the $W(L_r, \xi(t))$ class, reduces to the class $Lip(\xi(t), r)$ and the degree of approximation of a function $f \in Lip(\xi(t), r), \frac{1}{r} < \alpha < 1$ is given by

$$\|T_n - f(x)\|_r = O\left\{\xi\left(\frac{1}{n+1}\right)(n+1)^{\frac{1}{r}}\right\}.$$

If In case $\beta=0$ and $\xi(t) = t^\alpha, 0 < \alpha \leq 1$ then, the $W(L_r, \xi(t))$ class, reduces to the class $Lip(\alpha, r)$,

and the degree of approximation of function

$$f \in Lip(\alpha, r), \frac{1}{r} < \alpha < 1 \text{ is given by } \|T_n - f(x)\|_r = O\left\{\frac{1}{(n+1)^{\alpha-\frac{1}{r}}}\right\}.$$

If In case $\beta=0$ and $\xi(t) = t^\alpha, 0 < \alpha \leq 1$ and $r \rightarrow \infty$ then, the $W(L_r, \xi(t))$ class, reduces to the class $Lip \alpha$, and the degree of approximation of a function $f \in Lip \alpha, \frac{1}{r} < \alpha < 1$ is given by $\|T_n - f(x)\|_\infty = O\left\{\frac{1}{(n+1)^\alpha}\right\}.$

References:-

1. Alexits G.: Über die Annäherung einer stetigen Funktion durch die Cesaroschen Mittel ihrer Fourierreihe, (Math. Ann.) 264-277(1928).
2. Bernstein S.N.: Sur l'ordre de la meilleure approximation des fonctions continues par les polynomes de degré donné, Vol 4, (Mem. Cl. Sci. Acad. Roy. Belg.) 1-103(1912).
3. Chandra P.: On the degree of approximation of functions belonging to the Lipschitz class, Vol 8, (Nanta Math. Pub.) 88-91 (1975).
4. Hardy G.H.: Divergent series, (Oxford University Press, London) 1-70(1949).
5. Holland A.S.B. and Sahney B.N.: On the degree of approximation by (E, q) means, Vol 11, (Studia Sci. Math. Hung.) 431-435(1976).
6. Titchmarsh, E.C.: Theory of functions, Second Edition, Oxford University Press, London (1939).
7. Qureshi K.: On degree of approximation of a functions belonging to the class $Lip \alpha$, Vol 13, (Indian Jour. of pure and Appl. Math. India) 898-903(1982).
8. Töeplitz O.: Über allgemeine lineare Mittelbildungen, Vol 22, (Prace Mat., fiz) 113-119(1913).
9. Zygmund A.: Trigonometric series, Cambridge University Press, Cambridge (1959).

स्वतंत्रता संग्राम में भील क्रांतिकारियों का योगदान

डॉ. रणजीतसिंह मेवाड़े *

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – इस शोध पत्र को प्रकाशित करवाने का मुख्य उद्देश्य उन भील क्रांतिकारियों को इतिहास में दर्ज करवाना है जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेकर अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी किन्तु इतिहास में उनका वर्णन नगण्य दिखाई देता है जो कि न्यायोचित नहीं है। ऐसे ही अनेक गुमनाम स्वतंत्रता सैनानियों को इतिहास में उचित स्थान देकर उनका सम्मान करना ही हमारा उद्देश्य है। पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में भीमा नायक ख्याज्या नायक एवं कई स्वतंत्रता सैनानी हुए जिनके इतिहास का वर्णन इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

परिचय – विंध्याचल और सतपुड़ा की सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा और प्रवित्र नर्मदा की धारा से सिंचित निर्माण का यह क्षेत्र सदैव ही विदेशी शासकों द्वारा ललचायी निगाहों से देखा जा रहा था। इस क्षेत्र के घने वन व उपजाऊ माटी हर किसी को अपनी और स्वतः ही आकर्षित करती रही है। अंग्रेजों की नजर भी इस समृद्ध क्षेत्र पर थी। परिणाम स्वरूप यहां के स्वाभिमानी देश भक्त भिलों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष होना स्वाभाविक था।

1857 ई. की क्रांति की असफलता के बाद बड़वानी जिले के जिन महान भील क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का अद्भुत साहस एवं शक्ति के साथ सामना किया और देश के लिए बलीदान दिया उनका व्यक्तित्व जानना अत्यंत ही आवश्यक है। इन प्रमुख क्रांतिकारियों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों जान सकें इन प्रमुख क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से भीमा नायक, ख्वाज्या नायक एवं अनेक गुमनाम देश भक्त व्यक्तियों के नाम भी सम्मिलित हैं।

स्वतंत्रता संग्राम में भील क्रांतिकारियों का योगदान

भीमा नायक – भारत में स्वाधीनता संघर्ष का अंकुर मुख्य रूप से वनों और पर्वतों के पीछे रहने वाले वनवासियों के बीच से अंकुरित हुआ। इन वनवासियों के मन में अपनी माटी के प्रति संमर्पण की अटुट भावना थी। स्वाधीनता संघर्ष और जनजातीय चेतना का ऐसा ही प्रस्फुटन भील जननायक भीमा नायक के रूप में हुआ। मध्यप्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में इस नायक ने 1840 ई. से 1864 ई. तक अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों की क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया। तात्याटोपे से प्रेरित होकर इस नायक ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी शासन की जड़े हिला दी।

भीमा नायक जिसके नाम से ब्रिटिश सेना के हौसले पस्त हो जाते थे। यह एक प्रभावशाली तथा देश प्रेमी आदिवासी वीर योद्धा था, जो बड़वानी राज्य के भीलों का वंशानुगत प्रतिनिधित्व करता था। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में बसे हुए छोटे-छोटे कस्बों में इसका साम्राज्य चलता था। समस्त जनजातीय

समाज उनसे प्रभावित होने के साथ – साथ उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे।

पश्चिम मध्य भारत के भील वनवासियों का नेतृत्व करने वाला भीमा नायक बड़वानी रियासत के पंच मोहली गांव का रहने वाला था। जहां पर लगभग 1815 ई. के आसपास इस क्रांतिकारी वीर योद्धा का जन्म हुआ था। 10 वर्ष की आयु में इस नन्हे बालक भीमा ने तीर, कमान, और गोफन चलाने में दक्षता हासिल की भीमा के क्रांतिकारी बनने में परिवार के मुखिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भीमा के पिता रामा ने उन्हें हथियार चलाना सिखाया मां सुरसी ने बेटे के हर क्रांतिकारी मोर्चे पर साथ दिया। अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों से मुक्ति के लिये भीमा ने 1837 ई. में एक सैनिक टुकड़ी बनाई और उन्हें हथियार चलाने का पुरा प्रशिक्षण दिया मात्र एक वर्ष में उसके पास लगभग 500 सैनिक हो गए थे। भीमा की सेना में भील, भीलाला, बारेली एवं मकरानी सैनिक भी सम्मिलित थे। भीमा नायक का कार्य क्षेत्र बड़वानी रियासत से लेकर महाराष्ट्र के खानदेश तक रहा है।

1857 की क्रांति प्रारंभ होने पर भीमा ने आदिवासीयों को अंग्रेजी सेना से लड़ने के लिये तैयार किया। बड़वानी के निकट स्थित धाबाबावड़ी के समीप पहाड़ी पर निर्मित गढ़ी के पास भीमा ने अपने भील क्रांतिकारी साथियों को गुरिल्ला एवं छापामार युद्ध प्रणाली का प्रशिक्षण दिया ताकि समय आने पर अंग्रेजों को मात दे सकें। अंग्रेज अधिकारी केप्टन किटिंग के नेतृत्व में धाबाबावड़ी के पास अंग्रेजों ने धावा बोल दिया। भीमा ने अपने साथियों के साथ सम्पूर्ण शक्ति व साहस से उनका सामना किया तथा उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया इसके पश्चात् भीमा अपने गांव पंचमोहली में भी अंग्रेजों से भीड़ा वहा पर भी अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाये। अंग्रेजों से हुए भीषण संग्राम में भीमा के कई साथी शहीद हो गए। कई साथी गिरफ्तार हो गए।

भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाईयाँ हुई उनमें मुख्य रूप से 24 अगस्त 1857 को पंच सावल की लड़ाई 11 अप्रैल 1858 को अम्बापानी की लड़ाई 04 फरवरी 1859 को धाबाबावड़ी की लड़ाई 09 फरवरी 1859 को पंचबावली (रामगढ़) की लड़ाई अंग्रेजों के साथ लड़ी। इनमें मुख्य रूप से अम्बापानी की लड़ाई 1858 विशेष मानी जाती है। इस लड़ाई में भीमा नायक और उनके साथियों ने कई अंग्रेज सैनिकों को मोत के घाट उतार दिया था।

इसी बीच भीमा को धोखा देकर उन्हें कैद कर लिया गया था लेकिन वह वहाँ से चकमा देकर भाग निकला। इसके पश्चात् भी भीमा ने क्रांतिकारी गतिविधियाँ निरन्तर जारी रखी। जब अंग्रेज उन्हें पकड़ने में असफल रहे।

तब अंग्रेजों ने षडयंत्र रचा और गद्दार मित्र की सूचना पर भीमा को कैद कर लिया गया। कुछ समय उन्हें महेश्वर जेल में रखा गया। उसके पश्चात् उन्हें अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में कालापानी की सजा दी गई। वहीं पर 29 दिसम्बर 1876 ई. को बीमारी से पीड़ित होने पर शरीर में रक्त की कमी होने से भीमा ने अपने जीवन की अंतिम साँस ली। इस तरह से मात्र भूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस महानायक से प्रेरित होकर अनेक भील नायक आए और वनवासीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता की अलख जगाते रहे। उनमें मुख्य रूप से ख्वाज्या नायक भी रहे।

ख्वाज्या नायक – ख्वाज्या नायक भी भीमा नायक की तरह एक शौर्यशाली क्रांतिकारी हुए इसी कारण मराठों ने उन्हें चौकीदारी सौंपी और यात्रियों के कारवा की सुरक्षा के बदले चुंगीकर वसूल करने का अधिकार भी दिया। 1818 के बाद भील क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेज अधिकारियों ने विभिन्न भील नायकों को बुलाकर उनसे समझौता करना चाहा लेकिन भील नायकों को सरकारी पद चौकीदारी तथा वजीफा देने की अंग्रेजों की नीति विफल रही। खानदेश भील कोर के गठन करने के बाद अंग्रेजों ने भीलों को बरगलाने की तमाम चेष्टाएं की उन्हें आपस में लड़वाने की कुट नीति अपनाई। किन्तु 1857 तक आते-आते भील अपना व अपनी मातृभूमि का हित समझ चुके थे। उन्होंने पुरे दम-खम के साथ अंग्रेजों का विरोध करते हुए संघर्ष किया।

ख्वाज्या नायक सेंधवा घाट के वार्डन गुमान नायक के पुत्र थे। 1833 ई. में गुमान नायक की मृत्यु के बाद ख्वाज्या नायक को सेंधवा घाट का वार्डन बनाया गया। उस इलाके में केप्टन मारिस ने विद्रोहियों के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा था। उसमें ख्वाज्या नायक ने काफी सहयोग दिया जिसके बदले में ख्वाज्या नायक को 100 रु. का ईनाम मिला था। कुछ समय बाद ख्वाज्या नायक को निलंबित कर दिया गया जिससे नाराज होकर ख्वाज्या नायक ने 200 क्रांतिकारियों के साथ एक दल का गठन किया था।

एक अंग्रेज की हत्या के आरोप में अंग्रेजी सरकार ने उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई। लेकिन उनके कुशल व्यवहार के कारण उनकी 5 वर्ष की सजा माफ कर दी गई। सजा पूरी करने के पश्चात् जब ख्वाज्या नायक वापस आये तब उन्होंने धाबाबावड़ी और अम्बापानी के बीच अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। ख्वाज्या नायक ने संपूर्ण साहस व ताकत से अंग्रेजों का मुकाबला

किया। लेकिन कम सैनिक शक्ति होने की वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा। इस युद्ध में ख्वाज्या नायक के कई साथी बंदी बना लिये गये। और कुछ सैनिकों को मार दिया गया। अन्ततः ख्वाज्या नायक वहां भाग निकला और फिरंगियों की लाख कोशिशों के बावजूद भी जब ख्वाज्या नायक पकड़े नहीं गये तो अंग्रेज अधिकारियों ने एक साजिश रचि और सादे वेश में अपने गुप्तचर रोहिदीन नामक एक मकरानी जमादार को ख्वाज्या के पास नौकरी की तलाश में भेजा गया। उसने कुरान की शपथ लेकर वफादारी का वादा किया। किन्तु गद्दारी करके उसने ख्वाज्या की जान ले ली। 3 अक्टूबर 1860 ई. को ख्वाज्या नायक स्नान उपरांत सूर्य की ओर मुंह करके जल चढ़ा रहे थे। तभी रोहिदीन ने पीछे से गोली मार कर ख्वाज्या नायक की हत्या कर दी। रोहिदीन को इस कार्य के लिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जमादार बना दिया।

उपसंहार – भीमा नायक एवं ख्वाज्या नायक जैसे महान क्रांतिकारियों के पश्चात् भी अन्य भील क्रांतिकारियों ने संघर्ष जारी रखा एवं स्वतंत्रता की मषाल को प्रज्वलित रखकर आने वाली पीड़ियों को स्वतंत्र भारत का संदेश दिया। अंततः विवश होकर भील योद्धाओं की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली एवं पर्वतीय क्षेत्र प्रभावित होकर अंग्रेजों को यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा जिसका श्रेय समस्त भील जनजातीय योद्धाओं को दिया जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. डॉ. स्मार्डल अली बेग, 'पश्चिमी निमाइ में स्वतंत्रता आन्दोलन', शोध पुस्तक 2007
2. गुप्त विश्व प्रकाश गुप्ता, 'भारत का स्वतंत्रता संग्राम', राधा कृष्णा पब्लिकेशन 2007
3. यादव, डॉ. शिवनारायण, '1857 स्वाधिनता संग्राम में जनजातीय बलिदान', स्वराज संस्थान संचालन भोपाल 2008
4. यादव, डॉ. शिवनारायण, 'निमाइ का योद्धा भीमा नायक', शोध पुस्तक
5. अलावा, डॉ. एस. के., 'निमाइ का स्वाधिनता संग्राम और आदिवासी', शोध ग्रन्थ विश्वविद्यालय उज्जैन।
6. नागौरी, एस. एल. नागौरी जितेश, 'भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के क्रांतिकारी', पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर 2008

मान सिंचाई परियोजना द्वारा कृषि विकास

राजेश मुजाल्दा *

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महात्मा गाँधी महाविद्यालय, जावद, जिला नीमच (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - मान सिंचाई परियोजना का निर्माण धार जिले की गंधवानी तहसील के अंतर्गत ग्राम जीराबाद से 2 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में नर्मदा नदी की सहायक मान नदी पर स्थित है। यह मनावर शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में विद्यमान है। यह योजना भारत सरकार द्वारा घोषित सूखा उन्मुख क्षेत्र में वर्ष 1985 - 1986 में कार्य प्रारंभ हुआ और वर्ष 2006 में इसका कार्य पूर्ण हुआ यह बाँध 53 मीटर ऊँचा एवं 643 मीटर लम्बा एक कम्बोजित ग्रेविटी बाँध है। मान बाँध में 2 मुख्य नहर कृषि सिंचाई हेतु निकाली गयी है। जिसमें दायी तट पर नहर के 34 गाँवों में 10566 हेक्टेयर भूमि व बायी तट नहर के 19 गाँवों में 4434 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में सिंचित हो रही है इसी प्रकार मनावर व गंधवानी दो तहसीलों के 53 गाँवों में कुल 15000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। साथ ही इस परियोजना से 2 तहसीलों के 7851 परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है जिसमें 167 परिवार अनुसूचित जाति, 6878 अनुसूचित जनजाति एवं 806 सामान्य परिवार हैं यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का 87 प्रतिशत है सत्र 2009 के मूल्य स्तर पर बाँध की लागत 246,03 करोड़ रुपये है।

परियोजना के उद्देश्य :

1. कृषि सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना।
2. भू - जल स्तर में वृद्धि करना।
3. कृषकों के जीवन स्तर में वृद्धि करना।
4. पर्यावरण में सुधार करना।

मान सिंचाई परियोजना के सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम - मध्यप्रदेश राज्य में कृषि को प्रभावी बनाने के लिए शासन ने वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना बनाई हैं परन्तु उसका प्रभावशाली परिणाम प्राप्त नहीं हुआ इसका मुख्य कारण शासन के द्वारा डेम व नहरें बनाने का कार्य किया गया परन्तु नहरों के माध्यम से जल वितरण के कार्य में समस्या उत्पन्न हुई हैं जिससे अंतिम छोर के किसानों तक पानी नहीं पहुँच पाता है क्योंकि इसमें किसानों की भागीदारी भी नहीं थी। सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम लागू कर किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कृषक संगठन अधिनियम की स्थापना सन् 1999 में मध्य प्रदेश राज्य में की गई। क्योंकि पानी के वितरण की भागीदारी नहीं होगी तब तक इन सिंचाई परियोजनाओं को अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचाया जा सकता है।

सहयोगी संस्थाओं का परिचय

1. **नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण** - मध्य प्रदेश में मुख्यतः भारत की 10 नदियों के कछारों का क्षेत्र आता है जिसमें नर्मदा नदी का कछार राज्य में

सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश शासन ने नर्मदा नदी से अधिकतम सिंचाई करने के उद्देश्य से एक पृथक निकाई नर्मदा नदी 'नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण' का गठन किया। जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण करना, सिंचाई क्षेत्र का विकास करना एवं जल ग्रहण क्षेत्र का उपचार करना है।

2. मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना - मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश का एक उपक्रम जो आदिवासी बाहुल जिलों में संवहनीय आजीविका में बढ़ोत्तरी के लिए प्रयासरत है जिसके अंतर्गत मान सिंचाई परियोजना में सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित किसानों की संवहनीय आजीविका में बढ़ोत्तरी के लिए मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना वित्तीय सहयोग प्रदान कर रही है।

3. डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर - डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर मान सिंचाई परियोजना में 'तकनीकी सहायता संस्था' के रूप में दिसम्बर 2008 से परियोजना क्षेत्र में सेवाएँ प्रदान कर रही है मान परियोजना की 10 जल उपभोक्ता संस्थाओं के अंतर्गत लाभान्वित किसानों के साथ प्रत्यक्ष रूप से 'सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम' में सेवाएँ दे रही है यह स्वयं सेवी संस्था गुजरात राज्य से सम्बन्धित है।

4. जल उपभोक्ता संस्था - मान सिंचाई परियोजना में अप्रैल 2008 में कृषक संगठन अधिनियम 1999 के अनुसार चुनाव के आधार पर 10 जल उपभोक्ता संस्थाओं के साथ 64 टी.सी सदस्यों का चुनाव किया गया है। जल उपभोक्ता संस्थाओं के गठन का मुख्य उद्देश्य सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम को मैदानी स्तर पर लागू करना है, साथ ही किसानों के मन में नहरों के प्रति अपनत्व की भावना जागृत करना है।

तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखें)

कृषक संगठन - प्राथमिक स्तर के संगठन को जल उपभोक्ता संस्था नाम दिया गया है सिंचाई जल का उपयोग करने वाले कमाण्ड क्षेत्र के सभी वैद्य पट्टेदार/बटाईदार कृषक इसके सदस्य रहेंगे। एवं इनको मत देने का अधिकार है सिंचाई के अलावा जल के अन्य उपयोगकर्ता भी सदस्य रहेंगे। किन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। प्रत्येक जल उपभोक्ता को कम से कम 4 एवं अधिकतम 10 क्षेत्रों में बाटा गया है। एवं प्रत्येक क्षेत्र से चुनाव द्वारा एक प्रतिनिधि चुनकर जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंधन समिति में प्रतिनिधित्व भेजा जाता है। इसके साथ ही सभी सदस्य जल उपभोक्ता संस्था का अध्यक्ष चुनते हैं।

कृषकों के संगठन में उपसमितियों का गठन – कृषकों के संगठन की प्रबंधन समिति अधिनियम के अंतर्गत समस्त कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए निम्न उपसमितियों के गठन कर सकेगी।

1. जल वितरण उपसमिति।
2. न्याय उपसमिति (नहर विवाद व अपराध निराकरण)
3. संसाधन वित्तीय संपरिक्षा व सामाजिक संपरिक्षा उपसमिति।
4. क्रय उपसमिति।
5. कृषि कार्य सहभागिता उपसमिति।
6. महिला सहभागिता उपसमिति।
7. सिंचाई राजस्व वसूली सहयोग उपसमिति।

कृषि सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि – मान सिंचाई परियोजना के द्वारा सत्र 2005 – 07 तक मनावर व गंधवानी दोनों ही तहसीलों के 53 गाँवों की 15000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सूखा उन्मुख क्षेत्र से घेसित थी। लेकिन सत्र 2008 में मान सिंचाई परियोजना के द्वारा 15000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सूखा उन्मुख क्षेत्र में पानी पहुँचने से यह सूखा उन्मुख क्षेत्र में सिंचाई हो रही है साथ ही मानव व जीव – जन्तुओं को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो रहा है और भूमि में पानी का लेवल भी सुधार हुआ है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि – कृषि सिंचाई में क्षेत्रफल में वृद्धि होने के साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। सत्र 2008 के आरंभ में 2 एकड़ कृषि भूमि पर कपास का उत्पादन लगभग 15 किंटल था वहीं गेहूँ का उत्पादन लगभग 20 किंटल था इस प्रकार कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी।

समस्या – इस क्षेत्र में कृषकों की प्रमुख समस्या निम्न है – कृषकों को समय पर पानी उपलब्ध न होना, छोटी नहरों का सीमेंटीकरण सही ढंग से न हो पाना, मुख्य नहर के समीप खेतों में पानी भर जाना जिससे फसलें नष्ट हो जाती है। और नहरों का समय – समय पर साफ – सफाई न होना, पानी

का सही समय पर वितरण न हो पाना, नहरों का पानी नालों में व्यर्थ में बहना, कृषि उत्पादन कमी होना, कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिलना आदि यहाँ के कृषकों की प्रमुख समस्या है।

समाधान – मान सिंचाई परियोजना की समस्याओं के समाधान हेतु जल वितरण उपसमिति, न्याय उपसमिति, कृषि कार्य सम्बन्धित उपसमिति आदि कृषक संगठन की सभी समितियों को अपने – अपने कार्य क्षेत्र का समय – समय पर क्रियान्वयन करना चाहिए ताकि भारत सरकार को इनका सहयोग मिले। कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषि की नवीन तकनीकी की जानकारी प्रदान करना, नहरों का समय – समय पर साफ – सफाई करना, नहरों की टूट – फुट का मरम्मत एवं कच्ची नहरों की सीमेंटीकरण करना ताकि अंतिम छोर के किसानों को आसानी से पानी मिल सके। नहरों का पानी नालों में व्यर्थ बहने से रोकना, कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार जल के वितरण का कार्य समय पर करना, बड़ी नहरों के पास वाले खेतों में पानी जमा होने पर उसकी निकासी का प्रबंधन करना आदि कृषक संगठन की सभी उपसमितियों, सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रमों और भारत व मध्यप्रदेश सरकार को इन बिन्दुओं पर ध्यान देने की जरूरत है यदि सभी बिन्दुओं का समाधान हो जाने पर क्षेत्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे कृषकों की आय भी बढ़ेगी और आय बढ़ने से उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। साथ रोजगार के नये अवसरों का भी सृजन होगा और राज्य सरकार की आय में भी वृद्धि होने के साथ ही साथ भारत की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जन संपर्क विभाग मध्यप्रदेश
2. www.narmdacontrolauthority.com नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण।

तालिका 1 – मान सिंचाई परियोजना की जल उपभोक्ता संस्थाओं का वितरण

क्र.	जल उपभोक्ता संस्था	विस्तार क्षेत्र	मुख्य नहर का नाम	अध्यक्ष का नाम	टी. सी सदस्य
1	बोरलाई	1778 हे.	बायी तट मुख्य नहर	श्रीगुलाबसिंह मेहता	08
2	टेमरिया	1433 हे.	बायी तट मुख्य नहर	श्री बण्डिया जामसिंह	06
3	टोंकी	1223 हे.	बायी तट मुख्य नहर	श्रीकमल जैन	05
4	अवलदामान	1108 हे.	दायी तट मुख्य नहर	श्री भुवानसिंह	06
5	लुन्हेरा	1499 हे.	दायी तट मुख्य नहर	श्री सोमला बाबा	05
6	बालीपुर	1190 हे.	दायी तट मुख्य नहर	श्री जगदीश देवड़ा	05
7	खड़की	1401 हे.	दायी तट मुख्य नहर	श्री ध्यानसिंह	06
8	पानवा	1605 हे.	दायी तट मुख्य नहर	श्री नन्थूसिंह पटेल	07
9	कलवानी	1962 हे.	दायी तट मुख्य नहर	श्री कैलाश पाटीदार	08
10	पिपली	1801 हे.	दायी तट मुख्य नहर	श्री मोहनलाल पंवार	08
	कुल योग	15000 हे.			64

स्रोत- जल उपभोक्ता संस्था सन् 2008

DNA Damage and Repair

Madhubala Rathore*

*Assistant Professor (Zoology) Govt. College, Chourai, Chhindwara (M.P.) INDIA

Abstract - All cells' genomes are constantly protected by methods referred to as DNA repair activity (DRA). Such activity is especially critical during the start of human life, i.e. upon fertilisation, as well as shortly after and at the start of embryonic development. DNA is constantly damaged, and the cell has a variety of strategies for dealing with it. DNA Damage can happen at any moment and in any chromosomal region. Despite the fact that mutations or defects in repair can have disastrous repercussions, resulting in a variety of human diseases, mutations are essential to life and evolution. DNA structural alterations have a significant impact on its functions, such as replication and transcription, and are linked to age-related illnesses and cancer. Apoptosis or reactive oxygen species (ROS) are responsible for the majority of DNA damage.

Introduction - DNA damage is characterized by an abnormal chemical structure in DNA. A change in the sequence of base pairs is referred to as a mutation. Damage to the DNA causes changes in the structure of the genetic material, preventing the replication mechanism from functioning and performing correctly. The biological consequences of DNA damage and mutation are different to each other. Whereas most DNA damages can be repaired, such repair is not always effective. Unrepaired DNA damage accumulates in non-replicating cells, such as cells in adult mammals' brains or muscles, and can cause ageing. Errors occur during replication past damages in the DNA template strand or during repair of DNA damages in replicating cells, such as cells lining the colon. These errors can result in mutations or epigenetic changes. The cell is more at risk to DNA damage during S phase than at any other point in the cell cycle. The G2 checkpoint examines damaged DNA and also the completion of DNA replication. A DNA damage is a change in the chemical structure of DNA, such as a break in a strand of DNA, a base missing from the backbone of DNA, or a chemically changed base like 8-OHdG. Damage to DNA can occur naturally or as a result of environmental factors. The DNA damage response (DDR) is a complex signal transduction pathway that detects DNA damage and initiates the cellular response. Naturally occurring DNA damage can be caused by metabolic or hydrolytic processes. Metabolism generates DNA-damaging compounds such as reactive oxygen species (ROS), reactive nitrogen species, reactive carbonyl species, lipid peroxidation products, and alkylating agents, whereas hydrolysis breaks down chemical bonds in DNA.

Damaged DNA repair

Base excision repair: In base excision repair, it removes damage that found at a single nitrogenous base level. Excision is performed near the damage site after particular lesions in the DNA are identified.

Nucleotide excision repair: UV light causes DNA damage, including the creation of pyrimidine dimers such as thymine dimers. Nucleotide excision repair is used to repair these forms of "bulky" damages of DNA.

DNA mismatch repair: During DNA replication, base substitution mismatches and insertion or deletion mismatches of G/T or A/C pairing are generated.

Double-strand breaks (DSBs) repair: Double-strand breaks in the cell cycle's mid-S or mid-G2 phases. It causes chromosomal instability and unsuccessful rearrangements, double-strand breakage is likely the most common type of DNA damage. Two sub-pathways accomplish DSB repair. NHEJ and homologous recombination are two types of non-homologous end joining (HR). The relative relevance of these routes is variable. HR is active in the late stages of the cell cycle (S/G2), when sister chromatids are available as a template for repair but NHEJ is active throughout the cell cycle. As a result, the cell cycle phase largely dictates the sort of repair mechanism that is active. When replication fails or is blocked (replication fork or replication block), HR appears to be the most active system in mammalian cells. DNA replication will be hampered by persistent lesions that are not cleared by any of the repair mechanisms. Lesion-stalled replication forks can result in extremely cytotoxic DSBs, necessitating immediate action. At least two strategies for coping with DNA damage have evolved: TLS and recombination-dependent daughter-strand gap repair (DSGR) are two types of translesion synthesis.

Cell cycle pause for DNA repair: Cell cycle checkpoints may be engaged after fast chromatin remodeling to allow for DNA repair before the cell cycle continues. Within 5 to 6 minutes after DNA damage, two kinases, ATM and ATR, are active. After then, roughly 10 minutes after DNA damage, the cell cycle checkpoint protein Chk1 is phosphorylated, allowing it to begin its activity.

Role of p53 in DNA damage repair: Cell death or irreversible cell cycle arrest can result from p53 activation. Certain repair mechanisms, such as NER, can be activated by p53. Both bax, a proapoptotic protein, and p21, a CDK inhibitor, are transcription factors for p53. Cell cycle arrest is caused by CDK inhibitors. When a cell is arrested, it has time to repair the damage; if the damage is irreversible, p53 recruits Bax to trigger apoptosis.

Conclusion: When compared to external DNA damage, endogenous DNA damage occurs more frequently. The high prevalence of endogenous DNA damage corresponds to very efficient DNA damage repair, which is required for cell survival. BER, O6-methylguanine DNA methyltransferase (MGMT), and mismatch repair fix most endogenous DNA damage. Single-strand breaks increase with age in the brain, and single-strand breaks are the most common steady-state DNA damages in the brain. These accumulated single-strand breaks are likely to prevent gene transcription.

References:-

1. Arnaudeau, Catherine, Cecilia Lundin, and Thomas Helleday. "DNA double-strand breaks associated with replication forks are predominantly repaired by homologous recombination involving an exchange mechanism in mammalian cells." *Journal of molecular biology* 307.5 (2001): 1235-1245.
2. Bernstein, Carol, et al. "Field defects in progression to gastrointestinal tract cancers." *Cancer letters* 260.1-2 (2008): 1-10.
3. Brasnjevic, Ivona, et al. "Accumulation of nuclear DNA damage or neuron loss: molecular basis for a new approach to understanding selective neuronal vulnerability in neurodegenerative diseases." *DNA repair* 7.7 (2008): 1087-1097.
4. Ceccaldi, Raphael, Beatrice Rondinelli, and Alan D. D'Andrea. "Repair pathway choices and consequences at the double-strand break." *Trends in cell biology* 26.1 (2016): 52-64.
5. Ciccio, Alberto, and Stephen J. Elledge. "The DNA damage response: making it safe to play with knives." *Molecular cell* 40.2 (2010): 179-204.
6. De Bont, Rinne, and Nik Van Larebeke. "Endogenous DNA damage in humans: a review of quantitative data." *Mutagenesis* 19.3 (2004): 169-185.
7. Freitas, Alex A., and João Pedro De Magalhães. "A review and appraisal of the DNA damage theory of ageing." *Mutation Research/Reviews in Mutation Research* 728.1-2 (2011): 12-22.
8. Giglia-Mari, Giuseppina, Angelika Zotter, and Wim Vermeulen. "DNA damage response." *Cold Spring Harbor perspectives in biology* 3.1 (2011): a000745.
9. Hoeijmakers, Jan HJ. "DNA damage, aging, and cancer." *New England Journal of Medicine* 361.15 (2009): 1475-1485.
10. Jackson, Aimee L., and Lawrence A. Loeb. "The contribution of endogenous sources of DNA damage to the multiple mutations in cancer." *Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis* 477.1-2 (2001): 7-21.
11. Jazayeri, Ali, et al. "ATM- and cell cycle-dependent regulation of ATR in response to DNA double-strand breaks." *Nature cell biology* 8.1 (2006): 37-45.
12. Köhler, Kerstin, et al. "Regulation of the Initiation of DNA Replication upon DNA Damage in Eukaryotes." *The Initiation of DNA Replication in Eukaryotes*. Springer, Cham, 2016. 443-460.
13. Krokan, Hans E., and Magnar Bjørås. "Base excision repair." *Cold Spring Harbor perspectives in biology* 5.4 (2013): a012583.
14. Kunkel, Thomas A., and Dorothy A. Erie. "DNA mismatch repair." *Annu. Rev. Biochem.* 74 (2005): 681-710.
15. Li, Ziqiang, et al. "Identification of a protein essential for a major pathway used by human cells to avoid UV-induced DNA damage." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 99.7 (2002): 4459-4464.
16. Luijsterburg, Martijn S., et al. "Dynamic in vivo interaction of DDB2 E3 ubiquitin ligase with UV-damaged DNA is independent of damage-recognition protein XPC." *Journal of cell science* 120.15 (2007): 2706-2716.
17. Ochs, Kirsten, et al. "Cells deficient in DNA polymerase β are hypersensitive to alkylating agent-induced apoptosis and chromosomal breakage." *Cancer research* 59.7 (1999): 1544-1551.
18. O'Hagan, Heather M., Helai P. Mohammad, and Stephen B. Baylin. "Double strand breaks can initiate gene silencing and SIRT1-dependent onset of DNA methylation in an exogenous promoter CpG island." *PLoS genetics* 4.8 (2008): e1000155.
19. Pegg, Anthony E., M. Eileen Dolan, and Robert C. Moschel. "Structure, function, and inhibition of O6-alkylguanine-DNA alkyltransferase." *Progress in nucleic acid research and molecular biology* 51 (1995): 167-223.
20. Prolla, Tomas A. "DNA mismatch repair and cancer." *Current opinion in cell biology* 10.3 (1998): 311-316.
21. Rothkamm, Kai, et al. "Pathways of DNA double-strand break repair during the mammalian cell cycle." *Molecular and cellular biology* 23.16 (2003): 5706-5715.
22. Scully, Ralph, Nadine Puget, and Katerina Vlasakova. "DNA polymerase stalling, sister chromatid recombina-

- nation and the BRCA genes." *Oncogene* 19.53 (2000): 6176-6183.
23. Seeberg, Erling, Lars Eide, and Magnar Bjørås. "The base excision repair pathway." *Trends in biochemical sciences* 20.10 (1995): 391-397.
24. Wood, Richard D. "DNA repair in eukaryotes." *Annual review of biochemistry* 65.1 (1996): 135-167.

ग्रामीण पर्यटन में चुनौतियाँ एवं समाधान, पातालकोट के विशेष संदर्भ में

श्रीमती अर्चना साने *

* सहायक प्राध्यापक, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जबलपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – पर्यटन एक मानवीय क्रियाकलाप होने के नाते आर्थिक महत्व का विषय तो है ही प्रत्येक सामाजिक क्रियाकलाप के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञानवर्धन तथा भावनात्मक एकता के लिये पर्यटन का प्राचीन काल से ही एक विशिष्ट स्थान रहा है। लोगों के रहन-सहन, तौर-तरीके, उनकी संस्कृति एवं खान-पान संबंधी अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्ति केवल पर्यटन द्वारा ही हो सकती है। इसी कारण पर्यटन से होने वाले लाभों की ओर आकृष्ट होकर अधिकांश देशों ने पर्यटन विकास कार्यों को प्रारंभ किया है। अनेक अल्प विकसित देशों को, जिनके पास अच्छी जलवायु, बालू के तट तथा विदेशी संस्कृति के अतिरिक्त अन्य कोई पर्यटन संसाधन नहीं हैं, पर्यटन के द्वारा विदेशी व्यापार में पर्यटन एक बड़ा क्षेत्र है। पर्यटन सम्पत्ति तथा रोजगार उत्पन्न करने के अवसर भी उपलब्ध कराता है। अनेक देशों में पर्यटन महत्वपूर्ण निर्यात एवं विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रमुख साधन बन चुका है। उक्त आशय से देखा जाए तो वर्तमान समय में पर्यटन सम्पूर्ण विश्व में एक बड़े एवं अर्जनशील उद्योग के रूप में सामने आया है। पर्यटन से आज विश्व को लगभग 30000 करोड़ की आय हो रही है।

ग्रामीण पर्यटन की मूल अवधारणा उद्यमशीलता के अवसरों, आय सृजन, रोजगार के अवसरों, ग्रामीण कला और शिल्प के संरक्षण और विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण और विरासत के संरक्षण के लिए निवेश के माध्यम से स्थानीय समुदाय को लाभान्वित करना है। ग्रामीण पर्यटन विभिन्न समाजों, धर्मों, बोलियों और जीवन के तरीकों के व्यक्तियों को एक-दूसरे के निकट लाएगा और यह जीवन का अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। यह न केवल सामान्य आबादी के लिए व्यवसाय का उत्पादन करेगा बल्कि यह सामाजिक, सामाजिक और शिक्षाप्रद गुणों का भी निर्माण कर सकता है। एशिया में, विशेष रूप से भारत में, ग्रामीण पर्यटन अपनी वर्तमान संरचना में मामूली रूप से नया है। ग्रामीण पर्यटन के लिए ग्रामीण वित्तीय सुधार में एक उल्लेखनीय शक्ति होने की संभावना को कम करने के लिए अभी तक बिना किसी सीमा के स्वीकार किया जाना बाकी है। ग्रामीण विकास के लिए एक पद्धति के रूप में पर्यटन विकास क्षमता से निपटा जा सकता है। ग्रामीण पर्यटन के विचार के ईर्द-गिर्द एक ठोस मंच का सुधार निश्चित रूप से भारत जैसे राष्ट्र के लिए मददगार है, जहाँ लगभग 74% आबादी अपने 7 मिलियन गाँवों में रहती है। ग्रामीण पर्यटन उन कुछ मुठ्ठी भर अभ्यासों में से एक है जो इन मुद्दों का उत्तर दे सकता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न चर हैं जो ग्रामीण पर्यटन के प्रति पैटर्न

को आगे बढ़ा रहे हैं जैसे कि दिमागीपन के स्तर का विस्तार, विरासत और संस्कृति के लिए उत्साह विकसित करना और उपलब्धता में वृद्धि, और प्राकृतिक जागरूकता। सृजित राष्ट्रों में, इसने पर्यटन की एक और शैली को जन्म दिया है, जिसमें गाँव की सेटिंग में जाकर एक आकर्षक और ठोस जीवन शैली का सामना करना और आगे बढ़ना है। सतपुड़ा की हरी वादियों के दृश्यों के साथ सुबह की हवा को महसूस करने या पृथ्वी की गहराई में सूरज को डूबते हुए देखने की कल्पना करना कितना अच्छा लगता है जिसमें आप रोजमर्रा के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में पातालकोट एक ऐसा ही स्थान है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित पातालकोट तामिया से 23 किमी दूर है। पातालकोट घने जंगल से घिरा हुआ है और ग्रेनाइट की दीवारों और बलुआ पत्थर की चट्टान से घिरा हुआ है। यह प्राकृतिक खजाने की एक आकर्षक दुनिया है और इस घाटी की यात्रा पर आप अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता सकते हैं। घने और गहरे, पातालकोट ऊपर से देखने पर घोंघे की नाल की तरह दिखता है।

पातालकोट – छिंदवाड़ा जिले की तामिया घाटी में पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अपनी यात्रा कार्यक्रम तैयार करने में आपकी मदद करने के लिए, यहां उन चीजों की सूची दी गई है जो आप पातालकोट में कर सकते हैं। 'सतपुरा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल' नामक एक वार्षिक उत्सव अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाता है। आप पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, ट्रेकिंग, बर्ड वॉचिंग और वाटर स्पोर्ट्स जैसी साहसिक गतिविधियों का रोमांचकारी अनुभव ले सकते हैं।

पातालकोट में लंबी पैदल यात्रा और ट्रेकिंग निश्चित रूप से आपके शरीर और दिमाग को फिर से जीवंत कर देगी। दुधी नदी पर नदी के किनारे ट्रेकिंग, कैपिंग और रिवर राफ्टिंग का आनंद लेने के बारे में या संकीर्ण पहाड़ी रास्ते से पगडंडी पर चलने के बारे में जो आपको घने आम के बाग की ओर ले जाता है। यह निशान पातालकोट के छिपे हुए आकर्षण राजा खो और जिंगरिया जलप्रपात को भी प्रदर्शित करता है।

तामिया – पातालकोट दर्शन आपको उस जगह और उसके लोगों का समग्र भ्रमण कराएगा। मोटल तामिया एंड ट्राइबरकेप की एक पहल, शहरी इलाकों के पर्यटकों को आदिवासी जीवन का एक नजदीकी रूप प्रदान करती है। तामिया – पातालकोट दर्शन की यूएसपी 'आदिवासी बातचीत' और 'पातालकोट की रसोई', एक आदिवासी भोजन दावत है। खेत-ताजी सब्जियों से आदिवासियों द्वारा पकाए गए आदिवासी भोजन पर बात करने

में और क्या मजा आ सकता है। पहाड़ी पर नाश्ता और सनसेट पॉइंट पर हाई-टी चाय भी आपको देखने लायक जगह देगी।

समृद्ध वनस्पतियों का खजाना, पातालकोट गोंड और भारिया के आदिवासी समुदायों का निवास स्थान है, जो वन पौधों के गूदे और अर्क से हर्बल दवा बनाने में कुशल हैं। पातालकोट में आगंतुकों को इन प्राकृतिक उपचारों को बेचने वाले 'द मेडिसिन मैन' एक आम दृश्य है। यदि नहीं खरीद रहे हैं तो भी आप औषधीय पौधों और उनके उपयोग के बारे में जानने में कुछ समय बिता सकते हैं।

छिंद कला या खजूर कला छिंद (जंगली खजूर) के पत्तों से हस्तशिल्प बना रही है। लकड़ी और बांस से भी कलाकृतियां बनाई जाती हैं। कारीगर समुदाय, भारिया सुंदर उत्पाद बनाते हैं जिनकी उपयोगिता के साथ-साथ सौंदर्य मूल्य भी होता है। आप पातालकोट से आभूषण, घर की सजावट और दैनिक जरूरतों जैसे झाड़ू और टोकरीयाँ या कई अन्य हस्तशिल्प की खरीदारी कर सकते हैं।

पातालकोट पर्यटन को चुनौतियाँ - पातालकोटा ग्रामीण पर्यटन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पर्यटन उद्योग में कई समस्याएँ हैं जो पर्यटन उद्योग के लिए बहुत ही चुनौतियाँ पेश कर रही हैं, जो निम्न प्रकार हैं :-

1. पर्यटन की सम्पूर्ण जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रों की कमी है जिससे पर्यटकों को सभी पर्यटन स्थलों की पूर्ण जानकारी नहीं होने के बजाए के कारण उनको भटकना पड़ता है।
2. विदेशों में ग्रामीण पर्यटन को लेकर देश और राज्य के संबंध में मिथ्या तथा भ्रामक प्रचार होता रहा है जिससे विदेशियों में देश व राज्य की छबि को हमेशा गरीब एवं भूखमरी वाला देश के रूप में प्रदर्शित किया जाता रहा है।
3. मध्यप्रदेश के अनेक प्रमुख पर्यटन स्थल वायुमार्ग एवं रेलमार्ग यहाँ तक बेहतर सड़क मार्ग से नहीं जुड़ी है जिससे पर्यटकों को परेशानी को सामना करना पड़ता है जिससे पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहा है और पातालकोट पर्यटन से जोड़ने के लिए अभी सड़क मार्ग भी बेहतर नहीं है।
4. पातालकोट स्थित तामियों में विश्राम गृह एवं होटलों की अपर्याप्तता चिंतनीय है। यहाँ पर होटलों में सर्वसुविधा का अभाव है तथा इसके बावजूद इनकी कीमतें काफी अधिक हैं जिसके कारण इन स्थलों पर

पर्यटक अधिक रुकना पसंद नहीं करते हैं।

ग्रामीण पर्यटन के लिए सुझाव:

1. सुरक्षा कारणों को पर्यटन के लिए सुगम तथा सहयोगी बनाया जाना चाहिए जिससे विश्व समुदाय के सामने उत्तम छवि वाली एजेंसियों की पहचान उजागर हो सके।
2. समय-समय पर अध्ययनकर्ता के सार्थक सुझावों का प्रयोग धरातलीय आधार पर किया जाना चाहिए। विषय विशेषज्ञों का अंतर्क्रियात्मक परीक्षण कराया जाना चाहिए।
3. मध्यप्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए होटलों, हैरिटेज झोपड़िया को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष बजट के प्रयास की आवश्यकता है।
4. पर्याप्त संचार माध्यमों जैसे सड़कों, रेलवे परिवहन आदि की सुगम व्यवस्था आवश्यक है।
5. देशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में से एक, दो, तीन, स्टार की होटलों की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए
6. विदेशी पर्यटकों और उनकी पश्चिमी संस्कृति के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय परम्पराओं, सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों के अनुरूप 'क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए' की आचरण नीति को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ए. मोजर, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, हाइनेमैन पब्लिकेशन्स द्वारा प्रकाशित, लंदन, 1961
2. ए.के.भाटिया, 'इंटरनेशनल टूरिज्म 2006 मैनेजमेंट', स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2006।
3. आदि जे कटगरा 'भारत में पर्यटन की संभावनाएं' वाणिज्य, (पूरक) 1981।
4. अक्षय कुमार (1997), टूरिज्म मैनेजमेंट, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
5. ऑचल, स्टडी ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ डेस्टिनेशन मार्केटिंग विद स्पेशल रेफरेंस विद कुर्ग, प्रोजेक्ट थीसिस, डिपार्टमेंट टू टूरिज्म स्टडीज, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, 2005 को प्रस्तुत किया गया।
6. बरनामोलिक, 'ग्रामीण विकास के लिए रणनीति के रूप में पर्यटन' 2012।

वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की दशा एवं दिशा

डॉ. अरुणा पाठक *

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) माता गुजरी महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – देश में महिलाओं को कभी दुर्गा, काली तो कभी लक्ष्मी का रूप कहा जाता है और महिलाएं समाज का एक अभिन्न अंग हैं और परिवार के लिए आवश्यक और यही कारण रहा कि अतीत से ही महिलाओं का समाज में सर्वोपरि स्थान रहा है। महिलाएं माता, पत्नी एवं बहन के रूप में सृष्टि की रचना करती हैं, उन्हें सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में महिलाओं का विशिष्ट स्थान रहा है। किंतु जो दर्जा प्रारंभ में महिलाओं को प्राप्त था शनैः शनैः उसमें हास होने लगा। महिलाओं को समाज में दोगुना दर्जा दिया जाने लगा, जो महिलाएं कभी परिवार, समाज में पुरुषों के समान निर्णायक रहा करती थी। अब कालांतर में वे घर की चार दिवारी में सीमित हो गई और शुरू हुआ महिलाओं पर निरंतर कारित होने वाले अपराधों, अत्याचारों का सिलसिला, जिसने महिलाओं से उसकी शक्ति, आत्मविश्वास एवं अस्तित्व की पहचान छीन लिया। महिला अब निःसहाय, निरापराध, मूख दर्शक बन गई और यह स्थिति दिन-ब-दिन बढ़ती गई।

इन समस्त स्थितियों के पीछे और कोई नहीं हमारे अपने समाज, समाज की रूढ़ियों, परम्परायें, मान्यताएं जिम्मेदार रही हैं। जो मर्यादा, सभ्यता के नाम पर महिलाओं पर निरंतर अपनी इच्छाएं थोपती रही हैं। शायद यह इसलिये कि समाज की पुरुषवादी वैचारिकी ने महिलाओं को सदैव कमजोर, असहाय, अबला के रूप में आंकलन किया है। प्रकृति के सभी मनुष्यों चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष समान बनाया है। समान शक्तियां प्रदान कि फिर ये स्त्री-पुरुष वादी सोच का जन्म कहा से हुआ। ये हमारे समाज की उपज है। जिसमें परिवार के दोनों कर्णधारों में पुरुष को सर्वश्रेष्ठ एवं महिला को कमजोर के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार महिलाओं के साथ भेदभाव की कहानी जन्म के साथ आरंभ हो गई और तो और भ्रूण के रूप में गर्भ में ही हिंसा एवं अत्याचार शुरू हो जाता है। अर्थात् महिलाओं के संघर्ष और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की कहानी सरल नहीं जन्म से लेकर जीवन तक निरंतर वह अपनी पहचान और स्थिति को प्राप्त करने की जैसे होड़ में लगी दिखाई देती है और इस प्रतिस्पर्धा में स्वयं से अपने परिवार समाज से अपना हक मांगती जान पड़ती है।¹ निरंतर तिरस्कार आलोचना का शिकार होकर भी वह हार नहीं मानती लेकिन दूसरा पक्ष देखने पर जान पड़ता है कि समय बदला, परिस्थितियां बदली लेकिन महिलावादी बहुसंख्यक पुरुषवादी सोच में खासा बदलाव नजर नहीं आता। एक ओर महिलाओं के आत्मसमान, आत्मनिर्भरता, समानता एवं न्याय की दुहाई दी जाती है तो दूसरी ओर महिलाओं पर आये दिन अत्याचार किये जाते हैं। वे शोषण की अमानवीय क्रूरतम पुरुष मस्तिष्क

की असहनीय हिंसा का प्रतिक्षण प्रतिदिन शिकार हो रही हैं और यह निरंतर बर्बर होती है। महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान के सामने रोड़े बहुत हैं। कभी समाज में सम्मान प्राप्त करने कभी आर्थिक असमानताओं से लड़ने कभी राजनीतिक अधिकारों में बराबरी के लिये पुरुष प्रधान वर्ग से लड़ती नजर आती है।

देश की आधी आबादी होने के बावजूद भी वह अपने समान अधिकारों से वंचित है समय के साथ-साथ बदलाव भी आवश्यक होता है और यही वह अवधारणा है। जिसके समाज के एक बहुसंख्यक वर्ग को सशक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। सशक्तिकरण किसका, क्यों और कैसे जैसे सवालोंने महिलाओं की समानता एवं अधिकारों की पहल को ओर तेज कर दिया।² समाज सुधार आंदोलनों, नारीवादी आंदोलनों, पश्चिमी देशों की समान संस्कृति ने नारी मुक्ति के द्वार खोल दिये। बात जब भारतीय नारी और उनके अधिकारों की होती है। तो भारतीय संविधान इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जो महिला समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं अधिकारों का पक्षधर है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माण के साथ ही लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्यों एवं राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। संविधान ने न केवल महिलाओं को अधिकार प्रदान किये बल्कि उन्हें फलीभूत करने के लिये कानूनों एवं विधियों की व्यवस्था भी कि जिससे महिलाओं को न केवल अधिकारों का ज्ञान हो बल्कि कानूनों के माध्यम से वे अपने प्रति होने वाले अन्याय, शोषण, असमानता, भेदभाव का विरोध कर एक समान नागरिक के जैसे जीवन यापन कर सकें एवं स्वतंत्रता पूर्वक अपने अस्तित्व को बना सकें।

अध्ययन की आवश्यकता – महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। इसको समझने के लिये पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद भी उन्हें सशक्त क्यों किया जाना चाहिये। सशक्त का संबंध निर्बलता से जुड़ा होता है। आज समाज का बहुत बड़ा भाग अपने मानवाधिकारों से निश्चिन्त ही वंचित है। तब सशक्तिकरण का मामला और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। जब बात महिलाओं की होती है अर्थात् जो वर्ग अपने मूलभूत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक अधिकारों से वंचित होता है। तो इन्हें मनुष्य होने के नाते अधिकार प्रदान किये जाना संविधान, समाज, सरकार का कर्तव्य बन जाता है। ताकि वह वर्ग भी समाज में अपना वास्तविक हक प्राप्त कर सके। अतएव आज महिलाओं के हितार्थ महिलाओं की स्थिति का अध्ययन वर्तमान महिला परिप्रेक्ष्य में ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है।

शोध कार्य की परिकल्पना – सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तथ्यों का वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करने में परिकल्पना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिकल्पना एक ऐसा आधार प्रस्तुत करती है जिससे शोध कार्य में सत्यता की संभावना बढ़ जाती है। शोध की दिशा का वेग एवं प्रमाण निर्धारित करने के लिये परिकल्पनाओं का निर्माण आवश्यक होता है। अतः प्रस्तावित शोध कार्य में निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्धारित की गई हैं।

1. महिला कानून के उपरांत भी महिलाओं की दशा में अधिक सुधार नहीं आया।
2. महिला कानून से धीरे-धीरे महिलाओं की दशा में सुधार होगा।

महिलाओं की स्थिति – महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। समय परिस्थिति एवं वातावरण के परिवर्तन स्वरूप इनके पद सम्मान एवं प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता आ रहा है। किसी भी समाज, सभ्यता एवं देश के विकास का मूल्यांकन वहां की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं से किया जाता है। महिलाओं के विकास एवं उनकी प्रारिष्ठता पर हम ध्यान केंद्रित किया जाये तो दो तथ्य निकलकर सामने आते हैं, एक यह कि प्राचीन काल से लेकर मध्य काल और मध्य काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं की स्थिति में काफी उतार-चढ़ाव देखे गये हैं। समाज ने कभी सम्मान देकर उन्हें गौरवान्वित किया तो कभी अपमानित कर उसका तिरस्कार किया। कुशल गृहणी, उद्यमी, श्रम शक्ति होने पर भी उनकी क्षमता, प्रतिभा, साहस एवं कार्यों को वह स्थान नहीं दिया गया जो वास्तव में उनका अधिकार है।⁹ श्रम की अनदेखी क्षमता का शून्य आंकलन आलोचनाओं की परिपाठियों ने महिलाओं से उनके होने का हक छीन लिया।

सामाजिक तौर पर महिलाओं को त्याग, सहनशीलता व शर्मिलेपन का ताज पहनाया गया है। जिसके भार के तले दबी महिलाओं ने अपने असित्व को भुला दिया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों की महिलाएं भेदभाव का शिकार होती आयी हैं। सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखी जाती हैं। इसका प्रारंभ से ही सामाजिक संरचना में पितृसत्तात्मक सोच का होना है। जिसमें पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है। जहां संसाधनों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर और विचारधारा पर पुरुषों का नियंत्रण होता है। इस प्रकार महिलाओं पर हिंसा सामाजिक व्यवस्था का अंग बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रत्येक तीन में से एक महिला हिंसा का शिकार होती है और ज्यादातर हिंसा परिवार के भीतर लड़ी जाती है। महिलाएं मानव विकास सूचकांक में पुरुषों से पिछड़ी हैं। जीवन-प्रत्याशा, स्वास्थ्य, पोषण, समान वेतन, स्वामित्व, सम्पत्ति में भी वह दूसरे पायदान पर है। इतना ही नहीं हिंसा, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म के साथ भय में जीती हैं।⁴ विवाह से पहले और विवाह के बाद भी मानसिक, शारीरिक यातनाओं से गुजरना पड़ता है।

अब यह सर्वज्ञात है कि महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है एक बड़ा हिस्सा है बाद इसके भी उनके साथ हिंसा, अन्याय होता है। ये स्वीकारा भी जाने लगा है और इसकी भर्त्सना भी की जाने लगी है। नीतिगत वक्तव्य महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। सरकारी-गैर सरकारी संगठनों के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्हें अवसर प्रदान किये जा रहे हैं ताकि वे अपनी खोई स्थिति सम्मान एवं वर्चस्व पुनः प्राप्त कर सकें और एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

भारतीय संविधान एवं महिला अधिकार – भारतीय संविधान में महिला

विशेष कानूनों एवं प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ऐसे विभिन्न कानून समय-समय पर सरकार द्वारा बनाए और संशोधित किये जाते हैं तथा योजनाओं, नीतियों को प्रतिपादित किया जाता है। जिनके मूर्त परिणाम दृष्टिगत हो और महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। बेशक, महिला सशक्तिकरण एक जटिल मुद्दा है। जिसके असंख्य संकेतक हैं। मौजूदा शोध पत्र महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक कार्याकल्प के उद्देश्य से सरकार द्वारा की जाने वाली पहल पर केंद्रित है। जब स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, वित्तीय अधिकार सहित अन्य प्रकार की सुरक्षा के मामले में महिलाओं की हालत में सुधार होगा, तभी उन्हें सशक्त माना जाएगा।

संविधान ने मौलिक अधिकारों के भाग 3 में यथा विभिन्न अधिकारों के माध्यम से जैसे समानता का अधिकार (अनु. 14-18) स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19-22) तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23-24) के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया तथा राजनीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं के लिये समान अवसर, न्याय, पोषण सम्पत्ति एवं गरिमा का उल्लेख किया। इनके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से भी महिला के प्रति कारित हिंसा की सुरक्षा प्रदान की। विभिन्न कानूनी प्रावधानों के द्वारा भी महिलाओं के लिये स्वास्थ्य एवं सुरक्षित, सामाजिक वातावरण तैयार किया जैसे समान कार्य हेतु समान वेतन 1976 अधिनियम, मातृत्व अवकाश संशोधित अधिनियम 2016, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, विवाह अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 आदि।⁵ उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों का एकमात्र लक्ष्य महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें बराबरी का हक दिलाना है।

वर्तमान में अनेक ऐसे महिला अधिकारों पर बहस चल रही हैं। जिन पर महिलाओं को कोई अधिकार था ही नहीं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के नारी गरिमा से जो ऐसे निर्णय सामने आ रहे हैं जो कानूनी रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण का अनूठी सराहनीय पहल हैं।

तीन तलाक, धार्मिक संस्थान में महिलाओं के प्रवेश की स्वीकृति ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं।⁶ जो महिलाओं को समान मानवीय अधिकार के हिमायती हैं।

महिला कानूनों का वर्तमान प्रभाव – महिलाओं के प्रति समाज के नजरिये को बदलने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। महिलाओं ने संविधान में प्रदत्त अधिकारों के बुते शैक्षिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नये आयाम तय किये। आज महिलाएं आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी हैं। जिसने पुरुष प्रधान चुनौती पूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है।⁷ वह केवल कुशल गृहणी, शिक्षिका न बनकर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलेट, वैज्ञानिक, तकनीकि, सेना, पत्रकारिता, खेल जैसे नवीन क्षेत्रों का अपना रही है। राजनीति, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में भी वह अपनी योग्यता एवं नेतृत्व का संचालन कर रही है। 21वीं सदी में अब महिलाओं का दायम् दर्जा अब पुरुष प्रधान समाज में बराबरी का हो गया है।⁸ वह व्यापार, निजी क्षेत्र, उद्यम में नये अवसर का लाभ उठा रही है। भूमंडलीय की बयार अब नारी के हिस्से आ गई है। आज महिला उन क्षेत्रों में अपने कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं।⁹ जहां होने की शायद कभी समाज ने कल्पना भी न की हो।

आज महिलायें स्वतंत्र विचारधारा के द्वारा अपने प्रति होने वाले अत्याचार हिंसा एवं शोषण को समाज के सामने लाने लगी, उनकी हिचकिचाहट से पर्दा उठ गया है। हाल का 'मी टू कैम्पेन' इस बात का ताजा उदाहरण कि अपने प्रति होने वाली शारीरिक हिंसा, शोषण, धमकी का विरोध महिलाएं बिना किसी पारिवारिक, सामाजिक अवधि के दर से सार्वजनिक तौर पर कर रही हैं।

संवैधानिक प्रयासों के बूते न केवल वे समान हो रही बल्कि सशक्त एवं आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। अब पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार से लेकर भ्रण पोषण, समान तलाक, स्वेच्छा से जीवन साथी चुनने एवं स्वतंत्र रोजगार प्रदत्त कर रही हैं क्योंकि आज महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति में पहले से काफी बदलाव आया है। वे शिक्षा के साथ जागरूक हो रही हैं और अपने अधिकारों को समझ कर अन्याय के खिलाफ संगठित हो गई हैं। महिलाओं के प्रति घृणित कार्य करने वाले दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। विभिन्न महिला केंद्रित कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जिससे वे लाभान्वित हो रही हैं।

समस्याएं - एक ओर जब संवैधानिक कानूनों, सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि महिलाओं की वर्तमान दशा एवं दिशा में काफी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। वे घर की चारह दीवारी से निकल अपनी योग्यता स्थापित कर रही हैं। आज लड़का-लड़की वाली सोच में अंतर आया है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों ने महिला सशक्तिकरण को काफी सार्थक किया है। **सबरीमाल मंदिर** प्रवेश हो या **शनि सिंगनापुर** में पूजा का अधिकार, तीन तलाक हो या लीव-इन-रिलेशनशिप महिलाओं को बिना किसी रूकावट अधिकार प्रदान किये जा रहे हैं। जो महिलाओं की स्थिति एवं उसके दर्जे को कहीं ज्यादा व्यापक बना रहा है।¹⁰

किंतु महिला विकास एवं साक्षर सशक्तिकरण का एक दूसरा पक्ष शायद भयावह ही है। जहां महिलाओं को केवल 'स्त्री' माना जाता है 'मनुष्य' नहीं। निरंतर महिलाओं पर कारित होने वाले अपराध इस बात के साक्षी हैं कि शिक्षित होने के बावजूद भी बहुसंख्यक महिलायें अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। इसके पीछे भी दो कारक हो सकते हैं। एक घर, परिवार, समाज की मर्यादा खोने का और दूसरा सुरक्षा तंत्र की अनदेखी। कानून तो है पर क्या वे कारगर भी हैं शायद नहीं। महिलाओं पर होने वाली हिंसा या शोषण के अधिकांश प्रकरणों संज्ञान में नहीं लिया जाता तथा कई मामलों में ऐसे ही निपटा दिया जाता है। महिलाओं को आत्मग्लानी के कारण स्वयं दोषी मानकर आत्महत्या जैसे अपराध करने पड़ते हैं। कार्य स्थल में महिलाएं आये दिन शारीरिक, मानसिक हिंसा एवं शोषण का शिकार होना पड़ता है। प्रतिदिन अखबारों के पेज महिला हिंसा, भेदभाव, शोषण से भरे पड़े हैं और आरोपी खुले घूमते नजर आते हैं। साथ ही सामाजिक, पारिवारिक आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ता है। आज मासूम बच्चियाँ अपने घर, पड़ोस, समाज, सार्वजनिक स्थलों तक में सुरक्षित नहीं हैं। सरकारी नौकरियों

पंचायतों में भी प्रतिनिधित्व के बावजूद इनके साथ समानता का व्यवहार पुरुष प्रधान समाज के गले नहीं उतरता।

प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति, प्रगति के साथ देश समाज को गौरवान्वित करने वाली महिलाओं को आज भी महिला होने का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। यही वास्तविकता है।

निष्कर्ष - महिलाओं का विकास एवं सशक्तिकरण एक जटिल एवं लम्बी प्रक्रिया है। आज महिलाएं अपने अधिकारों को जान एवं समझ चुकी हैं। वे स्वयं भी अपने आप को समाज का नागरिक मान रही हैं। सरकारी योजनाओं, संवैधानिक प्रयासों ने महिलाओं की स्थिति में बहुत परिवर्तन किये हैं। जो महिलाएं कभी सर में घूँघट लिये अपने स्वतंत्र निर्णय से वंचित थीं। आज स्वतंत्र होकर अपने विचारों एवं कार्यों को संधारित कर रही हैं और ऐसा होना भी चाहिये क्योंकि अगर इन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया तो देश एवं समाज का वास्तविक विकास अवरुद्ध हो जायेगा। इसके लिये और ठोस कारगर कदम उठाये जाने बाकी हैं और ये मात्र सरकार संविधान से संभव नहीं होगा। इसके लिये सामाजिक वैचारिकी में परिवर्तन की आवश्यकता है साथ ही स्वयं महिलाओं को अपने सशक्तिकरण का प्रयास करना होगा। मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में वर्तमान घटनाक्रम काफी उत्साह जनक है। महिलाओं को सुरक्षित और अनुकूल माहौल की जरूरत है। जिससे सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि महिलाओं में अपार संभावनाएँ हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहुजा राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन, जयपुर, वर्ष 1999, पृ. 7.
2. रामकुमार डॉ., नारी के बदले आयाम, अजुर्न पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, वर्ष 2005, पृ. 13.
3. त्रिपाठी मधुसदन, महिला विकास, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010, पृ. 10.
4. पुनिया अनुशा, घर से बाहर तक सुरक्षा के कानून, योजना अगस्त 2018, सूचना भवन, नई दिल्ली.
5. नायर, लीना, महिला सशक्तिकरण सरकार का दृष्टिकोण, योजना, सितम्बर 2016, पृ. 13.
6. भसीन, कमला, भारतीय संदर्भ में नारी सशक्तिकरण, योजना, सितम्बर 2018, पृ. 09.
7. श्रीवास्तव, संजय, महिला सशक्तिकरण की बदलती तस्वीर, कुरुक्षेत्र, जनवरी 2016, सूचना प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ. 25.
8. कुमार मनीष, महिला सशक्तिकरण दशा और दिशा, बी.के., नई दिल्ली, 2011, पृ. 07.
9. सारस्वत स्वतिल, महिला विकास एक परिदृश्य, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, पृ. 15, 16.
10. <http://www.hindi.kidvniya.com.in>

स्त्री विमर्श और अंतर्विरोध

डॉ. बबीता यादव *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) नवसंवत् विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना – माँ बाप ने पैदा किया गुंगा
परिवेश ने लंगड़ा बना दिया। चलती रही परिपाटी पर,
वैशाखियां चरमराती हैं. अधिक बोझ से अकुलाकर,
विस्कारित मन हुंकारता है वैशाखियां तोड़ दूँ.....सुशीला टाकभरे
के काव्य संग्रह**

भारतीय समाज की शायद विडम्बना ही यही है कि, जिसे जननी कहा जाता है, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने से पहले सोचा तक नहीं जाता। भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति अंतर्विरोधों से भरी हुई है। परम्परा से नारी को शक्ति का रूप माना गया है पर आम बोलचाल में उसे अबला ही कहा जाता है। हमारे समाज से से लेकर साहित्य तक में स्त्री के प्रति यही अंतर्विरोधी रवैया मौजूद है। इसीलिए स्त्री विमर्श को जानने की आवश्यकता है।

स्त्री विमर्श एक मानवतावादी आंदोलन है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति मानवतावादी आंदोलन का विरोध कर ही नहीं सकता। स्त्री विमर्श का मूल लक्ष्य हैं पिन्सलात्मक व्यवस्था का पुनः निरीक्षण। स्त्री विमर्श पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा हाशिये पर फेंकी गई स्त्री के सपनों को शब्द देता है। यह बताना चाहता है कि, परिवार, विवाह, समाज, न्याय, मीडिया जैसी संस्थाएं स्त्री को पराधीन बनाए रखने का अनवरत क्रम चलाए हुए हैं। स्त्री-पुरुष की भिन्न मानसिक संरचना के कारण ही दोनों का संसार भिन्न है। दृष्टि और अभिव्यक्ति के औजार भी अलग ही हैं। स्त्री के लिए जमीन पर पैर टिकाने के लिए जगह ही नहीं। स्त्री विमर्श स्त्री को व्यक्ति की गरिमा और व्यक्तित्व का गौरव दिलाने का विमर्श है और इसके अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच के लिंग भेद का बुनियादी आधार है संरचनात्मक असमानता। इसके कारण स्त्री को नियोजित सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में हमें सिमोन द बोउवार के इस कथन पर विचार करना चाहिए कि, औरत अभी तक पैदा नहीं होती थी, बनाई जाती रही है। अतः औरत का जन्म होना तो अभी भविष्य के गर्भ में हैं। स्त्री विमर्श औरत के इसी जन्म की कोशिशों का सार तत्व है, औरत के जन्म के संघर्ष की रणनीति है। औरत के बनाए जाने के खिलाफ संघर्ष का बिगुल है, औरत के इस्तेमाल के खिलाफ इंकार का साहस है। औरत को वस्तु और योनि मात्र माने जाने की अवधारणा और सोच के खिलाफ मानवीय चेतना और अस्तित्व की गरिमा का उद्घोष है।

वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप जब महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा जैसे मामलों में आये दिन वृद्धि होती जा रही है। खोखली मानसिकता के तहत कई क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को अधीनस्थ प्राणी का दर्जा दिया जाता है।

दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात दिल देने वाली तो थी ही साथ ही कठुआ कांड जहां एक बच्ची के साथ सामूहिक दरिन्दगी की घटना शर्मिंदगी और पाशविकता की पराकाष्ठा थी। आए दिन सुर्खियों में यह खबर देखने सुनने को मिलती है कि दहेज की हवस में किसी युवती को जिंदा जला दिया या उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। कानून भी समय से उस महिला तक नहीं पहुंच पाता है। वंश वृद्धि के मोह के कारण लड़कियों जन्म ही नहीं ले पातीं। कोख में ही उनकी हत्या कर दी जाती है।

आज के आधुनिक युग में भी स्थिति यह है कि, बाहर तो दूर महिलाएं अपने घर पड़ोस में ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती हैं। आज भी मंदिर, बाजार स्कूल सभी जगह चर्चा का ही विषय बनी रहती है और वह विषय होता है, महिलाओं का चरित्र उनका पहनावा, उनका चाल-चलन आदि पर ही टीका टिप्पणी की जाती है शहर या गाँव ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ महिलाओं को पीड़ित नहीं किया जाता हो। सरकार रोज नये कानून तो बनाती है। पर उनका सख्ती से पालन नहीं होता और न ही अपराधी को सजा मिल पाती है। कहने को तो कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है पर कह देने मात्र से हम अपने दायित्व से मुक्ति नहीं पा सकते। हमें यह भी समझना होगा कि उस व्यक्ति को सफल बनाने में औरत के कितने सपने चकनाचूर हुए, उस सफर में उसने कितनी ही जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाया या फिर कभी किसी स्त्री को इतनी ही आसानी से सफल क्यों नहीं होने दिया जाता। या फिर पुरुष स्त्री की सफलता या जागरूकता को पचा ही नहीं सकता। पुरुष भय और हिंसक तरीकों के जरिये पितृसत्तात्मकता महिलाओं पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि महिलाएं उनकी संपत्ति हैं। महिलाओं को आज भी एक वस्तु ही माना जाता है। वो अपने कैसले खुद नहीं ले सकती और ले भी लें तो कोई उनका साथ नहीं देता। परिवार तो दूर पति भी उसके कैसले में उसका साथ नहीं देता। इस संदर्भ में निम्न पंक्तियों उचित ही हैं थकान सात फेरों की उम्र भर उतारी न गई। दो घरों की होकर भी दोनों घरों में पराई ही रही। स्त्रियों का हमेशा उपहास ही किया जाता है। कभी उसे अबुझ पहेली कहा जाता है तो कभी ताड़ना की अधिकारी जबकि देखा जाय तो स्त्रियों से ज्यादा तो अबुझी पहेली पुरुष प्रधान समाज हैं जो साथ देना भी चाहता है और पैर खींचना भी चाहता है। इसीलिए किसी कवियत्री द्वारा कहा भी गया है कि सदियों से तुम मुझे पहेली मानते हो पर असली पहेली तो तुम हो। तुम कभी खतरनाक दुश्मन/ जो मेरे अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते हो तो कभी मेरे सहृदय मित्र/ जो मेरा हित मुझसे भी ज्यादा समझते हो। अबुझ से

तुम अब भी ।

....आज समाज और देश की उन्नति के लिए समाज की सशक्त इकाई को वास्तव में सशक्त बनाने की जरूरत है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत समाज है? समस्त समाज से अपील है कि किस्सा किसी की हिचकियों का बने, किसी की सिसकियाँ का नहीं। ऐसे सभी बिलों पर जो महिलाओं की समानता को बढ़ावा दें उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें, उन्हें तत्काल पास कर कानून का रूप दिया जाय और लागू की जाने की प्रक्रिया तेज की जाए। ईश्वर की उस रचना को भी सराहा जाए

जो महत्वपूर्ण है। जो स्त्री विरोधी मिथ्या अवधारणाएं हैं, उनको तोड़ा जाए। सामाजिक बदलाव किया जाए और उसके लिए महिलाओं को भी पहल करना चाहिए चंद्रकांत देवताले के शब्दों में '**यह वक्त, वक्त नहीं मुकद्दाम है या तो गवाही दो या गूंगे हो जाओ हमेशा के वास्ते।**'

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य प्रभा खेतान ।
2. स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ।
3. स्त्रीवाद परिवार सत्ता और स्त्री विमर्श अर्चना वर्मा।

पंचाट और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2021 की विकासवादी समीक्षा

डॉ. नरेन्द्र शर्मा *

* प्राचार्य, नवसंवत् विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारत में पंचाट और सुलह विधि के उद्गम स्रोत के रूप में प्राचीन समय से चली आ रही पंचायत व्यवस्था का उल्लेख किया जाना उचित होगा। प्राचीन भारतीय समाज में पंचो द्वारा पंचायत के माध्यम से दिए गए निर्णयों को मान्यता प्राप्त थी क्योंकि लोगों का ऐसा विश्वास था कि पंचो में परमेश्वर का वास होता है अतः उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को निर्विवाद रूप से शिरोधार्य किया जाना चाहिये।

वर्तमान युग के वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के साथ वाणिज्यिक सव्यवहारों में जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं। माध्यस्थता संबंधी कानून मुख्यतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि विवादों को त्वरित एवं कम व्यय में निपटाने में पर्याप्त रूप से उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

परिभाषा - बर्नस्टीन के अनुसार - माध्यस्थता के अन्तर्गत दो या अधिक पक्षकारों के बीच हुए करार के अनुसरण में किये गये किसी कार्य के परिणामस्वरूप उत्पन्न विवादों का निपटारा किया जाता है तथा उनका निर्णय पक्षकारों पर बंधनकारी होगा तथा विधि के अन्तर्गत प्रवर्तनीय होगा।

कोलिन्स बनाम को लिन्स के वाद में लार्ड रोमिली के अनुसार यह ऐसा सुलह तरीका है जिसमें उन्हें न्याय निर्णय हेतु न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु उनके द्वारा प्रस्तावित माध्यस्थ ही उनके विवाद का हल पंचाट द्वारा करते हैं।

माध्यस्थता विधि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - भारत में माध्यस्थता एवं सुलह विधि इंग्लिश माध्यस्थता विधि पर आधारित है। सन् 1899 में सर्वप्रथम माध्यस्थता संबंधी कानून पारित हुआ है। इससे पूर्व बंगाल विनियम 1772 प्रभावी था तत्पश्चात् 1787 के विनियम द्वारा न्यायालयों को यह प्राधिकार दिया गया कि वे पक्षकारों की सहमति से उनके विवाद को माध्यस्थता द्वारा विनिश्चित कर सकते थे। मद्रास और बंबई की सरकारों ने भी क्रमशः मद्रास विनियम 1816 तथा बंबई विनियम 1827 द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में पंचायतों को विवादों का निपटारा माध्यस्थता द्वारा करने के अधिकार दिए। भारत में सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 पारित हो जाने के फलस्वरूप माध्यस्थता संबंधी उपबंध अध्याय IV में समाविष्ट किए गए थे।

सन् 1940 में माध्यस्थता संबंधी विभिन्न प्रावधानों को समेकित करके ब्रिटिश भारत में माध्यस्थता अधिनियम 1940 लागू किया गया। 1996 में इसके स्थान पर माध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 लागू किया गया है।

विभिन्न संशोधन अधिनियम - माध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996

से 2015, 2019 और 2021 के संशोधन तक माध्यस्थता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। माध्यस्थता में घरेलू विकास को अंतर्राष्ट्रीय विकास जैसे UNCITRAL मॉडल कानून द्वारा संभव बनाया गया है, जो देशों को माध्यस्थता के क्षेत्र में वैश्विक प्रगति के साथ बनाए रखने की अनुमति देता है।

(a) 2015 संशोधन - इस संशोधन ने माध्यस्थता विधि में एक नए युग की शुरुआत की इसे निम्न श्रेणियों में बाटा जा सकता है।

(अ) माध्यस्थता के बारे में जनता की धारणा में सुधार।

(ब) प्रमुख न्यायिक हस्तक्षेप प्रतिबंध।

(स) माध्यस्थता प्रक्रिया को तेज करना तथा इसकी दक्षता से सुधार करना।

(b) 2019 संशोधन - माध्यस्थ न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए एक विधायी सुधार के परिणाम स्वरूप और माध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता और माध्यस्थों से संबंधित अन्य नियमों को परिभाषित करने के लिए 2019 में (ACI) भारतीय माध्यस्थता परिषद की स्थापना की गई।

इसके अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को माध्यस्थ न्यायाधिकरणों के नाम देने का अधिकार दिया गया है। जिनका मूल्यांकन (ACI) द्वारा किया जाएगा।

(C) माध्यस्थ और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2021 माध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2021, 4 फरवरी 2021 को लोकसभा में पास हुआ तथा 11 मार्च 2021 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के 2 महत्वपूर्ण संशोधन निम्न हैं:-

(अ) पंचाट पर स्वतः रोक - अधिनियम की धारा 36 (3) के अनुसार यदि किसी वाद में न्यायालय को लगता है कि यदि (1) माध्यस्थता करार या संविदा पंचाट का आधार है या (2) पंचाट, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित यह चुनौती के परिणाम को अनिश्चितकाल तक लंबित रखेगा।

(2) माध्यस्थता की योग्यता का दायरा बढ़ाना:

(अ) माध्यस्थ प्रमाणन के लिए आवश्यकताएं, योग्यता, अनुभव और मानकों को मूल अधिनियम की आठवीं अनुसूची में हटा दिया।

(ब) वैज्ञानिक या तकनीकी क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री और दस साल का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी अनुसूची की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक था।

(स) माध्यस्थ की मान्यता के लिए निष्पक्षता, अखंडता और तटस्थता

आवश्यक।

(द) ये योग्यताए और मानक अत्यंत व्यापक है। इस धारा ने योग्य विदेशी वकीलो की भारत में मध्यस्थ के रूप में भाग लेने की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया।

निष्कर्ष – माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2021 अन्य सभी कानूनों की तरह खामियों से अछूता नहीं है। जैसे कि धारा 36 न्यायालयों को छूट देती हैं कि क्या माध्यस्थम् निर्णय में प्रथम दृष्टा धोखाधड़ी के तत्व शामिल हैं।

इस अधिनियम के अनुसार भ्रष्ट तरीके से प्राप्त किए गए पचांट को

रोकना है। न्यायालय धारा 34 के तहत की गई अपील पर अंतिम फैसला आने तक ऐसे अवार्ड पर बिना शर्त रोक लगा सकती हैं।

अंततः इस अधिनियम द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् केन्द्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए अधिनियम की आठवी अनुसूची को समाप्त करना आवश्यक समझा गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. माध्यस्थम् सुलह एवं अनुकल्पी विवाद निपटान – विधि अवतार सिंह
2. माध्यमस्थम् सुलह तथा वैकल्पिक विवाद निवारण विधि – डॉ. विनय एन. परांजपे

कार्यकारी महिलाओं का पारिवारिक अर्थव्यवस्था में योगदान : एक अध्ययन

डॉ. प्रमिला वाधवा* मनोज कुशवाह**

* प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सारनी, बैतूल (म.प्र.) भारत

** अतिथि विद्वान (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, सारनी, बैतूल (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी – कार्यकारी महिलाएं, पारिवारिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, व्यावसायिक स्थिति, आर्थिक संतुलन, सामाजिक संतुलन।

प्रस्तावना – प्राचीन काल से ही महिलाओं का समाज, परिवार में महत्वपूर्ण स्थान रहा है नारी में सदैव ही पुरुष के साथ सहधर्मिणी का रूप निभाया है इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण आचार्य श्री मिश्र की पत्नी शारदा देवी का है जिन्होंने शंकराचार्य से शारदार्थ किया था। इसमें न केवल उन्होंने पत्नी की सहधर्मिता निभाई थी, बल्कि ज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी योग्यता निभाई थी। इसी प्रकार से मैत्रेयी, सीता, अनुसुइया, सावित्री, द्रौपदी आदि विदुषी महिलाओं के नामों से हमारा इतिहास भरा हुआ है।

मध्यकालीन भारत में अहिल्या बाई, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मी बाई ने राजनैतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक काल में सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, इसी श्रृंखला की एक कड़ी हैं।

वर्तमान में महिलाएं केवल पारिवारिक कार्य पूर्ण नहीं कर रही हैं, अपितु महिलाएं अपनी शिक्षा का समुचित उपयोग करके अपने माता पिता के कंधों पर भारी आर्थिक भार को कम कर रही हैं, वर्तमान में महिलाएं प्रत्येक स्तर पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार के विकास के साथ राष्ट्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान भी प्रदान कर रही हैं, भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान पुरुषों के आर्थिक, सामाजिक स्तर पर वैदिक काल से समान रहा है क्योंकि बिना समानता के आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है।

जैसे – जैसे समय परिवर्तित होता गया, नारी के अधिकार में परिवर्तन आया। नारी अपने हित एवं अधिकार के प्रति सचेत रहने लगी, उसने अनुभव किया कि उसका कार्य क्षेत्र केवल घर ही नहीं है घर के बाहर भी वह उतनी ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है, जितना कि पुरुष। आधुनिक युग में व्यक्ति उपभोग की ओर अधिक महत्व देने लगा है। उसका लक्ष्य विलासिता पूर्ण व वैभवपूर्ण जीवन जीने का होने लगा है। साथ ही बढ़ती हुई मंहगाई ने परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है ऐसी स्थिति में केवल पुरुष की कमाई से उक्त समय की आवश्यकताएं पूर्ण होना संभव नहीं है।

महिलाओं का आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है वे अपनी आय से अपने परिवार की आवश्यकताओं के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती है और आत्मनिर्भरता के साथ अपना और परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहण भी कर पाती है।

यदि कोई महिला कामकाजी है तो उस महिला की जितनी आय अधिक होगी वह अपने परिवार की उतनी ही सहायता कर पाएगी, जिससे परिवार को आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी और परिवार अपनी उपभोग प्रवृत्ति का उचित उपयोग कर सकेगा। वही यदि जिस कामकाजी महिला की आय कम होगी तब उसके परिवार में उपभोग की प्रवृत्ति कम होगी एवं परिवार में छोटी छोटी जरूरतों में समस्याएं उत्पन्न होगी, उसके परिवार का रहन सहन का स्तर भी निम्न स्तर का होगा और उसकी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं हो सकेगी।

मध्यप्रदेश का ग्वालियर नगर ऐतिहासिक होते हुए भी कई सरकारी विभागों का केन्द्र है, यहां अनेक महिलाएं एवं पुरुष अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं राज्य शासन के प्रमुख विभागों की सूची में परिवहन कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश विधुत मंडल, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सहकारी विभाग योजना एवं सांख्यिकीय विभाग इसमें शामिल हैं, अन्य विभाग की सूची में भारत सरकार के कार्यालयों में प्रमुख हैं नारकोटिक्स विभाग, महालेखाकार कार्यालय, केन्द्रीय आबकारी विभाग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रसायन अनुसंधान संस्थान, खेल प्राधिकरण, रेल स्प्रिंग संस्थान, केन्द्रीय बैंक आदि महत्वपूर्ण कार्यालय भी ग्वालियर में स्थित हैं, जिनमें पुरुषों के साथ साथ महिला अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं और सरकारी विभागों में भी महिलाएं कर्मचारी एवं अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन करना।
2. शोध क्षेत्र के आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान का अध्ययन करना।
3. पुरुष प्रधान समाज में समायोजन के प्रति महिलाओं की चेतनात्मक अभिवृत्ति को समझना।
4. महिलाओं के उत्थान, विशेषकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करना।
5. कार्यकारी महिलाओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना।

शोध हेतु न्यायदर्श: प्रस्तुत शोध हेतु मध्यप्रदेश के ग्वालियर नगर की 30 कार्यकारी महिलाओं को सम्मिलित किया गया है।

शोध उपकरण: प्रस्तुत शोध पत्र हेतु स्व निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग कर

तथ्यों का संकलन किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या:

तालिका क्रमांक - 01: महिलाओं के परिवार के स्वरूप की जानकारी

क्र.	विकल्प	संख्या	
		कुल	प्रतिशत
1	एकाकी परिवार	11	36.67
2	संयुक्त परिवार	19	63.33
	योग	30	100.00

तालिका क्रमांक - 01 के प्राप्त तथ्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कुल 30 महिलाओं में से 11 (36.67 प्रतिशत) एकाकी परिवार से जुड़ी है तथा संयुक्त परिवार से जुड़ी हुई महिलाओं की संख्या 19 (63.33 प्रतिशत) है जो वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की सामाजिक व्यवस्था की विषिष्टता का अनोखा उदाहरण है।

तालिका क्रमांक - 02: महिलाओं की आर्थिक स्थिति संबंधी जानकारी

क्र.	विकल्प	संख्या	
		कुल	प्रतिशत
1	निम्न	06	20.00
2	मध्यम	15	50.00
3	उच्च	09	30.00
	योग	30	100.00

तालिका क्रमांक - 02 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कुल 30 महिलाओं में 06 (20.00 प्रतिशत) महिलाओं की आर्थिक स्थिति निम्न है तथा 15 (50.00 प्रतिशत) महिलाओं की मध्यम एवं 09 (30.00 प्रतिशत) महिलाओं की आर्थिक स्थिति उच्च है। मध्यम आर्थिक स्थिति वाली महिलाएं सबसे आधिक है।

तालिका क्रमांक - 03: महिलाओं की व्यावसायिक स्थिति संबंधी जानकारी

क्र.	विकल्प	संख्या	
		कुल	प्रतिशत
1	सरकारी	12	40.00
2	निजी	14	46.67
3	अर्द्ध सरकारी	04	13.33
	योग	30	100.00

उपरोक्त तालिका क्रमांक - 03 के अध्ययन से पता चलता है कि कुल 30 महिलाओं में 12 (40.00 प्रतिशत) सरकारी तथा 14 (46.67 प्रतिशत) निजी एवं 04 (13.33 प्रतिशत) महिलाओं की व्यावसायिक स्थिति अर्द्ध सरकारी है निजी कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है।

तालिका क्रमांक - 04: महिलाओं की आय का बच्चों की मासिक शिक्षा पर व्यय में योगदान

क्र.	शिक्षा पर व्यय की मात्रा (रु.मे)	उत्तरदाता	
		संख्या	प्रतिशत
1	1000 तक	04	13.33
2	1000 - 2000 तक	06	20.00
3	2000 - 3000 तक	12	40.00
4	3000 से अधिक	08	26.67
	योग	30	100.00

उपरोक्त तालिका क्रमांक - 04 के अध्ययन से ज्ञात एवं स्पष्ट होता है कि 04 (13.33 प्रतिशत) सर्वेक्षित कार्यकारी महिलाएं परिवार में बच्चों की मासिक शिक्षा पर 1000 रुपये तक तथा 06 (20.00 प्रतिशत) कार्यकारी महिलाएं 1000 - 2000 तक बच्चों की मासिक शिक्षा पर व्यय करती हैं वहीं 12 (40.00 प्रतिशत) कार्यकारी महिलाओं के परिवार में बच्चों की मासिक शिक्षा पर होने वाला व्यय 2000 - 3000 तक पाया गया, तथा 08 (26.67 प्रतिशत) महिलाएं ऐसी पाई गईं जो परिवार में बच्चों की मासिक शिक्षा पर 3000 से अधिक व्यय करती हैं।

तालिका क्रमांक - 05: महिलाओं द्वारा परिवार के स्वास्थ्य पर मासिक व्यय

क्र.	परिवार के स्वास्थ्य पर मासिक व्यय की मात्रा (रु.मे)	उत्तरदाता	
		संख्या	प्रतिशत
1	500 तक	08	26.67
2	500 - 1000 तक	12	40.00
3	1000 - 2000 तक	07	23.33
4	2000 से अधिक	03	10.00
	योग	30	100.00

उपरोक्त तालिका क्रमांक - 05 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 08 (26.67 प्रतिशत) कामकाजी महिलाओं ने अवगत कराया कि उनके परिवार में मासिक स्वास्थ्य पर व्यय का मात्रा रुपये 500 तक है वहीं 12 (40.00 प्रतिशत) महिलाओं ने बताया कि उनके परिवार में 500 - 1000 तक मासिक स्वास्थ्य पर व्यय होता है और 07 (23.33 प्रतिशत) महिलाओं का मासिक स्वास्थ्य पर व्यय रुपये 1000 - 2000 तक है तथा 2000 रुपये से अधिक मासिक स्वास्थ्य पर व्यय करने वाली कामकाजी महिलाओं की संख्या 03 (10.00 प्रतिशत) है।

तालिका क्रमांक - 06: महिलाओं द्वारा परिवार में गृहस्थी पर मासिक व्यय

क्र.	महिलाओं द्वारा परिवार में गृहस्थी पर मासिक व्यय (रु.मे)	उत्तरदाता	
		संख्या	प्रतिशत
1	राशन आदि पर व्यय	13	43.33
2	कपड़ों पर व्यय	07	23.33
3	नौकरी पर व्यय	10	33.33
	योग	30	100.00

उपरोक्त तालिका क्रमांक - 06 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 13 (43.33 प्रतिशत) कार्यकारी महिलाओं ने अवगत कराया कि उनके परिवार में गृहस्थी में राशन पर अपनी आय व्यय करती हैं वहीं 07 (23.33 प्रतिशत) कार्यकारी महिलाओं ने बताया कि वे बच्चों एवं अन्य सदस्यों के कपड़ों पर अपनी आय व्यय करती हैं जबकि 10 (33.33 प्रतिशत) कार्यकारी महिलाओं ने अवगत कराया कि वे अपने घर में काम करने वाले नौकर बाईयों पर अपनी आय व्यय करती हैं।

शोध निष्कर्ष: महिलाएं जो कार्यकारी हैं वे अपनी आय का व्यय पूरे परिवार के आर्थिक संतुलन के लिए करती हैं बेशक उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य भी कमाते हैं परंतु कार्यकारी महिलाएं परिवार में स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, राशन आदि पर अपनी कमाई हुई राशि को व्यय करके परिवार का

आर्थिक संतुलन बनाएं रखती है।

महिलाएं समाज का अनिवार्य अंग हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में उनकी अहम भूमिका है। जैसे जैसे षहरो के साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में राजनीति जागरूकता आ रही है। शिक्षा के प्रचार प्रसार और बदलते सामाजिक परिवेश में राजनीति में महिलाएं आगे आ रही हैं केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय शासन में अपनी भागीदारी निभा रही हैं इसलिये महिलाओं को सशक्त और सटढ़ बनाने पर ही समाज सटढ़ होगा। महिलाओं को सटढ़ करने के लिये उनका शिक्षित होना आवश्यक है ताकि अपने अधिकारों को समझ कर समाज एवं राष्ट्र का विकास कर सकें। 21 वीं शताब्दी की महिलाओं में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा व्यावसायिक आकांक्षा बहुत प्रबल हो गयी है वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह प्रगति की सीढ़ी पर चढ़ती जायेगी एवं समाज में फैली बुराई रूपी अन्धकार को दूर कर सकेगी। नारियों के लिए आत्म अभिव्यक्ति और आत्मसंतुष्टी के अवसर अनुचित रूप से सीमित रखे गये हैं। मशीनी युग ने घर से बाहर ही वस्तु उत्पादन इतना अधिक बढ़ा दिया है कि अंशतः आदि कि आवश्यकता के चलते महिलायें अब घर के बाहर का काम अपनाने लगी हैं।

शोध पत्र में ग्वालियर जिले के विभिन्न शासकीय कार्यालय कार्यरत में कार्यकारी महिलाओं के परिवारों का स्वरूप में एकाकी परिवार का 36.67 प्रतिशत एवं संयुक्त परिवार का 63.33 प्रतिशत है एकाकी परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार का स्वरूप अधिक है एवं बच्चों की मासिक शिक्षा पर अपनी आय का अधिकतम भाग व्यय करने वाली महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है, उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकतर कार्यकारी महिलाएं अपनी आय बच्चों की मासिक शिक्षा पर व्यय करती हैं।

सुझावः

- 1 कार्यकारी महिलाओं को चाहिए कि सबसे पहले अल्पकालीन एवं दीर्घ कालीन वित्तीय योजनाएं बनाएं यानि कि आपको कब क्या खरीदना है इसकी सूची बनाएं, जैसे आप कोई बिजली का उपकरण खरीदना चाहते हैं या फिर कोई कार या मकान।

- 2 परिवार को भी कार्यकारी महिलाओं को उचित सम्मान एवं सत्कार देना चाहिए।
- 3 परिवार के सदस्यों को कार्यकारी महिला द्वारा कमाए गए पैसों का सदुपयोग करना चाहिए।
- 4 वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ कार्य स्थलों पर व्याप्त भेदभाव और महिला सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए बहु पक्षीय प्रयासों को अपनाया जाना चाहिए।
- 5 सरकार को असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं के लिए लक्षित योजनाओं (प्रशिक्षण, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा आदि) के साथ अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े प्रयासों पर विशेष ध्यान देना होगा।
- 6 कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यातायात साधनों की पहुँच में विस्तार के साथ सार्वजनिक स्थलों पर प्रसाधन केन्द्रों आदि के तंत्र को मजबूत करना बहुत आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बघेल, डी.एस. (2000), सामाजिक अनुसंधान, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर आगरा।
2. आई.एस.ओ. (1964), 'वर्किंग वीमेन इन चेंजिंग इंडिया', एम्प्लायमेंट ऑफ वीमेन विद फेमली रेस्पॉन्सिबैलेटी, जेनेवा।
3. कपिल, एच.के. (2001), सांख्यिकी के मूलतत्त्व, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
4. माने के महिंद्र. (2003), भारतीय परिवारों के लिए गृह प्रबंध।
5. महाजन एण्ड महाजन. (1987), परिवार और समय 1986-87 साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
6. सिंहल, श्रीमती प्रभा एवं श्रीमती बीना सांगवान. (1999), आधुनिक परिवारों की गृह व्यवस्था, हरियाणा साहित्य अकादमी चंडीगढ़।
7. तोमर, गोयल व दर्शन. (2003), परिवार और समाज, परिवारिक बजट।

आधुनिकता के सन्दर्भ में छात्र-छात्राओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. रत्ना त्रिवेदी* श्रीमती आभा सिंघल**

* एसोसिएट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) मुन्नालाल एवं जयनारायण खेमका गर्ल्स कालेज, सहारनपुर (उ.प्र.) भारत
** शोध छात्रा (समाजशास्त्र) मुन्नालाल एवं जयनारायण खेमका गर्ल्स कालेज, सहारनपुर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश - भारतीय समाज आज आधुनिकता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। आधुनिकता के प्रभाव से भारत के परम्परागत मूल्यों में तेजी से परिवर्तन होने लगा है जिससे ग्रामीण व नगरीय विभेद कम होने लगे हैं। आज विभिन्न वर्गों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन होने लगे हैं। आज अधिकांश लोग भाग्य की अपेक्षा व्यक्तिगत योग्यता तथा परिश्रम को अधिक महत्व देने लगे हैं। जाति के भेदभाव के स्थान पर समानता व न्याय के मूल्यों में वृद्धि हुई है। समाज के विभिन्न वर्ग लौकिक व तार्किक व्यवहारों के मूल्यों के महत्व को समझने लगे हैं। आज समाज के विभिन्न वर्गों के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे हैं।

प्रस्तावना - भारतीय समाज एक परम्परागत समाज रहा है। अंग्रेजी शासन स्थापित होने से पूर्व हमारे देश में परम्परागत मूल्यों का बहुत महत्व था। परन्तु अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद हमारा सम्पर्क धीरे-धीरे आधुनिक मशीनों के साथ-साथ, आधुनिक रीतिरिवाज, व्यवहार के ढंग, मूल्यों व आदर्शों से भी हुआ तथा भारतीय समाज के लोगो ने आधुनिक व्यवहार मूल्यों, मशीनों व आदर्शों को अपनाना शुरू कर दिया। भारतीय समाज के सन्दर्भ में आधुनिकता परम्परागत जीवन के तरीकों में आधुनिक तत्वों के सम्मिलित होने की प्रक्रिया है। आधुनिकता की अवधारणा के संदर्भ में अनेक चर्चाएँ की गई हैं फिर भी सभी विद्वानों का आधुनिकता के सन्दर्भ में दृष्टिकोण एक जैसा नहीं है।

प्रोफेसर एम.एस.गोरे (1971) के अनुसार “आधुनिकता एक जटिल अवधारणा है क्योंकि जिन समाजों को हम “आधुनिक” कहते हैं उनमें भी प्रत्यक्ष अन्तर देखने को मिलता है। आपका मत है कि जब हम “आधुनिकता” शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य मुख्यतः देश की अर्थव्यवस्था को आधुनिक स्तर पर लाने से ही होता है।”

डॉ० श्यामा चरण दुबे (1988) ने लिखा है, “आधुनिकता एक प्रक्रिया है जिसमें परम्परागत समाज प्रौद्योगिकीकरण पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होता है।”

आइजनस्टेड (1969) के शब्दों में “ऐतिहासिक रूप से आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में विकसित होने वाली सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं की दिशा में देखने को मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि यूरोप तथा अमेरिका में विकसित होने वाले सामाजिक मूल्यों, उत्पादन के तरीकों तथा राजनीतिक व्यवस्था की दिशा में जब सामाजिक परिवर्तन होने लगता है, जब परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को हम आधुनिकता अथवा आधुनिकीकरण कहते हैं।”

एम.जे. लेवी (1955) ने प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के रूप में आधुनिकता को परिभाषित करते हुए लिखा है “आधुनिकता की परिभाषा शक्ति के जड़ स्रोतों के उपयोग तथा इससे सम्बन्धित प्रयत्नों के प्रभाव में

वृद्धि करने वाले उपकरणों के उपयोग से सम्बन्धित है।” इससे स्पष्ट होता है कि आधुनिकता एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें शक्ति के जड़ स्रोतों जैसे-खनिज पदार्थों, जल शक्ति तथा उर्जा के उपयोग में अधिकाधिक वृद्धि होती है।

डॉ० योगेन्द्र सिंह (1973) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Modernization of Indian Tradition में लिखा है “आधुनिकीकरण सांस्कृतिक क्रियाओं का एक विशेष रूप है जिसमें मुख्य रूप से सार्वभौमिक और विकासवादी लक्षणों का समावेश होता है, यह लक्षण अतिमानवता से सम्बन्धित होने के साथ ही सजातीयता और वैचारिक आधार से परे होते हैं।” इस कथन के द्वारा डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया है कि आधुनिकता भी संस्कृति का ही एक विशेष पक्ष है, यद्यपि इससे एक ऐसे परिवर्तन का बोध होता है जो परम्पराओं के विषय विकास के रूप में देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में आधुनिकता की दशा परम्परा से पूर्णतया भिन्न नहीं होती क्योंकि परम्पराओं के अन्दर ही जब हम कुछ नए तत्वों को ग्रहण करने लगते हैं, तभी इसे आधुनिकता की दशा कहा जाता है।

एम.एन.श्रीनिवास (1979) ने डेनियल लर्नर से सहमत होते हुए लिखा है कि “किसी गैर पश्चिमी देश में एक पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिवर्तन का नाम ही आधुनिकीकरण है।” श्रीनिवास ने इस प्रभाव को तर्कपूर्ण लक्ष्यों के रूप में स्पष्ट किया है। इसका तात्पर्य यह है कि जब समाज में ऐसे लक्ष्यों को महत्व दिया जाने लगता है जो तर्क और विकास से सम्बन्धित होते हैं तब इस दशा को आधुनिकता अथवा आधुनिकीकरण कहा जाता है।

आधुनिकता के संदर्भ में उपरोक्त विद्वानों के मत से स्पष्ट होता है कि आधुनिकता परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो किसी परम्परागत अथवा पिछड़े हुए समाज में प्रौद्योगिक विकास, धर्मनिरपेक्षता, मौलिकता, स्वतन्त्रता एवं गतिशीलता जैसी विशेषताओं के प्रभाव में वृद्धि करने लगती है।

अध्ययन का उद्देश्य - यह अध्ययन “दयानन्द एंग्लो वैदिक (पोस्ट ग्रेजुएट) महाविद्यालय” मुजफ्फरनगर के छात्र-छात्राओं में आधुनिकता का

एक अनुभवाश्रित समाजशास्त्रीय अध्ययन है। जिसमें यह जानने का प्रयास किया गया है कि इस महाविद्यालय के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के युवाओं में आधुनिकता की पायी जाने वाली विभिन्न वृत्तियों की प्रवृत्ति और मात्रा क्या है।

निदर्शन—इस महाविद्यालय के 4500 विद्यार्थियों में से अध्ययन के लिए 134 विद्यार्थियों को निदर्शन में स्तरीकृत निदर्शन के आधार पर चुना गया। स्तरीकृत नमूने में एक अंश तक उद्देश्यकता का भी ध्यान रखा गया है क्योंकि इस प्रकार के लघु अध्ययनों में निदर्शन को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने में कठिनाइयाँ आती हैं। स्तरीकृत नमूने की विशेषताएँ निम्न तालिकाओं के माध्यम से प्रकट की जा सकती हैं।—

तालिका-1 : निदर्शन में संकायवार विद्यार्थियों की विवरण तालिका

क्र.	संकाय	निदर्शन में विद्यार्थियों की संख्या
1.	विज्ञान	53
2.	कला	41
3.	व्यवसायिक शिक्षा	25
4.	कानून	15

तालिका-2 : निदर्शन में विभिन्न संकायों में छात्र/छात्राओं की विवरण तालिका

क्र.	संकाय	निदर्शन में छात्रों की संख्या	निदर्शन में छात्राओं की संख्या	योग
1.	विज्ञान	28	25	53
2.	कला	12	29	41
3.	व्यवसायिक शिक्षा	17	8	25
4.	कानून	10	5	15
	योग			134

सर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण तकनीकी—महाविद्यालय में युवक/युवतियों में आधुनिकता सम्बन्धी वृत्तियों का पता लगने के लिए M.S.R. Sharma द्वारा तैयार किए गए मनोवृत्ति मापन पैमाने को संशोधित कर प्रयोग किया गया है।

तालिका-3 : धर्म के आधार पर हिन्दू व मुस्लिम छात्र-छात्राओं के आधुनिकता स्कोर

धर्म	सहमत/ बिलकुल सहमत स्कोर	प्रतिशत	असहमत/ बिलकुल असहमत स्कोर	प्रतिशत	अनिर्णीत स्कोर	प्रतिशत
हिन्दू	1568	59.15%	794	29.96%	288	10.86%
मुस्लिम	207	47.91%	145	33.56%	80	18.51%

आधुनिकता की वृत्तियाँ सभी धर्मों के युवक/युवतियों को समान रूप से प्रभावित नहीं करती। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक “सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया” में इसका संकेत किया है और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों में जब तक नई शिक्षा और इससे जुड़ी वैज्ञानिक वृत्तियों का विकास शुरू हुआ तब तक हिन्दु समाज पश्चिमीकृत और आधुनिकीकृत मूल्यों में बहुत आगे जा चुका था। वर्तमान सर्वेक्षण के आँकड़े दर्शाते हैं कि हिन्दू छा/छात्राओं में अपेक्षाकृत अधिक आधुनिकता की वृत्तियाँ पाई जाती हैं।

परन्तु यहां यह भी इंगित करना आवश्यक है कि इस महाविद्यालय के

छात्र/छात्राओं के इस निदर्शन में मुसलमान छात्र/छात्राओं की संख्या परिमाणात्मक विश्लेषण के दृष्टिकोण से यथेष्ट नहीं कही जा सकती। अतः निष्कर्ष निकालते समय कुछ सावधान रहना ही आवश्यक है और यह गहन अध्ययन इस लघु क्षेत्र सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जा सकता।

तालिका-4 : लिंग के आधार पर छात्र तथा छात्राओं के आधुनिकता स्कोर

लिंग	सहमत/ बिलकुल सहमत स्कोर	प्रतिशत	असहमत/ बिलकुल असहमत स्कोर	प्रतिशत	अनिर्णीत स्कोर	प्रतिशत
छात्र	935	58.58%	546	34.21%	115	7.20%
छात्राएँ	850	69.95%	213	17.53%	152	12.51%

आधुनिकता की वृत्तियों पर लिंग भेद का प्रभाव जानने के लिये जो आँकड़े एकत्र किये गये उनसे पता लगता है कि छात्राओं में आधुनिकता का प्रतिशत 69.95 है जबकि छात्रों में यह प्रतिशत 58.58 है।

उपरोक्त तालिका के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि छात्राओं में छात्रों की अपेक्षा अधिक आधुनिकता की वृत्तियाँ होती हैं। छात्राओं में लिंग समानता (Gender Equality) इहलौकिकवाद (This worldliness) तथा ग्राह्यता (Adaptability) अधिक पाई गई। इसका कारण यह हो सकता है कि आज कानून ने महिलाओं को अपनी प्रस्थिति बदलने के लिए अधिकार प्रदान किए हैं। साथ ही छात्राएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती हैं तथा घर में तथा नौकरी के क्षेत्र में पुरुषों के समान प्रस्थिति प्राप्त करना चाहती हैं। इसीलिए छात्राओं में आधुनिकता की प्रवृत्तियाँ अधिक मात्रा में होती हैं। इसके अतिरिक्त आज समाज में महिलाओं की भूमिका भी बदल रही है और लगभग सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान पद प्राप्त कर रही हैं। इसीलिए समाज में आगे बढ़ने की इच्छा तथा प्रतियोगिता होने के कारण छात्राओं में छात्रों की अपेक्षा आधुनिकता अधिक मात्रा में होती है।

तालिका-5 : नगरीय व ग्रामीण छात्र-छात्राओं के आधुनिकता स्कोर

क्षेत्र	सहमत/ बिलकुल सहमत स्कोर	प्रतिशत	असहमत/ बिलकुल असहमत स्कोर	प्रतिशत	अनिर्णीत स्कोर	प्रतिशत
नगरीय	1577	58.49%	792	29.37%	327	12.12%
ग्रामीण	198	51.29%	147	38%	41	10.62%

पूर्ववर्ती अध्ययनों ने भी यह दर्शाया था कि नगरत्व अपने आपमें व्यक्तिवादिता, सार्वभौमिकता, गतिशीलता जैसी विशेषताओं को उत्पन्न करता है जो व्यक्ति को अधिक ग्राह्य और आधुनिक वृत्तियों वाला बना देता है। वर्तमान सर्वेक्षण के आँकड़े सिद्ध करते हैं कि नगरीय छात्र/छात्राएँ अधिक आधुनिकता वृत्तियों वाले होते हैं। यद्यपि ग्रामीण-नगरीय भेद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी यह इंगित करता है कि इस ओर नवीन उपकल्पनाओं के माध्यम से विस्तृत अध्ययन किये जा सकते हैं।

उपरोक्त तालिका के आधार पर स्पष्ट होता है कि ग्रामीण छात्र-छात्राओं में आधुनिकता का स्कोर 51.29 प्रतिशत है तथा नगरीय छात्र-छात्राओं में यह स्कोर 59.49 प्रतिशत है जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण अन्तर नहीं कहा जा सकता है।

तालिका-6 : संकायवार छात्र-छात्राओं के आधुनिकता स्कोर

अध्य-यन विषय	सहमत/बिलकुल सहमत स्कोर	प्रतिशत	असहमत/बिलकुल असहमत स्कोर	प्रतिशत	अनिर्णीत स्कोर	प्रतिशत
कला	535	56.79%	295	31.31%	112	11.88%
विज्ञान	627	53%	400	33.86%	154	13%
कानून	216	62.60%	93	26.95%	36	10.43%
व्यवसायिक शिक्षा	210	48.83%	152	34.34%	68	15.81%

विभिन्न संकायों में आधुनिकता की वृत्तियों का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि कानून के विद्यार्थियों में आधुनिकता की वृत्तियां सबसे अधिक है। प्रायः यह अनुमान लगाया जाता है कि विज्ञान तथा व्यवसायिक शिक्षा के छात्र/छात्राओं में वैज्ञानिकता की वृत्तियां विकसित होती है। अतः उनकी आधुनिकता सम्बन्धी वृत्तियों का भी संवर्धन होता है परन्तु सर्वेक्षण से पता लगा कि वैज्ञानिक शिक्षा और वैज्ञानिक मनोवृत्तियों के विकास में गहरा सम्बन्ध नहीं है। कानून की शिक्षा शायद समानता, सार्वभौमिकता और मानव स्वतन्त्रता पर अधिक जोर देती है और इस भावना का विकास करती है कि कानून द्वारा परम्परागत सामाजिक नियमों को बदला जा सकता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को अधिक अनुकूलन करने योग्य बनाती है। इसी का परिणाम है कि उनमें आधुनिकता की वृत्तियां अधिक पाई जाती है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मुस्लिम छात्र-छात्राओं की अपेक्षा हिन्दू छात्र-छात्राओं में आधुनिक प्रवृत्तियां अधिक पाई जाती है तथा वे अपने धर्म में ही विवाह करना, भोजन करने से पूर्व पूजा करना तथा किसी कार्य को शुरू करने से पूर्व पूजा करना आवश्यक नहीं मानते हैं। महाविद्यालय के छात्रों की अपेक्षा छात्राओं में आधुनिकता की प्रवृत्तियां अधिक पाई जाती है। वर्तमान समय में महाविद्यालय की छात्रायें भी

आर्थिक रूप से पुरुषों के समान आत्मनिर्भर होना चाहती तथा पुरुषों के समान प्रस्थिति प्राप्त करना चाहती है। ग्रामीण छात्र छात्राओं की तुलना में नगरीय छात्र छात्राओं में आधुनिकता की अधिक प्रवृत्तियां पाई जाती है। नगरीय छात्र-छात्राओं पर जाति, धर्म, पाप पुण्य, भाग्यवादिता जैसे विचारों का प्रभाव कम देखने को मिलता है तथा वे हर घटना को वैज्ञानिक आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। कानून के छात्र-छात्राओं में आधुनिकता की प्रवृत्तियां अन्य संकायों के छात्र-छात्राओं की अपेक्षा अधिक होती है इसका कारण यह है कि कानून की शिक्षा समानता, सार्वभौमिकता व मानव स्वतन्त्रता पर अधिक बल देती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. Dube, S.C. (1988) Modernization and development, vistaar publication, New Delhi.
2. Eisenstadt, S.N. (1969), Modernization :protest and change, Prentice Hall of India, New Delhi.
3. Gore, M.S. in A.R. Desai (Ed), Essays on Modernization of underdeveloped societies Vol. II, Thacker and Co. Mumbai 1971, p.232.
4. Goyal Sunil, Goyal sangeeta (2003) "भारतीय में समाजिक परिवर्तन" RBSA Publication, Jaipur.
5. Levy, J.Marion (1955), Contrasting factors in the modernization of China and Japan in Economic growth in Brazil, Japan, Kuznets et al, (eds.), Duke University press, Durham, p.p. 496-536.
6. Srinivas, M.N. (1977), 'Social change in Modern India, Orient longman limited', New Delhi p.50.
7. Singh. Yogendra (1973) 'Modernization of Indian' Tradition, Thomson press, Delhi p.50.

उपभोक्ता ऋण देने में बैंकों का वर्तमान प्रचलन

डॉ. संजय पंडित* प्रो. रुक्मणी यादव**

* प्राध्यापक, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक, श्री नीलकण्ठेश्वर शासकीय पी. जी. महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत सरकार द्वारा समर्थित डिजिटलीकरण और क्रेडिट नीति के युग में उपभोक्ता ऋण में तेज वृद्धि देखी गई है। बैंक और एनबीएफसी उपभोक्ताओं को अलग-अलग समय के उपभोक्ता ऋण का लाभ उठाने के लिए कई प्रस्ताव दे रहे हैं जैसे कार ऋण, गृह ऋण, व्यक्तिगत ऋण, गृह उपकरण ऋण और अन्य ऋण इत्यादि।

ऋण का इतिहास एवं वर्तमान – भारतीय समाज या भारतीय बाजार में ऋण और उधार लेना कोई नई बात नहीं है। पुराने समय में किसान मजदूर एवं अन्य वर्ग साहूकारों एवं जमींदारों से कर्जा लेकर खेती-बाड़ी या अपना व्यवसाय करते थे। यह किसान एवं मजदूर फसल पकने या व्यवसाय में मुनाफा कमाने के बाद साहूकारों एवं जमींदारों को कर्जा वापस करते थे, किंतु इस दिए हुए कर्ज पर ब्याज अथवा सूत की दर इतनी अधिक होती थी कि एक बार लिया हुआ कर्जा ज्यादातर किसानों एवं मजदूरों के लिए जीवन भर का बोझ साबित होता था। एक बार जो व्यक्ति कर्ज ले लेता था वह सूत चुकाते चुकाते ही अपनी सारी कमाई साहूकारों को दे दिया करता था, किंतु उसका असल अथवा मूल रकम कभी चुका ही नहीं पाता था।

आज के इस युग में साहूकारों एवं जमींदारों की जगह बैंकों एवं एनबीएफसी ने ले ली है। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होता है जिनका मूल काम कर्ज देना एवं लेना होता है एवं यह बैंकिंग ऑपरेशन अथवा बैंकिंग कार्य से दूर रहते हैं। पिछले दशक में बैंकों एवं इन संस्थाओं द्वारा समाज में कई तरह के कर्ज बांटे गए हैं आज के इस युग में हम कह सकते हैं कि हमें एक सुई भी खरीदनी हो तो बैंक कर्ज देने को तैयार है।

ऋण लेने के लाभ – भारत में बड़े उपभोक्ता या कॉर्पोरेट्स अपना ज्यादातर काम या व्यवसाय कर्ज लेकर ही करते हैं भारत में कुछ चुनिंदा या कह सकते हैं मात्र एक या दो बड़े व्यवसाय ही ऐसे होंगे जो बिना कर्ज लिए अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अन्यथा ज्यादातर व्यवसाय कर्ज लेकर ही अपना व्यवसाय करते हैं। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है कर्ज लेने के कई फायदे भी हैं:

1. आमतौर पर बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज पर ब्याज की दर काफी कम रहती है आज के समय मध्य आमतौर पर 6% से 15% तक के सालाना ब्याज दर पर ऋण आसानी से मिल जाता है।
2. आज के युग में कुछ ऋण जैसे व्यक्तिगत ऋण के लिए किसी संपार्श्विक सुरक्षा (कॉलेटरल सिक्योरिटी) या गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है और कोई भी व्यक्ति आसानी से वित्तीय संस्थान से ऋण सुविधा का लाभ उठा सकता है।
3. पुराने समय में जब साहूकारों द्वारा ऋण दिया जाता था तब असल

अथवा सूत का भुगतान फसल पकने अथवा किसी त्योहार पर आमदनी होने पर किया जाता था किंतु आज के समय में ईएमआई ऑप्शन बैंकों द्वारा दिया जाता है जिसके तहत प्रतिमाह आपको आपके ऋण का कुछ अंश का भुगतान करना होता है। इस सुविधा के कारण लोन लेने वाले व्यक्ति पर एकमुश्त भार नहीं आता एवं वह लोन आसानी से चुका देता है।

वर्तमान में उपभोक्ता ऋण – आज से करीब 20 से 25 वर्ष पूर्व आम आदमी के मन में कर्ज लेने की मानसिकता नहीं थी। वह अपने दैनिक खर्च एवं अन्य खर्च अपनी आमदनी से करता था एवं उसकी आमदनी का कुछ अंश बचा कर रखता था, भविष्य में आने वाले किसी बड़े खर्च या किसी विपत्ति हेतु पर आज के समय में आम आदमी कर्ज लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराता है। इसके कई कारण हैं:

1. बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा उपभोक्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध करवाना भी उपभोक्ताओं को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
2. इंस्टेंट लोन या कहे कि पलक झपकते ही ऋण का उपलब्ध हो जाना आजकल बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है। इस सुविधा के कारण कई उपभोक्ता बाजार से या परिचित रिश्तेदारों से कर्ज लेने के बजाय बैंकों का रुख करने लगते हैं।
3. केवल वित्तीय लोन ही नहीं किंतु वस्तु लोन भी कई तरह की वित्तीय संस्थानों द्वारा उपभोक्ताओं को दिया जाता है। कई कंपनियां जैसे बजाज फाइनेंस 0% ब्याज दर पर घरेलू उपकरण जैसे मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कूलर इत्यादि खरीदने हेतु लोन प्रदान करती हैं, जिन का भुगतान नियमित किस्तों द्वारा किया जाता है। इस तरह के ऑफर उपभोक्ताओं के मन में एक लालच पैदा करते हैं एवं उपभोक्ता यह लोन लेने के लिए उत्सुक हो जाते हैं।

आज के इस युग में बैंक एवं वित्तीय संस्थान उपभोक्ता को ऋण उनके सिबिल स्कोर के परिणाम के अनुरूप प्रदान करते हैं। सिबिल (CIBIL) का अर्थ मूल रूप से आपको एक सिबिल स्कोर प्रदान करके आपकी साख का माप करना है जो वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक संख्यात्मक सारांश है, चाहे वह ऋण, अग्रिम या क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए हो। बैंक सिबिल स्कोर के अनुरूप ही ऋण प्रदान करता है अगर किसी उपभोक्ता का सिबिल स्कोर काफी उत्तम है तो उसे ऋण लेने में कोई समस्या नहीं आएगी, किंतु अगर किसी उपभोक्ता का सिबिल स्कोर काफी कम है

जोकि किसी पूर्व लोन अथवा क्रेडिट कार्ड का समय से भुगतान न करने के कारण है, तो उसे ऋण लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

उपभोक्ता ऋण के प्रकार – मुख्यतः उपभोक्ता ऋण चार प्रकार के होते हैं

1. **होम लोन:** होम लोन एक प्रकार का ऋण है जो वित्तीय संस्थानों या बैंक द्वारा उपभोक्ता को घर बनाने या खरीदने के लिए दिया जाता है, आमतौर पर अधिग्रहित घर संपार्श्विक (Collateral) के रूप में होता है, इसलिए इसे सुरक्षित कर्ज कहा जाता है।
2. **टर्म लोन:** टर्म लोन एक प्रकार का सीमित अवधि का लोन होता है। आमतौर पर 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि में प्रदान किया जाता है। टर्म लोन दो प्रकार के होते हैं एक सुरक्षित तथा दूसरा असुरक्षित। सुरक्षित में किसी वस्तु या प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है किंतु असुरक्षित में कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता।
3. **वस्तु लोन:** वस्तु लोन वह लोन होता है जो कि किसी वस्तु को खरीदने या उपयोग करने हेतु बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा उपभोक्ता को प्रदान किया जाता है। कार लोन बाइक लोन घरेलू उपकरण हेतु लिया गया लोन इसी श्रेणी में आता है आज के युग में चाहे तो किसी भी वस्तु को खरीदने हेतु लोन ले सकता है।
4. **अन्य लोन:** उपरोक्त बताए गए लोन के अलावा किसी भी प्रकार का लोन, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा उपभोक्ता को दिया गया है तो वह अन्य लोन की श्रेणी में आता है।

ऋण लेने के नुकसान – जहां तक ऋण लेने से तुरंत फंड का इंतजाम हो जाता है किंतु ऋण लेने से कई तरह के नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। ऋण लेने के कुछ नुकसान नीचे दर्शाए गए हैं:

1. सभी ऋण की भुगतान की अवधि एक निश्चित होती है तथा हर महीने की एक निश्चित तिथि को आपको उस ऋण की किस्त का भुगतान करना होता है। एक भी किस्त का भुगतान न कर पाने की स्थिति में आपका पूरा लोन चक्र गड़बड़ हो सकता है, तथा आपको कुछ पेनल्टी या फीस ज्यादा देनी पड़ सकती है इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण तभी लेना फायदेमंद होता है जब आप प्रत्येक किस्त का भुगतान समय पर कर सके।
2. कुछ मामलों में, ऋण व्यवसाय की संपत्ति या आपकी व्यक्तिगत संपत्ति, जैसे आपके घर पर सुरक्षित किए जाते हैं। सुरक्षित ऋणों के लिए ब्याज दरें असुरक्षित ऋणों की तुलना में कम हो सकती हैं, लेकिन यदि आप पुनर्भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आपकी संपत्ति या घर जोखिम में पड़ सकते हैं।
3. यदि आप ऋण अवधि समाप्त होने से पहले ऋण चुकाना चाहते हैं, तो एक शुल्क लग सकता है, खासकर यदि ऋण पर ब्याज दर निश्चित

है।

4. मासिक किस्त के माध्यम से लंबी अवधि के भुगतान में ब्याज दर में भिन्नता देखी जा सकती है। इसका मतलब है कि ईएमआई स्थिर नहीं होगी, बल्कि लागू ब्याज पर बाजार के प्रभाव के अनुसार बदल जाएगी।

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को ऋण बांटने के फायदे एवं नुकसान – बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को ऋण देने के कई लाभ एवं हानियां हैं। लाभ इस प्रकार है:

1. ऋण देने से बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को ब्याज की आय होती है जिससे कि वह अपना व्यापार चलाता है।
2. ऋण देने से बैंकों को जो आय होती है उसी आय से वह अपने पास रखे डिपॉजिट पर ब्याज देते हैं एवं बैंक के अन्य खर्चे व कार्यप्रणाली को समुचित तरीके से निर्वाह करते हैं।

लोन देने से बैंकों को कुछ हानियां और नुकसान भी झेलना पड़ सकता है जैसे कि:

1. यदि किसी दिए गए ऋण पर उपभोक्ता दिवालिया अथवा कंगाल हो जाता है तो बैंक को उस रकम का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
2. समय से पहले किसी उपभोक्ता द्वारा ऋण को समाप्त करने की दशा में बैंक को ब्याज की हानि झेलनी पड़ती है।
3. किसी सुरक्षित ऋण पर कई बार ऐसी दशा भी देखने को मिलती है की गिरवी रखी गई संपत्ति का कुल मूल्य कुल ऋण रकम से कम होता है, जिसके कारण कई बार लोन डिफॉल्ट की स्थिति में बैंकों का पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाता।

उपसंहार – आज के इस युग में ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी ऋण अथवा लोन का उपयोग करता ही है, क्योंकि आज कोई साहूकार या जमींदार आपको पैसा उपलब्ध नहीं कराता अपितु बैंक या वित्तीय संस्थान आपको पैसा लोन के रूप में उपलब्ध कराते हैं। पिछले एक दशक में बैंकों द्वारा लोन बांटने में भी काफी सरल विधियों का उपयोग किया जाता है जिसके कारण भी उपभोक्ता बैंक के प्रति आकर्षित होते हैं, और अपनी किसी जरूरत के लिए बैंकों से ऋण ले लेते हैं। सिबिल ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों का कार्य काफी हद तक आसान कर दिया है, जिसकी वजह से आज बैंक सिबिल स्कोर के दम पर ही कई उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान कर देती है। जिस गति से टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कोई नया साधन या माप आ जाए जिससे ऋण के भविष्य में हमें कुछ और ही पन्ने देखने को मिले।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

Environmental Sustainability and Balance Growth

Mrs. Prabhati Amrawanshi*

*Assistant Professor, Govt. PENCH VALLEY PG COLLEGE, PARASIA, DISTRICT CHHINDWARA (M.P.) INDIA

Introduction - Sustainability can be well defined in terms of climate change factor. Sustainability is the ability to maintain a given conduct indefinitely in present atmospheric structure. The experts define environmental sustainability to maintain balance between social, environmental, and economic factors in society.

Environmental Sustainability and Ecological Balance - Herman Daly, one of the early pioneers of ecological sustainability, looked at the problem from a maintenance of natural capital viewpoint for defining environmental sustainability. In 1990 he proposed that: Environmental sustainability and animal protection are frequently viewed as two significant but distinct issues. There's a connection between those two things, though. In the face of growing global demand for animal protein and increasing public scrutiny of animal farming from both an animal welfare and environmental sustainability perspective, work is needed to explore this connection and improve innovative thinking. Environmental sustainability encompasses a wide range of concerns from a particular area to globe. Global issues include concerns about mitigation of Globally Harmonized System GHGs, climate change, and renewable energy, soil degradation, water conservation, land quality, and air and water pollution are the regional locational problems. Biofuel's position in the environmental sustainability aspect is to reduce in large part.

It is necessary to monitor the biofuel's energy content and the amount of fossil fuel used during its development which will assess the contribution of biofuels to reducing GHG emissions. The energy requirement in biofuel production includes the energy required for both the growing and the harvesting of the feedstock as well as maintaining adequate wild life balance. The energy needed in the cultivation process is in the form of pesticides. The ratio of energy production to input of fossil energy required to generate the resulting biofuel is known as the balance of fossil energy. This plays a significant role in the evaluation of required biomass-derived biofuel. Apart from GHG and electricity the other factor is water management. Consideration of the quantity of water used and its effect

on local water quality and potential supply in continuous growing population becomes significant concern in determining environmental sustainability. Further challenge is controlling nitrogen runoff from farm land to local streams and rivers with growth of chemical factories. Eviting loss of biodiversity that happens through biofuel is another litigation criterion. Biodiversity preservation is very important, but biomass production under an intensive monoculture system can lead to biodiversity loss. Not only that, it will have a detrimental effect on habitat destruction, herbicide and fertilizer pollution and invasive species growth.

The Three Pillars of Sustainability - The principle of The Three Pillars of Sustainability says that for the complete sustainability problem to be solved all three pillars of sustainability and must be sustainable. The three pillars are social sustainability, environmental sustainability, and economic sustainability. Environmental sustainability is the most critical of the three pillars. However the issues pertaining to environmental sustainability is not overcome, then no matter how hard we try, the other foundations cannot be improved because they depend on the larger structure in which they exist, the climate. Environmental sustainability is the rates of renewable resource harvest, pollution creation, and non-renewable resource depletion that can be continued indefinitely. If they cannot be continued indefinitely then they are not sustainable. Sustainability is important for many reasons including.

- **Environmental Quality** – In order to have healthy communities, we need clean air, natural resources, and a nontoxic environment.
- **Growth** – UNTHSC's- University of North Texas Health Science Center, enrollment continues to grow, which states that growth accomplish more resources such as energy, water, and space. Sustainability aims to use these resources efficiently to benefit our social and community needs.
- **Healthcare** – Sustainability and healthcare are directly related since the quality of our environment affects public health. For example, many health issues are directly related to air and water quality.

Primary Goals of Sustainability - The sustainable

development professional network thinks, acts and works globally. In 2012, the United Nations Conference on Sustainable Development met to discuss and develop a set of goals to work towards; they grew out of the Millennium Development Goals (MDG) that claimed success in reducing global poverty while acknowledging there was still much more to do. The SDG eventually came up with a list of 17 items (8) which included amongst other things:

The end of poverty and hunger

Better standards of education and healthcare - particularly as it pertains to water quality and better sanitation

To achieve gender equality Sustainable economic growth while promoting jobs and stronger economies. All of the above and more while tackling the effects of climate change, pollution and other environmental factors that can harm and do harm people's health, livelihoods and lives. Sustainability to include health of the land, air and sea. Concerns of environmental sustainability

Long-term ecosystem health – Protecting the resource's long-term viability and sustainability to meet potential economic and social needs, such as safeguarding food sources, farmland and fishing stocks.

The decision-making between generations - We should reflect on the consequences for future generations, and not just the present moment, when making economic decisions. Burning coal, for example, gives a short-term.

Renewable resources : Diversifying resources for non-renewable energy sources. The solar and wind power, are best example.

Limit the impacts of man-made global warming. Policies ensuring the global climate does not deteriorate to a point where future generations will face lack of water, severe weather events, and high temperature.

Defense of ecological structure and diversity of species - Medicines often include elements of different species of plants and animals. If some species are vanished from planet, future technological innovations in medical field will be limited.

The treatment of environmental resources as if they have an inherent right and value. In other words, we should not rely solely on monetary value, i.e. we should protect rainforests because they deserve to be protected rather than a cost-benefit analysis of whether we benefit financially from protecting rainforests or not, long term benefits to be consider. Studies have shown that the existence of trees can help to keep the soil structure together. If all the trees are cut down, the nutrients in the soil are more likely to be washed away. Nutrients and soil structure are slowly being dismantled, which means that the soil will be less fertile in the future.

Strategies to promote environmental sustainability

- **Carbon tax** – a tax on the production / consumption of carbon – e.g. the burning of fossil fuels. The aim is to make users face full social costs, rather than just private costs.

- Government regulations to reduce harmful emissions. Some cities, for example, have promised to ban diesel cars by a certain date.

- To support / encourage more sustainable environmental practices. For example, moving towards renewable energy, such as solar and wind power, rather than relying on non-renewable energy sources that create pollution.

- Include all environmental consequences in the cost-benefit analysis of decision-making.

- Changing consumer / firm behavior through persuasion and the use of behavioral economics – e.g. by discouraging the use of plastic taxes. E.F. Schumacher's in his book *Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered* (1973), places greater emphasis on the environment. Schumacher in his booklight a new movement that questioned whether economic growth actually increased human welfare. Environmental economics is an attempt to broaden the neo-classical economy to include the environment in market decisions. Pigovian taxes, for example, reflect social costs. Environmental economics seeks to reform the strength of the market. The extent to which economic growth conflicts with environmental sustainability is a major debate. • On the one hand, rising GDP and output lead to higher resource consumption, increased pollution and increased demand for natural resources.

- However, certain types of economic growth may still be compatible with environmental sustainability. For example, technological developments have meant that, theoretically, we could generate energy from renewable resources.

- Consequently, it may not be necessary to stop economic growth, but to change economic growth, focusing on environmentally sustainable types of economic growth. The Kuznets curve is a (controversial) theory that, at one stage of economic development, the environment degrades, but after a turning point, the post-industrial, service sector leads to a decline in environmental degradation. Another case in which unregulated markets in many countries can lead to market failure and a deration in environmental sustainability. The tragedy of the Commons is best understood as overgrazing or overfishing. The tragedy of the commons was brought about by the ecologist and philosopher Garret Hardin (1968). Hardin noted: "the damage that innocent actions by individuals may cause to the environment". If there is a common area of natural resources (North Sea, land) individuals are motivated to make use of the sea to maximize their fishing. However, if several individuals maximize their yield from this limited resource, they can reach a tipping point where fish stocks are no longer sustainable. The species of fish can be drastically reduced and even extinct. Economist Elinor Olson suggested that local people could voluntarily enter into local agreements to look after areas of shared

resources. Voluntary cooperation, however, is more difficult for a shared resource between different nations but can be experimented at local levels. The European Union is implementing a common fisheries policy to address the issue of overfishing in the North Sea.

Environmental sustainability and Environmental Resources

- Non-renewable resource – it cannot be used again for this purpose once it has been used. For example, coal and oil are non-renewable. Once the coal is burned, the resource is no longer available for use. There is a limited amount of coal and oil, although new supplies can be discovered.
- Renewable resources; Resources that are not diminished by being used. For example, the wind generator does not reduce the amount of wind – it has no impact on the future supply of wind energy. Similarly, solar power does not reduce the energy from the sun. Semi-Renewable Resources. Some resources may be renewable if they are used at the correct level. Farmland, for example, should be a renewable resource. If crop rotation is practiced, there is no deterioration in soil fertility. However, if the farmland is intensively cultivated with the use of artificial fertilizers and pesticides, soil quality can begin to deteriorate.

Environmental sustainability and HDI - The HDI simplifies and captures only part of what human development entails; it does not reflect on sustainability, inequalities, poverty, empowerment, etc. The 2016 Human Development Report introduced a set of dashboards including Sustainable Development Dashboard which focuses on sustainability in the environmental, economic and social realms. The HDI, when supplemented with data from dashboards, can provide valuable insights. Sustainable energy is central to economic growth, social progress, and environmental sustainability, as recognized by the 2030 Agenda for Sustainable Development. Renewable energy consumption per capita and Carbon dioxide emissions data show a contrasting picture between very high and low human development countries. However, there is an important difference in the type of renewable energy available in these countries. In very high human development countries renewable energy technologies include solar, wind and hydro. On the other hand, in low human development countries the use of clean renewable energy technologies is at the beginning. The high share of renewable sources should also be looked in the context of low electrification rates, particularly in rural areas, where the energy source is mostly based on biomass (burning wood in households), which have negative implications on environment and health. The survey states that in adoption of 2030 global agenda, countries are moving forward for achieving a world free from poverty, gender inequality and economic inequality and thereby ensuring a healthy planet for future generations. These objectives are multidimensional and integrate a variety of social, economic and environmental dimensions.

Environmental Sustainability and India - India is following

a holistic approach to its 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) by launching multiple schemes. Indian SDG Index Score ranges between 42 and 69 for States and between 57 and 68 for UTs. Kerala and Himachal Pradesh are the front runners of all the States with a score of 69, Chandigarh and Puducherry are the front runners with a score of 68 and 65, respectively, among the UTs. In 2019, the Government of India launched the National Clean Air Plan as a pan-India timebound regional strategy for the prevention, control and reduction of air pollution, in addition to growing the air quality monitoring network across the world. The National Resource Efficiency Policy (RE) that builds on established policies to tackle multiple sectors should be built for the mainstreaming of the Resource Efficiency Approach in the development path towards the achievement of SDGs. Many studies have examined the economic effect of the RE strategy and have estimated that Rs. 6000 crores can be saved in the manufacturing sector with its implementation. Developments in the Sustainable Finance arena The Survey states that India is ranked 11th in the world ranking and accounts for 33% of Certified Climate Bonds by number in emerging markets. Developing countries like India should aspire to do their best within their own domestic resources, keeping in mind the imperatives of sustainable growth. It is time for the global community to demonstrate the momentum needed to fulfill its obligations in creating a climate action enabling environment, the Survey adds.

Environmental Policies in India towards Achieving Sustainable Development – A path leading to sustainable development, therefore, is the urgent need of the hour for India. The level of environmental awareness will be raised, thus leading to the drafting of new legislations to support the environment. For example, India has just drafted two new legislations on mining (The Mines and Minerals Development and Regulation Act 2013) and land acquisition for industrial development (The Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013) which are results of this increased environmental awareness. However, despite these high expectations, it would be naïve to think that an enthusiastic participation in the Rio+20 conference or active engagement of its agenda alone will propel India into the league of developed nations. The reasons are simple: green economy is but a greener option, but not a magic wand. And for India, where more than 300 million people live below the poverty line and where over 50 percent of the population does not have access to safe drinking water, medical care and basic amenities like toilets, the main challenge is not the development of a concept, but rather its systematic implementation at the ground level. One example of this is India's solid waste management (SWM) sector.

According to the Government of India, urban India produces over 115,000 mega tons of solid waste each day. Currently there is a nationwide effort to better manage this

waste and the government has roped in several private sector companies who have an impressive pool of SWM experts. On the national level, the whole effort is focused on keeping the country clean and green, while generating jobs. Yet, at ground level this has threatened the livelihood of at least 15 million poor people who make a living by recycling the waste, but are not recognized for their skills. This is a case where the concept of green economy and inclusive growth is failing to tackle poverty or unemployment because there is no holistic approach to its implementation. India's new environmental policy promotes local approaches that would tackle social and environmental concerns at the same time as good local governance and practice. And, in a globalized world, these solutions, though praiseworthy, can only be partial. Global technology sharing, for example, is important, but local communities can still oppose emerging technologies. The paradox is that economic growth will provide an improved standard of living for the increasing population, while at the same time raising environmental stress. Social standards of quality of life are undoubtedly significant, but, given India's dilemma, they must be enforced in accordance with technological change. The swelling of the population makes it and topic of

particular global concern. However, technology, good governance and democratic norms at least offer the possibility of escape from the apparent trap of rising demographics, increasing aspirations and environmental degradation.

References:-

1. National Environment Policy, 2008
2. UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy
3. Ibid 2
4. Ernst&Young survey 2013
5. Ethan Goffman, India and the Path to Environmental Sustainability, ProQuest is part Cambridge, Information, Group, (www.cambridgeinformationgroup.com),
5. <http://www.csa.com/discoveryguides/india/editor.php>, (Released February 2008).
6. Sha Zukang, Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs and Secretary-General of the 2012 UN Conference on Sustainable Development.
7. Jayanthi Natarajan, Indian Minister for Environment and Forests, New Delhi

पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण से महिलाओं की दशा में आये बदलाव का अध्ययन

श्रीमती नीता ठाकुर *

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जबलपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत के संदर्भ में ग्रामीण विकास को एक प्रक्रिया या व्यूह रचना तक ही सीमित कर देना भारतीय जन-जीवन के ताना-बाना को सतही धरातल तक ही सीमित रखना माना जा सकता है। आदिकाल से हमारे जीवन का अंग रहा है। ग्राम्य जीवन की बेहतर व्यवस्था को हमारे मनीषियों ने एक दर्शन और साधना के रूप में स्वीकार किया। यदि राम राज्य से लेकर चाणक्य तक तथा गुप्त वंश से लेकर मध्य युग तक की ऐतिहासिक घटनाओं पर हम निगाह डालते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी की पूरी प्रशासकीय व्यवस्था ग्रामीण स्तर से ऊपर की तरफ जाती थी। चाहे वह कौटिल्य के जमाने का प्रजातंत्र हो या बाद के काल का राजतंत्र सबमें जीवन की सुख सुविधाओं और सर्वांगीण विकास पर ही बल दिया गया है।

जिस देश में लगभग तीन चौथाई आबादी गांव में बसी हो और कृषि ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो, उस देश में ग्रामीण विकास के बिना राष्ट्र के विकास की कल्पना ही भला कैसे संभव है ? यही कारण है कि योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया के प्रथम सोपान यानी पहले पहली पंचवर्षीय योजना से ही ग्रामीण विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। देश की बहुत बड़ी जनसंख्या, विस्तृत क्षेत्रफल तथा सीमित संसाधनों के कारण अपेक्षित परिणाम चाहे नहीं मिल पाए हैं, परन्तु यह भी सत्य है कि सरकार अब तक के प्रयासों से ऐसा बुनियादी ढाँचा खड़ा हो चुका है जिसके बल पर ग्रामीण विकास का सपना साकार होने की आशा की जा सकती है।

भारत जैसे विशाल देश में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में विभिन्नता के कारण ग्रामीण विकास के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करना आसान है। इस परिप्रेक्ष्य में वस्तुतः ग्रामीण विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाना आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, भूमि तथा अन्य सभी संसाधनों का असामान्य बंटवारा, सामाजिक अन्याय जैसी अनेक समस्याएं ग्रामीण भारत के विकास में बाधक हैं। महात्मा गांधी ने सच कहा था कि – भारत का आधार और आत्मा गांव है। यदि भारत का विकास करना है तो गांव तथा ग्रामवासियों का विकास करना होगा।

स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान और उसमें होते रहे संशोधनों में इस तथ्य को बराबर महसूस किया जाता रहा कि महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्रों में बढ़ाना आवश्यक है। सन् 1959 में बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तब भी यह माना गया कि देश का समग्र विकास महिलाओं को अनदेखा करके नहीं किया जा सकता है, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था

को सुदृढ़ करने तथा पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1992 में 73 वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा का गठन होना अनिवार्य हो गया और ग्राम पंचायतों और सदस्यों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं की कर दी गई है। इस व्यवस्था का प्रभाव हुआ कि देश भर में लाखों महिलाएं पंचायतों के नेतृत्व हेतु मैदान में आ गईं। इस संशोधन के माध्यम से जहाँ एक ओर पंचायती राज व्यवस्था को देश के लोकतांत्रिक प्रशासन के तृतीय सोपान के रूप में संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई वहीं दूसरी ओर महिलाओं के अस्तित्व और अधिकार को भी स्वीकार किया गया।

संविधान का यह प्रावधान महिलाओं की छिपी शक्ति को उजागर करने का सार्थक कदम था। इसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में पंचायत चुनावों की घोषणा की गई। इस चुनाव में लगभग तीस लाख महिलाओं ने भाग लिया। विश्व के किसी भी अन्य देश में पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है। वर्तमान संदर्भों में देखा जाय तो बिहार के बाद मध्यप्रदेश में आने वाले पंचायती चुनावों में यह प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है और यह सब इसलिए भी हुआ है कि महिलाओं की शक्ति को अब पहचान मिल चुकी है और उन्होंने कहीं अधिक संवेदनशीलता के साथ अपने पदों पर रहकर न्याय किया है।

ग्रामीण राजनैतिक क्षेत्र में कुछ वर्षों पूर्व तक महिलाओं की भूमिका नगण्य रही है तथा पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहा है। आज ग्राम पंचायत से जिला स्तर की संस्थाओं में महिलाएं निर्वाचित होकर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यद्यपि महिलाओं के लिए यह नया क्षेत्र है तथा सामन्ती मनोवृत्ति से जकड़े पुरुष प्रधान समाज में उन्हें पुरुषों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है किन्तु उसका मुकाबला करते हुए महिलाओं ने अशिक्षित होने के बाद भी अपने आप को ज्यादा संवेदनशील और बेहतर प्रशासक, कम समय में ही सिद्ध कर दिया है। अब विवश होकर राजनैतिक दलों को भी अधिक से अधिक महिलाओं को सम्मानजनक पद देने पड़ रहे हैं। संवैधानिक इस व्यवस्था से अधिक लाभ जनजातीय महिलाओं को हुआ है जो कभी घर की चारदिवारी में कैद रहती या केवल घर से बाहर जाकर मजदूरी करती थी।

ग्रामीण विकास के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक तीन पहलू हैं जो परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। इनमें से आर्थिक विकास में महिलाओं का सर्वाधिक योगदान है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा पुरुषों की तुलना में

दो गुना अधिक श्रम किया जाता है, जहाँ एक पुरुष प्रतिदिन दस घंटे कार्य करता है वहीं एक महिला प्रतिदिन सोलह घंटे कार्य करती हैं लेकिन चूंकि प्रत्यक्ष आय में उसका योगदान कम होता है। अतः उसके योगदान को वह महत्व प्राप्त नहीं होता जिसकी वह अधिकारिणी हैं।

सतही स्तर पर पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देकर जहां उनकी भागीदारी को एक हद तक बढ़ावा मिला है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर अभी बहुत कुछ करना शेष है। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद जो महिलाएं संसद और विधान सभाओं में चुनकर आएंगी, उनका पंचायत स्तर की महिलाओं तक नेटवर्क होगा जिसके कारण पंचायत में महिलाओं को और अधिक सशक्त होने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का उपयोग करने तथा सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में अपनी निजी भूमिका निभाने में अनेक बाधाएं हैं लेकिन जिस समाज में महिलाओं का घर से बाहर निकलना तक अच्छा न समझा जाता रहा है, उस ग्रामीण-परिवेश में निश्चित ही एक नई चेतना का संचार हुआ है।

निरक्षरता, गरीबी तथा अंधविश्वास के बंधनों को तोड़ना मुश्किल होते हुए भी अब जरूरी हो गया है। कम से कम प्रारंभिक चरण में ही सही, शक्तिशाली लोग अपने फायदे के लिए अनमने ढंग से ही सही, महिलाओं को चुनाव में खड़ा तो कर रहे हैं। आरक्षण की इस व्यवस्था से महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु एक मौन-क्रांति के युग का प्रारंभ हो गया है, जिससे आने वाले वर्षों में 50 प्रतिशत आरक्षण के बाद और अधिक सकारात्मक परिणाम निश्चय ही सामने आएंगे। आज भले ही पंचायतों में महिलाओं की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाया जा रहा है, परंतु यह धारणा बिल्कुल गलत है कि महिलाएं कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हैं या उनमें निर्णय लेने क्षमता नहीं है। वास्तविकता यह है कि अब तक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था और सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ने के मार्ग में अड़चने पैदा करने का ही प्रयास किया गया। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि जब भी महिलाओं को आगे आने का अवसर मिला है, उन्होंने इसका पूरा-पूरा उपयोग किया है। यह हमें विभिन्न राज्यों में इससे अधिक संख्या में चुनी गई है।

पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण दिये जाने से महिला और प्रमुखतः आदिवासी महिला के जीवन में कई बदलाव देखने को मिले हैं जहाँ एक ओर महिला अपने घर-परिवार से बाहर निकलकर नई ऊर्जा के साथ नवीन जिम्मेदारियों को उठाने लगातार प्रयास कर रही हैं वहीं एक वर्ग आज भी पुरुष प्रधान समाज में निर्वाचित होने के बाद भी अपने परिवार या समाज के किसी पुरुष की परतंत्रता में है। इस अध्ययन में जनजातीय महिलाओं में आई जबाबदारियों से बदली दशाओं तथा इससे संबंधित नई-नई समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया है।

तालिका कं 1 (अगले पृष्ठ पर देखें)

जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड एवं नागालैण्ड के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

इस शोधपत्र के माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकाले गये हैं।

ग्रामीणजनों का स्थानीय निर्वाचन में मतदान व्यवहार के लिए एक ही मुद्दा नहीं होता है बल्कि प्रत्याशी की छवि, स्थानीय हित, जातिवाद आदि घटक भी मतदान को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं लेकिन सामान्यतः पंचायती राज निर्वाचन में ग्रामीण अपना मतदान का उपयोग स्थानीय हित और स्थानीय प्रत्याशी की छवि के आधार पर करते हैं।

ग्रामीण मतदाताओं में स्थानीय निर्वाचन में यह आधार नहीं होता है

कि प्रत्याशी महिला है या पुरुष लेकिन उसकी शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है यदि महिला या पुरुष प्रत्याशी शिक्षित है तो ग्रामीणजन ऐसे प्रत्याशी को अपना मतदान प्राथमिकता पर करते हैं। इसके अलावा मतदान राजनैतिक दलों के समर्थन पर भी ध्यान रखा जाता है अर्थात् जो ग्रामीण जिस दल का सक्रिय सदस्य है या उसके पसंद के राजनैतिक दल के प्रत्याशी को मतदान करता है।

महिला प्रतिनिधि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों की आयोजित होने वाली बैठकों में नियमित रूप से भाग नहीं ले पाती हैं। जैसे-तैसे महिलाएं यदि ग्रामसभा या बैठकों में भाग लेती हैं तो वह खुलकर अपना सुझाव, मत या निर्णय नहीं दे पाती हैं।

अधिकांश महिला प्रतिनिधि समय-समय पर पंचायत संबंधी जानकारी तथा कार्य की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण की आवश्यकता को आवश्यक माना है।

मतदान व्यवहार में केन्द्र या राज्य सरकार की अपेक्षा स्थानीय हित या प्रत्याशी की छवि के आधार पर अधिक मतदान होता है।

महिलाएं परिवार या राजनैतिक दबाव के कारण निर्वाचन में शामिल होती हैं ऐसी महिलाएं जो स्वप्रेरणा के आधार पर निर्वाचन में शामिल होती हैं, उनकी संख्या काफी कम है।

अधिकांश महिलाओं को पुरुषों की भांति प्रशासनिक अमले का सहयोग बेहतर नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार अन्य पुरुष जनप्रतिनिधियों से आशानुरूप सहयोग महिला प्रतिनिधियों को नहीं मिलता है जबकि सांसद एवं विधायक के साथ तो बहुत अधिक दूरियां होती हैं जिससे क्षेत्र को आशातीत लाभ नहीं मिल पाता है।

पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिला आरक्षण से महिलाओं के साथ-साथ ग्रामीण विकास को गति मिल सके जिससे पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य को पूरा किया जा सके इसलिए कुछ सुझाव इस अध्ययन उपरांत दिये गये हैं।

महिलाएं खासकर ग्रामीण अंचल में निवास करने वाली महिलाओं का शिक्षा स्तर अत्यंत निम्न है जिससे वह अपने निर्णय लेने के साथ अपने दायित्वों को समझने में भी असहाय होते हैं। अतः महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल देते हुए आवश्यक है कि पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत किसी भी चुनाव के लिए निरक्षर व्यक्ति को निर्वाचन हेतु अयोग्य माना जाये। जिससे निर्वाचन में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति स्वयं तथा महिलाओं की शिक्षा के लिए सामने आयेगें।

आज मजबूती से कहा जा सकता है कि 73 व 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् ग्राम पंचायतों व स्थानीय निकायों के लिए चुनी गयी महिलाओं की सहभागिता अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गयी हैं। स्वयं की स्थिति, अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति, उनकी जागरूकता में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। आवश्यकता है राजनीतिक प्रक्रिया के इस निम्नतम स्तर पर निर्वाचित लाखों महिलाओं को एक दूसरे से जोड़ने की, जिससे स्थानीय से विस्तृत राष्ट्रीय स्तर तक वे अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सकें और राष्ट्र के नीति नियन्त्रा, केन्द्रीय संसद व राज्य विधानसभाओं में भी उनकी अनिवार्य सहभागिता हेतु अधिक सकारात्मक प्रयास किय जाये।

मध्यप्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण दिये जाने पर यह तो स्पष्ट है कि महिलाओं को राजनैतिक या परिवार के दबाव के चलते निर्वाचन में शामिल होना पड़ता है अतः

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए जहाँ उनके व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ उनके कार्य एवं दायित्वों को समझाया जाये एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित होने वाली योजनाओं को विस्तृत रूप से समझाया जाये।

डिजिटल इंडिया के अवधारणा के चलते ग्राम पंचायत के कार्यों को डिजिटल बनाया जा रहा है लेकिन महिला पंचायत प्रतिनिधि तो निरक्षर भी है। ऐसी स्थिति में इसका संचालन केवल औपचारिकता होगा या महिला प्रतिनिधियों के अधिकार का हनन। यदि ग्राम पंचायत में डिजिटल व्यवस्था को लागू किया जाना है तो सबसे पहले पंचायत प्रतिनिधियों को इसके तैयार किया जाना चाहिये या ऐसी सरल व्यवस्था बनाया जाये जो साधारण व्यक्ति भी समझ सके।

महिला सशक्तिकरण के लिए मात्र महिला पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण द्वारा क्षमतावर्धन पर्याप्त नहीं है। इसके साथ, इन संस्थाओं के पुरुष प्रतिनिधियों की सोच बदलना अति आवश्यक है क्योंकि उनकी महिला-विरोधी मानसिकता पंचायती राज संस्थाओं के महिला नेतृत्व के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। इसे दूर करने तथा उन्हें महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उसके मनोवैज्ञानिक ज्ञान का लाभ उठाते हुए समय-समय पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

ग्राम सभाओं में महिलाओं के साथ-साथ ग्रामवासियों की उपस्थिति नगण्य होती है जबकि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण ग्राम सभा को माना जाता है लेकिन ग्राम सभाओं में उपस्थिति लगातार कम होती है और यदि यहाँ महिला पदाधिकारियों की बात की जाये तो उपस्थिति और भी कम हो जाती है ऐसी स्थिति में इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ इसकी उपयोगिता पर कठोर निर्देश जारी किये जाने चाहिये।

वित्तीय दृष्टि से जनजातीय क्षेत्रों की पंचायतों की स्थिति भिन्न है। यहाँ शासकीय अनुदान एवं सहयोग ही वित्तीय स्रोत है। स्थानीय राजस्व

संग्रहण एवं करारोपण की दृष्टि से पंचायतों ने कोई प्रयास नहीं किये हैं और महिला पदाधिकारी इस दिशा में अधिक प्रयास नहीं कर पाते हैं अतः शासन स्तर ऐसी ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय सहायता देना चाहिए जिससे उनमें विश्वास के साथ ग्राम पंचायतों को विकास करने के लिए आगे आ सकें। उम्मीद की जानी चाहिए इस प्रकार के प्रयासों से हम अपने संवैधानिक लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अवस्थी ए., लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एम.पी., वेस्टर्न बुक डिपो, नागपुर, 1950.
2. अग्रवाल श्रीमन्नारायण, दी गोंधियन प्लान ऑफ इकनॉमिक डेव्हलपमेंट फॉर इण्डिया, किताब महल, इलाहाबाद, 1960.
3. कपिल, एच. के., अनुसंधान विधियाँ व्यवहारपरक विज्ञानों में हरप्रसाद भार्गव, पुस्तक प्रकाशन, आगरा, 1990-91.
4. खन्ना आर.एल., पंचायत राज इन इण्डिया इंग्लिश बुक शॉप, चंडीगढ़, पंजाब, 1956
5. गांधी एम. के., पंचायतीराज, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 1961
6. चक्रवर्ती के.एच. लीडरशिप, फंक्शन एंड पंचायती राज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर भट्टाचार्य एस.के., (राजस्थान), 1993
7. जैन, पी.सी. - **क्रेस्टीनीटि आइडोलॉजी एण्ड सोशल चेंज अमंग ट्राईव्स**, रावत पब्लिकेशन, जयपुर एण्ड नई दिल्ली, 1995
9. जैन, डॉ. राजेश - **आर्थिक विकास में मानवीय साधन**, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नईदिल्ली, 1996.
10. बाधवा शालिनी, भारत में स्थानीय प्रशासन, अर्जुन पब्लिकेशन हाऊस, नई दिल्ली, 2003
11. बाजपेयी अशोक, पंचायत राज एण्ड रूरल डेव्हलपमेंट, साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, 1994

तालिका क्रं 1 : पंचायती राज चुनाव में कुल महिला प्रतिनिधियों की संख्या

ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल प्रतिनिधि	अजजा प्रतिशत	महिलार्ये	जनपद पंचायत की संख्या	कुल प्रतिनिधि	अजजा प्रतिशत	महिलाएँ	जिला पंचायत की संख्या	कुल प्रतिनिधि	अजजा	महिलाएँ
228944	2678183	321464	984273	5883	157973	11510	58112	521	15583	1691	5763

स्रोत-पंचायतों की स्थिति: पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली

A Study on Gender Equality Through Sustainable Development

Nisha*

*Research Scholar (Economics) Sahu Ram Swaroop Mahila Mahavidyalaya, Bareilly, Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly (U.P.) INDIA

Abstract - Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful and sustainable world. The exclusion of women places half of the world's population outside the realm of opportunity to Partner in building prosperous societies and economies. There is a need to equal access to education , decent work and representation in political and economic decision -making process are not only right women should have , they humanity at large.

Sustainable Development Goal declares to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. SDGs also declares to achieve gender equality and empower all women and girls. The paper discuss how education can help to reduce gender equality and increase national capacity and achieve gender equality, social, economic development through the SDGs.

Keyword- Education, Gender equality, Sustainable development.

Introduction - The Sustainable Development Goal (SDGs) are a collection of 17 global goals designs to be a "blueprint to achieve a better and more sustainable future for all". The SDGs, set in 2015 by the United Nations General Assemble and intended to be achieve by the year 2030 Agenda.

According to Brundtland Report: "Sustainable Development is development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own need".

These 17 goals are based on the limited success of the millennium Development Goals, while including new areas such as climate, economics inequality, gender equality, women empowerment, innovation, sustainable consumption, peace and justice.

"The SDGs provides us with a common plan and agenda to tackle some of the pressing challenges facing our world such as poverty, climate change and justice"

Helen Clark, Administrator of UNDP - Goal and equality education must be provided females and males to meet Gender equality through Sustainable Development. Gender equality between female and male, entails the concept that all human and make choice without the limitation set by stereotype, rigid gender role are directly related to gender equality.

According to Nelson Mandela: "Education is the most powerful weapon which can use to change the world".

Education is the key to get gender equality, to reduce poverty, to creating a sustainable planet, to preventing death

and illness and to fostering peace and justice. Education is the new currency by which nations maintain economic competitiveness and global prosperity. Education is an investment, and one of the most critical investment we can make.

Review of Literature

Dr. Saroj Kumar Singh has said in his study about sustainable development that Sustainable development has become the "buzzword" of both the academic and the business world. "Sustainability" has been present for the last decades in academic papers, syllabuses of Faculties, boardrooms of local authorities and corporations and offices of public relations officers. Unfortunately, sustainability has become a "fashionable" concept in theory, but it is considered extremely expensive to be put in practice by major corporations, firms and local or national governments. Anne Mikkola 2005 has written in her paper about gender equality on economic development and growth ,she is suggests that issues in gender inequality as it relates economic development fall into the categories of: values and religion, cultural restrictions and roles, legal and inheritance laws and practices, resource allocation within marriage, labour market access, education, fertility, gender specific market failures in finance, and power in decision making.

Steps to achieve Gender Equality - Discrimination against women and girls is long running and pervasive phenomenon which characterizes India Society at each and every level. In the past decade, there has been a large decline in female

labour force participation from 34% to 27% while the India GDP has grown around 6%. The ranking of India towards gender equality such as gender development index is not that much satisfactory, in spite of fairly raising rates of economic growth.

1. Talk to women and girls to know the basic reason why country have not achieve gender equality in every is that women's are often excluded from global and national decision making.
2. Majority of girls in India do not have any access to using basic technology such as computers and phones because of infrastructure related challenges and economic reasons.
3. If country want girls to be able to complete education level, try to end child marriage. There is a seriously address sexual harassment of girls. It is one of the insecurities parents give for marrying their daughters.
4. Even through there has been much progress in increasing access to education but the progress is slow in improvising the sensitivity of education system.
5. It is one of the key strategies to change how girls, families and society imagine what can be and can do, Girls must be given images and role models that expand their dreams.
6. When mothers are educated and empowered to make choices in their lives, they enable their daughters to go to school and make their dreams come true.

Right to Education for Gender Equality - Education is both a human right in itself and an indispensable means of realizing other human rights into civil and political, economic, social and cultural development.

The right to education is protected comprehensively under article 13 and 14 of the International Convention on Economic, Social and Cultural Right (ICESCE). which also enshrines a Prohibition on discrimination, based on sex, both in law and in fact .

The two most recent convention-CEDAW in 1979 and the Convention on the Right of the Child (CRC in 1979) contain the most comprehensive set of legally enforceable commitments concerning both right to education and to gender equality.

In the light of those above declarations and convocation, India government enacted the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 or Right to Education Act, 2009. This act assented to 26 August 2009 and commenced on 1 April 2010. This act describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between 6 and 14 in India constitution. Now India has become one of the 135 countries to make education a fundamental right of every child when the act came into force on 1 April 2010.

Gender based difficulties in Education - There are gender related problems in education in terms of access students enrolment or performance in the university and college. There are still some areas where gender balance

should be encourage, like the representation of girls and women in science and mathematics and to ensure that those already in scientific and research careers find their careers, prospects and rewards sufficiently satisfactory to keep them there.

Gender inequalities in higher education and research have become an issue of growing policy concern since the late 1990s. statistic and research have shown that gender equality has not been achieve in higher education quantitatively or qualitatively.

This is so despite the fact that women have made great gains in higher education during the last decades. In the beginning of the 21st century, women account for more than half of graduates in higher education throughout the world.

Importance of Gender Equality- Gender Equality is intrinsically linked to sustainable development because it is vital to realize the human right. The overall objective of gender equality same opportunities, rights and obligations in all sphere of sexes are able to share equally in-

1. The distribution of influence of power.
2. Have equal opportunities for financial independence
3. Setting up own business.
4. The opportunity to develop personal ambitions, interests and talents.
5. Share responsibility at home.
6. Completely free from coercion, intimidation and gender-based violence both at work and at home.

Gender equality and women's empowerment do not mean that men and women become the same only that access to opportunities and life change is neither dependent on, nor constrained by, their sex. It is not only a fundamental for a peaceful and sustainable world. Equal access to education, decent work and representation in political and economic decision-making processes are not only rights women should, they benefits humanity at large.

Gender Equality for Sustainable Development - There have been many changes in India since the country gained its independence from great Britain 1947, the most impressive being the rise of the Indian economy . However not all facets of Indian life have enjoyed the same advancement. Health, Education and other human development issues have not seen the growth that the economy has enjoyed. India will not realize the full benefit of an improving economy until the lives of the India people improve.

Sustainable Development Goal 5 aims to eliminate all forms of discrimination and violence against women in the public and private sphere and to undertake reforms to give women equal right to access ownership of property and economic resources in the upliftment of women to form a better society.

India has reached partially gender equality at the primary education level and on its path track to achieve parity at all education levels, as of 2019, the proportion of

seek in the lok sabha held by women has reached 11% but 46% in the Panchayat Raj Institutions. India is also confronting the challenges of violence against women. Most of total crimes reported against women in India were cruelty or physical violence by her husband or his relative.

They had identified ending violence against women as a key national priority, which resonates with the Sustainable Development target of the United Nations on gender equality.

Our mantra should be "Beta Beti ek samaan". Let us celebrate the birth of the girls child, we should be equally proud of our daughter is born to celebrate the occasion

Hon. PM Narendra Modi Ji.

Gender Gap Report - On December 2020, the world economic forum released the global gender gap report, on the basis of their progress towards gender parity reviewing 149 countries, in its global gender gap index.

India has got 108th position in the report release by world economic forum. India has improved the wage quality for similar work sub index of the gender gap index 2018. Tertiary education gender gap has been able to close for fully the first time. In economic participation sub index. Out of 149 countries India has been ranked 142. In India, it needs more women into senior and professional roles to make more improvement in ranking as per the world economic forum report. India has widened the gap in health and survival sub index. It continues to rank third lowest in this sub index.

Recommendations on Gender Equality in Education- Education for all is important for three reasons:

1. Education is a human right
2. Education enhances individual freedom
3. Education yields important development benefits

Government of India has taken many steps for it but they are not enough for SDGs, NGOs also are playing important roles for employment of women and their education, but that is not enough. They have to make plans of action and execute them well.

Some suggestions for empowerment of the women that would meet SDGs are as follows:

1. Government should make a plan for Gender Equality for empowerment of women.
2. Non-formal Education should be given to rural women by joint efforts of Government and NGOs.
3. Project Pradhan Shiksha Adhigam is a National level programme. However, its implementation is not satisfactory. It seems to be limited only to the literacy mission.
4. Women Education should be a part of the curriculum and co-curriculum activity of higher secondary and secondary level.
5. In higher education such as engineering, medical, legal sector, women participation is less than men.

Conclusion- Achieving sustainable goals through gender equality in education entails tackling gender ideologies that constrain enjoyment of the full array of positive freedoms that are valued in a rights and capabilities approach. This entails firstly putting women back into the picture as rights bearers and not deliverers of development and extremely our interest in how women's education impacts women themselves.

References:-

1. The Global Gender Gap Report 2018, World Economic Forum, Switzerland
2. S Singh (2016), Sustainable Development: A Literature Review,
3. International Journal of Indian Psychology, Volume 3, Issue 3, No. 6, DIP: 18.01.104/20160303
4. Mikkola, Anne, Role of Gender Equality in Development - a Literature Review (December 2005). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=871461> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.871461>
5. Archana chandra, 2018 sustainable development through gender equality ISSN -9789386618481
6. Neelam kalla and Hemaprabha purohit, gender equality and sustainable development; the Indian story
7. Shiv kumar yadav, sustainable development through gender equality in education
8. Dr. datchana Moorthy Ramu, gender equality and sustainable development goals in India

सेज पर संस्कृत: धार्मिक चक्रव्यूह में फंसी नारी

निधी सिंह* डॉ. रामेश्वर पांडेय**

* शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

** शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत में नारी सुरक्षा हमेशा से गंभीर विषय रहा है। 'सेज पर संस्कृत' मधु कांकरिया द्वारा स्त्री विमर्श पर लिखित अति संवेदनशील रचना है। इस उपन्यास में एक ऐसा परिवार चित्रित किया गया है। जिसके मुखिया और पुत्र की मृत्यु हो जाती है। समाज के ताने और आर्थिक समस्या के कारण माँ पुत्रियों को लेकर असुरक्षा की भावना से इस सीमा तक ग्रस्त हो जाती है कि वह अध्यात्म को ही अपनी पुत्रियों का मुक्तिमार्ग समझने लगती है। इसलिए वह साधवी बन जाना चाहती है और अपनी दोनों बेटियों को सांसारिक बंधनो से मुक्त कर साधवी बन जाने के लिए कहती है। माँ अपनी छोटी बेटी को लेकर जैन धर्म की दीक्षा ले लेती है। दीक्षा के उपरांत माँ और बेटा धार्मिक चक्रव्यूह में फंस जाती है। संघमित्रा अथक प्रयासों के बावजूद भी अपनी माँ और बहन छुटकी के जीवन की रक्षा नहीं कर पाती है।

शब्द कुंजी – सेज पर संस्कृत, धार्मिक चक्रव्यूह, संधारा।

प्रस्तावना – स्त्री प्रत्येक युग में समाज एवं साहित्य का अभिन्न अंग रही है। समाज और साहित्य से स्त्री को अलग नहीं किया जा सकता है। साहित्य, कला और दर्शन से स्त्री का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है कि उसके अभाव में सभ्यता की कल्पना ही कोरी है। पुराणों और संस्कृत महाकाव्यों में स्त्री अत्यन्त गरिमामयी रूप में चित्रित हुई हैं। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में स्त्री को अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है तथा उसे देवी के समान स्थान दिया गया है- 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।' अर्थात् जहाँ नारियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ स्वयं ईश्वर का निवास होता है।

आगे चलकर जैसे-जैसे समय बदलता गया, स्त्री के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलता चला गया। जहाँ वैदिक युग में स्त्री को अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान मिला था, वहीं उसके बाद स्त्री के गौरव का निरन्तर अवमूल्यन होता रहा। जो स्त्री देवी थी अब वह मानवी बनकर रह गई। धीरे-धीरे पुरुष-प्रधान समाज अपने प्राचीन आदर्शों को भूलने लगा। अब पुरुष के लिए स्त्री मात्र भोग्या रह गई। पुरुष अपनी स्वच्छन्दता का उपभोग करता रहा तथा स्त्री को प्रतिबंधित करके रखा।

प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखिका सीमोन के अनुसार 'स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है।' स्त्री को बचपन से ही मानसिक तौर पर उसके स्त्री होने का अहसास दिलाया जाता है। पितृ-सत्तात्मक समाज स्वयं की सत्ता को बनाये रखने के लिए स्त्री को जन्म से ही अनेक नियमों से घेर देता है। सीमोन लिखती हैं, 'औरत जन्म से ही औरत नहीं होती, बल्कि औरत बनाई जाती है। कोई भी जैविक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक नियति आधुनिक स्त्री के भाग्य की अकेली नियन्ता नहीं होती।'

मधु कांकरिया ने अपने उपन्यास 'सेज पर संस्कृत' में एक ऐसे परिवार का चित्रण किया है, जिसमें संघमित्रा (बड़ी बेटा), छुटकी (दिव्यप्रभा), ऋषि (भाई), मणिप्रभा (माँ पूर्णिमा देवी), के साथ अन्य पात्रों के साथ मालविका, शशिप्रभा आदि पात्र हैं। परिवार में तीन लोग संघमित्रा, माँ और छोटी बहन छुटकी स्त्री पात्र हैं। छोटे भाई ऋषि और पिता की मृत्यु के बाद माँ

सपरिवार जैन धर्म के एक संघ में दीक्षित होना चाहती है। मतलब, सपरिवार संन्यास। संघमित्रा इसका पुरजोर विरोध करती है। इस विरोध में वह जैन धर्म और उसकी जीवन शैली पर अनेक प्रश्न खड़े करती है।

उपन्यास आरम्भ से ही जीवन का यथार्थ चित्र समाज के सामने रखता है। यह कहानी है धर्म के अधार्मिक होने की, व्यक्तित्व की विकलांगता की, व्यक्ति की विवशता की। और यह कहानी है धार्मिक चक्रव्यूह में फंसी मणिप्रभा और उसके परिवार की।

मुखिया और पुत्र ऋषि की असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण माँ पूर्णिमा देवी पर सारे उत्तरदायित्व आ गये हैं। उसकी दो पुत्रियाँ हैं और घर में कोई पुरुष नहीं है, जो परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सके। वह कहती है, 'अरे जिस समाज ने चार भुने हुए चने के लिए धर्मात्मा तुलसीदास को भी नहीं छोड़ा वह हमें क्या बखशेगा।' उसका विश्वास है कि इस संसार में रोटी तो मिलेगी लेकिन उसकी कीमत बोटी देकर चुकानी पड़ेगी। 'घर में कोई मर्द होता तो क्या ऐसे बोलने की हिम्मत कर सकता था वह? यह आदमियों की दुनिया है जो रोटी तो देगी पर बोटी नोच लेगी। फटी चदरी-सा यह घर अब न तुम्हारे सँभले-सँभलेगा और न मेरे।' समाज के जिल्लतों और आर्थिक समस्या के कारण माँ पुत्रियों को लेकर असुरक्षा की भावना से इस सीमा तक ग्रस्त हो जाती है कि वह अध्यात्म को ही अपनी पुत्रियों का मुक्तिमार्ग समझने लगती है। इसलिए वह साधवी बन जाना चाहती है। वह चाहती है कि उसकी पुत्रियाँ संघमित्रा और छुटकी भी इसी मार्ग को अपना लें, जिससे उनका जीवन सुरक्षित रह सके एवं माँ को भी उसके उत्तरदायित्वों से सम्मानसहित मुक्ति प्राप्त हो जाए।

संघमित्रा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। संघमित्रा साधवी जीवन एवं दीक्षा के विरुद्ध है। वह अपनी ग्यारह वर्षीय छोटी बहन को दीक्षा से बचाना चाहती है क्योंकि उसे धार्मिक चक्रव्यूह में फंसने का परिणाम पता है। उसके अनेक प्रयासों के बावजूद माँ का पलड़ा भारी पड़ जाता है। संघमित्रा के समझाने का माँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और माँ घर पर रहकर ही

साधवी जीवन की शुरुआत कर देती है। घर में सूर्यास्त के पश्चात् आहार ग्रहण न करने का नियम लागू हो जाता है। छोटी पुत्री छुटकी पर माँ का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। वह खेलने-कूदने की आयु में ही धर्म रूपी दलदल में फँसने लगती है। संघमित्रा लाख प्रयास करने के बाद भी छुटकी को माँ के प्रभाव से मुक्त नहीं कर पाती। माँ और छुटकी दीक्षा लेने के लिए कलकत्ता चले जाते हैं।

दिव्यप्रभा के मन में संसार के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। वह परिव्रज्या अर्थात् विहार भ्रमण करके अपने जीवन को गतिशील बनाने का प्रयास करती है। उसी समय अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में उसे आठ दिनों के लिए बाहर भेजा जाता है। वहीं विजयेन्द्र मुनि और दिव्यप्रभा एक-दूसरे के प्रति आकर्षण में बँधा जाते हैं। वे दोनों सन्न्यासी जीवन को छोड़ने के लिए तत्पर हैं। विजयेन्द्र मुनि पलायन के स्थान पर संघ प्रमुख के नाम एक पत्र छोड़कर जाना चाहते हैं। इस कार्य के लिए विजयेन्द्र मुनि अपने गुरुभाई अभय मुनि की सहायता लेते हैं। अभय मुनि दिव्यप्रभा को निकालने में सफल हो जाते हैं लेकिन वे दिव्यप्रभा के साथ बलात्कार कर देते हैं और विजयेन्द्र मुनि को सन्देश देते हैं कि दिव्यप्रभा ने उनके साथ पलायन से मना कर दिया। धर्म के नाम पर अपना सम्पूर्ण जीवन अर्पित करने के बावजूद दिव्यप्रभा को बलात्कार जैसी धिनौनी स्थिति का सामना करना पड़ता है। दिव्यप्रभा गर्भवती हो जाती है और संसार की सबसे पापी औरत घोषित करके उसे संघ से निष्कासित कर दिया जाता है। पुत्री पर कलंक लगने से आहत माँ संथारा ग्रहण कर लेती है।

आठह वर्षों के बाद दोनों बहनें पुनः मिलती हैं। अब संघमित्रा सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी है। वह नारी शक्ति संघ की स्थापना कर चुकी है और अब इस संस्था में दस हजार महिलाएँ हैं। संघमित्रा का परिचय ऋषिकन्या नामक लड़की से होता है, जो उसे अपने घर ले जाती है। उस लड़की की माँ दिव्यप्रभा है। दिव्यप्रभा बताती है कि संघ द्वारा उसे चाचा को सौंप दिया गया लेकिन चाचा ने भी उसे घर से निकाल दिया। चाचा का दरबान उसे नौकरी दिलवाने का लालच देकर कोठे पर बेच गया। अब उसे कैंसर हो चुका है और वह संघमित्रा को ऋषिकन्या की जिम्मेदारी देकर मरना चाहती है। दिव्यप्रभा अपनी जिन्दगी का सच संघमित्रा को बताते हुए कहती है, 'और सच पूछो जीजी, तो यह दुनिया भी उतनी बुरी नहीं। यहाँ कम-से-कम कोई किसी को बदचलन तो नहीं कहता। उस तपोवन से भी अच्छी है यह दुनिया, जिसने आज तक जाने कितनी औरतों को सहारा दिया पर किसी को पापिन कहकर निकाला नहीं। मुझे गलत मत समझना जीजी, पर मुझे तुम्हारी पवित्र दुनिया से अब डर लगने लगा है। सोचो जीजी, कितनी कमज़ोर थी वह दुनिया, जिसकी नींव हिल गई एक अजन्मे गर्भ के चलते। कहीं अच्छी है यह दुनिया। यहाँ हम सब एक जैसी हैं। जैसी भीतर वैसी बाहर। न कोई पाखंड, न पवित्रता का झंझट, न धर्म की थानेदारी। हम सबके माथे पर चिपकी है हमारी हकीकत। हम सबका धर्म एक है- रोटि का धर्म। हम सबका सत्य एक है- ब्राह्मण। जो भी आ जाए हमारे आँगन, राजा, रंक, योगी, कोढ़ी ... सबको समान भाव से स्वीकार करती हैं हम। वह दुनिया मेरे किस काम की जीजी, जो भेद करे इन्सान इन्सान में।'

नारी शक्ति संघ को राष्ट्रीय संघ बनाने वाली और सम्पूर्ण स्त्री जाति की सहायता करने वाली संघमित्रा अपनी बहन की दशा देखकर बहुत दुखी होती है। संघमित्रा उन दोनों को अपने घर ले आती है। दिव्यप्रभा की मृत्यु हो जाती है। संघमित्रा बदले की आग में जल रही है। वह अभयमुनि को ढूँढ

निकालती है और उसे अपने प्रेम के जाल में फँसाकर उसकी हत्या कर देती है। वह अभयमुनि से कहती है, 'नहीं मुनि, मुझे दुःख है कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती क्योंकि तुम सिर्फ मेरे नहीं, तुम पूरी मनुष्यता के गुनाहगार हो। एक धर्मगुरु होकर तुमने ऐसा किया ... इसलिए तुम्हारा अपराध अक्षम्य है मुनि। जो धोखा, ज़िल्लत और अकथनीय आँसू तुमने दूसरों को दिए, देखो, कैसे लौटकर वे आते हैं तुम्हारे पास।'

निष्कर्ष - सेज पर संस्कृत उपन्यास में स्त्री के दमन एवं शोषण की गाथा कही गई है। सदियों से स्त्री का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शोषण होता आया है। स्त्री इस शोषण को मूक भाव से सहती आई है। आज की स्त्री भी इस शोषण-चक्र में पिसी जा रही है। शोषण के इस कड़ी में धर्म के ठेकेदारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। समाज की उपेक्षा और आर्थिक कारणों से संघमित्रा की माँ द्वारा दीक्षा लिए जाने के निर्णय से धार्मिक चक्रव्यूह में फँसकर दिव्यप्रभा की मृत्यु हो जाती है, माँ संथारा ग्रहण कर लेती है और बदले की आग में जल रही संघमित्रा अभयमुनि के हत्या कर जेल चली जाती है। इस तरह धार्मिक चक्रव्यूह में फँसकर संघमित्रा, उसकी माँ और बहन तीनों का जीवन बर्बाद हो जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कांतिकुमार जैन (2009): असंस्कृति धर्माचरण की हाहाकारी गाथा, महत्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुस्तक-वार्ता, जनवरी-फरवरी, पृ. 21-22।
2. कृष्णदत्त पालीवाल, उत्तर आधुनिकता की ओर, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 139
3. डॉ. रमाशंकर शुक्ल (2011): उपन्यास समीक्षा - सेज पर संस्कृत, रचनाकार, ब्लॉग पोस्ट।
4. डॉ. वृशाली सु. मांदेकर (2014): सेज पर संस्कृति: धर्म की आँड में पल रही अपसंस्कृति का कोरा चिट्ठा, यूनिवर्सिटी हिंदी जर्नल, अंक-2 (I), अप्रैल-जून, पृ. 62-66।
5. डॉ. शोभा पालीवाल, अमृतलाल नागर के उपन्यासों में सामाजिक चेतना पृष्ठ 114
6. मधु कांकरिया (2017): सेज पर संस्कृत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 07
7. मधु कांकरिया (2017): सेज पर संस्कृत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 45-46
8. मधु कांकरिया (2017): सेज पर संस्कृत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 50-51
9. मधु कांकरिया (2017): सेज पर संस्कृत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 53
10. मधु कांकरिया (2017): सेज पर संस्कृत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 07
11. मधु कांकरिया (2017): सेज पर संस्कृत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 184
12. मधु कांकरिया (2017): सेज पर संस्कृत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 211
13. मधु कांकरिया (2017): सेज पर संस्कृत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 226
14. सीमोन द बोउवार, अनुवादक-प्रभा खेतान, स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ 121

लखनऊ शहर के विद्यालयों में शैक्षणेत्तर गतिविधियों का अध्ययन

मीता श्रीवास्तव* डॉ. मंजु दुबे**

* शोधार्थी (गृह विज्ञान) शा.क.रा.क. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शा.क.रा.क. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक जीवन का विकास करना है। पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जिन्हें हम पठ्येत्तर गतिविधियाँ कहते हैं, शिक्षा के इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हैं। 'पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय इन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ-साथ विद्यालय में कराई जाती हैं। इन क्रियाओं का उतना ही महत्व है जितना कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु इन क्रियाओं को पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कहते हैं।'¹

इनका उद्देश्य छात्रों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास एवं स्वशासन की शिक्षा प्रदान कर आपसी सम्बन्धों में मधुरता व समन्वय बनाये रखना है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की विशेषताएँ निम्नानुसार हैं-

1. यह क्रिया (activity) पक्ष पर आधारित रहती है।
2. यह बौद्धिक विकास से ज्यादा शारीरिक विकास पर बल देती है।
3. इसके द्वारा छात्रों में निहित कौशल (skill) की पहचान की जा सकती है।
4. सह पाठ्यक्रम गतिविधि के द्वारा छात्रों को सजग (active) बनाया जा सकता है।
5. इससे छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है।
6. यह शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होकर चलती है इसीलिये इसको सह पाठ्यक्रम गतिविधि कहकर सम्बोधित किया जाता है।
7. सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन एवं संशोधन किया जा सकता है।²

'प्राचीन काल में पाठ्यचर्या बौद्धिक विषयों तक ही सीमित रहती थी, किंतु वर्तमान में इसकी सीमा बहुत विस्तृत हो गई है। आज पाठ्यचर्या में वे सब अनुभव सम्मिलित किये जाते हैं जो किसी बालक को किसी शैक्षिक संस्था में, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, खेल के मैदान और साहित्य तथा सांस्कृतिक क्रियाओं से प्राप्त होते हैं।'³ सह पाठ्येत्तर गतिविधियों के निम्नलिखित लाभ हैं-

1. सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ खेल, अभिनय, गायन एवं कविता पाठ को प्रोत्साहित करता है।
2. गतिविधियाँ जैसे खेल, बहस में भागीदारी, संगीत, नाटक आदि शिक्षा को पूर्ण करने में मदद करता है।
3. यह बहस के माध्यम से स्वतंत्र रूप से खुद को अभिव्यक्त करने के लिये छात्रों को सक्षम बनाता है।
4. खेल बच्चों को फिट और ऊर्जावान बनाने में मदद करता है।
5. स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए मदद करता है।

6. यह गतिविधियाँ बताता है कि किसी भी काम को संगठित रूप में कैसे करना चाहिये, कौशल विकसित कैसे किया जाये।
7. यह सामाजीकरण, आत्म पहचान और आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है।
8. यह निर्णय लेने में आपको एकदम सही बनाता है।
9. यह अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करता है।⁴

प्रस्तुत शोध में मैंने लखनऊ शहर के विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली पाठ्येत्तर गतिविधियों एवं उनमें विद्यार्थियों की सहभागिता का अध्ययन करने हेतु अपने शोध का विषय - 'लखनऊ शहर के विद्यालयों में शैक्षणेत्तर गतिविधियों का अध्ययन' चुना है।

उद्देश्य:

1. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में संचालित शैक्षणेत्तर गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणेत्तर गतिविधियों में सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – शोध अध्ययन हेतु लखनऊ शहर के 14 (शासकीय एवं अशासकीय) विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया। तथ्यों का संकलन करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। तत्पश्चात् तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये।

तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण – संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीय कर तालिका क्रमांक एक एवं दो में प्रदर्शित किये गये हैं।

तालिका क्रमांक-1 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका क्रमांक-1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नियमित सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित करने वाले शासकीय विद्यालयों की संख्या निरंक है जबकि अशासकीय विद्यालयों का प्रतिशत 55.55% है। 44.44% अशासकीय विद्यालयों में साहित्यिक गतिविधियाँ नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं जबकि शासकीय विद्यालयों में साहित्यिक गतिविधियाँ कभी-कभी आयोजित की जाती हैं। शासकीय एवं अशासकीय दोनों प्रकार के अधिकांश विद्यालयों में खेलकूद गतिविधियाँ कभी-कभी ही आयोजित की जाती हैं। 60% शासकीय विद्यालयों में एन.सी.सी. संचालित है। अशासकीय विद्यालयों में एन.सी.सी. नहीं है। स्काउटिंग का आयोजन 60% शासकीय विद्यालयों में कभी-कभी तथा 22.22% अशासकीय विद्यालयों में नियमित तौर पर किया जाता है। पी.टी. एवं योगा गतिविधियों का आयोजन 80% शासकीय विद्यालयों में कभी-कभी तथा 66.66%

अशासकीय विद्यालयों में कभी-कभी तथा 33.33% में नियमित तौर पर किया जाता है। कैरियर काउन्सिलिंग का आयोजन 60% शासकीय विद्यालयों में तथा 77.77% अशासकीय विद्यालयों में नियमित तौर पर किया जाता है। 100% शासकीय विद्यालयों में स्वास्थ्य शिविर कभी-कभी लगाये जाते हैं जबकि 55.55% अशासकीय विद्यालयों में स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से लगाये जाते हैं। इस प्रकार से शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन शासकीय विद्यालयों की तुलना में अशासकीय विद्यालयों में अधिक किया जाता है। केवल एन.सी.सी. की गतिविधि अशासकीय विद्यालयों आयोजित नहीं की जाती है।

तालिका क्रमांक-2 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका क्रमांक-2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 100% शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थी कभी-कभी सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियों तथा स्वास्थ्य शिविर में भाग लेते हैं। शासकीय विद्यालयों में नियमित रूप से खेलकूद गतिविधियों में 20% विद्यालयों में, एन.सी.सी. 40% विद्यालयों में पी.टी./योगा में, 20% विद्यालयों में तथा 60% विद्यालयों में कैरियर काउन्सिलिंग में भाग लेते हैं। 40% शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी स्काउटिंग में भाग लेते हैं। अध्ययन में कुछ शासकीय विद्यालयों में कुछ पाठ्येतर गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता बिल्कुल नहीं पाई गई है जिसके अंतर्गत 20% खेलकूद, 40% एन.सी.सी., 60% स्काउटिंग तथा 60% विद्यालयों में पी.टी./योगा जैसी गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता कभी नहीं पाई गई है। अशासकीय विद्यालयों में पाठ्येतर गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता का अध्ययन करने पर 33.33% विद्यालयों में खेलकूद, 11.11% में स्काउटिंग तथा 33.33% में पी.टी./योगा गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता नियमित पाई गई। 44.44% विद्यालयों में सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं स्वास्थ्य शिविर में विद्यार्थियों की सहभागिता कभी नहीं पाई गई। इसी प्रकार 100% विद्यालयों में एन.सी.सी., 55.55% में स्काउटिंग तथा 22.22% में खेलकूद व कैरियर काउन्सिलिंग

में विद्यार्थियों की सहभागिता कभी नहीं पाई गई है। शेष गतिविधियों में विद्यार्थी कभी-कभी ही भाग लेते हैं।

निष्कर्ष—लखनऊ शहर के 100% शासकीय विद्यालयों में सांस्कृतिक साहित्यिक एवं स्वास्थ्य परीक्षण गतिविधियाँ कभी-कभी आयोजित की जाती हैं किंतु उनमें बच्चों की सहभागिता का प्रतिशत बहुत कम रहता है। 20% विद्यालयों में खेलकूद, 40% में एन.सी.सी. 20% में पी.टी. एवं योगा तथा 60% में कैरियर काउन्सिलिंग जैसी गतिविधियों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है किंतु विद्यार्थियों की सहभागिता खेलकूद, पी.टी./योगा की तुलना में एन.सी.सी. एवं कैरियर काउन्सिलिंग में अधिक होती है। अशासकीय विद्यालयों में खेलकूद एवं पी.टी./योगा नियमित रूप से तथा एन.सी.सी. छोड़ शेष समस्त गतिविधियाँ कभी-कभी आयोजित की जाती हैं जिनमें विद्यार्थियों की सहभागिता संतोषजनक रहती है। केवल एक एन.सी.सी. का प्रशिक्षण अशासकीय विद्यालयों में नहीं दिया जाता है।

सुझाव—लखनऊ शहर में विद्यालयों में पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये शासकीय विद्यालयों में सांस्कृतिक साहित्यिक, स्काउटिंग व स्वास्थ्य परीक्षण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वहीं अशासकीय विद्यालयों में स्काउटिंग, एन.सी.सी. कैरियर काउन्सिलिंग व स्वास्थ्य परीक्षण जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों का रुझान समस्त पाठ्येतर गतिविधियों की ओर बढ़ाने हेतु उनमें सकारात्मक सोच विकसित करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <https://sarkariguider.in>
2. <http://servjeet/kaur1.blogspot.com>
3. <https://sstmaster.com/role-and-imp>
4. <https://sarkarifocus.com>
5. <https://gyanunlimited.in/education>

तालिका क्रमांक-1: शासकीय विद्यालयों में पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन

क्र.	गतिविधि	शासकीय विद्यालय			अशासकीय विद्यालय		
		नियमित	कभी-कभी	कभी नहीं	नियमित	कभी-कभी	कभी नहीं
1	सांस्कृतिक	20	80	-	55.55	44.44	-
2	साहित्यिक	-	100	-	44.44	55.55	-
3	खेलकूद	-	100	-	11.11	88.88	-
4	एन.सी.सी.	60	-	40	-	-	100
5	स्काउटिंग	-	60	40	22.22	22.22	55.55
6	पी.टी./योगा	20	80	-	33.33	66.66	-
7	कैरियर काउन्सिलिंग	60	40	-	77.77	22.22	-
8	स्वास्थ्य शिविर	-	100	-	55.55	44.44	-

तालिका क्रमांक-2: पाठ्येतर गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता (प्रतिशत में)

क्र.	गतिविधि	शासकीय विद्यार्थी			अशासकीय विद्यार्थी		
		नियमित	कभी-कभी	कभी नहीं	नियमित	कभी-कभी	कभी नहीं
1	सांस्कृतिक	-	100	-	-	55.55	44.44
2	साहित्यिक	-	100	-	-	55.50	44.44
3	खेलकूद	20	60	20	33.33	33.33	22.22
4	एन.सी.सी.	40	20	40	-	-	100.0
5	स्काउटिंग	-	40	60	11.11	33.33	55.55
6	पी.टी./योगा	20	20	60	33.33	66.66	-
7	कैरियर काउन्सिलिंग	60	40	-	-	77.77	22.22
8	स्वास्थ्य शिविर	-	100	-	-	55.55	44.44

सामाजिक सुरक्षा से ग्रामीण समृद्धि

जुमान चौहान *

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बहुत व्यापक है। इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली हर तरह की सहायता जो चाहे किसी भी रूप में हो ग्रामीण के जीवन स्तर और गुणवत्ता के अन्तर्गत किसानों की सब्सिडी, मनरेगा वृद्धावस्था विधवा पेंशन से लेकर स्वास्थ्य बीमा और जननी सुरक्षा स्वामित्व योजना जैसी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा का अंग हैं। और ये योजनाएं ग्रामीण अंचल क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये सभी प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं, जिसमें सरकार की तरफ से मदद की जाती है। जिसका परिणाम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सहायता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिलती है।

भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का यह कथन आज भी उतना ही सत्य है। जितना आज से दशको पहले हुआ करता था वैसे भारत के गांव आजादी से अबतक बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। गाँवों में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जब गाँव की तरक्की की बात हो तो सबसे पहले जेहन में किसान ही आते हैं। जबकि ऐसा नहीं गाँव एक सामूहिक समाज का रूप होता है, जो सभी तरह के जाति समूह के लोग आज भी एक साथ रहते हैं।

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वह सुरक्षा जो समाज उचित, संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों को साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है। सामाजिक सुरक्षा Social security है। ये जोखिम रोग, मातृत्व आयोग disability वृद्धावस्था तथा मृत्यु है इन संदिग्धताओं की यह विशेषताएँ होती हैं कि व्यक्ति को अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए नियोजितों द्वारा सुरक्षा प्रदाय की जाये।

विलियम बैवरिज के अनुसार 'सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है, जो व्यक्ति को संकट के समय अथवा उस समय जब उसकी कमाई कम हो जाये तथा जन्म-मृत्यु या विवाह में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए लाभान्वित करती है।'

वर्तमान समय में सामाजिक सहायता तथा सामाजिक बीमा का मिश्रण जिसमें विभिन्न जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदाय की जाती है। सर्वव्यापी योजना का होना तथा पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान होना- में दो बातें इस कार्यक्रम की विशेषता हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति श्रमिक आत्मीयता अनुभव करे तथा कठिनाई के क्षणों में उस पर आश्रित रह सके। योजना का उद्देश्य बीमारी की रोकथाम या इलाज करना होना चाहिए अथवा

अनिच्छापूर्वक घटित हानि से सुरक्षा के लिए आय की गारण्टी देना जिसमें क्षणिक पर निर्भर व्यक्ति लाभान्वित हो सके।

यह प्रणाली एक निश्चित अधिनियम के अन्तर्गत लागू की जानी चाहिए जो व्यक्तिगत अधिकारों तथा उत्तरदायित्व के प्रति सरकार अर्द्ध-सरकारी संरचनाओं गैर-सरकारी संस्थाओं को सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करने बाध्य कर सकें।

सामाजिक सुरक्षा सामाजिक परिवर्तन और प्रगति के लिए एक साथ हैं, और इसे समर्थित संरक्षित और विकसित किया जाना अतिआवश्यक है। इसके अलावा आर्थिक प्रगति में बाधा बनने से दूर जैसा किसी ने अक्सर कहा है। एक दृढ़ और सट्टा आधार पर आयोजित सामाजिक सुरक्षा ऐसी प्रगति को बढ़ावा देगी। क्योंकि एक बार पुरुषों और महिलाओं को सुरक्षा बढ़ाने से लाभ होता है। और कल के लिए चिंता से मुक्त होते हैं वे स्वभाविक रूप से अधिक उत्पादक बन जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा योजना को ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों हितों में ज्यादा समय बर्बाद किए बिना सरकार द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्र के समाज में कमजोर वर्गों की हालात अच्छी नहीं थी वे अपने संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं थे वे मदद के लिए दूसरों की ओर देखने लगे। इस स्थिति में वे सम्पत्ति में शामिल नहीं हुए थे और कहा जाता जा सकता है कि उनकी सेवा निवृत्ति बीमारी विकलांगता बेरोजगारी आदि के कारण उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था। उन्हें ग्रामीण समाज में अच्छा जीवन का साधन नहीं मिले और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या संसाधनों की होती है, और सब साधन सरकार को ही उपलब्ध कराना होता है। सरकार की सभी योजना का समुचित उपयोग कराना ग्रामीण क्षेत्र में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है।

ग्रामीण समृद्धि का मापदंड - ग्रामीण किसान और भारत के परंपरागत समाज के विकास को मापने के पैमाने को कई तरह के मत रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में अगर ग्रामीण समृद्धि के स्तर को मापना चाहे तो इसे निम्नलिखित मापदण्डों पर मापा जा सकता है।

- 1) आवास,
- 2) रोजगार,
- 3) कौशल विकास या हुनर,
- 4) शिक्षा,
- 5) असमानता या भेदभाव का खात्मा,
- 6) जीवन के लिए जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता,

7) यातायात के साधन।

उपरोक्त पैमानों के आधार पर हम निम्नलिखित तरीके से ग्रामीण समृद्धि को परिभाषित कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण क्षेत्र में सबके लिए घर वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा 20 नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाईजी) नामक इस पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई है।

इस आवास योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लाया गया। इस योजना से वर्ष 2022 तक सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के लक्ष्य के साथ सबको रहने के लिए एक आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके।

जनधन योजना – ये योजना श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत सभी ग्रामीण निवासीयों के बैंक खाता जीरो बैलेंस के साथ खोला गया है, जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोगों का खाता बैंक से अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई।

स्वामित्व योजना – इस साल के शुरुआत में ग्रामीण की सुविधा को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में गाँवों में संपत्ति के मालिकों को अधिकार दिये जा रहे हैं। अभी तक 6 राज्यों के 1241 गाँव के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड उपलब्ध कर दिए गए हैं।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के दौरान इसके क्षेत्र को सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव रखा है।

वर्तमान में इस योजना को देश के हर गाँव में शामिल किया जा रहा है। यह योजना भविष्य में गाँवों के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के समस्त समाज को फायदा होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना से पैसा जेबों में

पहुँचेंगा, जिससे ग्रामीण की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्षरूप से मजबूत होगी।

प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना – इस योजना की शुरुआत 2019 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा किया गया। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं। इसके लिए साथ-साथ गाँव में व्यवसाय इनक्यूबेटर भी प्रदान किये जायेंगे, जिससे गाँवों का विकास सम्भव हो सके। इस योजना से बैंक से ब्याज 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की दर व सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना में सब्सिडी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाईन रखा गया है।

सरकार का विशेष रूप से फोकस ग्रामीण क्षेत्र में नौकरीयाँ पैदा करने, खाद्य, प्रसंस्करण की यूनिट को वित्तपोषित करने के लिए एक गैर-बैंकिंग, फाइनेंस कंपनी की स्थापना करने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीतियों को आगे बढ़ाने और भारत के विश्व खाद्य कार्यक्रम को बड़े पैमाने तक फैलाने में फोकस किया जायेगा। इस योजना में कुल 300 करोड़ रुपये का वित्त पोषित किया जाना है, जिसमें वर्ल्ड बैंक का विशेष समर्थन शामिल है। इस योजना को पूरे देश को कवर करने के लिए 5 साल की अवधि निर्धारित की गई है।

इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण के विकास के लिए असंगठित क्षेत्रों के लगभग 25 लाख खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को लक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस तरह की योजना ग्रामीण विकास की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे न सिर्फ गाँवों का विकास होगा बल्कि इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. <https://www.vkhindiworld.com>
2. www.yojanaschemehindi.com
3. [www.https://hi.m.wikipedia.org.wik](https://hi.m.wikipedia.org.wik)
4. www.kurukshetra.com

बौद्ध राजनीतिक चिन्तन: एक अध्ययन

डॉ. प्रदीप कुमार चतुर्वेदी *

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्नातक महाविद्यालय, हाटपीपल्या, जिला देवास (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - प्राचीन भारत में ई.पू. छठवीं शताब्दी में एक महान धार्मिक क्रांति हुई। इस क्रांति के परिणामस्वरूप एक महान धर्म का उदय हुआ। इसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। उनकी गणना विश्व के महानतम धर्म सुधारकों एवं दार्शनिकों में की जाती है। उन्होंने इस समय प्रचलित धर्म व्यवस्था में सुधारों की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने जाति-व्यवस्था का विरोध किया तथा समता मूलक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने नैतिक मूल्यों पर बल दिया तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इनके व्यापक सामाजिक एवं राजनीतिक परिणाम हुए। इन्होंने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। इसका अध्ययन असाधारण महत्व रखता है।

इस संबंध में निम्न बिन्दुओं में विचार किया गया है

महात्मा बुद्ध एवं इनका जीवन - महात्मा बुद्ध की जन्मतिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है किंतु अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि उनका जन्म 563 ई.पू. में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया था। वे देवदह की राजकुमारी थीं। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के सातवें दिन ही उनकी माता का देहांत हो गया था। ऐसी स्थिति में उनका पालन पोषण उनकी मौसी व विमाता प्रजापति ने किया। इस घटना ने आगे चलकर बौद्ध संघ व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह राम ग्राम के कोलिय गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा के साथ संपन्न हुआ। लगभग 12 वर्षों तक उन्होंने गृहस्थ जीवन में व्यतीत किए। इस समय उनके मन में सांसारिक जीवन के दुखों के संबंध में गंभीर चिंतन चल रहा था। वे जीवन में दुखों से मुक्त अवस्था की प्राप्ति के विषय में चिंतन कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एक वृद्ध को देखा। उसके जर्जर शरीर को देखकर उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। इसके पश्चात उन्होंने एक अपाहिज तथा एक मृतक को देखा उन्होंने उन्हें देखकर सिद्धार्थ ने यह निष्कर्ष निकाला कि पुरा जीवन दुखों से भरा हुआ है अतः दुखों से मुक्ति ही जीवन का प्रमुख विषय होना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने एक सन्यासी को देखा। वह सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर मुक्ति के पथ पर अग्रसर था। अब सिद्धार्थ ने गृहत्याग करके मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प कर लिया। घर छोड़ने के पश्चात सिद्धार्थ ने राजगृह में अलार तथा उद्धक नामक दो प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मणों के पास सांख्य, योग तथा दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। यहां उन्हें अपने प्रश्नों का समाधान नहीं मिला। भ्रमण करते हुए वे निरंजना नदी के तट पर उरुवेल नामक वन में पहुंचे। यहां

उन्होंने कठिन तपस्या की। उनका शरीर सूख गया तथा अत्यंत जर्जर हो गया। इस तपस्या से भी सिद्धार्थ को समाधान नहीं मिला। इसके पश्चात वे गया पहुंचे। वहां उन्होंने संकल्प बद्ध होकर एक वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। सात दिन तथा सात रात्रि समाधि में रहने के पश्चात आठवें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान का प्रकाश मिला। सिद्धार्थ अब महात्मा बुद्ध कहलाए तथा उन्होंने सब लोगों को दुखों से मुक्ति के मार्ग का उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध आजीवन अपने द्वारा चलाए हुए धर्म का प्रचार करते रहे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन देह त्याग दी। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनके निकटतम शिष्यों द्वारा उनके वचनों व उपदेशों का संकलन त्रिपिटकों के रूप में किया गया है। इन्हीं त्रिपिटकों से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विषय में जानकारी मिलती है।

बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत- महात्मा बुद्ध मुख्य रूप से एक महान धर्म सुधारक थे। उन्होंने प्राचीन धर्म में चली आ रही कुरीतियों को दूर करने कार्य किया था। उनका धर्म अत्यंत व्यावहारिक था इसे ही बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया। इसके प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं

1. **चार आर्य सत्य**- महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया था। इसी में उनकी समस्त शिक्षाओं का सार समाहित है। उन्होंने बताया कि मनुष्य के जीवन में प्रारंभ से अंत तक दुख ही दुख है। इससे मुक्ति के लिए उन्होंने चार आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया। चार आर्य सत्य है-

(अ) **दुख हैं**-संसार में सारे सुख नाशवान हैं। उनके साथ ही उनके नष्ट होने की चिंता लगी रहती है।

(ब) **दुखों का कारण है**- दुखों का कारण तृष्णा है इंद्रियों को प्रिय लगने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा है। इसका कारण अज्ञान है।

(स) **दुख निरोध** - दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उनके कारण का निवारण होना आवश्यक है।

तृष्णा पर विजय प्राप्त करने से दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। दुखों के निरोध को ही महात्मा बुद्ध ने निर्वाण माना है। इसकी प्राप्ति जीवन में भी हो सकती है। यह राग-द्वेष तथा दुखों के नाश की अवस्था है।

(द) **दुख निरोध का मार्ग है**- निर्वाण प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग बताया है उसके आठ अंग हैं। इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है।

2. **अष्टांगिक मार्ग**- यह दुखों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करने का

मार्ग है।

इसके 8 अंग हैं। ये हैं-

1. सम्यक दृष्टि।
2. सम्यक संकल्प।
3. सम्यक वाक्।
4. सम्यक कर्मान्त।
5. सम्यक आजीविका।
6. सम्यक व्यायाम।
7. सम्यक स्मृति।
8. सम्यक समाधि।

3. मध्यम मार्ग का अनुसरण- महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से पूर्व सांसारिक विषयों की निस्सारता का ज्ञान प्राप्त किया था। गृहत्याग के पश्चात् उन्होंने कठोर तपस्या की थी। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जाना चाहिए। उन्होंने आजीवन इसी का उपदेश दिया।

4. नैतिक मूल्यों पर बल- महात्मा बुद्ध नैतिक मूल्यों के पालन पर बहुत अधिक बल देते थे। अष्टांगिक मार्ग के पालन के लिए वे इसे अत्यंत आवश्यक मानते थे। उन्होंने सदाचार के दस नियम बताए थे। ये हैं - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रम्हचर्य, नृत्यगान व मादक वस्तुओं का त्याग, सुगन्धित वस्तुओं का त्याग, हर समय भोजन ना करना, कोमल शय्या का त्याग, धन का त्याग।

5. कर्म सिद्धांत- महात्मा बुद्ध ने कर्म की प्रधानता को स्वीकार किया था। उनका विचार था कि कर्म के फल अवश्य प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्मों से निर्वाण प्राप्त होता है तथा पापों से मुक्ति मिल जाती है। वर्तमान जीवन पिछले जीवन के कर्मों पर ही आधारित होता है।

6. अनात्मवाद एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत- महात्मा बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे किन्तु पुनर्जन्म को मानते थे। वे मानते थे कि जीवन विभिन्न क्रमबद्ध और अव्यवहित अवस्थाओं का एक प्रवाह है। वर्तमान अवस्था आगामी अवस्था को उत्पन्न करती है। इसलिए जीवन एकमय प्रतीत होता है। वर्तमान जीवन की अंतिम अवस्था से भविष्य के जीवन की प्रथम अवस्था की उत्पत्ति होती है। दोनों जीवन पृथक् जीवन होते हैं। इस प्रकार से पुनर्जन्म हो जाता है। इसे आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं समझना चाहिए। शरीर अलग-अलग तत्वों से बना होता है। मृत्यु के पश्चात् ये तत्व अलग अलग हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध के धर्म में ना तो कोई आत्मा है और ना ही कोई देवता है।

7. वैदिक कर्मकाण्डों का विरोध - महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के लिए यज्ञ व बलि को आवश्यक नहीं मानते थे। वे वैदिक रीतियों व कर्मकाण्डों के विरोधी थे।

8. जाति प्रथा का विरोध - महात्मा बुद्ध जाति प्रथा के विरोधी थे। वे मनुष्यों की समानता में विश्वास करते थे।

9. अनीश्वरवाद - महात्मा बुद्ध के अनुसार विश्व कार्य-कारण की श्रृंखला से चलता है। उनके अनुसार निर्वाण पथ पर आगे बढ़ने के लिए ईश्वर संबंधी दार्शनिक विवादों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिन विषयों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रमाण ना हो उनके समाधान की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अतः बुद्ध के द्वारा चलाया हुआ धर्म अनीश्वरवादी कहा जाता है।

10. क्षणिकवाद - महात्मा बुद्ध के दर्शन को संसार के विषय में क्षणिकवाद नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। उनमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। किसी वस्तु की उत्पत्ति किसी कारण से ही होती है। कारण के नष्ट होने पर उस वस्तु का नाश भी हो जाता है। जिसका आदि है उसका अंत भी है।

11. निर्वाण - निर्वाण को महात्मा बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य माना है। यह इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से निर्वाण का तात्पर्य है बुझा हुआ। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को अर्हत कहा गया है। उनके जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है तथा वे ज्ञान पूर्ण परम सुख की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर अन्य लोगों के प्रति उनका प्रेम और करुणा बढ़ जाती है। अन्य लोगों के उद्धार के लिए वे अपने ज्ञान का अधिकाधिक प्रचार करते हैं। इस अवस्था में तृष्णा एवं अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। तथा पूरा जीवन शांत एवं ज्ञान पूर्ण हो जाता है। निर्वाण प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है।

बौद्ध धर्म का भारतीय राजनीति पर प्रभाव- महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाया गया धर्म मूलतः राजनीतिक जीवन से अलिप्त है किन्तु व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो इसने सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। भारतीय संस्कृति पर प्रत्येक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इसके राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन निम्न बिंदुओं में किया जा सकता है -

1. कल्याणकारी भावनाओं का विकास - बौद्ध धर्म ने भारत में अहिंसा परोपकार सहिष्णुता करुणा आदि कल्याणकारी भावनाओं के विकास में बहुत अधिक योगदान दिया। इनके प्रभाव में राजनीतिक व्यवस्थाएं भी कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रेरित हुई।

2. समतामूलक समाज की स्थापना - बौद्ध धर्म ने थोड़े धार्मिक आदर्शों का विरोध किया तथा जाति प्रथा का विरोध किया। इससे समतामूलक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।

3. विश्व शांति की स्थापना - बौद्ध धर्म ने मानवता व बंधुत्व के सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया। इनसे विश्व शांति की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

4. शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहन - बौद्ध धर्म के प्रभाव में शिक्षा के महान केंद्र विकसित हुए तथा साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत अधिक प्रगति हुई। बौद्ध साहित्य से उस समय की आर्थिक सामाजिक धार्मिक स्थिति को समझने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान, सारिपुत्र प्रकरण अमरकोश मिलिंदपन्हो आदि अनेक महान बौद्ध ग्रंथों का असाधारण ऐतिहासिक महत्व है। महात्मा बुद्ध के उपदेश लोक भाषा में हैं। उनके प्रभाव में लोक भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना हुई।

5. स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन- बौद्ध धर्म में विचारों की स्वतंत्रता को बहुत प्रोत्साहित किया गया है तथा आत्मदीप बनाने की प्रेरणा दी गई है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत अनेक दार्शनिक संप्रदायों का विकास हुआ। हीनयान, महायान, शून्यवाद, अनित्यवाद, विज्ञानवाद आदि अनेक दार्शनिक विचार धाराओं ने तर्क तथा स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित किया।

6. संघ व्यवस्था का विकास - बौद्ध धर्म में भिक्षुओं को संगठित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया गया। बौद्ध संघों में शिक्षा प्राप्त करके भिक्षु अन्य स्थान पर प्रचार के लिए जाते थे। बौद्ध संघ में सहमति के आधार पर नेतृत्व के नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाता था। इसे एक

बड़ी उपलब्धि माना जाता है।

7. भारतीय संस्कृति का अन्य देशों में प्रचार – बौद्ध धर्म का विस्तार भारत के बाहर अनेक देशों में हुआ। बौद्ध भिक्षु जापान, चीन, तिब्बत, बर्मा जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, लंका आदि अनेक देशों में गए। अन्य देशों से भी अनेक विद्वान भारत में अध्ययन करने के लिए आए। इससे भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ।

8. सामाजिक एवं राजनीतिक एकता की स्थापना – बौद्ध धर्म के प्रभाव में भारतीयों में अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता के प्रति आग्रह दूर हुए। मौर्य वंश के काल में भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। इसके प्रभाव बाद में भी अनेक वर्षों तक परिलक्षित होते रहे।

मूल्यांकन – बौद्ध धर्म यद्यपि एक महान धार्मिक आंदोलन था। किंतु इसके व्यापक सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव पड़े। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने भारत में धार्मिक खंडन मंडन की परंपराओं का विकास किया। बौद्ध धर्म के प्रभाव में तर्क एवं दर्शन का बहुत अधिक विकास हुआ। असंग, धर्म कीर्ति, वसुमित्र, दिङ्नाथ आदि महान बौद्ध दार्शनिकों की कृतियों का अध्ययन किए बिना दर्शन के अध्ययन को ही पूर्ण नहीं माना जाता था। इन दार्शनिक विचारों का तर्क पूर्ण खंडन करने के लिए भी अनेक महान दार्शनिक हुए जिनमें श्री आदि शंकराचार्य जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत का प्रचार-प्रसार भारत में बहुत अधिक हुआ।

बौद्ध धर्म ने भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया किंतु साथ ही इसके प्रभाव में राजाओं में अहिंसा की भावना का भी प्रचार हुआ। इससे राजाओं में युद्ध में रुचि नहीं रही। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए जिनका सामना भारतीय

शासक नहीं कर सके। इससे भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता पर गंभीर संकट आ गया। इसी प्रकार बौद्ध धर्म की सदाचार, नैतिकता, सन्यासी जीवन की श्रेष्ठता संसार को दुःखमय मानना, सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग, निर्वाण पथ का अनुसरण आदि महान शिक्षाओं का इनके अत्यधिक प्रचार का तथा राजाओं के द्वारा इनके प्रोत्साहन का जन सामान्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। बहुत बड़ी संख्या में साधारण संसारी लोग घर परिवार को त्याग कर सन्यासी बन गए। उन्हें निराशावादी भावनाओं ने प्रभावित कर लिया। **निष्कर्ष** – भारतीय जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बौद्ध धर्म का असाधारण योगदान रहा है। महात्मा बुद्ध ने सहज आडंबर रहित एवं कल्याणकारी जीवन पद्धति को अपनाने का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म ने भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक व सांस्कृतिक एकता की स्थापना की थी। भारतीय संस्कृति का अनेक देशों में प्रचार-प्रसार होने से भारत के सांस्कृतिक गौरव में वृद्धि हुई। बृहतर भारत के निर्माण में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह एक असाधारण उपलब्धि मानी जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर : सम्पूर्ण बाइगमय
2. संस्कृति के चार अध्याय : रामधारी सिंह दिनकर
3. भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास : ताराचन्द्र
4. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन : डॉ. वी. पी. वर्मा
5. द डिस्कवरी ऑफ इण्डिया : जवाहरलाल नेहरू
6. भारतीय चिन्तन परम्परा : के. दामोदरन
7. आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन : डॉ. पुरुषोत्तम नागर

भारत में विभिन्न समुदायों के बीच तलाक संबंधी कानून की भिन्नता एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. राम सिंह पटेल*

* सहायक प्रध्यापक, पंडित मोती लाल नेहरू विधि महाविद्यालय, सागर रोड़, छत्तरपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – समाज में प्राचीन काल से लेकर आज तक समय परिस्थितियों के अनुसार महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। जहां वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ अवस्था में थी वहीं धीरे-धीरे मध्य युग से स्त्रियों की दशा में गिरावट आना प्रारंभ हुई और मध्यकाल के अंत तक स्त्रियों का अस्तित्व घर की चार दीवारी तक ही सिमटकर रह गया। वह कन्या के रूप में पिता पर पत्नी के रूप में पति पर और मां के रूप में पुत्र पर आश्रित होती चली गई। तुलसीदास जी ने तो स्त्री को गंवार, शूद्र पशु के समान प्रताड़ना के योग्य बताया है। 'ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।'

मौर्य काल में स्त्रियों की दशा अपेक्षाकृत अच्छी थी परंतु यहां भी प्रतिबंध आवश्यक लगाए गए थे। कुषाणकाल और गुप्तकाल में भी स्त्रियों की दशा ठीक थी। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। मुगलकाल में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। लड़की के जन्म को शुभ नहीं माना जाता था। कर्नल टाडा के अनुसार राजपूत इस धारणा से ग्रसित थे कि वह दिन पतन का होता है जब कन्या जन्म लेती है। और इस काल में पर्दा प्रथा जौहर की प्रथा, बाल विवाह आदि कुप्रथाएं चरम पर थी।

भारत में विभिन्न समुदायों के बीच तलाक संबंधी विभिन्नता का महिलाओं के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अलग-अलग धर्मों में तलाक के प्रावधान किए गए हैं और सभी धर्मों के लिए अपनी एक विधि बनाई गई है। जिसके अनुसार वे तलाक ले सकते हैं। हिन्दुओं के लिए एक विधि बनाई गई है जिसमें सभी नियम हिन्दुओं की वैदिक परंपराओं को आधुनिक बनाने के ध्येय से लागू किए गए थे। स्मृति काल से ही हिन्दुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। जहां तक मुसलमानों का प्रश्न है देश में विवाह से संबंधित प्रचलित मुस्लिम कानून उन पर लागू होता है जहां उनके तलाक का संबंध है मुस्लिम महिला को तलाक के बहुत सीमित अधिकार प्राप्त हैं। पारंपरिक कानून में तलाक की मांग करने की इजाजत देकर उसकी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 द्वारा मुस्लिम महिला को तलाक पाने का अधिकार प्राप्त है। 1936 में पारसियों के वैवाहिक संबंधियों के बारे में इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक विवाह और तलाक के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराना आवश्यक है। यहूदियों के वैवाहिक कानूनों के बारे में कोई संहिताबद्ध विधि नहीं है। आज भी यह धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। इसमें भी पुर

पुरुषगमन या स्त्री गमन अथवा क्रूर व्यवहार किए जाने पर न्यायालय के माध्यम से तलाक दिया या लिया जाता है।

तलाक – तलाक इस अरबी शब्द का शाब्दिक अर्थ है, कोई बंधन या गांठ खोलना और विधि में उसका अर्थ है विवाह का विघटन हनफी विधि में तलाक की घोषणा के लिए किसी भी विशेष पदावली या तरीके की आवश्यकता नहीं है। तलाक के संबंध में अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग प्रावधान किये गये हैं जिससे महिलाओं की वैवाहिक स्थिति में भी भिन्नता पाई जाती है जहां हिन्दु धर्म में तलाक लेना एक कठिन कार्य होता है जिससे महिलाओं की स्थिति कुछ हद तक ठीक होती है वहीं मुस्लिम धर्म में तलाक के प्रावधान पुरुषों के पक्ष में है। वह जब चाहे अपनी पत्नी को तीन तलाक कह कर स्वतंत्र हो सकते हैं और महिलाओं का जीवन दूभर हो जाता है इसी प्रकार से अन्य धर्मों में भी तलाक के प्रावधान ठीक नहीं हैं

टी सरीथा बनाम दी वेकट सुब्बैया¹ – के निर्णय को उलट दिया किसमे धारा 9 को अनु. 14 और 21 के अतिलंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।

सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चट्टा² – के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 जो पक्षकारों को दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन का अधिकारी प्रदान करती है, वह पक्षकारों को मनमाना करने की शक्ति नहीं प्रदान करती और अनुच्छेद 14 का अतिलंघन नहीं करती है अतः संवैधानिक है उक्त अधिकार विवाह की प्रकृति में ही निहित है धारा 9 इसे केवल संहिताबद्ध करती है इसका अनुपालन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध संपत्ति के जब्ती की डिक्री पारित की जाती है धारा 9 के दुरुपयोग के लिए पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध है। यह सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती है और विवाह संबंधों को टूटने से रोकने में सहायक होती है।

इनियल लतीफी बनाम भारत संघ³ – यह अभिनिर्धारित किया है कि मुस्लिम महिला (तलाक के अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारायें (3) और (4) जिसके अधीन एक मुस्लिम पति को अपनी तलाक शुदा पत्नी को इदत के बाद भी भरण पोषण के लिये युक्तियुक्त और उचित व्यवस्था करना एक विधिक दायित्व है संवैधानिक है और विधिमान्य है।

नूर शाबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम⁴ – के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने बच्चों के लिये जब तक की वे बालिक नहीं हो जाते हैं। पति से भरण

पोषण पाने का अधिकार है।

20 जून 2000 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुनः शाहबानों मामले को जीवित कर दिया है और यह अभिनिर्धारित किया कि एक मुस्लिम महिला को जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया था पति से इदत के समय के पश्चात् जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती है। भरण पोषण पाने का हकदार है। उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय को कि मुस्लिम महिला इदत के पश्चात् भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है को उलट दिया और कहा कि इदत का समय उसके पुनर्विवाह करने तक बढ़ जाता है।

पति द्वारा तलाक के तीन प्रकार हैं तलाक इला जिहार। प्रथम तलाक के दो भाग तलाक-उर-सुन्नत और तलाक-उर-बिदत सुन्नत के दो प्रकार - अहसन और हसन बिदत के भी दो प्रकार- त्रिबार तलाक और एक बार तलाक है।

(क) तलाक-उर-सुन्नत- इसका अर्थ हुआ वह तलाक जिसे पैगम्बर की मान्यता प्राप्त थी सबसे अधिक मान्यता प्राप्त कहलाया 'अहसन' और केवल 'मान्य' को हसन कहा गया।

अहसन- हिदाया में इसे सबसे प्रशंसनीय तलाक कहा गया है। जिसमें पति अपनी पत्नी को तुहर काल में एक बार तलाक की घोषणा कर त्याग देता है। तुहर जब वह रजस्वला नहीं है। इस काल में फिर वह उससे संभोग नहीं करता और उसे इदत निभाने के लिए मुक्त कर देता है। इदत काल में तलाक वापस लिया जा सकता है। दोनों पक्षों को उत्तराधिकार का अधिकारी प्राप्त रहता है। पति इदत काल में इसे रद्द कर सकता है। इदत काल तीन माह अथवा प्रसव जो भी बाद में हो का रहता है। अतः पति को पुनर्विचार का समय मिल जाता है।

हसन- तलाक हसन में तीन लगातार तुहर काल में तीन बार तलाक की घोषणा करता है। अतः यह तलाक पर तलाक है। तुहर काल में तलाक की घोषणा की उस काल में संभोग नहीं होना चाहिए।

तलाक-उल-बिदत- यह तलाक का दूसरा भाग है। इसमें पति का अनुमोदित (मान्यता प्राप्त) प्रारूप (फार्म) का पालन नहीं करता (यानी उपरोक्त सुन्नत प्रक्रिया) और न ही तुहर या नीग्रह का पैगम्बर ने ऊपर लिखे अनुसार जो भी नियंत्रण लगाये उनसे बच निकलने की यह एक गली थी।

त्रिबार तलाक- ऊपर हमने देखा कि सुन्नत में तीन बार तलाक देना पड़ता है। उसमें तीन माह लग जाते हैं। बिदत में उसे एक ही साल में निबटा दिया। हिदाया की परिभाषानुसार त्रिबार तलाक वह पद्धति है जिसमें पति अपनी पत्नी को एक ही वाक्य में तीन बार तलाक देकर त्याग सकता है। ऐसा उसे एक ही तुहर काल में करना है। ऐसा तलाक विधिमान्य है। यद्यपि पापपूर्ण है। ऐसी हनफी विधि की मान्यता है। शिया विधि के अनुसार यह प्रकार अनुमोदित नहीं है।

विवक्षित तथा सशर्त तलाक- जब तलाक के एवज में अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने तेरे साथ के सभी संबंध तोड़ दिये हैं। मैं तेरे साथ कोई नाता नहीं रखूंगा तुम अब मेरी पत्नी नहीं रही इत्यादि तो ये शब्द तलाक के विवक्षित रूप माने जाते हैं। तलाक का तथ्य स्थापित या सिद्ध करने हेतु इन शब्दों का बोलने वाले के आशय के संदर्भ में अर्थान्वयन करना पड़ेगा। यह हुआ विवक्षित तलाक। सशर्त तलाक में पति तलाक तो कह देता है। पर उसका प्रभावी होना भविष्य की किसी घटना पर आधारित करता है। यदि वह घटना घटित नहीं होती तो वह विवाह निरन्तर रहता है। उदाहरण के लिए वह कहता है। तुम यदि फलाफला काम करोगी तो मैं तुम्हें

तलाक दूंगा -यह सशर्त तलाक हुआ। वह घटना जिसको आधार बनाया है। यदि अनुभव नहीं है। तो उस घटना के घटित होने पर तलाक प्रभावी हो जाता है।

इला (उस पत्नी से संभोग निरोध) जब पति प्रतिज्ञा करता है कि वह उस पत्नी से संभोग नहीं करेगा अथवा चार माह संभोग नहीं करेगी अथवा अधिक समय अथवा सदा के लिए संभोग नहीं करेगा तथा चार माह संभोग नहीं करता तो उस पत्नी का तलाक प्रभावी हो जाता है हनफी विधि शास्त्रियों का तर्क यह है कि चूंकि पति का उस पत्नी से व्यवहार अन्यायपूर्ण था यह सम्मत्य ही है कि चार माह की समाप्ति पर उसे (पति को) विवाह के लाभों से वंचित किया जाए। शफी तथा शिया विचार में इस प्रकार के संयम की प्रतिज्ञा से तलाक नहीं बनता इससे पत्नी को केवल कारण मिलता है। जिसके आधार पर वह न्यायालय से तलाक मांग सकती है। सुन्नी विधि में न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। पति का आशय स्पष्ट से अभिव्यक्त होना चाहिए।

जिहार जिहार का अर्थ है। तुलना जिसने पति अपनी पत्नी की तुलना उसकी (पति की) मां अथवा अन्य विवाह के लिए प्रतिशिद्ध श्रेणी की महिलाओं से करता है। जिहार की सामान्य भाषा होती है। तुम मेरे लिए मेरी मां की पीठ के समान हो जिहार बोलना स्वयं में विवाह को विघटित नहीं करता इसका विधिक प्रभाव एक तो यह कि उसके बाद वह तब तक उस पत्नी से संभोग नहीं कर सकता जब तक कि वह प्रायश्चित्त द्वारा खुद की शुद्धि न कर ले और दूसरा यह कि यदि वह इस प्रकार के अशोभनीय व्यवहार को त्यागना नहीं है। तो उसकी पत्नी उससे न्यायिक प्रथक्करण अथवा नियमानुसार तलाक की मांग कर सकती है।

2. पत्नी द्वारा- तलाक-इ-तफवीद की परिभाषा बेटी इस प्रकार करते हैं। जैसे पति अपनी पत्नी का परित्याग कर सकता है। उसी प्रकार वह इस शक्ति का प्रत्यायोजन उस पत्नी को स्वयं अथवा किसी तीसरे व्यक्ति को भी दे सकता है। अर्थात् वह तलाक का अधिकार अपनी ओर से अपनी पत्नी को प्रत्यायोजित कर सकता है। ऐसा वह विवाह के समय (करार करते समय) अथवा जब चाहे अन्य किसी समय कर सकता है।

3. परस्पर सहमति द्वारा- विवाह के पक्षकारों में जैसे केवल पति केवल पत्नी द्वारा तलाक का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही मिलकर भी ऐसा निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार के तलाक के दो भाग हैं। खुला और मुबारत।

खुला- खुला का अर्थ है। बंधन मुक्त करना। यदि पति पत्नी में पारस्परिक अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो पत्नी चाहे तो तलाक मांग सकती है। जैसे वह प्रस्ताव रख सकती है। कि वह मेहर छोड़ देगी उसे तलाक दे दी जाय। किन्तु यह सम्पूर्णतया पति की इच्छा पर अवलम्बित है। कि वह मेहर से छूट की एवज में तलाक का प्रस्ताव स्वीकार करें अथवा नहीं। ऐसा ही प्रस्ताव पति भी रख सकता है। पति द्वारा खुला तलाक के प्रस्ताव को पत्नी पत्नी की इच्छा है कि स्वीकार करे अथवा नहीं। यदि वह स्वीकार करती है। तो इसका अर्थ हुआ कि उसने पति से मेहर पाने का अधिकार त्याग दिया। खुला प्रतिफल कुछ भी हो सकता है। जैसे मेहर पैसे, सम्पत्ति, इत्यादि।

मुबारत- एक-दूजे को परस्पर मुक्ति देना। जहां पति-पत्नी की पारस्परिक सहमति से तलाक दिया जाता है। उसे मुबारत (एक दूसरे को स्वतंत्र करना) कहते हैं। एक वाद में निर्धारित किया गया कि एक दूसरे के स्वभाव का मेल न खाना धृणा नापसंद इत्यादि कारणों से पत्नी विवाह का विघटन पाने की हकदार नहीं बनती ऐसी हक वह न तो काजी से और न ही न्यायालय

से मांग सकती है। किन्तु पति और पत्नी दोनों को मुस्लिम विधि में कुछ अधिकार दिये हुए हैं। वे दोनों इन अधिकारों के दायरे में अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं।

तीन तलाक – इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार तीन तलाक के बार में पैगम्बर मोहम्मद ने कुछ कहा ही नहीं था अपनी सहूलियत के लिये पुरुषों ने इस बाद में इजाद किया। इसके अलावा दुनिया में कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहाँ बरसों पहले ही तीन तलाक को बैन कर दिया गया था इन देशों की संख्या 1 या 2 नहीं है बल्कि लंबी लिस्ट है इसमें तुर्की पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के नाम भी शामिल हैं।

तीन तलाक मुस्लिमान समाज में तलाक का वह जरिया है जिसमें मुस्लिम अपनी बीबी को सिर्फ तीन बार तलाक कह कर अपनी शादी किसी भी क्षण तोड़ सकता है। इस नियम से होने वाले तलाक स्थिर होते हैं शादी खत्म हो जाती है इसके बाद यदि पुरुष और स्त्री पुनः शादी करना चाहते हैं तो हलाला भरने के बाद ही ये शादी हो सकती है। हलाला एक पद्धति है जिसमें तलाक शुदा स्त्री पहले एक दूसरे मुसलमान पुरुष के साथ विवाह करके रहना होता है इस आदमी के साथ कुछ दिन व्यतीत करने के बाद पुनः इसे आदमी से तलाक लेकर स्त्री अपने पुराने शौहर से फिर से विवाह कर पायेगी। तीन तलाक को प्रायः तलाक उल विद्यत भी कहा जाता है।

विश्व भर में मुस्लिम स्कॉलर ने तीन तलाक को गैर इस्लामिक घोषित किया है इन स्कॉलरों के अनुसार कुरान में इस तरह के किसी तलाक का जिक्र नहीं है इसके लिये ये स्कॉलर कहते हैं कि शाहूहार और वबीवी को तलाक से पहले कम से कम तीन महीने एक साथ रहना चाहिये और उसके बाद कानूनी सलाह देना होता है।

शौहर को अपनी बीबी के तुह के समय में तलाक देना होता है इसके पहले तीन महीने में इन्हे अपने सभी रिश्तेदारों की मदद से शादी को बचाने की कोशिश करनी चाहिये यदि इस तीन महीने के बाद भी शौहर और बीबी तलाक चाहते हैं तो पुरुष तलाक का ऐलान करता है और शादी टूट जाती है इसके बाद भी यदि फिर से शौहर और बीबी एक होना चाहे तो हलाला के बगैर भी हो सकते हैं हलाला उस वक्त होता है जब एक ही कपल लगातार तीन बार तलाक ले चुका होता है। और चौथी बार फिर से शादी करना चाहता है।

तीन तलाक इन दिनों फोन टेक्स्ट मैसेज, फेसबुक, स्काइप, ईमेल आदि के जरिये किया जाने लगा है। और ऐसी घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है क्योंकि इस्लामी नीति में ये कानून सही है अतः पुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ता है वही दूसरी तरफ वैसी स्त्रियाँ को आर्थिक रूप से अपने शौहर पर निर्भर रहती हैं उन्हें इस तरह के तलाक से आने वाली जिन्दगी में काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है आर्थिक परेशानियों के साथ वे भावनात्मक रूप से भी टूट जाती हैं ऐसी महिलाओं को किसी भी तरह से जीवन निर्वाह का जरिया नहीं मिल पाता है ये औरते जिन्दगी में अकेली पड़ जाती हैं इनके पास अपने बच्चों को पालने का कोई जरिया नहीं पड़ता है ऐसे अधिकतर केसे में तीन तलाक हो जाने के बाद आदमी बच्चों की मुख्यता अपनी बेटी की जिम्मेदारी कभी नहीं लेता है समाज की कई मुस्लिम महिलाये इस बात के डर में अपनी जिन्दगी गुजार देती हैं कि उनके शौहर जाने कब ये तीन शापित शब्द कह दें और उनकी जिन्दगी खत्म होने के कगार पर आ जावे।

केन्द्र सरकार ने हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय को कहा है कि

तीन तलाक निकाह हलाला और बहुविवाह जैसी पृथाओं से मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक स्तर उनकी गरिमा को ठेस पहुँचती है। साथ ही उन्हें वो सारे मौलिक अधिकार भी नहीं मिल पाते जिसे हमारा संविधान हमारे लिए लागू करता है। सर्वोच्च न्यायालय में अपना लिखित मत देने से पहले सरकार ने कहा कि ये सभी पृथाएं मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलने से रोकती हैं।

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय में तलाक की संख्या बहुत कम है। इन लॉ बोर्ड के अनुसार कुछ लोग इस तरफ का माहौल बनाने में लगे हैं। कि मुसलमान समाज में तलाक की संख्या अधिक है। विश्व भर में कई इस्लामी विद्वानों द्वारा इसकी खिलाफत लगातार की जा रही है। और कई देशों में इस तरह के तलाक पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गयी है।

तीन तलाक से जुड़ा भारतीय न्याय पालिका का फैसला – इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा तीन तलाक को गैर संवैधानिक करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया जिसमें 5 न्यायाधीशों को शामिल किया गया है। जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस कुरियन, आर.एफ नरीमन, यू.यू ललित, अब्दुल नजीर को शामिल किया गया जिसके द्वारा तीन तलाक के मुद्दे पर रोज सुनवायी करने का फैसला लिया गया यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार कि ओर से भारत के महान्याय बादी मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा जिसमें तीन तलाक को समाज के विरुद्ध एक कुरीति के रूप में साबित करने का प्रयास किया। और तीन तलाक को समाप्त करने के लिए अनुरोध किया केन्द्र के विधि अधिकारी मुकुल रोहतगी ने कहा कि तलाक निश्चित रूप से इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा नहीं था और आज न्यायालय के द्वारा इसे जारी रखने की अनुमति केवल इस आधार पर नहीं दी जा सकती है। कि वह 14 वर्षों पुरानी परम्परा है इस मामले में महान्याय बादी ने कहा कि यह मामला केन्द्र बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का नहीं है यह समस्या स्वयं मुस्लिम समुदाय में ही व्याप्त है। और मुस्लिम सम्प्रदाय में ही आधी महिला आवादी इस कुप्रथा से प्रताड़ित है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार – तीन तलाक को महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन बताने वाले केन्द्र सरकार का रुख बेकार की दलील है, पर्सनल लॉ को मूल अधिकार के कसौटी पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ट्रिपल तलाक निकाह हलाला जैसे मुद्दे पर कोर्ट अगर सुनवाई करता है तो ये जूडिशियल लेजिस्लेशन की तरह होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ को संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रोटेक्शन है उसे मूल अधिकार के कसौटी पर नहीं आंका जा सकता। कोर्ट पर्सनल लॉ को दोबारा रिव्यू नहीं कर सकती उसे नहीं बदला जा सकता कोर्ट पर्सनल लॉ में दखल नहीं दे सकती। मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक बार में तीन तलाक हलाला और बहु विवाह इस्लामिक जो इस्लामिक रिलिजन को महत्वपूर्ण पार्ट है और वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के चारों स्कूलों द्वारा परिभाषित है। अगर किसी धार्मिक मसले पर विभेद होगा तो धार्मिक ग्रंथ व किताबों का सहारा लिया जायेगा धार्मिक सवाल पर कोर्ट के पास अपना विचार रखने पर स्कोप नहीं है। इस्लाम में शादी को सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है शरियत शादी को जीवन भर का साथ मानता है इसे टूटने से बचाने के तमाम प्रयास किये जाते हैं लेकिन इसे अखंडनीय नहीं माना जाता और जबरन रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। शादी के वक्त ही तलाक आदि प्रावधान के बारे में पता

होता है और शर्तें मानने या न मानने के लिए पार्टी स्वतंत्र होता है।

एक बार में तीन तलाक का जहां तक सवाल है तो ये अवांछनीय जरूर है लेकिन तीन तलाक से शादी खत्म हो जाती है तीन तलाक कहने के बाद पत्नी का दर्जा खत्म हो जाता है।

बहुचर्चित शाह बानो केस- शाह बानो का मामला भारतीय इतिहास में एक नजीर बन चुका है इंदौर को रहने वाली शाह बानों ने तलाक के बाद अपने शौहर से गुजारे भत्ते की मांग की थी। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में 62 वर्षीय शाह बानो के हक में फैसला दिया था। उस समय आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया था बाद में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने संसद में कानून को बदल कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था।

आतिया का मामला - 40 साल 2016 में सहारनपुर की आतिया साबरी के पति ने कागज पर तीन तलाक लिखकर आतिया से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। 2012 में आतिया की शादी हुई उनकी 2 बेटियां हैं। उनका आरोप है कि लगातार 2 बेटियां से उनके शौहर और ससुर नाराज थे और उन्हें घर से निकालना चाहते थे। उनका कहना है कि दिसम्बर 2015 में उन्हें जहर पिलाकर मारने तक की कोशिश की गई थी। पड़ोसियों ने उन्हें बचाया इसके बाद वह अपने मायके चली गई थी। जहां वह करीब डेढ़ साल तक रहीं। ससुराल में आतिया को दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज में मिले सामान को बेच दिया गया था और लाखों रूपए कैश की मांग की जा रही थी।

रामपुर की गुलशन परवीन का मामला- 2016 में यूपी के रामपुर में रहने वाली गुलशन परवीन को नोएडा में काम करने वाले पति ने दण्ड रूपये के स्टॉप पेपर पर तीन तलाकनामा भेज दिया। गुलशन की 2013 में शादी हुई थी और उसका दो साल का बेटा है।

फरहा फैज की हस्तक्षेप याचिका- फरहा फैज मुस्लिम वोमेन क्रेस्ट नामक एनजीओ उत्तर प्रदेश में चलाती है। इसके साथ ही वो राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ की अध्यक्ष भी हैं। दरअसल फरहा फैज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तीन तलाक को खत्म करने की मांग की है। फरहा फैज ने अपनी याचिका में कहा है कि तीन तलाक कुरान के तहत देने वाले तलाक के अंतर्गत नहीं।

निष्कर्ष सुझाव - हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक अनेक उतार चढ़ाव आये हैं वैदिक युग में वे समान स्थिति पर आसीन थी प्राचीन काल में शिक्षा सुविधा के कारण नारी के प्रति सम्मान और महत्व की भावना भी आवश्यक प्रचलित थी मनुस्मृति इसकी साक्षी है जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं और देश की उन्नति की आशा नहीं की जा सकती। असंख्य कानून होने के बावजूद भी नारी का शोषण प्रत्येक क्षेत्र परिवार सम्पत्ति वर का चयन, शासकीय सेवा खेल शिक्षा विज्ञापन फिल्म आदि में होता रहा है। हम रोज इन क्षेत्र में इनके शोषण के समाचार पढ़ते सुनते हैं।

इसी क्रम में विभिन्न धर्म की महिलाओं के जीवन में तलाक की समस्या एक आम बात हो गयी है और महिलाओं का जीवन दूभर हो गया है अलग-अलग धर्म में तलाक के अलग अलग प्रावधान किये गये हैं। तथा इन धर्मों के लिये विभिन्न प्रकार की विधियों का भी निर्माण किया गया है जिससे महिलाओं की तलाक सम्बंधी समस्या में कुछ हद तक निदान पाया जा सकता है हिन्दू धर्म में तलाक लेना एक कठिन कार्य होता है जिससे महिलाओं

का जीवन इस समस्या से कुछ हद तक ठीक होता है वहीं मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है क्योंकि मुस्लिम धर्म में महिलाओं को तलाक के बहुत सीमित अधिकार प्राप्त हैं और वहीं तलाक के प्रावधान पुरुषों के पक्ष में हैं, वह जब चाहे अपनी पत्नी को तीन तलाक कह कर अपनी पत्नी को विवाह बंधन से मुक्त कर सकते हैं इसी प्रकार और महिलाओं का जीवन दूभर हो जाता है। अखिल भारतीय पारंपरिक कानून में तलाक की मांग करने की इजाजत देकर उसकी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो सके विवाह के अधिकार को इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों से जोड़ने पर पता चलता है कि यह संविदा के लिये कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं जैसे - प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल आदि अधिकारों की बात करते हुये इस्लाम में पुरुष प्रधान अधिकार का वर्णन मिलता है जैसे विवाह विच्छेद का अधिकार वहीं महिलाओं को भी कुछ अधिकार तलाक के अधिकार के रूप में वैवाहिक संबंध से मुक्त करना है। मुस्लिम विधि में महिला द्वारा विवाह विच्छेद कुछ परिस्थितियों में संभव है।

इसी प्रकार से अन्य धर्मों में भी तलाक के प्रावधान ठीक नहीं हैं जिससे महिलाओं को बहुत समस्याओं का समना करना पड़ता है यदि हम ईसाई धर्म की बात करें तो भारत में ईसाई विवाह भारतीय ईसाई अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक सम्पन्न होते हैं अतः ईसाई विवाह सादगी पूर्वा तरीके से चर्च में होते हैं जहाँ ईसाई धर्म में तलाक का संबंध है उनके तलाक संबंधी व्यवस्थायें भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 की धारा 10 में दी गई है ईसाई महिलाओं के लिये एक रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा विवाह विच्छेद की एक पद्धति बताई गई है ए. मेसा ऐटोरो जो यह विचार दोषपूर्ण आचरण के आधार पर न्यायिक प्रथक करण के समकक्ष है और महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण प्रावधानों को हटाने के लिये यह संख्या बनाई गयी है।

भारत में विभिन्न धर्मों में तलाक की समस्या एक आम बात हो गयी है यह समस्या आधुनिक समय में एक बहुत बड़ी समस्या है इससे समस्या से महिलाओं का जीवन बहुत दूभर हो गया है समाज शादी दो व्यक्ति दो परिवार को एक जुट करने के लिये एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान है। वहीं दूसरी ओर तलाक सभी रिश्ते सभी प्रतिबद्धताओं के अंत कर देता है। जिससे व्यक्ति के मानसिक अवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है तलाक के संबंध में सभी धर्मों में समान प्रावधान होना चाहिए जिससे तीन तलाक जैसी बुराई को समाप्त किया जा सके।

महिलाओं को पुरुषों के समान सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 10 दिसम्बर 1948 की संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित किये गये घोषणा पत्र की भारतीय मुस्लिम समाज ने भी अपने ऊपर आत्मर्पित किया है तो इसमें वर्णित शर्तों को मुसलमानों को लागू करना चाहिये। इस योजना में संयुक्त एकीकृत नागरिक संहिता की बात कही गई थी। जिसे लागू किया जाना चाहिये। तलाक पर विस्तृत कानून सभी वर्गों के लिए समान रूप से बनाया जाये और उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

समाज के विकास के लिए पुरुषों में महिलाओं का समान रूप विकास होना आवश्यक है। यदि गाड़ी का एक पहिया कमजोर रहेगा तो गाड़ी ठीक से चल नहीं पायेगी इस बात को ध्यान में रखते हुये मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सही ढंग से व्यवस्था की आवश्यकता है ताकि महिलाओं का समुचित विकास हो सके। पति द्वारा तलाक के मनमाने अधिकार पर अंकुश

लगा देना चाहिये। सिविल प्रक्रिया संहिता में सभी धर्मों की महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किये गये हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. अहमद अकील - मुस्लिम विधि सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद 24वाँ संस्करण 2001
2. रशीद खालिद - मुस्लिम विधि इस्टर्न बुक कम्पनी लखनऊ द्वितीय संस्करण 2010
3. बावेल बसन्ती लाल - भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद 9वाँ संस्करण 2010
4. पाण्डेय जे.एन. - भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद 42वाँ संस्करण 2017
5. डॉ. केसरी यू.पी.डी. हिन्दू विधि सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद तीसरा संस्करण 2011
6. अग्रवाल आर.के. हिन्दू विधि जबलपुर लॉ पब्लिक तृतीय संस्करण

- 2008
7. फेमीक्यूरिस
8. ए.के.जैन
9. bharatdiscovery.org/indiaपारसी धर्म
10. <https://aapkaapnaadhikar.wordpress.com>
11. <https://hi.encyclopediaofjainism.com/index>
12. www.deepawali.co.in/triple-talaq-india
13. www.deepawali.co.in/triple-talaq-india
14. <https://www.quora.com>
15. tripaltalak.cdock.

Footnote:-

1. ए.आई.आर. 1983 आन्ध्रप्रदेश 355
2. (1984) 4 एस सी.सी. 90
3. (2001) 7 एस सी.सी. 740
4. ए.आई.आर. 1997 एस सी. 3280

Scenario and Tourism Advancement in Nimar Area of Madhya Pradesh

Rupesh Akhepuria* Dr. Sunil More**

*Research Scholar, Research Centre Govt. P.G. College, Barwani and Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA

** Principal, Govt. College, Anjed, Distt. Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - Tourism is imperative profitable segment, which is potent instrument for enhancing the growth & advances of numerous states of India Tourism provides a market of showbiz or physical invigoration or mental renovation. It helps in eradicating scarcity, for finish redundancy. The study tries to shield many trends of visitor advent, in Madhya Pradesh, income generation, and employment probability, as well as subject area of Madhya Pradesh tourism in all its probable scopes.

Madhya Pradesh known as the heart of Incredible India.it offer Indian tourism industry. The state-owned is thriving well-found with three UNESCO world heritage places, nine national parks and 25 wildlife sanctuaries lengthways with numerous other varied tourism attractions. Madhya Pradesh is as well famous, as the "Heart of India". It deals with flamboyant skill to its tourists crammed with enjoyable astonishments, gifted with forest & deserts, hills & plains, & lakes, tribal hinterlands & superior awareness terminus with a strong rail, road, & air network. Existing research paper largely based on secondary data.

The study reconnoiters the potentials of new extents in the arenas of tourism and tries to frame some new approaches for tourism development in Madhya Pradesh., this can verify in influential the range and role of tourism industry development and prospects in the State economy in the Nimar area of Madhya Pradesh.

Introduction - Tourism is not purely relaxation or showbiz or physical invigoration or mental renovation. It also obliges as an effective tool for eradicating scarcity, for culmination job loss, for endorsing exchange of ideas between cultures and for providing channels in which, streams of diverse culture could meet and socialize.

Tourism happening as a communal occurrence, but within a tiny period of time, has developed into a substantial economic movement. The social and economic significances have elevated several ecological matters moving the environmentalism and the communal impression of tourism on the multitudecommunal.

The speedyprogress of tourism through the last three decades in Madhya Pradesh has ended an impression not only the economy of the State but also on its background. In observance with much of the procedure of socio-economic expansion, its effectyields both glitches and chances on a huge scale. Directly and indirectly, the striding and professionalcommunal is unified with tourism. It is a noteworthy industry with the mainpart of creation the tourist spends some of his financial plan on conveyance, site seeing and making some shop.

The state of Madhya Pradesh arose into reality in the year 1956. Numerous monuments, palaces, forts and

temples and other divine dwellings can be seen all over the state. The state owns precise from historic and cultural customs to wildlife to holy places and has so much to proposal to tourism. The state is correspondingly blessed with usualmagnificencecontaininglargely of a plateau lined with the hill ranges of the Vindhya and the Satpuras giving increase to six rivers Narmada and the Tapti, consecutively from east to west, and the Chambal, Sone, Betwa,

Mahanadi running west to east. The presence of Hinduism, Islam, Buddhism, and Christianity is got in the state. The eminent Sanskrit poet Kalidasa and the prodigious musician of the Mughal court, Tansen, were from Madhya Pradesh.

Literature Review

Butler (1974) in his paper discusses regarding one of the implications of tourism. Tourists generally come from more affluent communities. Garg (1978) reveals in his study the approach by which tourism can be developed properly. Tourism development can become a positive factor for improving the economic condition and promoting development of a country.

Dasgupta (2005) covers the subject area of Madhya Pradesh tourism in its all possible dimensions, in particular, the numerous variables which have an impact on it.

Lea (2001) said that the efforts are needed not only to train the local population in destination areas but also to create awareness among them towards tourism and its impact. Tourism is a multi-faceted economic activity.

Singh (1983) in his study to find out the problems, aspects and policies of Sustainable Tourism studied tourism connection in Madhya Pradesh with spatial conditions-the location of tourist areas and the movements of people between place to place. They are closely related to the structure, form, use and conservation of the landscape in the form of hotels and other kinds of accommodations and installations for the tourist industry.

The methodological contribution of Sharma Muktesh (that is me) 2000 has special significance as she used Percentage Growth rate methodology finding out the potentiality in Madhya Pradesh Tourism Industry.

Tourism is an information intensive industry (Cox et al. 2009). Organizations rely on the communication with tourists through various channels to market their products and build customer relationships (Poon, 1993). Indeed, social media have grown to be one of the most effective means for tourists to seek information and share travelling experiences (Cox et al. 2009;

Gretzel 2006; Yoo&Gretzel 2008).When discussing the importance of social media in tourism, India cannot be ignored.Madhya Pradesh has all the resources to become a popular heritage tourism destination, giving tourist an experience of nature, history and local culture.

Tourists are different in their taste and likings thus a niche has to be identified, tourists are always looking for destinations with wide range of activities and the same has to be provided in order to attract large number of such tourists (Manjula Chaudhary and Abhishek Aggarwal, 2012). With the policy measures adopted by the state government for developing adventure and leisure tourism facilities, it was among the 10 tourist destinations in 2008 taking such specific measures (KPMG, 2013).

The structural equation model shows that the promotional measures using different media options like TV, Magazine, Newspaper, Radio, Website, Magazine etc. and even the campaigns adopted by the Ministry of Tourism are having a positive impact on the minds of the tourists (Jeet Dogra,2016).

Objectives- The main objectives of this study:

1. To discover the purpose of resources in the tourism advancement.
2. To study the difficulties allied with expansion of tourism.
3. To scrutinize the different scenario in the range of Madhya Pradesh.
4. To investigate the various initiatives taken by Madhya Pradesh Tourism.

Research Methodology - The secondary data is used from numerous bases such as Research Papers, Annual Reports, Journals, Government Websites, Websites of

Ministry of Tourism and Madhya Pradesh Tourism, Newspapers etc. The data collected is analyzed and studied to reach conclusions and draw inferences.

Methodological Framework - The study is founded on the basis of existing secondary data. The intellectsproposal by Madhya Pradesh Tourism Corporation Limited (MPTCL), numerousinformations at state, national & international level. Presently the dwellings of consistent vibes are gratifying a chief captivation for tourists 'reliefs, because of its pure natural beliefs. The visitorsviewer, have a note worthy part in alteringarray of exploiting the capitals & getting the spatial disparity in it over a province,which have direct or indirect impact on sight-seeing situation. In this perspective, the existing endeavor has been comprehensive to recognize the effect of atmosphere on tourism growth.

Study Area - Madhya Pradesh means "Central Province", and is positionedin the geographic heart of India, among latitude 21.2°N-26.87°Nand longitude 74°02'-82°49' E. The state connects the Narmada River,which runs east and west between the Vindhya and Satpura ranges; these ranges and the Narmada are the customary frontier between the north and south of India.

Since the study area is concentrated on the Nimar area of Madhya Pradesh. The state of Madhya Pradesh has been malformed into an industrialized power house through out the previous three eras tumbling its reliance on agriculture and textiles.

Tourism Advancement and Scenario in Madhya Pradesh:

1. Khandwa District is located in the east Nimar primarily well-known for holy tourism place of Hindus and Jains. individual of 12 Jyotirlinga "Omkar Mamleshwar" is located at the reservoir of divine river Narmada (Honored as "Maa Narmada") in Omkareshwar township.
2. Samadhi situated of Dada Dhuniwale is located in Khandwa city. Samadhi place of Brahmgir Maharaj is to be found near Khandwa city. Samadhi place of Kabir of Nimar, Singaji is positioned at PipliyaSingaji, Near Mundi civic. Samadhi place of Bukhardas baba is in the vicinity of New Harsud, Chhanera.
3. Voyage tourism is existing in Hanuvantiya, famous as Indira Sagar Tourist Complex, Hanuvantiya. Sailani is emergent island for venture tourism near Omkareshwar.
4. Vocalist Late Shri Kishor Kumar Samadhi place is famous in Khandwa Town.
5. Siddhwarkut near omkareshwar is situated as importance religion of Jain.
6. Madhya Dweep is a cluster of island in the Indira Sagar dam together with Sailani islands and Hanuwantiya which is by the reservoir of Indira Sagar dam. By the side of with plentiful innate beauty, it offers a ample range of water sports throughout "JalMahostav".
7. Hanuwantiya too horde India's merely and biggest water carnival, JalMahotsav, each year. This magnifi-

cent happening is a delight for escapade seekers, art enthusiast, foodies and tired-of-the-urban-chaos populace.

8. Khandva. Khandwa district of Madhya Pradesh is also measured a spiritual place. There are ashrams of hundreds of sages on the banks of Narmada. One such ashram was that of Sant Singaji Maharaj. About four hundred years ago, Sant Singaji used to be the spiritual teacher here. Sant Singaji took samadhi four hundred years ago, but when the dam was built in the year 2004, his samadhi started sinking. The tomb was a symbol of the faith of thousands of people. Therefore the government saved Singaji's mausoleum by making a huge wall. Now there is a wall around the samadhi and it became famous as Singaji Island.

Advancement of Madhya Pradesh tourism - The Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation (MPSTDC) is a government agency that demarcates and adjusts the tourism events of the Indian state of Madhya Pradesh. The MPSTDC is headquartered at Bhopal and has workplace sathwart all the districts of Madhya Pradesh. The intervention also controls home stays, guest houses, resorts, and traveler relaxation houses in diverse significant places within the state.

Some Important Tourist Destinations:

1. The Khajuraho Group of Monuments in Khajuraho a town in the Indian state of Madhya Pradesh, located in Chhatarpur District, about 620 kilometres (385 mi) southeast of New Delhi, are one of the most popular tourist destinations in India. Khajuraho has the largest group of medieval Hindu and Jain temples, famous for their erotic sculpture. The Khajuraho group of monuments has been listed as a UNESCO World Heritage Site, and is considered to be one of the "seven wonders" of India.
2. Kanha - best known Wildlife Park in Asia: Kanha National Park tucked away in the Eastern part of the Central-Indian Satpura Range; Kanha is one of the oldest and best-known parks of India. Renowned for its boondocks and tiger sightings, the preserve was immortalized by Rudyard Kipling, who put his 1894 Jungle Book adventure of Mowgli (the Wolf Boy) in these incredibly forests. The Wildlife Conservation Society (WCS), the world's foremost preservation organization, have rated Kanha as the best managed park in Asia.
3. Sanchi - one of the oldest seats of Buddhist learning: Sanchi is located 45 kms away from Bhopal. The place has imposing Buddhist remnants range from the 3rd century BC to 12th century AD that are located on a hill top of Vindhya range in Central India. The serene hill of Sanchi is crown by a set of stupas, monasteries, temples and pillars. The wonderful history of Sanchi, as an historic place of Buddhist erudition and a place of pilgrimage, can still be knowledgeable in its multifaceted structure where many Buddhist legends set

up appearance in the rich sculptures.

4. Amarkantak is located at an altitude of 1065 mt. at the reunion point of the Vindhya and the Satpura mountain range amid sylvan background, Amarkantak is a immense pilgrim hub for the Hindus, and is the resource of the rivers Narmada and Sone. whereas the Narmada flows westwards from Amarkantak, the Sone flows towards the East. Amarkantak is without a doubt blessed by Nature. Holy ponds, lofty hills, forested surroundings, breath takingly beautiful waterfalls and an ever-pervading air of tranquillity make Amarkantak a much adored destination for the religious-minded as well as for the nature-lover.
5. Malwa A plateau region in the northwest of the state, north of the Vindhya Range, with its distinct language and culture. Indore is the chief city of the area, while Bhopal lies on the rim of Bundelkhand region. Ujjain is a town of historical importance. Nimar (Nemar) The western portion of the Narmada River valley, lying south of the Vindhyas in the southwest portion of the state.
6. Bundelkhand A region of rolling hills and fertile valleys in the northern part of the state, which slopes down toward the Indo-Gangetic plain to the north. Gwalior is an momentous core of the region.
7. Baghelkhand A hilly region in the northeast of the state, which includes the eastern end of the Vindhya Range.
8. Mahakoshal The southeastern portion of the state, which includes the eastern end of the Narmada river valley and the eastern Satpuras. Jabalpur is the mainly significant city in the province.

Impact of Tourism Advancement - The Advancement of tourism takes along a figure of socio economic modifications. Moreover create a cause of foreign exchange, augmentation of tourism engenders employment, subsidize in GDP so it is measured as a distinguished gadget of financial development. The purpose of this study is to make an inclusive valuation of tourism development and prospects lies in the Nimar area of MP. Tourism also stimulus the occupation of other sector which are meticulously inter connected.

Conclusion - Tourism is amid the greatest profitable industries in India now. Madhya Pradesh is one of the further most favored tourism states by tourists. Societies from all concluded the world come to adore the attractiveness of Madhya Pradesh.

Literature studies throughout the research maintenance the good commercial influences of tourism in the intended places.

Commencing the above study that the progress of frugality created by tourism industry would affect positively to all stages of people, not only at higher group but also to confined group, which may assist in refining their communal commercial situations & will consequences in poise progress. The correct preparation and management systems positively will play a key part in cultivating the

standard of existing people who are reliant on the tourism.

The Gujarat gifted with adequately of resource (both physical & human resource), which must be exploited in a maintainable mode. The state should give prominence to the perception of ecotourism & development of natural surroundings based tourism rather than locale up the environment. The inspiration of isolated sectors to arrive in this field would certainly make a lot of alteration in handling the obtainable tourism resource. Only just capital investments will not benefit in expansion but the local people contribution is also required. The numerous organizations employed in this field should assume the long term preparation systems to develop the region. The Madhya Pradesh being a self-governing of almost all type of possible resource, it has great future prospect in the tourism enlargement.

References:-

1. Anoop K. R, (2005), "Innovations In Natural Resource Management – A Case Study From Periyar Tiger Reserve, Kerala", under the supervision of Shri Saurabh Gupta, IFS, Indira Gandhi National Forest Academy.
2. Ansari, A.A., & Gupta Vishal, (2006), "Changing Paradigm in Tourism Industry".
3. Cater, Erlet. (1993), "Ecotourism in the third world: problems for sustainable tourism development. Tourism Management". [http://dx.doi.org/10.1016/0261-5177\(93\)90040-R](http://dx.doi.org/10.1016/0261-5177(93)90040-R)
4. Cohen, Judy; Richardson, John. (1995), "Nature tourism vs. incompatible industries: mega-marketing the ecological environment to ensure the economic future of nature tourism". Journal of Travel and Tourism Marketing. http://dx.doi.org/10.1300/J073v04n02_10
5. Gossling, Stefan, (1999), "Ecotourism: a means to safeguard biodiversity and ecosystem functions. Ecological Economics". [http://dx.doi.org/10.1016/S0921-8009\(99\)00012-9](http://dx.doi.org/10.1016/S0921-8009(99)00012-9).
6. Henry, I.P. & Jackson, G.A.M. (1996), "Sustainability of management processes and tourism products and contexts, Journal of Sustainable Tourism". <http://dx.doi.org/10.1080/09669589608667256>.
7. Kline D. Jeffrey, (2001), "Tourism and Natural Resource Management: A General Overview of Research and issues", General Technical Report PNW-GTR-506, United States Department of Agriculture (USDA).
8. Laarman, Jan G.; Sedjo, Roger A. (1992), "Global forests: issues for six billion people. New York: McGraw-Hill".
9. Mason, P.J.L. (2005). Tourism, Environment and development. East Bourn: Manor Park Press.
10. Mekvan, A.K. & Dr. A.A. Ansari, (2006), "Human Resource & Marketing Strategy in Tourism With reference to Saputara Hill Station of S. Gujarat".
11. Robinson, H. (1976), "A Geography of Tourism", Aspect Geographies.
12. Satish Babu, A. (1998), "Tourism Development in India" (A Case Study).
13. Seidl, Andrew (1994), "Ecotourism: reworking the concepts of supply and demand".
14. Shukla P. & Ansari A.A., (2013), "Role of Tourism Industry in Employment Generation in Gujarat: A Geographic Assessment", Published in International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IJRHAL), vol.1, issue 2, July 2013, 1-8.
15. Wood, Megan Epler (1993), "Ecotourism guidelines for nature tour operators", North Bennington, VT: Ecotourism Society.

सा केवलं काव्ये हेतुः इतियायावरीयः

डॉ. एस. एस. गौतम *

* प्राध्यापक, शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय साहित्य में कवि को मनीषी, स्वयंभू प्रजापति इत्यादि कहकर उसका प्रशस्तिगान किया गया है। कवि इस संसार को जिस रूप में देखता है उसका वर्णन तो वह करता ही है, साथ ही वह जिस रूप में संसार को देखना चाहता है उसका संकेत भी करता है। इस प्रकार वह काव्य संसार का विलक्षणसृष्टिकर्ता बन जाता है। सम्भवतः यही कारण है कि कवि की सृष्टि को ब्रह्मा की सृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है। इस सम्मेलन में 'काव्यप्रकाश' रचनाकार आचार्य मम्मट लिखते हैं-

**नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्।
नवरसरुचिरानिर्मितिमादधतीभारती कर्वेजयति ॥¹**

काव्यशास्त्र परम्परा में आचार्य राजशेखर अपनी मौलिक उद्भावनाओं के कारण विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा काव्यपुरुष की जो कल्पना की उसको और अधिक स्पष्ट रूप देने का श्लाघनीय कार्य किया है। वेद के पुरुष सूक्त में जिस प्रकार उसके अङ्गों एवं उपाङ्गों का वर्णन हुआ है। उसी प्रकार राजशेखर ने काव्यपुरुष के मुखादि से लेकर सम्पूर्ण अङ्गों का वर्णन किया है। संसार का कोई भी कार्य अकारण नहीं होता है। अर्थात् कार्य के पूर्व कारण का होना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। भारतीय दर्शन परम्परा भी इसी सिद्धान्त पर आधारित है। काव्य के हेतु क्या है? इस जिज्ञासा का समाधान लगभग सभी आचार्यों ने अपने-अपने मतानुसार किया है। 'काव्य मीमांसा' आचार्य राजशेखर की काव्यशास्त्रीय तत्त्वों के विवेचन से सम्बन्धित प्रसिद्ध एवं प्रौढ़ रचना है।

प्रस्तुत शोधालेख का अभीष्ट विवेच्य विषय 'सा केवलं काव्ये हेतुः इतियायावरीयः'² है। काव्य हेतु से सम्बन्धित आचार्य राजशेखर पर चर्चा करने से पूर्व इस विषय पर विभिन्न आचार्यों के मतों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। यद्यपि इस विषय पर आचार्यों में मतैक्य नहीं है। कुछ प्रतिभा को, कुछ प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति को एवं कुछ प्रतिभा, व्युत्पत्ति के साथ अभ्यास को भी काव्य हेतु में सम्मिलित करते हैं। आचार्य दण्डी ने प्रतिभा, शास्त्रज्ञान और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है-

नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुतं च बहुनिर्मलम्।

अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदाः ॥³

आचार्य वामन ने 1 लोक 2 विद्या तथा 2 प्रकीर्ण- इन तीनों को काव्य का अङ्ग काव्य निर्माण की क्षमता प्राप्त करने का साधन बतलाया है।

लोको विद्या प्रकीर्णञ्च काव्याङ्गानि।⁴

लोकवृत्तं लोकः।⁵

शब्दङ्गमृत्युभिधानकोश-छन्दोविचित-कला-कामशास्त्र

दण्डीनी

पूर्वाविघ्नाः ।⁶

लक्ष्यज्ञत्वमभियोगो वृद्धसेवावेक्षणं प्रतिभानमवधानयञ्च प्रकीर्णम्।⁷

वामन ने काव्य हेतुओं का नये रूप में निर्देश कर उसे काव्याङ्ग कहा है। लोक का अर्थ लोक वृत्त है जिसमें सम्भवतः सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों के लोक व्यवहार सभी कुछ समवेत हैं, इनका काव्य के लिए आदान किया जाता है। विद्या, शब्दशास्त्र, स्मृति ग्रन्थ, कोषग्रन्थ, कला, कामशास्त्र आदि अनेक शास्त्रों से अन्वित है। इन सबका आदान काव्य रचना में उपकारक होता है। प्रकीर्ण को वामन ने छह भागों में विभक्त किया है। काव्यों से परिचय लक्ष्यत्व, काव्य रचना के लिए उद्योग अभियोग, काव्योपदेश करने वाले गुरु की सेवा, विविध शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके पदों का आदान एवं उद्धरण करना, अवेक्षण, कवित्व बीज प्रतिभा चित्त की एकाग्रता अवधान है।

रुद्रट ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु बताया है। रुद्रट ने व्युत्पत्ति की परिभाषा में छन्द, व्याकरण, कला, लोक स्थिति, पद-पदार्थ का ज्ञान, युक्त-अयुक्त का विवेक आदि।

छन्दोव्याकरण कला लोक स्थिति पद पदार्थ विज्ञानात्।

युक्तयुक्तविवेको व्युत्पत्तिरियं समासेन ॥⁸

आचार्य अभिनवगुप्त ने व्युत्पत्ति की परिभाषा देते हुए कहा है-

'समस्तवस्तु पौर्वापर्य परामर्श कौशलं व्युत्पत्ति।'⁹

भामह ने 'काव्यं तु जायते कस्यचित्प्रतिभावातः' कहकर प्रतिभा को तो स्वीकार किया ही है लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास का निरादर भी नहीं किया है। आचार्य श्यामदेव ने काव्य धर्म में समाधि को परम आवश्यक माना है। समाधि से उनका आशय चित्त की एकाग्रता से है। चित्त की एकाग्रता के न होने पर तत्त्व के रहस्य को नहीं जाना जा सकता है। समाधि प्रतिभा का ही रूप है।

आचार्यमम्मट ने काव्य हेतु के रूप में 'शक्ति', 'लोक' (व्यवहार), शास्त्र तथा काव्य आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न निपुणता और काव्य को जानने वाले की शिक्षा के अनुसार 'अभ्यास' इन तीनों को संयुक्त रूप से काव्य का हेतु माना है-

शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्।

काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥¹⁰

आचार्य आनन्दवर्धन का मत शक्ति को काव्य का हेतु स्वीकार करता

है-

अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्तयः संक्रियते कवेः।

यत्शक्तिकृतसीड्य सङ्गरित्यवभासते ॥¹¹

आचार्य मङ्गल ने अभ्यास को काव्यतत्त्व की सिद्धि का चरम उपाय माना है। उनके अनुसार निरन्तर अनुशीलन का नाम अभ्यास है और वह अभ्यास सर्वगामी है तथा सर्वत्रनिरतिशय कौशल का आधान है। समाधि आभ्यान्तर प्रयत्न तथा अभ्यास बाह्य प्रयत्न है। यह दोनों मिलकर शक्ति की उद्भावना करती है।¹² आचार्य मङ्गल के मत को जिन्होंने अभ्यास और समाधि से शक्ति की उद्भावना मानी है।¹³ आचार्य राजशेखर कहते हैं कि 'सा केवल काव्य हेतुः'¹⁴ अर्थात् वह (शक्ति) ही केवल काव्य का हेतु है और वह शक्ति प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति से भिन्न है। प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति शक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है। राजशेखर ने अपने इस मत से जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति से शक्ति की उद्भावना की थी उसको नकार दिया है। आचार्य राजशेखर के मत में शक्ति से सम्पन्न ही व्युत्पन्न हैं जो शब्द-समूह, अर्थ-समूह, अलंकार शास्त्र, उक्ति मार्ग तथा अन्य भी एतादृश काव्य पदार्थों को हृदय में भासित करे उसे प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा से रहित व्यक्ति को पदार्थ-समूह अप्रकट रहते हैं किन्तु प्रतिभा वाले को न दिखने पर भी प्रत्यक्ष जैसे रहते हैं। उन्होंने अपने मत की पुष्टि में मेधा विरुद्ध और कुमारदास जैसे कवियों के उद्धरण दिये हैं जो जन्मान्ध सुने जाते हैं। प्रतिभा के बल पर ही महाकवि दूसरे देशों, द्वीपों तथा कथापुरुषों के चित्रण तथा उनके व्यवहार आदि का वर्णन करते हैं। आचार्य राजशेखर शक्तिजनित प्रतिभा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि महाकवि कालिदास जैसे महाकवि भी इसी प्रतिभा के बल पर ही शाकुन्तलम् के मारीचि आश्रम वर्णन के द्वारा देशान्तर वर्णन¹⁵, रघुवंश में द्वीपान्तर्ग¹⁶ कुमारसम्भव की शिव चेष्टाओं में कथापुरुष व्यवहार तथा इन्दुमति स्वयंवर में नारी मन के इर्ष्यागत मान को चित्रण करने में सफल रहे।¹⁷ इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरों के संस्कारों से ही सब प्रकार के अर्थ संगत मात्र से ही प्रतिभासित हो जाते हैं। इसका एक मात्र कारण प्रतिभा ही है।¹⁸

आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद माने हैं- (1) कारयित्री जो कवि की उपकारक होती है और वह तीन प्रकार की होती है- (i) सहजा (ii) अहार्या (iii) औपदेशिकी। सहजा प्रतिभा जन्मान्त संस्कार से उत्पन्न होती है¹⁹ जबकि अहार्या इस जन्म के संस्कारों तथा औपदेशिकी प्रतिभा मन्त्र-तन्त्र के उपदेश से प्रोद्भूत होती है। इन तीनों भेदों से युक्त कारयित्री प्रतिभा से क्रमशः सारस्वत, आयसिक और औपदेशिक कवियों का निर्माण होता है।

(2) भावयित्री प्रतिभा कवि के परिश्रम तथा अभिप्राय का मूल्य करती है। इसी आश्रय से कवि का काव्य व्यापार रूपी वृक्ष फलित होता है। राजशेखर ने आलोचक और समीक्षक के लिए भावक शब्द का प्रयोग किया है। भावयित्री प्रतिभा भावना की उपकारिणी होती है। शक्ति जनित व्युत्पत्ति से स्पष्ट करते हुए राजशेखर कहते हैं कि उचित-अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति

दोनों का स्वीकार किया है।²⁰

इस प्रकार राजशेखर तथा पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा वर्णित काव्य हेतु का जो परिचय दिया गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यायवरीय राजशेखर ने 'शक्ति' को काव्य हेतु स्वीकार करते हुए भी प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को मान्यता देते हैं। राजशेखर की शक्ति वेदान्त के अधिकारी के समान है जिसमें वह सभी आवश्यक और अनिवार्य योग्यताएँ हैं जो एक उत्तम काव्य के लिए आवश्यक है। अन्त में काव्य की सफलता के लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास की समान महत्त्व स्वीकार करते हैं। इनके मत में बुद्धिमत्ता, काव्य एवं उसके अङ्गभूत विद्याओं का अभ्यास तथा कवियों का उपनिषद् (रहस्य अर्थात् शक्ति) ये तीनों एक स्थान पर अत्यन्त दुर्लभ हैं। इस प्रकार काव्य तथा काव्याङ्गभूत विद्याओं का जिस विद्वान ने अभ्यास किया है तथा जो मन्त्रों के अनुष्ठान में संलग्न है उसके लिए कविराजत्व (कवि राज का पद) दूर नहीं है। अर्थात् वह सद्यः 'कवि राजत्व' के पद को प्राप्त हो जाता है।

काव्यकाव्याङ्ग विद्यासु कृताभ्यासस्य धीमतः ।

मन्त्रानुष्ठाननिष्ठस्य ने दिष्टा कविराजता ॥²¹

इससे स्पष्ट होता है कि राजशेखर ने केवल शक्ति को ही हेतु रूप में स्वीकार करके इस क्षेत्र में मौलिकता प्रदान की है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. काव्यप्रकाश- आचार्य मम्मट 1.1
2. काव्यादर्श- आचार्य ढण्डी 1.103
3. काव्यमीमांसा- आचार्य राजशेखर पृ 25
4. काव्यालंकार- आचार्य- भामह 1.3.1
5. काव्यालंकार- आचार्य- भामह 1.3.2
6. काव्यालंकार- आचार्य- भामह 1.3.3
7. काव्यालंकार- आचार्य- भामह 1.3.11
8. काव्यालंकार- रुद्रट 1.18
9. अभिनव भारती- अभिनव गुपी
10. काव्यप्रकाश- आचार्य मम्मट 1-3
11. ध्वन्यालोक- आनन्दवर्धन 11
12. काव्यमीमांसा- आचार्य राजशेखर चतुर्थ अध्याय, पृ. 35
- काव्यमीमांसा- आचार्य राजशेखर चतुर्थ अध्याय पृ 25
14. वही, चतुर्थ अध्याय, पृ. 26
15. अभिज्ञानशाकुन्तलम्- महाकवि कालिदास पृ. 7/12
16. रघुवंश-महाकवि कालिदास 6/57
17. कुमारसम्भव- महाकवि कालिदास 3/67
18. रघुवंश-महाकवि कालिदास 6/82
19. काव्यमीमांसा- आचार्य राजशेखर पृ. 27-28
20. काव्यमीमांसा- आचार्य राजशेखर पृ. 34
21. काव्यमीमांसा- आचार्य राजशेखर पृ. 291

कोरोना महामारी का प्रभाव – एक अवलोकन (भारत के संदर्भ में)

डॉ. ज्योति सिंह*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, नैनपुर जिला-मण्डला (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – कोरोना वायरस एक भयावह महामारी, जिसने मार्च 2020 में भारत में दस्तक देकर पूरे भारत के जनमानस को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित किया है।

कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या थी। यह वायरस चीन के वुआन से शुरू होकर पूरे विश्व में अपना जाल फैला दिया है। कोरोना वायरस दुनिया के लिये एक गंभीर मामला बन गया है।

महामारी का विनाशकारी प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन पर ही नहीं यह हमारी अर्थव्यवस्था, नागरिकों असुविधाओं और उनके कष्टों पर भी दिखाई दे रहा है। महामारी ने विश्व की सीमाओं को समेट कर रख दिया था। इससे बचाव के पालन में सामाजिक दूरियाँ इतनी बढ़ा दी कि 'गम और खुशी' में, रिश्तों में खौफ और अलगाव की दीवार नजर आई। भारत में जहाँ रिश्तों की महत्ता है वहीं हर संस्कारों में रिश्ते, नातेदारों का इकट्ठा होना भी उनता ही महत्व का है किन्तु महामारी के प्रभाव ने दूरियाँ और सिर्फ दूरियाँ बनाकर रख दी है।

भारतीय समाज को अगर हम 'जटिल समाज' कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि भारत में धर्म, जाति, भाषा, बोली की विविधता देखने को मिलती है। अलग-अलग संस्कृतियों में रमते भारतीय एक रंग बिरंगे फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता नजर आता है और रंग बिरंगे फूल अलग होकर भी अपने रंग और खूबसूरती की अमिट छाप पूरे विश्व में बना के रखा है।

'विविधता में एकता भारत की शान है'

यही भारत की पहचान है।

भारत की विविधताओं में यहाँ का भौगोलिक स्वरूप भी है। कहीं ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं, कहीं पठार, वन, महासागर और मरुस्थल हैं जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य से सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। इस खूबसूरत देश में महामारी के दौरान और महामारी के दो वर्षों के पश्चात् जो प्रभाव देखने को मिला उसका वर्णन निम्नानुसार है –

उद्देश्य: – महामारी के प्रभाव को देखना।

स्रोत: – द्वैतियक स्रोत, अवलोकन, अनौपचारिक वार्तालाप।

1. परिवार पर प्रभाव – भारत में परिवारों में सदस्य संख्या तीन चार से होती ही है। संयुक्त परिवार भी ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखने को मिल जाती है महामारी के दौरान एक ही छत के नीचे कितने दिनों तक पूरे सदस्य 24 घंटे एक साथ रहे। एक साथ रहने का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हुये। सदस्य एक दूसरे को पहले से ज्यादा समझने लगे और आपस में

प्रेम बढ़ा किन्तु एक साथ एक छत के नीचे रहने से महामारी की तीव्रता बढ़ी क्योंकि एक व्यक्ति कोविड से ग्रस्त होता है तो परिवार के दो तीन व्यक्ति को संक्रमित कर सकता था, और कोरोना से ग्रसित व्यक्ति ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी ग्रसित किया। छोटे घर, जगह की कमी और एक ही टॉयलेट का उपयोग ने कोरोना के संक्रमण को तीव्र गति से बढ़ाया है।

संक्रमण रोगों के विशेषज्ञ डॉ. जैकब जॉन कहते हैं, 'लॉकडाउन के दौरान किसी भी एक व्यक्ति के संक्रमित होने पर उसका परिवार एक वलस्टर की तरह बन जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति से संक्रमित होने के बाद लगभग सभी लोगों के संक्रमित होने की आशंका बन जाती है।'

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों में रहने की समस्या के साथ-साथ खान पान की समस्या का सामना भी करना पड़ा। महामारी के दौरान काम धंधे बंद हो गये, प्रवासी मजदूर काफी मुश्किलों के पश्चात् अपने अपने घरों को पहुंचे तो उनके सामने बेरोजगारी का संकट आ गया था।

सरकार, सामाजिक संस्थाओं तथा व्यक्तिगत तौर पर जरूरत मंदों तक सहायता पहुंचाई गई थी जिसमें रोजमर्रा की जरूरतों के सामान शामिल थे, जो कोरोना काल में काफी मददगार साबित हुए।

2. महिलाओं पर प्रभाव – पुरुषों की तुलना में कोरोना से महिला वर्ग काफी प्रभावित हुई। पहले से ही महिलाएँ लिंग आधारित असमानताओं का सामना करती हैं और कोरोना ने इन्हें आर्थिक रूप से गरीब कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेन्ट के ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर बीना अग्रवाल ने शोध के माध्यम से पाया कि 'महिलाओं को कोविड लॉकडाउन के दौरान पुरुषों की तुलना में नौकरियों का अधिक नुकसान हुआ है, उनकी लॉकडाउन के बाद रिकवरी भी बहुत कम रही है। वे अपनी छोटी सी बचत और संपत्ति के दोहरे कार्य बोझ, डिजिटल असमानता और प्रतिबंधात्मक मानदंडों के कारण आर्थिक असुरक्षा का सामना करती हैं।'

कोरोना के दौरान महिलाओं में हिंसा और शोषण की मात्रा बढ़ी है एक ही छत में सबके साथ रहने रहने से घरेलू हिंसा, रेप जैसी घटनायें बढ़ी थी। कामगार महिलाएँ जिनके काम धंधे बंद हो गये उनको परिवार के भरण पोषण के संकट का सामना करना पड़ा। इस दौरान पुरुषों के काम भी बंद हो गये थे। घर में काम करने वाली कामवाली काम करना बंद कर दी थी और लोगों में कोरोना का भय और बचत की मानसिकता ने उनका काम छुड़वा दिया था जिससे घर की महिलाओं पर काम का बोझ ज्यादा हो गया था। घर में महिलाओं को आराम करने का वक्त नहीं मिला तथा मानसिक दबाव में उस दौरान रही।

डॉ. स्वर्णिमा सिंह ने कहा 'महामारी के दौरान महिलाओं में डिप्रेशन, एंजायटी और स्ट्रेस के मामले तेजी से बढ़े आर्थिक आजादी छिनने से भविष्य को लेकर उनमें असुरक्षा का भाव भी बढ़ा तथा एक बार नौकरी छोड़ने के बाद आप आत्मविश्वास भी खो देते हैं, ऐसे में इन महिलाओं को फिर से घरों से बाहर निकलकर काम करने का आत्मविश्वास दे पाना मुश्किल होगा।'

भारतीय महिलाओं ने अपनी चौतरफा भूमिका का निर्वहन किया वो किचन से लेकर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, घर का प्रबंधन, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान, बुजुर्गों की सेवा, सभी को बखूबी निभाया। खुद को भुलाकर सबका ख्याल रखा जिसकी वजह से वो शारीरिक के साथ-साथ मानसिक विकार से ग्रसित हो गई।

3. भारत की आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव- कोरोना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार कोरोना ने बेरोजगारी को बढ़ा दिया है डिफाल्टरों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। भारत की सबसे बड़ी स्वर्ण वित्तपोषित कंपनियों में से एक, मणपुरम फाइनेंस लिमिटेड (MNFL MS) ने जनवरी-मार्च तिमाही में लगभग 55 मिलियन डालर मूल्य के सोने की नीलामी की, जबकि पिछली तीन तिमाहियों में यह 1.1 मिलियन डालर थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि सोने के आभूषणों को गिरवी रखकर सुरक्षित कर्ज लेने वाले लोगों में डिफाल्टरों की संख्या बढ़ने से सोने की नीलामी बढ़ रही है, जबकि सोने को गिरवी रखकर लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए आमतौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक की व्यवस्था है, ऐसे में सोने की नीलामी दीर्घकालिक आर्थिक तनाव का संकेत है।

'सीवोटर' द्वारा किए गये सर्वेक्षण का नतीजा सामने आया कि लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई है तथा उम्मीद की किरण धुंधली है। कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव देश के असंगठित क्षेत्र पर हुआ है। सबसे अधिक नौकरियाँ असंगठित क्षेत्र में गई हैं सबसे अधिक व्यवसाय असंगठित क्षेत्र के बंद हुए हैं इसीलिए यह दौर असंगठित क्षेत्र के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे भयावह दौर रहा है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था बेरोजगारी, गरीबी, मंहगाई और असमानता के दौर से गुजर रही है।

4. स्कूली शिक्षा पर प्रभाव- भारत में कुल 1507708 स्कूल हैं जिसमें से 10,32,570 स्कूल केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। 84362 सरकारी सहायता प्राप्त हैं। 3,37,499 गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल हैं। जबकि 53,277 स्कूलों का संचालन अन्य संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

भारत में 2019-20 में लिंग, आयु, समूह और स्कूली शिक्षा के स्तर के आधार पर नामांकित छात्रों की संख्या 6 से 8 वर्ष की आयु के अंतर्गत लड़कों की संख्या 33427571 है जबकि लड़कियों की संख्या 31445816 है। कुल 64873387 छात्र उच्च प्राथमिक हेतु नामांकित हैं। माध्यमिक शिक्षा हेतु कुल 38464433 छात्र नामांकित हैं जिनमें 20072356 लड़के, 18392077 लड़कियां हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या कुल 2594760 है इनमें 13330949 लड़के एवं 12616211 लड़कियां हैं।

वर्तमान में सरकारी स्कूलों में करीब 75 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। करीब 30 लाख 77 हजार 227 विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। करीब 42 लाख 56 हजार 206 विद्यार्थियों को शिक्षक घर-घर जाकर पढ़ा

रहे हैं।

कोरोना ने बच्चों की शिक्षा को बहुत प्रभावित किया इसका सीधा प्रभाव बच्चों की मानसिक स्थिति तथा उनकी मनोदशा पर पड़ा। स्कूलों के बंद हो जाने से ऑन लाइन कक्षाएँ प्रारंभ की गईं, बच्चे ऑन लाइन से शिक्षा ग्रहण किये किन्तु उनकी सीखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है। स्कूल में रहकर बच्चे शिक्षा के अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल रहता है जिससे वह व्यावहारिक ज्ञान अर्जित करता है साथ ही सहयोग की भावना, खिलाड़ी भावना तथा प्रतिस्पर्धा की भावना को भी सीखता है किन्तु महामारी के दौरान वह इससे वंचित रहा। ऑन लाइन कक्षाओं का लाभ भी उन विद्यार्थियों को मिला जो साधन संपन्न थे जो साधन संपन्न नहीं थे वे इससे वंचित रहे। सरकार के प्रयास हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचे, कुछ हद तक कारगर नजर आई किन्तु सेटे लाइट, नेटवर्क का ना होना इसमें बाधा उपस्थित करता रहा और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक लाभ नहीं मिल पाया।

ऑन लाईन शिक्षा ने असमान वितरण को बढ़ावा दिया है। मई 2021 तक 26 देशों में स्कूल पूरी तरह से बंद थे और 55 देशों में स्कूल केवल आंशिक रूप से या तो कुछ स्थानों में या केवल कुछ कक्षाओं के खुले थे।

यूनेस्को के अनुसार-दुनिया भर में स्कूल जाने वाले करीब 90 फीसदी बच्चों की शिक्षा महामारी में बाधित हुई है।

महामारी ने बच्चों की मनःस्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया है। ह्यमन राइट्स वॉच ने कहा कि 'लाखों छात्रों के लिए स्कूलों का बंद होना उनकी शिक्षा में व्यवधान भर नहीं बल्कि अचानक से इसका अंत हो गया, बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया, शादी कर ली, माता पिता बन गये और शिक्षा से उनका मोहभंग हो गया। स्कूलों के बंद होने से बच्चों की रुचि शिक्षा के अतिरिक्त दूसरे कार्यों में ज्यादा रुचि बढ़ गई।' साधन संपन्न अभिभावकों के बच्चे स्मार्ट फोन का उपयोग गेम खेलने, या मनोरंजन के लिए करने लगे। लड़के और लड़कियों में तुलनात्मक रूप से लड़के गेम खेलने में और लड़कियों में कुकिंग जैसे -केक, पेस्ट्री, पीज्जा, नूडल्स बनाने की विधि जैसे साइट को देखा और उसका घर में उपयोग भी किया। सकारात्मक दृष्टि से देखें तो बच्चों टेक्नोलॉजी में दक्ष हो गये किन्तु किताबी ज्ञान से पीछे हो गये। गरीब तबके के बच्चे इन सारी सुविधाओं से वंचित रहे।

5. कोरोना का उच्च शिक्षा पर प्रभाव- भारत में उच्च शिक्षा विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है। पहले स्थान पर अमेरिका दूसरे स्थान पर चीन है। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों, व्यवसायिक विश्वविद्यालयों, कम्युनिटी महाविद्यालयों, लिबरल आर्ट कॉलेजों एवं प्रौद्योगिक संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा से है। 'सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष, विशद तथा सूक्ष्म शिक्षा ही उच्च शिक्षा है।'

भारत में फरवरी 2017 तक यूजीसी वेबसाइट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 789 विश्वविद्यालय, 37204 और 11,443 स्टैंड अलोन संस्थान हैं।

कोरोना के कारण उच्च शिक्षा को नुकसान हुआ है लेकिन इसके जरिये नये विकल्प भी मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार कोरोना महामारी से भारत में लगभग 32 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है। जिसमें 15.81 करोड़ लड़कियां और 16.25 करोड़ लड़के शामिल हैं। वैश्विक स्तर इस महामारी से दुनिया के 193 देशों के 157 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित

हुई है, जो विभिन्न स्तरों पर दाखिला लेने वालों का 91.3 प्रतिशत है। महामारी से शिक्षा की निरन्तरता कायम रहे, छात्रों के शिक्षा के नुकसान की भरपाई हो इसके लिये डिजिटल माध्यम की शिक्षा का प्रचलन काफी रहा। इस दौरान व्हाट्स एप, जूम, मीट जैसे एप और ईमेल का प्रयोग बढ़ा था। किन्तु नेशनल सैपल सर्वे 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 42 फीसदी शहरी और 15 प्रतिशत ग्रामीण घरों में इंटरनेट की सुविधा है। स्मार्ट फोन अभी भी हर छात्र के हाथ में नहीं है जिसके कारण ऑन लाइन से उन्हीं छात्रों को लाभ मिला जिनके पास साधन थे। कोविड महामारी ने विदेशों में पढ़ने की इच्छा रखने वाले 48 प्रतिशत से अधिक भारतीय छात्रों के निर्णय को प्रभावित किया है। विश्व भर में उच्चशिक्षा संस्थाओं का विश्लेषण करने में विशेषज्ञता रखने वाली और इन संस्थाओं को रैकिंग देने वाली एक ब्रितानी कम्पनी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेश में मंहंगी पढ़ाई में निवेश पर मिलने वाला लाभ कम होना और कोविड-19 के बाद रोजगार के अवसर कम हो जाने की वजह से छात्रों की विदेश में पढ़ने की योजनाएँ प्रभावित हुई हैं।

उच्च शिक्षण संस्थानों के बंद हो जाने के उपरांत संस्थानों ने ऑन लाइन कक्षाओं को प्रारंभ किया जिसका लाभ छात्रों को मिला, ऑन लाइन के माध्यम से ही नोट्स, ऑनसाइनमेंट आदि छात्रों को उपलब्ध कराया गया।

भारत सरकार एवं सभी राज्यों की सरकारों ने भी इस दिशा में कदम उठाये और छात्रों को ऑन लाइन के माध्यम से ई कंटेंट मुहैया कराया गया तथा यूजीसी एवं अन्य क्षेत्रीय बोर्ड ने कई एप्स और वेबसाइट पर कोर्स से संबंधित नोट्स और मटेरियल मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। सरकार का प्रयास सफल एवं सराहनीय कदम था किन्तु भारत जैसा देश जिसमें छात्रों की संख्या इतनी अधिक है तो यह चिंता का विषय हो जाता है। दूर-दराज के छात्रों को जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ बिजली, इंटरनेट कनेक्शन की समस्या हो वो इस लाभ से वंचित रहे। शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियाँ भी होती हैं जो छात्रों के वैयक्तिक विकास एवं उनके कैरियर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, छात्र इस सुविधा से वंचित रहे। महामारी के दौरान परीक्षा परिणामों में विलंब होना तथा छात्रों का अगली कक्षा में प्रवेश जैसी प्रक्रिया की समस्या भी अत्यधिक रही। जिसकी वजह से युवा छात्रों में मानसिक अवसाद की स्थिति बनी रही।

6. कोरोना का स्वास्थ्य पर प्रभाव:- कोरोना से व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव हुआ। कोरोना से ग्रसित व्यक्ति चिंतित भयभीत, भ्रमित था तो उसके परिवार के सदस्य भी चिंतित और भयभीत थे। सामान्य परिस्थितियों में भी कई लोग तनाव या मानसिक संकट से कभी न कभी पीड़ित रहे होंगे लेकिन कोविड-19 ने अचानक ही व्यक्ति के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया था हर व्यक्ति भयभीत था। लम्बे वक्त से कोरोना का देश में रहना, व्यक्तियों का अपनों को खोना तथा अस्थिरता का वातावरण हर क्षेत्र में रहने का परिणाम व्यक्ति की मानसिकता पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा है।

केन्द्र और राज्य सरकारों की कोशिशें भारत सरकार के नागरिकों स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों तथा फ्रंट लाइन के सभी विभागों के लिये किये गये जो प्रेरित करने का कार्य करती हैं किन्तु कोरोना का बार-बार रूप बदलकर रहना मानसिकता को अस्वस्थ करने के लिये ही काफी है।

कोरोना से ग्रसित व्यक्ति की मानसिक एवं आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उसके बजट पर इलाज के दौरान बोझ ज्यादा पड़ा जिसकी भरपाई वह आज भी कर रहा है। सिर्फ संतुष्टि है कि जान बच गई है। किन्तु जिन्होंने

अपनों को खोया वे उस कमी को और आर्थिक कमी को भर नहीं पा रहे हैं।
निष्कर्षतः हम कोरोना के प्रभावों को देखें तो पाते हैं कि इस महामारी ने हर क्षेत्र को अत्यधिक प्रभावित किया है, चाहे वह परिवार हो, महिलाएँ या व्यक्ति का स्वास्थ्य हो या फिर आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र हो। इस प्रभाव से जीवन को अस्त-व्यस्त कर रखा है। सामान्य होने की राह जब भी चलती है तब एक नया कोरोना का वैरियंट आकर जीवन में उथल पुथल मचा के रख देता है जिससे व्यक्तियों की सामान्य जीवन जीने की कोशिशें सिर्फ कोशिशें ही रह जाती हैं। इंतजार करना पड़ता है कब ये सामान्य होगा और मानसिक दबाव से मुक्ति मिलेगी। इस मानसिक दबाव ने व्यक्तियों को कई बीमारियों से ग्रसित कर दिया है।

सरकार की कोशिशों ने काफी हद तक इस महामारी से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। कोरोना वैक्सीन, जो व्यक्ति की महती आवश्यकता थी, मुफ्त में उपलब्ध कराकर व्यक्ति की जान की रक्षा की। गरीब मजदूरों तबके के लोगों को भरण पोषण की सुविधा मुहैया कराई तथा इनके लिए रोजगार के अवसरों का भी विकल्प ढूँढा।

वर्तमान में भारत से प्रतिबंध हटा दिये गये हैं अब सुरक्षा व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए हर विभाग, व्यवसाय, तथा व्यक्तिगत कार्य ने गति पकड़ ली है किन्तु आज भी कोरोना का भय व्याप्त है मानसिक अस्थिरता तथा अस्वस्थता कायम है। बाजार में अस्थिरता का वातावरण है, किन्तु उम्मीद की किरण बाकी है कि जल्दी ही सब सामान्य हो और जिन्दगी भयमुक्त होकर बसर करने लगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <https://www.harayanahealth.org>com>
2. <https://havybharattimes.indiatimes.com>
3. <https://www.aajtak.in>story>new>
4. <https://www.india.com>india.hindi>
5. <https://hdtv.in>india.news>omicr>
6. <https://www.haidunia.com>national>
7. www.livehindustan.com
8. www.hrw.org
9. <https://www.gaonconnection.com>
10. zeenews.india.com
11. www.bbc.com
12. www.ichowk.in
13. havybharattimes.indiatimes.com
14. <https://www.vokal.in>question>51>
15. hindi.newsclick.in
16. <https://www.education.gov.in>>
17. <https://en.wikipedia.org/wiki>ed..>
18. <https://www.dise.in>downloads>
19. www.puabkesari.in
20. www.downtoearth.org.in
21. www.dw.com
22. <https://www.downtoearth.org.in>in>
23. <https://www.bbc.com>hindi>india>
24. <https://hindi.webdunia.com>chang..>
25. <https://www.orfooriline.org>research>
26. www.orfonline.org
27. <https://www.ideasforindia.in>topics>
28. <https://www.amazon.in>coronavir>

29. satyagrah.scrill.in	37. https://www.unicef.org/reports/ri
30. www.amarujala.com	38. https://www.indiabudget.gov.in/
31. https://www.bbc.com/hindi/vert	39. https://www.amarujala.com/blog
32. https://economictimes.indiatimes.com/... 30 April 2021	40. ndtv.in
33. hindi.oneindia.com	41. https://www.worldbank.org/india
34. https://jru.com/abstractview	42. www.abplive.com
35. https://hindiwebdunia.com/corona	43. m.jagran.com
36. https://www.hrw.org	44. www.tv9india.com

An Effective Approach towards Women Empowerment (Case Study of Samaan Society of Indore)

Dr. Pushplata Mishra*

*Professor (Economics) SBS Govt. College, Ashta, Distt. Sehore (M.P.) INDIA

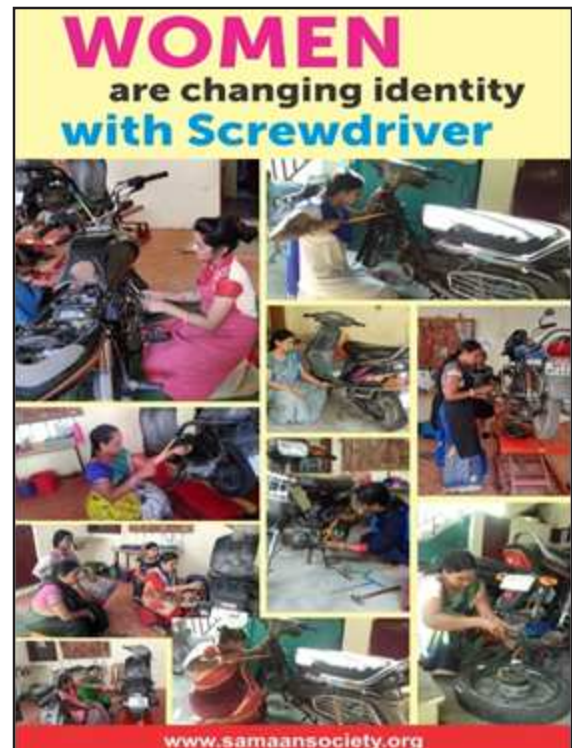
Introduction - It is a great pleasure to discuss with you about the positive and encouraging changes happening in Indore these days. Women are now working as drivers and mechanics in Indore. They have proved that they too are skilful in male dominated professions. The talk of gender equality till now heard in discussions and slogans only, the women of Indore have succeeded in realizing it. **"Samaan"** **It is the word used for Equality in Hindi. Samaan Society has focused its work on those groups which are facing inequality in some form or aren't given equal leverage in the society. Since women in India are facing gender disparities from decades and due to this inequality they remain deprived from social and legal justice.** The Samaan Society started its work by providing legal assistance to women suffering from violence. The organization believes that it is necessary for women to achieve social justice in addition to legal justice. Therefore, the organization has tried to make women skilled as drivers and mechanics in Indore. Today, more than 150 women have been employed as drivers in the city and more than 50 women have started working as mechanics. For this happening change in Indore, I salute the women drivers and mechanics that, after facing all the challenges, chose and successfully adopted this profession. The role of all the citizens is also important in encouraging these women and it is expected that the city will not only accept this role of women, but they will also have significant support in it.

Samaan Social Development Society has evolved through a prolonged process in the field of social work. From last two decades people working with different not for profit organizations in various parts of Madhya Pradesh envisaged to work with an organization which runs on the democratic values and came together to establish Samaan Society. The people who are working with Samaan had worked in the field of Education, Livelihood, and Local self-governance in Madhya Pradesh. They have gained experience not only in grassroots work.

Because of widespread inequality, women and people of the dalit community are not only deprived of the opportunities of development but also have to encounter violence in the society. Samaan society is actively working

in the direction of making the legal justice accessible to the women suffering from violence and also in their social economic development.

It has been seen that in the cases of violence against women, the women is left alone as no one in the society stands for her, which makes her miserable and vulnerable. Hence, Samaan helps these women to raise their voices and stand for their better future, helps them to fight their cases in the courts with all the legal procedures. Samaan Society also provides them the livelihood opportunities where they can work and become socially and economically empowered. Samaan Society trained the women as professional driver and mechanic. The society is committed towards connecting the women with such livelihood opportunities which have so far been in the hands of men. Driving is a similar kind of skill, which breaks the stereotype in the society.



Main activities of Samaan Social Development Society:

1. Skill development and livelihood program-

Connecting women from the economically weaker sections of the society with employment by training them in skill development. Under this, women are given training in car driving. Completion of training is associated with driving employment. Women who want to start their own vehicles, taxis or e-rickshaws are linked to employment by benefiting from the government scheme. Along with this, women are trained as bike mechanic and they are employed in various service centers. All these trainings are free.

2. Legal Clinic for women- Counseling is done to the women and their families who are suffering from domestic violence and efforts are made for family reconciliation. Along with this, women are given legal information.

3. Community Mental Health Program- Under the Community Mental Health Program, persons with mental illness are identified and they are counseled and linked with different activities.

4. Community Mobilisation- Under community mobilization, various awareness activities are carried out in the settlements of poor sections. Information about education, health, employment and government schemes is given through focused group discussions, poster exhibition, film shows and camps.

1. Skill development and livelihood program

Initiative to connect women with non traditional skills and employment - Towards gender equality women self-reliance, income source and means of livelihood are very important. It is clear that in traditional social order the means of livelihood for women have been very limited and behind the walls. If we talk about economically weaker women and women deprived of educational opportunities, then these women do labour in rural areas, whereas in the urban areas like Indore, these women do work such as cleaning, sweeping-mopping, sewing, cooking and cleaning utensils etc in bungalows. Some women work on wage in factories too. These works have much labour but the income is very less. According to the study by the organisation these women get wages of rupees 150 per day after 12 hours of hard labour while in other works they get to earn hardly 5 to 6 thousands rupees with much difficulty. There is no possibility of a better future in these works. In this situation, connecting women with livelihood based on technology can make them earn better, while the stereotype prevalent in the society will also break.

To bring this concept to the ground, the Samaan Social Development society, by training women in car driving and bike mechanics not only made them skilled in the work but also linked them with means of livelihood. With the efforts of the Samaan society, Indore is the only city in Madhya Pradesh where women are engaged in the job of car- bike mechanic and car driving.



WOMEN WITH WHEELS PROGRAMMENew Journey of women's life as driver

Women are being trained as car driver in Indore through the Women on Wheels programme. In collaboration with Azad Foundation New Delhi, the Samaan Social Development society started this program in Indore in 2015. In the year 2015 – 2016, 50 women in Indore city were trained in car driving. In the year 2016 – 2017 this training was given to a total of 117 women whereas in the year 2017-18 to 2020 -21 the number of women getting training in car driving was 220. By the end of this year, a total of 387 women and young girls completed this training. Of these, total 209 young girls are doing the driving job in Indore.

Women :

Changing Identity - Through this programme, 387 women have established their new identity. At first they used to work in household sweeping-mopping, cooking, sewing, now people call them respectfully as Driver Madame. These women have got jobs as drivers in Hotels, companies, and taxis in Indore city. many women are working as driver in the mini trucks of Indore.

Two to fourfold increase in income - After taking up driving profession several unemployed women have gained employment, at the same time there has been two to fourfold increase in income of the women working as domestic workers, labours in factories and doing sewing work etc. Earlier, where women could earn from Rs 3,000 to Rs 5000, the income of these women drivers has now reached Rs 6000 to Rs 10000 per month. These women are spending their increased income on the nutrition and education of children.

1. Women posted as driver in reputed hotels of Indore.
2. Women posted as driver in companies.
3. Women posted as driver in mini trucks of Indore Municipal Corporation
4. While working as Instructors in Driving Schools, many women are giving driving training.
5. Women are posted as drivers at several doctors, CEOs and business women.
6. Women are employed as drivers for dropping children to school and coaching classes and bringing back.



my relatives told me about driving training of Samaan Society. She too was taking training there. On her insistence I took admission in Samaan Society's driving training school. The particular thing about this training was that the process that was going on there and the discussions that took place gave me courage and I stopped getting scared. The organization taught me reading writing too. The people at Samaan Society gave me a slogan 'Don't be scared, fight'. Starting with that slogan I learned driving and first time got selected as driver in International Waste Management Pvt. Ltd. I drive heavy vehicle here. I get 9000 Rs salary and the provident fund is deposited too. Now I am fully capable of bringing up my children." **Anita Vamniya; driver, International Waste Management Pvt. Ltd.**



"When I took admission in driving training, my husband said that I can't learn driving. It is not an easy task. Initially, I found his point true. But after six months of practice I felt that I could do anything. Now I am a municipal corporation driver and drive a mini garbage truck. Now my husband also proudly says that

my wife is a driver in the municipal corporation". **Savitri; Driver, Municipal Corporation, Indore"**



Earlier I used to work in households to take care of myself, my children and my mother. I am separated from my husband and the responsibility of the household is on me. After working for whole day for a month it was very difficult to earn 5000 Rs. I learned driving at Samaan Society. The organization gave me practice of driving

continuously for six months, as well as training like legal knowledge, communication skills, self-defence and first aid. The organization put me in a job at Hotel Marriott. Today I get 10000 Rs salary. Now I take care of the education of my children. Due to increased income I send them to coaching institute as well. Due to good salary I send my children for coaching too. " **Shahnaz Shah; driver, Hotel Marriott, Indore**



"I never got an opportunity to go to school and I was married at an early age. My husband died after 5 years of marriage. After husband's death the upbringing of my three children fell on me. I used to earn a meagre 4000 Rs with difficulty washing dishes at houses. It was

very difficult to run the household. I had various fears due to living alone. I used to be scared going to work. One of

"My husband too is a driver but it was very difficult to run the household on his salary only. I too caught a complicated skin infection. Husband also used to be ill often, so he had to take leave from work many times. In this situation the economic condition of the household worsened. It had become difficult to feed the family of five people, including three children. Meanwhile, the workers of the Samaan Society organized a meeting in our neighbourhood, in which women were told about the driving training. Upon hearing them, I thought why shouldn't, I start this profession by taking training in driving. When asked for permission by husband, he first refused and said that the employment of driving is not for women. But he accepted on my insistence. I started training in the institution. The special matter is that people of the Samaan society listen to all our problems and try to solve them. Earlier I used to get treatment for my skin infection by a quack at my locality. They advised me to get treatment from a specialist doctor. With that treatment, I have been completely cured. After the driving training the institution got me placed as a driver in Neocorp Company. Here I used to get 9000 per month. Later I chose a job with higher salary. As of today I'm working on 11000 Rs per month as driver". **Shobha Vishvkarma, Driver**

YANTRIKA PROGRAM Women become Bike Mechanic

- This programme was started in April 2018 to link women with bike mechanic profession by training them in it. Under this, in the year 2018-19, 100 women were trained and so far 20 of them were employed as Bike Mechanic at different service centers of Indore city. Probably for the first time in Madhya Pradesh women are working as mechanics.

At the same time, other trained women mechanics are planning to open bike service centers in several areas of the city. Specialised training module has been prepared for the training of bike mechanic. This module covers all the work including servicing, repair, brake, engine, wiring of bikes. The special feature of this module is that in it, a simple language style was created with the viewpoint of women and interesting training methods have been included in it. All the subjects related to bike repairs and maintenance,

were divided into 12 chapters in it. In preparing this module, the help of professional mechanics, professors of IIT Indore and professors of Holkar Science College, Indore, was taken.



"When I was of 15 days only, my father expired. I was the youngest in the family. Our mother brought us 4 siblings by working as domestic help. Only I was taught till 12th Std. for financial help at home a Kiosk Centre was opened, but it didn't run properly hence has to be closed. Also opened a computer

class but that too didn't run. This way I was twice disappointed – frustrated. During this, came to know about mechanic training programme for women by Samaan Society. I reached the training centre and got information about the training. I decided I would learn this work. But mother refused. I started training without telling mother. In 3 months I learned the complete work of a vehicle. While still learning, the organization got me placed at Hero Service Centre. I get 8000 Rs monthly salary. My mother and family are also happy. The biggest thing is that people now call me respectfully as mechanic Madame." **Asha Salve; Bike Mechanic**



"The economic condition of the family was such that, a day without work would let us all hungry. Father-in-law can't walk, mother-in-law worked as domestic help and husband works as a painter. Economic condition of the family was worsening day by day. During all

this it was difficult to raise the cost of the child's education. I started working in a bag making company. One day suddenly my health deteriorated, was bed-ridden for 2 months. The doctor said that this disease has been caused by bag making; its particles have entered the lungs through respiratory tract. I recovered, but have to leave bag making work. I have lost all hope. My spirit was broken. But when I heard about the women mechanic programme of Samaan Society, I felt as if I have found a ray of light in darkness. I took admission in the training and in about 3.5 months learned the complete work. I now work at a service centre. Doing this work I gained the confidence that I can do anything." **Jamuna Sagore; Bike Mechanic**

EMPOWERMENT TRAINING - We believe that our objective is not only to prepare women drivers or mechanics

through these trainings, but our aim is also to empower women to take decisions of their own lives and establish control over their own lives, rather than someone else. In this way, women will not only be able to be socio-economically capable, but they can live with dignity and equality. That's why several trainings related to women empowerment and women development, have been included in this program, which are as follows:

1. Legal information training: Legal training is given on various laws, constitution and rights and duties of citizens.
2. Understanding Gender and Violence: The training is focused on understanding the patriarchal causes of violence on women and fighting violence.
3. Communication Skills Training: This tutorial focuses on the skill of presenting clearly one's point.
4. Self Defence: Under this, self defence techniques are taught and students are made aware of the different safety measures.
5. First Aid: This training focuses on the technique of first aid. They can use this training skill in case of need during work.
6. Reading Maps and Searching Routes: This training is given to know how to reach the destination with the help of map and compass in case of losing track.
7. Reproductive Health: This training focuses on women's health and reproductive health related information.
8. English Training: Different things related to their profession, which are spoken in English, are practiced for speaking. Also, common use English is also taught.

2. Legal Clinic for women Counseling to the women who are suffering from domestic violence - It has been observed that many people in the community have to undergo various legal procedures. At the same time, they also need legal knowledge to obtain their rights. Of these the number of women and children is high. So, the legal clinic has been started for women by the organization. Under this, legal advice is given to women, and in case of necessity, free support is also given through advocate in the court. Also, in order that the suffering women get the justice, the organisation capacitates them in the context of judicial process so that the victims can present their points in court in a strong way.



Women's groups are formed in the settlements to help women suffering from domestic violence. These groups

support women suffering from violence. The women in the group are also trained focused on legal information.

The main points related to this program are as follows:

1. This program was specially centered on the women deprived of justice and deprived communities for the government schemes related in Panchayats.
2. Under this, efforts are made to bring justice to the community at the legal and administrative level and help them access their rights.

Lawyers Initiative for Women Rights: Under this program a panel of sensitive advocates was prepared in the city of Indore. There are many advocates in this panel, which provide free legal assistance to the victims.

3. Community Mental Health Program: Inequality, violence, injustice, workload and lack of livelihood in the society have a profound effect on the mental health of the person. Many people live in tension for a long time due to various reasons. It was revealed in a study conducted by the organisation in the settlements of Malwa Mill area of Indore that nearly 70 percent of the people suffer from various mental problems such as stress and depression etc. and 50 percent of them have no excitement towards life. Many people also think about an idea to end their life. It is generally seen that the stressed people of the affluent section resolve their mental health problems through various counsellors. But for the people of socio-economically extremely weak sections, especially women, there are no methods and resources to overcome mental problems. Therefore, the organization made efforts to make this problem a community issue and efforts were made to solve such problems with the help of each other. For this, the organization is preparing to set up a centre in Malwa Mill area, At the same time, the organization conducts various activities among the community on the issue of mental health.



The institution has started this programme with the help of Bapu Trust Pune this year. This programme is being operated in the settlements of the Malwa Mill area.

4. Community Mobilisation: Community mobilization is an important part of the work of the Samaan Society. The organisation looks at it as a program and a Special Programme Manager has been appointed by the

organisation for planning of community mobilization, and for its implementation an entire team of Mobilisers is working in the field. It is clear that all the programmes of the organization are community oriented. The organisation believes that the process of social change can be accomplished only with the strength of the community and by taking the community together. Adding women to driving and mechanic training and profession is very challenging. For this, the organization workers sensitise the community, by organizing various activities with the community in the settlements. The organization's work is mainly with the socio-economically weak and disadvantaged community. There are 700 settlements in Indore city, where the people of the disadvantaged sections reside. Out of these, the organisation has established its reach in 200 settlements. As a result, a total of 100 women have been trained as mechanics and drivers and are employed.



Activities under Community Mobilisation in the settlements

- **Focused Group Discussion:** Under this, women in the settlements are gathered and their employment status is discussed and motivated to join the non-traditional professions.
- **Film Show:** Films, focused on women engaged in non-traditional employment and its importance, are displayed in settlements.
- **Poster Exhibition:** In poster exhibition, special information about importance of non-traditional professions and the employment opportunities in them is given through pictures. This exhibition is demonstrated in the settlements through which the people understand the importance of non-traditional professions.
- **Door to Door Contact:** Discussions on skill development trainings and means of employment are held through door to door contact. Through this contact, the workers go to women at their homes and discuss in detail.
- **Skill & Employment Camp:** This camp is organized on a junction between various settlements. In this, discussions on skill development and employment are held inviting women from various settlements, and women and young girls who are interested in the training of the organisation are registered.

Reference:-

1. Personal research and interview

उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमः समस्याएँ एवं सुझाव

डॉ. रुपचंद चौहान *

* एम.कॉम., पी-एच.डी. 397, महात्मा गाँधी मार्ग, नयापुरा बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – हमारे देश में हर श्रेणी के उद्यमियों के लिए उद्यमिता की अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं। उद्यमिता के प्रोत्साहन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की अनेक संस्थाएँ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। ये संस्थाएँ विभिन्न वर्गों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता की ओर अग्रसर करने में प्रयासरत हैं। उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में आयोजक संस्थाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पूर्व, दौरान एवं पश्चात् विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा है तथा इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या-क्या सुझाव हो सकते हैं। इस शोध पत्र में उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में आयोजक संस्थाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को होने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

शब्द कुंजी – उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, समस्याएँ, सुझाव।

प्रस्तावना – किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीव्र आर्थिक विकास की दृष्टि से सरकार भी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रेरणाएँ उपलब्ध कराती है। उद्यमिता के प्रोत्साहन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की अनेक संस्थाएँ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं।

केन्द्र सरकार की उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास मंडल, अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड आदि संस्थाएँ कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश सरकार की म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र. कन्सल्टेन्सी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. आदि संस्थाएँ कार्यरत हैं।

ये संस्थाएँ विभिन्न वर्गों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता की ओर अग्रसर करने में प्रयासरत हैं। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय, तकनीकी तथा प्रबंधकीय पहलुओं से संबंधित ज्ञान को प्रशिक्षणार्थियों तक पहुँचाया जाता है। इसके साथ-साथ ब्राह्म अवसरों, सहायताओं तथा सामाजिक एवं संगठनात्मक सुविधाओं आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है।

उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., म.प्र. कन्सल्टेन्सी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इस शोध पत्र में उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में आयोजक संस्थाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों

को होने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

पूर्व साहित्य की समीक्षा :

1. डॉ. सुब्रत देबनाथ (2010) ने 'एप्रेजल ऑफ इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेन्ट प्रोग्राम्स इन नार्थ ईस्ट इण्डिया विथ पर्टीकुलर रेफ्रेन्स टू त्रिपुरा' शोध पत्र में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के लिए किये गये प्रयासों पर प्रकाश डालने के लिए विभिन्न उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं संचालन का मूल्यांकन एवं मार्ग में आने वाली समस्याओं की चर्चा की है।

2. डॉ. जी. विजय भारती, सी. शिवारामी रेड्डी, डॉ. पी. मोहन रेड्डी, पी. हरिनाथ रेड्डी (2011) ने 'इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेन्ट- ए केस स्टडी ऑफ ए विलेज इन वाय. एस. आर. डिस्ट्रिक्ट' शोध पत्र में उद्यमियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उद्यमिता को प्रभावित करने वाले तत्वों और अपने प्रतिष्ठानों को विकसित करने में उद्यमियों को होने वाली समस्याओं का अध्ययन किया है।

शोध का उद्देश्य – उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समस्याओं का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध की परिकल्पना – उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में आयोजक संस्थाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

शोध अध्ययन प्रणाली – प्रस्तुत शोध पत्र में उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में आयोजक संस्थाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को होने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि आयोजक संस्थाओं

और प्रशिक्षणार्थियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पूर्व, दौरान एवं पश्चात किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है तथा समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। समस्त अध्ययन के लिए उज्जैन संभाग में वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित विभिन्न उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आयोजक संस्थाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियों को आधार बनाया गया है।

विषयवस्तु का विश्लेषण – उद्यमिता विकास एक सतत् प्रक्रिया है जिसके लिए विभिन्न उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में आयोजक संस्था और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समस्याओं को तीन भागों में बाँटकर अध्ययन किया गया है-

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूर्व आने वाली समस्याएँ – उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूर्व आने वाली समस्याएँ इस प्रकार हैं-

आयोजक संस्थाओं की समस्याएँ:

उपयुक्त प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध नहीं होना – उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उपयुक्त प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध नहीं होना आयोजक संस्थाओं की प्रमुख समस्या है क्योंकि आयोजक संस्थाओं का संपर्क केवल संबंधित विभागों एवं सीमित क्षेत्र तक ही रहता है। इस कारण संबंधित विभाग से असम्बद्ध एवं अन्य क्षेत्र के उपयुक्त प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते।

प्रचार-प्रसार की अधिकता – उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी प्रत्येक स्तर अर्थात् जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर तक पहुँचाने के लिए अत्यधिक प्रचार-प्रसार करना होता है। इससे धन एवं समय का अत्यधिक व्यय होता है। इस प्रकार प्रचार-प्रसार की अधिकता भी आयोजक संस्थाओं के समक्ष समस्या उत्पन्न करती है।

अन्य स्तर पर भवन की समस्या – आयोजक संस्थाओं को अन्य स्तर पर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जिनमें भवन प्रमुख है क्योंकि उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की अधिकांश विषयवस्तु पर प्रशिक्षण देने के लिए कक्षागत विधि का प्रयोग किया जाता है। परन्तु अन्य स्तर पर भवन की अनुपलब्धता आयोजक संस्थाओं के समक्ष समस्या उत्पन्न करती है।

प्रशिक्षणार्थियों की समस्याएँ:

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी का अभाव – अधिकतर प्रशिक्षणार्थियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है जिसके कारण प्रशिक्षण कार्यक्रमों से देरी से जुड़ पाते हैं।

प्रारंभिक औपचारिकताओं की समस्या – उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदकों को विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। अधिकांश आवेदकों का शैक्षणिक स्तर कम होता है जिसके कारण उन्हें प्रारंभिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आयोजक संस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूर्व की जाने वाली प्रारंभिक औपचारिकताएँ भी प्रशिक्षणार्थियों के लिए समस्याएँ उत्पन्न करती हैं।

पूर्व प्रशिक्षणार्थियों का असहयोग – पूर्व में आयोजित उद्यमिता विकास

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में प्रशिक्षण से संबंधित जानकारीयों अन्य लोगों को प्रदान नहीं की जाती है। इस प्रकार पूर्व प्रशिक्षणार्थियों का असहयोग भी भावी प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में समस्या उत्पन्न करता है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आने वाली समस्याएँ – उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आने वाली समस्याएँ इस प्रकार हैं-

आयोजक संस्थाओं की समस्याएँ :

स्पष्ट उद्देश्य का न होना – उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्यों में व्याप्त अस्पष्टता जड़ों तक बैठ गयी है। आयोजक संस्थाओं द्वारा आयोजक संस्थाओं के लिए कार्यक्रमों से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश भी नहीं होते हैं। इस कारण आयोजक संस्थाएँ यह निर्धारित नहीं कर पाती हैं कि वास्तव में उन्हें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जिससे आयोजित होने वाले कार्यक्रम औपचारिकता मात्र बनकर रह जाते हैं।

विषय विशेषज्ञों की कमी – अधिकांश आयोजक संस्थाओं के पास विषय विशेषज्ञों की कमी होती है जिसके कारण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जो उद्यमिता के क्षेत्र से संबंधित नहीं होते। इस कारण आयोजक संस्थाएँ निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों का उपस्थित नहीं होना – उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लोगों के द्वारा प्रवेश तो प्राप्त कर लिया जाता है, किन्तु कार्यक्रमों में प्रारम्भ से अन्त तक उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाती है। जिसके कारण आयोजक संस्थाओं को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न होती है।

प्रशिक्षणार्थियों की समस्याएँ:

पाठ्यक्रम का एक समान होना – आयोजक संस्थाएँ विभिन्न उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक समान पाठ्यक्रम रखती हैं। इस कारण भिन्न-भिन्न शैक्षणिक स्तर के प्रशिक्षणार्थियों को विषय-वस्तु समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

प्रशिक्षण स्थल के स्तर की समस्या – उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षणार्थी विभिन्न स्तरों अर्थात् जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर के होते हैं परन्तु आयोजक संस्थाओं द्वारा अपवाद स्वरूप कुछ कार्यक्रमों को छोड़कर समस्त कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इस कारण प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण स्थल के स्तर की समस्या का भी सामना करना पड़ता है।

आवास की समस्या – उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम गैर आवासीय होते हैं। जिससे अन्य स्तर के प्रशिक्षणार्थियों को आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात् आने वाली समस्याएँ – उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात् आने वाली समस्याएँ इस प्रकार हैं:

आयोजक संस्थाओं की समस्याएँ

अनुसरण (फॉलोअप) की समस्या – आयोजक संस्थाओं को उद्यमियों की पहचान एवं चुनाव तथा प्रशिक्षण के बाद अनुसरण की कार्यवाही करनी होती है परन्तु अधिकांश संस्थाओं के पास इस कार्य हेतु पृथक से धनराशि

नहीं होती है तथा सीमित मानव शक्ति होती है। इस कारण आयोजक संस्थाओं के समक्ष अनुसरण की समस्या बनी रहती है।

प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संपर्क स्थापित नहीं करना - अधिकतर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण उपरांत आयोजक संस्थाओं से संपर्क स्थापित नहीं किया जाता है। इस कारण आयोजक संस्थाओं को उद्यमिता विकास कार्यक्रम की आगामी प्रक्रिया (जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को उद्यम की ओर अग्रसर किया जाता है) को पूरा करने में समस्या उत्पन्न होती है।

प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण के प्रति अप्रतिक्रिया - उद्यमिता विकास प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती है जिससे आयोजक संस्थाएँ उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपेक्षित सुधार नहीं कर पाती है।

प्रशिक्षणार्थियों की समस्या:

तकनीकी ज्ञान का अभाव - आयोजक संस्थाओं द्वारा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा सैद्धांतिक ज्ञान अधिक प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को तकनीकी ज्ञान के अभाव में उद्यम प्रारंभ करने में कठिनाई होती है।

सुविधा प्राप्ति की प्रक्रिया की जानकारी का अभाव - उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को उद्यम प्रारंभ करने के लिए सुविधाओं और सहायताओं को प्रदान करने वाली प्रमुख संस्थाओं की जानकारी प्रदान की जाती है, परंतु उन संस्थाओं से प्राप्त होने वाली सुविधाओं और सहायताओं की प्राप्ति की प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी जाती है। इस कारण प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न सुविधाओं और सहायताओं की प्राप्ति की जानकारी के अभाव में उद्यम प्रारंभ करने में कठिनाई होती है।

आपसी प्रतिस्पर्धा का अभाव - उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपरान्त उद्यम प्रारंभ करने वाले प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य उद्यमियों में आपसी प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है जिसके कारण प्रशिक्षणार्थियों को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पाता है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आयोजक संस्थाओं और प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के पूर्व, दौरान एवं पश्चात् आने वाली समस्याओं का अध्ययन कर उनके समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं -

1. उद्यमिता विकास कार्यक्रम से संबंधित विषयवस्तु को शैक्षणिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि नव युवक युवतियों को कार्यक्रम की जानकारी होने से वे उद्यमिता विकास में योगदान दे सकें। तथा इससे आयोजक संस्थाओं को उपयुक्त प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध नहीं होने तथा प्रचार-प्रसार की समस्या भी नहीं होगी।
2. प्रायोजक संस्थाओं द्वारा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विभिन्न सुविधाएँ आयोजक संस्थाओं को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि आयोजक संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचारु रूप से संचालित किए जा सकें।
3. स्थानीय स्तर के लोगों के समर्थन के साथ-साथ संबंधित जिले के अन्य स्तर के लोगों के समर्थन के साथ उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
4. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रारंभिक औपचारिकताओं

को पूरा करने में आने वाली समस्याओं को आयोजक संस्थाओं द्वारा समाधान किया जाना चाहिए ताकि सभी शैक्षणिक स्तर के आवेदकों द्वारा प्रारंभिक औपचारिकताओं को आसानी से पूरा किया जा सके।

5. आयोजक संस्थाओं द्वारा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों में यह भावना जागृत की जानी चाहिए कि वे अन्य लोगों को भी उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकें।
6. प्रायोजक संस्थाओं द्वारा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्पष्ट उद्देश्यों के साथ-साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रदान किए जाने चाहिए ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम परिणाम मूलक हो सकें।
7. उद्यमिता के क्षेत्र में रुचि रखने वाले प्रशिक्षकों को उद्यमिता से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें विषय विशेषज्ञ के रूप में तैयार किया जाना चाहिए ताकि विषय विशेषज्ञों की कमी दूर हो सके।
8. आयोजक संस्थाओं द्वारा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रुचिकर बनाकर प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है।
9. भिन्न-भिन्न शैक्षणिक स्तर के प्रशिक्षणार्थियों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम होने चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भिन्नता का भी पाठ्यक्रम निर्धारण में ध्यान रखा जाना चाहिए।
10. आवश्यकता तथा माँग को ध्यान में रखकर विभिन्न स्तरों अर्थात् जिला स्तर के साथ-साथ तहसील एवं ग्राम स्तर पर भी उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
11. आयोजक संस्थाओं द्वारा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित अन्य स्तर के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूर्ण सहगामी हो सकें।
12. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात् होने वाली अनुसरण की कार्यवाही के लिए प्रायोजक संस्थाओं द्वारा आयोजक संस्थाओं को पर्याप्त धन राशि दी जानी चाहिए।
13. आयोजक संस्थाओं द्वारा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।
14. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सैद्धांतिक ज्ञान पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना ही तकनीकी ज्ञान पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
15. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुविधाओं को प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ-साथ सुविधा प्राप्ति की प्रक्रिया की जानकारी संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर विस्तृत रूप से प्रदान की जानी चाहिए।

परिकल्पना की पुष्टि - उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में आयोजक संस्थाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा है, परिकल्पना सत्य प्रतीत होती है क्योंकि उज्जैन संभाग में वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित विभिन्न उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आयोजक संस्थाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण

कार्यक्रमों के पूर्व, दौरान एवं पश्चात् विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

निष्कर्ष— उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में आयोजक संस्थाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा है क्योंकि विचारात्मक धरातल पर अधिकांश प्रशिक्षण संस्थाएँ उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। तथा प्रशिक्षणार्थियों में सूचना एवं ज्ञान की कमी भी प्रमुख कारण रहा है। यदि इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्तुत सुझावों को अपनाया जाए तो उद्यमिता विकास के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. जैन एवं शर्मा (2011), 'उद्यमिता के मूलाधार', रमेश बुक डिपो, जयपुर
2. कोठारी, मिश्रा एवं साहू (2009), 'उद्यमिता विकास' रमेश बुक डिपो, जयपुर
3. डॉ. सुब्रत देबनाथ (2010) 'एप्रेजल ऑफ इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेन्ट प्रोग्राम्स इन नार्थ ईस्ट इण्डिया विथ पर्टीकुलर रेफ्रेन्स टू त्रिपुरा' (शोध पत्र), इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स एण्ड मैनेजमेंट, वाल्युम नं. 1, इश्यू नं. 6, (अक्टूबर), ISSN NO. 0976-2183
4. डॉ. जी. विजय भारती, सी. शिवारामी रेड्डी, डॉ. पी. मोहन रेड्डी, पी. हरिनाथ रेड्डी (2011) ने 'इन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेन्ट- एकेस स्टडी ऑफ ए विलेज इन वाय.एस.आर. डिस्ट्रिक्ट' (शोध पत्र), इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स, इकॉनामिक्स एण्ड मैनेजमेंट, वाल्युम नं. 1, इश्यू नं. 7, (नवंबर), ISSN NO. 2331-4245
5. रुपचंद चौहान (2016), 'उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास केन्द्र (CEDMAP) के योगदान का अध्ययन' (शोध प्रबंध), विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन
6. उद्यमिता समाचार पत्र, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., भोपाल
7. स्वरोजगार मार्गदर्शिका, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., भोपाल

भारतीय अर्थव्यवस्था में रोज़गार सृजन की दृष्टि से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका

डॉ. गुरमीत सिंह भाटिया *

* सहायक प्राध्यापक, श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय, गुमाश्ता नगर, इंदौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन उदारीकरण के कारण ही संभव हो सका है। सन् 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह द्वारा उदारीकरण नीति को भारत में लागू किया गया। उस वक्त 'उदारीकरण', हमारी विवशता थी। परन्तु आज 'उदारीकरण', हमारी आवश्यकता बन गया है।

उदारीकरण के शुरू के 5 वर्षों में पूँजी निवेश पहले की अपेक्षा 20 प्रतिशत बढ़ा, विदेशी घाटे में कमी आई, रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में मूल्य बढ़ा। देश में औद्योगिक इकाईयों में वृद्धि होने से रोज़गार के साधनों में भी वृद्धि हुई।

रोज़गार सृजन में योगदान - हमारे देश की वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है - बेरोज़गारी। दिसम्बर, 2021 में बेरोज़गारी दर 7.90% दर्ज की गई है। शहरी बेरोज़गारी दर 9.30% एवं ग्रामीण बेरोज़गारी दर 7.28% है।

बहुराष्ट्रीय निगमों का आगमन, हमारे देश में एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर हुआ था और वह उद्देश्य था, भारत में रोज़गार की उपलब्धता को बढ़ाना। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ देश में आएँगी, तो अपने साथ भारी मात्रा में पूँजी भी लाएँगी और भारी मात्रा में उद्योग, हमारे देश में स्थापित करेंगी और इन उद्योगों में कार्य करने हेतु, भारी मात्रा में श्रम की आवश्यकता होगी और इस श्रम की उपलब्धता हमारे देश के बेरोज़गारों द्वारा की जाएगी, इससे देश में रोज़गार बढ़ेगा।

जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन भारत में हुआ, उस उद्देश्य की पूर्ति काफी हद तक हुई भी है। बहुराष्ट्रीय निगमों के आगमन के पश्चात् देश में रोज़गार के अवसरों में भरपूर वृद्धि हुई है। आज भारत में लगभग 40,000 बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपनी लगभग 2,50,000 शाखाओं के साथ भारतीय बाज़ार में कार्यरत हैं।

आज देश में लगभग 22.53 बिलियन डॉलर का विनियोग भारतीय बाज़ारों में किया जा चुका है और इसके द्वारा लगभग 30 करोड़ बेरोज़गारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्रदान किया जा रहा है।

भारतीय उद्योग महासंघ के सर्वेक्षण के अनुसार, बहुराष्ट्रीय निगमों को रोज़गार के अवसर सृजित करने में अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुई है। सन् 1991-95 की अवधि के दौरान 8.84% प्रत्यक्ष रोज़गार में वृद्धि हुई है।

एक सर्वेक्षण द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में सन् 2011-2020 की अवधि में 13.87% रोज़गार में कमी

आई है। इसके ठीक विपरीत, निजी क्षेत्र के रोज़गार में (जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी शामिल हैं) 37.47% की औसत दर से अत्यधिक वृद्धि हुई है।

सन् 1991 में जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में प्रवेश हुआ, तब से आज तक की रोज़गार की स्थिति को देखा जाए, तो ज्ञात होता है कि, विगत 30 वर्षों में रोज़गार की उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई है। हालाँकि, इसका सारा श्रेय बहुराष्ट्रीय निगमों को देना न्यायसंगत नहीं होगा क्योंकि, भारत सरकार भी बेरोज़गारी कम करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

बहुराष्ट्रीय निगमों ने प्रत्येक क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध कराया है, चाहे वह वस्तु क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो या बैंकिंग हो या बीमा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में भी इन निगमों के आगमन से रोज़गार के अवसरों में भारी वृद्धि हुई है।

अगर इस वृद्धि को क्षेत्रवार देखा जाए, तो उद्योग क्षेत्र में 130.06%, संचार क्षेत्र में 8.16%, स्वास्थ्य क्षेत्र में 1.70%, शिक्षा क्षेत्र में 1.83% एवं कृषि क्षेत्र में लगभग 6.83% और बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र में 8.93% की वृद्धि हुई है।

औद्योगिक महासंघ के सर्वेक्षण में यह महत्वपूर्ण बात भी सामने आई है कि, सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय निजी क्षेत्र के रोज़गार में तुलनात्मक रूप से 18.93% की दर से अत्यधिक वृद्धि हुई है।

उत्पादन संबंधी तकनीक के अलावा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ, विशेषतः अल्पविकसित देशों से विकसित देशों को विनिर्मित माल के निर्यात के संबंध में कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों, विपणन संबंधी कार्य बहुत कुशलता से कर रही हैं। उनके इस कार्य से हमारे देश का स्तर विश्व अर्थव्यवस्था में काफी ऊँचा उठा है।

निष्कर्ष - निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों का महत्वपूर्ण स्थान है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से समाहित हो चुकी हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, आर्थिक एवं औद्योगिक तथा रोज़गार की दृष्टि से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

नगर विकास में विकास प्राधिकरण के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन- जबलपुर एवं इन्दौर जिले के विशेष संदर्भ में

लोकेश कुमार पटले* डॉ. राजकुमार गौतम**

* शोधार्थी (वाणिज्य संकाय) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
** सह-प्राध्यापक, गोविन्दराम सेकसारिया अर्थ-वाणिज्य (स्वशासी) जबलपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - महानगरों में बढ़ती हुई आबादी के कारण आवास ने एक वृहद समस्या का रूप धारण कर लिया है एवं इस समस्या के निराकरण हेतु विकास प्राधिकरण का संचालन शासन द्वारा किया जा रहा है। विकास प्राधिकरण के प्रयासों के मूल्यांकन हेतु मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न जनसंख्या एवं परिक्षेत्र वाले विकास प्राधिकरणों के मध्य तुलना करके उनके योगदान की गणना करने प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी - नगर विकास, विकास प्राधिकरण।

प्रस्तावना - नगर विकास पूर्णतः एक नियोजित प्रक्रिया है जो एक तकनीकी और राजनीतिक पहलू पर आधारित है जिसमें भूमि उपयोग के विकास, डिजाइन और बुनियादी ढांचे सहित निर्मित वातावरण पर केन्द्रित है जिसमें विकास एक प्रकार से ऐसी आंतरिक शक्ति है जो किसी प्राणी या समाज को उन्नति की ओर ले जाता है। विकास उस स्थिति का नाम है जिससे प्राणी में कार्य क्षमता बढ़ती है। विकास को एक तरह से अभिवृद्धि भी कहा जा सकता है। उसी प्रकार से नगर विकास का अर्थ है कि नगरीय क्षेत्र में हो रहे निरंतर बदलाव जो नगर को विकास की ओर अग्रेशित कर रही हैं उन सभी योजना एवं परियोजना जो विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही हैं उनका समायोजन कर आकलन करना ही इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य है।

विकास प्राधिकरण का उद्भव- विकास प्राधिकरण का मूलतः उद्भव नगर को योजनाबद्ध तरीके से विकास हेतु किया गया है। जो मध्यप्रदेश नगर तथा निवेश अधिनियम 1973 की धारा 49 के अंतर्गत किया गया है जिसके मुख्य उद्देश्य हैं लोक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन, उसका विकास तथा विक्रय, गृह निर्माण, मार्ग तथा सड़क के प्रतिरूपों का अभिन्यास करना है।

साहित्य समीक्षा- उपलब्ध साहित्य के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करते हुए **गुड, बार स्केड्स** कहते हैं:- 'एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि संबंधी आधुनिकतम खोजों से परिचित होता रहे, उसी प्रकार शिक्षा-ज्ञान के जिज्ञासु छात्र, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं एवं खोजों से परिचित होना आवश्यक है। वास्तव में संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण से अनुसंधानकर्ता को जो लाभ होते हैं वे अग्रलिखित हैं, यथा-

1. यह अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाता है।
2. शोध प्रबंध के महत्वपूर्ण अंग के रूप में अनुसंधानकर्ता के ज्ञान, शोध की स्पष्टता तथा कुशलता को स्पष्ट करता है।
3. सभी प्रकार के विज्ञानों तथा शास्त्रों के अनुसंधान-कार्य का आधार होता है।

4. यह शोध समस्या के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता के समय की बचत करने में सहायक सिद्ध होता है।

विश्वकर्मा, विनय (2013) द्वारा अपने शोध-अध्ययन 'जबलपुर विकास प्राधिकरण का जबलपुर नगरीय विकास में योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन' में जबलपुर विकास प्राधिकरण का नगरीय विकास में योगदान का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है एवं इस अध्ययन में जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्य जैसे आवास प्रबंधन, सड़क बनाना, स्कूलों की व्यवस्था करना एवं सार्वजनिक भवनों की व्यवस्था करना इत्यादि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अंततः श्री विश्वकर्मा जी ने नगरीय विकास के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को प्रस्तुत किया है।

तिवारी, सुषमा (2014) द्वारा अपने अध्ययन शीर्षक 'आवासीय विकास में मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण की भूमिका का अध्ययन - जबलपुर विकास प्राधिकरण के विशेष संदर्भ में' में सफलतापूर्वक राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय योजनाओं का विस्तृत वर्णन एवं विश्लेषण किया जिनका लाभ जबलपुर नगर के स्थानीय व्यक्तियों को हो रहा है। लेखक द्वारा विकास प्राधिकरण जबलपुर के अंतर्गत निर्मित आवास के लाभान्वित हितग्राहीयों के संमकों का भी समायोजन किया गया है।

शोध समस्या का उदय- वर्तमान समय में नगरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप नगरों में आवास समस्या का जन्म हुआ है और यह एक गंभीर रूप लेती जा रही है। आवास की समस्या नगरीय जनसंख्या जिनमें औद्योगिक श्रमिक तथा जनसाधारण शामिल हैं, बहुत ही चिन्तनीय है। औद्योगिक विकास में वृद्धि के फलस्वरूप इस समस्या में जन्म लिया है। देश के अधिकांश औद्योगिक नगरों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जबकि भूमि की सीमितता एवं ऊँची कीमतों के कारण आवास व्यवस्था पिछड़ी हुई दशा में है। निम्न आय वर्ग के लोग मंहगे भूखण्ड एवं आवास लेने में असमर्थ होते हैं जिसके परिणामस्वरूप वे खाली पड़ी शासकीय भूमि या रेल्वे की भूमि या खाली पड़े मैदानों पर झुग्गी-झोपड़िया बना लेते हैं, इससे शहरी गंदगी, भीड़-भाड़ एवं बीमारिया आदि बढ़ती जा रही है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य:

1. नगर विकास में जबलपुर एवं इन्दौर जिले के विकास प्राधिकरण के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. जबलपुर एवं इन्दौर जिले के विकास प्राधिकरण की आवासीय एवं व्यवसायिक हितग्राहियों के संतुष्टि स्तर का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना:

H_0 : जबलपुर एवं इन्दौर जिले के विकास प्राधिकरण की आवासीय एवं व्यवसायिक हितग्राहियों के संतुष्टि स्तर में सार्थक अंतर नहीं है।

H_1 : जबलपुर एवं इन्दौर जिले के विकास प्राधिकरण की आवासीय एवं व्यवसायिक हितग्राहियों के संतुष्टि स्तर में सार्थक अंतर है।

शोध अध्ययन की विधि

निर्दर्शन- निर्दर्शन की उपरोक्त विभिन्न विधियों का अध्ययन करने के उपरांत आवश्यक हो जाता है कि नगर विकास में विकास प्राधिकरण की भूमिका के योगदान के अध्ययन के लिए किसी उपयुक्त विधि का चयन कर लिया जाए। वर्तमान अध्ययन की आवश्यक तथा निर्दर्शन की विभिन्न विधियों का मूल्यांकन करने के उपरांत दैव-निर्दर्शन की स्तरीकृत विधि को अधिक व्यावहारिक पाया गया है। इस विधि का प्रयोग करते हुए जबलपुर विकास प्राधिकरण के 400 हितग्राहियों एवं इन्दौर विकास प्राधिकरण के 400 हितग्राहियों का चयन किया गया इस प्रकार कुल 800 हितग्राहियों से अनुसूची के माध्यम से प्राप्त समको के निवर्चन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए हैं।

सांख्यिकी तकनीक- प्रतिशत, औसत एवं परिकल्पना परीक्षण हेतु काई वर्ग विधि का प्रयोग किया गया है।

प्राथमिक समको पर आधारित तुलना

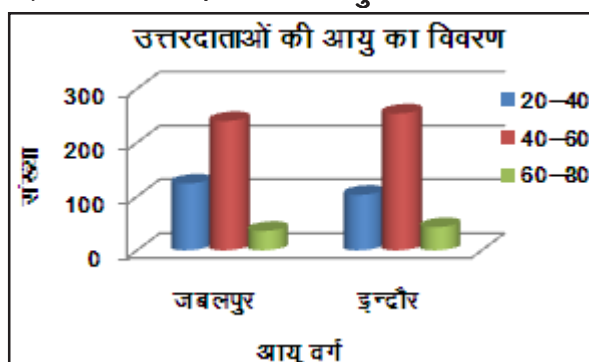
उत्तरदाताओं की आयु का विवरण- शोधकर्ता ने जबलपुर एवं इन्दौर जिले के नगर सीमा क्षेत्र में रहने वाले निवासियों में से सभी आयु वर्ग के उत्तरदाताओं से नगर विकास में विकास प्राधिकरण का योगदान का तुलनात्मक अध्ययन के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी आयु का विवरण तालिका क्रमांक-1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका क्रमांक 1: उत्तरदाताओं की आयु का विवरण

आयु वर्ग	जबलपुर		इन्दौर		कुल	कुल
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
20-40	124	31.00	103	25.75	227	28.37
40-60	240	60.00	254	63.50	494	61.75
60-80	36	09.00	43	10.75	79	09.87
योग	400	100	400	100	800	100

स्रोत- जबलपुर एवं इन्दौर जिले में आयोजित प्राथमिक सर्वेक्षण के समंक पर आधारित

आरेख क्रमांक 1 : उत्तरदाताओं की आयु का विवरण



उपरोक्त तालिका एवं आरेख के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि 20 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के जबलपुर नगर के उत्तरदाताओं की संख्या 124 (31.00 प्रतिशत) एवं इन्दौर नगर में 103 (25.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की संख्या है। 40 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के जबलपुर नगर के उत्तरदाताओं की संख्या 240 (60.00 प्रतिशत) एवं इन्दौर नगर में 254 (63.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की संख्या है। 60 से 80 वर्ष के आयु वर्ग के जबलपुर नगर के उत्तरदाताओं की संख्या 36 (09.00 प्रतिशत) एवं इन्दौर नगर में 43 (10.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की संख्या है।

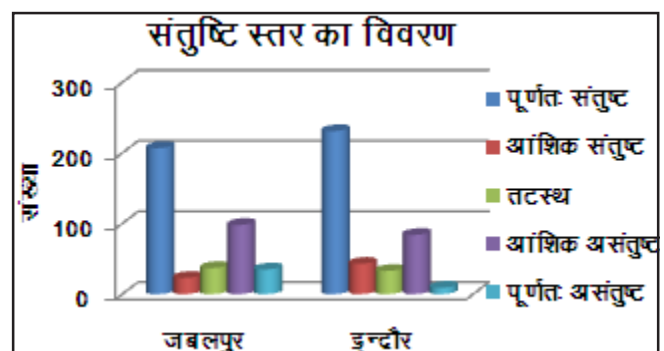
विकास प्राधिकरण की सम्पति खरीदकर उत्तरदाताओं की संतुष्टि का विवरण- सर्वेक्षण के दौरान देखने में आया कि बहुत से उत्तरदाता विकास प्राधिकरण की सम्पति क्रय करने के पश्चात् संतुष्ट हैं। कुछ ऐसे भी उत्तरदाता हैं जिन्हें विकास प्राधिकरण की सम्पति खरीदकर संतुष्टि नहीं है। उनकी विकास प्राधिकरण से बहुत सारी अपेक्षाएँ थी जो उनके अनुसार प्राधिकरण पूरा करने में असमर्थ हैं इसीलिए उनकी नाराजगी सर्वेक्षण के दौरान देखने को मिली। विकास प्राधिकरण की कालोनियों में रहने वाले उत्तरदाताओं से संतुष्टि के संबंध में प्राप्त जानकारी का विवरण तालिका क्रमांक-2 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

तालिका क्रमांक 2: उत्तरदाताओं की संतुष्टि स्तर का विवरण

स्तर	जबलपुर		इन्दौर		कुल	कुल
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
पूर्णतः संतुष्ट	207	51.75	231	57.75	438	54.75
आंशिक संतुष्ट	23	05.75	43	10.75	66	08.25
तटस्थ	37	09.25	33	08.25	70	08.75
आंशिक असंतुष्ट	98	23.50	84	21.00	182	22.75
पूर्णतः असंतुष्ट	35	08.75	09	02.25	44	05.50
योग	400	100	400	100	800	100

स्रोत- जबलपुर एवं इन्दौर जिले में आयोजित प्राथमिक सर्वेक्षण के समंक पर आधारित

तालिका क्रमांक 2 : उत्तरदाताओं की संतुष्टि स्तर का विवरण



उपरोक्त तालिका एवं आरेख का विश्लेषण करने से स्पष्ट हुआ कि पूर्णतः संतुष्ट उत्तरदाताओं की संख्या जबलपुर विकास प्राधिकरण में 207 (51.75 प्रतिशत) तथा इन्दौर विकास प्राधिकरण में 231 (57.75 प्रतिशत) है।

आंशिक संतुष्ट उत्तरदाताओं की संख्या जबलपुर विकास प्राधिकरण में 23 (05.75 प्रतिशत) तथा इन्दौर विकास प्राधिकरण में 43 (10.75 प्रतिशत) है। तटस्थ उत्तरदाताओं की संख्या जबलपुर विकास प्राधिकरण में 37 (09.25 प्रतिशत) तथा इन्दौर विकास प्राधिकरण में 33 (08.25 प्रतिशत) है। आंशिक असंतुष्ट उत्तरदाताओं की संख्या जबलपुर विकास प्राधिकरण में 98 (23.50 प्रतिशत) तथा इन्दौर विकास प्राधिकरण में 84 (21.00 प्रतिशत) है। पूर्णतः असंतुष्ट उत्तरदाताओं की संख्या जबलपुर विकास प्राधिकरण में 35 (08.75 प्रतिशत) तथा इन्दौर विकास प्राधिकरण में 09 (02.25 प्रतिशत) है।

परिकल्पना परीक्षण

H_0 : जबलपुर एवं इन्दौर जिले के विकास प्राधिकरण की आवासीय एवं व्यवसायिक हितग्राहियों के संतुष्टि स्तर में सार्थक अंतर नहीं है।

जिला	पूर्णतः संतुष्ट	आंशिक संतुष्ट	तटस्थ	आंशिक असंतुष्ट	पूर्णतः असंतुष्ट	कुल
जबलपुर	207	23	37	98	35	400
इन्दौर	231	43	33	84	09	400
कुल	438	66	70	182	44	800

f_o	f_e	$f_o - f_e$	$(f_o - f_e)^2$	$(f_o - f_e)^2 / f_e$
207	219	.12	144	0.66
23	33	.10	100	3.03
37	335	2	4	1.11
98	91	7	49	0.52
35	22	13	169	7.68
231	219	12	144	0.66
43	33	10	100	3.03
33	35	.2	4	1.11
84	91	.7	49	0.52
09	22	.13	169	7.68

$$X^2 = 26.00$$

5 प्रतिशत सार्थकता स्तर के लिए स्वतंत्रता की कोटि

$$d.f. = (r-1)(c-1)$$

$$d.f. = (5-1)(2-1) = 4$$

सारणी मान = 9.49

काई वर्ग (X^2) सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु अध्ययन की शून्य परिकल्पना यह थी कि जबलपुर एवं इन्दौर जिले के विकास प्राधिकरण की आवासीय एवं व्यवसायिक हितग्राहियों के संतुष्टि स्तर में सार्थक अंतर नहीं है।

5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर स्वतंत्रता की कोटि 4 हेतु काई वर्ग का तालिका मूल्य 9.49 है, जबकि काई वर्ग का आंकलित किया गया मूल्य 26.00 है, जो तालिका मूल्य से अधिक है। इसलिए शून्य परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है तथा **वैकल्पिक परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है** कि जबलपुर एवं इन्दौर जिले के विकास प्राधिकरण की आवासीय एवं व्यवसायिक हितग्राहियों के संतुष्टि स्तर में सार्थक अंतर है।

निष्कर्ष:

1. परिकल्पना परीक्षण करने के पश्चात् यह सिद्ध होता है कि जबलपुर एवं इन्दौर जिले के विकास प्राधिकरण की आवासीय एवं व्यवसायिक हितग्राहियों के संतुष्टि स्तर में सार्थक अंतर है।
2. उक्त प्रदर्शित आकड़ों से स्पष्ट होता है कि विकास प्राधिकरण जबलपुर की तुलना में विकास प्राधिकरण इन्दौर के आवासीय एवं व्यवसायिक परिसर में प्रदत्ता सुविधाओं से हितग्राही अधिक संतुष्ट हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. बघेल, डी.एस. (2000), सामाजिक अनुसंधान, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर आगरा।
2. विश्वकर्मा, विनय, (2013) जबलपुर विकास प्राधिकरण का जबलपुर नगरीय विकास में योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन, अप्रकाशित पी-एच.डी. शोध-प्रबंध, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।
3. तिवारी, सुषमा (2014) आवासीय विकास में मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण की भूमिका का अध्ययन - जबलपुर विकास प्राधिकरण के विशेष संदर्भ में, अप्रकाशित पी-एच.डी. शोध-प्रबंध, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।
4. शुक्ल, एस.एम. एवं सहाय, शिवपूजन, परिमाणात्मक पद्धतियां, साहित्य भवन पब्लिकेशन: आगरा।
5. Best John w, (1959) *Research in education*, prentice-Hall INC, Englewood Cliffs, N.J.
6. Awasthi, A. (1950) *Local self Government in MP*, Western book depo, Nagpur.

उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. के उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा उद्यम प्रारंभ करने की प्रक्रिया का अध्ययन

डॉ. रुपचंद चौहान *

* एम.कॉम., पी-एच.डी. 397, महात्मा गाँधी मार्ग, नयापुरा बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – उद्यमी के कार्य व्यापक एवं चुनौतीपूर्ण होते हैं इस कारण बिना जानकारी एवं मार्गदर्शन के उद्यम प्रारंभ करना मुश्किल कार्य है। इसके लिए आम आदमियों को जो उद्यम प्रारंभ करने के इच्छुक हैं उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आम आदमियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा उद्यम प्रारंभ करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तत्पश्चात् उद्यम प्रारंभ किया जाता है। उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. के उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा उद्यम प्रारंभ करने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। इस शोध पत्र में उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. के उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा उद्यम प्रारंभ करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी– उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमी, उद्यम प्रारंभ करने की प्रक्रिया।

प्रस्तावना – किसी भी उद्यम की अपर्याप्त जानकारी उद्यम को प्रारंभ करने में एक स्वाभाविक समस्या है। इस समस्या का हल उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण देने का कार्य अनेक संस्थाएँ कर रही हैं। उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. इन्हीं में से एक है।

उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. उद्यमिता एवं उद्यमशील क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने विभिन्न उद्देश्यों को लेकर लगातार प्रयासरत है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कई इकाईयों- क्षेत्रीय कार्यालय एवं जिला कार्यालय के रूप में अपनी संरचना को विकसित किया है। इसका प्रमुख कार्य भावी उद्यमियों की पहचान करना, इनको बढ़ावा देना और प्रशिक्षण प्रदान करना, कार्यरत उद्यमियों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए प्रशिक्षण व सलाह देना तथा उद्यमियों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना आदि है।

उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. द्वारा शोध अवधि वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 707 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें से 284 द्वारा उद्यम प्रारंभ किया गया।

इस शोध पत्र में उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. के उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा उद्यम प्रारंभ करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा:

1. बी.आर.नलवाया (1998) ने 'पश्चिम निमाड़ जिले में उद्यमिता विकास की योजनाएँ एवं संभावनाएँ' शोध प्रबंध में संभावित इकाईयों एवं संभावित उद्यमियों का पता लगाकर परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ताकि नव उद्यमियों को उद्यम स्थापना की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त हो सके।

2. ओमप्रकाश शर्मा (2003) ने 'शाजापुर जिले में उद्यमिता की स्थिति का मूल्यांकन' शोध कार्य में नव उद्यमियों की इकाईयों का इकाई अध्ययन कर बताया कि नव उद्यमियों द्वारा इकाई की स्थापना के लिए विभिन्न औपचारिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, साथ ही उद्यम की स्थिति के बारे में बताया गया है।

शोध का उद्देश्य– उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा उद्यम प्रारंभ करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना– उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा उद्यम प्रारंभ करने की प्रक्रिया अपनाई गई है।

शोध अध्ययन प्रणाली– प्रस्तुत शोध पत्र में उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. के उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा उद्यम प्रारंभ करने की प्रक्रिया का अध्ययन कर यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा उद्यम प्रारंभ करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। तत्पश्चात् व्यवसायवार उद्यम प्रारंभ करने वालों का अध्ययन भी किया गया है। समस्त अध्ययन के लिए उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक आयोजित विभिन्न उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वालों में से 20 प्रतिशत का दैव निदर्शन की

लॉटरी प्रणाली के आधार पर चयन किया गया है। चयनित उद्यम प्रारंभ करने वाले की संख्या को तालिका में दर्शाया गया है।

चयनित उद्यम प्रारंभ करने वाले की जानकारी

वर्ष	उद्यम प्रारंभ करने वाले की संख्या	चयनित उद्यम प्रारंभ करने वाले की संख्या (20 प्रतिशत)
2008-09	25	05
2009-10	43	09
2010-11	56	11
2011-12	54	11
2012-13	106	21
योग	284	57

उपरोक्त चयनित उद्यम प्रारंभ करने वाले से साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर उद्यम प्रारंभ करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वाले द्वारा उद्यम प्रारंभ करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। इस हेतु उद्यम प्रारंभ करने वाले द्वारा परियोजना निर्माण, बैंक में ऋण हेतु आवेदन, स्थल का चयन तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी की गई हैं, तत्पश्चात् उद्यम प्रारंभ किया गया है।

परियोजना निर्माण- 'परियोजना प्रतिवेदन किसी भी व्यवसाय का दर्पण होता है।' नये उपक्रम की स्थापना के लिए परियोजना प्रतिवेदन बनाना उद्यमी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक अच्छा परियोजना प्रतिवेदन सरलतापूर्वक एवं अविलम्ब ऋण प्राप्ति में सहायक होता है। यह एक प्रस्तावित परियोजना की कुँजी की तरह है।

एक उत्तम परियोजना प्रपत्र व्यवसाय की कुशलता में भी सहायक होता है। यह व्यवसाय के लिए विभिन्न संसाधनों के प्रबंधन व परियोजना के काल्पनिक भावी स्वरूप को यथार्थ में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण उपकरण है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वालों (सर्वेक्षित उद्यम प्रारंभ करने वालों के आधार पर) द्वारा अपनाई गई परियोजना प्रतिवेदन निर्माण की प्रक्रिया को तालिका क्रं. - 01 में दर्शाया गया है-

तालिका क्र. - 01: परियोजना प्रतिवेदन निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी

परियोजना का निर्माण	सर्वेक्षित उद्यम प्रारंभ करने वालों की संख्या	प्रतिशत
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा	25	43.86%
सेडमैप द्वारा	18	31.58%
अन्य द्वारा	10	17.54%
स्वयं द्वारा	04	07.02%
योग	57	100%

स्रोत - प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त तालिका क्र. 01 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में सर्वेक्षित कुल 57 उद्यम प्रारंभ करने वालों में से 25 (43.86 प्रतिशत) द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से, 18 (31.58 प्रतिशत) द्वारा सेडमैप से तथा 10 (17.54 प्रतिशत) द्वारा अन्य से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाए गए

तथा 04 (07.02 प्रतिशत) द्वारा स्वयं परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए।

इस प्रकार सर्वेक्षित कुल 57 उद्यम प्रारंभ करने वालों में से सर्वाधिक 25 (43.86 प्रतिशत) द्वारा परियोजना प्रतिवेदन चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से तैयार करवाए गए तथा सबसे कम 04 (07.02 प्रतिशत) द्वारा परियोजना प्रतिवेदन स्वयं तैयार किए गए।

प्रत्यक्ष सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि अन्य सभी की तुलना में चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा अधिकतर 10 लाख से 25 लाख की लागत के परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए। इसी प्रकार सेडमैप, अन्य एवं स्वयं द्वारा अधिकतर 05 लाख से कम या 05 लाख तथा 05 लाख से 10 लाख की लागत के परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए।

प्रत्यक्ष सर्वेक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ कि परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से पूर्व उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा कम से कम तीन उत्पादों का बाजार सर्वेक्षण कर जानकारी एकत्र की गई तथा एकत्रित जानकारी के आधार पर स्वयं द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये गए एवं अन्य द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाए गए।

ऋण हेतु आवेदन - 'वित्त वह चमकीली डोर है जो सभी व्यावसायिक क्रियाओं में चमक देती है।' वित्त प्रत्येक व्यवसाय या उद्यमशील क्रियाओं का आधार है। कोई भी उद्यमशील क्रिया चाहे वह बड़ी हो या छोटी उस समय तक सफल नहीं हो सकती है जब तक उद्यमी के पास उचित मात्रा में पूँजी या कोष न हो। इसलिए विद्वानों ने वित्त को '**व्यवसाय या उद्यमी क्रियाओं का जीवन रक्त**' कहा है।

व्यावसायिक वित्त का महत्व बताते हुए डॉ. सी. पी. श्रीवास्तव ने लिखा है कि- 'वित्त, उद्योग और वाणिज्य के लिए तेल, हड्डियों का सार, नाड़ियों का रक्त और सभी व्यापारों की आत्मा है।' इस प्रकार उद्यम के प्रवर्तन विचार से पूर्व से लेकर तथा विक्रय के पश्चात तक की समस्त क्रियाओं में वित्त या कोषों की आवश्यकता होती है।

व्यावसायिक संस्थाओं को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए अनेक संस्थाएँ कार्यरत हैं। इनमें बैंकों की भूमिका प्रमुख होती है। व्यावसायिक वित्त की प्राप्ति हेतु उद्यमियों द्वारा बैंकों में ऋण हेतु आवेदन दिया जाता है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वाले द्वारा परियोजना प्रतिवेदन निर्माण कर बैंकों में ऋण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। उद्यम प्रारंभ करने वाले (सर्वेक्षित उद्यम प्रारंभ करने वालों के आधार पर) द्वारा अपनाई गई बैंकों में ऋण हेतु आवेदन प्रक्रिया को दो भागों में बाँटकर (सर्वेक्षित उद्यम प्रारंभ करने वालों के आधार पर) अध्ययन किया गया है-

बैंकवार, ऋण हेतु आवेदन प्रक्रिया - उद्यम प्रारंभ करने वाले द्वारा अपनाई गई ऋण हेतु आवेदन प्रक्रिया को बैंकवार (सर्वेक्षित उद्यम प्रारंभ करने वालों के आधार पर) तालिका क्रं. 02 में दर्शाया गया है-

तालिका क्रं. 02 : बैंकवार, ऋण हेतु आवेदन प्रक्रिया की जानकारी

बैंक का नाम	सर्वेक्षित उद्यम आरंभ करने वालों की संख्या	प्रतिशत
बैंक ऑफ इण्डिया	16	28.07%
सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	09	15.79%
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	07	12.28%

कैनरा बैंक	05	08.77%
यूको बैंक	05	08.77%
इलाहाबाद बैंक	05	08.77%
यूनाइटेड बैंक	03	05.27%
कर्नाटक बैंक	02	03.51%
कार्पोरेशन बैंक	02	03.51%
सिण्डीकेट बैंक	02	03.51%
ओरिएन्टल बैंक	01	01.75%
योग	57	100%

स्रोत- प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त तालिका क्रं. 02 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में सर्वेक्षित कुल 57 उद्यम प्रारंभ करने वालों में से 16 (28.07 प्रतिशत) द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया में, 09 (15.79 प्रतिशत) द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में, 07 (12.28 प्रतिशत) द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में, 05 (08.77 प्रतिशत) द्वारा कैनरा बैंक में, 05 (08.77 प्रतिशत) द्वारा इलाहाबाद बैंक में, 03 (05.27 प्रतिशत) द्वारा यूनाइटेड बैंक में, 02 (03.51 प्रतिशत) द्वारा कर्नाटक बैंक में, 02 (03.51 प्रतिशत) द्वारा कार्पोरेशन बैंक में, 02 (03.51 प्रतिशत) द्वारा सिण्डीकेट बैंक में और 01 (01.75 प्रतिशत) द्वारा ओरिएन्टल बैंक में ऋण हेतु आवेदन दिया गया।

इस प्रकार सर्वेक्षित कुल 57 उद्यम प्रारंभ करने वालों में से सर्वाधिक 16 (28.07 प्रतिशत) द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया में तथा सबसे कम 01 (01.75 प्रतिशत) द्वारा ओरिएन्टल बैंक में ऋण हेतु आवेदन दिया गया।

ऋण राशि वार, ऋण हेतु आवेदन प्रक्रिया-उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा अपनाई गई ऋण हेतु आवेदन प्रक्रिया को ऋण राशि वार (सर्वेक्षित उद्यम प्रारंभ करने वालों के आधार पर) तालिका क्रं. 03 में दर्शाया गया है-

तालिका क्रं. 03: ऋण राशि वार, ऋण हेतु आवेदन प्रक्रिया की जानकारी

ऋण राशि	सर्वेक्षित उद्यम प्रारंभ करने वालों की संख्या	प्रतिशत
5 लाख या 5 लाख से कम	39	68.42%
5 लाख से 10 लाख	10	17.54%
10 लाख से 15 लाख	04	07.02%
15 लाख से 20 लाख	02	03.51%
20 लाख से 25 लाख	02	03.51%
योग	57	100%

स्रोत - प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त तालिका क्रं. 03 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में सर्वेक्षित कुल 57 उद्यम प्रारंभ करने वालों में से 39 (68.42 प्रतिशत) द्वारा 05 लाख या 05 लाख से कम, 10 (17.54 प्रतिशत) द्वारा 05 लाख से 10 लाख, 04 (07.02 प्रतिशत) द्वारा 10 लाख से 15 लाख, 02 (03.51 प्रतिशत) द्वारा 15 लाख से 20 लाख तथा 02 (03.51 प्रतिशत) द्वारा 20 लाख से 25 लाख ऋण राशि हेतु आवेदन दिए गए।

इस प्रकार सर्वेक्षित कुल 57 उद्यम प्रारंभ करने वालों में से सर्वाधिक 39 (68.42 प्रतिशत) द्वारा 05 लाख या 05 लाख से कम तथा सबसे कम क्रमशः 02 (03.51 प्रतिशत) द्वारा 15 लाख से 20 लाख तथा 02

(03.51 प्रतिशत) द्वारा 20 लाख से 25 लाख ऋण राशि हेतु आवेदन दिए गए।

स्थल का चयन- उद्यम की स्थापना में जिस तरह वित्त महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार स्थल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्यमी द्वारा उद्यम को मूर्त रूप देने के लिए स्थल का चयन किया जाता है। यदि उद्यम का स्थान उपयुक्त है तो उद्यम को सफलता पूर्वक संचालित किया जा सकता है। इसके विपरीत अनुपयुक्त स्थान पर उद्यम स्थापित करने से न केवल उसके संचालन में कठिनाई होती है बल्कि उसे स्थापित रख पाना भी मुश्किल होता है।

उद्यमी द्वारा उद्यम की स्थापना के लिए स्थल का चयन स्थानीय स्तर अथवा अन्य स्तर पर किया जाता है। इसके लिए वह स्वयं की भूमि/भवन (यदि हो तो) अथवा किराये की भूमि/भवन का उपयोग करता है। इस प्रकार उद्यमी द्वारा सोच समझकर और विचार विमर्श के पश्चात् स्थल का चयन किया जाता है।

उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा अन्य औपचारिकताओं के साथ-साथ उद्यम की स्थापना के लिए स्थल का चयन भी किया जाता है। उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा अपनाई गई स्थल के चयन की प्रक्रिया को तालिका क्रं. 04 में दर्शाया गया है-

तालिका क्रं. 04: स्थल चयन प्रक्रिया की जानकारी

स्थल का चयन	सर्वेक्षित उद्यम प्रारंभ करने वालों की संख्या	प्रतिशत
स्थानीय स्तर पर	50	87.72%
अन्य स्तर पर	07	12.28%
योग	57	100%

स्रोत- प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त तालिका क्रं. 04 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में सर्वेक्षित कुल 57 उद्यम प्रारंभ करने वालों में से 50 (87.72 प्रतिशत) द्वारा स्थानीय स्तर पर तथा 07 (12.28 प्रतिशत) द्वारा अन्य स्तर पर स्थल का चयन किया गया।

इस प्रकार सर्वाधिक 50 (87.72 प्रतिशत) द्वारा स्थानीय स्तर पर स्थल का चयन किया गया।

प्रत्यक्ष सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि स्थानीय स्तर पर स्थल चयन करने वाले कुल 50 में से 44 द्वारा स्वयं के भवन में तथा शेष 06 द्वारा किराये के भवन में उद्यम संचालित किया जा रहा है। अन्य स्तर पर स्थल चयन करने वाले कुल 07 में से समस्त 07 के द्वारा किराये के भवन में उद्यम संचालित किया जा रहा है।

इस प्रकार स्थानीय स्तर पर सर्वाधिक स्वयं के भवन में तथा अन्य स्तर पर किराये के भवन में उद्यम संचालित किए जा रहे हैं।

प्रत्यक्ष सर्वेक्षण में उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा यह भी बताया गया कि स्थल का चयन करते समय लोकेशन, क्षेत्र एवं मांग आदि बातों का ध्यान रखा गया।

उद्यम का प्रारंभ-उद्यमशील क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए परियोजना निर्माण, ऋण हेतु आवेदन, स्थल का चयन किया जाता है। साथ ही विभिन्न सुविधाओं एवं सहायताओं जैसे- कच्चे माल तथा शक्ति के साधनों, परिवहन एवं संचार सुविधाओं, व्यवसाय का पंजीयन एवं अनापति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी की जाती हैं। तत्पश्चात् उद्यम प्रारंभ किया जाता है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण कर उद्यम प्रारंभ किया जाता है। प्रशिक्षण उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वालों को व्यवसायवार (सर्वेक्षित उद्यम प्रारंभ करने वालों के आधार पर) तालिका क्रं. 05 में दर्शाया गया है-

तालिका क्रं. 05 : व्यवसायवार, उद्यम प्रारंभ करने वालों की जानकारी

व्यवसाय का नाम	सर्वेक्षित उद्यम प्रारंभ करने वालों की संख्या	प्रतिशत
मसाला उद्योग	07	12.28%
पत्तल दोना उद्योग	06	10.53%
किराना व्यवसाय	06	10.53%
टेन्ट हाउस	05	08.77%
मोबाइल रिपेयरिंग	05	08.77%
रेडीमेड गारमेंट उद्योग	04	07.02%
फर्नीचर उद्योग	04	07.02%
होटल/ढाबा/रेस्टोरेंट	04	07.02%
आईस फैक्ट्री	03	05.26%
कम्प्यूटर हार्डवेयर	03	05.26%
अचार निर्माण उद्योग	02	03.51%
बेकरी उद्योग	02	03.51%
चूड़ी व्यवसाय	02	03.51%
रेडियम आर्ट वर्क	02	03.51%
आर.ओ. वाटर प्लाण्ट	01	01.75%
ड्रायक्लीन	01	01.75%
योग	57	100%

स्रोत- प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त तालिका क्रं. 05 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में सर्वेक्षित कुल 57 उद्यम प्रारंभ करने वालों में से 07 (12.28 प्रतिशत) द्वारा मसाला उद्योग, 06 (10.53 प्रतिशत) द्वारा पत्तल दोना उद्योग, 06 (10.53 प्रतिशत) द्वारा किराना व्यवसाय, 05 (08.77 प्रतिशत) द्वारा टेंट हाउस 05 (08.77 प्रतिशत) द्वारा मोबाइल रिपेयरिंग, 04 (07.02 प्रतिशत) द्वारा रेडीमेड गारमेंट उद्योग, 04 (07.02 प्रतिशत) द्वारा फर्नीचर उद्योग, 04 (07.02 प्रतिशत) द्वारा होटल/ढाबा/रेस्टोरेंट, 03 (05.26 प्रतिशत) द्वारा आईस फैक्ट्री, 03 (05.26 प्रतिशत) द्वारा कम्प्यूटर हार्डवेयर 02 (03.51 प्रतिशत) द्वारा अचार निर्माण उद्योग, 02 (03.51 प्रतिशत) द्वारा बेकरी उद्योग, 02 (03.51 प्रतिशत) द्वारा चूड़ी व्यवसाय, 02 (03.51 प्रतिशत) द्वारा रेडियम आर्ट वर्क, 01 (01.75 प्रतिशत) द्वारा

आर.ओ. वाटर प्लाण्ट तथा 01 (01.75 प्रतिशत) द्वारा ड्रायक्लीन में उद्यम प्रारंभ किया गया।

इस प्रकार सर्वेक्षित कुल 57 उद्यम प्रारंभ करने वालों में से सर्वाधिक 07 (12.28 प्रतिशत) द्वारा मसाला उद्योग में तथा सबसे कम क्रमशः 01 (01.75 प्रतिशत) द्वारा आर.ओ. वाटर प्लाण्ट तथा 01 (01.75 प्रतिशत) द्वारा ड्रायक्लीन में उद्यम प्रारंभ किया गया।

प्रत्यक्ष सर्वेक्षण में उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा यह भी बताया गया कि माँग और पूर्ति को ध्यान में रखकर उद्यम प्रारंभ किया गया।

परिक्ल्पना की पुष्टि- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा उद्यम प्रारंभ करने की प्रक्रिया अपनाई गई है, परिक्ल्पना सत्य प्रतीत होती है क्योंकि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण में सर्वेक्षित 57 उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा बताया गया कि उद्यम प्रारंभ करने के लिए परियोजना निर्माण, ऋण हेतु आवेदन, स्थल के चयन के साथ-साथ अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया गया।

निष्कर्ष- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपरांत उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा उद्यम प्रारंभ करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा उद्यम प्रारंभ करने के लिए परियोजना निर्माण, ऋण हेतु आवेदन, स्थल का चयन तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी की गई है, तत्पश्चात् उद्यम प्रारंभ किया गया है। उद्यम प्रारंभ करने वालों द्वारा माँग एवं पूर्ति को ध्यान में रखकर उद्यमिता क्रियाओं को अपनाया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. जैन एवं शर्मा (2011), 'उद्यमिता के मूलाधार', रमेश बुक डिपो, जयपुर
2. डॉ. गंगेले एवं जैन (2009), 'उद्यमिता विकास', म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
3. बी.आर. नलवाया (1998), 'पश्चिम निमाड़ जिले में उद्यमिता विकास की योजनाएँ एवं संभावनाएँ', (शोध प्रबंध), विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन
4. ओमप्रकाश शर्मा (2003), 'शाजापुर जिले में उद्यमिता की स्थिति का मूल्यांकन' (शोध प्रबंध), विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन
5. रुपचंद चौहान (2016), 'उज्जैन संभाग में उद्यमिता विकास में उद्यमिता विकास केन्द्र (CEDMAP) के योगदान का अध्ययन' (शोध प्रबंध), विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन
6. उद्यमिता समाचार पत्र, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., भोपाल
7. स्वरोजगार मार्गदर्शिका, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., भोपाल

उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचनीय इतिहास : एक अध्ययन

डॉ. रेहाना शेख *

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) भारतीय महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र मध्यप्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों तथा उज्जैन जिले के साथ विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, इस विधानसभा क्षेत्र का अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक वैभव के साथ राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है।

वर्तमान का उज्जैन उत्तर विधानसभा का अधिकांश क्षेत्र 1952 के निर्वाचनों के समय उज्जैन शहर क्षेत्र के अन्तर्गत आता था। 1952 के विधानसभा निर्वाचन में उज्जैन जिले को पाँच क्षेत्रों में बाँटा गया था। ये क्षेत्र थे – उज्जैन शहर, उज्जैन तहसील, तराना, खाचरौद, महिदपुर एवं बड़नगर।

उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचकीय इतिहास देखा जाये तो इस क्षेत्र में किसी एक दल का पूर्णरूप से प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर विभिन्न चुनावों में कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के प्रत्याशी समय-समय पर विजयी होते रहे हैं। विधानसभा निर्वाचन 1952 के समय मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था। वर्तमान उज्जैन उत्तर विधानसभा का अधिकांश क्षेत्र 1952 के निर्वाचनों के समय उज्जैन शहर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। सन् 1952 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से विश्वनाथ वासुदेव अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनसंघ उम्मीदवार कैलाश प्रसाद से 5407 मतों से विजयी होकर उज्जैन उत्तर के विधायक बने।¹

1 नवम्बर 1956 को वर्तमान राज्य 'मध्यप्रदेश' बनाया गया। पुनर्गठन के पश्चात् विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के फलस्वरूप उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। 1957 के निर्वाचन के कुल पाँच उम्मीदवार मैदान में थे, उज्जैन उत्तर विधान सभा क्षेत्र से एक महिला उम्मीदवार व 4 पुरुष उम्मीदवार मैदान में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार राजद्वज कुमार किशोरी को 11669 मत प्राप्त हुए। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार मसूद अहमद को 4928 मतों से पराजित किया।

सन् 1962 के विधानसभा चुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में उतरे। कांग्रेस के अब्दुल गयूर कुरैशी ने 11912 मत प्राप्त कर निर्दलीय उम्मीदवार राजेन्द्र कुमार जैन को 3335 मतों से पराजित किया।

मध्यप्रदेश राज्य के चतुर्थ विधानसभा निर्वाचन 1967 में सम्पन्न हुए। सन् 1967 के निर्वाचन में कुल 8 उम्मीदवार मैदान में थे जिनमें से 1 महिला प्रत्याशी थी बल्कि 7 पुरुष प्रत्याशी थे। निर्वाचन में भारतीय जनसंघ के महादेव जोशी 23709 मत प्राप्त कर विजयी हुए। महादेव जोशी ने हंसा बहन को 12942 मतों के अन्तर से पराजित किया।

मध्यप्रदेश राज्य पंचम विधानसभा के निर्वाचन 1972 में सम्पन्न हुए।

इस निर्वाचन क्षेत्र से कुल तीन ही उम्मीदवार मैदान में उतरे। वर्ष 1972 के निर्वाचन में उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार प्रकाशचन्द्र सेठी विजयी हुए। उन्हें कुल 36195 मत प्राप्त हुए। उन्होंने भारतीय जनसंघ के बाबूलाल जैन को 15119 मतों के अन्तर से पराजित किया।

मध्यप्रदेश राज्य की छठी विधानसभा के लिए निर्वाचन वर्ष 1977 में सम्पन्न हुए। इस क्षेत्र से जीत हासिल करने के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजेन्द्र कुमार जैन को भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल जैन से 7096 मतों से पराजित किया।

मध्यप्रदेश राज्य की सातवीं विधानसभा के लिए निर्वाचन वर्ष 1980 में सम्पन्न हुए। एक बार पुनः उज्जैन उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेन्द्र जैन 19792 मत प्राप्त कर विजयी हुए। कांग्रेस के राजेन्द्र जैन ने भारतीय जनता पार्टी के राधेश्याम उपाध्याय को 2300 मतों से हराया।

मध्यप्रदेश राज्य की आठवीं विधानसभा के निर्वाचन वर्ष 1985 में सम्पन्न हुए। इस विधानसभा निर्वाचन में कुल 11 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्वाचन में कांग्रेस के बटुकशंकर जोशी को कुल 30609 मत प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश बोहरा को 21757 मत प्राप्त हुए। इस निर्वाचन में कांग्रेस के बटुकशंकर जोशी विजयी हुए।

मध्यप्रदेश राज्य की नवीं विधानसभा के निर्वाचन वर्ष 1990 में सम्पन्न हुए। उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1990 के निर्वाचनों में कुल 28 उम्मीदवार मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसचन्द्र जैन 35089 मत प्राप्त कर विजयी हुए जबकि राजेन्द्र जैन को 25398 मत मिले।

मध्यप्रदेश दसवीं विधानसभा के निर्वाचन 1993 में सम्पन्न हुए। एक बार पुनः उज्जैन उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पारस जैन विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस के बटुकशंकर जोशी को 5739 मतों से पराजित किया।

मध्यप्रदेश ग्यारहवीं विधानसभा के निर्वाचन सन् 1998 में हुए उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेन्द्र भारती विजयी रहे। निर्वाचन में कांग्रेस के प्रत्याशी राजेन्द्र भारती को कुल 39896 मत प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पारसचन्द्र जैन को 36130 मत प्राप्त हुए। कांग्रेस के प्रत्याशी राजेन्द्र भारती ने पारस जैन को 3766 मतों से पराजित किया।²

मध्यप्रदेश बारहवी विधानसभा के निर्वाचन वर्ष 2003 में सम्पन्न हुए। उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करने के लिए 8 प्रत्याशी मैदान में उतरे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पारस जैन ने कांग्रेस उम्मीदवार राजेन्द्र भारती को 16537 मतों के अन्तर से पराजित किया।

2008 में मध्यप्रदेश विधानसभा का 13 वां चुनाव करवाया गया। मध्यप्रदेश विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 230 थी। 13 वीं विधानसभा हेतु उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 27 नवम्बर को मतदान हुआ व 8 दिसम्बर को मतगणना व परिणाम घोषित हुए।

मध्यप्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से एक सीट उज्जैन उत्तर भी है। उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 216 है एवं इस क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,55,508 थी जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 81, 596 व महिला मतदाताओं की संख्या 73, 912 थी उज्जैन उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 91614 मतदाताओं द्वारा ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है। उज्जैन उत्तर विधानसभा

क्षेत्र में कुल 58.77 प्रतिशत मतदान हुआ।³

उज्जैन उत्तर विधानसभा चुनाव 2008 में मुख्य मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार पारस जैन व कांग्रेस के उम्मीदवार बटुकशंकर जोशी के बीच था। जिसमें पारस जैन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बटुकशंकर जोशी को 21961 मतों से हराया।

उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचकीय इतिहास देखा जाये तो इस क्षेत्र में किसी एक दल का पूर्णरूपेण प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर विभिन्न चुनावों में कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी इन्हीं दलों के प्रत्याशी समय-समय पर विजयी होते रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जिला निर्वाचन कार्यालय, उज्जैन
2. म.प्र. विधानसभा सूची नवम्बर 1952 से 1998
3. जिला निर्वाचन कार्यालय, उज्जैन

Right to Information Act and Good Governance: A Review

Deepak Sharma* Dr. Naval Singh Rajput**

*Research Scholar, Department of Social Work, Janardan Rai Nagar University, Udaipur (Raj.) INDIA

** Associate Professor, Department of Social Work, Janardan Rai Nagar University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Right to information act is a great initiative of government in order to enhance the transparency of work culture. **The Phenomenon**- The RTI has served as an instrument of Good governance. **Review of literature** indicated that there is a significant contribution of RTI as a instrument of good governance. **Purpose**- Present paper aims to critically the role of RTI as a medium of good governance. **Methodology**- The systematic review was done to understand the notion. **Results**- The review of literature indicated that the use of RTI and the platform to get information has truly become a foundation of good governance.

Keywords- Good Governance, Right To Information, Rti, Social Upliftment.

Introduction - The concept of “governance” is not new. It is as old as human civilization. Simply put “governance” means: the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented). Governance can be used in several contexts such as corporate governance, international governance, national governance and local governance.

Since governance is the process of decision making and the process by which decisions are implemented, an analysis of governance focuses on the formal and informal actors involved in decision-making and implementing the decisions made and the formal and informal structures that have been set in place to arrive at and implement the decision (Sheng Y.,2016).

Government is one of the actors in governance. Other actors involved in governance vary depending on the level of government that is under discussion. In rural areas, for example, other actors may include influential land lords, associations of peasant farmers, cooperatives, NGOs, research institutes, religious leaders, finance institutions political parties, the military etc. The situation in urban areas is much more complex. At the national level, in addition to the above actors, media, lobbyists, international donors, multi-national corporations, etc. may play a role in decision making or in influencing the decision-making process.

Good Governance - Good governance has 8 major characteristics. It is participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law. It assures that corruption is minimized, the views of minorities are taken into account and that the voices of the most vulnerable in society are heard in decision-making. It is also responsive

to the present and future needs of society.

Characteristics Of Good Governance

- **Participation** - All men and women should have a voice in decision-making, either directly or through legitimate intermediate institutions that represent their interests. Such broad participation is built on freedom of association and speech, as well as capacities to participate constructively.
- **Rule of law** - Legal frameworks should be fair and enforced impartially, particularly the laws on human rights.
- **Transparency** - Transparency is built on the free flow of information. Processes, institutions and information are directly accessible to those concerned with them, and enough information is provided to understand and monitor them.
- **Responsiveness** - Institutions and processes try to serve all stakeholders.
- **Consensus orientation** - Good governance mediates differing interests to reach a broad consensus on what is in the best interests of the group and where possible, on policies and procedures.
- **Equity** - All men and women have opportunities to improve or maintain their well-being.
- **Effectiveness and efficiency** - Processes and institutions produce results that meet needs while making the best use of resources.
- **Accountability** - Decision-makers in government, the private sector and civil society organizations are accountable to the public, as well as to institutional stakeholders. This accountability differs depending on the organizations and whether the decision is internal or external to an organization.
- **Strategic vision** - Leaders and the public have a broad

and long-term perspective on good governance and human development, along with a sense of what is needed for such development. There is also an understanding of the historical, cultural and social complexities in which that perspective is grounded.

RTI And Good Governance - Availability of information is a prerequisite for ensuring good governance. The need for transparent and accountable Public Administration, in Financial Management which are very crucial to establish confidence in the Government and in the State's institution. The Right to Information is a powerful tool as it does not provide immunity even to the President or the Prime Minister of India. It does not respect any official hierarchy and it is the only Act which is supervised by the citizen for implementation by the public authority. The effectiveness of the RTI lies in the fact that no information is to be denied to a citizen for that which can be accessed by a Member of Parliament. RTI builds a closer relationship between the government and its citizens and various other agencies. Through RTI, people can understand better the government's policies and enhance their interest in participation for better governance.

The proposed study aims to explore the unsung dimensions of RTI, as an agent for the social upliftment. The present research will put forth the idea of more effective use of RTI for the betterment of the society. This novel initiative of government of India has a significant contribution in smoothing the two way communication between the government and the common man. Hence the present research was proposed with the motive of exploring the more social dimensions connected with RTI.

Objective of the study - To do critical evaluation of the role of RTI as a medium of good governance.

Research Methodology - The systematic review of literature research design was employed in the present research work. The present study was done with available research studies related to good governance and RTI.

Results & Discussion

Das (2010) stated in his study about the role and possibilities of different sections regarding the Right to Information Act. He concluded that some newspapers and channels like Indian Express and NDTV took special steps to create awareness about RTI. Also mentioned that the press cannot be said to be completely independent as there is a share of business houses in newspapers and channels. It will be interesting to see how the media react to the proposal to bring private business houses under the ambit of RTI.

Ghosh (2014) studied the ethics of the media, it has come to the conclusion that journalists have to act impartially not only to uphold ethical norms but also to protect their liberty and constitutional rights. Correspondents will have to ask themselves ethical questions at every step and be ready to justify their decisions. Although it will be somewhat difficult, but to maintain the purity of the media, this challenge will have to be accepted.

Chakraborty (2010) stated about the shortcomings of the RTI Act, 2005. Also, whether the information is private or public, this controversial issue has also been highlighted. We need to know what is not private and what is there, what is mentioned in the Right to Information Act. If someone refuses to give information citing secret information, can the right to information bind him that the information is worth making public? Many such cases have been cited as examples in respect of which there is no mention in the RTI Act.

Nandi (2011) concluded studied the role of media and investigative social upliftment in forming and influencing public opinion. Delhi's famous Jessica Lal murder case and Priyadarshini Mattoo rape and murder case have been included as case studies. It was concluded that the media has become very important in the formation of public opinion. Due to the intervention of the media, cases of serious crimes were settled in a just manner. The duty of media in a democracy is to play the role of opposition in front of the government and do its work in an impartial manner during the judicial process.

In both case studies, it was found that media investigation acted to speed up the judicial process. Through both the cases the role of media in influencing people and getting justice can be understood. In both cases the power of investigative social upliftment and the social role of the media in a democratic set up came to the fore. Due to media reports, both the cases were reopened and the guilty were behind bars, whereas earlier they were acquitted. The hidden facts came to the notice of the public due to the intervention of the media and the serious flaws of the administrative system of the country came to the notice of the court. This type of social upliftment is new in the country and is the subject of discussion. This role of media is to promote the development of a powerful democracy, helpful in the healthy social development of the country.

Pandey (2009) analyzed the impact of globalization in determining the role of media in democracy. It came to the conclusion that the media can play an important role in establishing democracy in the true sense. Media can play the role of a bridge between the people and the government. But in the era of globalization the role of media has changed a bit.

With regard to the role of the media in a democracy, globalization has had some positive effects and some negative effects as well. But in the case of Bangladesh, media should be properly Globalization has not only hindered the performance of its role, but there are other reasons also. Freedom of media and expression is essential to avoid the negative effects of globalization.

Singh (2010) studied the impact of Right to Information on the society has been mentioned. For this, news published in newspapers from September to November 2009 was studied. These findings came to the fore that under the

Right to Information, the common man can collect the information of all government offices, small and big, which were earlier hidden under the guise of secrecy law. The media has started using this law in a more professional way. A correspondent of a newspaper collected the details of election expenses of various political parties in the 2009 general elections through RTI and published it in the newspaper. Right to Information has provided reporters with an important medium to do special and analytical stories. Lawyers have also helped in bringing the records of people with criminal and suspicious roles to the public through this law of judicial process.

However, everything is not in the right direction regarding the right to information. A study by the National Right to Information Awards Secretariat revealed that only 39 per cent can be expected to obtain information through RTI. Reasons for this are given such as lack of staff, budget and resources. More than 60 percent officers did not get training for RTI. But the root cause is the lack of will of the government.

Many cases of misuse of right to information have also come to the fore. Many people have also asked for many unnecessary information from different departments which is a matter of concern.

Khumbhar (2007) studied the proper functioning of democracy and the importance of mass media in the developmental progress of India. After the expansion of communication satellites, the concern of distorting news for personal interests increased. Along with this, due to increasing competition, there was an increase in the coverage of weaker sections. Media has an important role in building a tolerant society in the current environment. At the same time, the media also helps in preserving the cultural heritage of India.

Brett (2012) studied about the changes in the way journalists behave with respect to the Freedom of Information and Right to Information Act. The study was conducted by dividing the period from the Freedom of Information Act to the Right to Information Act into three periods: the pre-reform period, the reform period and the post-reform period. The study revealed that there has been a quantitative and qualitative improvement in the way journalists approach, report and use the Freedom of Information and Right to Information. Newspapers in metropolitan cities published comparatively more news related to Freedom of Information and Right to Information. The study found that there was significant negative reporting in the pre-reform period, while positive reporting increased in the reform and post-reform periods. Issues related to government information became more newsworthy.

Rajoura (2010) studied and found that if RTI is implemented effectively, the state of governance in India can change.

Roberts (2010) concluded in his research about RTI Assessment and Analysis Group has been mentioned in which it was found that media investigative social upliftment.

The Right to Information Act is not being used to its full potential for The media is considering the right to information as a boon for the common people but not for itself.

Kumar (2013) found in his study about the success of the Freedom of Information Act in the US has proved to be important for the strengthening of American democracy, while many organizational and procedural deficiencies in India's RTI law have proved to be a hindrance to democracy and development.

Banisar (2006) studied the status of this law in many countries. The survey revealed that there has been an astonishing increase in the number of countries adopting Freedom of Information Act in ten years. The information for this report was gathered through independent research, interviews, experts, media and government.

First Report Second Administrative Reforms Commission Right to Information Master Key to Good Governance(JUNE 2006) stresses that RTI is the key to strengthen anticipatory democracy and bring in people centric governance. RTI can empower the weaker sections of society to extract information about the government's policies and actions, thereby leading to their welfare. In the absence of good governance, no amount of policies can bring about development nor can its various programmes truly improve in the standard of people's life. Good governance has major characteristics like transparency, accountability, predictability and participation. It plainly pointed out that a "Minister is a bridge between the people and the Government and owes his primary allegiance to the people who elect him."

Agere, Sam, (2000) Promoting Good Governance; Principles, Practices and Perspectives views in the relationship between the government and its citizens and various other agencies. Major areas of concern is that political, institution and management of public agencies. The need for transparency/ accountability in the Public Administration and financial areas are very crucial so that the policies of the government are clear and the Public have the knowledge of the purpose and confidence in the institution. In short, the quality and effectiveness of Good Governance can be brought through people's participation and thus nation will prosper.

Kumar, R., (2013), Freedom of Expression and the right to seek information asserts that these two concepts are directly related to each other and that they are fundamental human rights and acknowledge by the Universal Declaration of Human Rights under its Article 19. He states that Information enables the empowerment of the people by giving them the knowledge that can help them gain control over their own lives. It supports participatory democracy enabling the citizens with the capacity to engage in public debate and to hold governments and others to be responsible and accountable towards the disbursement of their duties. Other highlights includes curbing Corruption, checking undue abuse of power and most importantly safeguards Civil

Liberties. The effective role of RTI in disclosing of essential information resulted in checking corrupt practices in the governmental delivery system.

Kumar.R. (2009); Right to know is a book which gives in detail of what Right to Information as a powerful tool towards transparency. Its salient features, the purpose and the scope of RTI which is extended to every governmental control with the exemption of Jammu and Kashmir. The rules and procedure of RTI on how information can be sought from the concern department by addressing the PIOs, it provides the provision on what the information sought, the grounds of reply are discussed along with its responsibility and action in case of non compliances. The book matures in the actual practice of RTI provisions, duties and responsibility. RTI Cell, ATI, Kohima: Right to Information Act and the Role of Media talks about the important aspects of the right to information which embodies the some of the important features of good governance like Public Participation, rule of law, transparency, responsiveness, equity and inclusiveness, effectiveness, efficiency, accountability, strategic vision and consensus-orientation. RTI provides the ground for the government functionaries to operate in the best possible way as well as being accountable for their actions. The focus is to establish a responsive State and also to put an end to differing government practices by enabling Public participation through RTI Act. The significant role of RTI impacts is listed as:- 1) Empowerment 2) Social Awareness & Action 3) Good Governance The main aim is to bring public awareness, enables social and cultural discourse, participation and accountability.

Geol S. I. (2007) Right to Information and good governance opinions that the success of Right to Information depends education of people (awareness), and also training in record keeping is very important. With the help of RTI, the People to understand the government's policies better and enhance their interest. Transparency is a very important citizens right. It makes the people in power accountable; it encourages People's participation for development progresses. The Author strongly feels that retired persons should not be appointed as RTI officials as they may manipulate. Further appointing eminent persons from all walks of life could lead to promote effective Governance.

Dhaka, R., (2010); Right to Information and good governance states that Right to Information which is a prerequisite for ensuring accountability and Good Governance. The global trend of RTI reached India when she finally adopt the RTI In 2005. RTI arms peoples interest in not only the government sector but also in the Private / corporate sector. It can be effectively for checking power and ensuring accountability. They help as an antidote in misuse of power, thus check corruption which have impacts on other areas like efficiency of public administration, rights of the citizens, managements, etc. The Author speaks of the limitation like misuse of information, blackmailing, old era mind set of the secrecy with exception of Jammu and

Kashmir. The recommendation to be noted includes activating the Public authority, effective computerised record management, RTI should be available not only in the Headquarters but also in the District and Block Level with proper staffs.

Mohapatra, N., (2009); Accountable Governance and RTI Act it views that majority of India's populous today way behind other countries. The problems faced are age old basic i.e. Socio-economic baseline and colonial history of caste communal prejudices continue to restrain the Indian polity. Besides, there are numerous input demands, increased expectations from the desperate population and the need for elements of Good Governance that has compelled the state to raise its standard through transparency and accountability in their schemes like Public Distribution System (PDS), Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), National Rural Health Mission (NRHM), Integrated Child Development Services (ICDS), Old Age Pension at each stage of policy and programme preparation. The author speaks of the ruling power belonging to the people only in theory. With RTI act, people won't have to bribe the officers. RTI will also ensure limitation on power; encourage participation in legal decision-making processes.

Singh (2010); Right to Information and Good Governance provides the historical enactment of RTI by major pioneering countries. It recognises RTI as a tool gives the people the power to look information which empowers the people's participation, enabling them to make it the duty of the authorities to disseminate the same for better governance in its institution be it centre, state or even Panchayati Raj. It highlighted RTI major land mark which became an act in 2005 like poor infrastructure of Public Information Officers, lack of effective record movement and cost of implementation. The author thus seeks for separate cadres of PIOs with proper training. Legislation alone isn't sufficient, it needs fully armed RTI into bring peoples participation for getting Good Governance.

Conclusion - Hence the above critical analysis indicates that the RTI is a beneficiary tool to act as a foundation of good governance.

References:-

1. Banisar (2006). Freedom of Information Around World. SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1707336>
2. Breit, Rhonda, Fitzgerald, Richard, Liu, Shuang & Neal Regan (2012). Changes in media reporting after RTI Laws in Queensland: SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2147625>
3. Chakraborty, Devmalya (2010). Does Right to Privacy Exempt Right to Know? A case Study in the Indian Context. Global Media Journal-Indian Edition.
4. Das, ManasPratim (2010). RTI and Beyond. Global Media Journal-Indian Edition.
5. Ghosh, Jhumur (2014). Ethics of Indian News. Global Media Journal-Indian Edition, Vol.5/No.2.

6. Kumar, Sudhir (2013). Protecting Freedoms, Guaranteeing Rights: Study of Freedom of Information Act, India. SSRN: http://ssrn.com/abstract=2262073	9. Role in a Democratic Country? Bangladesh Perspective. Media and Communication Studies Journal, Vol.1(2), 033-042.
7. Nandi Kathakali (2011). Investigative Role of Media: Responsibility to the Society. Global Media Journal- Indian Edition.	10. Rajora, Varsha (2010). Tackling Corruption through RTI: A Base for Good Governance: SSRN: http://ssrn.com/abstract=1572238
8. Pandey, Pradip Kumar (2009). Does Globalization Affect Media	11. Singh, A.K. (2010). RTI and Mass Media. Bilingual Journal of Humanities & Social Sciences, Vol.1.

Impact of Indian Accounting Standards on Financials of Listed Companies of Madhya Pradesh

CA. Manish Borad* Dr. Purushottam Gautam**

*Research Scholar (Commerce) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) INDIA

** Principal (Commerce) Govt. Girls College, Badwani (M.P.) INDIA

Abstract - Accounting is tool to measure the performance of an entity which is then compared with other entities to judge the relative performance inter se. However for the purpose of comparison the assumptions and conventions of accounting principles should be similar. When the comparison was domestic the set of accounting standards were common for all entities however when the global entities compete in this globalised era, the measurement of performance seemed impossible with different set of accounting principles followed i.e. US Generally accepted Accounting Principles in USA, International Financial Reporting Standards in European Union and other countries, International Accounting Standards in some countries and Accounting Standards in India to name a few. These standards have fundamental differences and unless re-casted on similar principles the comparison was impossible. Need for common set of accounting principles has been felt since it would open global fund raising markets, mergers and acquisitions of entities and various other advantages. Considering the same India has moved towards adopting the International standards with some carve outs which are known as Ind-AS. Since the Ind-AS have some fundamental difference with conventional Accounting Standards prevailing in India a study has been carried out to assess the impact of implementation of Ind-AS specially with reference to listed companies of Madhya Pradesh on whom the standards have become applicable. The authors have analysed the impact on financial indicators and also the challenges of implementation of Ind-AS.

Keywords- IndAS, Accounting Standards, Listed Companies of MP.

Introduction- Indian Accounting Standards (Ind AS) which are the new set of accounting principles converged with International Financial Reporting Standards (IFRS) which are being followed in European Union apart from various other countries in the world. In Indian economic eco-system it was not possible to implement IFRS on “as such” basis since ours being a developing country cannot be exposed to some accounting benchmarks in Indian context as they would give distorted results. Further in our country the systems and practices differ with the scale of operations and sector.

Indian GAAP is rule based accounting rules for companies operating in India whereas IFRS is principle based high quality standards applicable across globe. Though IFRS is not mandatory but more than 120 countries have already adopted their local STD with IFRS. Conversion or adoption of IFRS would bring down the cost of capital and improve the accounting quality in India.

Many large corporate and Multi-National Companies of Indian Origin like Infosys, TCS already following IFRS for their international financial exposure the implementation literature is readily available for large entities however for Small and Medium companies with limited international

financial exposure the impact of convergence to Ind-AS was not studied much. More so in context of companies based in developing state of Madhya Pradesh the problems in implementation of Ind-AS and impact of implementation was not adequately estimated. This study would help in implementation of Ind-AS on entities in various other developing states like Chhatisgarh, Uttar Pradesh, Rajasthan and impact on financial indicators of Mid size entities of these states. The research is aimed to assess and test as to whether the convergence to Ind-AS over the prevailing conventional Accounting Standards causes any significant impact or not on the target entities.

Ind AS has been implemented in India for certain class of companies and we are on our way to merging Indian financial reporting standards with international norms. The IndAS are named and numbered in the same way as the corresponding International Financial Reporting Standards (IFRS). National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS) recommend these standards to the Ministry of Corporate Affairs (MCA). MCA has to spell out the Indian Accounting Standards applicable for companies in India. As on date MCA has notified 39 Ind AS. The applicability is brought out in a phased manner and the

summarized position of applicability is that all companies listed on stock exchanges other than Small and Medium Exchanges, Unlisted companies with networth over Rs.250 Crores, etc are under Ind-AS regime apart from specific entities like Banks, Insurance companies, and non corporate which are presently excluded from following Ind-AS.

The implementation of Ind-AS is considered as beneficial for the positive results it has demonstrated in case of large corporate. It has by far helped Ind-AS compliant companies to raise more foreign capital at a lower cost because the Ind AS has standardized financial statements in accordance with international norms, increasing financial statement credibility. Also it being based on fair value premise is considered to reveal better transparency, integrity and comparability of financial information across the world.

Literature Review

The authors have reviewed the existing literature based on IFRS model abundantly available along with the literature on Ind-AS which is still in preliminary phase since the applicability has been effected from the years 2017 and 2018 onwards. For different sectors and nature of entities as well as scales of operation the studies have shown different results on financial information. Various experts believe that the implementation of the Ind-AS may have a beneficial impact on entities, financial reporting, and wider economic contexts, while others have disagreed. The results also differ for private sector and public sector entities. Studies has also revealed that the skill set needs to be developed and the requirement of large scale training programs is highlighted to meet the objective of its applicability on remaining class of entities. It has been summarized in the studies that since the new set of standards are principle-based rather than a rule-based approach, all parties involved in financial reporting must share the responsibility for worldwide harmonization and convergence.

Methodology - For the purpose to understand the Impact of Ind AS Implementation on Financial Statements, We had taken decided to cover 12 companies spread across 10 sectors and the analysis was primarily based on review of Stand alone Financial Statements published as part of annual report for they ear 2017-2018. The companies selected are registered in Madhya Pradesh and it is Listed on recognized stock exchange (NSE/BSE) in India. Our Analysis was based on Stand alone Financial Statements of these companies which are available in public domain.

To examine the quantitative impact of the Ind AS on the financial statements of Listed Companies of Madhya Pradesh we have identified and performed a high level review and analysis of Stand alone Financial Statements of 12 companies spread across following 10 different sectors.

Table 1 (see in last page)

Identification of Variables to measure impact - For the purpose of analysis, quantitative impact in absolute and percentage terms was assessed on following key financial parameters as on Ind AS transition date since they are performance indicators of any entity:

1. Revenue for the end of transition year
2. Profit after Tax for the end of transition year

Analysis and Results - The financial variable wise impact study has resulted the following results:

Summary of impact on key Profit and Loss account related financial items.

Table 2 (see in last page)

Rationale Of Impact - As per the financial information of selected companies an analysis was carried out by comparing financial information drawn as per conventional accounting standards and the Ind-AS. The reasons of such impact, if any was also carefully studied which is summarized as follows:

Ind AS impact on Revenue - Major Reasons for increase in Revenue were that Under Previous GAAP, revenue is presented net of excise duty whereas under Ind AS, revenue is presented inclusive of excise duty. On conversion to Ind AS, there is an increase in amount of revenue due to inclusion of amount of excise duty. Thus, sale of goods under Ind AS has increased with a corresponding increase in expenses. Also under Previous GAAP, the investments made in mutual funds are recorded at lower of cost or net realizable value. Under Ind AS, the investments in mutual fund are fair valued through profit and loss. Hence, other income increases to that extent. In case of Increase in Finance Income due to unwinding to Security Deposit it was seen that under Indian GAAP, interest-free lease security deposits paid is reported at their transaction values. Under Ind AS, interest-free secure deposits are measured at fair value on initial recognition and at amortized cost on subsequent recognition. The difference between the transaction value and fair value of the lease deposit at initial recognition is treated as prepaid rentals. This amount is recognized in statement of profit and loss on a straight line basis over the lease term.

As regards reasons for decrease in Revenue for Discounts and Sales Promotional Expense. Discounts and Sales Promotional Expense are netted off from revenue under Ind AS. Under IGAAP Government grants related to specific property, plant and equipment is presented in the balance sheet by reducing the grant from the gross value of the concerned assets while arriving at their book value. As per Ind-AS 20, the grant received shall be recognized separately as deferred income and should be recognized as income in the statement of profit and loss in equal amount over the expected useful life of related asset for availing grant.

Under Ind AS, revenue is measured at Fair Value of the consideration received or receivable. Therefore, where payment of consideration is deferred, the transaction price

is allocated between financing component and revenue for sale of goods and services and accounted separately. Re-assessment of revenue recognition criteria, i.e., transfers of significant risk and rewards. For example, under AS, revenue was generally recognized on dispatch of goods when risk and reward of ownership are transferred. However, under Ind AS, revenue is recognized only when company does not have control over the goods.

IndAS Impact on Profit After Tax (PAT) - Reason for increase in PAT were many. First was Income Tax Adjustment i.e. Deferred tax adjustments due to Ind AS adjustments from other standards being change in method of recognizing deferred assets and liabilities from Income Statement Approach to Balance Sheet Approach. Further under AS, the entire employee benefits cost, including actuarial gains and losses, were charged to Profit or Loss. Under Ind AS, re-measurements Actuarial gains/losses are recognized in Other Comprehensive Income (OCI). As regards Property Plant and Equipment, Capitalization of spare parts which were charged to Profit or Loss under AS has also increased the PAT. Reversal of excess depreciation as a consequence to reduction in carrying amounts of PPE due to adjustment for capitalization of foreign exchange gains and losses of long term foreign currency borrowings and indirectly attributable expenses capitalized under AS.

Coming to reasons for decrease in PAT the same is for various factors. Ind AS 109-Foreign Exchange forward contracts is one such factor. Under the previous GAAP, the premium or discount arising at the inception of foreign exchange forward contracts entered into to hedge an existing asset / liability, were amortized as expense or income over the life of the contract. Exchange differences on such contracts were recognized in the statement of profit and loss in the reporting period in which the exchange rate changes. Under the INDAS 109, foreign exchange forward contracts are carried at fair value and the resultant gains / (losses) are recorded in the statement of profit and loss. Similarly due to Financial Instruments containing Effective Interest Method the impact is there. Amortization of borrowing cost as part of effective interest rate method for financial liabilities classified as amortized cost. Adjustment for premium on redemption of bonds and debentures which was previously offset against security premium under AS has resulted in decrease.

Property, Plant and Equipment standard has also contributed to impact due to increase in Depreciation due to following componentization of PPE. Under the Ind AS, significant components of plant and equipment which have different useful life is depreciated based on their specific useful lives. Consequently, there is an increase in amount of depreciation resulted in decrease in profit.

Recognition Criteria are not met due to Ind AS in certain cases as they provide a stringent condition of recognition. As per Ind-AS 16, Property Plant and Equipment, certain costs such as indirectly attributable costs are decapitalised

which were capitalised as a part of cost of fixed assets under AS. Increase in amortization expenses due to Ind AS 17 "Leases" the lease premium paid for the acquisition of land has been amortized over the lease tenure is also a factor.

Summary of Findings - Based on the Impact Analysis performed on the 12 companies registered and listed in Madhya Pradesh, Researcher has following Findings on Impact of Ind AS Implementation on Listed Companies of Madhya Pradesh. Researcher has analyzed the impact of Ind AS on Revenue of the companies and it was observed that

1. There was a impact on earnings due to adoption of Ind AS. In some companies, there can be seen a significant impact too of around 10%. 75% Companies has positive impact, rest has negative.
2. There was impact on Profitability of the companies and it was observed that in major companies. 58% of the total Companies selected have shown negative impact and rest has shown positive impact. In 4 companies we have seen impact of above 10% in profitability of the companies. Out of which one company shown impact of above 100%.

Stakeholders Perspective - The authors have performed a survey through Questionnaires and following findings have emerged from the discussion in questionnaires and personal interviews of CFO's, Auditors and other stakeholders. It was observed that in implementation of Ind AS by the companies, they got various benefits like Availability of Funds in Global Markets would become easier. The adoption of Ind AS not only facilitates Indian companies' access to global capital markets, but it also allows them to obtain money at a lower cost through mode such External Commercial Borrowings (ECB).

It also results in easier Global Comparability. The entire planet Companies use IFRS to represent their financial records, therefore the adoption of converged form of IFRS-Ind AS by Indian companies makes it easier to compare the two. Various stakeholders, such as investors, find it simple to compare financial records that follow a comparable reporting process.

It also helps in easy Listing across the Border. One of the major requirement of getting listed on European/American markets is Accounts must be meet as per IFRS requirements so Ind AS adoption will help Indian companies raise the funds from the European/American capital markets.

It ensures better record Financial Reporting. Due to the commonality of accounting principles, it is envisaged that the application and acceptance of IFRS will result in better financial reporting to the stakeholders. By Ind AS implementation, financial statements become more transparent. By adopting fair valuation model, figures will give the true picture of assets and liabilities which will help stakeholders to study about the company very well.

Challenges faced by stakeholders with Ind-AS - During implementation following challenges have been faced:

Fair Value Accounting: The use of fair value accounting may cause financial statements to become unstable because it is difficult to arrive at a fair value and valuation experts find it difficult to switch from the historic method to the fair value method.

Taxation issues: The Indian accounting system faces a big challenge in the form of a complete renewal of tax laws, which involves some major modifications in tax laws in order for tax authorities to recognise Ind AS-compliant accounting statements. It is critical that tax rules recognize Ind AS-compliant accounting systems; otherwise, there will be duplication for commercial organisations.

Impact on MAT liability: Due to implementation of Ind AS, certain Ind AS adjustments have resulted into increase in book profit and also significant increase in opening retained earnings, which are of notional in nature. As per section 115JB of the Income Tax Act, the Company is required to pay MAT on books profit (inclusive of Ind AS adjustments) and also on opening Ind AS adjustments at the time of transition. This is having significant impact on MAT liability. Company is required to pay MAT on notional incomes also which should not be the case.

Too much Disclosure Requirements: Every Ind AS requires disclosures to be given in financial statements. Many a times, these disclosures are too extensive and sometimes they are irrelevant too but even after that companies have to disclose the same. This become a major hardships for the companies as they have to maintain more detailed workings.

Complex Accounting under various IndAS: In Ind AS such as Ind AS 109: Financial Instrument, the accounting prescribed is quite complex to be implemented which cause severe hardships for the companies.

Other Challenges: Companies need adequate planning time to prepare a fair transition and communicate the transformation's impact to all stakeholders, according to international expertise. It was observed that by implementation of Ind AS in majority of the companies around 60%, business model and operations were affected.

Through providing better transparency and comparability of financial statements globally, Ind AS has a wider impact on the stakeholders as they can take decision on the company based on more transparent financial statements which can be compared to its peer whether it is national or international company.

Through our study, we came to know that there are several issues in future has to be addressed by the Ind AS implementation committee:

1. Till now, Ind AS implementation has been deferred on Banking Companies, NBFCs and Insurance Companies. Regulatory Authorities such as RBI, IRDAI

has to take timely decision to implement it in a proper manner.

2. In fact, Ind AS-8, on Accounting Policies, changes in accounting estimates and errors, specifically mentions in paragraph 12 that management can refer to most recent pronouncements of IFRS. However, for the carve outs, though an explanatory point has been added in the relevant standards, detailed basis for conclusion would have been useful.

Conclusion - This study reveals a number of insights that how the transition of the new accounting standards, i.e., Ind-AS impacted the financials of Indian companies which are registered in Madhya Pradesh and Listed on Stock Exchange which may affect in terms of financial position and performance positively/negatively to the Indian industries. This study is very much useful for all the stakeholders who use the financial statement a day-to-day basis and interested to know about the immediate impact of Ind-AS on transition IFRS converged accounting standards, 'Ind AS' contributes towards the increased comparability, understandability, transparency and quality of financial statements of companies in India and this in turn in upcoming future years, can provide us various benefits like increase in international trade of the country, attraction of cross border investments, maintenance of orderly capital markets, elimination of confusion among the users in understanding the financial statements etc., and all these factors will contribute towards the economic development of the nation. So, as early as possible India should implement Ind AS on all its entities for reaping the benefits Ind AS brings it with him.

References:-

Websites:

1. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers>
2. www.icai.org/post/impact-study-and-research-papers
3. www.rajratan.co.in
4. www.ujaas.com
5. www.texmopipe.com
6. www.kritinutrients.com
7. www.kritiindustries.com
8. www.dilipbuildcon.com
9. www.yellowdiamond.in
10. www.grasim.com
11. www.infobeans.com
12. www.flexituff.com
13. www.shaktipumps.com
14. www.bseindia.com
15. www.nseindia.com
16. <http://www.icai.org/>
17. www.rbi.org.in
18. www.irdai.gov.in
19. www.mca.gov.in

Table 1

S.No.	Name of Company	Sector of operation	Market capitalisation (Rs. in Lakhs)
1	Kriti Nutrients Limited	Agro Processing	20000
2	Girdharilal Sugar and Allied Industries Limited	Agro Processing	1970
3	Grasim Industries Limited	Conglomerate	11328700
4	Dilip Buildcon Limited	Construction	878100
5	Ujaas Energy Limited	Electric Equipments	6010
6	Prataap snacks Limited	Food Industry	159900
7	Infobeans Technologies Limited	Information Technology	91000
8	Texmo Pipes and Products Limited	Plastics	1400
9	Kriti Industries(India) Limited	Plastics	58200
10	Shakti Pumps (India) Limited	Pump Manufacturer	119300
11	Rajratan Global Wire Limited	Steel	241100
12	Flexituff Ventures International Limited	Textiles	3870

Table 2

S.No.	Company	Revenue				Profit after tax			
		Ind AS	AS	Impact	% terms	Ind AS	AS	Impact	% terms
1	Rajratan Global Wire Limited	20,019	17,907	2,112	11.79	826	805	21	2.55
2	Ujaas energy Limited (UEL)	49,068	49,073	-5	(0.01)	3,593	3,632	-39	(1.06)
3	Texmo pipes Limited (TEL)	28,871	28,855	16	0.05	-112	-49	-63	(129.73)
4	Kriti nutrients Limited (KNL)	46,022	45,921	101	0.22	629	631	-2	(0.32)
5	Kriti Industries Limited (KIL)	40,780	36,603	4,177	11.41	871	887	-16	(1.79)
6	Dilip Buildcon Limited (DBL)	410,106	410,071	35	0.01	22,080	21,989	91	0.41
7	Prataap snacks Limited (PSL)	90,125	90,600	-475	(0.52)	2,176	2,662	-486	(18.27)
8	Grasim Industries Limited (GIL)	1,013,685	926,137	87,548	9.45	97,064	95,327	1,737	1.82
9	Shakti pumps (india) Limited (SPL)	41,125	41,172	-47	(0.11)	2,183	2,132	50	2.36
10	Infobeans Technologies Limited	10,439	10,435	4	0.04	2,087	1,924	163	8.47
11	Flexituff Ventures International Ltd	134,185	133,514	671	0.50	740	861	-121	(14.09)
12	Girdharilal Sugar and Allied Ltd	11,010	10,945	65	0.60	248	291	-43	(14.68)

स्वतंत्रता पूर्व भारत की संवैधानिक व्यवस्था

डॉ. विनीता भालसे* डॉ. गिरधारीलाल भालसे**

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

** अतिथि विद्वान, शासकीय महाविद्यालय, कसरावद, जिला-खरगोन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - किसी देश की वर्तमान संस्थाओं को अच्छी तरह समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ये संस्थाएँ प्रारम्भ में कैसी थीं और इनका विकास किस प्रकार से हुआ। चूंकि देश के संविधान के भवन का निर्माण भी उसके अतीत की नींव पर ही किया जाता है। अतः किसी भी विद्यमान तथा लागू संविधान को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि रही है। भारतीय संविधान सभा निर्मित भारतीय संविधान से अभिन्न रूप से जुड़े हुए उनके ऐसे अधिनियम एवं चार्टर हैं, जिन्हें समय-समय पर ब्रिटिश संसद में पारित किया गया और जो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि कहे जा सकते हैं।

भारत सरकार अधिनियम 1858 - ग्रेट ब्रिटेन के सम्प्रभु सम्राट और संसद ने अब भारतीय प्रशासन के संचालन में पहले से अधिक प्रत्यक्ष और उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से भाग लेने का निश्चय किया। परिणामतः नवम्बर 1858 में सम्राट ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया।

अधिनियम के मुख्य उपबन्ध:

(1) भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया-अधिनियम द्वारा कम्पनी के भारतीय प्रदेशों का शासन तथा उनका राजस्व ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। उसे भारतीय रियासतों पर अपना प्रभुत्व बनाये रखने तथा उनसे कर, आदि लेने का अधिकार भी दिया गया।

(2) **भारतमंत्री के पद की व्यवस्था**- बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अन्त कर दिया गया और उनके समस्त अधिकार भारतमंत्री को हस्तान्तरित कर दिये गये।

(3) **भारतमंत्री की सहायता हेतु भारत परिषद् की स्थापना**- भारत मंत्री की सहायता हेतु 15 सदस्यों की एक भारत परिषद् की व्यवस्था की गयी इनमें से 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किये जाने थे और शेष 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने थे।

(4) **भारत परिषद् की कार्यप्रणाली**- परिषद् की बैठक सप्ताह में कम-से-कम एक बार होना जरूरी थीं और इसकी गणपूर्ति 5 सदस्यों की थी। साधारणतया भारत को भेजे जाने वाले सभी पत्रों की सूचना इस परिषद् को दी जाती थी।

भारतीय परिषद् अधिनियम 1861 प्रमुख प्रावधान

(1) इस अधिनियम द्वारा गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी में पांचवे सदस्य की व्यवस्था की गयी। इसकी योग्यता के सम्बन्ध में कहा गया कि वह कानूनी अनुभव का व्यक्ति होना चाहिए।

(2) कानून निर्माण की श्रुतियों को दूर करने के लिए विधायी कार्य हेतु सर्वोच्च परिषद् में 6 और 12 के बीच अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की

गयी। इन सदस्यों को गवर्नर-जनरल द्वारा नामजद किया जाना था और इन सदस्यों में कम-से-कम आधे गैर सरकारी होने आवश्यक थे।

(3) अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आपातकाल में गवर्नर-जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ये अध्यादेश 6 महीने तक वैध रहते थे जब तक कि इसके पूर्व सपरिषद् भारतमंत्री या सर्वोच्च विधायी परिषद् इन्हें अस्वीकृत न कर दे।

(4) बम्बई और मद्रास की सरकारों को अपनी कौंसिल में कानून बनाने के लिए एक महाधिवक्ता तथा कम-से-कम चार और अधिक से अधिक आठ सदस्य बढ़ाने की आज्ञा दी गयी। इन परिषदों का कार्य केवल कानून बनाना था। इनके बनाये कानूनों पर अन्तिम स्वीकृति गवर्नर-जनरल से ली जाती थी।

(5) गवर्नर-जनरल को बंगाल उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त और पंजाब में भी विधान परिषदें स्थापित करने की शक्ति दी गई, जिसके अन्तर्गत इन प्रान्तों में क्रमशः 1862, 1882 और 1897 में परिषदें स्थापित हुईं।

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892 प्रमुख प्रावधान:

(1) केन्द्रीय विधान परिषद् में कम-से-कम 10 और अधिक से अधिक 16 अतिरिक्त सदस्यों को रखने की व्यवस्था की गयी।

(2) बम्बई और मद्रास की परिषदों के लिए कम-से-कम 8 और अधिक से अधिक 20 अतिरिक्त सदस्य मनोनीत किए जा सकते थे।

विधायी परिषदों के कार्यों व शक्तियों में वृद्धि:

(1) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधायी परिषदों के सदस्यों को बजट पर वाद-विवाद करने का अधिकार दिया गया, परन्तु प्रान्तीय परिषदों के सदस्यों को केन्द्रीय वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछताछ करने की आज्ञा नहीं थी।

1909 का भारतीय परिषद् अधिनियम (मॉर्ले-मिण्टो सुधार अधिनियम)

1909 के सुधार कानून के प्रमुख लक्षण

(1) गवर्नर-जनरल की विधानपरिषद् के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई।

(2) सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया परन्तु साथ में यह प्रतिदिन था कि पूरक प्रश्न वही सदस्य पूछ सकता था, जिसने मुख्य प्रश्न पूछा हो।

कानून के द्वारा मुसलमानों को पृथक् साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति उनकी विशेष सेवाओं को दृष्टि में रखते हुए संख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व

प्रदान किया गया। अधिनियम द्वारा जो मताधिकार दिया गया वह अत्यन्त सीमित और अनेक प्रकार के भेदभावों पर आधारित था। इतना ही नहीं मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम व्यक्तियों के मताधिकार की योग्यताएँ भी बहुत भिन्न थीं।

भारतीय शासन अधिनियम, 1919 (मॉण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार)

अधिनियम की विशेषताएँ

(1) प्रान्तों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन- प्रान्तीय शासन दो भागों में विभाजित किया गया-रक्षित विषय और हस्तान्तरित विषय। रक्षित विषय गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों के अधीन थे एवं इन पर व्यवस्थापिका का कोई नियन्त्रण नहीं होता था। लेकिन हस्तान्तरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिये गये, जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे और उनके प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इसे द्वैध शासन व्यवस्था (Dyarchy) का नाम दिया गया।

(2) प्रान्तीय कार्यकारिणी परिषद् में अधिक भारतीयों की नियुक्ति

(3) **द्विसदनात्मक केन्द्रीय विधानसभा का निर्माण-** इसके दोनों सदनों के नाम केन्द्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद् रखे गये। केन्द्रीय विधानसभा में 143 सदस्य होते थे जिनमें 103 कर चुनाव एवं शेष मनोनीत होने थे। राज्य परिषद् में 60 सदस्य होते थे, जिनमें से 33 का चुनाव और 27 गवर्नर-जनरल द्वारा मनोनीत होते थे।

भारतीय शासन अधिनियम 1935

1) **अखिल भारतीय संघ-** यह संघ 11 ब्रिटिश प्रान्तों 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। अधिनियम के अनुसार, प्रान्तों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था परन्तु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था।

2) **प्रान्तीय स्वायत्तता-** इस अधिनियम द्वारा 1919 के अधिनियम की प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था का अन्त कर उन्हें एक स्वतन्त्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। सम्पूर्ण प्रान्तीय शासन लोकप्रिय मंत्रियों के नियन्त्रण में कर दिया गया और गवर्नर से यह आशा की गई कि उसके द्वारा मंत्रियों की सलाह के आधार पर प्रशासन का संचालन किया जायेगा।

3) **केन्द्र में द्वैध-** कुछ संघीय विषयों (सुरक्षा, वैदेशिक, सम्बन्ध, धार्मिक मामले तथा कबायली क्षेत्र की व्यवस्था) को गवर्नर-जनरल के हाथ में सुरक्षित रखा गया।

4) **संरक्षण एवं आरक्षण-** अधिनियम द्वारा गवर्नर-जनरल तथा गवर्नरों को विभिन्न परिस्थितियों में केन्द्र एवं प्रान्त के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार प्रदान किये गये।

5) **विधानमण्डलों और मताधिकार का विस्तार-** संघीय व्यवस्थापिका के दो सदनों में संघीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 एवं राज्य परिषद् के सदस्यों की संख्या 260 निर्धारित की गयी। प्रान्तों में 11 में से 6 विधानमण्डलों को दो सदनों वाला बनाया गया। प्रान्तों के लिए 10 प्रतिशत से कुछ अधिक जनता को मताधिकार प्रदान किया गया।

6) **संघीय न्यायालय की व्यवस्था-** इसका अधिकार क्षेत्र प्रान्तों तथा रियासतों तक विस्तृत था।

महत्व- भारत के संवैधानिक इतिहास में इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण तथा स्थायी स्थान है। इसके द्वारा देश को एक लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था। लम्बे समय बाद भारतीयों को अपने देश के प्रशासन को चलाने में कुछ जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिला था। प्रान्तों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमण्डल बनाये गये। वे विधानमण्डलों के प्रति उत्तरदायी थे। मंत्रिगणों ने भी अपने दायित्वों को बड़ी योग्यता, निष्पक्षता व निष्ठा की भावना के साथ निभाया इसके लिए उन्हें सभी पक्षों से प्रशंसा तथा सम्मान भी मिला।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. फड़िया, बी.एल., कुलदीप, राजनीति विज्ञान, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल-2022 प्रष्ठ- 1-4
2. डॉ. फड़िया, बी.एल., कुलदीप, राजनीति विज्ञान, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल-2022 प्रष्ठ-5-6
3. डॉ. फड़िया, बी.एल., कुलदीप, राजनीति विज्ञान, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल-2022 प्रष्ठ- 11

सिंगल यूज प्लास्टिक

अंचल रामटेके*

* सहायक प्राध्यापक (प्राणिशास्त्र) शास. राजभोज स्नातक महाविद्यालय, मंडीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण प्रदूषण सम्पूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जो कि जीवों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। प्रति वर्ष कई लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है तथा उनसे होने वाले प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। इसलिए विश्वभर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाई जा रही है। इस तरह इससे उत्पन्न बीमारियों तथा प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा रहा है। प्रकृति, गृह, मनुष्य तथा सभी प्राणीयों को स्वस्थ रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए।

शब्द कुंजी – सिंगल यूज प्लास्टिक।

प्रस्तावना – जिस प्लास्टिक को हम केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं उसे सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। इसमें प्लास्टिक की थैलियाँ, ग्लास, कप, पॉलीथिन, पानी की बोतल, शामिल किया गया है।

उद्देश्य – इस शोध पत्र का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के पर्यावरण एवं जीवों पर हानिकारक प्रभावों का अध्ययन करना है।

अध्ययन स्रोत – इस अध्ययन हेतु डाटा स्रोत के रूप में अखबार, पत्र-पत्रिकाओं, इंटरनेट आदि का प्रयोग द्वितीयक डाटा स्रोत के रूप में किया गया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव – चूँकि सिंगल यूज प्लास्टिक सस्ती है इस कारण इसका उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। केवल 9% प्लास्टिक को ही रिसाइकल करके पुनः उपयोग किया जा रहा है, शेष प्लास्टिक महासागरो तथा जल के अन्य स्रोतों में जमा हो रही है। चूँकि प्लास्टिक पानी में नहीं घुल पाता है न ही भूमि में इसका विघटन हो पाता है अतः यह भूमि की उर्वरक क्षमता को नष्ट करता है।

भारत में प्लास्टिक कचरा संशोधन नियम 2021 में सिंगल यूज प्लास्टिक को ऐसी वस्तु बताया गया जिसे नष्ट करने या रिसाइकल करने से पहले एक मकसद से केवल एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता हो। कम्पोस्ट होने वाली प्लास्टिक वह होती है जिनके छोटे-छोटे टुकड़े करके उसे दूसरे प्राकृतिक तत्वों में बदला जा सके।

प्लास्टिक का जीवों पर हानिकारक प्रभाव – प्लास्टिक का प्रयोग जानवर, मनुष्य तथा समुद्री जीवों के लिए बहुत हानिकारक है। जल निकायों के द्वारा यह समुद्र में रहने वाले जंतु अपने भोजन के साथ प्लास्टिक का उपयोग करते हैं यह प्लास्टिक उनकी आंत में फंस जाता है तथा जीवों की गंभीर बीमारी तथा मृत्यु का कारण बनता है।

सिंगल यूज प्लास्टिक का पैमाना – प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक मानने के दो पैमाने बनाये गए हैं पहला उसकी उपयोगिता तथा दूसरा पर्यावरण पर उसके प्रभाव। ऐसा उत्पाद जिसकी उपयोगिता कम तथा पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव अधिक हो ऐसा सिंगल यूज प्लास्टिक माना गया है जिस पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में

छोटे तथा मध्यम श्रेणी के प्लास्टिक उत्पादक तथा कारोबारी इसी प्रकार की प्लास्टिक का उपयोग अपने उत्पादों की बिक्री के लिए करते हैं। कई ऐसे प्लास्टिक उत्पाद हैं जिनके पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के अंक ज्यादा हैं तथा उपयोगिता पर कम परन्तु उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

उत्पाद जो प्रतिबंधित हैं – इसमें मुख्य रूप से 50 माइक्रान से कम पॉलीथिन, गैर बुने झोले और कवर 320 माइक्रान से कम स्ट्रॉ और प्लास्टिक की पतली डंडी, लेमिनेट किए गए कटोरे, छोटे प्लास्टिक कप, डिब्बे जिनका वजन 150 ग्राम और 5 gm से कम है। 100 माइक्रान से कम प्लास्टिक बैनर, डिस्पो जल मबजूत कप, ट्रे, डिब्बे, खाने के सामानों पर चढ़ी फिल्म आदि हैं।

प्लास्टिक के विकल्प :

1. प्लास्टिक की बोतलों के स्थान पर कांच, धातु (तांबा) मिट्टी से बनी बोतल का प्रयोग करें।
2. प्लास्टिक की प्लेट, कप, कटोरे, के स्थान पर पत्तों से बनी प्लेट, कप, कटोरे का प्रयोग करें।
3. प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े तथा जूट के बने कैरी बैग का प्रयोग करें।
4. प्लास्टिक की चम्मच के स्थान पर लकड़ी या स्टील की बनी चम्मच का प्रयोग करें।
5. प्लास्टिक की छुरी के स्थान पर स्टील की छुरी का प्रयोग करें।

B.O.P.P Films - इनमें उच्च पारदर्शिता होती है तथा ये नमी का अच्छा स्रोत भी हैं। इसलिए किसी उत्पाद को कवर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।

भारत में प्लास्टिक पर प्रतिबंध – सन् 2022 तक भारत एक बार उपयोग रहित प्लास्टिक वाला देश बनेगा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश भारत के 18 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने प्लास्टिक के निर्माण पर रोक लगा दी है। यह प्रक्रिया पूरे भारत में लागू हो जाएगी।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है।

प्लास्टिक रिसाइलिंग – प्लास्टिक से निकलने वाले कचरे को रिसाइकिल करके विभिन्न प्रकार की चीजे बनाई जाती है।

1. प्लास्टिक की बाल्टीर, टब ।
2. प्लास्टिक के पाइप ।
3. डेकोरेशन की चीज ।
4. चटाई आदि ।

निष्कर्ष – सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो बहुत सारे रसायनों से

बना है इसलिए इसका प्रयोग प्रकृति तथा पशुओं के लिए घातक है। अतः स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक कारणों को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. समाचार पत्र
2. Internet Self Study Mantra
3. MP Plastic Industries-com

Relevance of Myths

Dr. Rajkumari Sudhir *

*Asst. Professor (English) Govt. Sarojini Naidu Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Myths enhance the power of tradition. They appeal to the emotions of the people. Traditional societies like the one in India use myths and puranas to support an argument, to explain a contemporary situation because the myths exist as something real.

Introduction - The validation of the present takes place through the traditional as we find it in the lives of the deities, mystics, rishis, avatars, saints and godly persons. Myths form part of the tradition and education of the people in the community. Majority of the myths are narrated and handed down by the older people to the younger ones in the community. The process of education goes on.

Myths represent a form of secret discussion. Only those who form part of the culture are able to enter into discussion. The "SthalaPuurana" -the myth and the story peculiar to a particular place is central to the life of the people, living in that locality. This type of localization and democratization excludes all strangers. The "SthalaPurana" becomes the source of identity. It communicates the ever present sense of reality. History and tradition are fused together in the SthalaPurana. Hence to call myths as -"superstition" is ethnocentric.

Influence of Myths: The influence of myths on the lives of the people is wide ranging. This is expressed emphatically by R.K. Narayan in Mr. Sampath: "Our epics undoubtedly are a veritable storehouse of wisdom and spirituality. They contain messages of eternal value and applicable to all times, irrespective of age or sex and so on" (Naryan, Mr. Sampath 134). The myth is used to validate the religious belief.

Repository of Myths: People are the repository of myths. It is referred to in *The Vendor of Sweets* (R.K. Narayan): "do you know that our ancestors never even wrote the epics? They composed the epics and recited them and the great books lived thus from generation to generation, in the breath of the people" (Narayan, *The Vendor* 74). Meenakshi Mukherjee describes the impact of myths and puranas on the people:

Children in India grow up absorbing the legends of the land. The public recitation of tales from the Ramayana pointing out its contemporary relevance is even now a living tradition ... the Indian epics offer a widely accepted basis .

. . for the collective unconscious of the whole nation (Mukharjee 131).

The role of myths and puranas in the lives of the ordinary people could be summarized as follows: the myths and puranas constitute the collective unconsciousness of the people and a form of communication of shared knowledge and tradition; they are the primary instrument and method of interpretation, application and participation in shared knowledge; they are expressions of intuition of a transcendent reality; people draw sustenance and inspiration from them in their day-to-day life; the myths and puranas serve as intellectual stimulants at the folk and popular level; they have a therapeutic value for the rejuvenation of hope.

Western Idea: The Western anthropologists have stressed the vital role of myths in the lives of people:

The English word myth comes from the Greek muthos (word or speech).....A myth is an expression of the sacred in words; it reports realities and events from the origin of the world that remain valid for the basis and purpose of all that is. Consequently, a myth functions as a model for human activity, society, wisdom and knowledge.

Miscea Eliade says, "Myths reveal the structure of reality and the multiple modalities of being in the world"(Eliade 15). Myth is a complex cultural reality, a story or tradition which claims to enshrine a fundamental truth or inner meaning about the world and human life; contrary to popular belief, myths are not childish stories nor mere pre-scientific explanations of the world nor are myths to be equated with falsities or fantasies. Myths are deeply serious insights about reality.

Knowledge of Myths: The use of myths and puranas by the Indian English novelists has been studied by many critics. The chief among them are P. Lal, Samares Sanyal and Meenakshi Mukherjee. P. Lal insists on the importance of the knowledge of myths for the Indian writer in English:

No Indian writer, in English or any of the other Indian

languages, should commit pen to paper until he has spent ten years of his adult life carefully pondering the Indian classics, learning the Indian tradition and absorbing the Indian myth (Lal 5).

SamaresSanyal comments on the necessity enjoined on the English writers to use myths consciously or unconsciously. "The epics and the puranas are among the few common links which constitute an all India frame of reference. Since Anglo-Indian writing has its roots in India, the writers should have been attracted towards this rich material"(Sanyal 162). He analyses the uses of myths in Raja Rao and R.K. Narayan. The discussion tends to be general.

Conclusion: Meenakshi Mukherjee has suggested a frame of analysis in her book *Twice-Born Fiction*. She discusses

"myth as a technique":

There seems to be two distinct ways in which myths have been used in Indo-Anglian novels: as part of digressional techniques of which Raja Rao is the most outstanding exponent and as the structural parallels where a mythical situation underlies the whole or part of a novel(Mukherjee 132).

References:-

1. Aurobindo. *The Upanisheds, Part I*. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1981. Print.
2. Lal, P. "Myth and Indian Writer in English: A Note". *Aspects of Indian Writings in English*. Ed. M.K. Naik, New Delhi: Macmillan, 1979.5.Print.
3. Mukherjee, Meenakshi. *The Twice-Born Fiction*. New Delhi: Arnold Heinemann, 1974. Print.

समावेशी शिक्षा के प्रति विशिष्ट विद्यालयी शिक्षकों एवं समान्य विद्यालयी शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

अरविन्द कुमार *

* शोधार्थी (शिक्षा) राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ (झारखण्ड) भारत

प्रस्तावना – शिक्षा का उद्देश्य मानव को पूर्ण ज्ञान प्रदान कर अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश लोक में व्यवस्थित करना है। प्राचीन समय से लेकर आज तक शिक्षा में लगातार परिवर्तन, अनुसंधान एवं संयोजन होते रहे हैं। जहाँ प्रत्येक दृष्टिकोण से अपना महत्त्व और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करती रही है। प्रत्येक काल में मनुष्य ने शिक्षा के महत्त्व को समझा है तथा उसी अनुभव तात्कालीन उद्देश्यों की पूर्वी हेतु शिक्षा की व्यवस्था की है।

लोकतंत्र की स्थिरता के लिए जनता के साक्षर व शिक्षित होने को परम आवश्यक मानते हुए भारत सरकार ने 6-14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का निर्णय लेकर सार्थक पहल की है। इसके साथ-साथ शिक्षा के अधिकार नियम, कस्तूरबा गाँधी विद्यालय की स्थापना, डबलमस विद्यालय, तथा वंचित एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा तथा अनिवार्य व निः शुल्क शिक्षा के क्रियान्वयन पर बल दिया है। जिससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा महज अब अधिकार नहीं बल्कि यह एक स्वभाविक, राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार है।

जिस प्रकार अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए हमें जमीन को उपजाऊ और उर्वरायुक्त बनाना अति आवश्यक है, उसी प्रकार हमें एक अच्छे संस्कारवान, सम्मुनत, सुसज्जीत, सुशिक्षित समाज के निर्माण के लिए समाज वर्ग के बच्चों को शिक्षित कर समाज के मुख्य धारा से जोड़ना होगा तभी एक सुदृढ़ एवं लोकतांत्रिक समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी कड़ी है जो समाज की एकता, अखण्डता का बनाये रखने में मदद करती है तथा समाज के समान्य वर्ग के बच्चों के साथ-साथ समाज के वंचित एवं उपेक्षित वर्ग के बच्चों को भी शिक्षित करने पर बल देती है। क्योंकि जबतक सभी बच्चों को बिना भेदभाव के उनकी मेधा, अभिरुचि, शारीरिक, आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती तबतक उनकी मानसिक व समाजिक उन्नति संभव नहीं है। वर्तमान समय में सभी वर्ग के बच्चों की जाति, धर्म, आय, लैंगिक, मेधा अभिरुचि शारीरिक व मानसिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करते हुए शिक्षा दिया जाना उचित है। इनके प्रति शिक्षकों के विचार को ध्यान में रखकर शोधकर्ता द्वारा निम्न समस्या पर लघुशोध करने का निर्णय लिया गया।

‘शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं हैं वरन जीवनयापन की प्रक्रिया है।’ – जॉन डी. वी.

शिक्षा व्यक्ति की सम्पूर्णता की परिमाण है। शिक्षा से ही व्यक्ति के चरित्र उत्कृष्ट एवं प्रखर बनाता है तथा व्यक्ति में विभिन्न शक्तियों का विकास

होता है। शिक्षा के माध्यम से ही बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करके उसका सर्वांगीण विकास अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है जिससे बालक समायोजित होकर समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

शिक्षा समाज की आधारशिला है समाज में जिस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होगी उसी प्रकार के समाज का निर्माण होगा। अतः सुदृढ़ एवं लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए समावेशी शिक्षा एक ऐसी कड़ी है जो समाज की एकता, अखण्डता को बनाये रखने में मदद करती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के तहत समाज के सभी वर्गों, जाति, धर्म, आय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करते हुए समाज के सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करती है ताकि समाज के सभी बच्चों का शिक्षा के माध्यम से विकास हो सके।

अतः वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा समाज की उन्नति के लिए एक आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन है।

शिक्षा : ‘जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है।’ – जॉन लॉक

शिक्षा ही गति है

शिक्षा ही विकास है

शिक्षा ही मानव जीवन का स्पंदन है

शिक्षा ही जीवन शक्ति है

शिक्षा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जो क्रमबद्ध चलते रहती है जिसके फलस्वरूप बालक में कल्पना शक्ति, जिज्ञासा एवं संवेगों का विकास होता है बालक के मन में उत्पन्न होने वाली जिज्ञासा को शिक्षा के माध्यम से ही शांत किया जा सकता है। अर्थात् एक ओर शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकाय करके उसे तेजस्वी, बुद्धिमान, चरित्रवान बनाती है तथा दूसरी ओर शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली साधन है।

शिक्षा का शब्दिक अर्थ – शिक्षा शब्द संस्कृत की ‘शिक्ष्’ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ‘सीखना’ या ‘विद्या प्राप्त करना’।

शिक्षा जिसे अंग्रेजी में EDUCATION कहते हैं लैटिन भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है।

एड्यूकेटम (EDUCATEM)



एड्यूसीयर

(EDUCERE)

एड्यूकेयर

(EDUCARE)

जिसका अर्थ है -

एडूकेटम — 'ए' (E) + डूको (Duco)
अंदर से + अग्रसर करना अंदर से विकसित करना।
एडूकेशन — एडूसीयर — बाहर की ओर अग्रसर करना।
एडूकेयर — शिक्षित या प्रशिक्षित करना।

अर्थात् शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ व्यक्ति या बालक के अर्न्तनिहीत शक्तियों का विकास करके व्यवहार द्वारा बाहर या प्रयोग में लाना।

शिक्षा का संकुचित अर्थ

'संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किये गये प्रयासों से है।'

संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है। इसमें शिक्षा देने वाला, शिक्षा प्राप्त करने वाला, शिक्षण सामाग्री, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन, शिक्षण समय आदि सभी कुछ निश्चित होता है। इसके अर्न्तगत सैद्धान्तिक शिक्षा दी जाती है व्यवहारिक या प्रायोगिक शिक्षा पर अधिक बल सम्बन्धित होता है।

शिक्षा का विस्तृत अर्थ - 'अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यन्त चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव उसके ज्ञान भण्डार में वृद्धि करते हैं।' -मैकेन्जी

शिक्षा के विस्तृत अर्थ के अर्न्तगत शिक्षा आजीवन चलनेवाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु प्रयन्त निरन्तर चलते रहती है। इसके अर्न्तगत बालक घर-परिवार, आस-पड़ोस, विद्यालय, समाज व पर्यावरण आदि द्वारा जो कुछ

अभिवृत्ति : अभिवृत्ति शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'एबटस' (ABTUS) शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है 'योग्यता' या 'सुविधा'।

अभिवृत्ति के उस दृष्टिकोण को व्यक्त करती है जिसके कारण व्यक्ति किसी वस्तु, संस्था, स्थिति, या व्यक्ति के प्रति किसी विशेष प्रकार के विचार या व्यवहार को इंगित करता है। अभिवृत्ति का दूसरा नाम मनोवृत्ति भी है, जिसका प्रयोग हम दिन-प्रतिदिन हमेशा करते हैं। साधारण अर्थ में मनोवृत्ति व्यक्ति के मन की एक विशिष्ट दृश्य होती है जिसके द्वारा वह समाज की विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के प्रति अपने विचार या मनोभाव को प्रकट करता है। अर्थात् अभिवृत्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।

अभिवृत्ति की परिभाषा-

'अभिवृत्ति सभी संबंध वस्तुओं एवं परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति पर गतिक प्रभाव डालने वाली मानसिक तत्परता है।'

- आलपोर्ट

'अभिवृत्ति नाडी संबंधी मानसिक तत्परता की अवस्था है जो व्यक्ति से संबंधित सभी वस्तुओं तथा परिस्थितियों के प्रभाव डालती है।'

- ब्रिट

'अभिवृत्तियाँ, मत, रुचियाँ उद्देश्य की थोड़ी बहुत स्थायी प्रवृत्तियाँ हैं जिससे किसी प्रकार के पूर्वाज्ञान की प्रत्युत्तर उचित तत्परता निहित है।'

- वुडवर्थ

'अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित व संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति साकारात्मक या नाकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है।' - रेमर्स रूमेल एवं गेज

'अभिवृत्ति वस्तु के प्रतिपक्ष या विपक्ष के संदर्भ में भाव व्यक्त करती है।'

- थर्स्टन

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता कि अभिवृत्ति वह मानसिक तत्परता है जिसका संगठन या निर्माण अनुभवों के आधार पर होता है और जिसका व्यवहार पर गत्यात्मक और निर्देशात्मक प्रभाव पड़ता है।

अभिवृत्ति का विकास - हमारे अन्दर अभिवृत्तियों का निर्माण नवीन अनुभवों के आधार पर होता है। जब भी हमें किसी नई वस्तु का ज्ञान होता है तो हमारे अंदर उस वस्तु के प्रति एक अनुभव तथा कुछ भाव जागृत होते हैं, जिसे हम अभिवृत्ति के नाम से जानते हैं।

संबंधित शोध अध्ययन - विषय चयन के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि उस विषय से संबंधित अन्य शोध पुस्तकों, संदर्भित पाठ्य सामाग्री तथा अन्य शोधकर्ताओं के विचारों, निष्कर्षों तथा शोध पद्धतियों से परिचय प्राप्त कर लिया जाए ताकि विषय से संबंधित सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाए और वैसे मुद्दों पर ध्यान दे सकें जिनपर दूसरे शोधकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया है।

श्रीमती संग के अनुसार संबंधित शोध अध्ययन का महत्व:

1. अध्ययन विषय के संबंध में एक अंतर्दृष्टि तथा सामान्य ज्ञान प्राप्त करने में।
2. शोधकार्य में उपयोगी सिद्ध होने वाली पद्धतियों के संबंध में।
3. परिकल्पना के निर्माण में।
4. एक ही शोधकार्य को फिर से दोहराने की गलती से बचाने तथा विषय से संबंधित उन पक्षों पर जिन पर दूसरे शोधकर्ताओं का ध्यान नहीं गया उन पक्षों देने में हमें सहायता मिल सकती है।

सामान्यतः शोध विषय से संबंधित अन्य कृतियों तथा विशेषज्ञों वाले शोधकार्य के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है, साथ ही हमें यह भी पता चल जाता है कि आवश्यक तथ्यों एवं सामाग्री का संकलन विश्वसनीय रूप में किन स्रोतों से किया जा सकता है।

संबंधित शोध अध्ययन का तात्पर्य यह है कि अनुसंधान की समस्या से संबंधित उन सभी प्रकार के पुस्तकों, ज्ञान कोषों, आदि से हैं, जिनके अध्ययन से शोधकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा समस्या के एवं अपने कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलता है।

संबंधित शोध अध्ययन के सर्वेक्षण/अध्ययन से लाभ :

1. अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाता है।
2. अब तक पूर्ण हुए कार्यों की सूचना देता है।
3. समस्या के सीमांकन में सहायक होता है।
4. अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है।
5. पूर्व में किये गये कार्य के आँकड़ों वर्तमान अध्ययन में सहायक होते हैं।
6. अनुसंधानकर्ता के समय की बचत कराता है।
7. अध्ययन की विधि में सुधारकर श्रम की बचत कराता है एवं अनुसंधानकर्ता में आत्मविश्वास जागृत करता है।

संबंधित शोध अध्ययन को दो भागों में विभाजित किया गया है-

1. भारतीय पृष्ठभूमि के अंतर्गत संबंधित शोध अध्ययन।
2. विदेश पृष्ठभूमि के अंतर्गत संबंधित शोध अध्ययन।

भारतीय पृष्ठभूमि के अर्न्तगत संबंधित शोध अध्ययन :

चोपड़ा (2008) हरियाणा में समावेशी शिक्षा के संदर्भ में प्राथमिक

विद्यालय के शिक्षकों की अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों पर अध्ययन के लिए 40 प्राथमिक विद्यालयी शिक्षकों का चयन हरियाणा के तीन जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र एवं कर्नाल से करके उन पर शोध अध्ययन कर यह निष्कर्ष पाया कि समावेशी शिक्षा आज का जनादेश एवं समय की माँग है। यह शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दा बन कर सभी संबंधित पक्षों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है साथ ही साथ यह बहुत ही खुशी की बात है कि पुरी दुनियाँ में समावेशी शिक्षा प्रगतिशील रास्ते पर अग्रसर है परन्तु अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है जैसे – समावेश एवं बहिष्करण के बीच की खाई को पाटने में शिक्षक, छात्र, अभिभावक, समाज, प्रशासन एवं सरकार को मिलकर काम करना होगा।

बेलापुरकर एवं पाठक (2010) ने समावेशी शिक्षा के संदर्भ में विद्यालय शिक्षकों के ज्ञान एवं दृष्टिकोण पर एक अध्ययन में यह पाया कि विद्यालयी शिक्षकों का समावेशी शिक्षा के संदर्भ में साकारात्मक दृष्टिकोण है परन्तु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में उनका ज्ञान का स्तर काफी कम है। बात चीत एवं शोध से स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा के प्रयोग में अनेक चुनौती एवं कठिनाईयाँ हैं जैसे – मानव आधारभूत आवश्यकता की कमी, विशेष विद्यालयी शिक्षक एवं सामान्य विद्यालयी शिक्षकों के बीच सहयोग का आभाव एवं सबसे महत्वपूर्ण समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि। अन्त में यह भी स्पष्ट होता है कि विशिष्ट बालकों के लिए एकीकृत या समावेशी शिक्षा के बिना शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है।

भटनागर एवं दास (2013) नई दिल्ली, भारत में समावेशी शिक्षा के प्रति माध्यमिक विद्यालयी शिक्षकों की अभिवृत्ति पर अध्ययन कर यह पाया कि शिक्षकों की अभिवृत्ति साकारात्मक है तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को अपने कक्षाओं से मिलने वाली चुनौतियों का सामना के लिए सही नजरिए, उचित ज्ञान एवं उचित कौशल की आवश्यकता होगी। इसके अलावे शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखना आवश्यक है।

अवल (2013) सिक्किम में समावेशी शिक्षा के प्रति स्कूली शिक्षकों की मनोवृत्ति पर अध्ययन किया तथा पाया कि समावेशी शिक्षा वर्तमान समय की माँग है। हम सभी बच्चों को समान अवसर और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारे सामने समावेशी शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है। समावेशी शिक्षा ही भविष्य में शिक्षा प्रणाली के लिए एक रास्ता के रूप में माना जाएगा क्योंकि समावेशी शिक्षा के प्रति विभिन्न प्रकार के शिक्षकों के दृष्टिकोण की तुलना, अध्ययन का आकलन करने से यह स्पष्ट होता है कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी प्रणाली और RET के कार्यावन्वयन के लिए अन्य हितधारकों जैसे – प्रशासकों और अधिकारियों की मदद करता है इसके अलावा शिक्षक समावेशी शिक्षा के प्रति अपनी दृष्टिकोण को जानने के लिए खुद सिंहावलोकन कर सकता है इसलिए समावेशी शिक्षा हमारे स्कूली शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ सभी संबंधित पक्षों के लिए भी व्यापक निहितार्थ है।

संदर्भित ग्रंथ सूची:-

1. अवल, ए. (2013) समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालयी शिक्षकों की मनोवृत्ति
2. कपिल, के. एच. (2007) अनुसंधान विधियाँ, आगरा, भार्गव बुक हाउस पृष्ठ सं. - :86-99, 434
3. काण्डपाल, के (2012) शिक्षा में समावेशी ! चुनौती एवं समाधान शिक्षा-में समावेशी-1-चुनौती-एवं-समाधान-1-डॉ. केवलानन्द काण्डपाल
4. टोपिंग, के. एवं जिंदल, डी. (2013) .
5. खोजें और जानें (Oct-2013) समावेशी शिक्षा, उदयपुर, त्रैमासिक पत्रिका- अंक-7
6. www.teachersofindia.org/hi/ebok खोजें और जानें अंक 7 समावेशी शिक्षा
7. खोजें और जानें (jan-2014) . समावेशी शिक्षा और समाज, उदयपुर, त्रैमासिक पत्रिका-अंक -8
8. www.teachersofindia.org/hi/ebook
9. खोजें और जानें अंक 8 समावेशी शिक्षा और समाज
10. चोपडा, आर. (2008), समावेशी शिक्षा के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों पर अध्ययन
11. www.leeds.ac.uk/educpl/documents/174842
12. त्मर , टी. (2008). Regular Teachers Attitudes towards inclusion of student with speical with special needs in to ordinary school in tabils.
13. थतवारी, डी. (28feb2014) समावेशी शिक्षा हेतु वृहद सुधार व नवप्रवर्तन
14. समावेशी -शिक्षा -हेतु-वृहद/ त्यागी, जी. डी. एवं नन्द वि.के., (2013), उदीयमान भारत में शिक्षा, आगरा, बुक डीपो. पृष्ठ सं. - :1-9
15. पाठक, पी. डी. (2013-14) शिक्षा मनोवैज्ञानिक : आगरा-2, अग्रवाल पब्लिकेशन, पृष्ठ सं.-: 1-5 फोकोलडे, ओ. ए., अडेनियी, एस. ओ. एवं टेला (2009)
16. Attitude of teacher towards the inclusion of speical needs childreen in special eduction classroom:the case of teachers in some seleted schools in nigeria.jun 2009
17. बेलापुरकर, एम. ए. एवं पाठक, वी .एसं, (2010). समावेशी शिक्षा के संदर्भ में विद्यालयी शिक्षकों के ज्ञान एवं दृष्टिकोण पर एक अध्ययन
18. www.srjis.com/srjisnew/images/de/belapurkar
19. बेरी,जी, बेस्ट, टी. स्टार् जुण्ड, ए. एवं ओवरटन. (2012)
20. सामान्य शिक्षा कक्ष में समावेशन के प्रति शिक्षकों के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति क्या है?
21. www.emurillo.org.classes/class2/documents/Attituded inclusion.doc

मध्यकालीन भारत में बाल शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक अध्ययन

सत्या सिंह *

* शोधछात्रा (शिक्षाशास्त्र) राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ (झारखण्ड) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत आलेख द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है तथा बाल शिक्षा मध्यकालीन भारत में अध्यात्मिक पर आधारित थी तथा इस समय दो संस्थाएँ मकतब तथा मदरसे हुआ करते थे। तथा हिन्दू और मुस्लिम दोनों के लिए शिक्षण पद्धति तथा संस्थाएँ हुआ करते थे। इस समय मुस्लिम शासकों के हाथ आक्रमण होने के बावजूद नालन्दा, विक्रमशील तथा तक्षशीला में आदि प्राचीन उच्च संस्थाएँ को नष्ट कर दिये गए थे तथा अनेक समय तक हिन्दू शिक्षा का केन्द्र उत्तरी भारत में स्थापित नहीं किया जा सका तथा यह कहना गलत नहीं होगा इन सभी विश्वविद्यालयों के नष्ट किये जाने पर प्राचीन हिन्दू शिक्षा समाप्त हो गई थी तथा इसी काल में इस्लामी शिक्षा का विकास तेजी से होने लगा। अतः मध्यकालीन भारत में बाल शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक अध्ययन कर प्रस्तुत करने की प्रयास की गयी है।

शब्द कुंजी – भारतीय शिक्षा, इस्लामी शिक्षा का विकास, शिक्षा संस्थाएँ, पाठ्यक्रम, संस्थाएँ तथा शिक्षा केन्द्र।

प्रस्तावना – भारत अपनी शिक्षा दर्शन के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है। भारतीय संस्कृति में विश्व का हमेशा पथ प्रदर्शन किया और आज भी जीवित है। भारतीय समाज के विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों की परिदृश्य में शिक्षा का स्थान और उसकी भूमिका को भी लगातार विकास की ओर देखने को मिलता है। मध्यकालीन भारत में बौद्धकालीन शिक्षा का प्रादुर्भाव दृष्टिगत होती है तथा बौद्ध काल में स्त्रियों और मुद्रों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया।

मध्यकालीन भारत में बाल शिक्षा हेतु कलकत्ता में 1781 ई० में सर्वप्रथम अरबी एवं फारसी भाषा के लिए मदरसा खोला गया तथा 1791 ई० में डेकन ने एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में की थी। परन्तु यह प्रयास विफल रहा और ईसाई मिशनरियों ने इसकी आलोचना की तथा इसके उपरान्त साहित्य के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। मध्यकालीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित रहा है, जो –

1. मुसलमान धर्म का प्रसार किया गया।
2. प्रत्येक मस्जिद के साथ एव मकतब खोले जाने का निर्णय किया गया।
3. सभी मुसलमान बालकों को कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता था।
4. इस्लाम का प्रचार किया गया।
5. मुस्लिम समाज में जाकर मुस्लिम धर्म की शिक्षा देने का कार्य किया गया।
6. मुसलमानों को धार्मिक तथा अधार्मिक होने का अन्तर समझाने हेतु प्रयास किया गया।
7. इस्लामी राज्यों का कृषिकरण किया गया।
8. नैतिकता का विकास किया गया।
9. मौलवियों को उच्च पदों पर आसीन किया गया।
10. मुसलमानों के बीच शरीयत का प्रसार किया गया।
11. इस्लाम समाज की परम्पराओं का प्रसार किया गया।

12. शिक्षा के से चरित्र का निर्माण किया गया।

अतः इस प्रकार से मध्यकालीन भारत में बाल शिक्षा हेतु अलग-अलग व्यवस्था लड़कों तथा लड़कियों के लिए एक साथ की गई। क्योंकि लड़कियों के लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना नहीं की गई थी।

शोध का उद्देश्य – किसी भी विषय पर अध्ययन करने हेतु एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के शोध के शोध कार्य संभव नहीं है। इसलिए शोध अध्ययन की दशा एवं दिशा तय करने हेतु कुछ उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं जो निम्नलिखित हैं –

1. मध्यकालीन भारत में बाल शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययन करना है।
2. उस काल में शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार रही इसका अध्ययन करना है।
3. मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था से संबंधित पुस्तकें या आलेख का अध्ययन करना है।

विधितंत्र – प्रस्तुत शोध विषय पर अध्ययन करने हेतु विधितंत्र की आवश्यकता होती है तथा बिना विधितंत्र को अपनाये बिना शोध कार्य संभव नहीं है। प्रस्तुत विषय पर अध्ययन करने हेतु द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। जो निम्न बिन्दुओं को देखा जा सकता है। :-

1. शोध विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन किया गया।
2. शोध विषय से संबंधित पुस्तकें का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है।
3. शोध उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राप्त तथ्यों का संकलन कर प्रस्तुत करने का प्रयास की गयी है।

मध्यकालीन भारत में बाल शिक्षा के विकास – मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासकों ने केन्द्रीय या प्रांतीय स्तर पर शिक्षा के किसी विषय की स्थापना नहीं की थी। परन्तु शिक्षा में अभिरूची अवश्य ही ली गई थी। इस काल में धनी व्यक्तियों के हाथ मकतबों और मदरसों की स्थापना की गई

थी। मुस्लिम शिक्षा साधारणतः अल्पसंख्यकों के लिए थी जो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मदरसों एवं मकतबों में दाखिल करा दिया जाता था। तथा मुस्लिम समाज में उस समय बाल शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह की रस्म से ही शुरू होती थी।

मध्यकाल में बाल शिक्षा की शुरुआत की उम्र 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। मौलवी साहब के हाथ बालकों को कुरान पढ़ने की आदत डलवाने के लिए प्रयास किये जाते थे तथा बालकों को कुरान पढ़ना पड़ता था।

उस समय मकतब बालक के लिए प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था तथा तथा मुस्लिम शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा सत्र की अवधि वर्ष में मात्र 5 माह का हुआ करता था। शिक्षा के स्वरूप में एकरूपता नहीं थी। बाल शिक्षा को छोड़कर बालक में इस्लामी संस्कृति एवं शिक्षा का प्रसार करना पड़ता था।

मुस्लिम शिक्षा पद्धति में गुरु और शिष्य का व्यक्तिगत सम्पर्क हुआ करता था। छात्र के साथ ही शिक्षक निवास करता था। मुस्लिम शिक्षा केवल शिक्षा के लिए ही नहीं बल्कि व्यावसायिक जीवन के लिए भी हुआ करती थी जिससे मुस्लिम शिक्षा के व्यावसायिक रूप प्रदान किया गया।

हालांकि, मध्यकालीन भारत में औरंगजेब ने राजकुमारों के लिए शाब्दिक और शास्त्रीय शिक्षा की अपेक्षा भूगोल, इतिहास, राजतंत्र, सैन्य प्रमाणण और समरपवती राज्यों की भाषाओं की शिक्षा को अधिक उपयोगी बताया गया है।

इस क्रम में लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही शिक्षक की स्थिति में परिवर्तन हो गया था। मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में कला नापकीय पद्धति का प्रचलन हुआ करता था।

जहाँ तक बाल शिक्षा का सत्र का प्रश्न उठता है तो इस काम में एक वर्ष में ही सम्पूर्ण सत्र माना जाता है। मकतबों और मदरसों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हुआ करती थी तथा साथ ही साथ मदरसों में निःशुल्क आवास, भोजन और वस्त्रों की सुविधा भी थी। निवास स्थान में कम से कम 300 कमरे हुआ करते थे।

मकतबों का पाठ्यक्रम स्थानों के अनुसार परिवर्तित हुआ करता था यानि विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा का पाठ्यक्रम हुआ करता था। मकतब में शिक्षण का समय दिन में नहीं होता था तथा मौखिक और प्रत्यक्ष होता था।

बालकों के लिए नैतिक-व्यवहार, विनयशीलता तथा आत्मानुशासन

सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होता था। जो छात्र छात्र योग्य, कुशल तथा चरित्रवान हुआ करता था उन्हें पारितोषित देकर प्रोत्साहित किया जाता था।

छात्र जीवन के अनेक नियम हुआ करता था जिसका पालन करना अनिवार्य हुआ करता था, जैसे आदतें, दिनचर्या, खानपान, वेशभूषा, आचार-व्यवहार, शिक्षा की पद्धति, वित्त-व्यवसायी, बाह्य नियंत्रण तथा समावर्तन संस्कार आदि का छात्रों को पालन करना पड़ता था।

अतः अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मध्यकालीन भारत में बाल शिक्षा के प्रति एक ही उद्देश्य हुआ करता था कि हिन्दू संस्कृति तथा बाल शिक्षा नष्ट करके उनके स्थान पर इस्लामी संस्कृति एवं शिक्षा का प्रसार करना था।

निष्कर्ष – मध्यकालीन भारत में काफी हद तक इस्लामी शिक्षा पद्धति विकसित हो चुकी थी। सरकारी तथा गैर सरकारी मकतबों और मदरसों में शायद ही कोई व्यवस्था थी। हमारे देश में मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप समाज में अनेक कुरीतियों फैल गई थी। इस काल में लड़कियों के लिए अलग से पाठ्यक्रम नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियाँ कभी-कभी लड़कों के साथ बैठकर ही पढ़ा करती थी। राजशाही घरानों की लड़कियों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु पण्डित नियुक्त किये जाते थे। दोनों धर्म के यानि हिन्दु और मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति मध्यकाल में नहीं थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ० एस. आर. वर्मा, मध्यकालीन भारत का इतिहास, 1200-1761 ई०।
2. रेवर्टी, तबकाते नासिरी, एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता, 1897, पृ० 552।
3. शैलेन्द्र सेनगर, मध्यकालीन भारत का इतिहास, अटलांटिक पब्लिकेशन।
4. शर्मा. के. आर. 2004, रिसर्च मेथोडोलॉजी नेशनल, पब्लिशिंग हाउस, रायपुर एवं नई दिल्ली।
5. राय पारसनाथ, 2016, अनुसंधान परिचय, ...नारायण अग्रवाल, आगरा।
6. जाफर, एस. एम., एजुकेशन इन मुस्लिम इण्डिया, खुदाबंद स्ट्रीट, पेशावर सिटी, 1936, पृ० 4।
7. आनन्द सुब्रमण्यम शास्त्री, कैसी थी पारंपरिक भारतीय शिक्षा पद्धति।

मानसिक स्वास्थ्य और सोशल मीडिया

राकेश रंजन *

*शोधार्थी (शिक्षा) राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ (झारखण्ड) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य हैं- समाज तथा विद्यालय में समरसता लाना अथवा लाने का प्रयास करना। विद्यालय एवं समाज में बालकों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें हम उनके मानसिक विकास-क्रम को अनदेखा नहीं कर सकते। बालक किस परिवेश में रहता है अथवा उसे कैसा माहौल मिलता है? इसपर उनका मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। एक शिक्षक को बालकों के मानसिक, सांवेगिक, चारित्रिक, सामाजिक नैतिक एवं राजनैतिक चेतनाओं को अच्छी तरह से समझने के पश्चात् ही शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। बालकों में विकास-क्रम के दौरान किशोरावस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो बालक को एक अच्छी नागरिक बनकर देश। राष्ट्र के प्रोन्नति में अपनी सहयोगिता दर्ज करने के लिए तैयार करता है। प्रत्येक बालक एवं शिक्षक का आचरण और व्यवहार उत्तम होना चाहिए, जिससे दूसरे बालक या शिक्षक आपसे प्रेरणा ले सकें।

शब्द कुंजी – समरसता, सर्वांगीण विकास विकास-क्रम, मानसिक स्वास्थ्य आचरण एवं व्यवहार, प्रेरणा।

प्रस्तावना – शिक्षा पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य बालकों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है ताकि वे राष्ट्र-निर्माण में सकारात्मक सहयोग कर सकें। आज भारत की अधिकांश आबादी पर विभिन्न टेलिकॉम कंपनियों का अधिपत्य है। समय के साथ-साथ टेलिकॉम कंपनियाँ अपनी दायित्वारी विभिन्न ऑफर देकर प्रस्तुत करती रहती हैं, जिसमें डेटा प्लान से लेकर मैसेजिंग एवं कॉलिंग की अलग-अलग मूल्यों पर व्यवस्था की जाती है। मित्रों हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, जिसमें अनेक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन देखने को मिलना लाजमी है। मेरे अनुभव में जब मैं माध्यमिक स्तर पर था, उस समय Mobile Phone नहीं था। जगह-जगह पर Telephone Booth हुआ करते थे और लोगों को बात करने के लिए कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करना होता था। बारी आने पर सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही हुआ करती थी एवं एक मिनट के दो रूपये चार्ज किये जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग फालतू बात या समय की बर्बादी नहीं किया करते थे, परंतु आज यह आम बात है कि लोग एक-दूसरे से घंटों काम से भी जुड़े रहते हैं और हो सकता है कि बेकार में भी जुड़े हों। अब तो मोबाइल फोन एवं उसमें बिना डेटा के लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त सा हो गया है। बहुत सारे लोग अपने डेटा का सकारात्मक प्रयोग करते हैं तो बहुत से नकारात्मक प्रयोग भी करते हैं। इसका सीधा असर हमारे समाज एवं आनेवाली पीढ़ी पर पड़ता दिख रहा है। हम डेटा को खपत करने में कई बार ऐसा भी कार्य कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए या हम किसी बुरी लत के शिकार हो जाते हैं, जैसे-घंटों गेम खेलना। कहीं-न-कहीं अत्यधिक गेम खेलने की आदत हमारे शरीर में जहाँ-तहाँ अवरोध पैदा कर सकती है, जिससे इंसान डिप्रेशन का शिकार होकर अपने लक्ष्यों से भटक सकता है। डेटा का उपयोग, सिर्फ गेम खेलने तक ही सीमित नहीं है। लोग सोशल मीडिया जैसे-इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप्प, ट्विटर इत्यादि पर

अपना अत्यधिक समय व्यतीत करने हैं, यहाँ उन्हें तरह-तरह के चित्र चलचित्र (विडियो-विलप), कार्टून एवं देश-विदेश से जुड़े अपने सगे-संबंधियों से चैट करने अथवा अपनी कोई फोटो शेयर करने या अपनी कोई फोटो शेयर करने या अपनी बातों को निडरता से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखने का अवसर तो जरूर मिलता है, लेकिन क्या इसमें उन्हें कभी कोई नकारात्मक अनुभूति होती है भी या नहीं यह विचारणीय है।

मानसिक स्वास्थ्य-व्यक्ति/बालक को समाज में सफल एवं उत्तम व्यवहार कर अपने-आप को प्रतिष्ठित लोग की तरह जीवन-यापन मानसिक रूप से स्वस्थ रहने पर यह मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहने से ही किया जा सकता है।

लोग स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है यह जरूर जानते हैं, लेकिन शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाय? इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। योग-अध्यात्म की आवश्यकता है, ताकि व्यक्ति/बालक अपने शरीर के साथ उसमें रहनेवाले मस्तिष्क को भी स्वस्थ रख सके। अर्थात् अच्छी विचार एवं विचारधारा पैदा हो सके, जिससे समाज में निहित बुराई पर विजय प्राप्त किया जा सके।

सोशल मीडिया का प्रवेश आज बालाक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, जिससे वे समाज में नकारात्मक गतिविधि को और अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। हमें अभिव्यक्ति की आजादी तो संविधान द्वारा प्राप्त है, लेकिन क्या हम उस आजादी का सकारात्मक उपयोग कर रहे हैं? यह विचारणीय है।

हम समाज में या इस धरा पर फैले प्रदूषण जैसे- जल, वायु, मृदा की बात को करते हैं, लेकिन अपने मन के अंदर फैले प्रदूषण को दूर करने की बात कोई नहीं करता। मन के अंदर प्रदूषण कहने का तात्पर्य है-मन का विकार, बुरी आदत, गंदी सोच आदि।

आज सोशल नेटवर्किंग लोगों को जोड़ने एवं दूरियों को मिटाने में

जहाँ सफल साबित हुआ है, वहीं दूसरी ओर वह समाज को दिक्खमित करने का भी काम बखूबी कर रही है। इस संदर्भ में रोज नये-नये और अनोखे हथकंडों का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। 12 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष के बालक बालिका वर्ग पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है; और हो सकता है कि उन्हें अपने ही मुद्दों से भटका दिया जाय।

हमें अपने क्षेत्र से वैसे व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखाना होगा जो हमारे क्षेत्र को बीमार कर रहा है; और ऐसे सख्श को ढूँढ़कर निकालना होगा जो चंद लोगों को हमारे क्षेत्र को गंदा करने के लिए उकसा (Deploy) रहा है। आज जिस तरह युवा वर्ग संगठित हो रहा है हो सकता है कि आनेवाले समय में यह हमारे देश के लिए हितकारी हो या विनाशकारी भी। इन सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ तकनीकी है, जो आनेवाले समय में हमारे लिए और जटिल हो सकती है। इसलिए वर्तमान परिदृश्य में आवश्यकता इस बात की है कि हमें ज्वलंत और आनेवाली तकनीकियों के लिए उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन हम कितना कर पाते हैं? यह सोचने वाली बात है।

सोशल नेटवर्किंग साईट :-सोशल मीडिया पर जब भी हम अपने विचार लिखकर पोस्ट करते हैं या फोटो में पहले से लिखी हुई पोस्ट या उस पोस्ट को कॉपी करके कहीं पेस्ट करके पोस्ट। इसे पोस्ट करनेवाला व्यक्ति ही समझ सकता है, पर आये दिन इतने सारे पोस्ट और उस पोस्ट को समझकर आगे चलने वाली पीढ़ी के लिए कितना कारगर या विनाशकारी सिद्ध हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

वर्तमान पीढ़ी जिस गति से विकास के रास्ते की ओर जाती दिख रही है, वहीं वह विनाश के पथ पर भी अग्रसर दिख रही है। और सोशल मीडिया (Social Networking Site)

इसका प्रमुख घटक माना जा रहा है। Social Networking Site का प्रारंभ से शुरू हुई।

आज Facebook, Whatsapp, twitter जैसे कितने Networking Site है, जिनका प्रयोग सकारात्मकता के साथ भी किया जा रहा है और नकारात्मकता के द्वारा भी किया जाता है। जैसे-किसी वर्ग-समुदाय, समाज, व्यक्ति, देश और दुनिया के लिए फैलाया जा रहा 'जहर'।

इम इसे 'जहर' नहीं भी में पर अपने आप से पूछे कि क्या हम तो कहीं गलती नहीं कर रहे और समाज को गलत रास्ता इख्तियार करने के लिए उड़ड़ा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है आज के राजनीतिक परिवेश में भी ये दिख रहा है।

समयानुसार परिवर्तन तो होता ही है उसी तरह आज है, कल इससे भी अच्छी और बुरी भी साइट आ सकती है, जिसकी कल्पना शायद सबने न किया हो। पर हम इस सत्य को जरूर जानते हैं कि हम जो देखना चाहते हैं वही हमें दिखता है। वर्तमान में युवा जिस प्रकार संगठित हो रहे हैं वह हो सकता है कि आगे समाज के लिए हितकारी भी हो और विनाशकारी भी। और ऐसा इसलिए कि हम अपना कदम आगे बढ़ाकर सोचना शुरू करते हैं पर कभी हम पहले सोचकर कदम आगे बढ़ाने की जहमत उठाते हैं?

इन सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ तकनीकी है-

जिसमें

- शिक्षा तकनीकी (Education Technology)
- अनुसंधान तकनीकी (Re-Search Technology)
- सोशल तकनीकी (Social Technology)

-ज्वलंत एवं आनेवाली Technology के लिए उसकी प्रभावशीलता का हम कितना अध्ययन कर पाते हैं? यह सोचने वाली

निष्कर्ष- अधिकांश लोग दुनिया में होनेवाले परिवर्तन को देख पा रहे हैं, देखना पसंद कर रहे हैं अथवा देखने की कोशिश कर पा रहे हैं। हव नवयुवकों के द्वारा समाज, देश, राष्ट्र और समूचे विश्व में एक बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सार्थक प्रयास बेहद कम देखने को मिल रहा है। हम सभी को गंदगी साफ करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री महोदय का प्रयास सराहनीय है, पर सत्ता के सुख और लोभ के कारण विपक्षी पार्टियाँ एक हो रही हैं। हमें यह प्रयास कभी नहीं छोड़नी चाहिए कि हम वर्तमान परिवेश को ठीक से अध्ययन कर पायें। बिना वर्तमान समय के आपको उस संदर्भ में पता नहीं चल पायेगा कि किसी भी क्षेत्र में क्या-क्या बदलाव हुए। अर्थात् भूत से वर्तमान को जोड़ते हुए भविष्य का सफर।

यह शब्द सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा पर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं? क्या हम पूरी निष्ठा और इमानदारी से अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को निभा रहे हैं? 'एक बने नक बने' का नारा शायद हम सभी बहुत पीछे छोड़ आये हैं। सभी को देख रहा हूँ कि कैसे इस वर्तमान भीड़-भाड़ वाली जिंदगी में लोग भागे चले जा रहे हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं जान जाये तो जाये कोई परवाह नहीं बस मेरी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए। हम सभी नागरिकों का कर्ताव्य होना चाहिए कि सबसे पहले दिमाग में भरी गंदगी को साफ करो। खुद-ब-खुद राष्ट्र और विश्व बंधुत्व की भावना उमड़ पड़ेगी और इस सुंदर धरा पर आनेवाली चुनौतियों से सभी राष्ट्र एवं मंच पर आकर उस समस्या का निवारण। समाधान का सार्थक प्रयास कर पायेंगे।

आज सोशल नेटवर्क दिक्खमित करने का भी एक अच्छा और सफल माध्यम रहा है। इस संदर्भ में रोज एक नये-नये और अनोखे हथकंडों का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किया जा रहा है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। 12-18/19 वर्ष के बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और हो सकता है कि हमें अपने ही मुद्दों से भटका दिया जाय। इस समय के बच्चों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि यह किशोरावस्था है, जहाँ किसी भी लिंग के लिये आँधी और तूफान की अवस्था होती है। अगर इस वर्ग के बच्चों को चीर्लीरींश कर बड़े-से-बड़े अच्छे और बुरे काम को अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, उत्तरकोरिया, अमेरिका, भारत और दुनिया के तमाम देश जहाँ अपने-अपने युवा शक्तियों के आगोश में एक शासन या शासन प्रणाली में एक शासक के रूप में बैठा हो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के उपर निर्भर करता है। हमारे भारत देश में भी यही है यहाँ राष्ट्राध्यक्ष को विशेषाधिकार है। जनता का कार्य होता है, सरकार बनाने में अपनी भूमिका को सकारात्मक तरीके से निभाना। इतना लिखने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से भारत देश में 'न गोली और न बम' का कारोबार बढ़ता जा रहा है वह बाहरी देशों को तो लाभ न चाहते हुए भी पहुँचा दे रहा है लेकिन स्वयं के अलावा अपने राष्ट्र के बारे में नहीं सोचता। हम हिन्दुस्तान की सीमा में चैन की साँस लेकर बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन बाहरी देशों में ऐसा नहीं है। हमें यह स्वयं ही समझना होगा। वास्तव में हम लोग आपस में ही उलझ के रह जा रहे हैं। चोर को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है पर कोई पद उसे पकड़ने नहीं देता। हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएँ आम

होती जा रही है। पर हम क्या करते हैं- कुछ नहीं। कुछ दिन एक जुलूस निकल आता है या उसकी समाधि बना दी जाती है। लाश/जनाजा किसी का भी क्यों न हो हम उसके साथ कुछ दूरी तय जरूरत करते हैं। और अपने ईश्वर, अल्लाह, भगवान अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर उसका क्रिया-कर्म करते हैं और उस समय हम सभी को यह आभास होता है कि सबको एक ही जगह जाना है। कोई स्वर्ग और जन्नत नहीं है, जो है यहीं है। हम इसे किस तरीके से सोचते हैं उस पर निर्भर करता है।

हम सभी इतना समझते हुए भी अगर यह नहीं समझ पा रहे हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य ही होगा।

हमें सजग होना है और बाहरी ताकतों को अंदरूनी ताकत बनाना है। अर्थात् इस धारा की ताकत बनानी है जिससे इस सुंदर धरा की हिफाजत की जाये जिससे हम इसपर आनेवाली चुनौतियों का सामना कर पाने में सक्षम हो पायेंगे।

हमें विश्व-बंधुत्व की भावना का विकास करना होगा एवं किसी दूसरे के कहने या समझाने से नहीं बल्कि खुद की सूझ-बूझ से सकारात्मकता को बढ़ावा देना होगा। हमें सोशल नेटवर्क पर भी सकारात्मक ढंग से Active रहना है। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटिश एनेलाटिका एक कंपनी का जिक्र आया था, जिसमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का बयान आया था कि Facebook Data लीक मुद्दे उभर कर सामने आये। अर्थात् कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना दम-खम दिखाने के अहंकार में इतना चूर हो जाता है कि वो जहाँ की सत्ता का लालच रख रहे हैं कहीं-न-कहीं और कभी-न-कभी ऐसे लोगों को सत्ता का लालच देश को गर्ता में ले जाने का कार्य कर रहा है। हम उपर उठना जरूर चाहते हैं, लेकिन हमें बाहरी शक्तियों द्वारा दबा दिया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

भारत में विधिक सहायता का अधिकार एवं प्रवर्तन – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. लोक नारायण मिश्रा *

* सहायक प्राध्यापक (विधि) शासकीय विधि महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – विधिक सहायता से तात्पर्य आम जन तक विधिक जागरूकता एवं ऐसे व्यक्तियों तक कानूनी सहायता पहुँचाना जो आर्थिक एवं अशिक्षा के कारण अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय तक नहीं पहुँच पाते हैं। भारत में न्यायिक प्रक्रिया महंगी है वकील की फीस, न्याय शुल्क एवं अन्य खर्च व्यक्ति को न्याय प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क में सामान विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रकरणों में विधिक सहायता के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निरूपित किया है। महत्वपूर्ण निर्णय हुसैन आरा खातून वनाम विहार राज्य के प्रकरण में न्यायालय ने निशुल्क विधिक सहायता के अधिकार को मूल अधिकार निरूपित किया है। निशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत वकील की फीस, न्यायालय की शुल्क आदि का प्रबंध राज्य की ओर से किया जाता है। विधि सहायता को लोकव्यापी बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य न्याय की पहुँच जन सामान्य तक सुनिश्चित करना है, प्राधिकरण वर्गीकृत व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। विधिक सहायता विधिक भारत के दृष्टिकोण से एक महत्वकांक्षी योजना है परन्तु आज भी इस योजना के सम्बन्ध में जानकारी का अभाव होने के कारण जरूरत मंद व्यक्तियों तक लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। आवश्यक यह है कि व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर विधिक अधिकारों एवं विधिक सहायता के अधिकार के प्रति जागरूक किया जाये।

शब्द कुंजी – विधिक सहायता, लीगल क्लिनिक, संवैधानिक अधिकार, विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय।

प्रस्तावना – अदालत, न्यायाधिकरण या किसी प्राधिकरण के समक्ष किसी भी न्यायिक कार्यवाही में गरीब व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए विधिक सहायता दी जा सकती है। यह उन गरीब व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए है जो कानून द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों को लागू करने में सक्षम नहीं हैं। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कानूनी सहायता का अर्थ समाज में एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करना है जो न्याय प्रशासन की मशीनरी को आम जनता के लिए सुलभ बनाता है और उन लोगों की पहुँच में है जिन्हें कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रवर्तन के लिए इसका सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि गरीब और अनपढ़ को अदालतों का दरवाजा खटखटाने में सक्षम होना चाहिए और उनकी अज्ञानता और गरीबी अदालतों से न्याय प्राप्त करने में बाधा नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान कानून के शासन को बहुत महत्व देता है। भारत में, इसे संविधान की मूल संरचना और प्राकृतिक न्याय के हिस्से के रूप में माना जाता है। गरीब और कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता कानून के शासन का आवश्यक सहायक माना गया है।

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कानूनी सहायता को ऐसे वाक्यांश के रूप में परिभाषित करती है जो अदालत निर्णयों द्वारा प्राप्त किया जाता है, सीमित साधन वाले व्यक्ति को अनुदान देने का एक विशिष्ट अर्थ यह है कि उनसे मामूली शुल्क, निशुल्क सलाह या वकील की दीवानी और आपराधिक मामलों में अदालत में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य द्वारा नियुक्त किया गया हो। वकील से परामर्श करने या प्रतिनिधित्व करने में असमर्थता

कानून की सुरक्षा से वंचित होने के समान ही होती है। न्याय का पहला सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतंत्र प्रणाली के अनुकूल समान बुनियादी स्वतंत्रता के साथ विधिक संस्थानों तक पहुँच उपलब्ध होना चाहिए। कानूनी सहायता यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई विधि है कि धन की कमी के कारण किसी को भी पेशेवर सलाह और मदद से वंचित नहीं किया जाता सकता है। इस प्रकार, गरीबों को कानूनी सहायता के प्रावधान मानवीय विचारों पर आधारित हैं और इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य गरीबी से पीड़ित लोगों की मदद करना है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

भारत की विषम परिस्थिति यह है कि यहाँ की अधिकांश आबादी आज भी न्यायालय की प्रक्रिया एवं न्यायिक कार्य प्रणाली से परिचित नहीं है तथा लोक आज भी अपने अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय के दरवाजे संकोच करते हैं, परिणामस्वरूप अधिकांश आबादी आज भी सामान्य न्याय से वंचित है। स्वतंत्रता के बाद, बंबई उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति एन एच भगवती और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ट्रेवर हैरिस के तत्वाधान में कानूनी सहायता की योजनाएं विकसित की गईं। कानूनी सहायता कार्यक्रम को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए एक प्रभावी साधन बनाने हेतु सिफारिश करने के लिए कानूनी सहायता का मामला भी विधि आयोग को भेजा गया था। अपनी XIV रिपोर्ट में प्रमुख विधिवेत्ता एम.सी. सीतलवाड़, आयोग का मत था कि मुफ्त कानूनी सहायता एक ऐसी सेवा है जो राज्य द्वारा गरीबों को प्रदान की जानी चाहिए। राज्य को दायित्व स्वीकार करते

समय कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए धान का प्रावधान करना चाहिए।
कानूनी सहायता की अवधारणा— विधायी इतिहास – 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट में सरकारी खर्च पर वकील की नियुक्ति के अधिकार पर जोर दिया गया था। इसके बाद, 1969 में, विधि आयोग ने फिर से दृढ़ता से सिफारिश की कि गंभीर अपराधों के लिए मुकदमे के संबंध में सरकार की कीमत पर अभियुक्त के प्रतिनिधित्व के अधिकार को वैधानिक स्तर पर रखा जाना चाहिए और इस दिशा में पहले कदम के रूप में, आयोग ने प्रस्ताव दिया कि ऐसा अधिकार सत्र न्यायालय के समक्ष सभी परीक्षणों में उपलब्ध होना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 39-ए में निहित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक समान आधार पर कानूनी सहायता कार्यक्रमों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए कानूनी सहायता योजना को लागू करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। उक्त समिति ने एक मॉडल योजना विकसित की जिसे तदनुसार सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया। लेकिन समीक्षा करने पर, कुछ कमियां पाई गईं और कानूनी सहायता कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर वैधानिक कानूनी प्राधिकरणों का गठन करना वांछनीय माना गया।

बड़ी संख्या में मामलों के शीघ्रता से और बिना अधिक लागत के निपटारे के लिए लोक अदालतों का गठन किया गया है और वे अपने निर्णयों के लिए किसी भी वैधानिक समर्थन के बिना एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। वैधानिक कानूनी प्राधिकरणों की संरचना के लिए और लोक अदालतों और उसके पुरस्कारों को वैधानिक समर्थन प्रदान करने के लिए, 24 अगस्त 1987 को लोकसभा में कानूनी सेवा प्राधिकरण विधेयक, 1987 पेश किया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 39-ए में प्रावधान है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाता है। मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने श्री न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती (उस समय के रूप में) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान आधार पर कानूनी सहायता कार्यक्रमों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए CILAS ने पूरे देश में लागू कानूनी सहायता कार्यक्रम के लिए एक मॉडल योजना विकसित की जिसके द्वारा कई कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड स्थापित किए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र सरकार के अनुदान से पूरी तरह से वित्त पोषित।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

हुसैनारा खानून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य – इस मामले ने बिहार राज्य में न्याय वितरण प्रणाली की खराब स्थिति को उजागर किया। ऐसे बहुत से विचाराधीन विचाराधीन कैदी थे जिन्हें जबरन जेलों में डाल दिया गया था और ऐसे आरोपी थे जिन्हें बलपूर्वक दोषी ठहराया गया था और उन्हें इससे भी अधिक सजा दी गई थी, जिसके वे हकदार थे। इन सभी देरी के पीछे एकमात्र कारण दोषी व्यक्ति द्वारा अपने बचाव के लिए एक वकील

को नियुक्त करने में असमर्थता थी। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने कहा कि मुफ्त कानूनी सेवा का अधिकार किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के लिए 'उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण' प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह अनुच्छेद 39 ए द्वारा गारंटीकृत है और अनुच्छेद 21 में निहित है।

हरियाणा राज्य बनाम दर्शन देवी – इस मामले में, माननीय न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने कहा कि कोई भी गरीब न्याय बाजार से वंचित नहीं होना चाहिए क्योंकि अदालत शुल्क और आदेश XXXIII नागरिक प्रक्रिया संहिता के छूट प्रावधानों को लागू करने से इनकार करते हैं, और इसके प्रावधानों को दुर्घटना दावों तक बढ़ा दिया है। न्यायाधिकरण।

खत्री बनाम बिहार राज्य – इस मामले में माननीय न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने सत्र न्यायाधीशों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे अभियुक्तों को मुफ्त कानूनी सहायता के अपने अधिकारों के बारे में सूचित करें और यदि ऐसा कोई व्यक्ति गरीबी या अपच के कारण बचाव के लिए एक वकील को नियुक्त करने में असमर्थ है।

शीला बरसे बनाम भारत संघ – इस मामले में, माननीय न्यायालय द्वारा यह माना गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित त्वरित परीक्षण करना एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।

सुक दास बनाम केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश – यह न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती उन्होंने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में निरक्षर हैं, जिसके कारण उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। इसलिए, लोगों के बीच कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है और यह कानूनी सहायता का एक महत्वपूर्ण घटक भी है।

विधिक प्रावधान

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 304 – इस धारा में कहा गया है कि जब सत्र न्यायालय के समक्ष एक मुकदमे में, अभियुक्त बचाव के लिए वकील को शामिल करने में सक्षम नहीं है और अगर अदालत को लगता है कि आरोपी एक वकील को शामिल करने की स्थिति में नहीं है, तो यह कर्तव्य है न्यायालय द्वारा अभियुक्त के बचाव के लिए एक अधिवक्ता या एक प्लीडर नियुक्त किया जाय और खर्च राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का नियम 9ए – सीपीसी के आदेश XXXIII के इस नियम में कहा गया है कि अदालत के पास एक निर्धन व्यक्ति को प्लीडर नियुक्त करने की शक्ति है और ऐसे व्यक्ति को अदालती शुल्क का भुगतान करने से भी छूट मिलती है।

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 – यह अधिनियम भारत में कानूनी सहायता आंदोलन का एक नया हिस्सा था। अधिनियम में अंतिम संशोधन किए जाने के बाद इसे 1995 में लागू किया गया था। न्यायमूर्ति आर.एन. मिश्रा ने इस अधिनियम को लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 1988 में जस्टिस एसएस आनंद राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने।

अधिनियम के दो उद्देश्य थे: (i) समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी नागरिक किसी भी आर्थिक और अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रहे, और, (ii) लोक अदालतों का आयोजन कर सुनिश्चित करें कि न्याय का समान वितरण हो।

इस अधिनियम की धारा 12 उन लोगों की एक श्रेणी निर्धारित करती

है जो इस अधिनियम के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं। इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर संस्थागत ढांचे का भी उल्लेख किया गया है, जो कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण है।

प्रत्येक व्यक्ति जिसे मामला दर्ज करना या बचाव करना है, इस अधिनियम के तहत कानूनी सेवाओं का हकदार होगा यदि वह व्यक्ति है -
क - अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जाति का सदस्य;

ख - मानव तस्करी का शिकार या संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित भिखारी;

ग - एक महिला या एक बच्चा;

घ - विकलांग व्यक्ति

ड. परिस्थितियों में एक व्यक्ति जो अयोग्य आवश्यकता के लिए होता है जैसे कि सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार होना; या एक औद्योगिक कामगार; या हिरासत में, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा 2 के खंड (जी) के अर्थ के भीतर एक सुरक्षात्मक गृह में हिरासत सहित, या खंड (जे) के अर्थ के भीतर एक किशोर गृह में किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) की धारा 2 के तहत या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (जी) के अर्थ के भीतर एक मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम में; या नौ हजार रुपये से कम वार्षिक आय या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य उच्च राशि की प्राप्ति में, यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य अदालत के समक्ष है, और बारह हजार रुपये से कम या ऐसी अन्य उच्च राशि के रूप में हो सकता है (केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) - नालसा एक शीर्ष निकाय है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश संरक्षक-इन-चीफ और सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। नालसा अधिनियम के तहत कानूनी सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांतों के साथ-साथ प्रभावी आर्थिक योजनाओं को तैयार करता है। यह कानूनी सहायता शिविर भी आयोजित करता है, लोगों को लोक अदालत में विवादों को निपटाने के लिए प्रोत्साहित करता है, कानूनी सेवाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देता है और बढ़ावा देता है, और कानूनी सहायता कार्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन भी करता है। यह कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देता है और विभिन्न लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित करता है और पैरालीगल के प्रशिक्षण को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा, नालसा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों की गतिविधियों की निगरानी करता है और गैर-सरकारी संगठनों को कानूनी सहायता योजनाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण - कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम प्रत्येक राज्य सरकार के लिए एक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण होना अनिवार्य बनाता है जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संरक्षक-इन-चीफ और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जो राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत

किया जाता है। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा निर्धारित नीतियों, नियमों और रणनीतियों को लागू करता है। यह प्राधिकरण सर्वोच्च निकाय है जो राज्य में होने वाली कानूनी सेवाओं की गतिविधियों की निगरानी करता है। यह लोक अदालतों और विभिन्न कानूनी सहायता कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण- कानूनी सेवा अधिनियम प्रत्येक राज्य के लिए संबंधित राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन करना अनिवार्य बनाता है जिसमें एक अध्यक्ष के रूप में जिला न्यायाधीश शामिल होंगे। यह प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कार्यों और नियमों का पालन करता है। और यह तालुका कानूनी सेवा समिति और जिले में घूमने वाली अन्य कानूनी सेवाओं के कृत्यों की निगरानी भी करता है और लोक अदालतों का आयोजन करता है।

तालुक कानूनी सेवा समिति- राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा एक तालुक कानूनी सेवा समिति का गठन किया जाता है जिसमें एक पदेन अध्यक्ष के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी होता है। यह तालुक में होने वाली कानूनी सेवाओं की गतिविधियों का पर्यवेक्षण और समन्वय करता है और लोक अदालत का आयोजन भी करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3ए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता, सहायता और न्याय प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति की स्थापना के बारे में बताती है। यह समिति सर्वोच्च न्यायालय में लोक अदालतों का आयोजन भी करती है और समिति के अधीन सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र भी कार्य करती है। साथ ही, धारा 8ए में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का उल्लेख है।

लोक अदालतें - लोक अदालतें विवाद समाधान का एक वैकल्पिक माध्यम हैं। लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य अदालतों के कार्यभार को कम करना और मामलों का सस्ता त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का अध्याय VI लोक अदालतों की शक्तियों से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताता है। लोक अदालतों के कई लाभ हैं जैसे कि कोई अदालत शुल्क की आवश्यकता नहीं है, यह विवादों को हल करने का एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीका है, मामलों का त्वरित निपटान है, और पक्ष समझौता करने या तदनुसार समझौता करने के लिए स्वतंत्र हैं।

कानूनी सहायता के लिए बाधाएं - इतने सारे वैधानिक प्रावधानों, समितियों और प्राधिकरणों के बावजूद भी, एक रिक्त स्थान है जिसे भरने की आवश्यकता है। आज भी, बहुत से लोग अन्याय के लिए समझौता करते हैं क्योंकि वे अपने बचाव के लिए एक वकील का खर्च नहीं उठा सकते। अदालतों में इतने सारे लंबित मामले क्यों हैं, इसके कई कारण हैं, ऐसे कई लोग हैं जो निर्दोष हैं लेकिन दोषी हैं और अपना बचाव करने में सक्षम नहीं हैं। कानूनी सहायता सेवाओं के कार्यान्वयन के रास्ते में कई चुनौतियाँ और मुद्दे आते हैं

सार्वजनिक कानूनी शिक्षा और कानूनी जागरूकता का अभाव - ये कानूनी सहायता सेवाएं गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए हैं, और प्रमुख मुद्दा यह है कि वे शिक्षित नहीं हैं। उनके पास कानूनी शिक्षा नहीं है, यानी वे अपने मूल अधिकारों और कानूनी अधिकारों से अवगत नहीं हैं। लोग कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में अधिक जागरूक नहीं हैं जिनका वे लाभ उठा सकते हैं। इसलिए, कानूनी सहायता आंदोलन ने लक्ष्य हासिल नहीं किया

है, क्योंकि लोग लोक अदालतों, कानूनी सहायता आदि से ज्यादा परिचित नहीं हैं।

अधिवक्ताओं, वकीलों आदि के समर्थन का अभाव- इन दिनों सभी वकील और अधिवक्ता अपनी सेवाओं के लिए उचित शुल्क चाहते हैं, और उनमें से अधिकांश ऐसी सामाजिक सेवाओं में भाग लेने में रुचि नहीं रखते हैं। बहुत कम वकील हैं जो इन सेवाओं में योगदान करते हैं लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी न्याय के वितरण में बाधा डालती है।

लोक अदालतों को शक्तियों का अभाव- लोक अदालतों के पास दीवानी अदालतों की तुलना में सीमित शक्तियाँ हैं। सबसे पहले, उचित प्रक्रियाओं की कमी। फिर इसमें वे पक्षकारों को कार्यवाही के लिए उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कई बार कोई एक पक्ष सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता और फिर यहां भी निस्तारण में देरी हो जाती है।

पैरा लीगल वालंटियर्स का कम उपयोग- इन पैरा-लीगल वालंटियर्स की मूल भूमिका कानूनी सहायता शिविरों, योजनाओं को बढ़ावा देना और समाज के गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुंचना है। लेकिन इन पैरा लीगल वालंटियर्स के उचित प्रशिक्षण, निगरानी, सत्यापन का अभाव है। और ये स्वयंसेवक भी पूरी आबादी की तुलना में बहुत कम संख्या में हैं।

सुझाव :

1. कानूनी सहायता योजना को जमीनी स्तर पर ले जाना होगा और गरीबों की समस्याओं और कठिनाइयों को खोजने, पहचानने और हल करने में मदद करनी होगी।
2. न केवल प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की बल्कि अदालतों, कानून, शिक्षकों, वरिष्ठ कानून के छात्रों, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, बड़े पैमाने पर जनता की भी भागीदारी की आवश्यकता है।
3. इसमें गैर सरकारी संगठनों की मदद से कानूनी जागरूकता फैलाने और लोगों को उनके मूल अधिकारों के बारे में शिक्षित करने जैसी गतिविधियां भी शामिल होनी चाहिए।
4. उन जगहों पर अधिक अनौपचारिक पैरालीगल सेवाओं को बढ़ावा देना जहां न्याय के अवसरों और बुनियादी ढांचे तक बुनियादी पहुंच नहीं है।
5. कानूनी पेशे के भीतर एक निशुल्क सेवा संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देना।
6. आंदोलन में सुधार के लिए सरकार को कानूनी सहायता के तुलनात्मक मॉडल पेश करें।
7. सरकारों के सहयोग से प्रदर्शन कानूनी सहायता/सार्वजनिक रक्षक कार्यालयों के विकास का समर्थन करें।
8. लोक अदालतों को सही दिशा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे

परामर्श और चर्चा आदि द्वारा विवादों को जल्दी से सुलझाते हैं। इसका आधार पक्षों की आपसी सहमति से त्वरित न्याय प्रदान करना है। उनका उद्देश्य न्यायालयों पर बोझ कम करना है ताकि कानून की देरी की समस्या का समाधान हो सके और लोगों को नियत समय के भीतर न्याय मिल सके। राज्य में इस आंदोलन को अमली जामा पहनाने में लगी सरकार की मशीनरी नीचे से ऊपर की ओर होनी चाहिए।

निष्कर्ष - भारत में एक सफल कानूनी सहायता आंदोलन के लिए, सरकार को जागरूकता फैलाने और लोगों को उनके मूल मौलिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करके उचित कदम उठाने की जरूरत है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य या उद्देश्य 'सभी को समान न्याय' प्रदान करना होना चाहिए। लोगों के बीच जागरूकता और कानूनी शिक्षा की कमी की प्रमुख समस्या या मुद्दे को हल करके कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम को उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता है। यदि लोग शिक्षित और अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं आदि का उचित उपयोग होगा। इन सब के कारण, यह अधिकारों का शोषण और जरूरतमंद लोगों द्वारा अधिकारों से वंचित करता है। कानूनी सहायता सेवाओं का उचित प्रबंधन और निगरानी होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मैथ्यूज एंड आउटटन: लीगल एड एंड एडवाइस, लंदन, बटरवर्थ्स, 1971
2. जॉन रॉल्स: ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड दिल्ली, 2000
4. स्कॉट, सी.एच.: लीगल एड पास्ट एंड प्रेजेंट, ए ब्रीफ ब्लेक पिक्चर, पीपी. 4-5।
5. व्हाट नेव्स्ट इन द लॉ: लॉर्ड डेनिंग, लंदन बटरवर्थ्स, 1982।
6. जनहित याचिका - कानूनी सहायता और लोक अदालत, ममता राव, ईस्टर्न बुक कंपनी।
7. न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर: गरीबों को कानूनी सहायता
8. जनहित याचिका - कानूनी सहायता और लोक अदालत, ममता राव, ईस्टर्न बुक कंपनी।
9. जस्टिस एन.एच. भगवती और जस्टिस ट्रेवर हैरिस ऑफ कलकत्ता लॉ ऐज स्ट्रगल: पब्लिक इंटररेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया, राजीव धवन एड., 36 जीआईएलआई 325 (1994)।
10. रोमा मुखर्जी: वीमेन, लॉ एंड फ्री लीगल एड, 1998 डीप एंड डीप, नई दिल्ली।
11. एआईआर 1951 एससी 217
12. एयर 1951 एससी 411
13. (1978) 4 एससीसी 494

A Study of the Effect of Emotional Maturity and Academic Achievement of Students of Secondary Level

Dr. Sapna Mishra*

*Principal, Maya Devi Institute of advanced education, Dewas (M.P.) INDIA

Abstract - The present study explored the extent to which the Emotional Maturity and Academic Achievement of Students at Secondary Level. The survey research technique was used for the study. In the present study sample of 100 students (80 boys and 80 girls) were taken by using proposanate simple random sampling technique. In this study data collecting tool Emotional maturity scale-by Yeshvir Singh and Mahesh Bhargava and Achievement test questionnaire self made by investigator. Emotional maturity means being able to accept the reality of people and things as it is. Emotional maturity is very important aspect which directly affects the achievement of an adolescent. An emotionally mature adolescent if given more exposure and chance to develop can do better than others. It is the part of the education to provide opportunity to adolescents so that they can fully develop and enhance their capabilities. Adolescents having high. emotional stability also have high educational achievement i.e emotional maturity influences educational achievement of adolescent.

Introduction - Adolescence is the Latin word which means "TO GROW, TO MATURE". It is the most crucial and significant period of an individual's life due to rapid revolutionary changes in the physical, mental, moral, spiritual, sexual and social outlook of an individual. Adolescence is characterized by physical maturation of the brain and body, giving rise to intense psychological and physical changes. One primary class of psychological change typical of adolescent's is an intensification of emotional experience. Emotional maturity is the characteristic of emotional behavior that is generally attained by an adult after the expiry of his adolescence period. After attaining emotional maturity, he is able to demonstrate a well- balanced emotional behavior in his day-to-day life. A person may said to be emotionally matures, if he has in his possession almost all types of emotions, positive or negative and is able to express them at the appropriate time in an appropriate degree. According to Jersild (1963), emotional maturity means the degree to which the person has realized his potential for richness of living and has developed his capacity to enjoy things, to relate himself to others. Emotional maturity is a state of balanced feeling and self-control. Academic achievement is of great importance for students. It is affected by two major factors: subjective factors or individual factors and objective factors or environmental factors. Secondary education is a gateway to the opportunities and benefits of economic and social development. Quality secondary education is indispensable in creating a bright future for

individuals and nations alike. Secondary education marks the first turning point in the academic life of the individual. At this stage the children are equipped with the skills and information necessary to manipulate in the next higher stage of education.

Effect of Emotions on Adolescence:-

1. Emotions provide energy to an adolescent to face a particular situation.
2. Emotions influence their adjustment in the society.
3. Highly emotional condition disturbs the mental equilibrium of an individual.
4. Highly emotional condition disturbs the reasoning and thinking of an individual.

Traditionally it is believed that adolescence is a period of heightened emotion, tension resulting from glandular and other changes. Generally they are often seen being inclined to worries. When treated "like a child" or treated unfairly the adolescent are likely to get angry.

They express their anger by being sulky, refusing to speak or loudly criticising those who anger them.

Objectives:

1. To know the emotional maturity and educational achievement of adolescent.
2. To find out the impact of emotional maturity on the educational achievement of boys studying in higher secondary school.
3. To find out the impact of emotional maturity on the educational achievement of girls studying in higher

secondary school.

- To compare the impact of emotional maturity on the educational achievement of boys and girls studying in higher secondary school.

Hypotheses:

- There will be no significant correlation between emotional maturity and educational achievement of adolescent boys studying in higher secondary school.
- There will be no significant correlation between emotional maturity and educational achievement of adolescent girls studying in higher secondary school.
- There will be significant difference in the impact of emotional maturity on educational achievement of adolescent boys and girls studying in higher secondary school.

Methodology – Methodology makes the most important contribution towards the environment of any study. Research Method used in this study is normative survey method. Higher Secondary level (class -11) students. Random sampling method are used.

S.	Name of school	Boys	Girls	Total
1	St.mary senior secondary school	40	40	80
2	Lokmanya tilak H.S. school	40	40	80
	total	80	80	160

Tools - Following tools we are used in study:

- Emotional maturity scale-by Yeshvir Singh and Mahesh Bhargava
- Achievement test questionnaire (Self made)

Variables:

- Independent variable- Emotional maturity
- Dependent variable – Educational achievement
- Associate variable – Gender, Age, Class XI

Analysis and Interpretation

Hypothesis – 01: “There will be no significant correlation between emotional maturity and educational achievement of adolescent boys studying in higher secondary school.”

S.	Sample of Boys (80)	Mean	SD	Correlation	Result
1	Educational achievement	54.24	8.54	0.74	Positive Correlation
2	Educational maturity	72.49	8.79		

Interpretation:- As we know that value between + .75 to 1 have higher degree of correlation. Here from the table it is clear that the correlation value of emotional maturity and educational achievement of boys is 0.74 which is not between + .75 to + 1 so, hypothesis - 01 is selected. There is a positive correlation between emotional maturity and educational achievements of adolescent boys. Those boys who are emotionally mature show better educational achievement than those who are emotionally less stable.

Hypothesis – 02: “There will be no significant correlation between emotional maturity and educational achievement

of adolescent girls studying in higher secondary school.”

S.	Sample of Girls (80)	Mean	SD	Correlation	Result
1	Educational Achievement	57.99	7.78	0.79	Positive Correlation
2	Educational maturity	72.6	6.94		

Interpretation - The correlation obtained between emotional maturity and educational achievement is 0.79 that is higher degree of correlation thus, hypothesis – 02 is rejected.

According to the data there is a significant correlation between emotional maturity and educational achievement of adolescent girls. Those girls who live in traditional families are less emotionally mature due to which their education performance is also less than emotionally mature girls. According to the research done by Ritu (1989), Emotional maturity of Adolescent girls is found more in those belonging to traditional families where they are generally treated as a child always.

Hypothesis - 03: “There will be significant difference in the impact of emotional maturity on educational achievement of adolescent boys and girls studying in higher secondary school.”

Sample	N	SD	Df	Table of t value	t value	Significance
Boys	80	7.22	158	1.98 & 2.61 at 0.01 & 0.05 level	2.90	Significant difference
Girls	80	9.76				

The calculated t value is greater than the table value. Therefore there is a significant difference in the impact of emotional maturity on educational achievement of adolescent boys and girls. The impact of emotional maturity on educational achievement of girls is more than impact on boys. An emotionally mature adolescent can cope with the environment better than others and can show better performance in his/her academic activities.

Findings:

- Those boys who are emotionally mature show better educational achievement than those who are emotionally less stable.
- Adolescents having high emotional stability also have high educational achievement.
- Those girls who are emotionally mature show better educational achievement than those who are emotionally less stable.
- Educational achievement of emotionally mature adolescents is more than those who are less emotionally mature.
- Educational achievement of girls is more than the educational achievement of boys.

References: -

- Agarwal, M. (1991). Frustration, Sex and Socio Economic-Status as correlates of Emotional

- Competence.(Master thesis), Agra University, Agra
2. Aggarwal, J.C. (1997). Development and Planning of modern education, Delhi: Vikas Publishing House.
3. Anshu (1989): Study on level of aspirations, achievement, motivation and adjustment of adolescents' effect of family climate.
- 4 . Best, John W & Kahn James, V. (2006).Research in Education, New Delhi: Prentice Hall of India.
5. Moorjani, J.D. (2002) : Relation between the emotional intelligence of adolescent girls' personality type.
6. Rawal, V.R. (1988) : Study on academic achievement and attitude towards authority of emotionally disturbed adolescent in relation to their home and school environment.

Significance and Analytical Facts of Insurance, Banking, and Financial Services Industry

Dr. Preeti Anand Udaipure*

*Assistant Professor (Commerce) Govt. Narmada College, Hoshangabad (M.P.) INDIA

Abstract - The banking, financial services, and insurance industry is referred to as BFSI. Indian economy's banking, insurance and non-banking financial institutions make up a significant portion of this multi-billion dollar sector. The latter are known as NBFCs. Broking and Asset Management are two of the most common examples of BFSI companies. When it comes to the BFSI industry, India has all the right ingredients for rapid growth. The BFSI industry's recent growth can be attributed to a number of interconnected factors, including government policy, public and private participation, robust regulation, and technological advancement. When the economy is on the upswing, more money is invested in the financial sector. When the economy is doing better, more capital projects and personal investments are likely to be undertaken.

Keywords- BSFI, Financial Services, Insurance industry, Banking.

Introduction - BSFI (Banking, Financial Services and Insurance industry) - It is known as the "BFSI Sector" because it includes the banking, financial, and insurance industries. The banking, insurance, and non-banking financial institutions that make up this sector account for a significant portion of the Indian economy. The NBFCs (or non-banking financial institutions) are an acronym for non-banking financial institutions. Firms such as broking and asset management are included in the BFSI industry umbrella term. In the business world, BSFI refers to companies that offer a wide range of goods and services. Core banking, retail, private, corporate, investment, and card services all fall under the umbrella of banking.

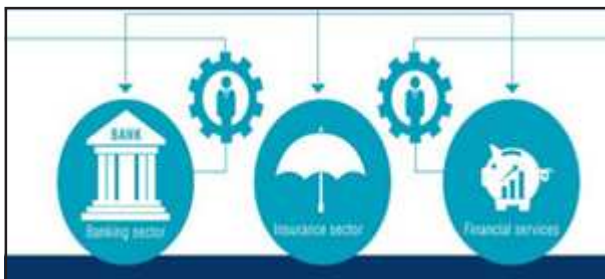


Figure .1: Banking, financial services and Insurance sector in India

Banking- The Reserve Bank of India, India's central bank, has regulatory authority over the country's banking sector (RBI). It enables the flow of currency to be reduced or increased in order to contain inflation. Banks are classified into three types: State Bank of India, Bank of Baroda, and

other Indian banks are examples of public sector banks. Banks with a majority of their stock or equity held by private shareholders. India's economy currently has 22 private sector banks. Examples include HDFC Bank, ICICI Bank, and Kotak Mahindra Bank. 3. International Banks - These banks are headquartered in countries other than their countries of origin. The host countries benefit from foreign banks in two ways: they expedite international transactions and expand employment opportunities in the banking sector. India currently has 45 foreign banks. Citibank, Standard Chartered Bank, and HSBC are all examples.

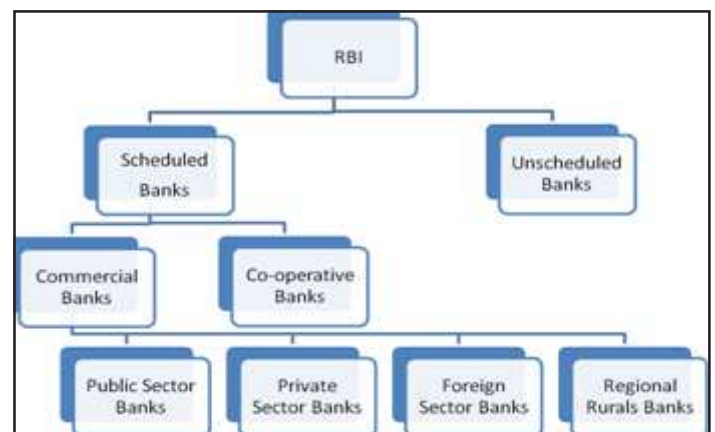


Figure.2. Structure of the Banking Industry in India
Despite the fact that RRB's primary goal is to help rural areas, this should not be confused with a statutory prohibition on growth. Branch locations may or may not be available for RRBs in urban districts. One of the best

examples of regional rural banks is Vikas Gramin Bank. In order to promote social welfare, cooperative banks focus their programmes on underprivileged or underserved segments of society. They operate on a no-profit/no-loss basis and are further classified as State Co-operative Banks, Primary Credit Societies, and Urban Co-operative Banks (UCB). A specialised bank is one that focuses exclusively on a single industry. One, two, and three For example, SIDBI, which lends money to small-scale businesses, and NABARD, which lends money to farmers, are two financial institutions that lend money to the country's agriculture sector. This type of financial institution is also known as a development finance company or an institution that lends money to the developing world. They help fund economic development projects with financial aid. The Industrial Finance Corporation of India (IFCI) and the State Finance Corporations are two examples of development banks in India (SFC). Small Finance Bank (SFB) is a bank that focuses on lending to underserved segments of the economy, such as microbusinesses, the unorganised sector, and small-scale farmers. Payments Bank is responsible for the issuance of debit/ATM cards, current/savings accounts, as well as the provision of mobile banking and financial services to its customers. Payments banks such as Paytm Payments Bank, Jio Payments Bank, and Airtel Payments Bank are a few examples. The BFSI industry's banking sector is one of its most important components. It's fair to say that the following structure constitutes an industry unto itself:

Ø **Central Bank** - Any national economy's highest-ranking bank has regulatory authority over the domestic (country-specific) banking industry, which this bank does. In order to keep inflation under control, it authorises the movement of currency. A country's paper currency can only be printed by its Central Bank. Reserve Bank of India (RBI) in India is the country's designated central bank.

Ø **Scheduled Commercial Banks**- They are further divided into three groups:

- **Public Sector Banks (PSB)**- In this context, it refers to those banks in which the government holds at least a 50% stake and whose shares are traded on the stock market. Efforts to reduce the number of active public sector banks will begin on April 1, 2020. This is the result of the consolidation of a number of previously independent PSBs into a single, larger institution. The merger of Vijaya Bank and Dena Bank into the Bank of Baroda is an example of this. Examples include the State Bank of India, the Bank of Baroda, and the Bank of India.

Ø **Private Sector Banks**- This refers to the banks where the majority of their equity is held by private investors. As of this writing, there are 22 active Private Sector Banks in the Indian economy. You can think about the likes of Axis and HDFC as well as ICICI and Axis.

Ø **Foreign Banks**- Any bank with its headquarters outside of India is included in this category. In this case, India benefits

from the increased employment opportunities in the banking sector as well as the increased speed of international transactions made possible by foreign banks. There are currently 45 foreign banks operating in India. A few examples include Citibank and the Standard and Poor's bank.

Ø **Regional Rural Banks (RRB)**- The government of India has scheduled the incorporation of these banks, effectively making them government banks. This is not to be confused with a statutory restriction on expansion. Urban district centre may or may not have a branch, depending on the RRB. The Karnataka Vikas Grain Bank is one such.

Ø **Cooperative Banks**- Because they want to promote social welfare, these programmes are geared toward those in society who are underprivileged or underserved financially. Capital that is brought in by businesses of any kind is used to lend money to working-class people, such as farmers. Organizations that do not make a profit or lose money are further classified into the following categories: It is the largest division of the Central Cooperative Bank that operates at the state level, the State Cooperative Banks (SCBs). Loans, social capital, or Reserve Bank of India overdrafts are their primary sources of funding.

1. A lender that can make loans on a smaller, regional scale, such as in a village, is known as the Primary Credit Society (PCS).
2. In India, District Central Co-operative Banks operate at the district level (DCCB) are established to serve the needs of local communities. Offering banking services to farmers, they act as a go-between for SCBs and PCSs.
3. They primarily serve small businesses and have branches in India's urban and semi-urban centres, such as Mumbai, Delhi, and Bangalore.

Specialized Bank- They only offer banking services to a specific industry. One, two, and three

1. Indian export and import businesses benefit from the assistance provided by the Export-Import Bank of India.
2. The Small Industries Development Bank of India offers low-interest loans to small-scale businesses in India (SIDBI).
3. The National Bank of Agriculture and Rural Development in India provides financial assistance to the agricultural industry (NABARD).

Development Banks- A development finance institution (DFI) or a development finance corporation (DFC) are two types of DFIs are other names for these organisations. They help fund economic development projects with financial aid. In order to promote social development, these banks are set up by the government or by charitable organisations, and their goal is not to make money but to help those in need. In India, the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) and State Finance Corporations are two examples of such institutions (SFC).

Ø **Small Finance Bank (SFB)** - Micro industries, unorganised sectors, marginal farmers, and other

underserved groups are the focus of these banks.

Ø **Payments Bank-** Payments Bank only accepts limited Except for loans and credit cards, consumers can deposit up to INR 1,000,000. Their service portfolio includes debit/ATM cards, current/savings accounts, and mobile banking/financial services for customers. Just a few examples include Paytm Payments Bank, Jio Payments Bank, and Airtel Payments Bank.

Ø **Non-Banking Financial Institutions (NBFCs)-** Non-banking financial institutions (NBFCs) are financial institutions that provide a wide variety of banking services but do not hold a banking licence. Traditionally, NBFCs are prohibited from accepting public demand deposits or any other form of money held in a savings account. They can help with loans, credit, underwriting, retirement plans, and merger proposals, to name a few.

Scheduled Commercial Banks account for 76.1 percent of the banking system, according to government-funded research, followed by NBFCs (15.4 percent), Cooperative Banks (6.8%), and Regional Rural Banks (1.7 percent). The Indian banking industry has come a long way in the last three decades to become the global financial powerhouse it is today. Forward-looking measures to revive the economy were introduced between 1991 and 1997, when new private sector banks entered an otherwise dormant industry.

Rising Trends in the Banking Industry - According to the previous section, technology has played a significant role in advancing banking's impact on the Indian population. There are many other factors that have contributed to the industry's current shape and size, including a growing focus on customers' needs and a growing focus on the banks' needs. As a result, there is more competition and a wider range of choices for consumers. Mobile-friendly services have been made possible by the use of Point of Sale (PoS) terminals and other digital channels. According to one estimate, 87% of all transactions will be completed through these types of channels by the year 2020. Government regulations are encouraging industry innovation, which can be seen in these trends:

- **Digitization & Digitalization-** When internet banking, Real Time Gross Settlement (RTGS), NEFT and Immediate Payment Service (IMPS) were introduced, the cost of operations dropped significantly. They help front-line workers make fewer mistakes and thus increase bank profit margins.

- **Online Mobile Banking-** Mobile banking apps have revolutionized the way people bank, reducing their reliance on traditional brick-and-mortar locations. Currently, anyone with a Smartphone and an internet connection can monitor their account balance, transfer funds, and make payments without having to visit a branch. The Internet of Things (IoT) and voice-enabled banking functions will be commonplace in the near future, making banking simple. Voice-activated devices, such as televisions, cars, and other household appliances, have already made their way into our homes.

- **Unified Payment Interface (UPI)-** When it comes to modern conveniences, a Unified Payment Interface (UPI) app is one that allows you to send money from one bank to another with just a few taps on your smartphone. The Reserve Bank of India exercised overall control over the National Payments Corporation of India during the development of this system. For inter-bank payment systems, there is no better option. The service, which debuted in 2016, is open 365 days a year, 24 hours a day. As of this writing, more than 50 banks are on board with UPI-based fund transfers.

- **Block Chain-** Using this unchangeable technology, it's been possible to demonstrate the extent to which records can be secured and data histories preserved. NITI Aayog has been given the task of implementing the Indian Chain project, which aims to speed up transactions and reduce the risk of fraud, from the ground up.

- **Digital-Only Banks-** To put it another way, payment banks. The Reserve Bank of India has launched a new banking category. Payment banks have the legal authority to provide the bulk of the services provided by traditional banks, with the exception of loan and credit card issuance. The payments bank allows each retail customer to deposit up to Rs. 100,000. The RBI has granted licences to eleven businesses to function as payments banks. At the time of writing, 6 of these 11 are still operational.

Insurance - Life insurance and non-life insurance make up the bulk of the Indian insurance market. Insurance that does not cover life risks is referred to as "General Insurance" in the industry. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) governs both life and non-life insurance (IRDAI). As the governing body for all of India's insurance consumer rights, IRDAI is tasked with enforcing regulations and keeping tabs on the industry as a whole. As a result, IRDAI laws and regulations must be followed by all insurance businesses. There are 57 insurance companies in India, 24 of which provide life insurance and 33 of which provide non-life insurance. In India's insurance industry, there are seven government-owned firms. Individuals' lives are protected by life insurance companies. Coverage options include travel, health, vehicle and bike insurance as well as homeowners' coverage. In India, non-life insurance businesses offer coverage for industry, crop insurance for farmers, gadget insurance for mobile phones, and pet insurance via general insurance companies.



Figure.3. Structure of Insurance sector in India

Financial Services Industry- Services to the Financial Sector (Non-Banking Financial Companies) Financial services and banking facilities are provided by non-banking financial companies¹¹ (NBFCs), which are established to meet the legal definition of a bank. NBFCs, which are regulated by the RBI, provide banking services such as loans, credit facilities, TFCs, retirement planning, investment, and money market stocking. They are unable to accept deposits from the general public, though. NBFCs, for example, play an important part in the economy by providing services in both urban and rural areas. Various financial services such as chit-reserves and advances are available, are offered by NBFCs. As a result, the GDP (Gross Domestic Product) of our country has increased by 12.5 percent thanks to NBFCs alone. It is common for people to prefer NBFCs over banks because of their perceived safety and security as well as their ability to meet a variety of financial needs. The number of non-bank financial institutions (NBFCs) in our country is enormous. Top 10 NBFCs in India include Power Finance Corporation Limited, Shriram Transport Finance Company Limited, Bajaj Finance Limited, Mahindra & Mahindra Financial Services Limited, Muthoor Finance Ltd, HDB Finance Services, Cholamandalam Investment and Finance Company Limited, Tata Capital Financial Services Ltd, L & T Financial Services Ltd, and Aditya Birla Finance Limited are some of the companies that are part of the Aditya Birla Finance Limited group.

Figure.4 and 5 (see in last page)

The global financial services market provides services that facilitate the movement of money. Securities firms, banks, stock brokers, and insurance companies are all examples of financial service providers. Credit unions, savings and loan associations, and commercial banks are examples of depository institutions, make up the largest segment of the market.

In recent years, the banking industry has grown to include services Stock brokerage, investment management, insurance, and the selling of annuities and life insurance are only some of the services available. Because of this, banks are able to provide a wider range of financial services to customers while also remaining competitive.

Definition and History- Among the many economic services provided by financial services are insurance, banking, accounting, and asset management, to name just a few. Industry has been shaped as a business area in recent decades, but some parts of it date back to Nicholas Barbon's official establishment of insurance in 1680. Throughout the ages, financial services have evolved and have been adopted by institutions. Many depressions occurred in the sector, but one in the nineteenth century with a quintile bankruptcies ratio played a significant role in warning legislators. After the Great Depression of 1929, people's lives take a turn for the worse. "Financial Services

Modernization Act of 1999" states that the Banking Act of 1933 (Glass-Steagall) established rules for the separation of various financial sector sectors (Mahon, 1999). Due to these restrictions placed on financial institutions, the economy has steadily improved over time. Services underwent a major overhaul at the end of the nineteenth century. The majority of banks have been restructured or merged, for instance. A new law is required to respond to financial market changes. By allowing banks to underwrite securities and to underwrite insurance policies, the Gramm-Leach-Bliley (GLB) Act has accelerated this transformation trend, according to a report in the Economic Policy Review by Lown, Osler, Strahan and Sufi. In the year 2000, page 1 was published. The financial markets were free after the passage of this law, which nullified some restrictions. Banking industry consolidation lasted for a long period. In 1984, there were more than 14,000 commercial banks, but by 1999, there were fewer than 9,000 and the average bank size had increased. Finally, the modernization of the financial services industry was completed after yet another regulation.

Significances of financial service:

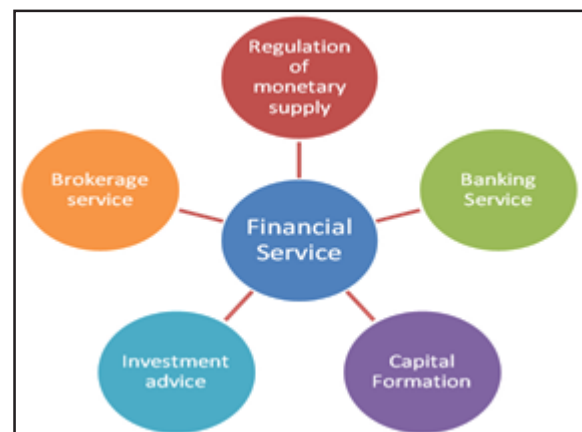


Figure.6: Significance of Financial Service

- 1. Regulation of monetary supply:** To maintain stability and prevent inflation, financial institutions such as the Central Bank help regulate the money supply in the economy. The Central Bank, for example, regulates liquidity in the economy through changing the repo rate, cash reserve ratio, and open market operations, which include buying and selling government assets.
- 2. Banking service:** Savings and deposit services are provided by financial institutions such as commercial banks to their consumers. Customers can also take advantage of credit services such as overdrafts to meet their short-term financial needs. Commercial banks offer a variety of loans to its customers, including personal loans, student loans, mortgages, and house loans.
- 3. Capital Formation:** Financial institutions aid capital formation, or the expansion of capital stock such as plant, machinery, tools and equipment, buildings, transportation, and communication. Furthermore, they use a variety of

monetary services to channel idle savings from individuals in the economy to investors.

4. Investment advice: Individuals and corporations have a variety of investment alternatives at their disposal. However, in today's fast-changing environment, selecting the best solution is difficult. Almost every financial organisation (banking or non-banking) has an investment advising desk that assists consumers, investors, and businesses in choosing the best investment option in the market based on their risk appetite and other considerations.

5. Brokerage service: These organisations give its investors access to a variety of investment possibilities, ranging from stock bonds (a common investment option) to hedge funds and private equity investments (lesser-known alternative).

Functions of Financial service

Functions of Financial service	
Enables payment system	Financial services are essential for the smooth flow of funds between people. It makes it feasible for consumers to pay their bills without difficulty. Financial technologies that make transactions easier include credit cards, debit cards, bills of exchange, and checks.
Proper Utilization of Funds	These intangible services contribute in the more efficient use of funds. In order to earn money, people use financial services to invest their ideal lying resources into better investing options.
Maintain Liquidity	Financial services contribute to an economy's ability to keep its finances in good shape. It connects those in need of money with those who can help because they have enough money saved up. Customers can easily get needed funds through a variety of services, such as loans and credit cards.
Raises Standard of living	These services play a vital role in improving people's living conditions. When customers use these services, they can simply purchase pricey items through the hire purchase approach. The benefits of high-quality and expensive items can be reaped by individuals.
Promote trade	Financial services facilitate domestic and international trade in a country. Factoring and forfaiting companies in the financial industry promote both the export of goods to worldwide markets and the domestic sale of items. Furthermore, the country's commercial activities are supported by insurance and banking institutions.
Improve Employment Opportunities	The generation of work opportunities is another important role of financial services. Various financial institutions employ a large number of people to sell these services. They pay their employees from the income generated by the sale of these financial services.

Opportunities and Challenges:

1. The BFSI industry is expected to grow significantly in the next few years as India's economy expands and the public becomes more aware of these financial

products and services.

2. Opportunities for niche development will be enormous as new and wider products are introduced.
3. IT has become an integral part of business strategy, and RSM is well-positioned to provide a wide range of services on such platforms.
4. Constant monitoring by regulators is required, as are risk mitigation measures, including "Risk Based Audits" (RBA), as described by:
 - a) In its RBA instructions to banks, the Reserve Bank of India
 - b) To the insurance business, the Insurance Regulatory Authority of India (IRDA)
 - c) SEBI (Securities Exchange Board of India), which regulates the mutual fund business in India.

Conclusion - A company's financial well-being is dependent on the banking industry. There has been a dramatic shift in financial markets, and the banking sector is part of it. The banking industry has a sophisticated accounting system that includes a system of classified banks. In the 18th century, banking began to take shape. After The Bank of Hindustan, the majority of the banks were established. Banks were taken over by the government in 1969 and 1980 as a result of the bad practises of the previous generation of banks. After that, banks introduced new products and services to meet the changing demands of their customers. As the Indian economy has expanded, technology has played an important role in meeting those demands. Banks are heavily investing in the IT sector in order to boost their efficiency. This paper focuses primarily on recent banking industry developments. Banks are expected to grow at a phenomenal rate in the future. Banks are able to improve their risk management systems, implement internationally recognised accounting practises, and increase disclosure and transparency thanks to the innovation and IT system they use. The system has been strengthened through a series of reforms. It is expected that the Indian economy will grow at a rate of between 5 and 6 percent through the banking sector. There are strategies that can help Indian banks become more powerful and larger so that they can expand into new markets around the world, such as the global consumer market.

References:-

1. Levesque, T. and Mcdougall, 1996. "Determinants of customer satisfaction in retail banking" International journal of Bank Marketing pp 12-20
2. Uppal, R.K. 2007. 'Banking services and IT' New century publications, New Delhi
3. Niti Bhasin, 2007. "Banking development in India 1947 to 2007", Century publication, Delhi 110005
4. Goyal, K.A. and Joshi, V. 2011. "Mergers in banking industry of India: some emerging issues", Asian journal of Business and Management Sciences pp157-165
5. www.indiatoday.com
6. www.wikipedia.com

7. www.moneyindia.com
8. Deolalkar G.H. "The Indian Banking Sector on the Road to Progress"
9. Indian Banking 2010 Special issue 2004, vol. 26 No I, IBA bulletin, IBA Mumbai.
10. Indian banks: performance benchmarking report FY12 results kpmg.com/in.
11. Reddy, Y.V. (1998) "Financial Sector Reforms: http://www.mbaknol.com/business-finance/recent-trends-in-indian-banking-sector/"
12. Zhao, T, Casu, B. and Ferrari, A. 2008. "Deregulation and Productivity Growth: A study of the Indian commercial banking industry", International journal of Business Performance Management pp318-343
13. Gregory Mankiw, 2010, Principles of Economics, (pages, 619-620)
14. Joe Mahon, 1999, Financial Services Modernization Act of 1999, (pg. 1)
15. Lown, Osler, Strahan and Sufi, 2000, Economic Policy Review, (pg. 39)
16. Christopher N. Sutton and Beth Jenkins, n.d., The Role of the Financial Services Sector in
17. Expanding Economic Opportunity, (pg. 6)
18. IMF World Economic Outlook, 2015
19. Kiendel Burritt, UNCDF, Microfinance in Turkey, 2003 (pg.20)
20. Deloitte Report, Financial Services Sector in Turkey, 2014, (pg. 77)
21. Middle Anatolia Development Agency, 2013, (pg.2)
22. Deloitte M&A Report, 2013
23. Vustlat Us, Banking Sector Performance in Turkey before and after the Global Crisis, 2015, (pg.46)

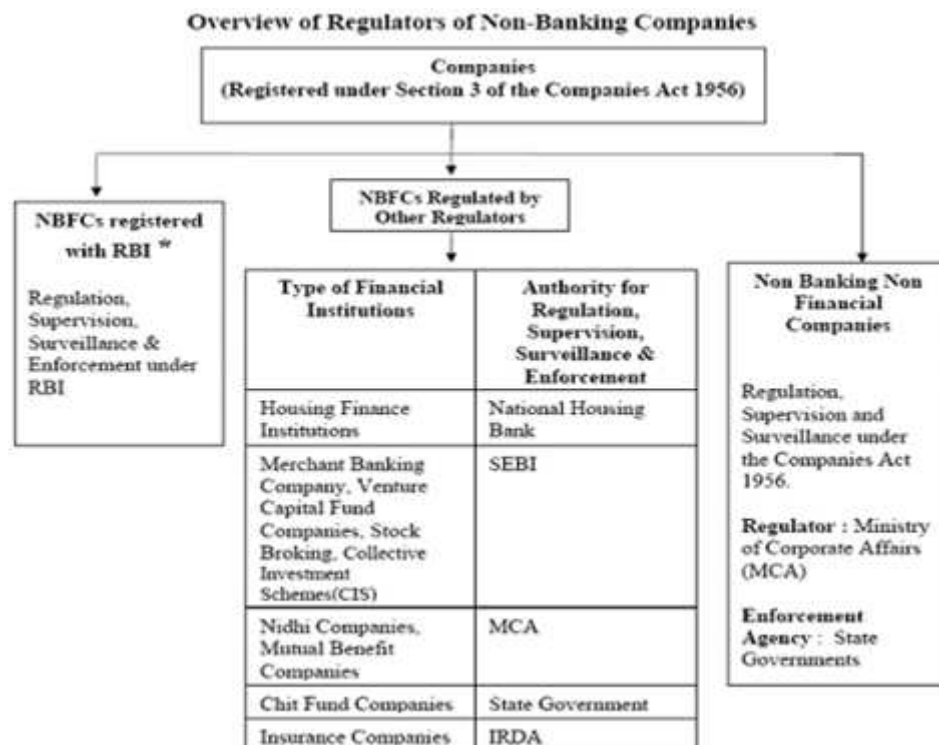


Figure.4. Overview of regulators of Non-Banking companies



Figure.5. Non-Banking Financial Company – An Overview

अब तक की गठबन्धन सरकार में विपक्ष की भूमिका : एक आंकलन

डॉ. रूबीना बानो*

* व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेरोदा, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – संसदीय लोकतंत्र में विपक्षी दलों का विशिष्ट महत्व है। बहुमत दल का नेता और संसद के प्रति उत्तरदायी सत्तारूढ़ सरकार संसदीय प्रतिनिधिक सरकार के लिए आवश्यक है। ठीक उसी तरह विरोधी दल भी उसका एक आवश्यक अंग है। संसदीय सरकार के कुशल संचालन के लिए द्वि-दलीय पद्धति आवश्यक है। जिसमें बहुमत दल, सत्ता प्राप्त कर सरकार चलाता है। दूसरा दल विरोधी की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्पादित कर प्रशासन को सदैव सावधान, सर्तक और चुस्त बनाए रखकर उसकी निरंकुशता पर प्रतिबन्ध लगाता है। इसके अतिरिक्त सत्तारूढ़ दल के संसद में या आम निर्वाचन में असफल रहने पर विरोधी दल शान्तिपूर्वक एवं कानून रूप से सत्ता के हस्तान्तरण को संभव कर वैकल्पिक सरकार के उत्तरदायित्व वहन करने को सदैव तत्पर रहता है।

गठबन्धन की राजनीति एवं विपक्ष (1977 से 1997)

● **पहली लोकसभा** – लोकसभा में कांग्रेस को 364 स्थान मिले। विपक्षी दलों में कम्युनिस्ट पार्टी को 16, सोशलिस्ट पार्टी को 12, किसान मजदूर प्रजा पार्टी को नौ, जनसंघ को तीन तथा 19 अन्य को 85 स्थान मिले। कोई भी दल इस स्थिति में नहीं था कि उसे संसदीय दल अथवा विपक्ष के रूप में मान्यता मिल सके।

लगभग एक वर्ष बाद, फरवरी 1953 में कांग्रेस के तो वही 364 सदस्य थे किन्तु कम्युनिस्ट गुट में 35 नेशनल डेमोक्रेटिक गुट में 31 इंडिपेंडेंट गुट में 26, प्रजा सोशलिस्ट गठबन्धन में 23 और असम्बद्ध 16 सदस्य थे। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी) अपने नेतृत्व में जनसंघ, हिन्दू महासभा, अकाली दल, गणतंत्र परिषद् आदि दक्षिणपंथी दलों को साथ जोड़ने में सफल हुई। एक समय इस गुट के सदस्यों की संख्या 32 तक पहुँच गई थी किन्तु 1953 में डॉ. मुखर्जी की मृत्यु के बाद बिखर गया।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी दो पार्टियों – कृषक मजदूर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के मिलन से बनी। दोनों को मिलाकर इस गुट की सदस्य संख्या 28 थी। आचार्य कृपलानी इसके नेता थे और सारंगधर दास उपनेता। बाद में 1954 में एक उपचुनाव में चुनकर आने के बाद अशोक मेहता उपनेता हो गये थे। कम्युनिस्ट गुट का नेतृत्व ए.के. गोपालन के हाथों में रहा। प्रो. हीरेन मुखर्जी और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती उपनेता थे। इन्डिपेंडेंट गुट में 14 इन्डिपेंडेंट सदस्य थे।¹

प्रथम लोकसभा में एक मान्यता प्राप्त सरकारी विपक्ष संगठित करने का सबसे गंभीर प्रयास 1954 के अन्त में किया गया, जब आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में 'यूनियन ऑफ सोशलिस्ट्स एण्ड प्रोग्रेसिक्स' के नाम से एक

नया गठबन्धन बना यह गैर कम्युनिस्ट वामपंथी दलों और सदस्यों को एक मंच पर लाने का प्रयास था इसमें 41 सदस्य एकत्र हो सके। कांग्रेस की प्रधानता की स्थिति प्रथम लोकसभा के पूरे कार्यकाल तक बनी रही। विपक्ष संख्या में कमजोर और छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा रहा।

● **दूसरी लोकसभा** – इसमें भी संख्या की दृष्टि से विपक्ष कमजोर ही रहा। गुणात्मक स्तर पर देखें तो उसके सदस्य बड़ी उच्च कोटि की प्रतिभा वाले थे जिन्होंने संसदीय लोकतंत्र के सर्तक प्रहरी की भूमिका निभाने में कोई कमजोरी नहीं दिखायी। दूसरी लोकसभा के कार्यकाल में विपक्ष कतिपय वाचाल रहा विपक्ष के सदस्यों ने काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये। प्रो. हीरेन मुखर्जी सदैव सरकार को दुविधा में डालने का मौका देखते रहते थे। संसद में शक्तिशाली विरोध और दबाव के कारण ही सरकार को बेरुबारी वाला मामला उच्चतम न्यायालय की राय के लिये भेजना पड़ा था। इस कार्यकाल की एक प्रमुख घटना थी, केरल की निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार की बर्खास्तगी और राष्ट्रपति शासन का राज्य पर थोपा जाना। जब विपक्ष ने संसद में इस लोकतंत्र-विरोधी कदम पर क्षोभ प्रकट किया तथा विपक्षी सदस्यों ने लोकतंत्र की हत्या माना।

● **तीसरी लोकसभा** – लगातार तीसरी बार विपक्ष का कोई भी दल 50 की संख्या तक पहुँचने में असफल रहा जिसके कारण तीसरी लोकसभा में भी कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष न बन सका। किन्तु ऐसा नहीं था कि भारी संख्या में होने के कारण सत्ताधारी कांग्रेस दल निरंकुश एक दलीय शासन स्थापित कर सका हो या उसका नेतृत्व अपनी मनमानी कर सका हो। विपक्ष में इस बार कई प्रभावी दिग्गज संसद्भू और अनुभवी नेता थे जो लोकसभा में निरन्तर सक्रिय रहे इनमें प्रमुख थे, डॉ. राममनोहर लोहिया, रामसेवक यादव, मनीराम बागडी, मधु लिमये, प्रकाशवीर शास्त्री, होमी दाजी, रेणु चक्रवर्ती गोपालन, हीरेन मुखर्जी, एस.सी. चटजी, एच.वी. कामथ, आचार्य कृपलानी, एम.आर. मसानी, प्रो. एन.जी.रंगा, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, गिदिश कुमार चौधरी आदि। मधु लिमये प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों और संविधान की धाराओं में पारंगत थे वे कोई न कोई विशेषाधिकार हनन का मामला उठा देते थे अध्यक्ष हुकुम सिंह को उन्हें सभालना कठिन होता। मनीराम बागडी सदन में निडर भावना से सरकार पर कटाक्ष करते रहते थे। हीरेन मुखर्जी, कृपलानी, रेणु चक्रवर्ती उच्च कोटि की वक्ता थे।

रक्षा मन्त्री कृष्ण मेनन को प्रधानमन्त्री की अनिच्छा के बावजूद मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि वह देश के सैन्यबलों को चीन के आक्रमण के विरुद्ध तैयार रखने में असफल रहे थे। गुलजारी नन्दा को

गृहमन्त्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी क्योंकि वह दिल्ली में गोहत्या-विरोधी आन्दोलन के समय कानून और व्यवस्था सुरक्षित न रख सके। केशवदेव मालवीय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश से जाँच करानी पड़ी और उनका मन्त्री पद से त्यागपत्र लेना पड़ा क्योंकि उन पर किसी कम्पनी के साथ पक्षपात करने और उससे कुछ रूपया लेने का आरोप था। टी.टी.कृष्णामाचारी को भी मन्त्री पद एक बार फिर छोड़ना पड़ा जब 10 सांसदों ने उनके विरुद्ध एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा जिसमें उनके द्वारा अपने मन्त्री पद के दुरुपयोग के आरोप थे।

22 अगस्त 1963 को आचार्य कृपलानी ने नेहरू मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा के सामने रखा। एक ठोस आरोप यह था कि प्रधानमन्त्री ने चीन की आक्रामक घुसपैठ का मामला ससंद से छिपाये रखा।

4 अगस्त 1999 को और अविश्वास प्रस्ताव आया। यह इन्दिरा गांधी मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध था और प्रस्ताव रखने वाले थे प्रो. हीरोन मुखर्जी। मुखर्जी ने 'रूपये के अवमूल्यन' को देश के साथ विश्वासघात बताया और कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और उनके भारतीय सहयोगियों के सामने आत्मसमर्पण है मुखर्जी ने अपने कड़े शब्दों से देश की प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता को खतरे में डालने के लिए कांग्रेस सरकार की भर्त्सना की।

यद्यपि दोनों अविश्वास प्रस्ताव भारी मत से पराजित हुए, पर उन्होंने जनमत को जाग्रत करने का काम किया और दर्शाया कि विपक्ष की भूमिका कहाँ तक जा सकती है और कैसे सरकार को लोकसभा के सामने कठघरे में खड़ा कर सकती है।

● **चौथी लोकसभा** - चौथे आम चुनाव से पहले देश बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरा था, जैसे चीनी आक्रमण पाकिस्तान से युद्ध, दो प्रधानमन्त्रियों- नेहरू और शास्त्री की मृत्यु, व्यापक सुखा और अनाज की तंगी, रूपये का अवमूल्यन आदि। इसके बाद भी लोकसभा में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत बना रहा। विपक्ष अनेक दलों में बिखरा और कमजोर ही रहा। किन्तु राज्यों के स्तर पर आठ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनीं और केन्द्र में भी कुछ मूलभूत परिवर्तन आये। पहली बार कांग्रेस का बहुमत दो तिहाई से कम हुआ। उसकी सदस्य संख्या 283 रही गई। विपक्ष में स्वतन्त्र पार्टी को सबसे अधिक 42 और जनसंघ को 35 स्थान मिले जो उन दोनों के लिए भारी उपलब्धियाँ थी। कम्युनिस्ट पार्टी सी.पी.एम. और सी.पी.आई. में विभाजित हो गई थी।

चौथी लोकसभा में विपक्ष मजबूत और प्रभावशाली था। मोरारजी देसाई और श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीच सम्बन्ध मधुर नहीं थे। बैंक राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध होने के कारण मोरारजी से वित्त मंत्रालय का कार्यभार ले लिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव के समय इन्दिरा गांधी ने संजीव रेड्डी के विरुद्ध काम करते हुये वी.वी.गिरि का समर्थन किया। नवें सेशन (नवम्बर-दिसम्बर 1969) के बीच कांग्रेस दल का विभाजन हो गया। कांग्रेस संसदीय दल के 62 सदस्य दल छोड़कर बाहर चले गये और उन्होंने कांग्रेस (ओ) नाम से विपक्ष में बैठना तय किया। सरकार का पूर्ण बहुमत समाप्त हो गया। सत्ताधारी कांग्रेस अल्पमत में आ गई और कांग्रेस(ओ) अथवा कांग्रेस संगठन 55 सदस्यों के साथ एक नयी संसदीय पार्टी और संसदीय इतिहास में पहली बार मान्यता प्राप्त विपक्ष बन गई। डॉ. रामसुभग सिंह को इस संसदीय दल का नेता होने के नाते विपक्ष का नेता भी माना गया।

अल्पमत में आने के बाद श्रीमती गाँधी का मन्त्रीमण्डल विपक्ष के कुछ

सदस्यों के समर्थन पर आश्रित हो गया था। यह समर्थन मिला मुस्लिम लीग, द्रमुक, सी.पी.आई., अकाली दल और स्वतन्त्र सदस्यों से। यह विपक्षी दलों के लिए नयी भूमिका थी बल्कि विपक्ष का अस्तित्व प्रभावी ढंग से सामने आने लगा। चौथी लोकसभा की एक उपलब्धि यह थी कि गैर-कांग्रेसी विपक्ष की आपस में तालमेल की प्रक्रिया आगे बढ़ी। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से होने की परम्परा प्रारम्भ हुई।

● **पांचवी लोकसभा** - पांचवी लोकसभा में इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी रही। प्रमुख विपक्ष दल कांग्रेस (ओ) को हार का मुह देखना पड़ा। क्षेत्रीय दलों की क्षति हुई। कांग्रेस के 350 स्थान मिले, कांग्रेस (ओ) 16, जनसंघ को 22, सीपीआई को 13, सीपीएम को 25, स्वतन्त्र पार्टी को आठ और दोनों सोशलिस्ट पार्टियों को कुल पांच।

नगरवाला मामले में स्टेट बैंक द्वारा केवल मौखिक आदेश पर 60 लाख रुपये दिये जाने पर ससंद में विपक्ष ने हंगामा किया। अध्यक्ष की आज्ञा की बार-बार अवहेलना करने पर एक प्रमुख विपक्षी सदस्य ज्योतिर्मय बसु को सदन से निलम्बित किया गया। आन्तरिक सुरक्षा विधेयक को लेकर लम्बी बहस हुई मधु लिमये ने न्यायाधीशों की वरीयता को इन्दिरा गांधी द्वारा अनदेखा किये जाने का मामला उठाया। रेलमन्त्री ललित नारायण मिश्र का पांडिचेरी लाइसेंस केस उठाया गया।

1971-73 तक लगातार तीन साल तक व्यापक सुखे, मुद्रास्फीति, हड़तालें आदि की समस्याएँ आईं। जून 1975 में आन्तरिक आपालकाल की उद्घोषणा की गयी जिसकी संसद में विपक्ष द्वारा कड़ी आलोचना की गयी किन्तु साम्यवादी नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इसका पूरा समर्थन किया। चौदह घण्टे की लम्बी बहस के बाद उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प स्वीकृत हो गया। सबसे अधिक आलोचना हुई दो बार एक-एक वर्ष के लिए, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने की और संविधान में 24वें संशोधन की। जय प्रकाश के आन्दोलन तथा आपालकाल में हुई ज्यादतियों के विरोध में असन्तोष से कांग्रेस सरकार की स्थिति कमजोर हुई। पांचवी लोकसभा में विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं की कारावास भोगना पड़ा। ससंद के भीतर विपक्ष कमजोर रहा। इसीलिए वह बाहर सड़कों पर उतरा। विपक्ष के अधिकतर सदस्यों ने सदन की बैठकों का बहिष्कार किया।

● **छठी लोकसभा** - कांग्रेस का 30 साल का अधिपत्य समाप्त हुआ। मोरारजी के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस मान्यता प्राप्त विपक्ष बन गया कांग्रेस विपक्ष की ओर से 10 जुलाई 1979 को यशवन्त राव चव्हाण ने मोरारजी सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव रखा और 15 जुलाई को मोरारजी ने त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस की मदद से चरण सिंह की सरकार बनी और तत्काल चुनाव कराने पड़े। पहली गैर-कांग्रेस (जनता पार्टी) सरकार असफल हुई।

● **सातवी लोकसभा** - 1980 में इन्दिरा गांधी और कांग्रेस फिर एक बार भारी बहुमत से लोकसभा में सत्तापक्ष के रूप में आयी। कांग्रेस 353, जनता पार्टी के दो गुटों को 31 और 41, सी.पी.आई को 12, सी.पी.एम. को 36 और कांग्रेस (यू) को 13 स्थान मिले।

दो जनता पार्टियाँ और आगे विभाजित होकर चार दलों में बंट गई और एक बार फिर लोकसभा में कांग्रेस के अतिरिक्त किसी दल को विपक्ष की मान्यता के लिए 50 स्थान प्राप्त नहीं हुए अतः सातवी लोकसभा में कोई मान्य विपक्ष नहीं बन सका। सातवी लोकसभा, कार्यकाल में विशेषकर सत्तापक्ष और विपक्ष में पंजाब की स्थिति को लेकर बहस चलती रही। मण्डल

कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें पिछड़ों के लिए 27 प्रतिशत स्थानों आरक्षण की सिफारिश की गई थी वाद-विवाद का विषय बनी रही।

● **आठवीं लोकसभा** - संख्यात्मक दृष्टि से दुर्बल विपक्ष ने जो भूमिका निभाई वह दो सरकारी विधेयकों के उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। पोस्टल बिल (डाक विधेयक) का संसद के दोनों सदनों ने जमकर विरोध हुआ सरकार ने अपने भारी बहुमत से इसे पारित करा लिया जनमत के विरोध के बाद स्वाधीन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सरकार की सलाह के बावजूद राष्ट्रपति ने डाक विधेयक को अपनी अनुमति नहीं दी और वह कानून न बन सका।

समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर आघात करने वाले डिफेमेशन बिल भी भारी विरोध के बाद लोकसभा में पारित हो गया। राज्यसभा में विरोध हुआ परिणामस्वरूप यह विधेयक भी अधिनियम न बन सका।

10 मार्च 1989 को अनुशासनहीनता और पीठासीन अधिकारी की अवज्ञा के लिए विपक्ष में 63 सदस्यों को एक साथ निलम्बित किया जाना एक अभूतपूर्व घटना थी।

20 जुलाई 1989 को नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रपट को लेकर विपक्ष को बोफर्स के मामले सत्तारूढ़ दल पर तीखा प्रहार करने का अवसर मिला। विपक्षी दलों ने अपनी संख्या की दुर्बलता के सन्दर्भ में संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा करने का सहारा लिया। एक दिन में आठ बार सदन को स्थगित करना पड़ा और तीन दिन तक की कार्यवाही नहीं चलने दी। इतिहास में पहली बार 24 जुलाई 1989 को, एक ही (14वें) सत्र में 107 विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा से त्यागपत्र दिये। 73 त्यागपत्र एक ही दिन में दिये गये।

● **नवीं लोकसभा** - नवीं लोकसभा में विपक्ष ने जिन मुद्दों पर विशेष ध्यान खींचा, वे थे जम्मू-कश्मीर, पंजाब और असम की स्थिति तथा राष्ट्र-विरोधी विघटनकारी तत्वों और सीमापार से उन्हें मिलने वाली सहायता। नवीं लोकसभा में विपक्ष ने कई बार विषय स्थितियाँ पैदा की, शोरगुल, वाकआउट, नारेबाजी सबकुछ हुआ लेकिन मुख्य बात यह रही कि सत्तापक्ष ने इस सब में और भी आगे बढ़कर भाग लिया। जब 13 मार्च 1991 को नवीं लोकसभा विघटित हुई तो प्रमुख संसदज्ञ और समाजवादी नेता मधुलिमये ने इसके आचरण की कड़ी आलोचना की और नवीं लोकसभा की अन्तिम बैठक के दिन को राष्ट्रीय लज्जा का दिन बताया क्योंकि इस दिन संसद सदस्यों ने अपने लिए बड़ी हुई पेन्शन, भत्ते और नई सुविधाएँ मजूर करने का विधेयक सर्वसम्मति से पास कर दिया।

● **दसवीं लोकसभा** - भाजपा मान्यता प्राप्त विपक्ष बना। लालकृष्ण आडवानी नेता प्रतिपक्ष बने। बाद में यह दायित्व अटल बिहारी वाजपेयी ने संभाला। नरसिम्हा राव के मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध बार-बार अविश्वास प्रस्ताव आये। नरसिम्हा राव मन्त्रिमण्डल अधिक सक्षम होकर सामने आया। विपक्ष कमजोर रहा। विपक्ष संसद में शोर-गुल मचाकर सिमट गया और राव सरकार को सत्ताच्युत करने में असफल रहा।

● **ग्यारहवीं लोकसभा** - 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के परिणामों से एक त्रिशंकु संसद का गठन हुआ और दो वर्ष तक राजनीतिक अस्थिरता रही, जिसके दौरान देश के तीन प्रधानमंत्री बने। नरसिंह राव का कार्यकाल हर्षद मेहता घोटाले, राजनीति के अपराधीकरण पर वोहरा की रिपोर्ट, जैन हवाला कांड और तंदूर हत्याकांड जैसे मामलों को लेकर चर्चित रहा।

चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भाजपा ने 161 सीटें जीती और कांग्रेस ने 140। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। राष्ट्रपति ने भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। भाजपा क्षेत्रीय दलों के समर्थन लेने में नाकामयाब रही और 13 दिनों बाद अटल जी ने इस्तीफा दे दिया। जनता दल नेता देवगौड़ा ने एक संयुक्त मोर्चा गठबन्धन की सरकार बनाई, इसके बाद कांग्रेस के बाहरी समर्थन से इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1998 में फिर चुनाव हुए।

गठबन्धन की राजनीति एवं विपक्ष (1999 से 2009)

● **12वीं लोकसभा** - 12वीं लोकसभा में वाजपेयी ने मिलीजुली सरकार बनाई जो लगभग 13 माह ही चल सकी। यह सदन अब तक सबसे कम आयु का सदन रहा। सदन की कार्यवाही में व्यवधान हल्लाबाजी, अव्यवस्था और बार-बार स्थगन का सिलसिला चलता रहा। 18 दलीय संविद सरकार का संचालन करना अत्यन्त कठिन कार्य था। अप्रैल, 99 को दूसरे सप्ताह में अन्नाद्रमुक ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। विश्वास मत प्राप्त करने की प्रक्रिया में वाजपेयी सरकार 17 अप्रैल 1999 को एक मत से पराजित हो गई। इस मतदान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरधर गोमांगो के एक मत (संवैधानिक दृष्टि से सही, लेकिन राजनीतिक औचित्य की दृष्टि से अत्याधिक विवादस्पद) की निर्णायक भूमिका रही। वाजपेयी सरकार के त्याग पत्र के बाद विपक्ष 'वैकल्पिक सरकार' का गठन करने में असफल रहा। 26 अप्रैल 1999 बारहवीं लोकसभा को भंग कर दिया।²

● **13वीं लोकसभा** - 12वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही नये धुवीकरण की शुरुआत हो गयी। 13वीं लोकसभा में अपनी स्थिति सुधारने में सभी दल एक जुट हो गए। भाजपा कांग्रेस ने राजनीतिक गठबन्धन की प्रक्रिया अपनायी। भाजपा ने राज्य स्तरीय व क्षेत्रीय पार्टियों से तालमेल बिठाने की प्रक्रिया शुरू की, दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अन्य पार्टियों के साथ चुनावी समझौता करना प्रारम्भ किया।

सर्वप्रथम भाजपा की पहल पर 15 मई 1999 को राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन के गठन की घोषणा हुई। कांग्रेस ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ चुनावी गठबन्धन किये। इन दो गठबन्धनों के अतिरिक्त वामपंथी गठबन्धन जो पहले से चला आ रहा था तथा समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने ही बलबूते पर बिना किसी गठबन्धन में सम्मिलित हुये चुनाव लड़ने की घोषणा की।³ चुनाव जीतने के बाद दो घटना घटित हुई, प्रथम, शरद पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन (27 मई 1999) इस विभाजन के पूर्व कांग्रेस कार्यसमिति के तीन सदस्यों (शरद पवार, पी.ए. सगंमा और तारिक अनवर) ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने तथा प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी की दावेदारी को राजनैतिक अनौचित्य का मुद्दा उठाया। द्वितीय, जनता दल का विभाजन (21 जुलाई 1999) जनता दल दो गुटों में बँट गया जनता दल (शरद यादव) और जनता दल (एच.डी. देवगौड़ा) चुनाव आयोग ने प्रथम को जनता दल - एकीकृत और द्वितीय को जनता दल - सेक्युलर का नाम दिया।

13वीं लोकसभा के अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा संसदीय दल तथा राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की बैठक में सर्वसम्मत नेता चुने गये। इस लोकसभा के अन्तर्गत विभिन्न घटक दलों एवं विपक्ष की भूमिका विरोध एवं सहयोग की मिश्रित रूप रही। तहलका काण्ड, अयोध्या मुद्दा, मूल्य वृद्धि,

पोटा मुद्दा, रेलवे पूर्वी जोन का मुद्दा आदि पर विपक्ष ने जमकर सत्तापक्ष का विरोध किया।

भारतीय संसद के दोनों सदन पेट्रोल पम्प मामले पर सत्तापक्ष पर भारी दबाव डालते हुए मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में कार्यवाही शुरू की गई। विपक्षी सांसदों ने पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक के इस्तीफे की मांग की और संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करवा दी गई। विवाद का बढ़ते हुए देख कर प्रधानमंत्री ने जनवरी 2000 के बाद दिये गये सभी पेट्रोलपम्प और गैस एजेन्सियों के लाईसेंस रद्द कर दिये गये। सभी लाईसेंस को खुले टेण्डर के आधार पर दिया जाना तय किया गया। तहलका काण्ड से जुड़े बंगारू लक्ष्मण ने एक लाख रु की घुस ली। विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने इस संबंध में सरकार पर भारी दबाव बनाया बंगारू लक्ष्मण तथा संबंधित काण्ड में मेजर जनरल सहित चार वरिष्ठ सेना अधिकारी को पद से हटाया गया। विपक्ष ने रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी इस्तीफा देने के लिए कहा। रक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के लेकर एनडीए में दरार पड़ी। तृणमूल कांग्रेस एनडीए से अलग हो गई ममता बनर्जी ने रेलमन्त्री पद से इस्तीफा दे दिया। रक्षामन्त्री जार्ज फर्नांडिस ने भी इस्तीफा दे दिया

● **चौदहवीं लोकसभा (2004)** – कांग्रेस अपने सहयोगियों की मदद से 335 सदस्यों का बहुमत प्राप्त करने में सफल रही। चुनाव के बाद हुए इस गठबन्धन को संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) कहा गया, पूर्व वित्त मंत्री डॉ. मनमोहनसिंह देश के प्रधानमंत्री बने।

● **पन्द्रहवीं लोकसभा गठबन्धन** – 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में पहली बार दो प्रमुख राजनीतिक गठबन्धन राष्ट्रीय जनतांत्रिक एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन के बीच लड़ा गया। मई 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) को जनादेश हासिल किया और एक बार पुनः डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार बनी।

15वीं लोकसभा आम चुनाव के बाद कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबन्धन सरकार के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान रही। घोटाले, भ्रष्टाचार, महंगाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल, भ्रष्टाचार पर लगाम, साम्प्रदायिकता, आन्तरिक चुनौतियां, केन्द्र और राज्यों का सम्बन्ध, विकास का मुद्दा, आतंकवाद, नक्सलवाद, अराजकता, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा, भारतीय विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा, उर्जा, किसानों की समस्या, नारी सशक्तिकरण, दलित, पिछड़े एवं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की समस्या जनजातीय विकास, अल्पसंख्यकों के विकास, स्वास्थ्य, जनसंख्या स्थिरीकरण, प्रशासनिक मुद्दे एवं केन्द्र राज्य सम्बन्ध,

जम्मू कश्मीर समस्या के साथ-साथ गठबन्धन में शामिल दलों के स्वार्थ की पूर्ति करना भी 15 वीं लोकसभा की प्रमुख समस्याएँ थीं। एन.डी.ए. ने केन्द्र सरकार में विपक्ष की भूमिका निभायी। विपक्षी दलों के प्रतिपक्ष नेता-सुषमा स्वराज थी।

विश्लेषणात्मक आधार पर पूर्व लोकसभाओं, जिसमें सत्तारूढ़ दल अपार बहुमत में हैं तो विपक्ष की स्थिति अधिक प्रभावशाली नहीं बन पायी। लेकिन कुछ वर्षों से भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया है। पहले कांग्रेस को अपार बहुमत मिलता था और विपक्ष की स्थिति नगण्य सी रहती थी, लेकिन 11वीं से 15वीं लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और त्रिशंकु संसद की स्थिति बन गयी, यहीं स्थिति अनेक राज्यों की विधानसभाओं में भी बनी। अनेक छोटे-छोटे दलों से मिलकर बनी गठबन्धन सरकार को प्रभावित करना विपक्ष के लिए अधिक आसान हो गया है। अब उनके पास सत्ता प्राप्ति के लिए अधिक अवसर सुलभ रहते हैं। वर्तमान में भारतीय राजनीति में गठबन्धन सरकारों के दौरान विपक्ष की रचनात्मक भूमिका सुदृढ़ हुई है पहले की अपेक्षा विपक्ष अब सरकार की नीतियों को अधिक प्रभावित कर रहा है। गठबन्धन सरकार विपक्ष के साथ अपने समीकरण तैयार करती है। वे सत्तारूढ़ घटक दलों की अपने विरुद्ध विरोध की आवाज को दबाने में विपक्षी दल की सहायता लेते हैं इस प्रकार बदलती हुई परिस्थितियों में विपक्ष की भूमिका में परिवर्तन आया है। गठबन्धन सरकार में विपक्ष का दायित्व होता है, सामंजस्य बना कर रखना। गठबन्धन जोड़-तोड़ पर आधारित होता है। विपक्ष भी अनेक दलों से मिलकर बनता है। अतः विपक्ष विभिन्न दलों की नीतियों व कार्यों में सहयोग के महत्वपूर्ण दायित्व को निभाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. कश्यप, सुभाष (2016). *भारतीय राजनीति और संसद : विपक्ष की भूमिका*, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, पृ. 41-45.
2. गौतम, वृजेन्द्र (1998). *12वीं लोकसभा निर्वाचन एवं विश्लेषण*, नई दिल्ली : भावना प्रकाशन, पृ. 55.
3. दुबे, अभय कुमार (2005). *लोकतंत्र के सात अध्याय* (सपा.). नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.
4. मोदी सरकार एण्ड मनमोहन सरकार (2018). *फॉर्म इण्डिया डॉट कॉम*, 21 मार्च
5. जनरल इलेक्शन (2009). *इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया*, नई दिल्ली
6. सिंह, सुशील चन्द्र (1969). *संसदीय सरकार में विरोधी का स्थान. लोकतंत्र समीक्षा*. अप्रैल, पृ. 29.

An Analytical Study of Live in Relationship in India

Dr. Anuradha Tiwari*

*Principal, Dr. Kailasnath Katju Law College, Ratlam (M.P.) INDIA

Introduction - This concept developed by the Supreme Court of India, for the first time in the case of **S. Khushboo v. Kanniammal (2010)** gave legal recognition to live-in relationships by categorizing them as “domestic relationships” protected under the **Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (“DV Act”)**. The Court held that a live-in relationship comes within the ambit of the **right to life enshrined under Article 21 of the Constitution of India**. The Court further held that live-in relationships are permissible and that the act of two adults living together, in any case, cannot be considered illegal or unlawful. However, they have become a developing area of controversy with respect to the types of live-in relationships that are recognized. The Supreme Court in **Indra Sarma v. V.K.V. Sarma (2013)** categorized live-in relationships into two—domestic cohabitation between two unmarried individuals and domestic cohabitation between a married and unmarried individual or two married individuals. The Supreme Court has only recognized the former and not the latter. This article explores the contours of the validity of the latter category of relationships.

Conflicting Views - The High Courts of **Bombay, Allahabad and Rajasthan** have repeatedly refused to grant protection to such live-in couples, citing reasons that a live-in relationship between a married and an unmarried person is illegal. The **Punjab and Haryana High Court** went a step further and referred to these relationships as unacceptable, claiming that they destroy the country's ‘social fabric’. However, the **Delhi High Court**, taking a contrarian stand, adopted a wider approach, upholding the rights of a female live-in partner, irrespective of the marital status of both individuals. **Meaning And Definition:-** It involves **continuous cohabitation between the partners without any responsibilities or obligations towards one another**. There is no law tying them together, and consequently, either of the partners can walk out of the relationship, as and when they want.

Two individuals cohabiting and staying in a live-in relationship are not criminal offenders. It clarified that although socially unacceptable in parts of India, **live-in relationships are neither a crime nor a sin**.

Definition: - The legal definition of live in relationship is “an arrangement of living under which the couples which are unmarried live together to conduct a long-going relationship similarly as in marriage”.

Pros And Cons Of Live In Relationship:- Though the concept of Live- In relationship is practiced in India from a long period of time, the meaning is that two adults (Boy, Girl) **above 18 years of age** can live together as husband and wife with their consent without any fear from the eyes of law.

Concept of “Live-in- Relationship:- We know marriage is of two types ‘Arrange marriage and Love marriage’. After marriage, we don’t know, whether it is successful or not? That’s why?

When arrangement of marriage is for two persons in love then why couples are leaning towards the live-in relationships. This question can have multiple answers, but this have been found that almost all the couples perusing a live-in relation are willing to get married someday. But before that they want to spend some time with one another, for understanding each other and to figure out their compatibility. Because they believe that if they found themselves incompatible after marriage then they will have no choice other than compromising their life-styles.

Further, some couples believe that going for a wedding is just a waste of money, because they think their love doesn’t need any paper certification or social drama. The reasons can be numerous depending upon different mental set-ups.

Pros: - Following are pros of Live in Relationship –

Mutual Understanding: - “In a live-in relationship both partners are truly equal, whether it is in their freedom or in their insecurities. Both of them know that the door out is always open so they will always make extra efforts to make their partner feel secure in their love and relationship.” Well, she certainly has a point here. Since neither of the partners is dependent on each other financially, socially or legally they enjoy equal space and respect in their relationship. This would also tell you how loyal, compatible and trustworthy your partner is.

Trial Package :- In today’s world where divorce lawyers are growing wealthy due to abundance of cases, it might not be a bad idea to test-run a relationship to see if it would

work out or not. A live-in relationship helps you to assess your partner more accurately and honestly. A person can pretend to be something that they are not when they meet you occasionally (during your courtship period), but no one can pretend or hide their true personality 24x7. **Arunima Singh Jhhad**, who got married to her boyfriend after being in a two year long live-in relationship with him says, "You get to know each other a lot better and also develop instincts which will be a big advantage if you two ever get married."

Financial freedom :- One of the biggest advantages of live-in relationship is division of expenses where each individual is responsible for his or her own self. Marriage brings in the added responsibility of maintaining joint financial ventures and dual banking operations, where the couples always stay alert of their income and spending. Rahul Jhajhar, who has been in a live-in relationship for a year now, says, "Yes, I do love spending on my girlfriend, but I'm not being interrogated by her on my every move. Moreover, we both are even comfortable in dividing our bills. We enjoy our respective financial freedom."

No Legal Responsibility:- "Married couples share responsibilities of their families, finances, and societal duties. They are always striving to maintain a satisfactory balance in the society. However, not being in a legal or social bond has its own advantages. Live in relationships are usually free of legal obligations of any kind. If you are not happy with your partner and you feel that there is no scope of improvement, you can easily walk out of the relationship and there will be no legal harassment like divorce filing etc. People find it easier to go through heartbreak but it is very difficult to face the social Stigma of divorce. Living in provides an emotional stability to a person which is very important."

Freedom of decisions:- The couples can make their decisions about anything without being dependent on their partner's choice. E.g. switching jobs or investing money etc. Also you get the freedom from maintaining joint accounts like married couples do. They have lot of financial freedom and this comes from the fact that they split their finances and keep a vigil eye on income and expenditure. If both of them are in a relationship they might as well be spending on each other but they give each other enough space to spend as they like. Both the partners enjoy this freedom.

Cons of Live in Relationship:- Every coin focuses on two side's dark and bright we also focusing on dark side of live in relationship, following are the cons are as under-

Lack of Loyalty:- People don't pledge themselves to each other. Coming out of this relationship is very easy and convenient for both. Anything trivial can lead to break up and walking out. It is very unlikely that these people make amendments in themselves and seek solutions to make the relationship work. These relationships are not permanent; couples just meet, enjoy and then leave each other without any vow for lifetime togetherness. There's no stability and couples usually breakup easily.

Criticize by Society:- The couples living in together become a butt of jokes. They are criticized for their choices of live in. Since this concept started few years back, the society and the elderly members are not willing to accept this and they try to divide the couples on various grounds like caste, religion, class and what not. Due to these rigid societal pressures and the stubborn judgmental perspectives also, couples tend to break their relationship.

Effect of Breakup End:- Usually, women are on the receiving end of this failed relationship. It becomes very difficult for her to find a suitable groom if her relationship doesn't work well. Also, women suffer a lot biologically and emotionally. Plus, the society, which is already against this concept, makes it very difficult for women to survive if she goes against the laid down conventions of the society. She has to bear the brunt of this relationship. Also, if there are any kids that are born from the live in relationship, he/she is treated with utmost hatred and disrespect. Plus there are legal issues regarding the custody of the child. If the male partner moves out, the women only need to take the full responsibility of the upbringing of her child. Apart from this, there shall be no inheritance for these kids from their father's or mother's side since this relationship has no legal sanctity.

Stress And Frustration:- Nature, behavior, temperament, attitude everything changes in partners after marriage. Over a period of time, when a person takes hold of the responsibility of a family, he/she can't be as carefree as live-in days. In comparisons of current behavior with those days the couple can lead to stress and frustration.

Increase In The Trend Of Rape Allegations:- As the Delhi High Court in Alok Sharma v. State observed that live in relationships are walk in and walk out relationships. We must understand that by the very essence of live in relationships pose an even chance of failure or success. Unfortunately, in case of failure of these relationships a dismaying trend is common these days where rape allegations are maliciously slapped by women against men, which results in harassment of one gender by the other, in majority cases. Under this sensitive subject we aim to bring out the true picture as there is a need to scrap the gender biased law and adopt strict gender neutral laws. The Supreme Court in one of its observations has expressed anguish over this trend. The Delhi High Court in Ravi Kumar v. State observed that "the economic and social dynamics of the society are changing very fast. This can be witnessed by the increasing number of live-in relationships which are justified by the young generation on the ground that the institution of marriage is too burdensome as proven by the increasing divorce cases. Moreover, with the changing times these live-in relationships have acquired a legal mandate and are slowly becoming socially accepted. Therefore, the need of the hour is that the boys and more importantly girls have to be very careful and cautious before taking such an important decision concerning their lives before entering

into the most sanctimonious relationship of marriage or even to have live in relationship. One of the major reasons contributing increase in the rape cases is a failure of live in relationship or any immature decision on the part of such young adults which more often end up in a broken relationship but sometimes after indulging into physical relationship". Conclusively, we can see that courts have started to reflect light on the other side of the issue which is least talked about and perhaps that's the first stage towards recognition of the need of gender neutral laws so that the fabric of society is not damaged.

Future Impact On Family Concept Of India: - We can safely state that relationships have become a questionable and complex thing to understand. Marriage is also required by the society however the modern generation is busy finding the suitable ways to safeguard their relationship by entering into various test-run techniques. It has become a trend in big cities.

1. Live in relationship with unmarried couple: - It shall be known as test of marriage of future planning to set up a life with the said couple. If feel not suitable they have option to be separate as per mutual consent without following due process of law.

2. Live in relationship with unmarried girl with married men or unmarried boy with married women or married women and married men- it is very complex that how long the relationship will continue and what will be effect on future generation of India. **Whether this relationship is adultery or legal?**

Nature of relationship and bigamy: - Section 2(f) of the DV Act defines a domestic relationship as a relationship in the 'nature of marriage' between two people/adults living in a shared household. There are two main reasons for recognizing relationships in the aforementioned 'latter' category.

Firstly, in our opinion, live-in relationships involving a married person fall within the four corners of 'domestic relationships' under the DV Act. This view found judicial endorsement by the Madras High Court in the case of *Malarkodi @ Malar v. The Chief Internal Audit Officer* (2021), wherein, adopting a wide interpretation of Section 2(f), the Court acknowledged it to be broad enough in its scope to encompass relationships of the aforementioned latter category. Furthermore, it is pertinent to note that the definition of live-in relationships as the law is understood currently was conceptualized during the erstwhile adultery regime, which has since been declared unconstitutional by the Supreme Court in **Joseph Shine v. Union of India (2018)**, thus wiping off adultery from the criminal statute books. In view of this, it is imperative that the aforementioned latter category of live-in relationships must be recognized, particularly from the perspective of the DV Act.

Secondly, a strong case can be made that a live-in relationship between a married person and an unmarried

person does not fall within the penal scope of bigamy (Section 494 Indian Penal Code). The provision is explicitly clear that it is only a second 'marriage' during the lifetime of the husband or wife that can attract criminality. Nowhere does the section say that a live-in relationship which is in the 'nature of marriage' will be considered to be an implicit marriage under personal law. The object of the DV Act was primarily to provide protection for the wife or female live-in partner from violence at the hands of the husband or the male live-in partner. When a woman, whether married or not, is in a domestic relationship with a man, the focus of the DV Act violation enquiry is centered on the tangible harm caused to the woman and the consequent protection of the woman. Any denial of protection would be a grave injustice to the women who are suffering. Unfortunately, the Bombay, Allahabad, Rajasthan, and Punjab High Courts have denied such victims protection on the moral grounds that such relationships violate the sanctity of marriage and promote bigamy. However, we respectfully disagree; the courts could not be further away from the correct position. Acceptance of the aforementioned category of live-in relationships as akin to a domestic relationship for the purposes of Section 2(f) of the DV Act does not ipso facto promote bigamy nor is it an attack on the institution of marriage. By just considering the live-in couple to be in a domestic relationship, the married woman/wife is not being deprived of her matrimonial rights of maintenance, legitimacy & custody of children etc. It merely acknowledges the existing factual reality of our society and astutely promotes the salient goals of protection of women enshrined under the DV Act.

Lack of Clarification of the legal position: - People may view a live-in relationship between a married person and an unmarried person as unethical, but moral policing is not an option, especially when the arrangement is sanctioned by the touchstones of fundamental rights. In view of the contradictory findings of various courts on the matter concerned, it is laudable that the Punjab and Haryana High Court is the first court which has recently constituted a larger bench to consider the above stated vexed position of the law. However, the Punjab and Haryana High Court's findings will not be the final say on the matter. Ultimately, this controversy can be settled either by the Supreme Court of India ironing out the differences between the respective high courts or by way of a central legislation clarifying the position.

Supreme Court of India Clarify on Live-in relationships
:- Live-in relationships are living arrangement in which a man and a woman who are unmarried live together like a husband and wife without the legal sanction called marriage. This is a concept that has not gained social acceptance in India. When live-in relationships first came into the open, it created a public outrage as it was considered violative of Indian culture and moral values. Recent court judgments on live in relationships triggered public awareness and clarity about this social issue.

Judgments: -Children Born to Live-in Couple are

legitimate; Says SC

Court judgments have always given broad interpretation of law to protect the rights of women and children. In live-in relationships, court judgments have considered it important to protect child rights, in particular. In January 2008, a Supreme Court bench that was headed by Justice Arijit Pasayat held that children who are born out of live-in relationships will not be considered illegitimate. It was stated, "Law inclines in the interest of legitimacy and thumbs down 'whoreson' or 'fruit of adultery.'"

In August 2010, the Supreme Court held that a live-in relationship that has existed for a long time will be considered a marriage and that the children born to such a couple will not be illegitimate. Justice P Sathasivam and Justice BS Chauhan of the Supreme Court passed this judgment and it will have strong legal implications on disputes relating to the legitimacy of children who are born to live-in partners.

Different Court Judgments: Domestic Violence Act Applicable to Live-in Relationships: - Different court judgments have discussed on different disputes pertaining to live-in relationships. Live-in relationships are now considered with marriage under a new Indian law pertaining to domestic violence. The provisions of the Domestic Violence Act, 2005 are now extended to those who are in live-in relationships as well. The amendments intend to protect the victims of domestic abuse in live-in relationships. Section 2 (g) of the aforementioned Act provides that a relationship between two individuals who live together or have lived together in the past is considered as a domestic relationship. A woman who is in a live-in relationship can seek legal relief against her partner in case of abuse and harassment. Further, the new law also protects Indian women who are trapped in fraudulent or invalid marriages. **Legal Remedy:-** A woman who is subject to any form of violence in a live-in relationship as well as a marital relationship can file a complaint under section 498 A, IPC. She can also seek relief through protection orders, compensation and interim orders citing sections 18 to 23 of the Domestic Violence Act.

However, in the case of Velusamy v. D. Patchaiammal the Supreme Court held that a woman in a live in relationship is not entitled to maintenance under section 125 Cr.P.C., unless she fulfils certain criteria, the Supreme court had observed that merely spending weekends together or a one night would not make it a domestic relationship. The bench of Justice Markandey Katju and T S Thakur laid down the parameters that a woman, who is not married, needs to fulfill, to get maintenance and these requirements are:

- They must be of legal age to marry
- They must be otherwise qualified to enter into a legal marriage.
- They must be voluntarily cohabited and held themselves out to the world as being akin to spouses for a significant period of time.

The Supreme Court observed, "In our opinion not all Live-in relationships will amount to a relationship in the nature of marriage to get the benefit of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005". To get such benefit the conditions mentioned above must be satisfied, and this has to be proved by evidence. "If a man has a 'keep' that he maintains financially and uses mainly for sexual purpose and/or as a servant it would not, in our opinion, be a relationship in the nature of marriage".

The Apex court also observed, "No doubt the view we are taking would exclude many women who have had a Live-in relationship from the benefit of the 2005 Act (Protection of Women from Domestic Violence Act), but then it is not for this court to legislate or amend the law. Parliament has used the expression 'relationship in the nature of marriage' and not 'Live-in relationship'. The court in the garb of interpretation cannot change the language of the statute," the bench observed Legitimacy and the Rights of the children born out of live in relationships In the case of SPS **Balasubramaniam v. Sruhtayan**. "if a man and a women are living under the same roof and cohabiting for a number of years, there will be a presumption under the Indian Evidence Act that they live as husband and wife and held that the child born to them will not be illegitimate"

Conclusion:- Lastly, I concluded that as society as change law is always changed. Further, I think the evolution of the concept of marriage is a difficult thing to trace because birth of a man is birth of marriage. It is a practice that seems as old as the human race itself. Marriage and family are closely associated with the being of each other. In the Indian society, marriage is one of the deepest and most complex web of human relations. It is considered a unison of man and woman in a rite defined by social custom and law carrying with it specific economic, sexual and child-care responsibilities. According to the Hindu view of life, it is very necessary for a man and a woman to marry; in order to achieve the four Purus hart has Dharma, Artha, Kama and Moksha, the four ideals of life. The traditional concept of a Hindu marriage is that of a religious sacrament. It is a life-long commitment, the true purpose being a complete companionship in fighting the battle of life together.

In India, marriages had more of a social origin and reason rather than individual origin and purpose. On the other hand, the western ideology of marriage regards marriage as a personal matter concerned with love-making, home making and living together but the Indian philosophy views the concept of marriage as a religious sacrament and as fulfilling obligations towards the family and the society while keeping it at a central position in the Hindu view of living. Hence, the concept of a live-in relationship, which is adverse to the religious significance marriage holds in the Hindu mythology, faced resentment from the commoners living in India.

Reference:-

1. Personal Research

Comparative Study on Capacity Building Programmes for in-Service Teachers in DIETs

Dr. Uma Shrivastava*

*Principal, Government College of Teacher Education, Dewas (M.P.) INDIA

Abstract - Present research paper focus on the capacity building programmes for in-service teachers in DIETs for Active learning Methodology (For middle level) and Activity Based Learning (For primary level). This paper also contains the perception based on trainees, researcher, and Headmaster. According to researcher's perception teacher's efficiency found more in Indore than Dewas for ALM. Total frequency score regarding teacher's efficacy is mixed in both districts but little difference found in teacher's efficiency in both districts for ABL. According to H. M's perception during staff meetings more teachers from Indore participated in discussions than Dewas for ALM as well as ABL.

Keywords- In service, DIETs.

Introduction - Education is a process of human enlightenment and empowerment for the achievement of better and quality of life. It also plays a vital role in nurturing human resources, economic growth and development of nation. So, the absolute priority of the global society is emerging education through knowledge, skills, value and experience. The quality and effectiveness of education system depends upon quality and effectiveness of teacher, so teacher's strength is important pillar of education. The secondary Education Commission (1952-53) accepted the key role of teachers and reported that "We are however convinced that the most important factor in the contemplated educational reconstruction is the teacher, his/her personal qualities, his/her educational qualification, his/her professional training and the place that occupies in the school as well as in the community. The reputation of a school and its influence on the life of the community invariably depends on the kind of teacher working in it."

It is perceptible that there is no doubt that teachers occupy an important and crucial place in education system in shaping the destiny of any nation. So, this is the reason that teachers are called as Social Engineers. Gandhi Ji also accepted that teachers are "Custodian of future." Education system cannot thrive well without competent, skilled and knowledge teachers. An efficient and effective teacher is amongst the foremost factors contributing to educational refinement and improvement.

For revitalizing education and knowledge revolution, teacher must continue to learn and grow professionally. Education is continuously taking new shape in terms of objectives, content, methodology and management of learning. So certain capacities are required to be built

among teacher for enabling them to face the challenges in the real world, in professional career and their participation for National development.

Teacher should have capacity of management, knowledge and information, the capacity for creativity and innovation particularly in transfer of knowledge, to understand child psychology and new teaching methodologies.

In service teacher training programmes play an important role in capacity building of teachers. These trainings are organized for capacity building of teachers for quality and effective education.

Objectives of study-Objectives of present study are:

1. To study capacity building programmes conducted by DIETs.
2. To study about ALM and ABL programmes.
3. To study the content and methodology used in programmes.
4. To study the feedback given by trainees.
5. To give some suggestions to improve capacity building of teachers through in-service training programmes.

Population and Sample - In present study researcher uses arbitrarily selected method. The unit of population is her own discretion but in every unit of population, samples are selected arbitrarily.

1. District Institute of Education and Training (DIET) Indore and Dewas.
2. Study on capacity building programme for in service teachers.
3. Training of ALM and ABL.
4. Trainings conducted from 2010-2013.
5. Researcher- 01

6. Headmaster- 50 (of all selected teachers).
7. Teachers- 50 (primary and middle, according to training selected for study, 10-10 teachers for each training).

Tools and Techniques - In present study, the researcher used self-developed information check list, semi structured interview, questionnaire, and observation schedule, which consisted of three parts of study, whereas one observation schedule developed by Anderson is fourth part of present study.

I- Consisted of items pertaining to study about trainee's (teacher) capacity building before and after training, methodology and modules used by him/herself.

II- Consisted of items pertaining to study teaching attitudes of trainee (teacher) after training by H.M.

III- Consisted of items pertaining to study impact of training in classroom transaction by researcher.

IV- Consisted of items pertaining to study the teaching skill in classroom transaction by using Anderson's classroom observation schedule.

Data collection- After finalization of research tools and selection of sample, the researcher personally visited to each sampled DIET and school for data collection.

Scoring of data- Check list consisted of information about staffing, infrastructure, facilities etc. for comparison of DIETs regarding these parameters. Semi structured interview consisted of information about training with descriptive statements for comparing of both DIETs. Trainee's questionnaire assigned with multiple type questions like Yes or No, descriptive and objective. Yes scored '1' and No as '0'. Descriptive and objective statements scored through analytical process. Questionnaire for H.M. is 2-point scale and scored '1' for Yes and '0' for No. Observation schedule for investigator is also scored as 2- point scale and scored '1' for Yes and '0' for No. Anderson's classroom observation is consisted of rating on five-point continuum for judging teacher's efficacy and scored according to frequency of their activity on ten dimensions in classroom teaching with range of 10-50.

Statistical technique used- In the present study the responses of the respondents were counted according to the tools used:

1. Check list and interview is used as for comparative study.
2. Other responses were counted for their frequencies and percentage (%) and interpretive the results.

Main findings: -

(A) Finding on basis of trainees: -

(i) Active Learning Methodology (ALM)-All teachers were positive about the utility and importance of trainings. They were also willing to attend multiple and regular capacity building programmes.

- Teachers agree that training has improved and changed their capacity, teaching methodology and has positive effect on students.

- **Some areas for improvement as highlighted by the**

teachers are:

- a. Curriculum and modules should be theme based and available for every trainee.
- b. Modern technology tools (PPTs etc.) should be used in small DIETs also.
- c. Class-size of trainees should be small.
- d. Training should be scheduled at the beginning of academic session.

- **Some problems also faced by teachers:**

- a. No accommodation facilities especially for lady teachers and lack of modules are main drawback of training.
- b. Teachers especially of Dewas having problem for food because DIET is located outer side of city.

(ii) Activity Based Learning (ABL)-

1. All teachers were positive about the utility and importance of trainings. They were also willing to attend multiple and regular capacity building programmes.
2. Teachers agree that training has improved and changed their capacity, teaching methodology and has positive effect on students.

- **Some areas for improvement as highlighted by the teachers are:**

- a. Teachers can only use ABL method when they are trained in an interactive manner with practical and demonstration. Modern technology tools (PPTs etc.) should be used also.
- b. Teachers have felt the need for trainings to last for at least 10 days.
- c. ABL Kits/tools/resources should be made available to every trainee during training for hands-on experience.
- d. Training should be scheduled at the beginning of academic session.

- **Some problems also faced by teachers: -**

- a. No accommodation facilities especially for lady teachers are main cause for up down situation of trainees and lack of ABL kits are main drawback of training.
- b. Teachers especially of Dewas having problem for food because DIET is located outer side of city.

(B) Finding on basis of researcher's perception

Active Learning Methodology (ALM) - As per observation results for Active Learning Methods, 100% of the teachers observed in both districts were taking interest in teaching, focused on preparation and were able to give answers to related questions by the students. This has resulted in good acceptability of lessons by the students as all the students in their classes were attentive and disciplined.

At the same time, there were several shortfalls which were observed in their teaching and student responsiveness. Only 40% and 60% (of the sample surveyed) teachers in Indore and Dewas, respectively, were using Teacher Learning Material during the lessons. There was also less curiosity amongst students about the lessons, especially in Dewas. A major reason for this could be lack

of encouragement by the teachers for students to ask questions. Teachers also failed to build a rapport with the students because they were not covering the entire class during the lessons.

As per observation results of Active Learning Methodology by Anderson scale is notable that:

Total frequency score of teacher's presentation, enthusiasm, questionings, and probing, promoting, redirecting and interaction on five-point scale is more Indore than Dewas (of the sample surveyed).

This shows teacher's efficiency is more in Indore than Dewas.

2. Activity Based Learning (ABL)- As per observation results for Activity Based Learning, very few teachers were found to be interested in the lesson in Dewas and they were not covering the entire class. In Dewas, fewer teachers were encouraging students to ask questions and as a result fewer children were showing curiosity by asking questions. Despite more interest by the teachers in Indore, fewer students were attentive and disciplined during the Activity Based Learning.

In both districts, all teachers were using the Learning Material, adequately prepared and could answer questions by the students. There was also good rapport of the teachers in both districts.

As per results of Anderson's observation scale for Activity Based Learning it is notable that:

Total frequency score regarding teacher's efficacy is mixed in both districts.

The little bit difference in teacher's efficiency in both districts (of the sample surveyed).

(C) Finding on basis of H. M's perception

1. Active Learning Methodology (ALM)- As per observations of Headmasters with respect to teachers with ALM training, all teachers were found to be interested in the lessons. At the same time, all students also had an improvement in achievement level but there was improvement in attendance in only 60% of Indore classes and 20% (of the sample surveyed) of Dewas classes. 60% of the teachers in Indore and 40% in Dewas were giving additional time to students after classes. Overall, students seemed satisfied in only 60% classes in both districts.

In respect of resources, 40% (of the sample surveyed) of teachers conveyed need for additional resources to the headmasters in both districts. Reference books and dictionaries were common resources demanded for assisting teaching in classes. After training, the trained teachers in Dewas were less active than in Indore to share their skills and knowledge from training with their colleagues. In Indore and Dewas, 80% and 60% teachers respectively, encouraged other teachers towards capacity building. Only 80% teachers in Dewas and 100% teachers in Indore initiated training related discussions during staff meetings. Module sharing was very low with 60% in Indore and 40% in Dewas

Activity Based Learning (ABL) – As per observations of Headmasters with respect to teachers with ABL training, only 80% (of the sample surveyed) teachers were found to be interested in the lessons. At the same time, students in only 60 % classes in Indore and 80% classes in Dewas showed an improvement in achievement level after teacher's training. There was also little improvement in attendance, in only 40% of Indore classes and 60 % of Dewas classes. 60% of the teachers in Indore and 40% in Dewas were giving additional time to students after classes. Overall, students seemed satisfied in only 60% classes in Indore and 80% in Dewas. This data reflects that teacher in Dewas district have been more successful in using their training to cater to the students.

In respect of resources, 60% of the teachers in Indore and 40% of teachers in Dewas conveyed need for additional resources to the headmasters in both districts. Cards, trays and separate rooms were common resources demanded for assisting teaching in classes. In both districts, teachers played an average role in sharing their knowledge from the training with other colleagues. 80% teachers encouraged other teachers towards capacity building, 100% teachers-initiated training related discussions during staff meetings and 80% shared their modules with other teachers.

Educational Implications- Based on the findings, the present study has following educational implications-

1. Participation in trainings increases the professional development of teachers. The government must take steps to send teachers for attending refresher courses, in service training so that the teachers may get a chance to participate and develop professionally.
2. The present study would help and influence the policy maker in rectifying the different skills of in-service teachers in teaching learning processes.
3. Theory and practical both activities developed the teacher's knowledge and classroom transaction skills. Practical activities developed more attention, interest, and motivation, so in trainings more activities should be added.
4. This study will help the teachers to know the importance of in-service trainings, like orientation and refresher courses for developing their attitude towards teaching efficiency.
5. The resource persons mostly used lecture method to deliver the content in training so there should be compulsory to distribute modules, handouts and copies of content, so that they may go through the material later on and more acquaintance with the material.
6. Training programmes should be organized in vacations, so that teachers can give their full time to the children.
7. For successful implementation of programme, involvement of all members of system should be important.

Thus, the findings of present study will also serve as a guideline for the educational planners and administrator in

framing action plan to solve the in-service teachers training problems at the elementary level of school education.

Suggestions for further research- Present study is based on capacity building of in-service training programme. Further research can be done on following areas-

1. The present study was conducted on in service teachers of Indore and Dewas districts. Similar study may be conducted for other districts.
2. Present study was conducted on capacity building of teachers. Similar study may be conducted on academic faculties of DIETs and CTEs.
3. Study may be conducted on quality and impact of training modules in the in-service training programme.
4. Further research may be conducted on other psychological impact on in service teachers through capacity building programme.
5. Present study was conducted on ALM, ABL programme. Similar study may be conducted on other training programme like CWSN Need based.
6. Further research may be conducted on capacity

building of lecturers who have attended the training programme at State level, under RMSA.

References:-

1. Carron, Gabriel, (1992). *Capacity building for educational planning and administration. IIEPs experience*. IIEP Contribution No.10. UNESCO: IIEP's printshop.
2. Bookes, Jill (1995). *Training and Development Competence, A Practical Guide*.
3. Proceeding of the National Seminar on Capacity Building of Teachers and Role of Teachers' Organisations (2005), Orissa: Indira Gandhi Women's Cuttack.
4. Uysal, H. Hacer (2012), *Evaluation of an In-Service Training Programme of Primary School Language Teachers in Turkey*. Ankara: Gazi University, Vol. 37(7), Article 2.
5. Active Learning Methodology module by Rajya Shiksha Kendra, Bhopal.
6. Activity Based Learning module by Rajya Shiksha Kendra Bhopal.

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर बहुमाध्यम उपागम के प्रभाव का अध्ययन

सीमा सिन्हा *

* शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र) राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ (झारखण्ड) भारत

शोध सारांश – आज के युग में मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष वैज्ञानिक खोजों तथा आविष्कारों से प्रभावित है। शिक्षा का क्षेत्र भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सका है। रेडियो, टेपरिकार्डर, टेलीविजन, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर आदि का बढ़ता हुआ उपयोग शिक्षा को तकनीकी के निकट लाता जा रहा है। अतएव पारम्परिक शिक्षण विधि की तुलना में नवीन तकनीक आधारित शिक्षण विधि की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इसीलिए शोधार्थी ने बहुमाध्यम उपागम का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है। अध्ययन में कक्षा 6, कक्षा 7 एवं कक्षा 8 के विद्यार्थियों से परम्परागत शिक्षण-विधि व बहुमाध्यम उपागम पर आधारित शिक्षण के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर शोधार्थी ने छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर बहुमाध्यम उपागम की उपयुक्तता पायी।

प्रस्तावना – बहुमाध्यम उपागम में बहुमाध्यम शब्द एक से अधिक माध्यम की ओर संकेत करता है। इस उपागम में एक से अधिक तकनीकों और साधनों का प्रयोग कर पाठ्यवस्तु को छात्रों तक पहुँचाया जाता है। शिक्षक द्वारा अनेक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्याख्यान, ओ०एच०पी०, टेप रिकार्डर, स्लाइड, मॉड्यूल, टी०वी०, कम्प्यूटर, पाठ्यपुस्तक, फिल्म, रेडियो सेमीनार, विभिन्न विधियाँ, प्रणालियाँ इत्यादि।

शिक्षण कार्य में इस उपागम का प्रयोग करते समय शिक्षक केवल शब्दों का ही प्रयोग नहीं करता, वह इसके अलावा कई और माध्यमों का प्रयोग करता है। आधुनिक नयी तकनीकी के साथ विविध प्रकार के चार्ट, पोस्टर, फोटोग्राफ, ड्रामा, खेल, पत्र-पत्रिकाएँ तथा रिकार्डर्स की भी व्यवस्था होती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अन्तर्गत भी शिक्षण अधिगम में बहुमाध्यम उपागम के प्रयोग पर विशेष जोड़ दिया गया है। विद्यालय में शिक्षक द्वारा बहुमाध्यम उपागम के प्रयोग का छात्रों द्वारा ग्रहण किये गये ज्ञान को स्थायी बनाने में सहायक होता है। इस उपागम द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान छात्रों के लिए स्पष्ट होता है। जबकि व्याख्यान द्वारा ग्रहण किये गये ज्ञान को छात्र जल्दी भूल जाते हैं। परन्तु अभिक्रमिक अधिगम सामग्री, मॉड्यूल एवं फिल्म द्वारा प्राप्त किये गये ज्ञान को वे बहुत समय तक याद रखते हैं।

बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग कठिन एवं जटिल विषयवस्तु को पढ़ाने व सीखने में शिक्षक एवं छात्रों के समय एवं शक्ति की बचत करने में सहायक होता है। कठिन विषयों को केवल शब्दों के माध्यम से पढ़ाकर स्पष्ट करने में शिक्षक को बहुत अधिक समय एवं शक्ति लगानी पड़ती है। लेकिन ऐसा करने के बावजूद पढ़ाया गया पाठ छात्रों को स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसी कठिन एवं जटिल विषय-वस्तु को अगर वीडियो फिल्म दिखाकर पढ़ाया जाये तो वह छात्रों के लिए स्पष्ट हो जाती है।

शिक्षक अधिगम में बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग रट्टे को कम करने में

सहायक होता है। केवल शब्दों के माध्यम से पढ़ाया गया पाठ विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है। इसीलिए वह इसे समझ नहीं पाते और रट्टा लगाकर याद करते हैं। बहुमाध्यम उपागम के द्वारा पढ़ाया गया पाठ छात्रों के लिए सरल एवं स्पष्ट होता है जिसके कारण उन्हें पढ़ाया गये पाठ को रटने की आवश्यकता नहीं होती है।

बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता को नियन्त्रित करने में सहायक होता है। केवल शब्दों के माध्यम से पढ़ाया गया पाठ छात्रों के लिए कठिन एवं निरस होता है, जिसके कारण कक्षाकक्ष में अनुशासनहीनता की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। बहुमाध्यम उपागम द्वारा पढ़ाया गया पाठ छात्रों के लिए सुगम एवं रुचिकर होता है वे सीखने में इतने लीन हो जाते हैं कि अनुशासनहीनता की समस्या पैदा ही नहीं होती।

बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में सहायक होता है। अगर शिक्षक कक्षा में केवल शब्दों के माध्यम से पढ़ाता है तो छात्र अपना ध्यान अधिक समय तक पाठ में नहीं लगा पाते। वह ऊब जाते हैं, क्योंकि केवल एक ही माध्यम के द्वारा पढ़ाया जा रहा पाठ उनके लिए निरस हो जाता है। वह पाठ को सीखने के लिए तत्पर नहीं होते क्योंकि एक ही माध्यम से पढ़ाया जा रहा पाठ उनमें इसे सीखने के लिए इच्छा नहीं उत्पन्न करता है। इसका परिणाम यह होता है कि अधिकतर छात्र या तो कक्षा में जम्हाई लेते हैं या सो जाते हैं अथवा कोई शरारत करते हैं। एक से अधिक माध्यमों जैसे – रेडियो पाठ, टी०वी० पाठ, टेपरिकार्डर, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, इंटरनेट के प्रयोग से छात्रों की पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है एवं उन्हें सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है।

उद्देश्य : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर बहुमाध्यम उपागम के प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर गहरा प्रभाव पाया जाएगा।

शोध विधि : प्रस्तुत शोध अध्ययन सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया

है। प्रस्तुत अध्ययन में रांची जिला के 10 माध्यमिक विद्यालयों में से कुल 300 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों (150 छात्रों एवं 150 छात्राओं) का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि से किया गया है। शोध अध्ययन में आंकड़ों के संकलन हेतु शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित बहुमाध्यम उपागम मापनी का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य में किसी अन्य सांख्यिकीय का प्रयोग न करके केवल प्रतिशत मान का प्रयोग किया गया है।

$$\text{प्रतिशतमान की संख्या} \times 100$$

$$\text{प्रतिशत} = \frac{\text{सम्पूर्ण संख्या}}{\text{सम्पूर्ण संख्या}}$$

सम्पूर्ण संख्या

व्याख्या एवं विश्लेषण : प्रस्तुत शोध अध्ययन 300 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर बहुमाध्यम उपागम के प्रभाव को ज्ञात करने के किया गया है। इसके लिए विद्यार्थियों के द्वारा अनुसूची को भरवाया गया तथा प्रदत्तों को एकत्र कर उसकी व्याख्या एवं विश्लेषण किया गया है। जिसको निम्न तालिका के द्वारा दर्शाया जा रहा है।

तालिका क्रमांक-1: कठिन एवं जटिल विषय को समझने में सहायक

क्र.	कठिन एवं जटिल विषय को समझने में सहायक	छात्र	छात्राएं	प्रतिशत
1.	हाँ	126	132	129
2.	नहीं	24	18	21
	योग	150	150	150

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 300 विद्यार्थियों में से 129 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि हाँ कठिन एवं जटिल विषय को समझने में बहुमाध्यम उपागम सहायक होता है जबकि 21 प्रतिशत विद्यार्थियों ने नहीं कहा। अतः इस तालिका से स्पष्ट है कि कठिन एवं जटिल विषयवस्तु को वीडियो, फिल्म दिखाकर पढ़ाये जाये तो इसका विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

तालिका क्रमांक-2: रटने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक

क्र.	रटने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक	छात्र	छात्राएं	प्रतिशत
1.	हाँ	94	106	100
2.	नहीं	56	44	50
	योग	150	150	150

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 300 विद्यार्थियों में से 100 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि हाँ बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग रटने की प्रवृत्ति को कम करता है जबकि 50 प्रतिशत विद्यार्थियों ने नहीं कहा। अतः इस तालिका से स्पष्ट है कि बहुमाध्यम उपागम के द्वारा पढ़ाया गये पाठ को रटने की आवश्यकता नहीं होती।

तालिका क्रमांक-3: कक्षा में अनुशासनहीनता को नियंत्रित करने में सहायक

क्र.	कक्षा में अनुशासनहीनता को नियंत्रित करने में सहायक	छात्र	छात्राएं	प्रतिशत
1.	हाँ	82	124	103
2.	नहीं	68	26	47
	योग	150	150	150

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 300 विद्यार्थियों में से 103 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि हाँ बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग कर कक्षाकक्ष में

अनुशासन को नियंत्रित किया जा सकता है जबकि 47 प्रतिशत विद्यार्थियों ने नहीं कहा। अतः इस तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि बहुमाध्यम का उपयोग करने से कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता को नियंत्रित किया जा सकता है।

तालिका क्रमांक-4: सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में सहायक

क्र.	सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में सहायक	छात्र	छात्राएं	प्रतिशत
1.	हाँ	146	22	33
2.	नहीं	14	128	67
	योग	150	150	150

उपयोग तालिका से स्पष्ट होता है कि 300 विद्यार्थियों में से 83 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि हाँ बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग उन्हें पाठ को सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं जबकि 67 प्रतिशत विद्यार्थियों ने नहीं कहा। अतः इससे स्पष्ट होता है कि बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है।

शिक्षा में बहुमाध्यम उपागम के प्रयोग करने से शिक्षक एवं विद्यार्थियों को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है :-

1. **शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंधों का अभाव :** शिक्षा पद्धति में बहुमाध्यम प्रयोग किये जाने से शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंधों में कमी आ गई है क्योंकि इन वैज्ञानिक तकनीकी के प्रयोग करने के कारण विद्यार्थी शिक्षकों की अनुपस्थिति में भी अपनी पढ़ाई को करते हैं लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि बालकों की भावात्मक तथा संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता है तथा मानवीय मूल्य जैसे सौहार्द, प्रेम, सहानुभूति आदि केवल अध्यापक छात्र के पारस्परिक संबंध से ही पनपते हैं।

2. **छात्रों द्वारा समय का दुरुपयोग :** कम्प्यूटर द्वारा सम्पन्न अधिगम कार्य में बालक स्वयं ही अधिगम कार्य करते हैं तथा उन्हीं का नियंत्रण रहता है। साथ ही बच्चे अपनी मनमानी करते हैं तथा पढ़ाई के स्थान पर अन्य प्रकार के खेल खेलने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। इसी प्रकार टेलीविजन, रेडियो आदि का प्रयोग करने पर यह भय बना रहता है कि वे मनमर्जी का आचरण भी कर सकते हैं। अतः वे अपने अधिकांश समय का दुरुपयोग कर देते हैं।

3. **नवीन तकनीकों के संबंध में शिक्षकों में जानकारी का अभाव:** वर्तमान युग में नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी का आविष्कार हो रहा है, जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाया जा रहा है लेकिन हमारे देश में बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें इस नवीन तकनीकों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने की जानकारी नहीं है और ना ही जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और वे प्राचीन तरीकों से ही अपना अध्ययन कार्य करते हैं। जिससे छात्र एवं अध्यापक दोनों का ही नुकसान होता है।

4. **विद्यार्थियों में सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों का अभाव :** शिक्षा जगत में कम्प्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, आदि बहुमाध्यम उपागम के प्रत्येक किये जाने से जहाँ एक ओर छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य पारस्परिक एवं भावात्मक संबंधों का अभाव होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों में सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों का अभाव भी होता जा रहा है। क्योंकि शिक्षक ही छात्रों की सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास में सहायक होते हैं लेकिन वैज्ञानिक बहुमाध्यम उपकरणों का शिक्षा

में प्रयोग किये जाने से छात्रों को शिक्षक की अनुपस्थिति में सीखने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शिक्षक द्वारा अभिप्रेरणा, उद्दीपन, पूछताछ तथा अन्वेषण शिक्षण विधि का प्रयोग किये जाने से छात्रों में सम्बन्ध, रूपान्तरण, सश्लेषण व अपसारी चिन्तन की योग्यताओं का विकास होता है। जिसका की वर्तमान युग में लोप होता जा रहा है, और जो भविष्य में एक भयंकर समस्या का रूप धारण कर लेगी।

5. सामान्य एवं मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए उपयोग नहीं : शिक्षा के क्षेत्र में बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग किये जाने से एक समस्या यह आती है कि इसमें सभी छात्र-छात्राओं के लिए एक ही प्रकार के साफ्टवेयर संग्रहित होते हैं, जिस कारण सामान्य एवं मंदबुद्धि छात्र-छात्राओं के लिए लाभप्रद नहीं होती है और वे अन्य विद्यार्थियों के समान गति से सिखने में कठिनाईयों का अनुभव करते हैं।

6. छोटे बच्चों के लिए खतरनाक : बिजली का उपकरण होने के कारण यह छोटे बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।

7. ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय में बिजली की व्यवस्था नहीं : हमारे देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। अतः इन विद्यालयों में कम्प्यूटर, टेलीविजन आदि तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

8. अत्यंत खर्चीला : इन उपकरणों के खराब हो जाने से उनकी मरम्मत करने में समय की बर्बादी के साथ-साथ खर्च भी ज्यादा हो जाता है साथ ही इनके रख-रखाव में भी खर्च आता है।

9. शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव : भारत के अधिकांश विद्यालयों में बड़े कमरे, सेमिनार कक्षा या सम्मेलन कक्षों का अभाव होता है। टेलीविजन, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, रेडियो द्वारा शिक्षक कार्य किये जाने के लिए बड़े कमरों एवं सेमिनार कक्षों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इनके अभाव में शिक्षण प्रभावकारी नहीं होगी जो विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है।

निष्कर्ष : प्रस्तुत शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बहुमाध्यम उपागम से पढ़ाये गये विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एक ही माध्यम अर्थात् परम्परागत विधि द्वारा पढ़ाये गये छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से अधिक

होती है। शिक्षक बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग कर मौखिक एवं नीरस पाठों को अधिक स्वाभाविक, मनोरंजन तथा उपयोगी बनाकर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करते हैं और विद्यार्थी इस प्रकार के पाठ को सरलता से याद कर लेते हैं। इससे विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः उपयुक्त विवरण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर भी पहुँचते हैं कि विज्ञान द्वारा प्राप्त तकनीकी जैसे :- टेलीविजन, रेडियो, कम्प्यूटर आदि अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण शिक्षक के हाथ में होता है, जिसका उपयोग करके शिक्षक अपने विद्यार्थियों को गहन ज्ञान दे सकता है। ऋषिय-वस्तु पर 100 प्रतिशत तक निपुणता प्रदान करा सकता है और उन्हें ज्ञान के अंतिम पद तक रूचिपूर्वक ले जाने में सफल हो सकता है। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के अनुपस्थिति में इन उपकरणों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा जगत में बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग किये जाने से शिक्षा का प्रसार न केवल शहरों में हुआ बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो गया है। साथ ही विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा इन बहुमाध्यम उपागम का उपयोग उचित ढंग से नहीं किये जाने से उन्हें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। अतः हमें इनका उपयोग अपने ज्ञानावर्धन करने में करना चाहिए जिससे ना केवल हमारा वरन् सम्पूर्ण देश का विकास हो सकेगा।

सुझाव : शिक्षकों को बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग विद्यार्थियों को वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। बहुमाध्यम उपागम शिक्षा ग्रहण करते समय विद्यार्थी अपनी मनमानी करते हैं तथा पढ़ाई के स्थान पर अन्य प्रकार के क्रियाकलाप में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। अतः शिक्षक की विषय-वस्तु को ध्यान में रखकर बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. कपिल, एच0के0 (2007), अनुसंधान विधियाँ, मनोविज्ञान विभाग राज बलवंत सिंह महाविद्यालय, आगरा।
2. सिंह, हरिशंकर (2013) - शैक्षिक तकनीकी, अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
3. शर्मा, आर0ए0 (2002) - शिक्षा के तकनीकी आधार आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ

महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन

शालिनी कुमारी *

* शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र) राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ (झारखण्ड) भारत

शोध सारांश – कुपोषण एक अथवा कई आवश्यक पोषक तत्वों की कमी एवं एक अथवा कई आवश्यक पोषक तत्वों की अधिकता से उत्पन्न परिणाम है जो कि अपोषण अतिपोषण के रूप में दिखाई देते हैं। जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी भोज्य तत्व नहीं मिलते या आवश्यकता से अधिक मिलते हैं, जिसके कारण शरीर की वृद्धि और विकास तथा उसकी क्रियाशीलता प्रभावित होता है तो यह कुपोषण कहलाता है। कुपोषण भोजन में आवश्यक उपयुक्त एवं पौष्टिक तत्वों का अभाव का होना है। भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी जो शरीर के स्वास्थ्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। संतुलित और पौष्टिक आहार लेने से ऊर्जा के साथ-साथ शरीर में अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। जिससे हमारा शरीर स्वस्थ एवं सुगठित रहता है। भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्व की कमी के कारण बच्चे कुपोषण तथा अन्य बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।

शब्द कुंजी – क्रियाशीलता, पौष्टिक, सुगठित, अनुकूल, संतुलित आहार।

प्रस्तावना – शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोण से स्वस्थ रहने पर ही एक व्यक्ति परिवार, समाज और देश के विकास तथा खुशहाली के लिए ठोस आधार प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार बच्चे को यदि उचित आहार मिला है तो मिलने वाले आहार से उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो वह स्वस्थ रहता है और उसका संपूर्ण विकास भी निर्बाध गति से होता रहता है तथा भविष्य में एक सफल मानव संसाधन के रूप में देश के विकास में सहयोग दे पाता है। शिक्षा की कमी भी इसका एक प्रमुख कारण है इसलिए पोषण संबंधी शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए जिससे जन सामान्य इसके महत्व को समझे और फिर उसके नियमों को अपनी शैली में अपनाए। वे अपने परिवार की पोषण तत्वों से भरपूर भोजन दे सके और उनको रोगों से बचा सके। पोषण या शरीर को पुष्ट बनाने का विज्ञान अपेक्षाकृत नवीन विज्ञान है। मानव की सदैव से ही भोजन के उपयोग तथा शरीर पर पड़ने वाले उसके प्रभाव आदि के विषय में जानने की उत्सुकता एवं रुचि रही है। मानव शरीर एक यंत्र के समान है जिसके विभिन्न अंग यांत्रिक कल पूजों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है ठीक उसी प्रकार शरीर को सुचारु रूप से कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है शरीर के अंगों के कार्य करते रहने के कारण शक्ति व ऊर्जा व्यय होती है तथा जीवाणु नष्ट होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त इस सजीव शरीर में वृद्धि और विकास भी निरंतर होता रहता है। अतएव मानव का भोजन एवं पोषण प्राप्त होने से शरीर हर प्रकार से स्वस्थ रहता है। शरीर का विकास उचित ढंग से होता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा आयु एवं ऊँचाई के अनुरूप भार को बनाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में शरीर में ऊर्जा होना जिसके लिए वसा तथा कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। मांसपेशियों के उत्कर्ष के निर्माण एवं पुनर्निर्माण हेतु भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा प्रदान करने एवं नियंत्रित करने तथा निश्चित मात्रा में शरीर के महत्वपूर्ण निर्माण के लिए एमिनो एसिड

प्रदान करने हेतु समुचित मात्रा में प्रोटीन आवश्यक है। शरीर के ढाँचे को सुंदर एवं हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए रक्त का शरीर की प्रमुख प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थों, विटामिन, जल तथा रफेज की आवश्यकता होती है। पोषण शरीर की आकृति एवं आकार को प्रभावित करता है जबकि वंशानुक्रम मनुष्य के शारीरिक ढाँचे की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। वातावरण शरीर के आधार को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने में सहायक या बाधक होता है। कई प्रकार के रोगों को अवरोधक क्षमता की कमी पोषण की न्यूनता जन्य रोग जैसे-रक्तहीनता, स्कर्वी, बेरी-बेरी आदि को पर्याप्त एवं उपयुक्त पोषणयुक्त भोज्य पदार्थों के द्वारा दूर किया जा सकता है। पोषण के नवीन ज्ञान से मनुष्य की औसत आयु में वृद्धि हुई है। उन्नत पोषण के परिणामस्वरूप मानसिक कुशलता में भी अभिवृद्धि होती है। उत्तम तथा स्थिर मानसिक कार्य करने की योग्यता बहुत कुछ उत्तम शारीरिक दशा एकाग्रचित्त तथा मानसिक उपलब्धियों में सह संबंध देखा गया है। कई अवसरों पर अधीर, चिड़चिड़ा तथा एकाग्रचित्ता के अभाव वाले समस्या बालक के भोजन में जब समुचित परिवर्तन किया गया तो उसके व्यवहार में पर्याप्त सुधार पाया।

हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की सही मात्रा में आवश्यकता होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन खनिज-लवण, जल, रेशा इत्यादि। शरीर का उचित ढंग से वृद्धि एवं विकास हो सके इसके लिए सभी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। सभी अवस्थाओं में अलग-अलग मात्रा में प्रोटीन तत्वों की आवश्यकता होती है जैसे-कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज-लवण, जल, रेशा इत्यादि।

राज्य में कुपोषण की स्थिति – 'कुपोषण एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है जिसकी प्रकृति न केवल राष्ट्रीय है बल्कि अंतराष्ट्रीय है। कुपोषण का सीधा अर्थ है समुचित पोषण का अभाव पर्याप्त पोषण प्राप्त करने के लिए सही ढंग से संतुलित आहार लेना आवश्यक है। कुपोषण किसी भी आयु के

व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, परंतु फिर समाज के लिए दुष्प्रभावकारी है, क्योंकि कुपोषण महिलाएँ और बच्चे का दुष्परिणाम सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ी को भी भुगतना पड़ता है। महिलाएँ एवं बच्चे पूरे परिवार एवं समाज का महत्वपूर्ण आधार सतम्भ है। कुपोषण मुख्य तौर पर दैनिक कमजोरी मानसिक अवसाद, रक्ताल्पता आँखों के नीचे कालापन हो जाना, आँखें अंदर की ओर धंस जाना भुख न लगना सांस फुलना, चक्कर आना अनिद्रा इत्यादि। आहार में विशेष पदार्थ की कमी जैसे विटामिन, लौह तत्व प्रोटीन खनिज तत्व आदि की कमी होने पर कुपोषण से ग्रसित होता है, जागरूकता का अभाव, शिक्षा का अभाव, स्वच्छ जल का अभाव, रूढ़िवादिता, साफ सफाई में कमी एवं गरीबी के कारण कुपोषण का शिकार हो जाता है।

शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है अथवा कुपोषण एक अथवा कई आवश्यक पोषक तत्वों की कमी एवं एक अथवा कई आवश्यक पोषक तत्वों की कमी अधिकता से उत्पन्न परिणाम है जो कि अपोषण अतिपोषण अथवा पोषण असंतुलन के रूप में दिखाई देते हैं। 'जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी भोज्य तत्व नहीं मिलते या आवश्यकता से अधिक मिलते हैं, जिसके कारण शरीर की वृद्धि और विकास तथा उसकी क्रियाशीलता प्रभावित होता है तो वह कुपोषण कहलाता है। कुपोषण पोषण की वह स्थिति होती है, जिसमें किसी व्यक्ति को मिलने वाले भोज्य पदार्थ के गुण और परिणाम में अपर्याप्तता होती है या अधिकता होती है दोनों ही स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है।'

कुपोषण के कारण :-

(1) अपर्याप्त भोजन :- कुपोषण का प्रमुख कारण शरीर की आवश्यकतानुसार उपयुक्त एवं पौष्टिक भोजन का अभाव हो सकता है। भोजन में ऐसे तत्वों की कमी जो शरीर के स्वास्थ्य एवं वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हो।

(2) अनुपयुक्त भोजन :- यदि किसी व्यक्ति का भोजन उसकी आवश्यकता के अनुकूल नहीं है तथा यह स्थिति अधिक समय तक बनी रहती है तो कुपोषण का होना स्वाभाविक है।

(3) अनुचित भोजन :- कुछ भोजन अपेक्षाकृत अपचनशील होते हैं अतः भोजन में ऐसे भोज्य पदार्थों की मात्रा अधिक होने पर पोषण समुचित रूप से नहीं हो पाएगा।

(4) भोजन संबंधी आदत :- भोजन से संबंधित स्वस्थ आदतों को अपनाकर कुपोषण से बचा जा सकता है।

(5) अस्वस्थकर वातावरण :- शुद्ध व ताजी वायु की कमी, सूर्य के प्रकाश का अभाव, उपयुक्त व्यायाम की व्यवस्था न होना आदि भी कुपोषण की स्थिति उत्पन्न करने सहायक होते हैं।

कुपोषण के लक्षण :

1. उम्र या लम्बाई के अनुसार कम या अधिक वज़न।
2. मांसपेशिया अत्यंत नर्म एवं ढीली शरीर पर वसा की तह या तो बहुत कम अथवा बहुत अधिक।
3. अस्थि विकृत दिखना, घुटनों का टकराना या धनुषाकार पैर।
4. अत्यधिक थकान का अनुभव होना, अत्यंत घबराने की प्रकृति, आसानी से उत्तेजित होना।
5. भूख कम हो जाती है तथा अपाचन की स्थिति कमजोर तथा निरुत्साहित

रहना किसी कार्य में ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाना।

कुपोषण का प्रभाव - शरीर को आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलने से बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।

बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ कुपोषण ही है। स्त्रियों में रक्ताल्पता या घेघा रोग अथवा बच्चों में सूखा रोग या रतौधी और यहाँ तक कि अधापन भी कुपोषण का ही दुष्परिणाम है।

कुपोषण बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। यह जन्म के बाद या उसमें भी पहले शुरू हो जाता है और 6 महीने से 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों में तीव्रता से बढ़ता है।

सबसे भयंकर परिणाम इसके द्वारा होने वाला आर्थिक नुकसान है। कुपोषण के कारण मानव उत्पादकता 10-15 प्रतिशत तक कम हो जाती है जो सकल घरेलू उत्पाद को 5-10 प्रतिशत तक कम कर सकता है।

राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 :- राष्ट्रीय पोषण नीति को सरकार द्वारा वर्ष 1993 में अंगीकार किया गया था। इसके अंतर्गत कुपोषण मिटाने और सबके लिए इष्टतम पोषण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहु-सेक्टर संबंधी योजना की वकालत की गई। यह योजना देश भर में पोषण के स्तर की निगरानी करने तथा अच्छे पोषण की आवश्यकता व कुपोषण रोकने की जरूरत के संबंध में सरकारी मशीनरी को सुग्राही बनाने पर जोर देती है।

एनीमिया मुक्त भारत अभियान :- वर्ष 2018 में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य एनीमिया की वार्षिक दर को एक से तीन प्रतिशत तक कम करना है।

मिड-डे मील योजना :- इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है, जिससे स्कूलों में नामांकन प्रतिधारण और उपस्थिति पर प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना :- इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवाएँ प्रदान करना है।

एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme) :- इस योजना के अंतर्गत 6 साल के बच्चों गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत राहत पैकेज प्रदान करना है।

भारतीय संविधान और कुपोषण - संविधान के अनुच्छेद-21 और अनुच्छेद-47 में भारत सरकार को सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन के साथ एक सम्मानित जीवन सुनिश्चित करने हेतु उचित उपाय करने के लिए बाध्य करते हैं किंतु भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 21 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। वही संविधान के अनुच्छेद-47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में शामिल करेगा।

कार्यक्रमों की असमर्थता का कारण - बजट 2020 ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कई पोषण आधारित योजनाओं के तहत किया गया व्यय उनके अधीन आवंटित की गई राशि की तुलना में काफी कम है।

1. किसी भी योजना के लिए आवंटित वित्त संसाधनों के अल्प-उपयोग

से आगामी वर्षों के लिए होने वाला आवंटन भी प्रभावित होता है जिससे बजट को बढ़ाने और पोषण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना भी सीमित हो जाती है।

2. कई विशेषज्ञ कृषि को कुपोषण से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का अच्छा तरीका मानते हैं किंतु देश की पोषण आधारित अधिकांश योजनाओं में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। पोषण आधारित योजनाओं और कृषि के मध्य संबंध स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि देश की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या आज भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और सर्वाधिक कुपोषण ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है।

3. आंकड़े दर्शाते हैं कि पोषण अभियान, जो कि कुपोषण को संबोधित करने की एक बड़ी पहल है, के लिए आवंटित कुल राशि का 72 प्रतिशत हिस्सा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर खर्च किया जा रहा है। जिसके कारण अभियान के मूल उद्देश्य पीछे छुट रहे हैं।

निष्कर्ष – गाँव में शिक्षा का अभाव है वहाँ अज्ञानता का अंधकार है जिसमें रूढ़िवादिता, अंधविश्वास तथा मिथ्या आस्थाएँ और भ्रांतियाँ पूरी तरह से फल फूल रही हैं। इनके कारण लोग उपलब्ध वस्तुओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। भोजन संबंधी भ्रमक धारणाएँ भी लोगों के द्वारा खाद्य सामाग्रियों के पोषक तत्वों का पूरा लाभ उठाने के रास्ते में आड़े आती हैं। संपूर्ण अध्ययन से स्पष्ट है कि कुपोषण के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक तथा आर्थिक और कुछ अन्यान्य कारण हैं। आहार संबंधी मिथ्या आस्थाओं भ्रांतियों का भी कुपोषण में योगदान रहता है। परिवार की भोजन शैली और निजी विशिष्ट प्रथाएँ एवं आदते भी इसका कारण हो सकती हैं।

सुझाव :

- सरकार द्वारा संचालित जो भी चिकित्सालय है उनमें विभिन्न प्रकार की जाँच के लिए बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान देकर उन्हें प्राथमिकता देना चाहिए।
- आंगनबाड़ी में पोषक तत्वों से संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित, पोषणीयस्तर से संबंधित जानकारी देना। आंगनबाड़ी में बच्चों के उनके खान-पान से संबंधित उनके उम्र के साथ बढ़ती अज्ञानता के बारे में बताने की आवश्यकता है।
- उच्च प्रोटीन आहार जैसे-सोयाबीन, मूंगफली बिनौले, फलियों का आटा आदि के मिश्रण से जो प्रोटीन आहार बनता है उसमें 45 से 50 प्रतिशत तक प्रोटीन होता है इसकी जानकारी भी महिलाओं को देना होगा। ताकि वे अपने बच्चों के शरीर को स्वास्थ्य वर्द्धक बना सकें।
- स्कूलों में पोषण से संबंधित विषय को रखना चाहिए। जिससे बच्चे विद्यालय में ही पोषण के बारे में सही से जान पायें तथा उनके महत्व को समझ कर अपने दैनिक जीवन में शामिल करें।
- बच्चों के व्यायाम के फायदों के बारे में बताना तथा उन्हें नियमित रूप से करने की सलाह भी देने की आवश्यकता है ताकि वे अपने शरीर को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- बी.पी.एन.आई. बुलेटिन 1998 : स्तनपान एवं अनुपूरक खाना के लिए मार्ग दर्शन खण्ड-2, अंक-3
- बेगम, एम.रहिना, 1991 : ए.टेक्स्ट बुक ऑफ फूड्स न्यूट्रिशन एण्ड डायटेटिक्स सेकेण्ड रिवाइज्ड एडिशन स्टालिंग पाब्लिशर्स प्राइवेट

लिमिटेड, न्यू दिल्ली

- मुदाम्बी, एस.आर राजगोपाल एम.बी, 1983 : फंडामेंटल ऑफ फूड एण्ड न्यूट्रिशन विले इस्टर्न लिमिटेड, हैदराबाद
- महालक्ष्मी आर. 2021 : सही भोजन भारत ज्ञान विज्ञान, समिति
- मोय्य अनिल कुमार, 2007 : संचालन जनजाति आहार एवं स्वास्थ्य की समस्या के.के.पब्लिकेशन्स
- मुदाम्बी सुमित आर., 1982 केयरिंग एण्ड रियरिंग ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन जैको मुम्बई
- मणि दिनेश, 2008 : आधुनिक जीवन शैली एवं स्वास्थ्य प्रबंधन, साहित्य भारती, दिल्ली
- राणावत रमा, 2007 : भोजन और स्वास्थ्य विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
- राणावत, रमा, 2007 : आहार नियोजन विश्व भारती पब्लिशिंग कम्पनी नई दिल्ली
- राजकुमार, 2009 : महिला एवं विकास अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
- रोमन, 1972 : आई.सी. पब्लिक हेल्थ पेपर्स नं. 48 जेनेवा,
- रेडक्लीफ, जॉन, 1984 : इन प्रैक्टिसाइजिंग हेल्थ फॉर आज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रेस
- वर्मा प्रमिला एवं पाण्डेय क्रांति, 1989 : आहार एवं पोषण विजय भगत साइंटिफिक बुक कम्पनी अशोक राजपथ, पटना
- वर्मा प्रमिला एवं पाण्डेय क्रांति 2005 : आहारिकी, विजय भगत, साइंटिफिक बुक कम्पनी, अशोक राजपथ, पटना
- वर्मा प्रमिला एवं पाण्डेय क्रांति 1997 : आहार एवं पोषण साइंटिफिक बुक कम्पनी, अशोक राजपथ, पटना
- वर्मा प्रमिला एवं पाण्डेय क्रांति 2006 : आहार एवं पोषण विज्ञान बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना,
- वर्मा प्रमिला एवं पाण्डेय क्रांति 1999 : मानव विकास साइंटिफिक बुक कंपनी, पटना
- वर्मा उमेश कुमार, 2005 : समेकित बाल विकास योजना का मूल्यांकन, राँची जिला के विशनपुर प्रखण्ड का अध्ययन सारांश
- वर्मा एवं पाण्डेय, 1989 आधुनिक गृह विज्ञान मानव विकास साइंटिफिक बुक कम्पनी, पटना
- बेलबॉर्न एच., 1963 : न्यूट्रिशन इन ट्रोपिकल कंट्रीज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मुम्बई
- शैरी जी.पी, 2008 : पोषण एवं आहार विज्ञान विनोद पुस्तक मंदिर आगरा-2
- शर्मा अल्पना पन्त, नवम्बर 1998, 'माँ का दूध' : एक पूर्ण पोषक आहार योजना वर्ष 42, अंक-8
- शॉ गीता पुष्प शॉ जॉयस शीला, 1995 : व्यवहारिक आहार विज्ञान एवं आहार चिकित्सा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
- शाह, पी.एम., 1974 : अर्ली डिटैक्शन, एण्ड प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, पॉपुलर, प्रकाशन मुम्बई
- सिंह अनिता : आहार एवं पोषण विज्ञान स्टार पब्लिकेशन्स, लोहामण्डी, आगरा
- सी.एफ.एन, 2005 : शरीर की पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति

- कैसे करे, इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, सतत् शिक्षा विद्यापिठ
27. सुखिया एस.पी 1989 :पोषण एवं आहार विज्ञान के मूल सिद्धान्त शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी
28. सिंह एवं झा; 1997 :मानव विज्ञान; भारती भवन
29. सुलेमान मुहम्मद :मनोविज्ञान सामाजिक तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, विश्व भारती पब्लिकेशन्स; नई दिल्ली
30. सिंह सबिता, 2010-2011 : भारत में स्त्री शिक्षा अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा-2
31. सचमैन; 1963 : ई0 ए0 सोसियोलॉजी एण्ड द किल्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, रसेल सेज फाउण्डेशन, न्यूयार्क
32. स्वामिनाथन एम., 2003 :आहार एवं पोषण विज्ञान एन.आर.ब्रदर्स, इन्दौर
33. स्वामिनाथन एम., 2001 :आहार एवं पोषण विज्ञान, एन, आर ब्रदर्स इन्दौर
34. हबसन, 1965 :डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ एण्ड हिस्ट्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन
35. हरपालानी बी.डी., 1994 :आहार विज्ञान एवं उपचारात्मक पोषण स्टार पब्लिकेशन्स आगरा-2
36. श्रीवास्तव भारती, 1997 : इंटर गृह विज्ञान भारती भवन (पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स) कदम कुआँ पटना,
37. श्रीवास्तव अर्चना, सिंह दिशा 2014 : स्वास्थ्य एवं रोगों में पोषणीय व्यवस्था अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा-2

भारतीय सिनेमा के गलियारों में आहत आदिवासी उद्गार

कैलाश भाभोर *

* शोधार्थी (हिंदी) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना - भारतीय परंपरा में साहित्य एवं सिनेमा की अपनी एक गौरवशाली श्रंखला रही है। भारतीय सिनेमा पर केंद्रित विगत कई कालखंड जो सत्यता के छोर पर प्रति स्थापित हुए हैं। सहवर्ती समस्याओं की संवेदना को संपूर्णता से अभिव्यक्त करने के अत्यंत लोकप्रिय एवं मजबूत माध्यम सिनेमा और साहित्य दोनों रहे हैं। संभवतः साहित्य और सिनेमा सुसावस्था में पड़े लोगों को जगाने का कार्य करता है। भारतीय सिनेमा जीवन की तरह एक जिंदा सिनेमा है जिसकी धड़कन कहीं भी सुनी जा सकती है।

भारतीय सिनेमा जीवन के तमाम जटिलताओं की तहतक जाकर शिनाख्त करने का साहस रखता है और उसके उपर की प्रत्येक अहितकारी परतों को हटाने का पुरजोर प्रयास करता है। भारतीय सिनेमा द्वारा आदिवासी मूल्यों व विस्थापन के मुद्दे पर सवाल उठाती फिल्मों का प्रदर्शन समकालीन राजनीतिक-प्रशासनिक व कारपोरेट जगत की विनाशकारी विद्रूपता को स्पष्टता से प्रदर्शित किया गया है। आदिवासी अस्मिता व संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती फिल्मों से आज भी भारतीय समाज अनजान है। कारण जो भी रहा हो लेकिन ऐतिहासिक व मानवीय दृष्टि से यह एक विचार गर्भित बिंदु है। आदिवासी मूल्यों की जटिल स्थितियों की और इंगित करते कथित फिल्मी दस्तावेज परिचर्चा योग्य है।

तमिल भाषा में विजय द्वारा निर्देशित फिल्म 'वनामगन' जिसे हिंदी में 'टार्जन द हीमैन' के नाम से फिल्म का रूपांतरण किया गया जिसमें मुख्य किरदार की भूमिका में 'जारा' है इन्हें हिंदी रूपांतरण में 'वासी' नाम से भी परिचित किया गया है जो कि अंडमान निकोबार के एक आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि पात्र हैं और फिल्म के नायक भी यही है। फिल्म की कहानी अत्याचार शोषण से पीड़ित अंडमान के आदिवासी समुदाय की है जिसमें आदिवासी नरसंहार एवं विस्थापन का सजीव चित्रण किया गया है। फिल्म की कहानी में अंडमान के इस टापू पर एक रिसर्च से यहां पर दस हजार टन सोने व एक लाख टन तांबे के भंडार होने के संकेत मिले हैं जिस कारण राजशेखर नाम के एक भारतीय उद्योगपति द्वारा अमेरिका माइनिंग कंपनी के साथ समझौता कर दो हजार करोड़ की डील साइन कर लेते हैं। और दो-सौ वर्ग किलोमीटर का भूखंड सरकार से लीज पर लेकर काम प्रारंभ करने के प्रयास में है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अंडमान में आदिवासी समुदाय की संख्या कम होने के कारण राजशेखर नाम का उद्योगपति वहां से सभी आदिवासी समुदाय के लोगों को जमीन से बेदखल करने के इरादे में है लेकिन वहां के मूल निवासी आदिवासी समुदाय उनका विरोध करते हैं और काम में रुकावट

बनते हैं परिणाम स्वरूप एक पुलिस बल उनसे बात करने भेजा जाता है लेकिन जब वे नहीं मानते हैं तब उन पर बंदूक चलाने का आदेश मिलता है लेकिन उसी समय आदिवासी समुदाय की भीड़ से एक बच्ची अपने पिता को आवाज देती है उस बच्ची को देखकर उसके पिता हैरान हो जाते हैं और कुतूहल व उत्सुकता से उसे गले लगा लेते हैं इस बच्ची के पिता कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस अफसर है जो आदिवासी समुदाय पर फायरिंग का आदेश देता, दरअसल पुलिस अफसर की बच्ची कुछ दिनों पहले एक खरगोश के पीछे-पीछे जंगल में आ जाती है और उस जंगल में जब शेर उस बच्ची पर हमला करने ही वाला होता है की जारा जो कि फिल्म का नायक है आ जाता है और उस बच्ची को शेर से सुरक्षित बचा लेता है और अपने साथ कबीले में ले आता है।

वह बच्ची पुलिस अफसर की एकमात्र बेटी होती है जो विवाह के लगभग सोलह वर्षों बाद जन्म लेती है। पुलिस अफसर को जब मालूम होता है कि जारा ने उसकी बेटी को बचाया है तो वह भावुक हो जाता है और आदिवासी कबीले को बिना नुकसान पहुंचाए वापस चला आता है। इस कारण उस अफसर से सीनियर अधिकारी नाराज हो जाते हैं और वह जमीन खाली करवाने के लिए किसी अन्य पुलिस अफसर को नियुक्त करते हैं नियुक्त किया हुआ नया पुलिस अफसर बहुत ही क्रूर किस्म का होता है। रात को जब सभी आदिवासी अपने-अपने घरों में सो रहे होते हैं तभी पुलिस अफसर उन पर अचानक हमला कर देता है।

जिसमें कबीले के सरदार सहित कई लोगों की हत्या कर दी जाती है घरों को जला दिया जाता है, बच्चों-महिलाओं-बुजुर्गों किसी को बख्शा नहीं जाता इस नरसंहार के बाद अन्य बचे हुए लोगों को बंधक बना लिया जाता है इन बंधकों में फिल्म का नायक जारा भी होता है। परंतु एक पुलिस अफसर द्वारा जारा को चुपके से आजाद कर दिया जाता है क्योंकि जारा ने शेर से उस पुलिस अफसर की बेटी को बचाया था जब अन्य पुलिस अधिकारियों को मालूम होता है कि जारा कहीं गायब है तब अन्य पुलिस अधिकारी उसका पीछा करते हैं उस दौरान पुलिस से बचकर भागते हुए जारा का एक कार द्वारा हादसा हो जाता है।

हादसे में बुरी तरह घायल नायक जारा को चेन्नई के एक शहरी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जारा को गाड़ी से टक्कर मार एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस फिल्म की नायिका काव्या होती है, क्योंकि काव्या और उसके साथी दोस्त अंडमान में पिकनिक मनाने आए हुए होते हैं और अनजाने में ये हादसा हो जाता है तभी यह लोग मानवता का परिचय देते हुए

जारा को अपने साथ चेन्नई ले आते हैं वहां जारा का उपचार करवाया जाता है जारा ठीक भी हो जाता है।

इस तरह की छोटी-छोटी परिघटनाओं से फिल्म आगे बढ़ती है। अंडमान जाने के पश्चात मालूम होता है कि जारा के साथ जिस कंपनी ने अत्याचार किया वह कंपनी किसी और की नहीं बल्कि उस कंपनी के ऑनर काव्या स्वयं थी। फिल्म की कहानी में आदिवासी कबीले के लोगों के प्रति अन्य लोगों का बनावटी स्वरूप स्पष्ट देखने को मिलता है विशेषकर वे जो स्वयं को सभ्य ज्ञानी और समझदार की श्रेणी में प्रतिपादित हैं।

फिल्म में विक्की नाम का एक पात्र गलत इरादे से जब नायिका काव्या के कमरे की ओर बढ़ता है तब जारा उसे कमरे से बाहर कर दरवाजा बंद करता है काव्या को बाहर जाने से रोकता है तो लेकिन जब काव्या जारा को बिना हकीकत ज्ञान जंगली की उपाधि देती है तब फिल्म का एक पांडियन नाम के पात्र कासंवाद इसकी पुष्टि करता नजर आता है कि-

“जंगल में हर कोई जानवर नहीं होता और शहर का हर शख्स इंसान नहीं होता”

फिल्म के एक अन्य दृश्य में उद्योगपति राजशेखर जो कि फिल्म में बतौर खलनायक की भूमिका में है नायिका को कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए किया.. ‘काव्या इंडस्ट्री’ के लिए किया मैंने, तब नायिका काव्या कहती है की मुझे कुछ नहीं चाहिये ऐसा कह कर जाने को कहती है तब राजशेखर कहता है कि-ये क्या कर रही हो काव्या..!

इस आदिवासी पागल के लिये..!

तब काव्या कहती है कि -

“आदिवासी ही सच्चे इन्सान होते हैं शहरों में मैं रहने वाले आप जैसे लोग असली जंगली हैं जो पैसों और पावर के लिये इंसानियत को बेच देते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिये जीते हैं और किसी के लिए नहीं”²

फिल्म का एक पक्ष लोभ, लालच, स्वार्थ के बूते गैर कानूनी रूप से प्रकृति को उजाड़कर एक तरफा अधिपत्य करना चाहता है, तो दूसरा पक्ष प्रकृति को बचाने के साथ अपने अस्तित्व और पहचान को बचाव रखने के लिए संघर्ष करता दिखाई पड़ता है।

दूसरी फिल्म- ‘कदमबन’ राघवा द्वारा निर्देशित यह एक तमिल फिल्म है जिसे हिंदी में भी इसी नाम से रूपांतरण किया गया जिसमें मुख्य किरदार के रूप में ‘कदंबा’ नाम का नायक है। फिल्म का नायक ‘कदंबा’ आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि पात्र है। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है जंगल से जहां फिल्म का नायक ‘कदंबा’ बड़ी कुशलता से दुर्गम पहाड़ी से एक रस्सी के सहारे नीचे की ओर छलांग लगाता है और किस प्रकार बड़ी बहादुरी और शूरता से शहद निकालता है। फिल्म का दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे पहाड़ी को बादलों ने अपने आंचल में छुपा कर रखा है पहाड़ी का दृश्य जितना मनमोहक उतना ही खतरनाक अगर गलती से पैर फिसला तो सीधे यमराज के दरबार में दस्तक, लेकिन इस तरह के कार्य उनके रोजमर्रा दैनिक जीवन का सामान्य हिस्सा हुआ करते हैं जब नायक ‘कदंबा’ अपने साथियों के साथ जंगल के रास्ते शहद लेकर वापस अपने कबीले की ओर कुच करते हैं तभी जंगल में पेड़ से औंठे मुंह लटकाए हुए शेर का शव दिखाई पड़ता है यह दृश्य उन सभी पर बड़ा आघात करता है क्योंकि बड़ी बेरहमी से स्वार्थी शिकारियों द्वारा शेर की खाल, नाखून व दांत निकाले गए थे अभी भी उस शेर के शव से खून की अटूट धारा बह रही थी इसी सन्नाटे में फिल्म का नायक ‘कदंबा’ शव के पास आकर शेर के खून को उंगलियों से छू-कर

बताता है- इसे अभी थोड़ी देर पहले ही मारा गया है। आगे जो कहता है वह अत्यंत ही मार्मिक है कहता है-

‘हमारे दादा-परदादा ने जो जानवर देखे उनमें से आधे हमारे पिता ने नहीं देखे और जो हमारे पिता ने देखे वह जानवर हमने नहीं देखे आज जो जानवर हम देख रहे हैं कल को हमारी आने वाली पीढ़ी शायद ही उन्हें देख पाएगी।’³

इस पर नायक के पिता कहते हैं -

“सिर्फ लालच व्यापार के लिए पेड़ काटकर लकड़ी ले जाते हैं हाथी मारकर दांत ले जाते हैं

हर कोई शहर से आकर जंगल से पैसा बना रहे हैं।”⁴

तभी नायक कहता है-

‘सारा जंगल बेच खाएंगे तो भी इन्हें कम पड़ेगा जिसने भी किया है बस हाथ लग जाए उसकी भी यही हालत करूंगा..’⁵

विडंबना देखिए अगले ही दृश्य में मालूम होता है कि जो शिकार किया गया था वहवन विभाग के रेंजर के इशारे पर हुआ था, रेंजर शिकारियों को धमकाता हुआ दिखाई पड़ता है और कहता है-

‘क्यों पिछली बार तो पूरे पच्चीसशेरों की गिनती हुई थी उसमें से तुम्हें सिर्फ एक ही दिखा’⁶

शिकारी कहता है-

“क्या करें शायद गांव वालों को हम पर पूरी तरह से शक हो चुका है कोई न कोई वहां आ ही जाता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं”⁷

रेंजर शिकारियों को धमकाता है कि-

“शेर के साथ उसे भी ठोक डालो तुम जंगल में चाहे शेर मारो या इंसान पूछताछ करने तो मैं ही आऊंगा ना, अगली बार अगर तुम गांव वालों से डरे तो मैं तुम्हारा ही शिकार कर दूंगा।”⁸

इस प्रकार के विडंबना प्रशासन पर कई सारे सवाल खड़े करते हैं जो वन संपदा की रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं वही भक्षक बन बैठे हैं। फिल्म छोटेछोटे परिदृश्य को पार करती हुई आगे बढ़ती।

इस दौरान आने वाले खतरे से अनभिज्ञ आदिवासी समुदाय के लोग आमोद-प्रमोद में व्यस्त हो चुके थे उन्हें यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि यह खुशियां हमारे लिए कुछ समय के लिए ही हैं।

अगले ही दृश्य में फिल्म में दर्शाया गया कि बड़े शहर की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उपनिवेशवाद और साम्राज्य का प्रतीक एम.आर सीमेंट कंपनी जिसकी एक मीटिंग होती है जिसमें रिसर्च से मालूम होता है कि कदमवन नामक पहाड़ी क्षेत्र के गर्भ में जो लैंड-स्टोन है जो कि श्रेष्ठ क्वालिटी का है और यहां पर स्टोन की मात्रा इतनी है कि वो लगभग पच्चास से साठ वर्षों तक लगातार दोहन कर सकते हैं जिसकी वार्षिक आमदनी लगभग सोलह करोड़ होगी।

असल में यह वही कदमवन क्षेत्र है जहां पर आदिवासी समुदाय वर्षों से काबिज है यह बात सीमेंट कंपनी के मालिक को भी मालूम है सीमेंट कंपनी के मालिक का छोटा भाई जब बड़े भाई से कहता है कि आदिवासी समुदाय के करीब पच्चास परिवार उस क्षेत्र में रहते हैं तो हम क्या करेंगे।

तभी सीमेंट कंपनी का मालिक मुस्कुराता है और इस मुस्कुराहट के माइने आदिवासी समुदाय की तबाही सुनिश्चित हो चुकी थी।

एक दिन नायक ‘कदंबा’ अपने साथियों के साथ जंगल से शहद लेकर आ रहा था तभी वन विभाग का रेंजर अपनी टीम के साथ आकर बीच रास्ते में मिलता है और सवाल करता है कि-

“हाथ में जो पात्र है उसमें क्या है!!”⁹

तभी नायक 'कदंबा' उस पात्र को नीचे जमीन पर खाली कर देता है, दरअसल उस पात्र में शहद भरा होता है।
जब रेंजर कहता है-

*"मैंने नीचे गिराने को बोला तुझे"*¹⁰

इस पर नायक कहता है-

"हम बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डालकर बरसात में जंगल से शहद लाते हैं और तेरे जैसे ऑफिसर मेहनत किए बिना हमसे छीन लेते हैं-ले अब चाट इसे"¹¹

इस पर रेंजर नायक 'कदंबा' को एक थप्पड़ जड़ देता है और थाने लाकर मारपीट करता है। तभी कुछ समय बाद 'कदंबा' के पिता एनजीओ वालों से मदद मांगते हैं, एनजीओ के सदस्य द्वारा थाने जाकर नायक 'कदंबा' को थाने से मुक्त करवाया जाता है। असल में आदिवासी समुदाय के लोगों को भी मालूम नहीं है वह सीमेंट फैक्ट्री-एनजीओ व वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बनाए गए षडयंत्र के शिकार हो चुके होते हैं क्योंकि जंगल का वह क्षेत्र जहां सीमेंट के लिए श्रेष्ठ किस्म का स्टोन पाया गया है वहां से आदिवासी लोगों को विस्थापित कर गैरकानूनी रूप से प्राकृतिक दोहन करना उनका परम लक्ष्य था। जिसमें कंपनी एनजीओ के साथ-साथ डीएफओ और रेंजर की मिली-भगत थी कि किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जाए जिससे आदिवासी समुदाय को सहानुभूति के बल पर हम उन्हें वहां से हटा सकें। धीरे-धीरे शहद के लिए मधुमक्खी पालन सिखाया गया... फिर अनाज देना और बाद में कुछ रुपए दे देना।

अंत में एनजीओ के माध्यम से एक योजना लेकर आते हैं और कहते हैं कि आपके लिए हमने घर बनाने का फैसला किया है जिसकी किमत तीन लाख है जिसमें सारी भौतिक सुविधाएं होंगी जैसे टीवी-फ्रिज-एसी आदि दिए जाएंगे इससे सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं- लेकिन हम इतना रुपया चुका नहीं पाएंगे तब एनजीओ के सदस्य कहते हैं कि यह सारा खर्चा हम हमारी ओर से कर रहे हैं तभी प्रसन्न होकर सब लोग बातें करते हैं कि कल पहाड़ी पर हमारा भी पक्का मकान बनेगा उसी समय ट्रस्ट के सदस्य द्वारा मालूम होता है कि पहाड़ी के ऊपर नहीं बल्कि पहाड़ी के नीचे घर बनाए जाएंगे।

अथवा जहां पर उनके पूर्वज रहते थे, वो रहते हैं वह जगह छोड़कर उन्हें नए स्थान पर बसाया जाएगा। इस पर सभी लोग उन्हें समझाते हैं कि-

"क्या साहब आप एक जिंदा पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह बोनो की बात कर रहे हो

यह कैसे संभव है

हम पहाड़ी नहीं छोड़ेंगे।

हमने आपको भगवान समझा और हमें यहां से आप भगा रहे हो।"¹²

एक लंबी कहासूनी और वाद-विवाद के बाद एनजीओ की भूमिका खत्म होती है।

अब कम्पनी के एक और नए प्लान के साथ वन विभाग के अधिकारियों के साथ कारखाने का मालिक नकली नोटिस के सहारे आदिवासियों को वहां से हटाने का प्रस्ताव रखता है और बाघों के लिए बाड़ बनाने का निर्णय लिया जाता है।

जिस पर वन विभाग का रेंजर कहता है कि-

*"अगर सरकार को यह भनक लगेगी तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा"*¹³

बावजूद इसके कंपनी द्वारा अपने पुलिस के आला अधिकारियों के

साथ नोटिस भेजा जाता है और बताया जाता है की इस पूरे क्षेत्र में बाघों के लिए बाड़ बनाई जा रही है इसलिए तुम्हें यह जमीन खाली करनी होगी यह सरकार का निर्णय है। तब नायक 'कदंबा' कहता है-

"जमीन खाली नहीं करेंगे क्या कर लोगे

यही पैदा हुए थे और यही मरेंगे,

सर्दी गर्मी बरसात हमारे अच्छे बुरे दिनों में हमें शरण दी है इस धरती मां ने हमारा यहां रहना मां की कोख में रहने के जैसा है

तुम हमें मां से अलग नहीं कर सकते

यह जंगल हमारा है

पहाड़ हमारे हैं

हम यहां से नहीं जाएंगे

मेरे दादा परदादा यही रहते थे मेरे पिता आज भी यही खड़े हैं

मेरी आने वाली पीढ़ी भी यहां पर पैदा होगी

तुमसे जो कुछ भी बन पड़े कर लो....।"¹⁴

इसके बाद शुरू होता है रूह कंपनी वाला परिदृश्य जिसमें स्वार्थी कारपोरेट शक्तियां जो कि प्रकृति के अनैतिक दोहन के साथ-साथ-आदिवासियों को उजाड़ने के लिए उतारू पुलिस प्रशासन के सहारे भयंकर विनाश, आग के आगोश में घर, खून से सनी लाशें, बुजुर्ग हो या बच्चे, महिलाएं सब ओर तबाही का मंजरा

एक तरफ मातमतो दूसरी ओर प्रोजेक्ट शुरू करने का जश्न..।

फिल्म की कहानी आदिवासी समुदाय के अस्तित्व एवं विस्थापन इंगित करती स्वार्थ लोलुप बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो या पुलिस प्रशासन सभी ने आदिवासी जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।

तीसरी फिल्म का नाम है- 'पेरनमई' एस.पी.जनानाथान द्वारा निर्देशित यह एक तमिल भाषा फिल्म है जिसे तेलुगु में 'रणधीरा' और हिंदी में 'कसम हिंदुस्तान की' नाम से रूपांतरित किया गया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है वेल्लीमलाई नामक स्थान से जहां पर भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जहां पर एक रॉकेट के प्रक्षेपण किया जाता है जिससे आने वाले समय में प्राकृतिक खेती हेतु वैज्ञानिक इस प्रक्षेपण को महत्वपूर्ण बताते हैं। उसी स्थान के पास मधुमलाई नामक स्थान है जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और वहीं पर एक टाईगर द्वारा समुदाय की एक गर्भवती महिला के साथ दो बच्चों पर हमला कर मार दिया जाता है कुछ दिन बाद फिल्म के नायक द्वारा टाईगर को ट्रैप कर पिंजरे में डाल दिया जाता है जिससे कबीले के लोगों में खुशी का माहौल व्याप्त है फिल्म के नायक का हिंदी भाषा में 'धरुव' नाम है जबकि तमिल भाषा में 'सूरी' जो आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि पात्र है साथ ही एनसीसी ट्रेनर के साथ-साथ वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के रूप में कार्यरत है।

फिल्म की कहानी शुरू होती है एन.सी.सी शिविर से जिसमें कॉलेज की कुछ लड़कियां प्रशिक्षण के लिये वहां आती हैं। जब लड़कियां बस से एनसीसी प्रशिक्षण हेतु कॉलेज की ओर सुबह के समय आ रही थी इस दौरान वे जंगल में आदिवासी समुदाय के लोगों से मिलती हैं तब धरुव अपने समुदाय के लोगों के साथ अपनी सामाजिक वेशभूषा में भैंस को बच्चा जनाने में मदद कर रहा होता है धरुव भी इसी समाज का हिस्सा है।

फिल्म के दृश्य में धरुव जब प्रथम बार फॉरेस्ट गार्ड के रूप में लड़कियों से मिलता है तो लड़कियां आश्चर्य चकित रह जाती हैं क्योंकि धरुव का उन्होंने यह दूसरा रूप देखा था। वहीं फिल्म का दूसरा पात्र गणपतराव जो कि वन

विभाग में रैंजर के पद पर कार्यरत है जो ध्रुव का परिचय एनसीसी लड़कियों से कुछ इस तरह करवाता है।

“इसे और इसके गांव को देखकर हम भारत के गरीब लोगों के बारे में जानेंगे

ये आदिवासी जाति से आया है जो बहुत गरीब और अनपढ़ होते हैं ये रिजर्वेशन के कोटा से सलेक्ट हुआ है सलेक्शन के लिए इसने बहुत मेहनत की है

ये हम आम लोगों की तरह नहीं होते इनको तो पहनने के लिये कपड़ा तक नसीब नहीं होता

आज से सरकार की तरफ से इन्हें शूज और यूनिफार्म मिले हैं वरना ये आज भी बिना कपड़ों के आ जाते आपको ट्रेनिंग देने के लिये सोचिये कैसा लगता ये

अब ये आदिवासी शूज और यूनिफार्म पहन कर आया है तो यह आपका ट्रेनर हुआ इनको रोल मॉडल समझिये आपय”¹⁵

इस तरह से परिचय कराना आदिवासी समुदाय के लिये दयनीय जरूर है परन्तु आदिम समाज के प्रति अन्य समाज का घृणित मुखौटा कौनसी संस्कृति का परिचायक है यह एक विचारणीय पहलू है। लड़कियों की वार्डन विक्टोरिया मैडम हमेशा ध्रुव का सम्मान करती थी, वह हमेशा ध्रुव की विकट परिस्थितियों में सहानुभूति रखती थी। इसके ठीक विपरीत था गणपतराव का चरित्र। लेकिन ध्रुव ने इन सब बातों को अनदेखा करना सीख लिया था। कॉलेज की पांच लड़कियां जो अपने आप को एन.सी.सी. शिविर के पांच पिलर (स्तंभ) की तरह मानती हैं परन्तु उन पांच स्तंभों को अनुशासन भंग करने के कारण ध्रुव द्वारा उन्हें सजा के रूप में मैदान के चक्कर लगवाना कम किन्तु उन्हें ध्रुव का आदिवासी समुदाय से होना कल्पना को अधिक अखर रहा था कल्पना अपनी सहेलियों से कहती है कि-

“वह बहुत ही छोटी जाति का इंसान है,
वो हमें ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं दे सकता
हमें उसे कुछ भी करके यहां से भगाना है।”¹⁶

सीनियर ऑफिसर गणपतराव के द्वारा हमेशा जब भी उसे मौका मिलता ध्रुव का उपहास किया जाता है। एनसीसी क्लास हो या प्रशिक्षण हर जगह गणपतराव और चार-पांच लड़कियों के द्वारा ध्रुव को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है पर बावजूद इसके ध्रुव सब बातों को अनदेखा कर सभी के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आता था। लेकिन एक बार फिर से ध्रुव के खिलाफ शिकायत की जाती है और रैंजर गणपतराव द्वारा ध्रुव को टॉयलेट साफ करने की हिदायत दी जाती है जब ध्रुव को टॉयलेट साफ करता देख सुरेश नाम का एक पात्र क्रोधित हो उठता है और कहता है-

“क्या हम इसके लिये यहां आए हैं, यह क्या पनिसमेंट है मैं नहीं मानता इसे क्या मोची का लड़का मोची का ही काम करेगा धोबी का लड़का धोबी का काम करेगा क्या नाई का लड़का....

क्या कोई आदिवासी लड़का ऑफिसर नहीं बन सकता

मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम उनसे कुछ सिखने आए हो या परेशान करने आए हो”¹⁷

इतने में ध्रुव सुरेश को रोक देता है और कहता है की मेरे लिये ये बाथरूम भी क्लासरूम की तरह है।

तब सुरेश गांव से आए अपने लोगों से कहता है कि -

“देख लिया ना अपनी आंखों से, बस यही इज्जत है हमारी इन बड़े लोगों के

सामने मेरी बात मानों अपने बच्चों को पढ़ाओ-लिखाओ उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने दो”¹⁸

कहानी में मोड़ तब आता है जब जंगल में एनसीसी प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए ध्रुव द्वारा उन्हीं पांच लड़कियों का चयन किया जाता है जो उसके साथ बुरा बर्ताव करने को आमाद रहती हैं। साथ में यह भी सूचना दी जाती है कि प्रशिक्षण के दौरान जो श्रेष्ठ लड़कियां होगी उनको गणतंत्र दिवस की परेड में सहभागिता हेतु दिल्ली भेजा जाएगा।

फिल्म की कहानी जंगल में छोटी-छोटी परिघटनाओं को पार करती हुई आगे बढ़ती है तभी कहानी में दूसरा मोड़ तब आता है जब लड़कियों के साथ जिप्सी में बैठ कर जंगल में प्रशिक्षण के लिए निकलते हैं उस दौरान लड़कियां ध्रुव को परेशान करने के उद्देश्य से जिप्सी लेकर तेज गति से जंगल की ओर भाग जाती हैं तो ध्रुव उनके पीछे-पीछे भागता है और बड़ी मुश्किल से दौड़ते-भागते जिप्सी में बैठता है लेकिन उन्मादी लड़कियों द्वारा गाड़ी की गति अधिक होने के कारण असंतुलित होकर गाड़ी अपना रास्ता बदल घाटी की ओर तेज गति से बढ़ने लगती है सब लड़कियां घबरा जाती हैं उसे रोकने का प्रयास करने बावजूद गाड़ी नहीं रुकती और अंत में पहाड़ी के मुहाने पर आकर अटक जाती है, इस पर ध्रुव अपनी सूझबूझ से सभी लड़कियों के साथ गाड़ी में स्थित सारा लगेज सुरक्षित बचा लेते हैं परन्तु गाड़ी को नहीं बचा पाते हैं और गाड़ी सीधी पहाड़ की गहरी खाई में जाकर गिरती है। इस परिघटना से लड़कियों को उनकी गलती का अहसास होता है और सभी ध्रुव से माफी मांगती हैं। और सभी पैदल जंगल की बढ़ने लगते हैं तब ध्रुव सबको हिदायत देता है की अगर हम लगातार चलते रहे तो शाम तक कॉलेज पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमें चौकी पहुंचने के लिये लगभग तीन पहाड़ियां पार करनी होंगी।

लेकिन ऐसा नहीं होता है और उन्हें पहाड़ी पर ही टेंट लगाकर रात जंगल में गुजारनी पड़ती है। उसी रात के सुबह जल्दी उठनी में से एक लड़की लघुशंका के लिए एक चिमनी के सहारे जंगल में जाती है लेकिन जंगल में उसे किसी को आपस में बात करते हुए सुनती है और विचार करती है की अभी यहां रात को हमारे अलावा कौन हो सकता है और चुपके से देखने पर मालूम होता है उनके पास तो अत्याधुनिक हथियार भी मौजूद है फिर उसने देखा ये तो विदेशी हैं।

जिससे वह घबरा जाती है और पहाड़ी की ओर तेजी से आगे बढ़ती है और अपनी टीम के पास जाकर सारी हकीकत बयां करती है, पहली दफा तो सब समझ नहीं पाते हैं परन्तु ध्रुव के कुछ कहने पर वो समझ जाते हैं। हमारे देश में सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है शायद यह विदेशी उसी को विफल करने के उद्देश्य से यहां आए हो, तभी ये सभी उन विदेशी आतंकियों को रोकने की शपथ लेते हैं और सभी लड़कियों को ध्रुव नक्शे के माध्यम से समझाता है कि किस प्रकार कहां से विदेशी नदी पार कर आ सकते हैं और हम उन्हें किस प्रकार रोक सकते हैं। पूरी योजना बनाने के बाद जब वो भोजन कर रहे होते हैं तभी नदी के दूसरे छोर पर कुछ पक्षियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है इससे ध्रुव सतर्क हो जाता है और दूरबीन से देखने के पश्चात मालूम होता है कि वहां सिर्फ दो विदेशी नहीं बल्कि उनकी संख्या लगभग डेढ़ दर्जन के आसपास है और उनके पास अत्याधुनिक मशीन गन बंदूक और लैंडमाइंस से लेस दिखाई पड़ते हैं। तभी वो योजना बनाते हैं कि हम उन्हें किस प्रकार रोक सकते हैं परन्तु उससे पहले यह सूचना कॉलेज और पुलिस को देना जरूरी हो गई थी। इसीलिए उन पांच लड़कियों

में से एक लड़की कल्पना को टीम की कैप्टन बनाता है और बताता है कि कल्पना तुम किसी एक का चयन करो जो कि यहां से कॉलेज जाने में अधिक सक्षम हो तभी उस टीम की लीडर कल्पना अंजिता का चयन करती है क्योंकि अंजिता फॉरेस्ट ट्रैकिंग पहले कर चुकी है उसे जंगल के बारे में अनुभव है और यह वही अंजिता है जो मन ही मन फिल्म के नायक ध्रुव को पसंद करने लगती है इस दौरान सभी अंजिता को कॉलेज की ओर भेजने की तैयारी करते हैं।

फिल्म का नायक ध्रुव जो कि उन सबका ट्रेनिंग कमांडर है जो अंजिता के एक गार्जियन के रूप में बालों की छोटी बनाता है और कहता है कि जंगल में जाने से पहले अपने बालों को बांध लेना चाहिए सब मिलकर अंजिता को विदा करते हैं तभी टीम की एक लड़की अंजिता से कॉलेज के कोरिडोर में स्थितलेटर बॉक्स से चिट्ठी निकाल कर फाड़ने को कहती है..बात असल में यह थी कि जब प्रशिक्षण के लिए सभी लड़कियां ध्रुव के साथ जंगल में आ रही थी तब इन लड़कियों ने मिलकर ध्रुव को दंडित करवाने के इरादे से जानबूझकर चिट्ठी में कुछ गलत बातें लिखलेटर बॉक्स में रख दी थी लेकिन अब उन्हें एहसास होने लगता है कि उन्होंने जो भी किया गलत किया जिससे वह अंजिता से कहती है कि-

“हमने सर को जाने बिना ही हमने उनके बारे में बुराई लिखी है तुम उस चिट्ठी को निकालकर फॉरेन फाड़ देना”¹⁹

और अंजिता को विदा करते हैं। जंगल की परिस्थितियों ने सभी लड़कियों में इतना परिवर्तन जरूर कर दिया कि उन्हें एहसास होने लगा कि हमने ध्रुव के साथ जो बर्ताव किया है वह सही नहीं था इधर सब सही चल रहा था लेकिन कॉलेज में चिट्ठी को लेकर संग्राम शुरू हो गया था।

एक तरफ फिल्म का नायक ध्रुव देश की सुरक्षा के लिए आतंकवादियों से लड़ रहा था वहीं दूसरी ओर समाज को सुरक्षा देने वाला पुलिस प्रशासन ध्रुव के आदिवासी समुदाय पर अत्याचार कर रहा था। जब पुलिस अफसर ध्रुव को खोजते हुए कबीले के आदिवासी लोगों के पास आता है और उनसे पांचमिनट में पूरी जमीन जबरन खाली करने का आदेश देता है तब वह कहते हैं कि-

“क्या यह जंगल भी ठेकेदारों को बेच दिया क्या..!”²⁰
तब पुलिस अफसर कहता है कि-

“ज्यादा बकवास की तो तुम्हें चंदन की तस्करी में गिरफ्तार कर लूंगा..।”²¹

फिर क्या था बच्चों-महिलाओं, बुजुर्गों को मारा जा रहा था घरों को जला दिया गया उनके आस्था का केंद्र मंदिर को तोड़ा गया बनते हुए भोजन को ठोकर के माध्यम से बिखेरा गया, पुस्तकों को जला दिया गया...सब ओर आग ही आग दिखाई पड़ रही थी एक पल में सब कुछ बर्बाद...ऐसा जान पड़ता था जैसे सरकारी ताकत और शासन प्रणाली, राजनीति के बल पर सिर्फ कमजोर वर्गों के दमन के लिए स्थापित की गई हो। एक तरफ देश की अस्मिता को बचाने के लिए जंगल में व अपनी टीम के साथ उन विदेशी आतंकियों से लोहा ले रहा था।

संघर्ष दोनों ओर बराबर चल रहा था लेकिन यहां पर लक्ष्य व उद्देश्य भिन्न थे इसी दौरान जंगल में एनसीसी लड़कियां ग्लानि प्रकट करती हुई ध्रुव से कहती है कि-

“हमने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया...हमने अभी वेशभूषा भाषा को लेकर आपके पर जो टिप्पणी की...हमने आपकी ट्रेनिंग को पसंद नहीं

किया आपको परेशान किया कॉलेज की कि आपने हमारे साथ बदतमीजी की...रिजर्वेशन कोटा में आपने पढ़ाई की..आपके ज्ञान को हमने गलत समझा आप से बड़ा कोई टीचर नहीं है सर आपके स्टूडेंट होना हमारे लिए गर्व की बात है....हमें माफ कर दीजिए सर..।”²²

उसी समय नायक जो कहता है-

“मैं जहां से हूं वहां औरत जात को बहुत इज्जत दी जाती है इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया पर अभी...

माफी मांगने का समय नहीं है

अभी हमारा देश मुसीबत में है....

हम सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते।”²³

और इस तरह फिल्म के दौरान हमलावर विदेशी आतंकियों की साजिश को नाकाम कर लड़ते हुए दो लड़कियां वीरगति को प्राप्त हो जाती है और अंत में रॉकेट का सफलता से प्रक्षेपण हो जाता है।

फिल्म का अंतिम दृश्य अत्यंत ही मार्मिक दिखाई पड़ता है जिस रेंजर गणपतराव के द्वारा आदिवासी समुदाय के मूल्यों का हनन होता है अत्याचार होता है उसी रेंजर गणपतराव का प्रशासन द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

कथित फिल्मों में उपेक्षित समुदाय के प्रति व्यवहार को स्पष्टता से प्रदर्शित किया गया है ये फिल्में आदिवासी जीवन मूल्यों व संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होती है जिनसे भारतीय समाज आज भी अनजान है कारण जो भी रहा हो लेकिन ऐतिहासिक व मानवीय दृष्टि से यह एक गंभीर चिंतन का विषय है।

फिल्मों में विकास के नाम पर प्रकृति का अनैतिक दोहन व आदिवासी समुदाय के मूल्यों को बखूबी प्रतिस्थापित किया है। आदिवासी समुदाय में प्रकृति और सृष्टि के प्रति निस्वार्थ प्रेमभाव आदिवासी जीवन शैली का सर्वोच्च आधार रहा है जिसे आधुनिक समाज के अंतर्हीन लोगों की क्रूरता तले कुचला गया है। स्वाधीनता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी आदिवासी समाज गुमनामी के अंधेरे में गुम है। आदिवासी अस्तित्व और पहचान जैसी गंभीर समस्या की ओर संकेत करती कथित तीनों फिल्में हृदय को अंदर तक हिला कर रख देती है। राजनीति एवं प्रशासन की प्रचंडता से पोल खोलती फिल्में कई विचारणीय बिन्दुओं के साथ दर्शकों को आदिमजाति समुदाय का साक्षात्कार करती नजर आती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वनामगन : विजय द्वारा निर्देशित, जयमरवि, श्रेयेशा आदि द्वारा अभिनीत एम ए.एल.अलगापन द्वारा निर्मित फिल्म, 2017
2. वही
3. कदम्बन : राघवा द्वारा निर्देशित, आर्या, केथरीन, दीपराज राणा द्वारा अभिनीत एवं रिवाज दुग्गल द्वारा निर्मित फिल्म, 2017
4. वही
5. वही
6. वही
7. वही
8. वही
9. वही
10. वही
11. वही

12. वही	17. वही
13. वही	18. वही
14. वही	19. वही
15. कसम हिंदुस्तान की : एस.पी.जनानाथान द्वारा निर्देशित, जयम रवि, सरन्या नाग, वसुंधरा, उर्वशी साई धंसिका आदि द्वारा अभिनीत एवं एम.वी. गोपालराव द्वारा निर्मित फिल्म, 2009	20. वही
	21. वही
16. वही	22. सिंह
	23. सिंह

Influence of Types of Hospital, Educational Qualification and their Interaction on Personality Factor Q_1 (Conservative Vs Experimenting) of Nurses

Dr. Anjali Pandey*

* Assistant Professor (Psychology) Govt. E.V.P.G. College, Korba (C.G.) INDIA

Abstract - The aim of the present study was to find out the impact of types of hospital on Personality Factor Q_1 (Conservative Vs Experimenting) of nurses. For this a sample of 300 Nurses with diploma or degree as Educational Qualification of Government and Private Hospital was randomly selected. Sixteen Personality Factor questionnaire by R.B Catttle (Hindi Adoption) by S.D Kapoor was used. It was found that there was impact of type of hospital on Personality Factor Q_1 (Conservative Vs Experimenting). Nurses with Graduate Qualification were found to be significantly more Experimenting than those with Diploma Qualification.

Keywords- Nurses, Types of Hospital, Educational Qualification, Personality Factor Q_1 .

Introduction - The purpose of the present investigation is to determine if there is relationships between personality factor Q_1 (Conservative Vs Experimenting) and Educational Qualification in government and private nurses. A second purpose is to see what types of relationships (if any) is there to find out any difference between government and private hospital nurses. As found in previous researches, there are relationships between these personality Factor Q_1 (Conservative Vs Experimenting) and Educational Qualification of government and private nurses. This research will add to the existing literature. In this research 16 personality factor by R.B Catttle has been used as research tool for the research work on this topic for the first time to the best of my knowledge.

In the medical profession for taking proper care of the patients the Experimenting nursing staff has a big role to play. An Experimenting nurse would be able to take care of any difficult situation in a much better way compare to the one who is Conservative. This makes Experimenting A very significant factor in the personality of nurses. This study was conducted to find out correlation of type of hospital (Government and Private) and Educational Qualification and there interaction on personality factor ' Q_1 ' (Conservative Vs Experimenting) of nurses.

Objective- To study the influence of Types of Hospital, Educational Qualification and their interaction on Personality Factor Q_1 (Conservative Vs Experimenting)).

Hypothesis- There is no significant influence of Types of Hospital, Educational Qualification and their interaction on

Personality Factor Q_1 (Conservative Vs Experimenting).

Sample- A sample of 150 Nurses each was selected randomly from Government and Private Hospitals. They were stratified on the basis of Educational Qualification in Diploma and Degree holders.

Test- Sixteen Personality Factor questionnaire by R.B Catttle (Hindi Adaptation) by S.D

Method- Through random sampling four hospitals were selected (two government and two private hospitals). The nurses of the selected hospitals were administered upon a structured Sixteen Personality Factor questionnaire by S.D Kapoor by the researcher. The scoring was done and the score were analysed.

Analysis and Discussion of Results- The objective was to study the influence of Types of Hospital, Educational Qualification and their interaction on **Personality Factor Q_1 (Conservative Vs Experimenting) of Nurses**. There were two Types of Hospital, namely, Government and Private. Diploma in Nursing and Graduation in Nursing were the two levels of Educational Qualification of Nurses. Thus the data were analyzed with the help of 2X2 Factorial Design ANOVA.

Table 1: Types of Hospital wise N, Mean, SD of **Personality Factor Q_1 (Conservative Vs Experimenting) of Nurses**

Types of Hospital	N	Mean	SD
Government Hospital	150	6.92	1.73
Private Hospital	150	7.42	1.67

Table 2: Educational Qualification wise N, Mean, SD of **Personality Factor Q_1 (Conservative Vs Experimenting)**

of Nurses

Educational Qualification	N	Mean	SD
Diploma	150	6.92	1.73
Degree	150	7.42	1.51

Table 3: Summary of 2 x 2 Factorial Design ANOVA of **Personality Factor Q₁** (Conservative Vs Experimenting) of Nurses

Source of Variance	df	SS	MSS	F-value
Types of Hospital (A)	1	1.82	1.82	0.65
Educational Qualification (B)	1	15.35	15.35	5.46*
A X B	1	0.22	0.22	0.08
Error	296	831.79	2.81	
Total	299			

* Significant at 0.05 level

1a Influence of Types of Hospital on Personality Factor Q₁ (Conservative Vs Experimenting) of Nurses

From Table 1, it can be seen that the F-value is 0.65 which is not significant. It shows that the mean scores of **Personality Factor Q₁** (Conservative Vs Experimenting) of Nurses working in Government and Private Hospital did not differ significantly. So, there was no significant influence of Types of Hospital on **Personality Factor Q₁** of Nurses. Thus, the null Hypothesis that there is no significant influence of Types of Hospital on **Personality Factor Q₁** (Conservative Vs Experimenting) of Nurses is not rejected. It may, therefore, be said that **Personality Factor Q₁** (Conservative Vs Experimenting) of Nurses was found to be independent of Types of Hospital in which the Nurses were working.

1b Influence of Educational Qualification on Personality Factor Q₁ (Conservative Vs Experimenting) of Nurses

From Table 1, it can be seen that the F-value for Educational Qualification is 5.46 which is significant at 0.05 level with df-1/296. It shows that the mean scores of **Personality Factor Q₁** (Conservative Vs Experimenting) of Nurses belonging to Diploma and Graduation level differ significantly. So, there was significant influence of Educational Qualification on **Personality Factor Q₁** (Conservative Vs Experimenting) of Nurses. Thus, the null Hypothesis that there is no significant influence of Educational Qualification on **Personality Factor Q₁** of Nurses is rejected. Further the mean score of **Personality Factor Q₁** (Conservative Vs Experimenting) of Nurses with Graduate Qualification is 7.42 which is significantly higher than those Nurses working in private hospitals whose mean score of **Personality Factor Q₁** (Conservative Vs Experimenting) is 6.92. It may, therefore, be said that Nurses with Graduate Qualification were found to be significantly more Experimenting than those with Diploma Qualification.

1c Influence of Interaction between Types of Hospital and Educational Qualification on Personality Factor

Q₁ (Conservative Vs Experimenting) of Nurses

From Table 1, it can be seen that the F-value for the interaction between Types of Hospital and Educational Qualification is 0.08 which is not significant. It shows that the mean scores of **Personality Factor Q₁** of Nurses working in Government and Private Hospitals having Diploma and Graduation level qualification did not differ significantly. So, there was no significant influence of interaction between Types of Hospital and Educational Qualification on **Personality Factor Q₁** of Nurses. Thus, the null Hypothesis that there is no significant influence of interaction between Types of Hospital and Educational Qualification on **Personality Factor Q₁** (Conservative Vs Experimenting) of Nurses is not rejected. It may, therefore, be said that **Personality Factor Q₁** of Nurses was found to be independent of interaction between Types of Hospital and Educational Qualification of Nurses.

The result of **Personality factor (Q₁)** shows that there was significant influence of Educational Qualification on personality factor (Q₁) Conservative VS Experimenting. This is by the virtue of superior Qualification of degree holder Nurses. Graduate Nurses were found to be significantly more Experimenting than those with Diploma Qualification. It can be attributed to superior confidence level due to superior education. **Lamley, Tammy M.; Little, Kimberly E.; Beck-Little, Rebecca; and Yu Xu (2008). Ramoo, Vimala; Abdullah, Khatijah L; &Piaw, Chua Yan (2013)** Findings indicated that level of education, nursing experience and continuing education were factors that promote Cultural Competence, whereas gender and race/ethnicity had no bearing. Overall, nurses had a moderate level of Job Satisfaction, with higher satisfaction for motivational factors. Significant influences were observed between Job Satisfaction and Demographic variables. About 40% of the Nurses intended to leave their current employment. Furthermore, age, work experience and nursing education had significant associations with intention to leave.

Conclusions:

1. There is no significant influence of Types of Hospital on Personality Factor Q₁ of Nurses
2. There is significant influence of Educational Qualification on Personality Factors Q₁ (Conservative Vs Experimenting) show that there is significant influence of Educational Qualification on this personality factors.
3. There is no significant influence of interaction of Types of Hospital, Educational Qualification on Personality Factor Q₁ (Conservative Vs Experimenting)

References :-

1. Lamley, Tammy M.; Little, Kimberly E.; Beck-Little, Rebecca; Yu Xu.(2008) Cultural Competence of North Carolina Nurses: A Journey From Novice to Expert. *Home Health Care Management & Practice*. Vol. 20

- Issue 6, p454-461.
2. Ramoo, Vimala; Abdullah, Khatijah L; Piaw, Chua Yan.
(2013) The relationship between job satisfaction and intention to leave current employment among registered nurses in a teaching hospital. *Journal of Clinical Nursing*. Vol. 22 Issue 21/22, p3141-3152. 12p.

भारत में माल एवं सेवाकर की चुनौतियां

डॉ. सुरेश श्रावण पाटील *

* क. के. ह. आबड कला श्री. मो. गि. लोढा वाणिज्य आणि श्री. पी. एच. जैन विज्ञान महाविद्यालय, चांदवड. जि. नाशिक (महा.) भारत

शोध सारांश – माल एवं सेवाकर सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर एक सर्व समावेशी कर प्रभार है। माल एवं सेवाकर का मुख्य उद्देश्य भारत देश की बिखरी हुई कर प्रणाली को एक समान रूप में लेकर आना व इसके व्यापक कराधान प्रभाव से बचना है। जिससे भारत की पूरी कर प्रणाली प्रभावित होगी। माल एवं सेवाकर भारत की कर प्रणाली में सबसे बड़ा कर सुधार है। जिससे भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है। इस शोध पत्र में माल एवं सेवाकर की अवधारणा की रूपरेखा का पता चलता है व माल व सेवाकर लागू होते के परिणामस्वरूप किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है व कौन-कौन सी चुनौतियां सामने आई है।

शब्द कुंजी – माल एवं सेवाकर, सुविधा, कर, चुनौतियां।

प्रस्तावना – 1 जुलाई 2017 का दिन भारत की कर व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया है। इस दिन भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। देश में उत्पादन बिक्री वितरण और सेवाओं की पूर्ति पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों व उपकरों के स्थान पर माल एवं सेवाकर लागू करने का निर्णय लिया गया।

माल एवं सेवाकर लागू करने के लिए एक बिल 19 दिसंबर 2014 और 6 मई 2015 को लोकसभा में पारित हुआ। भारत सरकार 1 अप्रैल 2017 को माल एवं सेवाकर लागू करवाना चाहती थी। परंतु कुछ समस्याओं के कारण इसे 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। धारा 306 (12 ए) संविधान विधेयक में वस्तु और सेवाकर को परिभाषित किया गया है। जिसका अर्थ है मादक शराब की आपूर्ति छोड़कर सभी मानव उपभोग की वस्तु और सेवाओं के निर्माण बिक्री और उपभोग पर एक ही व्यापार कर लगेगा।

अध्ययन की आवश्यकता – इस शोध पत्र के माध्यम से हम यह देखते हैं कि भारत में माल एवं सेवाकर के कार्यावयन के बाद कौन-कौन सी समस्याएँ और चुनौतियाँ सामने आई और यह विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों व माल एवं सेवा कर के बीच विभिन्न लाभों और चुनौतियों को भी प्रदर्शित करेगा।

अध्ययन का उद्देश्य – माल एवं सेवाकर लागू होने से इसके लाभों एवं चुनौतियों का अध्ययन करना इस शोधपत्र का उद्देश्य है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोधपत्र पूर्ण रूप से द्वितीय समकों पर आधारित है। वह यह माध्यमिक डेटा के व्यापक अध्ययन पर केन्द्रित है जिससे विभिन्न पुस्तकों, राष्ट्रीय पत्रिकाओं, विभिन्न वेबसाइटों का प्रकाशन, जो माल एवं सेवा करों के विभिन्न पहलुओं पर केन्द्रित है, से लिये गये हैं।

माल एवं सेवाकर की अवधारणा – भारत के संविधान में माल एवं सेवाकर एक सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है। जो एक लंबे समय से लंबित था। माल एवं सेवाकर का अर्थ है भारत में अप्रत्यक्ष कर शासन को एकीकृत करके एक महत्वपूर्ण स्थान देकर सरल बनाना है। माल एवं सेवाकर एक व्यापार,

बहुस्तरीय आधारित कर है जो प्रत्येक बार हर मूल्यवर्धन कर पर लगाया जाता है। माल एवं सेवाकर ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया है। साथ ही वस्तु और सेवा की लागत पर कर के प्रभावों को कम किया है। जीएसटी की कर प्रणाली, कर संरचना, कर प्रणाली इनपुट क्रेडिट उपयोग को प्रभावित करती है। भारत में केन्द्रीय माल एवं सेवाकर व राज्य माल और सेवाकर के रूप में जीएसटी की दोहरी कर प्रणाली को अपनाया गया है। समावर्ती दोहरा कर प्रणाली को जो जीएसटी मॉडल की आवश्यकता निम्नलिखित पर आधारित है –

1. भारतीय संविधान के अनुसार घरेलू वस्तु एवं सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्रदान की गई है।
2. दोहरे माल एवं सेवाकर मॉडल के अनुसार कर स्वतंत्र रूप से लगाया जाता है। केन्द्र और राज्य दोनों के द्वारा ही कर लगाया जाता है लेकिन दोनों करो के अधिरोपण के लिए एक ही मंच प्रदान किया गया है।

माल एवं सेवाकर की विशेषताएँ:

1. दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली कर अनिवार्य वस्तुओं को जीएसटी की श्रेणी से कर मुक्त रखा गया है। जीएसटी परिषद की अनुषासन पर 149 प्रकार के विभिन्न माल एवं वस्तु को शून्य कर की श्रेणी में रखा गया है।
2. माल एवं सेवाकर में कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को 7 श्रेणियों में बांटा गया है, जो 0%, 2.5%, 3%, 5%, 12% और 28% है।
3. सामान्य भाषा के अनुसार माल और सेवाकर एकल कर माना गया है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह कर दोहरे कर के रूप में लागू किया जाता है। सर्वप्रथम केन्द्रीय माल एवं सेवाकर व राज्य माल एवं सेवाकर व द्वितीय एकीकृत माल एवं सेवाकर है जिससे किसी भी कर से माल

- एवं सेवाकर लगाया जाता है। उसका आधा भाग राज्य माल एवं सेवाकर होगा। साथ ही एकीकृत कर पूर्ण दर पर लगता है। अन्तराज्यीय व्यापार किया जाता है।
4. माल एवं सेवाकर की विशेषता यह है कि यहाँ व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलता है। इसके अंतर्गत एक स्तर पर यदि कर चुका दिया जाता है, तो दूसरे स्तर पर आने पर चुकाये गये कर की राशि घटा दी जाती है और उपभोक्ता पर ही टैक्स का भाग आता है। परंतु इनपुट टैक्स क्रेडिट की छुट तभी मिलती है जब व्यापारी माल एवं सेवा कर के अंतर्गत पंजीकृत हो।
 5. माल एवं सेवाकर के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप अनुसार रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
 6. माल एवं सेवाकर के संबंध में नियम बनाने एवं नीतियों का निर्धारण करने के लिए जीएसटी परिषद् का गठन किया है इस परिषद् का गठन 15 सितम्बर 2016 अधिसूचना जारी करके किया गया है।
 7. माल एवं सेवाकर की प्रणाली में स्वतः कर निर्धारण की व्यवस्था की गयी है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति माल एवं सेवाकर का भुगतान निर्धारित तिथि पर कर देता है। साथ ही पूर्ति विवरणी प्रस्तुत करते हैं। उन्हें कर निर्धारण करने के लिए अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ता है। उचित अधिकारी ही पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत विवरण से संबंधित व्यौरों की जांच करते हैं एवं कुछ गलती पाई जाने पर कर दाता को ही गलती सुधारने के लिए सूचित किया जाता है।
 8. माल एवं सेवाकर के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति इसके प्रावधानों, नियमों एवं प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन नहीं करते हैं एवं नियमों का उल्लंघन एवं चोरी की दशा में इस अधिनियम में अर्थदण्ड एवं सजाओं के कई प्रावधान किये गये हैं एवं करदाता को न्याय मिल सके। इस संबंध में अपील एवं पुनः विचार की व्यवस्था भी की गई है।
- चुनौतियाँ** – माल एवं सेवाकर लागू होने से जहाँ एक ओर उपभोक्ता की आवश्यकता है उत्पाद एवं सेवाओं के करों में कमी आई है, तो साथ ही साथ आय उपभोग की वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। कई ऐसी वस्तुएँ जो पहले कर मुक्त थी परंतु अब माल एवं सेवाकर के दायरे में आई है। माल एवं सेवाकर लागू होने के समय ऐसा सोचा गया था कि केन्द्रीय एवं राज्य शूलकों की एक बिक्री कर और पूरे देश में एक ही सीमा शुल्कों में बदल जायेगा। इसके परिणामस्वरूप व्यापार की लागत में कमी होगी व भारत की जीडीपी में भी

सुधार होगा पर अभी तक ऐसी कोई वृद्धि नहीं दिखाई गई है बल्कि विकास की दर और गिर गई है। माल एवं सेवा कर लागू होने से छोटे व्यापारी के सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ आई हैं। माल एवं सेवाकर की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन हो गई जिससे कई नई तकनीक का इस्तेमाल करके कर का बोझ बढ़ा दिया है, जिससे समझ में थोड़ी मुश्किल हो रही है। माल एवं सेवाकर की कर की दरे अलग-अलग हैं, जो काफी आलोचनात्मक रही है। माल एवं सेवाकर से सभी लघु, मझले उद्योगों को माल एवं सेवाकर की बारिकियाँ समझ नहीं आ रही हैं इसके कारण नई कर प्रणाली का पालन नहीं कर पा रहे हैं। उनके व्यापार पर भी प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही उत्पादन भी हो रहा है।

निष्कर्ष – माल एवं सेवाकर प्रणाली भारत की वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए संचालित की गई है। माल एवं सेवाकर प्रणाली को इतना सरल बनाया गया है जिससे कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। सरकार की ओर से भी यह वादा किया गया है। इस कर प्रणाली के अंतर्गत आयातित एवं भारतीय वस्तुओं पर सामान्य दर से कर लगाया जाता है। कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जैसे बिक्री कर, वेट आदि कर समाप्त हो गये हैं व एक ही प्रकार की कर प्रणाली लागू की गई है। इस कर प्रणाली के लागू होने से कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है साथ ही कई प्रकार के लाभ भी मिले हैं। कुल मिलाकर इस अध्ययन के माध्यम से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि माल एवं सेवाकर हमारे देश के विकास में एक गतिशील भूमिका निभाता है। माल एवं सेवाकर के कार्यान्वयन के रास्ते में कई प्रकार की चुनौतियाँ भी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <http://clartax.in> is/get/low good service tax.
2. मोनिका शेरावत आसना द्वारा भारत में जीएसटी एक महत्वपूर्ण सुधार है :इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च टैक्स ग्रंथालय 2015
3. सखाराम मुजाल्दे आनी वाणी गुझा एवं सर्विस टैक्स और भारत में इसके परिणाम मध्यप्रदेश आर्थिक संघ का जर्नल 2017, 278 आई एस आई एस, 2277
4. Javed Bhika Lal Dr. Tarojrai भारत में माल एवं सेवाकर की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ इंटरनेशनल जनरल रिसर्च आई.एस.आई. नंबर 2349-4182

1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि और घटनाओं का सर्वेक्षण

डॉ. मधुसूदन चौबे *

* सह प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में ऐसे ऐतिहासिक क्षण आते हैं, जब राष्ट्र का पौरुष जागृत होकर उसकी तेजस्विता दुनिया के सामने प्रकट होती है। ऐसा ही अवसर भारत में 1857 के वर्ष में आया, जब बरसों की दासता से कराह रहे भारत में ब्रिटिश साम्राज्यशाही से मुक्त करने के लिए देशव्यापी और संगठित प्रयत्न हुआ, जिसमें कृषक, मजदूर, शिल्पकार, दस्तकार, राजा तथा सैनिक सभी सम्मिलित हो गए। इसने एक क्रांति का रूप धारण कर लिया और अनेक स्थानों पर अंग्रेजी राज के वैभव को कुछ काल के लिए धूल में मिला दिया।

इस ज्वलंत ऐतिहासिक कांड में दिल्ली, कानपुर, अवध, झांसी, बिहार, ग्वालियर आदि भागों में युद्ध की ज्वाला बड़े ही विकराल रूप में प्रकट हुई थी। सारा उत्तरी और मध्य भारत इसकी आँच से सिहर उठा था। 'इस स्वाधीनता यज्ञ में भारत के 3 लाख सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हजारों सहर्ष फांसी पर चढ़े एवं लाखों ने कारागार को अपना अस्थायी निवास बनाया।'¹ यद्यपि 1857 ई. का विद्रोह सिपाहियों की बगावत से प्रारंभ हुआ था, किन्तु इसने व्यापक जनक्रांति का स्वरूप धारण कर लिया था, जिसने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी थी।

पराधीनता की पृष्ठभूमि – भारत प्राचीनकाल से ही विदेशी व्यक्तियों एवं शक्तियों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। कुछ शताब्दियों पूर्व हिन्दुस्तान पूरी तरह स्वाधीन था और ज्ञान-विज्ञान, विद्या-प्रचार, कला-कौशल, शासन प्रबंध आदि में संसार के समस्त देशों का शिरोमणि था।

'भारत की प्राचीन ख्याति ने एवं उसकी परम्परागत सम्पत्ति में हिस्सा बँटाने की इच्छा ने यूरोपवासियों को सागर की उताल तरंगों से जूझने के लिए अनुप्रेरित किया।'² 27 मई, 1498 ई. को पुर्तगाली नाविक वास्को-डी-गामा द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज ने यूरोप को भारत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 16 वीं- 17 वीं शताब्दी में अनेक यूरोपीय देशों के व्यापारी व्यावसायिक उद्देश्य से भारत आए, जिनमें पुर्तगाली, हॉलैण्ड के डच, फ्रांस के फ्रेंच तथा इंग्लैण्ड के अंग्रेज प्रमुख थे। इंग्लैण्ड में सन् 1600 ई. में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हुई। 'सन् 1612 में इस कम्पनी के प्रतिनिधि भारत आए। मुगल प्रशासन ने इनका स्वागत किया और इन्हें व्यापार के लिए यथोचित सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाई।'³

भारतीय समृद्धि एवं यहाँ विद्यमान असीम व्यापारिक सम्भावनाओं को अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि ने शीघ्र ही भांप लिया। उन्होंने तेजी से अपने व्यापार का विस्तार करना प्रारंभ किया। इस दिशा में उनकी प्रतिस्पर्धा में,

जो अन्य यूरोपीय कम्पनियाँ भारत में सक्रिय थीं, उन्हें पछाड़ते हुए ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारतीय व्यापार पर पूर्णतः छा गई। 'जो अंग्रेज इस कम्पनी का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत आए थे, वे महज व्यापार करने वाले नहीं थे बल्कि लड़वैये थे और दूसरे देशों पर कब्जा करके राज्य-विस्तार करने वाले व्यापारी थे।'⁴

भारत का तत्कालीन वातावरण इनके लिए सर्वथा अनुकूल था। मुगल साम्राज्य नूरजहाँ के सौन्दर्यपी में बंधकर और जहाँगीर के शराब के प्यालों में डूबकर अपने होश गंवाने लगा था। कालांतर में मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। नवोदित छोटे-छोटे राज्य ईर्ष्या-वैष से लबालब भरे हुए एवं मरने-मारने पर उतारू थे, अधिकांश राज्यों के भाग्यविधाता भोग विलास में आकंठ डूबे हुए थे, सैन्य शक्ति जर्जर होने लगी थी, युद्ध पद्धतियाँ प्राचीन होकर अप्रभावी एवं अप्रासंगिक हो चुकी थीं। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए घात लगाए बैठे अंग्रेज देश के दुर्बल होते ही झपट पड़े। उन्होंने अपने साम्राज्यवाद का चक्र प्रवर्तन भारत के धनाढ्य सूबे बंगाल से प्रारंभ किया, जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी सम्मिलित थे। 23 जून, 1757 को प्लासी के युद्ध से जो विजय अभियान अंग्रेजों ने प्रारंभ किया वह निरंतर गतिमान होता गया और कमोवेश सम्पूर्ण भारत उनके नियंत्रण में चला गया।

राष्ट्रवाद का उदय – पराधीन भारत के निवासी अंग्रेजों की दासता सहने लगे। शनैः-शनैः उनमें असंतोष जन्मा, पनपा और 1857 की क्रांति अवश्यम्भावी हो गई। 1857 का यह विद्रोह अकस्मात् प्रस्फुटित नहीं हुआ। वस्ततः 1857 की घटनाओं का प्रमुख कारण था, चारों ओर फैला हुआ असंतोष। अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण, विश्वासघाती, अपमानजनक तथा घोर स्वार्थपूर्ण नीति के कारण इस देश में ऐसा कोई वर्ग नहीं रह गया था, जो अंग्रेजों से प्रसन्न हो।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ ही अनेक देशी शासकों व राजवंशों का अंत कर दिया गया। उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में विलीन कर लिया और जिन राज्यों को विलीन नहीं किया जा सका उनके राजाओं की बाह्य नीतियों को अंग्रेजों ने पूर्ण नियंत्रण में कर लिया। एक साम्राज्यवादी प्रशासक के रूप में डलहौजी ने भारतीय नवाबों एवं नरेशों के प्रति आक्रामक एवं निरंकुश नीति का अनुसरण किया। उसने हड़प नीति या व्यपगत की नीति के रूप में एक नया सिद्धांत चलाया कि यदि किसी राजा के पुत्र न हो तो उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। सतारा, झांसी, नागपुर, संभलपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघात आदि सात राज्यों को उसने

उत्तराधिकारियों के अभाव में हड़प लिया। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर कब्जे में ले लिया। 'डलहौजी ने एक कमीशन की नियुक्ति कर जमींदारों की सनदों की जांच करवाई। जिसमें 35000 जमींदारियाँ में से 21000 जमींदारियाँ को नित नए आरोप लगाकर उनकी जमींदारी छीन कर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया।'⁵

जन-असंतोष का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा इसके परंपरागत ढाँचे का विनाश था। भारतीय कृषकों से मनमाना कर वसूल किया जाने लगा जिससे उनकी दशा शोचनीय हो गई। भारत में कृषि और हस्तशिल्प उद्योग साथ-साथ चलते थे। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अंग्रेजों ने हस्तशिल्प उद्योगों पर प्रहार किया। '18 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति हो जाने पर भारत, इंग्लैण्ड में बने हुए माल की बिक्री का केन्द्र हो गया। भारत से कच्चा माल इंग्लैण्ड जाने लगा और वहाँ से तैयार माल भारत आने लगा। इस स्थिति ने भारतीय व्यापार को अत्यधिक कमजोर कर दिया।'⁶

अंग्रेजों ने साम्राज्य स्थापना के साथ ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति को भारतीय पर थोपा तथा अंग्रेजी शिक्षा लागू की जिसे भारतीयों ने उनके द्वारा ईसाई बनाने का षड्यंत्र समझा। कालान्तर में अंग्रेजों ने सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाए। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन बंद करने का प्रयत्न किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। हालांकि यह एक सामाजिक सुधार का श्रेष्ठ प्रयत्न था लेकिन तत्कालीन जनता ने इसे अपनी सामाजिक परंपरा व संस्कृति पर आघात माना। इसके अतिरिक्त अधिकांश अंग्रेज भारतीयों से घृणा, द्वेष एवं दुर्व्यवहार करते थे, जिससे देशवासियों का समाज में सुख से जीना दूभर हो गया। भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार और विचार बहुत ही अपमानजनक स्थिति में पहुँच गया।

1857 की क्रांति की आग भड़काने में धार्मिक कारणों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। फिरंगियों ने भारत में ईसाई धर्म का खूब प्रचार किया। 'चौराहे-चौराहे पर ईसाई धर्म प्रचारक हिन्दू-मुसलमानों के धर्मों की हंसी उड़ाते थे। वे हिन्दुओं के देवी-देवताओं तथा मुसलमानों के पैगम्बरों के प्रति असभ्य शब्दों का प्रयोग करते और अपने ईसाई धर्म की तारीफों के पुल बांधते थे।'⁷

जिस सेना के बल पर अंग्रेजों ने इस देश में अपना सम्प्रभु राज्य स्थापित किया वह अंग्रेजों से अत्यधिक असंतुष्ट थी। जब तक देश में अंग्रेजों की सत्ता दृढ़ नहीं हुई थी, तब तक अंग्रेज देशी सेना की बड़ी इज्जत करते थे, उनके सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों के विरुद्ध कोई कार्य न करते थे, पर ज्यों ही अंग्रेजों की इस देश में सार्वभौम सत्ता स्थापित हुई कि उनका व्यवहार बदल गया। 'पहले कान के पास कलम रखकर नीचे की दाढ़ी बनाने की आज्ञा निकली, फिर कान में बालियाँ न पहनने का आदेश आया। माथे पर चन्दन लगाने की मनाई की गई। साफे के स्थान पर अंग्रेजी ढंग के टोपे पहनने की आज्ञा हुई। इन सबके परिणामस्वरूप भारतीय सिपाही कुछ शंकिता हो उठे।'⁸

'जनवरी, 1857 में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी बन्दूकों को हटाकर नवीन एनफिल्ड रायफल को सेना में प्रयोग करना चाहा। उसके लिए जो कारतूस बनाये गये थे, उन्हें रायफल में भरने से पहले मूँह से खोलना पड़ता था, यह खबर बंगाल की सेना तक पहुँच चुकी थी। दमदम के तोपखाने में कार्यरत एक खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही को बताया कि कारतूस में प्रयुक्त चर्बी सुअर एवं गाय की है। इस सूचना से हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ने नाराज

होकर कारतूसों का प्रयोग करने से इंकार कर दिया।'⁹

इन कारतूसों के पीछे यह मान्यता थी कि अंग्रेज हिन्दू एवं मुसलमान दोनों को ही भ्रष्ट कर ईसाई बनाना चाहते हैं। अतः इस घटना ने विद्रोह का बिगुल फूँक दिया और विद्रोह प्रारंभ हो गया।

क्रांति- 31 मई को सम्पूर्ण भारत में एक साथ अंग्रेजों पर आक्रमण करने और उन्हें नेस्तनाबूत करने के लिए योजना बनाई गई। बैरकपुर की छावनी में मंगल पाण्डे ने 29 मार्च, 1857 को चर्बी युक्त कारतूस के विरुद्ध बगावत कर दी। 1857 की क्रांति की प्रथम बंदूक गरज उठी और उसने मेजर जनरल ह्यूसन की बलि ले ली। मंगल पाण्डे को गिरफ्तार कर लिया गया। '8 अप्रैल, 1857 को पलटनों के सामने उसे फांसी पर लटका दिया गया।' लार्ड राबर्ट्स ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'भारत इकतालिस वर्ष में लिखा है- इसी दिन से भारत का प्रत्येक सिपाही पाण्डे के नाम से पुकारा जाने लगा।'¹⁰

10 मई, 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने जबरदस्त विद्रोह कर दिया। सैनिक शिविरों में 'हर-हर महादेव', 'अल्ला हू अकबर', 'दीन-हीन' और 'मारो फिरंगी को' के भीषण नारों ने वातावरण को भर दिया था। तत्पश्चात् मेरठ के सिपाही क्रांतिकारियों ने 11 वीं पलटन के कर्नल फिनिश, कमिश्नर श्रीमती चैम्बर्स, कैप्टन क्रैगी, डॉ. खिस्ती तथा पशु चिकित्सक फिलिप्स को गोली से उड़ा दिया।'¹¹

मेरठ के 2000 हजार सिपाही अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए रात भर चलते रहे। 11 मई की रात: वे दिल्ली पहुँचे और लाल किले के सामने एकत्र होकर मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर की जय जयकार करने लगे। सैनिकों ने मुगल बादशाह को 21 तोपों की सलामी दी और उनका जय जयकार किया। दीवान-ए-खास और दीवान-ए-आम को इन सैनिकों ने अपनी छावनी बनाया। लाल किले में जितने अंग्रेज थे सब मारे गए। 'मक्रांतिकारियों ने बहादुर शाह से नेतृत्व ग्रहण करने की प्रार्थना की। बादशाह ने क्रांतिकारियों के नेतृत्व की बागडोर अपने हाथों में ले ली।'¹² 16 मई तक भारतवर्ष की चिरकाल की राजधानी दिल्ली कम्पनी की अधीनता से पूरी तरह मुक्त हो गई और बादशाह का हरा झण्डा हिन्दुस्तान भर के क्रांतिकारी सिपाहियों का झण्डा हो गया अर्थात् बहादुर शाह के नेतृत्व ग्रहण करने के बाद हिन्दू-मुसलमान सब अपने देश को अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त करने के प्रयत्न में लग गये।'¹³

दिल्ली के समीप के प्रदेशों में शीघ्र ही क्रांति की आग फैलने लगी। जब यह समाचार दिल्ली के निकट के प्रदेशों में गया कि क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो शीघ्र ही उसके आस-पास क्रांति का कार्य आरंभ कर दिया गया। अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी तथा रुहेलखण्ड में भी अंग्रेजों का वध किया गया और उनके खजाने पर क्रांतिकारियों का अधिकार स्थापित हो गया। अब शीघ्र ही दिल्ली के आसपास के प्रदेशों पर भी बहादुर शाह का ध्वज फहराने लगा और वहाँ से अंग्रेजी राज्य का अंत हो गया।

अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों की पल्टनों को सामयिक रूप से भंग कर दिया। जिन्होंने विद्रोह किये उनका तत्परता से दमन किया गया। सिक्ख सेना न केवल क्रांति से पूर्णतया उदासीन रही वरन् अंग्रेजों ने उसका प्रयोग क्रांति के दमन में किया। गोरखों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि अवध की सहायता से अंग्रेज उन पर अधिकार करने में सफल हुए थे। अंग्रेजों ने कम्पनी दरवाजे को उड़ा दिया और वे दिल्ली में प्रवेश करने में कामयाब रहे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह और उसके पुत्रों को, उसके संबंधियों के विश्वासघात

के कारण बंदी कर लिया। 'बहादुर शाह बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1863 में उसकी मृत्यु हो गई।'¹⁴ बनारस, कानपुर, अवध, झांसी तथा अन्य स्थानों पर भी क्रांति का दमन कर दिया गया। नाना साहेब और बेगम हजरत महल नेपाल चले गये। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि शहीद हो गये। दूरस्थ क्षेत्रों में भीमानायक जैसे सैकड़ों योद्धाओं ने स्वातंत्र्य समर की ज्वाला को प्रज्वलित किया और स्वयं की आहुति दी।

इस तरह ब्रिटिश शासन ने अपने व्यापारिक व राजनीतिक हितों के लिए जो कदम उठाये थे, उसके विरुद्ध पहली व्यापक प्रतिक्रिया के रूप में 1857 का समर हुआ। इस समर ने सैनिक, किसान, मजदूर, शिल्पकार, दस्तकार व रजवाड़ों को अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय प्रतिरोध के लिए प्रोत्साहित किया। सन् 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर का उद्घोष और प्रयास सम्पूर्ण भारत में सूत्रबद्ध, योजनाबद्ध, अनुशासनबद्ध और संगठित रूप में प्रथम बार हुआ। क्रांति के स्वरूप को लेकर आज भी मतैक्य का अभाव है, किन्तु इसके दूरगामी परिणाम निस्संदेह सकारात्मक सिद्ध हुए। शताब्दियों बाद भारतवर्ष में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयत्नों में अभिवृद्धि हुई।

क्रांति के कारणों के विवेचन में कम्पनी को सिद्धदोष ठहराकर भारत का साम्राज्य ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ। हालांकि समर के लिए कम्पनी के साथ-साथ ब्रिटिश हुकूमत भी बराबर की उत्तरदायी थी। अंग्रेज सरकार ने अपनी रणनीति में परिवर्तन कर बाद में सामाजिक व सांस्कृतिक विषयों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। देशी रजवाड़ों के साथ जो अधीनस्थ अलगाव की नीति थी, उसमें परिवर्तन करके सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू कर अधीनस्थ संघ को प्रोत्साहन दिया। क्रांति के पश्चात् संवैधानिक सुधारों का क्रमिक विकास हुआ, जिसने भारतीय जनमानस में विशेषकर पढ़े-लिखे वर्ग को स्वशासन व स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया।

उपसंहार - 1857 का समर भले ही असफल रहा लेकिन इससे राष्ट्रवादियों ने बहुत कुछ सीखा और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन कारणों का भलीभांति विवेचन किया जो क्रांति की असफलता के लिए जिम्मेदार थे। स्वातंत्र्य समर का यहा प्रयास कितना वृहत् और प्रभावशाली था। डिजरायली, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ, ने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह नहीं अपितु देश के लिए लड़ा गया युद्ध था। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन विलियम ने लिखा कि इसमें सैनिक अपने ध्येय प्राप्ति के लिए मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार थे। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाहजफर एवं नाना साहब पेशवा ने जनता के नाम जिस विज्ञप्ति को प्रकाशित किया था उसमें अपने राष्ट्र व धर्म पर जो विपदा आयी है, उसके विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया था। वास्तव में यह युद्ध सम्पूर्ण राष्ट्र द्वारा लड़ा गया था। अंत में विनायक दामोदर सावरकर के शब्दों में- '1857 पर अध्ययन हेतु जो सामग्री उपलब्ध है, उसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल नहीं है कि प्रारंभ में यह एक सैनिक विद्रोह मात्र था तथा चर्बी वाले कारतूस का मामला एक तात्कालिक बहाना या कारण भर था। यह कि अनैतिक और षड्यंत्रपूर्ण तरीकों से भारतीय राज्यों-रियासतों को हड़पने की नीति ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष और अविश्वास को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। यह कि अंततः इस संघर्ष ने एक राजनैतिक क्रांति या स्वतंत्रता संघर्ष का रूप धारण कर लिया तथा यह घटना हिन्दू-मुस्लिम एकजुटता एवं परस्पर सहयोग की एक बड़ी ताकत बनकर सामने आई। दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुरशाह 'जफर' को सभी क्रांतिकारियों ने अपना नेता माना था। शीर्ष नेताओं में हिन्दू-मुसलमान दोनों ही सम्मिलित थे- नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई,

बिहार के कुंवरसिंह, राव साहब, बेनी माधव सिंह आदि के साथ ही अजीमुल्ला खां, मौलवी अहमदशाह, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, शहजादा फिरोज और सआदत खां तथा मौलवी लियाकत अली आदि ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। ऐसा ही अभूतपूर्व सहयोग सैनिकों, किसानों, ताल्लुकेदारों एवं आम लोगों की भागीदारी में भी परिलक्षित होता है।'¹⁵

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **अठारह सौ सत्तावन**, लेखक - श्री निवास बालाजी हार्डिकर, प्रकाशक - सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, संस्करण, 1959 पृष्ठ क्र. - 1।
2. **ब्रिटिशकालीन भारत का इतिहास**, लेखक- पी. ई. राबर्ट्स, अनुवादक - रामकृष्ण शर्मा 'कंवल', प्रकाशक - एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, संस्करण 1974, पृष्ठ क्र. 3।
3. **आधुनिक भारत का इतिहास**, लेखक - विद्याधर महाजन, प्रकाशक - एस चन्द्र एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, संस्करण, 1999 पृष्ठ क्र.- 134।
4. **आधुनिक भारत**, लेखक - हरिभऊ उपाध्याय, प्रकाशक - हिन्दी मन्दिर, प्रयाग, पृष्ठ क्र.- 4।
5. **अठारह सौ सत्तावन**, लेखक - श्रीनिवास बालाजी हार्डिकर, प्रकाशक - सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, संस्करण 1959, पृष्ठ क्र. 8।
6. **1857 का मुक्ति संग्राम**, लेखक - डॉ. धर्मेन्द्र नाथ, प्रकाशक - राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र. 42।
7. **आधुनिक भारत**, लेखक- एल. पी. शर्मा, प्रकाशक - लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, संस्करण - 1979, पृष्ठ - 275।
8. **अठारह सौ सत्तावन**, लेखक - श्रीनिवास बालाजी हार्डिकर, प्रकाशक - सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, संस्करण 1959, पृष्ठ क्र. 6।
9. **भारत का राष्ट्रीय आंदोलन**, लेखक - डॉ. कैलाश चन्द्र जैन, प्रकाशक- युनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, संस्करण 1999, पृष्ठ क्र. 15।
10. **1857 के महान क्रांतिकार**, लेखक- कृपाकांत झा, प्रकाशक शारदा प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण- 1990, पृष्ठ 68।
11. **1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर**, लेखक- विनायक दामोदर सावरकर, अनुवादक गणेश रघुनाथ वैशांपायन, पृष्ठ- 112।
12. **1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर**, लेखक - विनायक दामोदर सावरकर, अनुवादक गणेश रघुनाथ वैशांपायन, पृष्ठ- 118।
13. **भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन**, लेखक- भगवान दास, केला प्रकाशक- भारतीय ग्रंथ माला दारागंज, इलाहाबाद, संस्करण- 1949, पृष्ठ- 19।
14. **आधुनिक भारत**, लेखक- डॉ. दया प्रकाश, प्रकाशक, राजहंस प्रकाशन मंदिर मेरठ, संस्करण 1970, पृष्ठ- 56।
15. **1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर**, लेखक- विनायक दामोदर सावरकर, अनुवादक- गणेश रघुनाथ वैशांपायन, पृष्ठ- 33- 34।

पर्यावरण प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु पर्यावरण संबंधी कानून का अध्ययन

डॉ. प्रतिमा बनर्जी*

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना(म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आधुनिक युग में विज्ञान के कई वरदान हैं, वही कुछ अभिशाप भी है। पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है अतः पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है- प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना और न शान्त वातावरण मिलना। पर्यावरण प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या बन गई है। भले ही देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है लेकिन हकीकत यह है, कि मानव स्वयं ही इसकी सुरक्षा को लेकर उदासीन है, जिसका परिणाम है:- पर्यावरण प्रदूषण। भारत के संविधान में तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है। भारत में पर्यावरण संबंधी लगभग 200 कानून हैं। पर्यावरण प्रदूषण संबंधी अधिनियम व न्यायालयों द्वारा सजा आदि का प्रावधान होने पर भी प्रदूषण नियन्त्रण की समस्या सामने आयी है। क्योंकि सभी कार्य कानून के बल पर एवं प्रशासन मात्र की जिम्मेदारी समझकर नहीं हो सकते। इसके लिये तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के प्रति और अपने समाज तथा वातावरण के प्रति जिम्मेदारी समझना होगी इसके लिए पर्यावरणीय शिक्षा और जन-जागरूकता महत्वपूर्ण होगी।

पर्यावरण प्रदूषण-पर्यावरण दो शब्द 'परि' तथा 'आवरण' से मिलकर बना है परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा अर्थात् हमें चारों ओर से घेरने वाला पर्यावरण है। लुई थॉमस ने अपनी पुस्तक "The Lived of a Cell" में धरती को एक जीवन्त शैल कहा है और उसके चारों ओर के वातावरण को उसकी रक्षा का एक पर्दा बताया है। यही रक्षा कवच पर्यावरण है।

प्रकृति एवं मानव का संबंध पुरातन काल से ही रहा है, किन्तु मानव ने ही इस प्रकृति को सदैव प्रदूषित किया है। प्रकृति अपने प्राकृतिक क्रिया कलापों से पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करती है किन्तु मानव के विकासात्मक क्रियाकलापों के फलस्वरूप प्रकृति की स्वच्छता एवं सन्तुलन भंग हो जाता है इसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण का जन्म होता है। इस प्रकार मानव की अज्ञानता और अदूरदर्शिता ने समूची भौतिक एवं जैविक अवस्थाओं को असंतुलित कर दिया है। यदि समय रहते पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने के लिये आवश्यक कदम नहीं उठाए गये तो आने वाले वर्षों में जहरीले एवं विषाक्त वातावरण के घेरे में मानव जाति सर्वदा के लिये नष्ट हो जाएगी।

पर्यावरण प्रदूषण केवल वातावरण में कुछ हानिकारक पदार्थों के आ जाने के कारण नहीं होता बल्कि पर्यावरण के किसी निर्माणिक भाग के कम

हो जाने के कारण भी हो सकता है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये अल्पकाल में ही तीव्र गति से प्राकृतिक संसाधनों को खूब दोहन किया है। विकास का मार्ग प्रशस्त करने के नाम पर अवैज्ञानिक और अनियोजित ढंग से वनों की कटाई, औद्योगीकरण और तकनीक विकास आदि के परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि प्रकृति का सन्तुलन बिगड़ता जा रहा है। स्वच्छ पर्यावरण जीवन का आधार है और पर्यावरण प्रदूषण जीवन के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। पर्यावरण प्रदूषण के अनेक कारक हैं जो विभिन्न रूप में हमारे सामने आता है जिससे मानव जाति अत्यधिक प्रभावित होती है। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारक इस प्रकार हैं:- वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, स्थल प्रदूषण आदि।

भारत में पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कानून-वर्तमान में समय में पर्यावरणीय प्रदूषण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में से एक महत्वपूर्ण समस्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के सभी सदस्य देशों को पर्यावरण संबंधी कानून बनाने के लिये निर्देश दिये हैं। भारत भी पर्यावरण के संरक्षण लिये विश्व के अनेक विकसित देशों की भाँति सजग है।

स्टॉकहोम सम्मेलन की पृष्ठभूमि में भारतीय संविधान में 1976 में 42 वां संशोधन किया गया। इसमें दो अनुच्छेद थे-

धारा 48 (ए): इसके अनुसार राज्य पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तथा उसमें सुधार करेंगे, साथ ही वनों एवं वन्य प्राणियों की रक्षा करेंगे।

धारा 51 (ए) : इसके अनुसार वनों, झीलों, वन्य प्राणियों आदि सहित समस्त पर्यावरण की रक्षा करना, प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त जन्तुओं के लिए करुणा अथवा संवेदना रखना भी अनिवार्य है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार भारत की लोकसभा को पूरे देश या देश के किसी भी भाग के लिये पर्यावरण संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। राज्यों की विधानसभाओं को राज्य के पर्यावरण से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।

भारत में पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कानून एवं नियम निम्नानुसार हैं:-

1. वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 - इसका मूल उद्देश्य वन्य प्राणियों की रक्षा करना है। इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये 1983, 1986 तथा 1992 में संशोधन किया गया। 2002 के संशोधन में वन तथा वन्य प्राणियों को हानि पहुंचाने वालों के लिये

- अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है।
2. जल (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974- इसका मुख्य उद्देश्य जल को प्रदूषण से बचाना तथा इसे स्वास्थ्यकर बनाए रखना है। इस कानून के मुख्य प्रावधानों में नदियों एवं कुओं को साफ रखना, जलाशयों में अवशिष्ट पदार्थों को डालने से रोकना, प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर अंकुश लगाना है।
 3. जल कर अधिनियम, 1977 - इसे 7 दिसम्बर 1977 को लोकसभा में पारित किया गया और इसे 1988 में संशोधित किया गया। इसके अनुसार जल का प्रयोग करने वाले उद्योगों एवं स्थानीय संगठनों से कर वसूल किया जा सकता है।
 4. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 - यह स्टॉकहोम सम्मेलन के अनुरूप बनाया गया है और इसे 1988 में संशोधित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वनों के अंधाधुंध विनाश को रोकना है। इस कानून के तहत किसी भी वन क्षेत्र को किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग करने हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है।
 5. वायु (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण), अधिनियम 1981 - इसे 29 मार्च, 1981 को पारित किया गया। इसका उद्देश्य केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर वायु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को स्थापित करके वायु के प्रदूषण को रोकना है।
 6. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1982 - इसका मूल उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना है। यह पूरे देश पर लागू होता है।
 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 - इसे 1972 की स्टॉकहोम सन्धि के अनुरूप धारा 48 के अन्तर्गत पारित किया गया। इसके अनुसार सभी सरकारों को पादपों एवं जीवों, वन्य प्राणियों तथा मानव स्वास्थ्य के संरक्षण के लिये वांछित कानून बनाने चाहिये।
 8. आपदा अपशिष्ट नियम - 1989
 9. ध्वनि प्रदूषण नियम 2002
 10. जैव विविधता नियम 2002
- पर्यावरण संरक्षण के लिये कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण नीतियाँ सरकार द्वारा लागू की गई हैं जो इस प्रकार हैं।
1. राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास संरक्षण नीति - 1992
 2. नेशनल फारस्टे पॉलिसी - 1998

3. वन्य जीव संरक्षण नीति - 2002

4. राष्ट्रीय पर्यावरण नीति - 2006

पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न राज्यों में प्रदूषण बोर्ड गठित किये गये हैं जो राज्यों की पर्यावरण परिस्थिति के अनुरूप कार्य करते हैं। परन्तु पर्यावरण कानून लागू करने में राज्यों को अनेक समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी को पर्यावरण के विनाश की चिन्ता नहीं है। औद्योगिक विकास, खनिजों का दोहन भ्रष्टाचार, गरीबी इन कानूनों की सफलता में अवरोध है। सच्चाई तो यह है कि इन कानूनों का पालन न होने से प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण पाना बहुत दूर की बात होती जा रही है।

देश में पर्यावरण संरक्षण हेतु कई आन्दोलन भी चलाये गये हैं जैसे:- चिपको आन्दोलन, एप्पिका आन्दोलन, साइलेन्ट वैली आन्दोलन, विश्नोई आन्दोलन, नर्मदा बचाओ आन्दोलन, टेहरी बांध आन्दोलन, सरदार सरोवर बांध आन्दोलन आदि। महाराष्ट्र में जल संरक्षण आन्दोलन पर्यावरणविद् श्री अन्ना हजारे द्वारा किया गया। अनेक गैर सरकारी संगठन भी पर्यावरण चेतना के प्रयासों में सक्रिय हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का ज्ञान होना आवश्यक है, बिना समझ के जागरूकता नहीं आ सकती है।

निष्कर्ष- देश में पर्यावरण के संरक्षण के लिये अनेक प्रभावी कानून विद्यमान हैं लेकिन पर्यावरणीय जागरूकता एवं शिक्षा की कमी के कारण पर्यावरण संरक्षण प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिये कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ शिक्षा के माध्यम से पर्यावरणीय चेतना उत्पन्न करना भी आवश्यक है। तभी हम पर्यावरण का संरक्षण करके पर्यावरण प्रदूषण की चुनौतियों से बच सकते हैं और भावी पीढ़ियों के अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. पर्यावरण अध्ययन - म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी
2. डॉ. सविन्द्र सिंह : पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक, भवन, इलाहाबाद
3. डॉ. विजय कुमार तिवारी : पर्यावरण और पारिस्थितिकी, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुंबई
4. सिंह जगदीश : पर्यावरण प्रदूषण एवं संविकास ज्ञानोदय, प्रकाशन, गोरखपुर
5. प्रमोद पगारे : पर्यावरण प्रबंधन एवं संविकास, एबीडी पब्लिशर्स, जयपुर

ज्योतिष योग और आयुर्वेद : एक अंतर्सम्बन्ध

हितेश कुमार *

* व्याख्याता (हिंदी) गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, रामनगर, उधमपुर (जम्मू कश्मीर) भारत

शोध सारांश – ज्योतिष योग और आयुर्वेद का जीवन में बहुत महत्व है और इन तीनों का आपस में गहरा संबंध है यदि इनमें से कोई व्यक्ति एक विद्या को अपनाता है दूसरी अन्य 2 विद्याओं के साथ उसका संबंध स्वता स्थापित हो जाता है एक खुशहाल जीवन के लिए इन तीनों विद्या का व्यक्ति को जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है।

शब्द कुंजी – ज्योतिष, योग, आयुर्वेद, बृहस्पति, चंद्रमा, राहु, शनि, मंगल।

प्रस्तावना – ज्योतिष योग और आयुर्वेद तीनों भारतीय संस्कृति की प्राचीन पद्धतियाँ हैं जिनका गहरा संबंध मानव जीवन से है जो कि मानव जीवन को प्रभावित करती हैं मानव जीवन में जो भी कोई समस्या होती है उसका संबंध कहीं ना कहीं ज्योतिष योग और आयुर्वेद से है यदि जीवन काल में कोई मंगल अथवा अमंगल होगा उसका सीधा संबंध ज्योतिष से है यदि मानव शरीर में कोई रोग होगा उसका संबंध ज्योतिष के साथ योग और आयुर्वेद से है ज्योतिष योग और आयुर्वेद तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं तीनों आपस में मिलकर एक दूसरे की त्रुटियों की पूर्ति करते हैं।

कुंडली के भावों का शरीर के अंगों से संबंध – यदि किसी की कुंडली का चतुर्थ स्थान पीड़ित है चतुर्थ स्थान में कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं या देख रहे हैं उस व्यक्ति को दमा-सांस का कोई रोग होगा यदि व्यक्ति दमे के लिए कपालभाति प्राणायाम करे तो उसके समस्या का निवारण हो जाएगा और खाने में तीखा तला भोजन न खाए जो भोजन क्रूर ग्रहों से प्रभावित है व्यक्ति के रोगों का निवारण हो जाएगा।

ज्योतिष के योगों का और आयुर्वेद में आहार चर्या के योगों का तथा योग सूत्र के योगों का आपसी संबंध – इसी प्रकार से एक व्यक्ति की जन्म पत्रिका में कुछ योग बनते हैं जैसे चंद्रमा और बृहस्पति का गजकेसरी अथवा अमृत योग, अमृत योग वृद्धिका कारक है आयुर्वेद में भी वैद्य लोग शरीर को बलवान बनाने के लिए हृष्ट पुष्ट करने के लिए दूध तथा केले का सेवन बताते हैं इसमें दूध चंद्रमा है और केला बृहस्पति है जब इन दोनों का योग शरीर के अंदर होता है तो शरीर में अमृत का संचार होता है अर्थात् वृद्धि होती है व्यक्ति हृष्ट पुष्ट होता है जब यही योग व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है तो व्यक्ति का जीवन हृष्ट पुष्ट होता है अर्थात् व्यक्ति को वैभव उच्च पद की प्राप्ति आदि सुख मिलते हैं।

ज्योतिष और आहार में विष योग – यदि चंद्रमा और शनि का संबंध हो तो विष योग का निर्माण होता है व्यक्ति के जीवन में चिंताएं भय संत्रास आदि समस्याएं होती हैं आयुर्वेद के अनुसार दूध और मांसाहार मदिरा आदि का एक साथ सेवन वर्जित है इसमें दूध चंद्रमा है और मांसाहार मदिरा शनि है इन दोनों के एक साथ सेवन से व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब होगा। अतिसार आम्व, संग्रहणी आदि रोग होंगे परिणाम स्वरूप शरीर में हास रुपी विष

घटित होगा शरीर क्षीण होगा व्यक्ति कृश काय होता चला जाएगा दोनों ही युतियों का परिणाम एक सा ही है। एक व्यक्ति के जीवन काल में मिलने वाले सुखो वैभवों का हास करती है दूसरी व्यक्ति के शरीर का हास करती है और जो योग प्रणाली है वह इस हास की पूर्ति के लिए सहायक है। यदि व्यक्ति ने दो विरुद्ध आहारों का सेवन करके अपने शरीर की क्षति की है वे योग के आसन जैसे पवन मुक्तासन उत्तान पादासन नोकासन पादअंगुष्ठनासा स्पर्श आसन आसन आदि करे तो उसके शरीर में विषयोग से हुई हानि का शमन होगा और शरीर स्वस्थ होगा।

ज्योतिष और आयुर्वेद में अमावस्या योग – यदि कुंडली में सूर्य चंद्र की युति हो तो व्यक्ति के जीवन में अमावस्या दोष होता है जो की बेचौनी का प्रतीक है उस व्यक्ति के जीवन में सदा भय और चिंता रहती है आयुर्वेद में भी ठंडी तथा ऊष्ण प्रकृति वाली वस्तुओं का एक साथ सेवन वर्जित बताया गया है यदि गर्मचाय जो की गरम प्रकृति की है सूर्य की प्रतिनिधि है के साथ यदि शीत पेय पदार्थ (कोल्ड ड्रिंक्स) जोकि चंद्रमा का प्रतिनिधि है का सेवन एक साथ किया जाए तो ना तो गरम का स्वाद रहेगा ना ही ठंडे का एक प्रकार की वाष्पकी स्थिति बन जाएगी व्यक्ति को गले का रोग हो जाएगा ऐसी स्थिति में यदि योग के आसन भुजंगासन, हलासन, सुप्त वज्रासन आदि करें तो व्यक्ति का गले की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

ज्योतिष और आहार में ग्रहण योग – यदि कुंडली में चंद्र और राहु का योग हो तो ग्रहण दोष होता है व्यक्ति पूरी उम्र असफलताओं का सामना करता है। यदि कोई व्यक्ति दूध के साथ तीखी मसालेदार वस्तु खाकर अपने शरीर में चंद्र (दूध) और राहु (मसालेदार भोजन) का ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है तो उसके पाचन तंत्र की क्षति होगी जिससे उसका मान चिड़चिड़ा होगा जो मन अशांत होगा तो कोई भी कार्य करेगा उसे उसमें सफलता नहीं मिलेगी ऐसी अवस्था में वह यदि स्वर योग अगोचरी मुद्रा का प्रयोग करें तो उसकी समस्या का निवारण होगा।

ज्योतिष और आयुर्वेद में अंगारक योग – यदि किसी की जन्मपत्रिका में मंगल और राहु का योग हो तो व्यक्ति अति क्रोधी ही हिंसक प्रकृति का होगा। कहीं भी जाएगा वह अपनी हिंसक प्रकृति के कारण हानि उठाएगा। आयुर्वेद में अति मिर्ची वाला भोजन करना वर्जित है यदि व्यक्ति किसी

मसालेदार भोजन राहुका सेवन कर रहा है और ऊपर से उसमें और मिर्ची (मंगल) डाल रहा है वह अपने शरीर के अंदर राहु मंगल का अंगारक योग निर्माण कर रहा है जिससे उसमें गुस्सा आएगा और उसकी हिंसक प्रवृत्ति बढ़ेगी ऐसी अवस्था में यदि वह व्यक्ति की शांत मुद्रा करें उसके क्रोधा का शमन होगा हिंसक प्रवृत्ति शांत होगी इसी प्रकार से।

ज्योतिष और आयुर्वेद में ग्रहण योग—यदि कुंडली में चंद्र केतु का योग हो तो ग्रहण दोष होता है व्यक्ति को जीवन में बहुत ही हानि का सामना करना पड़ता है आयुर्वेद के अनुसार दूध के साथ खटा वर्जित है यदि कोई व्यक्ति दूध के साथ खटा खाता है तो वह अपने शरीर में दूध चंद्र और केतु खटा का ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है तो उसे अपच पाचन की समस्याएं होंगी ऐसे में व्यक्ति यदि योग की पुषाण मुद्रा का प्रयोग करें तो व्यक्ति के पाचन स्वस्थ होगा अपच का निवारण होगा।

ब्राह्मण्ड और पिंड का सम्बन्ध—मानव शरीर इस ब्रह्मांड की एक अद्भुत रचना है कबीर दास ने कहा है जो इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है जो नवग्रह इस बाहरी संसार में है वही व्यक्ति के अंदर हैं जैसे दाहिनी आंख सूर्य, बाहिनी आंख चंद्रमा, दांत मंगल, चमड़ी बुध, पेट बृहस्पति, सौंदर्य शुक्र, पैर शनि यदि जन्मपत्रिका में कोई ग्रह पीड़ित होगा तो उससे संबंधित शरीर के भाग में कोई न कोई रोग होगा और जब हम किसी वैद्य के पास जाते हैं वह हमारी आहार चर्या परिवर्तित करता है जिसके प्रभाव से उस क्रूर ग्रह का क्रूर प्रभाव कम होता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है जैसे किसी का बुध पीड़ित है उसको चमड़ी का रोग है वह गिलोय, गेहूं के ज्वारे, घृतकुमारी का प्रयोग करें उसकी चमड़ी का रोग ठीक हो जाएगा गिलोय, गेहूं के ज्वारे घृतकुमारी यह सब बुध के प्रतिनिधि पदार्थ हैं जो कि शरीर में बुध की ऊर्जा को पूरी करती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है योग के माध्यम से भी इस समस्या का निदान हो जाता है जैसे अनुलोम - विलोम, कपालभाति, वरुण मुद्रा इत्यादि।

जन्म कुंडली के ग्रहों का बीमारियों का सम्बन्ध— यदि जन्मपत्रिका में मंगल राहु, शनि राहु, का संबंध बने तो ब्लड कैंसर बुधा राहु का योग हो तो चर्म कैंसर चंद्र शनि राहु का संबंध चतुर्थ स्थान से हो तो फेफड़े छाती के कैंसर का योग होता है आयुर्वेद में धूम्रपान वर्जित है यदि कोई व्यक्ति अधिक धूम्रपान का सेवन करता धुआँ है जो कि राहु का प्रतिनिधि है जो छाती में जाता है छाती चंद्र का प्रतिनिधि है इस तरह से वह अपने अंदर चंद्र राहु का मेल करता है जो कि एक प्रकार का विष योग लंघन योग है इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के कैंसर जैसी भयंकर रोग की उत्पत्ति होती है इसी तरह ये विष शरीर के रक्त से मिलकर रक्त कैंसर जैसे रोगों की उत्पत्ति करता है आयुर्वेद में हरितिका का गेहूं के ज्वारे, तुलसी के पत्ते, गिलोय कैंसर का निवारण बताया गया है जो कि बुध की प्रतिनिधि हैं जो कि राहु शनि के प्रभाव को कम करती हैं कैंसर के तंतुओं का शमन होता है योग के अंतर्गत कपालभाति अनुलोम - विलोम वीरभद्रासन शवासन सेतुबंध आसन आदि करें तो व्यक्ति की कैंसर के रोग का शमन होगा।

खनि-दोषों का ग्रहों से संबंध— वात पित्त कफ आयुर्वेद के अंतर्गत शरीर के तीन दोष हैं। जब व्यक्ति के शरीर में कोई भी रोग होगा वह वात - पित्त - कफ के असंतुलन से होगा यह तीनों तत्व किसी न किसी ग्रह का नियंत्रण में है जैसे वात से अभिप्राय हवा से हवा से अभिप्राय हवा से है जो कि शनि से संबंधित है पित्त से अभिप्राय गर्मी से है जो कि सूर्य मंगल से संबंधित है कफ से अभिप्राय सर्दी से है जो कि चंद्र शुक्र से संबंधित है यदि कुंडली में ग्रहों से

संबंधित कोई दोष होगा तो व्यक्ति के शरीर में वह तत्व असंतुलित होगा उदाहरणार्थ यदि किसी की कुंडली में चंद्र पीड़ित है उसे जुकाम छाती खराब की समस्या होगी तो उसके उपचार में उस व्यक्ति को गर्म वस्तुएं चिकित्सक द्वारा दी जाती हैं जो कि शरीर में पित्त तत्व में वृद्धि करती है जैसे काली मिर्च आदि जिनकी ऊष्ण प्रकृति है और यदि शरीर में पित्त तत्व की वृद्धि हो जाए और चेहरे पर मुंहासे पित्त आदि निकल जाते हैं इसमें ठंडी वस्तु का प्रयोग सेवन चेहरे पर दूध - हल्दी मिलाकर लगाने का विधान है जो कि चंद्र तथा बृहस्पति का मेल है गर्मी पित्त मुंहास सूर्य मंगल है और चंद्रमा बृहस्पति के प्रभाव से सूर्य मंगल अपना क्रूर प्रभाव कम कर देते हैं। इससे शरीर की ऊष्णता नियंत्रित हो जाती है जब शरीर में पित्त की तुलना में वाततत्व बढ़ जाता है तो तब कमर दर्द घुटनों का दर्द जोड़ों का दर्द आदि रोग हो जाते हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए इस समय चिकित्सक हमें उष्ण प्रकृति की वस्तुएं खाने का निर्देश देता है ताकि वात नियंत्रित हो जाए योग में कफतत्व को नियंत्रित करने के लिए कपालभाति ज्ञान मुद्रा वसिष्ठका का प्रयोग पित्ततत्व को नियंत्रित करने के लिए विपरीकरण, नाडी शोधन, प्राणायाम, अर्द्ध पद्मासन पद्मासन का प्रयोग बताया गया है वह तो तत्व को नियंत्रित करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम संधि मुद्रा वायु मुद्रा वरुण मुद्रा आदि का विधान है।

ज्योतिष योग और आयुर्वेद की मानव जीवन में अहम भूमिका— मानव जीवन की तथा मानव शरीर की ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं जिसका संबंध ज्योतिष योग और आयुर्वेद से न हो यदि समय से पहले व्यक्ति को इन तीनों का उचित ज्ञान हो जाए तो जीवन काल में आने वाली मुसीबतों शरीर में आने वाले रोगों से बचा जा सकता है ज्योतिष योग और आयुर्वेद का हमारा प्राचीन विज्ञान था जो कि आज लुप्त प्राय सा हो गया है ज्योतिष एक विज्ञान नरहकर एवं व्यवसाय बन गया है इसका संबंध किसी धर्म जाति से नहीं है यह एक विज्ञान है जो कि सब को प्रभावित करता है आयुर्वेद में प्रत्येक की जो रोग का वनस्पतियों के पास निदान है और वह वह वनस्पतियां उस रोग पर तब काम करेंगे जब ग्रहों की गति देख कर उचित समय पर उसको तोड़ा जाए और रोगों को दी जाए वनस्पति ग्रहों की ऊर्जा ओर से प्रभावित होती है आयुर्वेद के अतिरिक्त दूसरी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। एलोपैथी होम्योपैथी आदि आयुर्वेद शनि के कारकत्व में आती है एलोपैथी पद्धति सूर्य के कार्यकत्व में आती है सूर्य के प्रभाव से उसका संसार में अधिक नाम प्रचार प्रसार है।

शनि का आयुर्वेद पर प्रभाव— शनि का स्वभाव है मन गति से चलना किंतु न्याय करना सही करना आयुर्वेद भले ही मंदगति से कार्य करता है किंतु रोग को पूरा नाश करता है एलोपैथिक की भांति रोग का केवल तत्काल शमन करके उसे शरीर में नहीं रहने देता। ज्योतिष योग आयुर्वेद को वही व्यक्ति सफलतापूर्वक आगे ले जा सकता है जिसके अंदर बृहस्पति का ज्ञान तत्व शनि का मूल्यांकन तत्व पूर्णता इन ग्रहों के प्रभाव से बलवान हो।

उपसंहार— आज के भौतिकवादी युग में विज्ञान जैसे जैसे प्रगति कर रहा है भौतिक सुखों के साधन बढ़ रहे हैं व्यक्तियों में भौतिकवाद में आगे बढ़ने की होड़ लगी है ऐसे ऐसे व्यक्ति का जीवन का कालखंड कम हो रहा है उसकी मानसिक शांति समाप्त हो रही है उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो रही है व्यक्ति के शरीर में अनेकों रोक पनप रहे हैं ऐसे में यदि व्यक्ति ज्योतिष योग और आयुर्वेद का पूर्ण अनुसरण करें उसकी मानसिक शांति को लाया जा सकता है उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाकर उसके जीवन के कालखंड को को बढ़ाया जा सकता है उसे भौतिकवाद के भोगी से

अध्यात्म का योगी बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. द्विवेदी पंडित रमेश, सरल ज्योतिष- प्रकाशक- डायमंड बुक्स दिल्ली(2015)
2. कौशिक, विवेकश्री, आहार ज्योतिष- विश्वामित्र-शिलालेख प्रकाशक (2015)
3. हिंदू ज्योतिष का सरल अध्ययन - राव के एन, राव के विजयलक्ष्मी -वाणी पब्लिकेशन दिल्ली(2020)
4. स्वदेशी चिकित्सा- संकलन एवं संपादन दीक्षित राजीव—स्वदेशी प्रकाशन सेवा ग्राम वर्धा (2012)
5. रामदेव स्वामी, प्राणायाम रहस्य- स्वामी रामदेव प्रकाशन-दिव्या प्रकाशन दिव्योम मंदिर(ट्रस्ट) योग पीठ हरिद्वार(2015)
6. रामदेव स्वामी, योग सामान्य ज्ञान-दिव्या प्रकाशन हरिद्वार(2017)
7. विनोदराम-आयुर्वेद शास्त्र - प्रकाशक-राजस्थानी शोध संस्थान, चोपसनी (2007)

Gender Equality Through Women's Participation in Decision Making

Dr. Santosh Kumari *

*Associate Professor & Head (Sociology) J.K.P.P.G. College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

Introduction - The principle of gender equality has been basic to Indian thinking for over a centuries. The nineteenth and twentieth centuries saw a succession of women's movements, First around burning Social issues like women's education and widow remarriage and then around the freedom struggle itself. The Fundamental Rights Resolution of the Indian National Congress in 1931 adopted gender equality as a guiding principle. A deep concern with the status of women and the recognition that the progress of the nation is integrally linked with the advancement of women, have under-pinned Indian planning and polity since Independence Mahatma Gandhi was a champion of women's rights. He emphasized that, "subjugation and exploitation of women was a product of men's interested teachings and women's acceptance of them". To this, women for all walks of life responded magnificently. The leaders of the nation recognized that a freedom gained without the active involvement of women would be a hollow and fragile freedom and called upon women to place the nation above family and faith and "enter the struggle as crusaders in a sacred cause". The constitution of India, adopted measures of affirmative discrimination in favour of women. The Constitution further imposes a fundamental duty on every citizen to uphold the dignity of women.

All efforts of the Government has been directed towards mainstreaming of women into the national development process by raising their over all status- social, economic, legal and political. The impact of various developmental plans, policies and programmes have brought about perceptible improvement in this regard.

The crowing achievements of this decade have been the 73rd and 74th Constitutional Amendment (1993) which guarantee women a minimum 1/3 representation in all local bodies both in the rural and urban areas and also reserves, in one single stroke, 1/3 of all posts of chairperson for women.

It is the empowerment strategy which is today emerging as an unique Indian response to the challenges of equality, development and peace. If women are to be empowered, it is necessary to provide an expanding networking of

support services so that day are freed from some of their gender related shackles. If women are to be economically empowered, they are to be provided with additional channels of credit, training, employment, greater visibility, management skills and social security. If women are to be politically empowered, the immediate imperative is to resort to different forms of affirmative discrimination so that their voices are heard. If women are to be given access to knowledge, power and resources, they should be empowered to demand such education and knowledge resources. If women are to be persons in their own right, they must be in control of their own bodies and suitability empowered.

Reservations of seats is one of the instructions of political empowerment for women. Although, this technique guarantees women representatives and a recognition to have the population, many feel that through such a method a small number of women representatives can be isolated from Decision-making and not represent a power to be reckoned within these institutions.

However, through reservations, the presence of women in these institutions can be ensured which in turn may encourage other women to slowly come out of the age old barriers imposed on them by social structure and share political power on an equal footing with men.

Study Area / Universe: The study has been conducted in the Baghpat District in the state of Uttar Pradesh. Baghpat District came into being on the 1997 with the division of Meerut District. The Baghpat District consists of 5 blocks namely; Baraut, Baghpat, Binouli, Chauprouli and Khehra. But the present study is undertaken in various Gram Panchayat of the Chauprouli and Baraut blocks.

The total 26 Gram Panchayats are reserved for women in Chauprouli and Baraut Blocks.

An attempt is made to conduct a comparative study between reserved Gram Panchayats for general category women and reserved for S.C. and O.B.C. category women of these blocks. The both reserved Gram Panchayats include an equal number of villages. As such 20 Gram Panchayats in all constitute the universe of the present study

by the purposive sample.

Objective Of The Study: The whole study centres on various aspects the relevance of Panchayati Raj to the gender equality through women's participants in decision making.

The objective of the study are to assess: (1) to analyse the socio-economic background of women members of Panchayati Raj Institutions, (2) to analyse the motivating factors for women's political participation, (3) to understand the level of perception in relation to their new role, (4) to analyse the various dimensions of women's political Participation, (5) to assess and understand the effects of women's empowerment, (6) to analyse those factors which are helpful / barriers in women's decision making, (7) to find out the process and the strategies of adjustment with men counterparts and (8) to find out if any relationship established between women's empowerment and gender equality.

Methodology: Both primary and secondary sources of material have been used in the collection of data on women empowerment in Panchayati Raj Institutions. Both interview schedule and questionnaire were used for the purpose of data collection however an attempt was also be made to witness some of the meeting held in Gram Panchayats for spot observation. It is also planned to use precise interview the chiefs or head of the local bodies i.e. Zila Panchayat, Panchayat Samiti and Gram Panchayats. Apart from interviewing the family members of some selected women members of Gram Panchayats to supplement the results of the study. And secondary sources of information was Survey Report and District Gazetteers.

Respondent: The total number of respondent were 130 including 10 Pradhan, 20 B.D.C. Members, 4 Zila Panchayat Members, 1 Zila Adhyaksha, 95 Members of Gram Panchayat and some other people of the villages.

Conclusion: The restructuring of gender relationships that place women at a major social and economic disadvantage in society have become a major concern for all those who are interested in a more equalization social order. Then, the major objective becomes to strive for empowerment both at the individual and collective level. But what does empowerment mean? To define it simply, empowerment means women's control over resources and the power to take decisions on all major issues concerning her life.

The main focus of this empirical research has been to study or examine the role of women members in the Panchayati Raj Institutions. Since the rural women for the first time were given an opportunity to enter the local political institutions through the intervention of the reservation policy introduced by the state of the Uttar Pradesh which was later on followed by other states such as Haryana, Rajasthan etc.

Keeping the reservation policy in view, the study was carried out by selected one Zila Panchayat and 2 Block representing all 20 village of the Baghpat District. The study

comes out with interesting and revealing facts which signify the role of women members in Decision Making through Panchayati Raj Institutions.

The wave of democracy, equality, socialism and justice in the 18th and 19th centuries, brought significant progress which affected the women. With all this, the women were not allowed to participate in the political process of the country. In the case of India, the Indian National Congress gave an important position to the woman in the party. The aspect to be noted is that the Indian women don't fight for their political status, it was given to them by the Indian Constitution itself in 1950.

It was to Improve this situation that the policy of reservation was introduced by the Government of Uttar Pradesh in 1994. Political empowerment i.e. giving women the capacity to influence the decision-making process by integration them into our political system was the main concern of the 1994 Panchayati Raj Act, and the rural women should not only become beneficiaries of development but also and more importantly contributors.

The brief review of literature in the area confirmed that there hardly any study dealing with the role of women in decision making in Panchayati Raj Institutions. Comprehensively and sufficiently empirical in treatment. Keeping this as the backdrop, it was felt necessary to undertake an in-depth empirical study. So the present study focuses upon various aspects of policies and programmes for women's empowerment.

An analysis of the women of Meerut (Baghpat) district indicates that though they form 50 percent of the population (males: 853598, female : 810717) illiteracy trends to persist in the district. The literacy rate is 43.17 percent in the rural area wherein the total population is 55.17 percent consists of male literates and females literates is merely 35.17 percent. Illiteracy among women may be due to many societal factors including the traditional bias towards the female education. In the political field, the women who have contested and won are negligible. They have not played an important role in politics. This may be also due to the political parties, because though they express their commitment for an adequate representation to women in their manifestoes but in practice they have not given sufficient representation to women.

An analysis of impact of the socio-economic-political structure on the selected Panchayat members highlighted some of the constraints inherent in the development process. The caste hierarchy which symbolizes the rural life in India, is found prevalent in the Baghpat district. Caste plays a very important role in this district.

The occupational pattern indicate variety of occupation followed and practiced by people. The economic pattern in the district is in line with the social pattern. It is the dominant Jat community which enjoys an important position due to numerical strength, social, economic and political power. The other castes which exist play a limited role.

Knowledge of the socio-economic background of the non-members is important in shaping the nature and level of participation of members in political institutions and also to understand attitudes and behaviour of the members. So, an analysis of the emerging pattern of women leadership at the Panchayat Raj Institutions reveals among the sample of 200 members, majority belong to the younger age-group (i.e. between 25-45 years), and this goes against the traditional attitude that it is only the aged people who become the members of P.R.I.S. The present study throws a sufficient of light dispelling the myth that rural power is the monopoly of the aged.

The opinion that the younger women or generation lack political experience does not hold good in the case of women since majority of them, their involvement in the political sphere is itself new. It is said that this very fact constrains them from effectively fulfilling their role as a member. However, this relative in experience would not remain a negative feature of women-members and with time, their effectiveness as elected members would improve. With this future scenario in view, reservation of political opportunity for women is a right step forward. This, without any doubt, would facilitate bringing desirable social change, women's participation and their empowerment a reality.

The analysing the nature of relationship between caste and other important socio-economic variables like age-group, hand-holding and income leads one to state that there is a 'significant relationship' between the dominant castes and other variables. But given the opportunity with their background the women can play an important role in Panchayati Raj Institutions. People's participation is the introduction of a new set of people into the decision-making process with regard to resource allocation and distribution. In the context of women, who have been excluded from the development process, and who should determine their needs and priorities. So, the ultimate test of development, the efficiency of the women members at the Panchayati Raj Institutions.

The General Body Meetings, the Standing Committee Meetings and Sub-Committee Meetings are intended to ensure indirect participation of the people through their elected representatives. In this context, an analysis of data of meetings reveals an encouraging trend. The meetings were held regularly.

Furthermore, the attendance of the women-members at the Zilla Panchayat Monthly Meeting and Standing Committees Meetings and Gram Panchayat Monthly Meetings was quite impressive and encouraging. It was observed that the members of Village Panchayat did not attend the meetings, regularly. This raises a larger issue of their association with Panchayati Raj Institutions and that too with a right to vote. If the meetings are considered as one of the important indicators for assessing the functioning of an institution, the data collected about the women

members reveal that they attended the meetings regularly. It was observed that in the meetings, only a few women members participated effectively with participation of others was limited or extremely limited. The study further shows that at the Sub-Committee Meetings women's participation was almost negligible and they hardly attended the meetings.

The study reveals that welfare of women does not receive enough attention at the meetings. The women have also not shown interest regarding women's welfare, nor have they put forward any proposals for the rural women. However, they express their opinion on many issues proposed in the meetings. So, an effort is necessary in the direction, in order to obtain women's Perspectives on all aspects of rural development, which in ultimate analysis would involve 'Gender Issues'.

Regarding the relation of the women members with the electorate reveals that they are not as mobile as the men, they have social constraints. But still they are able to meet the electorates, the elected Village Panchayat members were in contact with the people to which ever village the member belonged. The Zila Panchayat women-members met the people who usually visited the Zila Panchayat Office. They also tried to solve the problems faced by the people. Though both female and male members are given an equal opportunity to enter the political institution. They study reveals that there is discrimination in the sitting arrangement at all the selected 20 villages. They were usually made to sit in a corner of the room or behind the men but the situation at the Zila Panchayat is different, they are considered as one among the men and given equal sitting arrangement. But among the women members there appears to be no discrimination as reflected in behaviour, based on caste, colour and creed.

An examination in to the reaction of the family and society towards women's entry into politics indicated that it has been encouraging, supportive with a few cases where they have had to face hostile treatment.

An analysis of the experiences gained by the women-members as Panchayat members indicated that they have developing confidence in themselves. It constitutes the real seeds of hope and promise for the developments of the rural women. Her growth in self-confidence as a person, as a member of the political institution is a step towards further developments and if this is what the stability regarding women's representation has been able to generate, it claim to have achieved much of its purpose.

The majority of the women members travel from their village to block and to the headquarters. So, participation is also seen in terms of the amount of travel that members are able to do which indicates wider participation.

The analysis revealed that their experience as elected members is itself new and they are not exposed to the formal official procedures. They depend quite often on the male members and officials for advice and for clarifications.

Though the numerical strength of the women members has increased they have not been able to effect decision-making substantially.

References:-

1. **Ahuja, Ram, 1985:** 'Political Awareness an political Position of Women in Rural Areas'. The Journal of Sociological Studies. No. 4
2. **Kamath, Dayanand, 1991:** 'Women in India politics; A low key presence'. In Maharashtra Women's Herrald. Vol.11, No. 21, June, p.3
3. **Manikiyamba, 1981:** Participation of Women in Panchayati Raj: A project submitted to Cicerone Delhi
4. **Govind and Dhadavee,1999 :** "Socio Economic Profile of Women leaders of PRI : A study in Karnataka",in

Gender and Society in India,vol-II,Manak Publication Pvt Ltd.

5. **Kaushik,Sushila,1993:** Women and Panchayati Raj, New Delhi, Har Anand Publication.
6. **Singh, Yogendra,1993:** A Sociological Study of Panchayati raj Institution and Development of Scheduled Caste in District Bulandsahar, U.P. (Unpublished Ph.D. Thesis).

Reports and Acts:-

1. Government of India, Panchayati Raj at a Glance: A Status of Panchayati raj Institution of India, New Delhi.
2. GVR Rai Committee Report on Panchayati Raj, Improvement, 1985.

A Critical Study on Border Trade and Informal Economy Between India and China at Nathula Pass, Sikkim

Mr. Jaimine Vaishnav* Dr. Rekha Mali**

***Research Scholar (Political Science) Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA**

**** Professor (Political Science & Public Administration) Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA**

Introduction - As issues concerning Sikkim's development in a wider context of possibilities of growth of trade between India and China came to the fore, academic interest in border trade gained interest. The Nathu La pass serves as an important junction for border trade between the north-eastern part of India and the southwest province of China. It offers insight and observations for a comprehensive analysis of the economic, political, and social dynamics of the development of Sikkim.

This study is an attempt to understand the possibilities of reducing government restrictions in view of improving trade and thus the economic and living conditions of the people of Sikkim. The study attempts to draw attention to the fact that under the cloak of the formally registered trade, there exist informal trade exchanges which have the scope to generate wealth and welfare for traders and open up a host of trade opportunities for the youth of Sikkim.

The hypothesis under this study was tested against various parameters and based on the analysis, each of the hypotheses has been either accepted or rejected accordingly.

Analysis: From the interviews conducted and field survey undertaken, we noted that the ancestral traders outnumbered other traders. Border trade has existed for years though with closure due to geo-political pressures. Hence several traders are not new to this trade as it has been a family business for generations. The survey also notes that several youngsters have joined the trade who do not have any trading background. The scope to make decent income and a living from border trade has attracted several into this trade. Hence there is also a continuous and growing demand for expansion of border through various measures.

Profile : The data collected through structured and unstructured questionnaires is analyzed to test the hypothesis built for this study.

Profile of the Sample

Table 1.1: Classification by Type of Trader

Type of Trader	Frequency	Percent
Ancestral	45	61.6
Regular/Permanent	3	4.1
New trader	25	34.2
Total	73	100.0

Source: Primary data

Figure 1.2 Distribution by Type of Trader

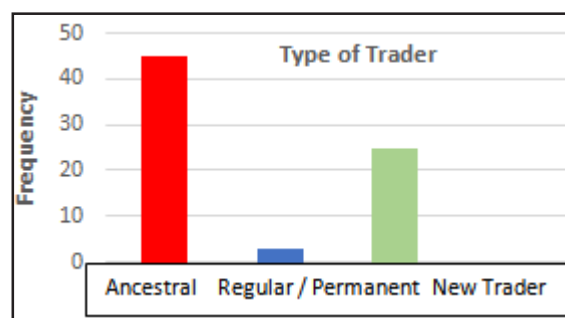


Table 1.3: Classification of Traders by Age

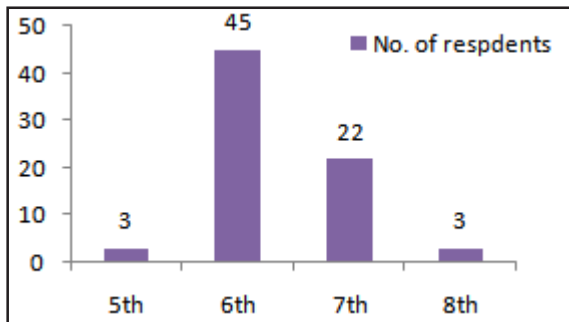
The border trade at Sikkim is old and India's trade with the Chinese traders has deeper roots and is traced back to the 'Silk Route'. In this backdrop, this study proves that the trade is old and established and is led by ancestors till date. 61.6% of the traders were carrying forward ancestral trade. This research also shows that several youngsters who have entered border trade are new comers. They comprised 34.2% of the total respondents interviewed.

Table 1.4: Classification based on Type of Trader and New Trade Pass

Type of Trader	New Trade-Pass				Total	Percentage
	5	6	7	8		
Ancestral	2	24	16	3	45	61.6
Regular/permanent	0	2	1	0	3	4.2
New trader	1	19	5	0	25	34.2
Total	3	45	22	3	73	100

Source: Primary data

Figure 1.5: Traders ranking need for new trade pass

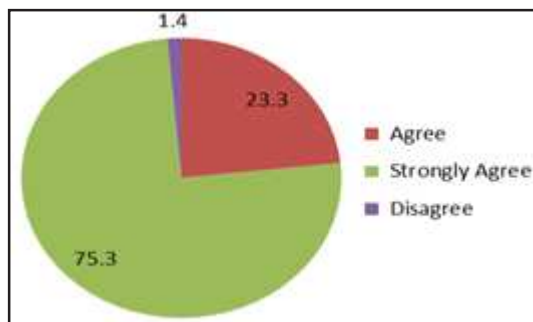


For permitting locally produced commodities to be traded as per prevailing customary practices on both sides of the border, acquiring trade pass is necessary. This factor has been ranked within 8 ranks as an important factor in carrying on border trade. Approximately 61.6% of the traders, i.e., 45 of the total traders feel that acquiring a new trade pass every year is difficult, and thus hampers smooth trade. Hence it has been ranked 6th. 30% of the traders who ranked the factor in 7th position also felt the same. Traders find applying and acquiring a new pass often, extremely cumbersome and would like to do away with it. But other factors under this study weigh more in assuring smooth and effective trade. Hence traders did not rank making new pass repetitively in the top five.

Table no. 1.6 : Traders preference for provision of Overnight stay

Trader's Opinion	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Agree	17	23.3	23.3
Strongly Agree	55	75.3	98.6
Disagree	1	1.4	100.0
Total	73	100.0	—

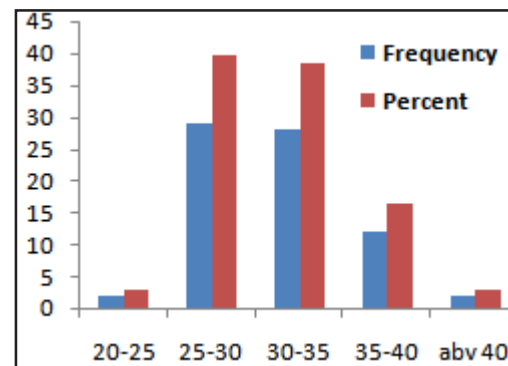
Fig. no. 1.7 : Traders opinion on need for overnight stay facility



Lack of infrastructure has been a major complaint as access to roads, storage, warehousing facility and transportation has always been poor. Though direct trade related aspects like trade restrictions by government have been identified by respondents as major hurdles to expansion of trade, facilities to stay overnight at trading areas they felt could ensure smooth trade. Of the total respondents, 75% expressed strongly that they prefer overnight stay than carrying loads up and down the hills which is an arduous task.

Age	Frequency	Percent
20-25	2	2.7
25-30	29	39.7
30-35	28	38.4
35-40	12	16.4
Above 40	2	2.7
Total	73	73

Figure 1.8: Distribution of Traders by Age



The survey reveals that most of the traders trading across with Chinese on the Sikkim border are young. All most 80.8% of the respondents are below 35 years of age, while approximately 40% of them were in the age group of 25-30 years and 38.4% in the age group of 30-35. Traders above the age of 40 years was as low as 2.7%. The study emphasizes that the trade is dominated by youngsters who look forward to pro-active measures in promoting border trade relations.

Hypothesis 1

Ho : Traders do not have the scope for informal earnings in border trade

H1 : Several traders trade and earn informally in border areas.

Table 1.9 (see in last page)

Hypotheses 2

Ho : Investment in border trade does not ensure income, as trade is restricted.

H1 : Investment in border trade ensures income and widens the scope for trade and earnings

Table reveals a direct link between higher capital investment, earnings and wider scope for border trade. This survey shows that despite difficulties, the traders were hopeful of trade and invested as per their capacities.

Table 1.10 (see in last page)

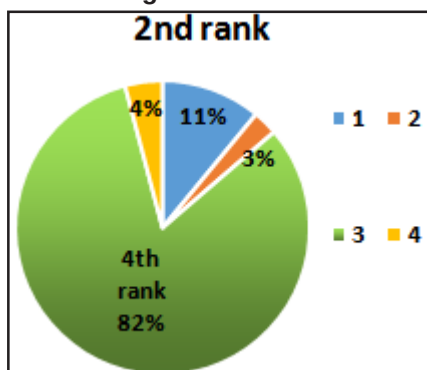
Infrastructure facilities have not received government attention, nor have they been the focus of development in the border areas. While government restrictions are seen as major problem to expansion of trade, infrastructure is seen within top five priorities. 75% of the respondents ranked it as 4th important of the 10 factors identified.

Table 1.11: Impediment - Ranking of lack of godowns

Rank	Lack of Godowns	
	Frequency	Percentage
2	8	11
3	2	2.7
4	60	82.2
5	3	4
Total	73	100

Source: Primary data

Figure 1.12: Lack of godowns ranked



Lack of godowns is seen as a major impediment to the expansion of Border Trade in Sikkim. As storage facilities

are poor, approximately 90% of the respondents ranked absence of godown facilities as one of the top 5 priorities. While 82% felt it was the fourth important factor, 11% of the rest felt it was second important factor hindering trade. The traders expressed that government efforts were lacking in constructing good and adequate number of godowns. The sooner they address these problems related to infrastructure, greater the scope for improved trade.

Ratiocination: This study *concludes and culminates* that there's a dire need for libertarianism in border trade between India and China. Ceteris Paribus, the traders on the Indian front are not fully in tandem with the present structure of the trade and thus they resort to informal trading.

With the infusion of sound representation in the trading structure, other than regarding the conventional pattern, women can also play a huge role.

This study, amid lesser sources in the literature domain, can be taken forward to enhance and enrich the geoeconomic relationship between India and China while also upgrading the infrastructure of border trade, uplifting the spirit of trade items, and updating the scope of traders and their views.

Reference:-

1. Personal Research and survey.

Table 1.9: Classification by type of traders and informal income earned

Type of Traders	Informal income						
	Upto -1000	1001 -5000	5001 -10,000	10,001 -15000	15,001 -20,000	Above 20,000	Grand Total
Ancestral	0	21	14	10	0	0	45
Regular /permanent	1	2	0	0	0	0	3
New trader	1	21	3	0	0	0	25
Total	2	44	17	10	0	0	73

Table 1.10: Capital invested (trading period) and Income per day (thousands)

Capital invested (trading period)	Income per day (thousands)				Total
	20 to 30	30 to 40	40 to 50	above 50	
Upto 1 lakh	4	0	0	0	4
Upto 2 lakh	25	0	0	0	25
Upto 3 lakh	0	5	0	0	5
Upto 4 lakh	0	6	4	0	10
Upto 5 lakh	0	0	15	14	29
Total	29	11	19	14	73

Source: Primary data

नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के ऐच्छिक कार्य (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

पवन जोशी * डॉ. अशोक वर्मा **

* शोधार्थी (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, निवाली, जिला बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश के दक्षिण-पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र में बड़वानी जिला स्थित है। जिले की सीमाएँ दक्षिण में महाराष्ट्र व पश्चिम में गुजरात राज्य से मिलती हैं। बड़वानी जिला मध्यप्रदेश के क्षेत्र पश्चिम निमाड़ का भू-भाग है। निमाड़ अंचल को दो भागों पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ में विभक्त है जिसमें पश्चिमी निमाड़ में खरगोन एवं बड़वानी जिले तथा पूर्वी निमाड़ में खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले स्थित हैं। बड़वानी जिला जो कि एक रियासत थी इसका इतिहास बहुत गौरवशाली है। यहां की संस्कृति और वैभव नर्मदा नदी के किनारे पनपी और खीली है।

भारत में सत्ता के विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत स्थानीय सत्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका बन गई है। लगभग पिछले दो दशकों में नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की भूमिका में बड़ा परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। शिक्षा के प्रसार के कारण जनमानस ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है तो वही दूसरी ओर इन निकायों नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत ने भी समय-समय पर स्वच्छता अभियान एवं निरन्तर स्वच्छता कार्यों को पूर्ण कर आमजन तक पहुँचाने के साथ-साथ रोजमर्रा के जीवन से भी जोड़ा है। जिले के इन निकायों ने कचरा वाहन के अतिरिक्त उचित साफ-सफाई प्रबंधन भी उपलब्ध कराया है जिससे एक स्वच्छ वातावरण निर्मित होने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है।

जिले के निकाय नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों ने लगभग सभी नागरिकों स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुलभ कराई है, साथ ही हर घर, गली-मौहल्लों में प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध किया है। सड़क निर्माण होने से नागरिकों को मुलभूत सुविधाएँ मिल रही है, इसके अतिरिक्त गंदे पानी की निकासी का आधुनिक प्रबंध भी किया जा रहा है, जिसमें अण्डर ग्राउण्ड सिवेज लाईन निर्माण कार्य में भी निरन्तर प्रगति हो रही है।

नगर पालिका, नगर परिषद व नगर पंचायतों के ऐच्छिक कार्य : नगर पालिका, नगर परिषद व नगर पंचायतों के जनहित के ऐच्छिक या गौण कार्य वे हैं जिन्हें नगर पालिका, नगर परिषद व नगर पंचायतों अपनी इच्छानुसार करने के लिए स्वतंत्र है। यदि वे उन्हें पूर्ण नहीं कर सकती हैं तो नागरिकों के द्वारा इन्हें पूर्ण करवाने के लिये किसी भी प्रकार का प्रभाव या राजनैतिक दबाव डालने का कोई अधिकार नहीं है और न ही न्यायालय द्वारा इन्हें पूर्ण करने के लिए विवश किया जा सकता है। इस प्रकार से ऐच्छिक कार्यों को पूर्ण किया जाना नगरपालिका, नगर परिषद व नगर

पंचायतों की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि उनके पास समुचित वित्तीय साधन हैं तो वह उन्हें कर सकती हैं। इस प्रकार के कार्य जिन्हें करने के लिए नगर पालिका परिषद बाध्य नहीं होती है, किन्तु उन्हें पूर्ण करने की अपेक्षा की जा सकती है, ऐच्छिक कार्य कहलाते हैं। ये परिषद के कर्तव्य की धारा 124 के तहत आते हैं।

नगर पालिका, नगर परिषद व नगर पंचायतों के निम्नलिखित ऐच्छिक कार्य हैं-

1. नगर में सार्वजनिक उद्यानों, पुस्तकालयों, बगीचों एवं धर्मशालाओं का निर्माण करवाना।
2. गंदी बस्तियों में अव्यवस्थित रूप से बने जहाँ-तहाँ बने झोपड़ों एवं मकानों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना एवं उनमें सुधार करना।
3. खतरनाक एवं घृणास्पद व्यापार को रोकना।
4. बच्चों के लिए झूलाघर तथा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
5. शैक्षणिक गतिविधियों को अग्रसर करना।
6. पशुओं के लिये चिकित्सालय खोलना।
7. नगरपालिका के कर्मचारियों की समस्याओं का उचित समाधान करना।
8. कला, प्रदर्शियों, मेलों व उत्सवों का आयोजन करना।
9. नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों के लाभार्थ दूध व दूध से बने पदार्थों के प्रदाय, वितरण तथा विधायन (प्रोसेसिंग) के लिए दूध शालाएँ तथा फर्म खोलना।
10. सड़कों पर, उचित स्थानों पर जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रमों, उत्सव सम्पन्न होते हो, निश्चित अवधि के पश्चात् पानी का छिड़काव करना।
11. आम सड़कों के किनारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की खाली पड़ी भूमि पर वृक्ष लगाना और उनकी पशुओं से रक्षा हेतु आवश्यक लौह जालियाँ लगवाना एवं पानी खाद द्वारा पोषण करना।
12. बगीचे, मनोरंजन स्थलों, खेल मैदानों एवं स्टेडियम का निर्माण करना एवं खेल सुविधाएँ जुटाना।
13. गरीबों, अपाहिजों एवं निराश्रितों के लिए आश्रम बनवाना एवं उनके उदर-पोषण हेतु उनके आर्थिक उपार्जन की व्यवस्था छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से करना।
14. चौराहों, बगीचे तथा सार्वजनिक स्थानों पर आम जनता के लिए संगीत एवं प्रकाश की व्यवस्था करना।
15. जनगणना, जन्म व मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करके आवश्यक

- जानकारी जनता को सुलभ कराना।
16. भूमि तथा इमारतों का सर्वेक्षण करवाना, जीर्णोद्धार खतरनाक भवनों को चिन्हित कर हटाना।
 17. मंगल भवन, सत्संग भवनों, शासकीय कार्यालयों हेतु भवनों तथा विश्राम गृहों की व्यवस्था करना तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अतिथियों का स्वागत करना।
 18. आवारा कुत्तों, सुअरों तथा आवारा पशुओं का बंदीकरण या विनाश करना जिनसे सार्वजनिक जीवन की हानि की संभावना न हो, साथ ही इन्हें नियंत्रित करना।
 19. नगर में दुकानों, भवनों के अतिक्रमण को हटाना व नियंत्रित करना।
- बड़वानी जिले के निकाय नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों ने शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत परियोजना, (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, ठेला योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक पेंशन योजना आदि प्रमुख हैं।
- शहरी क्षेत्र में ई-नगरपालिका मध्यप्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस परियोजना के तहत सभी नागरिकों को नगर पालिका सेवाएँ सुगम, पारदर्शी और समय अनुसार उपलब्ध कराई

जा रही है। नागरिकों कि सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग की विभिन्न शाखाओं में सुचारु रूप से चलाने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने ई-गवर्नंस के इस पोर्टल को माध्यम चुना है। इसमें नागरिक ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं और उस शिकायत के निष्पादन कि वर्तमान स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। इसमें जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण-पत्र का आवेदन भी कर सकते हैं और सम्पत्ति कर एवं जल कर भी इस पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

निष्कर्ष : बड़वानी जिले के नगरीय निकायों में पारदर्शिता, उद्दमता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण प्रदाय की जाने वाली नागरिक सेवाओं से यहां के लोगों में विश्वास की प्रवृत्ति बढ़ी है। नगरीय निकायों द्वारा राष्ट्र निर्माण एवं विकास में प्रदाय की जाने वाली नागरिक सेवाएँ मूलतः प्राथमिक ही हैं, जहां एक ओर विकसित देशों में नगरीय निकायों ने नागरिक मूल्य और नवीन आधुनिकता को अपना कर वहां के नागरिकों को प्रक्षय दिया है दूसरी ओर हम आज भी मूलमूल सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए जुझ रहे हैं। जिले के नगरीय निकायों में अभी भी बहुत चुनौतियाँ बाकी हैं, जिसके लिए नवीन आधुनिक मॉडल तैयार कर नागरिक सेवाएँ प्रदान किया जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चराटे, संजय डाँगी, बलवन्तसिंह : मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि संग्रह, चराटे पब्लिशिंग हाउस, इन्दौर, 2011
2. श्रीवास्तव, प्रेमनारायण : पश्चिम निमाड गजेटियर, भोपाल
3. आंबेडकर, डॉ. बी. आर. : भारत का संविधान, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, 2019
4. मध्यप्रदेश संदेश : जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल

तालिका क्रमांक 01: बड़वानी जिले में नगर पालिका, नगर परिषद व नगर पंचायत

क्र.	नगर का नाम	नगर पालिका / नगर परिषद	नगर पालिका/ नगर परिषद	दल	मुख्य नगरपालिका अधिकारी
1	बड़वानी	नगर पालिका	श्री लक्ष्मणसिंह चौहान	कांग्रेस	श्री कुशलसिंह डोडवे
2	सैंधवा	नगर पालिका	श्रीमती बसंती बाई यादव	भाजपा	श्री कैलाश वैष्णव (प्रभारी)
3	अंजड़	नगर परिषद	श्रीमती संतोष शेखर पाटनी	कांग्रेस	श्री मयाराम सोलंकी
4	राजपुर	नगर परिषद	श्री पुष्पेन्द्र कुशवाह	भाजपा	श्री संतोष चौहान
5	खेतिया	नगर परिषद	श्रीमती चंदन बाई अरविन्द बागुल	कांग्रेस	श्री यशवंत शुक्ला
6	पानसेमल	नगर परिषद	श्रीमती मीनाक्षी लोकेश शुक्ल	भाजपा	श्री शिवजी आर्य
7	पलसूद	नगर परिषद	श्री रामा वास्कले	भाजपा	श्री मोहनसिंह अलावा
8	ठीकरी(नवगठित)				श्री जितेन्द्र वर्मा (प्रभारी)
9	निवाली(नवगठित)				श्री पी. एस. सोलंकी(प्रभारी)

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित

चन्देरी का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व

राजकुमार अहिरवार* डॉ. ममता राजावत**

* शोधार्थी, शासकीय उत्कृष्ट महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

** शोध मार्गदर्शक, महाराजा मानसिंह तोमर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – चेदी या वर्तमान चन्देरी नगर प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है। इस नगर पर कई राजवंशों ने शासन किया और अनेकों राजाओं द्वारा यहाँ कई सुन्दर भवनों इमारतों और अनेकों बाबड़ियों का निर्माण कार्य कराया गया।

आज वर्तमान समय में देश तथा विदेशों के लाखों पर्यटक चन्देरी देखने को आते हैं। और यहाँ की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

साल दर साल यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नगर के ऐतिहासिक भवन, किले, इमारतें, मंदिर मस्जिदों ने चन्देरी को विशिष्ट पहचान दिलायी है। नगर में स्थित संग्रहालय आज वर्तमान समय में इतिहास को संजो कर रखे हुए हैं।

शब्द कुंजी – चन्देरी का ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व।

प्रस्तावना – चन्देरी नगर में अनेकों ऐतिहासिक स्थल हैं। सबसे पुराना ऐतिहासिक स्थलों में बुढ़ी चन्देरी का नाम है। जो वर्तमान चन्देरी से लगभग 18 किलो मीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में जंगलों में लगभग 3 किलो मीटर के दायरे में फैली खण्डर ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ कई पुरातत्ववेत्ताओं और शोधकर्ताओं ने शोध कार्य किये जिन्हें अनेकों मूर्तियाँ, मंदिर और शिलालेख मिले हैं। बुढ़ी चन्देरी से मिले एक शिलालेख पर चन्द्रपुरी अर्थात् चन्देरी का वर्णन मिलता है। इस स्थल को देखने के लिए हर साल हजारों सैलानी पहुँचते हैं।¹

चन्देरी दुर्ग – नगर से दक्षिण दिशा की ओर धींगदों नगर पर्वत पर नगर दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग किले का निर्माण चन्देरी नगर के संस्थापक राजा कीर्तिपाल ने कराया था। जो वर्तमान समय में कीर्ति दुर्ग के नाम से जाना जाता है। यह दुर्ग देश विदेश के पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। यह दुर्ग किला लगभग 320 फीट ऊँची एक चोटी पर स्थित है। जो पहाड़ी पर 4500 फीट लम्बाई में फैला है। सम्पूर्ण किले को एक मजबूत पत्थर की दीवार से सुरक्षित किया गया है। यह सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र है।²

दिल्ली दरवाजा – वर्तमान समय में स्थापत्य का सुन्दर नमूना है इसका निर्माण कार्य का प्रारम्भ चन्देरी के सूबेदार रहे दिलावर खाँ गौरी ने कराया था। लेकिन इस सुन्दर स्थापत्य के नमूने को उसके पुत्र होशंगशाह ने पूर्ण करवाया चन्देरी के इस दिल्ली दरवाजे का पूर्ण निर्माण 1411 ईसवी में हुआ मालवा के शासक होशंगशाह के आदेश से इस दरवाजे के ऊपर एक शिलालेख लगवाया गया है। जो उसके पिता दिलावर खाँ स्मृति में लगा है।

कुछ जनश्रुतियों के अनुसार इस दरवाजे के सामने से जो सड़क गुजरती है। इसका सम्बन्ध दिल्ली तक था। इस कारण इसका नाम दिल्ली दरवाजा पड़ गया। कुछ के अनुसार इस दरवाजे का मुख दिल्ली की ओर है। इस कारण इसका नाम दिल्ली दरवाजा पड़ गया। यह दरवाजा मालवा के शासकों द्वारा बनवाया गया स्थापत्य कला का सुन्दर नमूना है। जो चन्देरी की विशिष्ट पहचान दिलाता है।³

कुश्क महल – चन्देरी नगर के ऐतिहासिक स्थलों में कुश्क महल महत्वपूर्ण

ऐतिहासिक धरोहर है। नगर से लगभग 4 किलो मीटर की दूरी पर स्थित फतेहाबाद नामक ग्राम में स्थित है।

इस सुन्दर स्मारक का निर्माण के बारे में **इतिहासकार फरिश्ता का विवरण** है कि जब मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने जोनपुर जीता तो इसी खुशी के मौके पर सुल्तान ने रास्ते से गुजरते हुए इस स्थान को देखा जो स्थल ग्राम फतेहाबाद था महमूद शाह ने इसी स्थल पर एक विजय महल बनाने का आदेश दे दिया। कि इस स्थल पर सुन्दर कुश्क हफ्त मंजिल जिसका मतलब है। सात मंजिलों वाला महल। इस सुन्दर महल के तीन मंजिल तो पूर्ण हैं। जबकि चौथी मंजिल अधूरी है। इसका निर्माण कार्य उस समय चन्देरी के राज्यपाल रहे शारिफ **खान-ए-आजम** में करवाया था जो इसको पूर्ण नहीं करा सके।⁴

इस महल के दरवाजे 26 फीट चौड़े और 45 फीट ऊँचे हैं। जबकि दीवारों की चौड़ाई 10 फीट है यह महल भारतीय स्थापत्य कला का खूबसूरत नमूना है। इस महल को कमल के फूलों की आकृतियों और पान आकृति में इस महल की महारवे बनी हैं। जो इसकी शोभा को और भी बढ़ा रही हैं।⁵

मालवा के शासक रहे ग्यासुद्दीन खिलजी के शासन काल चन्देरी के सबसे अधिक विकास कार्य हुए उसी के काल में अनेक इमारतें बाबड़ियाँ, तालाब, झीलें बनीं। ग्यासुद्दीन का शासन चन्देरी का स्वर्ण काल कहा जा सकता है।⁶

दमोह जिले से एक लेख मिला है जिस पर ग्यासुद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन किया गया है। 'महाराजाधिराज श्री सुल्तान ग्यासुद्दीन शाह विजय राजे मढोगढ विध्यदुर्गे चन्देरी वर्तमाने।'⁷

अन्य स्मारक स्थल – चन्देरी के ऐतिहासिक स्थलों में एक प्रमुख स्थल बादल महल दरवाजा है। यह दरवाजा अफगान शैली से निर्मित है। इस दरवाजे का निर्माण पत्थर की जालियों से किया है। इस सुन्दर स्थापत्य दरवाजे का निर्माण 1450 ईसवी में सुल्तान महमूद शाह खिलजी ने कराया था। महमूद शाह खिलजी के शासन काल में चन्देरी तथा सम्पूर्ण मालवा में अनेक ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण कार्य हुआ।⁸

बादल महम दरवाजे की ऊँचाई लगभग 100 फीट हैं जिसमें नीचे पत्थरों द्वारा निर्मित दरवाजे की आकृति बनी है। इसके ऊपरी भाग को महीन कलात्मक आकृति से सजाया गया है। कहा जाता है कि इस दरवाजे (महल) का पुराना नाम 12 महल दरवाजा था। अर्थात् 12 महलों का एक द्वारा जब अभी कोई शाही मेहमान चन्देरी आता तो इसी दरवाजे पर राजा के द्वारा अपने मेहमान का भव्य स्वागत किया जाता था।⁹

चन्देरी का पुरातात्विक महत्व— चन्देरी का प्राचीन काल से ही पुरातात्विक महत्व रहा प्राचीन काल में इसे चेदी जनपद के नाम से जानते थे पुरा इतिहास कालीन 16 महाजन पदों एक चेदी जनपद भी शामिल था।¹⁰ मध्य काल के समय चन्देरी पर मालवा के राजाओं का शासन रहा। मालवा के शासकों ने चन्देरी नगर अनेकों विकास कार्य किये। कई ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण कार्य कराया जिनसे आज वर्तमान समय में चन्देरी का नाम एक प्राचीन कालीन ऐतिहासिक नगर के रूप में पहचाना जाता था।¹¹ दिलावर खाँ गौरी से लेकर महमूद खिलजी द्वितीय तक मुस्लिम शासकों ने चन्देरी नगर अनेकों भवन व बावड़ियों का निर्माण कार्य कराया जिनमें प्रमुख ऐतिहासिक महत्व भवन निम्न है। गोल बावड़ी, बैजू बाबरा स्मारक, रामनगर महल, कुश्क महल कटी घाटी, बादल महल, चकला बावड़ी, चौबीसी चैन, मंदिर, कीर्ति दुर्ग आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं।¹²

निष्कर्ष— प्राचीन काल से चन्देरी का वैभव बना रहा है। चन्देरी पर अनेकों राजवंशों ने शासन किया है। इन राजवंशों के राजाओं द्वारा समय-समय पर चन्देरी में ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व के भवनों का निर्माण कराते हैं। आज वर्तमान समय में सम्पूर्ण चन्देरी में पुरातात्विक महत्व की जानकारी चारों ओर बिखरी है। यहाँ के ऐतिहासिक भवनों और स्थलों को देखने के लिए हर साल देश-विदेश में लाखों पर्यटक चन्देरी पहुँचते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पठान मजीद खाँ— पुरातत्व धरोहर चन्देरी, अरिहंत ऑफसेट प्रिंटर्स सैलसागर टीकमगढ़, वर्ष 2001, पृष्ठ-127
2. Hunter, willion willsion, james Sutherland cotton, sir Richard burn, williom Stevenson Meyer, eds. 1909. Imperial gazetteer of India Vo. 9 oxford clorandon press
3. डॉ. वरे एस.एल. - मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल वर्ष 2021, पृष्ठ-29
4. पठान मजीद खाँ— पुरातत्व धरोहर चन्देरी, अरिहंत ऑफसेट प्रिंटर्स सैलसागर टीकमगढ़ वर्ष 2001, पृष्ठ-145
5. डॉ. तिवारी अर्पिता, शोध सारांश जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, पृष्ठ 66,67
6. सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व संग्रहालय चन्देरी पृष्ठ-4
7. रा.बा. हीरालाल सूची क्रमांक 108 दमोह किले का लेख 1480 ईसवी
8. सेन, शैलेन्द्र- मध्यकालीन भारतीय इतिहास, वर्ष 2013, पृष्ठ-116
9. पठान मजीद खाँ— पुरातत्व धरोहर चन्देरी, अरिहंत ऑफसेट प्रिंटर्स सैलसागर टीकमगढ़ वर्ष 2001, पृष्ठ-147
10. प्रजापत, पप्पूसिंह- प्राचीन भारत का इतिहास (पाषाण काल से 12 ईसवी तक रॉयल पब्लिकेशन रातानाडा (जोधपुर) राजस्थान वर्ष 2018, पृष्ठ-257
11. पाण्डे एस.के.- मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रयाग एकेडमी, एलनगंज, इलाहाबाद वर्ष 2010, पृष्ठ-220, 221
12. पठान, मजीद खाँ- चन्देरी सूफी परम्परा शार्प कम्प्यूटर एण्ड ग्राफिक्स 86 जूनी कसेरा बाखल, इन्दौर, वर्ष 2013, पृष्ठ-121

Pollution Problem of River Mandakini and Its Remedies

Mr. Nityanand Mishra *

*Research Scholar, APS University, Rewa (M.P.) INDIA

Introduction - Maharshi Valmiki wrote in the Ramayan about the river Mandakini,

इमाम् मन्दाकिनीम् राम प्रतिस्त्रोतम् अनुव्रज

नदीम् पुष्पोद्गुप वहाम् ततः तत्र गमिष्यसि॥ 3-5737

“Following opposite to its flow you may follow this River Mandakini that carries flower-ferries, then you can reach there at Sage Suteekshna’s hermitage”.

The river Mandakini is one of the greatest rivers of the world, although its entire course is only 75 km long, from its origin, the Western upland of Majhgawan in district Satna (M.P) to the Rajapur (U.P), where it falls in to the river Yamuna. River Mandakini is small but important river for all of us. The river is also called Paisuani. At Sati Anusuiya many springs enter into it and convert it into a river and from here it is named as Mandakini. There are many rivers larger and longer, even but this river has its own significance. It is great because for millions of people of this country since centuries regard it, as sacred as Ganga. It is called “*Sursari*” river of the Gods, ‘Mandakini Ganga’ purifier of sins and ‘Mandakini Ma’ Mother Mandakini. To millions, it is the sacred, and one venerated river. According the Hindu mythology a bath in the river washes away guilt, to drink the water, one may have good fortune. To be cremated or to die in Chitrakoot is wish of millions of Hindus. It is written for Chitrakoot,

चित्रकूट के घाट पर भयी संतान की भीड़

तुलसी दास चंदन घीसे तिलक करें रघुवीर

Means, On the Chitrakoot ghat, a mass of the religious assembled. Tulsidass prepares a sandalwood paste, and Lord Ram applies a tilak on him. Many saints from Tulsidass to Rahim have come here on the banks of the river Mandakini for their quest.

Famous Saint Tulsidass said about River mandakini,

नदी पुनीत पुरान बखानी अत्रिप्रिया निज तप बलआनी

दरस परस मज्जन अरु पाना। हरइ पाप कह वेद पुराना॥

(श्रीराम चरित मानस अयोध्या काण्ड)

The mandakini is sacrosanct river which comes on account of penance power of Anusuiya “The wife of saint Atri”.

There are several Ghats along the river in Chitrakoot region. These include following: *Sati Anusuiya Ghat, Sphatikshila Ghat, Jankikund Ghat, Pramodvan Ghat, Goyanka Ghat, Raghav Prayag Ghat, Ramghat, Janki Ghat* etc. Pilgrims visit these ghats round the year. Millions of Pilgrims come to Chitrakoot to take holy dip in Mandakini under faith that it helps them to achieve moksha and end their cycle of birth and death.

Water of that river which was once used by the Lord Ram for Performing his father rituals as mentioned in the Ramcharit manas,

भोर भए रघुनन्दनहि जो मुनि आयुस दीन्ह।

श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब सादर कीन्ह॥

श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब सादर कीन्ह॥

करि पितु किया वेद जस वरनी। भे पुनीत पातक तम तरनी॥

“Lord Rama performed the *pindadaan* of his father King *Dashrath* at the banks of the river mandakini.”

It is unfortunate that Mandakini is being polluted by us unmindful in such manner that its colour has become black and Brown and quality of water at JankiKund, Promodhvan and Ramghat has deteriorated. That is badly affecting the health and ecology of pious river. It has been again and again iterated by the courts that Hygienic environment, protection of clean and healthy environment- the relocation of the polluting sources should be kept away from water source but nothing has been done so far, result in Mandakini water is now unsafe for even *Achaman*.

Our ancestors were very conscious about the protection of river water—

गंगापुण्यजलांप्राप्तं त्रयोदशमलघर्षणम्।

गात्रं संवाहनं क्रीडाप्रतिग्रहमयोरतिम,

अन्यतीर्थरतिचैव अन्यतीर्थप्रशंसनपम।

वस्त्रत्यागमश्चातंसंतारचविशेषत॥

which means for keeping the Mandakini Ganga Free from Pollution- doing latrine, *achaman*, throwing waste water, throwing waste flower, washing dirty clothes, washing hair, doing nuisance, taking gift, doing obscene activities, doing undesirable compliment, saying incorrect mantra, throwing dirty clothes, beating and swimming from one bank to other

is not permissible .

This *Shloka* shows the willingness of our ancestors about conservation of River Mandakini .

Tributaries of River mandakini - The rivers Paysuni and Saryu are highly sacred rivers. Many saints and sages from *Tulsidas to Rahim* have persuaded their quest for knowledge and enlightenment on the banks of the river Mandakini, Paysuni and Saryu. It is believed that the Lord Ram offered water and balls of food to the spirit of his departed father King Dashrath (*Shraad Karm*) at the meeting point of three rivers Mandakini, Paysuni and Saryu at Ram Ghat. Earlier Pilgrims drank its water under an abiding faith and belief to purify them to achieve *moksha* releases from the cycle of birth and death, but now the water is not safe for drinking. The famous Saint Tulsidas says about the River Paysuni in Ayodha kand at Doha Number - 248 Chaupai Number- 2

पावन पर्ये तिहुँ काल नहाही जो बिलोकि अघ ओघ नसाही।

Thrice in the day (in the morning, at noon and at the evening) they bathed in the holy Payasvini river, the very sight of which wipes out hosts of sins.

Similarly about the Saryu River it was stated famous Saint Tulsidas in the Ramcharit Manas in Ayodha kand at Doha Number 132 Chaupai number 01

**रघुबर कहेउ लखन भल घाटू। करहु कतहुँ अब ठाहर ठाटू
लखन दीख पय उतर करास। चहुँ दिसि फिरेउ धनुश जिमि नारा।**

Means Shri Ram said "*laksmana, here is a good descent into river, now make arrangements for our stay somewhere.*" Laksmana surveyed the north bank of the Payasvini river and said "*A rivulet bends round this bank like a bow with the river itself for its string.*"

The pollution of the river Paysuni and Saryu is badly affecting the life health and ecology of the people of Chitrakoot and millions of Pilgrims.

Right to Water is a Fundamental Right - The United Nations General Assembly expressly recognized the Human Right to Water and Sanitation on July 28, 2010, in Resolution no 64/292, and noted that clean drinking water and sanitation are vital to the realization of all human rights.

Water and resource legislation has also been established in India, including provisions for drinking water supply, irrigation, and rehabilitation of evacuees impacted by the activities of water resource management systems. However, none of these statutes expressly state a 'Right to Water.' Instead, some laws explicitly prohibit structural (rights to utilize a resource) and customary rights. These laws include the Water (Prevention and Control of Pollution) Act of 1974, the Environment (Protection) Act of 1986, and the Indian Easements Act of 1882.

In India, neither the Constitution nor any statute clearly guarantees the right to water. It is an implicit right established by a collection of laws imposing on the state a duty to prevent and regulate water contamination through its many agencies. The same has been affirmed by the country's courts, who have expanded the reach of Article

21 by embracing the right. They were living in deplorable conditions. Because of the conflict, the mine owners did not provide them with housing, clean drinking water, latrines, or medical facilities, among other things.

In the case of *A.P. Pollution Control Board vs. Prof. M.V. Nayadu (Retd.)*, it was explained that drinking water is essential to human survival and that it is the obligation of the state under Article 21 to provide safe drinking water to its residents. There is an urgent need of preventing our environment from being polluted. In *Narmada Bachao Andolan v. Union of India*, the Supreme Court held that Water is the basic need for the survival and is part of the right to life and human rights. In *M.C. Mehta vs Kamalnath* the Supreme Court found that the state is not only responsible for controlling supply of water, but also for acknowledging the right to safe drinking water and preventing health risks.

The Supreme Court ruled in *Subhash Kumar v State of Bihar* that "the right to live includes the right to enjoy pollution-free water and air for full enjoyment of life." If something endangers or damages that quality of life in violation of the law, a citizen has the right to use Article 32 of the Constitution to remove pollution of water or air that may be damaging to the quality of life. The court, via these and earlier decisions, imposed an obligation on the state to defend people's rights.

Important Judgments and directions given by the NGT in the case Regarding Prevention of Pollution in River Mandakini

05 July 2013

Hon'ble Tribunal appointed an advocate commissioner to make the spot inspection and file a report as to factual position of the River Mandakini.

10 September 2013

Hon'ble tribunal directed the revenue authorities to remove the encroachments and illegal constructions made in the bank of River of Mandakini.

29 April 2014,

NGT directed the state authorities to come with proposal for ensure a regular flow of water into the river so as to improve the water quality as during the lean months of summer particularly after February & March.

21st November 2013,

The NGT Directed the respondents to take certain precautionary measures for keeping the Mandakini River free from pollution,

- (i) Creating awareness amongst the pilgrims so as to keep River free from pollution
- (ii) NGT ban use of polythene carry bags, plastic cups & plates (*dona & patta*) made out of the non bio-degradable substances
- (iii) The officers of the Madhya Pradesh Pollution Control Board were also directed to take samples and check the quality of the water in the river from time to time.

11th March 2016,

The Hon'ble NGT has directed the state authorities to complete the State construction of STP in a time bound manner.

30 June 2020

Hon'ble Tribunal directed the revenue authorities to remove the encroachment from tributaries of River Mandakini after conducting proper demarcation.

The main reason of Pollution in Mandakini River:

(1) Mixing of Untreated sewage in river Mandakini -

That, the main reason of Mandakini Pollution was the discharge of the sewage of the urban areas of the Chitrakoot directly into the water of Mandakini, through drains or through the Nalas. The sewage of whole Nagar Panchayat was mixed with the water of Mandakini without any treatment. Most of the untreated sewage was mixed into the Mandakini river through the Painswani river now is called Nala, though is tributary of river.

(2) Non- Functioning of Sewage Treatment Plant in MP and UP -

Before the NGT it was stated by the State of M.P that STP has been established and electricity has been supplied to the plant. They also mentioned the plant is not working due to unavailability of sewage. The real scenario is that neither electricity has been supplied nor any attempt to collect sewage was ever made. Plants and trees have grown up and the pond for sewage treatment seems like a forest.

In 2017 the agency MPUDC, PIC Rewa was given the task to complete the construction of STP before 29/9/2019 but given its failure to do so the deadline had been already extended till 31/10/2021. As per the reports Only 21% work has been completed so far.

(3) Illegal Encroachments on the banks of River

mandakini and its Tributaries - That due to increase in population, enormous, unregulated and unplanned construction have been constructed on both side of River, which is continuously increasing rapidly, Illegal construction was done in huge scale in banks of river in most of the spot several illegal colonies were developed by the local land mafia encroaching the bank of river causing enormous pollution in the river disturbing the natural streams of the river in some places the illegal construction was created in the name of Math or temple and the whole wastage of these Math was directly mixed with the river without any hindrance.

(4) Illegal mining in the bank of river and near the

catchment area - That in several places illegal mining was done by the local mining mafia in banks of the river, in the catchment area of River Mandakini. Mokamgarh Mountain several illegal mines were functioning which was badly affecting the life of River Mandakini, because the water Torrents coming from the mountains and forests were like the blood cells for the River and are the main source of water for Mandakini, illegal mining in the catchment area of river will permanently destroy the ecology of River and its ground water recharge ability.

(5) State is drawing unlimited water from Mandakini River even to the extent of rendering its main stream a dry Zone- Livelihood entirely depends on this river, Pindra Water Supply scheme is fully based on the Mandakini River, similarly a lot of water was consumed by the farmers and local residents

(6) Recommendations for Mandakini River :-

- **Need to remove encroachments from the Bank of river mandakini and its tributaries-** Priority will be given to the elimination of encroachment from the riverbank. It is critical for the preservation of the river's natural beauty. Permanent building is growing along the river.

- **Topographical survey be conducted on Mandakini and its tributaries -** All the encroachment from the bank and from the land of River Painsuni and Suryu of the Chitrakoot Satna (M.P) after doing the demarcation of land of river by using topographical survey method to ensure accurate demarcation of river.

- **Ban constructions and declare Mandakini river bed a sensitive zone -** To control the extensive pollution in Mandakini, the bed area should be declared a sensitive zone, and further, there should be a strict ban on construction work in the 100 meter area of the river.

- **Sewage treatment plants should immediately be constructed -** The authorities have bluffed the people and the NGT about the STPs and have undermined STPs importance. They have failed to comply the orders of NGT wherein an immediate set up of STP was called for but has not been done so far neither in M.P nor in U.P.

Virtually no work has been done in this regard since last 5 years.

- **Eco-friendly Ghats should be made -** In the name of beautification work on the bank of river mandakini various cemented constructions were raised by MP Tourism Development Corporation in unscientific manner. Water torrents coming from the mountain forests are like the blood cells for the river and infact they are the main source of water of the river mandakini, and therefore eco-friendly ghats should be made so that torrents are not blocked.

- **Total ban on the use of plastic along side ghats -** The ban imposed by NGT on the use of plastic bags in the ghats of Mandakini should be implemented strictly

- **Monitoring of Water Quality Index -** Constant monitoring of certain indicators, as well as appropriate remedial steps to reduce water pollution, are required to ensure compliance with water quality requirements.

- **Mixing of Nalas should be stopped immediately -** The main source of pollution can not be ignored and the untreated effluents should not be allowed to enter the river water. Political and administrative will power is needed in this regard. The effluents make the soil infertile and reduce the pH of river. The acidity in water causes threatening diseases and poor quality water is breeding ground of disease causing organisms.

- **Hotels and Ashrams having more than 10 rooms**

should be directed to make Sewage Treatment Plant and Polluter pays principle be strictly implemented.

Hotels and Ashrams having more than 10 rooms should be directed to make Sewage Treatment Plant.

Our Hon'ble Supreme Court in *Indian Council for Enviro Legal Action v. Union of India*¹ held that the "The Polluter Pays Principle" has been held to be a sound principle by this Court. The Court observed:

"..... We are of the opinion that any principle evolved in this behalf should be simple, practical and suited to the conditions obtaining in this country."

The Hon'ble Court ruled that: (SCC p. 246, Para 65)

".....Once the activity carried on is hazardous or inherently dangerous, the person carrying on such activity is liable to make good the loss caused to any other person by his activity irrespective of the fact whether he took reasonable care while carrying on his activity. The rule is premised upon the very nature of the activity carried on".

- **Catchment dams, reservoirs be constructed** - The River Mandakini has a smaller catchment area in comparison to other holy Indian rivers. Dams, reservoirs should be constructed in the catchment area of river Mandakini so as to ensure that water is always available in the river throughout the year and water is not wasted.

- **Construction of a reservoir on River Jhuri** - The construction of a reservoir on River Jhuri is the most suitable remedy and will solve the scarcity of water volume in river Mandakini and that will maintain the flow of the river.

- **River Inter-linking projects** - River Inter linking projects feasibility be checked and implemented if proper. River Mandakini could be linked to River Narmada in order to ensure continuous and adequate water supply in Mandakini. If the canal water from Bargi dam can be brought upto Majhagawan and Pindra and released into the river Mandakini that will ensure continuous supply of water in river Mandakini particularly in the lean months of summer. Both the states MP and UP should bear the cost of this project in order to revive the sacrosanct river.

- **Equal importance should be given to the tributaries of River Mandakini** - The Rivers Painsuni and Saryu are amongst the highly sacrosanct river of the country, although their entire course is only 30 & 20 km. respectively. The pollution of the river Painsuni and Saryu is badly affecting the life health and ecology of the people of Chitrakoot and millions of Pilgrims. The main reason of Painsuni and Saryu Pollution was the discharge of the sewage of the urban areas of the Chitrakoot directly into the water of Painsuni and Saryu, through drains. Without protecting the tributaries, the conservation of Mandakini is not possible because it is their water that ultimately goes into the river Mandakini.

- Awareness drives campaign should be organized by

the local administration with the help of prominent citizens, trustees and managers of Akhadas, NGOs in frequent manner.

- A forestation of trees alongside the river bank should be taken up so as to create buffer between the river and land to avoid soil erosion, flood etc. The State Government along with the Municipal Authorities must come forward with a scheme for the protection and strengthening of the embankments of the river Mandakini as lot of soil erosion is seen taking place. Vegetation is seen existing in patches along the river banks, all steps must be taken to protect the same.

- **Regulated cremations** - The place near Panchprayag Ashram has become an informal cremation centre. The people downstream are very vulnerable to the adverse effects of this exposure. People who are exposed to dead bodies face the risk of getting infected by many diseases and infections. This exposes them to many risks.

- It may be taken up by the District Administration for establishment of electrical crematorium for ensuring proper disposal of dead bodies.

Conclusion - Human interference with nature has greatly increased. On account of population, industrialization, etc., the problem of water pollution has now become a complex socio-legal issue which requires the keen attention of policymakers as well as ordinary people. Paper work alone is not enough to successfully tackle the serious challenges posed by water pollution. Any enactment itself is not able to curb pollution without proper enforcement machinery, so we have to pay equal attention to making laws and ensuring their effective implementation. Polluted water also pollutes ground water. Although it is not able to pollute a large part, the areas around the shore do come under its control. Morally, we must respect all creatures. Our sages and ancestors have also guided us to do the same. I believe we must work together to protect our planet. Also, Article 51-A of our Constitution gives citizens the responsibility to maintain the environment and to have compassion for living beings.

References:-

1. Ramcharit Manas
2. Ramayan
3. Narmada Bachao Andolan vs Union of India (2000) 10 S.C.C. 664
4. A.P. Pollution control board vs Prof. M.V. Nayudu (2000) 6 SCC 213
5. M.C. Mehta vs Kamalnath (1997) 1 SCC 388
6. Subhash Kumar vs State of Bihar 1991 AIR 420
7. Nityanand Mishra Vs State of Madhya Pradesh & Ors.

Footnotes:-

1. (1996) 3 SSC 212 : JT (1996) 2 SC 196

Employability Skills of College Students of Indore

Aayush Kumar Sadram*

*Research Scholar, Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Introduction - The main aim of this study is to identify the perception of students concerning the employability skills needed in the job market and graduates' perception of the employability skills that they currently possessed. Seven variables that make up employability skills based on past research were examined in this study.

This study investigates the existing literature in the field of Employability skill prevailing in Indore. Being good at one skill cannot facilitate the competency in other. Hence, the recent day scenario is that the applicant who is multi-tasking can sustain and gain in employment.

Employability Skills: The transferable skills needed by an individual to make them 'employable'. Along with good technical understanding and subject knowledge, employers often outline a set of skills that they want from an employee. It's like Team working, Problem solving, Self-management, Knowledge of the business, Literacy and numeracy relevant to the post, ICT knowledge, Good interpersonal and communication skills, Ability to use own initiative but also to follow instructions and Leadership skills where necessary.

What Employers Expect: Loyalty, commitment, honesty and integrity, enthusiasm, reliability, personal presentation, common sense, positive self-esteem, a sense of humor, a balanced attitude to work and home life, an ability to deal with pressure, motivation and adaptability.

The following employability skills were surveyed are as follows: Communication skills, English speaking skills, Listening skills, Technical (computer) skills, Leadership skills, Dedication, Accepting new challenges, Helping, Clarity. 1

Literature Review: MC Knight and Naylor (2000) GRADUATE EMPLOYABILITY: POLICY AND PERFORMANCE IN EDUCATION IN THE UK", found the probability of student leavers being employed six months after graduation is positively related to the class of degree end its also strongly in fluted to the subject studied, measure of prior educational attainment. Age at graduation and social class background. Most of the factors are also found to strongly affect the probability of student leader in employment being in a 'graduate occupation', although age at graduation has only a weekly significant effect for female

graduate and has no significant effect for males.

Green and Mc Intosh (2002) found that the less than half of people identified in the 2001 skill survey as over qualified for the jobs were also over-skilled. They also found that education –job mismatches do not correspond closely with skill –job mismatches.

Heavey and Morey (2003) found that highly the skill graduates need in order to manage their own careers and those that will enable them to continue learning throughout the work lives.

Lonice Morley (2007) identified that educational experience and process can contribute the development of employability skill and socio-economic privilege can be transferred on the production and codification of qualifications and competencies.

Research objectives : The main objectives of this research are as follows:-

1. To identify the important graduate employability skills as perceived by graduates.
2. To examine whether there is any significant difference between graduates with regards to employability skills of different institutes.

Hypothesis: To check weather:

H₀1: There is no difference in the skills of autonomous and government college students.

H₀2: There is no difference in the skills of deemed university students as compared to private college students

Research Methodology: The primary data is collected by distributing questionnaire to the students of various colleges in Indore. The questionnaire was floated by the link to various students of Government University, deemed university, private colleges and autonomous college. T-test have been applied to the data with 5% level of significance. The number of students responded to the questionnaire was 172 out of which 61 are from autonomous, 72 are from government college, 27 are from private college and 12 are from deemed university.

A 5 point Likert scale was employed and the respondents were required to state the extent to which they strongly agree, agree, neutral, disagree and strongly disagree. The questionnaire was floated as a Google form

by a link.

Data Analysis: The following data in table 1 shows the mean, standard deviation and standard error mean of the skills of Autonomous College and Government College. And table 2 shows the T-test of the data with 5% level of significance.

Table-1

Group Statistics

University	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Mean Autonomous	61	3.9825	.47759	.06115
Government	72	4.1141	.50812	.05988

Table-2 (See in last page)

The following data in table 3 shows the mean, standard deviation and standard error mean of the skills of Deemed University and Private College. And table 4 shows the T-test of the data with 5% level of significance.

Table-3

Group Statistics

University	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Mean Deemed	12	4.0694	.40332	.11643
Private	27	4.0617	.55306	.10644

Table-4 (See in last page)

Interpretation: A mean of perception is calculated and ranking is assigned to each statement to be asked to the participated student based on their knowing about the employability skills of students in Indore from various institutes.

Table 1 and Table 2 shows that there is statistically significant difference in the employability skills (3.98 ± 0.477) of autonomous and (4.11 ± 0.508) for government colleges, $t(131) = 1.530$, $p = 0.128$, so skills is different for autonomous and government college students. Skills of government college students are better than that of autonomous college students.

Table 3 and Table 4 shows that there is statistically significant difference in the employability skills (4.069 ± 0.403) of deemed university students and (4.061 ± 0.553) private college students, $t(37) = 0.043$, $p = 0.966$, so skills is same for deemed university students and private college students.

Limitations of the study: The research conducted has some limitations which are:

1. The study was limited as it was only done on limited campuses of Indore.
2. The sample was somewhat homogeneous, with few minority groups represented.
3. Future studies should seek to include students of various institutes, ethnic and income group

4. The data provided depends on the mood, environment conditions etc.
5. There was limited data.
6. Time was less otherwise a good population may be examined.

Findings and suggestions: The study has limited in such a way:

1. Firstly, the study used a small sample, which restricts the generalization of the population to the whole population. Future research should consider larger sample for appropriate results.
2. Secondly, the study used the questionnaire, which would have forced the respondents to answer a specific question. This method, would however have not allowed the respondents to give their viewpoints.
3. Also, future research should consider the qualitative methods such as interviews.

Conclusion: On the basis of the study of employability skills, it can be seen that skills are not certain after comparing different colleges and universities in Indore, it may be analyzed that people belonging to different colleges have different skills of employability. Furthermore it can be concluded after the result of the test, that there are so many students with different skills due to their graduation from different fields. The skills of government and autonomous institutes are not same, the students of government college are more skillful as compared to autonomous college students and the students of private college and deemed university have same employability skills.

References:-

1. Graduate Employability: Policy and Performance in Education in UK.
2. Is there a Genuine Under-Utilization of Skills amongst the Over Qualified?
3. Enhancing Employability, Recognizing Diversity, and London: University UK and Higher Education Careers service units.
4. The X factor: Employability, elitism and equity in graduate recruitment.
5. Employability skills in Chennai retail market India.
6. Employability skills- A study on the perception of the engineering students and their prospective employers.
7. Employability skills of MBA students in Delhincr.
8. A study on factors affecting employability skills of management students.
9. Alarming employability skills deficiency among budding engineering graduates- a study on engineering graduates in Chittoor district.
10. Rural employability: Skills development the need of the hour.

Table-2: Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Mean Equal variances assumed	.475	.492	-1.530	131	.128	-.13163	.08603	-.30182	.03856
Equal variances not assumed			-1.538	129.565	.126	-.13163	.08559	-.30096	.03770

Table-4: Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Mean Equal variances assumed	.398	.532	.043	37	.966	.00772	.17803	-.35300	.36843
Equal variances not assumed			.049	28.613	.961	.00772	.15775	-.31510	.33054

Annexure:

Questions	Strongly disagree	Disagree	Neutral	Agree	Strongly agree
● I am comfortable to speak to people directly.					
● I finish the work, once I have started it.					
● I am comfortable when meeting new people.					
● I prefer to take new challenges & responsibilities.					
● I enjoy the 'give and take' policy or working in a group.					
● I am able to motivate others to work for a common goal.					
● I am able to communicate in English with others.					
● I have clear ideas about what I want to do in future.					
● I am able to create documents such as letters, graphs, flowcharts etc.					
● I am good at following instructions.					
● I am able to express ideas verbally, one to one or in a group.					
● I am able to put up a good logical argument to persuade others.					

पूर्व मध्ययुगीन मालवा के परमार एवं उनकी शाखायें तथा वंशावली

गुलाबराव डोंगरे* डॉ. श्रीमती विजेता चौबे**

*शोधार्थी (इतिहास) ज.हा. शासकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत

** प्राचार्य, ज.हा. शासकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - देश-काल के आयामों में आबद्ध प्रघटित महत्वपूर्ण-परिवर्तनकारी घटनायें इतिहास की अवधारणा का निर्माण करती हैं। विवेच्य युगीन ऐतिहासिक घटनायें स्थान एवं काल में अद्वितीय तो हैं किन्तु मानवीय इतिहास में विज्ञान रीतियों में एक नितान्त ही नवीन रीति है, जिसे सम्मानित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह युद्ध, आक्रमण, हिंसा, बलात्कार, अग्नि-विध्वंस एवं अन्य मानवीय मर्यादा का उल्लंघन वाली घटनाओं से परिपूर्ण है। छठी शताब्दी ईसवी से बारहवीं शताब्दी ईसवी तक का भारतीय इतिहास विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों के द्बन्द विश्व इतिहास का कलंकित पृष्ठ है, जिसे मानवीय युद्ध की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। कोयेनराड इल्स्ट ने इस्लाम के तथ्यों को छिपाने पर एक पुस्तक निगेशनजिज्म इन इण्डिया, में लिखकर यह प्रमाणित किया है कि इतिहास लेखन में विवेच्य कालीन दरबारी इतिहासकारों ने तथ्यों, घटनाओं, आक्रमणों एवं प्रतिरोधों को किस सीमा तक प्रछन्न एवं छद्म रूप में प्रस्तुत किया है, और उसी को प्रमाणित मान का विवेच्य युगीन इतिहास को प्रस्तुत किया गया है।

मालवा के परमार- परमार एक राजवंश का नाम है, जो मध्य युग के प्रारम्भिक काल में महत्वपूर्ण हुआ। सिन्धुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त ने अपनी पुस्तक नवसाहसांकचरित् में एक कथा का वर्णन किया जिसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिये आबू पर्वत पर यज्ञ किया। उस यज्ञ के अग्निकुण्ड से एक पुरुष प्रकट हुआ। इस पुरुष का नाम परमार रखा गया, जो इस वंश का संस्थापक हुआ और उसी के नाम पर वंश का नाम पड़ा। परमार के अभिलेखों में इसी कहानी को पुनः उल्लेखित किया। इससे कुछ लोग यह समझने लगे कि परमारों का मूल निवास स्थान आबू पर्वत पर था, जहां से वे पड़ोस के देशों में जाकर बस गये, किन्तु इस वंश के एक प्राचीन अभिलेख से पता चलता है कि परमाण दक्षिण के राष्ट्रकूटों के उत्तराधिकारी थे। मालवा का इतिहास बड़ा ही रोचक है। विवेच्य युग (600-1200 ई.) के मालव प्रदेश के प्रमुख शासकों अथवा उनके अधीनस्थ स्थानीय राजाओं का मैं मुख्यतः गुप्तवंशीय राजाओं से लेकर परमार वंशीय राजाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इन में सर्वप्रथम छठी शताब्दी के मध्य में इस क्षेत्र में औलिकर वंश के शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है। सातवीं शती में मालवा के पश्चिमी भाग पर मैत्रयकों का आधिपत्य हो गया था। राज्य के उत्तर में इस समय मौरवीवंश की अधिसत्ता स्थापित थी। पश्चिमी मालवा में कलचुरियों के दमन का श्रेय मैत्रयक राजा खरग्रह प्रथम को है।

मालवा के परमार एवं उनकी शाखायें - परमार वंश की एक शाखा आबू

पर्वत पर चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाकर 10वीं शताब्दी के अंत से 13वीं शताब्दी के अंत तक राज्य करती है। इस वंश की दूसरी शाखा वगत अर्थात् वर्तमान बांसवाड़ा और डूंगरपुर रियासतों में वर्तमान अर्धुना पर 12वीं शताब्दी के मध्यकाल तक शासन करती रही। इस वंश को दो शाखायें और ज्ञात हैं, एक ने जालोर में और दूसरी ने बिनमाल में 10वीं शताब्दी के अंतिम भाग से 12वीं शताब्दी के अंतिम भाग तक राज्य किया।

वर्तमान में परमार वंश की एक शाखा उज्जैन के गाँव नंदवासला, खाताखेड़ी तथा नरसिंहगढ़ एवं इन्दौर के गाँव बेगन्दा में निवास करते हैं। धारविया भोजवंश परमार की शाखायें तलावली एवं धार जिले के सरदारपुर तहसील में रहती हैं। इनकी तीन शाखा और हैं - एक जो बूसी गाँव में, दूसरी मालपुरिया राजस्थान में और तीसरी नीमच में निवासित है। 11वीं से 17वीं शताब्दी तक पंचारो का प्रदेशान्तर सतपुड़ा और विदर्भ में हुआ। सतपुड़ा क्षेत्र में उन्हें भोयर पंचार कहा जाता है। धार नगर से 15वीं से 17वीं सदी तक स्थानान्तरित हुये पंचारों की करीब 72 शाखायें बैतूल, छिंदवाड़ा, वर्धा एवं अन्य जिलों में निवास करती हैं। पूर्व विदर्भ, मध्यप्रदेश के बालाघाट सिवनी क्षेत्र में धार नगर से सन् 1700 में स्थानान्तरित हुये पंचार अथवा पोवारों की करीब 36 शाखायें निवास करती हैं, जो कि राजा भोज को अपना पूर्वज मानती हैं। संस्कृत शब्द प्रमार से अपभ्रंशित होकर परमार तथा पवार अथवा पोवार एवं भोयर पंचार शब्द प्रचलित हुये।

मालवा के परमार एवं उनकी वंशावली - मालवा क्षेत्र में लगभग 791 ई. से परमारों का शासन प्रारम्भ हुआ। इनका प्रथम राजा 'उपेन्द्र' था। इसका उल्लेख उदयपुर प्रशस्ति में प्राप्त होता है। परमार मालवा के प्रतिनिधि शासक थे। सामान्यतः इन्हें प्रारम्भ से ही मालवा का शासक स्वीकार किया गया। परमार राजा उपेन्द्र ने ही परमार वंश की स्थायी परम्परा स्थापित की। उपेन्द्र के पश्चात् 'वैरिसिंह प्रथम' तथा 'सीयक प्रथम' दो नरेश हुये। इनमें 'वैरिसिंह प्रथम' का राज्य काल 818-843 ई. तक माना जाता है। इसके पश्चात् 'सीयक प्रथम' ने 843-868 ई. तक शासन किया। ईसवी सन् 868-893 तक के राजाओं के नाम नहीं प्राप्त होते हैं। 'नवसाहसांक चरित्' के विवरण से ज्ञात होता है कि 'उपेन्द्र' पश्चात् परमार राजा 'वाक्पति प्रथम' (893-918 ई.) तथा इसके पश्चात् 'वाक्पति प्रथम' का उत्तराधिकारी 'वैरिसिंह द्वितीय' (919-945 ई.) तक शासक रहा। इसको 'व्रजट' नाम से भी सम्बोधित किया जाता था। इस परमार राजा ने गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों को परास्त कर धारा नगरी में राजसत्ता स्थापित की थी। इसके पश्चात् 'सीयक द्वितीय' ने (945-972 ई.) ने सिंहासन ग्रहण किया।

'सीयक द्वितीय' को 'महाराजाधिराजपति ब 'महामाण्डलिक' तथा 'चूडामणि' उपाधि से विभूषित किया गया है। इसे 'सिंहदत्त भट्ट' भी कहा गया है। इसने चालुक्यों तथा दक्षिण में मान्यखेट के राजा खोटिगदेव पर उल्लेखनीय विजय प्राप्त की थी। 'सीयक द्वितीय' ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र वाक्पति द्वितीय अर्थात् मुंजदेव (974-994 ई.) को राज्य का पूर्ण कार्य भार सौंप दिया था। इसके शासन काल में राज्य के क्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ। उत्तर में यह बाँसवाड़ा, दक्षिण में गोदावरी तथा पूर्व में विदिशा तथा पूर्व में विदिशा और पश्चिम में माही नदी तक विस्तारित था।

इसने 'पृथ्वीवल्लभ', 'श्री वल्लभ' तथा 'अमोघवर्ष' उपाधियां धारण की थी। इस प्रतापी तथा विद्वान राजा ने कर्णाट लाट अर्थात् केरल और चोल देश के राजाओं को पराजित किया, चेदि के हैह्य कलचुरी नरेश युवराज द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी त्रिपुरी को लूटा, मेवाड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़गढ़ तथा उसके समीप का मालवा से मिला हुआ प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया। इसने छह बार सोलंकी नरेश तैलय द्वितीय को पराजित किया, किन्तु सातवें युद्ध में वह गोदावरी के पास बंदी बना लिया गया। 'मुंज' के पश्चात् इनका लघुभ्राता 'सिन्धुराज' (997-1010 ई.) सिंहासनासीन हुआ। इसने 'नवसाहसांक', 'कुमार नारायण', 'अवन्ती तिलक', 'अवन्तीश्वर', 'परमार महिभर्त', 'मालवराज' आदि उपाधियां धारण की थी। इसने हूणों को पराजित किया एवं दक्षिण कौशल, वागड़ तथा लाट पर भी विजय प्राप्त की। परमार वंश के मेरूमणि 'राजा भोज' (1011-1055 ई.) थे। इन्होंने सत्ता प्राप्ति के उपरांत धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया तथा 'धारेश्वर' की उपाधि स्वयं धारण की। इसके समय में परमार शक्ति का विशेष विकास हुआ। भोज ने चेदीश्वर, इन्द्ररथ, भीम, तौगरूल, कर्णाट, लाट, गुर्जर राजाओं पर तथा तुरुषकों पर विजय प्राप्त की थी। भोज की यह विजयश्री अति महत्वपूर्ण है।

तत्कालीन विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में 'भोज' को अनेक विरूद्धों से अलंकृत किया है, जैसे 'त्रिविधवीर चूडामणि', 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर', 'पृथ्वी वल्लभ', 'श्री वल्लभ', तथा 'विक्रम' आदि। इसकी पुष्टि संस्कृत ताम्रपत्र, प्रशस्ति तथा शिलालेख करते हैं। अभिलेखों में भोज के लिये 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर' तथा 'मालव चक्रवर्ती' का उल्लेख प्राप्त होता है। विद्वानों ने भोज को 'भारतीय आगस्टस' की पदवी दी है। भोज के शासन के पश्चात् परमार सत्ता का स्खलन प्रारम्भ हो गया था। कालान्तर में राजा निरन्तर अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु विभिन्न शक्तियों से संघर्ष करते रहे। भोज के पश्चात् का सम्पूर्ण परमार इतिहास इन्हीं पारस्परिक संघर्षों का इतिहास है।

भोज के उत्तराधिकारी 'जयसिंह' (1055-1070 ई.) हुये। 'जयसिंह' ने चालुक्यों की सहायता के अपने राज्य का पुनः विस्तार कर लिया। तत्पश्चात् 'उदयादित्य' (1070-1086 ई.) शासक हुये। इन्होंने उदयपुर नगर बसाया था। इस ने गुजरात के राजा कर्ण पर विजय प्राप्त की थी। 'उदयादित्य' के पश्चात् इस का पुत्र 'लक्ष्मदेव' (1086-1094 ई.) शासक बना। इसे द्वारा प्राप्त गौड़-चेदि, पाण्ड्य, लंका, तुरुष्क तथा हिमालय के कीर नरेशों पर विजय के उल्लेख प्राप्त होते हैं, लेकिन इन विजयों की सत्यता संदिग्ध है। इसके पश्चात् 'नरवर्मा' (1094-1133 ई.) ने राजसत्ता प्राप्त की। नरवर्मा के पश्चात् उसका पुत्र यशोवर्मा विद्वतापूर्ण शास्तार्थ महाकाल के मन्दिर में हुआ था। 'नरवर्मा' के पश्चात् उसका पुत्र 'यशोवर्मा' (1133-1142 ई.) राजा हुआ। एक उज्जैन लेख में गुजरात के जयसिंह सिद्धराज

द्वारा इसके पराजित होने का उल्लेख प्राप्त होता है, किन्तु चौहान नरेश की सहायता से उस ने पुनः अपने खोये हुये प्रदेशों को प्राप्त किया। 'यशोवर्मा' के पश्चात् 'जयवर्मा' (1142-1143 ई.) सिंहासीन हुये। इन्होंने अपने अल्पकालीन शासनकाल में धारा पर विजय प्राप्त कर ली थी। 'जयवर्मा' के पश्चात् उसका पुत्र 'लक्ष्मीवर्मा' (1144-1148 ई.) सिंहासनाखूढ़ हुआ। तत्पश्चात् 'हरिश्चन्द्रवर्मा' (1148-1174 ई.) और इसके पश्चात् 'हरिश्चन्द्र' के उत्तराधिकारी 'अजयवर्मा' के पुत्र 'विन्ध्यवर्मा' (1175-1194 ई.) राजा हुआ। इसने गुजरात नरेशों की निर्बलता के लाभ उठा कर उन के कुछ प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। इसका सन्धिविग्रहिक मंत्री 'विल्हण' था। 'विन्ध्यवर्मा' के पश्चात् उसका पुत्र 'सुभटवर्मा' (1194-1209 ई.) शासक बना। राजसत्ता प्राप्त करने के पश्चात् ही उस ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया, हालांकि इस युद्ध में इसे विशेष सफलता नहीं मिली। इसके पश्चात् 'अर्जुनवर्मा' (1210-1215 ई.) शासक हुआ। 'अर्जुनवर्मा' के पश्चात् 'देवपाल' शासक हुआ। 'देवपाल' के शासनकाल में 'शमसुद्दीन अलतमश' ने 1235 ई. में उज्जैन पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। इस के बाद इस वंश के विभिन्न राजाओं का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया।

दिल्ली सल्तनत के समय में सन् 1401 में 'दिलावर खॉं गोरी' ने मालवा के सुल्तानों का राज्य कायम किया और उनका पुत्र राजधानी को धार से माण्डू ले गया। मुगल बादशाह 'बाबर' ने मालवा का वर्णन हिन्दुस्तान के चौथे सबसे बड़े महत्वपूर्ण राज्य के रूप में किया है। 1561 में 'बाज बहादूर' के अकबर के हाथों पराजित होने के बाद यह क्षेत्र मुगलों के अधीन एक सूबा बन गया। यह क्षेत्र अपने इतिहास के लम्बे समय तक कलह और अराजकता से घिरा रहा। दक्कन को उत्तर से जोड़ने वाले मार्ग में हांडिया, महेश्वर, माण्डू और बुरहानपुर महत्वपूर्ण शहर थे। 1724 में 'पेशवा बाजीराव' के नेतृत्व और सिंधिया, होल्कर और पुआर की मदद से मराठों ने मालवा में प्रवेश किया। तीसरे मराठा युद्ध, 1871, में सत्ता अंग्रेजों के हाथों में चली गयी। 1861 में मालवा को मध्य प्रांत का हिस्सा बनाया गया। 1948 और उसके बाद 1956 में औपचारिक रूप से मालवा का विभाजन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान राज्यों के बीच कर दिया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राय चौधरी, पोस्ट हिस्ट्री ऑफ एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ 606-29.
2. स्मिथ, वी. ए., अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ 343
3. इण्डियन हिस्ट्री-क्वाटर्ली, भाग 24, 1948, पृष्ठ 175.
4. राय चौधरी, पोस्ट हिस्ट्री ऑफ एन्शियन्ट इण्डिया.
5. सरकार डी. सी. एन्शियन्ट-मा-वि-ट्रेडीशन, पृष्ठ 2, टिप्पणी 8.
6. ए. पी. इण्डिका, भाग 9 पृष्ठ 296-300.
7. इण्डियन ऐन्टीक्वेरी, भाग 6, पृष्ठ 159.
8. गांगुली डी. सी., हिस्ट्री ऑफ परमार, पृष्ठ 39.
9. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी, भाग 3, पृष्ठ 5.
10. भारत के प्राचीन राजवंश, भाग 1 पृष्ठ 99, 103.
11. इण्डियन कल्चर, भाग 11, पृष्ठ 397-401, तथा नवसाहसांक चरित, 10 पृष्ठ 161.
12. आर्यंगर श्री निवास, भोज राजा, पृष्ठ 27 एवं ले. ले. चिन्तामणि, विक्रम स्मृतिग्रन्थ, पृष्ठ 592.
13. कम्प्रेहेन्सिव हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग 2, पृष्ठ 461.
14. वैद्य, सी. वी., मेडीवल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द 2, पृष्ठ 185.

A Historical Investigation of the Recovery of Non-Performing Assets held by Commercial Banks in India during the Years 2001-2013

Anju Pandia* Dr. Purushottam Gautam**

*Research Scholar, Shaheed Bhima Nayak Govt. P.G.College, Barwani (M.P.) INDIA

** Principal, Govt Girls College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - Non-performing assets (NPAs) are a widespread concern these days, and they have a direct influence on bank profitability, particularly for scheduled commercial banks in India. Although some initiatives have been taken in this area, a thorough examination of the best strategy to address the issues has yet to be undertaken. There appears to be no consensus on the best policies to pursue in fixing this issue. Bank performance is closely correlated with nonperforming assets (NPAs). A high level of nonperforming assets (NPAs) indicates a significant likelihood of a large number of loan defaults, which affects bank profitability and net worth while simultaneously eroding asset value and vice versa. They not only endanger asset quality and bank viability, but they also harm liquidity and profitability. The stakes are so high with NPAs that they will have a significant impact on banks as well as the entire economy. In reality, the amount of nonperforming assets (NPAs) in Indian banks reflects the situation of industry and trade. The greater the number of NPAs, the greater the threat to industry and commerce. As a result, it is critical at this time to reduce nonperforming assets (NPAs) and take steps to improve the financial health of the banking sector. The purpose of this study is to get a better understanding of the state and trajectory of nonperforming assets (NPAs) in Indian Scheduled Commercial Banks, the reasons for their significant impact, the variables that contribute to NPAs, and their recovery through various channels.

Keywords- Non- Performing Assets, Scheduled Commercial banks, Public Sector Bank (PSB), Banking system.

Introduction - More than 90 percent of the assets in the banking sector are held by commercial and cooperative banks in India. There are few commercial banks that are not owned by the government, such as SBI (State Bank of India), SBI affiliate banks, and Reserve Bank of India-owned banks (majority holding being with the State Bank of India). These banks and regional rural banks are also owned by the Indian government's public sector banking system. Since 1991, the banking industry has seen enormous transformation (the start of the first phase of economic liberalization). It was not asset quality that was the key concern in the Indian banking system, but rather the development of networks and branches, the rise of rural areas, priority sector lending, and so on.

Nonperforming assets, or NPAs, have grown to be a major concern for Indian banks as a result of the country's booming economy.

Banks are tasked with managing the country's liquid capital and, as a result, their primary responsibility is to collect deposits from the general population. As money is monitored and directed toward growth and proliferation, this

fosters economic success. There is a range of deposit programs geared to the needs of different groups of people to accomplish this deposit mobilization. There are several sources of funding for banks, including deposits and other sources such as cash in the form of capital and reserves, as well as borrowings and loans. The amount of money in circulation affects how the bank lends and invests its money. In a bank's records, there are several types of assets, such as cash in hand, balances with other banks, investments, loans and advances, fixed assets, and other assets, etc. There are just three types of NPAs: loans, advances, and investments. The term "non-performing asset" refers to an asset that does not provide the projected revenue and that shows any unique risk other than regular commercial risk. To put it another way, when a loan asset is no longer generating money, such as interest, fees, or commissions, it is considered a non-performing asset (NPA). A non-performing asset (NPA) is a loan for which the principle and/or interest payments have been overdue for more than two quarters and have therefore become "past due." When a debt under any of the credit facilities is not paid within 30

days of the due date, it is referred to as being past due. A loan is a bank's asset until the interest and principal payments and repayments provide a continuous flow of cash. Normally, a loan is categorized as past due when payments are only a few days late, and as soon as payments are 90 days or more past due, the loan is classified as non-performing. There could be trouble if there are a lot of assets that are not making money.

When it comes to bank credit risk and resource allocation efficiency, the Narasimha Committee says that non-performing assets (NPAs) should be regarded as a national priority. In the year 1995, the NPAs in public sector banks reached Rs. 38385 crore, whereas in 2001, the NPAs in private sector banks rose to Rs. 6410 crore and reached Rs. 17972 crore in 2011.

Review of Literature

A study of relevant literature was performed in order to better comprehend the impact and implications of NPAs on the banking industry, as well as the actions that have previously been adopted. According to Kumar's (2013) research on A Comparative Study of NPAs of Old Private Sector Banks and Foreign Banks, non-performing assets (NPAs) have become a severe problem for the Indian banking industry in recent years. Non-performing assets were a major concern for commercial banks in the late 1990s, and it had a negative impact on their performance (NPAs).

According to Selvarajan & Vadivalagan (2013) in A Study on Management of Non-Performing Assets in the Priority Sector, lending to the priority sector by Indian banks has grown faster than lending by the PSBs. First, Indian banks couldn't handle NPAs because they didn't have the resources or expertise.

According to Rawlin (2012), non-performing assets (NPA) have a significant influence on the health of any economy. As a result, the management of non-performing assets (NPAs) and NPA Reduction Strategies is critical to the country's banking and financial institutions' overall credit management. Secondary data from financial years 2000-2001 to 2009-2010 was used to perform the study. A mid-sized Indian national bank's gross and net NPA percentages are compared to the amount of money advanced. The percentage of gross NPA and the net NPA with advances has a substantial association. This research could help bank managers keep an eye on their assets and make them better.

Even though NPAs have decreased dramatically since 1993, Pradhan (2012) showed that this reduction was still not equivalent to international norms. After the reforms, he started studying the history of NPAs. Under the RBI standards, credit facilities that have been delinquent for four quarters in interest payments are specified. The research also evaluates the patterns of NPA, changes in gross advances and gross NPA, bank-by-bank NPA, and the amount of NPA in public sector banks.

According to the Shri M. Narasimhan committee's

recommendations for financial reforms in 1991, Bala Subramaniam (2012) examined the trend in India's commercial bank NPAs. The RBI Basel III banking sector criteria for sound financial and operational management of NPAs and NPA Reduction Strategies policies are also taken into account in this research. There are four sections in this study. With regard to NPA, the first section discusses how NPA affects a commercial bank's profitability and financial position, as well as its asset classification; the second section examines NPA trends; the third section focuses on restructuring advances by the bank based on its asset classification; and finally, the fourth section discusses some issues and challenges that may affect banking sector performance as well as financial stability.

According to the Deshmukh (2013), Deshmukh compared the NPA of public and private sector banks. An NPA is a measure of a bank's financial health. Public and private banks such as the State Bank of India and the Punjab National Bank are among them. From 2003 to 2012, net NPA was analysed, as well as the mean, standard deviation, and coefficient of variation of the variable. SBI, a public sector bank, has more non-performing assets (NPAs) than ICICI, a private sector bank with 36 locations. When it comes to non-performing assets (NPAs), private sector banks have a higher percentage of them than public sector banks. To get rid of NPAs, there needs to be a good policy for evaluating and keeping track of credit.

A study by Dr. D. Ganesan (2013) found that banks play a crucial role in a country's economic development. In order for banks to maintain a strong financial position, they must have a low level of non-performing assets. Reduced NPAs provide the appearance that banks are in control of bad loans and that banks are making money. Primary and secondary data about SBI Bank are included in this study, which spans the years 2002-03 to 2011-12. Using a pre-structured questionnaire, primary data was gathered. It also examines the gross NPA and net NPA as a percentage of advances. Mean, SD, and CV are some of the statistical methods they employ. This article talks about what causes non-performing assets (NPA) and what the Reserve Bank of India (RBI) is doing to reduce the number of NPA.

According to Gupta (2012), there should be an independent credit rating agency set up for each bank to evaluate the financial capacity and health status of its customers before they are granted credit, according to her study, A Comparative Study of Non-Performing Assets of SBI and Associates and Other Public Sector Banks.

Objectives of the Study:

1. To study the status of Non-Performing Assets of Scheduled Commercial Banks in Indore.
2. To study the impact of NPAs on Banks.
3. To know the recovery of NPAs through various channels.
4. To make better approaches so as to abstain NPAs to create losses and to manage existing NPAs in Banks.

a debt under any of the credit facilities is not paid within 30

Scope of the Study:

1. To come up with suggestions that would help banks reduce their NPAs and stop new ones from coming up.
2. Help the local government find innovative strategies to minimize the use of alcohol that is not permitted.
3. To stop NPAs from getting bigger, it's important to come up with the right strategies and a time-bound action plan.

Sources of Data- Secondary data forms the bulk of the information gathered. The primary sources for this thesis were publications from Indian Bank and the Reserve Bank of India, as well as a variety of journals, books, and articles on the present state of banking in India.

Methodology of Study- Non-Performing Assets (NPAs) Scheduled Commercial Banks were the focus of our investigation. The Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934, lists public sector banks, private sector banks, and foreign banks. The study relies on data that has been gathered from other sources. Research papers and articles from a number of reputable journals were consulted. In addition, the research made use of the RBI Report on Trend and Progress of Banking in India for various years, as well as websites and a book on banking.

Non-Performing Assets in Indian Scheduled Commercial Banks

Table 1 – Gross Advances and Gross NPAS of SCBs (Amount in Rupees Billion)

Year	Gross Advances	Gross NPAs (Amount)	Gross NPAs (Percentage)
2001-02	6809.58	708.61	10.4
2002-03	7780.43	687.17	8.8
2003-04	9020.26	648.12	7.2
2004-05	11526.82	593.73	5.2
2005-06	15513.78	510.97	3.3
2006-07	20125.10	504.86	2.5
2007-08	25078.85	563.09	2.3
2008-09	30382.54	683.28	2.3
2009-10	35449.65	846.98	2.4
2010-11	40120.79	979.00	2.5
2011-12	46655.44	1370.96	2.9
2012-13	59882.79	1931.94	3.2
2013-14	68757.48	2641.95	3.8

Source: dbie.rbi.org.in

In the period from 2001-02 to 2013-14, the amounts of gross advances, gross non-performing assets (NPA), and the percentage of gross NPA are shown in the table above. Advances total Rs. 6810 billion in 2001-02 and Rs. 68757 billion in 2013-14. During the period 2001-02-2013-14, the gross NPA rose from Rs. 708.61 billion to Rs. 2642 billion. Also, from 2.3 in 2007 to 3.8 in 2013, the percentage of non-performing assets (NPAs) has increased.

Table 2 – Net Advances and Net NPAS of SCBs (Amount in Rupees Billion)

Year	Net Advances	Net NPAs (Amount)	Net NPAs (Percentage)
2001-02	6458.59	355.54	5.5
2002-03	7404.73	296.92	4.0
2003-04	8626.43	243.96	2.8
2004-05	11156.63	217.54	2.0
2005-06	15168.11	185.43	1.2
2006-07	19812.37	201.01	1.0
2007-08	24769.36	247.30	1.0
2008-09	29999.24	315.64	1.1
2009-10	34970.92	387.23	1.1
2010-11	42987.04	417.00	1.1
2011-12	50735.59	652.00	1.3
2012-13	58797.03	986.00	1.7
2013-14	67352.32	1426.57	2.1

Source: dbie.rbi.org.i

Net advances, net non-performing assets (NPAs), and net non-performing assets as a percentage are all shown in the table above for the years 2001-02 through 2013-14. The total amount of advances increased by 67352.32 billion rupees between 2001-02 and 2013-14. The total amount of non-performing assets (NPAs) has also grown over this time period, rising from Rs 355.54 billion to Rs 1426.57 billion (2001-02 to 2013-14).

There has been a significant decrease in the proportion of net NPA from 5.5 in 2001-2002 to 1.0 in 2007-08. Then in 2013-14, it rose to 2.10 percent.

Figure 1 (See in last page)

The graph above depicts the 13-year trend in billions of gross and net non-performing assets (NPAs) commencing in 2001-02 and ending in 2013-14. Since 2001-02 to 2013-14, there has been an increase in the amount of NPA on the x-axis. There is a clear rising trend in both the gross and net amount of NPA between 2006 and 2013.

Figure 2 (See in last page)

For the period of 13 years, from 2001-02 to 2012-14, the percentages of Gross NPA and Net NPA are shown in the figure above. The years are plotted on the x-axis, while the percentage of NPA is plotted on the y-axis. From 2001 to 2007-08, the gross and net percentage of NPA showed a falling trend; from 2007-08 to 2013-14, the increasing trend began.

Figure 3 (See in last page)

Table 3 (See in last page)

Table 3 shows how Lok Adalats helped commercial banks recover NPAs from 2008 to 2014. The number of cases referred to Lok Adalats for the recovery of commercial banks' NPAs has risen significantly in 2014 compared to 2008, according to the data. While the amount collected by Lok Adalats decreased steadily from 2008 to 2009 before improving slightly from 2010 to 2014, it still pales in comparison to the amounts recovered through the other routes. Only 6.2 percent of the commercial banks' NPAs have been recovered by these Lok Adalats, which indicates

Commercial banks are resorting to different methods of recovery because of their inability to collect the money involved in NPAs.

Table 4 (See in last page)

Table 4 shows the percentage of commercial banks' NPAs that were recovered using DRTs from 2008 to 2014. There has been a rise in the number of instances sent to DRTs for the recovery of NPAs over the research period, as well as an increase in the amount involved and the amount recovered. DRTs recovered 81.1 percent of the total amount involved in NPAs in 2008-09, and the amount recovered by DRTs remained significant in subsequent years. Commercial banks prefer DRTs over Lok Adalats for the recovery of their NPAs since the proportion of NPAs recovered in Lok Adalats is relatively low. Even though the amount of NPAs recovered by DRTs from commercial banks has gone down slightly, this is still a key way for the banks to get their moneyback.

Table 5 (See in last page)

The NPAs of commercial banks recovered by the SARFAESI Act from 2008 to 2014 are shown in Table 5. According to the data in the table, the number of cases reported to the SARFAESI Act and the number of NPAs implicated has significantly grown throughout the time period under consideration. The SARFAESI Act's success in collecting commercial banks' non-performing assets justifies this measure. As shown in the table, Sarfaesi was able to recover 25.8% of the NPAs in the 2014 cases that were referred to it. This statute has proven to be a gift in disguise for commercial banks, which now heavily rely on it in order to recover their NPAs and boost their profitability. The recovery rate in 2008 was 61.0 percent.

Figure 4 (See in last page)

Figure 4 clearly demonstrates the SARFAESI Act's ability to recover NPAs from scheduled commercial banks between 2008 and 2014. The SARFAESI Act is the best way to recover NPAs. In 2014, this channel recovered Rs. 24,400 crores.

Findings- From Rs. 708 billion in 2000-01 to Rs. 2642 billion in 2012-13, the gross non-performing assets (NPAs) of the scheduled commercial banks have soared. As of 2012-13, scheduled commercial banks' net NPAs have climbed from Rs. 355 billion in 2000-01 to Rs. 986 billion. The NPAs as a % of Net Advances (NPAs) in the 2013-14 fiscal year, it was 2.2%. From 2001-02 to 2013-14, the average percentage of net non-performing assets (NPAs) was around 2%.

In 2008, there were 1,865,535 cases sent to Lok Adalat, which increased to 16,36,957 in 2014. More than Rs. 2535 crores of SCB NPAs were recovered through Lok Adalat between 2008 and 2014. During the period from 2008 to 2014, SCBs recovered Rs. 27231 crores of NPAs through DRTs. The SARFAESI Act collected Rs. 77243 crores of NPAs from SCBs between 2008 and 2014.

Due to a lack of effective recovery, intentional defaults,

and a flawed lending process, the number of banks NPAs has gone up. Because of NPAs, banks can't make as much money and their return on investment (ROI) is hurt.

Recommendations - Existing credit evaluation and monitoring systems need to be updated by the RBI. Loan recovery processes should be improved and strengthened by banks. The most important thing is to have regular contact with consumers and make sure that no money is diverted. It is imperative that managers in the credit monitoring and recovery division operate with energy and enthusiasm. They must meet often with the branch personnel and solicit their advice on how to collect outstanding debts. In order to build trust between the bank and the borrowers, the bank should provide assistance to the borrowers in improving their entrepreneurial skills. Keeping track of cash might also benefit the bankers. One-time settlements may be used by banks. Further, Debt Recovery Tribunals and Lok Adalats are further options for recouping money owed. The SARFAESI Act is increasingly being used by banks to handle NPAs. The banker should restructure the loans if the delinquencies are the result of natural disasters, such as droughts, floods, or other natural calamities that are outside of the borrower's control.

Conclusion- Non-performing assets have long been a problem for banks and the economy (NPAs). NPAs have a significant impact on public sector banks. In spite of the government's attempts to reduce NPAs, they appear to have little effect. The least banks can do is speed up the recovery process for both small and large borrowers, even if zero NPAs is a notional aim. To avoid this, strict restrictions should be enforced. An investigation into how to expedite cases already in progress should be undertaken by the government. The number of loans needed by law must be reduced in the priority sector. As a result, it's clear that the NPA issue merits a great deal of attention and focus. A lack of action on NPAs would have a negative impact on the Indian economy if they were not handled.

References:-

1. Karunakar, M., "Are non - Performing Assets Gloomy or Greedy from Indian Perspective, Research Journal of Social Sciences, 3: 4-12, 2008.
2. Taori K.J., "Problems and Issues relating to Management of Non-Performing Assets of Banks in India" – The Journal of Indian Institute of Bankers– April June 2000, Volume 2, p.no – 21- 24.
3. Murthy C.R.K., "Branch Level Management of Non-Performing Assets: Part III – Effective Management of Civil Litigation" – Vinimaya, Vol.XXI, No.2, 2000 – 2001 p.no: 5-11.
4. Kaveri V.S., Faculty, National Institute of Bank Management, Pune," Prevention of NPAs– Suggested strategies" - IBA Bulletin, August 2001.
5. Rajendra Kakker. "NPA Management – Role of Asset Reconstruction Companies" – IBA Bulletin– Volume 4

– p.no: 11- 14, 2004

6. Bardia S.C., "Credit Efficiency in Banks: A Comparative Study", The ICFAI University Press, August 2004, p.no – 60-67, 2004.
7. Valasamma Antony, "Non-Performing Assets – A menace to the Banking Industry." Southern Economist, p.no. 20 – 23, January 2004.
8. Satyanarayana, K. & Subrahmanyam, G. "Anatomy of NPAs of Commercial Banks." Applied Finance, Volume 6, No.3, July, 2000, pp 14-26.
9. Balasubramaniam, C.S., "Non-performing assets and profitability of commercial banks in India: assessment and emerging issues." Abhinav Journal, Vol.1, Issue no.7, ISSN 2277-1166 Rajaraman Indira, Garima Vasishtha, "Non-performing Loans of PSU Banks- Some Panel Results", Economic and Political Weekly, Vol.27, pp.429-435,2002.
10. Harpreet, K. and Pasricha, J. S., "Management of NPAs in Public Sector Banks" India Journal of Commerce, Vol.57, No2, 2004
11. Das, S. & Bose, S.K., "Risk Modeling – A Markovian Approach", The Alternative, Vol. IV, No.1, PP 22-27, 2005.
12. Bhatia, "Non-Performing Assets of Indian Public, Private and Foreign Sector Banks: An Empirical Assessment", ICFAI Journal of Bank Management, Vol. 6, No. 3, pp. 7-28, 2007. Vallabh, G., Mishra, S. and Bhatia, A., "Non-Performing Assets of Indian Public, Private and Foreign Sector Banks: An Empirical Assessment", Icfai Journal of Bank .

Figure 1 – Scheduled Commercial Banks (Gross and Net NPAs)

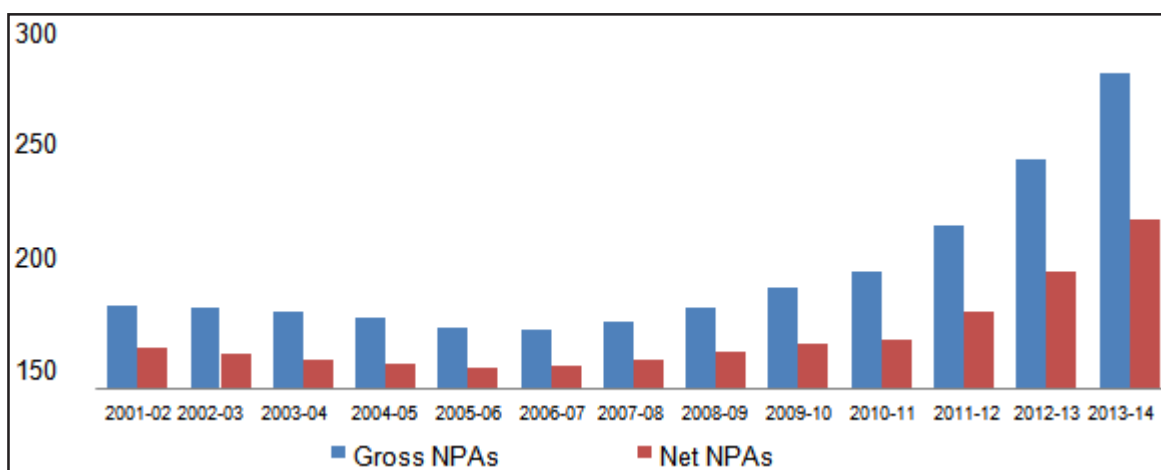


Figure 2 – Gross and Net NPA (in Percentage)

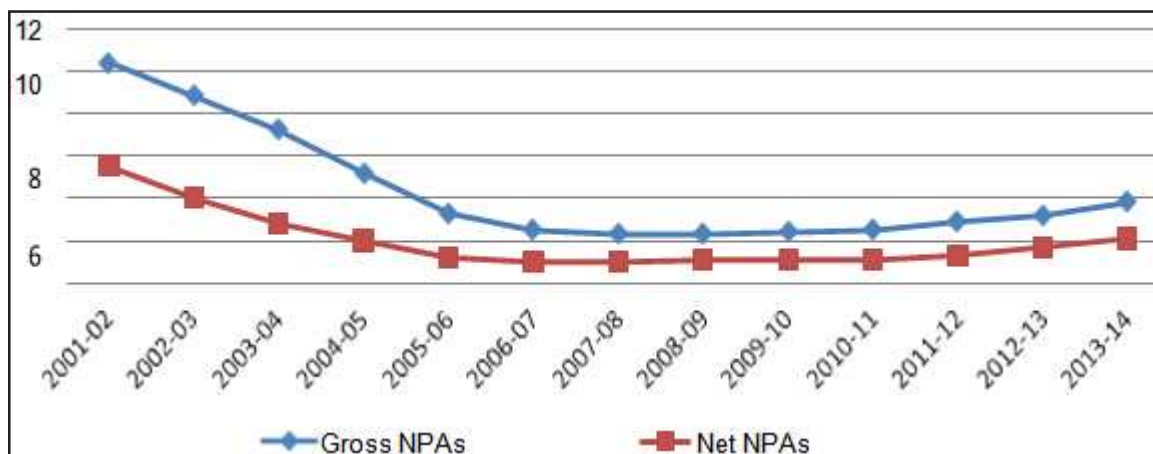


Figure 3 – Net NPAs as a Percentage of Net Advances (SCBs)

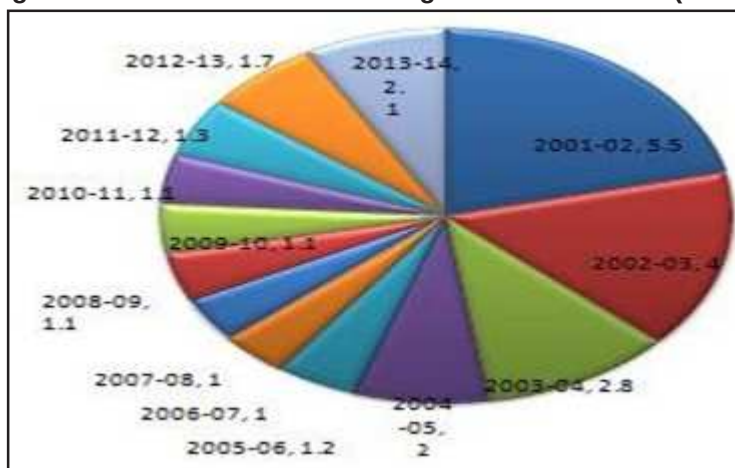


Table 3 – Showing NPAs recovered by SCBs through Lok Adalats (Amount in Crore)

Item	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Number of Cases Referred	1,86,535	5,48,308	7,78,833	6,16,018	4,76,073	8,40,691	16,36,957
Amount Involved	2142	4023	7235	5254	1700	6600	23200
Amount Recovered	176	96	112	151	200	400	1400
% of Amount recovered	8.2	2.4	1.55	2.87	11.8	6.1	6.2

Sources: R.B.I.

Table 4 - Showing NPAs recovered by SCBs through DRTs (Amount in Crore)

Item	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Number of Cases Referred	3728	2004	6019	12872	13,365	13408	28258
Amount Involved	5819	4130	9797	14092	24,100	31000	55300
Amount Recovered	3020	3348	3133	3930	4100	4400	5300
% of Amount recovered to Total Amount	51.9	81.1	32.00	27.89	17.00	14.1	9.5

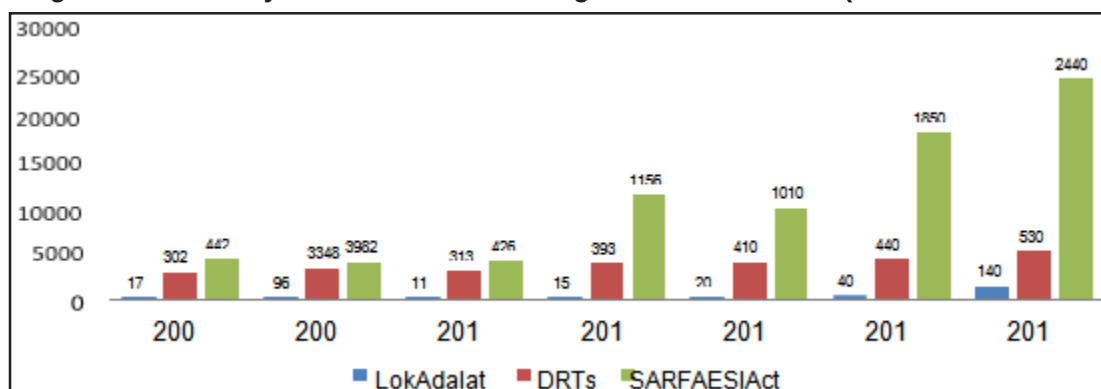
Sources: R.B.I.

Table 5 - Showing NPAs recovered by SCBs through SARFAESI Act (Amount in Crore)

Item	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Number of Cases Referred	83,942	61,760	78,366	1,18,642	1,40,991	1,90,537	1,94,707
Amount Involved	7263	12067	14249	30604	35300	68100	94600
Amount Recovered	4429	3982	4269	11561	10100	18500	24400
% of Amount recovered to Total Amount	61.0	33.0	30.00	37.78	28.6	27.1	25.8

Sources: R.B.I

Figure 4 – Recovery of NPAs of SCBs through various Channels (Amount in Rs. Crore)



हिंदी विज्ञान कहानियों में कल्पना एवं यथार्थ की भूमिका

सविता देवी कुशवाहा* डॉ. वंदना अग्रिहोत्री**

* शोधार्थी (हिंदी) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

** विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक (हिंदी) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – हिंदी साहित्य में विज्ञान कहानी एक ऐसी विधा है जिसमें कहानी एवं विज्ञान दोनों का सटीक एकसार सम्मिश्रण होता है। कहानी की लयबद्धता व वैज्ञानिक तथ्यों के समागम से इसका जन्म होता है। वास्तव में विज्ञान कहानी साहित्य की एक उर्वर विधा है, जिसमें प्रामाणिकता और विषयवस्तु का सटीक चित्रण विज्ञान की ओर से तथा काल्पनिकता साहित्य की ओर से प्रस्तुत की जाती है। विज्ञान कहानी कल्पित वैज्ञानिक खोजों को भविष्य में सच कर दिखाने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के भावी विकास से मानव समाज को रूपांतरित व परिवर्तित कर देने की बात को सामने रखती है। निःसंदेह विज्ञान कहानियाँ कल्पना प्रसून होती हैं। ये कहानियाँ जो हो चुका है उसके विषय में नहीं बल्कि भविष्य में क्या हो सकता है के विषय में बताने व समझाने का प्रयास करती हैं। ये कहानियाँ भविष्यगामी होने के नाते कल्पना से अटूट सम्बन्ध रखती हैं किंतु भविष्य को लेकर साहित्यकार जो भी कल्पनाएं बुनता है उसमें विज्ञान का सत्य या यथार्थ होना ही चाहिए। तभी वह विज्ञान कहानी की सीमा रेखा में आएगी। वास्तव में वही कहानी, विज्ञान कहानी कहलाती है जिसमें विज्ञानश्रवण निकाल देने पर प्रायः कथानक शून्य हो जाता है। विज्ञान कहानी का विश्लेषण करने पर मुख्यतः दो तत्व निकल कर सामने आते हैं। पहला भावात्मक कल्पनायें और दूसरा वैज्ञानिक यथार्थ।

प्रस्तावना – साहित्य की कोई भी विधा चाहे उपन्यास, कहानी, कविता, आत्मकथा यहाँ तक की संस्मरण व पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कल्पना के बिना काम नहीं चलता। अगर हम उपन्यास की बात करें तो किसी ऐतिहासिक उपन्यास में यथार्थ की परतें कल्पनाशक्ति के बिना नहीं उधोड़ सकते हैं। क्या इतिहास का पुनर्पाठ या पुनर्गठन कल्पना के बिना संभव है? यहाँ तक आत्मकथा एवं संस्मरण में सृजन करने में भी साहित्यकार स्मृति के पुनर्गठन में कल्पनाशील रहता है। तो फिर कहानी में तो कल्पना के न होने का प्रश्न ही नहीं उठता और वो भी विज्ञान कहानी जो भविष्यगामी होती है। ऐसा नहीं है कि कल्पनाशक्ति का प्रयोग सिर्फ साहित्यकार ही करते हैं बल्कि कल्पना की आवश्यकता वैज्ञानिकों को भी पड़ती है। वैज्ञानिक, कोई भी प्रयोग या अनुसंधान करने से पहले परिकल्पना अवश्य करते हैं और उसके दूरगामी परिणाम भी सोचते हैं तदोपरांत ही अपने कार्य को परिणाम की तरफ ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आधुनिक साहित्य में रोचकता लाने के लिए कल्पना का प्रयोग किया जा रहा हो, बल्कि प्राचीन काल से ही साहित्य में चमत्कार लाने तथा परोक्ष रूप में उपदेश आदि देने के लिए दैवीय शक्तियों का प्रयोग किया जाता रहा है। ऋषि-मुनि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ही भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। पौराणिक कथाओं में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं विज्ञान के अध्ययन के लिए एकाग्रता के साथ-साथ कल्पना और वैज्ञानिक रुचि भी आवश्यक होती है। साहित्यकार अपने नजरिए से समाज, जीवन, परिवेश को देखते हुए जो अनुभव करता है, उसे अपनी सृजनात्मक कृति में ज्यों का त्यों चित्रित करता है। जो यथार्थवादी चित्रण कहलाता है, किंतु विज्ञान कहानी साहित्य में यह संभव ही नहीं है। ये कहानियाँ विज्ञान के सत्य या यथार्थ को कल्पनाओं के

अलौकिक दूरदर्शिता के माध्यम से उजागर करती हैं। इन कहानियों में कल्पना एवं यथार्थ का सम्यक समावेश जरूरी होता है। रांगेय राघव यथार्थ को कल्पना से विरक्त नहीं मानते हैं उनका मानना है 'साहित्य का सत्य कल्पना को बिल्कुल छोड़ नहीं देता। वह यथार्थ के आधार पर जितना दृढ़ होता है, वह उतनी ही गहराइयों तक पहुंचता है।' विज्ञान कहानीकार कल्पना को साधन के रूप में स्वीकार कर सकता है न की साधय के रूप में, क्योंकि इन कहानियों में सिर्फ कल्पना के घोड़े नहीं दौड़ाने होते बल्कि मुख्य उद्देश्य विज्ञान के सत्य को बताना होता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो पाठक के मन में उस साहित्य को लेकर संसय बना रहेगा। उसमें बताये गए तत्वों को विश्वश्र्णीयता में कमी रहेगी। पाठक उसे पढ़ना तो चाहेगा किन्तु उसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन होगा। क्योंकि उसके मन में यह धारणा बनी रहेगी कि कल्पना के आधार पर लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इन कहानियों में कल्पना, कल्पना के लिए के लिए नहीं बल्कि वास्तविकता से अवगत करने के लिए होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो वस्तु किसी व्यक्ति के लिए कल्पना की वस्तु लगती है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए यथार्थ भी हो सकती है। प्रत्येक युग में वास्तविकता को दृढ़ना ही साहित्य में सच्चा यथार्थ है। निष्पक्ष रूप से समाज में घटित हो रही घटनाओं का अंकन करना ही यथार्थ है। अर्थात् मनुष्य को मनुष्य कलाकार बनाने में कल्पना का योगदान अति आवश्यक है। यह सत्य है कि कल्पना की सृष्टि एक दिन में नहीं होती उसके लिए वर्षों का अनवरत अनुभूति साधना आवश्यक है। साहित्यकार के मनःस्थिति अंदर ही अंदर प्रज्वलित होने वाली अग्नि की तरह होती है जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ती किंतु सहसा तरल लपटों का रूप लेने पर बरबस ही हमारी एन्द्रिय चेतना को स्पर्श करने का आमंत्रण देती है। साहित्य में इसी शीतल ज्वाला को रूप देने का कार्य कल्पना करती है।

विज्ञान कहानियों में यथार्थ जो विज्ञान के मान नियमों, सिद्धांतों,

अवधारणा तथा सही-गलत के पक्ष का प्रतिपादन करता है। वहीं कल्पना कहानी में रोचकता, भव्यता, चमत्कार तथा अलौकिक दृष्टि विधान करने का कार्य करती है। दोनों तत्वों के समान हिस्सेदारी से ये कहानियां बहुत ही रोचक तथा प्रामाणिकता से भरपूर होती हैं जो समाज के लिए हितकारी साबित हो सकती हैं। साहित्य में यथार्थ को परखने के लिए हमें उन स्थितियों, घटनाओं, परिवेश से परिचित होना आवश्यक होता है, जब उस साहित्य सृजन हुआ हो। बिना पृष्ठभूमि को जाने हम किसी देश, काल, समय का यथार्थ का विश्लेषण नहीं कर सकते। विज्ञान कहानियों में यथार्थ और कल्पना की भूमिका को समझने के लिए यदि हम यह कहें कि यह किसी व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन में जिस वस्तु का आस्वादन नहीं किया है। सिर्फ उसकी प्रशंसा सुनकर उसे समझता है तो वह उस वस्तु के प्रति सिर्फ उसकी श्रद्धा मात्र होगी ना की उसके द्वारा समझा गया यथार्थ। देखा जाये तो विज्ञान कहानी साहित्य में कल्पना एवं यथार्थ का समरूप होना अतिआवश्यक है। दोनों में से किसी एक की भी अतिशयता विज्ञान कहानी के मूल उद्देश्य को प्रभावित कर सकती है। यथार्थ में कल्पना का समावेश एक निश्चित सीमा तक होना श्रेष्ठकर होता है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार 'कोई भी कलाकार (साहित्यकार कितना भी यथार्थवादी हो, बिना कल्पना के पंखों पर सवार हुए वह भाव जगत का भ्रमण नहीं कर सकता।'² विज्ञान कहानी लेखन में साहित्यकार की ऐसी कोई विवशता नहीं होती है कि यथार्थ से सम्बन्ध रखने के लिए उसे कल्पना से सम्बन्ध विच्छेद करने की आवश्यकता पड़े और कल्पना की उड़ान के समक्ष यथार्थ को उपेक्षित कर

दे। विज्ञान कहानी के अंतर्गत कल्पना व यथार्थ दोनों एक-दूसरे का हाँथ थाम कर साथ-साथ चलते हैं। इन कहानियों में जहाँ यथार्थ के माध्यम से विज्ञान उन्नति तकनीकियों के विषय में पता चलता है। वहीं कल्पना साहित्य में रोचकता तथा नवीनता के पुट का समावेश करती है। अतः ये कहा जा सकता है कि विज्ञान कहानी की रचनाधर्मिता कल्पनामूलक एवं यथार्थमूलक दोनों होती हैं।

कल्पनाएं हमारे जीवन में हमेशा मौजूद होती हैं। विज्ञान कहानियों में इस शक्ति का प्रयोग करके कहानी को उत्कृष्ट बना सकते हैं। क्योंकि जाने अनजाने यथार्थ की चिड़िया कितना भी पंख खोल ले पर वह पूरे आसमान को नहीं नाप सकती है। वहीं दूसरी ओर कल्पना की चिड़िया को उड़ान के लिए कई आसमान कम पड़ जाते हैं। कल्पना और सत्य के सुन्दर मेल द्वारा ही विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्य को प्रभोत्पादक बना कर समाज को लाभान्वित किया जा सकता है। कल्पना का जीवन के यथार्थ से जुड़ाव साहित्य की दृष्टि से उसकी अनिवार्यता भी है और उसकी महत्ता भी। कल्पना साहित्यकार की शक्ति होती है। इसके द्वारा वह अपने अनुभव तथा अनुमान से प्राप्त सामग्रियों का नवीन संयोजन क्रम विधान प्रस्तुत करता है। यथार्थयुक्त कल्पना का सौंदर्य मर्मस्पर्शी, उपयोगी तथा सराहनीय होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रागेय राघव, आलोचना पत्रिका, अंक 1952
2. गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी भाषा और साहित्य विश्वकोश, पृष्ठ- 549

वीर रस सम्राट कवि भूषण

डॉ. जयराम त्रिपाठी *

* सहा. प्रोफेसर, हेमवती नंदन बहु. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – रीतिकाल के शृंगार और अलंकार प्रधान साहित्य संसार में माँ सरस्वती का एक ऐसा भी उपासक था जिसकी मेधा रासलीला के स्थान पर युद्ध भूमि में अधिक रमती थी। हिन्दू अस्मिता के उन्नायक छत्रपति शिवा जी और बुंदेला वीर छत्रसाल के चरित्र को प्रदर्शित करती इनकी रचनाएँ 'शिवाबावनी' और 'छत्रसालदसक' रीतिकाल के वीर रस की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। भूषण का जन्म कानपुर (उत्तर प्रदेश) के पास स्थित तिलपुर में संवत् 1670 (सन् 1613) में हुआ था। इनके पिता का नाम पं० रत्नाकर त्रिपाठी था भूषण को काव्य प्रतिभा जन्मना प्राप्त थी इनके भाई चिन्तामणि और मतिराम भी रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। भूषण को छत्रपति शिवा जी और छत्रसाल दोनों के राजकवि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय इतिहास के दोनों राष्ट्रवादी नायकों के यशोगान द्वारा भूषण ने हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया।

चित्रकूट के राजा रुद्रशाह ने इनकी कवि प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें 'भूषण' की उपाधि प्रदान की थी। किंवदंती है कि छत्रसाल ने इनके सम्मान में इनकी पालकी में कंधा भी दिया था। भूषण की रचनाओं में प्रमुख रूप से 'शिवराज भूषण', 'शिवा बावनी' और 'छत्रसालदशक' हैं। इनके द्वारा लिखी गई तीन अन्य रचनाएँ 'भूषण उल्लास', 'दूषण-उल्लास' और 'भूषण-हजारा' का उल्लेख है परंतु यह तीनों अप्राप्य हैं। रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप 'शिवराज भूषण' में अलंकार विवेचन है।

रीति वर्णन की दृष्टि से उनकी रचना 'शिवराज भूषण', भले ही उत्कृष्ट न बन पाई हो उसमें उदाहरणों के रूप में दिये गए पद्यांशों के सूक्ष्म अवलोकन से यह अवश्य निश्चित हो जाता है कि भूषण में प्रबंध काव्य के रचयिता की प्रतिभा थी पर वह प्रतिकलित नहीं हो सकी। युग के अनुरूप शृंगार का वर्णन न करने के कारण भूषण ने परंपरागत, उपमान, प्रतीक, बिम्ब आदि (ठाकुर के शब्दों में 'सीख लीनो मीन, मृग, खंजन कमलनयन') के स्थान पर नये बिम्ब आदि का वर्णन किया है इससे उनकी कविता में एक अपूर्व नवीनता के दर्शन होते हैं।

शिवराज भूषण को बहुत सफल रचना नहीं माना जाता। यह लक्षण और उदाहरण ग्रंथ है। इसके संदर्भ में आलोचकों ने कल्पना की है कि इसे पहले शिवाजी के समर्पण हेतु लिखा गया होगा पर तत्कालीन परंपरा के पालन के दबाव में इसे परिवर्तित करके प्रस्तुत कर दिया गया। शिवराज भूषण में सामान्य रूप से मौलिकता का अभाव है। शब्दालंकारों की संख्या पाँच मानते हुए इसमें 100 के करीब अर्थालंकारों का वर्णन है। इन्होंने दो नये अलंकारों का वर्णन किया है-

1. सामान्य विशेष
2. भाविक छवि, पर इन पर भी किसी प्रकार की नवीनता के स्थान पर केवल भ्रम की स्थिति दिखाई पड़ती है।

'शिवा-बावनी' 52 छंदों की रचना है जिसमें छत्रपति शिवाजी के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। वीर रस से ओत प्रोत यह रचना न केवल भूषण बल्कि सम्पूर्ण रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ वीर चरित कहा जा सकता है।

'छत्रसाल दशक' की रचना बुंदेलखण्ड के महाराजा छत्रसाल की वीरतापूर्ण जीवनी के रूप में की गई है। किसी भी कवि को हम राष्ट्र कवि तब कहते हैं जब वह राष्ट्र चिंतन में कविता लिखता है और राष्ट्र धर्म की रक्षा करने वाले नायकों को अपनी प्रशंसा द्वारा राष्ट्र हित हेतु प्रेरित करता है। भूषण ने अपने सनातन धर्म पर तत्कालीन संकट की स्थिति में प्रतिरोध के सबसे बड़े नायकों की अपनी कविता द्वारा राष्ट्रहित हेतु प्रेरित करने में निश्चय ही सफलता प्राप्त की। भूषण जानते थे कि धर्म युद्ध का समर्थन तब किया जाता है जब सामने वाली शक्ति धर्म के रास्ते चल रही हो यदि विपक्षी छल कपट से युद्ध में तत्पर है तो निश्चय ही हमें भी 'शठे शाठ्यं समाचरेत्' की नीति के अनुसार आचरण करना चाहिए। भूषण के नायक छत्रपति शिवाजी ने सर्वत्र इसी प्रकार की नीति का पालन किया।

शिवाजी में ने केवल वीरता थी बल्कि उन्होंने अपनी कूटनीतिक रणनीति से भी औरंगजेब और अफजल खान जैसे धोखेबाजों को परास्त किया था। इस प्रकार की सभी घटनाओं का वर्णन भूषण ने वीर रस के माध्यम से किया है। उनके वीर रस के वर्णन की उक्तियों में वीरता के दर्प और आतंक का ओजपूर्ण वर्णन है। शिवराज भूषण में मंगलाचरण के लिए भी भूषण ने शक्ति के महाकाली रूप (महाकाली महालक्ष्मी, महा सरस्वती तीन रूपों में से) को चुना है जिनको महिषासुर आदि दैत्यों के दमन का श्रेय पौराणिक रूप से प्रदान किया जाता है।

भूषण में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। भूषण ने सम्पूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की और उस यात्रा में सूक्ष्मतापूर्वक यह निरीक्षण किया कि कौन वह शासक है जो म्लेच्छों से देश को मुक्त करने का साहस और शक्ति रखता है। भूषण ने मुगलों में भी बाबर, हुमायूँ और अकबर का विरोध नहीं किया क्योंकि इसके द्वारा इस्लाम के प्रचार के लिए हिन्दू सनातन धर्म को नष्ट करने का बलपूर्वक प्रयास नहीं किया गया। औरंगजेब ने इनकी नीतियों के विपरीत धार्मिक कट्टरपंथ का सहारा लिया, इसकी प्रतिक्रिया हिन्दू बहुसंख्यक जनता में तीव्र गति से हुई और उनके मन में

शासन के प्रति क्रांति की भावना का उदय हुआ। यही कारण है कि हम भूषण की कविता में साम्प्रदायिकता का आरोप नहीं लगा सकते। सांप्रदायिकता, चातुकारिता और संकीर्णता से रहित होने के कारण ही भूषण की कविता शाश्वत और अमर हो गई, इसी प्रकार के कवियों को राष्ट्र के उत्थान का श्रेय दिया जाता है।

रीतिकालीन काव्य परिदृश्य पर दृष्टिपात करने से भूषण अलग ही दिख जाते हैं क्योंकि लीक छोड़कर चलने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। जहाँ आगे के सुकवियों के रिझाने के लिए कवि कर्म किया जा रहा हो वहाँ शृंगार को छोड़कर वीर रस की कविता निश्चित रूप से आश्चर्य पैदा करती है। इसी संदर्भ में डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है-

‘रीतिकालीन मनोवृत्ति का संबंध आत्यंतिक रूप से शृंगार से नहीं है, इसका अच्छा उदाहरण भूषण का काव्य प्रस्तुत करता है। यहाँ भक्तिकाल को लाँघकर रीतिकाल मानो वीरगाथा काल से संपर्कित होता दिखाई देता है।’¹

बिना साम्प्रदायिक भेदभाव के भूषण कुछ मुसलमान शासकों के प्रशंसक हैं तो वहीं कुछ हिन्दू शासकों की भी निन्दा करते हैं। जो मुस्लिम शासक सहिष्णु थे उनका विरोध केवल इसलिए नहीं किया गया कि वे इस्लाम धर्मावलंबी हैं।

आचार्य शुक्ल ने इनके संदर्भ में लिखा है- ‘भूषण ने जिन दो नायकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाया वे अन्याय दमन में तत्पर, हिन्दू धर्म के संरक्षक, दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति एवं सम्मान की प्रतिष्ठा हिन्दू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बनी रही या बढ़ती गई।’² हम भूषण के साहित्य में देखते हैं कि वे जहाँ शिवाजी और छत्रसाल के प्रशंसक हैं वहीं जसवन्त सिंह और उदयभानु सिंह के विरोधी हैं निन्दक हैं।

भूषण के हृदय में जातीय अस्मिता की भावना प्रबल रूप में विद्यमान थी मुगल शासक औरंगजेब के सामने चुनौती पेश करने वाले उत्तर के शासक छत्रसाल और दक्षिण के शिवाजी को उन्होंने अपनी कविता की विषयवस्तु का आधार बनाया। भूषण का समय शृंगार वर्णन की विविधताओं से भरा हुआ था, तत्कालीन कवि अपने आश्रयदाता को लुभाने के लिए तरह-तरह की काम प्रधान रचनाओं की रचना कर रहे थे। भूषण को यह रास नहीं आया वह इस प्रकार के वातावरण से दूर शिवाजी के दरबार चले गए। शृंगार के मायाजाल से कविता को बाहर निकालने का श्रेय भूषण को ही दिया जाना चाहिए।

भूषण ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया, उनकी भाषा में ब्रजभाषा की परिपक्वता के दर्शन होते हैं जो ब्रज भाषा शृंगार रस की भाषा मानी जाती थी; वीर रस की उसकी अर्थवहन क्षमता को भूषण की कविता सिद्ध कर देती है भूषण ने बुढ़ेली, खड़ी बोली, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया। शब्दों के साथ तोड़-मरोड़ और उन्हें वीर रस के लिए उपयुक्त बनाना एक अन्य विशेषता है इसलिए आलोचकों ने उन्हें शब्दों को तोड़ने-मरोड़ने का दोषी माना है। भूषण द्वारा छत्रपति शिवाजी पर लिखा गया काव्यांश विरला मंदिर दिल्ली में उल्लिखित है।

भाषा में ओजस्विता के साथ-साथ उन्होंने महाप्राण व्यंजन और द्वित्व शब्दों के द्वारा उसमें नादात्मकता उत्पन्न की। महाप्राण व्यंजन वीर रस के

अनुकूल होते हैं जिसके प्रयोग से ब्रजभाषा के नाद सौंदर्य में अपूर्व वृद्धि हुई।

जगदीश गुप्त ने उनकी भाषा पर विचार के क्रम में लिखा है- ‘जिस ब्रजभाषा के सहज गुण कोमलता तथा मधुरता ही रहे हैं उसको उन्होंने सफलता के साथ ओजस्विता और पौरुष प्रदान किया।’³ भूषण की कविता इतनी ओजपूर्ण है कि उसमें यदि कोई दोष दिखाई भी देता है तो वह स्पष्ट नहीं हो पाता और वीर रस की सरिता में बह जाता है।

भूषण तत्कालीन कवियों के दूषित काव्य रचना से व्यथित थे उन्होंने काव्य के प्रति अपनी पवित्र भावना का प्रदर्शन करते हुए विलासिता से ओत-प्रोत स्वार्थपूर्ण प्रशंसा को व्यक्त करती कविता का मुखर विरोध करने का निश्चय किया, भूषण ने लिखा है-

भूषण के कलि के कविराजन राजन के गुणगाइ नसानी
पुण्य चरित्र सिवा सरजा सर न्हाई पवित्र भई पुनि बानी।
जिस प्रकार का स्वाभाविक प्रवाह हमें रामचरित गुणगान करने में तुलसी का दिखाई पड़ता है उसी प्रकार की प्रवाहपूर्ण रचना भूषण द्वारा शिवाजी के संदर्भ की गई है।

भूषण के काव्य के अध्ययन में हम यह देखते हैं कि उनकी रचनात्मकता रीति काल की तुलना में वीरगाथाकाल के अधिक करीब है। वीर रस का ऐसा सचित्र वर्णन करने में भूषण की समता केवल रासों ग्रंथों से ही हो सकती है।

भूषण की कविता में वीर रस की प्रचुरता है जिसके सम्पर्क मात्र से पाठक वीर रस से भर जाता है। वर्णन में कहीं भी बनावटीपन नहीं है। वीर रस का वर्णन स्वाभाविक और अवसर के अनुकूल है। वीर रस का होते हुए भी भूषण का काव्य तत्कालीन और वीरगाथा काल के आश्रित कवियों इस अर्थ में भिन्न है कि अर्थ में उन वीर नायकों को बनाया जो बाहरी शक्तियों के (तब तक मुस्लिम शासकों को आक्रांता की दृष्टि से ही देखा जाता था) आक्रमण से प्रतिरोध के प्रतीक थे। लक्ष्मीसागर वाष्ण्य ने भूषण पर विचार के क्रम में लिखा है- ‘उनका वीरकाव्य केवल किसी एक आश्रयदाता को प्रसन्न करने वाला नहीं था। उन्होंने उन वीरों का यश-गान किया, जिनके साथ सारी हिन्दू जाति की भावनाएं सम्बद्ध थीं। अतएव वे हिन्दू जाति के तत्कालीन प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं।’⁴

रीतिकाल में जन्म लेने वाले भूषण रीतिकाल के दुष्प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहे उन्होंने भारतीय संस्कृति की उस अग्नि को प्रज्वलित रखने का सफल प्रयास किया जो झंझावातों में बुझ सी रही थी। भूषण का स्थान जातीय स्वाभिमान के गायक के रूप में सर्वोच्च है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दी साहित्य एवं संवेदना का इतिहास : रामस्वरूप चतुर्वेदी (लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद-2012), पृ०-66।
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : रामचन्द्र शुक्ल (नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी संवत्-2056), पृ०-141
3. रीतिकाल : जगदीश गुप्त (बसुमती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1968), पृ०-150
4. हिन्दी साहित्य का इतिहास : लक्ष्मी सागर वाष्ण्य (लोक भारती प्रकाशन, 2019), पृ०-209

Health Effects and Coping Strategies Among Children of Alcohol Dependent Parents

Dr. Ravi Dalawayi*

*Assistant Professor, Department of Sociology, Rani Channamma University, Belagavi (Karnataka) INDIA

Abstract - Health has been perceived from long back as the more noteworthy potential to the individual, the community, and the country. Psychological well-being is a decent development driving towards agreeable and healthy living. The world is intricate and serious. Pressure must be acknowledged as a component of everyday living and should be considered as a component of normal life. Dissatisfaction and the capacity to acknowledge such a circumstance must be a part of each individual's life. Family is the essential unit of the community. When the parent of the family devours liquor the family is upset. The family will be disturbed when a person who is considered as the head of the family consumes alcohol. In Indian culture in most of the families wives are mostly depended on their husbands. So when the husband becomes alcohol dependent, he ignores his family and the wife has to play her part in the family. When a wife and children are unable to cope with these pressures, they are social, psychological, and economic perspectives. Their ineffective coping strategies can worsen problems in the family. The sincere effort has been done in this study to understand Health effects and coping strategies among children of alcohol dependent parents

Key words- Health, alcohol, potential, dependent, coping strategy etc.

Introduction - Alcoholism is one of the health and social issues around the world and it is a family disease and is close to alcohol dependent people deeply affected by it. Alcohol is a universal problem and it is the concern public health. Alcohol dependence is recognized by behavioral, cognitive, and physiological symptoms, including a strong desire to consume alcohol, difficulties in controlling its use, persistence in its use despite harmful effects, a greater preference for drug use than other activities, increased tolerance, and sometimes physical withdrawal.

Alcohol consumption is a high risk factor of disease and disability and is the third highest cause of death in the world. An alcohol dependent person faces a number of problems, such as health, psychological, family and social origin. Trauma, violence, peptic and gastric ulcers, unprotected sex, premature death, organ system failure, liver cirrhosis, and poor nutritional status of the family are individual consequences of alcohol dependence. Families of alcohol dependent individuals also suffer from unwanted childbirth. The effects of harmful drinking are more widespread than a person's consumption. Alcohol affects friends, family and colleagues before any negative health effects. The effects can be detected in drinkers. The consequences can be disastrous Family and children are most affected as a person who drinks

Rationale of the study: The study indicates the effects of parental alcohol abuse on children and families include the

severity of alcohol abuse, the length of time the parents are abusing alcohol, the patterns of alcohol abuse, the number of family members who abuse alcohol and, most importantly, other risk and protective factors. For example, unfriendly intellectual results on children are currently thought to be affected by parental alcohol abuse, just as the levels of parental working, parental schooling, and incitement of children in the home.

Objectives of the Study:

1. To understand the health effects in children of alcohol dependent parents.
2. To describe the coping strategies adopted by the children of alcohol dependent parents.
3. To integrate children health issues and coping strategies with parent selected demographic variable.

Research Methodology: The researcher proposes to adopt Descriptive research design for the study, the descriptive research design will be more helpful, and description is the fact-finding investigation with the adequate interpretation in order to find the health effects and coping strategies among children of alcohol dependent parents

Common Health Effects on Children: Family of alcohol-dependent people has regularly mutilated, wrong correspondence prompting passionate detachment among the relatives. As they start to work in a separated way, job execution is antagonistically influenced and the alcoholic's life partner needs to much of the time take on different jobs,

putting further strain on her effectively delicate enthusiastic safeguards and adapting styles.

Cognitive Distortions: Alcoholic abuse is related with human brutality, and culprits are frequently affected by liquor. Liquor inebriation produces intellectual contortions, influencing the recognition and translation of others' conduct, with the goal that equivocalness and distortions in social connections may develop into forceful conduct.

Verbal Abuse and Physical Abuse: Observer to brutality in the home or left in dangerous circumstances, because of another person's drinking. In any event at least one damages experienced by kids were accounted for all the more frequently by guardians who occupied with standard risky drinking and by those from lower social class. Person's physical and emotional wellness yet additionally on the social prosperity

Socially Excluded and Isolated: Children living with guardians who are dependent on liquor have announced inclination socially barred and secluded and oftentimes being disregarded Butler recommends that the effect of parental issue drinking on kids can show itself in more extensive social and mental issues, for example, withdrawal and timidity, carrying on in more forceful ways, failing to meet expectations at school or relapsing back to prior practices, for example, bed-wetting. It was found that parental liquor misuse influences the socialization of their youths and to abandoned trust in their parent-juvenile

Betrayal or failure to cope: This builds the danger of additional confinement for the children and social prohibition for the entire family. children frequently feel not quite the same as their companions and stress over others getting some answers concerning their family life. The mystery can turn into an additional weight. Worries about disregarding guardians or taking on extra caring duties in the home can likewise leave brief period to go through with companions, participate in exercises, or attempt school work.

Lower Socioeconomic Status: Families with parental alcohol use tend to have a lower socioeconomic status and disruptions to family functioning, troubled and dysfunctional and less cohesive, lack ritual and routines, have lower levels of physical and verbal expression of positive feelings, warmth and caring, and have higher levels of unresolved conflicts, fighting blaming and arguing. Alcoholic's family does show characteristics of dys-functionality and poor adaptation.

Loss of Identity: Children with parental alcohol use will have a problem of identity. Regularly use of alcohol of parent may negatively impact on their children, such children loss their own identification due to psychological stress.

Isolation: Being an offspring of a drunkard can be a desolate encounter. Kids may feel like they have nobody to converse with about their parent's conduct. They may likewise be humiliated by their folks, making them pull out from companions and other relatives. This can prompt confinement, which thus can add to different issues like

tension and self-destructive considerations.

Emotional confusion: Living in an alcoholic family can be staggeringly befuddling for children. The parent may act in whimsical manners or be erratic as far as an everyday schedule for the children. Alcoholic guardians may likewise display quick emotional episodes that leave children feeling temperamental and uncertain of what's in store at home.

Coping Strategies: Coping abilities are those aptitudes that we use to counterbalance disservices in everyday life. Coping abilities can be viewed as such a transformation. Coping abilities can be positive or negative. Positive Coping abilities help one to traverse circumstances at almost the equivalent level as the individuals who don't have the detriment. Negative Coping abilities, in any case, may give momentary alleviation or interruption; at the end of the day intensify burden.

The psychology textbook by Weiten (2008) have provided a useful summary of three broad types of coping strategies:

1. Appraisal-focused (adaptive cognitive)
2. Problem-focused (adaptive behavioural)
3. Emotion-focused

Appraisal-focused strategies occur when individuals adjust the manner in which they think, for instance: utilizing refusal or removing oneself from the issue. Individuals may modify the manner in which they consider an issue by adjusting their objectives and qualities, for example, by observing the humour in a circumstance: "some have proposed that humour may assume a more noteworthy part as a pressure mediator among ladies than men.

Children use **problem-focused (adaptive behavioural)** attempt to manage the reason for their issues. They do this by discovering data on the issue and learning new abilities to deal with the issue. The issue centred on adapting is pointed toward changing or killing the wellspring of stress.

Emotion-focused strategy include delivering repressed feelings, diverting oneself, overseeing antagonistic sentiments, ruminating, or utilizing efficient unwinding strategies. Feeling cantered adapting "is arranged toward dealing with the feelings that go with the impression of stress".

Conclusion- Children of alcohol-dependent parents experience an injury that is nearly nothing perceived by the individuals who have not experienced childhood in a home with a parent who has the untreated infection of liquor addiction. Numerous kids have incredible quality, strength, and adapting expertise, which can assist them with adjusting so as to work as typical as could reasonably be expected. Others are not as flexible and have numerous problems. The present study focused on how these children were found to be underweight, anemic, and high levels of stress and low levels of self-esteem. Children of alcohol dependent parents have moderation level of educational, family and social problems. The researcher concluded the deplorable effect of parental addiction to alcohol on their

children may cause them live insecure, unhappy, restrictive, in a responsible life. Treatment / counseling should be done. It is planned to move towards a healthy family system that builds self-worth, there will be trust, free communication, love, freedom and growth Children of alcohol dependent parents.

References:-

1. World Health Organisation, Global status report on alcohol and health. Geneva:2011.
2. Alcohol related harm in India-a fact sheet: Indian alcohol Policy Alliance, 2002. Available at www.indianalcoholpolicy.org
3. Klingemann, H., and Gmel, G., Mapping the social consequences of alcohol consumption. Dordrecht: World Health Organization Regional Office for Europe / Kluwer Academic Publishers, 2001.
4. Frisch, N.C., and Frisch, L.E., (2002), Impact on substance abuse in families. Psychiatric Mental Health Nursing, Delmar Thompson Learning, New York, pp. 350-353.
5. Stuart, G.W., and Larcia, M.T., (2005), Substances related disorders. Principles and practices of psychiatric nursing, Mosby. Elsevier, St Louis Missouri, pp. 505.
6. Benegal, V., Velayuudham, A., and Jain, S., "Social Cost of Alcoholism: a Karnataka perspective," NIMHANS Journal, 18 (1&2), pp. 67, 2000.
7. SAMHSA's National Clearing House for Drug and Alcohol information, 2000-2003.
8. Wekesser, C., (1994), Alcoholism. San Diego: Green haven Press, Inc.,
9. Leonard, K.E., and Roberts, L.J., "The effects of alcohol on the marital interactions of aggressive and nonaggressive husbands and their wives," Journal of Abnormal Psychology, 107(4), pp. 602-615, 1998.
10. Children of Alcoholics, Department of Health and Human Service, SAMHSA, www.samha.gov.2004

Non-Fund Based Income In Indian Banking Sector: A Comparative Case Study

Priyanka Pamecha* Dr. L.N. Sharma**

*Research Scholar (Commerce) Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

** Professor (Commerce) Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.) INDIA

Abstract - It is only impossible to imagine the current society without banks, but also it was impossible to give the economy a phenomenal growth that it was visited. Banking is no more one of the pillars of the economy but, now it has become the complete foundation of it with the increases in business the banking activities have also multiplied. This has increased but also towards the society as a whole, Indian economy being multifaceted produces twists and turns for banking operations and bank convert these opportunities for their advantage. Demand and services other than that of finance is one such threat that the banks are trying to convert into opportunity of generating non-fund based income.

Introduction - The pattern of Banking business is changing phenomenally. Continuous exploration of scope in market would demand a brilliant focus on emerging opportunities and convert that opportunities into complete strength that call for the competitive strategy moreover banks have to provide a world class services to the customer to their door. Due to this type of qualities, services and facilities, income is increasing day by day. The banks have started to diversity their bank activities in to fee-based activities that earn fee rather interest.

The India banking industry has been steadily shifting away from traditional sources of revenue generating business like loans and advances to non- traditional activities that generate fee income, service charges, trading revenue, and other types of NII. Not only the banks in the private sector are making headway into diversifying their operations, the public sector banks are also in the lead in their operations in a competition. Non-interest income is a mixture of heterogeneous components that differ in terms of their relative importance. Some sources of fee income have been available to depository institutions for many years, but have recently taken on a more dominant position in the overall financial management strategies of banks. These include deposit service charges, credit card fees, and fees associated with electronic funds transfer.

Types Of Bank Income - There are two broad sources of bank income or revenues.

- (1) Fund Based Income
- (2) Non-fund Based Income.

(1) Fund Based Income - Fund based income is interest income earned by bank. On the services offered it regularly by the bank to its customers. "Banks sometimes keep their

cash in short term deposit investment such as certificates of deposits with maturities up to twelve month, saving account and money market funds.

(2) Non-fund Based Income- "Non-fund based income is earned by providing a variety of services, such as trading of securities, assisting companies to issue new equity financing securities, commissions and wealth management, Sale of lands, building, profit and loss on revaluation of asset it". Bank and Creditor income derived primarily from fees. Examples of non-interest income include deposit transactions. Fees examples of non interest income include deposit and transaction fees. Insufficient funds (NSF) fees, annual fees, monthly account service charges, inactivity fees, check and deposit slip fees etc. Institutions charge fees that provide non-interest income as a way of generating revenue and ensuring liquidity in the event of increased default rates."

Objectives Of The Study - To make comparison between non fund based income of the selected banks operating in India for the financial year 2015 - 2019.

Scope Of The Study - The ideas of non fund income in banking sector have a vast scope in other areas of various financial and non-financial institutions. These institutions can use these ideas and extend their financial product range, which can enhance their profitability. Also, when the company grows, the employees will also be benefited in term of financially as well as non-financially. Geographical Scope: The study examined data for selected commercial banks in India from the period 2015 to 2019 financial years.

Researching Literature : As in many other emerging economies, India until recently was heavily regulated with the banking sector aligned to meet social and economic

development. The institutional structure of the financial system is characterized by (a) banks, either owned by the Government, RBI or private sector (domestic or foreign) and regulated by the RBI; (b) development financial institutions and refinancing institutions, set up either by a separate statute or under Companies Act, either owned by Government, RBI, private or other development financial institutions and regulated by the RBI; and (c) non-bank financial companies (NBFCs), owned privately and regulated by the RBI. The legislative framework governing public sector banks (PSBs) was amended in 1994 to enable them to raise capital funds from the market by way of public issue of shares. The Reserve Bank of India (RBI), which urged banks to pursue non-interest income sources in its report on Trend and Progress of Banking in India, 2002-03. This report states that "the future profitability of public sector banks would depend on their ability to generate greater non-interest income and control operating expenses." "Non-interest income is becoming an increasingly important part of overall profitability." Some banks—generally the larger ones—are generating healthy amounts of income through fees and other lines of business.

Methodology Of Study - The researcher wanted to find out whether there is significant difference among the non-fund-based Income of sampled public sector and private sector banks during the study period of 2015 to 2019. So, the researcher has selected, statistical tools like, Mean, Standard Deviation and One Sampled T-Test for the testing of hypothesis.

Hypothesis Of The Study - There is no significant difference in Average Non-fund Based Income of Public Sector Bank.

Table 1: Average Non Fund Based Income of Public Sector Banks

Sr.	Name of Bank	No. of Year	Mean
1	STATE BANK OF INDIA	5	334515527.40
2	BANK OF INDIA	5	50977065.00
3	PUNJAB NATIONAL BANK	5	75954814.40
4	BANK OF BARODA	5	57814123.40
5	CANARA BANK	5	60995373.80
	Total 5	25	116051380.80

The above table indicates the mean score of Non-fund Based Income of Public Sector Banks. Non-fund Based Income starts from year 2015 to 2019. First highest Mean 334515527.40, second is 75954814.40 third is 60995373.80, and fourth is 57814123.40 respectively State Bank of India, Punjab National Bank, Canara Bank, and Bank of Baroda. So, there is a significant mean difference in average Non-fund Based Income of Public Sector Banks.

Table 2 : One-Sample t Test Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Non fund based income	5	116051380.8000	122466042.86478	54768479.35621

The above table indicates the descriptive statistics. There are 5 observation year of 5 public sector banks, with mean score of 116051380.8000, standard deviation 122466042.86478 and standard error mean score is 54768479.35621.

Table 3 (see in next page)

The above table represents the t-test results. T value is 2.119 is lower than the tabulated value 2.776 with 4 degree of freedom. Mean difference is 116051380.8 and two tailed significant is 0.101 difference upper value is 268113057.2277 and lower value is -36010295.6277 at the 5% level of significance. Therefore null hypothesis is accepted that there is a no significant difference in Average Non-fund Based Income of public sector banks.

Findings and Conclusion- The researcher has found that the calculated value of F (between column various profitability ratios) (47.848) was greater than the table value (2.87) of F at 5% level of significance that means the null hypothesis was rejected. State Bank of India is the largest bank in India with 334515527.40 average Non-Fund based income. Incase of public sector banks the Non-Fund Based Income in some of them are increasing and some of them having a mix trend for year by year. T value is 4.939 with 24 degree of freedom. Mean difference is 116051380.800 the 5% level of significance. By applying one sampled t-test for Average Non-Fund based income of Public Sector banks. The researcher has calculated T value is 2.119 with 4 degree of freedom. Mean difference is 116051380.8 and two tailed significant is 0.101 difference at the 5% level of significance. There is no significant mean difference. Therefore null hypothesis is accepted.

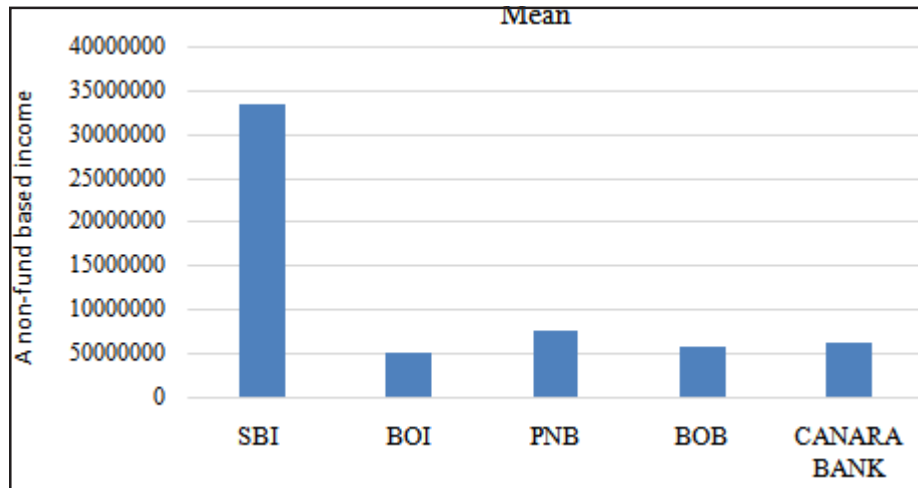
References:-

1. Ahluvaliya Monetk. S, "Economic Reforms in India Since 1991 has Gradualism Worked", Journal of Economic perspective (16) 3 ; pp. 67-68.
2. Rao Ramchandra. " Present Day Banking in India", 1st Edition, pp. 88.
3. Seth Neha, "Banking Reforms in India : Problems and Prospectus", url: Http://ssrn.com/abstract, 15 May 2010.
4. Kaptan S.S., "Indian Banking in the electronic era" published by Sarop & sons, New Delhi, 2003, Page 2.
5. www.banktheories.com>2015/03
6. Prabhavathi K. Dr. Dinesh GP, " International Journal of Scientific & Engineering research Volume 9, Issue 8 August 2018, ISSN 2229-5518, Page 145
7. Desai, Vasant, "Indian Financial System", Himalaya Publishing house, 2005, Page 162.

Table 3 : One-Sample t Test

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Non fundbased income	2.119	4	.101	116051380.8	-36010295.6277	268113057.2277

Graph 1



Effect of Certain Plant Oils Against Larvae of Lesser Grain Borer *Rhizopertha dominica* (Fab.)

Leena Shrivastava *

*Department of Entomology, Government College, Kota (Raj.) INDIA

Introduction - The loss of food grains during storage due to insect pest is a serious problem. In ancient times, oils were used to protect stored grains from insect attack, because they are safe and economical to use and fit well in integrated pest management schemes. But very few attempts have been made to assess the toxicity of mustard oil and neem oil against larvae of stored grain pests under laboratory conditions. In the present investigation attempt has been made to assess the toxicity of mustard and neem oils to newly hatched larvae of *Rhizopertha dominica* (Fab.).

Materials and Methods - Newly hatched larvae (0-24 hrs old) obtained from the laboratory cultures were used. For the preparation of insecticidal films, Whatman No. 40 filter paper were sprayed with different dosages of plant oils. After determining the toxicity range by preliminary experiments, five dosages of each of the plant oils were used. Three replications were maintained for each of the dosages of both plant oils. A control (no treatment) was also kept in each case.

The films were dried under an electric fan for about 5 minutes and a cylindrical tube of treated filter was prepared. Twenty newly hatched larvae were released in each cylindrical tube. Then these tubes with larvae were kept in $31 \pm 2^\circ\text{C}$ temperature and $70 \pm 5\%$ relative humidity.

Mortality counts were taken 24 hours after treatment. The larvae were examined individually by naked eye and also under binocular microscope where necessary. Moribund insects were also dead. The mortality data were then subjected to probit analysis (Finney 1952) and the analysed data are presented in table – 1.

Results and Discussions - It had been seen from table – 1 that neem oil showed the higher toxicity at LD_{50} (0.0959) mustard oil proved less toxic at LD_{50} (1.0040). Neem oil is considered as very safe source of insecticide against this serious pest *Rhizopertha dominica* (Fab.). In the present investigation the neem oil was found more toxic than mustard oil. These findings are in similar to the results of Devi and Gupta (1995) and Chandel et. al. (1996), who reported that neem cake powder was superior to mustard cake powder on larval emergence and affected higher

mortality of larvae against *Heterodera cajani* Verma et. al. (1983) have reported that the adults emergence of rice weevil was lowest with neem oil in comparison to mustard oil.

Table – 1 (See in next page)

Table – 2 (See in next page)

Graph 1 & 2 (See in last page)

Ahmed et. al. (1999) observed that neem oil completely inhibited adult emergence and appeared to be most promising seed protectant against pulse beetle. The present investigation is also in agreement with the results of Verma et. al and Ahmed et. al.

Chandel et. al. (1996) Studied that neem cake gave the higher mortality of larvae of *B. coriaca*. The results of present findings fit in well with the results of Chandel et. al. Where neem seed oil was found more toxic against larvae of *Rhizopertha dominica* (Fab.).

Summary - Mustard (*Brassica campestris*) seed oil and neem (*Azadirachta indica*) seed oil were tested as protectants of wheat seed against *Rhizopertha dominica* (Fab.). In the present work undertaken *Azadirachta indica* seed oil was found as more toxic giving LD_{50} (0.0959) on the larvae of *Rhizopertha dominica* (Fab.) and *Brassica campestris* seed oil was found less toxic giving LD_{50} (1.0040) on the larvae of *Rhizopertha dominica* (Fab.).

Acknowledgements - The author is thankful to the Dr. C.D. Khandekar and Dr. S. Shrivastava prof. of Entomology Department of Entomology, Government College Kota for providing the necessary facilities.

References:-

1. Abbott, W.S. 1925. A method of computing the effectiveness of insecticides *J. Econ. Ent.* 18 : 265 – 270.
2. Ahmed, K.S. ; Itino, T. and Ichikawa, T. 1999. Effects of plant oils on oviposition preference and larval survivorship of *Callosobruchus chinensis* (Coleoptera : Bruchidae) on azukibean. *Appl. Ent. Zool.* 34 (4) : 547-550.
3. Chandel, R.S ; Chander, R. and Verma, T.D. 1996. Evaluation of insecticidal properties of some oil cakes

- against *Brahmina coriacea* (Hope) white grubs. *Crop. Res. Hisar*. 11 (3) : 391-393.
4. Devi Sobita and Gupta P. 1995. Larval emergence from egg sacs of *Heterodera cajan* in extracts of cakes in various media and their effect on cowpea. *Ind. J. Nemat.* 25 (2) : 190-93.
 5. Finney, D.J. 1952. Probit analysis. The combridge University Press London 318 pp.
 6. Verma, S.P. ; Singh, B. and Singh, Y.P. 1983. Studies on the comparative efficacy of certain protectants against *sitotroga cerealella* (oliver) *Bull : Grain Trech.* 21 (1) : 37-42.

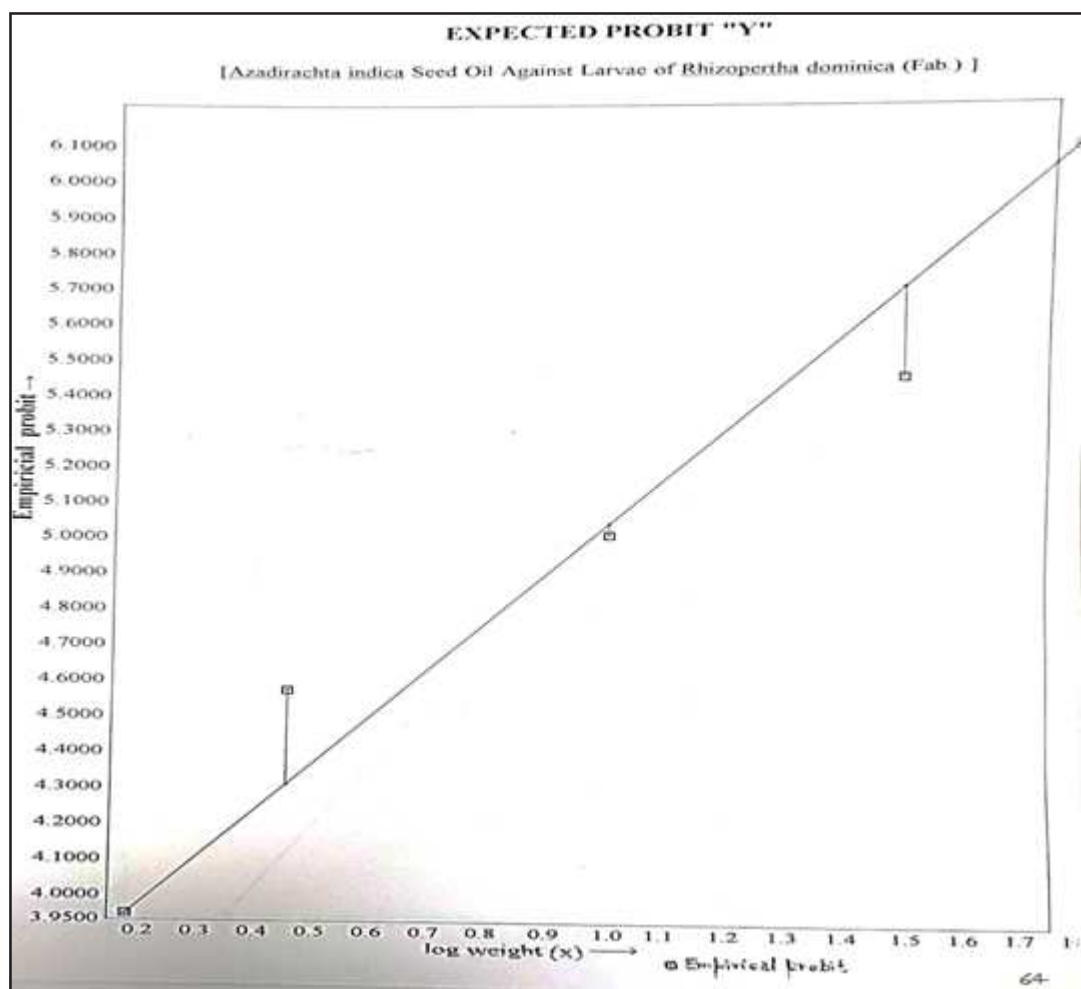
Table – 1: Preparation of Various Dosages of Plant Powders Against Larvae of *Rhizopertha dominica* (Fab.)

S.	Name of Plant Oils	Final Ranges of Dosages (By Volume (ml))				
		I	II	III	IV	V
1.	<i>Azadirachta indica</i> seed oil	02.20	01.00	00.90	00.54	00.30
2.	<i>Brassica campestris</i> seed oil	01.00	00.70	00.40	00.30	00.20

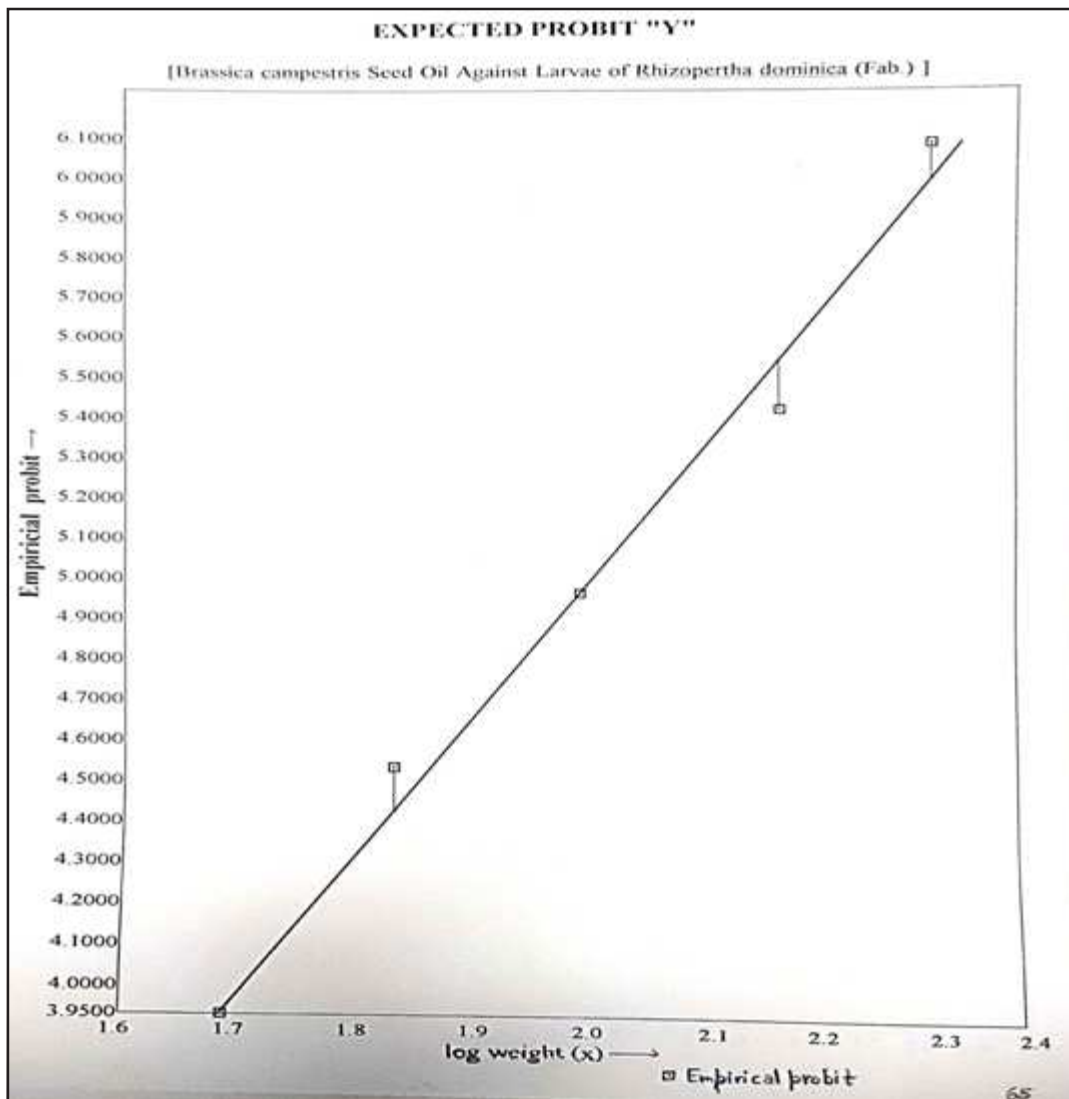
Table – 2: Toxicity of Plant Oils Against Larvae of *Rhizopertha dominica* (Fab.)

S.	Name of Plant Oil	Scientific Name	Part Used	Heterogeneity	Regression Equation	LD ₅₀	S _m
1	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Seed oil	3.2177	$Y = 1.1516x + 2.7173$	0.0959	4.3497
2.	Mustard	<i>Brassica compestris</i>	Seed oil	3.2912	$Y = 3.3129x - 4.9439$	1.0040	1.5373

Graph 1



Graph 2



Role of Information and Communication Technology (ICT) in The Biodiversity Conservation

Dr. Jolly Garg* Anant Kumar Garg**

* Associate Professor and Head (Botany) D. A. K. P. G. College, Moradabad (U.P.) INDIA

** Environmentalist, Samajik Vaikariki Sansthaan, Moradabad (U.P.) INDIA

Keywords - World Wide Web (WWW) Mobile, Media, Biodiversity conservation, Modern Information and Communication Technology (ICT).

Introduction - It is widely accepted that biodiversity loss is happening globally. Its nature and causes need far better public understanding and learning in order for it to be stopped. This study revealed the plenty of educational uses of traditional approach and modern Information and Communication Technology in biodiversity conservation. This paper is an effort to establish a link between biodiversity conservation and Information technology. This paper is mainly focusing on the two main issues i.e. first one is Traditional knowledge and second issue is Innovative knowledge in biodiversity conservation.

Information and Communication Technology may defined as 'the study, design, development, implementation, support or management of computer based information systems, particularly software applications and computer hardware. IT deals with the use of electronic computers and computer software to convert, store, protect, process, transmit, and securely retrieve information'. When computer and communication technologies are combined, the result is information technology, or "InfoTech". Information technology is a general term that describes any technology that helps to produce, manipulate, store, communicate, and/or disseminate information. Presumably, when speaking of Information Technology (IT) as a whole, it is noted that the use of computers and information are associated.

Biodiversity is the vast array of all the species of plants, animals, insects and the micro-organism inhabiting the earth either in the aquatic, aerial and the terrestrial habitats. The human civilization depends directly or indirectly upon this biodiversity for their very basic needs of survival food, fodder, fuel, fiber, fertilizer, timber, liquor, rubber, leather, medicines and several other raw materials. This biodiversity is the condition for the long term sustainability of the environment, continuity of life on earth and the maintenance of its integrity. 'Biological diversity' means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and

the ecological complexes of which they are a part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems. Biological diversity is crucial to the maintenance of ecosystems and organisms generally as well as providing essential services for human survival and flourishing. Biodiversity fundamentally multidimensional concept and cannot be reduced sensibly to a single indicator, such as species richness: to suppose that conserving overall biodiversity simply means conserving a population of every species. Biodiversity is also essential for the maintenance of Global Ecosystem i.e. for the maintenance of Hydrological Cycles, Bio-geochemical cycles and Oxygen –Carbon dioxide cycle. This biodiversity is the condition for the long term sustainability of the environment, continuity of life on earth and the maintenance of its integrity. The United Nations Development Programme's definition of capacity building: 'a process that supports the initial stages of building or creating capacities and assumes that there are no existing capacities to start from'. It thus follows that "capacity building can be threefold, as it is individual, organisational and systemic. It further accounts for developing technical and scientific knowledge and their relevant competencies."

REVIEW OF LITERATURE : The most unique feature of Earth is the existence of life, and the most extraordinary feature of life is its diversity. Approximately 9 million types of plants, animals, protists and fungi inhabit the Earth. So, too, do 7 billion people. Two decades ago, at the first Earth Summit, the vast majority of the world nations declared that human actions were dismantling the Earth's ecosystems, eliminating genes, species and biological traits at an alarming rate. This observation led to the question of how such loss of biological diversity will alter the functioning of ecosystems and their ability to provide society with the goods and services needed to prosper.

Balance exists between ecological processes and human activities such that human activities reinforce ecological health and vice-versa. The people who are dependent on the ecosystem have a key role in setting priorities and in project implementation. There is a need of

holistic understanding of the relationship between the environment and the development processes taking place in the world. It has become the need of the hour to expand and evolve approaches to twenty-first century to biodiversity and forest conservation and to strictly follow the 'Global-environmental ecosystem approach' implementation' (Garg, 2017, 2018 a, 2018 b, 2020 a, 2020 b).

Modern mobile technology can be used also in nature to give young and adult people an understanding of biodiversity and we should make the use of technology to save the biodiversity to circulate the traditional knowledge among the people i.e. environmental ethics and simple maps where observations can be charted via Mobile computing. It is appreciable to implement GIS and modern mobile phones with digital cameras in promoting biodiversity education. The impact of information technology and its role in environmental and ecological sustainability, under the title of communications and green information technology, is an important issue in ICT management which has been given special attention in recent years. In this category, the role of information technology in reducing environmental pollution, including the reduction of pollution is considered very important and positive. According to the latest reports from the World Telecommunication Union, reducing energy waste and increasing productivity using telecommunication technologies is a good way to reduce carbon dioxide emissions (Roza and Mohsen, 2021).

Results - A more presently-oriented innovative approach is use of the WAP Browser technology as part of Mobile phones. Technology has improved so rapidly that mobile phones today facilitate the integration of small WAP Browsers. In 2-5 years this will be much more efficient and applicable anywhere. This could become an interesting area for future 'public biodiversity monitoring' (for instance: monitoring of biodiversity). Many educational networks or nature-oriented networks exist (as part of the formal or informal education sector for youth and adults) which relate their activities to 'Biodiversity' in one way or the other. These networks should become more aware about 'Biodiversity' as a topic. Some networks are linked to biodiversity and nature and impart clearly scientifically driven knowledge. Some examples include: -Nature Gate and Jouko Rikkinen's Virtual Flora, both at University of Helsinki; Young Reporters for the Environment www.youngreporters.org/; ENO www.joensuu.fi/eno/; The GLOBE Network www.globe.gov/; The regional event-observations presented by Naturdetektive; www.naturdetektive.de/2006/dyn/1876.php; The European SchoolNet www.eun.org; <http://www.pwrc.usgs.gov/blitz/>; Global environmental Unit A WAP Browser. Global Internet System (GIS) is a practical tool, and is becoming very important also in Biodiversity Education and we cannot ignore the potential importance for biodiversity education. With respect to WAP technology, I can mention the interesting development of Artportalen in Sweden <http://artportalen.se/default.asp> on mapping, and

the work of ETI biodiversity centre <http://www.eti.uva.nl/> on species identification with WAP technology in mobile phones. From this perspective, environmental knowledge as well as offering opportunities for value building by traditional and innovative methods and nature experience need to be integrated into a wider framework of development of eco-friendly orientation of a human beings and decision-making in real world situations.

Discussion - This study is essential in view of accelerating biological and cultural landscape degradation, a better understanding of interactions between landscapes and the cultural forces driving them is essential for their sustainable management. Educational uses of Information and Communication Technology (ICT) has its own importance and cannot be neglected as it is the part and parcel of the lives of human beings. Modern economy is dependent on innovations, and schools colleges as part of societies ought to use and promote innovations, whenever it is also educationally valuable. The Internet, World Wide Web (WWW) and Global Internet System (GIS) are examples of such innovations, and have plenty to offer to Biodiversity Education to conserve, monitor and promote biodiversity. For this an equilibrium is to be established among Formal education, inspirational education, Fearless education, penology. The overall purpose of environmental education is to develop a person in order to follow, inspire others to follow, influence others to follow and prevent others from violating the law designed for protection of our environment. At all environmental literacy should be ensured to all human beings for their active participation in day to day happening, scientific developments and its consequences, formation of environmental law etc. In order to make each of us accountable for present growth of human beings. Development at the cost of environment can take place only upto a point. The Environmental Ethics are the links of Traditional knowledge from our fore-fathers/ancestors to the present generation. The Environmental Ethics refers to the issues, principles and guidelines relating to the human interactions with their environment. Environment has to be set right by the people and has to be for the people (Garg 2017). Conservation Principles are the Main Source of traditional Knowledge in Ancient Texts. Ancient texts make explicit references as to how forests and other natural resources are to be treated. Sustainability in different forms has been an issue of development of thought since ancient times. For example, environmental principles were designed in order to comprehend whether or not the intricate web of nature is sustaining itself. These principles roughly correspond with modern understanding of conservation, utilization, and regeneration of environmental elements. But these are traditional, old-fashioned approaches and an ordinary people should get the knowledge from the source with which he or she is familiar or used to. Currently, most educational interventions regarding biodiversity aim at enhancing ecological knowledge and fostering appreciation

of biodiversity e.g. by means of nature experience. There are numerous examples of medicinal plant cultivation by local people in India. Socio-culturally valued species find place in home gardens and courtyards. For example Similarly, in spite of the modernization, traditional ecological ethos continue to survive in many other local societies, although often in reduced forms. We need environmental and cultural revolution, aiming at the reconciliation of human society with nature). There are many possibilities of integration of science and ethno- science. Traditional knowledge in the form of values may indeed complement scientific knowledge by providing practical experience in living within ecosystems and responding to ecosystem change. The language of traditional ecological is different from the scientific and generally includes metaphorical imagery and spiritual expression, signifying differences in context, motive, and conceptual underpinnings.

In the Twenty First century humankind is claiming for Environmental Biotechnology and the Ecogenomics. Ecogenomics is the application of molecular techniques to ecological and environmental science. It defines the biodiversity at the D.N.A. level (genetical) and uses this knowledge to quantify the functions and interactions of organisms at an ecosystem level and relate these to ecological and evolutionary processes. Biotechnology also has a role to play in environmental management and aims at improved production technology with minimum wastes; waste recycling; development of bio-resources; conservation of biodiversity; micro-organismic manipulation of pollutants; reclamation of contaminated habitats; development of environmental friendly techniques; discovery of non-conventional alternative sources of energy; maximum use of alternative non-conventional sources of energy i.e., wind power, solar energy etc. Research reveals that there are several areas which require the attention of planners and programme implementers. The Biosphere of the living Earth is composed of the To maintain the sustainability of biodiversity on the planet earth. Collective wisdom of humanity for conservation of biodiversity, embodied both in formal science as well as use of information and communication and local systems of knowledge, therefore, is the key to pursue our progress towards sustainability. Thus, capacity building is the start of a process, that through training and incremental construction of skills, knowledge and abilities, prepares an individual or an organization to better and more consistently deliver a particular task. Use of Information and Communication Technology is essential and subordinate in the process through which individuals, organizations and societies obtain, strengthen and maintain the capabilities to set and achieve objectives over time.

Conclusion - This study is essential in view of accelerating biological and cultural landscape degradation, a better understanding of interactions between landscapes and the

cultural forces driving them is essential for their sustainable management. The variety of life at every hierarchical level and spatial scale of biological organizations: genes within populations, populations within species, species within communities, communities within landscapes, landscapes within biomes, and biomes within the biosphere In the future, it may be that biodiversity can be also be maintained and even promoted if the public learns the best theories and practices (Traditional and Innovative Practices) of what to do and what not to do. Here capacity is about growth, growth of the individual in knowledge, skills and experience in the conservation of biodiversity and environment. Information and Communication (ICT) system along with its components is able to creates knowledge for protecting, monitoring and promoting biodiversity. The topic is fairly broad and has many facets. This is a difficult task in real life. Undoubtedly young and adult people should have a vision and mission for biodiversity conservation. Biodiversity 'needs a face' and 'biodiversity conservation is a national mission'. If we include Internet, World Wide Web (WWW) along with other media such as Television, radio, periodicals and newspapers, will have practically connected the whole of humankind. The whole of humankind can learn to conserve and promote biodiversity, policy decisions based on research findings are rooted in ground reality and therefore have the capacity to bring about tangible improvement in the situation.

References:-

1. Garg, J. 2017. Environmental Ethics : in perspective of Biodiversity Conservation and human welfare. The J. Meerut Univ. History Alumni.Vol.29.15 .2017. pp. 126- 131.
2. Garg J. 2018a. Some traditional and innovative approaches for biodiversity conservstion. Int J Agriculture Sci. 10(12): 6501-3. Available from: https://www.researchgate.net/publication/331368680_Traditional_and_Innovative_Approaches_In_Perspective_of_Biodiversity_Conservation.
3. Garg, J. 2018 b. Traditional and innovative approaches : in perspective of Biodiversity Conservation. Journal of National Development Volume 31, No.1 (Summer), 2018 pp. 1-10.
4. Garg, J. 2020 a Role of Environmental Ethics in the conservation of forests. Int. Jour. of Pharma and Bio-sciences 2020, pp. 29- 34.
5. Garg, J. 2020 b. Biodiversity Conservation and 42nd amendment in the Constitution of India: In the Perspective of 21st Century. Journal of National Development Vol. 33. Number 1(Summer). 2020, pp. 26 – 35.
6. Roza Dastres, Mohsen Soori. 2021 The Role of Information and Communication Technology (ICT) in Environmental Protection. International Journal of Tomography and Simulation, CESER Publications,. hal-03359776.

वागड़ की संस्कृति और लोकाचार के संदर्भ में भीलों के मेले और हाट बाजार

जयदीप सिंह राठौड़ * डॉ. नरेन्द्र सिंह राणावत **

* शोधार्थी (इतिहास) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** सहायक आचार्य (इतिहास) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – अखिल विश्व में अपनी अनूठी लोक संस्कृति व गीत संगीत के लिए पहचान स्थापित करने वाली वीर प्रसविनी धरा राजस्थान के दक्षिणांचल में मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर स्थित वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिला सदैव से अपनी मनमौजी परंपराओं सांस्कृतिक धार्मिक मेलों एवं हाट बाजारों के कारण देश प्रदेश में ख्यात रहा है। अखिल विश्व में अपनी अनूठी लोक संस्कृति व गीत संगीत के लिए पहचान स्थापित करने वाली वीर प्रसविनी धरा राजस्थान के दक्षिणांचल में मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर स्थित वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिला सदैव से अपनी मनमौजी परंपराओं सांस्कृतिक धार्मिक मेलों एवं हाट बाजारों के कारण देश प्रदेश में ख्यात रहा है।

घोटिया आम्बा मेला – यह स्थान बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 30 कि.मी दूर बांसवाड़ा दाहोद मार्ग पर स्थित है। घोटिया आम्बा मेला बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला है, जो प्रतिवर्ष चैत्र बदी अमावस्या से दूज तक भरता है। इस मेले में वागड़ क्षेत्र के अलावा गुजरात, मध्यप्रदेश से भी बड़ी संख्या में मेलार्थी आते हैं।

इस मेले की ऐतिहासिकता इस बात से है कि यह महाभारत कालीन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। प्रचलित किंवदंतियों एवं जनश्रुतियों के अनुसार यहां पांडवों ने कुछ समय अज्ञातवास में बिताया था। इस दौरान पाण्डवों ने श्रीकृष्ण की सहायता से 88 हजार ऋषियों को केले के पत्तों पर आमरस व चावल का भोजन कराया था। यहाँ पर वर्तमान में अनेक आम एवं केले के वृक्ष देखने को मिलते हैं, जिनका सम्बन्ध उपर्युक्त घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। चूंकि यह स्थल धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए भीलों की इस स्थान के प्रति विशेष रूचि देखने को मिलती है। यहाँ समीप ही घोटेश्वर महादेव का मंदिर है जिसकी पूजा-अर्चना हेतु प्रतिदिन भीलों का समागम देखने को मिलता है।

बेणेश्वर मेला – बेणेश्वर मेले को वागड़ के आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ मास में मेला भरता है। एकादशी से प्रारंभ होने वाला यह मेला पूर्णिमा तक अपने पूर्ण यौवन में होता है। इस मेले में वागड़ के ही नहीं अपितु मध्यप्रदेश एवं गुजरात से भी हजारों की संख्या में मेलार्थी आते हैं। बेणेश्वर तीन नदियों का संगम स्थल सोम, माही, एवं जाखम पर स्थित है।

यह मेला स्थल उदयपुर, बांसवाड़ा मार्ग पर 125 कि.मी. दूरी पर स्थित साबला गाँव से यह स्थान 10 कि.मी. दूर जंगल के बीच स्थित है। इस

स्थान पर बेण नामक वृक्षों की प्रधानता थी, एवं प्राचीन शिवलिंग स्थित है। जिस कारण इस स्थान का नाम बेणेश्वर पड़ा। नदियों के संगम का 'बेण' कहा जाता है। यह मेला डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों की सीमा पर भरता है। रंग-बिरंगे लिबास में भीलों को मनोरंजन करते हुए देखा जा सकता है, वागड़ के भील त्रिवेणी संगम पर अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं, उनका ऐसा मत है कि यह त्रिवेणी संगम प्रयाग के त्रिवेणी संगम की भांति महत्व रखता है। भील यहाँ पर पूजा-अर्चना, धूप कर पितृ ऋण के मुक्त होने के लिए 'कावटा' (मृत्युभोज) करते हैं जो कोओं एवं भुखे गरीबों को खिलाकर, स्वयं ग्रहण करते हैं।

कल्लाजी का मेला – यह मेला बांसवाड़ा के गोपीनाथ का गढ़ा गाँव में आयोजित किया जाता है। जिसमें 10 से 15 हजार मेलार्थी सम्मिलित होते हैं। इस मेले की विशेषता यह है कि यह मेला कल्लाजी राठौड़ को समर्पित है। जिसमें कल्लाजी के भक्तों का तांता लगा रहता है। मेला स्थल के आस-पास अनेक कल्लाजी के मंदिर बने हुए हैं जिसमें कल्लाजी को मानने वाले असंख्य भक्त मौजूद होते हैं। मेले में कल्लाजी की बीड़ी (कड़ा का एक रूप) विशेष उल्लेखनीय है। मेलार्थियों का मानना है कि इसे धारण करने से बुरी आत्मायें दूर रहती हैं। मेले में सर्प, बिच्छु एवं जंगली छिपकली के विष को उतारने की विभिन्न जड़ी-बूटियाँ भी मिलती हैं। जिन्हें सुधाजन अपने साथ खरीदकर घर ले जाते हैं।

देवझूलनी का मेला – इस मेले में बांसवाड़ा शहर के सभी मन्दिरों से शोभा यात्रा शहर के मुख्यमार्गों से निकलकर राजतालाब एकत्रित होते हैं। यहाँ देव झूलनी का विशाल मेला लगता है। इस मेले में हजारों की संख्या में समस्त वर्गों के लोग आते हैं। जहाँ पर सभी लोग विभिन्न झांकियों के दर्शन करते हैं, उसके पश्चात् कुछ खरीद-फरोखत कर घर हेतु वापसी करते हैं। बांसवाड़ा शहर में मेला लगने के कारण यहाँ व्यापारियों को अधिक लाभ होता है।

मानगढ़ धाम का मेला – यह मेला प्रतिवर्ष माघशीर्ष 14 को बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 75 कि.मी. दूर आनंदपुरी तहसील से 7 कि.मी. दूर, राजस्थान एवं गुजरात की सीमा के मध्य स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर लगता है। जिसमें राजस्थान, गुजरात व मध्यप्रदेश के लोग आते हैं। जिसमें सभी वर्ग के लोगों के देखा जा सकता है। यह मेला रात्रि को भरता है। रात भर विभिन्न गोष्ठियों का आयोजन होता है। कई शोधार्थी भी इस मेले में हिस्सा लेते हैं। इसके अतिरिक्त मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इस मेले में भील व्यवसायी अपनी दुकान लगाते हैं जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा होता

है। मेले की मुख्य विशेषता यह है कि यह मेला गोविन्द गुरु को समर्पित होता है। जिसमें गुरु द्वारा भीलों को दी गई शिक्षा को अपनाने पर बल दिया जाता है।

विजवामाता का मेला – यह मेला डूंगरपुर की आसपुर तहसील में लगता है। जो एकदिवसीय होता है। जिसमें बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूबर से स्थानीय मेलार्थी हजारों की संख्या में मेले का आनन्द उठाने आते हैं यह मेला विजवा माता को समर्पित है। मेले की मुख्य विशेषता इस बात में देखने को मिलती है कि यहां शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति जो लूला-लंगड़ा हो गया है उसको लाया जाता है मेलार्थियों एवं भक्तों की मान्यता के अनुसार माता की कृपा से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है। इस मेले में भील व्यापारी सागवान एवं अन्य सूखी लकड़ी से बनी उपयोगी वस्तुओं को बेचने हेतु आते हैं और अच्छा मुनाफा कमाकर खुशी-खुशी घर जाते हैं।

गोपेश्वर का मेला – यह मेला बाँसवाड़ा जिले के घाटोल में भरता है। इस मेले में हजारों की तादाद में भीलों को देखा जा सकता है। इस मेले में बाँसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ के मेलार्थी आते हैं। तीनों जिलों से आने वाले मेलार्थियों की वजह से मेले का चित्रण सांस्कृतिक त्रिवेणी संगम की भांति प्रतीत होता है क्योंकि विभिन्न वेशभूषा और बोली के चलते मेले का आकर्षण स्वतः ही बढ़ जाता है।

देव सोमनाथ का मेला – यह मेला डूंगरपुर जिले में सोमनदी के किनारे भरता है। यहाँ पर स्थित प्राचीन शिवमंदिर है। जो 12 वीं सदी में निर्मित है। इस मंदिर को सफेद पत्थरों से तराशा गया है। जो कि सोमपुरा जाति के कलाकारों की उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रतीक है। इस मेले में डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, खैरवाड़ा एवं उदयपुर के स्थानीय भील विशेष रूप से हिस्सा लेते हैं। कई मेलार्थी सोमनदी में स्नान कर, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं तत्पश्चात् मंदिर परिसर में उपस्थित गरीबों को दान-दक्षिणा प्रदान करते हैं। मेले में संगमरमर से निर्मित विभिन्न उपयोगी वस्तुओं की खरीद-फरोख्त होती है।

हाट बाजार – हाट बाजारों का भील समाज की दिनचर्या में विशेष योगदान है। ये बाजार प्रायः साप्ताहिक लगते हैं, इनके आयोजनों के पीछे मंशा व्यापार करना धानोपार्जन करना एवं साग-सब्जी, को सीमित स्तर पर बिक्री करना है। हाट बाजारों की एक विशेषता यह देखने को मिलती है कि ये किसी निश्चित स्थान पर नहीं लगते, ये बाजार प्रायः सड़कों के किनारे या फिर खाली स्थान पर लगते हैं। यद्यपि खाली स्थान पर निर्माण कार्य हो चुका हो तो ऐसी स्थितियों में बाजार को समीप ही अन्य खाली स्थान की खोज करनी होती है, ताकि हाट लग सके। वागड़ के प्रमुख हाट बाजार निम्नलिखित हैं –

अरथूना हाट बाजार – यह हाट बाजार प्रत्येक शनिवार को बाँसवाड़ा जिले के अरथूना गाँव में लगता है। जिसमें स्थानीय लोग दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की खरीद-फरोक्त करने आते हैं। शनिवार का दिन होने के कारण इस बाजार में विशेष भीड़ रहती है, चूंकि इस दिन स्थानीय लोग अरथूनिया हनुमान को पूजते हैं, इस दिन जमकर खरीददारी एवं बिक्री होती है। बाजार एक दिवसीय लगता है। शाम होते-होते बाजार सिमटने लगता है।

कलिंजरा का हाट बाजार – यह हाट बाजार बागीदौरा तहसील से 8-10 कि.मी. की दूरी पर लगता है। जो प्रत्येक शुक्रवार को लगता है। स्थानीय ग्रामीण यहाँ पर खरीददारी करने हेतु आते हैं। यह हाट बाजार राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पर लगता है जिस कारण इसके आयोजन स्थल पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। यह हाट बाजार बाँसवाड़ा एवं कुशलगढ़ के बीच में लगता

है जिसका इंतजार प्रत्येक वागड़वासी को होता है, हाट बाजार का आनन्द लेने हेतु बाँसवाड़ा एवं कुशलगढ़ के बीच यात्रा करने वाले यात्री भी इसमें हिस्सा लेने हेतु बस से उतर जाते हैं। शाम होते-होते बाजार भी सिमटने लगता है उसके पश्चात सभी खरीददार, खरीददारी करके अपने घरों को खाना हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगने के कारण इस हाट बाजार में धान की आवक लाखों रूपयों में होती है।

बाँसवाड़ा का हाट बाजार – यह हाट बाजार बाँसवाड़ा जिला मुख्यालय के समीप ही बाँसवाड़ा रतलाम मार्ग पर प्रत्येक सोमवार को सड़क के किनारे लगता है। जिसमें बाँसवाड़ा, रतलाम, घाटोल, प्रतापगढ़ के लोग खरीददारी करने आते हैं। यह बाजार मुख्य सड़क के किनारे लगता है, जिस कारण भारी-भीड़ होती है।

समीप ही मदरेश्वर महादेव का मंदिर है। सोमवार के दिन हाट बाजार लगने की वजह से हाट बाजार का धार्मिक महत्व भी बढ़ जाता है। लोग खरीददारी के साथ साथ महादेव के दर्शन का भी लाभ उठाते हैं। इस स्थल की विशेषता इस बात में निहित है कि यहाँ महादेव के मंदिर के समीप ही मुस्लिम पीर की मजार भी स्थित है। यह हाट बाजार सामान्य हाट बाजार नहीं अपितु सामाजिक सौहार्द को बनाये रखने का एक सशक्त माध्यम भी है। हाट में खरीददारी के पश्चात् हाट में आने वाले प्रेमी युगल शाम होते ही समीप स्थिति कागदी पिकअप का आनन्द उठाने हेतु वहाँ पहुँच जाते हैं। धीरे-धीरे शाम होते ही सूर्य की किरणों के साथ हाट बाजार भी सिमटने लगता है।

आंबापुरा का हाट बाजार – यह हाट बाजार आंबापुरा गाँव के समीप प्रत्येक बुधवार को लगता है। जिसमें स्थानीय लोग व्यापार हेतु अपनी दुकाने लगाते हैं। इस हाट बाजार में बुधवार होने के कारण विशेष भीड़ लगी रहती है। हाट बाजार में आने वाले खरीददार भगवान गणेश की पूजा अर्चना हेतु नैवेधा, दीपक इत्यादि की खरीददारी करते हैं। इसके अतिरिक्त भी इस बाजार में घरेलू उपयोग की विभिन्न वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं।

दानपुर का हाट बाजार – यह बाजार दानपुर में प्रत्येक शनिवार को लगता है, जिसमें प्रतापगढ़, घाटोल, बाँसवाड़ा के अधिकांश लोग हिस्सा लेते हैं। शनिवार को हाट बाजार लगने के कारण इस बाजार का आध्यात्मिक महत्व भी है, यहां आने वाले लोग शनिवार का व्रत धारण करते हुए हनुमानजी की पूर्जा अर्चना करते हैं जब वे घर को खाना होते हैं ऐसे में हाट बाजार से घरेलू उपयोगी वस्तुएँ अपने साथ में ले जाते हैं। रविवार को बाँसवाड़ा का बाजार प्रायः बंद रहता है ऐसे में स्थानीय लोग इस हाट बाजार में जमकर खरीददारी करते हैं।

चिखली का हाट बाजार – यह हाट बाजार डूंगरपुर जिले के चिखली कस्बे में प्रत्येक रविवार को लगता है। इस दिन प्रातः से ही दुकानसजना शुरू हो जाती है तथा शाम होते-होते 5 बजे से बाजार सिमटना शुरू हो जाता है। इस बाजार में चिखली, कुआं, सागवाड़ा के स्थानीय निवासी खरीददारी करने आते हैं। समीप प्राचीन शिवालय स्थित है जिस कारण इस बाजार का वातावरण भक्तिमय बना रहता है।

विजवा माता का हाट बाजार – यह हाट बाजार डूंगरपुर की आसपुर तहसील में विजवामाता के मंदिर के समीप प्रत्येक रविवार को लगता है, इस दिन स्थानीय लोग बड़ी उमंग एवं मनोकामनाओं के साथ माता विजवा के दर्शन हेतु आते हैं, लोगों की मान्यता है कि विजवा माता के दर्शन मात्र से कष्ट दूर हो जाते हैं। दर्शन के उपरांत लोग हाट बाजार से खरीददारी करते हैं, यहां पर

विशेषरूप से सागवान के चारपाईयां मिलती हैं जिन्हें लोग खरीदकर अपने साथ ले जाते हैं। सागवान की चारपाई वागड़ के आदिवासियों की लोकप्रिय चारपाई है।

भगोरिया हाट – भगोरिया एक विशेष प्रकार का हाट है जो प्रत्येक गांव के समीप होली के कुछ दिन पूर्व लगता है। साधारणतया जो दिन किसी साप्ताहिक हाट के लिये होते हैं उसी दिन भगोरिया हाट भी लगता है। इस हाट के एक सप्ताह पूर्व जो हाट लगता है उसे तेवारिया हाट कहा जाता है। इस हाट में आदिवासियों के जीवन की सभी सामग्रियाँ सहज उपलब्ध हो जाती हैं। भगोरिया हाट पर होली संबंधी सभी वस्तुएँ खरीद ली जाती हैं। खरीददारी के पश्चात भील अपने-अपने घरों की ओर चल देते हैं और होली पर्व का इंतजार करते हैं।

उपसंहार – वागड़ के भीलों के जीवन में त्यौहार खुशी व मनोरंजन के मुख्य अवसर हैं मेले और हाट बाजार ऐसे मौकों पर लोग अपने नीरस जीवन से मुक्त हो उल्लास व आनन्द का अनुभव करते हैं। वागड़ क्षेत्र के भील समाज में विभिन्न मेलों और हाट बाजार का आयोजन किया जाता रहा है, भीलों का

स्वभाव आमोद-प्रमोद से युक्त है। मेले एवं हाट बाजार के अवसर पर भील बड़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भील इन मेलों में देवी-देवताओं की सेवा-पूजा और आराधना के साथ-साथ इनमें लगने वाले हाट बाजारों से दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ी वस्तुओं की पूर्ति भी करते हैं। मेले से अच्छा अवसर इनके मनोरंजन के लिए दूसरा नहीं होता। इन मेलों में ही इन्हें सभी परंपरागत आभूषण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। गोदने गुदवाने का अवसर हाथ लग जाता है। सच पूछे तो इनके मेलों में बहुरंगी संस्कृति के साक्षात, दर्शन होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दुबे श्यामचरण, मानव और संस्कृति, पृ. 208-209
2. उप्रेति हरिश्चन्द्र, भारतीय जनजातियाँ: संरचना एवं विकास, पृ. 226
3. स्व. नाथूरामजी महाराज (पूर्व महंत मानगढ़ धाम) से प्राप्त जानकारी के आधार पर।
4. दोषी शंभुलाल, व्यास नरेन्द्र एन, राजस्थान की अनुसूचित जनजातियाँ, पृ. 116

Quality Management of Drugs in the Treatment of Cancer

Dr. Aashish khimesara*

*Senior Research Scholar (Economics) Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

Introduction - Many people have contributed to many types of research work in the world, I have promoted the tradition of research and discovery. Some research work has been done to protect the health of common man and poor people through forest medicines and my patients have definitely benefited from these works. More health benefits with less expenditure has been my motto. To fulfill the vision of Hon'ble Prime Minister of Swasth Bharat and Ayushman Bharat through AYUSH therapy, I have succeeded in curing the patient from a serious disease like cancer. The causes of a dreaded disease like diabetes and easy ways to prevent it have been suggested. I have also suggested some home remedies related to diet, which have 100% benefited the patients. Ignorance of a moderate diet has been observed among the common people and I have tried to remove this ignorance through my articles and research papers. A brief chronological description of my research endeavors and concepts is as follows:

Quality Management of Drugs in the Treatment of Cancer - The use of herbal medicines for the treatment of cancer is safer in this area. Under my medical supervision, I have found that the body has a repair system. By protecting against carcinogenic elements, the oxidative state in the body has been reduced. The body's defense system can be strengthened by taking enough anti-oxidants in the body. So that DNA is not damaged. If cancer patients strengthen the repair unit with anti-oxidants, then the body will repair the damaged DNA immediately. By taking extra doses of anti-oxidants, this repair system works to its full potential. Research has found that taking beta carotene stops the growth of cancer of cervical dysplasia. Similarly, by taking carotene and vitamin C, cervical dysplasia stops growing and gradually it starts curing. Along with this, it is necessary to take minerals, manganese, zinc, selenium, copper and vitamin B which are useful in enzymatic function in the body. Forest medicines are widely practiced all over the world. Vegetarian foods are high in nutrients such as protective antioxidants, phytochemicals and micronutrients that provide health benefits and protect against diseases. Plants have medicinal roles as antioxidants, antivirals, flavonoids,

phenolics, anthocyanins and free radical scavenging molecules such as vitamins that have high antioxidant activities. With regular use of these medicines with the advice of a doctor, it is possible to get rid of cancer disease. The main herbs in this are garlic, basil, turmeric, aloe vera, saffron, neem, amla, honey etc., which are said to be anti-cancer in Charaka and Sushruta Samhitas. Coordinating all these herbal medicines under medical supervision, it has been found that by taking cancer patients for a certain time, the patient becomes cancer free.

That branch of medicine, under which the sources, formulation, properties, action and use of medicines are discussed in detail, they affect the actions of living things, they have been called medicine. The purpose of pharmacology is the study of the action of drugs on living healthy animals and the use of knowledge obtained from it in the treatment of diseases, its prevention and identification of diseases etc.

A person whose doshas, fire and metals are in equilibrium, whose stool is Prakrit, whose soul, senses and mind are happy, that person is said to be healthy. Ayurveda medicine can also be beneficial in the maintenance of mental health. Ayurveda medicine can be broadly divided into the following five departments - 1. Agnidipan therapy, 2. Strotoshodhan therapy, 3. Brihan therapy, 4. Sattvajaya therapy, 5. Symptomatic therapy.

The importance of gum in forest medicines is also not less. It is considered anti-cancer. Arabic gum is derived from the dried resin of desert trees, Comicora rasgandha and other species. Due to its anti-inflammatory and disinfectant properties, scented gum was historically used for a variety of ailments such as abdominal pain, indigestion, poor circulation, wound healing, some dermatological diseases and irregular menstruation. In the anti-cancer field, the specialty of arabic gum lies not only in how well it kills cancer cells in general, but in how it overcomes cells that have developed resistance to other anticancer drugs. It is believed to exert its action by inactivating a protein called Bcl-2, which is a natural factor and is overproduced by cancer cells, especially in breast and prostate cancer.

However, the arabic gum compound does not appear to be as potent as other anticancer drugs derived from plants such as vincristine, vinblastine, and paclitaxel. Its benefits are visible in the fact that it only damages cancer cells without harming healthy cells, which other medicines do not. Hot and liquid gum drink under my medical supervision has been very beneficial. Cooking gum in cow's ghee and after fluffing it, its use has proved beneficial in many diseases.

It is necessary to mention here that there are many products in the herbal medicines mentioned in the treatment of cancer. The country's largest producer companies manufacture tablets, capsules and syrups. The quantity to be given to the patient depends on the condition of the patient and the stage of the disease. Apart from medicine, a lifestyle has been given in Ayurveda, all the medicines of Ayurveda should be given in the non-devotee (morning and evening) period and milk containing turmeric should be given for one month.

1. Diet - Diet, being an important part of Ayurveda medicine, it should be preached in the form of a highly aliphatic, mild, dry, digestible diet. Moderate diet keeps a person healthy, balances the body Vata, Pitta and Kapha.

2. Vihara - Pranayama (Anulom-Vilom), Bhastrika, Kapalbhathi, Bhramari and physical exercises should be instructed. Along with Ayurveda, yoga has also been contemplated. Ayurveda experts believe that six months in the first stage of cancer, twelve months in the second stage and at least three years in the third stage is necessary. It would be fair to make it clear here that the modern science of investigation is associated with the system of allopathic medicine. There is no objection in using this pathy for examination for the welfare of the patient. The durability and safety of Ayurveda for treatment is authentic. I have tried to popularize 'Yoga' among patients, due to which patients feel lightness and happiness throughout the day.

Conclusion - Under pharmacology, the quantity (dose) of a drug is studied; And also the amount of drug that is required to produce the desired pharmacological effect is studied. The lowest dose of the drug, which affects the bodily system, is called the minimum dose and the maximum dose, which does not cause any harm to the body, is called the maximum dose. There is generally a correlation between drug dose and body weight; especially in situations where effective treatment is required. According to Ayurveda, the main herbs for the prevention of cancer

are Ashwagandha, Garlic, Turmeric, Neem, Saffron, Tulsi, Jowar, Coconut, Honey, Amla and Aloe Vera etc. How much and how to use these herbal medicines, ie the quantity, the doctor will determine by looking at the patient's condition and physical, mental state. According to Ayurveda, this is the option of rejuvenation. The patient can become completely healthy and move towards a better life.

References :-

1. Abari, A. A. F., Yarmohammadian, M. H., & Esteki, M. (2011). Assessment of quality of education a non-governmental university via SERVQUAL model. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 15, 2299-2304.
2. Abdullah, F. (2006). Measuring service quality in higher education: HEDPERF versus SERVPERF. *Marketing Intelligence & Planning*, 24(1), 31-47.
3. Abdullah, F. (2006) The development of HEDPERF: a new measuring instrument of service quality for the higher education sector. *International Journal of Consumer Studies*, 30(6), 569-581.
4. Barr, S., Harris, R., 1997. Incomplete education. *CFO* 13 4 , 30-39, April 1997 Bartikowski, B., & Llosa, S. (2003). Identifying satisfiers, dissatisfiers, critical and neutrals in customer satisfaction. *EUROMED Marseille*.
5. Bazhenov, R., Bazhenova, N., Khlchenko, L., & Romanoova, M. (2015). Components of education, quality monitoring: Problems and prosoeects. *Procedia-Sociat and Behavioral Scinsces*, 214, 103-111.
6. Berger, A. N., Hunter, W. C., & Timme, S. G. (1993). The efficiency of financial institutions: A review and preview of research past, present and future, *Journal of Banking & Finance*, 17(2-3), 221-249.
7. Bitner, M. J., & Hubbert, A. R. (1994). Encounter satisfaction versus overall satisfaction versus quality. *Service quality: New directions in Theory and Practice*, 34(2), 72-94.
8. Zeithaml, V.A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means- ends model and synthesis of evidence. *The Journal of Marketing*, 2-22.
9. Zareinejad, M., Javanmard, H., & Arak, I. (2013). Evaluation and selection of a third-party reverse logistics provider using ANP and IFG-MCDM methodology. *Life Science Journal*, 10(6s), 350-335.

Effect of Organic Manures and Bio Fertilizer on Growth and Total Forage Yield of Japanese Mint (*Mentha arvensis* L.)

Jaibir Tomar*

*Department Of Agronomy, Janta Vedic College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

Abstract - The study was conducted during the *rabi* season of 2020-2021 at Agricultural Research Farm, Janta Vedic college Baraut Baghpat, Chaudhary Charan Singh University Meerut Uttar Pradesh. The field trial was laid out in randomized block design with sixteen treatments T1: (Absolute Control), T2 : (100 % RDN through Farm Yard Manure), T3 : (100 % RDN through Compost Manure), T4 :(100 % RDN through Goat Manure), T5: (100 % RDN through Vermicompost), T6: (100 % RDN through Poultry Manure), T7: (50 % RDN through Farm Yard Manure + 50 % RDN through mustard Oil Cakes), T8: (50 % RDN through Compost Manure + 50 % RDN through mustard Oil Cakes), T9: (50 % RDN through Goat Manure + 50 % RDN through mustard Oil Cakes), T10: (50 % RDN through Vermicompost + 50 % RDN through mustard Oil Cakes), T11: (50 % RDN through Poultry Manure + 50 % RDN through mustard Oil Cakes), T12: (50 % RDN through Farm Yard Manure + 25 % RDN through mustard Oil Cakes + *Azotobacter chroococcum*), T13: (50 % RDN through Compost Manure + 25 % RDN through mustard Oil Cakes + *Azotobacter chroococcum*), T14: (50 % RDN through Goat Manure + 25 % RDN through mustard Oil Cakes + *Azotobacter chroococcum*), T15: (50 % RDN through Vermicompost + 25 % RDN through mustard Oil Cakes + *Azotobacter chroococcum*), T16: (50 % RDN through Poultry Manure + 25 % RDN through mustard Oil Cakes + *Azotobacter chroococcum*). Among all the treatments, the highest growth parameters i.e., plant height, number of branches, number of leaves, maximum dry matter accumulation and leaf area index were recorded in the treatment T₁₆ (Poultry manure + oil cakes + *Azotobacter*) was found significantly superior to all other treatments and at par with T₁₅ (vermicompost + oil cakes + *Azotobacter*) and T₁₄ (goat manure + oil cakes + *Azotobacter*) at 45 and 90 DAP. The Application of T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) resulted significantly higher yield (qt ha⁻¹) remained at par with T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*). The lowest yield was witnessed in control and lowest yield was noted in control.

Introduction - *Mentha* is a genus of aromatic perennial herbs belonging to the family Lamiaceae. Menthol mint (*Mentha arvensis* L.) is a cross pollinated crop. Japanese mint (*Mentha arvensis* L.) is one of the important commercial and essential oil-bearing industrial crops cultivated in Punjab. It has a minute flower and varying seed set under open pollination while poor seed under selfing. More than 200 genera are mostly distributed in temperate and sub-temperate regions of the world. Mints are aromatic perennial herbs of Lamiaceae family having quadrangular stem and leaves with essential oil present in sub cuticular glands. Japanese mint occupies more than 80% of the total area and one of the most extensively cultivated species all over the world because of its high menthol content. The above ground foliage (herb) yields essential oils on distillation containing high menthol content and the oil is bitter cooling taste harsh odour and is the main source of menthol (NHB, 2003). It contains high natural menthol as

well as other ingredients such as menthone, mint terpenes, isomenthone and methyl acetate, these are widely used in pharmaceuticals, cosmetics, food and flavour industries. Oil of mentha and its other contents are widely used in pharmaceutical, food and cosmetics industries. Menthol is added as a raw material in shaving creams, toothpowder, toothpaste, confectionary, mouth freshener, cough drops, analgesic balms, chewing gums, candies, as perfumes and also in tobacco industry. Nearly 40% of the total mentha oil is consumed by tobacco industry followed by pharmacy and then by confectionary industry.

The organic and biofertilizer is an important approach to improve the growth and soil status, but also sustained the crop yield. The extensive and injudicious use of fertilizers without knowing the negative impact on human health and soil health Iqbal *et al.* (2021). The application of organic manures and biofertilizers in lieu of chemical fertilizers could be a better technique for increasing

agricultural productivity without degrading soil health and maintaining ecological balance. Biofertilizer are assumed to have a special significance role in agriculture due to increased chemical fertilizer and its hazardous effect on soils. The long-term indiscriminate use of chemical fertilizer also depleted microbial population (soil micro flora and micro fauna) and insect in soil which ultimately reduces soil fertility making crop prone to diseases and insect attack. As we know, price of chemical fertilizer is increasing day by day so that marginal and small farmers are not being able to afford this in required amount which leads to decrease in production. Hence, biofertilizer is ultimate solution over such problem without harming human health and maintaining soil fertility and micro-organisms. It is the viable option to increase productivity/unit area for farmers.

Material and Methods: The study was conducted during the *rabi* season of 2020-2021 at Agricultural Research Farm, Janta Vedic college Baraut Baghpat, Chaudhary Charan Singh University Meerut Uttar Pradesh. The Agricultural Research Farm lies in the humid sub-tropical zone of Trans Gangetic plain at 29° 10' North latitude and 77° 26' East longitude at an altitude of 250.56 m above the mean sea level. The soil of experimental field was clayey in texture with pH (8.28), organic carbon (0.38 %), low in available nitrogen (208.6 kg ha⁻¹), medium in available phosphorous (24.6 kg ha⁻¹) and medium in available potassium (148.6 kg ha⁻¹). The field trial was laid out in randomized block design with eleven treatments T1: (Absolute Control), T2 : (100 % RDN through Farm Yard Manure), T3 : (100 % RDN through Compost Manure), T4 : (100 % RDN through Goat Manure), T5: (100 % RDN through Vermicompost), T6: (100 % RDN through Poultry Manure), T7: (50 % RDN through Farm Yard Manure + 50 % RDN through mustard Oil Cakes), T8: (50 % RDN through Compost Manure + 50 % RDN through mustard Oil Cakes), T9: (50 % RDN through Goat Manure + 50 % RDN through mustard Oil Cakes), T10: (50 % RDN through Vermicompost + 50 % RDN through mustard Oil Cakes), T11: (50 % RDN through Poultry Manure + 50 % RDN through mustard Oil Cakes), T12: (50 % RDN through Farm Yard Manure + 25 % RDN through mustard Oil Cakes + *Azotobacter chroococcum*), T13: (50 % RDN through Compost Manure + 25 % RDN through mustard Oil Cakes + *Azotobacter chroococcum*), T14: (50 % RDN through Goat Manure + 25 % RDN through mustard Oil Cakes + *Azotobacter chroococcum*), T15: (50 % RDN through Vermicompost + 25 % RDN through mustard Oil Cakes + *Azotobacter chroococcum*), T16: (50 % RDN through Poultry Manure + 25 % RDN through mustard Oil Cakes + *Azotobacter chroococcum*) in three replications. The current study on menthol mint cv. MASP-19 was conducted in Randomized Block Design with three replications. Five plants were randomly selected for taking all the physiological parameters, yield and estimated oil and menthol content and mean values were subjected to statistical scrutiny as

suggested by Panse et al. (1995).

Result and Discussion: Plant growth parameters such as plant height, number of leaves, number of branches, stem girth and canopy spread significantly influenced by various fertilizer treatments at different crop growth stages. Treatment T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) recorded significantly higher value in all growth parameters. This was possible because of the application of biofertilizer (*Azotobacter chroococcum*) which produces growth promoting substances such as auxin cytokinin and gibberellic acid (GA). These substances enhance the growth and improves microbial population, increase nutrient uptake and boost up the biological nitrogen fixation (Sartaj et. al., 2016)

The organic and biofertilizer significantly influenced the plant height at all the stages of crop growth (Table 1). The data revealed that, among different treatments T₁₆ (Poultry manure + oil cakes + *Azotobacter*) was found significantly superior to all other treatments and at par with T₁₅ (vermicompost + oil cakes + *Azotobacter*) and T₁₄ (goat manure + oil cakes + *Azotobacter*) at 45 and 90 DAP and with T₁₅ (vermicompost + oil cakes + *Azotobacter*), T₁₄ (goat manure + oil cakes + *Azotobacter*), T₁₁ (Poultry manure + oil cakes), T₁₂ (FYM + oil cakes + *Azotobacter*), T₁₀ (vermicompost + oil cakes) and T₉ (goat manure + oil cakes) at harvest. Control recorded least height at all the stages. These same results in the plant height were also reported by Mohammed (2006), Hossain and Ishimine (2007).

This was possible because of the application of biofertilizer (*Azotobacter chroococcum*) which produces growth promoting substances such as auxin cytokinin and gibberellic acid (GA). These substances enhance the growth and improves microbial population, increase nutrient uptake and boost up the biological nitrogen fixation (Sartaj et. al., 2016)

Number of leaves per plant: The mean values for number of leaves per plant at different growth stages showed the presence of significant variation in the leaves by different levels of organic and biofertilizer treatment in Japanese mint plants. The data revealed that, among different treatments T₁₆ (Poultry manure + oil cakes + *Azotobacter*) recorded significantly maximum number of leaves at 45, 90 DAP and harvest and found at par with T₁₅ (vermicompost + oil cakes + *Azotobacter*), T₁₄ (goat manure + oil cakes + *Azotobacter*), T₁₁ (PM + OC) and T₁₂ (FYM + OC + *Azotobacter*) at 45 DAP and harvest and with T₁₅ (vermicompost + oil cakes + *Azotobacter*) and T₁₄ (goat manure + oil cakes + *Azotobacter*) at 90 DAP. Control recorded lowest at all growth stages. These favorable conditions could have increased the nutrient availability and the water holding capacity of the soil resulting in enhanced growth and yield whereas, due to fertilizers the number of leaves increased as per the findings of Mohammed (2006).

Among all treatments, T₁₆ (Poultry manure + oil cakes + *Azotobacter*) recorded significantly maximum number of

branches plant⁻¹ being superior to rest of all treatments at 45 DAP and harvest. However, it found at par with T₁₅ (vermicompost + oil cakes + *Azotobacter*) at 90 DAP and lowest number of branches were recorded in control at all growth stages. These results are corroborated with research findings of Bajeli *et al.* (2016) and Mohammed (2006) also found similar result in his research.

Dry weight per plant: It is evident from the data presented in table 2 which depicted that dry weight has some notable variations due to organic and biofertilizer treatments. The organic and biofertilizer treatments shows significant effect at all growth stages as influenced by different treatments. The significantly higher dry matter accumulation was recorded in T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) at 45, 90 DAP and harvest stages of crop and found at par with T₁₄ (GM + OC + *Azotobacter*) at 45 DAP and similar results was obtained at 90 DAP. The lowest dry matter accumulation was noticed in control. The findings of researcher El- Nagger *et al.* (2015) on *Ocimum basillicum* was found contradictory with the findings of this studies on *Mentha arvensis*

Table 1 (see in next page)

SPAD value: There was increasing trend of SPAD value up to 90 DAP and slowly declined at harvest stages. Among the various treatments, T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) recorded significantly higher SPAD value at 45, 90 DAP and harvest stage of crop growth. However, it remained at par with T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*), T₁₄ (GM + OC + *Azotobacter*), T₁₁ (PM + OC), T₁₀ (VC + OC), T₁₂ (FYM + OC + *Azotobacter*), and T₉ (GM + OC) at 90 DAP and similar trend was found at harvest stage of crop and with T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*), T₁₄ (GM + OC + *Azotobacter*), T₁₁ (PM + OC), T₁₀ (VC + OC), T₉ (GM + OC) and T₁₃ (CM + OC + *Azotobacter*) at 45 DAP while lowest SPAD value witness at control.

Fresh herbage yield (q ha⁻¹): The data pertaining to the effect of various organic and biofertilizer treatments on total fresh herbage yield is given in table 2. It is clearly indicated that there was a wide range of variations and found significant differences on fresh herbage yield of plants. Among all the treatments, the application of Yield is the final outcome of successful crop growth and development as well as yield components. The Application of T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) resulted significantly higher yield (qt ha⁻¹) remained at par with T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*). The lowest yield was witnessed in control and lowest yield was noted in control. The results are corroborated with the

findings of (Bajeli *et al.*, 2016). He also found increased in yield by poultry manure application as compared to vermicompost and farmyard manure. The benefit of RDN addition is improving the herbage yield was also reported by Kaur *et al.* (2019) in menthol mint (*Mentha arvensis* L.).

Table 2 (see in next page)

Conclusions: Application of RDN through (PM + OC + *Azotobacter*) T₁₆ found superior over all of the treatments in terms of growth and total forage yield parameters of Japanese mints. Application of treatments T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*) can also be an alternative for organic manuring system in cultivation of Japanese mints.

References:-

1. Bajeli, J., Tripathi, S., Kumar, A., Tripathi, A. and Upadhyay, R. K. (2016). Organic manures a convincing source for quality production of Japanese mint (*Mentha arvensis* L.). *Industrial Crops and Products*, 83, 603-606
2. El-Naggar, A. H. M., Hassan, M. R. A., Shaban, E. H. and Mohamed, M. E. A. (2015). Effect of organic and biofertilizers on growth, oil yield and chemical composition of the essential oil of *Ocimum basillicum* L. plants. *Alexandria Journal of Agricultural Science*, 60(1), 1-16
3. Hossain, M. A. and Ishimine, Y. (2007). Effects of farmyard manure on growth and yield of turmeric (*Curcuma longa* L.) cultivated in dark-red soil, red soil and gray soil in Okinawa, Japan. *Plant production science*, 10(1), 146-150
4. Iqbal, S., Riaz, U., Murtaza, G., Jamil, M., Ahmed, M., Hussain, A. and Abbas, Z. (2021). Chemical fertilizers, formulation, and their influence on soil health. In *Microbiota and Biofertilizers* (pp. 1-15). Springer, Cham.
5. Kaur, G., Singh, A., Singh, H. and Kumar, K. (2019). Effect of Integrated Nutrient Management on growth and yield of Japanese mint (*Mentha arvensis* L.). *Res J. Chem. Environ. Sci.* Vol 7 [3] June 2019: 30-34.
6. Mohammed, A. M. A. (2006). Effect of different levels of nitrogen and chicken manure on growth and oil content of spearmint (*Mentha spicata* L.) (Doctoral dissertation, UOFK).
7. National Horticultural Board (2003). A Model Bankable Project of Mint. Available from: <http://nhb.gov.in/model-project-reports/Horticulture%20Crops/Mint/Mint1.htm>, Accessed on 15.07.2021

Table 1: Effect of organic and biofertilizer on Plant height, number of leaves and dry weight

Treatment	Plant height (cm)			Number of branches plant ⁻¹			Number of leaves plant ⁻¹		
	45 DAP	90 DAP	Harvest	45 DAP	90 DAP	At Harvest	45 DAP	90 DAP	At Harvest
T ₁ - (Control)	5.35	22.03	35.32	1.51	4.27	13.67	10.33	41.33	126.00
T ₂ - (FYM)	7.39	23.00	36.31	1.80	4.87	16.14	11.40	47.87	139.66
T ₃ - (CM)	6.16	23.00	37.22	1.94	4.63	15.22	11.40	44.20	132.47
T ₄ - (GM)	6.77	24.37	37.73	1.98	6.13	16.33	11.53	50.80	155.77
T ₅ - (VC)	7.54	25.23	39.33	2.00	6.23	16.89	11.60	51.87	159.00
T ₆ - (PM)	7.41	26.37	40.02	2.00	6.30	17.22	12.40	52.53	164.61
T ₇ - (FYM+OC)	7.67	27.15	41.14	2.20	6.56	18.00	13.47	55.53	175.88
T ₈ - (CM+OC)	6.92	26.75	40.88	2.14	6.33	17.89	12.53	52.80	167.33
T ₉ - (GM+OC)	6.72	27.80	42.57	2.82	7.23	22.89	14.73	60.00	212.33
T ₁₀ - (VC+OC)	7.93	28.10	44.33	2.87	7.47	23.44	15.33	63.93	216.11
T ₁₁ - (PM+OC)	8.42	28.40	44.53	2.91	7.74	26.66	17.60	71.60	226.33
T ₁₂ - (FYM+OC + Azotobacter)	7.16	28.11	44.42	2.88	7.67	24.00	16.87	68.37	222.33
T ₁₃ - (CM+OC + Azotobacter)	8.60	27.47	41.18	2.56	7.12	20.44	14.67	55.78	192.77
T ₁₄ - (GM+OC + Azotobacter)	9.51	28.63	45.10	2.95	8.33	26.89	17.67	72.47	231.89
T ₁₅ - (VC+OC + Azotobacter)	9.49	30.11	46.47	3.14	9.71	32.11	17.73	74.22	232.83
T ₁₆ - (PM+OC + Azotobacter)	9.95	32.00	47.37	3.75	10.00	35.78	18.47	77.07	234.60
SEm ₊	0.34	1.24	1.82	0.12	0.28	1.06	0.69	1.55	5.91
CD (P=0.05)	0.99	3.58	5.25	0.35	0.80	3.05	2.00	4.47	17.06

Table 2: Effect of organic and biofertilizer on SPAD value, Dry Matter Accumulation (kg ha⁻¹), Leaf area index and Fresh Herbage Yield (q/ha)

SPAD value	Dry Matter Accumulation (kg ha ⁻¹)			Leaf area index			Fresh Herbage Yield (q/ha)		
	45 DAP	90 DAP	Harvest	45 DAP	90 DAP	At Harvest	45 DAP	90 DAP	At Harvest
T ₁ - (Control)	33.22	35.60	32.93	1.51	4.27	13.67	0.75	3.02	30.15
T ₂ - (FYM)	33.25	36.32	34.02	1.80	4.87	16.14	0.85	3.59	47.65
T ₃ - (CM)	33.50	36.24	33.57	1.94	4.63	15.22	0.84	3.32	47.58
T ₄ - (GM)	33.97	36.52	33.99	1.98	6.13	16.33	0.96	4.26	48.62
T ₅ - (VC)	35.45	37.91	35.24	2.00	6.23	16.89	0.99	4.48	49.17
T ₆ - (PM)	35.55	38.47	35.99	2.00	6.30	17.22	1.03	4.53	49.52
T ₇ - (FYM+OC)	35.90	39.21	36.54	2.20	6.56	18.00	1.21	5.01	50.21
T ₈ - (CM+OC)	36.52	38.92	36.25	2.14	6.33	17.89	1.14	4.70	49.89
T ₉ - (GM+OC)	39.39	41.95	39.40	2.82	7.23	22.89	1.32	5.39	54.42
T ₁₀ - (VC+OC)	39.43	42.01	39.53	2.87	7.47	23.44	1.40	5.91	54.59
T ₁₁ - (PM+OC)	39.47	42.11	39.64	2.91	7.74	26.66	1.45	6.05	55.87
T ₁₂ - (FYM+OC + Azotobacter)	38.38	42.07	39.45	2.88	7.67	24.00	1.45	5.92	54.69
T ₁₃ - (CM+OC + Azotobacter)	38.93	40.73	38.26	2.56	7.12	20.44	1.23	5.13	53.57
T ₁₄ - (GM+OC + Azotobacter)	39.59	42.49	39.74	2.95	8.33	26.89	1.46	6.08	57.97
T ₁₅ - (VC+OC + Azotobacter)	40.08	43.10	40.62	3.14	9.71	32.11	1.62	6.77	58.40
T ₁₆ - (PM+OC + Azotobacter)	41.62	44.31	41.88	3.75	10.00	35.78	1.65	7.00	59.39
SEm ₊	0.99	0.96	0.97	0.12	0.28	1.06	0.04	0.21	0.48
CD (P=0.05)	2.86	2.79	2.81	0.35	0.80	3.05	0.11	0.60	1.38

To Study the Effect of Organic Manures and Bio Fertilizer on Physiological, Yield And Quality of Japanese Mint (*Mentha Arvensis* L.)

Jaibir Tomar*

*Department Of Agronomy, Janta Vedic College, Baraut, Baghpat (U.P) INDIA

Abstract - The study was conducted during the *rabi* season of 2020-2021 at Agricultural Research Farm, Janta Vedic college Baraut Baghpat, Chaudhary Charan Singh University Meerut Uttar Pradesh. The field trial was laid out in randomized block design with eleven treatments T₁: (Absolute Control), T₂- (FYM), T₃- (CM), T₄- (GM), T₅- (VC), T₆- (PM), T₇- (FYM+OC), T₈- (CM+OC), T₉- (GM+OC), T₁₀- (VC+OC), T₁₁- (PM+OC), T₁₂- (FYM+OC + *Azotobacter*), T₁₃- (CM+OC + *Azotobacter*), T₁₄- (GM+OC + *Azotobacter*), T₁₅- (VC+OC + *Azotobacter*) and T₁₆- (PM+OC + *Azotobacter*). The physiological parameters i.e., SPAD value, leaf area, stem girth and canopy spread were higher with the application of T₁₆ (Poultry manure + oil cakes + *Azotobacter*). The Application of T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) resulted significantly higher yield (qt ha⁻¹) remained at par with T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*). The lowest yield was witnessed in control and lowest yield was noted in control. Highest oil content (0.67%), highest Menthol content (65.33%) and maximum oil yield (39.82 kg ha⁻¹) was recorded in T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) and was at par with T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*), T₁₄ (GM + OC + *Azotobacter*). The highest gross return, net return and B:C ratio was noted in T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) followed by T₁₄ (GM + OC + *Azotobacter*). The lowest gross return was noted in control. The highest B:C ratio was observed in T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) (4.55) which was followed by T₁₄ (GM + OC + *Azotobacter*) (4.51). The lowest B:C ratio was noted in T₂ (FYM) followed by T₇ (FYM + OC) and control. The highest bacterial, fungal and actinomycetes population were observed in T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) which was statistically at par with T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*) and T₁₄ (GM + OC + *Azotobacter*) respectively. The lowest population count was observed in control.

Introduction - Mints are aromatic perennial herbs of Lamiaceae family having quadrangular stem and leaves with essential oil present in sub cuticular glands. They are the third most valuable flavouring agents after vanilla and citrus in the world. Japanese mint (*Mentha arvensis* L.) is one of the important commercial and essential oil-bearing industrial crops cultivated in Punjab. It has a minute flower and varying seed set under open pollination while poor seed under selfing. More than 200 genera are mostly distributed in temperate and sub-temperate regions of the world. Japanese mint occupies more than 80% of the total area and one of the most extensively cultivated species all over the world because of its high menthol content. The above ground foliage (herb) yields essential oils on distillation containing high menthol content and the oil is bitter cooling taste harsh odour and is the main source of menthol (NHB, 2003). It contains high natural menthol as well as other ingredients such as menthone, mint terpenes, isomenthone and methyl acetate, these are widely used in pharmaceuticals, cosmetics, food and flavour industries.

Oil of mentha and its other contents are widely used in pharmaceutical, food and cosmetics industries. Menthol mint being a fast-growing crop, spacing is an effective yield influencing factor which depends on growing conditions (Solomon and Beemnet, 2011)

The organic and biofertilizer is an important approach to improve the growth and soil status, but also sustained the crop yield. The use of organic soil amendments has been associated with desirable soil properties including higher plant available water holding capacity and cation exchange capacity and lower bulk density, and can foster beneficial microorganisms. Benefits of compost amendments to soil include pH stabilization and faster infiltration rate due to enhanced soil aggregation. The application of organic manures and biofertilizers in lieu of chemical fertilizers could be a better technique for increasing agricultural productivity without degrading soil health and maintaining ecological balance. Biofertilizer are assumed to have a special significance role in agriculture due to increased chemical fertilizer and its hazardous effect

on soils. The long-term indiscriminate use of chemical fertilizer also depleted microbial population (soil micro flora and micro fauna) and insect in soil which ultimately reduces soil fertility making crop prone to diseases and insect attack. As we know, price of chemical fertilizer is increasing day by day so that marginal and small farmers are not being able to afford this in required amount which leads to decrease in production. Hence, biofertilizer is ultimate solution over such problem without harming human health and maintaining soil fertility and micro-organisms. It is the viable option to increase productivity/unit area for farmers.

Material and Methods: The experiment was carried out during the *rabi* season of 2020-2021 at Agricultural Research Farm, Janta Vedic college Baraut Baghpat, Chaudhary Charan Singh University Meerut Uttar Pradesh. The Agricultural Research Farm lies in the humid sub-tropical zone of Trans Gangetic plain at 29° 10' North latitude and 77° 26' East longitude at an altitude of 250.56 m above the mean sea level. The soil of experimental field was clayey in texture with pH (8.28), organic carbon (0.38 %), low in available nitrogen (208.6 kg ha⁻¹), medium in available phosphorous (24.6 kg ha⁻¹) and medium in available potassium (148.6 kg ha⁻¹). The treatments viz. T₁: (Absolute Control), T₂: (FYM), T₃: (CM), T₄: (GM), T₅: (VC), T₆: (PM), T₇: (FYM+OC), T₈: (CM+OC), T₉: (GM+OC), T₁₀: (VC+OC), T₁₁: (PM+OC), T₁₂: (FYM+OC + Azotobacter), T₁₃: (CM+OC + Azotobacter), T₁₄: (GM+OC + Azotobacter), T₁₅: (VC+OC + Azotobacter) and T₁₆: (PM+OC + Azotobacter). The menthol mint cv. MASP-19 was grown in Randomized Block Design with three replications. Five plants were randomly selected for taking all the physiological parameters, yield and estimated oil and menthol content and mean values were subjected to statistical scrutiny as suggested by Panse et al. (1995).

Result and Discussion: The growth and physiological parameters of mint i.e., stem girth, canopy spread SPAD value and leaf area per plant had significant variation among various fertilizer treatments at different crop growth stages. Results showed that treatment T₁₆ (PM + OC + Azotobacter) recorded significantly higher value in all these parameters. The maximum stem girth of mentha was found with the treatment T₁₆ (Poultry manure + oil cakes + Azotobacter) over all treatments at all stages and remained at par with treatments T₁₅ (vermicompost + oil cakes + Azotobacter), T₁₄ (goat manure + oil cakes + Azotobacter), T₁₂ (FYM + OC + Azotobacter), T₁₁ (PM+OC) and T₁₀ (VC + OC) at 45 and 90 DAP and with T₁₅ (vermicompost + oil cakes + Azotobacter) and T₁₄ (goat manure + oil cakes + Azotobacter) at harvest. The combined application of PM + OC + Azotobacter (T₁₆) recorded highest canopy spread (East-West and North-South) which was found at par with T₁₅ (VC + OC + Azotobacter) at harvest. Control recorded lowest on East-West spreading. This was possible because of the application of biofertilizer (*Azotobacter chroococcum*) which produces growth promoting substances such as

auxin cytokinin and gibberellic acid (GA) enhance the growth parameters and improves microbial population, increase nutrient uptake and boost up the biological nitrogen fixation (Sartaj et al., 2016). Bajeli et al. (2016) also found similar results on combined application of poultry manure and vermicompost.

Table 1 (see in last page)

There was increasing trend of SPAD value up to 90 DAP and slowly declined at harvest stages. Among the various treatments, T₁₆ (PM + OC + Azotobacter) recorded significantly higher SPAD value at 45, 90 DAP and harvest stage of crop growth. However, it remained at par with T₁₅ (VC + OC + Azotobacter), T₁₄ (GM + OC + Azotobacter), T₁₁ (PM + OC), T₁₀ (VC + OC), T₁₂ (FYM + OC + Azotobacter), and T₉ (GM + OC) at 90 DAP and similar trend was found at harvest stage of crop and with T₁₅ (VC + OC + Azotobacter), T₁₄ (GM + OC + Azotobacter), T₁₁ (PM + OC), T₁₀ (VC + OC), T₉ (GM + OC) and T₁₃ (CM + OC + Azotobacter) at 45 DAP while lowest SPAD value witness at control. The leaf area was significant at all growth stages as influenced by different treatments. Increased in leaf area increased fresh herbage yields which ultimately increased oil yields. Treatments T₁₆ (PM + OC + Azotobacter) noted significantly higher leaf area at 45 DAP and 90 DAP being at par with T₁₅ (VC + OC + Azotobacter) and lowest value at control. Pavithra et al. (2021) also recorded maximum plant height, plant spread and number of branches of Japanese mint with RDF + AMF + PG + HA at 45, 60, 90 DAP and at harvest, respectively.

The data pertaining to the effect of various organic and biofertilizer treatments on total fresh herbage yield is given in table 2. It is clearly indicated that there was a wide range of variations and found significant differences on fresh herbage yield of plants. Among all the treatments, the application of Yield is the final outcome of successful crop growth and development as well as yield components. The Application of T₁₆ (PM + OC + Azotobacter) resulted significantly higher yield (qt ha⁻¹) remained at par with T₁₅ (VC + OC + Azotobacter). The lowest yield was witnessed in control and lowest yield was noted in control. The results are corroborated with the findings of (Bajeli et al., 2016). He also found increased in yield by poultry manure application as compared to vermicompost and farmyard manure. The benefit of RDN addition is improving the herbage yield was also reported by Kaur et al. (2019) in menthol mint (*Mentha arvensis* L.).

The oil content (%) in Japanese mint had significant variation by various organic and biofertilizer treatments. Among the various treatments T₁₆ (PM + OC + Azotobacter) reported significantly higher oil content and found at par with T₁₅ (VC + OC + Azotobacter), T₁₄ (GM + OC + Azotobacter) and T₁₂ (FYM + OC + Azotobacter) and varied significantly to all other rest treatments. The lowest oil content was noted in control. The findings are in line with research of Mustafa and Mohammed (2006).

The data representing the effect of organic and biofertilizer on total fresh herbage yield are presented in table 2. The organic and biofertilizer treatment had a significant influence on oil yield of Japanese mint. Among all the treatments, the application of different plant nutrients increases the oil yield of the crop plants at harvest stage. Thus, significantly maximum oil yield (39.82 kg ha⁻¹) was recorded in T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) and was at par with T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*), T₁₄ (GM + OC + *Azotobacter*). The lower most oil yield was noted in control (14.31 kg/ha). The higher yield of essential oil under these conditions results from higher herbage yield, despite the marginal decrease of the oil concentration in the leaves have also been reported earlier by Bajeli *et al.* (2016), Ram and Kumar (1997) and Kaur *et al.* (2021). Among the various treatment, T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) recorded significantly higher menthol content which was at par with treatment T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*), T₁₁ (PM + OC), T₁₄ (GM + OC + *Azotobacter*), T₆ (PM), T₁₃ (CM + OC + *Azotobacter*), T₁₀ (VC + OC), T₈ (CM+OC) and T₂ (FYM) and superior to rest of the treatments (Fig. 5.12). Similar findings was reported by Bajeli *et al.* (2016),

Table 2 (see in last page)

The application nutrient through organic and biofertilizer had a significant influence on nitrogen, phosphorus and potash uptake by crop (Table 3). Among all the treatments, the application of different plant nutrients increases the total nitrogen, phosphorus and potash content in the crop plants due to higher photosynthetic rate. Thus, the treatment T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) recorded significantly maximum nitrogen and potassium uptake (30.97 and 9.80 kg ha⁻¹) and varied significantly to rest of all treatments. The significantly higher phosphorus uptake was noted in T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*) (6.66 kg ha⁻¹). The lowest uptake was recorded in control (13.06, 4.012 and 3.73 kg ha⁻¹ NPK). Another factor contributing to the better plant growth with The data pertaining to nutrient content in plant as influenced by different treatments are summarized in Table 3.

Table 3 (see in last page)

It is evident from the data presented in table 3 which depicted that the microbial population was influenced significantly by fertilizer treatments. The highest bacterial population was noted in T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) and remained statistically at par with T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*). The significantly higher fungal population was observed in T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) which was statistically at par with T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*) and T₆ (PM) respectively. The maximum population of actinomycetes was observed in T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) which was statistically at par with T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*) and T₁₄ (GM + OC + *Azotobacter*) respectively. The lowest population count was observed in control. The results are in line with findings of Singh *et al.* (2019). The highest gross return, net return and B:C ratio was noted in T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) followed by T₁₄

(GM + OC + *Azotobacter*). The lowest gross return was noted in control. The highest B:C ratio was observed in T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) (4.55) which was followed by T₁₄ (GM + OC + *Azotobacter*) (4.51). The lowest B:C ratio was noted in T₂ (FYM) followed by T₇ (FYM + OC) and control.

Conclusions: The application of treatment T₁₆ (PM + OC + *Azotobacter*) found superior over all of the treatments in terms of physiological total forage yield, oil yield and also various microbial population. Application of treatments T₁₅ (VC + OC + *Azotobacter*) can also be an alternative for organic manuring system in cultivation of Japanese mints.

References:-

1. Bajeli, J., Tripathi, S., Kumar, A., Tripathi, A. and Upadhyay, R. K. (2016). Organic manures a convincing source for quality production of Japanese mint (*Mentha arvensis* L.). *Industrial Crops and Products*, 83, 603-606
2. El-Naggar, A. H. M., Hassan, M. R. A., Shaban, E. H. and Mohamed, M. E. A. (2015). Effect of organic and biofertilizers on growth, oil yield and chemical composition of the essential oil of *Ocimum basilicum* L. plants. *Alexandria Journal of Agricultural Science*, 60(1), 1-16
3. Hossain, M. A. and Ishimine, Y. (2007). Effects of farm-yard manure on growth and yield of turmeric (*Curcuma longa* L.) cultivated in dark-red soil, red soil and gray soil in Okinawa, Japan. *Plant production science*, 10(1), 146-150
4. Iqbal, S., Riaz, U., Murtaza, G., Jamil, M., Ahmed, M., Hussain, A. and Abbas, Z. (2021). Chemical fertilizers, formulation, and their influence on soil health. In *Microbiota and Biofertilizers* (pp. 1-15). Springer, Cham.
5. Kaur, G., Singh, A., Singh, H. and Kumar, K. (2019). Effect of Integrated Nutrient Management on growth and yield of Japanese mint (*Mentha arvensis* L.). *Res J. Chem. Environ. Sci.* Vol 7 [3] June 2019: 30-34.
6. Mohammed, A. M. A. (2006). Effect of different levels of nitrogen and chicken manure on growth and oil content of spearmint (*Mentha spicata* L.) (Doctoral dissertation, UOFK).
7. National Horticultural Board (2003). A Model Bankable Project of Mint. Available from: <http://nhb.gov.in/model-project-reports/Horticulture%20Crops/Mint/Mint1.htm>, Accessed on 15.07.2021
8. Panse VG, Sukhatme PV. Statistical methods for agricultural workers. Rev Edn ICAR. New Delhi; 1995.
9. Pavithra, M Srikantaprasad, D Pushpa, TN Hiremath, JS Jalawadi S and Nandimath ST (2021). Effect of spacing, bio formulations and bio fertilizers on growth of menthol mint (*Mentha arvensis* L.). *The Pharma Innovation Journal* 2021; 10(11): 233-236
10. Ram, M. and Kumar, S. (1997). Yield improvement in the regenerated and transplanted mint (*Mentha arvensis* L.) by recycling the organic wastes

- and manures. Bioresource Technology. 59: 141-149.
11. Solomon AM, Beemnet MK. Row spacing and harvesting age affect agronomic characteristics and essential oil yield of Japanese mint (*Mentha arvensis* L.). Med. Aromat. Plant Sci. Biot 2011;5(1):74-76.
 12. Suresh V, Preethi J., Fetricia, Saranya, V., Sarithra, S., Tamilselvan, K. (2018). To study the effect of fym, coirpith, vermicompost, humic acid and panchagavya on growth and yield of mint (*Mentha arvensis*.. Horticult Int J. 2018;2(6):417 419.

Table 1: Effect of organic and biofertilizer on Stem girth (cm), Canopy Spread East-West and south of Japanese mint (*Mentha arvensis* L.)

Treatment	Stem girth (cm)			Canopy Spread East-West (cm)			Canopy Spread East-south (cm)		
	45 DAP	90 DAP	Harvest	45 DAP	90 DAP	At Harvest	45 DAP	90 DAP	At Harvest
T ₁ - (Control)	3.30	3.55	6.56	7.36	10.93	19.92	6.25	8.87	18.55
T ₂ - (FYM)	3.43	3.66	6.86	7.97	11.03	21.64	7.50	10.13	20.83
T ₃ - (CM)	3.53	3.76	6.79	8.14	11.26	22.22	7.84	10.20	20.91
T ₄ - (GM)	3.63	3.87	7.09	8.26	11.47	22.30	8.31	10.93	21.00
T ₅ - (VC)	3.64	3.88	7.61	8.62	11.53	22.44	8.82	11.13	21.36
T ₆ - (PM)	3.67	3.91	7.76	8.81	11.53	22.50	9.04	11.40	21.80
T ₇ - (FYM+OC)	3.75	3.99	8.10	9.02	12.60	24.00	9.27	12.00	22.00
T ₈ - (CM+OC)	3.70	3.93	7.78	8.99	12.47	23.00	9.05	11.53	21.88
T ₉ - (GM+OC)	3.97	4.15	8.52	9.71	12.87	24.66	9.49	12.40	22.94
T ₁₀ - (VC+OC)	4.02	4.27	8.53	9.97	13.53	24.77	9.87	13.47	23.33
T ₁₁ - (PM+OC)	4.17	4.43	8.60	10.94	15.47	27.97	10.35	14.60	26.33
T ₁₂ - (FYM+OC + <i>Azotobacter</i>)	4.03	4.28	8.57	10.15	14.20	24.91	10.06	13.60	24.33
T ₁₃ - (CM+OC + <i>Azotobacter</i>)	3.87	4.09	8.36	9.35	12.63	24.61	9.29	12.07	22.33
T ₁₄ - (GM+OC + <i>Azotobacter</i>)	4.17	4.44	9.76	11.23	15.80	28.19	11.07	14.87	29.11
T ₁₅ - (VC+OC + <i>Azotobacter</i>)	4.41	4.53	9.80	11.46	16.27	32.28	11.09	16.20	31.50
T ₁₆ - (PM+OC + <i>Azotobacter</i>)	4.42	4.69	9.87	11.51	19.10	34.25	11.54	17.00	31.72
SEm+	0.18	0.17	0.17	0.45	0.37	0.69	0.29	0.45	0.59
CD (P=0.05)	0.51	0.49	0.50	1.31	1.06	2.00	0.82	1.31	1.70

Table 2: Effect of organic and biofertilizer on SPAD value, leaf area, Fresh Herbage Yield (q/ha), oil content and menthol content of Japanese mint (*Mentha arvensis* L.)

	SPAD value			Leaf area (cm ²)		Fresh Herbage Yield (g/plant)	Oil content (%)	Oil yield (kg ha ⁻¹)	Menthol content (%)
	45 DAP	90 DAP	Harvest	45 DAP	90 DAP				
T ₁ - (Control)	33.22	35.60	32.93	90.02	362.28	36.67	0.47	14.31	62.33
T ₂ - (FYM)	33.25	36.32	34.02	102.35	431.21	56.92	0.54	25.90	64.33
T ₃ - (CM)	33.50	36.24	33.57	101.01	398.85	56.38	0.53	25.42	63.00
T ₄ - (GM)	33.97	36.52	33.99	115.33	510.66	58.00	0.55	26.91	64.00
T ₅ - (VC)	35.45	37.91	35.24	119.10	537.36	60.71	0.54	26.75	63.33
T ₆ - (PM)	35.55	38.47	35.99	123.31	543.75	60.88	0.56	27.90	64.67
T ₇ - (FYM+OC)	35.90	39.21	36.54	145.65	601.71	61.62	0.60	30.16	63.67
T ₈ - (CM+OC)	36.52	38.92	36.25	136.52	564.11	61.41	0.59	29.43	64.33
T ₉ - (GM+OC)	39.39	41.95	39.40	157.82	647.31	65.39	0.62	33.70	64.00
T ₁₀ - (VC+OC)	39.43	42.01	39.53	167.95	708.79	68.80	0.60	32.73	64.33
T ₁₁ - (PM+OC)	39.47	42.11	39.64	174.12	726.30	69.17	0.61	34.05	65.00
T ₁₂ - (FYM+OC + <i>Azotobacter</i>)	38.38	42.07	39.45	173.80	710.42	68.82	0.65	35.71	64.00
T ₁₃ - (CM+OC + <i>Azotobacter</i>)	38.93	40.73	38.26	147.44	616.10	64.29	0.63	33.90	64.33
T ₁₄ - (GM+OC + <i>Azotobacter</i>)	39.59	42.49	39.74	175.63	729.11	70.22	0.66	38.48	64.67
T ₁₅ - (VC+OC + <i>Azotobacter</i>)	40.08	43.10	40.62	194.12	812.49	71.58	0.65	38.20	65.00
T ₁₆ - (PM+OC + <i>Azotobacter</i>)	41.62	44.31	41.88	198.58	840.21	72.33	0.67	39.82	65.33
SEm ₊	0.99	0.96	0.97	4.70	25.00	0.53	0.01	0.67	0.36
CD (P=0.05)	2.86	2.79	2.81	13.57	72.19	1.53	0.03	1.93	1.03

Table 3: Effect of organic and biofertilizer on nutrient uptake, bacteria, fungus and actinomycetes population (c.f.u.) in soil after harvest and economics of Japanese mint (*Mentha arvensis* L.)

Treatments	N uptake (kg ha ⁻¹)	P uptake (kg ha ⁻¹)	K uptake (kg ha ⁻¹)	Bacteria (c.f.u. × 10 ⁷ g-l soil)	Fungus (c.f.u. × 10 ⁵ g-l soil)	Actinomycetes (c.f.u. × 10 ⁶ g-l soil)	Gross Returns (` ha <sup>-1</sup>)	Net Returns (` ha ⁻¹)	B:C Ratio
T ₀ - (Control)	13.06	4.12	3.73	46.03	75.89	26.96			
T ₁ - (FYM)	16.97	4.44	4.44	51.28	81.68	31.25	214650	154755	2.55
T ₂ - (CM)	16.32	3.12	3.92	50.92	81.73	31.34	388437	262234	2.08
T ₃ - (GM)	18.57	4.59	4.6	53.54	82.54	31.21	381278	284772	2.95
T ₄ - (VC)	19.03	4.84	4.76	54.59	83.96	32.63	403633	306629	3.16
T ₅ - (PM)	20.32	4.07	5.12	52.3	84.97	33.64	401315	303710	3.11
T ₆ - (FYM+OC)	18.98	4.07	5.3	50.8	82.36	31.3	418527	316350	3.10
T ₇ - (CM+OC)	19.37	5.03	5.18	54.67	83.63	31.28	452443	316646	2.33
T ₈ - (GM+OC)	21.44	4.98	5.7	53.43	84.43	31.81	441519	320735	2.66
T ₉ - (VC+OC)	23.8	6.04	6.43	53.03	84.03	32.47	505569	383358	3.14
T ₁₀ - (PM+OC)	24.6	5.12	7.12	54.1	82.47	33.4	490983	368770	3.02
T ₁₁ - (FYM+OC + <i>Azotobacter</i>)	21.98	6.16	6.61	53.79	82.68	32.38	510810	386062	3.09
T ₁₂ - (CM+OC + <i>Azotobacter</i>)	19.25	4.74	5.39	53.17	83.67	31.95	535658	416977	3.51
T ₁₃ - (GM+OC + <i>Azotobacter</i>)	26.44	5.64	7.74	54.73	84.58	34.73	508559	405250	3.92
T ₁₄ - (VC+OC + <i>Azotobacter</i>)	26.64	6.66	8.09	55.21	85.42	34.88	577173	472337	4.51
T ₁₅ - (PM+OC + <i>Azotobacter</i>)	30.97	6.19	9.8	56.29	85.56	35.14	573009	467939	4.45
SEm±	0.67	0.15	0.17	0.53	0.31	0.43			
CD (P=0.05)	1.94	0.42	0.5	1.54	0.88	1.24			

Human Rights in Emergency

Dr. Kiran Yadav*

*Associate Professor (Zoology) Maharaja Bijli Pasi Govt P.G. College, Lucknow (U.P.) INDIA

Introduction - The modern origins of the state of emergency as a legal concept came from nineteenth-century Western Europe and from the liberal democratic tradition. States of emergency are built on the somewhat artificial dichotomy of norm and exception, which endorses a bifurcated approach to balancing the interests of societal goals and individual rights. "State of emergency" is therefore a label that may provide instant legitimacy to the greater limitation of human rights by government. Serious violations of human rights often accompany emergency situations, which are variously known as "states of emergency," "states of exception," "states of siege," and "martial law. The central international human rights treaties envisage a regime of derogation allowing states parties to temporarily adjust their obligations under the treaties in exceptional circumstances. The two legal questions that constitute the heart of the derogation regimes are first, whether a situation constitutes a "public emergency which threatens the life of the nation," and second, whether the measures are "strictly required by the exigencies of the situation." A third question or requirement is that the state derogating must notify the treaty depositary and therefore in practice the other state parties of its public emergency and measures of derogation. Moreover, in recent times, an apprehension increasingly lingers that some severe restrictions of fundamental human rights have occurred within the context of states of emergency.' It has been suspected, and not unreasonably, that Sri Lanka has utilized emergency situations as excuses for often denying the application of fundamental universal norms, and for taking derogating measures that are unjustifiably stringent and violative of international covenants and practices governing human rights.

Issue of Human Rights has gained immense importance in present day scenario where state misuses its power to declare emergency even when the circumstances do not warrant such an action. Certain human rights treaties envisage a system of derogations allowing states parties to adjust their obligations temporarily under the treaty in exceptional circumstances,

i.e. in times of public emergency threatening the life of nation. Examples of emergency situation include, but are not limited to, armed conflicts, civil and violent unrest, environmental and natural disasters, etc. Although, exceptional measures are permissible, their validity is subject to the fulfillment of a number of requirements set by the treaty law, such as qualifications of severity, temporariness, proclamation and notification, legality, proportionality, consistency with other obligations under international law, non-discrimination, and lastly, non-derogability of certain rights recognized as such in the relevant treaty. In essence derogation clauses express the concept that states of emergency do not create a legal vacuum. In such cases human rights provisions are waived off thereby leading to widespread violation of human rights. This is a very crucial issue to be discussed and this scope of abuse of power makes the issue significant. Also the violation which occur during such times are later on tried by specially constituted courts but there is always delay in decision thereby making the whole process futile as there is tempering with the evidence.

The state of emergency is a very important issue as it encroaches upon peoples' rights and normal life of individual. Thus, the human rights implementation if done away with for any reason whatsoever it is a matter of concern as many illegal and unjustified acts take place in garb of emergency. In this background this research gains even more importance as it tries to explain the reasons for declaring emergency and the justifications given to waive off the implementation of human rights law – domestic or international provisions.

References:-

1. Scott P. Sheeran, "RECONCEPTUALIZING STATES OF EMERGENCY UNDER INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW: THEORY, LEGAL DOCTRINE, AND POLITICS" 34 Mich. J. Int'l L. 491 2012-2013.
2. PROFESSOR BERTRAM BASTIAMPILLAI, "SOME THREATS TO HUMAN RIGHTS A POINT OF VIEW" 6 Sri Lanka J. Int'l L. 17 1994.

First Information Report in India

Dr. Saptmuni Dwivedi *

*Faculty (Law) A.P.S. University, Rewa (M.P.) INDIA

Abstract - When there is commission of crime in India, then first it has to reported in the nearest Police Station within the Jurisdictional area. Actually there are two types of crime mentioned in Code of Criminal Procedure, 1973 i.e. Cognizable and Non-Cognizable offence. The provisions of First Information Report is contained in Section 154 of the Cr.P.C. which provides for lodging of F.I.R. for cognizable cases. When any non-cognizable case is committed then its report is lodged under Section 155 of the Cr.P.C.

Introduction - In Criminal Law, the First Information Report (FIR) is a report that provides information first in point of time about a crime

The necessary ingredients of a FIR are:

- It is the information that is given to a police officer.
- It provides information first in point of time.
- Information must be related to a Cognizable offence.
- It is the basis on which investigation into the offense commences.

Since the FIR is the earliest information regarding a cognizable offence that reaches a police station, it is important in the course of the trial.

Section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 provides as under:

154. Information in cognizable cases

(1) Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read Over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the State Government may prescribe in this behalf.

Provided that if the information is given by the woman against whom an offence under section 326-A, section 326-B, section 354, section 354-A, section 354-B, section 354-C, section 354-D, section 376, section 376-A, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded, by a woman police officer or any woman officer:

Provided further that-

- in the event that the person against whom an offence

under section 354, section 354-A, section 354-B, section 354-C, section 354-D, section 376, section 376-A, section 376-B, section 376-C, section 376-D, section 376-E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer, at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person's choice, in the presence of an interpreter or a special educator, as the case may be;

(b) the recording of such information shall be videographed;

(c) the police officer shall get the statement of the person recorded by a Judicial Magistrate under clause (a) of sub-section (5-A) of section 164 as soon as possible.

(2) A copy of the information as recorded under sub-section (1) shall be given forthwith, free of cost, to the informant.

(3) Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection (1) may send the substance of such information, in writing and by post, to the Superintendent of Police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him, in the manner provided by this Code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence.

An information given under sub-section (1) of section 154 CrPC is commonly known as first information report though this term is not used in the Criminal Procedure Code (in short CrPC). It is the earliest and the first information of a cognizable offence recorded by an officer-in-charge of a

police station. It sets the criminal law in motion and marks the commencement of the investigation which ends up with the formation of opinion under section 169 or 170 CrPC, as the case may be, and forwarding of a police report under section 173 CrPC. It is quite possible and it happens not infrequently that more information than one are given to a police officer-in-charge of a police station in respect of the same incident involving one or more than one cognizable offences. In such a case he need not enter every one of them in the station house diary and this is implied in section 154 CrPC. Apart from a vague information by a phone call, the information first entered in the station house diary, kept for this purpose, by a police officer-in-charge of a police station is the first information report- FIR postulated by section 154 CrPC. All other information made orally or in writing after the commencement of the investigation into the cognizable offence disclosed from the facts mentioned in the first information report and entered in the station house diary by the police officer or such other cognizable offences as may come to his notice during the investigation, will be statements falling under section 162 CrPC. No such information/statement can properly be treated as an FIR and entered in the station house diary again, as it would in effect be a second FIR and the same cannot be in conformity with the scheme of CrPC.

● **Evidentiary value of F.I.R.-** FIR is not a piece of substantive evidence. It can be used only for limited purposes, like corroborating under section 157 of the Evidence Act or contradicting (cross-examination under section 145 of Evidence Act) the maker thereof, or to show that the implication of the accused was not an after-thought. It can also be used under section 8 and section 11 of the Evidence Act. Obviously, the FIR cannot be used for the purposes of corroborating or contradicting or discrediting any witness other than the one lodging the FIR. It cannot be used for corroborating the statement of a third party. If the FIR is of a confessional nature it cannot be proved against the accused-informant, because according to

section 25 of the Evidence Act, no confession made to a police officer can be proved as against a person accused of any offence. But it might become relevant under section 8 of the Evidence Act.

In this way at last it can be said that Criminal Law is basically dependent upon the lodging of F.I.R. because it lets the Police Officials to investigate into the case. There are also various ways which can be acquired when F.I.R. is not registered by the Police Officials.

References:-

Books Referred:-

1. Professional's The Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), Bare Act With Short Comments, Year 2013, Professional Book Publishers.
2. Ratanlal and Dheerajlal, The Code of Criminal Procedure, 19 Enlarged Edition, 2010, Lexis Nexis, Butterworths Wadhwa Nagpur.
3. The Constitution of India Bare Act, Professional's, Year 2006
4. The Constitutional Law of India By- Dr. J.N. Pandey, 49th Edition, 2011
5. The Constitution of India By- Dr. L.M. Singhvi, 2nd Edition, Volume 2, Modern Law Publication, Year 2008

Internet:-

1. www.google.com
2. www.indiacurrentaffairs.org.
3. <http://lawtimesjournal.in/first-information-report/>
4. https://www.lawnnotes.in/First_Information_Report
5. https://en.wikipedia.org/wiki/First_Information_Report

Newspapers:-

1. Dainik Bhaskar
2. Dainik Jagran
3. The Times of India
4. The Hindustan Times
5. The Hitvada
6. Patrika

Dictionaries:-

1. Black's Law Dictionary (First South Asian Edition, 2015)

आधुनिक जीवन दर्शन और जम्भ वाणी

उषा देवी *

* शोधार्थी, टांटीया विश्वविद्यालय, गंगानगर (राज.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये चार प्रमाण प्रमुख रूप से स्वीकार किये गए हैं। इन प्रमाणों से ही साध्य की सिद्धि होती है। 'आप्त वाक्यं शब्द', 'आप्रस्तु यथार्थ वक्ता' अर्थात् आप्त पुरुष के द्वारा कहा गया वाक्य ही शब्द प्रमाण है और आप्त वही है जो यथार्थ वक्ता हो। ऐसे महापुरुषों की वाणी ही शब्दवाणी कहलाती है। शब्दवाणी का अर्थ ऐसे महापुरुष द्वारा उच्चारण किया गया शब्द जो वाणी अर्थात् पद्य रूप में है, जिन्हें गाया जा सकता है।

शब्दवाणी स्वयं में एक विशिष्ट दर्शन शास्त्र है। शब्दवाणी द्वारा परमात्मा का स्वरूप, जीव की गति और जगत की चकाचौंध, मानव का स्वरूप, गति, कर्तव्य-अकर्तव्य को बताकर सचेत किया गया है। महापुरुषों के जीवनानुभवों का 'सार' सूत्र रूप में सबद वाणियों में समाहित होता है। 'सबद' शब्द का कोषगत अर्थ 'वेद' अर्थात् 'ज्ञान' भी बताया गया है। मनुष्य को जीवन-यापन हेतु व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। आदिकालीन साहित्य में सिद्धों की रचनाओं एवं नाथ साहित्य को इसी कारण अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। नाथपंथ का प्रभाव गोरखनाथ, कबीर, जांभोजी आदि के अनुयायियों में देखा जा सकता है। ये वाणियाँ जहाँ हमें आध्यात्मिक उन्नयन हेतु उत्प्रेरित करती हैं, वहीं लोक व्यवहार तथा आदर्श जीवन-पद्धति के अनुपालन का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं।

वाणियों, सबदों, परिचय ग्रंथों में संचित ज्ञानकोष मानवमात्र को सदाचार पूर्वक जीवन जीने का मार्ग तो दिखाता ही है। जीवन के चार पुरुषार्थों – धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में भी सहायक बनता है। मनुष्य के मन में सहज रूप से उठने वाले प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का समाधान इन सबद-वाणियों के स्वाध्याय चिंतन एवं मनन से सहज ही हो जाता है। इनके अनुशीलन से जीवन में उत्साह उमंग एवं सहजता का प्रदुर्भाव होता है एवं आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। साहित्य वस्तुतः समाज को मानवता का संदेश प्रदान करता है। 15वीं शताब्दी के राजनैतिक उथल-पुथल के समय में भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन का विशिष्ट महत्त्व है। पश्चिमी राजस्थान में इस आंदोलन का सूत्रपात करने वाले गुरु जाम्भोजी रहे। जिन्होंने एक साधारण किसान से लेकर राजा-महाराजा तक अपने उपदेशों से धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी थी। गुरु जाम्भोजी का कार्यक्षेत्र विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़, बीकानेर एवं जैसलमेर राज्यों में था।

'उस समय मरुप्रदेश में शिक्षा, दीक्षा और नैतिकता के स्थान पर नैराश्य, जड़ता और संस्कार हीनता पनप रही थी। आचार, विचार, पवित्रता, शीलता, दया, क्षमा, अहिंसा आदि नैतिक आचरण के गुण समाप्त हो गये

थे। लोग अमल, तंबाखू, भांग, मद्य, मांस आदि का प्रयोग करते थे। ऐसे आचरणों को देखकर ही गुरु जाम्भोजी ने 29 धर्म नियमों का संदेश दिया था।¹

गुरु जाम्भोजी के सभी कार्य एवं उपदेश जनकल्याण हेतु थे अतः लोगों ने उनकी जाना, अनुसरण किया। राजस्थान के मध्यकालीन संत साहित्य में उनका नाम सर्वोपरि लिया जाता है। इनका जन्म प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल के पंवार वंश में हुआ। वि.सं. 1508 (1451 ई.) की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, सोमवार कृतिका नक्षत्र में नागौर परगने के पीपासर गांव में हुआ था।² गुरु जाम्भोजी के जन्म, नामकरण, शैशव काल के संबंध में अनेक लोककथन हैं। जिनमें जाम्भोजी को जन्म से ही एकांतप्रिय सहज-समाधि में ध्यान लगाने वाले योगी पुरुष के रूप में ही बताया गया है। इस अवस्था को देखकर पीपासर के लोग उन्हें 'गूंगिया' कहते थे। स्वामी ब्रह्मानंद ने जाम्भोजी के बारह वर्ष तक मौन रहने को बताया है।³ कार्य आचार-व्यवहार आदि में वे अन्य समव्यस्क बालकों से भिन्न तथा अलौकिक शक्ति से युक्त माने जाते थे।⁴ उनका बाल्यकाल पशुपालन में बीता, आजीवन ब्रह्मचारी रहे जाम्भोजी अपना घर तथा सारी संपत्ति का परित्याग करके समराथल नामक स्थान पर रहकर सत्संग तथा हरिचर्चा में अपना समय बिताने लगे। वि.सं. 1542 (1485 ई.) कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इसी धीरे पर स्नान करके जप करते हुए उन्होंने कलश स्थापना करके विश्वनोई पंथ की स्थापना की थी।⁵

इसी पंथ को सुचारु चलाने के लिए इसकी एक आचार-संहिता स्थापित की। पंथ में बीस और नौ (29) धर्म नियम तथा विष्णु की उपासना का विधान होने के कारण विश्वनोई कहे जाने लगे। विश्वनोई धर्म विवेक के अनुसार विश्वनोई शब्द एक मत का ही वाचक है परन्तु मत के संबंध से यह विश्वनोई शब्द जाति परक हो गया। इस समुदाय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जाट, चौहान जाति के मनुष्य हैं।⁶ मुख्यतः जाम्भोजी ने अपने संपर्क में आए सभी मनुष्य के जीवन से अंधविश्वास, आडंबर, अनैतिकता को त्याग कर जीवन के व्यावहारिक पक्ष और आचार-विचार को शुद्ध करने की प्रेरणा दी है। गुरु जाम्भोजी के अनुयायियों ने उनकी वाणी के आधार पर उनकी धार्मिक नियमों को क्रमबद्ध किया, उसका मूल छंद दृष्टव्य है –

'तीस दिन सूतक, पांच ऋतुवन्ती न्यारो।

सेरो करो स्नान, शील-संतोष सुचि प्यारो।

द्विकाल संध्या करो, सांझ आरती गुण गावो।

होम हित चित प्रीत सूं होय, वास बैकुण्ठे पावो।

पाणी, बाणी, इन्धणी, दूध इतना लीजें छाण।

क्षमा, दया हिरदै धरो गुरु बतायो जाण।

**चोरी, निन्दा, झूठ बरजियो, वाद न करणो कोया।
अमावस्या व्रत राखणो, भजन विष्णु बतायो जोया।
जीव दया पालणी, रूख लीलो नहीं घावै।
अजर जरै जीवत मरै बै मास बैकुण्ठा पावै।
करे रसोई हाथ सूं, आन सूं पलो न लावै।
अमर रखावै थाट, बैल बधिया न करावै।
अमल तमाखू भांग मांस मद सू दूर ही भागै।
लील न लावै अंग, देखत दूर ही त्यागै।
उणतीस धर्म की आखडी, हिरदे धरियो जोया।
जाम्भोजी किरपा करी, नाम विश्नोई होया।¹⁷**

इस छंद के आधार पर विश्नोई पंथ के नियम इस प्रकार है :-

1. तीस दिन तक सूतक रखना (संतान उत्पन्न होने पर)
2. पांच दिन तक रजस्वला स्त्री को गृहकार्यों से अलग रखना
3. प्रातःकाल स्नान करना
4. शील, संतोष एवं शुद्धि रखना
5. द्विकाल (प्रातः - सांय) संध्या करना
6. सांय को आरती करना
7. प्रातःकाल हवन करना
8. पानी, दूध, इंधन को छान-बीन कर प्रयोग में लेना
9. वाणी सोच-विचार कर शुद्ध बोलें
10. क्षमा रखें
11. दया से रहें
12. चोरी नहीं करना
13. निन्दा नहीं करना
14. झूठ नहीं बोलना
15. वाद-विवाद नहीं करना
16. अमावस्या का व्रत करना
17. विष्णु का भजन करना
18. जीवों पर दया करना
19. हरे वृक्ष नहीं काटना
20. काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार को वश में करना
21. अपने हाथ से रसोई बनाना
22. थाट अमर रखना (पशुओं बकरी, भेड़, गाय-बछड़ा, बैल आदि को कसाई को न बेचना)
23. बैल की बधिया न करना
24. अमल (अफीम) नहीं खाना
25. तम्बाखू खाना-पीना नहीं
26. भांग नहीं खाना
27. मद्यपान न करना
28. मांस भक्षण न करना
29. नीले वस्त्र नहीं पहनना

गुरु जाम्भोजी द्वारा बताए इन 29 नियमों को अपनाने वाले विश्नोई लोगों की अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति है। जहाँ लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने 29 धर्म नियमों के आधार पर जीवन यापन करते हैं। मनुष्य की मुक्ति कहीं जंगल में जाकर कठोर तप करने से संभव नहीं होती, यह तो सहज रूप से इस जीवन में रहकर ही प्राप्त की जा सकती है। इन नियमों का

समय-समय पर अनेक विद्वानों द्वारा वर्गीकरण भी किया गया है - (नैतिक, सात्विक, आध्यात्मिक, अहिंसात्मक, पर्यावरणीय) 15वीं शताब्दी में गुरु जाम्भोजी ने विष्णु की उपासना पर बल देकर धर्म का जयघोष किया। उन्होंने कहा 'गंदे मत रहो, नहावो, धोवो, सदाचार संयम से रहो।'¹⁸ जाम्भोजी के ये नियम आज के वैज्ञानिक युग में भी प्रासंगिक है तथा लोग इन नियमों तथा इनके परिणामों से संतुष्ट हैं तथा इन्हें अपनाने में लगे हैं।

विश्नोई लोक कथाओं के द्वारा इन नियमों का प्रचार-प्रसार हुआ है। ये लोक कथाएँ केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं हैं, बल्कि इनमें नैतिक नियमों की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। प्रत्येक नियम के पीछे नैतिक आचरण की कई कथाएँ प्रचलित हैं। 'लोक कथाएँ बनाने एवं सुनाने वाले का यही उद्देश्य रहा था कि इनके माध्यम से लोगों को नैतिक दायित्वों की जानकारी मिले।'¹⁹ विश्नोई धर्म नियमों में स्वच्छ, स्वस्थ, सादगी, नैतिकता, सदाचार, संयम के साथ जीवन यापन करते हुए जीव दया एवं पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया है जो आज के भौतिक युग की महती आवश्यकता है। गुरु जाम्भोजी ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का क्रांतिकारी कदम उठाया फलस्वरूप विश्नोई पर्यावरण के प्रहरी कहलाए। हरे वृक्ष न काटना, सब प्राणियों पर दया करना, मांस न खाना, बैल-बधिय न करना, अमर थाट रखना आदि नियमों के प्रचार-प्रसार से जहाँ एक ओर पशुओं को संरक्षण मिला है वहीं दूसरी ओर लोगों में अहिंसा की प्रवृत्ति बढ़ी है। विशेषकर विश्नोई आज भी शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। गुरु जाम्भोजी की वाणी एवं 29 धार्मिक नियमों के आचरण से विश्नोई समाज का संगठन कुछ इस प्रकार बन गया है कि उसकी अलग पहचान बनी है। समाज के संस्कारों पर भी गुरु जाम्भोजी की वाणी एवं उनकी आचार-संहिता का प्रभाव झलकता है। इसकी संपूर्ण प्रणति हमें विश्नोइयों के मेलों, त्यौहारों एवं लोक तीर्थों में देखने को मिलती है।

मध्यकालीन संतों तथा भक्तों के समान गुरु जाम्भोजी ने अपनी वाणी में गुरु महिमा, नामस्मरण, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। पाखंड और कर्मकांड को नकारते हुए वहाँ खान-पान एवं रहन-सहन में शुद्धता एवं स्वच्छता पर ध्यान देते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं पशुपालन पर बल दिया गया है। जो मूलतः एक व्यावहारिक जीवन पद्धति है।

गुरु जाम्भोजी की वाणी तथा नियमों में किसी प्रकार का आडंबर एवं दिखावा नहीं है। पर्यावरण संरक्षण को जीवन के प्रत्येक संस्कार एवं कार्यकलाप में महत्त्व प्रदान किया गया है। विश्नोई समाज में सतीप्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। 'चूड़ी पहनना एवं नाता प्रथा द्वारा विधवा-विवाह को प्रोत्साहन दिया गया है। विवाह के आर्थिक महत्त्व को समझते हुए समाज में विनिमय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया था। इसके अंतर्गत स्त्री के अधिकारों को समान माना गया है। इससे तलाक जैसी समस्या पर भी नियंत्रण हुआ है।'¹⁰ इन नियमों से समाज में स्त्री की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। अहिंसा का सिद्धांत भी भारतीय धर्मसाधना का सनातन सिद्धांत है। विश्नोई पंथ के उनतीस नियमों में पर्यावरण संबंधी दो प्रकार के नियम हैं पर्यावरणीय मूल्यात्मक एवं अहिंसा मूल्यात्मक। यदि मनुष्य हिंसा नहीं करेगा तो वह मांस भक्षण नहीं करेगा जिससे शाकाहार को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर मनुष्य में सात्विकता बढ़ेगी, वन्य प्राणियों के संरक्षण से प्रवृत्ति के घटकों में संतुलन होगा यही मूलतः पर्यावरण शुद्धि है। पेड़ों एवं वन्य प्राणियों को बचाने में विश्नोई पंथ के लोग पर्यावरणीय इतिहास का प्रमुख अध्याय माने जाते हैं।

संसार में रहने वाले सभी जीवन अपनी-अपनी मर्यादाओं से नियमों से बंधे हैं - 'नेम तलाई, नेम जळ, नेम का जीमो (पीवो) पाहळ - 1' आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी इन पांच तत्वों के संतुलन से ही धरती पर प्राणी मात्र का विकास जाम्भोजी ने भी स्वीकार किया है। इन तत्वों में संतुलन आवश्यक है। इनमें असंतुलन के कारण विश्व के सामने जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं मिट्टी के प्रदूषण की गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। मानव के शुद्ध सात्विक विकास एवं प्रकृति के तत्वों को हानि न पहुँचे, इस हेतु ही समयानुसार महापुरुषों ने विभिन्न नियम बनाए हैं। मरुस्थल के संरक्षक जाम्भोजी ने भी प्राकृतिक संतुलन की आवश्यकता को अनुभव करते हुए इसका मूल मंत्र अपने शिष्यों को दिया। 15वीं शताब्दी में पर्यावरण प्रदूषण जैसी कोई समस्या नहीं थी परन्तु मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु प्रकृति के विविध आयामों के संतुलन को आवश्यक समझकर जाम्भोजी ने जो जीवन दर्शन प्रदान किया वह आज अधिक प्रासंगिक है। इन नियमों एवं पंथ का प्रभाव 15वीं शताब्दी से लेकर आज तक हमें दिखाई देता है। 1730 ई. में खेजडली में आत्म बलिदान की महान घटना में 60 गांवों के, 64 गोत्रों के, 217 परिवारों के, 363 लोगों ने हरे पेड़ों की रक्षार्थ बलिदान दिया। तत्कालीन शासकों तथा महाराजाओं ने इन नियमों के संबंध में समय-समय पर पट्टे-परवाने जारी कर इन नियमों को संरक्षण प्रदान किया।

गुरु जाम्भोजी ने अपनी सबद वाणी में कबीर आदि संत कवियों के समान मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का विरोध किया। समाधि, भूत-प्रेत तथा यक्ष योनि वालों की पूजा को पाखंड माना तथा समाधि आदि धोकने हेतु भी मना किया। बाह्यचारों में अनास्था एवं सत्कर्म को महत्त्व दिया।

**'थे नाथ कहावो नर मर जावो, सो क्यूँ नाथ कहावो।'
'पढ़ि कागल वेदू शास्त्र सबदूँ, भूला भूल झंझयो आलूँ।
इह निस आव घटती जाय दै, तेरा सांस सही कसवारूँ।'
'जां जां दया न धरमूँ तां तां विक्रमै करमूँ।
जां पाळ्यां न सीलूँ, तां तां क्रमै कुचीलूँ।'
'जां जां जीव न जोति, तां तां मोख न मुक्ति।'¹²**

सैद्धांतिक रूप से जंभवाणी में निर्गुण-निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया है जो संपूर्ण सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। संसार नश्वर है तथा जीव अपने अहं को समाप्त कर ही ईश्वर से आत्म साक्षात्कार द्वारा मिल सकता है। यही ज्ञान योग है। गुरु जाम्भोजी की वाणी भक्ति - परक रचना है जिसमें विष्णु के सामिप्य लाभ और आत्म-तर्पण की भावना है। उनकी वाणी में विष्णु ही स्वयंभू और तत्त्व स्वरूप है। उनकी भक्ति एक साधारण गृहस्थ की भक्ति है। इसको प्राप्त करने के लिए कहीं जंगल में जाकर घोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, न ही संन्यास धारण करने की आवश्यकता है। मनुष्य अपने दैनिक कार्यक्रम में ही भक्ति कर सकता है। 'उनकी भक्ति के मुख्य अंग है - विष्णु नाम का स्मरण, दान की महिमा, जीव दया की प्रधानता, नम्रता, क्षमा और सहनशीलता। गुरु जाम्भोजी ने विष्णु-विष्णु का जप करते रहने को तथा काम, क्रोधादि को वश में करने को ही जीवन का मूल तत्व माना है। उन्होंने हिन्दु-मुसलमानों को समान रूप से ही अपरम्पर का जप करने का संदेश दिया है। उनके विष्णु शेषनाग की शैय्या पर विराजमान विष्णु नहीं है बल्कि यह तो निराकार, निर्गुण परमतत्व है। जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी हुआ है।'¹³

जाम्भोजी ने कर्म को सफलता का मूल मंत्र माना। दुविधावृत्ति को त्यागकर, एकाग्रचित होकर यदि मनुष्य कर्म करेगा तभी उसे कार्य में सिद्धी

प्राप्त होगी।

**'दोय मर दोय दिल सीवी न कंथा।
दोय मन दोय दिल पुनी न पंथा।'¹⁴**

दुविधावृत्ति का त्यागकर, एकाग्रचित होकर गुरुमुखी सद्कर्म ही मोक्ष प्राप्ति में सहायक है।

'पहलूँ किरिया आप कुमाइयै, तो अवरा न फुरमाइए।'

गुरु जाम्भोजी की वाणी 'नैतिक वाणी है।' यह जनसामान्य की भावना को समझते हुए कही गई है। जो समस्त मानव-कल्याण के लिए उपयोगी है। उनकी वाणी के आधार पर ही विश्वोई पंथ की आचार-संहिता निर्मित हुई थी। जिसमें सत्य, अहिंसा, शील, क्षमा, दया, संतोष, दान और परहित को महत्त्व दिया गया है वहीं परनिंदा एवं वाद-विवाद को त्यागने की बात कही गई है। जाम्भोजी का जीवन जन सेवा में ही व्यतीत हुआ। सन् 1483 के आस-पास संमराथल धोरे पर बैठने पर जाम्भोजी ने मरुस्थल में पड़े भ्रूषण अकाल से लोगों की स्वयं रक्षा की थी। वे समन्वयवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। उन्होंने हिन्दू-मुसलमान, ब्राह्मण-क्षत्रिय, वैश्य-शूद्र, स्त्री-पुरुष, जाट-भाट, जोगी-दरवेश में कोई भेद नहीं किया और इसी पंथ पर चलने का संदेश दिया। गुरु जाम्भोजी ने कहा था 'उत्तम, मध्यम क्यूँ जानीजै, विवरस देखो लोई।'

मनुष्य की मुक्ति इसी जीवन में ही संभव है। उसे सिर्फ अपने जीवन की विधि को समझना एवं सही बनाना है, उसी व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है। गृहस्थाश्रम में रहकर ही एक साधारण मनुष्य उत्तम जीवन जी सकता है। जाम्भोजी का जीवन लोकोपकारी कार्यों में ही व्यतीत हुआ। विश्वोई पंथ की स्थापना के पश्चात् जाम्भोजी ने संपूर्ण देश की यात्रा करते हुए अपने कार्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। अन्नदान, तालाबों-कुओं का निर्माण, अनाथों की सहायता, वन्य प्राणियों एवं पक्षियों को संरक्षण, पेड़ लगाना एवं पशुओं का संरक्षण उनके प्रमुख कार्य थे, जिन्हें उनके अनुयायियों ने भी स्वीकार किया। वे एक महान समाज सुधारक एवं महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने व्यापक भ्रमण किया था। इसी भ्रमण के दौरान उनके अनेक शिष्य बने और अनेक व्यक्ति उनके संपर्क में आए। उनका पंथ केवल साधु-समुदाय का प्रतीक ही नहीं था, बल्कि गृहस्थ समाज का नियामक था। इसीलिए उनके संपर्क में गृहस्थ और विरक्त दोनों ही आए थे। विश्वोई समाज में प्रचलित अनेक लोक-कथाओं में से व्यक्तियों एवं जातियों के मुखियों का, इस पंथ में दीक्षित होने का उल्लेख मिलता है। यह उनकी वाणी एवं उनके आचार संबंधी नियमों का चमत्कार था। उनकी वाणी से समाज में जड़ता नष्ट हुई और उनके नियमों से हरे पेड़ों एवं वन्य प्राणियों को संरक्षण मिला। यह उस समय की ही नहीं आज की भी प्रमुख आवश्यकता है। जाम्भोजी ने पश्चिमी राजस्थान के घोर मरुस्थल में अभावग्रस्त लोगों को स्थानांतरण से रोक। अच्छे बीजों का ज्ञान, कृषि की तकनीकों का विकास, अकाल राहत कार्य, 'काम के बदले अनाज' जैसी योजनाओं का बीजारोपण मरुस्थल में सर्वप्रथम जाम्भोजी द्वारा ही किया गया। जिसे एक नवीन युग का सूत्रधार कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी।

आधुनिक युग की भौतिकवादी संस्कृति, मूल्यहीनता में जहाँ मानव समुदाय दिशाविहीन दौड़ लगा रहा है। तथाकथित प्रगति की होड़ में संपूर्ण विश्व में ही मानवीय मूल्यों का हनन हुआ है। जीवन की सरलता का स्थान मानसिक तनाव, अवसाद एवं कुण्ठाओं ने ले लिया है। धोखाधड़ी - अविश्वास के इस युग में जीव मात्र के प्रति दया, परोपकार, क्षमा का भाव

लोगों में विश्वास एवं प्रेम का जागरण करने का मूल मंत्र है। पशुपालन, जीव संरक्षण, पेड़-पौधों का संवर्धन, स्वालंबन, स्वच्छता, परहित को महत्त्व देने जैसे नियम सहज, सरल एवं सुखी जीवन के मंत्र सिद्ध हो सकते हैं। स्त्रियों को समाज में बराबरी का स्थान देना तथा उनके स्वास्थ्य एवं खान-पान पर विशेष ध्यान देना सशक्त समाज की नींव ही है जहाँ महिला सशक्तिकरण की शुरूवात प्रतीत होती है। अनियमित दिनचर्या ही आज अधिकांश बिमारियों का मूल कारण है। प्रातःकाल स्नान, द्विकाल संध्या, शील संतोष एवं शुद्धि, शुद्ध खान पान, नियमित दिनचर्या ही इसका सही उपचार है जिसे आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व भी स्वीकार कर रहा है।

जीव हत्या और हरे वृक्षों का संरक्षण, पशुओं का संरक्षण आज के पर्यावरणीय असंतुलन में अतिआवश्यक है। पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या का प्रभावी समाधान वृक्षारोपण एवं वृक्षों का संरक्षण ही है। साथ ही समाज में बढ़ रही नशाखोरी की वृत्ति से युवा वर्ग भ्रमित हो रहा है। समाज के जिस युवा वर्ग की ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व के कल्याण में होना चाहिए वह दिग्भ्रमित हो रही है। जांभोजी के धर्म नियमों को अपनाकर नशामुक्त, सात्विक, धर्मपरायण, स्वस्थ, सशक्त, शुद्धपर्यावरण युक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। सादगी एवं स्वालंबन युक्त जीवन जीने की प्रवृत्ति में आडंबर, दिखावे और थोथे प्रदर्शन को स्थान नहीं होता। जांभोजी ने अपने सबदों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, पर्यावरणीय चेतना को जगाते हुए एक ऐसे मानव समाज की न केवल कल्पना की अपितु उसे वृहद् स्तर पर निर्मित किया जहाँ जीवन का प्रत्येक पक्ष स्वच्छ, स्वस्थ,

सादा, सरल एवं हितकारी है। वह स्वयं में एक अनूठा उदाहरण है जिसे आधार बनाकर तथा सामयिक परिस्थितियों के साथ इन नियमों को अपनाकर नवजीवन का प्रादुर्भाव किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुरु जांभोजी एवं विश्वनोई पंथ का इतिहास - डॉ. कृष्ण लाल विश्वनोई - पृ. 45
2. जांभोजी महाराज का जीवन चरित्र भूमिका - स्वामी श्री रामदास
3. स्वामी ब्रह्मानंद - श्री जम्भचरित्र भानु - जन्म प्रसंग
4. कल्याण - वर्ष 10 पृ. 817 गीताप्रेस गोरखपुर (उ.प्र.)
5. जम्भसार - नंवा प्रकरण - पृ. 264
6. विश्वनोई धर्म विवेक - स्वामी ब्रह्मानंद - पृ. 5-6
7. गिरि ईश्वरानंद - जम्भचागर पृ. 439-40
8. परमानंद बणियाल का पोथा ग्रंथज्ञान सबदवाणी पत्र 21
9. गुरु जाम्भोजी एवं विश्वनोई पंथ का इतिहास - डॉ. कृष्णलाल विश्वनोई
10. गुरु जाम्भोजी एवं विश्वनोई पंथ का इतिहास - डॉ. कृष्णलाल विश्वनोई - पृ. 112
11. पाहळ मंत्र
12. जंभगीता - सबद
13. ऋग्वेद - मंडल-1 सूक्त 154
14. जंभगीता - सबद

On Cyclic Group Generated by Structure Equation

$$F^{2k+1} + F = 0$$

Lakhan Singh*

*Department of Mathematics, D.J. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

Abstract - In this paper we have studied the formation of a cyclic group generated by structure equation $F^{2k+1} + F = 0$ where k is a positive integer. Properties of some elements of M_{4k} have also been discussed.

Keywords- Differentiable manifolds, complementary projection operators, cyclic group.

1. Introduction : Let M^n be a differentiable manifold of class C^∞ and F be a $(1,1)$ tensor of class C^∞ , satisfying

(1.1) $F^{2k+1} + F = 0$. we define the operators I and m on M_n by

(1.2) $I = -F^{2k}$, $m = I + F^{2k}$

Where I is the identity operator. From (1.1) and (1.2), we get

(1.3) $I + m = I$, $I^2 = I$, $m^2 = m$
 $Im = mI = 0$, $FI = IF = F$, $mF = Fm = 0$

$F^r = \{ F^r, 1 \leq r \leq 2k \}$
 $-F^{r-2k}, r > 2k$

Theorem(1.1) : For F and m satisfying (1.1) and (1.2) respectively, the set

(1.4) $M_{4k} = \{ m \pm F^r, 1 \leq r < 2k \}$

Is a cyclic group of order $4k$, under the multiplication (composition) operation.

Proof: we have

(1.5) $M_{4k} = \{ m - F^{2k}, m - F^{2k-1}, \dots, m - F, m + F, \dots, m + F^{2k} \}$

Let $m \pm F^r, m \pm F^s \in M_{4k}$, then $r \leq 2k, s \leq 2k \Rightarrow r + s - 2k \leq 2k$

(a) Closure property using (1.3), we have

$$(1.6) (m + F^r)(m + F^s) = \begin{cases} m + F^{r+s}, & \text{if } r + s \leq 2k \\ m - F^{r+s-2k}, & \text{if } r + s > 2k \end{cases}$$

$$(1.7) (m + F^r)(m - F^s) = \begin{cases} m - F^{r+s}, & \text{if } r + s \leq 2k \\ m + F^{r+s-2k}, & \text{if } r + s > 2k \end{cases}$$

$$(1.8) (m - F^r)(m - F^s) = \begin{cases} m + F^{r+s}, & \text{if } r + s \leq 2k \\ m - F^{r+s-2k}, & \text{if } r + s > 2k \end{cases}$$

Thus the product of any two elements of M_{4k} is in M_{4k}

(b) Associative Property : since the multiplication of arbitrary functions obeys the associative law, therefore it holds for the elements of M_{4k} also.

(c) Existence of identity : from (1.2) we have

(1.9) $m - F^{2k} = I$ thus $m - F^{2k}$ is the identity element of M_{4k} .

(d) Existence of inverse : For $r < 2k$ let $m + F^r \in M_{4k}$, then we claim that

(1.10) $(m + F^r)(m - F^{2k-r}) = m - F^{2k}$ since with the help of (1.3)

Similarly

(1.11) $(m - F^r)^{-1} = m + F^{2k-r}$

also

(1.12) $(m - F^{2k})^{-1} = m - F^{2k}$

(1.13) $(m + F^{2k})^{-1} = m + F^{2k}$

Thus each element in M_{4k} has its multiplicative inverse.

Hence M_{4k} is a group under multiplication moreover we have on using (1.3).

(1.14) $(m + F)^1 = m + F, (m + F)^2 = m + F^2, \dots, (m + F)^{2k} = m + F^{2k}, (m + F)^{2k+1} = m + F^{2k+1} = m - F, (m + F)^{2k+2} = m + F^{2k+2} = m - F^2, \dots, (m + F)^{4k} = m + F^{4k} = m - F^{2k} = I$

(1.15) $M_{4k} = \langle m + F \rangle, 0(m + F) = 4k = 0(M_{4k})$

All the generators of M_{4k} are of the form $m + F^t$ where t is a positive integer relatively prime to $4k$.

Also

(1.16) $o(m + F) = o[(m + F)^r] = \frac{4k}{(4k, r)}$

Theorem 1.2 : Let $p, q \in M_{4k}$ where

(1.17) $p = m + F^k, q = m - F^k$, then

(1.18) (i) $o(p) = o(q) = 4$

(ii) $pq = I, p^{-1} = q = p^3, q^{-1} = p = q^3, p^2 = q^2$

(iii) $p^2 - p - q + I = 0 = q^2 - p - q + I$

(iv) $p = mq = m = p^2m = q^2m = m$

Proof : from (1.16) taking $r = k$, we have

(1.19) $o(p) = o(m + F^k) = o[(m + F)^k] = \frac{4k}{(4k, k)} = \frac{4k}{k} = 4$

etc., the parts follow similarly

Remarks : let

(1.20) $L_{4k} = \{ I - F^{2k}, I - F^{2k-1}, \dots, I - F, I + F, \dots, I + F^{2k} \}$

Since by (1.2), $I + F^{2k} = 0$. Thus L_{4k} is not a group under multiplication.

Ex. 1 let $k = 1 \Rightarrow 2k = 2$, the structure equation is

(1.21) $F^3 + F = 0$

(1.22) $I = -F^2, m = I + F^2$

$$(1.23) M_4 = \{I = m - F^2, m - F, m + F, m + F^2\}$$

The Cayley table for M_4 is

	$m - F^2$	$m - F$	$m + F$	$m + F^2$
$m - F^2$	$m - F^2$	$m - F$	$m + F$	$m + F^2$
$m - F$	$m - F$	$m + F^2$	$m - F^2$	$m + F$
$m + F$	$m + F$	$m - F^2$	$m + F^2$	$m - F$
$m + F^2$	$m + F^2$	$m + F$	$m - F$	$m - F^2$

From this table we have

$$(1.24) (m + F)^{-1} = m - F$$

$$(m + F^2)^{-1} = m + F^2$$

$$(m - F^2)^{-1} = m - F^2$$

$$(1.25) o(m + F) = 4, \quad o(m - F) = 4$$

$$o(m + F^2) = 2, \quad o(m - F^2) = 1$$

the only subgroups of M_4 are

$$(1.26) H_1 = \{m - F^2\}, H_2 = \{m - F^2, m + F^2\}, H_3 = M_4$$

Ex. 2 let $k = 2 \Rightarrow 2k = 4$. The structure equation is

$$(1.27) F^5 + F = 0,$$

$$(1.28) I = -F^4, \quad m = I + F^4$$

$$(1.29) M_8 = \{m - F^4, m - F^3, m - F^2, m - F, m + F, m + F^2, m + F^3, m + F^4\}$$

The Cayley table for M_8 is (see below)

The inverse and orders of each element can be calculated easily.

References:-

1. Bejancu, A, CR-submanifolds of a Kaehler Manifold I, proc. Amer. Math. Soc., 69,135-143(1978).
2. Demetropoulou-Psomopoulou, D. and Andreou, F. Gouli, On Necessary and sufficient conditions for an

N- Dimensional Manifold to admit a Tensor Field $f(0)$ of type (1,1) satisfying $f^{2v+3} + f = 0$ Tensor (N.S.), 42,252-257(1985)

3. Blair, D.E. and Chen, B.Y., On CR- submanifolds of Hermitian Manifolds. Israel Journal of Mathematics, 34(4),353-363(1979).
4. Goldberg, S.I. and Yano, K., On normal globally framed f- manifolds. Tohoku Math., 1. 22,362-370(1970).
5. Goldberg, S.I., On the Existence of Manifold with an F-structure. Tensor (N.S.), 26,323-329(1972).
6. Upadhyay, M.D. and Gupta, V.C. Integrability conditions of a structure f_θ satisfying $f^3 + \theta^2 f = 0$, publications mathematics, 24(3-4),249-255(1977).
7. Yano, K., On structure defined by a tensor Reid f of type (1,1) satisfying $f^3 + f = 0$, Tensor (N.S.) 14,99-109(1963)
8. Yano, K. and Kon, M., Differential geometry of CR-submanifolds, Geometriae Dedicata. 10, 369-391(1981).
9. Das, L.S., Nivas, R. and Singh, A. On CR-structures and F-structures satisfying $F^{4n} + F^{4n-1} + \dots + F^2 + F = 0$, Tensor N.S. 70.255-260(2008).
10. Das, L.S., On CR-structure and $F(2K+1.1)$ - structure satisfying $F^{2k+1} + F = 0$, JTSI, India. 22,1-7(2004).
11. Lakhan Singh : on the cyclic group related to the F - structure equation $\sum_{k=1}^n F^k = 0$. Naveen shodh sansar oct to Dec 2020. E - journal vol I, Issue XXXII, ISSN 2320 - 8767.

	$m - F^4$	$m - F^3$	$m - F^2$	$m - F$	$m + F$	$m + F^2$	$m + F^3$	$m + F^4$
$m - F^4$	$m - F^4$	$m - F^3$	$m - F^2$	$m - F$	$m + F$	$m + F^2$	$m + F^3$	$m + F^4$
$m - F^3$	$m - F^3$	$m - F^2$	$m - F$	$m + F^4$	$m - F^4$	$m + F$	$m + F^2$	$m + F^3$
$m - F^2$	$m - F^2$	$m - F$	$m + F^4$	$m + F^3$	$m - F^3$	$m - F^4$	$m + F^2$	$m + F$
$m - F$	$m - F$	$m + F^4$	$m + F^3$	$m + F^2$	$m - F^2$	$m - F^3$	$m - F^4$	$m + F$
$m + F$	$m + F$	$m - F^4$	$m - F^3$	$m - F^2$	$m + F^2$	$m + F^3$	$m + F^4$	$m - F$
$m + F^2$	$m + F^2$	$m + F$	$m - F^4$	$m - F^3$	$m + F^3$	$m + F^4$	$m - F$	$m - F^2$
$m + F^3$	$m + F^3$	$m + F^2$	$m + F$	$m + F^2$	$m - F^4$	$m + F^4$	$m - F$	$m - F^3$
$m + F^4$	$m + F^4$	$m + F^3$	$m + F^2$	$m + F$	$m - F$	$m - F^2$	$m - F^3$	$m - F^4$

भारतीय किसानों की कृषि सम्बन्धित समस्याएं

डॉ. पंकज कुमार जायसवाल *

* अध्यक्ष (भूगोल विभाग) साई पी.जी. कॉलेज, फतेहपुर, बाराबंकी (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - स्वतंत्र भारत से पूर्व और स्वतंत्र भारत के पश्चात एक लम्बी स्वतंत्र भारती होने के बाद भी भारतीय किसानों की दशा में सिर्फ 19-20 का ही अन्तर दिखाई देता है। जिन अच्छे किसानों की बात की जाती है, उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। बढ़ती आबादी, औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण कृषि योग्य क्षेत्रफल में निरन्तर गिरावट आई है। **कृषि शिक्षा** - जिस देश में 139.34 करोड़ (2021) के लगभग आबादी निवास करती है और देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है, उस देश में कृषि शिक्षा के 3 केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 4 डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय एवं 64 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कालेज हैं, उनमें भी किसी किसी शिक्षण संस्थान में गुणवत्तापरक शिक्षा का अभाव है। भूमण्डलीकरण के दौर में कृषि पर आधुनिक तकनीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से जो इस देश में आती हैं उसे कृषि का प्रचार-प्रसार तंत्र उन किसानों तक पहुंचाने में लाचार नजर आता है, यह गम्भीर और विचारणीय विषय है। शिक्षा का ही दूसरा पहलू जिसे प्रबन्धन शिक्षा की श्रेणी में रखा जा सकता है, नाममात्र भी नहीं है। राष्ट्रीय अथवा प्रदेश स्तर पर कृषि शिक्षा के जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें शोध संस्थानों के अभाव में उच्चस्तरीय शोध समाप्त प्रायः से हैं। चाहे संस्थानों का अभाव हो, वित्तीय एवं तकनीकी सुविधाओं का अभाव हो अथवा गुणवत्तापरक शिक्षकों का अभाव हो, जिसके कारण एक हरितक्रांति के बाद फिर कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। किसान ईश्वरीय कृपा पर ही आज भी निर्भर हैं। कृषि शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए और प्रत्येक शिक्षण संस्थान में न्यूनतम माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। उन लोगों का उपयोग कृषि के निचले स्तर के व्यापक प्रचार-प्रसार और उत्पादन वृद्धि में किया जाना चाहिए।

भूमि प्रबन्धन- आजादी के बाद भी किसी प्रकार की भूमि एवं फसल प्रबन्धन की बात देश के किसी कोने में दिखाई नहीं देती और तदर्थ आधार पर नीतियों और प्रबन्धन का संचालन वे लोग करते हैं, जिन्हें इस क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं होती यदि राष्ट्रीय स्तर पर यह नीति बनाई जाए कि देश के अन्दर विभिन्न जिलों की कितनी खपत है और वह किस क्षेत्र में है, इसके अतिरिक्त भविष्य के लिए कितने भण्डारण की आवश्यकता है? साथ ही, कितना हम निर्यात कर सकेंगे। जिसवार उतने उत्पादन की व्यवस्था क्षेत्रीय आधार पर करनी चाहिए और सम्बन्धित किसानों को इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भूमि अवशेष रहती है, उस पर ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए जो किसानों के लिए व्यावसायिक सिद्ध हो तथा निर्यात की सम्भावनाओं को पूर्ण कर सकें और आयात को न्यूनतम कर सकें।

यहां यह भी देखना होगा कि जिन फसलों को हम बोना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक जलवायु, पानी, भूमि आदि कैसा होना चाहिए। इसका परीक्षण कर सम्बन्धित किसानों को शिक्षित किया जाए ताकि वह सुझावानुसार कार्य करने के लिए सहमत हो इस हेतु अच्छी प्रजाति के बीजों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और जो खेत या किसान चिन्हित किए जाएं, उन्हें ये बीज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। फसल की बुआई के समय कृषि क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ अपनी देखरेख में बुआई कराएं तथा उन पर होने वाली बीमारियों, आवश्यक उर्वरकों, सिंचाई, निकास, निराई, गुड़ाई आदि का कार्य आवश्यकतानुसार समय-समय पर कृषि विशेषज्ञों के निर्देशन में कराया जाए। इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसान भी व्यावहारिक दृष्टि से प्रशिक्षित होंगे।

भूमि अधिग्रहण नीति- भूमि अधिग्रहण समवर्ती सूची में आता है जिसका अर्थ है केन्द्र एवं राज्य सरकारें इस मामले में कानून बना सकती हैं। अथवा राज्यान्तर्गत गठित विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि अधिग्रहण की नीति में कृषि योग्य भूमि के मद्देनजर परिवर्तन किया जाना परमावश्यक है। औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना विकास व आवासीय योजनाओं हेतु ऐसी भूमि का अधिकरण किया जाना चाहिए जो कृषि योग्य नहीं है। ऊसर बंजर तथा जिसमें अत्यधिक कम फसल पैदावार होती है, ऐसी भूमि का अधिग्रहण हो कृषि उपयोग में लाए जाने वाली भूमि का अधिग्रहण और उस पर निर्माण प्रतिबन्धित कर देना चाहिए आवासीय औद्योगिक एवं डांचागत निर्माणों के लिए कृषि योग्य भूमि का अंधाधुंध अधिग्रहण किए जाने से कृषि योग्य भूमि अत्यधिक संकुचित होती चली जाएगी जो तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण हेतु कृषि उत्पादन के लिए अक्षम होगी। बहुफसली तथा बुवाई योग्य कृषि भूमि के अधिग्रहण की अधिकतम सीमा तय कर दी गयी है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मन मर्जी से अधिकाधिक भूमि का अधिग्रहण रोकने के लिए नये कानून में राज्य सरकारों को भूमि की अधिग्रहण सीमा निश्चित करने का अधिकार दीये जायेंगे। नये कानून में अधिग्रहण की गयी अप्रयुक्त भूमि को वापस करने का प्रवाधान किया गया। यह भी आवश्यक है कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की जाती है उसे वस्तुतः लीज पर लिया जाना चाहिए तथा मुआवजे के रूप में एकमुश्त भुगतान के आधार पर वार्षिक रूप से धनराशि लीज अवधि तक प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही परियोजनाओं में हो रहे लाभ से भी लाभान्वित किए जाने हेतु अधिग्रहित भूमि पर विकसित प्रोजेक्ट में एक अंशधारक के रूप में किसानों को रखा जाए जिससे उन्हें प्रोजेक्ट के लाभ में नियमित भागीदारी मिलती रहे।

साख प्रबन्धन – न्याय पंचायत अथवा ग्रामसभा स्तर पर एक कृषि केन्द्र होना चाहिए जहाँ ग्रामीण कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित सभी कर्मचारी आवासीय सुविधाओं के साथ कार्यालय में कार्य कर सकें। यहाँ एक सहकारी समिति भी होनी चाहिए अथवा कृषि सहकारी समिति का विक्रय केन्द्र होना चाहिए जिस पर कृषि मानकों के अनुसार बीज, उर्वरक कीटनाशक आदि की व्यवस्था कराई जाए, जो किसानों को ऋण के रूप में उपलब्ध हो। साथ ही, ऐसे यंत्र/उपकरण जिनकी किसानों को थोड़े समय के लिए आवश्यकता पड़ती है, वह उपलब्ध रहने चाहिए और निर्धारित किराए पर उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जैसे- निकाई, निराई गुड़ाई, बुआई अथवा कीटनाशकों के छिड़काव से सम्बन्धित यंत्र अथवा कीमती यंत्र जिन्हें किसान व्यक्तिगत आय से खरीदने में असमर्थ हैं आदि सम्भव हैं तो ट्रैक्टर, थ्रेशर कम्बाइन हार्वेस्टर आदि की सुविधाएं भी किराए पर उपलब्ध होनी चाहिए ताकि लघु एवं सीमान्त वर्ग के किसान बिना किसी बाधा के खेती कर सकें। खेती में जो भी फसल बोई जाए उस फसल को सहकारी समिति के माध्यम से बीमाकृत कराया जाए और सरकार की नीतियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिस किसान की फसल को जिस तरह से भी क्षति हुई जैसे अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि, आग, चोरी, बाढ़ या कोई अन्य कारण हो तो उस व्यक्ति को उसका क्लेम तत्काल दिया जाना चाहिए और क्लेम की राशि उसको दिए गए ऋण में समायोजित हो जिससे कि किसान अपनी 6 माह से पालन-पोषण करके तैयार की गई फसल की बर्बादी से गरीबी की ओर जाने से बच सके। वर्तमान व्यवस्था में सन् 2016 में शुरू की गयी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अलग अलग मामलों की बीमा राशि अलग-अलग है। फसल को बारिश या प्राकृतिक आपदा में भारी नुकसान बहुचता है तो 72 घण्टे के अन्दर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कम्पनी को इस बात की जानकारी देनी होगी, इसके बाद बीमा कम्पनी फसल का मुआयना करेगी तत्पश्चात मुआवजे के आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और किसान के खाते में मुआवजे की राशि यथा शीघ्र भेज दी जायेगी। शायद न्याय पंचायत स्तर पर 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर उस न्याय पंचायत के किसान को बीमा का लाभ मिलता है। यह नितांत ही अन्यायपूर्ण है बीमा कराना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि बीमा कम्पनी की यह समीक्षा भी होनी चाहिए कि क्षेत्र के कितने किसानों को इससे लाभ हुआ है अथवा क्लेम मिले हैं। अधिकांश बीमा कम्पनी बीमा करने के बाद इसकी खबर नहीं लेती और यदि कोई किसान सम्पर्क भी करता है तो उसे कानूनी दांवपेंच में फसाकर परेशान कर देती हैं जिससे वह इसके लाभ से वंचित रह जाता है। कृषि उपज प्रबन्धन के लिए बीमा अति महत्वपूर्ण और उपयोगी है जिससे किसानों को ऋणग्रस्तता से बचाया जा सकता है।

विचारणीय विषय यह है कि किसान की फसल छः माह में तैयार होती है और उस फसल को तैयार करने के लिए आज भी किसान नंगे पांव जाड़ा, गर्मी, बरसात में खुले आकाश के नीचे रातदिन परिश्रम करके फसल तैयार कर लेता है। खेतों में रात-दिन कार्य करते समय दुर्भाग्यवश यदि कोई जानवर काट लेता है या कोई दुश्मन उसकी हत्या कर देता है तो ऐसी दशा में उसका कोई बीमा आदि नहीं होता। ऐसे में उनके बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, दिन-रात एक करके देश की सूरत बदलने वाला किसान और उसका परिवार न केवल भूखा सोने को मजबूर होता है बल्कि सदैव के लिए निराश्रित हो जाता है। अतः फसल बीमा के अतिरिक्त कृषक बीमा भी कराया जाना चाहिए।

किसानों को ऋण दिये जाने की व्यवस्था और सुविधाओं को मजबूत तथा उदार बनाने की आवश्यकता है। समय-समय पर केन्द्र और राज्य सरकारों में किसानों को ऋणमुक्त कराने के लिए ऋण माफी की अनेक योजनाओं को घोषित किया और नये ऋण को प्रदान करने की योजनाएं बनाई। इस संदर्भ में किसान क्रेडिट कार्ड की जो व्यवस्था की गई है, वह अच्छी तो है परन्तु उसका व्यावहारिक पक्ष देखा नहीं गया है। जैसे कोई सहकारी समिति अपने कार्य क्षेत्र से बाहर ऋण नहीं दे सकती और उस समिति से ही धन एवं कृषि उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है तब उसके किसान क्रेडिट कार्ड का कोई मतलब नहीं है। किसान के पास सहकारी समिति की पासबुक प्रारम्भ से ही दी जाती है जिसमें उसका विवरण अंकित होता है उसकी ऋण सीमा भी स्वीकृत की जाती है उस ऋण सीमा के अन्तर्गत वह नकद या वस्तु के रूप में ऋण प्राप्त कर सकता है साख व्यवस्था में भी किसान की आवश्यकताएं दो तरह की होती हैं- एक अल्पकालीन और दूसरी दीर्घकालीन अल्पकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार का विशेष ध्यान रहता है परन्तु दीर्घकालीन ऋणों में किसान की आवश्यकता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। दीर्घकालीन ऋणों की ब्याज दरें अल्पकालीन ऋण की तुलना में अधिकांश हैं। परियोजना आधारित ऋण वितरित किया जाता है। किसान की अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋणों का कोई प्रावधान दीर्घकालीन व्यवस्था में नहीं है जिससे एक ही किसान को दोहरे मापदण्डों का सामना करना पड़ता है। इस व्यवस्था में बेहद सुधार की आवश्यकता है। परियोजना आधारित ऋण वितरण को समाप्त कर ऋण सीमा स्वीकृत करते हुए सस्ती ब्याजदरों पर ऋण तथा किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

भारत में विपणन व्यवस्था- विपणन के आश्रय क्रय विक्रय के लिया जाता है जबकि कभी-कभी यह देखने को मिलता है कि जब भी कृषि उत्पाद बाजार में आता है तो उसके मूल्य निरन्तर गिरने लगते हैं और मध्यस्थ सस्ती दरों पर उसका माल क्रय कर लेते हैं जिससे कृषि घाटे का व्यवसाय बना हुआ है दुर्भाग्य है कि सम्बन्धित लोग औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन की दरें लागत, मांग और पूर्ति का ध्यान में रखते हुए निर्धारित करते हैं किन्तु किसान की जिंसे का मूल्य या तो सरकार या क्रेता द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें भी तत्काल नष्ट होने वाले उत्पाद की बिक्री के समय किसान असहाय दिखाई देता है। ऐसी दशा में क्रय-विक्रय व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और उसके उत्पाद का मूल्य भी मांग पूर्ति और लागत के आधार पर किसान को निर्धारित कर लेने देना चाहिए। सर्वविदित है कि किसानों का कहीं उत्पाद इतना अच्छा और अधिक हो जाता है कि सड़ने लगता है और किसान उसे फेंकने को मजबूर हो जाता है और कभी-कभी उत्पाद इतना कम होता है कि उसे मध्यस्थ सस्ती दरों पर क्रय कर उच्च दरों पर बिक्री कर बीच का मुनाफा ले लेता है और किसान ठगा-सा रह जाता है। उत्पाद मूल्य के व्यापक प्रसार-प्रचार के लिए सूचना विभाग भी जिम्मेदार है। आज भी किसान के पास कोई ऐसा तंत्र-मंत्र नहीं है जो यह तय कर सके कि उसके उत्पाद का उचित मूल्य आज किस बाजार में क्या है और भविष्य में मूल्य घटने-बढ़ने की क्या सम्भावनाएं हैं? जब वह अपने उत्पाद को मंडी में ले जाता है तब उसे उस दिन का भाव पता चलता है। उत्पाद को पुनः घर वापस लाने पर किराया-भाड़े का बोझ, परेशानी आदि को देख मजबूर होकर क्रेता के चुंगल में फंसता है और क्रेताओं का संगठित गिरोह उसके उत्पाद का मनमाने दामों में क्रय कर लेते हैं। इसलिए किसानों को उनके उत्पाद का मूल्य के लिए उन्हीं के मध्य व्यक्तियों के माध्यम से कोई

समसामयिक रणनीति बनाई जानी चाहिए। मंडी में गोदामों में सहकारी समितियों के माध्यम से यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि यदि किसी दिन किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है तो उसके उत्पाद का भण्डारण सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के गोदामों में कर दिया जाए और उसके उस दिन के ताजा मूल्य का 50 से 80 प्रतिशत अग्रिम दे दिया जाए ताकि वह अपने घरेलू व सामाजिक कार्य को कर सके। जब बाजार मूल्य उच्च स्तर पर हो तो बिक्री कर समिति का किराया और लिए गए अग्रिम को वापस कर अपनी बचत पूंजी को अपने उपयोग में ला सके। यह अत्यन्त गम्भीर और विचारणीय विषय है। इससे लघु और सीमान्त कृषकों की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति और फसल के उचित मूल्य प्राप्त करने में सुविधा होगी।

(i) उचित प्रक्रिया इकाईयों की आवश्यकता- सरकार को यह भी ध्यान देना चाहिए कि किसान का जो उत्पाद है, वह किस प्रकार का है और उसकी उपयोगिता क्या है। जैसे हर वर्ष हमारे देश में विभिन्न भागों में विभिन्न फसलें खेतों में ही नष्ट हो जाती हैं। एक क्षेत्र में आलू गोदामों में छोड़ देते हैं या मिट्टी में दबा देते हैं, लहसुन की उपज लागत न मिलने के कारण खेतों में दबा रहने देते हैं, आम जैसे अनेक फल सस्ती दरों पर बिक्री करने अथवा बिना मूल्य लिए वितरित करने के लिए किसान मजबूर होता है। कहीं-कहीं प्याज, केला, अंगूर और अनेक सब्जियाँ नष्ट हो जाती हैं जबकि देश के दूसरे भागों में इनकी आवश्यकता होते हुए भी महंगे परिवहन के कारण उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करायी जा पाती है। जहाँ जिस क्षेत्र में किसी चीज का उत्पादन अधिक है, उन क्षेत्रों में उत्पाद से सम्बन्धित प्रक्रिया इकाईयाँ लगाई जानी चाहिए जिससे उत्पाद को खराब होने से बचाया जा सके तथा उसका उचित मूल्य भी किसान को मिल सके। इस व्यवस्था का पूरे देश में नितांत अभाव है।

(ii) उचित भण्डारण/निर्यात की व्यवस्था- किसान का ऐसा उत्पाद जो विभिन्न समितियों के माध्यम से क्रय किया जाता है, उसे किसी न किसी गोदाम में रखने की व्यवस्था अथवा निर्यात की व्यवस्था की जानी चाहिए। उस क्रय किए गए उत्पाद की ग्रेडिंग व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि कुल उत्पाद की मात्रा पर उसके ग्रेड के अनुरूप बिक्री मूल्य मिल सके।

कृषि आधारित उद्योग- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित ऐसे उद्योग-धंधों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें न्यूनतम प्रशिक्षण से स्थानीय आबादी के व्यक्तियों को रोजगार मिल सके तथा किसानों के उत्पाद की उसमें खपत हो सके जैसे फ्लोर मिल, राइस मिल, तेल कोल्हू फलों से बनने वाले विभिन्न सामान, पापड़, बड़ियाँ, चिप्स एवं आचार आदि के उद्योग लगने चाहिए तथा उनको देश के दूसरे भागों में भेजने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ग्रामीण बेरोजगारों को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वहाँ के स्थानीय उत्पाद को ध्यान में रखते हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना भी की जानी चाहिए।

ऋण उपलब्धता - व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपनी ऋण नीतियाँ इस प्रकार नहीं बनाई गई थी जिससे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना आवश्यक थी। इनकी ऋण नीतियों एवं ऋण योजनाएं निम्न हैं:

1. लघु एवं सीमांत कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को ऋण।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीणों को ऋण।
3. ग्रामीण कारीगरों एवं लघु व्यवसायी को ऋण।

विविध ऋण योजनाएं- भारत सरकार के माध्यम से इन बैंकों - द्वारा ग्रामीणों को अत्यधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुई हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं।

प्रत्यक्ष कृषि ऋण- इसके अंतर्गत लघु सीमांत कृषक एवं - कृषि श्रमिकों को ऋण प्रदान किए जाते हैं, जो निम्न हैं-

(अ) कृषि संबंधी ऋण- भारत सरकार द्वारा इन बैंकों के - माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी ऋण प्रदान किए जाते हैं जो ग्रामीण विकास की गति में तीव्रता प्रदान कर रहे हैं-

1. फसल ऋण
2. पानबाड़ी हेतु ऋण
3. डंगर बाड़ी हेतु ऋण
4. लघु सिंचाई योजना संबंधी ऋण भूमि सुधार हेतु ऋण
5. बैल क्रय करने हेतु ऋण
6. गोबर गैस प्लांट लगाने हेतु ऋण

(ब) पशुपालन संबंधी ऋण- भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को पशुपालन संबंधी ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं ताकि ग्रामीण वर्ग अपनी आय में वृद्धि कर सके और पशुपालन का लाभ उठा सके। इसके लिए ग्रामीण बैंकों द्वारा विभिन्न ऋण योजनाएं प्रदान की गई हैं।

1. दुग्धा विकास हेतु पशु क्रय करने की योजना
2. बकरी पालन हेतु वित्तीय योजना
3. सुअर पालन हेतु वित्तीय सहायता
4. कुक्कुट पालन हेतु ऋण योजना

अप्रत्यक्ष कृषि ऋण- भारत सरकार सामान्यतः अप्रत्यक्ष कृषि ऋण सरकारी समितियों के माध्यम से प्रदान करती है। वर्तमान में विभिन्न बैंक समितियों के माध्यम से समस्त वर्गों को ऋण प्रदान कर रहे हैं जो निम्न हैं-

1. ग्रामीण कारीगरों को ऋण
2. ग्रामीण क्षेत्रों के चर्मशोधकों व चर्मकारों हेतु वित्तीय सहायता
3. बांस की टोकरी बनाने के लिए ऋण योजना
4. दर्जियों को सिलाई मशीन हेतु वित्तीय सहायता

(स) ग्रामीण लघु व्यवसायियों - को ऋण सहायता सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में रहने वाले व्यवसायियों अथवा नए सिरे से अपना व्यवसाय प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों को बैंकों द्वारा निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाता है:

1. नौका क्रय हेतु नाविकों को ऋण
2. होटल / पान दुकान हेतु ऋण
3. हाथ ठेला या रिक्शा क्रय हेतु ऋण
4. सब्जी के व्यवसाय हेतु ऋण
5. कपड़े के व्यवसाय हेतु ऋण
6. उचित मूल्य के अनाज व किराना दुकान हेतु ऋण
7. आटा चक्की व्यवसाय हेतु ऋण
8. फलों के बगीचे हेतु ऋण
9. शासकीय सस्ते अनाज की दुकान हेतु ऋण

(द) अन्य ऋण योजनाएं:

1. उपभोग ऋण
2. जमाराशियों एवं आभूषणों पर ऋण

3. वाहन क्रय हेतु ऋण
4. ग्रामीण खाद व्यापार योजना
5. ग्राम गोद लेने की योजना
6. वेयरहाउस रसीद पर ऋण
7. किसान क्रेडिट कार्ड योजना
8. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

निष्कर्ष – भारत के आर्थिक विकास में इसका अत्याधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सरकार द्वारा गाँधी जी के आदर्श ग्राम की कल्पना को साकार करने का यथा सम्भव प्रयास किया जा रहा है। गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था के प्रयास तेजी हो रही है। सरकार द्वारा कृषि के लिए अच्छे बीज अच्छी खाद अच्छे उपकरण और साख एवं आवास ऋण व्यवस्था आदि देने का प्रबन्ध किए जा रहे हैं, किन्तु इनमें अभी भी सुधार की आवश्यकता है। वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी संस्कृति के मूल्यों को पहचाने और एक बार फिर उसका सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. भूगोल और आप, अंक-4, नवम्बर दिसम्बर 2005
2. कुरुक्षेत्र, अंक-7, मई 2007
3. कृषि भूगोल, प्रोफेसर बी०एन० सिंह, 2007
4. भूगोल और आप, अंक-7, संख्या-2, मार्च-अप्रैल 2008
5. योजना विशेषांक, मार्च 2008
6. कुरुक्षेत्र, अंक- 9, जुलाई 2008
7. योजना, विशेषांक, अगस्त 2008
8. कुरुक्षेत्र, अंक-2, दिसम्बर 2011
9. एक नजर में कृषि सांख्यिकी 2015
10. संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन
11. आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21
12. कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2021
13. आर्थिक समीक्षा 2021

भारतीय संविधान एवं आपातकाल के प्रावधान : संविधान के अनुच्छेद 356 के संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक आलोचनात्मक अध्ययन

डॉ. शारदा नैण* वीना पाहूजा**

* सहायक आचार्य, डी.ए.वी. कॉलेज, अबोहर (राज.) भारत

** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

प्रस्तावना – भारत में केन्द्र की तरह राज्यों की शासन व्यवस्था भी संसदीय हैं। अतः राज्यों में राज्यपाल की भी वही भूमिका है, जो केन्द्र में राष्ट्रपति की है। इस सम्बन्ध में मुख्य अन्तर यह है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके प्रतिनिधि के रूप में वह राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं तथा राज्य का समस्त प्रशासन भी राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। जैसे कि राजस्थान की राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण पंजाब के राज्यपाल श्री शिवराज पाटिल को राजस्थान का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया। प्रत्येक राज्य में वह व्यवस्थापिका के अनुरूप कार्य करता है।

वर्तमान में राज्यपाल के पद व भूमिका का क्षरण हुआ है। इसका प्रमुख कारा राज्यपाल पद धारणकर्ता व्यक्ति का कमजोर व्यक्तित्व रहा। जैसा कि प्रथमतः केरल विवाद (1959) से स्पष्ट है कि सन् 1957 में केरल राज्य में साम्यवादी दल का बहुमत मिला और नम्बूदरीपाद को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। यह भारत की पहली गैर कांग्रेसी थी, किन्तु इस सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से प्रेरित विपक्षी दलों ने जबरदस्त आंदोलन प्रारम्भ कर दिया और राज्यपाल रामकृष्ण राव ने राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन भेजा कि राज्य में अराजकता की स्थिति है और संविधान के अनुसार शासन चलाना सम्भव नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। राज्यपाल की स्थिति में गिरावट के बावजूद भी राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति उसी में निहित है।

1967 के बाद भारतीय राजनीति में कुछ नए मोड़ आए। देश में एक दलीय शासन का अन्त और राज्यों में मिश्रित साझा सरकारों की स्थापना तथा संघ में साझा सरकारों का गठन हुआ। केन्द्र व राज्यों के बीच अनुच्छेद 356 को लेकर गम्भीर विवाद उत्पन्न हुए हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन की बार-बार स्थापना अब तक देश के सभी राज्यों में लगे आपातकाल की संख्या लगभग 116 रही हैं। राज्य की राजनीति में सर्वोच्च पदधारक राज्यपाल होता है। उसकी भूमिका ने राज्यों के राजनीतिक स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह परिवर्तन अत्यधिक रोचक तथा सतर्क अध्ययन और विश्लेषणात्मक समीक्षा की मांग करता है।

भारत में राज्यपाल का पद विश्व की किसी भी संघीय व्यवस्था में

समय से अधिक प्रश्नों के घेरे में खड़ा है। संवैधानिक पृष्ठभूमि तथा विगत 6 दशकों से अधिक व्यवहारिक केन्द्र राज्य सम्बन्धों की निरन्तर गहराती समस्याओं में अनुच्छेद 356 की भूमिका के औचित्य के प्रति प्रश्नचिन्ह खड़े होते रहे हैं।

इस संदर्भ में एक दुःखद यथार्थ यह रहा है कि अधिसंख्यक राज्यपाल पदधारकों ने संवैधानिक शक्ति का अपने विवेकाधिकार के तहत अनुच्छेद 200 का प्रयोग करते हुए विवादास्पद निर्णय दिये हैं। राज्यपाल राज्य का प्रहरी हैं। राज्य में भी मण्डल के सभी निर्णयों की सूचना उसे देना आवश्यक है तथा स्वयं में भी राज्य के प्रशासन से सम्बन्धित सूचनाएं मांग सकता है। अनु. 213 में वह निर्देश दे सकता है। किस भी मंत्री द्वारा लाये गये निर्णय को मंत्रीमण्डल के समक्ष विचार विमर्श हेतु रख सकता है। संविधान का अनु. 356 कहता है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन कर सकता है कि राज्य में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल के ऐसे प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। उक्त संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करने पर राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की निर्णायक महत्वपूर्ण भूमिका के संकेत मिलते हैं।

भारतीय संसद में राज्यपाल पद को लेकर संविधान सभा में काफी विचार-विमर्श हुआ एवं दीर्घकालीन बहस के बाद अन्ततः संविधान में राज्यपाल के पद को स्वीकार किया। पिछले कुछ वर्षों से देश में राजनीतिक दलों, विधायकों, जनता और समाचार पत्रों में राज्यपाल पद पर अपना ध्यान केन्द्रित करते रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर इस विषय पर विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया। राज्य की सरकारों द्वारा भी राज्यपाल पद पर प्रतिक्रिया करने की बातें आती रही हैं, जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राज व्यवस्था में राज्यपाल का पद संघीय शासन व्यवस्था के प्रतिमान संवादों, आलोचनाओं, असंतोष का विषय बनता जा रहा है।

परिचयात्मक शोध का महत्व – आपातकाल (अनु-356) की स्थिति में सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आपातकाल लागू होने का परिणाम यह होता है कि व्यक्तियों को प्रदान किया गया स्वतन्त्रता का अधिकार स्थगित हो जाता है।

1975 के पूर्व तक संविधान के आपातकालीन प्रावधानों का बहुत बड़े पैमाने पर कोई दुरुपयोग नहीं किया गया था, लेकिन 1975 में इन प्रावधानों का भारी दुरुपयोग हुआ।

इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लग सकेगी परन्तु अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए अब तक कोई उचित प्रबन्ध नहीं किया गया है। यदि ऐसा न किया गया तो किसी भी दल की केन्द्रीय सरकार अनुच्छेद 356 का प्रयोग अपने राजनीतिक लाभों के लिए और विपक्षी दलों का आघात पहुँचाने के लिए कर सकती है इसलिए हमारा सुझाव यह है कि रक्षा कवचों के रूप में कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए जो अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग होता रहेगा और लोकतन्त्र संसदीय व्यवस्था और संघवाद के सिद्धांत दलीय राजनीति की आहुति बनते रहेंगे।

पिछले पाँच दशकों के भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार ने अनुच्छेद 356 की सार्थकता एवं प्रासंगिकता के पक्ष एवं विपक्ष में एक बहुत बड़ी विवाद की स्थिति पैदा कर दी है। इसके पक्षधरों का कहना है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में सुदृढ़ केन्द्र की आवश्यकता और सुदृढ़ केन्द्र की अवधारणा अनुच्छेद 356 की प्रासंगिकता को बरकरार रखती है। देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने केन्द्र में करिश्मावादी नेतृत्व के युग का अवसान, राज्यों में व्याप्त अराजकता, अशांति और अव्यवस्था का शमन करने में अनुच्छेद 356 की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1947 के बाद अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिनमें अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था। राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी और इस व्यवस्था में राज्य का सुचारु संचालन सम्भव नहीं रह गया था। राज्य विधान सभा में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने राज्य में स्थिर सरकार की सम्भावनाओं के क्षीण हो जाने दल-बदल के कारण राज्य के राजनीतिक वातावरण के दूषित हो जाने, दलीय विभाजन के मंत्रिमण्डल के अल्पमत में आ जाने विधान सभाध्यक्षों के असामान्य के मंत्रिमण्डल के अल्पमत में आ जाने विधान सभाध्यक्षों के असामान्य आचरण से उत्पन्न राजनीतिक गत्याविरोध को समाप्त करने किसी सरकार के राज्य विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर पराजित हो जाने और वैकल्पिक सरकार के गठन की सम्भावनाओं के क्षीण हो जाने, संविद सरकार से किसी प्रमुख घटक या घटकों के समर्थन वापस ले लेने से उसके अल्पमत में आ जाने आदि परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प शेष रह जाता है। अतः अनुच्छेद 356 की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 356 को असाधारण स्थितियों का सामना करने के लिए ही संविधान में स्थान दिया है। इस अनुच्छेद के माध्यम से ही राष्ट्र में एकता व अखण्डता स्थापित करने व अलगाववादी शक्तियों को कुचलने में सहायता मिलती है। स्वतन्त्रता के पश्चात् अनुच्छेद 356 का जिस खुले रूप में दुरुपयोग किया गया उसने इस अनुच्छेद की उपयोगिता को कम किया है।

परिचालक शोध के सोपान - इस प्रकार इस अनुच्छेद के पक्ष-विपक्ष में अपने-अपने तर्क-वितर्क प्रस्तुत कर इसकी संविधान में बनाये रखने अथवा हटा देने सम्बन्धी मुद्दों पर बहस को जारी रखे हुए हैं, लेकिन इस पक्ष-विपक्ष के आरोपों-प्रत्यारोपों, तर्कों-वितर्कों से ऊपर उठकर एक संतुलित व्याख्या एवं विश्लेषण किया जाए तो स्वयं अनुच्छेद 356 का इसकी प्रकृति एवं स्वरूप का इसमें कोई दोष नहीं है। राज्यों में असाधारण परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने पर इस अनुच्छेद का प्रयोग राज्यों को राहत प्रदान कर संविधान के अनुसार शासन संचालन में उनकी सहायता करता है अतः राज्यों में आवश्यकता होने पर इस अनुच्छेद को लागू करना इसकी प्रासंगिकता एवं सार्थकता हो सिद्ध करता है, परन्तु केन्द्रीय शासन द्वारा

इसके दुरुपयोग पर रोक भी उतनी ही आवश्यक है। अतः इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि कोई भी पक्ष अथवा प्राधिकारी इसका दुरुपयोग न कर पाए। इसके लिए इसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अंतर्राज्यीय परिषद् तथा इसकी स्थायी समिति मिल बैठकर ऐसे दिशा निर्देश तैयार कर सकती है। जिनका अनुसरण करना सम्बन्धित पक्षों एवं प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य है।

परिचालक शोध के उद्देश्य - भारतीय न्यायपालिका ने भी समय-समय पर अपनी महत्वपूर्ण व्याख्याओं एवं निर्णयों के द्वारा इस आपातकाल के विभिन्न अंगों एवं उपांगों का स्वरूप निर्धारित किया है। राजनीतिक स्तर पर केन्द्र व राज्य सरकार सभी अनुच्छेद 356 के स्वरूप प्रयोग एवं सम्भावनाओं की निर्धारित करने में लगी हुई हैं। इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 263 को माध्यम बनाया है अनुच्छेद 356 के स्वरूप एवं प्रयोग को पूर्ण सम्मत आधार पर निर्धारित करने के प्रयास अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत गठित अंतर्राज्यीय परिषद् द्वारा किये जा रहे हैं।

परिचालक शोध का निष्कर्ष - समय-समय पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के निर्णयों को न्यायपालिका में चुनौती दी गई और न्यायिक निर्णयों ने इस प्रावधान से जुड़े हुए अनेक पहलुओं को प्रभावित किया है। इन निर्णयों का पूर्व के अध्यायों में विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है। ताजा न्यायिक निर्णयों के कारण कोई भी केन्द्र सरकार किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राष्ट्रपति लागू किए जाने का निर्णय लेने के पूर्व अनेक बार सोचती है। इन निर्णयों ने कार्यपालिका पर अंकुश लगाने का कार्य किया है।

राष्ट्रपति सामान्यतया राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में केन्द्र सरकार के निर्णयों को ही स्वीकृति प्रदान करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के.आर.नारायण ने प्रधानमंत्री इन्दुकुमार गुजराल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा की केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशासना को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सम्मुख प्रनविचार करने हेतु लौटा कर एक नई परम्परा को जन्म दिया। बाद में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने उसे पुनः राष्ट्रपति को नहीं लौटाया। इसका विस्तृत विश्लेषण उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करते समय किया जा चुका है। ऐसा निर्णय लेकर राष्ट्रपति ने अपनी स्वतन्त्र निर्णय-शक्ति का परिचय दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जिन राज्यों में राज्य विधानसभाओं को निलम्बित करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, वहाँ दलबदल तथा जोड़-तोड़ की राजनीति का प्रोत्साहन मिला। इसका परिणाम या तो राय विधानसभाओं के विघटन के रूप में हुआ अथवा लोकप्रिय सरकार के गठन के रूप में हुआ। मुख्यमन्त्रियों की सलाह पर राज्य विधानसभाओं का विघटन भी तीव्र विवाद का विषय बने।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, महेंद्र सिंह : इंडियन डेमोक्रेसी एण्ड कॉन्स्टीट्यूशन, डी.पी. एस पब्लिकेशन नई दिल्ली 2010
2. चौधरी एन.के. इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशन एण्ड एज्यूकेशन लिफा पब्लिकेशन, 2009
3. गहलोत, एन. एस. स्टेट गवर्नर्स इन इंडिया : एण्ड इयूज, गीतांजली पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1985
4. दास गुप्ता ए.डी., राइज एण्ड प्रोग्रेस ऑफ़ दी ब्रिटिश पॉवर इन इंडिया वोल्यूम ।
5. बनर्जी ए.सी. : इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन डोक्यूमेंट्स कलकत्ता (ए. मुखर्जी, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी 1048) वोल्यूम

आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले में उद्यमिता विकास की समस्याओं का अध्ययन

सोनिका सुर्यवंशी* मोरे ताराचन्द अम्बर**

* शोधार्थी, मालवांचल विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (वाणिज्य) मालवांचल विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश का बड़वानी जिला मुख्यतः आदिवासी बाहुल्य है। बड़वानी जिला मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले की स्थापना 25 मई 1998 को हुई। इससे पूर्व यह जिला खरगोन जिले का ही एक भाग था। बड़वानी जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नर्मदा नदी इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। जिले के दक्षिण में सतपुड़ा एवं उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ विद्यमान हैं। बड़वानी जिला भारत के मध्यप्रदेश राज्य का एक जिला है जिसका जिला मुख्यालय बड़वानी में है। जिले का क्षेत्रफल 5.427 किलोमीटर तथा सन् 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1385881 है जो कि 27.57 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हुई है। इस जिले का प्रसिद्ध नगर सेंधवा है जो कि कपास की विशाल मण्डी के लिए मशहूर है। यह नगर एक तहसील और बड़वानी जिले का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर भी है। सेंधवा में एक ऐतिहासिक महत्व का किला भी है।

बड़वानी से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर सतपुड़ा की पहाड़ियों में भगवान ऋषभदेव की 84 फीट की एक पत्थर से निर्मित प्रतिमा पहाड़ों से निकली है। जो बावनगजा के नाम से प्रसिद्ध है। यहां धान उद्यान केन्द्र भी है। बड़वानी जिले में नौ तहसील हैं जिनमें बड़वानी, सेंधवा अंजड़, ठीकरी, राजपुर, निवाली, पानसेमल, वरला, पाटी है। इस जिले के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य में गुजरात राज्य पूर्व में जिला खरगोन तथा उत्तर में जिला धार है। जिला पश्चिम में उच्चतम बिन्दु के साथ आकार में त्रिकोणीय है। बड़वानी शहर नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है।

उद्यमिता नये संगठन आरम्भ करने की भावना को कहते हैं। किसी वर्तमान या भावी अवसर का पूर्वदर्शन करके मुख्यतः कोई व्यावसायिक संगठन प्रारम्भ करना उद्यमिता का मुख्य पहलू है। उद्यमिता में एक तरफ भरपूर लाभ कमाने की सम्भावना होती है तो दूसरी तरफ जोखिम, अनिश्चितता और अन्य खतरे की भी प्रबल संभावना होता है।

उद्यम करना एक उद्यमी का काम है जिसकी परिभाषा इस प्रकार है:

‘एक ऐसा व्यक्ति जो नवीन खोज करता है, बिक्री और व्यवसाय चतुरता के प्रयास से नवीन खोज को आर्थिक माल में बदलता है। जिसका परिणाम एक नया संगठन या एक परिपक्व संगठन का ज्ञात सुअवसर और अनुभव के आधार पर पुनः निर्माण करना है। उद्यम की सबसे अधिक स्पष्ट स्थिति एक नए व्यवसाय की शुरुआत करना है। सक्षमता, इच्छाशक्ति से कार्य करने का विचार संगठन प्रबंध की साहसिक उत्पादक कार्यों व सभी जोखिमों

को उठाना तथा लाभ को प्रतिफल के रूप में प्राप्त करना है।’

उद्यमी मौलिक (सृजनात्मक) चिंतक होता है। वह एक नव प्रवर्तक है जो पूंजी लगाता है और जोखिम उठाने के लिए आगे आता है। इस प्रक्रिया में वह रोजगार का सृजन करता है। समस्याओं को सुलझाता है गुणवत्ता में वृद्धि करता है तथा श्रेष्ठता की ओर दृष्टि रखता है।

अर्थात् उद्यमीता वह है जिसमें निरंतर विश्वास तथा श्रेष्ठता के विषय में सोचने की शक्ति एवं गुण होते हैं तथा वह उनको व्यवहार में लाता है। किसी विचार, उद्देश्य, उत्पाद अथवा सेवा का आविष्कार करने और उसे सामाजिक लाभ के लिए प्रयोग में लाने से ही यह होता है। एक उद्यमी बनने के लिए आपके पास कुछ गुण होने चाहिए। लेकिन, उद्यम शब्द का अर्थ कैरियर बनाने वाला उद्देश्य पूर्ण कार्य भी है, जिसको सीखा जा सकता है। उद्यमशीलता नये विचारों को पहचानने, विकसित करने एवं उन्हें वास्तविक स्वरूप प्रदान करने की क्रिया है। ध्यान रहे देश के आर्थिक विकास के अर्थ में उद्यमशीलता केवल बड़े व्यवसायों तक ही सीमित नहीं हैं। इसमें लघु उद्यमों को सम्मिलित करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। वास्तव में बहुत से विकसित तथा विकासशील देशों का आर्थिक विकास तथा समृद्धि एवं सम्पन्नता लघु उद्यमों के आविर्भाव का परिणाम है।

उद्यमिता विकास की प्रमुख समस्याएँ:

1. उद्यमशीलता का अभाव की समस्या।
2. शासकीय कार्यालयों से पंजीयन एवं अनुमति संबंधी समस्या।
3. उद्यमिता विकास योजनाओं के उचित प्रचार-प्रसार का अभाव की समस्या।
4. तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव की समस्या।
5. उचित हितग्राही चयन प्रक्रिया का अभाव की समस्या।
6. औद्योगिक अधोसंरचना का अभाव की समस्या।
7. प्रशासनिक अकार्यकुशलता की समस्या।
8. कच्चे माल की अनुपलब्धता की समस्या।
9. विपणन संबंधी सुविधाओं का अभाव की समस्या।
10. जनजातीय भू-स्वामित्व की समस्या।
11. वित्तीय संसाधनों का अभाव की समस्या।
12. उद्यमी की प्रारम्भिक अवस्था की समस्या।
13. प्रारंभिक पूंजी एकत्र करने की समस्या।
14. औद्योगिक क्षेत्र में स्थान प्राप्त करने की समस्या।

15. श्रमिकों की समस्याएं।

16. आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता की समस्या।

औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत मूल संरचना के साथ-साथ उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास का वातावरण निर्मित किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए उद्यमिता विकास ही मुख्य साधन है। उद्यमिता विकास के लिए युवाओं को स्वरोजगार मार्गदर्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उन्नयन कार्यक्रम, कौशल विकास, अनुदान सहायता एवं वित्तीय ऋण, अन्य औद्योगिक आवश्यक सामग्रियों में छूट जैसे अवसर प्रदान किया जाना होगा। उद्यमिता

विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित, सतत्, तथा दीर्घकालीन रूप से संचालित करने पर ही औद्योगिक विकास का वातावरण निर्मित किया जा सकता है और कुशल युवा उद्यमी गढ़े जा सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शुक्ल : उद्यमिता विकास, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
2. विकिपीडिया एक मुक्त ज्ञानकोश।
3. ऑनलाईन डाटा
4. नई दुनिया समाचार पत्र।

राजस्थान विधानसभा चुनाव- 2013 के मतदान व्यवहार का प्रदेश अनुसार तुलनात्मक विश्लेषण

डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी *

* एसोसिएट प्रोफेसर, पहाड़ी राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – चुनावी आँकड़ों/तथ्यों पर राजनीतिक भूगोल वेता शोध कार्य कर रहे हैं। यह विषय चुनाव भूगोल से जुड़ा हुआ है। विकास के मुद्दों के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतरते हैं। उनको प्राप्त मत क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रतिनिधित्व चुनावी मुद्दों के आधार पर उस राजनीतिक दल को प्राप्त उस क्षेत्र का समर्थन होता है। इस समर्थन को विधानसभा क्षेत्र के अनुसार प्रतिशत विधि में बदलकर व स्थानिक मूल्य विधि के आधार पर प्रादेशिक विश्लेषण किया जाता है। यह प्रादेशिक विश्लेषण राजनीतिक दलों के आधार क्षेत्र को प्रकट करते हैं। कौन सा क्षेत्र उनके लिए अधिक समर्थन वाला है तथा कौन सा क्षेत्र अत्यंत कमजोर या मुश्किल वाला है, इसका विश्लेषण सरल होने के कारण दिनोंदिन इस प्रकार के शोध बढ़ रहे हैं। विकास एवं राजनीतिक मुद्दों के मध्य क्या संबंध है। इसका भी चुनावी आँकड़ों के विश्लेषण से तथ्य प्रकट किए जा सकते हैं। राजस्थान में 2013 में नवंबर एवं दिसंबर के मध्य राज्य में मतदान यज्ञ संपन्न हुआ। इस मतदान यज्ञ में कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली। भाजपा को 45.2 प्रतिशत मत प्राप्त हुए तथा 163 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस दल को 33.1 प्रतिशत वोट तथा 21 सीटों पर विजय मिली। इस चुनाव में अन्य राजनीतिक दलों में नेशनल पीपल पार्टी, किरोड़ी लाल मीणा द्वारा बनी, को 4 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय तथा 4.3 प्रतिशत वोट मिला था। बहुजन समाज पार्टी को 3.4 प्रतिशत वोट व 3 सीटें मिली। NUZP ने 2 सीट जीती थी। इस चुनाव में 3860,0626 लोगों ने अपना मत दिया। भाजपा को 23 निर्वाचन क्षेत्रों में 90 हजार से अधिक वैलिड वोट प्राप्त हुए। सर्वाधिक वोट झालरापाटन में 114384 मे मिले। कांग्रेस दल को एक मात्र सांचौर निर्वाचन क्षेत्र में 103663 वोट प्राप्त हुए। भाजपा की जीत का अंतर राज्य स्तर पर 26.51 मत प्रतिशत तथा कांग्रेस दल का जीत का अंतर राज्य स्तर पर 20.71% मत रहा था। इस चुनाव में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 34 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस दल को सभी में पराजय मिली। नगरी 52 निर्वाचन क्षेत्रों में से कांग्रेस दल को तीन निर्वाचन क्षेत्र में ही जीत प्राप्त हुई थी। चुनावी तथ्यों को प्रदेश अनुसार तुलनात्मक रूप से विभिन्न तत्वों के साथ इस शोधपत्र में प्रकट किया जा रहा है।

शोध उद्देश्य – इस शोधपत्र में 2013 में राजस्थान में संपन्न विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को प्राप्त विजय के प्रादेशिक स्वरूप का विश्लेषण करना है। विजय का मत अंतर कौन से क्षेत्र में अधिक रहा है, उसको प्रकट करना है।

विधि तंत्र व शोध सामग्री – इस शोधपत्र में नगरीय निर्वाचन क्षेत्रों एवं अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्रों में प्राप्त विजय के साथ नगरीय व अनुसूचित जाति जनसंख्या का संबंध प्रकट किया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पड़े वोट को – प्रतिशत विधि में बदलकर जीत के अंतर को प्रकट किया गया है। पत्र को पूर्ण करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का सहारा लिया गया है। तथा तत्कालिक समय में पत्र-पत्रिकाओं में छपे आलेखों को प्रयोग किया गया है।

भौगोलिक प्रदेश अनुसार राजनीतिक दलों की विजय के क्षेत्र- राजस्थान में 6 भौगोलिक प्रदेश है। नहरी प्रदेश में 11 निर्वाचन क्षेत्र, मरुस्थलीय प्रदेश में 19 निर्वाचन क्षेत्र, अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में 51 निर्वाचन क्षेत्र, अरावली प्रदेश में 18 निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश में 73 निर्वाचन क्षेत्र, तथा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश में 28 निर्वाचन क्षेत्र है। इन प्रदेशों की अपनी अपनी विशेषता है। इन प्रदेशों में राजनीतिक दलों को प्राप्त विजय का विश्लेषण निम्न रूप में है।

नहरी प्रदेश – यह प्रदेश राजस्थान के उत्तरी गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में अवस्थित है। यहां गंग नहर एवं इन्दिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित होता है। इस प्रदेश में कुल 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। भाजपा द्वारा सादुलपुर, करणपुर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, नोहर व भाद्रा निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी। तथा एनयूजेडपी दल को रायसिंहनगर एवं गंगानगर निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुई थी। कांग्रेस दल को शुन्य विजय प्राप्त हुई।

मरुस्थलीय प्रदेश – यह प्रदेश बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में एवं पश्चिमी जोधपुर जिले की तीन निर्वाचन क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रदेश 19 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जिसमें भाजपा ने खज्जाला, बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व, डूंगरगढ़, जैसलमेर, पोकरण, फलोदी, शेरगढ़ ओसियां, शिव, बायुत, पचपदरा, सिवाना, गुडामालानी व चौहटन सहित 15 क्षेत्रों में जीत दर्ज करी थी। कांग्रेस दल को कोलायत, बाड़मेर एवं नोखा सहित तीन क्षेत्रों में विजय मिली। लूणकरणसर में यूएनजेडपी विजय रही।

अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश – यह प्रदेश 8 जिलों में फैला हुआ है। जो अरावली के पूर्व से लूनी बेसिन तक विस्तृत हैं। इस प्रदेश में 51 निर्वाचन क्षेत्र है। भाजपा ने 39 व कांग्रेस दल ने 6 तथा अन्य ने 6 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी।

भाजपा को तारानगर, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, पीलानी, सूरजगढ़, उदयपुरवाटी, धोद, सीकर, खंडेला, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, लाडनू,

डीडवाना, जायल, नागौर, मेड़ता, डेगाना, मकराना, परबतसर, नावा, जैतारण, सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन, बाली, सुमेरपुर, लोहावट भोपालगढ़, जोधपुर, सूरसागर, लूणी, बिलाड़ा, आहोर, जालौर, भिनमाल, रानीवाड़ा, सिरौही एवं रेवदर में विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस दल को सरदारशहर, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़, सरदारपुरा एवं सांचौर निर्वाचन क्षेत्र में विजय प्राप्त हुई। अन्य दलों को मुंडावर, नवलगढ़, खेतड़ी, फतेहपुर, खीमसर और सादुलपुर में विजय प्राप्त हुई। इस चुनाव में भाजपा को अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में 39 निर्वाचन क्षेत्रों में औसत 32.32 प्रतिशत से विजय प्राप्त हुई। जो राज्य के औसत से 6 प्रतिशत अधिक है।

अरावली पर्वतीय प्रदेश- इस प्रदेश में कुल 18 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इन 18 निर्वाचन क्षेत्रों में से भाजपा ने 16, कांग्रेस दल ने 1, तथा एक निर्दलीय उम्मीदवार को जीत प्राप्त की थी। भाजपा ने पिंडवाड़ा आबू, खेरवाड़ा, उदयपुर, उदयपुर ग्रामीण, मावली, गोगुंदा, सलूबर, धरियावद, डूंगरपुर, आसपुर, सागवाड़ा, चौरासी, भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद व नाथद्वारा में विजय प्राप्त करी थी। कांग्रेस दल ने झाड़ोल में व निर्दलीय ने वल्लभनगर में विजय प्राप्त करी थी।

उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश- इस मैदानी प्रदेश में कुल 10 जिले फैले हुए हैं। इनमें 73 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अवस्थित हैं। इस प्रदेश के उत्तर में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दोसा, करौली, सवाई माधोपुर जिले हैं। तथा मध्य दक्षिण में जयपुर, अजमेर, टोंक एवं भीलवाड़ा अवस्थित हैं।

इस भौगोलिक प्रदेश में भाजपा ने 58 तथा कांग्रेस ने 9 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय दर्ज करी। निर्दलीय उम्मीदवार 6 निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी रहे थे। भाजपा द्वारा प्राप्त विजय विराटनगर, शाहपुरा, चोमू, फुलेरा, दूदू, झोटवाड़ा, जमवारामगढ़, हवामहल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगुरु एवं चाकसू तिलारा किशनगढ़ बास, मुंडावर, बहरोड़, थानागाजी, अलवर ग्रामीण, अलवर नगर, रामगढ़, कठूमर, कामा, नगर, भरतपुर, नदबई, वैर, बयाना, बसेड़ी, हिंडीन, बांदीकुई, महुआ, दोसा, गंगापुर, बामनवास, सवाई माधोपुर, खंडार, मालपुरा, निवाई, टोंक, देवली, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, पुष्कर, किशनगढ़, नसीराबाद, ब्यावर, मालपुरा, केकड़ी, आसींद, मांडल, शाहपुरा, भीलवाड़ा, सहाड़ा व मांडलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र थे। कांग्रेस दल को कोटपुतली, जहाजपुर, बानसूर, बाड़ी, राजाखेड़ा, टोडाभीम, करौली, सपोटरा में जीत मिली थी। आमेर, बरसी, राजगढ़, धौलपुर, लालसोट एवं सिकराई में अन्य दल विजय रहे थे।

दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश- यह प्रदेश राजस्थान के दक्षिणी चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ जिलों में फैला है। इस प्रदेश में कुल 28 निर्वाचन क्षेत्र हैं। भाजपा ने 26 निर्वाचन क्षेत्र में व कांग्रेस दल ने दो निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज करी। भाजपा ने प्रतापगढ़, घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, कपासन, निंबाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, बेगू, बूंदी, केशोरायपाटन, मनोहर थाना, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, पीपल्दा, सांगोद, लाडपुरा, रामगंजमंडी, बड़ी सादड़ी, खानपुर, अंता, बारा, छबड़ा एवं किशनगंज में विजय प्राप्त करी। कांग्रेस दल बागीदौरा एवं हिंडोली में विजय रहा था।

विजय का प्रादेशिक विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है की भाजपा का सर्वाधिक समर्थन अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में किया है, वहीं तुलनात्मक दृष्टि से कांग्रेस को उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक मैदानी प्रदेश में सफलता अधिक

मिली है।

विजय की तुलना मत प्रतिशत अंतर द्वारा- इस निर्वाचन में भाजपा को राज्य में औसत 26.95 मत प्रतिशत से 163 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। वहीं कांग्रेस दल को 20.71 औसत मत प्रतिशत से 21 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुई। राजनीतिक दलों की विजय को मत प्रतिशत द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है।

भाजपा की विजय

36 प्रतिशत मत से अधिक अंतर- 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 36 प्रतिशत मत से अधिक अंतर से 42 स्थानों में विजय प्राप्त की। ये निर्वाचन क्षेत्र भादरा, बीकानेर पूर्व, सूरजगढ़, खंडेला, नीमकाथाना, चोमू, फुलेरा, दूदू, जमवारामगढ़, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू, तिलारा, अलवर ग्रामीण, अलवर नगर, भरतपुर, गंगापुर, मालपुरा, टोंक, पुष्कर, ब्यावर, मेड़ता, जैतारण, सुमेरपुर, फलोदी, भोपालगढ़, पोकरण, जालौर, भिनमाल, पिंडवाड़ा, रेवदर, सलूबर, प्रतापगढ़, मांडल, भीलवाड़ा, कोटा, रामगंज मंडी, छबड़ा, डग, झालरापाटन, खानपुर, व मनोहर थाना, क्षेत्र में इस प्राप्त हुई।

32 से 36 मत प्रतिशत अंतर- इस अंतर से 20 निर्वाचन क्षेत्र में विजया मिली। हनुमानगढ़, विद्याधर नगर, मुंडवा, बहरोड़, दोसा, खंडार, देवली उनियारा, किशनगढ़, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, लाडनू, लुनी, बिलाड़ा, गुडामालानी, रानीवाड़ा, बांसवाड़ा, कपासन, कुंभलगढ़, राजसमंद व, आसीन्द में विजय मिली थी।

28 से 32 प्रतिशत मत अंतर- भाजपा को इस प्रकार मत अंतर से 17 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिली। ये क्षेत्र सूरतगढ़, रतनगढ़, कठूमर, महुआ, अजमेर उत्तर, नावा, सोजत, शिव, पचपदरा, सिवाना, सिरौही, उदयपुर शहर, चौरासी, घाटोल, बेगु, भीम व बूंदी थे।

22 से 28 मत प्रतिशत अंतर- इस दल को इस प्रकार की विजय 17 निर्वाचन क्षेत्रों में प्राप्त हुई। ये निर्वाचन क्षेत्र संगरिया, नोहर, चूरू, झोटवाड़ा, चाकसू, नदबई, वेर लोहावट, जोधपुर, सूरसागर, चौहटन, मावली, गड़ी, सहाड़ा, मांडलगढ़, सांगोद और बारा हैं।

राज्य में भाजपा की विजय का औसत 26.51% था। औसत से कम मत अंतर से जहां विजय प्राप्त हुई है उनका क्षेत्र इस प्रकार से है-

16 से 22 प्रतिशत मत अंतर- भाजपा ने राज्य में 29 निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार के अंतर से विजय प्राप्त करी थी। यह निर्वाचन क्षेत्र डूंगरगढ़, तारानगर, सुजानगढ़, पिलानी, उदयपुरवाटी, धोद, सीकर, विराटनगर, हवामहल, किशनगढ़ बास, नगर, डीडवाना, जायल, डेगाना, परबतसर, पाली, मारवाड़, बाली, ओसियां, बायतु, खेरवाड़ा, उदयपुर ग्रामीण, चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी, केशोरायपाटन, पीपल्दा, कोटा उत्तर, लाडपुरा एवं किशनगंज हैं।

10 से 16 प्रतिशत मत अंतर- भाजपा को 19 क्षेत्रों में यह विजय प्राप्त हुई। यह विजय सादुलशहर, पीलीबंगा, खाजूवाला, श्रीमाधोपुर, सिविल लाइन, किशनपोल, बयाना, बसेड़ी, हिंडीन, बांदीकुई, बामनवास, सवाई माधोपुर, मसूदा, केकड़ी, मकराना, आहोर, धारियावद, आसपुर व नाथद्वारा में प्राप्त हुई थी।

4 से 10 प्रतिशत मत अंतर- भाजपा ने 4 से 10 प्रतिशत मत अंतर से 8 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिली। यह जीत करणपुर, बीकानेर पश्चिम, आदर्श नगर, रामगढ़, निवाई, नागौर, शेरगढ़, व डूंगरपुर हुई थी।

4 प्रतिशत से कम मत अन्तर

भाजपा को 11 निर्वाचन क्षेत्र से यह विजयी मिली।

ये निर्वाचन क्षेत्र अनुपगढ़, जैसलमेर, शाहपुरा, कामा, थानागाजी, सागवाड़ा, गोगुंदा, कुशलगढ़, निंबाहेड़ा, शाहपुरा (जयपुर) तथा अन्ता है।

विवेचना- भाजपा को औसत मत, 22 से 28 प्रतिशत मत अंतर से 17 निर्वाचन क्षेत्रों में, औसत से अधिक 28 प्रतिशत मत अंतर से 79 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय मिली तथा औसत मत से कम मत अन्तर से 67 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिली। सर्वाधिक मत अन्तर से विजय अलवर नगर में 73.39 मत अन्तर से मिली।

कांग्रेस पार्टी की विजय- इस दल को 21 निर्वाचन क्षेत्रों में ही विजय मिली।

24 प्रतिशत मत अन्तर से 6 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिली। ये क्षेत्र नोखा, झुन्झुन, कोटपुतली, बांसुर, राजाखेड़ा व करौली है।

18 से 24 प्रतिशत मत अन्तर से विजय लक्ष्मणगढ़, सरदारपुरा, सान्चोर, व हिंडोली में, मिली।

12 से 18 प्रतिशत मत अन्तर से 3 क्षेत्रों टोडाभीम, बाड़ी, बागिदौरा में विजय मिली।

8 से 12 प्रतिशत अन्तर से बाढमेर, सरदार शहर सपोटरा, तथा 8 प्रतिशत से कम मत से विजय कोलयत, दातारामगढ़, जडोल, व जहाजपुर में हुई थी।

नगरीय निर्वाचन क्षेत्रों में विजय की तुलना- इस विधानसभा चुनाव में 52 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नगरीय आबादी 100000 से अधिक हैं। उनको नगरीय विधानसभा मानकर यहां विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त विजय उपलब्धि का विश्लेषण किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी को कुल 52 निर्वाचन क्षेत्रों में से 46 निर्वाचन क्षेत्रों में 30.71 मत प्रतिशत अंतर से विजय प्राप्त हुई है। कांग्रेस दल को कुल 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुई जिसका औसत मत प्रतिशत अंतर बी 21.2 था। 3 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्राप्त करी, जो की गंगानगर, धौलपुर व आमेर है।

1. नगरी विधानसभा क्षेत्र में से भाजपा ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की 25 विधानसभा क्षेत्रों में से 23 पर विजय प्राप्त करी है। यह निर्वाचन क्षेत्र अलवर, अलवर ग्रामीण, बहरोड, भरतपुर, दोसा, सवाई माधोपुर, हिंडौन, गंगापुर सिटी, अजमेर उत्तर, अजमेरदक्षिण, झोटवाड़ा, हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू, टोंक भीलवाड़ा, किशनगढ़, ब्यावर है।

2. अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश की 13 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से भाजपा ने 10 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी थी। ये क्षेत्र सीकर, चूरू, नागौर, जोधपुर, सूरसागर, पाली, सिरोही, जालौर, मकराना एवं सुजानगढ़ है। कांग्रेस पार्टी को सरदारपुरा, झुन्झुनू, बाडमेर में विजय मिली।

दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश के 6 निर्वाचन क्षेत्रों में से 6 पर भाजपा ने विजय प्राप्त करी। ये निर्वाचन क्षेत्र बूंदी, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, बारा, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ है।

अरावली प्रदेश के उदयपुर, उदयपुर ग्रामीण, राजसमंद व डूंगरपुर सहित चार निर्वाचन क्षेत्रों में से 4 पर भाजपा विजय रही। मरुस्थली प्रदेश की 3 क्षेत्रों में से 2 पर भाजपा व 1 पर कांग्रेस विजयी रही। नहरी प्रदेश की हनुमानगढ़ एवं गंगानगर नगरी विधानसभा क्षेत्रों में से हनुमानगढ़ में भाजपा

विजय रही। गंगानगर में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा था।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षित सीटों में विजय की तुलना- 2013 संपन्न विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु कुल 59 सीटें आरक्षित थीं। इनमें भाजपा एवं कांग्रेस दल द्वारा विजय सीटों का विवेचन यहां किया जा रहा है। भाजपा ने अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सभी 32 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी थी। जनजाति हेतु आरक्षित 25 निर्वाचन क्षेत्रों में से 18 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा तथा 4 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस दल विजयी रहा।

अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र- राजस्थान में कुल 34 निर्वाचन क्षेत्र इस वर्ग हेतु आरक्षित है। भाजपा ने 32 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त की।

40 प्रतिशत मत अंतर से 9 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी थी। यह क्षेत्र जमवारामगढ़, बगरू, अलवरग्रामीण, मेड़ता, भोपालगढ़, जालोर, रेवदर, रामगंजमंडी एवं डंग है।

30 से 40 प्रतिशत मत अन्तर से पांच निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी। ये निर्वाचन क्षेत्र दूदू, खंडार, अजमेर दक्षिण, बिलाड़ा एवं कपासन थे।

20 से 30 प्रतिशत मत अंतर से 7 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को विजय मिली। यह निर्वाचन क्षेत्र अनुपगढ़, धोद, चाकसू, कठूमर, सोजत, चौहटन तथा बारा थे।

10 से 20 प्रतिशत मत अंतर से भाजपा ने पीलीबंगा, खाजूवाला, सुजानगढ़, पिलानी, बयाना, बसेड़ी, हिंडौन, जयल एवं वेर में यह विजय प्राप्त करी।

10 प्रतिशत से कम मत अंतर से निवाई एवं शाहपुरा (भीलवाड़ा) में भाजपा को विजय प्राप्त हुई थी।

2 निर्वाचन क्षेत्रों सिकराई व रायसिंह नगर में अन्य प्रत्याशियों को विजय मिली।

कांग्रेस दल की उपलब्धि इस वर्ग हेतु आरक्षित क्षेत्रों में शून्य रही थी।

जनजातिवर्ग हेतु आरक्षित क्षेत्र

कुल 24 निर्वाचन क्षेत्र जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित है। इसमें भाजपा ने 18 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी थी।

40 प्रतिशत से अधिक मत से भाजपा ने पिंडवाड़ा आबू, जमवा रामगढ़ में विजय प्राप्त करी।

30 से 40 मतांतर द्वारा सलूबर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में विजय प्राप्त करी थी।

20 से 30 प्रतिशत अंतर से भाजपा ने चौरासी, घाटोल, गढी और किशनगंज में विजय प्राप्त करी।

10 से 20 प्रतिशत विजय अंतर से भाजपा ने 5 निर्वाचन क्षेत्रों में बामनवास, खेरवाड़ा, उदयपुर ग्रामीण, धरियावद एवं आसपुर में विजय प्राप्त करी।

10 प्रतिशत से कम अंतर द्वारा भाजपा ने गोगुंदा, डूंगरपुर, सागवाड़ा व कुशलगढ़ में विजय प्राप्त करी। नेशनल पीपुल पार्टी ने लालसोट व रामगढ़ में विजय प्राप्त करी थी।

विवेचना:

1. भाजपा ने अनुसूचित जाती वाली 93 प्रतिशत व जनजाति हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में 73 प्रतिशत विजय प्राप्त की।

2. कांग्रेस दल को जन जाति के लिये आरक्षित सपोटरा, तोडाभीम, झाडोल

व बागीदारा सहित 4 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त की।

सारांश—भाजपा को 2013 निर्वाचन में कांग्रेस दल की तुलना में 12.3 मत प्रतिशत अधिक मिला था। परिणाम स्वरूप भाजपा कांग्रेस से 142 विधानसभा सीटें अधिक जीत सकी थी। भाजपा दल को कांग्रेस पार्टी की तुलना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्रों में दो तिहाई से अधिक विजया समर्थन प्राप्त हुआ था। अतः स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मत धनात्मक रूप से भाजपा को मिले हैं। अर्थात् इन मतों के साथ भाजपा का संबंध पॉजिटिव है।

भाजपा को नगरीय मतदाताओं का राज्य के औसत से भी अधिक समर्थन मिला है। कुल 52 नगरीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 46 विधानसभा क्षेत्र भाजपा ने औसत 33 प्रतिशत मत अंतर से प्राप्त किए हैं। राज्य के विजय के औषत 26.54 की तुलना में 7 प्रतिशत नगरीय मतदाताओं ने भाजपा को अधिक समर्थन दिया है। अतः यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय कार्यों में लगे हुए, उच्च शिक्षित लोग, औद्योगिक कार्य में लगे लोग तथा नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले अन्य कार्यशील लोग भाजपा को अधिक पसंद करते हैं। ये स्थाई विकास चाहते हैं। जो इस मतदान से प्रकट होता है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर व कोटा सहित पांच प्रमुख नगरों में भाजपा को 95 प्रतिशत सीटों में विजय प्राप्त हुई है, जो यह स्पष्ट करता है कि नगरीय मतदाता विकास के लिए भाजपा को पसंद करते हैं। राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र एवं उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में भाजपा के जीत का औसत 30 प्रतिशत से अधिक था। अर्थात् इन प्रदेशों में भाजपा को मतदाताओं ने अधिकाधिक मतदान किया था। कांग्रेस पार्टी का मत समर्थन 33 प्रतिशत के पास था। जिससे वह 21 विधानसभा सीटें जीत सकी। शोध के उद्देश्य को प्रादेशिक विश्लेषण के द्वारा स्पष्ट किया गया है जो इस शोध को पूर्णता प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत निर्वाचन आयोग, विधानसभा चुनाव के रुझान और परिणाम

दिसंबर- 2022

2. अमानी, के.जेड., 1970, इलेक्शन इन हरियाणा-इंडिया: ए स्टडी इन इलेक्टोरल जियोग्राफी, द जियोग्राफर, वॉल्यूम - 17
3. गुप्ता, आर.डी., 1986, राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव: भौगोलिक वोटिंग व्यवहार का विश्लेषण (1967-1980), अप्रकाशित पीएच.डी. थीसिस, जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय
4. शर्मा, के., 1991, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस: वोटिंग व्यवहार के स्थानिक पैटर्न का एक केस अध्ययन (1977-1980-1985), अप्रकाशित पीएच.डी. थीसिस, जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय
5. श्रीवास्तव, एम.के. 1982, एक भारतीय राज्य का चुनावी भूगोल, इलाहाबाद अतुल शोध प्रबंध
6. आनंद, संतोष, 1989, जनजाति क्षेत्र में पंचायत चुनाव परिणामों का भौगोलिक विश्लेषण (1977-1982-1986): सज्जनगढ़ पंचायत समिति का विशिष्ट अध्ययन, अAnnals of the Rajasthan Association, Vol.9
7. शर्मा, राजमल, 1989, राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भाजपा की मत उपलब्धि मतदान व्यवहार का भौगोलिक विश्लेषण (1980-1985-1990), Annals of the Rajasthan Association, Vol.9
8. बड़ोला, सुमन, 1989, पंचायत चुनाव में जनजातीय नेतृत्व का निर्वाचन भौगोलिक विश्लेषण: प्रतापगढ़ पंचायत समीतु का विशिष्ट अध्न् (1977-1982-1987) Annals of the Rajasthan Association, Vol.9
9. चतुर्वेदी, राजकुमार एंड सारस्वत, प्रज्ञा, 2006, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन में राजनितिक दलों की मत उपलब्धि का भौगोलिक विवेचन (1996-2003), Geographical Aspects, Vol.9, 175&176

पी. वी. नरसिम्हा राव : एक प्रशासक के रूप में

मोहित कुमार नायक*

* शोधार्थी (लोक प्रशासन) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – पी.वी. नरसिम्हा राव का राजनैतिक जीवन और देश के प्रथम प्रशासक के तौर पर उनको हमेशा याद किया जायगा, राव ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, हैदराबाद में निजाम के खिलाफ 'ऑपरेशन-पोलो' में भारत को एक करने के लिए लड़े और जब देश को उनकी जरूरत पड़ी तब बदतर जो चुकी देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता के समय देश की कमान संभाली और अपनी आर्थिक नीति जैसे उदारीकरण-वैश्वीकरण को अपनाया और देश को आर्थिक भंवर से निकल कर देश को आर्थिक उचाईयां प्रदान की, पंजाब में आतंकवाद का खात्मा हो या, कश्मीर में शांति व्यवस्था को बहल करके चुनाव करवाना सब में राव ने एक कुशल प्रशासक के तौर पर देश को गति प्रदान करी, राव की दूरदर्शिता केवल घरेलू मामले में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 'पूरब की ओर देखो' जैसी नीति अपना कर चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को कम किया और भारत के संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करी, राव के कार्यकाल में 'अयोध्या-काण्ड' भी हुआ जिसका सारा दोष राव के पर थोप दिया जाता है लेकिन इस शोध पत्र में इसका तथ्यपूर्ण खंडन किया है, राव का कार्यकाल को जब पूरी समग्रता में देखा जाएगा तब उनको उनके कार्यकाल के दौरान किये गये आर्थिक, राजनैतिक और विदेशी मामलों में लिए गये फैसलों के लिए याद किया जाएगा, चाहे देश को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करना हो या भारत में आर्थिक फैसलों से उपजे नए मध्य-वर्ग का उभार का सामने आना जिसको अरस्तु ने लोकतंत्र के लिए आधार स्तम्भ बताया है, का श्रेय भी राव को ही जाता है, यह सब राव की दूरदर्शिता और कुशल प्रशासनिक सोच का ही परिणाम ही है, जिससे देश पुनः गतिमान हुआ और हर क्षेत्र में पूरी दुनिया में एक उभरती हुई शक्ति और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद देश शनै-शनै विकास के रस्ते चल रहा है।

शब्द कुंजी – पी.वी. नरसिम्हा राव, प्रशासक, प्रधानमंत्री।

प्रस्तावना – पी.वी. नरसिम्हा राव के नाम में नरसिम्हा राव उनकी दादा जी का नाम था, पामुलापति उनके परिवार का नाम था और जैसा की तेलुगू परंपरा में होता है, परिवार के नाम के बाद खुद का नाम जो की वेंकट था, लिखा जाता है, इसी वजह से उनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था।

राव का जन्म 28 जून में ब्रिटिश भारत में हुआ था, उनका परिवार वानगारा जो की चावल की खेत वाला क्षेत्र था जो की करीमनगर जिले में स्थित था और आज तेलंगाना कहलाता है, यह इलाका राव के खुद के शब्दों में 'एक सेतु है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में ये पांच भाषाई संस्कृति वाले प्रदेशों से जुड़ा हुआ था और इस गांव के लोग तेलुगू, हिंदी, मराठी, कन्नड और उड़िया बोली बोला करते थे। यहाँ पर सत्ता की भाषा उर्दू थी और निजाम के महल में आधिकारिक भाषा फारसी थी' यही वह कारण था जिस वजह से राव खुद दस भाषाओं से अधिक के जानकार थे, भाषाओं में पकड़ राव को एक बेहतर और कुशल प्रशासक बनने में कारगर साबित हुई, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रदेश की संस्कृति को वहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकते थे वहाँ के लोगों से संवाद कर सकते थे।

इस भाषाई जादूगरी का एक दिलचस्प किस्सा इंदिरा गांधी के समय को देखने को मिलता है कि जब कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़े को चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया तब 'इंदिरा गाँधी ने बूटा सिंह को चुनाव आयोग चिन्ह को चुनने के लिए भेजा वहाँ से फोन पर बूटा सिंह ने इंदिरा गाँधी को चुनाव चिन्ह के बारे में अपनी भारी

और पंजाबी अंदाज में बताया लेकिन वो इंदिरा गांधी को समझा नहीं पा रहे थे और बार बार इंदिरा गांधी हाथ की जगह हाथी समझ रही थी तंग आकर उन्होंने फोन राव को दे दिया, राव ने जैसे ही फोन पर बात करी और कहा की उसे हाथ नहीं पंजा कहते हैं और फोन रख दिया इंदिरा गाँधी ने तुरंत इस चुनाव चिन्ह के लिए मान गयी और आज भी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है' अगर उस समय बूटा सिंह की भाषा को राव नहीं समझते तो शायद आज कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कुछ अलग होता।

यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि राव 'ऑपरेशन पोली' जो कि सरदार पटेल द्वारा निजाम के खिलाफ हैदराबाद रियासत में चलाया गया था उसमें राव भी शामिल थी और जिस दिन देश आजाद हो रहा था, उस दिन राव जंगल में निजाम की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। यह वाक्या दिखलाता है कि राव आजादी के समय से ही भारत के न केवल स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि भारत को एक करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है।

राव 1971 में आंध्र प्रदेश के सीएम बने और बाद में केंद्रीय गृह, विदेश, वित्त, मानव संसाधन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में मंत्री रहे। राव उन चंद लोगों में से थे जिन्हें पीएम इंदिरा गाँधी के निवास में सीधा प्रवेश दिया जाता था और इंदिरा के बाद राजीव गाँधी भी राव की खूबियों के प्रशंसक थे और उनके कुशल प्रशासक होने की वजह से उन पर पूरा भरोसा था।

वृद्ध हो चले राव को विपरीत परिस्थितियों में देश के पीएम तथा कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालना पड़ा जबकि वे राजनीति से सेवानिवृत्त होने का

फैसला कर चुके थे, इसलिए उन्होंने 1991 के आम चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन राजीव गाँधी की हत्या के बाद राव पर दबाव बनाकर उनकी सेवानिवृत्ति का निर्णय वापस कराया गया, मगर अर्जुनसिंह व शरद पवार जैसे कांग्रेस के दो बड़े खेमों का आकलन था कि वृद्ध राव के दिन ज्यादा नहीं बचे हैं तथा राव के बाद राजगद्दी पर उनका ही कब्जा होगा, लेकिन यह है किसी को कहाँ पता था आने वाले समय में राव पूरे देश की तकदीर बदलने वाले हैं।²

विनय सीतापति ने राव की जीवनी लिखी है जिसमें उन्होंने राव का व्यक्तित्व को 50:50 की तरह पेश किया है, मसलन जैसा उनका नाम था नरसिम्हा जिसका मतलब था आधा शेर आधा इंसान और ये कहानी हम सबने सुनी हुई है की न दिन को ना रात को, ना आकाश में ना जमीन पर, इसमें हर जगह एक संतुलन होता है, एक मध्यवर्ती रास्ता होता है जो इस कहानी का असली सूत्र है, राव भी कुछ इसी तरह के व्यक्तित्व के इंसान थे जो मध्यस्थ दर्शन के मानने वाले इंसानों में से एक थे, सीतापति बताते हैं कि राव झूठ भी बोलते थे लेकिन ईमानदार भी थे, पैसा भी लेते थे किंतु खुद के लिए नहीं लेते थे, वो जानते थे कि जीत कैसे सकते हैं और हारना भी कितना जरूरी है, राव इन सब चीजों में महारत हासिल कर चुके व्यक्ति थे जो अपनी प्रतिभाओं के उच्चतम स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री बनें, राव एक ऐसे व्यक्ति थे जो विकेट से विकेट स्थिती में स्थिर रहना और माहौल को भांपते हुए निर्णय लेना, यह राव का एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें उन्हें कोई मात नहीं दे सकता था और यही वो चाबी थी जिससे उन्होंने प्रधानमंत्री के ताले के पद तक ले कर के गयी।³

राव एक बेहतरीन प्रशासक थे इस बात का इल्म इसी से लगता है कि उन्होंने जो अपनी कैबिनेट की टीम बनाई वो कितनी शानदार थी जिसके सितारे थे मनमोहन सिंह, जो बतौर वित्त मंत्री रहे लेकिन राव ने इस अनमोल हीरे को यूजीसी के चेयरमैन के पद से आधी रात को फोन करके अगले दिन वित्त मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता नहीं आदेश दिया, आज के समय में जहाँ हर कोई मंत्री का पद चाहता है और पार्टी बड़े नेताओं और जातिगत समीकरणों को साधने के लिए मंत्री पद की रेवड़ियाँ बाँटी जाती है, वहाँ राव ने एक ऐसे व्यक्ति को अपने वित्तमंत्री बनाया जो न तो राजनीतिक रूप से सुदृढ़ था न ही बोलने में महारत हासिल थी, लेकिन जिसकी अद्भुत प्रतिभा से देश भले ही वाकिफ न था, लेकिन प्रशासक राव ने अपने देश की वित्त मंत्रालय की कमान इस अर्थशास्त्री को सौंप दी।

यही वाक्या बताता है कि राव जो खुद विद्वान थे कई भाषाओं के जानकार थे मुख्यमंत्री रहकर और कई बड़े मंत्रालय में रह कर जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ यही वह कारण था जिससे वह न केवल एक कुशल प्रशासक साबित हुए बल्कि राजनीतिक विरोधियों पर भी राव भारी पड़े। जब वे देश के प्रधानमंत्री बनें तब देश बुरे आर्थिक हालत से जूझ रहा था, जिसकी कई वजह थी लेकिन प्रमुख थी जिसमें शीत युद्ध का अंत होना, यू.एस.एस.आर का बिखरना, गल्फ वॉर का शुरू होना और भारत में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से कड़े आर्थिक निर्णय न ले पाना, इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था खत्म होने की कगार पर आ गई थी, लेकिन राव और सिंह ने मिलकर कई बड़े और कड़े निर्णय लिए जैसे वैश्वीकरण की रणनीति अपनाई जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी देशों के लिए खोला गया, जिससे बाहर की बड़ी कंपनियां भारत में आई और भारत में निवेश किया जिस वजह से भारत में न केवल विदेशी भंडार पुनः बढ़ना शुरू हो गया बल्कि कंपनियों

अपने साथ नई तकनीक भी लाई जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर हुआ, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ वह यह कि आम आदमियों के काम में आने वाली चीजों में महंगाई में अभूतपूर्व कमी होना, जब विदेशी कंपनियां भारत में आई तो यहां की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में स्पर्धा चालू हो गई जिसका अंतिम फायदा भारत के आम आदमी को पहुंचा जिससे भारत में गरीब और अमीर के बीच एक नया वर्ग जो ना बहुत अमीर था ना बहुत गरीब यही, मध्य-वर्ग कहलाया जो आज भारत की राजनीतिक और आर्थिक सफलता का आधार स्तंभ है। मध्य-वर्ग आज भी भारत की सबसे ज्यादा राजनीति को प्रभावित करने वाला कारक है और देश की आर्थिक संपन्नता में भी इसका बड़ा योगदान है। इसी मध्यवर्ग को लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए अरस्तु ने अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है और इसे ही 'गोल्डन मीन' की संज्ञा दी है।

राव के महत्वपूर्ण फैसलों में केवल देश के अंदरूनी मामले ही शामिल नहीं थे बल्कि राव के समय में ही भारत ने क्षेत्रीय शक्ति के रूप में कदम बढ़ाया और चीन के साथ शक्ति संतुलन कायम करने के उद्देश्य से दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए 'लुक-ईस्ट' की नीति अपनाई, यही नहीं उन्होंने ईरान और इजरायल से भी रिश्ते मजबूत किए यह निर्णय बताते हैं कि प्रशासक के तौर पर जितनी गहरी समझ राव को भारत के अंदरूनी मामलों की थी, उतनी ही दूरदर्शिता उनके पास विदेशी मामलों में भी थी। यही नहीं उन्होंने पंजाब में आतंकवाद का सफाया कराया जिसकी मुहिम इंदिरा गांधी ने छेड़ी थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी स्थिरता बनाई और तत्पश्चात वहां पर और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराएं कश्मीर में पुनः राजनीतिक स्थिरता कायम हुई और कश्मीरियों का लोकतंत्र पर विश्वास वापस कायम हुआ।

लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कि किसी राजनेता या प्रशासक का काल बिना गलती या भूल के बिना नहीं होता, राव के साथ यही हुआ और उस वाक्य का नाम था 'अयोध्या कांड' जिसमें 6 दिसंबर 1992 में हिंदू कार सेवकों ने अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद जिसको बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी उसको तोड़ डाला। कार सेवकों का मानना था कि इसी जगह रामलला विराजमान हुए थे और उस मंदिर को तोड़कर बाबर ने मस्जिद को बनवाया था, जिसकी वजह से थे इस मस्जिद को तोड़ कर मंदिर यही बनाना चाहिए इस आंदोलन में कई नारे भी थे मसलन 'एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो', दूसरा था 'कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे', यह मुद्दा 1948 से चल रहा था जब कुछ कथित हिंदू राष्ट्रवादियों ने रात में मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति रख दी थी जब से यह मुद्दा शुरू हुआ तो इस मस्जिद को बंद कर दिया गया, लेकिन राजीव गाँधी ने शाहबानो केस में मुसलमानों को खुश करने के लिए जो तकरिरी अपनाई थी उससे हिंदू राष्ट्रवादी लोगो में गुस्सा पनप गया था जिसे शांत करने के लिए राजीव ने मस्जिद के ताले खुलवा दिए, जिसके बाद जनता पार्टी, आर.एस.एस. और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर मंदिर आंदोलन चलाया, लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए प्रमोद महाजन की राय पर रथ यात्रा निकाली और ये रथ जहाँ-जहाँ से गुजरा वह फिरकापरस्ती का जहर शहरों में और पूरे हिंदुस्तान में घोलता चला गया जिसकी परिणति 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद को तोड़ कर हुई।⁴

लेकिन यह इलजाम राव पर लगाना गलत है क्योंकि इसके विपक्ष में कई तथ्य हैं जो कुछ इस प्रकार हैं, पहला कि सोनिया गाँधी और राव के

सम्बन्ध ज्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि राव झुकना नहीं जानते थे, और एक प्रशासक के तौर पर राव पार्टी से ज्यादा अपने देश के लिए और अपनी पद की जिम्मेदारी के लिए समर्पित थे, राव और सोनिया गाँधी एक दूसरे से बात भी सिविल सर्वेंट वजहाथ हाबिबुल्ला और रामू दामोदरन के माध्यम से करते थे, सोनिया को डर था कि राव, नेहरू गाँधी परिवार का एकाधिकार कांग्रेस पर खत्म कर रहे हैं और यही वह वजह थी जिससे खुद कांग्रेस के बड़े वर्ग ने अयोध्या कांड की जिम्मेदारी राव पर थोप दी। दूसरे तथ्य यह था कि यूपी में बीजेपी की सरकार थी और कल्याण सिंह तब मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राव की खुली छूट के बावजूद अपनी पार्टी की लाइन और उसके मैनिफेस्टो में जो लिखा जाता था उसका पालन किया और आर.एस.एस का साथ दिया इसी कारण वश 'पुलिस को कुछ भी न करने का आदेश दे रखा था', यह वाक्य राष्ट्रवाद का अयोध्या कांड किताब में अभय कुमार दुबे ने विस्तार से बताया है। तीसरा तथ्य यह है कि जीस सांप्रदायिक खेल की शुरुआत राजीव गाँधी ने करी थी उसका फल राव को भुगतना पड़ा।⁵

राव अपनी 300 पृष्ठ की पुस्तक 'अयोध्या' 6 दिसंबर 1992 में बताते हैं कि मंदिर विवाद का समाधान केवल बीजेपी की ही वजह से नहीं हो पाया, वो भी तब जब राव खुद आर.एस.एस के नेताओं से नागपुर जा के मिलते थे, कई साधु संतों से लगातार मिल रहे थे और पूरा खाका तैयार कर लिया गया था, लेकिन अंत में सारे साधु बिफर गए और समझौता नहीं हो पाया जिसकी वजह से ये कांड हुआ।⁶

लेकिन बतौर इसके राव ने कुशल प्रशासक के तौर पर निर्णय लिए उन्होंने देश को आर्थिक उंचाइयों प्रदान करी, आम आदमी के हाथ में पैसा बचने लगा, तकनीक की तौर पर भारत संपन्न हुआ और आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, राव के आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों के लिए भारत और भारत के देशवासी हमेशा याद करेंगे। लेकिन फिर भी राव की मृत्यु जो 23 दिसंबर 2004 को हुई एक ऐसा वाक्या था जो उनके चाहने वालों को ही नहीं बल्कि हर एक हिंदुस्तानियों के मन में भी घर कर गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर ही रखा गया उसे अंदर रखने की इजाजत नहीं दी गई जाहिर सी बात थी की कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गाँधी थी और बाद में उनके शरीर को आंध्रप्रदेश भेज दिया गया, ऐसा तिरस्कार एक ऐसे व्यक्ति का जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत भारत को आजादी और बाद में उसको एक और फिर उसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगा दी उस व्यक्ति का ये हथ्र खुद उसी की कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया जिसके लिए भारतवासियों ने और खुद मनमोहन सिंह ने जो उनके शिष्य थे न केवल विरोध किया बल्कि आज भी

वो इस बात को भुलाये नहीं भूलते हैं।⁷ उनका ये हथ्र देखकर आखिर में यही कहना चाहता हूँ और अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, जो कैफी आजमी ने भगवान राम के लिए 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद लिखा था।

*'राम बनवास से जब लौटकर घर में आये
याद जंगल बहुत आया जो नगर में आये
रक्से-दीवानगी आंगन में जब देखा होगा
छह दिसम्बर को श्रीराम ने सोचा होगा
इतने दीवाने कहां से मेरे घर में आये
धर्म क्या उनका है, क्या जात है ये जानता कौन
घर ना जलता तो उन्हें रात में पहचानता कौन
घर जलाने को मेरा, लोग जो घर में आये
शाकाहारी हैं मेरे दोस्त, तुम्हारे खंजर
तुमने बाबर की तरफ फेंके थे सारे पत्थर
हैं मेरे सर की खता, जखम जो सर में आये
पाँव सरयू में अभी राम ने धोये भी न थे
कि नजर आये वहाँ खून के गहरे धब्बे
पाँव धोये बिना सरयू के किनारे से उठे
राम ये कहते हुए अपने दुआरे से उठे
राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे
छह दिसम्बर को मिला दूसरा बनवास मुझे'*

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रामचंद्र गुहा. (2012), भारत गाँधी के बाद-दिल्ली : पेंगुइन इंडिया, पृ. 168
2. अभय कुमार दुबे. (2011), लोकतंत्र के सात अध्याय . दिल्ली : वाणी प्रकाशन, पृ. 78
3. रशीद किदवई. (2018), टेन बलेट्स- गुरुग्राम : हचेते बुक पब्लिशिंग हाउस, पृ. 8
4. विनय सीतापति. (2021), हाफ-लायन - दिल्ली, पृ. 12
5. अभय कुमार दुबे. (2011), राष्ट्रवाद का अयोध्या कांड दिल्ली : वाणी प्रकाशन, पृ. 145
6. रशीद किदवई. (2021), भारत के प्रधानमंत्री : दिल्ली : सार्थक प्रकाशन, पृ. 134-142
7. रशीद किदवई. (2011), 24 अकबर रोड. दिल्ली : हचेते लोकल इंडिया, पृ. 122

Concept and Scope of White Collar Crimes: A Study

Dr. Priyanka*

*Assistant Professor (Law) Bhagwant University, Ajmer (Raj.) INDIA

Abstract - Our age is seeing a rush of financial violations as at no other time. It watches difficult to leave them. In such conditions numerous inquiries emerge before us. The most essential of those is, regardless of whether there was ever a dread of these financial violations of such an awesome power, to the point that it will wind up unthinkable for us to manage them? On the off chance that yes, why we have not felt caution of this dread? So as to find the consistent solution to these inquiries, it is essential to comprehend the idea of salaried wrongdoings given by E. H. Sutherland, who terms these monetary violations as Socio-financial wrongdoings since this class of violations influence the whole society.

Introduction - The idea of cushy wrongdoing is normally connected with E. H. Sutherland whose entering work around there concentrated of criminologists on its unsettling impact on the aggregate wrongdoing picture. Sutherland brought up that other than the conventional violations, for example, strike, burglary, dacoit, kill, assault; seizing and different acts including savagery, there are sure hostile to social exercises which the people of upper strata bear on in course of their occupation or business.

These exercises for quite a while were acknowledged as a piece of regular business strategies important for a canny expert man for his achievement in calling or business, along these lines any objection against such strategies frequently went unnoticed and unpunished. It must, be that as it may, be expressed that Sutherland was gone before by different essayists who concentrated consideration on the perils to society from the upper financial gathering who abused the acknowledged monetary framework to the weakness of regular masses. In 1934, Albert Morris attracted consideration regarding the need of an adjustment in accentuation in regards to violations. He declared that hostile to social exercises of people of high status carried out in course of their calling must be brought inside the classification of wrongdoing and ought to be made culpable.

Differential Association Hypothesis : Differential affiliation is a learning hypothesis which centers around the procedures by which people come to carry out criminal acts. As indicated by Sutherland, criminal conduct is found out in connection with different people in a procedure of correspondence. The primary piece of the learning of criminal conduct happens inside cozy individual gatherings. At the point when criminal conduct is found out, the learning incorporates, (a) methods of perpetrating the violations, which are in some cases extremely muddled, now and then

extremely basic; (b) the particular course of thought processes, drives, justifications and states of mind. The particular bearing of thought processes and drives is found out from meanings of the lawful codes as positive or troublesome.

A moment general process is social disruption in the group. Differential affiliation finishes in violations in light of the fact that the group isn't composed positively against that conduct. The law is squeezing one way, and different powers are squeezing the other way.

In outline, he trusted that a person's affiliation are resolved in a general setting of social association (for example, family pay as a factor of deciding home of family and much of the time, wrongdoing rate is to a great extent identified with the rental estimation of houses) and consequently differential gathering association as a clarification of different wrongdoing rates is predictable with the differential affiliation. Along these lines a portion of the cubicle violations, as indicated by Sutherland, are acknowledged as "would be expected" method which is a fundamental piece of the business subculture. The business strategies embraced are not viewed as offenses, and once a man joins the business he takes in the same and furthermore legitimizes it.

Idea Of White Collar Crimes : A desk wrongdoing is a moderately more up to date idea. It is related with the prominent criminologist, E. H. Sutherland. He displayed his idea of "clerical" wrongdoing in his deliver to the American sociological society in 1939, which was later distributed as "cushy culpability" in American sociological audit in 1940. He later composed his book entitled "White Collar Crimes" in 1949. He could inspire numerous criminologists and humanist of his chance through his comprehension of criminology his feedback was inescapable as it occurs with

every one of the hypotheses in light of the fact that no hypothesis is finished and Sutherland's professional wrongdoing was not a special case. Impact of his hypothesis was that he was debilitated by the corporate entryway in USA since his examination depended on 70 expansive partnerships. He needed to overlook a portion of the content from his composition. .

It is presented that Sutherland's meaning of cushy wrongdoings is dubious in numerous regards. Today just business strategies, word related wrongdoings, or expert violations can not exclusively be named as clerical wrongdoings. It additionally incorporates a tremendous zone of little wrongdoings like, accumulating, profiteering, dark advertising, nourishment debasing and so forth with regards to India. Sutherland's primary commitment is to make an unmistakable qualification between traditional impression of violations, for example, kill, burglary, robbery, assault, seizing and so forth and monetary wrongdoings. His commitment is to incorporate the cushy violations in research of the criminologists and sociologists as a unique subject, so that the correct and viable system of discipline of the wrongdoers of this class of crooks can be advanced.

Reasons for White Collar Crimes : Since the distinguishing proof of desk violations as the imperative zone of study, numerous reasons for its bonus in the public arena have additionally been recognized. Investigation of the reasons for cushy violations is likewise imperative since, at that point just we will have the capacity to recommend the measures to control the developing hazard of salaried wrongdoings, for example, defilement, pay off, proficient offense, legitimate unfortunate behavior, unreliability of the huge organizations and so forth "desk wrongdoing must be put on an indistinguishable balance from 'mass rebellion' of laws in atmosphere of general assessment, which view business rehearses as fundamental for fruitful execution regardless of whether they are illicit. The outcome is 'mass balance' of lawfulness which offer ascent to a gathering standard which endorses professional wrongdoings as 'typical reaction'.

According to the 29th Law Commission Report, "the failure of all segment of society to acknowledge in full the need of exclusive expectation of moral conduct) brings about the development and development of white apprehended and financial violations, renders implementation of law, more troublesome".

The said report counts the accompanying variables in charge of the expansion of salaried culpability:

The advances of innovative and logical improvement are adding to the rise of 'mass society'. With huge majority and a little controlling tip top, empowering the development of restraining infrastructures, the ascent of administrative class and unpredictable institutional instrument. The powerlessness of all segment of society to acknowledge in full the need brings about rise and development of office and monetary violations.

The monetary development and modern advance all

through the globe is a standout amongst the most essential reasons for the ascent in office wrongdoing. The financial status of the professional lawbreakers goes about as a protection from grasps of condemning. By methods for most capable impact the desk culprits make tracks in an opposite direction from the rigors of law. It helps in the spread of cushy hoodlums. Criminal law directors and judges are additionally purportedly thoughtful towards cushy lawbreakers which brings about their sans scotch go. Clerical lawbreakers are thoughtful, shrewd and stable under the front of high-societal position.

White Collar Crimes In Certain Professions : A portion of the callings including specialized mastery aptitude give adequate chances to desk culpability. Those incorporate therapeutic calling, building, lawful practice, private instructive establishments and so on.

Medical Profession: Clerical violations which are ordinarily dedicated by people having a place with restorative calling incorporate issuance of false therapeutic endorsement, helping illicit fetus removal, mystery administration to dacoits by giving master conclusion prompting their exoneration and offering test medication and solution to patients or physicists. Late strategies embraced by the individuals from this calling in treatment of their patients with a view to removing colossal aggregates from them has turned into an acknowledged standard, especially with those therapeutic men who don't have a decent practice or have just a peripheral winning.

Phony and deluding promoting is yet another zone in which the white guest crooks work. They make illicit and misdirecting cases of therapeutic cure through notices in daily papers, magazines, radio and TV in this manner adding to human hopelessness.

Numerous patent solutions are useless as well as hurtful. Comparative notices for makeup and contaminated nourishment are likewise far reaching practically speaking which are damaging to open health¹. These people may not infringe upon the letter of the law but rather, by abusing its soul, they perpetrate wrongdoings which are hostile to social as well as damaging to general wellbeing .

Engineering : In the designing calling, underhand dealings with temporary workers and providers, going of sub-standard works and materials and support of sham records of work-charged work are a portion of the regular cases of clerical wrongdoing. Outrages of this kind are accounted for in daily papers and magazines relatively consistently. Development of structures, streets, trenches, dams and extensions with sub-standard material imperils open wellbeing as well as results into gigantic misfortune to open exchequer . "it is presented that numerous ventures of ward amusements couldn't be finished in time on account of outrages of this sorts."

Legal Profession : In India, the attorneys calling isn't looked with much regard nowadays. There are two clear explanations behind this. The crumbling guidelines of lawful

training and exploitative practices turned to by the individuals from lawful calling to get clientage are for the most part in charge of the corruption of this calling which was once thought to be one of the noblest jobs.

The examples of manufacturing false proof, connecting with proficient witnesses, damaging moral principles of legitimate calling, turning to visit strikes to press their requests and depletory strategies in conspiracy with the pastoral staff of the courts are a portion of the normal practices which are regularly rehearsed by the lawful professionals.

For the most part, the expert evildoers and criminal groups have their own trusted legal advisors who can be relied on to orchestrate things and keep himself prepared with safeguard security or habeas corpus writ to stay away from capture of the hoodlum. In the event that the individuals from the group are captured, the legal advisor needs to discover ways and intends to mastermind or 'fix' their discharge. There are criminal legal advisor who organize proficient justifications, cooked observers in close contact with the police for protecting the hoodlum. We have a portion of the legal choices to examine on legitimate unfortunate behavior.

Educational Institutions : However another field where desk lawbreakers work with exemption are secretly run instructive establishments in this nation. The overseeing assemblages of these organizations figure out how to secure extensive aggregates by method for government awards or money related guide by submitting invented and counterfeit insights about their establishments. The instructors and other staff working in these organizations get a pitiful pay far not as much as what they really sign for, in this manner enabling an edge for the brilliant to snatch tremendous sum in this illicit way.

The deceive instructors can barely bear to grumble about this abuse to high ups as a result of the dread of being tossed out of employment. They are, in this manner, constrained to trade off with the circumstance. Despite the fact that the legislature has presented the plan of treasury-installments for educator for private organizations, however the issue still continues in one shape or the other. That separated, phony and counterfeit enrolment of understudies who are living far from the place of area of these establishments is yet another wellspring of unlawful winning for them.

They charge immense sums by method for gifts or capitation expenses from such penniless understudies. Indeed, even rackets work in these establishments for getting understudies to show up in various examinations based on controlled qualification declarations or residence authentications as a byproduct of gigantic aggregates. These untrustworthy and corrupt hones have harmed the standard of instruction in India to such a degree, to the point that it is making a hopeless misfortune the more youthful age.

As a general rule, these secretly oversaw instructive foundations as likewise those conferring some expert training appreciate the support of some persuasive government officials and a considerable lot of them are even possessed by them. Numerous such foundations are for all intents and purposes non-existent and are working as business shops, empowering the understudies to get degree on installment of gigantic aggregates in explicit infringement of the administration tenets, controls and standards, the extent of this clerical culpability has antagonistically influenced the standard of training in many states, and, in this way, issue should be handled through stringent statutory measures.

White Collar Crimes in Business Deals : The expression "office violations" was begat by Sutherland primarily for the business world and it is as yet wild. There have dependably been examples of infringement of trust. Sutherland made cautious investigation of various vast partnerships and business houses in United States and found that they were associated with unlawful contracts, blends and tricks in restriction of exchange, deception in publicizing, encroachment against copyrights and exchange marks, out of line work works on, influencing open authorities et cetera. The general population scarcely knows the craftiness of business culprits as they regard it as not very vital for their motivation. Sutherland credited the most astounding level of guiltiness to business world which incorporate exchange, agents and industrialists.

Criticism of Sutherland's Views on White Collar Crimes : Sutherland's meaning of cushy wrongdoing has evoked feedback from specific quarters. Coleman and Moynihan called attention to that absence of positive criteria for figuring out who are 'people of respectability and status' has made Sutherland's meaning of professional wrongdoing generally controversial. It appears to be likely that what Sutherland implied by this is nonattendance from feelings for wrongdoings other than cushy violations. The component of 'high societal position's as utilized as a part of the definition additionally prompts disarray: unmistakably it has far smaller significance than is given to that term in regular utilization. Sutherland himself did not adhere to this significance and included robberies and cheats conferred by center or even lower white collar class laborers in course of their business or work. A few pundits have recommended that a few wrongdoings ought to have been called as 'word related violations' as opposed to being named as 'clerical violations'. It is further contended that in actuality the vital "component in the meaning of office wrongdoing isn't the financial status of the individual, but instead the sort of wrongdoing and the conditions of its bonus. These ordinarily incorporate appropriating, false bookkeeping, pay off; misappropriation and so on tax-avoidance isn't a valid office wrongdoing, at any rate regarding Sutherland's definition in light of the fact that in spite of the fact that related with work, it isn't submitted over the span of an occupation. A

few commentators additionally assert that such infringement come surprisingly close to the Special Commition, Tribunals and Boards rather than typical criminal equity chairmen. In this manner, entirely, they can't come about into conviction of the guilty party and thus he can't be called 'criminal' in genuine sence of the term. Remarking on this part of the issue, tappan watches that treating individual carrying out office wrongdoing as criminal would mean veering off from lawful meaning of wrongdoing while individual esteem thought of the head would increase essential set up of accuracy and clearness of legitimate arrangements in choosing such cases. Sutherland, in any case, legitimizes the extraordinary technique of trial for desk hoodlums by regulatory organizations on the ground that it would shield the guilty party from the disgrace of criminal indictment². Another feedback regularly progressed against Sutherland's meaning of clerical wrongdoing is that incorporate even those infringement of law which are not dedicated in course of occupation or calling and these infringement don't really have a place with upper strata of society or the purported 'renowned gatherings'. For instance, tax-avoidance isn't conferred just by individual of high status yet it can be submitted by people having a place with center or even lower strata of society.

However another protest against the meaning of clerical wrong doing is that it doesn't really require mens rea which is a fundamental element of a wrongdoing. The precept of mens rea in view of custom-based law has no application to statutory offenses in India and the necessity of blameworthy personality might be prohibited either explicitly or by suggestion in such cases³.

Conclusion : Sutherland has given another measurement to the comprehension of criminology. It was he, who began the efficient investigation of the violations carried out by high society individuals, to be specific financial wrongdoings. These violations by and large go unheated and unpunished. Regardless of whether these crooks are rebuffed, still the discipline is light. This class of hoodlums appreciates the sensitivity of judges in the courts.

Issue with Sutherland's hypothesis is that it incorporates just the wrongdoings conferred by the privileged of society. In this way, it is extremely hard to

incorporate numerous violations in it, for example, tax avoidance, burglary and so on. In another period, this class of wrongdoings has turned out to be exceptionally muddled. Now and again, it is exceptionally hard to distinguish them. The lawbreakers of this class of wrongdoings are canny as well as utilizing the new innovation to carry out these violations. Today not just the individual of high society of society perpetrates these violations however even center and lower class is likewise similarly engaged with submitting them. Along these lines, the less difficult approach is separate the wrongdoings into two sections. From one perspective, customary wrongdoings, for example, kill, assault, burglary, hijacking, criminal coercion and so on the other, monetary wrongdoing which can be carried out by anyone incorporates a hoarder and an assessment dodger. As a matter of fact neither the customary wrongdoings, nor the financial violations can be conferred by the general population of specific class alone.

Mindfulness should be spread quick against the financial wrongdoings, for example, defilement. Quickly developing media can assume an essential part in spreading mindfulness against the hazard of financial violations. It is critical to advance an extraordinary system to bargain independently with these violations. Those organizations managing the financial violations, require extraordinary preparing to manage the risk.. These offices ought to be avoided the political impact. Laws ought to be made more stringent to manage these wrongdoings. It is imperative and in light of a legitimate concern for the general public to manage this class of violations as viably as could be expected under the circumstances. It is difficult to battle with the hazard without the more extensive open cooperation. Political will must be extremely solid in the event that we need to accomplish the objective in speedy time.

References:-

1. V. N. Paranjape, Criminology and Penology, 14th Ed. Central Law Publication, 2010, pp. 122-125
2. Walter Reckless : The Crime Problem, p. 345
3. Coleman & Moynihan : Understanding Criminal Data (1996) pp. 8-10

जनजातीय आन्दोलन - गुर्जर आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में

अनिता टॉक *

* सहायक आचार्य (समाजशास्त्र) राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

शोध सारांश - राजस्थान में अनेक जनजातियां पाई जाती हैं। ये जनजातियां अपनी कई समस्याओं से ग्रस्त भी हैं, किन्तु इनसे भी भिन्न अब यह समस्या उत्पन्न होने लगी है कि कई जातिय समूह स्वयं को जनजाति में सम्मिलित करने की मांग करने लगे हैं। राज्य में गुर्जरों द्वारा किया गया हिंसक आन्दोलन इसी का ज्वलंत उदाहरण है प्रस्तुत पत्र गुर्जर आन्दोलन के संदर्भ में इसी समस्या की पड़ताल का एक छोटा प्रयास है।

शब्द कुंजी - जनजाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण, सामाजिक समानता।

प्रस्तावना - संस्कृत के एक विश्वकोश के अनुसार गुर्जर शब्द दो शब्दों 'गुर' अर्थात् शत्रु और 'जर' अर्थात् हराने वाले से मिलकर बना है, अतः गुर्जर शब्द का अभिप्राय शत्रुओं को हराने वाले से है। भारत में गुर्जरों का उद्भव उत्तर भारत पर हुणों के आक्रमण के समय हुआ। सम्भवतः गुर्जर 'श्वेत हुणों' की ही एक शाखा है। 'डी.बी.भण्डारकर' के अनुसार गुर्जर हुणों के साथ भारत आए और उनका नाम गुर्जर पड़ा। गुर्जरों का उद्भव 'यायावर खज्जर' जनजाति से भी माना जाता है।

ब्रिटिश सरकार ने गुर्जरों तथा 150 अन्य समुदायों को अपराधी अधिनियम 1871 के अनुसार अपराधिक जनजाति घोषित किया। जिसे बाद में स्वतंत्र भारत (1952) में संशोधित किया गया। इसका प्रमुख कारण था कि - 1857 की क्रान्ति के समय गुर्जरों द्वारा ब्रिटिश सरकार को कड़ी टक्कर देना व विरोध करना व साथ ही गुर्जरों द्वारा आजीविका के लिए अपराधिक प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होना था। **द इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया** के अनुसार दिल्ली में गुर्जरों की छवि चोरी जैसी बुरी थी। राजपुताना गजेटियर ने इन्हें 'कृषक जनजाति' की उपमा दी। 1901 की जनगणना में इन्हें पशुपालक जनजाति माना गया। इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया में इनके लिए 'जनजाति' शब्द का प्रयोग किया गया। गेट ने 1911 में इन्हें 'ट्राईबल एनिमिस्ट' व डेलरिम्पल ने पशुपालक व चरवाहों के रूप में चिन्हित किया। ऐतिहासिक तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि जनजातिय गुर्जर राजाओं ने गुजरात, जोधपुर व काठियावाड़ से लेकर बलिया तक शासन किया। इनके शासनकाल में इन क्षेत्रों को 'गुज्जर देश' कहा जाता था। गुर्जरों को प्रतिहार राजाओं से भी जोड़ा गया।

गुर्जर जनसंख्या व प्रेक्ष्य स्थिति - भारत में गुर्जरों की अधिकांश जनसंख्या मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में है। जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में इन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त है।

राजस्थान की कुल जनसंख्या का 7-8 प्रतिशत भाग गुर्जर है। राजस्थान में गुर्जर मुख्यतः धौलपुर, भरतपुर, अलवर, झालावाड़, व बूंदी में निवास करते हैं। गुर्जरों का निवास स्थान मुख्यतः पहाड़ों की घाटियों, घने जंगलों व पठारी इलाकों में हैं।

गुर्जरों का सामाजिक व आर्थिक संगठन:-

धर्म - गुर्जर हिन्दू देवता को नहीं मानते हैं। ईष्ट के रूप में ये 'देवनारायणजी' की पूजा करते हैं, नन्हें भूमिया, भैरों, चवन आदि अन्य देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। अलग-अलग स्थानों के गुर्जर अलग-अलग देवी-देवताओं को मानते हैं। इनके मृतक संस्कार हिन्दुओं से भिन्न हैं। प्राकृतिक आपदाओं व शारीरिक रोगों से बचने हेतु देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना व पशुबलि का प्रयोग किया जाता है।

भाषा/संगीत - गुर्जरों की अपनी अलग भाषा है जो 'गोजरी' के नाम से जानी जाती है इनके लोकगीत भी भिन्न होते हैं- जैसे रसिया या कन्हैया। लोक नृत्य व वाद्य यन्त्र भी भिन्न होते हैं।

रहन सहन - गुर्जर झाड़ियों व लकड़ी के मकानों में रहते हैं। स्त्रियां और पुरुष अपने शरीर पर अनेक गोदने गुदवाते हैं। गुज्जर स्त्रियां शर्मिली होती हैं। इनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। ये मांसाहारी होते हैं। गुर्जरों के घर अन्य जातियों से दूर स्थित होते हैं।

विवाह - गुर्जर अन्तर्विवाही समूह है। इनमें बाल विवाह प्रथा व वधु-मूल्य का प्रचलन है उनमें बहुपति विवाह भी पाए जाते हैं, जैसे तमिलनाडु के गुर्जरों में। इनमें देवर विवाह का नाता प्रथा का भी प्रचलन है।

आर्थिक संगठन - गुर्जर अर्थव्यवस्था प्रमुखतः पशुपालन पर आधारित है। ये कृषि भी करते हैं। कुछ गुर्जर खेतों व पत्थर की खानों में भी कार्य करते हैं। गुर्जर व्यापारिक कार्य वस्तु-विनियम के माध्यम से करते हैं। जंगलों के समाप्त होने के कारण गुर्जरों की आय का प्रमुख स्रोत संकट में पड़ गया है।

गुर्जर आन्दोलन - गुर्जरों के सामाजिक व आर्थिक संगठन पर विचार करने से अनुभव होता है कि ये पिछड़े व अविकसित हैं। ये समय के साथ स्वयं को सशक्त व अधिकार सम्पन्न समूह के रूप में प्रतिष्ठित नहीं कर पाए। इसके साथ ही संयोग यह रहा कि जिन क्षेत्रों में गुर्जरों का बाहुल्य है वहीं मीणा भी संख्या में रहते हैं। मीणा चूंकि अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित हैं और शिक्षा व जागरूकता के कारण आरक्षण का सर्वाधिक लाभ मीणाओं को मिला है, अतः मीणाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रस्थिति गुर्जरों की तुलना में काफी उच्च हो गई। गुर्जर शिक्षा व जागरूकता के अभाव में इनके काफी पिछड़ गये मानव स्वभाव के अनुसार गुर्जरों में भी ईर्ष्या

उत्पन्न हुई। इस सापेक्ष पिछड़ेपन के कारण इनमें हीन भावना पनपने लगी। अब गुर्जर भी मीणाओं के समान अपनी प्रस्थिति उच्च करने के मार्ग तलाशने लगे। चूंकि जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में गुर्जरों को जनजाति का दर्जा प्राप्त है, अतः यह उदाहरण उन्हें कारगर हथियार लगा। राजस्थान में गुर्जर भी जनजाति का दर्जा प्राप्त कर मीणाओं के समान ही आरक्षण का लाभ उठाकर उंचा उठने को लालयित हो उठे। गुर्जरों की इसी ईर्ष्या की परिणित इस गुर्जर आन्दोलन के रूप में देखने को मिली।

कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में हुए इस आन्दोलन के परिणाम काफी हिसक रहे। रेलें व राजमार्ग रोके गए, चक्के जाम किए गए, कईयों को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी, कई घायल हुए। राज्य में तो सार्वजनिक जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ ही, इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब व जम्मू कश्मीर पर भी पड़ा। इसी बीच इस आन्दोलन को मीणाओं ने अपने खिलाफ समझा और इसका हिसंक प्रतिरोध करने लगे, जिसे सेना द्वारा नियंत्रित किया गया। इन सबके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा गुर्जरों को जनजातिय विशेषताओं सम्बन्धी तथ्य जुटाने व जांच करने हेतु न्यायधीश जसरज चौपड़ा की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जिसके एक सदस्य भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉ. योगेश अटल भी थे।

क्या गुर्जर एक जनजाति है? – किसी भी समूह को जनजाति का दर्जा देने के लिए सभी देशों ने कुछ निश्चित विशेषताएं निर्धारित कर रखी हैं। भारत में भी इसके कुछ निर्धारक बिन्दू हैं, जो निम्न हैं:-

1. आदिमकालीन स्थिति
2. विशिष्ट संस्कृति
3. भौगोलिक अलगाव
4. सम्पर्क हीनता
5. पिछड़ापन

गुर्जरों द्वारा स्वयं को जनजाति सिद्ध करने हेतु उपर्युक्त कसौटियों पर खरा उतरना था, अतः उन्होंने चौपड़ा समिति के समक्ष 1 लाख 15 हजार ज्ञापन प्रस्तुत किए। इन ज्ञापनों में जनजातीय प्रस्थिति प्राप्त करने हेतु अनेक रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गये। इसके पक्ष में गुर्जरों ने अनेक तर्क प्रस्तुत किए जिन्हें उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर परखेंगे :

1. आदिम संस्कृति – राजस्थान के अधिकांश गुर्जर जंगलों व रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं। बीमारी में वैद्य, ओझाओं व पुजारियों द्वारा झाड़-फूंक से ईलाज करवाते हैं। कैंसर जैसे असाध्य रोग के लिए नन्हें भूमिया व चर्म रोग के निदान के लिए पाबू महाराज की पूजा करते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि का भी प्रयोग करते हैं। राजस्थान के पूर्व गुर्जर विधायक कैंसर से मरे क्योंकि वे अस्पताल जाने को तैयार नहीं थे। झालावाड़ व बून्दी के कुछ क्षेत्रों में इन लोगों की श्मशान की छतरी के नीचे 6-6 माह तक जीवन यापन की जानकारी मिलती है। अदालती फैसलों के बावजूद गम्भीर मामलों में भी न्याय पंचायतों के फैसले ही मान्य होते हैं। क्षेत्र की न्याय पंचायतें देश निकाला जैसे आदेश भी देती हैं। गुर्जरों के देवता देवनारायण भीलों को मामा मानते थे। इस प्रकार गुर्जर व भीलों में निकट सम्बन्ध रहे हैं। अतः जब भील जनजाति है तो गुर्जर भी जनजाति ही है। गुर्जरों में गोदने गुदवाने का भी प्रचलन है।

2. विशिष्ट संस्कृति – गुर्जर स्वयं को हिन्दूओं से अलग मानते हैं। वे अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र चारों वर्णों से सम्बन्धित नहीं मानते

हैं। इनके देवी देवता भी हिन्दुओं से अलग है। इनके प्रमुख देवता देवनारायण नन्हें भूमिया, भैरों, चवन है। अलग-अलग भाग के अलग-अलग गुर्जर समूह देवी-देवताओं की पूजा करते हैं गुर्जरों के मकान लकड़ी व झाड़ियों के बने होते हैं। इनके अपने लोक-गीत, लोक-नृत्य होते हैं। इनके वाद्य यंत्र भी भिन्न हैं। गुर्जरों की अपनी भाषा गोजरी है। गुर्जरों की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित है। इनकी आजीविका के साधन प्राचीन व आदिम हैं।

3. भौगोलिक अलगाव – गुर्जरों के निवास पहाड़ों की घाटियों, घने जंगलों, बंजर भूमि व पठारों पर स्थित है। दूरी और भौगोलिक अलगाव के कारण गुर्जर नगरीय क्षेत्रों में बहुत कम जाते हैं। गुर्जर महिलाएं तो नगरीय जीवन से परिचित भी नहीं हैं।

4. सम्पर्क हीनता – गुर्जर अन्य समुदायों से सम्पर्क नहीं रखते हैं। गुर्जर महिलाएं शर्मिली होती हैं और अपने चेहरे पर घूंघट डाले रहती हैं। सम्पर्क के अभाव के कारण गुर्जर अन्य समाजों से कटे रहते हैं।

5. पिछड़ापन – जनजाति की एक प्रमुख विशेषता उसका पिछड़ापन है। गुर्जर स्वयं को सामाजिक व आर्थिक दोनों ही रूपों में पिछड़ा मानते हैं।

1. सामाजिक पिछड़ापन – गुर्जरों में अब भी विवाह की आदिम प्रथाएं बाल-विवाह, अर्न्तविवाह, वधु-मूल्य, देवर-विवाह, बहुपति विवाह (तमिलनाडू के गुर्जरों में) नाता आदि प्रचलित हैं। गुर्जरों में आज भी स्त्रियाँ खरीदी व बेची जाती हैं। धौलपुर में इस हेतु मण्डी/बाजार है। गुर्जरों में मृत्यु-भोज का प्रचलन है। गुर्जरों के मकान अन्य जातियों से दूर बने होते हैं। अलवर के किरास्का व दौसा के कोचर की ढाणी के गुर्जर उसी तालाब से पानी पीते हैं, जहाँ पशु नहाते व पानी पीते हैं। इन्हें ब्राह्मणों को दान देने का अधिकार नहीं मिला यहां तक कि भिखारी भी इनसे अनाज नहीं ले सकते थे। गुर्जर कभी सभ्य समाज का अंग नहीं बन सके, इसलिए इनके बारे में कहावत है कि 'जठै गुज्जर, वठै उज्जड़' अर्थात् जहाँ गुर्जर होते हैं, उनके पास गंवार रहते हैं। ये सभी बातें इनके पिछड़ेपन को दर्शाती हैं।

2. आर्थिक पिछड़ापन – गुर्जर अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित है। गुर्जर थोड़ी बहुत कृषि भी करते हैं। गुर्जर कहते हैं कि ये सीमान्त कृषक हैं और इनके पास कृषि भूमि बहुत कम, बंजर व अनुपजाऊ है। भूमिहीन गुर्जर खेतों व पत्थर की खानों में काम करते हैं। गुर्जर व्यापार में अधिकांशतः मुद्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। वे वस्तु विनिमय अधिक करते हैं। गुर्जर प्रधान गांवों में सड़कों, बिजली व आधुनिक सुविधाओं का अभाव है। पेयजल हेतु सरकारी सहायता नहीं है। गुर्जरों में शिक्षा का भी अभाव है। महत्वपूर्ण सेवाओं में भी गुर्जरों की सहभागिता न के बराबर है। सरकारी कर्मचारियों में गुर्जर जाति के कम ही लोग हैं।

उपर्युक्त तथ्य प्रस्तुत करने के साथ ही गुर्जर यह भी कहते हैं कि मीणा व गुर्जर दोनों ही गांवों के किनारों पर रहते हैं। दोनों की भाषा व प्रथाएं समान हैं। राजस्थान में मीणा युगों से कृषक समुदाय रहे हैं, गुर्जर नहीं। यदि मीणा जनजाति में सम्मिलित किये जा सकते हैं तो गुर्जर क्यों नहीं, जो कि वास्तव में जनजाति है। गुर्जर कहते हैं कि उनकी गलती इतनी ही है कि उन्होंने स्थानीय प्रथाओं को अपनाया। गुर्जरों का मानना है कि उनमें जागरूकता, सरकारी जानकारी व प्रतिनिधित्व के अभाव में गुर्जर प्रथम सूची में स्थान नहीं बना पाए। जबकि वे संविधान द्वारा प्रदत्त अवसरों में भागीदारी के लिए योग्यता रखते हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर गुर्जर स्वयं को जनजाति का दर्जा पाने योग्य समझते हैं।

आन्दोलन का प्रभाव – इस आन्दोलन के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार

ने गुर्जर, बंजारा व रैबारी जैसी अति पिछड़ी जातियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की विशेष व्यवस्था की। राजस्थान में ब्राह्मण, वैश्य व राजपूतों सहित विभिन्न जातियों को आर्थिक आधार पर 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके साथ ही राजस्थान में कुल आरक्षण 68 प्रतिशत हो जाएगा। यद्यपि 68 प्रतिशत आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के विपरीत है जिसके अनुसार 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तथापि तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण है, अतः यह गलत नहीं है।

निष्कर्ष – इस पूरे परिदृश्य पर दृष्टिपात के बाद यह कहना कि गुर्जर जाति है या जनजाति? इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, अपितु महत्वपूर्ण तो यह है कि हिंसक आन्दोलन द्वारा गुर्जर आरक्षण प्राप्त करने में सफल रहे, जो कि इस आन्दोलन का प्रमुख व एकमात्र लक्ष्य था। वास्तव में यह आन्दोलन मीणाओं द्वारा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का सर्वाधिक लाभ पाकर उच्च सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रस्थिति प्राप्त करने के प्रति ईर्ष्या का परिणाम था। गुर्जर अन्ततः इसमें सफल भी हुए। यह एक गम्भीर समस्या के रूप में परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि अभी भी आरक्षण का लाभ सभी अनुसूचित जातियों व जनजातियों को समान रूप से नहीं मिला है। गुर्जरों के इस सफल अभियान से प्रेरणा लेकर अनुसूचित जाति की वे जातियाँ जो अभी भी दबी व पिछड़ी हैं और आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाई हैं अलग या विशेष आरक्षण की मांग के लिए आन्दोलन या दबावनीति का सहारा ले सकती हैं। इस बात से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आरक्षण के गुर्जरों के इस आन्दोलन ने अन्य पिछड़े व शोषित समूहों के लिए आन्दोलन

का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, जो भविष्य में देश में अस्थिरता व अव्यवस्था को जन्म दे सकता है।

वास्तविकता यह है कि अब जाति या जनजाति की अनिवार्य विशेषताएँ उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती हैं जितना कि इनके अनुसूचित जाति या जनजाति में सम्मिलित होने पर मिलने वाले आरक्षण के लाभ का है। अब आरक्षण की राजनीति ही किसी समूह विशेष को जाति/जनजाति सिद्ध करने के निर्धारक की भूमिका में है। इसे हम एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाजशास्त्र के प्रो. योगेन्द्र सिंह के लेख के अनुसार इस प्रकार कह सकते हैं कि जाति के लक्षण, व्यवहार, रहन-सहन व सामाजिक संरचना को आधार बनाने की जगह आरक्षण भी राजनीति का हथियार बन गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत के आदिवासी गुर्जरो की चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ – जनक सिंह मीणा, कुलदीप सिंह मीणा
2. आरक्षण नीति और गुर्जर आन्दोलन – एम.के. बहरवाल, एन.एल. निनामा
3. गुर्जर वंश का गौरवशाली इतिहास – सितम्बर, डॉ. राकेश कुमार आर्य
4. Tribal Situation in India - Vidyut Joshi and Chandra Kant Upadhyay
5. जनजातीय समाजशास्त्र – एस.एल. दोषी व पी.सी. जैन
6. सामाजिक समस्याएँ – डॉ. राम आहूजा

भारत में कपास की कृषि

डॉ. श्यो चन्द बाकोलिया* डॉ. बिन्दिया सोनी**

* अतिथि संकाय (भूगोल विभाग) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** प्राध्यापक (भूगोल) स्कूल शिक्षा विभाग (माध्यमिक) राजस्थान भारत

शोध सारांश – भोजन, वस्त्र और मकान मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ मानी जाती हैं। जिसमें भोजन के बाद कपास से कपड़े की आपूर्ति की जाती है। इसलिए कपास की फसल का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। कपास की खेती से खाद्य तेल भी इसके बीजों से प्राप्त होता है। यह मानवीय वस्त्र की आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। कपास उत्पादक क्षेत्रों से लेकर कपड़ा निर्माण और विपणन में लगे लोगों के लिए यह रोजगार का माध्यम भी है। भारत विश्व का एक महत्वपूर्ण कपास उत्पादक क्षेत्र है। भारत विश्व में कपास के बोये गये क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कपास का उत्पादन देश के विभिन्न भागों में होता है। शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का विश्लेषण प्रस्तुत करना है। शोध उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न राजकीय संस्थानों से द्वितीयक आंकड़ों का संकलन किया गया है। आंकड़ों के निष्कर्ष से स्पष्ट है भारत में कपास के अंतर्गत विश्व का सबसे अधिक क्षेत्र होने के साथ-साथ विश्व कपास का लगभग एक चौथाई उत्पादन के साथ सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश भी है। कपास की औसत उत्पादकता में भारत काफी पिछड़ा हुआ है। देश के उत्तर, मध्य एवं दक्षिणी राज्यों में कपास की कृषि सिंचाई एवं वर्षा के सहारे की जाती है।

शब्द कुंजी – कपास, कृषि, उत्पादन, उत्पादकता।

प्रस्तावना – कपास दुनिया के आर्थिक और सामाजिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फाइबर फसलों में से एक है। यह विश्व की व्यापारिक फसलों में सबसे पुरानी है। कपास को सफेद सोना के रूप में जाना जाता है और यह दुनिया के सबसे समृद्ध कपड़ा उद्योगों के लिए सामग्री प्रदान करता है। कपास भारत में खेती की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों में से एक है। भारत का कुल वैश्विक कपास उत्पादन में लगभग एक चौथाई भाग है। यह अनुमानित 6 मिलियन कपास किसान और 40-50 मिलियन लोग जो कपास प्रसंस्करण एवं व्यापार से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए की आजीविका को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कपास के आर्थिक महत्व को देखते हुए इसे व्हाइट-गोल्ड भी कहा जाता है। भारत में कपास का उत्पादन विभिन्न जलवायुवीय दशाओं में किया जाता है। कपास उपोष्ण कटिबन्धा का पौधा है, जिसे लम्बे वर्द्धनकाल की आवश्यकता रहती है। फसल के विकास के लिए खुली धूप आवश्यक होती है। कपास की सफल कृषि के लिये 180 से 200 दिन पाला रहित होने चाहिये। 60 से 115 सेन्टीमीटर तक वार्षिक वर्षा सर्वाधिक अनुकूल मानी जाती है। इससे कम वर्षा होने पर सिंचाई के सहारे कपास की खेती की जाती है, जैसे कि मिस्र, पाकिस्तान एवं उत्तर भारत में। कपास के पौधों के लिये जलोढ़ तथा काली मिट्टियाँ सबसे उपयुक्त रहती हैं। देश के विभिन्न राज्यों में कपास की कृषि मुख्यतः खरीफ की फसल के रूप में की जाती है परन्तु कुछ राज्यों में खरीफ के अलावा रबी फसल के रूप में भी कपास का उत्पादन किया जाता है।

शोध उद्देश्य एवं विधि तन्त्र – इस शोध पत्र में भारत में कपास की कृषि का भौगोलिक वितरण प्रस्तुत किया गया है। शोध पत्र में कपास की कृषि (बोया गया क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता) का राज्यवार विश्लेषण करना प्रमुख

उद्देश्य है। निर्धारित शोध उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा कपास की कृषि के विगत वर्ष के आंकड़ों का संकलन किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान कपास फसल के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता सम्बन्धी आकड़े आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट से प्राप्त किये गये। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कपास सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन यू.एन.ओ. के कृषि एवं खाद्य संगठन की वेबसाइट से प्राप्त किये गये। संकलित आंकड़ों को सामान्य सांख्यिकीय विधियों से विश्लेषित कर तालिका एवं आरेखों के माध्यम से दर्शाया गया है।

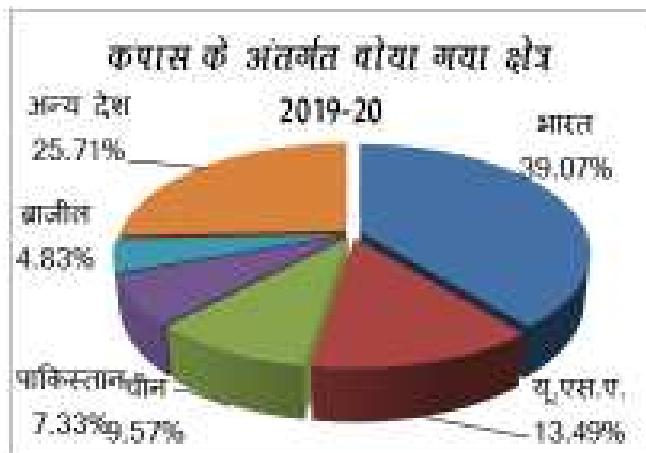
कपास की कृषि का वैश्विक परिदृश्य – कपास एक व्यावसायिक फसल है। कपास का उत्पादन एशिया, उत्तरी मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप एवं आस्ट्रेलिया महाद्वीपीय देशों में होता है। कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक शाओं की उपलब्धता एवं सिंचाई की सहायता से कपास का उत्पादन भारत के अलावा यू.एस.ए., चीन, पाकिस्तान, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, टर्की, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूनान, सीरिया, माली, मिस्र एवं अर्जेंटीना आदि देशों में किया जाता है। तालिका 1 वर्ष 2019-20 के दौरान विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देशों के बोये गये क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता सम्बन्धी आंकड़ों को दर्शाया गया है।

तालिका 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 के दौरान विश्व में 34.494 मिलीयन हेक्टर क्षेत्र में कपास की कृषि की गयी जिस से 26.13 मिलियन टन कपास का उत्पादन हुआ। कपास की वैश्विक औसत उत्पादकता 758 किलोग्राम प्रति हेक्टर दर्ज हुई। आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है जिसमें

13.477 मिलियन हेक्टर क्षेत्र पर कपास की फसल बोयी गयी एवं 460 किलोग्राम प्रति हेक्टर उत्पादकता की दर से कुल 6.21 मिलियन टन कपास का उत्पादन हुआ। इस प्रकार भारत में विश्व के बोये गये कुल कपास क्षेत्र एवं उत्पादन का क्रमशः 39.07 प्रतिशत एवं 23.77 प्रतिशत भाग है। इसी प्रकार यू.एस.ए. में विश्व के 13.49 प्रतिशत कपास क्षेत्र एवं 16.61 प्रतिशत उत्पादन का भाग है। वर्ष 2019-20 में यू.एस.ए. में कपास की उत्पादकता 932 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। चीन में 3.30 मिलियन हेक्टर क्षेत्र है जो कि वैश्विक कपास के कुल क्षेत्र का 9.57 प्रतिशत है। चीन 5.8 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है जो वैश्विक उत्पादन का 22.20 प्रतिशत है। चीन देश की कपास की उत्पादकता 1758 किलोग्राम प्रति हेक्टर दर्ज की गयी है। पाकिस्तान में 2.527 मिलियन हेक्टर क्षेत्र पर कपास की कृषि की जाती है जो विश्व का 7.33 प्रतिशत एवं कुल उत्पादन 1.32 मिलियन टन हुआ जो विश्व के कुल कपास उत्पादन का 5.05 प्रतिशत है। पाकिस्तान में कपास की उत्पादकता 5.22 किलोग्राम प्रति हेक्टर दर्ज हुई।

आरेख: 1



इसी प्रकार ब्राजील में वर्ष 2019-20 के दौरान 1.666 मिलियन हेक्टर क्षेत्र पर कपास की कृषि की गयी जो विश्व के कुल कपास क्षेत्र का 4.83 प्रतिशत है जबकि यहाँ कपास का उत्पादन 3.00 मिलियन टन हुआ जो कि वैश्विक उत्पादन का 11.48 प्रतिशत है। यहाँ की कपास उत्पादकता 1802 किलोग्राम प्रति हेक्टर दर्ज हुई। इस प्रकार भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास क्षेत्र एवं उत्पादक देश है परन्तु यहाँ की उत्पादकता कम दर्ज की गयी है।

भारत में कपास की कृषि - भारत कपास की सभी चारों प्रजातियाँ (जी.आर्बोरियम, हर्बेशियम (एशियाई कपास), जी.बारबार्डेस (मिस्त्र का कपास) एवं जी. हिर्सुटम (अमेरिकी अपलैंड कपास) की कपास पैदा की जाती है। जी.हिर्सुटम भारत में पैदा होने वाली 94 प्रतिशत हाइब्रिड कपास इसी श्रेणी की है साथ ही वर्तमान की सभी बीटी कपास प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में कपास का अधिकांश उत्पादन दस प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों से होता है जिन्हें निम्नानुसार तीन विविध कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है: (1) उत्तरी क्षेत्र - पंजाब, हरियाणा और राजस्थान (2) मध्य क्षेत्र - गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश एवं (3) दक्षिणी क्षेत्र - तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में कपास फसल के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता संबंधी

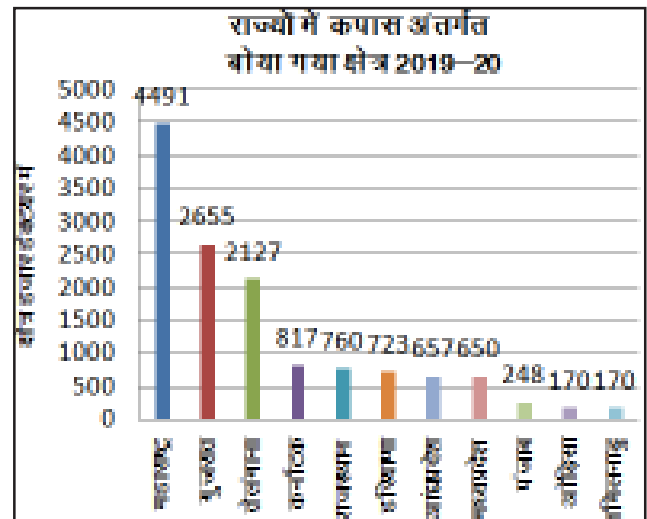
आंकड़ों का राज्यवार वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है

तालिका 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

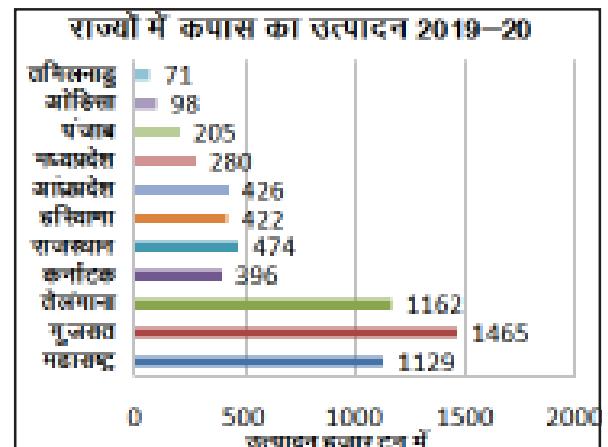
तालिका में देश में वर्ष 2011-19-20 के दौरान कपास फसल के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता संबंधी विभिन्न राज्यों के आंकड़ों को दर्शाया गया है। तालिका में दर्शाए गये आंकड़ों को का विश्लेषण इस प्रकार है-

महाराष्ट्र: राज्य का देश में कपास फसल का सर्वाधिक क्षेत्र आता है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में 4491 हजार हेक्टर क्षेत्र के अंतर्गत कपास की फसल बोयी गई जो कि फसल के अंतर्गत देश के कुल बोये के क्षेत्र का 33.32 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर है। साथ ही राज्य में 1129 हजार मीट्रिक टन कपास उत्पादन हुआ जो कि देश के कुल कपास उत्पादन का 18.41 प्रतिशत है। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य गुजरात व तेलंगाना के बाद तीसरे स्थान पर है। राज्य में कपास फसल की उत्पादकता 251 किलोग्राम प्रति हेक्टर है जो की राष्ट्रीय औसत 455 किलोग्राम प्रति हेक्टर से काफी कम है जिसके कारण राज्य का अधिकतम क्षेत्र होने के बावजूद भी उत्पादन में पिछड़ा हुआ है। राज्य के जलगांव, यवतमाल, औरंगाबाद, बीड, जालना, अमरावती, वर्धा, नांदेड, धूले, परभणी, बुलढाणा, अहमदनगर, चांदपुर, अकोला, नागपुर, नंदुरबार, नासिक व हिंगोली आदि प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं।

आरेख:2



आरेख:3



गुजरात: राज्य का देश में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में 2655 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत कपास की फसल बोयी गई जो कि फसल के अंतर्गत देश के कुल बोये के क्षेत्र का 19.70 प्रतिशत के साथ तृतीय स्थान पर है। गुजरात राज्य में 1465 हजार मीट्रिक टन कपास उत्पादन हुआ जो कि देश के कुल कपास उत्पादन का 23.89 प्रतिशत है। राज्य में कपास फसल की उत्पादकता 552 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है जो की राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य के अमरेली, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, मोरबी, जामनगर, बोटड, अहमदाबाद, भरुच, छोटा उदयपुर, वडोदरा, जूनागढ़, कच्छ, साबरकांठा व नर्मदा जिले कपास के प्रमुख उत्पादक हैं।

तेलंगाना: देश का तीसरा महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्य है। राज्य का देश में कपास उत्पादन की दृष्टि से दूसरा एवं बोये क्षेत्र की दृष्टि से तीसरा स्थान है। वर्ष 2019-20 में राज्य में 2127 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत कपास की फसल बोयी गई जो कि देश के कुल कपास क्षेत्र का 15.78 प्रतिशत है जबकि राज्य में 1162 हजार मीट्रिक टन कपास उत्पादन हुआ जो कि देश के कपास के कुल उत्पादन का 18.95 प्रतिशत है। राज्य में कपास फसल की उत्पादकता 546 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। राज्य के नलगोंडा, नागरकुर्नुल, आदिलाबाद, संगारेड्डी, कोनाराम भीम असिफाबाद, खम्माम, सिद्दिपेट व रंगारेवी जिले कपास के प्रमुख उत्पादक हैं।

कर्नाटक: कपास फसल के अंतर्गत बोये गये क्षेत्र की दृष्टि से देश चौथा महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर खरीफ एवं रबी दोनों फसलों के अंतर्गत कपास की कृषि की जाती है। वर्ष 2019-20 में राज्य में 817 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत कपास की फसल बोयी गई जो कि देश के कपास के कुल क्षेत्र का 6.06 प्रतिशत है। राज्य में इस वर्ष 396 हजार मीट्रिक टन कपास उत्पादन हुआ जो कि देश के कपास के कुल उत्पादन का 6.46 प्रतिशत है। राज्य में कपास फसल की उत्पादकता 485 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। राज्य के यादगिरी, रायचूर, कुलबर्गी, धारवाड़, बेल्लारी, हावेरी एवं विजयपुरा आदि प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं।

राजस्थान: राज्य का देश में कपास उत्पादन में चौथा एवं बोये गये क्षेत्र की दृष्टि से पांचवा स्थान है। राज्य में कपास फसल की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से अधिक है जो कि 624 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। राज्य में वर्ष 2019-20 के दौरान 760 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत कपास की फसल बोयी गई जो कि फसल के अंतर्गत देश के बोये गये कुल क्षेत्र का 5.64 प्रतिशत के साथ पांचवा स्थान पर है। राजस्थान में 474 हजार मीट्रिक टन कपास उत्पादन हुआ जो कि देश के कुल कपास उत्पादन का 7.73 प्रतिशत है। राज्य में आधे से अधिक कपास का उत्पादन उत्तरी भाग के दो जिलों श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में होता है इन जिलों में नहरी सिंचाई सुविधा का विकास होने के कारण यहाँ पर कपास की कृषि अधिक की जाती है। इसके अतिरिक्त अलवर, जोधापुर, नागौर, भीलवाड़ा, बीकानेर, झुंझुनूं, पाली, चित्तौड़गढ़, बाँसवाड़ा एवं अजमेर जिलों में कपास की कृषि की जाती है।

हरियाणा: कपास के अंतर्गत बोये गये क्षेत्र व उत्पादन की दृष्टि से छठा महत्वपूर्ण राज्य है। वर्ष 2019-20 दौरान राज्य में 723 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत कपास की फसल बोयी गई जो कि देश के कपास के कुल क्षेत्र का 5.36 प्रतिशत है। राज्य में इस वर्ष 422 हजार मीट्रिक टन कपास उत्पादन हुआ जो कि देश के कपास के कुल उत्पादन का 6.89 प्रतिशत है।

राज्य में कपास फसल की उत्पादकता 584 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। राज्य के सिरसा, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद व जींद आदि प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं।

आंध्रप्रदेश: राज्य के गुंटूर, अनंतपुर व कुर्नुल आदि प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। राज्य में वर्ष 2019-20 दौरान 657 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत कपास की फसल बोयी गई जो कि देश के कपास के कुल क्षेत्र का 4.87 प्रतिशत है। राज्य में इस वर्ष 426 हजार मीट्रिक टन कपास उत्पादन हुआ जो कि देश के कपास के कुल उत्पादन का 6.95 प्रतिशत है। राज्य में कपास फसल की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 649 किलोग्राम है। यहाँ पर खरीफ एवं रबी दोनों फसलों के अंतर्गत कपास की कृषि की जाती है।

मध्यप्रदेश: देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में मध्यप्रदेश राज्य भी है। वर्ष 2019-20 दौरान राज्य में 650 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत कपास की फसल बोयी गई जो कि देश के कपास के कुल क्षेत्र का 4.82 प्रतिशत है। राज्य में इस क्षेत्र से 280 हजार मीट्रिक टन कपास उत्पादन हुआ जो कि देश के कपास के कुल उत्पादन का 4.56 प्रतिशत है। राज्य में कपास फसल की उत्पादकता 430 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है जो की राष्ट्रीय औसत से भी कम है। राज्य के खरगोन, धार, भरवानी, खंडवा, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर व झाबुआ आदि प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं।

पंजाब: कपास फसल की उत्पादकता की दृष्टि से राज्य का देश में प्रथम स्थान है हालाँकि राज्य में 248 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत कपास की फसल बोयी गई जो कि देश के कपास के कुल क्षेत्र का मात्र 1.84 प्रतिशत है। राज्य में 827 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के साथ वर्ष 2019-20 में 205 हजार मीट्रिक टन कपास उत्पादन हुआ जो कि देश के कपास के कुल उत्पादन का 3.34 प्रतिशत है। राज्य में कपास हेतु सिंचाई की पर्याप्त सुविधा के साथ-साथ उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता के कारण देश में फसल की सर्वाधिक उत्पादकता दर्ज की गयी है। राज्य के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में भटिंडा, फाजिल्का, मानसा, मुक्तसर एवं संगरूर आदि हैं।

ओडिसा: राज्य में वर्ष 2019-20 में राज्य में 170 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत कपास की फसल बोयी गई जो कि देश के कपास के कुल क्षेत्र मात्र 1.26 प्रतिशत है। राज्य में इस वर्ष 98 हजार मीट्रिक टन कपास उत्पादन हुआ जो कि देश के कपास के कुल उत्पादन का मात्र 1.61 प्रतिशत है। राज्य में कपास फसल की उत्पादकता 579 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य के कालाहांडी, बलनगिर एवं रायगढ़ आदि कपास के प्रमुख उत्पादक जिले हैं।

तमिलनाडु: दक्षिण भारत के इस राज्य में भी वर्ष 2019-20 के दौरान 170 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत कपास की फसल बोयी गई जो कि देश के कपास के कुल क्षेत्र मात्र 1.26 प्रतिशत है। राज्य में 71 हजार मीट्रिक टन कपास उत्पादन हुआ जो कि देश के कपास के कुल उत्पादन का मात्र 1.16 प्रतिशत है। राज्य में कपास फसल की उत्पादकता 418 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। राज्य के तिरुधुननगर, पैराम्बदुर, मदुरै एवं तिरुचिरापल्ली आदि कपास के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसराज्य में खरीफ एवं रबी दोनों फसलों के अंतर्गत कपास की कृषि की जाती है।

देश में इसके अतिरिक्त मेघालय, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, आसाम व त्रिपुरा आदि राज्यों में भी कपास की कृषि बहुत कम क्षेत्र पर की जाती है। इन राज्यों में उत्पादकता भी अल्प होने के कारण देश में इन राज्यों की उत्पादन में भूमिका भी नगण्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि देश के विभिन्न भागों में

सिंचाई की सुविधा से एवं वर्षा आधारित कपास की कृषि की जाती है।

निष्कर्ष – भारत का विश्व में कपास उत्पादन में अग्रणी है परन्तु यहाँ कपास की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में काफी कमी देखी गयी है। देश में कपास का उत्पादन विभिन्न जलवायुवीय दशाओं के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र मध्य एवं दक्षिण भारत में अवस्थित है परन्तु उत्तर क्षेत्र के राज्यों में सिंचाई की सहायता से अधिकतम उत्पादकता के साथ कपास की कृषि की जाती है। कपास की कृषि पर विभिन्न भौगोलिक कारकों जिनमें वर्षा, तापमान, मिट्टी आदि का प्रभाव अधिक है। भारत में कपास की प्रति हेक्टर उत्पादकता में वृद्धि की सम्भावनाएं व्याप्त हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Chand, Shyo. (2016) Spatio temporal analysis of cotton cultivation in Sriganaganagar and Hanumangarh

Districts, Unpublished thesis, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan.

2. Reddy, A.R. (2013) Cotton Productivity Variations in India: An Assessment .Cotton research Journal, Vol . 5 (2)
3. Directorate of Cotton Development, Ministry of Agriculture. 2009. Report of Directorate of Cotton Development on Revolution in Indian Cotton.
4. Narala, A. and Reddy, A.R. 2011. November. Analysis of Growth and Instability of Cotton Production in India. Paper presented at the World Cotton Research Conference on Technologies for Prosperity.
5. https://aps.dac.gov.in/APY/Public_Report1.aspx
6. <https://cicr.org.in/resources/resource-datasets/>
7. <https://www.fao.org/faostat/en/#data>

तालिका 1 : विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देश 2019-20

देश	बोया गया क्षेत्र		उत्पादन		उत्पादकता (कि./हे.)
	मिलियन हेक्टर	कुल वैश्विक का प्रतिशत	मिलियन टन	कुल वैश्विक का प्रतिशत	
भारत	13.477	39.07	6.21	23.77	460
यू.एस.ए.	4.654	13.49	4.34	16.61	932
चीन	3.300	9.57	5.8	22.20	1758
पाकिस्तान	2.527	7.33	1.32	5.05	522
ब्राज़ील	1.666	4.83	3.00	11.48	1802
अन्य देश	8.870	25.71	5.46	20.90	-
वैश्विक कुल	34.494	100.00	26.13	100.00	758

स्रोत: कृषि एवं खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन

तालिका2 : देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्य 2019-20

क्र.	राज्य	क्षेत्र		उत्पादन		उत्पादकता (कि./हे.)
		('000हे.)	देश के कुल का प्रतिशत	('000 मी.टन)	देश के कुल का प्रतिशत	
1	महाराष्ट्र	4491	33.32	1,129	18.41	251
2	गुजरात	2655	19.70	1,465	23.89	552
3	तेलंगाना	2127	15.78	1,162	18.95	546
4	कर्नाटक	817	6.06	396	6.46	485
5	राजस्थान	760	5.64	474	7.73	624
6	हरियाणा	723	5.36	422	6.89	584
7	आंध्रप्रदेश	657	4.87	426	6.95	649
8	मध्यप्रदेश	650	4.82	280	4.56	430
9	पंजाब	248	1.84	205	3.34	827
10	ओडिसा	170	1.26	98	1.61	579
11	तमिलनाडु	170	1.26	71	1.16	418
12	अन्य राज्य	9	0.07	3	0.05	321
	सम्पूर्ण भारत	13477	100.00	6,131	100.00	455

स्रोत : कृषि एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका

डॉ. प्रवीण पंड्या*

* सह आचार्य (अर्थशास्त्र) राजकीय कन्या महाविद्यालय, खेरवाड़ा (उदयपुर) (राज.) भारत

शोध सारांश – भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों की भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में पुराने व नये मिलाकर कुल 23 निजी बैंक कार्यरत हैं। मार्च 2008 को निजी क्षेत्र के बैंकों की परिसम्पत्ती अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की कुल परिसम्पत्ती का 21.7 प्रतिशत थी। सन् 1993 में सरकार ने जब नये बैंक निजी क्षेत्र में खोलने का निर्णय लिया तब बैंकिंग व्यवसाय को एक नई दिशा मिली। नये बैंक निजी क्षेत्र में खोलने के निर्णय से पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों को जो राष्ट्रीयकरण का भय बना रहता था, वह समाप्त हो गया। बैंकिंग व्यवसाय में एक प्रतियोगात्मक वातावरण उत्पन्न हुआ जिससे न केवल निजी बैंक वरन् राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार आया।

प्रस्तावना – अल्पविकसित एवं अर्धविकसित देशों में तीव्र आर्थिक विकास के लिये अधिकोषण या बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होना एक आवश्यक शर्त है। कारण यह है कि बैंकिंग संस्थाएँ आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिये कोष या मुद्रा उपलब्ध कराती हैं। अर्थव्यवस्था में विनियोगकर्ताओं तथा वित्त की आवश्यकता वाले लोगों के मध्य सेतु के रूप में जो तंत्र कार्य करता है उसे बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। इसके अंतर्गत बचत विनियोग संसाधनों का आवंटन, वित्तीय संसाधन विकास आदि तत्व सम्मिलित रहते हैं। भारत में बैंकिंग का प्रारम्भ सर्वप्रथम निजी क्षेत्रों में ही हुआ था। स्वतंत्रता के उपरान्त बैंकों की सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना पर बल दिया गया है। इस के परिणाम स्वरूप सन् 1969 में प्रथम बार 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तदुपरान्त सन् 1980 में 6 निजी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। पुनः 1991 की नवीन आर्थिक नीति को अपनाने के बाद पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्रों में व्यापारिक बैंक खोलने की दी गई। इसके परिणाम स्वरूप निजी बैंक स्थापित किये गये हैं। नये निजी बैंकों में इंडस इंड बैंक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ICICI बैंक, AXIS बैंक, टाईम्स बैंक, सेंचुरियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, HDFC बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि० आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में समय में अपनायी जारी अदारीकरण एवं निजी करण की नीति के फलस्वरूप देश में निजी बैंकों का महत्व बढ़ गया है। अतः अर्थव्यवस्था के विकास में सार्वजनिक बैंकों के पास साथ निजी बैंकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।

उद्देश्य:

1. भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकलापों एवं गतिविधियों को ज्ञात करना।
2. निजी क्षेत्र के बैंकों के भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे, कृषि उद्योग व्यापार पर होने वाले प्रभावों को ज्ञात करना।

शोध प्रविधि – सम्पूर्ण शोध पत्र में द्वितियक समको का प्रयोग किया गया है, साथ ही भारत सरकार की दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य पत्र पत्रिकाओं से सामग्री का संकलन किया गया है।

निजी बैंकों के कार्य :

- पूँजी संचय को प्रोत्साहन देने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों ने बैंकिंग व्यवसाय को एक नया आयाम दिया है। व्यक्तियों में बैंकिंग आदत को बढ़ावा दिया गया है। नये निजी बैंक खुलने से लोगों की बचत अधिक गतिशील हुई तथा पुंजी निर्माण को बढ़ावा मिला। इन बैंकों ने अधिक ब्याज व अन्य सुविधाएँ प्रदान की जिससे व्यक्तियों में अनुत्पादकीय व्यय पर रोक लगाकर अधिक बचत करने की प्रकृति को प्रोत्साहन मिला है। वर्ष 2007-08 को निजी बैंकों की जमाएँ अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की कुल जमाओं का 20.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2007-08 में नये व पुराने निजी बैंकों में जमाओं की वृद्धि दर क्रमशः 23.1 प्रतिशत 19.8 प्रतिशत रही।
- साख व सृजन जमाओं पर ऋण देकर निजी बैंकों ने साख सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इससे न केवल विनियोग को प्रोत्साहन मिला है वरन् देश के आर्थिक विकास में भी मदद मिली है। वर्ष 2007-08 में निजली बैंकों के अग्रिम अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के कुल अग्रिम का 20.9 प्रतिशत रहे।
- कृषि क्षेत्र को उधार निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र के बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विशेषकर कृषि को अधिक उधार देने में विशेष भूमिका अदा की है। कृषि मशीनरी, ड्रिप, सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली आदि के लिए कृषकों को अब आसानी से ऋण उपलब्ध होने लगे हैं। वर्ष 2007-08 में निजी बैंकों ने कृषि क्षेत्र को 57.702 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराये जो कि समायोजित शुद्ध बैंक साख का 15.4 प्रतिशत भाग था।
- निजी क्षेत्रों के बैंकों ने लघु- उद्योगों व लघु-उद्यमियों को भी ऋण प्रदान करके देश के औद्योगिक विकास में अपना अयोगदान दिया है। मार्च 2007 में निजी बैंकों ने लघु उद्योगों को 13.136 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किये थे। इसी प्रकार 2007-08 में लघु उद्यमियों को 46.069 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये हैं।
- निजी बैंकों ने फुटकर व्यापार को भी ऋण प्रदान करने में अपनी भूमिका आदा करते हैं। 2007-08 में निजी बैंकों ने फुटकर व्यापार

हेतू 8.065 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराये।

- देश में आवास निर्माण के द्वारा जहाँ एक ओर इस समस्या में कभी आयी है वही दुसरी ओर रोजगार सृजन का आर्थिक विकास में मदद मिली है। निजी क्षेत्र के बैंकों ने इस दिशा में विशेष योगदान दिया है। 2007-08 में निजी बैंकों के आसपास हेतू 46.990 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये जो समायोजित शुद्ध बैंक साख का 14 प्रतिशत था।

भारत में निजी बैंकों के कार्य परिणाम (2010-11) (निचे देखे)

स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र के सभी बैंकों ने वर्ष 2010-11 में 17713 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इसमें निजी क्षेत्र के नये बैंकों द्वारा 14611 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों द्वारा 3102 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। सभी निजी बैंकों की कुल परिसम्प्रतियों वर्ष 2010-11 में 1398176 करोड़ रुपये हो गयी है। इसमें से निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों की परिसम्प्रतियाँ 309011 करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र के नये बैंकों की परिसम्प्रतियाँ 1089165 करोड़ रुपये निजी बैंक तकनीकी व उच्च शिक्षा हेतू ऋण प्रदान करते हैं। मार्च 2008 को इन बैंकों द्वारा शिक्षा हेतू प्रदत्त ऋण 509 करोड़ रुपये के थे।

बैंकों द्वारा विनियोग में निजी क्षेत्र के बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वैधानिक सरलता अनुपात (SLR) प्रतिभूतियों तथा गैर वैधानिक सरलता अनुपात प्रतिभूतियों जैसे ब्राण्ड, ऋणपत्र, अंश व व्यापारिक पत्रों में इन बैंकों ने बड़ी मात्रा में विनियोग किया है। वर्ष 2007-08 में निजी बैंकों के विनियोग अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के कुल विनियोग का 23.7 प्रतिशत थे।

निजी क्षेत्रों के बैंकों ने अपने ग्रहकों को सामान्य बैंकिंग सुविधाओं के अतिरिक्त अनेक प्रकार की सुविधाएँ जैसे आई. बैंकिंग, टेली बैंकिंग, बीमा आदि उपलब्ध कराती हैं। अब धन को एक स्थान से दुसरे स्थान पर ऑन लाइन बैंकिंग द्वारा भेजना आसान हो गया है। इससे देशी व विदेशी व्यापार का विकास तेजी से हुआ है।

निष्कर्ष - भारत में नयी आर्थिक नीति (1991) के अन्तर्गत बैंकिंग क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये गये हैं। इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया है। भारत एक विकासशील देश है। ओर बैंक प्रगति का आधार होते हैं। इस दृष्टि में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी बैंकों की स्थापना की आवश्यकता है। वर्तमान में समय से सरकार ने निजी बैंकों के महत्व एवं योगदान को समझा है। तथा देश में नये निजी बैंक स्थापित हुये हैं। देश में निजी बैंकों के कार्य परिणाम की स्थिति का ब्योरा तालिका द्वारा दर्शाया गया है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साथ निजी क्षेत्र के बैंकों को भी अब महत्व दिया गया है। इसके फलस्वरूप नये निजी बैंकों की स्थापना हो गई तथा निजी बैंकों की शाखाएँ क्षेत्र में अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में कारोबार प्रारम्भ करेगी। इससे देश के ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में भी बैंकिंग सुविधाओं का विकास होगा। इसके साथ साथ ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर निर्भरता कम होगी। सार्वजनिक क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र के बैंकों में आपसी प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इसका सीधा लाभ उपभोगताओं व्यापारियों एवं नये उद्यमियों को प्राप्त होगा निजी बैंकों की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय मुद्रा बाजार का तेजी से विकास होगा तथा भारतीय बैंकों अन्य विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत में निजी बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बैंक सरकारी की भांति अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। निजी बैंकिंग के विकास से कृषि, उद्योग, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों का विस्तार होगा। किन्तु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है, कि बैंकों की स्थापना कार्यप्रणाली एवं ब्याज दरें आदि भारतीय निजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. योजना फरवरी 2015
2. पत्र-पत्रिकाओं।
3. नई दुनिया, दैनिक भास्कर

भारत में निजी बैंकों के कार्य परिणाम (2010-11)

(करोड़)

क्र	विवरण	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नये बैंक	सभी निजी बैंक
1	आय	26328	91225	117553
	1 ब्याज	23299	73528	96827
	2 अन्य आय	3029	17697	20726
2	व्यय	23226	76614	99840
	1 ब्याज	14768	42347	57115
	2 मध्यवर्ती लागत	5600	22006	27606
	3 प्रावधन एवं आकस्मिक व्यय	2858	12261	15119
3	परिचालन लाभ	5960	23872	32832
4	शुद्ध लाभ (1-2)	3102	14611	17713
5	शुद्ध ब्याज आय	8531	31181	39712
6	कुल परिसम्प्रतियाँ	309011	1089165	1398176

Source : Economics survey 2011-12 Table - page 112

स्वस्थ मृदा से स्वस्थ भारत का विकल्प - जैविक कृषि

डॉ. पन्नालाल कटारा*

* सह आचार्य (भूगोल) वीकेबी राजकीय कन्या महाविद्यालय, झुंगरपुर (राज.) भारत

शोध सारांश - सिन्धु घाटी की सभ्यता हो या नील नदी की सभ्यता, हमें आलोचित करती हैं कि स्वस्थ एवं उर्वर मृदा की बुनियाद पर मानव सभ्यता अपने शिखर को स्पर्श करती है। स्वस्थ मृदा किसी देश की अमूल्य सम्पदा होती है। यह मृदा देश की जनसंख्या के लिए भोजन का आधार है। कहा जाता है- 'स्वास्थ्य ही धन है।' (Health is Wealth)। स्वस्थ मानव संसाधन देश की उन्नति के लिये अनिवार्य है। उत्तम मानव स्वास्थ्य स्वस्थ भोजन पर निर्भर है तथा स्वस्थ भोजन स्वस्थ मृदा पर। हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति हेतु खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रान्ति अच्छा कदम साबित हुई किन्तु इस क्रान्ति में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का बेतहाशा प्रयोग, एक ही किस्म के फसलों की खेती आदि ने खेतों की मृदा को विषाक्त करने पर तुला है। इसका परिणाम हमारा गिरता स्वास्थ्य है, जो हमारे देश के लिए चिन्ता का विषय है। सम्पोषित विकास की अवधारणा के अनुसार मृदा संसाधन के संरक्षण द्वारा स्वस्थ नागरिकों के निर्माण हेतु जैविक कृषि एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिये सरकार के साथ कृषकों, व्यापारियों तथा आम नागरिकों का ईमानदारी से सहयोग चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मानव को माटी का खिलौना भी कहा जाता है। अतः माटी के इस मानव को स्वस्थ रहना है, तो अपनी माटी (मृदा) को भी स्वस्थ रखने की जरूरत है। नगरीय प्रदूषण को रोकते हुये रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का अत्यल्प प्रयोग कर जैविक खेती से मृदा को निरोग व नैसर्गिक रखा जा सकता है।

प्रस्तावना - मृदा मानव का मूलभूत संसाधन है। मनुष्य की सभी बुनियादी आवश्यकताएँ यथा-भोजन, वस्त्र और मकान आदि मिट्टी से ही पूर्ण होती हैं। पृथ्वी तल पर पाया जाने वाला जीवन मिट्टी पर निर्भर करता है। समस्त प्राणियों का भोजन मिट्टी से ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त होता है। यदि यह कहा जाए कि मानव मिट्टी का संतान है, तो अतिशयोक्ति न होगा। विलकाक्स (Wilcox) ने कहा है- 'मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है।' व्हाइट एवं रेनर ने भी कहा है कि- 'पृथ्वी तल पर यदि मिट्टी न होती तो यहाँ जीवन कदापि संभव न था।'

मृदा वास्तव में जीवमण्डल या जीवन परत का हृदय (क्रोड) है क्योंकि यह उस मण्डल का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें पौधों के पोषक तत्वों का उत्पादन तथा रख रखाव होता है तथा ये पोषक तत्व पौधों को उनकी जड़ों के माध्यम से प्राप्त होते हैं तथा सूक्ष्म जीव भी इन पोषक तत्वों को अपने निर्वाह के लिए प्राप्त करते हैं। इस तरह मृदा तंत्र जीवमण्डल में ऊर्जा के स्थानान्तरण मार्ग तथा पोषक तत्वों के गमन, संचरण तथा चक्रण के लिए आवश्यक होता है। मृदा विभिन्न प्रजातियों तथा किस्मों के जीवित जीवों (पौधों, मानव तथा जन्तुओं) के लिए अनुकूल आदर्श पर्यावरणीय दशाएँ, आवश्यक पोषक तत्व एवं आवास प्रदान करती है। मानव भी अपने भोजन के लिये पूर्णतः पौधों व जन्तुओं पर आश्रित है। स्वस्थ भोजन के लिये आवश्यक है कि पौधे व जन्तु भी स्वस्थ हों किन्तु इनकी स्वस्थता मृदा की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। भोजन प्राप्ति के लिए हम मृदा पर कृषि करते हैं। कृषि निर्भर है, मृदा पर और कृषि पर निर्भर है, हमारा भोजन तथा भोजन हमारे स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ है। बढ़ती आबादी के भरण पोषण हेतु की जाने वाली रासायनिक कृषि से मृदा के गिरते स्वास्थ्य एवं कुपोषण

ने कृषि, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ खड़ी की हैं। इनका निदान कृषि की उन्नत तकनीकों के साथ हमें जैविक खेती को अपनाने में होगा तब असल मायने में भारत स्वस्थ देश बनेगा।

उद्देश्य - शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. हमारे जीवन में मृदा की महत्ता का अध्ययन करना।
2. जीवनदायिनी मृदा में हमारी गतिविधियों से बढ़ते प्रदूषण का अध्ययन करना।
3. इस प्रदूषित या अस्वस्थ मृदा से उत्पादित गुणवत्ताहीन भोज्य पदार्थों का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
4. स्वस्थ भारत के लिये स्वस्थ मृदा हेतु विकल्प के रूप में जैविक कृषि की सम्भावनाओं का अध्ययन करना।

विधि तंत्र - प्रस्तुत शोध पत्र की विषयवस्तु एवं शीर्षक से सम्बन्धित तथ्य विभिन्न प्रकार की प्रकाशित पत्रिकाओं, समाचार पत्रों व सन्दर्भ ग्रन्थों से संग्रहीत की गयी हैं। कुछ सामग्री इन्टरनेट, निरीक्षण विधि से क्षेत्र अध्ययन व किसानों से वार्तालाप द्वारा संग्रह की गयी है। शोध पत्र के शीर्षक का चयन क्षेत्र भ्रमण के आधार पर किया गया है।

मृदा एवं उसका स्वास्थ्य - पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है, मृदा (मिट्टी) कहलाती है। दूसरे शब्दों में - 'सामान्य रूप से शैलों के विघटन व विनियोजन से प्राप्त ढीले व असंगठित भूपदार्थों को मृदा कहते हैं।' धरती माँ एवं इस देश की मृदा की हमारे राष्ट्रगीत 'सुजलाम् सुफलाम्, शस्य श्यामलाम्' के अन्तर्गत वन्दना की गयी है। यह मृदा हमें जीवन का आधार देती है। स्वस्थ मृदा के आधार पर हम सौ वर्ष तक स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। मिट्टी यदि स्वस्थ होती है, तो स्वस्थ फसलों या खाद्यान्नों के रूप में सोना, हीरा व मोती उगलती है। आज का आर्थिक मानव

गहन व व्यापारिक खेती में अंधाधुन्ध रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग तथा औद्योगीकरण व नगरीकरण से जीवनदायिनी मृदा के स्वास्थ्य पर कुठाराघात किया है। दिनोंदिन मृदा प्रदूषित हो रही है। यह हमारे देश की एक गंभीर समस्या है। जब 'प्राकृतिक स्रोतों या मानव जनित स्रोतों अथवा दोनों से मृदा की गुणवत्ता का हास होता है, उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं।' इस प्रदूषण के कारक हैं- (1) मृदा का अपरदन, (2) मृदा में रहने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवों की कमी, (3) मृदा में रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, (4) मृदा में नमी की कमी या वृद्धि, (5) मृदा में ह्यूमस की कमी तथा (6) मृदा में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का प्रवेश व सांद्रण। वन विनाश, रासायनिक खेती, औद्योगिक व नगरीय अपशिष्ट से मृदा में प्रदूषकों के प्रवेश ने मृदा की मृदुता व शुचिता का हास किया है। हरित क्रान्ति से मृदा की उपज क्षमता में कमी आई है, जैवविविधता का नाश हुआ है, मिट्टी की क्षारीयता बढ़ी है। इस तरह स्वस्थ मृदा रोग ग्रस्त हो चुकी है। भारत सरकार के वन मंत्रालय का अनुमान है कि देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 47 प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है, जिसके लगभग 56-57 प्रतिशत भाग की उर्वरा शक्ति बहुत ही कम हो गयी है। मानवीय गतिविधियों के कारण देश की कुल भूमि का लगभग 57 प्रतिशत भाग क्षतिग्रस्त हो चुका है। 'रचना पत्रिका' जनवरी - अप्रैल 1999 में प्रकाशित लेख के अनुसार अनुमान है कि देश की 17.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि प्रदूषण से ग्रस्त है, जो कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 53 प्रतिशत है। ये तथ्य मृदा प्रदूषण की भयावहता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं।

अस्वस्थ या प्रदूषित मृदा एवं मानव स्वास्थ्य - प्रदूषित मृदा पौधों, जन्तुओं और सूक्ष्म जीवों के साथ मानव को भी प्रभावित करती है। इससे कृषि पारिस्थितिकी एवं जैवविविधता का नाश होता है। मिट्टी प्रदूषण लोगों के बीमार होने का एक बहुत बड़ा कारण है। प्रदूषित मिट्टी में पैदा होने वाली फसलें और पौधे प्रदूषकों को अधिक अवशोषित करते हैं और भोजन श्रृंखला के द्वारा मानव जाति को स्थानान्तरित कर देते हैं, इसके परिणामस्वरूप छोटे एवं भयंकर रोगों में वृद्धि हो सकती है। इस तरह की मिट्टी से लम्बे समय तक सम्पर्क में रहने से मानव शरीर की आनुवांशिक बनावट प्रभावित हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप जन्मजात बीमारियाँ और लम्बे अवधि के लिए स्वास्थ्य समस्या बन सकती हैं। वास्तव में ऐसी मृदा काफी हद तक पशुधन को भी बीमार कर सकती है और इसके कारण खाद्य विषाक्तता हो सकती है। जल भराव क्षेत्रों से उत्सर्जित होने वाली विषाक्त गैसों पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और इसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

कृषि रसायन तथा इनसे दूषित मृदा मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इनसे होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियाँ हैं - अपच, विविध चर्मरोग, प्रजनन तंत्र का विकार, कैंसर, बौद्धिपन, यादाश्त का घटना, सिरदर्द, चक्कर आना, उबकाई, दृष्टिदोष, श्वास रोग तथा तंत्रिका तंत्र का नाश आदि। मृदा में रासायनिक खादों के प्रयोग से खाद्यान्नों में सीसा, ताँबा, जस्ता आदि की मात्रा बढ़ने से यकृत सम्बन्धी रोग तथा जलभराव से मलेरिया, डेंगू आदि रोग बढ़ रहे हैं। डी.डी.टी. और कीटनाशक दवाओं का दुधारु जानवरों के दूध में पाया जाना मानव स्वास्थ्य के लिए घातक संकेत है। आधुनिक कृषि के अन्तर्गत प्रयोग किया जाने वाला यूरिया उर्वरक हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है जैसे -

1. यूरिया के प्रयोग से निकलने वाली गैस (नाइट्रस आक्साइड) से

ओजोन परत के हास से अल्ट्रा वायलट किरणों द्वारा मनुष्यों में त्वचा कैंसर हो जाता है।

2. यूरिया का अवशेष प्रभाव श्वसन तंत्र व आहार तंत्र को प्रभावित करता है। फसल उत्पादों में नाइट्रोजन मुख्यतः नाइट्रेट के अत्यधिक संचय से ब्ल्यू बेबी सिन्ड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। यह बीमारी धान उगाने वाले क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित है।
3. यूरिया सहित अन्य रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से सतही व भूमिगत जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। ऐसे दूषित जल का पेयजल के रूप में उपयोग व सिंचाई से उत्पादित खाद्यान्नों के उपयोग से विविध रोगों का खतरा बढ़ रहा है। दूषित जल व मृदा के सम्पर्क से बच्चों व किसानों को त्वचा रोगों का खतरा बना रहता है।

स्वस्थ मृदा से स्वस्थ भारत का विकल्प - जैविक कृषि - जैविक कृषि एक सम्पोषित कृषि है। इस कृषि में उत्पादन के साथ मृदा, मानव व पर्यावरण की सुरक्षा मुख्य लक्ष्य है। जैविक कृषि, कृषि की वह विधि है, जिसमें संश्लेषित (रासायनिक) उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं या न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में मृदा की शुचिता का संरक्षण किया जाता है। मृदा की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद तथा कम्पोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है तथा प्राकृतिक कृषि के सिद्धान्तों का पालन करते हुए रोगों एवं कीटों से फसल की रक्षा की जाती है। यह कृषि कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर आधारित है वे इस तरह हैं -

जैविक खेती के सिद्धान्त - जैविक खेती के लिए कुछ तय नियम बन चुके हैं। सन् 1972 में गठित आर्गेनिक कृषि आन्दोलन के अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ (आईएफओएएम) के मानकों के आधार पर जैविक खेती के चार मुख्य सिद्धान्त हैं।

1. **स्वास्थ्य** - जैविक खेती से मिट्टी, पौधों, पशु, इंसान और पृथ्वी के स्वास्थ्य का संरक्षण और वृद्धि होनी चाहिए।
2. **पर्यावरण** - जैविक खेती पारिस्थितिक तंत्र और चक्रों पर आधारित होनी चाहिए, उनके साथ सामंजस्य में काम करनी चाहिये और उन्हें संरक्षण देने वाली होनी चाहिए।
3. **ईमानदारी** - जैविक खेती सामान्य पर्यावरण और जीवन के अवसरों के बीच स्वस्थ सम्बन्ध बनाने और उनमें ईमानदारी सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए।
4. **देखभाल** - खेती सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ ऐसे व्यवस्थित की जानी चाहिए कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों एवं पर्यावरण का स्वास्थ्य व हित सुरक्षित रख सकें।

जैविक खेती के तकनीक - जैविक या सावयविक खेती में अनेक ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं, जिनसे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और फसल के शत्रु, खरपतवार, रोगों तथा कीटों आदि से उनकी रक्षा होती रहती है। जैविक खेती में इन तकनीकों की अहम भूमिका होती है।

1. **फसल चक्र** - फसल चक्र का अर्थ है, एक ही खेत में विभिन्न मौसमों में भिन्न फसलों को उगाने का क्रम। इस चक्र में दलहनी फसलों का समावेश मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में सहायक होता है।
2. **गहरी जुताई** - गर्मियों में खेत की गहरी जुताई से खरपतवार के बीज, कीटों के लार्वा, अण्डे आदि नष्ट हो जाते हैं।
3. **स्वच्छ खेत** - खेत को खरपतवार से प्राकृतिक तरीके से मुक्त रखने, रोगग्रस्त व सूखे पौधों को तुरन्त हटा देने तथा जैविक कीटनाशकों

- के प्रयोग द्वारा रोगों व कीटों से फसल व खेत की सुरक्षा होती है।
4. **बुवाई का समय** – फसलों के बोने के समय में परिवर्तन से रोगों व कीटों से फसल की रक्षा संभव है।
 5. **सही किस्म** – स्थान और परिस्थिति के अनुरूप रोग और कीट प्रतिरोधी किस्मों के फसलों का चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 6. **जाल फसल (ट्रैप क्रॉप)** – एक ट्रैप फसल नजदीक उग रही फसल से कीड़े आकर्षित करती है और कीटनाशकों के उपयोग के बिना मुख्य फसल को कीटों द्वारा नाश से बचाती है।
 7. **फेरोमोन और प्रकाश ट्रैप** – फसल को कीटों से बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप को गंधपाश भी कहते हैं। फेरोमोन एक प्रकार की विशेष गंध है जो मादा पतंगा छोड़ती है। इस गंध से नर पतंगे आकर्षित होते हैं। नर कीट इस गंध से आकर्षित होकर फंदे की तरह बने डिब्बे में बन्द होकर नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश ट्रैप में सौ या दो सौ वाट का बल्ब लगा रहता है। इसकी रोशनी से फसलों को हानि पहुँचाने वाले कीट आकर्षित होकर आते हैं और ट्रैप में नीचे की ओर लगे डिब्बे के नीचे बंधे कपड़े में इकट्ठा होकर नष्ट हो जाते हैं।
 8. **सुरक्षा फसल** – मिट्टी में सुधार के तीन तरीके हैं – सुरक्षा फसलों को उगाना, आसानी से सड़ने वाली वानस्पतिक सामग्री का प्रयोग और जैविक मिट्टी शोधन (जैसे खाद, घास तथा फसल अवशेष आदि मिलाना)।

जैविक खेती पद्धति का केन्द्र बिन्दु मृदा को स्वस्थ व जीवित रखते हुए मृदा में उपस्थित लाभकारी जीवाणुओं की जैविक क्रियाओं को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देना है। इसके अन्तर्गत जैविक खादों के संतुलित प्रयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक संरचना में गुणोत्तर वृद्धि होती है। इस तरह जैविक कृषि के सिद्धान्त व तकनीक मृदा, पौधों एवं पर्यावरण के स्वास्थ्य की सुरक्षा के पोषक हैं।

जैविक कृषि और मानव स्वास्थ्य – जिस तरह स्वस्थ माँ से स्वस्थ शिशु की कल्पना की जाती है, ठीक उसी भाँति स्वस्थ मृदा से ही स्वस्थ मानव का निर्माण हो सकता है और स्वस्थ मृदा की कल्पना जैविक कृषि से सच हो सकती है। जैविक कृषि पौधे, पृथ्वी, मृदा और मानव के स्वास्थ्य की संरक्षक और संवर्धक होती है। इस प्रणाली से प्राप्त कृषि उत्पादों जैसे – अनाज, सब्जी, फलों आदि के सेवन से देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा व संवर्धन किया जा सकता है। इस कृषि से भूगर्भीक व सतही जल स्रोत दूषित होने से बच सकते हैं और हमें पेयजल व सिंचाई हेतु शुद्ध जल उपलब्ध हो सकता है। इससे हम दूषित जल पीने से होने वाले रोगों तथा दूषित पानी की सिंचाई से प्रदूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाले रोगों से बच सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से जैविक उत्पाद सर्वश्रेष्ठ होते हैं एवं इनके प्रयोग से कई प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। इन उत्पादों से उपभोक्ताओं को स्वादिष्ट व पोषक मूल्यों के साथ स्वस्थ आहार मिलता है। जैविक खेती में यूरिया का प्रयोग नहीं या न्यूनतम कर ओजोन क्षरण को कम करके अल्ट्रा वायलट किरणों से होने वाले रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस कृषि से मृदा की मृदुता की रक्षा कर दूषित मृदा के सम्पर्क से होने वाले त्वचा रोगों से बचा जा सकता है। जैविक खेती अपनाकर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से होने वाले रोगों जैसे – आहार व प्रजनन तंत्र के विकार, कैंसर, बाँझपन, दृष्टि दोष, श्वांस रोग, तंत्रिका तंत्र का नाश आदि रोगों से बचा जा सकता है।

जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य पदार्थों में रासायनिक अवशेष न होने से

एक ओर तो कई बीमारियों से बचाव होता है, तो दूसरी ओर इन उत्पादों के कई प्राकृतिक पोषक तत्व भी नष्ट होने से बच जाते हैं। इस खेती से उपलब्ध पशुचारे से पशुओं का दूध बढ़ता है तो वहीं उन्हें बीमारियों की सम्भावना कम रहती है। इसका लाभ पशु पालकों के अलावा दूध उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध के रूप में मिलता है। इस खेती से किसानों के खेतों की अमूल्य मृदा की नैसर्गिकता बनी रहती है। जैविक खेती का उद्देश्य मृदा संरक्षण के साथ भुखमरी, भूख व दूषित खाद्य उत्पाद जनित रोगों और कुपोषण आदि से बचाने के लिए उच्च पोषक गुणवत्ता युक्त एवं स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है, जिससे मानव स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और स्वस्थ देश का निर्माण हो सके।

निष्कर्ष – स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य की दिशा में सन् 1983, सन् 2002 तथा सन् 2014 में नीतियाँ निर्धारित की गईं। 'सबका स्वास्थ्य' इन नीतियों का लक्ष्य रहा है। स्वस्थ राष्ट्र हेतु वांछित परिणामों के अनुपात में हर वर्ष बजटीय खर्च को बढ़ाने की माँग खड़ी कर भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। स्वास्थ्य के लिए धन की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का प्रमुख घटक है। भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिये प्रति वर्ष करोड़ों रुपये व्यय करती है, किन्तु परिणाम संतोषजनक नहीं रहते हैं। सरकार रोगियों के उपचार पर अधिक व्यय करती है किन्तु रोगोत्पादक कारकों की रोकथाम भी निहायत जरूरी है। मानव को अधिकतर रोग दूषित पेयजल व दूषित खाद्य पदार्थों से होते हैं। अन्य कारकों के अलावा आधुनिक कृषि पद्धति से जल व खाद्य पदार्थ रोगोत्पादक तत्वों से ग्रसित हो जाते हैं। यह सर्वविदित है कि स्वास्थ्य का सम्बन्ध आहार से, आहार का सम्बन्ध कृषि से तथा कृषि का सम्बन्ध मृदा से है। अतः हमारे स्वास्थ्य व आहार की बुनियाद हमारी मृदा है। 'किसी राष्ट्र की मृदा उसकी अनमोल संपदा होती है, जिससे वहाँ की संस्कृति व सभ्यता निर्मित होती है।' अतः देश के नीति निर्माताओं के लिये आवश्यक है कि 'सबके लिये स्वास्थ्य' का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य की बुनियाद मृदा का संरक्षण किया जाय और इसका अच्छा विकल्प जैविक खेती हो सकती है। रासायनिक खेती को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जैविक कृषि से उत्पादन में 25-30 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, उच्च पोषक गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन व उपभोग होगा। नागरिकों का स्वास्थ्य उत्तम व उन्नत होगा, जिससे देश स्वस्थ व समृद्ध होगा।

सुझाव – मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम सार्थक हो सकते हैं –

1. शासन द्वारा किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कम दामों पर जैविक खादों की उचित समय पर पर्याप्त आपूर्ति की जानी चाहिए।
2. किसानों को अनिवार्य रूप से जैविक कृषि तकनीक का निःशुल्क प्रशिक्षण आवश्यक है।
3. जैविक कृषि उत्पादों की अधिक कीमत व गुणवत्ता के बारे में किसानों को अवगत कराने चाहिए।
4. इस कृषि से प्राप्त उत्पादों को खरीदने की उचित व्यवस्था के साथ सम्बन्धित किसानों को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
5. रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के उत्पादन को हतोत्साहित करना आवश्यक है।
6. रासायनिक खेती के उत्पादों के उपभोग से होने वाले रोगों की जानकारी

- के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है।
7. रासायनिक खेती से किसान व खेत की मृदा को होने वाली हानियों से किसानों को अवगत कराना चाहिए।
 8. जैविक कृषि उत्पादों के उपभोग से स्वास्थ्यगत लाभों को आम नागरिक को बताकर इन उत्पादों के उपभोग को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
- सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-**
1. सविन्द्र सिंह, पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद, संस्करण 2011
 2. पाण्डे, चन्द्रमोहन, औषधीय कृषि तकनीकी, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. नई दिल्ली, संस्करण 2011, पृ. 218,219
 3. 'विज्ञान प्रगति' पत्रिका, अंक 1, जनवरी 2016, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवे सूचना स्रोत संस्थान, नई दिल्ली।
 4. 'योजना' पत्रिका अंक 2, फरवरी 2016 एवं अंक 4, अप्रैल 2016, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली।
 5. 'साइन्स इण्डिया' राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका, अंक 2,3 जनवरी-फरवरी 2016, विज्ञान सदन 105
 6. 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका अंक 11, सितम्बर 2015 एवं अंक 5, मार्च 2015, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
 7. 'रचना' पत्रिका, अंक 12, मई-जून 1998 एवं अंक 18, जनवरी-अप्रैल 1999, पृ.39, म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
 8. 'पत्रिका' समाचार पत्र, जबलपुर संस्करण, 22.07.2011 पृ.11, 01.08.2016 पृ.12, 21.10.2016, पृ.06
 9. www.organicfarming.hindi.article.

चुनाव प्रणाली - दोष और उपाय (भारत के संदर्भ में)

डॉ. मंजु मीणा*

* सह आचार्य (राजनीति विज्ञान) महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर (राज.) भारत

प्रस्तावना - भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर नागरिकों को चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। अतः कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रणाली का अपना विशेष महत्व है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता द्वारा शासन संचालन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। इस दृष्टिकोण से चुनाव प्रणाली या चुनाव व्यवस्था में मुख्य आधार के रूप में कार्य करती है। चुनाव की व्यवस्था करना और उसकी कार्यविधि को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए संविधान के अनुसार एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो इस बात का आयोग द्वारा विशेष ध्यान रखा जाता है। चुनाव व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आधारशिला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ण रक्षा, चुनाव व्यक्ति के हाथों में वह शक्ति होता है जिसके माध्यम से सामान्य आदमी भी शासक वर्ग पर नियंत्रण रख सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, इन चुनावों के माध्यम से जनता अपने शासकों (जन-प्रतिनिधियों) का चयन करती है और सरकार को वैधता प्रदान करती है।

भारतीय चुनाव प्रणाली में व्याप्त दोष - हालांकि चुनावों की देख-रेख व व्यवस्था के लिए भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है फिर भी भारतीय चुनाव प्रणाली में कुछ दोष उत्पन्न हो गए हैं। जिन्होंने भारतीय चुनाव प्रणाली को दूषित किया है ऐसी ही कुछ दोषों का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है-

1. **धन की बढ़ती भूमिका** - भारत में होने वाले चुनाव में धन की भूमिका बढ़ती जा रही है। धन शक्ति का चुनावों में कितना महत्व है यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति दल वर्ष भर धन इकट्ठा करते रहते हैं और चुनावों के दौरान धन पानी की तरह बहाया जाता है।
2. **धनवान लोगों को प्रत्याशी के रूप में खड़ा करना** - प्रायः दलों द्वारा धनवान लोगों को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया जाता है, जिससे चुनाव के समय धन का अधिक से अधिक खर्च कर सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हालांकि समय-समय पर विभिन्न कानूनों के निर्माण के द्वारा चुनावों में खर्च की जानी वाली राशि को सीमित किया गया है परंतु फिर व्यवहार में धन के प्रयोग की कोई सीमा नहीं है। 1997 में एक सूचना के तहत लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 15 लाख रुपये तक

तथा विधानसभा क्षेत्रों में अधिकतम 6 लाख रुपये तक खर्च किये जा सकते हैं। हाल ही में अक्टूबर, 2003 में हुए संशोधन ने इन सीमाओं को बढ़ा दिया है। बड़े राज्यों में लोक सभा स्थानों के लिए अब यह 25 लाख रु० है अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह सीमा 10 लाख रु० से 25 लाख रु० के बीच भिन्न-भिन्न है। इसी प्रकार बड़े राज्यों में विधान सभा के स्थानों के लिए अब यह 10 लाख रु० है जब कि अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह 5 लाख रु० से 10 लाख रु० के बीच भिन्न-भिन्न है। यद्यपि किसी अभ्यर्थी के समर्थन प्रचार में सहायता करने के लिए वे जितना चाहे व्यय कर सकते हैं, तथापि उन्हें अभ्यर्थी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी और दलों को भी वे जितना चाहें प्रचार पर व्यय करने की अनुमति है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में कहा गया है कि जब तक कोई राजनीतिक दल प्रचार की अवधि में व्यय की गई राशि के लिए विशेष स्पष्टीकरण न दे दे, वह किसी भी क्रियाकलाप को अभ्यर्थी के द्वारा धन सुलभ किया हुआ मानेगा और निर्वाचन व्यय में गिनेगा। लेकिन व्यवहार में उम्मीदवारों द्वारा साधारणतः आज लोकसभा चुनाव में 2 से 10 करोड़ और विधानसभा में 1 करोड़ या उससे अधिक धन राशि खर्च की जाती है। उनका एक मात्र उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्ति। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय चुनाव व्यवस्था में धन की भूमिका बढ़ती जा रही है जिसके कारण शासन व्यवस्था में धनवानों का वर्चस्व स्थापित होने लगा है और गरीब लोगों की शासन में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पायी है।

3. **चुनावों में बाहुबल व हिंसा का प्रयोग** - यह चुनावों की एक अन्य मुख्य त्रुटि है। जिसके कारण चुनावों में बाहुबल और हिंसा का प्रयोग होने लगा है। बिहार, उत्तर-प्रदेश, प० बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि अनेक राज्यों में चुनावों के दौरान व्यापक हिंसा होती है जिसके कारण सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के साथ-साथ भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचता है। अतः चुनावों में बाहुबल और हिंसा का प्रयोग अब आम हो गया है। बूथों पर कब्जा, हिंसा, आगजनी आदि घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है। लेकिन राजनीतिक दलों की क्षुद्र मानसिकता के आगे उनकी एक नहीं चलती।

4. **प्राप्त मतों एवं स्थानों के अनुपात में अन्तर** - चुनाव प्रणाली का एक अन्य दोष यह है कि यहां निर्वाचित घोषित किया जाने वाला उम्मीदवार

कई बार विरोधी दलों के उम्मीदवारों से भी कम मत पाता है अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र से वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाता जिसे सबसे अधिक मत मिले हो, चाहे विरोधी उम्मीदवारों को मिले मतों का योग उसे प्राप्त मतों से कितना ही अधिक हो। इस कारण प्रायः उस दल को सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है जिसे देश के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। पिछले कुछ आम चुनावों में कांग्रेस को संसद में तो अधिक सीटें प्राप्त हुईं पर व्यवहार में उन्हे मतों का बहुमत भी प्राप्त नहीं हुआ। उदाहरणार्थ 1952 में कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में 45 प्रतिशत मत हुए जबकि लोकसभा के कुल सदस्यों के 75 प्रतिशत स्थान मिले, इसी प्रकार 1977 में कांग्रेस को लोकसभा के चुनावों में यद्यपि लगभग 39 प्रतिशत मत मिले किन्तु स्थान केवल 28 प्रतिशत ही रहे। इसी प्रकार 1984 में कांग्रेस को 40.1 सीटों पर महान सफलता मिली परंतु इसे कुल मतों का 48.1 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि सत्तारुढ़ दल संसद में तो बहुमत में होते हैं किन्तु उसके बाहर अल्पमत में होते हैं जिसके कारण उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को जन समर्थन नहीं मिल पाता इसलिए संसद में भारी बहुमत होने के बावजूद सरकारें प्रायः कमजोर दिखाई पड़ती हैं।

5. जाति व धर्म के नाम पर समर्थन प्राप्त करना – भारतीय राजनीति पर जाति व धर्म का भी प्रभाव देखा जा सकता है। चुनावों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा जाति व धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काकर समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। केवल ये ही नहीं दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों का चयन भी प्रायः धर्म व जाति के बहुमत के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा जाति व धर्म के नाम पर जनता को भड़काया जाता है जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया स्पष्ट व निष्पक्ष नहीं हो पाती। लोगों के विवेक पर जाति व धर्म की परत सी चढ़ जाती है और विवेकहीन होकर अपने मत का प्रयोग करते हैं जिसके कारण योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाता।

6. अशिक्षित मतदाता – हालांकि भारत को स्वतंत्र किये हुए 67 वर्ष हो चुके हैं लेकिन इतने लम्बे समय के पश्चात् भी अधिकांश जनता अनपढ़ है। शिक्षा के अभाव के कारण वे अपने मत का महत्व नहीं समझ पाते जिसके कारण उन्हें धन व अन्य प्रकार के लालच देकर राजनीतिक दलों द्वारा मतों को प्राप्त करने की हर प्रकार की चेष्टा की जाती है। अतः मतदाताओं का अशिक्षित होना भी चुनाव प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न करता है।

7. जाली मतदान – भारतीय चुनाव प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण दोष जाली मतदान का होना है। चुनावों से पूर्व जब सरकार की ओर से लोगों को अपने वोट बनवाने का अवसर दिया जाता है तो उसका लाभ उठाकर कई राजनीतिक दलों द्वारा हजारों की संख्या में वोट बनाए जाते हैं जोकि उन क्षेत्रों के रहने वाले ही नहीं होते। केवल वे ही नहीं जो व्यक्ति मतदान करने नहीं आते प्रायः उनकी वोटों का इस्तेमाल भी दूसरे लोगों द्वारा किया जाता है।

8. मतदाताओं की अनुपस्थिति – भारतीय चुनाव प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह है कि यहां पर मतदान के दौरान मतदाता ही अनुपस्थित रहते हैं। प्रायः लोगों द्वारा मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता वे इसे फालतू का काम समझते हैं। वे मताधिकार के प्रति उदासीनता का परिचय देते हैं जिसके कारण कम बहुमत प्राप्त करने पर ही उम्मीदवार निर्वाचित हो जाता

है। इस प्रकार अपने शासन में ही उनकी कोई भूमिका नहीं होती। मतदाताओं की यह उदासीनता भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी ही अशुभ है।

9. निर्दलीय उम्मीदवारों की समस्या – भारत में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि चुनाव व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। हर चुनाव में इन निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। धनी व अत्याधिक महत्वाकांक्षी लोग निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ते हैं जिनका उद्देश्य या तो मत विभाजन करना होता है या फिर प्रमुख उम्मीदवारों के चुनाव क्षेत्र से हटने के लिए धन प्राप्ति की आशा से उम्मीदवार बन जाते हैं। ऐसे उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या ने भी चुनाव प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

चुनाव प्रणाली के दोषों को दूर करने के उपाय – भारतीय चुनाव व्यवस्था में बढ़ते दोषों ने भारतीय जनमानस को इस विषय में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिज्ञ, विद्वान और कानूनवान चुनाव पद्धति में सुधारों की मांग कर रहे हैं –

1. चुनाव संबंधी खर्चों को कम करना – चुनावों में जिस तरह से धन को पानी की तरह बहाया जाता है उस पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। यदि आज हमारे चुनावों में भ्रष्टाचार है तो इसका मुख्य कारण चुनावों में अधिकतम धन खर्च करना है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कानून द्वारा निर्धारित सीमा पर कठोरता से पालन किया जाए जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह व्यवस्था भी करनी होगी की राजनीतिक दल जिन सूत्रों से धन प्राप्त करते हैं उनको सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करे।

2. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली – श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित समिति, जनसंघ तथा अन्य विरोधी दलों ने चुनाव पद्धति में प्रथम सुधार की यह मांग की थी कि संसदीय चुनाव क्षेत्र के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची को अपनाया जाए। इस पद्धति के अनुसार क्षेत्र बहुत बड़े होंगे और मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवार को वोट न डालकर सूची को वोट डालेंगे और प्रत्येक पार्टी को उसके द्वारा प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें मिल जाएगी।

3. जाति-धर्म को राजनीति से अलग करना – चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों द्वारा जिस तरह से जाति-धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं वह चुनाव पद्धति के लिए कहीं अधिक खतरनाक है। उम्मीदवारों द्वारा जाति विशेष या फिर धर्म के नाम पर लोगों को भ्रष्टाचार देकर उनमें जातिगत या धार्मिक उन्माद पैदा किया जाता है जोकि न केवल समाज के लिए बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है इसलिए जरूरत इस बात की है कि उम्मीदवारों के लिए इस प्रकार के कठोर कानून बनाए जाएं जिसके द्वारा वे चुनाव प्रचार में जाति या धर्म विशेष के बारे में भ्रष्टाचार या बात न कर सके तथा उनके उल्लंघन होने पर उन पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सके।

4. भ्रष्टाचार पर रोक – कई आम चुनाव विशेषकर रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी, अनुचित प्रभाव के कारण निष्पक्ष नहीं हो सके। निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक है कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए इसके लिए सरकार और राजनीतिक दलों को पग उठाने चाहिए। राजनीतिक दलों को फैसला करना चाहिए कि वे चुनाव में मतदाताओं को घरों से लाने के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी के वोट नहीं खरीदेंगे, किसी मतदाता पर अनुचित

प्रभाव नहीं डालेंगे इत्यादि।

5. उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाना – भारत में उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक होती जा रही है अधिकांश उम्मीदवार चुनाव में बहुत कम वोट प्राप्त कर पाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या से चुनाव पद्धति में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि योग्य और उचित व्यक्ति को ही चुनावों में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

6. निष्पक्षता – चुनाव निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए। सत्तारूढ़ दल को चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अपने दल के हित में सरकारी मशीनरी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए।

7. मतदाताओं के नाम दर्ज कराने के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करना – मतदाताओं की सूची इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से रह न जाए। इसके लिए मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए नगरों तथा गांवों में स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। यह कार्य नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों को सौंप देना चाहिए। मतदाताओं की सूची चुनाव से कुछ महीने पहले संशोधित करने की अपेक्षा वर्ष में एक बार अवश्य संशोधित करनी चाहिए।

8. अनिवार्य मतदान – चुनाव की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जाए। जबकि व्यावहारिक तौर पर अधिकांश लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते उनके लिये यह फालतू का कार्य है। वे समझते हैं कि उनके मतदान करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि वास्तविकता यही है कि लोकतंत्र में प्रत्येक मत का अपना विशेष महत्व होता है इसके लिए जरूरी है कि लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास किया जाए और यह कार्य राजनीतिक शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसके लिए समय-समय पर नागरिक जागरुकता शिविर एवं समारोहों का आयोजन किया जा सकता है तथा विभिन्न माध्यमों से नागरिक को जागरुक किया जा सकता है इसके साथ-साथ मतदान न करने वाले व्यक्ति पर दंडात्मक कार्यवाही भी करनी चाहिए जो कि कर या अन्य रूप में हो सकती है।

9. निर्वाचन आयोग को अधिक स्वतंत्र बनाना – निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए आवश्यक है कि निर्वाचन आयोग को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यताएं निश्चित की जानी चाहिए और उसकी अवधि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह होनी चाहिए। चुनाव को अपना अलग कर्मचारी वर्ग भी मिलना चाहिए ताकि उसको केंद्रीय और राज्य सरकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़े।

10. पहचान पत्र – चुनावों में हो रहे जाली मतदान को रोकने के लिए पूर्व चुनाव आयुक्त श्री टी० एन० शेषन द्वारा मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने का कार्य आरंभ किया गया। जिसके द्वारा अब पंजीकृत मतदाता ही अपने मत का प्रयोग कर सकता है तथा जाली मतदान पर अंकुश लगाया जा सकता है। ऐसे ही कठोर कदम उठाकर चुनाव प्रणाली को कहीं अधिक निष्पक्ष बनाया जा सकता है।

11. चुनाव याचिकाओं का शीघ्र निपटारा – चुनावों के बाद अनेक चुनाव याचिकाएं उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती हैं। चुनाव याचिकाएं चुनावों से भी ज्यादा खर्चीली और कष्टकर बन गई हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनाव संबंधी किसी भी विवाद के निपटारे की शक्ति आयोग को सौंप देनी चाहिए जिससे उसका निपटारा शीघ्र से शीघ्र किया जा सके।

12. प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार – निर्वाचन के पश्चात अधिकतर उम्मीदवार जनता के हितों की अनदेखी करने लगते हैं और जनमत के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि जनता को ऐसे प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार होना चाहिए जो कि उनकी दृष्टि में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जय प्रकाश नारायण द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया था।

निष्कर्ष – हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की बहुत-सी खामियां हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है, इस ओर सरकार ने काफी ध्यान दिया है और आगे दिया जा रहा है, लेकिन अपनी व्यवस्था की कमियों को सिर्फ एकतरफा प्रयासों के द्वारा ही दूर करना सम्भव नहीं है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपने कर्तव्यों को पूर्णता प्रदान करे, जिस देश की नागरिक शिक्षित, ईमानदार व जागरुक होंगे वहाँ चुनाव व्यवस्था में व्याप्त इतनी असंगतियाँ नहीं होंगी। टी. एन. शेषन के अनुसार- हम लोकतंत्र पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन गर्व की इस भावना को जंग लगता जा रहा है, वजह यह है कि लोगों में चुनाव प्रक्रिया के बारे में यह धारणा बनती जा रही है कि इसमें भ्रष्टाचार का घुन लग चुका है, इस धारणा के कारण लोगों में निराशा भर रही है, इसे दूर करना मुश्किल नहीं, बस दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, हमें आशा करनी चाहिए कि देश इन खामियों को दूर कर लेगा, इस समय जो हालात हैं उन्हें ठीक ही करना चाहिए, अन्य विकल्प इस कदर दिल दहलाने वाले हैं कि उनके बारे में सोचना ही व्यर्थ है। भारत के संसदीय लोकतंत्र की वर्तमान दशा के लिए राजनीतिक दल और मतदाता दोनों ही उत्तरदायी हैं। लेकिन सरकारें चुनाव सुधार की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, क्योंकि चुनाव के समय जनता से सभी सरकारें चुनाव-सुधार का वायदा करती रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पॉपुलर मास्टर गाइड यू. जी. सी. जूनियर रिसर्च फेलोशिप तथा लैक्चरशिप परीक्षा राजनीति शास्त्र- सुनील कुमार शर्मा
2. उपकार यू. जी. सी. जूनियर रिसर्च फेलोशिप तथा लैक्चरशिप परीक्षा राजनीति शास्त्र- सुरेन्द्र कौशिक
3. यू. जी. सी. जूनियर रिसर्च फेलोशिप तथा लैक्चरशिप हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा राजनीति शास्त्र- अरुण दत्त शर्मा
4. यूनीफाइड राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष - नन्दलाल

The Effects of Microwave on Human Foods

Dr. Punita Chordia*

*Professor (Home Science) Govt. Girls College, Nathdwara, Rajsamand (Raj.) INDIA

Introduction - The use of artificial microwave transmission in any form is definitely ill-advised. Due to the problem of random magnetic residulation and binding within the biological systems of the body, which can ultimately effect the neurological systems, primarily the brain and neuroplexuses (nerve centers), long term depolarization of tissue neuroelectric circuits can result. Because these effects can cause virtually irreversible damage to the neuroelectrical integrity of the various components of the nervous system, ingestion of microwaved foods is clearly contraindicated in all respects. In most of the research analysis the foods were exposed to microwave propagation at an energy potential of 100 kilowatts per cubic centimetre per second to the point considered acceptable for normal ingestion. The effects noted by researchers globe over are presented here in three categories :

Cancer-Causing Effects: Creation of cancer causing agents within protein hydrolysate compounds* in milk and cereal grains [*these are natural proteins that are split into unnatural fragments by the addition of water]. Alteration of elemental food-substances, causing disorders in the digestive system by unstable catabolism of foods subjected to microwaves. Due to chemical alterations within food substances, malfunctions were observed within the lymphatic systems (absorbent vessels), causing a degeneration of the immune potentials of the body to protect against certain forms of neoplastics [abnormal growths of tissue]. Microwave emission caused alteration of the catabolic [metabolic breakdown] behaviour of plant alkaloids [organic nitrogen based elements] when raw, cooked, or frozen vegetables were exposed for even extremely short durations. Cancer causing free radicals [highly reactive incomplete molecules] were formed within certain trace mineral molecular formations in plant substances and in particular, raw root-vegetables.

In a statistically high percentage of persons, microwaved foods caused stomach and intestinal cancerous growths, as well as a general degeneration of peripheral cellular tissues, with a gradual breakdown of the

function of the digestive and excretive systems.

Decrease In Food Value : Microwave exposure caused significant decreases in the nutritive value of all foods researched. The following are the most important findings: A decrease in the bio availability [capability of the body to utilize the nutrient] of B-complex vitamins, Vitamin C, Vitamin E, essential minerals and lipotropics in all foods. A loss of 60-90% of the vital energy field content of all tested foods. A reduction in the metabolic behaviour and integration process capability of alkaloids [organic There is nitrogen based elements], glucosides and galactosides, and nitrilosides. destruction in the nutritive value of nucleoproteins in meats and marked acceleration of structural disintegration in all foods.

Biological Effects Of Exposure : Exposure to microwave emissions also had an unpredictably negative effect upon the general biological welfare of humans. A breakdown of the human "life-energy field" in those who were exposed to microwave ovens while in operation, with side-effects to the human energy field of increasingly longer duration. A degeneration of the cellular voltage parallels during the process of using the apparatus, especially in the blood and lymphatic areas. There is loss of balance in circuiting of the bioelectric strengths within the ascending reticular activating system [the system which controls the function of consciousness]. A long term cumulative loss of vital energies within humans, animals and plants that were located within a 500-meter radius of the operational equipment. Long lasting residual effects of magnetic "deposits" were located throughout the nervous system and lymphatic system. Markedly higher levels of brainwave disturbance in the alpha, theta, and delta wave signal patterns of persons exposed to microwave emission fields, and because of this brain ware disturbance, negative psychological effects were noted, including loss of memory, loss of ability to concentrate, suppressed emotional threshold, deceleration of intellective processes, and interruptive sleep episodes in a statistically higher Percentage of individuals subjected to continual range

emissive field effects Or microwave apparatus, either in cooking apparatus or in transmission stations. The author will like to suggest that we can no longer ignore the microwave oven sitting in our kitchens. I will conclude this article with the following comments :

1. The human body cannot metabolize [break down] the unknown by products created in microwaved food.
2. Continually eating food processed from a microwave oven causes long term permanent -brain damage by "shorting out" electrical impulses in the brain.
3. Micro waved foods cause stomach and intestinal cancerous growths (tumours). This may explain the rapidly increased rate of colon cancer.
4. The prolonged eating of microwaved foods causes

cancerous cells to increase in human blood.

5. Male and female hormone production is shut down and/or altered by continually eating microwaved foods.
6. The minerals in vegetables are altered into cancerous free radicals when cooked in microwave ovens.
7. Eating micro waved food causes loss of memory, concentration, emotional instability, and a decrease of intelligence.
8. Continual ingestion of micro waved food causes immune system deficiencies through lymph gland and blood serum alterations.

Reference:-

1. Personal research.

हंस गीता में योग परंपरा

उर्मिला मीना*

* सहायक आचार्य (इतिहास) शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध में भगवान श्रीकृष्ण ने श्री उद्धव जी को भक्ति – मुक्ति का जो उपदेश दिया था। उस समय हंस गीता का वर्णन किया गया था। इसमें भगवान ने हंस अवतार का रूप धारण किया था। जिसमें ब्रह्माजी के मानस पुत्रों को सनकादिक ऋषियों को योग के परमार्थ तत्व के बारे में जो जिज्ञासा थी उसका समाधान किया था। जीव के चित्तको को विषयों से कैसे अलग किया जाए इसका तात्त्विक उपाय इस हंस गीता में बताया गया है। यहां पर भगवान कहते हैं कि सत्व – रज और तम ये प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं हैं। सत्व गुण के द्वारा रज तम आदि पर विजय प्राप्त करके सत्व गुण की शांतवृत्ति के द्वारा जीव की अन्य व्रतियों को भी शांत कर देना चाहिए।

‘सत्यवान धर्मो भवेद वृद्धान्तपुंसो भक्तादी लक्षणः।

सांत्विकोपासया सन्तवं ततो धर्मः प्रवर्तते॥’

भगवान का कहना है कि जब जीव में सत्वगुण की वृद्धि होती है तब ही जीव में भगवान की भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। जीव को सात्विक वस्तुओं के सेवन करने से सत्व गुण का विकास होता है। तब ही भगवान की भक्ति रूप स्वधर्म में लगन होती है। जिस धर्म से सत्व गुण की वृत्ति होती है वह धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। इस धर्म से रजो गुण एवं तमोगुण को नष्ट कर दिया जाता है। जब रजोगुण और तमोगुण दोनों नष्ट कर दिए जाते हैं तो उनके कारण पैदा होने वाले अधर्म भी तुरंत नष्ट कर दिए जाते हैं। एक जीव शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, और संस्कार ये 10 वस्तुएं हैं तो जीव के अंदर सत्व गुण की वृद्धि करती है। जब तक जीव को अपनी आत्मा का साक्षात्कार न हो जाए स्थूल, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान नहीं हो एवं तीनों गुणों की निवृत्ति नहीं हो तब तक जीव (मनुष्य) को सात्विक गुणों की वृद्धि में लगे रहना चाहिए। सात्विक गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्रों का अधन करना चाहिए। जिससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि होने से अंतःकरण शुद्ध होता है और आत्म तत्व का ज्ञान होता है। मनुष्य को आत्म तत्व का ज्ञान होने से उसकी योग परंपरा का विकास होता है।

भगवान का कहना है कि जिस प्रकार बांस की रंग से आग पैदा होकर सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है उसी प्रकार गुणों के वेषमय से उत्पन्न हुए इस शरीर में ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होने पर सारे शरीर एवं गुणों को भस्म कर के स्वयं भी शांत हो जाती है। हंस गीता में वर्णित योग परंपरा का उल्लेख करते हुए उद्धव जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य इस बात को जानता है कि विषय विपत्तियों के घर हैं। इसके बाद भी मनुष्य कुत्तो, गधे और बकरे के समान दुःख सहन करके भी विषयों को ही क्यों भोगते हैं।

क्योंकि मनुष्य (जीव) अज्ञानता के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है और सुक्ष्म-स्थूलादि शरीर में अहम्बुद्धि रखता है जबकि यह एक भ्रम है। इसके कारण जीव का सत्वप्रधान मन रजोगुण में फंस जाता है। जिससे वह जीव रजोगुण में भ्रमण करने लगता है। जिस समय जीव रजोगुण में रमण करने लगता है तभी से वह विषयों का चिंतन करने लगता है, जीव की बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है। मनुष्य काम के फंदे में फंस जाता है। इस काम से फिर छुटकारा पाना कठिन होता है।

भगवान कहते हैं कि जीव अज्ञान वश इंद्रियों के वश होकर अनेक प्रकार के कर्म कर जाता है। जबकि वह जानता है कि इन कर्मों का अंतिम फल दुःख ही है फिर भी वह उन्हीं को करता है उसका कारण होता है कि मनुष्य उस समय रजोगुण के तीन वेज से मोहित रहता है।

एक विवेकी मनुष्य भी कभी-कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग में ग्रसित हो जाता है लेकिन वह विषयों में दोष दृष्टि रखता है, वह सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करता रहता है उसके कारण उसकी विषयों में आसक्ति नहीं आती है।

मनुष्य को आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति को शक्ति के अनुसार बड़ी सावधानी से भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए। अभ्यास करते समय यदि कुछ असफल भी रहे तो ऊपर नहीं बल्कि उत्साह से अपना मन उसी में लगाएं। भगवान का कहना है कि मनुष्य को अपने मन को सब ओर से खींचकर साक्षात् रूप से मुझ में पूर्ण रूप से लगाना चाहिए। हंस गीता में भगवान के शिष्य शंका डीके वर्मा ऋषि यों ने योग परंपरा का यही स्वरूप बताया है कि भगवान ने मनुष्य का चित्त गुणों पर आधारित विषयों में लगा ही रहता है। चित्त और गुण एक दूसरे से मिले ही रहते हैं। जो मनुष्य इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति को पाना चाहता है उसे इन दोनों को अलग करने का उपाय क्या है? यहां पर भगवान हंस का स्वरूप धारण करके इसका समाधान ब्रह्मा जी को बताते हैं। क्योंकि सनकादिक परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे। अतः भगवान कहते हैं कि मन में, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाता है वह सब कुछ मैं ही मैं हूं। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। इसको तत्व विचारक अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी कारण बार-बार विषयों को सेवन करने से चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है। दूसरी ओर विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। जबकि भगवान इन दोनों से भिन्न हैं। अतः भगवान का साक्षात्कार करके इन दोनों को त्याग देना चाहिए।

जागृति स्वप्न और सुषुप्ति – यह तीनों अवस्थाएं बुद्धि की वृत्तियां हैं। यह तीनों अवस्था सात्विक गुणों के कारण होती हैं। सच्चिदानंद का स्वभाव

इनसे अलग है। जीव भी इनसे विलक्षण है। यह विचारधारा श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है। बुद्धि वृत्तियों के द्वारा उत्पन्न होने वाला, यह बंधन आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों को जन्म देता है। योग परंपरा के अनुसार मनुष्य को इन तीनों अवस्थाओं से विलक्षण करने वाली भगवान की तुरीय अवस्था में स्तर होकर, इस प्रकार की बुद्धि के बंधन का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार हंस गीता में योग के माध्यम से भगवान के द्वारा विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग कर दिया जाता है।

यह बुद्धि के बंधन अहंकार की रचना है। यह आत्मा के पूर्णतः सत्य अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छुपाए रखता है। एक मनुष्य जब इस बात को समझ कर विरक्त हो जाता है और अपनी तुरीय अवस्था के स्वरूप में अनुगत होकर संसार की चिंता छोड़ देता है तब उसके चित्त व विषय अलग अलग हो जाते हैं और वह भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब तक मनुष्य की सत्यबुद्धि, अहम्बुद्धि और मय बुद्धि युक्तियों के माध्यम से जगत के पदार्थों से निवृत्ता नहीं हो जाती है तब तक वह अज्ञानी मनुष्य जागता है, परंतु वह सोता हुआ नजर आता है। जैसे एक मनुष्य को स्वप्न अवस्था में जान पड़ता है कि वह जाग रहा है। आत्मा से अलग इस देह के प्रपञ्च का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। संसार में देह के कारण होने वाले वर्णाश्रम भेद, स्वर्णिकाफल एवं कारणभूत कर्म ये सब आत्मा के लिए उसी प्रकार मिथ्या है जिस प्रकार एक पुरुष के द्वारा स्वप्न में देखे गए पदार्थ मिथ्या है।

जो मनुष्य बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षण भंगुर पदार्थों का जागृत अवस्था में सारी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करता है। वही मनुष्य स्वप्न अवस्था में विषयों का अनुभव करता है। वही जब सुषुप्ति अवस्था में उन विषयों के भय का अनुभव करता है वो सारी अवस्था एक ही है। तीनों अवस्थाओं का स्वामी वह एक ही है। वह परमात्मा त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है मनुष्य के मन की यह तीनों अवस्थाएं भगवान को माया से, अंश स्वरूप जीव में स्थापित की गई है। जबकि आत्मा में यह नितांत रूप से असत्य है। भगवान का योग परंपरा में बताना है कि इन सब को मिथ्या मानकर जीव को सत्पुरुषों के वचनों को सुनना, उपनिषदों का श्रवण करना, ज्ञान के द्वारा सारे संशयों के आधार रूप अहंकार का नाश करके हृदय में स्थित परमात्मा का भजन करना चाहिए।

‘ईक्षेत विभ्रमभिदं मनसो विलासं,
दृष्टं विनष्टमति लोल मला त चक्रम।
विज्ञान मेक मरुधेव विभाति माया,
स्वप्नस्त्रिधा गुणाविसर्गकृतो विकल्पः॥’

यह संसार तो मन का विलास है। यह दिखता है पर नष्ट प्राय है। यह अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है। यह समझ लेना चाहिए आत्मा ही केवल सर्वत्र अनेक सा प्रतीत हो रही है। जो कि ज्ञानस्वरूप है। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित है। यह शरीर स्थूल है। एक स्वप्न के समान माया का खेल मात्र है। यह अज्ञान से युक्त है। इसी कारण एक मनुष्य को अपनी दृष्टि को देह आदि रूपी दृश्य से हटा लेना चाहिए। मनुष्य को तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से रहित होकर, अपनी आत्मा के आत्मानंद में मग्न हो जाना चाहिए।

जिस प्रकार शराब पीकर मस्त मनुष्य यह नहीं देखता कि उसके द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया है। उसी प्रकार एक आत्मा सिद्ध पुरुष इस नश्वर शरीर संबंधी बातों पर दृष्टि भी नहीं डालता है। जबकि इस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है। चाहे वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या देव संयोग से वह कहीं गया है या आया है।

प्राण और इंद्रियों के अधीन यह शरीर प्रारब्ध से मिला है। परंतु जिस मनुष्य ने आत्मा वस्तु का साक्षात्कार कर लिया है तथा समाधि के बाद में योग में आरुढ़ हो चुका है। वह मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन, आदि प्रपञ्च की चिंता नहीं करता है। वह शरीर को भी अपना नहीं मानता है। वह योग का एक गोपनीय रहस्य है। इसके माध्यम से भगवान ने स्वयं सदकादि ऋषियों को तत्त्वज्ञान समझाया था। इस योग के माध्यम से भगवान ने बताया है कि स्वयं हरि ही योग, सांख्य, सत्य, ऋत, कीर्ति और दम (इंद्रिय निग्रह), इन सब का परम अधिष्ठाता है। भगवान समस्त गुणों से रहित, किसी की अपेक्षा नहीं करने वाले हैं। साम्यता एवं असंगतता सभी गुण भगवान का ही सेवन करते हैं। उन्हीं से प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान सभी के हितैषी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा माने जाते हैं। वे नित्य होते हैं।

इस प्रकार भगवान ने सनकादि मुनियों के संशय को अपने योग के उपदेश के माध्यम से मिटा दिया था। सनकादि परम भक्ति से भगवान की पूजा करते थे। भगवान की स्तुतियों के द्वारा उनकी महिमा का गान करते थे। मनुष्य यदि इस संसार में सत्य, इंद्रिय, संयम, क्षमा, उत्तम बुद्धि को व्यवहार में ढाल देता है तो चित्त अपने आप विषयों से अलग हो जाता है। तप, इंद्रियसंयम, सत्य भाषण और मनो निग्रह आदि सबसे उत्तम होते हैं। इनको जीवन में ढालने एवं हृदय की सारी गांठें खोल कर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करने से मनुष्य का मन विषयों से विरक्त हो जाता है। वह उनके लिए हर्ष और विषाद नहीं करता है। मनुष्य को ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे किसी के मर्म को आघात नहीं पहुंचे। निष्ठुर भाषण नहीं बोलने चाहिए। किसी नीच मनुष्य से अध्याय शास्त्र का उपदेश ग्रहण नहीं करें, जिसको सुनकर दूसरों को उद्धेग हो, नरक में डालने वाली ऐसी बात मुंह से नहीं निकाले जो अमंगलमयी हो।

वचन रूपी बाण मुंह से निकलने के बाद, उन के माध्यम से मनुष्य को जो आघात पहुंचता है उससे मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। क्योंकि इससे मनुष्य के मर्म पर आघात पहुंचता है। इसी कारण एक साधक व्यक्ति को दूसरों पर वाग्बाण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे विद्वान मनुष्य को कोई भी यदि कटु वचन रूपी बाणों से चोट पहुंचाता है तब भी उसे शांत रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से क्रोध करते समय भी प्रसन्न रहता है वह सदा दूसरों के पुण्य प्राप्त करता है। व्यक्ति को संसार में निंदा करने वालों पर, सदा अप्रिय लगने वालों पर, क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। चित्त में विकार नहीं आने देना चाहिए। दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए। इससे चित्त विषयों से अलग एवं परमात्मा में लीन हो जाता है।

एक विद्वान मनुष्य को कोई गाली देता है तब भी बदले में वह कुछ भी नहीं बोलता है। दूसरे के मारने पर भी वह हमेशा क्षमा ही करता है। विद्वान मनुष्य के लिए क्षमा, दया, सत्य, सरलता ही उत्तम माने जाते हैं। वेदों का अध्ययन संपूर्ण शास्त्रों का सार है। सत्य भाषण, सत्य भाषण का सार है। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम का सार है, मोक्ष की प्राप्ति करना। वह जीव जो वाणी, मन, क्रोध, तृष्णा, पेट, एवं जननेन्द्रिय इन सब के प्रचंड वेग को सह लेता है। वही जीव ब्रह्मा वेता तथा मुनि बनता है। वह आसानी से विषयों से विरक्त हो जाता है। यहां वह मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है जो क्रोध नहीं करने वाला है, सहनशील है, ज्ञानवान है। जो किसी को गाली देने पर भी बदले में उसे गाली नहीं देता है। किसी के द्वारा कड़वी बात कहने पर भी वह उसे कठोर व प्रिय भी कुछ भी नहीं बोलता है, सारी चोट धैर्य के साथ सह लेता है। उसका बुरा करने वाले को न वह मारता है और न ही उसका बुरा चाहता है।

ऐसे मनुष्य से मिलने के लिए देवता भी तरसते हैं।

ऐसा मनुष्य जो पाप करने वाले अपराधी को, अपमानित करने वाले को, किसी की भी मार खाकर, गाली सुनकर भी उसे क्षमा कर देता है, वह मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति जो सभी प्रकार से सिद्ध आत्मा है फिर भी उसे श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना करनी चाहिए। उसे तृष्णा वह रोष से दूर रहना चाहिए। संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लेना चाहिए। विषयों से दूर रहना चाहिए। वही मनुष्य हंस गीता की योग परंपरा के लिए अपने आप में योग्य होता है।

एक योग सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य योनि से बढ़कर कोई भी उत्तम योनि नहीं है। जो व्यक्ति कोई भी उसे शाप देता है तब भी वह बदले में उसे शाप नहीं देता है। वह इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का सबसे बड़ा द्वार मानता है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों की ओट हटने पर अपने प्रभा से प्रकाशित हो उठता है उसी प्रकार एक निर्मल अंतःकरण वाला मनुष्य जो पापों से पूर्ण रूपेण मुक्त है, समय का इंतजार करते हुए, धैर्य पूर्वक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यानि वह योग के परंपरागत मार्ग को पकड़ लेता है।

जिस मनुष्य की वाणी और मन एकाग्रचित होकर परमात्मा में लगा रहता है। वह मनुष्य वेदाध्ययन, तप और त्याग के फल को पा लेता है। जो मनुष्य कटु वचन कहने वाले को, अपमान करने वाले अज्ञानियों को, उनके दोषों को समझने की कोशिश नहीं करता है। उन अज्ञानियों पर आक्षेप नहीं लगाता है, जो मनुष्य अपमान पाकर भी अमृत पाने की भांति खुश रहता है। वह अपमान प्राप्त कर के सुख से सोता है। उसका चित्त व विषय भोग स्वतः ही अलग होकर परमात्मा तत्व में रत हो जाता है।

वह व्यक्ति जो यज्ञ करता है। दान, तप एवं हवन करता है। जिसका उपहस्थ, उदर, दोनों हाथ और वाणी सब सुरक्षित है। वही मनुष्य योगी के रूप में धर्मज्ञ माना गया है। जो सदा स्वाध्याय में लगा रहता है। एकांत में निवास करता है, दूसरे की वस्तु हड़पना नहीं चाहता है। वह मनुष्य ऊर्ध्व गति को प्राप्त करके योग सिद्धि का हकदार हो जाता है। वह मनुष्य जो एक बछड़े की भांति सभी ओर से सद्गुणों का सेवन करता है। एक बछड़ा अपनी मां के चारों स्तनों के दूध का सेवन करता है। उसी प्रकार एक मनुष्य को चारों ओर से सद्गुणों का सेवन करते रहना चाहिए।

जिस प्रकार जहाज समुद्र को पार करने का साधन है, उसी प्रकार

सत्य ही एकमात्र योग तक पहुंचने का साधन है। जो मनुष्य संसार के क्षणभंगुर भोगों की और देखता भी नहीं है, वह भोग – विषयों के बारे में जानता है कि वह नश्वर है, उसका मन विषयों से अलग होकर परमात्मा में स्वतः ही लगने लग जाता है। वह मनुष्य जो अपनी हृदय गुफा में बसने वाले अंतर्दामी आत्मा को दोष भाव से अलग रूप दे देता है वह धीरे-धीरे सद्मार्ग गामी होता चला जाता है।

वह व्यक्ति जो मौन रहता है, व्यर्थ नहीं बोलता है, सत्य बोलता है, प्रिय तथा धर्म संमत बोलता है। वह जो ज्ञानी है, ज्ञान एकमात्र वह चीज है जो बहुमत हो बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहना सिखाता है। ज्ञानी व्यक्ति किसी के साथ भी कपट नहीं करता है। वेद शास्त्रों का जो स्वाध्याय करता है, उत्तम व्रतों का पालन करता है, वह किसी की भी निंदा नहीं करता है, यही एकमात्र उपाय या रास्ता है जो उस मनुष्य को प्रकाश युक्त बनाता है। पुण्यमय तत्त्वज्ञान यश प्रदान करता है। आयु की वृद्धि करने वाला है एवं स्वर्ग लोक तक ले जाता है। इसी के माध्यम से योग परंपरा में उसका मन लग जाता है। वह संसार के क्षणभंगुर विषयों से अपने आप दूर होकर एक परमात्मा के भजन में लीन हो जाता है।

इस प्रकार भगवान स्वयं हंस का स्वरूप धारण करके मनुष्य को इस हंस गीता की योग परंपरा के माध्यम से समझाते हैं कि एक मनुष्य जीवन को विषयों से अलग करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम मार्ग बताया गया है। एक मनुष्य जो सद्मार्ग पर चलकर सच्चाई का पालन करता है, तो वह क्षणभंगुर संसार के नश्वर भोगों से स्वतः ही विरक्त हो जाता है। वह सत्य, दया, मधुर वाणी, इंद्रिय संयम, आदि का पालन करते हुए परमात्मा के ध्यान में मग्न होने लगता है। यहां पर उल्लेख किया गया है कि एक जीव का परम उद्देश्य होता है, सत्य रूपी अपनी मंजिल को प्राप्त करना। यह सत्यता है अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना, इसे समझकर जो आत्मा अजर और अमर है उसे संसार के विषयों से अलग करके प्रभु के भजन में लीन करना सदा के लिए अमरत्व प्राप्त कर लेना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गीता संग्रह: अध्याय प्रथम, हंस गीता, प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर 2017

मगध का उत्कर्ष एवं विभिन्न वंशों का योगदान (हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के विशेष सन्दर्भ में)

मुकेश चन्द*

* सहायक आचार्य, इतिहास (विद्यासंबल योजना) राजकीय महाविद्यालय, सैपऊ, धौलपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – भारत के इतिहास में मगध का उत्कर्ष एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने समय-समय पर विभिन्न इतिहासकारों को अपनी ओर आकर्षित किया है और गहन समीक्षा करने हेतु विवश किया है। मगध का अपना अलग इतिहास है जिसके उत्कर्ष में तीन राजवंशों, यथा, हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश और नंद राजवंश का योगदान रहा है। मगध आधुनिक बिहार में स्थित है। मगध साम्राज्य 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। समय के साथ-साथ, मगध साम्राज्य पर तीन राजवंशों का शासन रहा: हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश और नंद राजवंश। छठवीं शताब्दी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक, चार महाजनपदों – मगध, कोसल, अवन्ती और वत्स – में आपस में सत्ता प्राप्ति के लिए कठोर प्रतिस्पर्धा थी, परंतु अंत में, मगध विजयी हुआ और इसने राज्य का दर्जा प्राप्त किया। इतना ही नहीं, यह प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया।

जैसा महाभारत में उल्लेख है, बृहद्रथ के वंशज जरासंध ने मगध में साम्राज्य की स्थापना की। मगध अंततः छठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपदों में एक राज्य शक्ति के रूप में उभरा। बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनन्द जैसे शक्तिशाली राजाओं ने मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 321 ईसा पूर्व तक इसने एक महान साम्राज्य का रूप ले लिया था। धातु भंडार: मगध की पहली राजधानी में राजगृह के पास लोहे के भंडार थे। मगध के लोगों ने धातु के औजारों और उनके अच्छे प्रभाव से जंगलों को काट दिया। कृषि क्षेत्र के विकास ने मगध की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और राजनीतिक प्रक्रिया को समर्थन देने में भूमिका निभाई। प्रस्तुत अध्ययन मगध के उत्कर्ष पर समीक्षात्मक अध्ययन है जो मगध के उत्कर्ष को प्रस्तुत करता है।

शब्द कुंजी – मगध, उत्कर्ष, वंश, हर्यक, शिशुनाग, नन्द, सत्ता, साम्राज्य, राजवंश।

प्रस्तावना –



भारत के इतिहास में स्थान प्राप्त प्रत्येक वंश और घटना स्वयं में भारतीय समाज के अतीत को समझने हेतु महत्वपूर्ण है, परंतु मगध का उत्कर्ष प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है जिस पर तीन वंशों, यथा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश ने कई वर्षों तक शासन किया। भारतीय इतिहास मगध के उत्कर्ष से सम्बंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक प्रकाश डालता है। यदि हम मगध के उत्कर्ष को समझना चाहते हैं और मगध के उत्कर्ष

सम्बन्धी ज्ञान में संवर्धन करना चाहते हैं, तो यह तभी संभव होगा जब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के बारे में भी जानकारी हो।

मगध जो आज बिहार के नाम से जाना जाता है। बिहार के पटना, गया, नालंदा, औरंगाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। मगध भारतीय इतिहास का बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने लगभग 684-320 ईसा पूर्व तक पूरे भारतवर्ष में शासन किया। महाकाव्य के अनुसार बृहद्रथ ने मगध की नींव रखी थी। लेकिन हर्यक वंश के बिम्बिसार ने मगध का विस्तार किया तथा अजातशत्रु और महापद्मनन्द जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने लगातार इसके विस्तार से इसे मजबूत किया।

बिम्बिसार एक कुशल शासक और हर्यक वंश का संस्थापक था। उसने लगभग 50 वर्षों (542 ई पू से 492 ई पू) तक मगध पर शासन किया। इसने मगध की राजधानी राजगृह बनाई (वर्तमान राजगीर)। गद्दी न छोड़ने के चलते इसके ही पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या की जिसके बाद अजातशत्रु ने मगध की गद्दी सम्भाली। अजातशत्रु ने 32 साल तक शासन किया और अपने शासन काल में उसने मगध देश का अप्रत्याशित विस्तार किया। इस प्रकार, मगध पर कई राजाओं ने शासन किया। अंत में जो राजा आया वह था धनानंद। धनानंद के शासनकाल में पाटलिपुत्र जैसा समृद्ध कोई राज्य नहीं था।

शिशुनाग वंश का शासनकाल बिम्बिसार और अजातशत्रु के बाद का

था। शिशुनाग वंश (412 ईसा पूर्व-345 ईसा पूर्व) मगध राज्य-दक्षिण बिहार का एक प्राचीन राजवंश था जिसका संस्थापक शिशुनाग के नाम पर इसका नाम शिशुनाग वंश पड़ा। शिशुनाग वंश के राजाओं ने मगध को प्राचीन राजधानी गिरिव्रज या राजगीर को राजधानी बनाया और वैशाली (उत्तर बिहार) को पुनर्स्थापित किया था। शिशुनाग ने सर्वप्रथम अवंतिवर्द्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त कर अवंति को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और इस प्रकार मगध की सीमा का पश्चिम मालवा तक विस्तार किया। तदुपरान्त उन्होंने वत्स को मगध में मिलाया जिसके परिणामस्वरूप पाटलिपुत्र के लिए पश्चिम देशों के साथ व्यापार करने हेतु व्यापारिक मार्ग खुल गया। गिरिव्रज या राजगीर से जुड़ना और और वैशाली (उत्तर बिहार) की पुनर्स्थापना शिशुनाग द्वारा ही की गई।

पिता की भांति शिशुनाग का पुत्र कालाशोक भी सफल शासक सिद्ध हुआ कालाशोक के काल को प्रमुखतः दो महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है- वैशाली में दूसरी 'बौद्ध परिषद' की बैठक और पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) में मगध की राजधानी का स्थानान्तरण। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद द्वारा कालाशोक (394 ई.पू. से 366 ई.पू.) की निर्दयतापूर्वक हत्या के साथ ही शिशुनाग वंश का अंत हो गया।

विशिष्ट उद्देश्य:

1. मगध के उत्कर्ष संबंधी ऐतिहासिक उल्लेख प्रस्तुत करना।
2. मगध की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख करना।
3. मगध के उत्कर्ष की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना।
4. हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश और नंद राजवंश का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना।
5. मगध के उत्कर्ष में प्रभावी भूमिका निभाने वाले विभिन्न राजवंशों के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी प्रदान करना।

सम्बंधित समीक्षित साहित्य

'मगध साम्राज्य ने बिम्बिसार के शासन काल से ऊंचाइयों को स्पर्श करना प्रारम्भ कर दिया था और नंद काल तक अंततः यह भारत का प्रथम महान साम्राज्य बन चुका था। इसके उदय, विकास, विस्तार और श्रेष्ठता स्थापना में विभिन्न राजवंशों के अनेकों महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासकों, एवं कुछ विशिष्ट कारकों जैसे भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों ने अपना विशिष्ट योगदान दिया। कुछ ऐसे स्थाई कारक थे जिन्होंने मगध साम्राज्य को राजनैतिक श्रेष्ठता की सर्वोच्च ऊंचाई को कई बार स्पर्श करने में सहायता प्रदान की। यह साम्राज्य भारत में लगातार कई वर्षों तक सत्ता का केन्द्र बना रहा। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ, जैसे, सोन, गंडक और घाघरा आदि ने रक्षा, संचार एवं व्यापार आदि के प्रभावी साधन के रूप में कार्य किया। पुरानी राजधानी राजगृह सात पहाड़ियों एवं अन्य पहाड़ियों से घिरी रहने के कारण सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र के गंगा और सोन के संगम पर होने के कारण वहाँ सुरक्षा के पर्याप्त प्राकृतिक साधन थे'।¹

'मगध मध्य बिहार में अपनी राजधानी गिरिव्रज (वर्तमान राजगीर) के आसपास एक छोटे राज्य के रूप में उभरा। मगध तीसरी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य धीरे-धीरे पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तर-पश्चिम में हिन्दुकुश पर्वतों और अफगानिस्तान तक, तथा दक्षिण में कावेरी नदी तक निरंतर विस्तार को प्राप्त होता हुआ विश्व के विशालतम साम्राज्यों में

से एक बन गया। इसके बाद, यह उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, दक्षिण में छोटानागपुर पठार (झारखंड राज्य के) के ढलान और पूर्व में खड़गपुर पहाड़ियों के बीच अपने वर्तमान स्वरूप में सिमट गया'।²

'उत्तर भारत के इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जिसको क्षेत्रीय राजशाही और गैर-राजशाही राज्यों के गठन, नगरीकरण के प्रारम्भ, धातु मुद्रा की शुरुआत और अपेक्षाकृत अधिक जटिल समाज के लिए है, प्रारंभिक ऐतिहासिक चरण जिसको के संक्रमण का गवाह बना। उत्तर भारत में कई क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। 16 महाजनपदों में कोसला, वत्स, अवंति और मगध के राजशाही राज्यों के साथ-साथ वृजियों अथवा वज्जियों के गैर-राजशाही महाजनपदों ने अन्य समकालीन शक्तियों को पीछे छोड़कर राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त किया। मगध महाजनपद अंतिम रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद के रूप में उभर कर आया। जिन प्रमुख कारकों ने मगध के उत्थान में विशेष योगदान दिया, वे हैं- इसकी दो राजधानियों राजगृह और पाटलिपुत्र की रणनीतिपूर्ण बसावट, कृषि अधिशेष उत्पादन में योगदान देने वाली समृद्ध जलोढ़ मिट्टी और खनिजों की उपलब्धता आदि जिन्होंने युद्ध के लिए लौह उपकरणों की उपलब्धता को संभव बनाया। मगध को प्रमुख रूप से तीन राजवंशों ने एक महाशक्ति के रूप में उभरने में योगदान दिया हर्यक, शिशुनाग और नंद राजवंश'।³

'मगध प्राचीन भारत के सोलह महा-जनपदों में से एक महाजनपद था। राज्य का उद्भव केन्द्र गंगा नदी के दक्षिणी भाग में बसा बिहार था। इसकी प्रथम राजधानी राजगृह (आधुनिक राजगीर) थी। तदुपरान्त पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) थी। मगध का विस्तार क्रमशः लिच्छवी और अंगकी विजय के साथ-साथ बिहार और बंगाल के अधिकांश भाग के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग और उड़ीसा को सम्मिलित करता गया। प्राचीन मगध राज्य का जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में बहुत अधिक उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में भी उपलब्ध है। मगध लोगों का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया। मगध लोगों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है जहाँ उनको अंग, गांधारी और मुजावत्स के साथ सूचीबद्ध किया गया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य की स्थापना और विकास में मगध ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

हिंदू महाकाव्य महाभारत में उल्लेख है कि बृहद्रथ मगध का पहला शासक था। बौद्ध पाली केनन, जैन आगम और हिंदू पुराणों में उल्लेख है कि मगध 600 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक लगभग 200 वर्षों तक हर्यक राजवंश द्वारा मगध पर शासन किया गया। हर्यक वंश के राजा बिम्बिसार ने एक सक्रिय और विस्तृत नीति का नेतृत्व किया जिसके तहत अंग जहाँ वर्तमान में पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल स्थित हैं, पर विजय प्राप्त की। राजा बिम्बिसार को उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने अपदस्थ कर मार डाला। अजातशत्रु ने मगध की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। हर्यक वंश को शिशुनाग वंश ने उखाड़ फेंका। अंतिम शिशुनाग शासक कालाशोक की हत्या महापद्म नंद द्वारा 345 ईसापूर्व में की गई। नंद साम्राज्य उत्तर भारत के अधिकांश भाग में फैला हुआ हुआ था'।⁴

'प्राचीन भारत का इतिहास न केवल अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मापदंडों के लिए, बल्कि इसके अविश्वसनीय राजनीतिक प्रतिमान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी का काल दूसरे उत्थान चरण जैसा है जिसे 'भारत में दूसरे शहरीकरण का समय' कहा जाता है। उस काल

के दौरान अनेकों संप्रभु शक्तियाँ अस्तित्व में आई, जिसका परिणाम हम सोलह महाजनपदों के रूप में देख सकते हैं। लोहे की अधिकता और उपयोग, स्थिर शहरीकरण का विकास, कृषि, उद्योग, व्यापार के विकास के परिणामस्वरूप प्राचीन भारत के इतिहास में सोलह महाजनपदों की अस्तित्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार छठी शताब्दी ई.पू. को प्रायः प्राचीन इतिहास का एक प्रमुख मोड़ माना जाता है।

प्राक्कल्पना:

1. भारत का इतिहास भारत में घटित पूर्व की घटनाओं को प्रदर्शित करता है।
2. भारत में आदिकाल से लेकर ब्रिटिशकाल तक अनेकों वंशों और राजवंशों का शासन रहा है।
3. मगध का उत्कर्ष भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है।
4. मगध की स्थानीय भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विशेषताओं ने विभिन्न राजवंशों को अपनी ओर आकर्षित किया।
5. हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के संदर्भ के बिना मगध के उत्कर्ष का वर्णन और समीक्षा असंभव है।

शोध प्रविधि – द्वितीयक तथ्यों, अर्थात् विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, शोध अध्ययनों, शोध-प्रबंधों और भारतीय इतिहासकारों द्वारा की गई टिप्पणियों पर आधारित प्रस्तुत शोध पत्र लेखन हेतु निम्न लिखित शोध-प्रक्रिया अपनाई गई-

1. विषय का चुनाव।
 2. उद्देश्यों का निर्धारण।
 3. प्राक्कल्पना का निर्धारण।
 4. शोध-प्ररचना का निर्धारण।
 5. विषय सम्बन्धी पूर्व प्रकाशित साहित्य का पुस्तकों, शोध-प्रबंधों, शोध-पत्रों, टीकाकारों की टिप्पणियों की सहायता से गहन अध्ययन।
 6. समीक्षा एवं पुनरावलोकन हेतु इंटरनेट साइट्स पर उपलब्ध कुछ विशिष्ट शोधपत्रों का चयन।
 7. अंतर्वस्तु विश्लेषण।
 8. चुने हुए विशिष्ट अध्ययनों एवं स्वयं द्वारा मगध के उत्कर्ष सम्बन्धी अध्ययन के आधार पर प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी और निर्धारित उद्देश्यों एवं प्राक्कल्पनाओं के आधार पर शोधपत्र के विषय की समीक्षा कर उसका निष्कर्ष निकालना।
- इस प्रकार, शोध के उपरोक्त चरणों का अक्षरशः पालन करते हुए शोध

अध्ययन में वैज्ञानिकता सुनिश्चित की गई और मगध के उत्कर्ष विषय का निष्कर्ष निकाला गया और सामान्यीकरण किया गया।

निष्कर्ष – 2500 वर्ष पूर्व मगध एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था और ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली तथा बड़ा राज्य था। इसका उदय गंगा की सहायक नदी सोन नदी के पास हुआ था। इसके तीन महत्वपूर्ण शासक थे जिनका नाम बिम्बिसार, अजातशत्रु, और महापद्मानंद था। जब अजातशत्रु मगध का राजा बना था तो इसने अपने राज्य विस्तार के लिए वज्जि संघ पर आक्रमण करने के बारे में विचार किया था।

वज्जि संघ 16 महाजनपदों में से एक था। यहां पर शासन गण नामक शासन प्रणाली द्वारा चलाया जाता था। यानी यहां पर कई राज आए होते थे जो मिलकर हर फैसले पर निर्णय लेते थे जैसे - शत्रुओं से कैसे निपटना है, एक साथ बैठकर बातचीत करते थे, वाद विवाद पर मिलकर निर्णय लेते थे आदि। बुद्ध और महावीर दोनों ही इस वज्जि संघ से संबंधित थे। यह राज्य 1500 साल तक चला। मगध अपने गौरवशाली इतिहास के लिए, वीर योद्धाओं और अपने विशाल साम्राज्य के लिए मशहूर था।

निष्कर्षतः विभिन्न भारतीय राज्यों और प्रमुख शक्तियों में मगध राज्य का उल्लेखनीय स्थान है। मगध जिसे वर्तमान में बिहार नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, अपनी स्थानीय विशेषताओं और उपलब्ध दुर्लभ संसाधनों के कारण एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। इसने अनेकों राजवंशों को अपनी ओर आकर्षित किया जिनमें प्रमुख राजवंश थे - हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश एवं नंद राजवंश जिन्होंने अपने विभिन्न राजाओं और राजकुमारों की सहायता से मगध पर न केवल अनेकों वर्षों तक शासन किया, बल्कि इसका निरंतर विस्तार किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रवीन कुमार (2017). दि काँजेज ऑफ दि राइज ऑफ मगध। इनोवेटिव रिसर्च थॉट्स, वॉल्यूम 3, इशू 10, अक्टूबर-दिसंबर, 2017
2. राम नंदन प्रसाद सिन्हा (2023). प्रिजर्वेशन ऑफ मगही लैंग्वेज इन इंडिया: कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स, लैंग्वेज, सोसाइटी एंड दि स्टेट इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, 273-291, 9 फरवरी, 2023
3. सुस्मिता बसु मजूमदार (2016). मगध, किंगडम ऑफ। दि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एम्पायर, जनवरी 2016
4. विकास नैन (2018). सीनियर अर्बनाइजेशन इन दि क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वॉल्यूम 3, इशू 2, मार्च 2018

Impact of Migration on Housing Conditions of Migrant Households : A Case Study Of Dawoodi Bohras of Udaipur City

Dr. Shagufta Saify*

*Assiatant Professor, S.M.B.Government P.G. College, Nathdwara, Rajsamand (Raj.) INDIA

Introduction - Migration has an intimate association with the economic development of the society of origin. No doubt migration deprives the society of origin of its young energetic creative manpower, but remittances sent by them give rise to a number of development activities.

House is the basic need of every human being because it is the only place where a good portion of one's time is spent; a place of shelter where one may seek refuge from the tensions and worries of the outside world. Now a days, it becomes the status symbol of better standard of living. Construction of new houses in the posh premises of the city, renovation of old houses, improvement of the quality of housing is one of the priority items of deposition of an emigrant's savings. It is one of the consequences of migration that is fully visible.

Review Of Literature

Daina Mata Codesal(2014)³ described the housing landscape of a village xarban in Ecadot and how it has changed over the last 5 years due to migration and remittance. The author also unpacked the reason why many of the recently built houses remained empty or inhabited by only one or two people. Migration is often targeted at the specific objective of building one's own house and migrants go through much hardship in order to save enough to build a concrete house this is usually the first big expenditure made by migrants after daily expenses.

Pailo Boccagni(2020)⁴ assumed that housing investment of international migrants and of their significance for the migration development Nexus. New or better house back home are a visible marker of migrants connect with the home community and of their expectations for future return regardless of their actual accomplishment. House building is a matter of household micro or private choice it has much to say on the broader social economic impact of migration it also illuminates the evolving gap between migrants dream and their actual achievements ,and between migrant themselves and their homelands over time.

Azeez A& Begum M.(2009)⁵ the contribution of migration

to development can be seen at family level and community level. Egg family level migration May improve household earnings food health housing and educational standards. Add the community level non-migrant household also benefited with migration. The housing facilities enjoyed migrants are more luxurious compared to non-migrant the development can also be noticed in commercial sector.

Zachariah et.all(2004)⁶ said that after 1970s Kerala has witnessed the construction of palatial houses thanks to the remittance sent by migrant workers from gulf countries. According to Kerala migration is study and index of the value of house of an emigrant was 7.05 compared to 4.3 of non-migrant same time 87% of migrant houses are electrified compared to 66% of non-migrant.

Objectives:

1. To find out the housing conditions of Dawoodi Bohra's of Udaipur City.
2. To calculate the difference between average score of house profile of Dawoodi Bohra's of Udaipur city.

Data Collection & Methodology:

1. In the present study due to the available facilities, time, budget and other limitations, data has been obtained by covering 20% (406 households out of 2030 households) representative samples of Dawoodi Bohra's of udaipur city.
2. Voter lists of municipal election were used to identify Bohra household for primary survey.
3. The sample was divided in to three groups that are migrant households, return migrant households and non migrant households.
4. The house type list is prepared by adopting the same method as Dr. T.S. Tiwari used in his SES scale .
5. A One Way analysis of variance using planned comparison was conducted to explore the impact of migration on House profile of migrant, return migrant in contrast of non migrants using House profile score by SES Scale.

Study Area: Udaipur is one of the most alluring tourist

attractions in India and has a noticeable spot on the world travel map. It possesses a unique site in terms of physiography and availability of water. The city strategically located admits a saucer shaped basin drained by the river Ahar. It is not only recognized as a tourist destination, but also has a major urban centers of Rajasthan; The city experiences a tropical monsoon type climate. Different seasons, intense heat of summer, uncertain & erratic rainy season of only 4 months, complete reversal of wind system twice a year are some of the major characteristic of the season.

About the Dawoodi Bohras: Dawoodi Bohras belongs to Shia sect of Islam. They are migrants through its origin. They are basically traders or business man & used to visit different places to sell the tings. Earlier, they came to India from Egypt for religious & missionary activities and resided in the state of Gujarat. From there, they migrated towards the towns of M.P., Rajasthan & Maharashtra for business purpose.

The Dawoodi Bohras of Udaipur city live a unique social life. Their way of living, material culture, believes are quite different from the other Muslims. Udaipur, the main commercial & tourist centre of Rajasthan is located near to Gujarat. It is a peaceful place too. As, the Bohras belong to business community & every business expansion needs peace & political stability, the Bohras attracted towards Udaipur & resided there. Till that time, they were petty shopkeepers & hawkers. The literacy rate was very low & they were educated only in religious studies.

In early 40's some of the Bohras migrated towards south countries like Ceylon (Sri Lanka) Nairobi, Kenya, Ethiopia etc for religious purposes. In mid of 1960's with the oil boom in middle – east countries, the Bohras emigrated towards its origin as they face loss in business during political riot as well at the time of famine. It makes the life very hard. At the same time, introducing of jobs in the Kuwait at very high wages was attracted the young Bohras to migrate. They have been migrating to Kuwait, UAE Masqat, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar & other gulf countries. The number of people who have worked outside the Udaipur city is more than half of the total number of Bohra's households in the city. For this reason, remittances have sharply raised per capita income. Bohras per capita consumption levels are also higher among the other Muslims of the city.

Analysis & Results

The impact of migration on housing is examined in many ways. First, the size of house, house ownership, house type, of migrants is compared with that of non-migrants.

(I) To find out the size of houses, no. of rooms per person was calculated.

Table-1: Distribution of Bohra's Families by No. of rooms occupied per person

No.of rooms occupied Per person	Migrant family	Non-Migrant family	Return Migrant family
<0.5	10.6	31.4	17.7
0.5-1	65.2	57.1	64.5
1-1.5	16.5	7.8	15.6
1.5-2	6.5	2.7	2.2
2<	1.2	1	-

Source: Field Survey

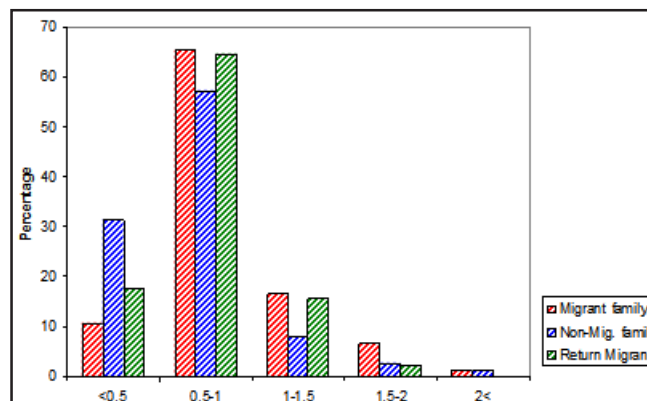
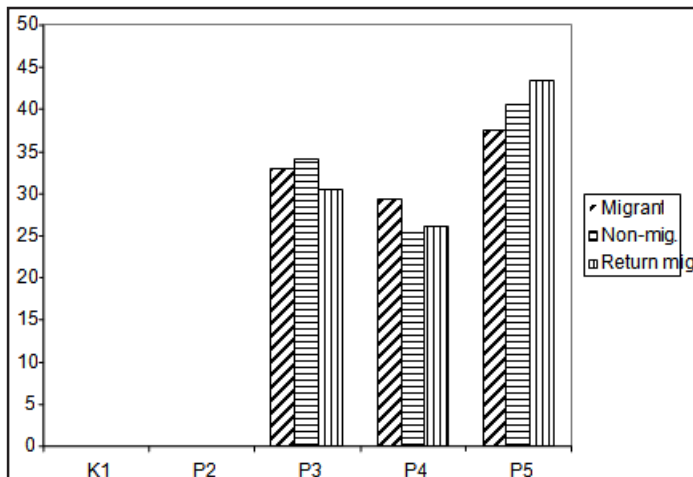


Table indicates that majority of the families have 0.5-1 room per person. Around two third of the migrants households have 0.5-1 room per person. Similar situation is observed in case of return migrant house holds but only half of the non migrant households have 0.5 to 1 room per person. Around one third non-migrants households have less than half room per person whereas 17.7% return migrants & 10.6% migrant's households have less than half room per person. Around one forth migrants are using more than one room as compared to one tenth of non-migrants households. (II), The impact of migration may be analyse in term of type of houses comparing the migrants house type with that of non-migrant household. For this purpose, all the houses are categorized under five categories on the basis of building material and its value in the formation of houses. The house type list is prepared by adopting the same method as Dr. T.S. Tiwari used in his SES scale. The respondents house is given score by observing the roof type, material used for walls, floor etc.

Table-2: Percentage distribution by type of Houses.

House Type	Migrant	Non-migrant	Return migrant
K1	-	-	-
P2	-	-	-
P3	32.9 (42)	34.2 (70)	30.4 (14)
P4	29.4 (38)	25.3 (53)	26.1 (12)
P5	37.6 (64)	40.5 (67)	43.5 (20)

Source: Field Survey



From above table it is revealed that building of house is the first priority of emigrants in the society. It is also clear from the table that non-migrant households have better houses as compared to that of migrants. It is due to the fact that migrants basically belong to poor families or highly rich families. The Bohra migrants were from poor & large families. That's why, the proportion of having P5 type houses is less in migrants as compared to non-migrants & return-migrants. The less proportion of P2 type houses also indicates that earlier the Bohras were poor & they improved much within last 30 years of mass – migration.

(III) The impact of migration on housing are analysed in term of house-ownership.

Table-3: Percentage distribution by house-ownership

House ownership	Mig.	Non.mig.	Return	Overall Raj.
Owned	77.6 (132)	75.3 (143)	91.3 (42)	78.5
Rented	8.8 (15)	12.1 (23)	-	18.3
Mortgage	13.5 (23)	12.6 (24)	8.7 (4)	3.2

Source: Field Survey

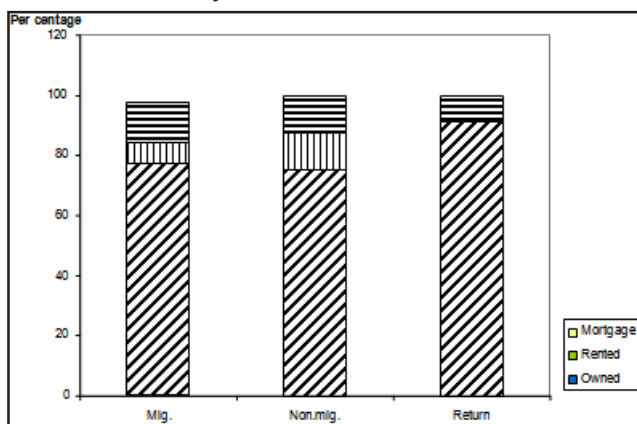


Table-3 states that around 91.3% of return migrants have their own houses. Followed by 77.6% of current migrants whereas 75.3% non-migrants have their own houses. No return-migrant have rented house, however only 4 returnees households have mortgage house where as 12.1% non-

migrants and 8.8% current migrants have rented house. Nearly 13.5% migrants & 12.6% non-migrants have mortgaged house.

Hypothesis: Are there differences between the average scores of House profile of the migrant, non migrant and return migrant house hold of Dawoodi Bohras of Udaipur City?

House Profile : ANNOVA is calculated using all the three variables described above to check house condition of Dawoodi Bohras of Udaipur city in SPSS . The Findings are: (See innext page)

Levene's test for homogeneity of variance gives value more than .05, the sample does not violated the homogeneity of variance test.

The main results of interest are presented in table labeled contrast test. As we can assume equal variances ,we use the first row of the table, the significance level of the contrast between non migrant and return migrant + migrant households is 0.013 which is less than .05, therefore we conclude that there is a statistically significant difference between average scores of House profile of the non migrant and the other group of migrant and return migrant house holds, therefore the result would be expressed as $F(1,403)=6.27, p=0.013$. Whereas the significance level of contrast between return migrant and migrant is 0.498 which is higher than 0.05. Thus the difference of average scores of House profile of return migrant and migrant households is insignificant.

References:-

1. Lokhand Wala S.T. (1955): The Bohras: A Muslim Community of Gujrat, Studia Eslamica Vol III
2. Khan Najma (1983): Studies in Human migration: Rajesh publications new Delhi.
3. Singh, Ram Nath (1989): Impact of out migration on socio-economic conditions (A case study of Khutouna Block). Amar Prakashan, New Delhi.
4. Engineer Asghar Ali(1993): The Bohras, Central Board of Dawoodi Bohra Community, Mumbai.
5. P.S. Rawat (1993): Migration And Structural Change- A Study of Rural Society In Garhwal Himalaya: Sarita book House, Delhi (India).
6. Melanie C. Page, Sanford L. Braver, David P. MacKinnon (2003): Levine's Guide to SPSS for Analysis of Variance 2nd Edition, LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS 2003 Mahwah, New Jersey London.
7. Zachariah KC, Irudaya Rajan S 2004. Gulf Revisited. Working Paper 363, Thiruvananthapuram: Centre for Development Studies.
8. Andy Field (2005): Discovering Statistics Using SPSS Sage Publications, London, Thousand Oaks ,New Delhi.
9. Azeez, A., & Begum, M. (2009). Gulf migration, remittances and economic impact. Journal of Social Sciences, 20(1), 55-60.

10. Codesal, D. M. (2014). From "mud houses" to "wasted houses": remittances and housing in rural highland Ecuador. REMHU: Revista Interdisciplinar Da Mobilidade Humana, 22, 263-280.
11. Boccagni, P. (2020). So many houses, as many homes?: Transnational housing, migration, and development. In Routledge Handbook of Migration and Development (pp. 251-260). Routledge.

Descriptives

House Profile

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Non Migrant	190	5.7316	1.40541	.10196	5.5305	5.9327	4.00	10.00
Return Migrant	46	6.2174	1.45927	.21516	5.7840	6.6507	4.00	9.00
Migrant	170	6.0529	1.52013	.11659	5.8228	6.2831	4.00	10.00
Total	406	5.9212	1.46858	.07288	5.7779	6.0645	4.00	10.00

Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.100	2	403	.905

ANOVA

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	(Combined)		13.818	2	6.909	3.239	.040
	Linear Term	Unweighted	9.266	1	9.266	4.344	.038
		Weighted	9.507	1	9.507	4.457	.035
		Deviation	4.310	1	4.310	2.021	.156
	Quadratic Term	Unweighted	4.310	1	4.310	2.021	.156
		Weighted	4.310	1	4.310	2.021	.156
Within Groups			859.660	403	2.133		
Total			873.478	405			

Contrast Coefficients

Contrast	Type of Family		
	Non Migrant	Return Migrant	Migrant
1	-2	1	1
2	0	-1	1

Contrast Tests

	Contrast	Value of t	Std. Error	t	df	Sig. (2-tailed)
House Assume equal Profile variances	1	.8072	.32223	2.505	403	.013
	2	-.1645	.24274	-.677	403	.498
Does not assume equal variances	1	.8072	.31854	2.534	177.930	.012
	2	-.1645	.24472	-.672	73.616	.504

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Dependent Variable: House Profile

	(I) Type of Family	(J) Type of Family	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Tukey HSD	Non Migrant	Return Migrant	-.48581	.24000	.108	-1.0504	.0788
		Migrant	-.32136	.15419	.094	-.6841	.0414
	Return Migrant	Non Migrant	.48581	.24000	.108	-.0788	1.0504
		Migrant	.16445	.24274	.777	-.4066	.7355
	Migrant	Non Migrant	.32136	.15419	.094	-.0414	.6841
		Return Migrant	-.16445	.24274	.777	-.7355	.4066
Games-Howell	Non Migrant	Return Migrant	-.48581	.23809	.111	-1.0566	.0849
		Migrant	-.32136	.15488	.097	-.6859	.0432
	Return Migrant	Non Migrant	.48581	.23809	.111	-.0849	1.0566
		Migrant	.16445	.24472	.780	-.4209	.7498
	Migrant	Non Migrant	.32136	.15488	.097	-.0432	.6859
		Return Migrant	-.16445	.24472	.780	-.7498	.4209
Dunnnett t (2-sided)	Non Migrant	Migrant	-.32136	.15419	.072	-.6659	.0232
		Return Migrant	-.16445	.24274	.737	-.3779	.7068

a. Dunnnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it.

Means Plots



आधुनिक भारत में दलित अनुभव

डॉ. अंजली जयपाल*

* सह-आचार्य, स.घ. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (राज.) भारत

शोध सारांश – आधुनिक भारत में दलितों का अनुभव एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक संघर्षों के साथ जुड़ा हुआ है। यह शोध पत्र दलितों के अनुभवों को विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण करता है, जिसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक भागीदारी, और सांस्कृतिक पहचान शामिल हैं। दलितों के अनुभवों को समझने के लिए, यह आवश्यक है कि हम समाज के विभिन्न वर्गों में उनके योगदान और संघर्षों को मान्यता दें।

शब्द कुंजी – दलित, भेदभाव, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, सांस्कृतिक पहचान, आधुनिक भारत।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दलित अनुभव – दलितों का इतिहास अत्यंत पुराना और पीड़ादायक है। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था ने दलितों को समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा, जिससे उन्हें सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। मध्ययुगीन काल में भी दलितों को शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

ब्रिटिश शासन के दौरान, दलितों की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कुछ कानूनी सुधार किए, लेकिन ये सुधार भी पर्याप्त नहीं थे। महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अंबेडकर, और अन्य नेताओं ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर ने संविधान सभा में दलितों के अधिकारों की जोरदार वकालत की, जिससे भारतीय संविधान में उनके लिए विशेष अधिकार और आरक्षण की व्यवस्था की गई।

आधुनिक भारत में भी, दलितों के अनुभवों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। यह इतिहास दलितों के वर्तमान संघर्षों और उपलब्धियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक शोषण और उत्पीड़न के बावजूद, दलित समुदाय ने अद्वितीय साहस और संकल्प के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है।

शिक्षा में दलित अनुभव – शिक्षा के क्षेत्र में दलितों को भेदभाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, शिक्षा को दलितों के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। भारतीय संविधान ने दलितों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष अधिकार और आरक्षण की व्यवस्था की है, जिससे उनके लिए उच्च शिक्षा के द्वार खुले हैं।

इसके बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में दलित विद्यार्थियों को आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्कूलों में भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, और आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई दलित बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। सरकारी योजनाओं और नीतियों के बावजूद, शिक्षा प्रणाली में दलितों के खिलाफ भेदभाव अभी भी एक बड़ी समस्या है।

शिक्षा में दलितों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, समावेशी और संवेदनशील शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। शिक्षकों को दलित विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए।

साथ ही, दलित विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना भी आवश्यक है।

रोजगार में दलित अनुभव – रोजगार के क्षेत्र में भी दलितों को भेदभाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में दलितों के खिलाफ भेदभाव आम है। हालांकि, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था ने कुछ हद तक दलितों की स्थिति में सुधार किया है, लेकिन निजी क्षेत्र में भेदभाव अभी भी प्रचलित है।

दलित श्रमिकों को अक्सर निम्न वेतन, असुरक्षित कार्य स्थितियों, और करियर में प्रगति के अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, दलित उद्यमियों को भी व्यवसाय शुरू करने और चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

रोजगार के क्षेत्र में दलितों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। रोजगार में भेदभाव के खिलाफ कड़े कानूनों और नीतियों का कार्यान्वयन आवश्यक है। साथ ही, दलितों को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहन और समर्थन भी प्रदान किया जाना चाहिए।

सामाजिक आंदोलन और दलित अनुभव – आधुनिक भारत में दलितों के सशक्तिकरण में सामाजिक आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ किया गया दलित आंदोलन, दलितों के अधिकारों और सम्मान के लिए एक प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन ने भारतीय समाज में दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए।

आधुनिक समय में भी, दलितों के सशक्तिकरण के लिए कई सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं। ये आंदोलन दलितों के खिलाफ भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। इन आंदोलनों ने दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया है और समाज में उनकी स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से दलितों ने शिक्षा, रोजगार, और

सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। यह आवश्यक है कि समाज इन आंदोलनों को समर्थन और मान्यता प्रदान करे, ताकि दलितों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और गति मिल सके।

राजनीतिक भागीदारी में दलित अनुभव – राजनीतिक भागीदारी दलितों के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय संविधान ने दलितों को राजनीतिक आरक्षण का अधिकार प्रदान किया है, जिससे वे राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से दलित नेता अपने समुदाय के मुद्दों को उठाते हैं और नीतियों और कानूनों में बदलाव के लिए काम करते हैं। इसके बावजूद, दलित नेताओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें राजनीतिक भेदभाव, सत्ता में हिस्सेदारी की कमी, और भ्रष्टाचार शामिल हैं।

राजनीतिक भागीदारी में दलितों के अनुभवों को सुधारने के लिए, राजनीतिक दलों और सरकार को दलित नेताओं को समर्थन और सम्मान प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा, दलित समुदाय को राजनीतिक जागरूकता और शिक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है, ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें।

सांस्कृतिक पहचान और दलित अनुभव – सांस्कृतिक पहचान दलितों के अनुभवों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दलित समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराएँ उनकी सामाजिक पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक हैं।

आधुनिक भारत में, दलित कलाकार, लेखक, और सांस्कृतिक कार्यकर्ता अपनी कला और साहित्य के माध्यम से अपने अनुभवों और संघर्षों को व्यक्त करते हैं। यह सांस्कृतिक अभिव्यक्ति दलितों की आवाज को प्रमुखता प्रदान करती है और समाज में उनकी स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सांस्कृतिक पहचान के माध्यम से, दलित समुदाय अपने इतिहास और धरोहर को संरक्षित करता है और नई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। यह आवश्यक है कि समाज दलित सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करे और उसे प्रोत्साहन प्रदान करे, ताकि दलित समुदाय अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बनाए रख सके।

आर्थिक स्थिति में दलित अनुभव – आर्थिक स्थिति दलितों के अनुभवों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आर्थिक असमानता और गरीबी ने दलित समुदाय को अत्यधिक प्रभावित किया है। भूमि और संसाधनों तक सीमित पहुंच के कारण, दलित परिवार आर्थिक प्रगति में पिछड़े हुए हैं।

हालांकि, सरकारी योजनाओं और नीतियों ने कुछ हद तक सुधार किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन की कमी से दलित समुदाय को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया है। आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए दलित समुदाय को वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

दलित महिलाओं की आर्थिक स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। उन्हें न केवल सामाजिक बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना, दलित समुदाय का समग्र विकास संभव नहीं है।

स्वास्थ्य सेवाओं में दलित अनुभव – स्वास्थ्य सेवाओं में दलितों को भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण और शहरी

दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक दलितों की पहुंच सीमित है। स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव और गुणवत्ता की कमी से दलित समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति प्रभावित होती है।

सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है ताकि दलित समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को संवेदनशीलता और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, ताकि दलित समुदाय के लोग स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग बिना किसी भय या भेदभाव के कर सकें।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए, जागरूकता और शिक्षा अभियान चलाना आवश्यक है। साथ ही, दलित समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सशक्त बनाना भी महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपनी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार कर सकें।

महिला सशक्तिकरण में दलित अनुभव – दलित महिलाओं का सशक्तिकरण दलित समुदाय के समग्र सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दलित महिलाओं को दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है – एक ओर वे जाति आधारित भेदभाव का सामना करती हैं और दूसरी ओर लिंग आधारित भेदभाव का।

शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक अधिकारों में दलित महिलाओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, कई दलित महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इन चुनौतियों के खिलाफ आवाज उठाई है और महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

महिला सशक्तिकरण के लिए, विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो दलित महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के क्षेत्र में समर्थन प्रदान कर सकें। इसके अलावा, समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी आवश्यक है, ताकि दलित महिलाएं सम्मान और समानता के साथ जीवन जी सकें।

पर्यावरण और दलित अनुभव – पर्यावरणीय मुद्दों का दलित समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दलितों की एक बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जल प्रदूषण, भूमि क्षरण, और प्राकृतिक संसाधनों की कमी प्रमुख हैं।

पर्यावरणीय असमानता के कारण दलित समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय संकटों का अधिक सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, औद्योगिक प्रदूषण और संसाधनों की अनुचित वितरण ने भी दलित समुदाय को प्रभावित किया है।

पर्यावरणीय न्याय के लिए, यह आवश्यक है कि नीतियों और कार्यक्रमों में दलित समुदाय की जरूरतों और अनुभवों को ध्यान में रखा जाए। पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाकर, दलित समुदाय को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

निष्कर्ष – आधुनिक भारत में दलित अनुभव एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक संघर्षों के साथ जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक भागीदारी, और सांस्कृतिक पहचान के माध्यम से, दलित समुदाय ने अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष किया है। यह आवश्यक है कि समाज दलितों के अनुभवों और योगदानों को मान्यता प्रदान करे और उनके सशक्तिकरण के लिए सक्रिय रूप से काम करे। दलितों

के सशक्तिकरण के बिना, भारत का समग्र विकास और सामाजिक न्याय की स्थापना संभव नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अंबेडकर, बी.आर. (1946). एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
2. गांधी, एम.के. (1936). हरिजन।
3. ओमवेद, जी. (2006). दलित एंड द डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन।
4. शर्मा, एस. (2010). कास्ट, क्लास एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी।
5. सेन, ए. (2009). द आइडिया ऑफ जस्टिस।
6. चंद्र, बी. (2014). इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस।

Sustainable Finance: Tracing the Evolution and Forging the Future

Dr. Shweta Tiwari*

*Assistant Professor (Commerce) Maharaja Agrasen International College, Raipur (CG) INDIA

Abstract - In-depth analysis of sustainable finance is provided in this article, which also charts its development from the beginning to the present and projects its future course. This paper employs a historical analysis to investigate the genesis of sustainable finance and its subsequent rise to prominence in tackling environmental, social, and governance (ESG) issues in the financial industry. Utilizing case studies and empirical data, it elucidates significant turning points, legislative advancements, and sectoral patterns that have moulded the terrain of sustainable finance. The article delves into the present obstacles and prospects confronting sustainable finance, encompassing matters of evaluation, reporting, and measurement. Future directions for sustainable finance are also outlined, such as the incorporation of ESG considerations into conventional investing techniques and the growth of green and social finance instruments, and the role of technological innovation in driving sustainability solutions. By providing insights into the past, present, and future of sustainable finance, this paper aims to inform policymakers, investors, and stakeholders about the critical role of finance in advancing sustainable development goals and building a more resilient and equitable global economy.

Keywords: Sustainable Finance, Evolution, Past, Present, Future.

Introduction - The global financial system has undergone profound changes over the past few decades, driven by technological advancements, evolving market demands, and a growing understanding of the impacts that financial activities have on society and the environment. One of the most significant transformations within this system is the rise of sustainable finance—a concept that integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into financial decision-making. As issues such as climate change, resource depletion, and social inequality become more pressing, the need for a financial system that fosters sustainability has never been more urgent. The transition towards sustainable finance reflects a broader shift in how investors, businesses, and governments approach value creation, focusing not only on financial returns but also on creating positive societal and environmental outcomes.

Sustainable finance encompasses a wide range of practices, from socially responsible investing (SRI) and impact investing to the integration of ESG factors into mainstream financial products such as loans, bonds, and equities (Eurosif, 2020). It seeks to align the financial system with sustainable development goals (SDGs) by encouraging investments that support projects and businesses that prioritize sustainability. This shift represents a fundamental departure from the traditional financial model, which has historically prioritized profit maximization, often at the

expense of social and environmental well-being. The importance of sustainable finance is underscored by growing concerns over climate risks, natural resource depletion, and social inequality, all of which have highlighted the urgent need for investments that contribute to a sustainable future.

The concept of sustainable finance has evolved considerably since its inception. In its early stages, it was primarily driven by a small group of ethical investors and institutions that sought to align their financial activities with personal or organizational values. Over time, however, the scope of sustainable finance expanded significantly, driven by both external pressures and internal recognition of the long-term benefits associated with responsible investing. Environmental sustainability, in particular, gained prominence following landmark international agreements such as the Paris Agreement (2015), which set global targets for reducing greenhouse gas emissions and mitigating climate change. As a result, financial institutions, governments, and corporations alike began to recognize the need to incorporate sustainability into their business models, not only to meet regulatory requirements but also to capitalize on the growing demand for green and socially responsible investments.

One of the key drivers behind the rise of sustainable finance is the growing awareness of the risks posed by

climate change and environmental degradation. The financial sector has long been aware of the potential risks associated with environmental factors—whether in terms of physical damage from extreme weather events or regulatory risks arising from environmental laws and regulations. However, the level of concern has increased dramatically in recent years, as global warming accelerates and the economic consequences of inaction become more evident (Sullivan & Mackenzie, 2019). Financial institutions and investors are increasingly recognizing that climate-related risks are financial risks, making the integration of sustainability considerations into financial decision-making not just an ethical obligation, but a practical necessity. This shift is particularly evident in the growth of green bonds, which fund projects designed to address environmental issues, such as renewable energy infrastructure and energy efficiency.

Social factors also play a critical role in the sustainable finance landscape. Investors and stakeholders are increasingly demanding that businesses adopt responsible social practices, including fair labor practices, human rights protections, and community engagement (OECD, 2021). The rise of the “impact investing” movement—an approach that seeks to generate both financial returns and measurable social impact—has been a key development in this area. Impact investors seek to address global challenges such as poverty, inequality, and access to healthcare and education by channeling capital into businesses and projects that contribute to positive social outcomes (Bain & Co, 2021). This growing emphasis on social responsibility is not only a response to societal pressures but also reflects the recognition that businesses that operate with a focus on social good are often more resilient and better positioned for long-term success.

Governance is the third pillar of sustainable finance. Strong governance practices are essential for ensuring that companies manage risks effectively and operate in a transparent, accountable manner. The importance of good governance has been highlighted by a number of high-profile corporate scandals and financial crises, which have underscored the need for robust oversight and ethical leadership. In recent years, there has been a growing recognition that companies that adopt sound governance practices are more likely to achieve sustainable long-term success. As a result, investors are increasingly incorporating governance factors—such as board composition, executive compensation, and shareholder rights—into their investment decisions. The rise of ESG-focused funds, which assess companies based on their environmental, social, and governance practices, is a testament to the growing importance of governance in the investment world (Goffman, 2018).

The evolution of sustainable finance is also influenced by the increasing role of regulatory frameworks. International agreements such as the Paris Agreement and

the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) have set ambitious targets for climate action, social development, and economic sustainability. National and regional governments have responded by introducing policies and regulations aimed at encouraging sustainable investment practices. In the European Union, for example, the European Green Deal outlines a roadmap for making the EU's economy climate-neutral by 2050, and the EU Taxonomy Regulation provides a framework for classifying environmentally sustainable economic activities (EU Commission, 2020). These regulatory frameworks help to provide clarity and consistency for investors, enabling them to make informed decisions about sustainable investments. Despite the growing momentum behind sustainable finance, significant challenges remain. One of the primary barriers to the widespread adoption of sustainable finance is the lack of standardized ESG metrics. While many financial institutions now incorporate ESG factors into their decision-making processes, the absence of universally agreed-upon standards for measuring and reporting ESG performance creates confusion and inconsistency. As a result, investors may struggle to compare companies or assess the true impact of their investments. The proliferation of different ESG rating systems and frameworks, such as those developed by MSCI, Sustainalytics, and the Global Reporting Initiative (GRI), has contributed to this lack of consistency (Henriques & Sadorsky, 2020). There is a growing call for greater standardization in ESG reporting to enable better transparency and comparability.

Another challenge is the risk of “greenwashing”—the practice of misleading investors by presenting a company or product as more environmentally friendly or socially responsible than it actually is. As demand for sustainable investments continues to grow, some companies may be tempted to overstate their ESG credentials in order to attract capital. This has led to concerns that greenwashing could undermine the credibility of the sustainable finance market and lead to misallocation of capital (Pereira et al., 2020). Addressing these concerns will require greater scrutiny of ESG claims and stronger regulatory oversight.

As the field of sustainable finance continues to evolve, there is significant potential for further innovation. Technological advancements, such as the use of blockchain for greater transparency in ESG reporting and the development of new financial products like green bonds and social impact bonds, could help address some of the current challenges. Additionally, the continued integration of sustainability into financial markets is likely to spur new forms of investment and financing, particularly in emerging markets where the demand for sustainable development is high (Bain & Co, 2021). The future of sustainable finance holds the promise of a more inclusive, resilient, and sustainable global economy.

Literature Review

Evolution of Sustainable Finance: Sustainable finance

has evolved significantly from its early roots in socially responsible investing (SRI), which focused primarily on avoiding investments in companies that engaged in harmful practices (e.g., tobacco or weapons manufacturing). Over time, this approach expanded to include positive screening, where investors actively sought companies with strong environmental and social records (Renneboog et al., 2008). The early 2000s saw the rise of Environmental, Social, and Governance (ESG) factors, which provided a more structured approach to evaluating companies based on their overall sustainability performance (Scholtens, 2017). The shift from exclusionary practices to integrating ESG criteria into investment strategies marked a significant milestone in the evolution of sustainable finance. This transition was influenced by the recognition that sustainability could offer long-term financial returns while also addressing pressing global challenges such as climate change and social inequality (Eccles & Klimenko, 2019).

More recently, the focus has shifted toward impact investing and green finance, where the primary goal is to achieve measurable social or environmental benefits alongside financial returns. The growth of green bonds, which fund projects aimed at addressing environmental challenges, is one example of how sustainable finance has adapted to meet the growing demand for environmental solutions (Flammer, 2021). The advent of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015 further accelerated this transformation, providing a global framework for aligning financial flows with sustainable development priorities (UN, 2015).

Integration of ESG Factors in Financial Decision-Making: The integration of ESG factors into investment decision-making has become a central aspect of sustainable finance. A growing body of research suggests that incorporating ESG factors into investment strategies can lead to better risk management and improved financial performance over the long term. Studies have shown that companies with strong ESG performance tend to have lower cost of capital, higher profitability, and better stock price performance (Friede et al., 2015). For example, research by Khan et al. (2016) demonstrated that firms with high ESG scores were better positioned to mitigate risks related to environmental regulations, social unrest, and governance issues. Additionally, investors are increasingly aware of the financial materiality of ESG issues, recognizing that sustainability challenges can affect company performance and profitability (Eccles & Klimenko, 2019).

Despite the growing body of evidence supporting the integration of ESG factors into financial decision-making, there is still significant variation in how ESG criteria are applied across different sectors and regions. This inconsistency is partly due to the lack of standardized metrics and reporting frameworks for ESG performance, which makes it difficult for investors to compare companies on a like-for-like basis (Hawley & Williams, 2007). While

organizations such as the Global Reporting Initiative (GRI) and the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) have developed reporting standards, there is no universally accepted framework for measuring and reporting ESG outcomes. This lack of standardization creates confusion among investors and impedes the growth of sustainable finance (Henriques & Sadorsky, 2020).

Challenges in Adopting Sustainable Finance: While the adoption of sustainable finance has gained momentum, several key challenges remain. One of the most significant challenges is the issue of “greenwashing,” where companies exaggerate or misrepresent their sustainability efforts to attract investment (Delmas & Burbano, 2011). Greenwashing undermines the credibility of the sustainable finance market, making it difficult for investors to distinguish between genuinely sustainable companies and those simply seeking to capitalize on the growing demand for ESG investments.

Another major barrier is the lack of regulatory consistency. While international agreements such as the Paris Agreement and the United Nations SDGs have provided a global framework for sustainability, there is still a lack of cohesive policies at the national and regional levels that promote sustainable finance (Sullivan & Mackenzie, 2019). In particular, the absence of clear regulations on ESG reporting and disclosures makes it difficult for investors to assess the true sustainability of companies, contributing to the risk of misallocated capital. The European Union has made strides toward addressing these issues through initiatives such as the EU Taxonomy Regulation and the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), which aim to provide clarity on what constitutes sustainable economic activities and improve ESG disclosures (EU Commission, 2020).

Additionally, the financial industry itself faces challenges in adapting to a sustainability-oriented model. Traditional financial models often prioritize short-term profit maximization, which can be at odds with the long-term nature of sustainable investments (Goffman, 2018). Overcoming this inherent tension requires a fundamental shift in the mindset of both financial institutions and investors, as well as a rethinking of how financial success is measured. The shift towards sustainability also requires the development of new financial products, such as green bonds and social impact bonds, which cater to the growing demand for investments that contribute to positive environmental and social outcomes (Bain & Co, 2021).

The Future of Sustainable Finance: Looking ahead, sustainable finance is expected to play an increasingly critical role in shaping global investment flows. As awareness of environmental and social risks continues to grow, the demand for sustainable financial products will likely increase. The rise of impact investing, which seeks to generate measurable social and environmental outcomes alongside financial returns, is expected to be a key driver

of this trend (Bain & Co, 2021). Additionally, technological innovations such as blockchain and AI may help improve transparency and standardization in ESG reporting, facilitating more informed investment decisions (Henriques & Sadorsky, 2020). However, to achieve the full potential of sustainable finance, further research is needed to address the challenges of standardization, regulatory uncertainty, and greenwashing, which continue to impede the growth of the sector.

Problem Statement: Sustainable finance has emerged as a critical mechanism to address pressing global challenges such as climate change, social inequality, and environmental degradation. However, despite significant progress in its adoption, there remain a number of barriers that hinder its widespread implementation. These barriers include inconsistent ESG (Environmental, Social, Governance) reporting standards, the risk of greenwashing, limited awareness among financial institutions and investors, and the complexity of integrating long-term sustainability considerations into financial models that traditionally prioritize short-term profit maximization.

One of the primary challenges is the lack of standardized metrics for assessing ESG performance. While numerous ESG rating systems and reporting frameworks have emerged, there is no universally accepted methodology for measuring and comparing ESG outcomes across industries and geographies. This lack of consistency and transparency makes it difficult for investors to make informed decisions about sustainable investments and for companies to demonstrate their commitment to sustainability (Pereira et al., 2020). As a result, investors face the risk of misallocation of capital, with funds potentially being directed toward companies that do not genuinely meet sustainability criteria. This issue is further exacerbated by the phenomenon of greenwashing, where companies overstate or misrepresent their environmental and social credentials in order to attract investment (Henriques & Sadorsky, 2020).

Research Objectives:

1. To examine the historical development and evolution of sustainable finance, focusing on its transition from socially responsible investing to the mainstream integration of ESG factors.
2. To assess the influence of ESG factors on financial decision-making and their integration into investment strategies.
3. To identify and evaluate the key challenges hindering the widespread adoption of sustainable finance, such as greenwashing, regulatory inconsistencies, and the lack of standardized ESG metrics.

Methodology: This research employs a **secondary data analysis** methodology to investigate the evolution of sustainable finance, its integration with ESG factors, and the challenges hindering its widespread adoption. The methodology focuses on the collection and analysis of

existing data from a variety of sources, including academic literature, industry reports, government publications, and financial databases. Secondary data analysis is an effective approach as it allows for the synthesis of a broad range of information without the need for primary data collection, making it both cost-effective and time-efficient.

1. Selection Criteria for Sources: To ensure the reliability and relevance of the data used, the following criteria were applied to select sources for the research:

- **Credibility:** Only reputable academic journals, reports from recognized financial institutions, and government publications were included. Sources were selected based on their authority in the field of sustainable finance and ESG research.

- **Recency:** Given the rapidly evolving nature of sustainable finance, sources from the last 5-10 years (2015-2020) were prioritized to ensure the data reflects the most current trends and developments in the field.

- **Scope and Relevance:** Sources were chosen based on their relevance to the research objectives, particularly those that focus on the evolution of sustainable finance, the integration of ESG factors, and the challenges faced by the industry.

2. Limitations of the Methodology: While secondary data analysis provides valuable insights, it is not without its limitations. The following limitations were acknowledged:

- **Data Availability and Access:** Some proprietary data from financial institutions and industry reports may not be publicly available or may require paid access, limiting the breadth of data that can be analyzed.

- **Data Consistency:** There is a lack of standardization in ESG reporting, which can lead to inconsistencies in the data across different sources. This can affect the comparability of ESG performance metrics and complicate the analysis.

- **Potential Bias in Reports:** Some industry reports may be biased due to the commercial interests of the organizations that produce them. While efforts were made to include diverse sources, this bias may affect the interpretation of certain findings.

3. Ethical Considerations: Since this research relies solely on secondary data, ethical concerns related to data collection were minimal. However, careful attention was paid to proper citation and acknowledgment of all sources to avoid plagiarism and ensure academic integrity. Additionally, any data from proprietary sources was used in compliance with copyright and access restrictions.

Findings and Discussion: This section presents the key findings derived from the analysis of secondary data on the evolution of sustainable finance, the integration of ESG factors into financial decision-making, and the challenges facing the industry. The findings highlight the significant progress made in sustainable finance, as well as the persistent barriers that must be overcome to enable its broader adoption.

1. Evolution of Sustainable Finance: The historical development of sustainable finance has been marked by significant shifts, from early socially responsible investing (SRI) to the broader incorporation of ESG factors in mainstream investment decisions. Initially, sustainable finance focused on ethical exclusions, such as avoiding investments in tobacco, alcohol, and defense industries. Over time, the scope of sustainable finance expanded, incorporating a wider array of environmental, social, and governance issues that influence long-term financial returns (Renneboog et al., 2008; Scholtens, 2017).

The rise of ESG integration, spurred by a growing recognition of sustainability risks, marked a pivotal moment. In the 2000s, investors began to realize that ESG issues were not just moral or ethical considerations but had material financial implications (Khan et al., 2016). A strong link between good ESG performance and financial returns became increasingly apparent, particularly as companies that proactively addressed sustainability risks tended to have lower cost of capital and higher stock returns (Eccles & Klimenko, 2019). The development of frameworks like the UN Principles for Responsible Investment (PRI) further accelerated the movement toward ESG integration, providing a standardized framework for investors to consider sustainability factors in their decision-making (PRI, 2016).

2. Integration of ESG Factors in Financial Decision-Making: The integration of ESG factors into financial decision-making has become central to the evolution of sustainable finance. Studies have consistently shown that companies with high ESG scores tend to outperform their peers in the long term. For example, research by Friede et al. (2015) indicated that the incorporation of ESG factors into investment strategies often led to superior risk-adjusted returns, with companies demonstrating strong environmental and social performance showing lower volatility and higher profitability. This trend was supported by the development of new financial products, such as green bonds, which directly fund environmentally sustainable projects and have seen increased demand in recent years (Flammer, 2021).

However, the integration of ESG factors remains inconsistent across industries and regions. While some sectors, particularly energy and utilities, have made substantial strides in incorporating sustainability considerations, others lag behind (Sullivan & Mackenzie, 2019). Additionally, there remains a lack of standardization in ESG reporting, which complicates the process for investors attempting to assess and compare companies based on their sustainability performance (Hawley & Williams, 2007). Efforts to standardize ESG metrics, such as those led by the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) and the Global Reporting Initiative (GRI), are critical to improving transparency and ensuring more consistent ESG reporting across sectors (Henriques &

Sadorsky, 2020).

3. Challenges Hindering the Adoption of Sustainable Finance: Despite the growing adoption of sustainable finance, significant challenges remain, particularly concerning greenwashing, regulatory inconsistencies, and the lack of standardized ESG metrics.

- **Greenwashing:** One of the most pressing challenges identified is greenwashing, where companies exaggerate their environmental or social commitments to attract investment. Delmas and Burbano (2011) noted that greenwashing undermines the credibility of sustainable finance and distorts investor decisions. Inaccurate or misleading ESG claims have led to a mistrust of the sustainability movement, as investors struggle to discern which companies are genuinely committed to sustainability.

- **Regulatory Inconsistencies:** Another major challenge is the lack of cohesive global regulations around ESG investing and reporting. While international frameworks such as the Paris Agreement and the UN Sustainable Development Goals (SDGs) provide a global sustainability framework, regulatory policies at the national level remain fragmented (Sullivan & Mackenzie, 2019). For example, the European Union has introduced regulations such as the EU Taxonomy Regulation and the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) to provide clarity on ESG criteria, but other regions are yet to implement similar measures. This inconsistency creates confusion among investors and slows the adoption of sustainable finance practices globally.

- **Lack of Standardized ESG Metrics:** The absence of universally accepted standards for ESG metrics has been another significant barrier to the widespread adoption of sustainable finance. As noted by Pereira et al. (2020), the diverse ESG reporting frameworks make it challenging for investors to assess and compare companies based on their sustainability performance. This lack of comparability undermines investor confidence and creates inefficiencies in the market. Initiatives such as the Global ESG Benchmark for Real Assets (GRESB) and the SASB's industry-specific standards are steps toward addressing this issue, but much work remains to be done to establish a unified approach to ESG measurement.

4. The Future of Sustainable Finance: Looking to the future, several key trends and developments suggest that sustainable finance will continue to grow in importance. The rise of impact investing, which prioritizes measurable social and environmental outcomes alongside financial returns, is expected to play a critical role in shaping the future of sustainable finance (Bain & Co, 2021). Investors are increasingly seeking ways to align their portfolios with global sustainability objectives, such as the SDGs, and to fund projects that drive positive change (Eccles & Klimenko, 2019).

Technological innovations, including blockchain and artificial intelligence (AI), may also help address some of

the challenges currently facing sustainable finance. For example, blockchain technology can improve the transparency of ESG disclosures by providing a secure, immutable ledger for tracking sustainability data (Henriques & Sadorsky, 2020). Similarly, AI tools could help investors analyze large volumes of ESG data more effectively, facilitating better decision-making and enhancing the efficiency of the market.

However, to unlock the full potential of sustainable finance, it is essential that the challenges of greenwashing, regulatory fragmentation, and inconsistent ESG reporting be addressed. This will require continued collaboration between governments, financial institutions, and regulators to create a more coherent and transparent framework for sustainable finance.

Implications: The findings of this research offer several key implications for various stakeholders involved in sustainable finance, including investors, policymakers, financial institutions, and companies. These implications suggest how stakeholders can leverage the current momentum of sustainable finance while addressing the barriers that hinder its widespread adoption. Moreover, they provide a roadmap for enhancing the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) factors into financial decision-making to drive long-term sustainable growth.

1. For Investors: The growing body of research highlighting the financial benefits of ESG integration underscores the importance of incorporating sustainability factors into investment strategies. Investors who prioritize ESG factors are likely to enhance long-term returns while managing risk more effectively, as companies with strong ESG performance have been shown to exhibit lower volatility and better financial outcomes (Friede et al., 2015). As a result, investors are encouraged to expand their focus beyond traditional financial metrics to include ESG performance, especially given the increasing regulatory requirements surrounding sustainable investing (PRI, 2016).

However, the challenges of inconsistent ESG reporting and greenwashing present significant risks to investors. The findings emphasize the importance of adopting a more rigorous approach to evaluating ESG claims and advocating for better transparency and standardization in ESG reporting. Investors must play an active role in pushing for stronger ESG metrics and demanding reliable, third-party verification of sustainability claims to avoid the pitfalls of greenwashing (Delmas & Burbano, 2011).

2. For Policymakers and Regulators: The research highlights the fragmented regulatory landscape as one of the major barriers to the growth of sustainable finance. Policymakers and regulators are urged to harmonize ESG reporting standards and create more robust frameworks that ensure greater consistency in ESG disclosures across markets. Regulations such as the EU Taxonomy Regulation

and SFDR have made significant strides in providing clear guidelines for ESG investments, but more coordinated global efforts are needed to establish a universal standard for ESG criteria (Sullivan & Mackenzie, 2019).

By adopting global regulatory frameworks, policymakers can facilitate a more seamless and transparent global market for sustainable finance, reducing the risk of market fragmentation and increasing investor confidence. Further regulatory incentives, such as tax breaks for sustainable investments and mandatory ESG disclosures for companies, could also accelerate the transition to a more sustainable financial ecosystem (Henriques & Sadorsky, 2020).

3. For Financial Institutions: The research suggests that financial institutions play a critical role in driving the growth of sustainable finance through their investment strategies, product offerings, and advisory services. By developing and promoting financial products that integrate ESG considerations, such as green bonds and impact investing funds, financial institutions can attract a broader range of investors who are seeking to align their portfolios with their values (Flammer, 2021).

Moreover, institutions can enhance their due diligence processes by incorporating ESG factors into their risk management frameworks. As ESG risks are increasingly seen as financially material, integrating them into risk assessments allows institutions to better manage potential risks and optimize long-term returns. Financial institutions should also embrace technology and innovation, including blockchain and AI, to improve transparency and streamline the collection and verification of ESG data (Henriques & Sadorsky, 2020).

4. For Companies: For companies, the growing demand for sustainable finance presents an opportunity to enhance their ESG performance and attract investment. The findings highlight that companies with strong ESG practices not only improve their access to capital but also position themselves for long-term success by mitigating sustainability-related risks (Eccles & Klimenko, 2019). Companies should focus on developing clear ESG strategies, setting measurable sustainability targets, and improving the transparency of their ESG performance. Furthermore, integrating ESG into corporate governance structures is essential to ensure that sustainability considerations are incorporated into decision-making at all levels of the organization.

However, companies must also be cautious of the growing scrutiny surrounding greenwashing. It is imperative that organizations provide accurate and verifiable ESG data and avoid overstating their sustainability achievements. As investors and consumers become increasingly sophisticated in evaluating sustainability claims, companies that fail to demonstrate genuine commitment to sustainability may face reputational damage and financial penalties (Delmas & Burbano, 2011).

5. For the Future of Sustainable Finance: The

implications of this research also extend to the broader future of sustainable finance. The study highlights several emerging trends that suggest sustainable finance will continue to evolve as a mainstream investment strategy. Impact investing, in which investors seek not only financial returns but also measurable social and environmental impact, is likely to become increasingly prominent. As investors seek to align their portfolios with global sustainability goals, such as the SDGs, the demand for sustainable finance products is expected to grow (Bain & Co, 2021).

Technology, particularly blockchain and AI, presents an opportunity to address some of the challenges facing sustainable finance, including the transparency and reliability of ESG data. The use of these technologies can streamline the collection, verification, and reporting of ESG data, thereby improving the efficiency and integrity of the market (Henriques & Sadorsky, 2020).

Moreover, financial institutions and regulators must work collaboratively to create the necessary infrastructure to support the growth of sustainable finance. This includes creating standardized ESG metrics, developing new financial products that incentivize sustainability, and ensuring that ESG risks are adequately reflected in investment pricing models. Through these efforts, sustainable finance can play a crucial role in achieving the global sustainability objectives outlined in the SDGs and contribute to a more resilient and equitable global economy.

Conclusion: The evolution of sustainable finance represents a pivotal shift in the global financial ecosystem, reflecting growing awareness of the profound relationship between financial markets and long-term sustainability. Over the past decades, sustainable finance has transitioned from an ethical niche to a mainstream practice, driven by the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) factors into investment and corporate strategies. This research has illuminated the significant progress made in promoting ESG investing, the integration of sustainability risks into financial decision-making, and the development of new financial products like green bonds and impact investments. The growing body of evidence showing the positive financial and social outcomes of such investments has spurred increased adoption among investors, financial institutions, and corporations.

However, the study also underscores that substantial challenges persist, particularly regarding the inconsistent reporting of ESG metrics, the risks of greenwashing, and the fragmented regulatory landscape. Greenwashing, in particular, has emerged as a critical issue, as misleading sustainability claims threaten to undermine the credibility of the entire sustainable finance movement. The lack of standardized ESG metrics further complicates the process for investors, regulators, and companies striving for greater transparency and consistency in their sustainability efforts. To ensure the continued growth and effectiveness of

sustainable finance, it is essential that stakeholders—investors, regulators, financial institutions, and companies—collaborate to address these barriers. Enhanced regulation, standardized ESG metrics, and the adoption of emerging technologies such as blockchain and AI will be crucial to improving transparency, ensuring accurate ESG reporting, and minimizing the risks associated with greenwashing. Financial institutions must also continue to innovate by developing new products that integrate sustainability, while companies should focus on making genuine, verifiable sustainability commitments to attract responsible investment.

Looking forward, sustainable finance holds the potential to drive significant change in addressing global challenges, including climate change, poverty, and inequality. By aligning financial goals with sustainable development objectives, it can unlock new investment opportunities, promote responsible corporate behavior, and support the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). However, its full potential can only be realized if the ongoing challenges are addressed effectively. As the demand for sustainable finance grows, the integration of ESG factors into financial markets is poised to play a critical role in shaping a resilient, equitable, and environmentally sustainable global economy.

In conclusion, the future of sustainable finance is promising but requires continuous efforts from all sectors involved to foster an ecosystem that prioritizes both financial returns and long-term sustainability. The path forward must be marked by greater transparency, consistency, and accountability in ESG practices, along with innovative solutions to tackle the existing barriers to growth. Through concerted action, sustainable finance can become a transformative force, contributing to a future where economic growth, environmental protection, and social equity go hand in hand.

References:-

1. Bain & Co. (2021). Impact Investing: The Next Frontier. *Bain & Company*.
2. Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The Drivers of Greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64–87.
3. Eccles, R. G., & Klimenko, S. (2019). The Investor Revolution. *Harvard Business Review*, 97(3), 106–116.
4. Flammer, C. (2021). Green Bonds: Effectiveness and Implications for Public Policy. *Environmental Economics and Policy Studies*, 23(1), 1–20.
5. Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210–233.
6. Henriques, A., & Sadorsky, P. (2020). The Role of Financial Institutions in Promoting Sustainability. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 10(1),

- 55-72.
7. Khan, M., Serafeim, G., & Yoon, A. (2016). Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality. *The Accounting Review*, 91(6), 1697–1724.
8. PRI (Principles for Responsible Investment). (2016). *PRI Report on ESG Integration*. Principles for Responsible Investment.
9. Renneboog, L., Ter Horst, J., & Zhang, C. (2008). Socially Responsible Investments: Institutional Aspects, Performance, and Investor Behavior. *Journal of Banking & Finance*, 32(9), 1723–1742.
10. Scholtens, B. (2017). Why Finance Should Care About Sustainable Development. *Journal of Business Ethics*, 140(4), 781–794.
11. Sullivan, R., & Mackenzie, C. (2019). The Sustainable Finance Challenge: A Framework for Policymakers. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 9(1), 1-13.
12. Pereira, L., Loureiro, S., & Cunha, M. (2020). ESG Reporting and Its Impact on Corporate Performance. *Journal of Corporate Finance*, 64, 101426.
13. Hawley, J. P., & Williams, A. T. (2007). The Role of Financial Institutions in Promoting Sustainable Finance. *Journal of Business Ethics*, 70(1), 1-13.
14. Henriques, A., & Sadorsky, P. (2020). Exploring the Role of Financial Institutions in the Green Economy. *Environmental Economics and Policy Studies*, 22(3), 507-520.
15. Li, W., & Zeng, S. (2021). Sustainable Finance: A Systematic Literature Review and Future Research Directions. *Journal of Cleaner Production*, 296, 126518.
16. Flammer, C. (2021). Green Bonds and Corporate Financial Performance: A Review of the Literature. *Journal of Corporate Finance*, 68, 101581.
17. BlackRock. (2020). Sustainable Investing: Reshaping the Future of Finance. *BlackRock Insights*.
18. Kotsantonis, S., & Serafeim, G. (2019). ESG Integration in Investment Management: Myths and Realities. *Journal of Applied Corporate Finance*, 31(2), 35-45.
19. Global Sustainable Investment Alliance. (2020). *Global Sustainable Investment Review*. GSIA.
20. Anderson, R. (2019). Driving Innovation Through Sustainability in Financial Markets. *Journal of Financial Innovation*, 5(2), 26-35.
21. Bauer, R., & Hann, D. (2019). Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Evidence from Sustainable Investment Funds. *European Financial Management*, 25(3), 621-653.
22. United Nations Environment Programme (UNEP). (2020). *Financing Sustainable Development: A Guide for Financial Institutions*. UNEP.
23. World Bank. (2021). Sustainable Finance and the Role of Private Sector Investment. *World Bank Group Report*.
24. IOSCO. (2020). *Sustainable Finance and ESG Disclosures: Global Trends and Regulatory Responses*. International Organization of Securities Commissions.
25. OECD. (2020). *Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
26. Mersland, R., & Strøm, R. Ø. (2019). Sustainability and Performance: Evidence from Sustainable Investment Funds. *International Review of Financial Analysis*, 61, 22-34.
27. Garcia, A., & Santos, F. (2020). ESG Investing: Trends and Implications for Portfolio Management. *Journal of Sustainable Finance*, 13(2), 157–172.
28. World Economic Forum. (2021). *The Future of Sustainable Finance: Trends and Developments*. WEF Report.
29. Baret, A. (2020). The Role of Greenwashing in Sustainable Finance. *Journal of Corporate Social Responsibility*, 17(1), 49–62.
30. Sweeney, L. (2017). Greenwashing: Environmental Claims in the Market. *Journal of Business Ethics*, 138(1), 197–212.
31. TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). (2020). *Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures*.
32. G20 Sustainable Finance Working Group. (2020). *Advancing Green Finance: Lessons and Recommendations*.
33. Apeldoorn, S., & Dijk, J. (2021). ESG Reporting: Trends, Opportunities, and Risks for Financial Institutions. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 29(4), 465-482.
34. Brunelli, M., & Cioffi, P. (2021). ESG in Asset Management: Driving Performance and Sustainability. *Journal of Asset Management*, 23(1), 4-16.
35. Hoepner, A. G. F., & Scholtens, B. (2020). The Transition Towards Sustainable Finance and Investment. *Journal of Business Ethics*, 152(3), 529–545.
36. Christensen, D., & Jørgensen, K. (2018). ESG Investing and Corporate Sustainability: Opportunities and Challenges. *Sustainability Journal*, 10(4), 1021.
37. UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment). (2017). *Annual Report on Responsible Investment and ESG Strategies*.
38. Verheyden, T., & Baeten, D. (2020). Regulation of Sustainable Finance: Challenges and Opportunities in the EU Context. *European Business Law Review*, 31(3), 325–352.
39. OECD. (2021). *Making Finance Sustainable: Policy and Regulatory Frameworks*. OECD Report.
40. Moroz, P. W., & Hindle, K. (2021). Sustainable Finance and Entrepreneurship: Opportunities and Challenges. *Journal of Business Venturing*, 36(2), 89-110.

मुक्तिबोध का काव्य शिल्प : नवीनता का दृष्टिपात

डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी *

* सहा. प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – मुक्तिबोध के काव्य संसार में कुछ नवीनता की ओर दृष्टिपात किया जाए तो पता चलता है कि नवीनता तथ्य और शिल्प दोनों ही क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है। उनका काव्य शिल्प तो नवीनता का विपुल भण्डार लिये हुए है। काव्य शिल्प में जो सपाटपन है, जटिलता है, कलात्मक काट-छाँट नहीं हैं, उसमें किसी प्रकार का आडम्बर नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं – ‘मुक्तिबोध की कविताओं में सदैव एक साथीपन का भाव है। सबसे बड़ी बात उनमें यह है कि उनके अंदर मस्तिष्कहीन कोरी भावुकता (माइण्डलैस फीलिंग) नहीं है। उनके भावों के पीछे विचारों का दीर्घ दोहन है।’¹ मुक्तिबोध की कविता की रचना के पीछे कार्य करने वाले इस दीर्घ वैचारिक उद्देलन के ही अनेक ऐसे परिणाम हुए हैं जिसने उनकी रचनाओं का शिल्प भी प्रभावित हुआ है। उदाहरण स्वरूप विचार किया जाए तो सर्वप्रथम उनकी कविताओं की लम्बाई का है।

लम्बी कविता – मुक्तिबोध को प्रारंभ की रचनाएं उतनी लंबी नहीं हैं, किन्तु ज्यों-ज्यों उनका विचारक पक्ष प्रौढ़ एवं परिपक्व होता जाता है। त्यों-त्यों उनकी रचनाएं विस्तृत आकार लेती गयीं। अब तक प्रकाशित रचनाओं में ‘चांद का मुंह टेढ़ा है’ सबसे अंतिम कविता अंधेरे में इतनी लम्बी 8 खण्डों में है जिसे कुछ समालोचक लघु महाकाव्य की संज्ञा से विभूषित करने लगे। यदि चांद का मुंह टेढ़ा है की सभी 28 कविताओं में केवल एक-दो कविताएं जैसे ‘पता नहीं’ ‘भूल गलती’ को छोड़ दिया जाए तो सभी लम्बी कविता की फेहरिस्त में शामिल हैं। इसका कारण है मुक्तिबोध के लंबे आत्मसंदर्भ एवं आत्मअन्वेषण व आत्मान्वेषण के कारण उनकी सर्जना के पीछे एक जटिल वैचारिक मंथन है। ‘एक लम्बी कविता का अंत’ की टिप्पणी में उन्होंने विचार करते हुए लिखा है – ‘यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐसा ही गतिशील है और उसके तत्व भी परस्पर गुम्फित हैं। यही कारण है कि मैं छोटी कविता लिख नहीं पाता और जो छोटी होती हैं, वे छोटी न होकर अधूरी होती हैं।’² यही कारण है कि उनकी कविताओं का लम्बा रूप मात्र रूप की ही लंबाई नहीं है अपितु उनके पीछे कार्य करने वाली प्रक्रिया ही लम्बी व जटिल होती है। मुक्तिबोध को प्रलम्ब काव्य सर्जना के रहस्य को श्री शमशेर बहादुर सिंह व्यक्त करते हुए कहते हैं – ‘मुक्तिबोध हमेशा एक विशाल विस्तृत कैन्वास लेता है, जो समतल नहीं होता, जो सामाजिक जीवन के ‘धर्म क्षेत्र और व्यक्ति चेतना की रंगभूमि को निरंतर जोड़ते हुए समय के कई काल-क्षणों को प्रायः एक साथ आयामित करता है।’³

काव्य जटिलता – जहां एक ओर मुक्ति बोध प्रलम्ब कविता के लिए जाने जाते हैं वहीं दूसरी ओर उनके काव्य संसार जटिल है। अनेक समालोचकों, विद्वानों, साहित्यकारों ने उनके काव्य को जटिल माना है, उनके काव्य शिल्प का मुख्य उपकरण बिंब विधान है और बिंब चयन मुक्तिबोध इस प्रकार करते हैं कि वे अस्पष्ट और धनी बिंब मालिक बन जाते हैं। प्रायः उनके बिंबों के विषय में विविधता, प्रखरता और रूक्षता का ही आरोप किया जाता है। डॉ. परमानंद श्रीवास्तव लिखते हैं – ‘मुक्तिबोध की कविताएं तात्पर्य वृत्ति से संयुक्त होकर भी दुरूह हैं। वे कई बार पढ़ी जाने पर ही अपना वास्तविक मर्म पाठक को सौंपती हैं और इससे अलग कोई सरल नुस्खा उनके काव्य मर्म को पहचानने का नहीं है, क्योंकि जो बिंब मुक्तिबोध अपनी कविताओं में लाते हैं, वे ठोस विचारों से प्रेरित, अर्थपूर्ण होते हैं, और फिर वे अपने आप में पूरे नहीं होते किसी अगले उतने ही (या उससे भी) सार्थक बिंब से जुड़े होते हैं और इसी तरह उसकी कविताएं अपने आप में पूरी नहीं होती अगली कविताओं से बराबर जुड़ी होती हैं।’⁴

काव्य प्रतीक – मुक्तिबोध अपने काव्य प्रतीकों में अपनी निजी विशेषताओं को भी सामहित किया है। एकदम जीवन्त, सीधे जीवन से उठाए गए प्रतीकों का कवि ने रूचि और प्रभाव दोनों दृष्टियों से कलात्मक संयोजन किया है। उनका एक-एक प्रतीक इतना समीचीन है कि वह बहुत दूर जाकर अर्थ की संगति बिठाने में काव्य के मर्मोद्घाटन में पूर्ण योगदान करता है। वातावरण की स्पष्ट प्रतीति के लिए मुक्तिबोध ने अनेक उप-प्रतीकों का भी उपयोग किया है। यथा – ‘बावड़ी’ उपचेतन संकुलित अवस्था का बड़ा प्रासाद व्यक्तित्व का और ‘जीना’ श्रेष्ठत्व का प्रतीक है। इसी प्रकार ‘अरूप शून्य के प्रति’ कविता में आस्थावान लोगों की आत्मा के लिए ‘कुतिया’ और सांसारिक आकर्षण के लिए ‘कुत्तों’ का प्रतीक लिया है। संवेदन की कटुता के लिए स्याह बिजली, गणितशास्त्री, लहरदार रफतार आदि प्रतीक भी प्रयुक्त किये हैं। इनके प्रतीकों के दो वर्ग बनाए जा सकते हैं –

1. मिथिकल अतीत से गृहीत प्रतीक, जैसे – बहुराक्षस, ओरांग-उटांग, वट वृक्ष आदि।
2. समसामयिक या सद्यः गत इतिहास से जैसे – गांधी, तिलक तालस्ताय आदि।

इन प्रतीकों की प्रखर आदिमता, विश्लेषण पर आधारित होने की स्थिति के संबंध में अशोक बाजपेयी लिखते हैं – ‘इन सब प्रतीकों में एक तरह की प्रखर आदिमता है। यह गौर करने की बात है कि प्रायः हर कविता में नायक के अलावा एक प्रतीकात्मक और आसवाची चरित्र है। इस चरित्र के माध्यम से

ही कवि अन्तः करण को अपील करता है। लेकिन यह अपील सिर्फ भावात्मक नहीं, बल्कि इसे उस विश्लेषण द्वारा समर्थन मिलता है, जो यह चरित्र अवसर प्रस्तुत करता है।¹⁵

बिम्ब योजना – मुक्तिबोध के बिम्ब योजना 'उनके वैचारिक मंथन में से तैरकर आते हैं तथा सुंदर और कुरूप (भयानक, भौंड़े आदि) दोनों ही प्रकार के होते हैं।¹⁶ उनके बिंब की विशेषता है कि आकाश, बिजली, त्रिकाल, तम-शून्य, सांवली हवाओं के विश्वव्यापी रूप उनमें देखने को मिलते हैं। बिंबों की एक अन्य विशेषता यह है कि अनेक बिंबों की धनी मालिकाएं एक-एक कविता में मिल जाती हैं। मुक्तिबोध की बिंबों की जीवंतता और अनगढ़ता के विषय में डॉ. न.चि. जोगलेकर कहते हैं – 'वे अपने बिंबों को अधिकांश दैनंदिनी वस्तुओं से अथवा घटनाओं से लेते हैं। वह नयी कविता की तरह बिंबों को गढ़ते नहीं हैं। उनकी अनगढ़ बिम्ब मालाओं पर पालिश नहीं होती और न वे खराद पर ही चढ़ाई जाती है।'¹⁷

कल्पनागत फैंटेसियाँ – मुक्तिबोध के काव्य में कल्पना तत्व का बहुल प्रयोग हुआ है। मुक्तिबोध की कविताओं में कल्पना के वैभव एकांगिता न होकर अर्थ-गांभीर्य के साथ मिलकर काव्य शिल्प की ऐसी उत्कट उपलब्धि हुई कि उसे देखकर चकित रह जाना पड़ता है। भयानकता के वातावरण को भी कल्पना प्रवणता के कारण जिस सौंदर्य रूप में उपस्थित करने में कवि का असाधारण अधिकार प्रतीत होता है। मुक्तिबोध की इस विशेषता पर प्रकाश डालते हुए डॉ. राजेन्द्र मिश्र लिखते हैं कि – 'मुक्तिबोध की रचनाओं में आत्मधर्मी संलाप पात्रों और प्रतीकों की ओर में अधिक निस्संग से उलझ सकता है। इतना नहीं कवि अपने से संवाद करता हुआ दूसरों से उलझ सकता है और दूसरों से उलझे हुये स्वयं से संवाद का नैरन्तर्य बनाए रखता

हैं।'¹⁸

भाषा – मुक्तिबोध की भाषा सामान्य जन-जीवन में प्रयुक्त शब्दावली द्वारा गठित हुई है उसे एक ओर शुद्ध संस्कृत तत्सम शब्दावली का भी बहुत प्रयोग मिलता है तो दूसरी ओर जन साधारण में बहुप्रचलित, अतिव्यवहृत अंग्रेजी, अरबी-फारसी के शब्दों का भी प्रयोग देखा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उनकी भाषा में अनेक शब्द तो 'मराठी' भाषा से लिये गये हैं, जैसे नक्षे, गजर, कन्दील, पूर, बास आदि।

निष्कर्ष – मुक्तिबोध की शिल्प रचना मानस पटल पर घूम जाती हैं। पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध स्वाभाविक शिल्प विधान में नित-नए नए प्रयोग किया है। उनके काव्य शिल्प विषयक सामान्य बातें जिसमें भाषा, प्रतीक, बिम्ब, कल्पनागत फैंटेसियाँ, छन्द आदि हैं। मुक्तिबोध की काव्य रचनाओं को अशोक वाजपेयी ने 'जासूसी कहानियों के ढाँचे की फैंटेसियों की कविता कहकर पुकारा है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शमशेर बहादुर सिंह 'चाँद का मुँह टेढ़ा है' 1964 की भूमिका पृष्ठ - 23
2. गजानन माधव मुक्तिबोध 'एक साहित्यिक की डायरी' 1965 पृ. 172
3. शमशेर बहादुर सिंह, 'चाँद का मुँह टेढ़ा है' भूमिका पृ. 21
4. गंगा प्रसाद विमल संपादक, 'मुक्तिबोध का रचना संसार' पृ. 63
5. डॉ. अशोक वाजपेयी 'फिलहाल' पृ. 121
6. अमृता भारती 'ज्ञानोदय' जनवरी-फरवरी 1965 पृ. 351
7. डॉ. राजेन्द्र मिश्र 'बिन्दु' उदयपुर अप्रैल - जून 1972 पृ. 140
8. डॉ. अशोक वाजपेयी 'फिलहाल' पृ. 118

मुर्गी (कुक्कुट) पालन का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

आबिद हसन खान* कैशर परवीन**

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) एसडीएस शासकीय महाविद्यालयब जामगांव आरब भररब, दुर्ग (छ.ग.) भारत

** सहायक प्राध्यापक, पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – छत्तीसगढ़ प्रदेश के ग्रामीण, खासकर अदिवासी समुदाय के लोग, पारंपरिक पद्धति से कुक्कुट पालन करते हैं। राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 30 प्रतिशत है। यहां सदियों से पायी जाने वाली मुर्गी नस्लों में प्रमुख हैं- असील याकूत, पीला एवं देसी आदि। आदिवासियों की संस्कृति एवं जीवन शैली में मुर्गियों का एक विशिष्ट स्थान होता है।

ग्रामीण परिवार बिना लागत एवं बहुत कम देखरेख कर अपने घरों की बाड़ी में कुक्कुट पालन करते हैं। फलस्वरूप, कुक्कुट पक्षियों का प्रमुख आहार घरेलू बचा-खुचा खाद्य पदार्थ, कीड़े-मकोड़े एवं जैविक खाद्य अवशेष होता है। इस तरह से स्थानीय अनुपोगी वस्तुओं को देसी मुर्गियाँ अण्डे एवं मांस में बदलने का काम करती हैं। इससे इन कुक्कुटों के मांस का स्वाद अच्छा एवं अधिक गुणात्मक होने से इनका बाजार मूल्य अधिक होता है। इन्हीं धनात्मक गुणों के कारण मांसाहारी समुदाय में देशी कुक्कुट की स्वीकार्यता बढ़ी है। धार्मिक मान्यता एवं पारंपरिक प्राथमिकताओं के कारण स्थानीय आदिवासी अधिकतर रंगीन देसी मुर्गी पालते हैं। रंगीन मुर्गी परिवेश में रंगों की अनुकूलता के कारण शिकारी जानवरों एवं परभक्षी पक्षियों का शिकार होने से बच जाती है।

शब्द कुंजी – कुक्कुट फार्मिंग, उद्देश्य, रखरखाव, समस्या, समाधान, चुनौतियां।

प्रस्तावना – हमारे किसान भाइयों के पास खेती के काम के बाद भी काफी समय बच जाता है, वे उस समय का उपयोग मुर्गीपालन करके कर सकते हैं। साथ ही घर के औरतें और बच्चे भी अपने फालतू समय में इस धंधे को आराम से कर सकते हैं। घर में अगर मुर्गियाँ पाली जायें तो उनके रख-रखाव तथा खुराक पर अधिक खर्च नहीं पड़ता चूंकि घर का बचा- खुचा भोजन, सब्जी के बेकार पत्ते और अनाज के बचावन से उनके लिए अच्छा भोजन, सब्जी के बेकार पत्ते और अनाज के बचावन से उनके लिए अच्छा भोजन प्राप्त हो सकता है तथा उसके बदले हमें बढ़िया मांस और बलदायक अंडे प्राप्त होते हैं।

इस व्यवसाय में मुख्य रूप से तीन प्रकार का धंधा हो सकता है:

- अंडा और मांस उत्पादन के लिए मुर्गीपालन।
- चूजा उत्पादन।
- पौष्टिक आहार मिश्रण तैयार करना तथा आहार, चूजा अंडा, मांस एवं मुर्गी खाद का क्रय विक्रय।

पोल्ट्री फार्मिंग पशुपालन का एक रूप है जिसमें मांस या अंडे का उत्पादन करने के लिए मुर्गियों, बत्खों, टर्की और गीज जैसे पालतू पक्षियों को पाला जाता है। पोल्ट्री – ज्यादातर मुर्गियाँ – बड़ी संख्या में पाली जाती हैं। सालाना 60 बिलियन से ज्यादा मुर्गियाँ खाने के लिए मारी जाती हैं। अंडे के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहा जाता है, जबकि मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रायलर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, पोल्ट्री उत्पादन की देखरेख करने वाला राष्ट्रीय संगठन खाद्य एवं औषधि प्रशासन है। ब्रिटेन में, राष्ट्रीय संगठन पर्यावरण, खाद्य एवं ग्रामीण मामलों का विभाग है।

वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के अनुसार, दुनिया के 74 प्रतिशत पोल्ट्री मांस और 68 प्रतिशत अंडे का उत्पादन गहन रूप से किया जाता है। गहन पोल्ट्री फार्मिंग का एक विकल्प कम स्टॉकिंग घनत्व का उपयोग करके फ्री-रेंज फार्मिंग है। पोल्ट्री उत्पादक नियमित रूप से बीमारी का इलाज करने या बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए फीड या पीने के पानी में एंटीबायोटिक्स जैसी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत दवाओं का उपयोग करते हैं। कुछ FDA स्वीकृत दवाओं को बेहतर फीड उपयोग के लिए भी अनुमोदित किया जाता है।

मुर्गी पालन का मुख्य उद्देश्य :

- चारे की लागत कम रहती है।
- अंडे और मुर्गियों को आसानी से बाजार में बेचा जा सकता है।
- अंडे और मीट का बाजार में अच्छा भाव मिलता है।
- बेरोजगारी की समस्या का समाधान।
- विकलांग लोगों को रोजगार का मौका मिलता है।
- कम लागत में ज्यादा मुनाफा।

मुर्गी पालन का महत्व :

- मुर्गी पालन से अंडे और मांस मिलते हैं, इनसे भोजन में प्रोटीन की पूर्ति होती है।
- मुर्गी पालन से कम समय में ही आय होने लगती है।
- मुर्गी पालन में कम पूंजी लगती है, इसलिए यह बेरोजगारी की समस्या का समाधान करता है।
- मुर्गी पालन से ग्रामीण समुदायों को गरीबी से लड़ने में मदद मिलती है।
- मुर्गी पालन से घर में महिलाओं की सामाजिक स्थिति और शक्ति में

सुधार होता है।

- मुर्गी पालन में चारे की लागत कम होती है क्योंकि बचे हुए दाने और चारे का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- मुर्गी पालन से अंडे और मांस का बाजार में अच्छा भाव मिलता है।
- मुर्गी पालन से विकलांग लोगों को सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिलता है।
- बैकयाई पोल्ट्री फार्मिंग से उच्च गुणवत्ता वाले अंडे और मांस मिलते हैं।
- बैकयाई कुक्कुट के मल का इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उर्वरक के रूप में किया जा सकता है।

भारत में देशी मुर्गी पालन का स्वरूप – हमारे देश में मुर्गी पालन का व्यवसाय भी काफी लोकप्रिय व्यवसाय है। आज के समय में देश के तकरीबन 35-40 लाख लोग मुर्गी पालन से रोजगार पा रहे हैं। मुर्गी पालन के व्यवसाय में आप दो तरह की मुर्गियों का पालन कर आय अर्जित कर सकते हैं। इसमें सामान्य मुर्गी पालन और देशी मुर्गी पालन शामिल है। देशी मुर्गी पालन को कम जगह में भी करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसमें बहुत कम लागत और थोड़ी पूँजी की जरूरत होती है। चीन और अमेरिका के बाद अंडा उत्पादन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, और मांस उत्पादन में भारत को 5वां स्थान प्राप्त है, मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्मिंग या कुक्कुट पालन भी कहते हैं। यदि अगर सही प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यह व्यवसाय आरम्भ किया जाए तो मुर्गी पालन से अधिक लाभ लिया जा सकता है। बाजार में देशी मुर्गी के अंडे और मांस के अच्छे दाम मिल जाते हैं।

देशी मुर्गी पालन शायद सबसे आसान कुक्कुट प्रबंधन विधियों में से एक है क्योंकि इसमें न्यूनतम श्रम शामिल है। यह कुछ ऐसा है जिसे करने में परिवार के सदस्य हाथ मिला सकते हैं। जानें कि भारत में देशी चिकन फार्म परियोजना कैसे शुरू करें (देशी मुर्गी पालन या देशी मुर्गी पालन)।

देशी मुर्गी या देशी मुर्गी पालन की पोल्ट्री फार्मिंग भारत में दशकों से चली आ रही है। आमतौर पर पिछवाड़े में मुर्गी पालन में स्थानीय, देशी पक्षियों को पाला जाता है। परंपरागत रूप से इन पक्षियों में व्यावसायिक ब्रायलर और लेयर फार्मिंग की तुलना में अंडा और मांस उत्पादन क्षमता कम थी। लेकिन बेहतर स्ट्रेन के साथ प्रदर्शन में काफी सुधार होता है। कम प्रारंभिक निवेश और उच्च आर्थिक रिटर्न देशी चिकन का सबसे बड़ा दायारा है। प्रति व्यक्ति प्रोटीन की खपत भारत में काफी समय से चिंता का विषय रही है। इसके लिए अंडा और पोल्ट्री मीट सबसे सस्ता और आसानी से उपलब्ध विकल्प है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में पोल्ट्री फार्मिंग में जबरदस्त वृद्धि हुई है, लेकिन ग्रामीण पोल्ट्री में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह काफी हद तक उपेक्षित क्षेत्र रहा है। कुंजी पालन, बेहतर प्रबंधन प्रथाओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में निहित है।

मुर्गी पालन के फायदे – देशी मुर्गी पालन के लाभ इस प्रकार हैं:

- कम प्रारंभिक निवेश उच्च आर्थिक रिटर्न के साथ जुड़ा हुआ है।
- कंटी चिकन फार्म को सिर्फ दो पक्षियों के साथ शुरू किया जा सकता है और धीरे-धीरे एक झुंड में बढ़ाया जा सकता है।
- स्थानीय मुर्गियों की उच्च मांग के कारण, उनके द्वारा उत्पादित पक्षियों और अंडों को मौसम के बावजूद स्थानीय बाजार में बेचा जा सकता है।
- बचे हुए चारे, अनाज और विभिन्न कृषि उप-उत्पादों का उपयोग पक्षियों के चारे के रूप में किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, फीड लागत

नगण्य है।

- देशी मुर्गी या 'देशी मुर्गी' और ब्राउन एग वैरायटी की अन्य नस्लों के मुकाबले ज्यादा डिमांड है।
- व्यावहारिक रूप से कोई श्रम लागत शामिल नहीं है क्योंकि परिवार के सदस्य विशेष रूप से बच्चे और वरिष्ठ नागरिक खेत को बनाए रखने में 'मजदूर' के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए यह परिवार की आय को बढ़ावा देने वाला है।

मुर्गी पालन – किसी भी तरह के मुर्गी पालन में उनका भविष्य पोषण पर निर्भर होता है। अगर आप पाली गयी मुर्गियों को अच्छा पोषण देंगे तो उनका विकास भी उतना ही अच्छा होगा। आज-कल बाजारों में मुर्गियों के लिए आसानी से पोषित आहार मिल जाता है। जिसे खरीद कर मुर्गियों को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बाजार से आहार नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप घर पर भी आहार तैयार कर खिला सकते हैं। आहार तैयार करते समय एक बात का खयाल रखें कि आहार दूषित या उसमें किसी तरह की हानिकारक चीज न मिली हो खराब व हानिकारक आहार से मुर्गियों की मृत्यु भी हो सकती है।

यदि आपके घर में काफी जगह है, तो आप अपने घर में भी देशी मुर्गियों का पालन सरलता से कर सकते हैं। मुर्गी पालन में मुर्गियों के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए, जहां उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो और वह आराम से रह सके। इसके अलावा केवल आपको मुर्गियों के लिए पोषित आहार पर ध्यान देना होता है, क्योंकि मुर्गी के मांस और अंडे देने की क्षमता उसके खान-पीन पर निर्भर करती है। इस तरह घर पर भी देशी मुर्गी का पालन किया जा सकता है। कुछ लोग तो घर की छतों पर ही मुर्गी पालन कर लेते हैं, अगर आपके पास भी बड़ी छत है, तो मुर्गियों को वहां भी पाला जा सकता है।

मुर्गी पालन में ध्यान रखने योग्य बातें – अगर आप छोटे पैमाने पर देशी मुर्गी का पालन कर रहे हैं, तो आपको शेड तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। किन्तु बड़े पैमाने पर व्यापारिक तौर पर देशी मुर्गी का पालन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना होता है। यदि अगर योजनाबद्ध तरीके से देशी मुर्गी का पालन किया जाए तो कम लागत में भी अधिक कमाई की जा सकती है। इसके लिए बस तकनीकी चीजों पर ध्यान देना होता है। घर रख-रखाव में कमी और लापरवाही से मुर्गियों को हानि पहुँचती है, तथा उनके मरने जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। तकनीकी चीजों पर ध्यान देने के लिए फार्म निर्माण के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि फार्म ऐसी जगह पर हो जहाँ पानी और बिजली की उचित व्यवस्था हो, तथा फार्म मैन रोड से दूर भी होना चाहिए। फार्म को भूमि से उंचाई पर बनाएँ, ताकि फार्म में जलभराव न हो सके।

- एक स्थान पर दो पोल्ट्री फार्म न हो, तथा फार्म की लंबाई पूरब से पश्चिम की तरफ हो। फार्म की उंचाई मध्य में 12 फीट और साइड में 8 फीट तक हो इसकी अधिकतम चौड़ाई 25 फीट और शेड का अंतर न्यूनतम 20 फीट होना चाहिए। पोल्ट्री फार्म की फर्श पक्की होनी चाहिए।
- एक शेड में केवल एक ही ब्रीड के चूजों का पालन करें इसके अलावा आल-इन आल-आउट पद्धति पालन करने के साथ ही बर्तनों की निरंतर साफ सफाई करते रहें।
- शेड के अंदर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रखें, तथा चूहा, कुत्ता, गिलहरी से मुर्गियों की हमेशा देखभाल करें।

- मरे हुए चूजों और वैक्सीन की खाली बोतलों को जलाकर नष्ट कर दे। टीकाकरण नियमों का पालन करे शेड के बाहर समय-समय पर दवाई का छिड़काव करे।

मुर्गी पालन के लिए आहार खपत – एक एवरेज के अनुसार यह देखा गया है, कि एक मुर्गी तकरीबन 100 Kg फीड करती है। अगर आपने 50 मुर्गियां पाली हैं, तो 50 मुर्गियां 5 Kg आहार को फीड करेंगी। यदि 1 Kg फीड की कीमत 20 रूपए है, तो आपका खर्च 250 रूपए आएगा। इस तरह से 50 मुर्गियों के फीड पर 3 हजार रूपए खर्च होंगे और 500 रूपए दवा का खर्च और 500 रूपए अन्य खर्च रख ले, तो कुल खर्च 4000 रूपए के आसपास बैठता है।

मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण – अगर आपने कभी मुर्गी पालन का कार्य नहीं किया है, तो देसी मुर्गी पालन करने से पहले आपको प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप पहले भी मुर्गी पालन कर चुके हैं, तो बिना प्रशिक्षण के भी आप देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं, आज के समय में लगभग सभी राज्यों के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मुर्गी घर – मुर्गी घर या मुर्गी घर एक ऐसी संरचना है जहाँ मुर्गियों या अन्य पक्षियों को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है। घर में घोंसले के बक्से और बसेरा हो सकते हैं। मुर्गी घर की बुनियादी जरूरत को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। एक दर्शन, जिसे 'ताजी हवा का स्कूल' के रूप में जाना जाता है, का मानना है कि मुर्गियाँ ज्यादातर मजबूत होती हैं, लेकिन उन्हें बंद करके रखने, हवा की खराब गुणवत्ता और अंधेरे से कमजोर किया जा सकता है, इसलिए सर्दियों में भी, बाहर की तरह ज्यादा हवादार या खुले किनारे वाले घर की जरूरत होती है। वे बाहरी मौसम में बीमार होने की संभावना रखते हैं और उन्हें नियंत्रित-वातावरण वाले घर की जरूरत होती है। इसने मुर्गियों के लिए दो आवास डिजाइनों को जन्म दिया है: चौड़े खुले स्थानों वाले ताजी हवा वाले घर और मुर्गियों और मौसम के बीच सिर्फ तार की जाली (यहाँ तक कि उत्तारी सर्दियों में भी) या दरवाजे, खिड़कियाँ और हैच वाले बंद घर जो ज्यादातर वेंटिलेशन को बंद कर सकते हैं।

- घर ऊँची सतह पर बनाए।
- अधिक धूप, ठंडक तथा वर्षा से मुर्गियों का बचाव होना चाहिए।
- घर को छरने के लिए एस्बेस्टस या घास फूस, पुवाल या ताड़ के पत्ते या खपड़ा का प्रयोग करना चाहिए।
- मुर्गी घर का फर्श बाहर की जमीन से 10 इंच ऊँचा होना चाहिए तथा संभव हो तो पक्का बनाना चाहिए जिससे चूहा, सांप आदी बिल न बना सके।
- मुर्गी घर की दिवार मजबूत, आंशिक रूप से खुली तथा तीन ओर से बंद रहे कि हवा के आने जाने की पूरी गंजाइश रहे।

पोल्ट्री के लिए फार्म प्रबंधन – उच्च गुणवत्ता वाले पोल्ट्री उत्पादों के उत्पादन के लिए एक अच्छी प्रबंधन प्रणाली आवश्यक है। अंडा देने वाली और बॉयलर बनाने वाली कंपनियों के लिए प्रक्रियाएँ अक्सर अलग-अलग होती हैं।

- मुर्गीपालन में, क्रॉसब्रीडिंग ने प्रबंधन और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना आसान बना दिया है।
- चूजों की संख्या और क्षमता।
- दो बौने ब्रॉयलर माता-पिता उत्पादित अंडों की संख्या में वृद्धि करते हैं।
- अत्यधिक तापमान के प्रति सहनशीलता या अनुकूलन।

- न्यूनतम भोजन की आवश्यकता और कम रखरखाव।

मुर्गी पालन के लिए लोन – मुर्गी पालन के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएँ चला रही है। इन योजनाओं में देसी मुर्गी पालन लोन योजना भी शामिल है। अगर आप देसी मुर्गी का पालन करना चाह रहे हैं, तो किसी भी बैंक में जाकर देसी मुर्गी पालन के लिए लोन आवेदन कर सकते हैं, और लोन प्राप्त करके मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं।

इसमें सबसे खास बात यह है, कि यहाँ पर आपको सरकार 0% ब्याज की दर पर ऋण दे देती है। इसके अलावा लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है। जिसमें सामान्य श्रेणी (General Category) के लोगो को 25% सब्सिडी, एसटी/एससी श्रेणी वाले लोगो को 35% तक सब्सिडी की सुविधा दी जाती है।

मुर्गी पालन से कमाई – अगर आप 50 देसी मुर्गियों का पालन करते हैं। तो आप रोजाना मुर्गी के अंडों को बेचकर 300 से 700 रूपए तक कमा सकते हैं। यदि मुर्गी की बात की जाए तो देसी मुर्गी की कीमत 300 से 700 रूपए तक जगह के अनुसार कम ज्यादा होती है। इस तरह से आप मुर्गी और उनके अंडों की बिक्री कर काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं।

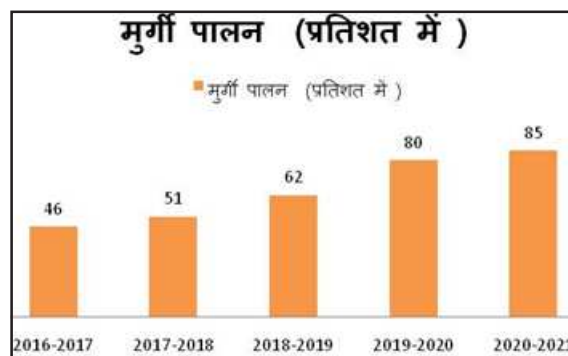
मुर्गी पालन के सम्बन्ध में विश्लेषण

तालिका क्रमांक – 1: कुक्कुट पालन की स्थिति

वर्ष	मुर्गी पालन (प्रतिशत में)
2016-2017	46
2017-2018	51
2018-2019	62
2019-2020	80
2020-2021	85

www.cg.gov.in

उक्त तालिका क्रमांक – 1 वर्ष 2016-2017 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में कुक्कुट पालन दर में वृद्धि प्रदर्शित हो रही है।



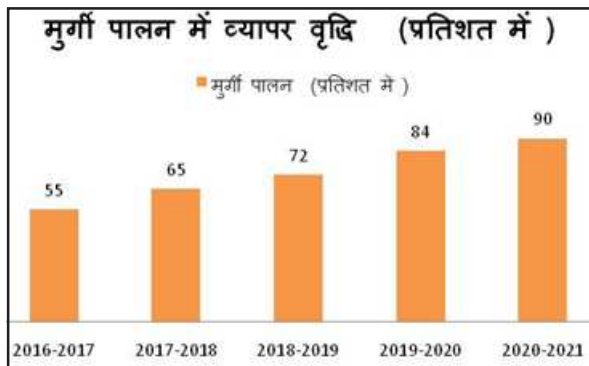
चित्र क्रमांक – 1 कुक्कुट पालन की स्थिति

तालिका क्रमांक – 2: कुक्कुट पालन से व्यापार वृद्धि

वर्ष	मुर्गी पालन (प्रतिशत में)
2016-2017	55
2017-2018	65
2018-2019	72
2019-2020	84
2020-2021	90

www.cg.gov.in

उक्त तालिका क्रमांक - 2 वर्ष 2016-2017 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में कुक्कुट पालन व्यापार स्तर में वृद्धि प्रदर्शित हो रही है।



चित्र क्रमांक - 2 कुक्कुट पालन व्यापार वृद्धि

समस्या :

- पशु कल्याण समूहों ने पोल्ट्री उद्योग की अक्सर उन प्रथाओं में संलग्न होने के लिए आलोचना की है जिन्हें वे अमानवीय मानते हैं। कई पशु अधिकार अधिवक्ता भोजन के लिए मुर्गियों को मारने, 'फैक्ट्री फार्म की स्थितियों' के तहत उन्हें पालने, परिवहन के तरीकों और वध पर आपत्ति जताते हैं। एनिमल आउटलुक (पूर्व में कम्पैशन ओवर किलिंग) और अन्य समूहों ने बार-बार चिकन फार्म और बूचड़खानों में गुप्त जाँच की है, जिसके बारे में उनका दावा है कि इससे क्रूरता के उनके दावों की पुष्टि होती है।
- अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए हैचरी में एक आम प्रथा है कि नए अंडे से निकले नर चूजों को मार दिया जाता है क्योंकि वे अंडे नहीं देते हैं और मांस के लिए लाभदायक होने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ते हैं। 'इन-ओवो' सेक्स निर्धारण का उपयोग करके चूजों के अंडे सेने से पहले अधिक नैतिक रूप से अंडे को नष्ट करने की योजना है।
- मुर्गियों को वध से पहले अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड या बिजली के झटके से पानी के स्नान में बेहोश कर दिया जाता है। अधिक मानवीय तरीके जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वे हैं कम वायुमंडलीय दबाव से बेहोश करना और निष्क्रिय गैस से दम घोटना।
- पशु दान संस्थाओं के अनुसार, मुर्गियों को उनके पैरों से पकड़कर ले जाना अमानवीय है। यूरोपीय आयोग इस प्रथा की वकालत करता है और यू.के. सरकार इसे वैध बनाने का इरादा रखती है।

मुर्गी पालन में आने वाली चुनौतिया :

- **उच्च फीड लागत:** फीड मूल्य और उपलब्ध विकल्प फीड सामग्री के बारे में अधिक जानने के लिए चल रहे प्रयास फीड की कीमतें निश्चित रूप से इस समय उद्योग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हैं। प्लब के अनुसार, पोल्ट्री क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं में उच्च फीड लागत, खराब कोल्ड चेन और परिवहन अवसंरचना, बीमारी के प्रकोप की उच्च संवेदनशीलता और अत्यधिक परिवर्तनशील प्राप्ति शामिल हैं जिनका नकदी प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है।
- **मुख्य बाजारों तक सीमित पहुंच:** यह सब दुनिया भर के बाजारों तक सीमित पहुंच के कारण है जो इन किसानों के रास्ते में बाधा है। चूंकि उन्हें जो कुछ भी वे बेचते हैं उस पर बहुत कम रिटर्न मिलता है, इसलिए वे कभी भी पोल्ट्री उत्पादों और खेतों की गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश नहीं करते हैं। सबसे उन्नत और वैज्ञानिक प्रथाओं के उपयोग और कार्यान्वयन

के माध्यम से इन उत्पादन प्रणालियों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए जा सकते हैं

- **पोषण-संबंधी पर्यावरणीय मुद्दे:** पोषण-संबंधी पर्यावरणीय मुद्दे (खाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का उत्सर्जन)।
- **जल संबंधी मुद्दे:** गुणवत्ता और मात्रा दोनों के संदर्भ में जल से संबंधित गंभीर मुद्दा।
- **अपर्याप्त निवेश:** कोल्ड चेन अवसंरचना में बड़े निवेश के साथ कुशल वितरण प्रणाली विकसित करना और फ्रोजन चिकन की बाजार स्वीकार्यता बढ़ाना, दीर्घावधि में उद्योग के लिए प्रमुख प्रेरक बनने जा रहे हैं।
- **अंडों की संख्या में वृद्धि:** देश में किसान पहले देशी पक्षियों को पालने के स्थान पर संकर पक्षियों को पालने लगे हैं, जिससे चूजों का तेजी से विकास, प्रति पक्षी अधिक अंडे, अंडों की संख्या में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, उत्कृष्ट आहार रूपांतरण और फलस्वरूप स्थायी लाभ सुनिश्चित होता है।

समाधान:

- समकालीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और जीवित पक्षियों से ताजा, ठंडा और जमे हुए चिकन उत्पादों की ओर बाजार के बदलाव के कारण, भारत में पोल्ट्री व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है।
 - देश भर में एकीकृत पोल्ट्री परिचालन ने एक नया रास्ता खोला।
 - ऐसी नीतियाँ जो प्रतिस्पर्धी कीमतों पर मक्का और सोयाबीन की आपूर्ति की गारंटी देती हैं। प्रति व्यक्ति 1 अंडे या 50 ग्राम पोल्ट्री मांस की खपत में वृद्धि से संभवतः अतिरिक्त 25,000 नौकरियाँ पैदा होंगी, जिससे युवाओं के लिए काम खोजने के अवसर खुलेंगे।
 - डिजाइनर अंडों का उत्पादन वर्तमान में पोल्ट्री उद्योग में सबसे नया चलन है। ये अंडे जैविक होते हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा कम होती है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड अधिक होते हैं।
- निष्कर्ष** - वर्तमान में, पोल्ट्री मुद्दों के समाधान के लिए उन देशों में कुछ निवेश किए जा रहे हैं, और वैज्ञानिक अनुसंधान को अपनाने के लिए उचित उपाय लागू किए जा रहे हैं, जैसे किसानों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और सहायता, नई नीतियों का कार्यान्वयन आदि। अंडे और चिकन मांस की अधिक मांग है। जनता माल खरीदने में सक्षम है। वस्तुओं की 'गुणवत्ता' को बढ़ाना आवश्यक है। विदेशी निवेशकों को भारतीय उद्यमियों के साथ सहयोग करना चाहिए। विदेशी अनुसंधान और विकास संस्थानों को भारतीय समकक्षों जैसे ICAR, CARI कृषि विश्वविद्यालयों आदि के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय दाताओं को भारत सरकार, NABARD, APEDA आदि के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। भारत में एक कुशल श्रम शक्ति, एक मजबूत निजी पोल्ट्री उद्योग और वित्तीय ऋण संस्थान हैं। प्रजनन और पोषण सहित पोल्ट्री के सभी पहलुओं में निवेश के अवसर मौजूद हैं।

आज भारत में, मुर्गीपालन सबसे अधिक वृद्धि दर वाले कृषि क्षेत्रों में से एक है। जहाँ कृषि फसलों का उत्पादन सालाना 1.5 से 2 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, वहीं अंडे और ब्रॉयलर का उत्पादन सालाना 8 से 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। पशुधन क्षेत्र में, छोटी अवधि में, पोल्ट्री देसी लाल प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सबसे कुशल उद्यम है। भारत वर्तमान में दुनिया में अंडे का पाँचवाँ सबसे बड़ा उत्पादक और ब्रॉयलर का अठारहवाँ सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के मांस बाजार

का सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा चिकन मांस है, और भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विकासशील देश है, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार देख रहा है।

आधुनिक व्यावसायिक खेती की प्रथाएँ अधिक केंद्रित होती हैं और उत्पादन की स्थिति और दर की निगरानी के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग करती हैं। भारत में कृषि उद्योग के सबसे तेजी से बढ़ते उप-क्षेत्रों में से एक मुर्गीपालन है। मुर्गीपालन उद्योग में लाखों किसान और अन्य लोग शामिल हैं और मुर्गी द्वारा उत्पादित समृद्ध जैविक खाद के अलावा जो पैसा और नौकरियाँ प्रदान की जाती हैं, उन पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत सरकार (2021 एवं 2022): बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी की एक शोध रिपोर्ट, नई दिल्ली कुक्कुट पालन विभाग, रोजगार मंत्रालय।
2. तिवारी, एम.एस. (2016): भारत में कुक्कुट क्षेत्र का विकास और

प्रदर्शन, शिवाजी विश्वविद्यालय, सम्बलपुर, वॉयस ऑफ रिसर्च, वॉल्यूम। 31, 2 सितम्बर 2014.

3. पी. हेमचंद्र (2019): दुनिया भर में कुक्कुट पालन और उत्पादन लागत का अवलोकन, जर्मनी: आईएफसीएनअनुसंधान केंद्र।
4. भारत सरकार (2020-23): राष्ट्रीय कुक्कुट पालन विकास रिपोर्ट (एनडीडीबी) वार्षिक रिपोर्ट।
5. छत्तीसगढ़ सरकार (2016 एवं 22): बुनियादी कुक्कुट पालन पर सांख्यिकी की एक शोध रिपोर्ट, नई दिल्ली रोजगार विभाग, कृषि मंत्रालय।

Newspaper/Magazine:-

1. The Business world
2. The Business Today
3. Navbharat
4. Dainik Bhaskar

आदिवासी व गैर आदिवासी एथलीट्स में प्रतिस्पर्धात्मक भावना

डॉ. भूपेन्द्र सिंह चौहान* वरुण सिंह देवड़ा**

* प्रोफेसर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

** शोधार्थी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – एथलेटिक्स तीव्र गति से खेला जाने वाला खेल है जिसके अंतर्गत जिला स्तर, संभाग स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई खिलाड़ी अनेकानेक प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। इन विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ खेल में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि खिलाड़ी जल्दी हार मान लेते हैं या फिर अति आत्मविश्वास के साथ बड़ी गलतियां कर देते हैं। दोनों ही परिस्थितियां अच्छी नहीं कही जा सकती। खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा की भावना होना बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान की आदिवासी एवं गैर आदिवासी महिला एथलेटिक्स खिलाड़ियों पर यह शोध कार्य किया गया है जिसके अंतर्गत आदिवासी व गैर आदिवासी एथलीट्स की प्रतिस्पर्धात्मकता की भावना को स्वनिर्मित प्रश्नावली से मापा गया। इन का तुलनात्मक अध्ययन दर्शाता है कि गैर आदिवासी खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धात्मकता की भावना का स्तर अपेक्षाकृत रूप से उंचा रहता है।

शब्द कुंजी – एथलेटिक्स, प्रतिस्पर्धात्मकता, गैर आदिवासी, आदिवासी।

प्रस्तावना – एथलेटिक्स में खिलाड़ी से अपेक्षा की जाती है कि वह अभ्यास सत्र में जो प्रदर्शन करता है उससे बेहतर प्रदर्शन वह खेल के मैदान में करें। वह इस भावना के साथ है मैदान में उतरे कि वह अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन देगा तथा प्रतियोगिता को जीतने की भावना उसमें अंत तक बनी रहे। यह भावना इस बात का परिचायक भी है कि उसमें सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है जिसका कि वह खेल में ही अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रयोग करता है।

हार्डी और जोन्स (1994)¹ विभिन्न मनोचिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों के लिए जो कि खेल से जुड़े हुए हैं और खिलाड़ियों को सलाह एवं परामर्श देते रहते हैं उनके लिए भी प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। अधिकांशतः यह देखा गया है कि खिलाड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में दुश्चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं और अपना नैसर्गिक खेल नहीं खेल पाते हैं। यह बहुत ही जरूरी है कि प्रतिस्पर्धात्मकता की भावना प्रबल हो एवं संघर्ष में भी खिलाड़ी को आनंद की अनुभूति हो तभी वह खेल का सच्चा आनंद उठा सकता है।

जोन्स, हेंटन और कनेटन (2002)² के अनुसार कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले खेल या दौड़ में मानसिक रूप से सुदृढ़ होना एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना बड़ी भूमिका निभाता है। जब खेल विकट परिस्थिति में होता है या जब दोनों ही टीमों में से किसी भी तरफ खेल का झुकाव हो सकता है; ऐसे समय में खिलाड़ी की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ही बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। खिलाड़ी अम्पायर या रैफरी द्वारा दिए गए गलत निर्णय पर भी आपत्ती उठाए बगैर संयम बरकरार रखते हुए खेल खेलने पर ही अपना ध्यान लगाए रखता है।

सुदेश, मंजु और निर्मलजीत (2018)³ खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धात्मकता की भावना होना अच्छी बात है किंतु यह भी एक सीमा तक ही उचित रहती है। यदि खिलाड़ियों में अतिशय प्रतिस्पर्धात्मकता की भावना आ जाती है तो वे अपनी टीम के अंदर भी अन्य खिलाड़ियों के साथ अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में

संलग्न हो जाते हैं। अतिशय प्रतिस्पर्धा की भावना के कारण कई बार खिलाड़ी चूक कर बैठते हैं और चिंता ग्रस्त भी रहने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना भी एक निश्चित स्तर तक ही लाभकारी रहती है।

जेफ्री और अन्य (2020)⁴ खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को कई पहलु प्रभावित करते हैं। शुरुआती दिनों में उनके साथी खिलाड़ियों का व्यवहार, प्रशिक्षक एवं खेल अकादमी का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कई खिलाड़ी प्रशिक्षण के दौरान या अभ्यास सत्र में तो बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हैं किंतु जब वे प्रतिस्पर्धा के लिए मैदान में उतरते हैं तो उनका प्रदर्शन है बहुत ही साधारण हो जाता है। यह एक बड़ी जटिल समस्या है जिसका समाधान खेल मनोवैज्ञानिकों के परामर्श से ही संभव है। खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा को लेकर जो भय की भावना रहती है उसे दूर करना प्रशिक्षक के साथ-साथ अच्छे खेल मनोवैज्ञानिक के लिए बड़ा जरूरी है।

क्रस्ट और क्लग (2020)⁵ खिलाड़ियों का मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ खिलाड़ी अपना शत-प्रतिशत खेल के प्रति नहीं दे पाता है और खेल में उसका प्रदर्शन प्रभावित होता है। प्रतियोगिता प्रधान खेलों में तो मानसिक क्षमता बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। व्यक्ति जब सकारात्मक सोच रखते हुए प्रतिस्पर्धा की भावना को बनाए रखता है तभी वह चरणबद्ध रूप से प्रतियोगिता में आगे बढ़ सकता है।

शोध परिकल्पना :

H 1.0 : आदिवासी व गैर आदिवासी महिला एथलीट्स की प्रतिस्पर्धात्मक भावना में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

H 1.1 : आदिवासी व गैर आदिवासी महिला एथलीट्स की प्रतिस्पर्धात्मक भावना में सार्थक अन्तर होता है।

शोध विश्लेषण – प्रस्तुत शोध कार्य में आदिवासी एवं गैर आदिवासी महिला एथलीट की प्रतिस्पर्धात्मकता की भावना का व्यापक रूप से अध्ययन किया

गया है। इस शोध कार्य हेतु राजस्थान के 4 जिलों से 10-10 संभाग स्तरीय आदिवासी महिला एथलीट्स एवं गैर आदिवासी महिला एथलीट्स का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया तथा उनमें प्रतिस्पर्धात्मकता की भावना का मापन किया गया।

प्रतिस्पर्धात्मकता मापन के लिए 15 प्रश्नों की एक प्रश्नावली बनाई गई जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच विकल्प दिए गए जिन्हें एक से पांच तक के भार दिए गए। इस प्रकार कुल 75 अंकों की प्रश्नावली का निर्माण किया गया।

तालिका 1: आदिवासी एवं गैर आदिवासी महिला एथलीट्स में प्रतिस्पर्धात्मक भावना

क्र.	आदिवासी महिला एथलीट्स में प्रतिस्पर्धात्मक भावना	गैर आदिवासी महिला एथलीट्स में प्रतिस्पर्धात्मक भावना
1	38	42
2	38	42
3	40	42
4	40	43
5	40	44
6	43	45
7	43	45
8	44	48
9	45	48
10	45	49
11	45	50
12	45	50
13	47	51
14	47	54
15	48	54
16	48	54
17	48	54
18	48	55
19	49	55
20	50	57
21	50	58
22	51	58
23	53	60
24	56	60
25	56	60
26	56	60
27	57	61
28	57	61
29	57	62
30	57	62
31	58	62
32	58	62
33	60	63
34	60	63

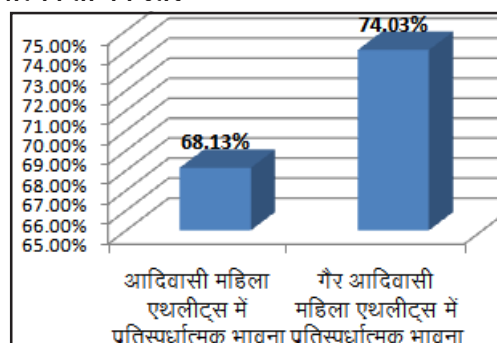
35	60	64
36	60	64
37	61	64
38	62	65
39	62	65
40	62	65

शोध से यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि आदिवासी महिला एथलीट्स की अपेक्षा गैर आदिवासी महिला एथलीट्स में प्रतिस्पर्धात्मकता की भावना अधिक रहती है। जहां आदिवासी महिला एथलीट्स के औसत अंक 51.10 रहे वहीं गैर आदिवासी महिला एथलीट्स के 55.53 अंक रहे। क्या यह अंतर सार्थक है यह जानने के लिए जेड परीक्षण किया गया।

प्रतिस्पर्धात्मक भावना	औसत अंक	मनक विचलन	जेड मान	पी मान
आदिवासी महिला एथलीट्स	51.10	6.03	3.09	0.002
गैर आदिवासी महिला एथलीट्स	55.53	6.75		

जेड का आंकलित मान 3.09 रहा जो कि उसके तालिका में 1.96 से अधिक है साथ ही पी का मान भी 0.002 रहा जो कि 0.05 से कम है अतः यह कहा जा सकता है कि दोनों समूह में प्रतिस्पर्धा की भावना में सार्थक अंतर है।

चार्ट 1: आदिवासी तथा गैर आदिवासी महिला एथलीट्स में प्रतिस्पर्धात्मकता का स्तर



गैर आदिवासी महिला एथलीट्स में प्रतिस्पर्धात्मकता का स्तर 74.03% रहा; वहीं आदिवासी महिला एथलीट्स में प्रतिस्पर्धात्मक भावना का स्तर 68.13% रहा। निस्संदेह आदिवासी महिला एथलीट्स में प्रतिस्पर्धात्मकता की भावना बढ़ाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष: आदिवासी एवं गैर आदिवासी महिला एथलीट्स में प्रतिस्पर्धात्मकता की भावना का स्तर सामान्य ही कहा जा सकता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है जिससे कि वह प्रतियोगिता के दौरान आने वाली चुनौतियों व ऊंच-नीच को सहजता से लेते हुए खेल में आगे बढ़ सके। प्रतिस्पर्धात्मकता की भावना एक अहम पहलू है जिस पर की खेल प्रशिक्षकों, प्रशासकों एवं खिलाड़ियों को पूरा ध्यान देना जरूरी है। इसका विकास जिला स्तर से ही आरंभ कर देना चाहिए तभी खिलाड़ी एक के बाद दूसरी प्रतिस्पर्धा में स्वाभाविक रूप से और उत्साह पूर्वक भाग लेवें और अच्छा प्रदर्शन करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Hardy, L. and Jones, G. (1994) Future directions for performance related research in sport psychology. *Journal of Sport Sciences*, vol. 12, pp-61-92.
2. Jones G, Hanton S, Connaughton D. (2002) What is this thing called mental toughness? An investigation of elite sport performers. *Journal Applied Sport Psychology*, vol.14, pp- 205-18.
3. Sudesh Bhardwaj, Manju Hooda and Nirmaljit K. Rathee (2018) Hypercompetitive attitude among athletes: A behavioral analysis, *European Journal of Physical Education and Sport Science*, Vol 4 (1) pp 49-57.
4. Jeffrey C. Ives, Kristin Neese, Nick Downs, Harrison Root and Tim Finnerty (2020) The Effects of Competitive Orientation on Performance in Competition, *Journal Applied Sport Psychology*, vol.32, pp- 112-40.
5. Crust L and Clough P. (2020) Developing mental toughness from research to practice. *Journal Sport Psychological Action*, vol. 2, pp-21-32.

Pregnancy and Physical Activity: Balancing Health, Fitness and Wellbeing

Dr. Mamta*

*Assistant Professor (Education) Ismail National Mahila P.G. College, Meerut (U.P.) INDIA

Abstract - Pregnancy is a transformative phase in a woman's life, marked by profound physiological, hormonal, and emotional changes. Traditionally, pregnant women were advised to rest and limit physical exertion, but modern medical research increasingly supports the inclusion of regular, moderate physical activity during pregnancy. Exercise not only benefits the mother's overall health and mood but also contributes to better labor outcomes and fetal development. This essay explores the relationship between pregnancy and physical activity, highlighting safe practices, types of exercises recommended, benefits, potential risks, and important guidelines for expecting mothers.

Keywords – Pregnancy, Physical Activity, Parental exercise, Maternal Health.

Physiological Changes During Pregnancy: To understand how physical activity affects pregnancy, it is essential to acknowledge the body's changes during this period:

1. **Hormonal shifts:** Increased levels of progesterone and estrogen influence energy levels, joint flexibility, and emotional state.
2. **Weight gain:** Average pregnancy weight gain ranges from 11–16 kg, depending on pre-pregnancy BMI. This shift affects balance and posture.
3. **Cardiovascular adjustments:** Blood volume increases by up to 50%, and the heart rate rises to support fetal development.
4. **Respiratory changes:** Oxygen demands increase, leading to shortness of breath during even moderate activities.
5. **Musculoskeletal adaptations:** Ligaments loosen due to the hormone relaxin, increasing flexibility but also risk of injury.

These changes impact how physical activity should be approached during each trimester.

Benefits Of Physical Activity During Pregnancy: Contrary to outdated beliefs, regular and appropriate exercise during pregnancy offers a wide range of benefits:

1. **Physical Health Benefits:**
 - i. **Reduces risk of gestational diabetes:** Regular physical activity improves insulin sensitivity and glucose regulation.
 - ii. **Helps manage weight gain:** Controlled exercise helps maintain healthy weight during pregnancy.
 - iii. **Improves cardiovascular fitness:** Supports heart and lung function, reducing fatigue.

- iv. **Reduces pregnancy-related discomforts:** Helps alleviate common issues like constipation, back pain, swelling, and varicose veins.

- v. **Prepares body for labor and delivery:** Strengthens muscles, improves endurance, and increases pain tolerance.

2. Mental and Emotional Well-being:

- i. **Reduces stress and anxiety:** Exercise boosts endorphin levels, improving mood.
- ii. **Combats prenatal depression:** Physical activity can be as effective as medication in managing mild to moderate depression.
- iii. **Enhances sleep quality:** Active women experience fewer disturbances and better rest.

3. Benefits for the Fetus:

- i. **Improved fetal heart health:** Studies show better cardiac responses in babies whose mothers exercised during pregnancy.
- ii. **Healthy birth weight:** Active women are less likely to deliver underweight or overweight babies.
- iii. **Possible cognitive benefits:** Some research links prenatal physical activity to early brain development.

Recommended Types Of Exercise: The goal of prenatal exercise is low-impact, moderate-intensity activity that supports physical health without risking the mother or baby. The best types include:

1. Walking:

- i. Safe, effective, and easily adjustable in intensity.
- ii. Promotes circulation and cardiovascular health.

2. Swimming:

- i. Reduces joint stress and supports the body weight.
- ii. Ideal for easing back and pelvic pain.

3. Prenatal Yoga:

- i. Enhances flexibility, balance, and breath control.
- ii. Encourages relaxation and reduces anxiety.

4. Stationary Cycling:

- i. Offers cardiovascular benefits without the risk of falling.
- ii. Best done under supervision in later trimesters.

5. Strength Training:

- i. Light resistance training strengthens muscles needed during labor.
- ii. Avoid heavy lifting or straining.

6. Pelvic Floor Exercises (Kegels): Strengthens pelvic muscles, improving bladder control and aiding postpartum recovery.

Exercise Guidelines By Trimester: Different stages of pregnancy require adapted physical routines:

First Trimester (0–13 weeks):

- i. Focus on building or maintaining fitness.
- ii. Avoid overheating and stay hydrated.
- iii. Exercise if nausea and fatigue allow; rest is equally important.

Second Trimester (14–27 weeks):

- i. Ideal time for consistent activity as energy levels rise.
- ii. Switch to lower-impact activities if needed.
- iii. Be cautious with balance as the bump starts showing.

Third Trimester (28–40 weeks):

- i. Prioritize comfort and safety.
- ii. Use support for balance; avoid long periods of standing.
- iii. Light stretching, gentle yoga, and walking are preferred.

Safety Precautions And When To Stop: Although exercise is generally safe, certain signs indicate the need to stop and consult a healthcare provider:

Warning Signs:

- i. Vaginal bleeding or fluid leakage.
- ii. Dizziness or fainting.
- iii. Shortness of breath before exertion.
- iv. Chest pain or irregular heartbeat.
- v. Painful contractions or decreased fetal movement.
- vi. Headache or vision problems.

Medical Conditions Requiring Special Caution:

- i. Placenta previa after 26 weeks.
- ii. Severe anemia.
- iii. Cervical insufficiency.
- iv. History of premature labor.
- v. Uncontrolled diabetes or hypertension.
- vi. Multiple gestation at risk for preterm labor.
- vii. It is essential to get medical clearance before beginning or continuing any fitness program during pregnancy.

Common Myths And Misconceptions

1. “Exercise can harm the baby.”

Regular, moderate activity is safe and healthy for both mother and baby.

2. “Heart rate should never exceed 140 bpm.”

This outdated guideline has been replaced by the “talk test” — if a woman can talk comfortably, the intensity is likely safe.

3. “Lifting weights causes miscarriage.”

Light resistance training is safe unless a high-risk pregnancy exists.

4. “Exercise causes early labor.”

No evidence supports this unless complications are already present.

5. “Only athletes can exercise during pregnancy.”

Even sedentary women can safely start low-intensity activity during pregnancy under medical guidance.

Postpartum Recovery And Fitness: Physical activity continues to play a crucial role after childbirth:

Benefits:

- i. Aids in weight loss and fitness recovery.
- ii. Reduces postpartum depression.
- iii. Enhances energy levels and sleep quality.
- iv. Helps restore abdominal and pelvic muscles.

Women can usually resume light activities like walking within a few days of a normal vaginal delivery. However, those who had cesarean or complicated births should wait longer and follow medical advice.

Postnatal yoga, walking with the baby, or mommy-and-me fitness classes can help new mothers ease back into exercise while bonding with their newborns.

Psychological Aspects And Motivation: While physical health is a primary focus, emotional and motivational factors influence a woman's activity level during pregnancy:

- i. **Body image:** Exercise can help women feel more in control of their changing bodies.
- ii. **Social support:** Group classes or online communities can offer encouragement.
- iii. **Fear and anxiety:** Some women hesitate to exercise due to fear of harming the baby. Professional reassurance helps overcome this barrier.

Healthcare providers, fitness trainers, and partners must offer empathy and informed guidance to support a positive mindset toward prenatal fitness.

Role Of Healthcare Providers And Fitness Professionals:

Collaboration between medical and fitness experts ensures safe exercise routines for pregnant women. Their roles include:

- i. Educating women on the benefits and risks of physical activity.
- ii. Monitoring individual conditions and tailoring recommendations.
- iii. Encouraging realistic goals and gradual progress.
- iv. Offering mental health support if needed.

In many countries, certified prenatal fitness instructors are now available, making professional guidance more accessible.

Cultural Attitudes And Global Perspectives: Cultural beliefs significantly affect pregnant women's attitudes toward exercise. In some societies, physical exertion during pregnancy is discouraged due to traditional norms. In contrast, countries with high maternal fitness awareness (e.g., Scandinavian countries) report lower rates of

pregnancy complications and higher quality of maternal life. Efforts must be made to:

1. Educate families and communities.
2. Break myths about pregnancy and physical strain.
3. Promote equity in access to safe spaces, information, and services.

Technology And Innovation In Prenatal Fitness: Modern technology plays a growing role in supporting active pregnancies:

1. Wearable devices track heart rate, steps, and activity levels.
2. Fitness apps like Expecting and Active, Ovia Pregnancy, and Juna offer customized workouts.
3. Virtual classes provide access to prenatal yoga, Pilates, and strength training at home.

These tools empower women to make informed, safe choices throughout pregnancy.

Conclusion: Pregnancy and physical activity are not mutually exclusive — they can coexist to foster a healthier, happier journey to motherhood. With proper guidance, most pregnant women can enjoy the physical, emotional, and psychological benefits of regular exercise. Dispelling myths, building supportive environments, and tailoring fitness to individual needs are essential steps toward achieving maternal wellness. As science and awareness progress,

the image of the strong, active, and empowered pregnant woman continues to redefine traditional expectations and set new standards for maternal health.

References:-

1. Artal, Raul, and M. O'Toole. Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists for Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period. *Obstetrics & Gynecology*, vol. 99, no. 1, 2002, pp. 171–173.
2. Mottola, Michelle F., and Margie H. Davenport. "Physical Activity Guidelines for Pregnancy and the Postpartum Period." *British Journal of Sports Medicine*, vol. 53, 2019, pp. 1365–1370.
3. ACOG. Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period. Committee Opinion No. 804, American College of Obstetricians and Gynecologists, 2020.
4. Evenson, Kelly R., et al. "Barriers to Physical Activity Among Pregnant Women." *Maternal and Child Health Journal*, vol. 13, no. 3, 2009, pp. 364–375.
5. Ruchat, Stephanie-May, et al. "Exercise and Pregnancy in Recreational and Elite Athletes." *Journal of Science and Medicine in Sport*, vol. 21, no. 3, 2018, pp. 340–347.

Higher Education in India: Issues and Challenges

Dr. Shikha Yadav*

*Assistant Professor (Chemistry) I.G. Government P.G. College, Bangarmau, Unnao (U.P.) INDIA

Abstract: India has a publicly funded higher education system that is the third largest in the world. The main governing body at the tertiary level is the university grants commission, which enforces its standards, advises the government and helps coordinate between the centre and the state. Accreditation for higher learning is overseen by autonomous institutions established by the UGC. The relationship between education and economic growth help people develop the skills and knowledge. Decades of research confirm that increased investment in education leads to increased economic growth.

Introduction - Higher education has grown very rapidly in India over the last 30 years, with the proportion of those who attend tertiary institutions to the relevant age group rising from 6% in 1983 to around 20% by 2011. This growth has been greatly compressed into only a few areas. First, most of the growth has occurred primarily in professional fields, especially engineering and management. Second, the growth has occurred in teaching rather than in research, with public research in India highly concentrated in autonomous research institutes instead of universities. Third, most of the growth has been in private institutes rather than public ones.

Importance of Higher Education : Now a days the need for higher education institution to have a reliable, effective and attractive web presence in increasing as online technology is becoming an important part of the educational process. The higher education institutes play a vital role in the development of a society. Higher education provide information for prospective students, current students faculty and alumni. It promotes the exchange of knowledge, research and innovation and equips students with the skills needed to meet ever-changing labour markets.

Purpose of Higher Education : Higher education is designed to broaden an individual's knowledge and experience. Graduates leave with a record of their accomplishments that is recognized and valued by future employers and colleagues. Most undergraduate degrees have both courses in your chosen field of study, as well as courses that foundational knowledge in a wide variety of fields. Master's and doctoral-level programs often become more specific and specialized.

Challenges In The Higher Education Sector: The role of Higher Education in emerging scenario of knowledge

economy is very crucial and multifaceted for only country in general and India is particular. There are many basic problems faced by Higher Education system in India. These include lower level of teaching quality, financing of Higher Education, more concentrated on theories and rather than practical knowledge, traditional methods of teaching, privatization, inadequate facilities, infrastructure and quota system.

Quality and Standard : Our education system is degraded by issues of quality in many of its Institutions and Universities many of the issues like lack of faculty, poor quality teaching, traditional teaching method, lack of accountability are raise questions on Indian Education system.

Infrastructure Deficiencies : Inadequate classrooms, laboratories, hostels, and internet connectivity hinder the learning environment, especially in public institutions. Through India has tremendous development in higher education, still there are large number of colleges, institutions and universities where even the basic facilities are not available. Old class room are there; lack of sufficient building, staff room, library or resource rooms, laboratory, technological facilities, instruments for practical classes, toilet and drinking water facilities etc are there. The poor infrastructure of Institutions directly throwing challenges to the quality of higher education. This problem is found basically in rural areas.

Research and innovation Deficit : India contributes only a small percentage of global research publications. Funding for research is low compared to global standers.

Growth of Higher Education : The digital revolution has substantially impacted education. The evolution of the use of technologies in education has been gradual and different, mostly depending on the teaching professionals'

predisposition and skills. With the advent of the COVID pandemic, digital tools' impact has been exponential in all educational levels. An study of the new educational hybrid model is offered. The role of the educator is critical in this new model, confirming the necessity to have technical resources and qualified educators to improve students' competence in order for them to work successfully in the digital economy.

The system of Indian higher education is the second largest in the world, which fulfills the educational needs of millions of students who come from different sections of the society because it is the students who come from different sections of the society because it is the student community. Which can help to generate healthy academic atmosphere in institutions of higher learning. India faces today a number of problems pertaining to poverty unemployment disappearance of moral and spiritual values. In the globalized economy, the competence and the quality of our product have to meet the world standards. Another challenges that higher education has to face is the teaching of English in the multilingual context. Therefore the use of languages other than English in higher education needs to be viewed creatively.

Government Initiatives and Reforms :

1. National Education Policy (NEP) 2020: The education system, increase GER to 50% by 2035, and promote multidisciplinary and holistic learning.
2. RUSA (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan): Aims to provide strategic funding to eligible higher educational institutions.
3. Digital India and SWAYAM: Promote digital literacy and provide free online courses to bridge the digital divide.

Suggestion for Improving Quality of higher education:

1. There is a need to implement innovative and transformational approach from primary to higher education level to make Indian educational system globally more relevant and competitive.
2. In higher educational institutes Industrial co-operation must be their for the development of curriculum, organizing expert lectures, internships, live projects, career counselling and placements.
3. Industry and students are expecting specialized courses to be offered so that they get the latest and best in education and they are also industry ready and employable. Vocational and Diploma courses need to

be made more attractive to facilitate specialized programs being offered to students. Incentives should be provided to teachers and researchers to make these professions more attractive for the younger generation.

4. The new technologies offer best opportunities for progress in all walks of life. It offers opportunities for economic growth, improved health, better service delivery, improved learning and socio-cultural advances.
5. Finally, education should be for the flowering of personality but not for the suppression of creativity or natural skill.
6. Examination reforms, gradually shifting from the terminal, annual and semester examinations to regular and continuous assessment of student's performance in learning should be implemented
7. Our university libraries have a very good collection of books, but they are all in mess. A library must be online and conducive for serious study.

Conclusion : Higher education in India plays many roles. It is of extraordinary importance to many and reforms are after seen as significant threats to specific social arrangement that provide benefits to powerful groups.

India is today one of the fastest developing countries of the world with the annual growth rate going above 9%. In order to sustain that rate of growth, there is need to increase the number of institutes and also the quality of higher education in India. We need an educational system that is modern, liberal and can adapt to the changing needs of a changing society, a changing economy and a changing world. The thrust of public policy for higher education in India has to address these challenges. This is necessary not only to take care of economic growth, but it is also essential for social cohesion and to empower the counties youth.

References:-

1. Agarwal, P. 2006. 'Higher Education in India: The Need for Change'. ICRIER Working Paper No. 180, June. Delhi: Indian Council for Research on International Economic Relations.
2. Sharma Sharda, UGC and Higher Education System in India,
3. UGC (2005) Research Handbook: Towards nurturing research culture in higher education institutions in India. University Grants Commission. New Delhi.

हिंदी साहित्य : स्त्री- दलित सशक्तिकरण के द्वंदात्मक प्रतिबिंब

प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर*

* हिंदी विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई (महाराष्ट्र) भारत

प्रस्तावना - 21 वीं सदी का पहला दशक अस्मिता विमर्श के विस्फोट का दशक है। इसमें स्त्री और दलित विमर्श प्रमुखता से उभर कर आया है। पितृसत्तात्मक - मनो-सामाजिक- सांस्कृतिक - मुक्ति का संदर्भ स्त्री लेखिकाओं में प्रधान रूप में रहा है। वास्तव में पितृसत्ता का भारतीय विषमतामूलक वर्ण-व्यवस्था के साथ नाभिनाल संबंध रहा है और भक्तिकाल उसके प्रतिरोध का साहित्य रचना है। आधुनिक काल में भी स्त्री साहित्य में यही दृष्टिकोण प्रमुखता पाता है। इस अवधि में रचनात्मक स्तर पर दोनों प्रकार की स्त्री लेखिकाएँ देखने के लिए मिलती हैं। एक आधुनिकता के कारण अपनी स्वतंत्र दृष्टि का प्रतिपादन करने वाली और दूसरी आधुनिकता के बावजूद परंपरा और आधुनिकता के अंतर्विरोध में रहने वाली।

सिमोन द बोउवार का मत है कि 'पुरुष ने यह समझ लिया कि औरत को अपदस्तर करके ही वह अपनी नियति को प्राप्त कर सकता था। अब जन्मा पुरुष की सृजनात्मक ताकत का सिद्धांत उसकी मेधा और बुद्धि उस के बनाए हुए नियमों का सिलसिला। मातृदेवी के साथ अब पितृदेव को भी सम्मिलित किया गया वह भी उर्वरक बना, नए प्रतीक जन्में। देवी देवताओं के नए जोड़े सबसे पहले क्रिट में, उसके बाद भूमध्यसागर किनारे इजिप्ट में आइसिस और होरेस तथा फिनिशिया में अस्तातो तथा एडोनिस्, एशिया माइनर में साइबल और अतिस तथा ग्रीक में रिया और जीयस।'¹

'ज्यों-ज्यों समाज का विकास होता गया, उसमें सत्ता का लोभ बढ़ता गया। वह अपनी संतान का स्वामित्व और संतान के माध्यम से अपनी परंपरा का निरंतरता चाहने लगा। स्त्री में प्रजनन की क्षमता होते हुए भी पुरुष उसका स्वामी था जैसे वह जमीन का स्वामी था। स्त्री की नियति थी पुरुष की अधीनता प्रकृति की भांति उसका भी शोषण पुरुष ने किया। जिस सम्मान को वह भोगती थी वह पुरुष का दिया हुआ था।'² उमा चक्रवर्ती के अनुसार इस तथ्योद्घाटन ने लर्नर को महज आर्थिक प्रश्नों के सरल दायरे से बाहर निकालकर स्त्री यौनिकता पर नियंत्रण और प्रजनन-व्यवस्था के मद्देनजर विचार करने को अग्रसर किया। यानी यह समझ बनी कि उत्पादन-व्यवस्था और उसके नियंत्रक (वर्गीय आयाम) के साथ-साथ प्रजनन-व्यवस्था और उसके नियंत्रक (लिंग संबंधी आयाम) दोनों पर विचार करना जरूरी है। उनके विश्लेषण के तर्ज पर नारीवादी चिंतकों ने भारतीय संदर्भ में जाति और लिंग के बीच के संबंध को समझने का प्रयास किया है।'³ 'भारत के पितृसत्तात्मक समाज को समझने के लिए हमें जाति व्यवस्था को जानना जरूरी है। भारत में उत्पादन व्यवस्था के आधार पर वर्ग का निर्धारण किया गया और जन्म व्यवस्था के आधार पर जाति का निर्माण किया गया जिससे

समाज के बीच एक स्तरीकरण का निर्माण हुआ। अपनी ही जाति के दायरे में विवाह संबंध कायम करने के नियम भी इसी बुनियादी जाति व्यवस्था के ढांचे पर खड़ा किया गया। जाति और लिंग आधारित विभेद की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सजातीय विवाह ने हथियार की भूमिका निभाई। भारतीय विवाह व्यवस्था में सजातीय विवाह को प्राथमिक माना जाता रहा है।'⁴

पितृसत्तात्मक व्यवस्था लिंग-जात भाव संबंधों को विकसित करती है। यही से स्त्री गुलामी या पराधीनता का आरंभ हो जाता है। उसे यौन पवित्रता के मिथक ने उसका और सामाजिक संबंधों का और भी विकृतिकरण किया है। व्यक्ति-सामाजिक, नैतिक-मूल्यात्मक प्रश्न यहीं से खड़े हो जाते हैं। हिन्दू धर्माधारित जिसे सांस्कृतिक भी कहा जाता है। उसके संबंध में अनेक अवधारणाओं को विकसित किया गया है। पतिव्रतात्व का मिथक इसी प्रकार से गढ़ा गया है। वास्तविक रूप से यह उसके यौनिक नियंत्रण का आधार है।

उमा चक्रवर्ती के अनुसार 'स्त्रियों के लिए इसने पतिव्रता की जो धारणा गढ़ी वह उनके दिलो-दिमाग में काफी गहरी पैठ बनाने में कामयाब रही। स्त्रियों का अपनी यौनिकता का खुद ही नियंत्रण कर अथवा पतिव्रत धर्म निबाह कर सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करने का मिसाल शायद ही किसी अन्य पितृसत्ता में देखने को मिले। पतिव्रता की धारणा ने न केवल ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के स्त्रियों की यौनिकता पर नियंत्रण की पर्दापोशी की बल्कि स्त्रियों की ही सक्रिय भागीदारी के माध्यम से और आसमान और पदानुक्रमित संरचना के आसान पुनरुत्पादन को भी संभव किया।'⁵ समाजशास्त्रियों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि किसी जाति की पहचान शेष अन्य जातियों से उसकी भिन्नता से तय होती है। इसके लिए जरूरी है कि जातियां जुदा रहे, जिसे सजातीय विवाह संभव करता है। सजातीय विवाह खास उत्पादन संबंधों के प्रसार को संभव करने के साथ-साथ जाति व्यवस्था को इस हद तक लचीलापन प्रदान करता है कि प्राव-जाति समुदाय (वे समुदाय जो जाति व्यवस्था के दायरे से बाहर हो) अपनी सांस्कृतिक खासियतों के साथ उसके दायरे में समाविष्ट किया जा सके। इन सब कारणों, खासकर समूह (जाति या उपजाति) अलग-अलग चौखटे में बने रहें इसके लिए स्त्री यौनिकता को तरजीह दिए जाने की वजह से सजातीय विवाह खुद अपने सूक्ष्म पड़ताल की जरूरत उत्पन्न करता है। कुसुम त्रिपाठी कहती हैं कि, 'दलित महिलाएं जिनकी विशाल बहुसंख्या समुदाय के रूप में गरीब व संपत्तिहीन है, केवल वर्ग शोषण ही नहीं बल्कि नंगे पितृसत्तात्मक

रुख के साथ जाति उत्पीड़न को भी झेलती है। दलित महिलाएं ही हैं जो गांव में यौन छेड़खानी के सबसे भेदे रूपों और बलात्कार को झेलती है। जिन्हें नंगा घुमाया जाता है, डायन कहकर पत्थरों से मार डाला जाता है। उच्च जाति या वर्ग के पुरुषों की वासना को संतुष्ट करने के लिए जिन्हें देवदासी बना दिया जाता है और जो जाति व राजकीय हिंसा की लगातार शिकार बनती है। इस तरह जाति एक ऐसी संस्था है जो पितृसत्ता को बढ़ावा देने में मदद पहुंचाती है। यह पितृसत्ता पर पलती है और बदले में पितृसत्ता इस पर पलता है दोनों का एक सहजीवी रिश्ता है।¹⁶ जिस समाज में प्रेम या यौन संबंध मुक्त होता है या छुपाया नहीं जाता अथवा जहां बंदिशें इतनी कड़ी नहीं होती उन्हें सभ्यता से बाहर नैतिकता से परे और संस्कारहीन माना जाता रहा मानव संस्कारित होने का अर्थ ही यौन व प्रेम पर काबू पाना है। 'सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य की इन स्वभाविक प्रवृत्तियों को पशुता माना जाने लगा। हालांकि विश्व के कई सभ्यताओं में यहां तक कि भारत के आदिवासी समाज में नैतिकता स्वभाविक प्रवृत्तियों पर लगाम नहीं कसती। वहां कबीलागत समाज के वर्जन आए जरूर होती है, पर वह अधिकतर स्त्री-पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होती है, जैसे गोत्र के बाहर विवाह का वर्जित होना।'¹⁷

अनेकों प्रतिबंध स्त्रियों और दलितों पर लगायी गयी। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी ने भी सही कही है कि, 'वह (मनु) स्त्री को उस स्वतंत्रता से वंचित कर देना चाहता था, जो उसे बौद्ध काल में थी। वह जानता था की स्त्री द्वारा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने या शुद्ध के साथ विवाह करने की उसकी इच्छा होने से वर्णव्यवस्था नष्ट हो गयी थी। मनु स्त्री की स्वतंत्रता से क्रुद्ध था और उसे रोकने में उसने उसकी स्वतंत्रता से उसे वंचित के दिया।'¹⁸

इसका तात्पर्य यह है कि विवाह संस्था और रिश्तेदारी जाति व्यवस्था को मजबूती देती रही है। उसे तोड़ना आधुनिक चेतना व तंत्र का काम है। यही सच दलित और स्त्री विमर्श के आगे है। वर्तमान में हर लड़की को देखें तो वह इससे आगे निकली लड़की नजर आती है किंतु जीवन के अंत में उसका भविष्य ही नहीं है वह बीच मझाधार में पुरानी पीढ़ी के द्वारा छोड़ दी गयी है। भक्तिकाल से लेकर वर्तमान तक इसका सच हमें दिखाई देता है। कबीर ने पहले ही कहा है इस दुनिया में आने के लिए एक ही रास्ता है। जो अनेक मार्ग बताते हैं उन्हें वे फटकारते हैं।

जयप्रकाश कर्दम को कहानी 'चक्रव्यूह' को देख लीजिए जिसमें एक लड़की अखबार में विज्ञापन देती है - 'मैं अपना कौमार्य को बेचना चाहती हूँ। 'कहानी की पहली पंक्ति रूपा जिस समाज में रहती है उसके सच को सामने लाती है। सोशल मीडिया पर रूपा द्वारा डाली गई इस पोस्ट पर अखबार और चौनल वाले 'कौमार्य बिकाऊ है' की टैगलाइन देकर अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। कहानी में एक टोना -टोटका करने वाली अंधविश्वासी माँ अपनी बेटी को इस खबर से बचाना चाहती है। तो लेखक तपन, मोहन का, सुदीप, उमादे, क्रांतिप्रसाद इन पात्रों के का घर इज्जतदार है। दलित समाज की लड़किया ऐसी कर सकती है क्योंकि वाह गंदी बरती में रहती है इनका परिवेश गंदा है तथा उनका सोच भी गंदा है।

गैर दलित इज्जतदार परिवार ऐसा कर नहीं सकता और दलित परिवार ऐसा कर सकता है इन दोनों मिथकों को कर्दम जी तोड़ते हैं। तभी तो वे कहते हैं - सच्चाई यह है कि दलितों को तो अभाव और गरीबी में जीने की आदत होती है। और अपनी उस स्थिति में भी वे सम्मान के साथ जी लेते हैं। धन और ऐश्वर्य के लिए अपना शरीर बेचने वाली स्त्रियाँ, दलित नहीं, गैर दलित होती है। दलित स्त्रियों की तो त्रासदी यह है की उनकी इज्जत तो

उनके साथ बलात्कार करके जबरन लूट ली जाती है।¹⁹ (पृ. - 17 हंस) प्रेमचंद की 'घासवाली' कहानी से लेकर नैमिशराय की 'निजाम' कहानी के ममदू की माँ तक यही लूट-खसूट का व्यवहार करना उच्चवर्ण हमें दिखाई देता है। दलित वर्ग की स्त्रियाँ इज्जतदार नहीं होती तो उसे लूटने का अधिकार सवर्णों को है, लूटने नहीं देती तो उसे पीटने का अधिकार 'निजाम में' है और उसे घर से बेघर करके समाज की इज्जत बचाने का ठेका भी सवर्णों में है।

'चक्रव्यूह' कहानी ठीक इसी जगह अलग है कि एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की खुलेआम उपभोक्तावादी, बाजारु समाज में अपना कौमार्य स्वयं बेचना चाहती है तो एक वर्ग दलित होने की कारण ऐसा कर रही है कहता है तो दूसरा वर्ग आर्थिक अभाव में सबकुछ 'ऐश्वर्य' पाने के लिए कर रही है ऐसा कहता है। कर्दमनी ने रूपा के साथ कुछ अलग स्थितियाँ बना दी है। वह उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिस लड़की के माता-पिता नहीं और वह खूबसूरत है, शालीन है, मिथकीय भाषा में इज्जतदार है पर वह आए दिन अपना कौमार्य कभी भी किसी भी व्यक्ति, लड़के, गुंडे द्वारा लूटा जा सकता है इस दहशत में जीती है। एक लड़की को भोगवादी दृष्टि से देखने वाले ये 21 वीं सदी का यह यथार्थ है। उनकी कहीं कोई सामाजिक- आर्थिक सुरक्षा नहीं है। और उसे यह प्रदान करने के लिए कोई जिम्मेवार भी नहीं है।

उसके कौमार्य को खरीदने वाले दो-तीन व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं लेखक प्रस्तुत करता है। पहला एक युवक है जो पढ़वी के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा है नौकरी पेशा मध्यवर्गीय परिवेश का और कहीं भी कोई न कोई नौकरी पा सकने की उम्मीद में रूपा से शादी का प्रस्ताव रखता है। एक व्यवसायी है जिसका टर्नओवर सालाना एक करोड़ का है पर वह सिर्फ एक लाख में खरीदना चाहता है और उसे आश्वस्त करता है कि इससे ज्यादा उसके कौमार्य की कीमत नहीं है। एक डॉन है जो लुट सकता है पर लूटता नहीं उसे खरीदना चाहता है और एक ब्लैक चेक उसे देना चाहता है।

एक तीसरा व्यक्ति है मनोज मानव जो 70 वर्ष का फिल्म निर्माता है वह रूपा को फिल्मों में लाकर रूपा के कौमार्य बेचने को दूर कर उसे सुरक्षा और आर्थिक अभाव से निजात दिलाकर सामाजिक सम्मान देना चाहता है। एक चौथा लड़का भी इस कहानी में है जो रूपा का दोस्त है और उसे हर बार बल देता है, मन से देता है। वह अशोक है। दोनों ने मिलकर ही कौमार्य बेचने का विज्ञापन सोशल मीडिया में जारी किया था। अंत में 70 साल का एक फिल्म निर्माता उसे जीने का रास्ता दिखाते हुए उसे फिल्मों में काम करने का न्यौता देता है।

यह कैसे होता है पता नहीं वास्तव में यह एक यूटोपिया है। कि फिल्म लाइन में कोई इस तरह किसी को सुरक्षा प्रदान करता है। 'यह अपवाद है पर लेखक उदाहरण के रूप में, आदर्श रूप में रूपा को अपनी विवशता से बाहर निकालने के लिए अपनाया गया एक मार्ग है। जो उसे सामाजिक सम्मान का रास्ता दिखाती है। वरना यहां यह हाल है कि कई अभिनेत्रियाँ, लूटी - पाटी जाकर भी वह पा नहीं सकी है प्स्तुतः लेखक यह दर्शाना चाहता है कि स्त्री का कौमार्य लूटने की या खरीदने की चीज नहीं है। उसे बचाने और उसका सम्मान करने की है उसे सामाजिक सुरक्षा देने की है। यहाँ पहुँचकर भी रूपा के मन में एक प्रश्न है कि दुनिया क्या सोचेगी कहेगी की यही न कि यह सब पाने के लिए मैंने अपने शरीर को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया है।'²⁰ तो अशोक उसे समझाता है - 'कौन से समाज से डर रही हो तुम ? उस समाज से जो तुम्हारे कौमार्य को खरीदने के लिए लालायित रहा है।'²¹ और कहानी रूपा राजन पांडे और सत्य पहलवान जैसे गुंडों के आतंक से मुक्त होकर फिल्मी दुनिया में आती है कहानी खत्म हो जाती है।

किसी भी अकेली और दुविधा में फंसी स्त्री का यौन शोषण करने के बजाए उसे सामाजिक सुरक्षा जरूरी है यही महत्वपूर्ण विचार कहानी में आया है। स्त्री के अधिकार, स्वतंत्रता का प्रश्न नारी विमर्श ने उसकी देह के साथ जोड़कर देखा और स्त्री उस प्रश्न को सामाजिक प्रश्न मुद्दा बना कर प्रस्तुत कर रही है।

मेरे ख्याल से कौमार्य अब उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रहा है किंतु स्त्री उपभोग का पुरुषसत्तात्मक दृष्टिकोण आज भी बरकरार रहा है। जो स्त्री कौमार्य और खूबसूरती अपने पास रखती है उसके प्रति समाज किस प्रकार से देखता है यह चित्रण कहानी में है। 'दलित साहित्य में उपन्यास विधा को अभी और विस्तार लेना बाकी है। संभवतः अनुभव के हूँ-ब-हूँ व्यक्त कर देने के दबाव ने दलित साहित्य में कलात्मक सृजन में एक बाधा पैदा किया। हालाँकि अपनी बात को कहने के लिए कलात्मक पैमाना तय कर देने से उसकी स्वभाविकता नष्ट होने का खतरा रहता है। सुशीला टाकभौर का उपन्यास 'तुम्हें बदलना ही होगा'¹² अपनी विषय वस्तु और प्रवाह के कारण ध्यान आकर्षित करता है। सुशीला जी की नजर समाज के अनेकों सवाल पर रहती है। दलित साहित्य की मूल चिंता है जातिवाद का खात्मा। यही चिंता उनके उपन्यास में अभिव्यक्त हुई है। उनका उपन्यास यह प्रस्तावित करता है कि लोग अंतरजातीय विवाह तो करते हैं लेकिन उच्च कही जाने वाली जातियाँ बहुत हद तक आपस में ही अंतरजातीय विवाह करती हैं। इस दृष्टिकोण को बदलना होगा तभी समाज से जाति का खात्मा होगा। दलित साहित्य आलोचना का भी विकास होना चाहिए। दलित साहित्य का दलित दृष्टिकोण से आलोचनात्मक मूल्यांकन अभी भी एक महत्वपूर्ण और जरूरी कार्यभार बना हुआ है।' प्रकारांतर से यह कहा जाता है कि विवाह संस्था को बदलना ही स्त्री सशक्तिकरण करना है। यही बात हमें एक गैर दलित लेखक की प्रसिद्ध कहानी कुच्ची का कानून में भी दिखाई देती है। कुच्ची का कानून कहानी का सारांश इतना है कि विधवा कुच्ची परिस्थिति वश मायके की शरण न लेकर बुढ़े सास-ससुर की सेवा का संकल्प लेती है। जिसमें जेठ से लेकर गाँव के लोग उसकी राह का रोड़ा बनते हैं। कुच्ची इस स्त्री विरोधी समाज में अपनी अस्मिता परिवार और जर-जमीन की सुरक्षा के लिए संघर्ष करती है और साथ ही दूसरे के बीज को अपनी कोख में रोपकर अपना वारिस पैदा करना चाहती है। पितृशक्ति के विरोध में वह मातृसत्ता को स्थापित करने की वकालत करती है। कुच्ची बनवारी की दुर्दशा से उसकी संपत्ति पर कब्जा करने का सपना चूर-चूर करती है। तब बनवारी और पंच सरपंच सब गोल बनाकर एक स्त्री के विरोध में आ जाते हैं। बनवारी पंचायत बुलाता है। जिसमें कुच्ची का बयान आया हुआ है। मैं दूसरे के बीज लेकर अपने लिए सहारा पैदा कर रही हूँ। मैं अपनी कोख का उद्धार करना चाहती थी। अपने ऊपर लगे बांझपन के कलंक को मिटाना चाहती थी। कोख मेरी है तो इस पर हक किसका होगा? कुच्ची से पूछा गया कि आने वाला आ गया तो क्या नाम धरेगी, किस का नाम धरना जरूरी है, का अम्मा? अकेले मेरा नाम काफी नहीं है।'¹³ अकेले मेरा नाम काफी नहीं है। विधवा कुच्ची पुत्र के नाम के आगे माँ का नाम ही पर्याप्त मानती है। इस तरह की माताएँ और संतानें हमें पौराणिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक में भी मिलती हैं किन्तु कुलीन सुशिक्षित और अभिजात्य वर्ग के सामान्य समाज के लिए इसका निषेध था। कुच्ची का कानून कहानी इस स्थिति को उलट देती है। कुच्ची समाज के निम्न वर्ग कि अशिक्षित विधवा स्त्री होकर संतान पैदा कर रही है। जिसका समाज के कथित विघटन की ज्यादा आशंका है। स्त्री का पुरुष के कब्जे से मुक्त हो उसके स्वतंत्र अस्तित्व के स्थापित हो जाने का भय है जो जर जमीन

उत्तराधिकार के साथ उसे आर्थिक मजबूती दे ज्यादा स्वतंत्र करता है।

'चक्रव्यूह' और 'कुच्ची का कानून' इन कहानियों के संदर्भ में बाबासाहब की यह बात विचारणीय है कि, 'कुमारी के कौमार्य का कोई नियम नहीं था। कोई भी लड़की विवाह किये बिना किसी भी पुरुष के साथ संभोग कर सकती थी और उससे संतान भी उत्पन्न कर सकती थी 'कन्या' शब्द के मूल अर्थ से यह स्पष्ट है। 'कन्या' शब्द के मूल में 'काम' शब्द है, जिसका अर्थ है कि लड़की स्वयं को किसी भी पुरुष के समक्ष अर्पित करने के लिए स्वतंत्र है। कुंती और मत्स्यगंधा इस बात कर उदाहरण हैं कि विधिवत् विवाह किए बिना उन्होंने अपने-आपको अन्य पुरुष को अर्पित किया बच्चे भी उत्पन्न किए। कुंती ने पंडू के साथ विवाह रचने से पहले अलग-अलग पुरुषों के साथ संभोग किया और बच्चे पैदा किए। मत्स्यगंधा ने भीष्म के पिता शान्तनु से विवाह रचने से पहले पराशर ऋषी के साथ संभोग किया।'¹⁴ नियोग की प्रथा की वास्तविकता से हम सभी परिचित हैं। सुरेन्द्र वर्मा का नाटक 'सूर्य की पहली किरन से सूर्य की अंतिम किरन तक', इसी समस्या पर लिखा गया है। नियोग प्रथा ने निपुत्रिक राजा को धर्म नियमों में ही इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कराकर दी थी कि राज्य के उत्तराधिकारी देने के लिए राजपत्नी 'धर्म-नटी' बनकर राज्य के किसी भी पुरुष के साथ संभोग कर सकती है। उसे उस समय किसी अपवाद का दोषी नहीं माना जाता था। वर्तमान में ऐसी स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व बनता दिखाई देता है। जैसे इस नाटक की स्त्री नायिका धर्मदेश का पालन करने के बाद प्राचीन काल की परिधि से निकलकर आधुनिक काल में आती है और सोचती है कि, 'जब आत्मसंतोष की अंधी दौड़ हो-व्यक्तिगत सुख की खोज... तो जीवन बहुत जटिल होता है, ओझाक...और उसकी मांगें भी उतनी ही उलझी हुई...पूर्ति के लिए एक से अधिक व्यक्ति चाहिए किसी से समाज में स्थान, किसी से भौतिक सुविधाएँ, किसी से भावना की तृप्ति...किसी से शरीर सुख...!'¹⁵ शीलवती (यह नाम ही सारगर्भित है) के जब शील संबंधी बंधन खुल जाते हैं तब वह सारी मर्यादाएँ तोड़ देती है। ओझाक के शब्दों में 'राजमहिषी धर्मनटी बनकर गयी थी, काम नटी बनकर लौटी है।'¹⁶ स्त्री चंचला होती है पुरुष को सदैव उसको काबू में रखना चाहिये का रुढ़ार्थ इस नाटक में शीलवती पर चरितार्थ होता है। जब तक वह अन्य पुरुष के संपर्क में आती नहीं तब तक वह स्त्री रहती है जैसे ही अन्य पुरुष के संपर्क में आती है वह कामी हो जाती है। बाद में वह उसके अनुराग में दगाबाज होती है। जैसे प्रतोष के संग और साथ को पाने के लिए धर्म-सम्मत विधि का प्रयोग कर काम तृप्ति का मार्ग ढूँढती है। और उसे बचाती भी है। प्रतोष से उसके जीवन को नया अर्थ, प्राण और जीवन मिल जाता है। उसके पास जाने और स्त्रीत्व का सुख भोगने की उसकी कामना प्रबल रूप धरती है। इसके लिए मंत्री परिषद के अनुमति का लंबा इंतजार, पुनः संबंध स्थापित करने के लिए वह नहीं करती बल्कि स्वेच्छा से यह घोषित करती है कि एक सप्ताह बाद वह पुनः धर्म नटी बन जाएगी...कमानंद भोगेगी। यही से उसके जीवन का अर्थ ही बदला जाता है। वह ओझाक से कहती है, '(भर्त्सना से) कितने मुख हैं आप!...महामूर्ख!...मूर्खों के सम्राट!... नारीत्व की सार्थकता मातृत्व में नहीं है, महामातृ ! है केवल पुरुष के संयोग के इस सुख में... मातृत्व केवल गौण उत्पादन है।'¹⁷ मर्यादा !.. धर्म !... शील !... वैवाहिक बंधन !.. सब मिथ्या !..सब आडम्बर !..सब पुस्तकीय !..(उद्धत-सी) लेकिन मुझे पुस्तक नहीं जीना अब..... मुझे जीवन जीना है।'¹⁸ यहीं पर शीलवती के माध्यम से लेखक आधुनिक जीवन में व्यक्तिगत सुख की अंधी दौड़ कहता है, यही दौड़ उसके उपर लागे गए नैतिकता, धर्म के सारे बंधन वह स्वयं तोड़ देती है। हाँ

यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इसी से कोई स्त्री, स्त्री बनती है ? एक ही पुरुष में उपरोक्त साडी मांगों की पूर्ति करनेवाला पुरुष उसे मेल सकता है? मिलना संभव है? अगर मिल भी जाए तो क्या वह एक ही पुरुष अर्थात् पती या प्रेमी से बंधकर रह सकती है? ऐसे अनेक सवाल भी यह नाटक पाठकों के सामने खड़ा करता है। नाटक का ही उत्तर है, 'नहीं' किसी भी स्त्री की जीवन यात्रा धर्मनटी से कामनटी की आवर अग्रसर होती है। यही से उसके चारित्रिक स्खलन का आरंभ हो जाता है। फिर उसे न कोई सभा, न कोई धर्म नियम, न समाज बांध सकता है, न कोई रिश्ता ना कोई बंधन बांध सकता है। राज्य कर हर नागरिकों में उसकी चारित्रहीनता का डंका, डुग्गी बजवा-बजवा कर सूचित किया जाता है कि वह पुन्हा धर्म नटी.. अर्थात् काम नटी के रूप में नागरिकों के सामने आएगी और....हर नागरिक को प्रत्याशी बनकर पधारने का आमन्त्रण है।¹⁹ इस तरह वह इनमे से किसी को उपपति चुनेगी और स्त्रीत्व का सुखोपभोग लेगी। वस्तुतः ऐसे में स्त्रीत्व का सुख परंपरागत भाषा में, धर्म की भाषा में मातृत्व नहीं जिसका उदात्तकरण किया जाता है, कामनाओं की तुष्टि बन जाता है। एक प्रकार से यह खुला भोग, खुली अनुमति, खुली आत्मसंतुष्टि है। स्त्री जब खुल जाती है तो तमाम बन्धनों से मुक्त हो जाती है। हमें समझना होगा की अधुनिक समय में स्त्री- पुरुष संबंधों की जटिलताओं ने स्त्रियों पर सत्ता वर्चस्ववादी व्यवस्थाओं का नियंत्रण समाप्त कर दिया है। इतना ही नहीं उसके यौन पावित्य को लेकर जो मिथकीय अवधारणाओं का संजाल फैलाया गया था उससे भी वह मुक्त हो चुकी है। वरना प्रभा खेतान को भी डॉ. साहब की पत्नी जब यह कहती की हमारे यहाँ बिना विवाह किए लड़की किसी पुरुष के साथ रहती है तो उसे रखैल कहा जाता है, तब उसे बुरा लगता है। समाज में फैली हुई ऐसे ही अवधारणाओं से मुक्त कराना वर्तमान स्त्री को आवश्यक लगता है।

जिस प्रकार प्राचीन समय में जीवन सत्यों को खुले मन से स्वीकारने वाला समाज था वर्तमान में वही समाज दैवी चमत्कारों से जीवन सत्य को कभी चमत्कार कभी विडम्बना, कभी विवशता के कारण आज भी स्वीकारता हुआ काम अधिक मात्रा में दिखाई देता है। जैसे से गिरीश कर्नाड के नाटक 'नागमंडल' में भी स्त्री पुरुष संबंधों की पवित्रता- पातिवृत्य के टूटने के मिथक को व्यक्त किया गया है। अप्पन्ना कहता है- 'हाँ कहने में शर्म नहीं आती...रंडी कहीं की! बाहर से ताला बंद रखने पर भी यार दूँद रखा है। बता, कौन मिल गया तुझे किस हरामजादे के पास जाती थी साडी खोलकर?' रानी- आपकी कसम मैंने कोई गलती नहीं की।

अप्पन्ना- कुछ किए बिना गर्भ ठहर जाता है क्या? ऐसे छोड़ूंगा नहीं तुझे। सारे गाँव के सामने मेरी इज्जत उतारेगी? मेरा मुँह काला कराएगी, हरामी!... इस हरामी पिंड को बाहर नहीं निकलवाया ...मैं अपने बाप का बेटा नहीं।²⁰

उधर रानी को विश्वास से नागप्पा से कहती है कि, 'सत्य, गर्भ आपका है। यह एक सत्य है. यह सत्य आपको मालूम है. इसे गाँव वालों को मानना ही पड़ेगा।'²¹ भरी पंचायत में वह नागराज को अपने हाथ में लेती है नाग इसता भी नहीं और लोग उसके पातिवृत्य को मान लेते हैं। अप्पन्ना को समझाते हैं 'तुम्हारी पत्नी देवीका अवतार है ...तुम तो पुण्यात्मा हो।'²² फिर भी अप्पन्ना इस बात को स्वीकार नहीं करता की अपनी पत्नी के गर्भ में पलनेवाला बच्चा उसका ही है। 'मैंने इसे छुआ तक नहीं, यह मुझे मालूम है।' इसी स्थिति में मेरी पत्नी गर्भिणी हुई। भला यह पतिवृता कैसे हुई?....भला मुझे सुख कहाँ से मिलेगा? अन्तोश कहाँ? किस विश्वास से जिऊँ? क्यों

जीवित रहूँ?²³

नाटक में कहानी और मनुष्य सोचते हैं कि, 'एक पुरुष दूसरे पुरुष के समान प्यार नहीं करता। प्रत्येक के प्रेम कला ढंग अलग-अलग होता है. उसकी पकड़ अलग होती है. उसका कसाव अलग होता है। दिन का सुख अलग होता है। रात का स्पर्श अलग होता है। पहले से ही वह रोती थी। जब रात का ढंग ही बदल जाए तो कैसी घबराहट होती है। कौन-कौन-कौन, प्रतेक रात यह प्रश्न अपना फन नहीं उठाता ? शरीर तड़प नहीं उठा होगा?'²⁴

और कहानी उसे समझा देती है- इस दिनिया में गृहस्थी के माने यही होता है कि पति-पत्नी ऐसे सारे सिरदब्बों को सिरहाने रखकर उस पर सर टीकाकार सो जाते हैं।²⁵ आगे चलकर फिर नागप्पा यह सोचकर विचलित हो जाता है कि, 'रानी, मेरी रानी ! मेरी आधी रात की सुगंधी, स्वप्न सुंदरी ! दूसरे की बगल में ? यह इस पुरुष को इसी प्रकार आलिंगनबद्ध करती होगी. रोज उसके होंठ काटती। बाँहों में खून गाढ़ती होगी . और मैं खिसककर गिरी केंचुली यह मैं सह नहीं सकता हममें से किसी एक को मरना होगा. किसी एक को इसे मैंने ही सब दिया . मुझे इसे छीन लेने का अधिकार है. क्यों न इसके स्तनों पर अपने दांत गाड़कर इसको मार डालूँ ! इसे क्यों ना मैं सदा-सदा के लिए अपनी बना लूँ। अपनी ! अपनी !'²⁶ नाटक के अंत में नाग उसी के बालों में मृत पाया जाता है. उसका वह अपने पति अप्पन्ना से विधिवत अंत्यसंस्कार उसी के बेटे से करवाती है. पिंडदान भी। एक दिन फिर उसका सर और बालों में खिचाव महसूस होता है. दूसरा नाग दोबारा पाया जाता है। अप्पन्ना लाठी लेकर मारने को जैसे दौड़ता है वह समझ जाती है की यह उसी का नाग है सचेत होकर- (धीरे से नाग से) तुम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वे तुम्हें मार ही डालेंगे। जाओ जल्दी से चले जाओ...इधर से नहीं गुसलखाने में वे हैं। (घबराकर) अब क्या करें, अब क्या होगा? भला तुम क्यों आए? (एकदम) हाँ, मेरे बालों में, आ जल्दी से आ जा आकर मेरे बालों में समा जा। (सिर झुकाकर बालों को धरती से छीने देती है.) जरा जल्दी से। चढ़ गए ना? धीरे से. हिलाना-डुलना मत बाल खींचना मत, तुम कितने भारी हो यह तुम जानते ही नहीं....यही रहो मेरे बाल सुहाग की निशानी हैं. यही सदा सुख से रहो। आराम से तो हो ना?'²⁷ कुछ लोग ऐसे सनातन प्रश्नों का हाल नियति पर छोड़ देते हैं। कुछ इसी जलन में खाक हो जाते हैं। जीवन का यथार्थ कुछ अलग हो जाता है। शारीरिक संबंधों, संभोगों के रूप और सौंदर्य के अनसुलझे सवाल मिथकों के साथ-साथ सतत बदलनेवाले परिस्थितियों में पिछड़ते जाते हैं। सारी अहम्मान्यतायें धरी की धरी रह जाती हैं. सुरेन्द्र वर्मा का नाटक 'सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक' की नायिका शीलवती और गिरीश कर्नाड का नाटक 'नागमंडल' की नायिका रानी आरंभ में मासूम और आबोध है नाटक के अंत में अन्य पुरुषों के संबंधों से गुजरती है तब वह पूर्ण यौवना सुखोपभोगी, खुली और सजग हो जाती है। एक के पातिवृत्य पर आधुनिकता और आत्मसंतोष की अंधी दौड़ का यथार्थ चरपा किया गया है तो दूसरी के पातिवृत्य पर मिथक का पर्दा डाला गया है। जबकि दोनों स्त्रियाँ दैहिक सुखोपभोग एवं मानवी संबंधों में विश्वासी हैं। आरंभ में दोनों के मन में समाज, धर्म और उसके नैतिक मूल्यों का भय है तो अंत में शीलवती खुलकर तो रानी छुपाकर भोगीवृत्ति में लीन है। यहीं पर यह दोनों स्त्रियाँ अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती हैं। 'एक प्राचीन काल की धर्म नटी आधुनिक काल की उदंडता भरे स्वर में जीवन का कामशास्त्र से संबंध ढूँढती है इसके लिए वह स्वयं को नहीं आमात्य परिषद अर्थात् सामाजिक नियमों को दोषी ठहराती है। ओझाक उसे करता है - जब वैधानिक रास्ता बंद हो जायेगा तब? शीलवती उसे जवाब देती है-

जब आवश्यकता होती है तब नए रास्ते खुलने लगते हैं। ओझाक की नपुंसकता उसे अनिर्बाध बना देती है। और उसी का वह जमकर लाभ उठती है। मैं एक मामूली स्त्री हूँ, जब शरीर की मांगों से जीती हूँ, तो शरीर की मांगों को कैसे नकार सकती हूँ? ¹²⁸ का प्रतिवाद शीलवती के पास मौजूद है। तो नागमंडल की रानी के पास यह बेलागता तो नहीं किन्तु चुपचाप, सबसे छुपकर, छुपाकर अपने आपको और नाग प्रेमी को बचाकर भोगने का हुनर है। स्त्री-पुरुष संबंधों की निरंतरता और वास्तविकताओं को दोनों नाटक उठाते हैं। एक में धर्मसम्मत व्यवस्था का धर्मसम्मत खुला सकारण विद्रोह, धिक्कार है तो दूसरी में मर्यादा और शील की रक्षा करते हुए दैवी चमत्कार प्रधान खेल है। जिसमें वह अपने पति को भी शामिल करवाती है।

यह अलग बात है की प्राचीन काल से वर्तमान समय तक में स्त्रियों और दलितों में सजगता है, जागृति तो आ रही है किन्तु उस पर नए सिरे से हमले भी हो रहे हैं और इनका स्वरूप और विकृति और बर्बर हुआ है क्योंकि भारत कितनी भी आर्थिक तरक्की कर ले, पढ़ा-लिखा होने का जश्न मना ले फिर भी यहाँ का पुरुषसत्ताक - दैववादी-वर्णव्यवस्था-विषमतामूलक समाज वैचारिक तौर पर अभी भी रूढ़िवादी जकड़नों से बाहर नहीं निकल पाया है और यहाँ की सवर्णवादी संरचना में जातिवादी दुराग्रह और वर्चस्ववादी पूर्वाग्रह धँसे हुए हैं। सबके अधिकारों की बात कहकर सत्ता वर्ग अपने हितों का पोषण करता जाता है और इन्हीं हितों में ब्राह्मणवादी रवैया भी आया है। आरक्षण और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों ने दलितों के प्रति सवर्णों के मन में नफरत भी भर दी है और इससे दलितों पर अत्याचार कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं।

हिंदी का स्त्री और दलित विमर्शवादी साहित्य हमें बता देता है की विवाह संस्था और रिश्तेदारी जाति व्यवस्था को मजबूती देती रही है। यही से पुरुषसत्ताक- वर्णवादी - दैववादी व्यवस्था जिस प्रकार दलितों की अधिकार विहीन करता है उसी प्रकार स्त्री को भी। उसे तोड़ना आधुनिक अस्मितामूलक विमर्श और चेतना - तंत्र का कार्य है। यही सच दलित और स्त्री विमर्श के आगे है। ओमप्रकाश बाल्मीकि आज भी इसी इंतजार में हैं की

‘वह दिन कब आएगा

जब ब्रामनी नहीं जनेगी ब्रामन

चमारी नहीं जनेगी चमार

भंगिन नहीं जनेगी भंगी।’

अधिकांश स्त्री-विमर्शकत्री पुरुषसत्ताक व्यवस्था को नकारती है किन्तु उसके वर्ण-व्यवस्था कृत संदर्भों को अस्वीकृत करती है। जबकि वर्ण व्यवस्था की क्रोड़ से ही पुरुषसत्ताक व्यवस्था उपजी हुई है। यह बात सच है की जो जातिगत अस्पृश्यता दलितों के हिस्से में आयी है वह स्त्री भोगी व्यवस्था में स्त्री के हिस्से में नहीं आयी है। दलित स्त्रियों के साथ सवर्ण पुरुषों के यौन संबंधों में अपवित्रता या अस्पृश्यता नजर नहीं आती न वे उसे मानते हैं। अधिकांश गैर दलित और दलित लेखकों के साहित्य-आत्मवृत्तों में इसका वर्णन आता है किन्तु सवर्ण लेखकों को आपत्ति वहाँ आती है जब दलित पुरुष, सवर्ण स्त्री के साथ यौन संबंध रखता है अथवा उसके साथ उनके द्वारा यौन संबंधों की पवित्रता को बचाने के लिए बनाई गयी विवाह संस्था में बंध जाता है। अर्थात् प्रतिलोम विवाह जो कभी स्वीकार्य था वह आज पुनः अस्वीकार्य, अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ माना जाता है। एक प्रकार से यह दैववादी- वर्णवादी-पुरुषसत्ताक व्यवस्था के नियमों का

अवमान माना जाता है। यही पर समतामूलक समाज निर्मिती का स्त्री और दलितों की माँग खारिज की जाती है। वर्चस्ववादी व्यवस्था जितनी रियायत देंगी उतनी में ही अपनी मुक्ति का गालिबी खयाल अच्छा माना जाता है। इसे जब समझा जाता है तो संपूर्ण परिवर्तन संभव होगा। यही स्त्री और दलितों का सशक्तिकरण होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. खेतान, प्रभा, सिमोन द बोउवार स्त्री उपेक्षिता, पृ. 56
2. वही, पृ.55
3. चक्रवर्ती, उमा, जाती, समाज, में पितृसत्ता नारीवादी नजरिये से, ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्रा. लि. लक्ष्मी नगर दिल्ली सं. 2011
4. चक्रवर्ती, उमा, जाती, समाज, में पितृसत्ता नारीवादी नजरिये से, ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्रा. लि. लक्ष्मी नगर दिल्ली सं. 2011
5. चक्रवर्ती, उमा, जाती, समाज, में पितृसत्ता नारीवादी नजरिये से, ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्रा. लि. लक्ष्मी नगर दिल्ली सं. 2011
6. त्रिपाठी, कुसुम, स्त्री संघर्ष के सौ वर्ष भावना प्रकाशन पटपड़गंज, दिल्ली सं. 2013, पृ. 59
7. गुप्ता, रमणिका स्त्री मुक्ति रू संघर्ष और इतिहास, सामयिक प्रकाशन प्र. 2014
8. डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर संपूर्ण वांगमय. खंड- 7, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वितीय सं अप्रैल 1097, पृ 332
9. हंस, अक्षर प्रकाशन प्रा. लि. दिल्ली. पृ. 17
10. वही पृ. 18
11. हंस पृष्ठ, 20
12. टाकभौरे, सुशीला 2015 'तुम्हें बदलना ही होगा' दिल्ली: सामायिक प्रकाशन
13. कुच्ची का कानून-शिवमूर्ति, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2017, पृ.-77
14. डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर संपूर्ण वांगमय. पृ. 38
15. वर्मा, सुरेन्द्र, सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक, राधाकृष्ण प्रकाशन चौथा, सं 2001 पृ.79
16. वही, पृ.77
17. वही, पृ.75
18. वही, पृ-74
19. वही, पृ.8.
20. गिरीश कर्नाड, नागमंडल भारतीय ज्ञानपीठ, दू. सं 2006 पृ.5.
21. वही पृ.52
22. वही पृ.58
23. वही पृ.59
24. वही पृ.59
25. वही पृ.59
26. वही पृ.6.
27. वही पृ.64
28. वर्मा, सुरेन्द्र, सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक, राधाकृष्ण प्रकाशन चौथा सं 2001 पृ.78